

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53 (2) के अनुसार 30 जून 2008 को समाप्त वर्ष के लिए
भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्तुत केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2007-08



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
Governor

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. एसवायडी.725 / 02.16.001 / 2008-09

29 अगस्त 2008
7 भाद्र 1930 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रेषित करता हूँ:

- (i) 30 जून 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, जिस पर मैंने, उप गवर्नरों ने और मुख्य महाप्रबंधक ने हस्ताक्षर किए हैं और जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है; और
- (ii) 30 जून 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केन्द्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

(वाय वी. रेड्डी)

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001. भारत
फोन : (022) 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स : (022) 2266 1784 ई-मेल : rbigovr@bom3.vsnl.net.in

Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001. INDIA
Tel : (022) 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax : (022) 2266 1784 E-mail : rbigovr@bom3.vsnl.net.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

गवर्नर

वाइ.वी.रेड्डी

उप गवर्नर

राकेश मोहन

वी. लीलाधर

श्यामला गोपीनाथ

उषा थोरात

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (ख) के अंतर्गत नामित निदेशक

वाइ.एच. मालेगाम

सुरेश धों तेंडुलकर

यू.आर.राव

लक्ष्मी चंद

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (ग) के अंतर्गत नामित निदेशक

एच.पी. रानिना

अशोक एस. गांगुली

अजीम प्रेमजी

कुमार मंगलम बिड़ला

शशि राजगोपालन

सुरेश नेवतिया

ए. वैद्यनाथन

मन मोहन शर्मा

डी. जयवर्धनावेलु

संजय लाब्रू

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (घ) के अंतर्गत नामित निदेशक

डी. सुब्बाराव

स्थानीय बोर्ड के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

वाइ.एच. मालेगाम

के. वेंकटेशन

दत्तराज वी. सालगांवकर

जयंती लाल बावजीभाई पटेल

पूर्वी क्षेत्र

सुरेश धों तेंडुलकर

ए.के.सैकिया

सोवन कानूनगो

उत्तरी क्षेत्र

यू.आर.राव

मीठा लाल मेहता

राम नाथ

प्रीतम सिंह

दक्षिणी क्षेत्र

लक्ष्मी चंद

सी. पी. नायर

एम. गोविंद राव

देवकी जैन

प्रधान अधिकारी

(30 जून 2008 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक

.....

आर.बी. बर्मन
 वी.के.शर्मा
 सी. कृष्णन
 आनंद सिन्हा
 वी.एस.दास
 जी.गोपालकृष्ण
 एच.आर.खान

केन्द्रीय कार्यालय

प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग
 ग्राहक सेवा विभाग
 बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
 बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
 संचार विभाग
 मुद्रा प्रबंध विभाग
 आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग
 व्यय और बजट नियंत्रण विभाग
 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
 सरकारी और बैंक लेखा विभाग
 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
 गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
 भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
 सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग
 वित्तीय बाजार विभाग
 विदेशी मुद्रा विभाग
 मानव संसाधन विकास विभाग
 निरीक्षण विभाग
 आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
 विधि विभाग
 मौद्रिक नीति विभाग
 परिसर विभाग
 राजभाषा विभाग
 ग्रामीण आयोजन और ऋण विभाग
 सचिव विभाग
 शहरी बैंक विभाग

प्रबल सेन, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
 काजा सुधारक, मुख्य महाप्रबंधक
 पी. सरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 एस. करुप्पसामी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 कु.ए.आइ.किल्लावाला प्रेस संपर्क अधिकारी (ग्रेड एफ)
 यू.एस. पालीवाल, मुख्य महाप्रबंधक
 जी. एस. भाटी, प्रधार परामर्शदाता (स्थानापन्न)
 श्रीमती दीपा श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक
 श्रीमती मीना हेमचंद्रा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 श्री एस. वी. राघवन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 जी. पद्मनाभन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 पी. कृष्णमूर्ति, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 ए. पी. होता, मुख्य महाप्रबंधक
 ए.के. रे, प्रभारी अधिकारी
 चंदन सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक
 सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 दीपक सिंहल, मुख्य महाप्रबंधक
 करुणासागर, मुख्य महाप्रबंधक
 के. वी. राजन, मुख्य महाप्रबंधक
 के.डी. बकारियास, प्रभारी विधि परामर्शदाता
 एम.डी.पात्र, प्रभारी परामर्शदाता
 विजय चुध, मुख्य महाप्रबंधक
 श्रीमती फूलन कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
 जी. श्रीनिवासन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
 श्रीमती ग्रेस कोशी, मुख्य महाप्रबंधक और सचिव
 ए.के. खोंड, मुख्य महाप्रबंधक

महाविद्यालय

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुंबई
 उन्नत वित्तीय अध्ययन केंद्र, मुंबई
 कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे
 रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

प्रधानाचार्य / मुख्य महाप्रबंधक

श्रीमती दीपाली पत जोशी

संदीप घोष
 एस. गणेश

कार्यालय

चेन्नै
 कोलकाता
 मुंबई
 नई दिल्ली

क्षेत्रीय निदेशक

एफ.आर. जोसेफ
 बी. महापात्र
 ए.एन. राव
 आर. गांधी

शाखाएं

अहमदाबाद
 बंगलूर
 भोपाल
 भुवनेश्वर
 चंडीगढ़
 गुवाहाटी
 हैदराबाद
 जयपुर
 जम्मू
 कानपुर
 लखनऊ
 नागपुर
 पटना
 तिरुवनंतपुरम

बी. श्रीनिवास
 श्रीमती डी. मुत्थुकृष्णन
 राजेश वर्मा
 जी. जगनमोहन राव
 जे. सदाकदुल्ला
 श्रीमती शेवाली चौधरी
 श्रीमती सुमा वर्मा
 बी.पी. कानूनगो
 ओ. पी. अग्रवाल
 जे. बी. भोरिया
 डी.पी.एस. राठौर
 सी.सी. मित्र
 के. के. वोहरा
 एस. रामास्वामी

बेलापूर

देहरादून
 कोच्चि
 पणजी
 रायपुर
 रांची
 शिमला

प्रभारी अधिकारी

ए.के. बेरा, मुख्य महाप्रबंधक
 मनोज शर्मा, महाप्रबंधक
 टी.वी. गोपालकृष्णन, मुख्य महाप्रबंधक
 एम.ए.आर.प्रभू, उप महाप्रबंधक
 ए. के. शर्मा, महाप्रबंधक
 रवि एन. मिश्रा, महाप्रबंधक
 एस. के. बल, महाप्रबंधक

भाग एक : अर्थव्यवस्था : समीक्षा और संभावनाएं

I.	मूल्यांकन और संभावनाएं	1
	2007-08 का मूल्यांकन	2
	2008-09 के लिए संभावना	8
	वास्तविक क्षेत्र	16
	राजकोषीय नीति	23
	बाह्य क्षेत्र	26
	वित्तीय क्षेत्र	27
	मौद्रिक नीति	28
II.	आर्थिक समीक्षा	33
	समष्टि आर्थिक नीतिगत परिवेश	33
	वास्तविक क्षेत्र की नीतियां	33
	राजकोषीय नीति	38
	बाह्य क्षेत्र की नीतियां	43
	मौद्रिक नीति ढांचा	44
	ऋण सुपुर्दगी	46
	वित्तीय क्षेत्र की नीतियां	46
	वास्तविक अर्थव्यवस्था	50
	सकल आपूर्ति	52
	कृषि	52
	औद्योगिक कार्य निष्पादन	57
	सेवा क्षेत्र	65
	सकल मांग	67
	मुद्रा, ऋण और मूल्य	72
	आरक्षित मुद्रा	72
	मौद्रिक सर्वेक्षण	74
	मूल्य स्थिति	81
	सरकारी वित्त	96
	केन्द्र सरकार का वित्त	96
	राज्य सरकार वित्त	98
	केन्द्र और राज्यों की समेकित सरकारी बजट स्थिति	99
	राजकोषीय संभावना	100
	वित्तीय बाजार	113
	अन्तरराष्ट्रीय वित्त बाजार	113
	घरेलू वित्तीय बाजार	122
	मुद्रा बाजार	122
	विदेशी मुद्रा बाजार	125
	सरकारी प्रतिभूति बाजार	129
	क्रेडिट बाजार	130
	इक्विटी तथा ऋण बाजार	131

बाह्य क्षेत्र	139
अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियाँ	140
भुगतान संतुलन	142
बाह्य ऋण	154
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ	156
अन्तरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	160
भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन	
III. मौद्रिक नीति का परिचालन	162
मौद्रिक नीति का परिचालन: 2007-08	163
मौद्रिक नीति का परिचालन: 2008-09	168
चलनिधि प्रबंध	173
IV. ऋण सुपुर्दगी	181
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार	181
व्यष्टि वित्त	192
वित्तीय समावेशन	193
वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श	197
ऋण सूचना प्रणाली	199
V. वित्तीय बाजारों का विकास तथा विनियमन	202
मुद्रा बाजार	203
सरकारी प्रतिभूति बाजार	203
विदेशी मुद्रा बाजार	206
VI. वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण	215
भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए विनियामक ढांचा	215
विनियामक पहलें	217
पर्यवेक्षी पहलें	224
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	230
सहकारी बैंक	231
ग्रामीण सहकारी संस्थाएँ	235
वित्तीय संस्थाएँ	236
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	236
VII. लोक ऋण प्रबंध	248
केन्द्र सरकार	248
राज्य सरकारें	256
VIII. मुद्रा प्रबंध	265
संचलन में बैंक नोट	265
मुद्रा परिचालन	267
IX. भुगतान और निपटान प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी	274
भुगतान और निपटान प्रणाली	274
भुगतान और निपटान प्रणालियों की गतिविधियाँ	275
रिज़र्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी	280

X	मानव संसाधन विकास और संगठनात्मक विषय	285
	मानव संसाधन पहल	285
	ग्राहक सेवा और परिवार निवारण प्रणाली	296
	अनुसंधान गतिविधियां	305
	केंद्रीय बोर्ड और इसकी समितियां	313
XI.	रिज़र्व बैंक का 2007-08 का लेखा	315
	आय और व्यय	315
	व्यय	317
	तुलनपत्र	319
	देयताएं	319
	आस्तियां	320
	अनुबंध I : गवर्नर और उप गवर्नरों के भाषणों की सूची	327
	अनुबंध II : दलों / समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की सूची	329
	अनुबंध III : रिज़र्व बैंक के स्टाफ के प्रकाशनों की सूची	331
	अनुबंध IV : विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का रिज़र्व बैंक का दौरा	334
	अनुबंध V : नीति संबंधी प्रमुख घोषणाओं की कालानुक्रम सूची	336

बॉक्स

II.1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	35
II.2	सरकार के वित्त पर छोटे वेतन आयोग का प्रभाव	41
II.3	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007	48
II.4	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	49
II.5	अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम	51
II.6	टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र का हाल का कार्य-निष्पादन : कुछ परिप्रेक्ष्य	60
II.7	ऊर्जा उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित मामले	63
II.8	भारतीय अर्थव्यवस्था में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उद्योग का योगदान	66
II.9	उत्पादकता के संकल्पनात्मक पक्ष	70
II.10	मुद्रा, उत्पादन और मूल्य	78
II.11	खाद्य मूल्य स्फीति नियंत्रित करना: विभिन्न देशों में किए गए उपाय	88
II.12	मुद्रास्फीतिक दबावों को समझना - प्रमुख (कोर) मुद्रास्फीति की प्रासंगिकता	95
II.13	बजट से इतर मर्दे तथा सरकारी वित्त	106
II.14	राज्य सरकार स्तर पर राजकोषीय स्पेस	108
II.15	राज्य सरकारों के लोक व्यय का स्वरूप	110
II.16	सब-प्राइम उधार संकट : वित्तीय बाजारों के लिए मुद्दे	119
II.17	विनिमय दर व्यवस्था	128
II.18	भारत में कंपनी बांड बाजार - चालू स्थिति	133

	पृष्ठ सं.
II.19	शॉर्ट सेलिंग तथा प्रतिभूतियां उधार देना और लेना 135
II.20	वैश्विक मंदी तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर उसका प्रभाव 141
II.21	बदलता हुआ वैश्विक आर्थिक भूगोल 143
II.22	भारत के निर्यात का विशाखीकरण 145
III.1	भारत में मौद्रिक नीति का रुझान 169
III.2	चलनिधि प्रबंध की चुनौतियां 176
IV.1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 187
IV.2	वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि 198
IV.3	वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र : संकल्पना पत्र 200
V.1	ब्याज दर फ्यूचर्स पर कार्य दल 204
V.2	सरकारी प्रतिभूति बाजार और प्राथमिक व्यापारी 207
V.3	रुपया आहरण व्यवस्था तथा मुद्रा अंतरण सेवा योजना 208
V.4	मुद्रा फ्यूचर्स पर कार्य दल 213
VI.1	नये पूँजी-पर्याप्तता ढाँचे में संशोधन 219
VI.2	आंतरिक पूँजी-पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) और पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) पर दिशानिर्देश 220
VI.3	बेसल II में उन्नत दृष्टिकोण 221
VI.4	अपने ग्राहक को जानिए और धन शोधन निवारण के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश - मुख्य मुख्य बातें 222
VI.5	राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के चुने गए निदेशकों के लिए योग्य और उचित (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड 225
VI.6	वसूली एजेंटों के संबंध में दिशानिर्देश 229
VI.7	अयाचित वाणिज्यिक सूचनाएँ - राष्ट्रीय कॉल न करने की रजिस्ट्री 230
VI.8	बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का शीघ्र निपटारा 232
VI.9	परिदृष्टि प्रलेख (विजन डॉक्युमेंट) का शहरी सहकारी बैंकों पर प्रभाव 233
VI.10	बंधक गारंटी कंपनी 238
VI.11	सब-प्राइम संकट से पाठ 240
VI.12	वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) की रिपोर्ट - स्थिति 241
VI.13	सिद्धांत आधारित विनियमन 242
VII.1	भारत सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी प्रक्रिया के संबंध में गठित कार्यदल 252
VII.2	रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के निवेश संविभाग का प्रबंध 260
VIII.1	नोट सॉर्टिंग प्रणाली 271
VIII.2	बैंक नोटों की बिना क्रमवार संख्या 273
IX.1	इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण के लिए फ्रेमवर्क सुझाव समिति की रिपोर्ट - मुख्य सिफारिशें 278

IX.2	भारत - नेपाल विप्रेषण योजना - मुख्य विशेषताएं	280
IX.3	प्रौद्योगिकी का अभिसरण - नए सुपर्दगी माध्यम	282
IX.4	आइटी आधारित परिचालनों में जोखिम प्रबंधन	283
IX.5	वित्तीय क्षेत्र की प्रौद्योगिकी संबंधी विजन दस्तावेज - 2008-10	284
X.1	गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली (क्यूएमएस) : आइएसओ 9001-2000 मानक	299
X.2	सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (आइएसएमएस): आइएसओ 27001 मानक	300
X.3	जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा	301
X.4	भारतीय रिजर्व बैंक की संचार नीति	302
X.5	भारतीय रिजर्व बैंक युवा विद्वान योजना	304
X.6	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण निर्णय	305
X.7	भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआइ) : भारिबैं - डेटा वेअरहाउस - इंटरनेट और इंटरनेट दोनों ही यूजरों के लिए साझी साइट प्रारंभ करना	310
X.8	बैंकों द्वारा डेटा रिपोर्टिंग के लिए प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष	311

चार्टस

II.1	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की क्षेत्रीय वृद्धि	58
II.2	बुनियादी सुविधा उद्योग का विकास - क्षेत्रवार	62
II.3	सकल घरेलू बचत	71
II.4	आरक्षित मुद्रा वृद्धि	72
II.5	स्रोत: आरक्षित मुद्रा	74
II.6	मौद्रिक समुच्चय	75
II.7	मुद्रा संचलन में पाक्षिक परिवर्तन	76
II.8	मीयादी जमा राशि और लघु बचत	76
II.9	बैंक ऋण वृद्धि और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	77
II.10	वृद्धिशील ऋण - जमा राशि अनुपात	77
II.11	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एसएलआर में निवेश	80
II.12	वैश्विक मुद्रास्फीति	82
II.13	मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव	89
II.14	केंद्र सरकार का ऋण अदायगी भार	98
II.15	राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक	99
II.16	10 वर्षीय सरकारी बांड प्रतिफल	120
II.17	चलनिधि-समायोजन सुविधा और मांग दर	122
II.18	मुद्रा बाजार - ब्याज दर और मात्रा	123
II.19	प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए में घट-बढ़	126
II.20	विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप और विनिमय दर	126
II.21	रुपया/अमरीकी डालर वायदा प्रीमिया	127
II.22	विदेशी मुद्रा बाजार में औसत दैनिक कारोबार	127

II.23	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	129
II.24	सरकारी प्रतिभूति बाजार में कारोबार और प्रतिफल	130
II.25	प्राथमिक बाजार में संसाधन संग्रहण	132
II.26	भारतीय स्टॉक बाजार	134
II.27	विश्व उत्पादन और व्यापार में वृद्धि	140
II.28	भारत की अदृश्य प्राप्तियां	146
II.29	वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा	148
II.30	भारत का चालू खाता	151
II.31	भारत में विदेशी निवेश	153
II.32	भारत और विकासशील देशों को विदेशी निवेश अंतर्वाह	154
III.1	आरक्षित नकदी अनुपात	173
III.2	एल ए एफ के अंतर्गत रिपो (+) / रिवर्स रिपो (-)	177
VI.1	सूचना प्रस्तुत करनेवाली एनबीएफसी के सीआरएआर का बारंबारता वितरण	244
VII.1	केंद्र सरकार के नकद शेष की स्थिति	249
VII.2	खजाना बिलों के प्राथमिक बाजार प्रतिलाभ	250
VII.3	दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों का भारत औसत प्रतिलाभ	253
VIII.1	व्यापक मुद्रा में करेंसी का हिस्सा	266
VIII.2	संचलन में बैंक नोट: मार्च 2008 के अंत में	267
X.1	रिजर्व बैंक के स्टाफ की कुल संख्या	292
XI.1	आय के स्रोत	316
XI.2	व्यय की प्रमुख मदे	318
XI.3	विदेशी मुद्रा और देशी आस्तियों में प्रवृत्तियां	321

सारणी

2.1	वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	50
2.2	वर्षा का भौगोलिक विभाजन	52
2.3	कृषि उत्पादन	53
2.4	प्रमुख फसलों के उत्पादन	54
2.5	कृषि में सकल पूंजी निर्माण	54
2.6	खाद्यान्न भंडार का प्रबन्धन	56
2.7	औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन - संवृद्धि	57
2.8	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक: उद्योगों का क्षेत्रीय और उपयोग आधारित वर्गीकरण	58
2.9	उपभोक्ता माल में विकास की प्रवृत्ति	59
2.10	क्षमता उपयोग	61
2.11	बुनियादी सुविधा उद्योगों के लक्ष्य और उपलब्धियां	62
2.12	केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का निष्पादन	62
2.13	औद्योगिक निवेश प्रस्ताव	64

	पृष्ठ सं.
2.14	घोषित विलय और अधिग्रहण 64
2.15	अति लघु और लघु उद्यमों का कार्य-निष्पादन 65
2.16	सेवा क्षेत्र गतिविधि के संकेतक 65
2.17	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग 67
2.18	कारपोरेट क्षेत्र का निष्पादन 68
2.19	वास्तविक प्रभावी मांग के चयनित संसाधनों में वृद्धि 69
2.20	सकल घरेलू उत्पाद का व्यय पक्ष 69
2.21	सकल पूंजी निर्माण 71
2.22	वित्तीय आस्तियों में घरेलू बचत 71
2.23	आरक्षित मुद्रा 73
2.24	मौद्रिक संकेतक 75
2.25	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन 77
2.26	खाद्येतर बैंक ऋण -क्षेत्रवार विनियोजन 79
2.27	उद्योगों की निधियों के चुनिंदा स्रोत 80
2.28	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का गैर-एसएलआर निवेश 81
2.29	वैश्विक मुद्रास्फीति संकेतक 84
2.30	सांकेतिक और वास्तविक नीतिगत दरें : चुनिंदा देश 85
2.31	अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतें 86
2.32	2007 में वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक 87
2.33	प्रमुख पण्य मुद्रास्फीति - वैश्विक की तुलना में घरेलू (वर्ष-दर-वर्ष) 90
2.34	भारत में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) 91
2.35	उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति - प्रमुख समूह 93
2.36	प्रमुख राजकोषीय संकेतक : सम्मिलित वित्त 96
2.37	केंद्र के प्रमुख राजकोषीय संकेतक 97
2.38	2007-08 के केंद्र के प्रमुख घाटा संकेतक - अनंतिम खाते 98
2.39	केंद्र की बकाया घरेलू देयताओं की औसत ब्याज दर 98
2.40	केंद्र और राज्य के सम्मिलित वित्त के संकेतक 100
2.41	केंद्र और राज्यों की सम्मिलित देयताएं 100
2.42	बकाया सरकारी गारंटियां 101
2.43	केंद्र के सकल राजकोषीय घाटे का घटकवार विभाजन 101
2.44	केंद्र की राजस्व स्थिति 102
2.45	केंद्र का सकल कर राजस्व 103
2.46	केंद्र की सब्सिडियां 103
2.47	केंद्र सरकार के व्यय का स्वरूप 104
2.48	केंद्र के चुनिंदा विकास शीर्षों पर व्यय 104

	पृष्ठ सं.	
2.49	केंद्र के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप	105
2.50	बजट अनुमानों की तुलना में ग्यारहवीं योजना का पूर्वानुमान	105
2.51	चुनिंदा देशों की केंद्र सरकारों के घाटा और ऋण संकेतक	105
2.52	राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक	107
2.53	राज्य सरकारों की सकल प्राप्तियां	107
2.54	राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप	109
2.55	राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का घटकवार विभाजन और वित्तपोषण का स्वरूप	111
2.56	केंद्र और राज्य सरकारों के घाटे की मात्रा	111
2.57	केंद्र और राज्यों की सम्मिलित प्राप्तियां और संवितरण	112
2.58	केंद्र और राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	112
2.59	सामाजिक क्षेत्र पर केंद्र और राज्यों का सम्मिलित व्यय	112
2.60	घरेलू वित्तीय बाजार एक नजर में	114
2.61	अल्पावधि ब्याज दरें	120
2.62	अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार	121
2.63	अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि (+)/ह्रास (-)	121
2.64	मुद्रा बाजार खंडों की गतिविधियां	124
2.65	वाणिज्यिक पत्र - प्रमुख जारीकर्ता	125
2.66	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमरीकी डालर की खरीद और बिक्री	126
2.67	प्रतिफल स्प्रेड	130
2.68	जमा और उधार दरें	131
2.69	प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाना	132
2.70	भारतीय इक्विटी बाजार - मुख्य संकेतक	136
2.71	बीएसई क्षेत्रवार स्टॉक सूचकांक	136
2.72	संस्थागत निवेशों की प्रवृत्तियां	137
2.73	म्यूच्युअल फंडों द्वारा संसाधन संग्रहण	138
2.74	म्यूच्युअल फंडों द्वारा जुटायी गई निधियां - स्कीमों के प्रकार	138
2.75	चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांडों/डिबेंचरों के जरिए जुटाए गए संसाधन	139
2.76	विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों को निवल पूंजी प्रवाह	140
2.77	भारत के निर्यातों की दिशा	144
2.78	भारत के आयातों की दिशा	146
2.79	भारत का भुगतान संतुलन - मुख्य संकेतक	147
2.80	भारत की सेवाओं के निर्यातों की संरचना	148
2.81	कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात	148
2.82	भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन तथा बाहरी यात्रियों की संख्या	149
2.83	सॉफ्टवेयर से इतर विविध प्राप्तियां और भुगतान	149

	पृष्ठ सं.
2.84 कारोबारी सेवाएं	150
2.85 भारत को निजी अंतरणों की संरचना	150
2.86 कामगारों के विप्रेषण - सर्वोच्च दस विप्रेषण प्राप्त करने वाले देश	150
2.87 चुनिंदा देशों में व्यापार और चालू खाता शेष	151
2.88 सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह	152
2.89 भारत को विदेशी निवेश प्रवाह	152
2.90 भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह: देशवार और क्षेत्रवार	153
2.91 भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	154
2.92 चुनिंदा देशों को विदेशी प्रत्यक्ष और संविभाग इक्विटी निवेश अंतर्वाह	155
2.93 अनिवासी भारतीय जमा योजनाओं के तहत शेष राशि	155
2.94 विदेशी सरकारों को भारत का अनुदान तथा ऋण	155
2.95 भारत का बाह्य ऋण	156
2.96 बाह्य ऋण चुकौती भुगतान	156
2.97 सर्वोच्च बीस देनदार देशों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना, 2006	157
2.98 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि	158
2.99 दस सर्वोच्च उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां	158
2.100 विदेशी मुद्रा आस्तियों के परिनियोजन का स्वरूप	159
2.101 भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	160
2.102 अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति : चुनिंदा देश	161
2.103 भारत में बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां	161
3.1 प्रमुख नीतिगत दरों और आरक्षित निधि अपेक्षाओं में घट-बढ़	166
3.2 अनिवासी जमा राशियों का ब्याज दर ढांचा	174
3.3 चलनिधि प्रबंध	174
3.4 मासिक प्राथमिक चलनिधि प्रवाह और खुले बाजार के परिचालन	175
3.5 रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंध परिचालन	177
3.6 रिजर्व बैंक में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की धारिता	179
3.7 एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रिपो / रिपो में लगायी गयी बोलियां	180
4.1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम	182
4.2 बकाया कृषि अग्रिम	183
4.3 विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत संवितरण	183
4.4 बैंकों द्वारा कृषि को वास्तविक संवितरण और लक्ष्य	184
4.5 सरकारी क्षेत्र के बैंक -प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली	185
4.6 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा व्यष्टि और लघु उद्यमों को बैंक ऋण	188
4.7 रुग्ण, व्यष्टि और लघु उद्यमों को ऋण	189
4.8 31 मार्च 2007 को एसएचजी के प्रति बकाया बैंक ऋण	193

	पृष्ठ सं.
4.9	नो फ्रिल्स खातों की संख्या 194
6.1	विदेशों में खोले गए भारतीय बैंकों के कार्यालय (जुलाई 2007 से जून 2008 तक) 223
6.2	भारत में खोले गए विदेशी बैंकों के कार्यालय (जुलाई 2007 से अप्रैल 2008 तक) 223
6.3	अनर्जक परिसंपत्तियों का समाधान 224
6.4	बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ियाँ 226
6.5	चुनिंदा वित्तीय संकेतक 243
6.6	अनुसूचित वाणिज्य बैंक - सीआरएआर का बारंबारता वितरण 243
6.7	चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का सीआरएआर तथा उनकी निवल अनर्जक आस्तियाँ 244
6.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंक - कार्य-निष्पादन संकेतक 244
6.9	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियाँ 245
6.10	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियाँ 245
6.11	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनात्मक परिणाम - प्रमुख अनुपात 245
6.12	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनात्मक परिणाम - 2007-08 246
6.13	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के परिचालनात्मक परिणाम - प्रमुख अनुपात 246
7.1	भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के हिस्से के अंतरण के वित्तपोषण हेतु खजाना बिलों के माध्यम से अतिरिक्त उधार 250
7.2	खजाना बिलों की रूपरेखा 250
7.3	खजाना बिल - प्राथमिक बाजार 251
7.4	केन्द्र सरकार के सकल और निवल बाजार उधार 252
7.5	केन्द्र सरकार के बाजार ऋण - रूपरेखा * 253
7.6	प्राथमिक निर्दिष्ट प्रतिलाभ और प्रचलित द्वितीयक बाजार प्रतिलाभ 254
7.7	केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता की रूपरेखा* 254
7.8	केंद्र के बकाया बाजार ऋणों का चुकौती कार्यक्रम 254
7.9	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की ब्याज दर की रूपरेखा 255
7.10	सांकेतिक कैलेंडर और केंद्र सरकार के वास्तविक उधार - 2008-09 256
7.11	राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट* 257
7.12	अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का राज्य और केंद्रशासित प्रदेश-वार उपयोग 257
7.13	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं 258
7.14	राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेश के निवेश* 259
7.15	राज्य सरकारों के वार्षिक बाजार उधार 261
7.16	राज्य सरकारों के माहवार बाजार उधार 261
7.17	2007-08 के दौरान नीलामियों की श्रृंखलाओं का बारंबारता वितरण 262
7.18	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ 262
7.19	वर्ष 2007-08 के दौरान भारित औसत अंतर (स्प्रेड) 262
7.20	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की ब्याज-दर रूपरेखा 263
7.21	राज्य सरकारों की बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि की रूपरेखा 263

	पृष्ठ सं.
7.22 बकाया राज्य ऋणों और पॉवर बांडों का परिपक्वता स्वरूप	264
8.1 संचलन में बैंक नोट	266
8.2 संचलन में सिक्के	267
8.3 मुद्रा तिजोरियां	268
8.4 मांग और आपूर्ति किए गए बैंक नोटों की मात्रा	268
8.5 मांग और आपूर्ति किए गए बैंक नोटों का मूल्य	269
8.6 बैंक नोटों की आपूर्ति तथा लागत	269
8.7 सिक्कों की मांग तथा आपूर्ति	270
8.8 गंदे नोटों का निपटान तथा नए बैंक नोटों की आपूर्ति	270
8.9 पकड़े गए जाली नोट	271
8.10 रिजर्व बैंक तथा बैंक शाखाओं में पकड़े गए जाली नोट	272
9.1 भुगतान प्रणाली संकेतक : वार्षिक टर्नओवर	276
9.2 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली	277
9.3 कार्ड आधारित भुगतान	278
9.4 आरटीजीएस लेनदेन	279
9.5 सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण घटक : 2007-08	281
10.1 रिजर्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान - संचालित कार्यक्रम	286
10.2 2007-08 के दौरान प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा संचालित किए गए चयनित कार्यक्रम / सेमिनार / कार्यशालाएं	287
10.3 भारत तथा विदेश स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	288
10.4 संयुक्त भारत - आइएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम - पुणे	290
10.5 रिजर्व बैंक द्वारा भर्ती-2007	292
10.6 रिजर्व बैंक की स्टाफ संख्या	292
10.7 वास्तविक स्टाफ संख्या	293
10.8 31 दिसंबर 2007 को रिजर्व बैंक की विभागवार स्टाफ संख्या	294
10.9 कार्यालयवार स्टाफ संख्या	295
10.10 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए अनुरोध	304
10.11 रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों को नवाजे गए पुरस्कार	314
11.1 सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां	315
11.2 सकल आय	316
11.3 आकस्मिक तथा आस्ति विकास आरक्षित निधियां और सरकार को अधिशेष अंतरण	316
11.4 विदेशी स्रोतों से अर्जन	317
11.5 देशी स्रोतों से अर्जन	317
11.6 व्यय	318
11.7 मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते तथा विदेशी मुद्रा समकरण खाते में शेष राशियां	320

11.8	आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि में शेष राशियां	320
11.9	बकाया विदेशी मुद्रा और देशी आस्तियां	320
11.10	सहायक संस्थाओं के शेयरों में निवेश	321

परिशिष्ट सारणी की सूची

1	चुनिंदा व्यापक आर्थिक और वित्तीय संकेतक	357
2	वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रवार संरचना	358
3	वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तिमाही वृद्धि दरें तथा उनकी क्षेत्रवार संरचना	359
4	कृषि उत्पादन	360
5	खाद्यान्न की सरकारी खरीद, निकासी और स्टॉक	361
6	औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियां	362
7	विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह प्रमुख उद्योगसमूहों के सूचकांक में वृद्धि	363
8	विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह प्रमुख उद्योग समूहों की वृद्धि दरों की बारंबारिता का वितरण - 2003-04 से 2007-08 तक	364
9	औद्योगिक उत्पादन का उपयोग-आधारित वर्गीकरण	365
10	संरचनावाले छह उद्योगों की वृद्धि	366
11	सकल घरेलू बचत और निवेश	367
12	घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत (सकल)	368
13	आरक्षित मुद्रा में घट-बढ़	369
14	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सर्वेक्षण	370
15	मुद्रा स्टॉक में घट-बढ़	371
16	नए मौद्रिक समुच्चय	372
17	चलनिधि समुच्चय (बकाया राशि)	373
18	महत्वपूर्ण बैंकिंग संकेतक - अनुसूचित वाणिज्य बैंक	374
19	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	375
20	सकल बैंक ऋण का क्षेत्र वार नियोजन	376
21	सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन	377
22	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक सहायता	378
23	थोक मूल्यों के सूचकांकों में घट-बढ़	379
24	थोक मूल्यों में घट-बढ़ - भारांकित योगदान	380
25	मूल्य सूचकांकों में वर्षवार घट-बढ़	381
26	केंद्र सरकार के घाटे के आंकड़े	382
27	केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय की प्रमुख मदें	383
28	केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	384
29	केंद्र सरकार की बकाया देयताएं	385
30	राज्य सरकारों के बजट परिचालन	386

	पृष्ठ सं.
31 राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण और बकाया देयताएं	387
32 केंद्र और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व	388
33 संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण - केंद्र और राज्य सरकार	389
34 बाजार उधार - केंद्र और राज्य सरकार	390
35 चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां	391
36 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्रों का निर्गम	398
37 वाणिज्यिक पत्र	399
38 भारतीय रुपए की वास्तविक प्रभावी विनियम दर (रीर) तथा सांकेतिक प्रभावी विनियम दर (नीर) के सूचकांक	400
39 विदेशी मुद्रा बाजार में अंतर बैंक और वणिक् कारोबार	401
40 सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार के लेनदेन	402
41 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दर संरचना	403
42 गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों	404
43 घरेलू स्टॉक सूचकांक	405
44 घरेलू इक्विटी बाजार के प्रमुख संकेतक	406
45 इक्विटी व्युत्पन्नी बाजार में पण्यवर्त	407
46 वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित सहायता	408
47 चुने हुए आर्थिक संकेतक -विश्व	409
48 भारत का विदेश व्यापार	410
49 भारत से मुख्य पण्यों का निर्यात	411
50 भारत में मुख्य पण्यों का आयात	412
51 भारत का समग्र भुगतान संतुलन	413
52 लेनदेनों की श्रेणियों के अनुसार अदृश्य मर्दे	414
53 पूंजी आगमों की संरचना	415
54 बाह्य सहायता	416
55 भारत का विदेशी ऋण	417
56 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार	419
57 निर्यात ऋण पर ब्याज दरें	420
58 खजाना बिलों की स्थिति	421
59 केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का प्रोफाइल	422
60 केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम	423
61 राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों का बाजार उधार कार्यक्रम : 2007-08	425
62 नीलामी से जुटाए गए राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के बाजार उधार	426
63 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बाजार उधार का औसत भारांकित प्रतिलाभ	429

संक्षेपाक्षरों की सूची

एबीसीपी	- आस्ति समर्थित वाणिज्य पत्र	बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति
एबीएस	- आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां	बीसीपी	- व्यापार सातत्यता आयोजना
एसीएच	- स्वचालित समाशोधन गृह	बीसीएसबीआइ	- भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड
एसीयू	- एशियाई समाशोधन संघ	बीसीटीटी	- बैंकिंग नकद लेन-देन कर
एसीयू	- अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी	बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
एडीबी	- एशियाई विकास बैंक	बीआइए	- मूल संकेतक दृष्टिकोण
एडीआर	- आस्ति विकास आरक्षित निधि	बीआइएफआर	- औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
एडीआर	- अमरीकी निक्षेपागार (डिपाजिटरी) रसीद	बीआइएस	- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
एडी	- प्राधिकृत व्यापारी	बीएलए	- बांड लेजर खाता
एडीडब्ल्यूआरएस	- कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना	बीओपी	- भुगतान संतुलन
एएफसी	- आस्ति वित्त कंपनी	बीओएस	- बैंकिंग लोकपाल योजना
एएफआइ	- वार्षिक वित्तीय निरीक्षण	बीपीएल	- गरीबी रेखा से नीचे
एएफएस	- बिक्री के लिए उपलब्ध	बीपीएलआर	- बेंचमार्क मूल उधार दर
एआइबीपी	- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	बीपीओ	- व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग
एआइडीआइएस	- अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण	बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
एआइएफआइ	- अखिल भारतीय वित्तीय संस्था	बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि.
एआइआरबी	- उन्नत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण	बीएसई	- मुंबई शेयर बाजार
एएलडी	- जमाकर्ताओं के प्रति कुल देयता	बीएसआर	- मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियां
एएलएम	- आस्ति देयता प्रबंधन	बीटीसी	- बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
एएमए	- उन्नत मापन दृष्टिकोण	सीए	- समवर्ती लेखापरीक्षा
एएमसी	- प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक	सीएबी	- कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
एएमएल	- धन शोधन निवारण	सीएपीआइओ	- केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी
एएमपी	- उन्नत मापन दृष्टिकोण	सीबीएलओ	- संपाश्वर्कृत उधार और ऋणदायी बाध्यता
एएमपीआइ	- कुल सूक्ष्म-विवेकपूर्ण संकेतक	सीबीएस	- समेकित बैंकिंग सांख्यिकी
एएनबीसी	- समायोजित निवल बैंक ऋण	सीबीएस	- कोर बैंकिंग प्रणाली
एपीएल	- गरीबी रेखा से ऊपर	सीसीसी	- केंद्रीय शिकायत समिति
एपीएम	- नियंत्रित मूल्य प्रणाली	सीसीईए	- आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
एआरसी	- आस्ति पुनर्संरचना कंपनी	सीसीआइएल	- भारतीय समाशोधन निगम लि.
एएस	- लेखांकन मानक	सीसीपी	- केंद्रीय प्रतिपक्षी पार्टी
एएसईएएन	- दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ	सीसीआरएस	- मुद्रा तिजोरी रिपोर्टिंग प्रणाली
एटीबी	- नीलामी खजाना बिल	सीडी	- जमा प्रमाणपत्र
एटीएम	- स्वचालित टेलर मशीन	सीडीबीएमएस	- केंद्रीकृत आंकड़ा आधारित प्रबंध प्रणाली
बीसी	- कारोबारी संवाददाता	सीडीओ	- संपाश्वर्कृत ऋण दायित्व

संक्षेपाक्षरों की सूची

सीडीआर	- कंपनी ऋण पुनर्संरचना	सीआरएफ	- आपदा राहत निधि
सीडीएस	- ऋण -चूक अदला-बदली	सीआरसीएस	- सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक
सीईएनवीएटी	- केंद्रीय मूल्य वर्द्धित कर	सीआरआर	- नकदी आरक्षित अनुपात
सीएफसीएसी	- पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता समिति	सीआरटी	- ऋण-जोखिम अंतरण
सीएफईएस	- केंद्रीकृत निधि जांच प्रणाली	सीएसएए	- स्व-नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा
सीएफएमएस	- केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली	सीएसएफ	- समेकित ऋण शोधन निधि
सीएफटी	- आतंकवाद वित्तपोषण से संघर्ष	सीएसजीएल	- ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही
सीएफटीएस	- केंद्रीकृत निधि अंतरण प्रणाली	सीएसओ	- केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
सीजीआरए	- मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता	सीएसआर	- कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीआइबी	- पूंजी सूचकांकित बांड	सीएसटी	- केंद्रीय बिक्री कर
सीआइबीआइएल	- भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लिमिटेड	सीटीआर	- नकद लेनदेन रिपोर्ट
सीआइसी	- केंद्रीय सूचना आयुक्त	सीटीएस	- चेक छिन्नन (ट्रैकेशन) प्रणाली
सीआइसीटीएबी	- कृषि बैंकिंग अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण केंद्र	सीटीटी	- पण्य संव्यवहार कर
सीएलसीसी	- केंद्र स्तरीय समन्वय समिति	सीवीडी	- प्रतिकारी शुल्क
सीएमई	- पूंजी बाजार जोखिम	सीवीपीएसएस	- मुद्रा सत्यापन और संसाधन प्रणाली
सीएमआइएस	- मुद्रा प्रबंध सूचना प्रणाली	डीएडी	- जमा लेखा विभाग
सीओएमओआरएस	- अनुपालन निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली	डीएपीएम	- प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग
सीओआर	- पंजीकरण प्रमाणपत्र	डीबीआई	- भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डाटाबेस
सीपी	- वाणिज्यिक पत्र	डीबीओडी	- बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
सीपीएडीएस	- केंद्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली	डीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
सीपीसी	- चेक प्रसंस्करण केंद्र	डीसीसी	- जिला परामर्शदात्री समिति
सीपीडीओ	- केंद्रीकृत लोक ऋण कार्यालय	डीसीसीबी	- जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सीपीआई	- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	डीसीएम	- मुद्रा प्रबंध विभाग
सीपीआई-आइडब्ल्यू	- औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	डीसीआरएफ	- ऋण समेकन और राहत सुविधा
सीपीआईओ	- मुख्य जनसूचना अधिकारी	डीडीपी	- जिला विकास कार्यक्रम
सीपीपीएपीएस	- सार्वजनिक सेवाओं संबंधी प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी समिति	डीडीटी	- लाभांश वितरण कर
सीपीआर	- समेकित विवेकपूर्ण विवरणी	डीईपी	- आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग
सीओएसएमओएस	- केंद्रीकृत परोक्ष निगरानी प्रणाली	डीईबीसी	- व्यय और बजट नियंत्रण विभाग
सीआर	- आकस्मिक आरक्षित निधि	डीईआईओ	- बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
सीआरएआर	- जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात	डीईपीबी	- ड्यूटी हकदारी पासबुक
सीआरबी	- पण्य अनुसंधान ब्यूरो	डीईएसपीएस	- सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग
सीआरसी	- शिकायत निवारण कक्ष	डीएफईसी	- शुल्क मुक्त पात्रता प्रमाणपत्र

संक्षेपाक्षरों की सूची

डीएफएचआइ	- भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह	ईसीआर	- निर्यात ऋण पुनर्वित्त
डीएफआइ	- वित्त विकास संस्थाएं	ईसीएस	- इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली
डीएफआरसी	- शुल्क मुक्त संपूर्ति प्रमाणपत्र	ईडीसी	- कार्यपालक निदेशकों की समिति
डीजीबीए	- सरकारी और बैंक लेखा विभाग	ईडीआइ	- उद्यमशीलता विकास संस्थान
डीजीसीआइएण्डएस	- वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय	ईडीआइ	- इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदान-प्रदान
डीजीएफटी	- विदेश व्यापार महानिदेशालय	ईईए	- विदेशी मुद्रा समकरण खाता
डीआइसीजीसी	- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	ईईएफसी	- विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता
डीआइपी	- प्रकटन और निवेशक सुरक्षा	ईईपीसी	- इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद
डीआइटी	- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	ईएफटी	- इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
डीएलसीसी	- जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति	ईआइए	- ऊर्जा सूचना प्रशासन
डीएमए	- प्रत्यक्ष विपणन एजेंट	ईकेएमएस	- उद्यम ज्ञान प्रबंध प्रणाली
डीएमआइएस	- प्रलेख प्रबंधन सूचना प्रणाली	ईएमडीई	- उभरता बाजार और विकासशील अर्थशास्त्र
डीएनबीएस	- गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	ईएमई	- उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
डीओसी	- संचार विभाग	ईओयू	- निर्यातोन्मुख इकाई
डीओटी	- दूर संचार विभाग	ईपीसीजी	- निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
डीपीएपी	- सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	ईएसओपी	- कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना
डीआर	- आपदा उद्धार	ईयू	- यूरोपीय संघ
डीआरजी	- विकास अनुसंधान समूह	एफएक्यू	- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
डीआरआइ	- विभेदक ब्याज दर	एफबीटी	- अनुषंगी हित लाभ कर
डीआरएस	- आपदा उद्धार प्रणाली	एफसीए	- विदेशी मुद्रा आस्तियां
डीआरटी	- ऋण वसूली ट्रिब्यूनल	एफसीएसी	- पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता
डीएसए	- सीधी बिक्री एजेंट	एफसीसीबी	- विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
डीएसबी	- नामित निपटान बैंक	एफसीआइ	- भारतीय खाद्य निगम
डीएसआइएम	- सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग	एफसीएनआर(बी)	- विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
डीएसएस	- ऋण अदला-बदली योजना	एफसीआरए	- वायदा संविदा विनियमन अधिनियम
डीटीए	- देशी प्रशुल्क क्षेत्र	एफडीआइ	- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
डीटीएल	- मांग और मीयादी देयताएं	एफईडी	- विदेशी मुद्रा विभाग
डीवीपी	- सुपुर्दगी बनाम भुगतान	एफईडीएआइ	- भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ
ईएडी	- चूक पर जोखिम	एफईएमए	- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
ईबीटी	- इलेक्ट्रॉनिक लाभदायी अंतरण	एफएफएमसी	- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक
ईसीबी	- बाह्य वाणिज्यिक उधार	एफआइएफ	- वित्तीय समावेशन निधि
ईसीबी	- यूरोपीय केंद्रीय बैंक	एफआइआइ	- विदेशी संस्थागत निवेशक
ईसीबीसी	- ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड	एफआइएमएमडीए	- भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ
		एफआइपीबी	- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड

संक्षेपाक्षरों की सूची

एफआइआरबी	- आंतरिक रेटिंग आधारित आधार	जीएनपी	- सकल राष्ट्रीय उत्पाद
एफआइ	- वित्तीय संस्थाएं	जीओआइ	- भारत सरकार
एफआइटीएफ	- वित्तीय समावेशन तकनीकी निधि	जीआरएफ	- गारंटी उन्मोचन निधि
एफएलसीसी	- वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्शन केंद्र	जीएस	- सरकारी प्रतिभूतियां
एफआईयू-आइएनडी	- वित्तीय आसूचना इकाई - भारत	जीएसडीपी	- सकल राज्य देशी उत्पाद
एफएमसी	- वायदा बाजार आयोग	जीएसटी	- माल और सेवा कर
एफएमडी	- वित्तीय बाजार विभाग	एचएफसी	- आवास वित्तीय कंपनियों
एफएमएस	- बाजार केंद्रित योजना	एचएफटी	- व्यापार के लिए धारित
एफएनवीसी	- जाली नोट सतर्कता कक्ष	एचएलएसी	- उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति
एफओबी	- जहाज तक निःशुल्क	एचआरडीडी	- मानव संसाधन विकास विभाग
एफओएमसी	- फेडरल खुला बाजार समिति	एचआरएमएस	- मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली
एफपीओ	- फॉलोऑन पब्लिक ऑफर	एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित
एफपीएस	- उत्पाद केंद्रित योजना	एचयूएफ	- हिंदू अविभाजित परिवार
एफआरए	- वायदा दर करार	आइएएस	- एकीकृत लेखांकन प्रणाली
एफआरबी	- अस्थिर दर वाले बांड	आइएएससी	- निरीक्षण और लेखापरीक्षा उपसमिति
एफआरबीएम	- राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	आइबीए	- भारतीय बैंक संघ
एफआरएल	- संपूर्ण जलाशय स्तर	आइबीएल	- अंतर बैंक देयताएं
एफआरएल	- राजकोषीय जवाबदेही विधान	आइबीएस	- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी
एफएसए	- वित्तीय सेवा प्राधिकरण	आइसीएपी	- आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन पद्धति
एफएसएफ	- वित्तीय स्थिरता मंच	आइसीएआइ	- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
एफएसटी	- वित्तीय क्षेत्र तकनीक	आइसीसी	- अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड
एफटीआई	- त्वरित निपटान मुद्दे	आइसीसीओएमएस	- समन्वित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली
एफटीपी	- वित्तीय लेनदेन योजना	आईसीओआर	- वर्धमान पूंजी-उत्पादन अनुपात
जीएपी	- सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत	आईसीपी	- अंतरराष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम
जीएटीएस	- व्यापार और सेवा संबंधी सामान्य करार	आईसीटी	- सूचना और संप्रेषण तकनीक
जीबी	- गीगा बाइट	आइडीबीआइ	- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
जीसीसी	- सामान्य क्रेडिट कार्ड	आइडीएल	- आंतर-दिवसीय चलनिधि
जीडीपी	- सकल देशी उत्पाद	आइडीएमडी	- आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग
जीडीआर	- वैश्विक निक्षेपागार (डिपाजिटरी) रसीद	आइ डीआर	- भारतीय निक्षेपागार रसीद
जीडीएस	- सकल देशी बचत	आइडीआरबीटी	- बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान
जीएफसीएफ	- सकल स्थायी पूंजी निर्माण	आइएफए	- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा	आइईएस	- समन्वित स्थापना प्रणाली
जीआइपीएसए	- भारतीय साधारण बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र) संघ	आईएफसी	- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
जीएलसी	- ऋण की सामान्य व्यवस्था	आइजीआइडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान

संक्षेपाक्षरों की सूची

आइआइबीएफ	- भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान	एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा
आइआइबीआइ	- भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमि.	एलएएन	- स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
आइआइएफसीएल	- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेन्स कंपनी लिमिटेड	एलएआर	- जोखिम में चलनिधि
आइआइएम	- भारतीय प्रबंध संस्थान	एलबीएस	- स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी
आइआइपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	एलसी	- साख पत्र
आइआइटी	- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	एलजीडी	- हानिजन्य चूक
आइआइयूस	- औद्योगिक बुनियादी संरचना उन्नयन योजना	एलआइबीओआर	- लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
आइएमए	- आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण	एलआइसी	- भारतीय जीवन बीमा निगम
आइएमडी	- इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट	एलओसी	- चुकौती आश्वासन पत्र
आइएमएफ	- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एलपीजी	- तरल पेट्रोलियम गैस
आइएमएफसी	- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति	एलपीए	- दीर्घ अवधि औसत
आइएनएफआइएनईटी	- इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क	एलआरएस	- उदारीकृत प्रेषण योजना
आइपीसी	- अविकल्पी भुगतान प्रतिबद्धताएं	एलटीवी	- मूल्य के प्रति ऋण
आइपीडीआइ	- नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखत	एलवीपीएस	- बड़ी राशि की भुगतान प्रणाली
आइपीओ	- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	एमएण्डए	- विलयन और अधिग्रहण
आइपीपी	- स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक	एमएटी	- न्यूनतम एकांतर कर
आइआरबी	- आंतरिक दर आधारित	एमबीसी	- पारस्परिक लाभ वाली कंपनियों (संभाव्य निधि)
आइआरडीए	- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	एमबीएफसी	- पारस्परिक लाभ वाली वित्तीय कंपनियों (अधिसूचित निधियां)
आइआरडी	- ब्याज दर डेरिवेटिव्स	एमबीएस	- बंधक समर्थित जमानत
आइआरएफ	- ब्याज दर फ्यूचर	एमईआइ	- समष्टि-आर्थिक संकेतक
आइआरएस	- ब्याज दर स्वैप (अदला-बदली)	एमईपी	- न्यूनतम निर्यात मूल्य
आइएस	- सूचना प्रणाली	एमएफ	- पारस्परिक निधि
आइएसएमएस	- सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली	एमएफआइ	- व्यष्टि वित्त संस्थान
आइएसओ	- अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन	एमजीसी	- बंधक गारंटी कंपनी
आइटी	- सूचना प्रौद्योगिकी	एमआइसीआर	- चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान
आइटीबी	- मध्यवर्ती खजाना बिल	एमआइएस	- प्रबंध सूचना प्रणाली
आइटीईएस-बीपीओ	- सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं और कारोबारी प्रक्रिया बाहरी एजेंसी से करवाना	एमएमबीसीएस	- चुंबकीय मीडिया आधारित समाशोधन प्रणाली
जेएनएनयूआरएम	- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीकरण मिशन	एमएमएस	- बहु मॉडल निपटान
जेपीसी	- संयुक्त संसदीय समिति	एमएनएसबी	- मल्टिलेटरल नेट सेटलमेंट बैच
जेवी	- संयुक्त उद्यम	एमओयू	- सहमति ज्ञापन
केसीसी	- किसान क्रेडिट कार्ड	एमपीआइ	- समष्टि-विवेकपूर्ण संकेतक
केवायसी	- अपने ग्राहक को जानिए	एमपीएलएस	- मल्टि प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एलएबी	- स्थानीय क्षेत्र बैंक	एमपीपी	- व्यापार ऊर्जा उत्पादक
		एमएस	- मुद्रा आपूर्ति (व्यापक मुद्रा)

संक्षेपाक्षरों की सूची

एमएससीआई	-	मोर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल	एनएफएफडब्ल्यूपी	-	राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम
एमएसई	-	व्यष्टि और लघु उद्यम	एलएफआर	-	गैर वित्तीय रिपोर्टिंग
एमएसएमइ	-	व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यम	एनएफएस	-	नेशनल फिनांशियल स्विच
एमएसपी	-	न्यूनतम समर्थन मूल्य	एनएफएसएम	-	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एमएसएस	-	बाजार स्थिरीकरण योजना	एनजीओ	-	गैर सरकारी संगठन
एमटीएफपी	-	मध्यावधि राजकोषीय योजना	एनएचबी	-	राष्ट्रीय आवास बैंक
एमटीएम	-	बाजार मूल्य पर	एनआइबीएम	-	राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान
एमटीएसएस	-	धन अंतरण सेवा योजना	एनआइसी	-	राष्ट्रीय सूचना केंद्र
एमयूसी	-	न्यूनतम हमीदारी वायदा	एनआइएफ	-	राष्ट्रीय निवेश निधि
एमडब्ल्यू	-	मेगा वाट	एनआइएमसी	-	राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति
नाबार्ड	-	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	एनएमसीपी	-	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम
नैस्कॉम	-	सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का राष्ट्रीय एसोसिएशन	एनओसी	-	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनएवी	-	निवल आस्ति मूल्य	एनओएफ	-	निवल स्वाधिकृत निधि
एनबीसी	-	राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड	एनपीए	-	अनर्जक आस्तियां
एनबीईआर	-	राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो	एनपीसी	-	राष्ट्रीय भुगतान परिषद
एनबीएफसी	-	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	एनपीएस	-	नई पेन्शन योजना
एनबीएफआई	-	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं	एनपीवी	-	निवल वर्तमान मूल्य
एनसीईईआर	-	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद	एनआर(ई)आरए	-	अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता
एनसीएएफ	-	नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा	एनआरईजीएफ	-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि
एनसीसी	-	राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष	एनआरईजीएस	-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एनडीए	-	निवल घरेलू परिसंपत्तियां	एनआरएचएम	-	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनडीसी	-	बेबाकी प्रमाणपत्र	एनआरआइ	-	अनिवासी भारतीय
एनडीसी	-	राष्ट्रीय विकास परिषद	एनआरएनआर	-	अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय
एनडीएनसी	-	राष्ट्रीय कॉल न करें रजिस्ट्री	एनआरओ	-	अनिवासी साधारण
एनडीएस	-	तयशुदा लेनदेन प्रणाली	एनआरआरडीए	-	राष्ट्रीय ग्रामीण मार्ग विकास एजेंसी
एनडीएस-ओएम	-	तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मैचिंग	एनएससी	-	राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
एनडीटीएल	-	निवल मांग और मीयादी देयताएं	एनएसडीएल	-	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड
एनईईआर	-	नाममात्र प्रभावी विनिमय दर	एनएसई	-	राष्ट्रीय शेयर बाजार
एनईएफटी	-	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	एनएसई-एमआइबीओआर	-	राष्ट्रीय शेयर बाजार- मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
एनईपी	-	राष्ट्रीय विद्युत नीति	एनएसएम	-	नोट सोर्टिंग मशीन
एनईआर	-	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	एनएसएस	-	राष्ट्रीय निपटान प्रणाली
एनएफए	-	निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां	एनएसएसएफ	-	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
एनएफडीसी	-	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	एनएसएसओ	-	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एनएफईए	-	निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां			

संक्षेपाक्षरों की सूची

ओबीसी	- अन्य पिछड़ा वर्ग	पीआइओ	- भारतीय मूल के निवासी
ओबीई	- तुलन-पत्र से इतर जोखिम	पीआईटी	- व्यक्तिगत आय कर
ओबीयू	- समुद्रपारीय बैंकिंग इकाई	पीकेआइ	- प्रमुख सार्वजनिक बुनियादी सुविधा
ओसीबी	- विदेशी कंपनी निकाय	पीएमईजीपी	- प्रधान मंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम
ओडीआइ	- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	पीएमएलए	- धन शोधन निवारण अधिनियम
ओआईएल	- ऑयल इंडिया लिमिटेड	पीएनसीपी	- सतत गैर-संचयी अधिमान शेयर
ओएलटीएएस	- ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली	पीओएल	- पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थ
ओएमसी	- तेल विपणन कंपनी	पीपीपी	- सरकारी निजी सहभागिता
ओएमओ	- खुला बाजार परिचालन	पीआरआइएस	- कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना
ओएमएस	- खुला बाजार बिक्री	पीएसबी	- सरकारी क्षेत्र के बैंक
ओएनजीसी	- तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	पीएसयू	- सरकारी क्षेत्र उपक्रम
ओपीएसी	- ऑन-लाइन सार्वजनिक पहुंच नामावली	क्यूआइबी	- पात्र संस्थागत क्रेता
ओपीईसी	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन	क्यूआइआइ	- पात्र संस्थागत निवेशक
ओआरएफएस	- ऑन लाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम	क्यूआइपी	- योग्यता प्राप्त संस्थागत खरीदार
ओएसएमओएस	- परोक्ष निगरानी प्रणाली	क्यूआइएस	- परिमाणात्मक प्रभाव अध्ययन
ओएसएमओएस	- परोक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली	आरएण्डडी	- अनुसंधान और विकास
ओटीसी	- काउंटर पर	आरबीआइए	- जोखिम आधारित लेखा परीक्षा
ओटीसीईआइ	- ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया	आरबीएस	- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
ओटीएस	- एकबारगी निपटान	आरबीएसबी	- रिजर्व बैंक सर्विसेज बोर्ड
ओडब्ल्यूएस	- अन्य कल्याणकारी योजनाएं	आरबीएससी	- रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय
पीएंडएल	- लाभ और हानि	आरसी	- पुनर्निर्माण कंपनी
पी/ई	- मूल्य-अर्जन	आरसीसी	- क्षेत्रीय शिकायत समिति
पीएसएस	- प्राथमिक कृषि ऋण समिति	आरसीपीएस	- प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर
पीएडी	- लोक लेखा विभाग	आरसीएस	- सहकारी समिति पंजीयक
पीएआइएस	- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	आरडी	- राजस्व घाटा
पीएटी	- कर पश्चात लाभ	आरडीए	- रुपया आहरण व्यवस्था
पीबीटी	- करपूर्व लाभ	आरडीडीबी	- बैंक और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली
पीसीए	- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई	आरईईआर	- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
पीसीपीएस	- सतत संचयी अधिमान शेयर	आरआइए	- सूचना का अधिकार अधिनियम
पीडी	- चूक की गुंजाइश	आरआइडीएफ	- ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि
पीडीसीएफ	- प्राथमिक व्यापारी ऋण सुविधा	आरआइएफ	- निरीक्षण निष्कर्षों की रिपोर्टिग
पीडीओ	- लोक ऋण कार्यालय	आरकेवीवाइ	- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
पीडी	- प्राथमिक व्यापारी	आरएनबीसी	- अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों
पीडीएस	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली	आरएनसीपीएस	- प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर
पीएफसीई	- निजी अंतिम खपत व्यय		

संक्षेपाक्षरों की सूची

आरपीसीडी	-	ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग	एसएचजी	-	स्वयं सहायता समूह
आरआरबी	-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	एसआइडीबीआइ	-	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
आरटीजीएस	-	तत्काल सकल भुगतान	एसआइपीएस	-	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली
आरटीपी	-	रिजर्व ट्रेच पोर्जिशन	एसआइटीपी	-	एकीकृत वस्त्र पार्क योजना
आरयूडीएसईटीआइ	-	ग्रामीण विकास और स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थान	एसआईवी	-	सुनियोजित निवेश संस्था
एसए	-	मानकीकृत दृष्टिकोण	एसएलएएफ	-	चलनिधि की दूसरी समायोजन योजना
एसएएआरसी	-	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ	एसएलबी	-	प्रतिभूतियां उधार देना और लेना
एसएसपीपी	-	विशेष कृषि ऋण योजना	एसएलबीसी	-	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएएफटीए	-	दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार	एसएलसीसी	-	राज्य स्तरीय समन्वयन समिति
एसएआरएफएईएसआइ	-	वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन	एसएलआर	-	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसबीआइ	-	भारतीय स्टेट बैंक	एसएलआरएस	-	सफाई कर्मचारी मुक्ति और पुनर्वास योजना
एसबीएस	-	श्रेडिंग एवं ब्रिकेटिंग प्रणाली	एसएलएस	-	प्रतिभूति उधार योजना
एससी	-	अनुसूचित जाति	एसएमएससी	-	द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति
एससी	-	प्रतिभूतिकरण कंपनी	एसएमई	-	लघु और मझौले उद्यम
एससीबी	-	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	एसएमओ	-	विशेष बाजार परिचालन
एससीआरए	-	प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम	एसएनबी	-	स्विस नेशनल बैंक
एसडी	-	बनाए रखने लायक विकास	एसपीसी	-	छठा वेतन आयोग
एसडीडीएस	-	विशेष आंकड़ा प्रसार मानक	एसपीएमसीआइएल	-	सिक्कूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
एसडीएल	-	राज्य विकास ऋण	एसपीवी	-	विशेष प्रयोजन माध्यम/संस्था
एसडीएलसी	-	सॉफ्टवेयर विकास जीवन-चक्र	एसआर	-	प्रतिभूति रसीद
एसडीआर	-	विशेष आहरण अधिकार	एसआरइपी	-	रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना
एसईबी	-	राज्य विद्युत बोर्ड	एसआरएफ	-	विशेष आरक्षित निधि
एसईबीआई	-	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड	एसआरएमएस	-	सफाई कर्मचारी पुनर्वास योजना
एसईसी	-	प्रतिभूति विनियम आयोग	एसआरपी	-	पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया
एसईएफटी	-	विशेष इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	एसआरएस	-	प्रणाली आवश्यकता विनिर्देशन
एसईईपीजेड	-	सांताकूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात संसाधन क्षेत्र	एसएसए	-	सर्व शिक्षा अभियान
एसईजेड	-	विशेष आर्थिक क्षेत्र	एसएससी	-	विशेष उप समिति
एसएफसी	-	राज्य वित्तीय निगम	एसएसआइ	-	लघु उद्योग
एसएफआइओ	-	गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय	एसएसएस	-	प्रतिभूति निपटान प्रणाली
एसएफएमएस	-	संरचनागत वित्तीय संदेश समाधान	एसटी	-	अनुसूचित जनजाति
एसएफपी	-	एकल फैक्टर उत्पादकता	एसटीसीबी	-	राज्य सहकारी बैंक
एसजीएल	-	सहायक सामान्य खाता-बही	एसटीसीआरसी	-	अत्यावधि सहकारी ग्रामीण ऋण
एसजीएसवाइ	-	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना			

संक्षेपाक्षरों की सूची

एसटीएल	- ढांचागत चलनिधि विवरण	यूएनआइडीओ	- संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
एसटीओ	- राज्य खजाना कार्यालय	यूएनएससीआर	- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विनियमन
एसटीपी	- स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग	यूएनएसएनए	- संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली
एसटीपीआइ	- भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	यूआरआर	- अलाभकर रिजर्व आवश्यकताएं
एसटीआर	- संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट	यूआरआरबीसीएच	- बैंक समाशोधन गृह के लिए एक समान विनियमन एवं नियम
एसटीआरआइपीएस	- पंजीकृत प्रतिभूतियों के ब्याज और मूलधन का पृथक कारोबार	यूटीएलबीसी	- संघशासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति
एसटीटी	- प्रतिभूति लेनदेन कर	वीएआर	- जोखिम मूल्य
टीएससी	- तकनीकी सलाहकार समिति	वीएटी	- मूल्य वर्धित कर
टीएएफ	- मीयादी नीलामी सुविधा	वीसीएफ	- उद्यम पूंजी निधि
टीएएफसीयूबी	- शहरी सहकारी बैंकों के लिए टास्क फोर्स	डब्ल्यूएडीआर	- भारत और सत बट्टा दर
टीएजी	- तकनीकी परामर्शदात्री दल	डब्ल्यूएएन	- वाइड एरिया नेटवर्क
टीबी	- खजाना बिल	डब्ल्यूएपी	- वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल
टीडीएस	- स्रोत पर कर-कटौती	डब्ल्यूडीएम	- थोक ऋण बाजार
टीएफसी	- बारहवां वित्त आयोग	डब्ल्यूएफपी	- विश्व खाद्य कार्यक्रम
टीएफसीआइ	- भारतीय पर्यटन वित्त निगम	डब्ल्यूजीसी	- विश्व स्वर्ण परिषद
टीएफपी	- समग्र फैक्टर उत्पादकता	डब्ल्यूआइ	- जब जारी
टीएमटी	- थर्मो मेकेनिकली ट्रीटेड	डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
टीपीडीएस	- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	डब्ल्यूओएस	- पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी
टीआरएआइ	- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण	डब्ल्यूपीआइ	- थोक मूल्य सूचकांक
टीयूसीसी	- टेलीकॉम अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण	डब्ल्यूएसएस	- साप्ताहिक संख्यिकी संपूरक
टीयूएफ	- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि	डब्ल्यूटीआइ	- वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट
यूबीडी	- शहरी बैंक विभाग	डब्ल्यूटीओ	- विश्व व्यापार संगठन
यूसीबी	- शहरी सरकारी बैंक	वाइ-ओ-वाइ	- वर्ष-दर-वर्ष
यूएलआइपी	- यूनिट लिंक बीमा योजना	वाईटीएम	- परिपक्वता प्रतिफल
यूएनसीटीएडी	- संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और विकास सम्मेलन	जेडसीवाइसी	- शून्य कूपन प्रतिफल वक्र
यूएनडीपी	- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	जेडटीसी	- आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र

यह रिपोर्ट इंटरनेट URL : www.rbi.org.in

पर भी देखी जा सकती है।

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

I.1 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छा कार्य-निष्पादन जारी रहा, हालांकि वृद्धि में थोड़ी कमी आई। लगातार तीसरे साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 9 प्रतिशत और अधिक की वृद्धि दर दर्ज की। स्वतंत्र भारत की इतिहास में 3 वर्ष की किसी भी अवधि में प्राप्त की गई यह सर्वाधिक औसत वृद्धि दर थी। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में कृषि की वृद्धि दर प्रवृत्तिगत वृद्धि दर से काफी अधिक थी तथा पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक में अनाज का उत्पादन नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। उद्योग में भी सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई तथा पिछले साल हुई वृद्धि दर द्विअंकीय थी। सेवा क्षेत्र ने सभी तीन वर्षों में द्विअंकीय वृद्धि दर्ज की। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारोत्तर अवधि में आम तौर पर अच्छा कार्य कर रही है, पिछले तीन वर्षों में उसका कार्य-निष्पादन वस्तुतः उल्लेखनीय था तथा प्रमुख देशों के बीच चीन के बाद इसका दूसरा स्थान था।

I.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्य-निष्पादन में हुआ सुधार पिछले 15 सालों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अनुसरण किए जा रहे सुविचारित तथा सुनियोजित सुधारों का परिणाम था। इस उच्च वृद्धि दर को घरेलू क्षेत्र में ऊँची बचत दर के साथ मुख्यतः सरकारी क्षेत्र की बचत दर में टर्नअराउंड तथा कंपनी क्षेत्र की बचत दर में सुधार के कारण बचत और निवेश दरों में स्पष्ट सुधार से समर्थन मिला। नियम आधारित राजकोषीय समेकन कार्यक्रम के तहत, कर-जीडीपी अनुपात में निरंतर वृद्धि तथा गैर विभागीय उपक्रमों की बचतों में निरंतर सुधार के समर्थन से सरकारी क्षेत्र की बचतों में टर्नअराउंड देखा गया। इससे हाल के वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बचत-निवेश अंतराल को कम करने में मदद मिली तथा इस प्रकार निजी क्षेत्र के लिए गुरुतर संसाधन दिए जा सके। कंपनी क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय पुनर्विन्यास तथा फलस्वरूप समग्र ऋण इक्विटी अनुपात

में कटौती का कंपनी क्षेत्र की लाभप्रदता और उसकी बचतों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। घरेलू बचतें भारत में परंपरागत तौर पर अधिक रही हैं तथा हाल के वर्षों में समग्र बचतों में उनका अंशदान स्थिर रहा है। बचतों में सुधार तथा देशी और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से सामान्यतः सुखद वित्तपोषण स्थिति ने निजी निवेश दर को 2004-05 से शुरू कर जीडीपी के 10 प्रतिशत से ऊपर कर दिया। इस प्रकार, कंपनी तथा सरकारी क्षेत्र के वित्त में सुधार ने 2006-07 में लगातार चौथे साल बचत तथा निवेश दोनों की समग्र दरों में निरंतर वृद्धि कर उन्हें नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उत्पादकता के स्तर में सुधार, जैसाकि स्थिर तथा कम वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात में दिखाई देता है, वृद्धि की प्रक्रिया का एक और प्रमुख वाहक था। जहां अध्ययन यह दर्शाते हैं कि उद्योग और सेवाओं दोनों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, ऐसा लाभ सेवा क्षेत्र के बारे में अधिक मुखर है। उद्योग तथा सेवाओं में उत्पादकता संबंधी लाभ प्रौद्योगिकी के बढ़े हुए उपयोग, प्रक्रियाओं को पुनरभिमुख करने, क्षमताओं के अधिक उपयोग तथा कंपनी क्षेत्र के निरंतर पुनर्विन्यास के कारण संभव हुआ।

I.3 2006-07 की तुलना में 2007-08 में वृद्धि में थोड़ी कमी का मुख्य कारण साल की दूसरी छमाही में हुई कुछ प्रतिकूल गतिविधियां थीं। मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल के कारण 2007 की अंतिम तिमाही में उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में तेजी से गिरावट आई। देशी मुद्रास्फीति, जो दिसम्बर 2007 तक अनुमानों से काफी नीचे थी, जनवरी 2008 से आपूर्ति पक्ष के दबावों यथा देशी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई एक बार की वृद्धि, अनियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में निरंतर वृद्धि, गेहूँ तथा तिलहनों की कीमतों में वृद्धि तथा इस्पात की कीमतों में समायोजन और मांग पक्ष

* : जहां भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, कई परिवर्तियों के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर अर्थात् अप्रैल-मार्च के लिए उपलब्ध हैं। अतः आंकड़ों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया है। उपलब्धता के अनुसार आंकड़ों को मार्च 2008 के बाद तक अद्यतन किया गया है। विश्लेषण के प्रयोजन के लिए तथा नीतियों के मामले में उचित परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए इस रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों तथा भावी अवधियों के संदर्भ दिए गए हैं।

संबंधी दबावों दोनों में वृद्धि के कारण तेज होने लगी। पिछली प्रत्याशाओं की तुलना में वृद्धि संबंधी मंदी की चिंताओं के कारण कई उन्नत देशों के केंद्रीय बैंक अपनी नीति दरों को कम करने के लिए उत्साहित हुए। फलस्वरूप चलनिधि में हुई वृद्धि के कारण उच्चतर प्रतिलाभों की खोज हुई। सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्वों के साथ 2007-08 में भारत ने बड़ी मात्रा में पूंजी प्रवाहों को आकृष्ट किया, जो बाह्य वाणिज्यिक उधारों, संविभागीय प्रवाहों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों द्वारा चालित थे। पूंजी प्रवाह चालू खाता घाटा की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्चतर थे (जिसमें आयात मांग में सुदृढ़ वृद्धि तथा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण वृद्धि हो गयी) तथा मुद्रास्फीति में तेजी ने, वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए सहायक वातावरण प्रदान करते हुए, मांग संबंधी अत्यधिक दबावों को कम करने के लिए मौद्रिक नीति संबंधी एहतियाती कार्रवाइयों को जारी रखने और उनके प्रबलीकरण को आवश्यक बना दिया।

I.4 अल्पावधि वृद्धि संबंधी संभावनाओं में अब वैश्विक और देशी दोनों स्तरों पर कई अधोमुखी जोखिम हैं। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के कम होने तथा मुद्रास्फीति के बढ़ने के साथ वैश्विक आर्थिक स्थितियां बदतर हो गई हैं। भारत में 2003-04 में शुरू हुई निरंतर वृद्धि के बाद प्रमुख औद्योगिक वृद्धि में सितंबर 2007 से मंदी आने लगी। मुख्यतः वित्तीय तथा निर्माण उप क्षेत्रों में कुछ कम वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र में वृद्धि में भी मंदी के कुछ संकेत दिखने लगे। हालांकि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई वृद्धि पूरी तरह से अंतरित नहीं की गई है, फिर भी मुद्रास्फीति तेज हुई है। तेल, उर्वरक और खाद्य सब्सिडी से दबाव बढ़ने, कृषि ऋण माफी योजना तथा छठें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के कारण वेतन में हुई वृद्धि जैसे कई कारकों की वजह से सरकार के वित्त पर कुछ दबाव आ गया।

I.5 अल्पावधि में समष्टि आर्थिक गतिविधियों में कुछ अधोमुखी जोखिम होने के बावजूद, मध्यावधि से दीर्घावधि संभावनाएं सुदृढ़ बनी हुई हैं। वृद्धि की प्रक्रिया को समर्थन देनेवाले संरचनागत कारक पहले की तरह सुदृढ़ बने हुए हैं। बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि तथा हाल के वर्षों में हुई उत्पादकता में वृद्धि को बनाए रखने की संभावना है। कुछ अंतर्निहित दबावों के बावजूद, लोक वित्त राजकोषीय नियमों के तहत निर्धारित किए गए अनुसार अब तक मोटे तौर पर ट्रैक पर बने हुए हैं। विशेष तौर पर हाल के वर्षों में राज्य वित्त में सुधार उत्साहजनक है।

बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और सुदृढ़ता संबंधी मानदंडों में तीव्र सुधार हुआ है। फलस्वरूप, बैंकिंग क्षेत्र में लचीलापन आ गया है तथा वह मध्यवर्ती निधियों के प्रति पहले की अपेक्षा बेहतर दक्षतापूर्वक तैयार है। कंपनी क्षेत्र के तुलनपत्र में भी इन वर्षों में उल्लेखनीय सुदृढ़ता आई है। बाह्य क्षेत्र में, यद्यपि भारत का चालू खाता घाटा बढ़ा है, तथापि इसके सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्वों के कारण अत्यधिक वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी कुछ पूंजी का अंतर्वाह सुनिश्चित किया जा सका है।

I.6 यद्यपि मध्यावधि से दीर्घावधि संभावनाएं सुदृढ़ बनी हुई हैं, तथापि अर्थव्यवस्था की पूरी संभाव्यता के दोहन के लिए उसके सभी क्षेत्रों में सुधार का प्रयास करना जरूरी है। जिन संरचनागत कमजोरियों के कारण कृषि की उत्पादकता में स्थिरता आई है उन्हें, विशेष तौर पर विश्व स्तर पर बढ़ रही खाद्य मुद्रास्फीति को देखते हुए, दूर किए जाने की जरूरत है। औद्योगिक कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि मूलभूत संरचना संबंधी अवरोधों को, विशेष रूप से बिजली तथा ऊर्जा एवं सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट और शहरी एवं ग्रामीण मूलभूत संरचना संबंधी अवरोधों को, दूर किया जाए। जहां सेवा क्षेत्र वृद्धि का प्रमुख वाहक बना हुआ है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर प्रयास बढ़ाने की जरूरत है ताकि विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को काम देने के साथ श्रम शक्ति में उभर रही कुशलता की कमी की समस्या को भी दूर किया जा सके। राजकोषीय क्षेत्र में ईंधन, खाद्य और उर्वरकों पर सब्सिडी के मुद्दों का तत्काल समाधान किए जाने की जरूरत है। बाह्य क्षेत्र में चल रहे पूर्णतर पूंजी खाता उदारीकरण की क्रमिक प्रक्रिया को जारी रखने की जरूरत है। वित्तीय क्षेत्र में वास्तविक एवं वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल से उपयुक्त शिक्षा लेने के साथ समावेशक वृद्धि और वित्तीय समावेशन के संदर्भ में नई चुनौतियों का समाधान करते हुए और सुधार किए जाने की जरूरत है।

2007-08 का मूल्यांकन

I.7 वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2006-07 के दौरान दर्ज की गयी 9.6 प्रतिशत और 2005-06 के दौरान दर्ज की गई 9.4 प्रतिशत से कम होकर 2007-08 के दौरान 9.0 प्रतिशत रह गई। तथापि, यह फिर भी दसवीं योजना (2002-2007) के दौरान हासिल किये गए 7.8 प्रतिशत

के औसत की तुलना में अभी भी काफी अधिक थी। और 1950-51 से (जिस तारीख से सरकारी आंकड़े आसानी से उपलब्ध हैं) पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार तीन वर्ष 9.0 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि दर्ज की। 2007-08 के दौरान आई मंदी उद्योग और सेवाओं के अनेक उप क्षेत्रों में फैली थी जबकि कृषि क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति में सुधार दर्ज किया गया था।

I.8 कृषि और संबद्ध गतिविधियों में वृद्धि 2006-07 के 3.8 प्रतिशत से सुधारकर 2007-08 में 4.5 प्रतिशत हो गई, जो कि ग्यारहवीं योजना (2007-2012) के लिए लक्षित 4.0 प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक थी। अनुमान है कि खाद्यान्नों का समग्र उत्पादन अब तक के सब से ऊंचे शिखर 230.7 मिलियन टन के स्तर को छू लेगा, जिसे सामान्य से ऊपर और सुवितरित दक्षिण-पश्चिम मानसून का पूरा समर्थन मिला हुआ था। सभी खाद्यान्नों का स्तर रिकार्ड ऊंचाइयों को छू गया, जिनमें दालें, मोटे अनाज और चावल सबसे आगे थे। खाद्यान्नेतर फसलों के बीच तिलहन और कपास ने अपने शीर्ष शिखरों को छू लिया जिसमें से पहलेवाले में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई दी।

I.9 औद्योगिक उछाल, जो अप्रैल 2002 में प्रारंभ हुआ और 2006-07 के अंत तक शिखर पर पहुंच गया, 2007-08 के दौरान मंद पड़ गया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अर्थ में औद्योगिक वृद्धि 2006-07 के 11.5 प्रतिशत से घटती हुई 2007-08 में 8.5 प्रतिशत पर आ गई। विनिर्माण वृद्धि पिछले तीन वर्षों की तुलना में न्यूनतर (9.0 प्रतिशत) है। उपयोग आधारित वर्गीकरण के आधार पर, 2007-08 के दौरान सभी क्षेत्रों में औद्योगिक वृद्धि में गिरावट दिखाई दी और उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट हुई। जहां गैर टिकाऊ वस्तुओं के खंड में वृद्धि में गिरावट आई, वहीं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के खंड में उत्पादन में गिरावट दिखाई दी, विशेषकर उन वस्तुओं के संबंध में जिनके मामले में उपभोक्ताओं के रुझान नये उत्पादों की ओर चले गए हैं। पूंजीगत माल क्षेत्र में सुदृढ़ निवेश मांग के समर्थन से 2007-08 के दौरान 18.0 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज करना जारी रहा। प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों की वृद्धि 2006-07 की उच्च वृद्धि से मंद होते हुए 5.6 प्रतिशत पर आ गयी, जो कोयले को छोड़कर सभी उद्योगों में मंदी को दर्शाती है।

I.10 कुछ मंदी (2006-07 के 11.2 प्रतिशत से 2007-08 में 10.7 प्रतिशत) के बावजूद लगातार तीसरे साल भी सेवा क्षेत्र ने द्विअंकीय

वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। इस क्षेत्र को पर्यटन में वृद्धि, खुदरा व्यापार में तेजी, रेलवे और नागरिक विमानन के बेहतर निष्पादन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और आइटीईएस के निर्यात में तेजी और स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए भारी मांग से फायदा हुआ। जबकि 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार' और 'सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं' क्षेत्र उछाल भरे बने रहे; निर्माण गतिवधि पिछले चार वर्षों के लिए द्विअंकीय वृद्धि दर्ज करने के बाद घटकर एक अंक पर आ गई, जो निविष्टियों की लागत में वृद्धि, लोहा और सीमेंट क्षेत्रों में क्षमता विषयक बाधाओं को दर्शाता है, जिनके कारण महत्वपूर्ण कच्चे मालों की उपलब्धता कम हो गई तथा स्थावर संपदा खंड में मंदी आ गई। वित्तीय क्षेत्र की गतिविधि में कुछ मंदी दिखाई दी।

I.11 हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि को सुदृढ़ बनाने को बचत और निवेश दरों में स्थिर ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति तथा पूंजी उपयोग की दक्षता में सुधार से समर्थन मिला। बचत दर 2002-03 के जीडीपी के 26.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 के 34.8 प्रतिशत पर पहुंच गयी, जबकि निवेश दर 25.2 प्रतिशत से बढ़कर 35.9 प्रतिशत हो गई। दसवीं योजना के दौरान औसत बचत और निवेश दरें, जो प्रत्येक जीडीपी का 31.4 प्रतिशत थीं, वे किसी भी पंचवर्षीय योजना अवधि में सबसे अधिक थीं। यह प्रवृत्ति ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष, अर्थात् 2007-08 के दौरान बनाये रखी गयी थी क्योंकि सकल स्थायी पूंजी निर्माण 1.4 प्रतिशत अंक बढ़कर जीडीपी का 33.9 प्रतिशत हो गया।

I.12 जनसंख्या वृद्धि में कमी के साथ-साथ स्थिर आर्थिक वृद्धि हुई, अतः नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान प्रति व्यक्ति औसत वास्तविक आय में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा दसवीं योजना (2002-07) में 6.1 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो किसी भी योजना अवधि के दौरान प्राप्त सर्वाधिक वृद्धि है। गरीबी अनुपात (समान अनुस्मरण अवधि के आधार पर) 1993-94 के 36.0 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 27.5 प्रतिशत हो गया। रोजगार में वृद्धि (वर्तमान दैनिक स्थिति के आधार पर) 1993-94 से 1999-2000 के 1.25 प्रतिशत वार्षिक से बढ़कर 1999-2000 से 2004-05 में 2.62 प्रतिशत वार्षिक हो गई। तथापि, श्रमिक वर्ग में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए, वर्तमान दैनिक स्थिति के आधार पर बेरोजगारी 1999-2000 के 7.31 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 8.28 प्रतिशत हो गई।

I.13 मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में वृद्धि 2006-07 के 21.5 प्रतिशत से मामूली सी कम होकर 2007-08 में 20.8 प्रतिशत रही। महत्वपूर्ण घटकों में, 2007-08 के दौरान आवधिक जमाओं में तेजी रही, यद्यपि वर्ष की आखिरी तिमाही में कुछ कमी आई। सुदृढ़ आर्थिक गतिविधियों, बैंक जमाओं पर उच्च ब्याज दर और बैंक जमाओं पर धारा 80सी के तहत कर में छूट की उपलब्धता के कारण आवधिक जमाओं में सुदृढ़ वृद्धि बनी रही, हालांकि वह पिछले साल की तुलना में कुछ कम थी। मांग जमाओं में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक दर से वृद्धि हुई, जिसमें अधिकांश वृद्धियां जनवरी और फरवरी 2008 के दौरान हुईं, जब इक्विटी बाजार में भी अधिक अस्थिरता थी। स्रोतों की तरफ, लगातार तीन वर्षों के सुदृढ़ विकास के बाद 2007-08 के दौरान बैंक ऋण की वृद्धि में मामूली सी गिरावट हुई। वर्ष 2007-08 में बैंक ऋणों की मांग बृहद आधार पर थी तथा समग्र गैर खाद्य ऋणों की वृद्धिशील वृद्धि का क्रमशः 11.0 प्रतिशत, 43.0 प्रतिशत और 12.0 प्रतिशत कृषि, उद्योग और खुदरा क्षेत्रों को दिया गया। वाणिज्यिक स्थावर संपदा जैसे क्षेत्रों में ऋण वृद्धि उच्च (मार्च 2008 की समाप्ति पर 38.0 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि) रही। बैंकों का एसएलआर¹ निवेश मार्च 2008 के अंत में उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 27.8 प्रतिशत रहा, जो मार्च 2007 के अंत के लगभग समान था। निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां आरक्षित मुद्रा का प्रमुख वाहक रहीं। रिजर्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), खुला बाजार परिचालन, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत प्रतिभूतियों को जारी करके और आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) के प्रयोग से बाजार की चलनिधि की स्थितियों को सक्रिय रूप से नियंत्रित करना जारी रखा।

I.14 हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्टूबर 2007 के मध्य में 3.1 प्रतिशत पर वर्ष में सबसे नीचे जाने के पश्चात, बाद में बढ़कर मार्च 2008 के अंत तक 7.7 प्रतिशत हो गई, जो अंशतः चावल, गेहूं, तिलहन / खाद्य तेल जैसी प्रमुख कृषिगत पण्यों पर आपूर्ति संबंधी दबाव, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप लोहा तथा इस्पात के कीमतों में वृद्धि, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के घरेलू कीमतों पर आंशिक अंतरण तथा मांग में बने हुए दबावों को दर्शाता है। तथापि, मार्च 2008 में साल-दर-साल

आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कीमतों में हुई 45.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में देशी प्राथमिक खाद्य कीमतों में हुई वृद्धि उल्लेखनीय रूप से कम (6.5 प्रतिशत) थी। इसने एक सीमा तक देशी आपूर्तिवर्धक उपायों के प्रभाव को दर्शाया। 2007-08 के दौरान तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गईं। भारतीय बास्केट की कीमत में भी फरवरी 2007 (जब देशी कीमतों में अंतिम बार कटौती की गई) तथा मार्च 2008 के बीच रूपए के रूप में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। तथापि खनिज तेल की देशी कीमतों में मार्च 2008 के अंत में साल-दर-साल सिर्फ 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो देशी पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में प्रतिबंधित अंतरण को दर्शाता है। जहां पेट्रोल और डीजल की देशी कीमतों को फरवरी 2008 में लगभग एक साल के बाद एक बार ऊपर (3-4 प्रतिशत) समायोजित किया गया, अनियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप वृद्धि (39-42 प्रतिशत) हुई। लोहा तथा इस्पात की देशी कीमतों में वृद्धि हुई, जो उच्चतर देशी मांग तथा वैश्विक कीमतों में तेजी को दर्शाता है, जबकि अलौह धातुओं की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई तीव्र सुधार के प्रतिसाद में मई 2007 के उच्च स्तरों से गिरावट आई। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में, जिसमें जनवरी 2008 तक नरमी आई थी, बाद में मुख्यतः अनाज और सेवाओं की कीमतों में हुई बढ़त के कारण वृद्धि हुई। मार्च 2008 में 6.0-7.9 प्रतिशत पर उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के विभिन्न माप एक साल पहले के 6.7-9.5 प्रतिशत की तुलना में न्यूनतर थे।

I.15 भारत में मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी ऐसे समय में हुई जब वैश्विक पण्यों के मूल्यों में अस्थिरता ऐतिहासिक रूप से बढ़ी हुई थी तथा उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक समान रूप से मुद्रास्फीति में वृद्धि की चिंता प्रकट कर रहे थे। फलस्वरूप इस बात की चिंता थी कि यदि मांग संबंधी दबावों, जो कुछ हद तक उचित रूप से नियंत्रित बने हुए थे, के साथ आपूर्ति पक्ष संबंधी दबाव आ गए तथा वे वैश्विक मांग आपूर्ति असंतुलनों को देखते हुए अस्थायी नहीं रहे, तो देशी मुद्रास्फीति पर उनका उल्लेखनीय असर पड़ सकता है। तदनुसार रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति और स्फीतिकारी संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक और चलनिधि परिस्थितियों को देखते हुए सुनियोजित रूप में

¹ रिजर्व बैंक की 13 फरवरी 2008 की अधिसूचना डीबीओडी सं.बीसी 61/12.02.001/2007-08 में यथा अधिसूचित एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश।

एहतियाती मौद्रिक कार्रवाई करना जारी रखा। रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान एलएएफ की दरों को अपरिवर्तित रखते हुए, नकद आरक्षित अनुपात में 2007-08 के दौरान 150 आधार अंक की बढ़ोत्तरी की। सरकार ने भी 2007-08 में घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों, विशेषकर खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सीमा शुल्क में कटौती और कुछ महत्वपूर्ण पण्यों के निर्यातों पर प्रतिबंध के रूप में विभिन्न राजकोषीय उपाय किये। आपूर्ति-मांग में असमानता के मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को भी बढ़ाया गया।

I.16 केंद्र सरकार का 2007-08 का अनंतिम लेखा, राजकोषीय जबाबदेही तथा बजट प्रबंध (एफआरबीएम) नियम, 2004 के अंतर्गत राजकोषीय समेकन के मार्ग के सतत अनुकूल रहने की औपचारिक वचनबद्धता को परिलक्षित करता है। 2007-08 (अनंतिम लेखा) में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और राजस्व घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 2.8 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत था, जो 2006-07 के प्रत्येक आंकड़े से 0.7 प्रतिशत अंक कम था। इस प्रकार वर्ष 2007-08 में राजकोषीय सुधार, जीएफडी और राजस्व घाटा के लिए राजकोषीय जबाबदेही तथा बजट प्रबंध (एफआरबीएम) नियम, 2004 के तहत प्रतिवर्ष नियत क्रमशः 0.3 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत (जीडीपी से संबंधित) की न्यूनतम गिरावटों से अधिक रहा। इसके अलावा, 2007-08 के दौरान अनंतिम लेखों में प्राथमिक आधिक्य में सतत सुधार दिखता रहा, जो गैर-ब्याज व्यय को गैर-ऋण प्राप्तियों से नीचे नियंत्रित करना दर्शाता है। राजस्व वृद्धि में तेजी और व्यय प्रबंध में सुधार के कारण घाटे के संकेतकों में कमी हुई। सकल कर/जीडीपी अनुपात 2007-08 (अनंतिम लेखा) में ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति जारी रखते हुए 12.5 प्रतिशत पर पहुँच गया। व्यय प्रबंध प्रयासों को गैर-योजना व्यय कम करने तथा योजनागत व्यय में वृद्धि करने पर केंद्रित किया गया। तथापि, पूंजीगत परिव्यय जीडीपी के 1.5 प्रतिशत के कम स्तर पर बना रहा। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि केंद्र ने तेल, खाद्य, उर्वरक के लिए बजट-बाह्य देयताओं का वहन किया और वर्ष के दौरान जारी विशेष भारतीय स्टेट बैंक बांड जीडीपी का कुल 0.8 प्रतिशत (2006-07 के लगभग 1 प्रतिशत से कम) था, जिसमें से तेल कंपनियों को कम वसूली की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए जारी विशेष बांड जीडीपी का 0.4 प्रतिशत (2006-07 के दौरान जीडीपी के लगभग 0.6 प्रतिशत से कम) था।

I.17 राज्य सरकारों की 2007-08 में समेकित राजकोषीय स्थिति (संशोधित अनुमान) में राजकोषीय जबाबदेही विधान (एफआरएल) के अनुरूप राजकोषीय सुधारों और समेकन में और अधिक प्रगति हुई। समेकित राजस्व लेखा आधिक्य 2007-08 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी का 0.5 प्रतिशत रहा, जिससे 2006-07 (लेखा) में 1986-87 के बाद पहली बार प्राप्त आधिक्य की स्थिति बनी रही। वर्ष के दौरान कुल 23 राज्यों में राजस्व अधिशेष दर्ज किया गया, और इस तरह बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) द्वारा 2008-09 तक निर्धारित राजस्व संतुलन के लक्ष्य को एक वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। बजट स्तर की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में उच्च वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्व लेखा में सुधार हुआ, साथ ही केंद्र से उच्च न्यागमन और अंतरण से इसमें मदद मिली, जब कि राज्यों के अपने कर-राजस्व में मामूली सी कमी आई। राज्य सरकारों ने विशेष रूप से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, परिवहन और जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए पूंजी परिव्यय को बढ़ाया। संशोधित अनुमानों के आधार पर राज्य सरकारों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) बजट स्तर से थोड़ा कम था। 11 राज्यों ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रति जीएफडी अनुपात को बारहवें वित्त आयोग के लक्ष्य से 2 वर्ष पूर्व ही 3 प्रतिशत से कम कर लिया। जीएफडी के वित्तपोषण में संरचनागत परिवर्तन आया और राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के अंतर्गत राज्य सरकारों के उपचयों में तीव्र गिरावट देखी गयी, जिससे उच्चतर बाजार उधारों का सहारा लेना पड़ा। राज्य सरकारों द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 के दौरान अधिक अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) का सहारा लेना पड़ा। राज्य सरकारों ने फिर भी नकद अधिशेष को उच्च स्तर पर बनाए रखा।

I.18 2007-08 के अधिकांश भाग में वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल की स्थितियां रहीं क्योंकि अमरीकी सब-प्राइम बंधक ऋण पर हानियों के कारण व्यापक वित्तीय तनाव रहा जिसके कारण बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के बारे में आशंका उत्पन्न हो गई। धीरे-धीरे सब-प्राइम बंधक बाजार में संकट गहरा गया तथा वह अन्य आस्तियों के बाजारों तक फैल गया। काउंटर पार्टी जोखिम के बारे में बढ़ रही चिंताओं के साथ चलनिधि की मांग में हुई वृद्धि के कारण प्रमुख अंतर-बैंक बाजारों में अभूतपूर्व दबाव की स्थिति रही। व्यक्तिगत स्तर पर कार्रवाई करने के अलावा, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने

वित्तीय बाजारों में चलनिधि में तनाव की स्थिति को शिथिल करने के लिए परस्पर सहयोग करते हुए सामूहिक उपाय शुरू किए, जो वित्तीय बाजारों में चल रहे वैश्वीकरण को दर्शाता है। वास्तविक अर्थव्यवस्था में मंदी की चिंता के कारण 2007 के अंत तक वृद्धि संबंधी जोखिम के व्यापक पुनर्मूल्यान को प्रेरणा मिली। वर्ष के अधिकांश भाग में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बाजारों में अस्थिरता बनी रही, जब कि उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं में जनवरी 2008 से तीव्र गिरावट आई। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घावधि सरकारी बांड प्रतिफल में नरमी आई, जो निवेशकों द्वारा सुरक्षित स्थलों की ओर जाने तथा अमरीका में मौद्रिक नीति में नरमी को दर्शाता है। मुद्रा बाजारों में, अमरीकी डालर में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्यहास हुआ। आस्ति बाजार में व्यापक कमजोरियों की पिछली घटनाओं के विपरीत, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक लचीली साबित हुईं।

I.19 2007-08 के दौरान भारत में वित्तीय बाजार, कुल मिलाकर, व्यवस्थित बने रहे; इक्विटी बाजार इसका अपवाद रहा, जिसमें अगस्त 2007 की दूसरी छमाही में, दिसंबर 2007 की दूसरी छमाही में तथा जनवरी 2008 के दूसरे सप्ताह के शुरू में मोटे तौर पर अंतरराष्ट्रीय इक्विटी बाजारों की प्रवृत्तियों के अनुरूप अस्थिरता की आकस्मिक दौर देखे गये। पूंजी बाजार के प्राथमिक बाजार खंड में, जहाँ जनवरी 2008 के प्रारंभ तक कामकाज में वृद्धि देखी गई थी, द्वितीयक बाजार में आई अस्थिरता के कारण उसके बाद मंदी देखी गई। तथापि कुल मिलाकर साल भर में इक्विटी बाजार में और लाभ दर्ज किया गया। पूंजीगत प्रवाहों तथा रिजर्व बैंक के पास केंद्र सरकार के नकद शेष में परिवर्तन के कारण मुद्रा बाजार में अस्थिरता के संक्षिप्त दौर देखे गये। अगस्त 2007 में चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत रिवर्स रिपो स्वीकृतियों की निर्धारित अधिकतम सीमा के हटाए जाने के बाद, रातभर के मुद्रा बाजारों में ब्याज दरें मोटे तौर पर साल के अधिकांश भाग में रिवर्स रिपो तथा रिपो दरों की सीमा के अंदर रहीं। संपार्श्विकीकृत मुद्रा बाजार दरें वर्ष के दौरान मांग दर के नीचे बनी रहीं। वर्ष के अधिकांश भाग में सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिफल में नरमी आई।

I.20 2007-08 में भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति सुखद बनी रही। पण्य व्यापार में 2007-08 के दौरान सुदृढ़ वृद्धि जारी रही, हालांकि उसकी गति 2005-06 से मंद हो गई। डीजीसीआइएण्डएस के आंकड़ों

के अनुसार, पण्य निर्यात और आयात की वृद्धि, पिछले साल के क्रमशः 22.6 प्रतिशत तथा 24.5 प्रतिशत की तुलना में, 2007-08 के दौरान बढ़कर क्रमशः 25.8 प्रतिशत तथा 29.0 प्रतिशत हो गई। हाल के वर्षों में निर्यातों की वृद्धि को प्रौद्योगिकी-प्रधान मर्दों के प्रति उत्पाद विशाखीकरण तथा वैश्विक स्तर पर मूल्यों में चल रही उछाल के बीच पण्य निर्यात के बारे में व्यापार की अनुकूल शर्तों जैसे संरचनागत कारकों से समर्थन मिला। भारत के निर्यातों में भौगोलिक विशाखीकरण भी दिखाई दिया, जिसके फलस्वरूप भारत के निर्यात में विकासशील देशों का हिस्सा बढ़ गया जबकि यूरोपियन यूनियन तथा अमरीका जैसे विकसित बाजारों का हिस्सा गिर गया। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा पूंजीगत माल के आयात में बनी हुई उछाल को देखते हुए पण्य आयात की वृद्धि में तेजी आई। जहाँ गैर-तेल आयात 2007-08 में कुल आयातों का लगभग 67 प्रतिशत था, वहीं पेट्रोलियम, तेल तथा स्नेहकों (पीओएल) का आयात अकेला सबसे बड़ा घटक बना रहा जो भारत के आयातों का लगभग 33 प्रतिशत था। भारत का पीओएल आयात 2002-03 के 17.6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2007-08 में 79.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल था। 2007-08 के दौरान पीओएल के आयात में 39.4 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की गयी, जो मुख्यतः मूल्य के प्रभाव को दर्शाता है क्योंकि मात्रा में आई वृद्धि अपेक्षाकृत कम बनी रही। 2007-08 के दौरान मात्रा के रूप में पीओएल के आयात में हुई 10.1 प्रतिशत की वृद्धि एक साल पहले के 19.3 प्रतिशत की तुलना में कम थी।

I.21 हाल के वर्षों में निर्यातों की तुलना में आयात में समग्र उच्चतर वृद्धि के फलस्वरूप भुगतान संतुलन के आधार पर व्यापार घाटा 2002-03 के 10.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2006-07 में 63.2 बिलियन अमरीकी डालर तथा 2007-08 में और बढ़कर 90.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। इस प्रकार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार घाटा 2002-03 के 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 6.9 प्रतिशत तथा 2007-08 में और बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गया। तथापि, व्यापार घाटा बढ़ने का चालू खाते पर प्रभाव विदेशी भारतीयों से होने वाले विप्रेषणों में वृद्धि, व्यावसायिक सेवाओं में मंद वृद्धि के साथ साफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि द्वारा नियंत्रित किया गया। अदृश्य मर्दों की सकल प्राप्तियां पण्य निर्यात के स्तर के नजदीक पहुँच गईं। अदृश्य मर्दों के तहत जीडीपी

के 6.2 प्रतिशत के निवल अधिशेष ने अधिकांश व्यापार घाटे को प्रतिलुलित कर दिया, इस प्रकार 2006-07 के 1.1 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में चालू खाता घाटा को जीडीपी के 1.5 प्रतिशत पर नियंत्रित किया गया।

I.22 भारत को निवल पूंजी प्रवाह तेजी से बढ़कर 2007-08 के दौरान 108.0 बिलियन अमरीकी डालर (अथवा जीडीपी का 9.2 प्रतिशत) हो गया, जो 2006-07 के स्तर की तुलना में 2.4 गुना अधिक था। पूंजीगत प्रवाह चालू खाता घाटे से काफी अधिक थे। 2007-08 के दौरान ऋण और ऋणेतर दोनों तरह के प्रवाह उच्चतर थे। प्रत्यक्ष तथा संविभागीय निवेश के अंतर्वाह तथा बहिर्वाह में तेज वृद्धि हुई। भारत में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह 2006-07 के 22.0 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2007-08 में 32.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जबकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का निवल बहिर्वाह 13.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 16.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2007-08 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआई) प्रवाह सहित संविभागीय निवेश अस्थिर बना रहा। एफआइआई सहित संविभागीय निवेश के तहत कुल अंतर्वाह तथा कुल बहिर्वाह क्रमशः 235.6 बिलियन अमरीकी डालर और 206.3 बिलियन अमरीकी डालर के थे, जिसके फलस्वरूप 2007-08 के दौरान 29.3 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह (2006-07 में 3.2 बिलियन अमरीकी डालर) हुआ। ऋण प्रवाह (निवल) बाह्य वाणिज्यिक उधारों की अगुवाई में, बढ़ी हुई वित्तीय अपेक्षाओं के समर्थन से तथा तार्किक तौर पर ब्याज दर अंतर बढ़ने के कारण 2007-08 के दौरान 42.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अल्पावधि ऋण में भी तीव्र वृद्धि हुई जो आयात वित्तपोषण संबंधी अपेक्षाओं में, विशेष रूप से कच्चे तेल के आयात के लिए तेल कंपनी द्वारा, वृद्धि को दर्शाता है। बड़ी मात्रा में निवल पूंजी प्रवाह, जो चालू खाता घाटा की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्चतर थे, के कारण विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि हुई, जिससे मौद्रिक प्रबंधन पर दबाव बना रहा। यद्यपि भारत की बाह्य ऋण की मात्रा में 2007-08 के दौरान वृद्धि हुई, ऋण धारणीयता संकेतक सुखद स्तरों पर बने रहे। मार्च 2008 के अंत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों ने बाह्य ऋण की मात्रा को 140.0 प्रतिशत का कवर प्रदान किया।

I.23 1990 के दशक के आरंभ से चालू खाता घाटा के कम स्तरों के बावजूद, भारत का चालू प्राप्त-जीडीपी अनुपात 1990-91 के 8 प्रतिशत

से बढ़कर 2007-08 में 26 प्रतिशत हो गया, जबकि कुल मिलाकर चालू प्राप्तियां तथा चालू भुगतान 19 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गए। सकल पूंजी अंतर्वाह तथा बहिर्वाह 1990-91 के 12 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में जीडीपी का 64 प्रतिशत थे। ये सभी संकेतक यह सुझाते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के समन्वय में वृद्धि हो रही है।

I.24 कुल मिलाकर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने सुदृढ़ वृद्धि दर्शाना जारी रखा। जहाँ उद्योग और सेवाओं की वास्तविक जीडीपी वृद्धि में थोड़ी गिरावट आई, वहीं घरेलू कृषि में सुधार ने, प्रमुख कृषि पण्यों में मुद्रास्फीतिक दबावों को नियंत्रित करने में सहायता देने के अलावा, वृद्धि की गति को समर्थन दिया। वृद्धि की गति को बचत तथा निवेश की दरों में बनी हुई वृद्धि तथा बनी हुई उत्पादकता वृद्धि द्वारा समर्थन मिला। केंद्र तथा राज्य दोनों की राजकोषीय स्थिति में, उच्चतर ब्याज भुगतान, सब्सिडी तथा बजट बाह्य देयताओं के बावजूद, सुधार हुआ। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, 2007-08 के दौरान पण्य निर्यात और आयात में वृद्धि में तेजी आई, जो भारत के अच्छी तरह से विशाखीकृत विदेश व्यापार को दर्शाता है। जहाँ समस्त आपूर्ति क्षमताओं में वृद्धि ने 2007-08 के दौरान कुछ सीमा तक देशी समष्टि असंतुलों को कम किया, वहीं देशी मांग में हुई वृद्धि बाह्य क्षेत्र तक फैल गई जैसाकि पण्य व्यापार घाटे में हुई तीव्र वृद्धि में दिखाई देता है। मौद्रिक विस्तार 2007-08 में सतत आधार पर अतिरिक्त पूंजी प्रवाहों से उत्पन्न अत्यधिक दबावों के कारण 17.0 - 17.5 प्रतिशत के सांकेतिक क्षेत्र से उच्चतर बना रहा। 2007-08 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, इस प्रकार पहले सार्वजनिक नीति प्रतिसाद के रूप में प्रमुख पण्यों की देश में उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा राजकोषीय तथा प्रशासनिक उपाय करना जरूरी हो गया। तथापि भारत में मुद्रास्फीति में उछाल ऐसे समय में हुआ जब विश्व में पण्य की कीमतें ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तरों को छू चुकी थीं तथा भारत में बड़ी मात्रा में निवल पूंजी का अंतर्वाह हुआ। मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती मौद्रिक उपाय जारी रखे गये। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक नीति संबंधी प्रतिसाद इस प्रकार सुविचारित थे कि वे अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति पर उक्त उपायों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित कर सकते थे।

2008-09 के लिए संभावना

1.25 वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2008 के दौरान अब तक मंदी बनी रही, जिसका मुख्य कारण था अमरीका, यू.के. तथा यूरो क्षेत्र जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में कमी होना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुमानों के अनुसार, वैश्विक जीडीपी 2007 के 5.0 प्रतिशत से कम होकर 2008 में 4.1 प्रतिशत तथा 2009 में और कम होकर 3.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। आइएमएफ के अनुसार अमरीकी अर्थव्यवस्था में थोड़ी मंदी की उम्मीद है क्योंकि आवास बाजार में मंदी के कारण वित्तीय तनाव में उत्तेजना बनी हुई है। यद्यपि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अब तक वित्तीय बाजार की उथल-पुथल से उल्लेखनीय रूप से प्रभावित नहीं हुई हैं तथा उनमें तेज गति से वृद्धि हो रही है, तथापि चीन सहित कुछ देशों में आर्थिक कार्यकलाप में मंदी आनी शुरू हो गई है। विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि 2007 के 6.8 प्रतिशत से कम होकर 2008 में 5.6 प्रतिशत तथा 2009 में 5.8 प्रतिशत होने की आशा है।

1.26 2008-09 (अप्रैल-अगस्त) में वैश्विक वित्तीय बाजारों में आम तौर पर अनिश्चितता की स्थिति देखी गई। केंद्रीय बैंकों द्वारा अलग-अलग तथा समन्वित रूप में बार-बार कार्रवाई किए जाने से अप्रैल-मई 2008 में बाजारों में सुधार आया। तथापि, अंतर-बैंक मुद्रा बाजारों में सुधार नहीं आया क्योंकि चलनिधि की मांग ऊंची बनी रही। केंद्रीय बैंकों ने मिलकर कार्य करना तथा वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थितियों पर नियमित रूप से परामर्श करना जारी रखा। कुछ मीयादी निधीयन बाजारों में चलनिधि पर बने हुए दबाव को देखते हुए यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी), यूएस फेडरल रिजर्व तथा स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) ने मई 2008 में चलनिधि के उपायों में विस्तार की घोषणा की। क्रेडिट मार्केट में सतर्कतापूर्वक जोखिम सहने की स्थिति वापस आने के कारण उछाल आया तथा 2008 की पहली तिमाही में देखे गए व्यापक स्तरों की तुलना में स्प्रेड में कमी आई। बाजार की चलनिधि में सुधार हुआ, जिसने लिखतों के बीच बेहतर मूल्य अंतर की अनुमति दी। वित्तीय बाजारों के स्थिरीकरण तथा कुछ निराशावादी आर्थिक संभावना के उदय ने भी इक्विटी बाजारों में आए टर्नअराउंड में अंशदान किया। क्रेडिट तथा इक्विटी बाजारों की गतिविधियों के अनुरूप सरकारी बांड आय में वृद्धि हुई। निवेशकों की बढ़ती हुई अवधारणा कि वित्तीय उथल-पुथल का असर वास्तविक आर्थिक कार्यकलाप पर उतना खराब नहीं

होगा, ने भी निवेशकों के विश्वास में सुधार लाया। यद्यपि यूएस फेड ने 25 जून 2008 तथा 5 अगस्त 2008 को हुई अपनी बैठकों में नीति दर अपरिवर्तित रखी, मुद्रास्फीति की संभावना अत्यधिक अनिश्चित होने के कारण उसने संकल्प किया कि वह आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी रखना जारी रखेगा तथा धारणीय आर्थिक वृद्धि एवं मूल्य-स्थिरता के संवर्धन के लिए आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेगा। जून में तथा जुलाई 2008 के प्रारंभ में वित्तीय बाजारों में हानियों तथा 2 अमरीकी बंधक कंपनियों की दीर्घावधि लाभप्रदता के बारे में बढ़ रही चिंता के कारण तनाव की स्थिति आ गई। मौजूदा चलनिधि सुविधाओं की प्रभावशालिता को और बढ़ाने के लिए, यूएस फेडरल रिजर्व ने 30 जुलाई 2008 को उपायों के पैकेज की घोषणा की, जिसमें ये शामिल थे : (i) प्राथमिक व्यापारी ऋण सुविधा (पीडीसीएफ) तथा मीयादी प्रतिभूति उधार सुविधा (टीएसएलएफ) का विस्तार 30 जनवरी 2009 तक करना; (ii) टीएसएलएफ पर 50 बिलियन अमरीकी डालर के आहरणों पर आप्शनस की नीलामी शुरू करना; (iii) 28 दिवसीय मीयादी नीलामी सुविधा (टीएएफ) ऋणों की अनुपूर्ति के रूप में 84 दिवसीय टीएएफ ऋण लागू करना; (iv) ईसीबी के साथ फेडरल रिजर्व की अदला-बदली व्यवस्था मई 2008 में 50 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 55 बिलियन अमरीकी डालर करना। इस परिवर्तन के अनुरूप, यूरोपियन सेंट्रल बैंक तथा स्विस नेशनल बैंक ने भी अपने परिचालनों की परिपक्वता को अनुकूल बनाया। इक्विटी बाजारों में जुलाई 2008 के अंत में कुछ सुधार हुआ जो कच्चे तेल की कीमतों में आरंभिक गिरावट को दर्शाता है।

1.27 भविष्य में, अल्पावधि वैश्विक वृद्धि की संभावना के प्रति समग्र जोखिम शेष, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के संभाव्यता के काफी नीचे चले जाने की प्रत्याशा सहित, नीचे की ओर झुका रहा। एक महत्वपूर्ण जोखिम वित्तीय बाजार में चल रहे उथल-पुथल तथा पूरी वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य पर उसके संभावित प्रसार से आता है। नकारात्मक वित्तीय आघातों तथा विशेष रूप से आवास बाजार के जरिए देशी मांग के बीच अंतर: क्रिया अमरीका के लिए तथा थोड़ी कम मात्रा तक पश्चिमी यूरोप और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। उभरते बाजार तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं, जिन पर वित्तीय बाजार की उथल-पुथल का अब तक गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा है, से आशा है कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को कुछ कुशन प्रदान करेंगे। दूसरी ओर,

वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में समान रूप से एक साल पहले के स्तर से काफी बढ़ गई है। खाद्य, ऊर्जा तथा धातुओं जैसे अन्य पण्यों की उच्चतर तथा अधिक अस्थिर कीमतों ने मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं में पूरे विश्व में उल्लेखनीय उछाल के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर दिया है, जो अत्यंत वित्तीय तनाव के समय में मौद्रिक नीति के संचालन में अतिरिक्त जटिलता लाता है। मुद्रास्फीति दबावों के पुनरोदय ने भी वास्तविक खर्च करनेयोग्य आय तथा उपभोक्ताओं की क्रयशक्ति को प्रभावित करते हुए आर्थिक कार्यकलाप में मंदी के संबंध में चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके अलावा, चूंकि मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति एवं मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं संबंधी बढ़ती हुई वैश्विक चिंताओं के कारण मांग को समायोजित करने के लिए सख्त बनाना होगा, उभरते हुए बाजारों में उनकी वृद्धि की गति में भी कुछ कमी देखे जाने की संभावना है। उभरते बाजारों में पूंजी प्रवाह की संभावना अनिश्चित बनी हुई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय बाजार के उथल-पुथल को शांत करने के लिए हाल के महीनों में केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में किया गया चलनिधि का अंतर्वेश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाहों को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर, वैश्विक रुख अथवा मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई में आकस्मिक परिवर्तन की स्थिति में पूंजी प्रवाहों के उलटने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। जहां उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं अब तक लचीली रही हैं, इस बात की अनिश्चतता बनी हुई है कि भविष्य में परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच कब तक तथा किस सीमा तक वृद्धि में अंतर बना रहेगा।

1.28 भारतीय मौसम विभाग की नवीनतम भविष्यवाणी के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम (जून से सितंबर 2008) के दौरान वर्षा ± 4 प्रतिशत की मॉडल चूक के साथ सामान्य का 100 प्रतिशत होने की संभावना है। तथापि, मौसम के दौरान अब तक (13 अगस्त 2008 तक) संचयी वर्षा पिछले दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम की तदनुरूप अवधि के सामान्य से 5 प्रतिशत अधिक की तुलना में सामान्य से 2 प्रतिशत अधिक है। यद्यपि, पिछले साल की मानसून की तुलना में स्थानिक वितरण संतोषजनक नहीं है, कुल मिलाकर देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की स्थितियां अनुकूल रही हैं। तथापि, कुछ क्षेत्रों में कम/अत्यंत कम वर्षा कुछ फसलों की संभावना को प्रभावित कर सकती है। 7 अगस्त 2008 की स्थिति के अनुसार, 81 प्रमुख जलाशयों में पानी का कुल

भंडार पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) का 37 प्रतिशत था, जो पिछले साल (57 प्रतिशत) की तुलना में कम था तथा पिछले दस साल के 40 प्रतिशत के औसत से भी कम था। खरीफ मौसम की बुवाई में चावल के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि (8 अगस्त 2008 की स्थिति) होने के साथ प्रगति हो रही है। तथापि, दाल, गन्ने और कपास के क्षेत्र विस्तार में गिरावट आई।

1.29 अप्रैल-जून 2008 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि 5.2 प्रतिशत (एक साल पहले 10.3 प्रतिशत की वृद्धि) पर कम थी, जिसका मुख्य कारण विनिर्माण वृद्धि (एक साल पहले के 11.1 प्रतिशत से घटकर 5.6 प्रतिशत) तथा बिजली में वृद्धि (एक साल पहले के 8.3 प्रतिशत से घटकर 2.0 प्रतिशत) में कमी है। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, सभी क्षेत्रों में, पूंजीगत माल क्षेत्र सहित, मंदी देखी गई, जबकि इन क्षेत्रों ने पिछले कुछ वर्षों में अधिक अच्छा कार्य-निष्पादन दर्शाया था। पूंजीगत माल क्षेत्र ने अप्रैल-जून 2008 के दौरान 6.5 प्रतिशत की वृद्धि (अप्रैल-जून 2007 के दौरान 19.1 प्रतिशत) दर्ज की। अप्रैल-जून 2008 में प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों की वृद्धि एक साल पहले के 6.3 प्रतिशत की तुलना में 3.5 प्रतिशत थी तथा कोयला को छोड़कर सभी उद्योगों ने गिरावट दर्शायी।

1.30 सेवा क्षेत्र कार्यकलाप के अग्रणी संकेतकों के बारे में उपलब्ध जानकारी एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करती है। जहां 2008-09 में (मई/जून तक) यात्रियों के आवक, रेलवे के राजस्व अर्जक माल यातायात तथा नागरिक उड्डयन द्वारा ले जाए गए निर्यात कार्गो की वृद्धि में तेजी आई, वहीं प्रमुख बंदरगाहों तथा नागरिक उड्डयन में हैंडल किए गए कार्गो जैसे कुछ अन्य संकेतकों के बारे में वृद्धि में गिरावट आई। अप्रैल-जून 2008 के दौरान वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन और सीमेंट एवं इस्पात, जो क्रमशः परिवहन और निर्माण के प्रमुख संकेतक हैं, की वृद्धि दरों में भी कुछ गिरावट देखी गई।

1.31 केंद्र सरकार ने 2008-09 के दौरान राजस्व घाटा तथा सकल राजकोषीय घाटा के क्रमशः जीडीपी के 1.0 प्रतिशत तथा जीडीपी के 2.5 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाकर एफआरबीएम नियमावली, 2004 के तहत निर्धारित राजकोषीय समेकन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया। 2008-09 के दौरान सकल कर - जीडीपी अनुपात 13.0 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया। राजकोषीय घाटा संबंधी लक्ष्य अधिदेश के अनुसार प्राप्त किया जाना था, जबकि राजस्व घाटा

संबंधी लक्ष्यों को प्राथमिक तौर पर राजस्व व्यय-प्रधान कार्यक्रमों एवं योजनाओं के पक्ष में योजना संबंधी प्राथमिकताओं में सतर्क बदलाव तथा अल्पावधि में योजनेतर व्ययों, विशेष तौर पर ब्याज अदायगी, पेंशन, वेतन और रक्षा जैसे वचनबद्ध और अनिवार्य व्यय से उत्पन्न अल्पावधि योजनेतर व्ययों में व्यवस्थागत अनम्यता के कारण पुनर्निर्धारित करना पड़ा। चल रहे सुधार और राजकोषीय सुधार के बारे में किए जा रहे पहल देशी मांग और निवेश का समर्थन करना जारी रखेंगे, दोनों ही जीडीपी में वृद्धि के प्रमुख वाहक हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक (अप्रैल-जून 2008) केन्द्र सरकार का राजस्व घाटा तथा सकल राजकोषीय घाटा पिछले राजकोषीय वर्ष की उसी अवधि की तुलना में क्रमशः जीडीपी के 1.4 प्रतिशत तथा 1.6 प्रतिशत पर कम थे। कुल रूप में अप्रैल-जून 2008 के दौरान जहां राजकोषीय घाटा 26,278 करोड़ रुपए कम था, वहीं प्राथमिक घाटा 27,916 करोड़ रुपए कम था। तथापि यह नोट किया जाए कि अप्रैल-जून 2007 के दौरान सकल राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा में भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी की खरीद के कारण सरकार द्वारा वहन किया गया 35,531 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय शामिल था। भारतीय स्टेट बैंक संबंधी लेनदेन के लिए समायोजन करने के बाद अप्रैल-जून 2008 के लिए जीएफडी तथा प्राथमिक घाटा अप्रैल-जून 2007 के जीएफडी तथा प्राथमिक घाटे की तुलना में क्रमशः 9,253 करोड़ रुपए तथा 7,615 करोड़ रुपए उच्चतर थे। स्टेट बैंक संबंधी लेनदेन के लिए समायोजन करने के बाद बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में अप्रैल-जून 2008 में जीएफडी अप्रैल-जून 2007 के 50.9 प्रतिशत की तुलना में 64.6 प्रतिशत था। कर वसूली में पिछले राजकोषीय वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में अप्रैल-जून 2008 में 28.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वह जीडीपी का 2.1 प्रतिशत हो गई, जबकि उसी अवधि में योजना व्यय जीडीपी के 1.0 प्रतिशत से बढ़कर जीडीपी का 1.2 प्रतिशत हो गया। करेतर प्राप्तियों में भी एक वर्ष पहले की तदनु रूप अवधि की तुलना में वृद्धि हुई। 2008-09 के दौरान सकल और निवल बाजार उधार (14 अगस्त 2008 तक) एक वर्ष पहले के क्रमशः 51.5 प्रतिशत तथा 50.6 प्रतिशत की तुलना में पूरे वर्ष के अनुमानों का क्रमशः 54.5 प्रतिशत और 57.8 प्रतिशत थे। 2008-09 के दौरान (14 अगस्त

2008 तक) दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत परिपक्वता पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के 14.32 वर्ष की तुलना में 15.21 वर्ष पर उच्चतर थी। उसी अवधि में, भारत औसत आय 8.24 प्रतिशत से बढ़कर 8.72 प्रतिशत हो गई।

I.32 राज्य सरकारों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान उच्चतर समेकित राजस्व अधिशेष का बजट अनुमान लगाया, जिससे सकल राजकोषीय घाटा 2007-08 के 2.3 प्रतिशत से कम होकर जीडीपी का 2.1 प्रतिशत हो जाएगा। राजस्व अधिशेष में वृद्धि प्राथमिक तौर पर उच्चतर राजस्व प्राप्तियों का परिणाम होगी। पूंजीगत परिव्यय पिछले साल की तरह 2008-09 (बजट अनुमान) में जीडीपी के 2.7 प्रतिशत पर रखा जाएगा। राज्य सरकारों ने पिछले वर्ष की तरह 2008-09 के दौरान विकासात्मक व्यय का अनुपात 10.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का बजट अनुमान लगाया। कुल मिलाकर, 25 राज्य सरकारों ने राजस्व घाटा समाप्त करने के टीएफसी के लक्ष्य के अंतिम वर्ष 2008-09 के लिए राजस्व अधिशेष का बजट अनुमान लगाया। इसके अलावा, 17 राज्य सरकारों ने टीएफसी के लक्ष्य से एक साल पहले जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3 प्रतिशत या कम होने का बजट अनुमान लगाया। कई राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत अनुसूची के पहले टीएफसी के लक्ष्य प्राप्त कर लेना राज्यों के अपने तथा केंद्र से न्यागमित दोनों कर राजस्वों में सुदृढ़ वृद्धि तथा उच्चतर सहायता अनुदान को दर्शाता है। जहां राज्यों ने पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाया है, वहीं राजकोषीय जवाबदेही कानून (एफआरएल) की अवधि में राजस्व व्यय का कुछ युक्तियुक्तकरण हुआ है। एनएसएसएफ के तहत उपचयों में आई गिरावट के साथ सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप में संरचनागत बदलाव आएगा। फलस्वरूप, बाजार उधार जीएफडी के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरेगा। राज्य सरकारों ने 2008-09 (जुलाई तक) के दौरान उच्च स्तर का नकद अधिशेष बनाए रखा, जैसाकि मध्यवर्ती और नीलामी खजाना बिलों में उनके निवेश में दिखाई देता है।

I.33 1 अगस्त 2008 की स्थिति के अनुसार, मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में वृद्धि (साल-दर-साल) एक वर्ष पहले (21.8 प्रतिशत) की तुलना में कम (19.6 प्रतिशत) थी, परंतु मौद्रिक नीति पर वार्षिक वक्तव्य की

पहली तिमाही की समीक्षा (जुलाई 2008) में निर्धारित 17.0 प्रतिशत² के सांकेतिक अनुमान से वह अधिक थी। मांग और मीयादी दोनों तरह की जमाराशियों में कमी आने के कारण समस्त जमाराशियों की वृद्धि में कमी आई। दूसरी ओर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के खाद्येतर ऋण में एक साल पहले की 23.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1 अगस्त 2008 को साल-दर-साल 26.2 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप बैंक ऋण में वृद्धि हुई। तदनुसार, एससीबी का वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात एक साल पहले के 67.2 प्रतिशत से बढ़कर 86.0 प्रतिशत हो गया। एससीबी द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश एक साल पहले के 28.6 प्रतिशत की तुलना में 1 अगस्त 2008 को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 27.0 प्रतिशत (मार्च 2008 के अंत में 27.8 प्रतिशत) था। 15 अगस्त 2008 को साल-दर-साल आरक्षित मुद्रा में हुई 31.1 प्रतिशत की वृद्धि (सीआरआर में वृद्धि के पहले दौर के प्रभाव को समायोजित करने पर 24.3 प्रतिशत) एक साल पहले की 24.1 प्रतिशत वृद्धि (सीआरआर में वृद्धि के पहले दौर के प्रभाव को समायोजित करने पर 14.2 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी।

I.34 हेडलाइन मुद्रास्फीति मार्च 2008 के अंत के 7.7 प्रतिशत (एक साल पहले 4.2 प्रतिशत) से और बढ़कर 9 अगस्त 2008 को 12.6 प्रतिशत हो गई, जो अंशतः पेट्रोल (11.2 प्रतिशत), डीजल (9.8 प्रतिशत) तथा एलपीजी (13.9 प्रतिशत³) जैसे नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में ऊपरी संशोधन तथा मुक्त रूप से तय कीमत वाले पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है। गैर-नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में मार्च 2008 के अंत की तुलना में, मार्च 2008 और जुलाई 2008 के बीच अंतराष्ट्रीय कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की कीमतों में हुई लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, 19-56 प्रतिशत के दायरे में वृद्धि हुई। फलस्वरूप ईंधन समूह की मुद्रास्फीति एक साल पहले हुई 2.0 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 9 अगस्त 2008 को साल-दर-साल बढ़कर 18.0 प्रतिशत हो गई।

I.35 ईंधन की कीमतों के अलावा, लौह अयस्क की कीमतों के साथ अंतराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप मूल धातुओं की कीमतों में बीच-बीच में हुई परंतु तीव्र वृद्धि 2008-09 के दौरान अब तक मुद्रास्फीति में अंशदान करनेवाला अन्य प्रमुख कारक है। खाद्य तेल और खली की कीमतों में हुई वृद्धि तथा वस्त्रों की कीमतों में हाल में आई तेजी, जो एक सीमा तक तिलहनों और कच्ची रूई जैसी निविष्टियों की कीमतों में बनी हुई तेजी को दर्शाता है, के कारण विनिर्माण उत्पादों की मुद्रास्फीति मार्च 2008 के अंत के 7.3 प्रतिशत (तथा एक साल पहले के 4.7 प्रतिशत) से बढ़कर 9 अगस्त 2008 को 10.9 प्रतिशत हो गई। उर्वरक तथा मशीनरी एवं मशीनरी संबंधी औजारों की कीमतों में हुई वृद्धि ने भी विनिर्माण उत्पादों की मुद्रास्फीति में तेजी लाने में योगदान दिया है। विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में सामान्यीकृत वृद्धि माँग दबाव बने रहने तथा आपूर्ति के गैर-लोच की मौजूदगी को सुझाता है। प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति मार्च 2008 के अंत के 9.7 प्रतिशत से बढ़कर 9 अगस्त 2008 को 11.8 प्रतिशत हो गई, जो सब्जियों, कच्ची रूई एवं तिलहनों की कीमतों में बनी हुई तेजी द्वारा चालित थी। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के विभिन्न मापों को मार्च 2008 (6.0 - 7.9 प्रतिशत) की तुलना में जून/जुलाई 2008 में उच्चतर (7.3 - 9.4 प्रतिशत) रखा गया।

I.36 भविष्य में, मुद्रास्फीति में कुछ ऊर्ध्वमुखी जोखिम है। जहां मुक्त रूप से मूल्यनिर्धारित पेट्रोलियम उत्पादों में निरंतर समायोजन हो रहा है, वहीं नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें फरवरी 2007 से सिर्फ दो बार ऊपर की ओर संशोधित की गई हैं। इस प्रकार भारत में मुक्त रूप से मूल्यनिर्धारित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें वर्ष की शेष अवधि में अंतराष्ट्रीय कीमतों की अनुरूप रहने की आशा है, जबकि एक सीमा तक केरोसिन और एलपीजी को छोड़कर, नियंत्रित उत्पादों की कीमतों में ऊपर की ओर कुछ संशोधन जरूरी हो सकता है। जहां कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की अंतराष्ट्रीय कीमतें फरवरी 2007 के 56.6 अमरीकी डालर प्रति बैरल से लगभग 134 प्रतिशत बढ़कर जुलाई 2008 में 132.3 अमरीकी डालर प्रति बैरल (रुपये के रूप में 127

² 2008-09 के लिए मुद्रा आपूर्ति का सांकेतिक प्रक्षेपण वार्षिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 2008) में निर्धारित 16.5-17.0 प्रतिशत से संशोधित कर पहली तिमाही की समीक्षा (जुलाई 2008) में 17.0 प्रतिशत कर दिया गया।

³ एलपीजी की कीमत में जून 2008 में घोषित की गई वृद्धि 20.3 प्रतिशत थी।

प्रतिशत की वृद्धि) हो गई, वहीं मुक्त रूप से मूल्यनिर्धारित पेट्रोलियम उत्पादों की देशी कीमतों में उसी अवधि के दौरान लगभग 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, इसके विपरीत पेट्रोल और डीजल की नियंत्रित कीमतों में फरवरी 2007 से सिर्फ लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में पहले हुई वृद्धि के अंतरण में काफी अंतर बना हुआ है। इस प्रकार, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में, हालांकि हाजिर कीमतें जुलाई 2008 के शुरू के लगभग 145 अमरीकी डालर प्रति बैरल के शिखर से कम होकर अगस्त 2008 में लगभग 120 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गई हैं, वर्तमान में किसी वृद्धिशील वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में इसके फलस्वरूप न सिर्फ मुक्त रूप से मूल्यनिर्धारित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का और अंतरण होगा, अपितु पेट्रोल और डीजल की नियंत्रित कीमतों में भी ऊपरी संशोधन जरूरी हो जाएगा। इन संशोधनों से न सिर्फ मुद्रास्फीति में प्रत्यक्ष रूप से, अपितु उत्पादन श्रृंखला के पोषण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी वृद्धि होगी। तथापि, समस्त प्रभाव उपभोक्ताओं को अंतरण की मात्रा तथा फर्मों की क्रय शक्ति और साथ ही अन्य मदों पर तुलनात्मक रूप से कम व्यय के कारण समस्त मांग में संभावित संकुचन दोनों पर निर्भर होगा। इसके अलावा, मुद्रास्फीति में तत्काल तेजी की ऐसी मात्रा के कारण मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं का निर्माण होगा। तथापि, मांग संकुचन के दूसरे दौर के प्रभावों के साथ इसके आकलन की जरूरत है जिसका समग्र मुद्रास्फीति पर प्रशमनकारी प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, प्रतिकूल प्रभाव न तो उत्पादक और उपयोगकर्ता क्षेत्रों के बीच एकरूप होगा, न ही विभिन्न क्षेत्रों के बीच तात्कालिक होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को देखते हुए, जहां सेवा क्षेत्र जीडीपी का प्रमुख अंग है, भारत में जीडीपी की वृद्धि पर ईंधन के मूल्यों के अंतरण का प्रतिकूल प्रभाव अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कुछ निम्नतर होगा।

I.37 कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बारे में संभावना अनिश्चित बनी रही तथा यदि यूएस एनर्जी इंफार्मेशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (ईआइए) के पूर्वानुमान को कोई संकेत मानें तो तेल की कीमतें भविष्य में और बढ़ सकती हैं। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में और अधिक वृद्धि का पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपभोग मांग में बनी हुई वृद्धि को देखते हुए तेल आयात बिल पर और दबाव पड़ने की संभावना है। ऐसी राय है कि वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप में मंदी मांग और सट्टे को कम कर सकती

है। तदनुसार, यह तर्क दिया जाता है कि आनेवाली अवधि में कच्चे तेल की कीमतों के स्तर में भारी कटौती की संभावना, हालांकि अल्प संभावना, है। यदि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उस स्तर तक नीचे आ जाएं जहां तक देशी पेट्रोलियम तथा तेल (पीओएल) उत्पादों की कीमतों में अंतरण किया गया है, उस स्थिति में देशी मुद्रास्फीति में कुछ नरमी आ सकती है। इसी तरह, यह भी राय दी है कि वैश्विक स्तर पर समग्र मांग में कमी आने पर धातुओं सहित अन्य पण्यों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी कमी आ सकती है। जहां भविष्य में वैश्विक पण्यों की कीमतों में कुछ नरमी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, यह मानना विवेकपूर्ण होगा कि वर्तमान ऊंचे स्तरों के भविष्य में जारी रहने की पूरी संभावना है। तथापि, यदि हाल के सप्ताहों की तरह तेल की कीमतों में नरमी जारी रहे और देशी मुद्रास्फीति वर्तमान ऊंचे स्तरों से कम होकर सहनीय स्तरों तक आ जाए, तो समग्र समष्टि आर्थिक और मौद्रिक नीति के व्यक्त रुख को ऐसी गतिविधियों द्वारा सूचित किए जाने की जरूरत होगी। साथ ही यदि तेल की कीमतें ऊंचे स्तरों पर बनी रहें तथा मुद्रास्फीतिकारी दबाव बना रहे, तो यह महत्वपूर्ण होगा कि विशेष तौर पर अल्पावधि में सीमित आपूर्ति लोच के वातावरण में समस्त अर्थव्यवस्था पर समग्र मांग को समायोजित कर मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं के संबंध में प्रतिकूल गतिविधियों के किसी संकेत को रोकने के लिए निरंतर आधार पर निर्णायक रूप से, कारगर रूप से तथा त्वरित रूप से कार्य करने के निश्चय को दर्शाया जाए।

I.38 तेल के अलावा, कोयला और बिजली की कीमतों का भी असर मुद्रास्फीति को बढ़ाने पर पड़ता है। यद्यपि 2007-08 के दौरान कोयले की घरेलू कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई है, उच्चतर कीमतों पर आयात की बढ़ी हुई मात्रा कोयले की घरेलू कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डाल सकती है। पिछले संबंधों को देखते हुए, यह पाया गया है कि बिजली की कीमतों में कोयले/तेल की कीमतों में वृद्धि के अंतरण में हाल के वर्षों में गिरावट आई है, जो कोयले और बिजली के देशी उत्पादन में औसत से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। तथापि, कच्चे तेल, गैस और कोयला की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए कोयले और बिजली की कीमतों में कुछ अंतरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, विशेष तौर पर जब भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरत का आधे से अधिक भाग कोयले पर आधारित हो। लोहा और इस्पात की घरेलू कीमतों, जो मुद्रास्फीति का एक और प्रमुख वाहक है, में भी वैश्विक

तौर पर लौह अयस्क एवं कोकिंग कोयला की बढ़ती हुई निविष्टि लागत के कारण, देश में तथा विश्व में कच्चे इस्पात के उत्पादन में सुधार के बावजूद, कुछ तेजी की संभावना है। अन्य धातुओं की कीमतों में वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप कुछ नरमी आने की आशा है, जो विश्व स्तर पर विनिर्माण संबंधी मांग में मंदी को दर्शाता है। देशी रबी उत्पादन में कमी तथा चालू खरीफ तिलहन फसल के तहत सामान्य क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी को देखते हुए, तिलहन/खाद्य तेल/खली की कीमतों से दबाव बने रहने की आशा है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप कच्ची रूई की देशी कीमतों में तेजी, 8 अगस्त 2008 तक खरीफ फसल के क्षेत्र में तेज गिरावट को देखते हुए, 2008-09 के दौरान बने रहने की संभावना है, जिसका असर वस्त्रों की कीमतों पर होगा जैसाकि हाल में देखा गया है (मार्च 2008 के अंत की तुलना में वस्त्रों के थोक मूल्य सूचकांक में लगभग 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है)। इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अंतरण तथा कतिपय प्रमुख पण्यों के देशी मांग-आपूर्ति असंतुलन दोनों के कारण वर्ष के शेष भाग में आपूर्ति पक्ष से हो रहे मुद्रास्फीतिकारी दबावों का सतर्कतापूर्वक आकलन किए जाने की जरूरत है।

I.39 साथ ही, मुद्रास्फीति में वृद्धि इस बात का संकेत देती है कि घरेलू मांग पर दबाव तेज हुआ है जैसाकि स्थिर निवेश की बनी हुई शक्ति, सांकेतिक क्षेत्र के ऊपर मौद्रिक समुच्चयों में वृद्धि, बैंकों की वृद्धिशील खाद्येतर ऋण जमा अनुपात में वृद्धि तथा विकसित हो रही राजकोषीय स्थितियों में दिखाई देता है। जहाँ पूँजीगत प्रवाहों में कमी आई है, वहीं पूँजीगत प्रवाहों की दिशा में संभावित परिवर्तन का भी निरंतर मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। 2008-09 के शुरू के महीनों में राजकोषीय गतिविधियां केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर कुछ दबाव को दर्शाती हैं। बढ़ रही बजट-बाह्य देयताओं तथा सब्सिडी, वर्ष के शेष भाग में ऋण माफी और वेतन पर बढ़े हुए व्यय को देखते हुए राजकोषीय स्थिति पर कड़ी और सतर्कतापूर्ण निगरानी रखे जाने की जरूरत है। आम तौर पर राजकोषीय नीति में प्रतिचक्रिय स्थिरकारक के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके द्वारा सकल मांग में दबाव की अवधि में सरकारी व्यय को नियंत्रित किया जाता है और उच्चतर राजस्व का अर्जन किया जाता है, तथा मंदी की स्थिति में सरकारी व्यय बढ़ा दिया जाता है तथा राजस्व अर्जन संबंधी कार्य को धीमा कर दिया जाता है। तथापि, भारत में सरकारी व्यय की अनम्यता प्रतिचक्रिय राजकोषीय

नीति के परिचालन में बाधक है। वस्तुतः भारत में सरकारी वित्त ऐसे समय में दबाव की स्थिति में है जब अर्थव्यवस्था पहले से ही मांग दबावों का सामना कर रही है।

I.40 2008-09 (20 अगस्त 2008 तक) के दौरान भारतीय वित्तीय बाजार काफी हद तक व्यवस्थित बने रहे। मुख्यतः रिजर्व बैंक के पास केंद्र सरकार के नकदी शेषों में घटबढ़ तथा पूँजी प्रवाहों में परिवर्तन के कारण मुद्रा बाजार में अस्थिरता का संक्षिप्त दौर देखा गया। रात भर के मुद्रा बाजार में ब्याज दरें आम तौर पर रिवर्स रिपो तथा रिपो दरों द्वारा निर्धारित अनौपचारिक कारिडोर के भीतर रहीं। रात भर के मुद्रा बाजार के संपार्श्विक खंड में ब्याज दरें मांग दर के नीचे बनी रहीं। विदेशी मुद्रा बाजार में अधिकांश भाग में भारतीय रुपये में तेल की कीमतों में तेजी आने तथा डालर की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए अमरीकी डालर की तुलना में मूल्यनस हुआ। सरकारी प्रतिभूति बाजार में आय में तेजी आई। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी बाजारों की प्रवृत्तियों के अनुरूप उच्च अस्थिरता के बीच भारतीय इक्विटी बाजारों में जुलाई 2008 के मध्य तक करेक्शन देखा गया, जो वैश्विक कारकों (वैश्विक मुद्रास्फीति, कंपनियों की आय में कमी तथा तेल की कीमतों में वृद्धि की आशंका) तथा देशी कारकों (मुद्रास्फीति में वृद्धि, उच्चतर उधार लागत और कम हो रही औद्योगिक वृद्धि) के प्रभाव को दर्शाता है। जुलाई 2008 के मध्य से, देशी स्टॉक बाजारों में सुधार हुआ, जो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी एवं प्रमुख वैश्विक इक्विटी सूचकांकों में वृद्धि को दर्शाता है। तथापि, 20 अगस्त 2008 को देशी शेयर बाजार सूचकांक उनके मार्च 2008 के अंत के स्तरों से नीचे रहे।

I.41 2007-08 की पहली तिमाही की तुलना में 2008-09 की पहली तिमाही में पण्य निर्यातों की वृद्धि में तेजी आई, जबकि आयातों में कुछ कमी आई। डीजीसीआइएंडएस के अनुसार, अप्रैल-जून 2008 के दौरान पण्य निर्यातों में 22.4 प्रतिशत (एक साल पहले 20.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तेल आयातों में उच्चतर वृद्धि (23.9 प्रतिशत की तुलना में 50.4 प्रतिशत) की अगुवाई में आयातों में 29.8 प्रतिशत (एक साल पहले 38.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि तेल से इतर आयातों में वृद्धि में कमी आई (45.1 प्रतिशत की तुलना में 20.9 प्रतिशत)। तेल के आयातों में वृद्धि में आई तेजी मुख्य रूप से कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है। व्यापार घाटा

अप्रैल-जून 2007 के 21.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-जून 2008 में 30.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

I.42 2008-09 (अगस्त 2008 के शुरू तक) में पूंजी प्रवाह अस्थिर थे। 2008-09 के दौरान अब तक निवल पूंजी प्रवाह 2007-08 की तदनु रूप अवधि की तुलना में कम थे, जिसका मुख्य कारण था - एक साल पहले विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के निवल अंतर्वाह (10.1 बिलियन अमरीकी डालर) के विपरीत 2008-09 (8 अगस्त 2008 तक) में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बहिर्वाह (4.7 बिलियन अमरीकी डालर)। दूसरी ओर, भारत में एफडीआई का निवल प्रवाह अप्रैल-जून 2007 के 5.0 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल-जून 2008 में 10.1 बिलियन अमरीकी डालर पर उच्चतर था। विदेशों में एडीआर/जीडीआर निर्गमों के जरिए जुटाई गयी निधियां भी अप्रैल-जून 2007 (316 मिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में अप्रैल-जून 2008 में उल्लेखनीय रूप से अधिक (999 मिलियन अमरीकी डालर) थीं। अनिवासी भारतीय जमाराशियों में मुख्यतः रुपया जमा खातों के तहत अंतर्वाहों के कारण अप्रैल-जून 2007 के निवल बहिर्वाह (446 अमरीकी डालर) की तुलना में अप्रैल-जून 2008 में निवल अंतर्वाह (360 मिलियन अमरीकी डालर) दर्ज किया गया। 15 अगस्त 2008 को विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में मार्च 2008 के अंत के स्तर की तुलना में 13.5 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट दर्ज की गई।

I.43 रिजर्व बैंक ने 2008-09 (अप्रैल 2008) के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में वास्तविक जीडीपी वृद्धि को नीतिगत प्रयोजनों के लिए 8.0 - 8.5 प्रतिशत के दायरे में रखा तथा ऐसा करते हुए यह कल्पना की गई कि (क) वैश्विक वित्तीय तथा पण्य बाजार और वास्तविक अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर उस समय आकलित केंद्रीय परिदृश्य के अनुरूप होंगे; तथा (ख) घरेलू स्तर पर सामान्य मानसून की स्थिति रहेगी। सकल मांग पर मौद्रिक नीति के विलंबित और संचयी प्रभावों को देखते हुए तथा यह मानते हुए कि आपूर्ति प्रबंधन सहायक होगा, पूंजीगत प्रवाहों का सक्रिय रूप से प्रबंधन किया जाएगा तथा देशी अथवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल परिस्थितियों के अभाव में वक्तव्य में नोट किया गया कि मुद्रास्फीति को 7.0 प्रतिशत के ऊपर के स्तर से कम करके 2008-09 में लगभग 5.5 प्रतिशत पर लाने के लिए नीतिगत प्रयास किया जाएगा तथा विश्व स्तर पर प्रेषित मुद्रास्फीति में उत्पन्न हो रही जटिलताओं को स्वीकार करते हुए यथासंभव यथाशीघ्र उसे 5.0

प्रतिशत के निकट लाने को तरजीह दिया जाएगा। वार्षिक नीति वक्तव्य के अनुसार आगे यह संकल्प बना रहेगा कि मुद्रास्फीति के लिए नीति और अवधारणाओं को 4.0-4.5 प्रतिशत के दायरे में रखा जाए ताकि भारत के वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापक समेकन एवं मध्यावधि में स्वयं-त्वरक वृद्धि को बनाए रखने के लक्ष्य के अनुरूप लगभग 3.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर मध्यावधि लक्ष्य बन जाए।

I.44 मौद्रिक नीति के वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा में जुलाई 2008 में यह नोट किया गया कि जहां अप्रत्याशित मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के अभाव में आर्द्रता की परिस्थितियां कृषि में वृद्धि की मध्यावधि से ऊपर की प्रवृत्ति को जारी रखने को समर्थन देंगी, वहीं अल्पावधि में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में अभी भी सुदृढ़ गति के बावजूद, मंदी आ सकती है। यह भी नोट किया गया कि आईएमएफ के अनुसार, 2008 में विश्व जीडीपी वृद्धि में भी, विश्व जीडीपी वृद्धि पर दूसरे दौर के प्रभावों के साथ, 2007 की तुलना में 1 प्रतिशत अंक के निकट की कमी आने की आशा है। तदनुसार, यह सूचित किया गया कि समस्त मांग और आपूर्ति की संभावना को ध्यान में रखते हुए नीतिगत प्रयोजनों के लिए वर्तमान स्थिति में, देशी अथवा विदेशी आघातों को छोड़कर, वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 8.0 प्रतिशत होने का अनुमान एक अधिक यथार्थ केंद्रीय परिदृश्य प्रतीत हो रहा था। पहली तिमाही की समीक्षा में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि मुद्रास्फीति में वृद्धि वैश्विक प्रवृत्ति बन गई है तथा पिछले साल की तुलना में भारत में मुद्रास्फीति में वृद्धि अन्यत्र की तुलना में अनुपातिक तौर पर अलग नहीं थी। समीक्षा के अनुसार जहां नीतिगत कार्रवाइयों का उद्देश्य मुद्रास्फीति को उसके प्रचलित असहनीय स्तर से नीचे लाकर उसे यथाशीघ्र 5.0 प्रतिशत से नीचे के सहनीय स्तर पर तथा मध्यावधि में लगभग 3.0 प्रतिशत पर ले जाया जाएगा, नीतिगत यथार्थ प्रयास यह होगा कि मुद्रास्फीति को लगभग 11.0-12.0 प्रतिशत के प्रचलित स्तर से नीचे लाकर 31 मार्च 2009 तक उसे 7.0 प्रतिशत के नजदीकी स्तर तक लाया जाए।

I.45 वार्षिक नीति वक्तव्य के अनुसार 2008-09 में मौद्रिक नीति का रुख बढ़ी हुई तथा अस्थिर खाद्य एवं ईंधन की कीमतों से उत्पन्न मुद्रास्फीतिकारी दबावों द्वारा, जो वैश्विक तथा देशी अर्थव्यवस्था दोनों के लिए सांसर्गिकता के कुछ तत्वों सहित सामान्य थे, नियंत्रित होगा। कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना के बारे में वैश्विक

अर्थव्यवस्था की तुलना में अनिश्चितता कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि में आनेवाली कमी वैश्विक अर्थव्यवस्था, जिसमें वृद्धि में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है, की तुलना में न्यूनतर रहने की संभावना है। तदनुसार, नीति निर्धारण में घरेलू कारकों की प्रमुखता बनी रहेगी तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं पर बल दिया जाएगा ताकि भारत की वृद्धि की गति के परिणाम तथा सकारात्मक रुख दोनों के रूप में कठिनाई से अर्जित लाभ को बनाए रखा जा सके। जहां भारत में मांग संबंधी दबाव बना हुआ है तथा निवेश की मांग सुदृढ़ बनी हुई है, वहीं अतिरिक्त क्षमता निर्माण के साथ आपूर्ति संबंधी प्रतिसाद में और अधिक सुधार आने की संभावना है। अतः वैश्विक एवं घरेलू दोनों गतिविधियों के संबंध में प्रत्याशाओं को नियंत्रित करना मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होगा। तदनुसार, वार्षिक नीति वक्तव्य में मौद्रिक नीति के समय रुख द्वारा मोटे तौर पर यह सुनिश्चित किया जाना था कि एक ऐसा मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण तैयार हो जो मूल्य संबंधी स्थिरता, सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तथा वित्तीय बाजारों में व्यवस्थित स्थिति को उच्च प्राथमिकता प्रदान करे तथा वृद्धि की गति को जारी रखने में सहायक हो।

I.46 पहली तिमाही की समीक्षा में 2008-09 के लिए वार्षिक नीति के रुख को दुहराते हुए यह नोट किया गया कि मौद्रिक नीति द्वारा समय पर तथा निरंतर आधार पर नपेतुले प्रतिसाद जारी रखकर स्पष्ट रूप से दिखनेवाले मांग के समस्त दबावों का समाधान किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। सितंबर 2004 के प्रारंभ से विभिन्न नपेतुल प्रतिसाद, जिन्होंने 2006-07 में उभरे हुए ओवरहीटिंग के आरंभिक संकेतों को कम कर दिया था, निकट भविष्य में मुद्रास्फीति को कम कर अधिक स्वीकार्य स्तरों तक नीचे लाने के लिए आपूर्ति पक्ष संबंधी उपायों के साथ काम करना जारी रखेंगे। मौद्रिक नीति के रुख तथा देशी और वैश्विक समष्टि आर्थिक एवं वित्तीय गतिविधियों के बारे में आनेवाली जानकारी के अनुरूप रिजर्व बैंक मौद्रिक निभाव के आहरण की नीति जारी रखेगा। अंतर्निहित मुद्रास्फीतिकारी दबावों में क्रमिक वृद्धि को देखते हुए मौद्रिक नीति में यह स्वीकार किया गया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आधार पर मांग को कम करने और समायोजित करने की जरूरत है ताकि मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित किया जा सके।

I.47 तदनुसार, 2007-08 (अप्रैल-मार्च) तथा 2008-09 (अगस्त तक) में रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति संबंधी सख्त उपाय करना

जारी रखा। 2007-08 के दौरान नकदी आरक्षित निधि अनुपात में तीन चरणों में 150 आधार अंकों की वृद्धि कर उसे 6.0 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत कर दिया गया। 14 अप्रैल 2007 तथा 28 अप्रैल 2007 को प्रारंभ पखवाड़ों से सीआरआर में 50 आधार अंकों, प्रत्येक बार 25 आधार अंकों, की वृद्धि की गई। इसके बाद 4 अगस्त 2007 से शुरू पखवाड़े से 50 आधार अंकों की और वृद्धि करके उसे 7.0 प्रतिशत कर दिया गया। 10 नवंबर 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से सीआरआर में 50 आधार अंकों की और वृद्धि कर उसे 7.5 प्रतिशत कर दिया गया। 2008-09 (अगस्त 2008 तक) के दौरान रिजर्व बैंक ने चार चरणों में सीआरआर में 150 आधार अंकों की और वृद्धि करके उसे 9.0 प्रतिशत कर दिया। चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत रिपो दर में 12 जून 2008 से 25 आधार अंकों की वृद्धि की गई तथा 25 जून 2008 से 50 आधार अंकों की और वृद्धि कर उसे 8.5 प्रतिशत तथा 30 जून 2008 से और बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रकार, सितंबर 2004 के बाद सीआरआर और रिपो दर में संचयी वृद्धि क्रमशः 450 आधार अंक और 300 आधार अंक की थी। मौद्रिक नीति में मापी गयी सख्ती का यह निरंतर और सुनियोजित दृष्टिकोण अपेक्षित स्तरों पर वृद्धि की गति को बनाये रखते हुए मूल्य तथा वित्तीय स्थिरता बनाये रखने के प्रति रिजर्व बैंक की स्पष्ट वचनबद्धता को दर्शाता है।

I.48 सारांश में, भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना वैश्विक जोखिमों के अलावा देशी जोखिमों के उद्घाटन पर भी निर्भर है। जहां औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के कार्यकलाप में मंदी आई है, वहीं कृषि की संभावना मानसून की प्रगति पर निर्भर बनी रहेगी। अनाज की देशी कीमतों की संभावना कृषि उत्पादन व्यवहार पर निर्णायक रूप से निर्भर होती है। देशी उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए आयातों का उपयोग सिर्फ सीमित मात्रा तक किया जा सकता है। अल्पावधि में, उत्पादन मोटे तौर पर मौसम की स्थितियों (वर्षा के स्तर और उसके अंतर-मौसम वितरण) और उनके क्षेत्रीय स्वरूप पर निर्भर होती है। मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम तेजी से बढ़ गई है तथा बनी हुई प्रतीत होती है। जहां मुद्रास्फीतिकारी दबाव संक्रामकता के कुछ तत्वों सहित उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, भारत सहित, दोनों में सामान्य तौर पर मौजूद हैं, वहीं अन्य अर्थव्यवस्था की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावना के बारे में अनिश्चितता कम है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय मंदी की आशा है, जबकि उससे

भिन्न भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊंचे स्तर पर बनी हुई वृद्धि में थोड़ी मंदी देखे जाने की संभावना है। तथापि, वैश्विक गतिविधियों और मांग के देशी दबावों के द्वारा मुद्रास्फीतिकारी दबावों को कम करने के संदर्भ में मौद्रिक नीति का संचालन जटिल होता जा रहा है।

वास्तविक क्षेत्र

कृषि

1.49 प्रमुख खाद्यान्न मदों की वैश्विक कीमतों में निरंतर हो रही वृद्धि, जो 2006 से प्रारंभ है, का प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से घरेलू कृषि क्षेत्र पर और समग्र समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ रहा है। जुलाई 2008 में (साल-दर-साल) चावल (140 प्रतिशत), गेहूँ (38 प्रतिशत), तिलहन (40-77 प्रतिशत), खाद्य तेल (34-68 प्रतिशत) और शक्कर (33 प्रतिशत) जैसे खाद्यान्नों की कई मदों की वैश्विक कीमतें एक वर्ष पूर्व की कीमतों के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से अधिक रहीं। निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति को परिलक्षित करते हुए खाद्यान्न मूल्य सूचकांक (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संकलित), जिसमें 2006 में 10.5 प्रतिशत और 2007 में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, में जुलाई 2008 में वर्ष दर वर्ष आधार पर 40 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। यह वृद्धि विगत 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पहले की वृद्धि स्तर को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। मांग के पक्ष की बात करें तो आबादी में वृद्धि और आबादी के खान-पान, आय में आए बदलाव और वैश्वीकरण एवं शहरीकरण के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि के अलावा खाद्य के निरंतर हो रहे अखाद्य उपयोगों के लिए विविधीकरण, जैसे- तेल की बढ़ती हुई कीमतों के परिणामस्वरूप जैविक तेल का उत्पादन, ने भी खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाने में मदद की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुसार, 2006-07 के दौरान मक्के के वैश्विक उपभोग में हुई वृद्धि में तीन-चौथाई के लिए भुट्टा (कॉर्न) आधारित ईथानोल का उत्पादन जिम्मेदार है। इसके कारण न सिर्फ भुट्टे की कीमतें ही बढ़ीं बल्कि अन्य खाद्य फसलों की कीमतें भी बढ़ गईं। इस विपथन को रोकना निम्नलिखित पर निर्भर होगा (क) ऐसी नीतियों, जो जैव तेल उत्पादन के लिए खाद्य के उपयोग को प्रोत्साहन दें, में भविष्य में सुधार करना होगा; (ख) प्रौद्योगिकी के विकास में उन्नति, जो खाद्य और पशुओं के चारे की जगह पर सेल्यूलोसिक चारा भंडार पर आधारित अर्थक्षम जूंसरी पीढ़ीट जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा दे; और (ग) तेल की

भविष्य की कीमतें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आपूर्ति पक्ष में, भूमि और जल की बाधाएं, ग्रामीण आधारभूत संरचना में कम निवेश, निविष्टियों तक पहुंच न होना, और बुरे मौसम ने कृषि में उत्पादकता वृद्धि और अपेक्षित उत्पादन प्रतिसाद को कमजोर किया है। प्रमुख खाद्य फसलों, जिनके उत्पादन स्तरों का हाल के वर्षों में बढ़ रही मांग वृद्धि साथ कोई मेल नहीं था, के इन्वेंटरी स्तरों में आई कमी उतनी थी जो अंतिम बार 1970 के दशक में दिखाई पड़ी थी। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कृषकों को उनके खाद्यान्न और अन्य कृषिगत उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नीतिगत प्रोत्साहनों के अभाव पर सर्वसम्मति उभर रही है। इसके अलावा संभवतः जलवायु में परिवर्तन के कारण बनी सूखे की स्थितियों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और उक्रेन जैसे मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में, के कारण भी उत्पादन में कमी आयी। खराब मौसम के कारण लगातार दूसरे वर्ष 2007 में भी वैश्विक स्तर पर गेहूँ की उपज में कमी आयी, जिसके परिणामस्वरूप गेहूँ की कीमतों में वृद्धि हुई और इसका प्रसार अन्य फसलों में भी विस्थापन प्रभावों के चलते हुआ। तेल की ऊंची कीमतों ने खाद्य वस्तुओं की उत्पादन कीमतों में वृद्धि की और दुलाई लागत को बढ़ा दिया तथा इस प्रकार उच्च उत्पादन लागतों को देखते हुए उत्पादन की गतिविधियां बाधित हुईं। अंतिम तौर पर, वित्तीय बाजार अस्थिरता के परिप्रेक्ष्य में नीति दरों में कमी, विशेष रूप से अमरीका में, और नयी और सुरक्षित आस्तियों के लिए निवेशकों की खोज ने इन्वेंटरी धारिताओं को वित्तीय रूप से आकर्षक बनाकर वस्तु व्यापार के वित्तीयन को बढ़ावा दिया होगा और ऐसा करके खाद्य कीमतों में और अधिक अस्थिरता लायी होगी।

1.50 हाल में भारत में भी अनाज की कीमतों में तेजी आई है। तथापि, भारत में जून 2007 के अंत की तुलना में जून 2008 के अंत में विभिन्न फसलों, यथा चावल (7 प्रतिशत), गेहूँ (5 प्रतिशत), तिलहन (18 प्रतिशत) तथा खाद्य तेल (17 प्रतिशत), के थोक मूल्यों में हुई वृद्धि विश्व में अनाज की कीमतों में हुई वृद्धि की तुलना में काफी कम थी। अनाज के उत्पादन में नई ऊंचाई तक पहुंचना तथा सरकारी खरीद में उल्लेखनीय सुधार के फलस्वरूप वर्तमान अवधि में भंडार की स्थिति सुखद रही तथा उसके कारण भारत में अनाज की कीमतों में अनुचित उछाल को नियंत्रित किया जा सका। साथ ही कृषि उत्पादन के संबंध में कुछ चिंताएं भी उत्पन्न हुई हैं। कृषि का कार्य-निष्पादन अनिवार्य रूप से मानसून-चालित बना हुआ है। अनाज और दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

में भी कमी आई है। अनाजों का प्रति व्यक्ति उपभोग 1990-91 के 468 ग्राम प्रति दिन के ऊंचे स्तर से गिरकर 2005-06 में 412 ग्राम प्रति दिन हो गया, जबकि उसी अवधि में दालों का उपभोग 42 ग्राम प्रति दिन से गिरकर 33 ग्राम प्रति दिन हो गया।

I.51 यद्यपि भारत में वास्तविक जीडीपी में कृषि का हिस्सा एक बटा पांच से भी कम था, तथापि यह प्रमुख क्षेत्र बना रहा क्योंकि इस क्षेत्र में वर्क फोर्स का 52 प्रतिशत नियोजित है। कृषि में वृद्धि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में देखी गई वृद्धि दरों से कम रही है। वृद्धि संबंधी कार्य-निष्पादन में ये अंतर-क्षेत्रीय भिन्नताएं अन्य क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों की तुलना में कृषि में नियोजित व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय में विभेदक वृद्धि का मुद्दा उठाती हैं। अतः भविष्य की नीति द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि श्रम का गुरुतर उपयोग उद्योग और सेवाओं में हो, ताकि कृषि में श्रम की उत्पादकता तथा उससे आय का स्तर बढ़ाया जा सके।

I.52 एक ओर कृषि में उत्पादकता में गतिरोध और दूसरी ओर वृद्धिशील आय और उपभोग पैटर्न में परिवर्तनों ने मुख्य कृषि वस्तुओं के मामले में मांग-आपूर्ति के संतुलन को बिगाड़ दिया। निवल बुआई क्षेत्र में मंद वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में सकल फसली क्षेत्र (बहु फसल) में वृद्धि, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती बनी रही। यद्यपि कुल सिंचाई क्षमता 1991-92 के 81.1 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2006-07 में 102.8 मिलियन हेक्टेयर (अंतिम सिंचाई क्षमता के तीन-चौथाई से भी कम) हो गई थी परंतु लगभग 85 प्रतिशत मात्र का उपयोग किया जा सका। पिछले कुछ वर्षों में, बुआई का मौसम प्रारंभ होने से पूर्व, आधार मूल्य (बोनस सहित) तय करते हुए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करने का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहन देना था और इसके कारण खरीद में सुविधा हुई। 2004-05 की तुलना में 2007-08 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में ऊर्ध्वगामी संशोधन हुए यथा - सामान्य धान (33 प्रतिशत), गेहूं (56 प्रतिशत), मूंग और उड़द (प्रत्येक 23 प्रतिशत), अरहर (14 प्रतिशत) और जूट (19 प्रतिशत)। अन्य देशों की तुलना में भारत में फसलों की उत्पादकता न सिर्फ कम रही, बल्कि बड़े पैमाने पर अंतरराज्य घट-बढ़ भी दर्शाती है। इसके अलावा वास्तविक उपज भी ऊंचाई को छू न सकी, जो सिर्फ उन्नत

प्रथाओं के द्वारा संभव हो सकता था जैसाकि ग्यारहवीं योजना के लिए कृषि पर स्थायी समिति के द्वारा टिप्पणी की गयी है।

I.53 ओईसीडी-एफएओ एग्रिकल्चरल आउटलुक 2007-2016 के अनुसार, अगले 10 वर्षों में कृषि वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में उनके ऐतिहासिक संतुलन स्तरों से भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है। जब तक घरेलू मांग-आपूर्ति असंतुलन के मुद्दे का समाधान करने के ठोस उपाय नहीं किए जाते, तब तक इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। जहाँ आयातों के साथ-साथ व्यापार और राजकोषीय उपाय अल्पावधि के लिए आपूर्ति-मांग असंतुलों को ठीक कर सकते हैं, वहीं मध्यम से दीर्घ अवधि में आपूर्ति-मांग असंतुलों को ठीक करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि देशी खाद्यान्न प्रबंध के द्वारा बफर स्टॉक के पर्याप्त स्तरों को बनाकर रखा जाता है। आगे, खाद्यान्न उत्पादन में समग्र सुधार और बफर स्टॉक स्तर में वृद्धि आपूर्ति की कमी को पूरा करेगी, मुद्रास्फीति संभावनाओं को दबायेगी, विश्वव्यापी तीव्रगामी खाद्य संकट के संदर्भ में आयातों को कम करेगी तथा खाद्य सुरक्षा मजबूत करेगी। इस संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता बनाये रखना सुनिश्चित करने के दौरान यह आवश्यक है कि जब मांग आपूर्ति की खाई पहले से ही दुर्गम रह रही हो, ऐसे में बाजार आपूर्ति के लिए बफर स्टॉक निर्मित करने के संभावित अनायास परिणामों से सावधानीपूर्वक बचा जाए।

I.54 दीर्घावधि समाधान के लिए आवश्यक है कि कृषिगत संरचनात्मक दुर्बलताओं जैसे- चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों की उपज संभावना का समाप्त होना, असंतुलित उर्वरक उपयोग, न्यून बीज प्रतिस्थापन दर, अपर्याप्त प्रोत्साहन प्रणाली और फसल कटने के बाद मूल्ययोजन को दूर किया जाए। उपज वृद्धि में कमी, नयी किस्मों की सीमित खोज, कृषि निवेश में कमी, विस्तारित सेवाओं का प्रायः अभाव और नमी की सघनता के प्रति कम लचीलापन, कीट-पतंगों के हमले और बढ़ती हुई निविष्टि लागत, विशेष रूप से उर्वरक और ईंधन की लागत, के कारण कृषि की उत्पादकता अवरुद्ध हुई है। अतः कृषि में विस्तृत आमूलचूल परिवर्तन कार्यक्रम नीति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष में उच्च उपज देने वाली किस्में (विशेष रूप से गेहूं और दालों के लिए, जहाँ घरेलू उत्पादन क्षमता अभी भी अपर्याप्त है) विकसित की जा सकें, आश्वासित सिंचाई वाले क्षेत्रों का विस्तार किया जा सके और अनुसंधान एवं विस्तार नेटवर्क

के माध्यम से प्रौद्योगिकी का त्वरित प्रसार प्रारंभ किया जा सके। इसके अलावा स्थानीय संसाधन उपलब्धता, क्षमताओं और साथ ही रुकावटों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशेष के लिए अलग कृषि नीति कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

1.55 मांग आपूर्ति असंतुलनों को दूर करने के लिए हाल में की गयी पहलों में एक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2007 में की गयी है, जो चावल, गेहूँ और दालों के संबंध में ग्यारहवीं योजना के लिए मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करता है। मिशन की नीति है आधुनिक प्रौद्योगिकी और उन्नत कृषि संबंधी व्यवहारों को प्रचलन में लाकर संभावित क्षेत्रों में उपज के अंतर को भरना। यह उपाय 2011-12 तक खाद्यान्नों के लिए लगभग 19 मिलियन टन की अनुमानित अतिरिक्त आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए महत्वपूर्ण तरीका है। दूसरे, राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्य योजना स्कीम, जो अगस्त 2007 में अनुमोदित की गयी थी) के माध्यम से ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि और अनुषंगी कार्य में सरकारी निवेश में अपने हिस्से में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित होंगी। तीसरे, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2007 का अनुमोदन भी सरकार द्वारा किया गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ कृषि विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण उपलब्ध कराती है। चौथे, उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन का ढांचा तैयार करने हेतु आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 12 जून 2008 को सभी सब्सिडी-प्राप्त उर्वरकों के लिए एक न्यूट्रिएंट आधारित मूल्य नीति का अनुमोदन किया। देश के सभी भागों में उर्वरकों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट समिति ने सभी सब्सिडी-प्राप्त उर्वरकों के लिए एक समान मालभाड़ा सब्सिडी नीति का भी अनुमोदन किया, जिसके द्वारा वास्तविक मालभाड़े की प्रतिपूर्ति के द्वारा देश के सभी भागों में उर्वरकों की उपलब्धता, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो उत्पादन सुविधाओं और बंदरगाहों से दूर हैं, सुकर हो जाएगी।

1.56 आगे, कृषि में संपूर्ण संभावनाओं का दोहन करने के लिए कृषि अनुसंधान प्रणाली को आधुनिक बनाने पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि अभी तक कुछ फसलों तक ही हमारी सफलता सीमित रही है। यह प्राकृतिक संसाधन आधार में होते जा रहे क्षरण, विशेष रूप से नीचे गिरते जा रहे जल स्तर, जो छोटे और सीमांत किसानों पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है, को ध्यान में

रखते हुए अत्यावश्यक है। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, अनुसंधान के लिए सरकारी व्यय को उसके वर्तमान कृषिगत जीडीपी के 0.7 प्रतिशत से बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना के अंत तक 1.0 प्रतिशत करना चाहिए। दूसरे, यद्यपि कृषि में निवेश की दरें हाल के वर्षों में कुछ बढ़ी हैं, तथापि उनके स्तर अभी भी अपर्याप्त रहते हैं। कृषि में उत्पादकता वृद्धि अनिवार्य रूप से पूंजी निर्माण में वृद्धि, सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों से, पर निर्भर करता है। जीडीपी के अनुपात में कृषि में निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरे, बागवानी और पशुधन में कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इस विविधीकरण की नीति की सफलता के लिए कृषि विपणन की सर्वाधिक आवश्यकता होगी। चूंकि उच्चमूल्य कृषि नाशवान वस्तुओं पर आधारित होती है, अतः प्रेडिंग, पैदावार पश्चात प्रबंध की आधुनिक विधियों और शीतभंडारण गृहों की आपूर्ति शृंखला में भारी भरकम निवेश करना लाजिमी होगा। चौथे, उत्पाद तथा ऋण बाजारों में किसानों के सामूहिक प्रतिनिधित्व के लाभ को स्वीकार करना जरूरी है। कृषि का उत्पादन बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत छोटी और विखंडित धारिताओं में फैला है। चूंकि अधिकांश किसानों की निविष्टि और उत्पादन बाजारों तक पहुंच व्यक्तिगत आधार पर है, अतः वे इन बाजारों तक पहुंच तथा उन शर्तों के संबंध में जिन पर वे निविष्टियाँ प्राप्त कर सकते हैं और अपना उत्पाद बेच सकते हैं, दोनों ही के विषय में अत्यंत अलाभ की स्थिति में हैं। एक कानूनी ढांचा बनाना आवश्यक है जिससे स्वायत्त संगठनों (सहकारी संस्थाएँ, उत्पादक कंपनियाँ) के उभरने में सहायता और प्रोत्साहन मिले ताकि सामान्य तौर पर किसानों की (और विशेष तौर पर छोटे और सीमांत किसानों की) सौदा-शक्ति में सुधार लाया जा सके तथा इससे तीव्रतर, अधिक कार्यकुशल और अधिक साम्यिक वृद्धि के लिए प्रोत्साहनों को मजबूत किया जा सकेगा। वस्तुतः यह प्रतीत होता है कि वैधानिक और संस्थागत व्यवस्थाएँ वास्तविक बाजारों के परिचालन को बाधित करती हैं और इस प्रकार किसानों और कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संबंधित बाजारों में इस प्रकार की अड़चनों को दूर करने के लिए संगठित और तत्काल कार्रवाई करना अत्यावश्यक है। एक वैधानिक ढांचा जिससे छोटे और सीमांत किसान स्वायत्त संगठन स्थापित कर सकें और उनके माध्यम से वे सामूहिक तौर पर निविष्टियों तक पहुँच सकें और उत्पाद बेच सकें, बाजार को इस प्रकार बनाएगा कि वह उनकी आवश्यकताओं के प्रति अधिक अनुकूल

रूप में प्रतिक्रिया दिखाएगा और कृषि में निवेश की वृद्धि के लिए आधार प्रदान करेगा। पाँचवें, जल-संसाधन, बीज और उर्वरक जैसी निविष्टियों के कुशलतापूर्वक उपयोग को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। सार्थक नीतिगत प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान निविष्टियों के कुशलतापूर्वक उपयोग को संभव बनाने के लिए प्रोत्साहनों और निवारकों के उचित सेट कार्यसूची में अत्यंत ऊँचे स्थान पर होने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए किसानों को स्थानीय प्रशासन और अनुसंधान संस्थानों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। अंतिम रूप से हमें यह समझना होगा कि आबादी के एक बड़े भाग को खाद्य की सुलभता के रास्ते में लाइलाज गरीबी, बेरोजगारी और क्रयशक्ति का अभाव आड़े आते हैं। देश की आबादी का लगभग आधा भाग अभी भी लाइलाज कुपोषण से ग्रस्त है। कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के बावजूद घरेलू स्तर पर खाद्य, खाद्यसुरक्षा और पोषणयुक्त आहार में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों की प्राप्ति अभी भी शेष है। कृषि के लिए मध्यावधि संभावनाएं - मूल्य स्थिरता के साथ तीव्र वृद्धि बनाए रखने तथा ग्रामीण रोजगार और आय की वृद्धि दोनों के लिए महत्वपूर्ण - सिंचाई के लक्ष्य पूरा करने तथा वाटरशेड के विकास और तिलहनों एवं दालों जैसी फसलों के लिए एवं वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए उपज में सुधार वाली प्रौद्योगिकी के विकास पर निर्भर हैं। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता तथा सतत प्रबंधन के लिए संस्थाओं की कार्यप्रणाली सुधारने के समन्वित उपाय भी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें ऐसी मूल्य निर्धारण नीति के साथ संबद्ध किए जाने की जरूरत है जो किसानों को प्रमुख निविष्टियों के अधिक विवेकपूर्ण और किफायती उपयोग के लिए प्रेरित करे। इस प्रकार चुनौती चहुंमुखी आयामों में तीव्रतर और अधिक समावेशक वृद्धि करने की सरकार रणनीति के कार्यान्वयन के लिए सतत कार्यरत रहना है। इस स्तर पर ऊपर बताए अनुसार मोटे तौर पर व्यापक दृष्टिकोण न सिर्फ मूल्य स्थिरता के आश्वासन के लिए, अपितु साथ ही समता, रोजगार सृजन और अत्यधिक वंचित लोगों सहित बहुसंख्यक परिवारों के कल्याण को प्रभावित करने वाले उत्पादन वृद्धि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उद्योग और आधारभूत संरचना

I.57 औद्योगिक वृद्धि, जो 2002-03 से 2006-07 के दौरान तीव्र गति से बढ़ी थी, 2007-08 में धीमी पड़ गयी, जो आधार प्रभाव के अतिरिक्त कुछ घरेलू और बाह्य मांग में कमी को दर्शाती है। जहाँ विनिर्मित निर्यातों में एक वर्ष पूर्व के 17.0 प्रतिशत की तुलना में 2007-

08 के दौरान 19.1 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज हुई, वहीं कम आयात-सघनता वाले कुछ निर्यातोन्मुख उद्योगों का निष्पादन कमजोर रहा। कच्चे तेल की कीमतों और वस्तुओं, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए निविष्टि का कार्य करते हैं, की कीमतों में वृद्धि ने औद्योगिक उत्पादन की लागत बढ़ा दी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में, मुख्य रूप से टिकाऊ वस्तुओं में, गिरावट अंशतः उन मर्दों के उत्पादन में कमी की वजह से थी जो अब प्रचलन से बाहर हो चुकी हैं। तथापि, नई मर्दों के प्रति उपभोक्ता प्रवृत्ति में बदलावों को 1993-94 आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) की वर्तमान श्रृंखला में विस्तृत रूप से नहीं दिखाया जा रहा है। इस प्रकार टिकाऊ वस्तुओं के सेगमेंट में दर्ज गिरावट काफी हद तक बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई गयी है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र को विभिन्न आपूर्ति व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। ये व्यवधान सीमेंट और स्टील क्षेत्रों में कमी के कारण थे जो इनके दामों में आये उछाल में परिलक्षित होता है। अन्य व्यवधानों में विशेष रूप से उद्योग विशिष्ट की सीमित क्षमता, पावर की अपर्याप्त उपलब्धता और दुलाई और अन्य आधारभूत संरचना के व्यवधान सम्मिलित हैं, जिनके कारण उत्पादन पर दबाव पड़ा।

I.58 विनिर्माण क्षेत्र के निष्पादन में अन्य संबंधित मुद्दा निविष्टि लागत, विशेष रूप से उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री, और अल्पावधि मुद्रास्फीति से संबंधित है। धातु और खनिज पदार्थों में बढ़ी मांग, जो औद्योगिक वृद्धि को बनाए रखती है, ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों दोनों पर ही ऊर्ध्वगामी दबाव डाला। बढ़ी हुई कीमतों से थोड़ी राहत देने के लिए बजट 2008-09 में न्यून शुल्क और कर के रूप में राजकोषीय उपाय किये गये। तथापि मध्यावधि समाधान यही है कि आपूर्ति में सुधार और आधारभूत संरचना का विकास किया जाए। इस दिशा में किये गये समन्वित प्रयासों से व्यवधान हटेंगे, जो उत्पादकता में वृद्धि को रोकते हैं और परिणामस्वरूप अक्षमता को बढ़ावा देते हैं।

I.59 वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए, विशेष रूप से मल्टीफाइबर करार युग के बाद, सरकार ने तीन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये क्षेत्र हैं - स्थायी नीति परिवेश, प्रौद्योगिकीय उन्नयन के माध्यम से आधुनिकीकरण और भारतीय वस्त्र के लिए वैश्विक ब्रांड निर्मित करना। रूप में मूल्यवृद्धि के अतिरिक्त आयातक देशों की मांग की स्थितियों ने भी भारत से वस्त्र निर्यात पर प्रभाव डाला है। कठिनाइयों से पार पाने के लिए वस्त्र निर्यातकों को सक्षम बनाने हेतु,

सरकार ने जुलाई 2007 और नवंबर 2007 में उपायों के एक सेट की घोषणा की। भारतीय वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रौद्योगिकीय उन्नयन, बेहतर उत्पाद डिजाइनिंग और निर्यात विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

I.60 अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में होती वृद्धि 2008-09 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि के लिए गंभीर अधोमुखी जोखिम है। तेल की ऊंची कीमतों के कारण दुलाई लागत बढ़ती है जो उत्पादन की लागत और उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि करती है तथा जो आगे विनिर्माण क्षेत्र के लिए समग्र मांग स्थितियों पर विपरीत प्रभाव डालती है। विशेष रूप से पावर की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण भारत में कई विनिर्माण इकाइयां कैपिटिव पावर संयंत्रों, जो डीजल चालित होते हैं, पर निर्भर हैं। इन इकाइयों पर तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव अधिक तीव्र हो सकते हैं। निविष्टि लागत में वृद्धि भी ग्राहक टिकाऊ वस्तु उद्योग को और प्रभावित कर सकती है।

I.61 मूलभूत संरचना क्षेत्र में निष्पादन चिंता का विषय बना हुआ है। विद्युत क्षेत्र का निष्पादन क्षमता व्यवधानों के कारण प्रभावित हुआ है जो अन्य बातों के साथ-साथ कोयला और राख हैंडलिंग इकाइयों से संबंधित समस्याओं और जल उपलब्धता तथा नई पावर क्षमताओं की स्थापना के कार्यान्वयन में मंदी की समस्या के कारण है। इन समस्याओं ने नयी इकाइयों के वाणिज्यिक परिचालन में रुकावट पैदा की और थर्मल और हायड्रो पावर प्लांट दोनों में ही विद्युत उत्पादन को प्रभावित किया। चूंकि औद्योगिक विकास के लिए निरंतर गुणवत्तायुक्त पावर की आपूर्ति मूल आवश्यकता है, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना के अंत तक वर्तमान 9 प्रतिशत से अधिक पावर की कमी से बाहर निकलने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि सरकार का क्षमता वृद्धि कार्यक्रम यह दर्शाता है कि पावर क्षेत्र में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान लक्ष्य क्षमता का लगभग 64 प्रतिशत मात्र ही बढ़ाया जा सका। चूंकि पावर लगभग सभी आर्थिक कार्यकलापों में मूल निविष्टि है, पावर सेक्टर में परियोजना विलंब के कारण वृद्धि की अनुमानित उच्च दरों को लगातार बनाये रखने में अर्थव्यवस्था की योग्यता बाधित हो सकती है। 2007-08 के दौरान, 16,335 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 9,263 मेगावाट क्षमता जोड़ी जा सकी है। इसके अलावा 11,000 मेगावाट क्षमता 2008-09 के दौरान जोड़ी जाने की उम्मीद की जा रही है। क्षमता वृद्धि की धीमी प्रगति के कारण पावर आपूर्ति की कमी में वृद्धि हुई है और

लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई भी कमी, उद्योग और अन्य क्षेत्रों से पावर की बढ़ती मांग को देखते हुए, स्थिति को और भी खराब कर सकती है। इस संदर्भ में नयी इकाइयों के निष्पादन और उनके वाणिज्यिक परिचालन से जुड़ी चिंताओं की जांच केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। केंद्रीय बजट 2008-09 में 2008-09 के दौरान त्वरित पावर विकास और सुधार कार्यक्रम के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रेषण और वितरण सुधारों के लिए एक राष्ट्रीय निधि निर्मित करने का प्रस्ताव है। पावर की उपलब्धता में कमी का एक प्रमुख कारण उपयोगकर्ता से लिया जानेवाला कम प्रभार है, जो कई मामलों में पावर के उत्पादन और वितरण की लागत को नहीं दर्शाता है। जरूरत इस बात की है कि उपयोगकर्ता के प्रभारों को इस प्रकार समायोजित किया जाए ताकि पावर कंपनियों को पावर का उत्पादन एक अर्थक्षम कार्यकलाप लगे। उपयोगकर्ता उपयुक्त प्रभार देने के लिए इच्छुक होंगे यदि उन्हें अच्छी गुणवत्ता और पावर की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया जाए। उदाहरण के लिए, कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक विशेष शहर में कुछ औद्योगिक इकाइयां ग्रिड को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुई जिसे, बदले में, उपभोक्ताओं को उच्चतर कीमत पर उपलब्ध कराया गया।

I.62 कोर क्षेत्रों के बीच, 2007-08 के दौरान एकमात्र कोयला क्षेत्र अपवाद स्वरूप रहा जिसने त्वरित वृद्धि दर्ज की। यद्यपि न सिर्फ विद्युत क्षेत्र से बल्कि अन्य युटीलिटीज में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन में वृद्धि के उपाय किये गये, तथापि परिवेश की चिंताएं तथा खनन गतिविधियों और बांध निर्माण कार्य के कारण विस्थापित आबादी के पुनर्वसन से संबंधित मुद्दों को भी सक्रिय रूप से हल करने की आवश्यकता है। नयी कोयला वितरण नीति में कहा गया है कि कोयले के आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों पर ही प्रवर्तनीय बाध्यता के युग में पूर्व निर्धारित कीमतों पर ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों को निश्चित मात्रा में और गुणवत्तायुक्त कोयले की आपूर्ति की जाएगी।

I.63 हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी और उनकी बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए थर्मल पावर संयंत्र, जो तेल पर आधारित नहीं हैं, स्थापित करने में वैश्विक स्तर पर उत्कट रुचि जागृत हुई है। चूंकि थर्मल संयंत्र कोयले और गैस पर निर्भर हैं, अतः भारत में थर्मल आधारित क्षमता में वृद्धि के कारण पावर उत्पादन की लागत पर असर पड़ेगा क्योंकि गैस और कोयले की कीमतें बढ़ रही हैं और अनियमित

गैस आपूर्तिके कारण संयंत्र का लोड फैक्टर कम होगा। इसके अतिरिक्त, खनिज तेलों में वृद्धि भी गैस की कीमतों को प्रभावित कर सकती है जो पावर उत्पादन पर असर डालेगी। सीमांत पर, नवीयनयोग्य ऊर्जा के स्रोत पावर के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने का एक विकल्प उपलब्ध कराते हैं। मार्च 2007 के अंत तक ग्रिड इंटर-एक्टिव नवीयनयोग्य 11,449 मेगावाट की ऊर्जा क्षमता की स्थापना अपने देश में पहले ही की जा चुकी है। नवीयनयोग्य ऊर्जा स्रोतों से 15,000 मेगावाट क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव ग्यारहवीं योजना अवधिके दौरान किया गया है, परंतु इस दिशा में प्रगति धीमी है। यद्यपि देश में 1,50,000 मेगावाट क्षमता से अधिक हायड्रोपोटेंशियल उपलब्ध है, विभिन्न विवादों और कार्यान्वयन संबंधी अन्य कठिनाइयोंके कारण इस क्षेत्र में नयी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं।

1.64 अंधाधुंध बढ़ते शहरीकरणके कारण शहरी आधारभूत संरचना की अपर्याप्तता का मुद्दा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मास रैपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम, पेयजल, मल निकासी प्रणाली, ठोस कचरा प्रबंध, सड़क और विद्युतीकरण सम्मिलित हैं, उभरकर सामने आया है। शहरी आधारभूत संरचना में सुधार उत्पादकता में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है। अब तक औद्योगिक आधारभूत संरचना उन्नयन योजना (आइआइयूएस) के अंतर्गत 1,766 करोड़ रुपए की कुल लागतवाली, जिसमें 952 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान भी सम्मिलित है, 26 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों में कार्य प्रगति पर है जो कुछ सीमा तक शहरी आधारभूत संरचनाओं में सुधार लाएगा। इसके अलावा, शहरी आधारभूत संरचना में सुधार के लिए केन्द्रीय बजट 2008-09 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीयन मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत आबंटन 2007-08 के 5,482 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 6,866 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

1.65 ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए दृष्टिकोण पत्र में यह टिप्पणी दर्ज है कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अल्पावधि अवरोध है - विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना का अभाव। अतः यह आवश्यक है कि विद्यमान आधारभूत संरचना, विशेष तौर पर सड़कों, बंदरगाहों, हवाईअड्डों, पावर और शहरी तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना, को इतना मजबूत किया जाए कि वे उद्योग के लिए वृद्धिकारक परिवेश उपलब्ध करा सकें। बदले में, इसके लिए मूलभूत संरचना में निवेश बढ़ाना होगा। योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश 2006-07 के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर ग्यारहवीं योजना

अवधि के दौरान जीडीपी का 9.3 प्रतिशत हो जाना चाहिए। इस प्रकार के निवेश स्तरों को सुकर बनाने के लिए निजी भागीदारी और सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

1.66 यद्यपि हाल के आंकड़ों में औद्योगिक वृद्धि में कमी के संकेत हैं, यह संभव है कि हाल की कुछ गतिविधियां औद्योगिक गति को सुधारने की संभावनाएं बढ़ाएंगी। आयकर छूट की सीमाओं में वृद्धि और कर स्लैब में समायोजन के रूप में राजकोषीय रियायतें दिये जाने से मध्यम वर्ग की आमदनी बढ़ सकती है जिसका सकारात्मक असर औद्योगिक वस्तुओं की उपभोग मांग पर पड़ सकता है। इसके अलावा, विभिन्न वस्तुओंके संबंध में उत्पाद शुल्क में कमीके कारण न सिर्फ मुद्रास्फीतिकारी दबावों में कमी आ सकती है, बल्कि अधिसंख्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी कम हो सकती हैं और इसके चलते इन सब वस्तुओं की खरीद आसान हो सकती है। तथापि, 2008-09 के दौरान, औद्योगिक वृद्धि की गति को कुछ अधोमुखी जोखिम है। पिछले कुछ महीनों में पावर क्षेत्र में, विशेष तौर पर नाभिकीय और गैस आधारित पावर संयंत्र में, क्षमता से कम निष्पादन का औद्योगिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा। इसके अलावा, वैश्विक कच्चे तेल की तेजी से बढ़ी कीमतें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबावों को बढ़ा सकती हैं और औद्योगिक संभावनाओं को, मांग और आपूर्ति दोनों ही तरफ से, दबा सकती हैं। औद्योगिक विकास में आयी तेजी के पिछले पांच वर्षों के दौरान कोर सेक्टर वृद्धि इतनी नहीं हो पायी जितनी विनिर्माण क्षेत्र में हुई थी, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि के निरंतर रहने के संबंध में शंकाएं पैदा हो गईं।

सेवाएं

1.67 भारत में सेवा क्षेत्र लगातार समग्र वृद्धि को गतिशील बनाने में लगा रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ वृद्धि का चरण 2003-04 से सेवा क्षेत्र की वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार के साथ-साथ चला। घरेलू सेवाओं के लिए मांग में हुई उल्लेखनीय वृद्धि का समर्थन हासिल करके सेवा क्षेत्र में 2005-06 से 2007-08 तक अर्थात् पिछले तीन वर्षों के दौरान दो अंकीय वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू पर्यटन में वृद्धि और भारत में विदेशी यात्रियों की बढ़ी हुई अभिरुचि के समर्थन से होटल और पर्यटन उद्योगों में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज हुई। पिछले पांच वर्षों में 'व्यापार, होटल और रेस्तरां' क्षेत्र की वृद्धि दर दो अंकीय रही। घरेलू खुदरा वृद्धि ने व्यापार के निष्पादन को समर्थन दिया, जबकि बेहतर निष्पादन, विशेष रूप से

रेल्वे और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में, ने परिवहन क्षेत्र में वृद्धि पैदा की। इसके अलावा, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हाल के वर्षों में अभूतपूर्व उछाल दिखा तथा घरेलू ऑपरेटरों द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई। न्यून लागतवाली एअरलाइन्स के परिचालन के परिणामस्वरूप व्यापार ट्रैफिक में वृद्धि को सुकर बनाने के अलावा, घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक में भी उच्च वृद्धि हुई। तथापि कई कारणों से हाल के महीनों में होटलों, अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू उड़ान टर्मिनलों पर यात्रियों और एअरलाइन ट्रैफिक की गतिविधियों में कुछ मंदी देखी गई है। एविएशन टर्बाइन फ्यूएल (एटीएफ) की लागत में वृद्धि के कारण हवाई जहाज के किरायों में वृद्धि की गई है।

I.68 भू-संपदा और पूंजी बाजार गतिविधि में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और आइटीईएस के निर्यातों में हुई तीव्र वृद्धि ने 2007-08 में 'वित्त, भू-संपदा और बिजनेस सेवाओं' में वृद्धि को जन्म दिया। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत एक प्रमुख ताकत है। तमाम बहुराष्ट्रिकों ने भारत में कम लागत और उच्च कुशलता प्राप्त मानव शक्ति के आधार का लाभ उठाया है और अपने पूरे विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में साझा सेवाओं और कॉल सेंटरों की स्थापना की है। आइटी/आइटीईएस क्षेत्र का देश के जीडीपी में अंशदान 1997-98 के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 6.0 प्रतिशत था। आइटीईएस क्षेत्र की निर्यात आय 2007-08 में 40.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर को छूने की उमीद की है। आइटी/आईटीईएस के क्षेत्र में 2007-08 के अंत तक प्रत्यक्ष रोजगार लगभग 2.0 मिलियन होने की उम्मीद है। 2006-07 की तुलना में यह संख्या 3,75,000 अधिक है।

I.69 बढ़ता हुआ पण्य बाजार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उच्च अंतर्वाह, उत्साहवर्धक निवेश परिवेश, खाद्येतर ऋण का उच्च स्तर, घरेलू मांग स्थितियों में तेजी, और उपभोग की कुछ श्रेणियों में वृद्धि के कारण मांग पक्ष की ओर से सेवा क्षेत्र को आवश्यक वृद्धि की गतिशीलता प्राप्त होने की संभावना है। घरेलू और बाह्य मांग दोनों ही सेवा क्षेत्र वृद्धि को आवश्यक समर्थन देना जारी रख सकेंगे।

I.70 व्यापक तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों और शहरों में सेलफोनों की सुदृढ़ मांग, और ब्रॉडबैंड कनेक्शनों में निरंतर वृद्धि के कारण टेलीकॉम क्षेत्र केंद्रबिंदु बना रहा। हाल के वर्षों में मोबाइल अभिदाताओं की संख्या में मासिक वृद्धि कई गुना हुई है जो संचार को सर्वाधिक तीव्र

वृद्धि का सेगमेंट बनाता है। नेटवर्क और उपभोक्ता आधार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित किए गए हैं परंतु इनका आबंटन सक्रिय अभिदाताओं की संख्या, ऑपरेटर के नेटवर्क के पीक ट्रैफिक, और सेवा क्षेत्र की जनसांख्यिकी विशेषताओं के आधार पर पात्रता के अनुसार उपलब्धता के अधीन है। संबंधित घटकों और प्रौद्योगिकीय विकास को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इन मानदण्डों की पुनरीक्षा की जाती है। तथापि ऑपरेटरों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने और उनकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक करने के लिए एक पारदर्शी स्पेक्ट्रम आबंटन नीति बनाने की आवश्यकता है।

I.71 ऐसी चिंता है कि इस्पात तथा सीमेंट उत्पादन में मंदी को देखते हुए निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है। कुछ ऐसी रिपोर्टें हैं कि निर्माण कार्य के लिए उपकरण बनाने वाले उद्योग की वृद्धि में कमी हुई है। जहाँ वाणिज्यिक भू-संपदा क्षेत्र में निर्माण कार्य में मंदी स्वागतयोग्य गतिविधि है, वहीं मूलभूत संरचना में निवेश में हुई कमी चिंता का विषय है। अतः इस बात की जरूरत है कि निर्माण उपकरण उद्योग में हुई गतिविधियों पर सतर्कतापूर्वक निगरानी रखी जाए ताकि इससे मूलभूत संरचना के विकास की गति और गुणवत्ता प्रभावित न होने पाए।

I.72 सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में श्रम की प्रधानता है और अर्थव्यवस्था में निपुणताप्राप्त मानवशक्ति की पर्याप्त उपलब्धता इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, विश्व भर की कंपनियां भारत के श्रम बल का लाभ उठाने के लिए प्रयासरत हैं। इस बात के संकेत हैं कि तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ताप्राप्त निपुण व्यक्तियों का अभाव, विशेष रूप से ज्ञान की प्रधानतावाले उद्योगों में, हो गया है। कुशल श्रमिकों संबंधी संसाधनों में मांग-आपूर्ति अंतर को पाटने की जरूरत है। एक ओर कुशल श्रमिकों की अत्यधिक कमी है, दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं है। यदि भारत सेवा क्षेत्र में अपनी प्रतियोगितात्मक स्थिति को बनाए रखना चाहता है, तो अर्थव्यवस्था में निपुणता प्राप्त व्यक्तियों की कमी को देखते हुए उसे दूर करने के लिए उचित नीति बनाने की जरूरत है। सभी स्तरों पर शिक्षा पर अधिकाधिक ध्यान देने की जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को काम दिया जा सके तथा साथ ही बढ़ रही अर्थव्यवस्था, विशेष तौर पर सेवा क्षेत्र के लिए, कुशल संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों मुद्दों को समान महत्व देने की जरूरत है। उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और

स्वरोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में काफी विस्तार करने आवश्यकता होगी।

I.73 इस स्थिति में, मजबूत बाजार मांग, उत्तरोत्तर बढ़ता निवेश, नये आर्डर में वृद्धि, प्रौद्योगिकी में अत्यधिक परिवर्तन, और संचार अपनाने, कारोबारी सेवाओं, साफ्टवेयर निर्यात और आइटी-सक्षम सेवाओं जैसे विभिन्न प्रकार के कारक सेवा क्षेत्र की भविष्य में वृद्धि के लिए मजबूत आधार उपलब्ध करा सकते हैं। तथापि खनिज तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने संभावना के लिए अधोमुखी जोखिम उत्पन्न कर दिया है। खनिज तेलों की कीमत में वृद्धि के कारण परिवहन क्षेत्र, जिसका सेवा क्षेत्र में 10.4 प्रतिशत भार है और 2006-07 में जो जीडीपी का 6.4 प्रतिशत था, का निष्पादन विशेष रूप से प्रभावित हो सकता है। एविएशन फ्यूल और पेट्रोलियम उत्पादों के निविष्टि मूल्यों में तीव्र वृद्धि भी इस क्षेत्र की वृद्धि की रफ्तार में रुकावट डाल सकती है। पर्यटन क्षेत्र, जो विभिन्न परिवहन सेवाओं पर अधिकाधिक निर्भर करता है, पर भी प्रभाव होगा क्योंकि टूर पैकेज की लागत बढ़ेगी और इसका प्रभाव होटल उद्योग पर पड़ेगा। इसके अलावा चूंक सेवा क्षेत्र अपनी मांग में अधिक से अधिक उद्योग क्षेत्र से ग्रहण करता है, औद्योगिक वृद्धि की रफ्तार में मंदी सेवा क्षेत्र की वृद्धि की संभावनाओं को भी प्रभावित कर सकती है।

I.74 वैश्विक मंदी भारत में उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए बाह्य मांग की संभावनाओं के बारे में अनिश्चितताओं को जन्म देती है। यद्यपि भारतीय उद्योग प्रमुखतः घरेलू मांग द्वारा चालित होता है, तथापि रत्न और आभूषण, वस्त्र और इंजीनियरिंग माल जैसे कुछ उद्योगों की निर्भरता अधिक से अधिक बाह्य मांग की स्थितियों पर रही है। भारत में विनिर्मित कुछ निर्यातयोग्य मर्दों के लिए निर्यात मांग में थोड़ा दबाव बढ़ने के कारण विनिर्माण के कतिपय खंडों पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर संभव है कि विश्व की नामी कंपनियां, यथा वैश्विक ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कंपनियां, अपने विनिर्माण परिचालनों की आउटसोर्सिंग भारत जैसे न्यून लागत वाले देशों से करना जारी रखें। सेवा के क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र, जिनकी निर्भरता वैश्विक बाजारों पर अधिक से अधिक रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में छाई मंदी से प्रभावित हो सकते हैं। विशेष रूप से, वैश्विक आर्थिक कार्य-कलाप में आयी मंदी देशी व्यापार और परिवहन क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। आगे, वैश्विक वृद्धि की गति में मंदी कारोबारी और विश्र्वाति पर्यटन को सीमित कर सकती है जो

परिणामस्वरूप होटलों के निष्पादन पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। भारतीय आइटीईएस-बीपीओ उद्योग की निर्भरता अधिकाधिक बाह्य बाजार की स्थितियों पर रही है क्योंकि भारत के आइटीईएस निर्यात का हिस्सा इसके आइटीईएस-बीपीओ राजस्व में लगभग दो-तिहाई रहा है। वैश्विक आर्थिक कार्य-कलाप में आयी मंदी का असर आइटीईएस-बीपीओ सेवाओं पर अनिश्चित बना हुआ है। यद्यपि विकसित देशों में लागत घटाने के उपाय के परिणामस्वरूप भारत को आउटसोर्सिंग में वृद्धि हो सकती है, परंतु दूसरी ओर इन देशों में आइटी पर किए जानेवाले खर्च में कटौती भारतीय आइटीईएस उद्योग के हित के विरुद्ध कार्य करेगी। एक ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने के साथ ही कंपनियां - ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में - अपने उत्पादन/परिचालन लागत में कटौती करने की चाहत में अपने कारोबार परिचालनों का कुछ अथवा बृहद भाग भारत जैसे सस्ते और कुशल बाजारों से आउटसोर्स करेगी। तथापि, इस बार की वैश्विक मंदी ने सर्वाधिक नुकसान वित्तीय सेवा उद्योग को पहुंचाया है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय सेवा कंपनियां अपने भौगोलिक परिचालनों में कमी करती हैं तथा जिसकी मार भारत को आउटसोर्सिंग कार्य दिए जाने पर भी पड़ सकती है।

राजकोषीय नीति

I.75 राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत केंद्र सरकार को अधिदेशित किया गया है कि वह 2008-09 तक अपने सकल राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात को घटाकर तीन प्रतिशत करे और अपने राजस्व घाटे को समाप्त करे। 2008-09 के दौरान बजट में केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा-जीडीपी अनुपात घटाकर 2.5 प्रतिशत किए जाने का अनुमान लगाये जाने के साथ विधायी अधिदेश के अनुरूप 2008-09 में राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया जारी रहनी है। तथापि, इसमें राजस्व घाटा-जीडीपी अनुपात के 1.0 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया है तथा इसको समाप्त करने की समय सीमा 2009-10 तक बढ़ा दी गई है, ऐसा मुख्य रूप से राजस्व व्यय प्रधान कार्यक्रमों की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से किया गया। योजना से इतर प्रतिबद्ध व्यय को अल्पकाल में नियंत्रित करने की व्यवस्थागत सख्ती एक दूसरा अंशदायक कारक रहा। फिर भी, एफआरबीएम अधिनियम/नियमावली के तहत अब तक मात्रात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की केन्द्र सरकार की प्रगति संतोषजनक रही है।

1.76 एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत केंद्र सरकार का राजकोषीय समेकन कर-जीडीपी अनुपात में पर्याप्त वृद्धि के समर्थन से राजस्व-प्रधान रहा है। पिछले चार वर्षों के दौरान सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि और समष्टि आर्थिक स्थिरता के कारण भी कर प्राप्तियां अनुमानित कर प्राप्तियों की तुलना में अधिक रही हैं। केंद्र सरकार के कर-जीडीपी अनुपात में स्थिर वृद्धि प्रत्यक्ष कर राजस्वों द्वारा प्रेरित रही है, जिसका हिस्सा कुल कर में 2003-04 के 41.3 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 (सं.अ.) में 52.1 प्रतिशत हो गया। प्रत्यक्ष करों में, निगम कर का हिस्सा 2003-04 के 60.0 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 (संशोधित अनुमान) में 61.1 प्रतिशत हो गया। जीडीपी के अनुपात के रूप में निगम कर उसी अवधि में 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 4.0 प्रतिशत हो गया, जबकि वैयक्तिक आयकर 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गया। कर राजस्व में सुधार के माध्यम से राजकोषीय सशक्तीकरण में गंभीरता लाने के लिए संतुलित कर संरचना को बनाए रखना जरूरी है। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, सेवा कर राजस्व के तेजी से बढ़ते स्रोत के रूप में उभरा है। कुल अप्रत्यक्ष करों में सेवा कर का हिस्सा 2003-04 के 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 (संशोधित अनुमान) में 18.0 प्रतिशत हो गया। जीडीपी के अनुपात के रूप में, इसी अवधि के दौरान यह हिस्सा 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 1.1 प्रतिशत हो गया। जीडीपी में सेवा क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के अनुरूप कर जाल में और अधिक सेवाओं को लाने की आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष कर के मामले में, उद्देश्य माल (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) और सेवाओं पर करों का समन्वयन तथा अंत में व्यापक माल और सेवा कर (जीएसटी) की ओर अग्रसर होना रहा है। जुटाया गया लेकिन वसूल न किया गया कर राजस्व 2006-07 के दौरान 10 प्रतिशत बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 99, 293 करोड़ रुपए हो गया।

1.77 हाल के वर्षों में केंद्र सरकार की व्यय प्रबंधन नीति का उद्देश्य विकासेतर व्यय को रोकना और सामाजिक विकास तथा आधारभूत सुविधा पर प्राथमिक व्यय के लिए पर्याप्त प्रावधान करना रहा है। तथापि, इस संबंध में हुई प्रगति दर्शाती है कि केंद्र सरकार का गैर-विकास व्यय 2003-04 में जीडीपी के 8.8 प्रतिशत से घटकर 2007-08 (सं.अ.) में 8.3 प्रतिशत हो गया और 2008-09 में और घटकर 7.4 प्रतिशत होने का अनुमान बजट में लगाया गया है। यद्यपि योजनेतर व्यय का 80 प्रतिशत रक्षा, ब्याज भुगतान, सब्सिडी और राज्य सरकारों को अंतरण जैसी मदों पर किया जाना अनिवार्य है, सरकार अपने व्यय प्रबंधन के

एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में समावेशी वृद्धि के समर्थन में सावधानीपूर्वक सुनियोजित राजकोषीय समेकन के माध्यम से अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश पर विचार कर रही है। केंद्र और राज्यों के संयुक्त व्यय में शिक्षा पर व्यय का हिस्सा 2007-08 में 10.0 प्रतिशत था जिसके 2008-09 में बढ़कर 10.8 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया, जबकि स्वास्थ्य पर व्यय 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 5.0 प्रतिशत होने का बजट अनुमान लगाया गया। तथापि, यह ध्यान देने की बात है कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा 2005 में जीडीपी का 1.0 प्रतिशत था जो ब्राजील (3.5 प्रतिशत), चीन (1.8 प्रतिशत) और सबसे कम विकसित देशों (1.9 प्रतिशत) की तुलना में कम था। एफआरबीएम अधिनियम के दायित्वों के अंतर्गत, राजस्व व्यय को रोकना तथा उत्पादक आस्तियों के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना, राजकोषीय सुधारों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके मद्देनजर, बजट परिव्यय को अभीष्ट परिणामों में बदलने के लिए सरकारी व्यय में कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुधारने और सुपुर्दगी तंत्र को कार्यकुशल और जबाबदेह बनाने पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। पारदर्शिता और जबाबदेही में सुधार के लिए, मंत्रालयों को सामान्य जनता के लिए (अपनी वेबसाइट के माध्यम से) अपनी मासिक प्राप्तियों और व्ययों का सारांश जारी करने और विशेष रूप से विभिन्न राज्यों के लिए जारी योजना-वार निधियों के प्रकटन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राप्तियों और भुगतानों की समेकित मासिक स्थिति को प्रत्येक माह पब्लिक डोमेन पर रखी जा रही है।

1.78 छठवें वेतन आयोग के अवार्ड के कार्यान्वयन (जीडीपी का 0.4 प्रतिशत अनुमानित), पेट्रोलियम उत्पादों के शुल्क में कटौती के कारण राजस्व में हानि (जीडीपी का 0.4 प्रतिशत अनुमानित प्रत्यक्ष प्रभाव), कच्चे माल और उर्वरकों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि तथा किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन (चार राजकोषीय वर्षों में जीडीपी का 1.4 प्रतिशत) के कारण केंद्र सरकार के वित्त पर दबाव आ सकता है। इसके अलावा, जैसीकि घोषणा की गई है, सरकार को तेल और उर्वरक बांड के अतिरिक्त निर्गम की देयताओं का बोझ अतिरिक्त रूप से उठाना पड़ सकता है जिससे सार्वजनिक ऋण का स्तर प्रभावित होगा। तथापि, इन बांडों पर ब्याज

व्यय राजस्व व्यय को बढ़ाएगा और राजस्व तथा राजकोषीय घाटे को बढ़ाएगा। यद्यपि ऐसे बांड जारी करने से परंपरागत रूप से मापे गए राजकोषीय घाटे में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती, ऐसे बांडों की आगम राशियों का उपयोग कारगर तौर पर सब्सिडी के वर्तमान खर्चों के निधीयन के लिए किया जाता है। समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय बाजार पर इनके प्रभाव तथा संसाधन उपलब्धता से निजी क्षेत्र को क्राउड-आउट करना राजकोषीय घाटे को बढ़ाने जैसा होते हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजकोषीय असंतुलन बजट अनुमानों से भिन्न न हों, कराधार को बढ़ाकर तथा कर प्रशासन में और सुधार लाकर कर उछाल में सुधार की आवश्यकता है। निकट भविष्य में, कर में उछाल और राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया भी समष्टि आर्थिक वृद्धि और स्थिरता पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर होगी।

1.79 राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के कार्यान्वयन से राज्य सरकारों के वित्त में काफी सुधार दिखा। चूंकि राज्य सरकारें घाटा संकेतकों में कमी के उद्देश्य को पूरा करने के समीप हैं, उन्हें इस दिशा में प्रगति को बनाए रखने पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। राजस्व वृद्धि के माध्यम से पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसे विकासात्मक व्यय के वित्तीयन के लिए उपयोग किया जा सके। व्ययों का वित्तीयन उधारों के द्वारा किए जाने पर अव्यक्त सीमा के कारण नियम-आधारित राजकोषीय ढाँचे के अन्तर्गत, कर संग्रहण की कार्यकुशलता में सुधार तथा सार्वजनिक सेवाओं पर उचित प्रभार वसूल जाने के माध्यम से राजस्व प्राप्तियों ने अतिरिक्त महत्ता प्राप्त कर ली। राज्य उन सेवाओं की शृंखला का मूल्य उचित रूप से तय कर सकते हैं जिसे वे सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार करके उपलब्ध कराते हैं। जबकि राजकोषीय समेकन के प्रयासों ने प्रमुख घाटा संकेतकों में कमी की है, कई उभरते और विकासशील देशों से तुलना करने पर राज्यों की बकाया देयताएं अधिक बनी हुई हैं। यद्यपि ऋण समेकन और राहत उपायों के कारण ऋण-जीडीपी अनुपात में कुछ कमी आई है, राज्यों के पास उच्च लागत वाले बड़े-बड़े ऋण बने हुए हैं। कुछ राज्यों ने संतोषजनक नकद शेषों की स्थिति के कारण उच्च लागत वाले ऋणों की पूर्व चुकौती कर दी है। राज्यों को केंद्र सरकार के छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्टाफ के उच्च पारिश्रमिक के प्रभाव को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। केंद्र द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर आबकारी और सीमा शुल्क में कमी और कुछ राज्यों द्वारा इन उत्पादों

पर बिक्री कर में कमी के कारण कम कर न्यागमन (डिवोलुशन) के चलते राज्य सरकारों को राजस्व हानियां उठानी पड़ सकती है। निकट भविष्य में, राज्य वित्त की शकल नवंबर 2007 (अवाई अवधि : 2010-15) में स्थापित तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा तथा माल और सेवा कर (जीएसटी), जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की आशा है, के कार्यान्वयन द्वारा तय की जाएगी।

1.80 पिछले चार वर्षों के दौरान एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अधिदेशित सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन अब तक आम तौर पर ठीक मार्ग पर रहा है। सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि और समष्टि आर्थिक स्थिरता से सामान्यतया कर राजस्व अनुमान से अधिक रहे और उन्होंने संसाधनों की मांग पूरी करने के लिए राजकोषीय गुंजाइश पैदा की। राजस्व-प्रधान समेकन में संतुलित और तर्कसंगत कर दर ढाँचे का संयुक्त प्रभाव दिखा, जिसमें कम छूटें और कराधार का व्यापक आधार तथा कर प्रशासन की कार्यक्षमता भी निहित थी। निरंतर जारी सुधार और राजकोषीय सुधार संबंधी पहलों ने, बदले में, घरेलू माँग और निवेश का समर्थन किया जिससे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। सुधारित स्थिति के बावजूद, ऐसे बहुत से अन्तर्निहित राजकोषीय दबाव हैं जो हेडलाइन राजकोषीय संकेतकों में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। यद्यपि राजकोषीय नियमों के कार्यान्वयन ने राजकोषीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सकारात्मक प्रभाव डाला है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बजटेतर राजकोषीय देयताओं का अधिकाधिक आश्रय लिया जा रहा है। यह मामला न केवल राजकोषीय परिचालनों में पारदर्शिता का अथवा तथ्यतः स्वीकृत की अपेक्षा सरकार के बड़े उधार कार्यक्रम का है, बल्कि सरकारी ऋण बाजार और मौद्रिक प्रबंधन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर बांडों के निर्गमन का सहारा न केवल ईंधन, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के वित्तीयन के लिए लिया जाता है, बल्कि बैंक ऋण माफी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी में अंशदान से संबंधित आस्थगित देयताओं के लिए भी लिया जाता है। वास्तविक उधारों के माध्यम से आवर्ती राजस्व व्ययों के वित्तीयन के लिए बड़े अर्ध-राजकोषीय लेनदेन जारी राजकोषीय समेकन प्रक्रिया की गुणवत्ता के बारे में आशंकाएं उत्पन्न करते हैं और राजकोषीय, बाह्य तथा मौद्रिक प्रबंध के चुनौती प्रस्तुत करते हैं। तथापि, यह मान लेने की आवश्यकता है कि जबकि पण्यों की उच्च अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से हुए अस्थायी आघातों से अर्थव्यवस्था को बचाने को टाला नहीं जा सकता, पण्यों की कीमतों के

उच्च स्तर के स्थायी घटक के अंतरण को रोकने से मांग उच्च स्तर पर बनी रहेगी।

I.81 जबकि राजस्व घाटा समाप्त करना और राजकोषीय घाटे की सांकेतिक सीमा तय करना महत्वपूर्ण है, राजकोषीय घाटे के वित्तीयन का स्वरूप और इस प्रकार जुटाए गए संसाधनों का सही उपयोग समान रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सामाजिक और वित्तीय बुनियादी सुविधा में पर्याप्त निवेश के लिए भारी आवश्यकता के संदर्भ में। इसके अलावा, टिकाऊ राजकोषीय सुधार और राजकोषीय सशक्तीकरण अर्थात् राजस्व प्रवाहों के दायरे और आकार को बढ़ाने के माध्यम से समेकन संबंधी कार्य करने की आवश्यकता है। राजकोषीय घाटे पर अनन्य रूप से ध्यान देना सरकार की भूमिका को कम कर सकता है, जिससे विकास की प्रक्रिया में बाधा पहुँचेगी, विशेष रूप से तब जब ध्यान समावेशी वृद्धि पर केन्द्रित हो। भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूपांतरण के दौर से गुजर रही है और इसको सामाजिक तथा वित्तीय बुनियादी सुविधाओं में व्यापक निवेश की आवश्यकता है। इसलिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और भौतिक मूलभूत संरचना जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। सारे विश्व में जारी वित्तीय उथल-पुथल के कारण राजकोषीय प्राधिकारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह भी स्वीकार करना होगा कि जब हर चीज असफल हो जाती है, यह केवल राजकोष है जो अंतिम स्थिति में बचाव के काम आता है।

बाह्य क्षेत्र

I.82 भारत का भुगतान संतुलन व्यापक रूप से वैश्विक गतिविधियों द्वारा प्रभावित हो रहा है, जो वास्तविक और वित्तीय प्रवाहों के माध्यम से शेष विश्व के साथ बढ़ती सहबद्धताओं को दर्शाता है। 1990 के दशक के प्रारंभ से जीडीपी के प्रति पण्य निर्यात का अनुपात बढ़ा है। 2002-2007 के दौरान, भारत की निर्यात वृद्धि एशियन क्षेत्र (चीन के अलावा) के प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक थी। इसी समय आयात की तीव्रता भी स्थिर रूप से बढ़ी है क्योंकि देशी कंपनियों ने घरेलू उत्पादन और निर्यात क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और मध्यवर्ती माल तथा गुणवत्ता इन्पुट तक पहुँच को बढ़ाया है। सॉफ्टवेयर और कारोबारी सेवाओं में उछाल की अगुवाई में सेवा निर्यात तथा विदेशी विप्रेषण 1990 के दशक के मध्य से उत्तरोत्तर रूप से और व्यापक तथा स्थिर रहे हैं जिससे भारत के अदृश्य मदों की

प्राप्तियों में लोच आई है। निवल अदृश्य मदों के अधिशेष ने बढ़ते व्यापार घाटे के एक बड़े भाग को प्रतितुलित किया है और 1990 के दशक के प्रारंभ से चालू खाता घाटे को जीडीपी के लगभग एक प्रतिशत के औसत पर रोकने में मदद की है। सकल चालू प्राप्तियाँ (पण्य निर्यात और अदृश्य मद प्राप्तियाँ) तथा सकल चालू भुगतान (पण्य आयात तथा अदृश्य मद भुगतान) दोनों मिलकर जीडीपी के आधा प्रतिशत से अधिक हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते समन्वयन को सुझाता है। कई अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में चालू खाता के अधिशेष से भिन्न, हाल के वर्षों में भारत ने चालू खाता घाटा दर्ज किया। पूंजी खाता के मामले में भी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत की सहबद्धताएं सुदृढ़ हो रही हैं, जिसे अर्थव्यवस्था के बढ़ते खुलेपन और वित्तीय प्रवाहों में द्विमार्गी उतार-चढ़ाव से समर्थन मिला।

I.83 पूंजी खाते में, उदारकृत बाह्य भुगतान प्रणाली भारतीय कंपनियों द्वारा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों की विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुकर बना रही है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने की किफ़ायत से लाभ उठाना, प्रौद्योगिकीय ज्ञान तक पहुँच और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए विदेशी बाजारों पर पकड़ मजबूत करना है। उच्च बहिर्वाहों के बावजूद, पूंजी अन्तर्वाह (निवल) 2000-01 से 2002-03 के दो प्रतिशत के औसत से बढ़कर 2007-08 में जीडीपी का नौ प्रतिशत हो गए। 2003-08 की अवधि के दौरान निवल पूंजी अन्तर्वाह औसतन 44.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। इस स्तर पर, पूंजी अन्तर्वाह (निवल) स्वतंत्र भारत के किसी भी पाँच वर्ष की अवधि के औसत की तुलना में अधिक रहे। हाल की अवधि में, अन्तर्वाह और बहिर्वाह में काफी वृद्धि दिखी है, जो अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ आधारभूत तत्वों और प्रेरक नीतिगत वातावरण को दर्शाता है। 2007-08 के दौरान सकल अन्तर्वाह और बहिर्वाह जीडीपी के लगभग 64 प्रतिशत थे। व्यापक पूंजी अन्तर्वाहों (निवल) के सतत चालू खाता घाटे से अधिक रहने के मौद्रिक प्रबंधन के लिए निहितार्थ हैं। इसी प्रकार, सतत व्यापक बहिर्वाह (निवल) मौद्रिक और चलनिधि प्रबंधन के कार्य को, विशेष तौर पर चलनिधि के दबावों को देखते हुए, जटिल बना देंगे।

I.84 मध्यम अवधि में, वित्तीय बाजार के विकास पर निरंतर ध्यान देना पूंजी प्रवाह की चुनौतियों को संभाव्य रूप से कम कर सकता है। तथापि, यह मानना ज़रूरी है कि वित्तीय बाजार का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है।

इसलिए वित्तीय बाजार के विकास पर कार्य जारी रखने के दौरान अल्पकाल में पूँजी प्रवाह का प्रबंधन अन्य साधनों के माध्यम से करना होगा। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हाल के वित्तीय बाजार के उथल-पुथल से उत्पन्न मुद्दों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पूर्ण पूँजी खाता उदारीकरण की क्रमिक प्रक्रिया मध्यम अवधि में अपनाई जा सकती है। इसलिए, मुद्दा न तो वित्तीय बाजार के विकास का है और न ही पूँजी खाता प्रबंधन का है, अपितु मुद्दा यह है कि राजकोषीय और वास्तविक क्षेत्र में सुधारों के लिए गुंजाइश और संभावनाओं को स्वीकार करते हुए और ध्यान में रखते हुए किसी दी गई स्थिति और काल में प्रत्येक दृष्टिकोण को कितना अपनाया जाएगा।

1.85 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन का समग्र दृष्टिकोण भुगतान संतुलन की बदलती संरचना को ध्यान में रखना जारी रखेगा और विभिन्न प्रकार के प्रवाहों और अन्य अपेक्षाओं से संबद्ध 'चलनिधि जोखिमों' को दशानि का प्रयास करेगा। इसके अलावा, सुरक्षा, चलनिधि और आय को प्राथमिकता प्रदान करने के सिद्धांत को अपनाते हुए, विदेशी मुद्रा भंडार (रिजर्व) का निवेश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में करना जारी रहेगा। जहाँ तक विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन का संबंध है, रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र में बाजार-दर- बाजार आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्यन एक संबंधित मुद्दा है। इस संबंध में, रिजर्व बैंक ने एक परंपरागत लेखांकन पद्धति को अपनाया है, जिसमें वसूल न किए गए अनुलाभों को नहीं दिखाया जाता है, जबकि हानियों को दिखाया जाता है।

1.86 भारत में, विदेशी मुद्रा भंडार को रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है और विश्व के सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार उनका प्रबंधन किया जाता है। रिजर्व बैंक समुचित विवेकपूर्ण मानदंड और पारदर्शिता तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित आंकड़ों के प्रसार मानकों को अपनाता है।

वित्तीय क्षेत्र

1.87 हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक ने ऋण गुणवत्ता, ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार (जिसमें विशेष जोर कृषि, व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यमों पर दिया गया है) और वित्तीय समावेशन पर जोर दिया है। रिजर्व बैंक बैंकों में जोखिम प्रबंधन व्यवहारों और पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं को भी निरंतर रूप से अद्यतन कर रहा है, ताकि वित्तीय नवोन्मेषों से उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना किया जा सके तथा वित्तीय प्रणाली के

स्ट्रेस को दूर करने के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएं की जा सकें। पर्याप्त, सामयिक और झंझट से मुक्त ऋण सुपुर्दगी की महत्ता, जोखिम के संबंध में ऋण के उपयुक्त मूल्यन और प्रेरक ऋण संस्कृति का महत्व कितना अधिक है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अनेक उपायों के फलस्वरूप कृषि, लघु और मझौले उद्यमों को ऋण प्रवाह तथा नियंत्रित ब्याज दर पर फसल ऋण में काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न उपायों जैसे एक बारगी निपटान (ओटीएस) और आपदाग्रस्त किसानों के लिए योजनाओं के पुनर्निर्धारण/पुनर्संरचना, प्रक्रिया के सरलीकरण और कारोबार संवाददाता मॉडल अपनाते तथा स्मार्ट कार्ड के प्रयोग ने भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण में वृद्धि करने को सुकर बनाया। इसके अलावा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों के संबंध में, गैर एसएलआर निवेशों सहित, समायोजित निवल बैंक ऋण के व्यापक आधार से ऋण का संयोजन भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ावा देता है। ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत विनियमों को अधिसूचित किया गया और ऐसी आशा है कि इन विनियमों के अन्तर्गत ऋण सूचना कंपनियों के परिचालन सूचना विषमताओं को कम करेंगे तथा बेहतर ऋण संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, कार्यक्षम ऋण आबंटन और मूल्यन को सुकर बनाएंगे। जबकि रियायती ऋण और ऋण राहत किसानों की आपदाओं का निवारण करेंगे तथा बंद हो गए ऋणों को खोलेंगे, भविष्य में एक उचित ऋण संस्कृति बनाए रखने के लिए अधिक प्रवाह और ऋण के कार्यक्षम आबंटन हेतु प्रोत्साहन प्रणाली की आवश्यकता होगी।

1.88 हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता और सुदृढ़ता मानदंडों में काफी सुधार हुआ है और उनकी अब वैश्विक स्तर से तुलना की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ क्रमिक तालमेल पर नीतिगत जोर दिए जाने के अनुरूप भारत में परिचालित विदेशी बैंक और भारत के बाहर मौजूद भारतीय बैंक 31 मार्च 2008 से बासेल II के अन्तर्गत ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण की ओर पहले ही अंतरण कर चुके हैं। अन्य सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक 31 मार्च 2009 तक बासेल II के अन्तर्गत इन दृष्टिकोणों की ओर अंतरण करेंगे। वर्ष के दौरान स्तम्भ II दिशा-निर्देश जारी किए गए। पहले जारी किए गए बासेल II ढाँचे में भी कुछ संशोधन किए गए। बासेल II की अपेक्षाओं को पूरा करने में और अधिक लोच प्रदान करने के लिए बैंकों को पूँजी

जुटाने के लिए नई-नई सुविधाएं प्रदान की गईं। चलनिधि और आस्ति देयता प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया। बैंकों में कंपनी अभिशासन प्रथाओं को सुदृढ़ करने तथा ग्राहक सेवा सुधारने संबंधी नीतिगत उपायों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

1.89 वैश्विक स्थिति के विपरीत, भारत कुल मिलाकर विभिन्न कारणों से ऐसे वैश्विक वित्तीय संक्रमण से मुक्त रहा है, जो सब-प्राइम उथल-पुथल का परिणाम रहा है। भारत का ऋण डेरिवेटिव बाजार भ्रूण अवस्था में है। भारत का मूल-से-वितरण मॉडल (ओरिजिनेट-टु-डिस्ट्रीब्यूट मॉडल) उन्नत बाजारों से तुलनीय नहीं है। विदेश में जारी ऐसे उत्पादों में निवासियों के निवेशों पर पाबंदी लगाई गई है तथा प्रतिभूतिकरण पर विनियामक दिशा-निर्देश तुरंत लाभ निर्धारण की अनुमति नहीं देते। भारत में वित्तीय स्थिरता को अध्यवसाय के माध्यम से ऐसी विवेकपूर्ण नीतियों द्वारा प्राप्त किया गया है जो संस्थाओं को अत्यधिक जोखिम लेने और वित्तीय बाजार को बहुत अधिक अस्थिर तथा उथल-पुथल पूर्ण होने से रोकती हैं। परिणामस्वरूप, वित्तीय बाजार व्यवस्थित बने रहे और वित्तीय संस्थाएं, विशेष रूप से बैंक, वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनी रहीं। वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में से बनाया गया एक अर्ध-स्वतंत्र बोर्ड करता है। बाजार विनियामन पर अन्य विनियामकों के साथ निकट तालमेल भी रहता है। वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती विनियामन के ऐसे कुछ उदाहरणों में शामिल हैं : उनके जमीन-जायदाद में एक्सपोजर तथा वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न घटकों के लिए बढ़ते जोखिम भार के संबंध में बोर्ड अधिदेशित नीति का नुस्खा निर्धारित करना, मानक आस्तियों पर प्रावधानीकरण, अंतर-बैंक देयता के लिए एक्सपोजर पर मानदंड, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के वित्तीय विनियम पर मानदंड और उनके साथ बैंकों का संबंध, प्रतिभूतिकरण और गैर एसएलआर निवेश, बाजार दर पर मूल्यन संबंधी मानदंड। विनियामक दिशानिर्देशों को नैतिक प्रत्यायन और पर्यवेक्षी समीक्षा के द्वारा संपूरित किया गया है।

1.90 वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के प्रति रिजर्व बैंक का व्यापक दृष्टिकोण संस्थागत और वित्तीय आधारभूत सुविधा को विकसित करने और मूल्य स्थिरता के साथ वृद्धि के समग्र उद्देश्य के अनुरूप वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए समुचित विनियामक और पर्यवेक्षी प्रणाली स्थापित करने का रहा है। सुधार की गति समुचित प्रणाली और प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और बाजार प्रथाओं को तय करने पर निर्भर रही है। विभिन्न

सुधारों के परिणाम के रूप में, वित्तीय बाजार एक ऐसी प्रणाली में प्रवेश कर चुका है जिसमें बाजार निर्धारित ब्याज और विनिमय दर, मौद्रिक नीति के मूल्य आधारित लिखत, चालू खाता परिवर्तनीयता, चरणबद्ध पूँजी खाता उदारीकरण और सरकारी प्रतिभूति बाजार में नीलामी आधारित प्रणाली जैसी विशेषताएं हैं। हाल के वर्षों में, समावेशी वृद्धि के संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र के लिए एक नई चुनौती है कि कैसे इसे बढ़ाया जाए और वित्तीय समावेशन के लिए माँगों को पूरा करने हेतु नवोन्मेषित किया जाए और नए अवसरों तथा जोखिमों के लिए पर्याप्त रूप से रेस्पॉन्ड किया जाए। ऋण सुपुर्दगी हेतु नवोन्मेषी चैनलों को, संभवतः सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग तथा मानव पूँजी में सघन कौशल विकास के साथ, विकसित करने की आवश्यकता है। अपारदर्शिता के वातावरण में, आवास की प्रबल मांग और भूसंपदा के मूल्यों में उछाल बैंकिंग प्रणाली के लिए संभावित रूप से जोखिम उपस्थित कर सकता है। ब्याज दर चक्रों के साथ, बैंकिंग प्रणाली और विनियामक को भावी एनपीए तथा अमरीका जैसे सब प्राइम संकट के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। वित्तीय मध्यस्थों की अस्थिरता को विवेकपूर्ण विनियामन और उनके पर्यवेक्षण के माध्यम से दूर किया जा सकता है। गैर-वित्तीय संस्थाओं के जोखिम प्रबंधन का वित्तीय बाजारों के और विकास के माध्यम से समाधान किया जा सकता है जिससे वे समुचित उत्पादों का प्रयोग करते हुए अपने जोखिमों का प्रबंधन कर सकें।

मौद्रिक नीति

1.91 भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कीमतों में स्थिरता बनाए रखने और समग्र विकास को बनाए रखने के लिए ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी उद्देश्यों से निर्देशित होता है। इन दोनों में किस पर कितना जोर डाला जाए यह तय होता है उस समय की परिस्थितियों और अंतर्निहित समष्टि आर्थिक माहौल के अनुसार, जिसका उल्लेख समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी नीति संबंधी वक्तव्यों में किया जाता है। हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं, विकास की गति और वित्तीय स्थिरता कई वैश्विक और स्थानीय कारकों से प्रभावित रही हैं। इसलिए, रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर लगाम कसने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए नपे-तुले कदम उठाता रहा है। इस प्रकार 'मूल्य स्तर में हो रही हलचलों पर बहुत कड़ी निगरानी' (मई 2004) से मुड़कर मौद्रिक नीति का रुख 'कीमतों में स्थिरता पर पर्याप्त बल' और साथ ही, 'मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को

स्थिरता प्रदान करने के लिए नपे-तुले उपायों पर विचार' (अक्टूबर 2004) की ओर गया। इस प्रकार चलनिधि प्रबंधन ने भी 'पर्याप्त चलनिधि' की व्यवस्था से 'समुचित चलनिधि' का रुख किया। मौद्रिक नीति के दीर्घ और परिवर्तनीय अंतरालों को स्वीकार करते हुए, रिजर्व बैंक ने सितंबर/अक्टूबर 2004 में मौद्रिक निभाव को क्रमशः वापस लिया और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) (50 आधार अंक) और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिवर्स रिपो दर (25 आधार अंक) बढ़ाया। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति प्रत्याशा और विकास की गति पर असर डालने वाले वैश्विक और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए नपे-तुले मौद्रिक उपायों के साथ-साथ चलनिधि का सक्रिय प्रबंधन भी लगातार जारी रखा। सितंबर 2004 और अप्रैल 2007 के बीच रिजर्व बैंक ने सीआरआर और रिपो दर में क्रमशः 200 और 175 आधार अंकों की वृद्धि की। रिवर्स रिपो दर में 150 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी की गई। उल्लेखनीय है कि, मांग के दबावों, विशेषतः, उच्च वृद्धि व उपभोक्ता मुद्रास्फीति के साथ बढ़ती आस्ति कीमतों व आधारभूत व्यवस्थाओं में बढ़ती अड़चनों के मिश्रित प्रभाव के मद्देनजर, रिजर्व बैंक ने 2006-07 में 'भारतीय अर्थव्यवस्था के ज्यादा गरम होने (ओवरहीटिंग) के शुरुआती लक्षणों' के बारे में अभूतपूर्व चेतावनी दी थी। इस संदर्भ में, विकास के आवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मौद्रिक उपायों के पूरक के रूप में और बैंकिंग प्रणाली को एक संभावित दीर्घकालिक आस्ति विस्फोट से बचाने के लिए, कुछ क्षेत्रों में प्रावधान अपेक्षाओं और जोखिम भार को बढ़ाने वाले विवेकपूर्ण उपाय भी उठाए गए और चुनिंदा पर्यवेक्षी समीक्षा भी जारी रखी गई।

1.92 मौद्रिक निभाव को वापस लेने का मौद्रिक नीति का रवैया 2007-08 में जारी रहा। सब-प्राइम संकट के चलते अगस्त 2007 के शुरु से दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में हुई अभूतपूर्व उथल-पुथल और प्रमुख केन्द्रीय बैंकों के अपरंपरागत नीतिगत प्रतिसाद को देखते हुए, मौद्रिक नीति में यह संकल्प किया गया कि वित्तीय बाजारों की अत्यधिक अस्थिरता से वास्तविक अर्थव्यवस्था को कुशन देने में सतर्क और सक्रिय भूमिका निभायी जाए (अक्टूबर 2007 और जनवरी 2008)। इसमें जरूरत थी और कड़ी निगरानी की तथा उपलब्ध समस्त साधनों के साथ तुरंत प्रतिक्रिया की, ताकि देश की समष्टि आर्थिक व वित्तीय स्थिरता को बचाया व कायम रखा जा सके। नीति का रुख तय करने में जहां घरेलू तत्व ही हावी रहे, वहीं मौद्रिक नीति ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में

खाद्य, ईंधन और धातु की बढ़ती व अस्थिर कीमतों से मुद्रास्फीति को होनेवाले जोखिमों को पहचाना। इन बातों के मद्देनजर, जनवरी 2008 में मौद्रिक नीति ने प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्रों के योग से तैयार होते कारकों और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता व वृद्धि की गति को प्रभावित करने वाली घरेलू परिस्थितियों पर आवश्यकतानुसार परंपरागत और गैर-परंपरागत दोनों उपायों के साथ शीघ्र व लगातार कदम उठाने पर ध्यान केन्द्रित किया। बढ़ी हुई एवं अस्थिर खाद्य व ऊर्जा मूल्यों से, जिसमें संभवतः कुछ संरचनात्मक घटक और मांग दबाव, अलबत्ता आपूर्ति पक्ष में कुछ सुधार के साथ, कायम रहने, जैसी बातें थीं, बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और बढ़ते मुद्रास्फीति दबावों को देखते हुए, अप्रैल 2008 में मौद्रिक नीति के वार्षिक वक्तव्य में यह नोट किया गया कि तात्कालिक मुद्दे पर जहां इसे सक्रियता से रेस्पॉन्ड करना है, वहीं समग्र तौर पर समष्टि आर्थिक संभावनाओं के संदर्भ में दीर्घकालिक दृष्टि से आवश्यक मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने इस पर जोर दिया कि मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रतिकूल संकेत को रोकने के लिए निर्णायक, प्रभावशाली और त्वरित कार्रवाई का निर्णय लगातार दिखाई पड़े। अभूतपूर्व अनिश्चितताओं और दुविधाओं को देखते हुए, बैंक ने निरंतर प्राप्त हो रही जानकारी के मूल्यांकन के आधार पर नीतिगत कार्रवाइयों की टाइमिंग और परिमाण के संदर्भ में सूचित निर्णय लेने के महत्त्व पर भी जोर डाला। अप्रैल 2008 में बताए गए रुख के मुताबिक, मौद्रिक नीति के वक्तव्य में और अधिक स्फीतिकारी दबावों से परहेज करने और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं पर लगाम कसने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

1.93 कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के अनुरूप, हाल के महीनों में भारत में भी, समय पर आपूर्ति में कमी के चलते और सुदृढ़ समस्त मांग दबावों के माहौल में मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई जो रिजर्व बैंक की स्वीकार्य-सीमा से अधिक है। यह मानते हुए कि ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और अस्थिरता कोई क्षणिक घटना नहीं है, और विश्व स्तर पर प्रेषित मुद्रास्फीति की जटिलताओं को देखते हुए पहली तिमाही की समीक्षा (जुलाई 2008) ने वर्तमान ऊंचे स्तर से मार्च 2009 के अंत तक मुद्रास्फीति को 7.0 प्रतिशत के स्तर के आसपास लाने और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं को स्थिर करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसके सिवाय, मौद्रिक नीति ने

मुद्रास्फीति को वर्तमान असह्य स्तर से जल्द से जल्द 5.0 प्रतिशत से कम की सह्य सीमा और मध्यावधि में उसे 3.0 प्रतिशत के आसपास लाने के अपने निर्णय को दुहराया। इस पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक ने पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर मांग के समायोजन को ठीक करने की जरूरत महसूस की, ताकि सामान्य अस्थिरता विकसित न हो। मौद्रिक निभाव को वापस लेने के मौद्रिक नीति के रुख और उपयुक्त विवेकसम्मत उपायों के लिए पूरक का कार्य किया सरकार की वित्तीय और आपूर्ति बढ़ाने वाली कार्रवाइयों ने। परिणाम यह हुआ कि यद्यपि हाल में वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, फिर भी घरेलू मुद्रास्फीति में मुख्य अंशदान करने वाली वस्तुओं की मूल्यवृद्धि कई विकसित और दूसरी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम रही है।

I.94 मौद्रिक नीति का संचालन कई कारणों से इधर अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। सबसे पहले, उस संकट के वैश्विक आयामों को पहचानना जरूरी है जिससे दुनिया भर में मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता पर आंच आ रही है। विश्व के घटनाक्रम के उद्घाटन और मौद्रिक प्राधिकारियों के रिस्पॉन्स से एक ओर यह प्रतीत होता है कि विकास और वित्तीय स्थिरता को खतरा है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में चल रहे उथल-पुथल के बाद और दूसरी तरफ यह कि ईंधन, खाद्य और धातु की ऊंची और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से मुद्रास्फीति को गंभीर खतरा है। वैश्विक गतिविधियों ने भारत में पूंजी प्रवाह की संभावना में व्याप्त अनिश्चितता को काफी बढ़ा दिया है, और इस प्रकार भारत में मौद्रिक और चलनिधि प्रबंधन के संचालन को जटिल बना दिया है। देशी आधारभूत पक्षों के निरंतर मजबूत बने रहने और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों द्वारा भारी मात्रा में चलनिधि डाले जाने से जहां लगातार पूंजी का आगमन बने रहने की संभावना बढ़ जाती है, वहीं नजरिये या वैश्विक चलनिधि परिस्थितियों में अटपटे हेर-फेर से इसकी संभावना भी बढ़ जाती है कि पूंजी बड़ी मात्रा में और अस्थिर ढंग से बाहर चली जाए। तदनुसार, वित्तीय बाजारों की अतिरेकी अस्थिरता से वास्तविक अर्थव्यवस्था को बचाने में भारत में मौद्रिक नीति को सजग और सक्रिय रहना होगा और साथ ही यह समझना होगा कि दुनिया के घटनाक्रम से भारत पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता। इस संदर्भ में, यह नोट किया जाए कि मौद्रिक नीति के साधनों का लचीला उपयोग दोनों दिशाओं में करने के अलावा, रिजर्व बैंक विवेकसम्मत उपायों का उपयोग भी पूंजी खाता प्रबंधन के संदर्भ में लचीले तौर पर कर सकता है।

I.95 द्वितीय, वर्ष के अंत में की जानेवाली लेखाबंदी से पहले बैंकों के तुलनपत्रों के समायोजन तथा अग्रिम कर प्रवाह जैसे स्थानीय कारकों से भी चलनिधि की परिस्थितियां प्रभावित हुई हैं। तथापि, वर्ष 2007-08 के दौरान इन घटनाक्रमों का पूर्वानुमान करते हुए चलनिधि प्रबंधन के अतिरिक्त परिचालनों से कुल मिलाकर बाजार की ब्याज दरें स्थिर बनी रहीं और उनकी एक व्यवस्थित गति बनी रही। हाल के वर्षों में जिस एक कारक के प्रभाव से बाजार की चलनिधि में भारी उतार-चढ़ाव हुए, वह था सरकार के नकदी शेष में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव। सरकार के नकदी शेष में उतार-चढ़ाव को लेकर जो अनिश्चितता की स्थिति है उससे चलनिधि प्रबंधन और भी जटिल हो सकता है, विशेष रूप से तब जब सरकार द्वारा किए जा रहे आहरण के कारण नकदी शेष में होनेवाली गिरावट और पूंजी अंतर्प्रवाह में वृद्धि एक साथ हो रही हो, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है और उसे वित्तीय प्रणाली में चलनिधि की आपूर्ति करनी पड़ सकती है।

I.96 तीसरे, बने हुए मुद्रास्फीतिकारी दबावों के वातावरण में विकसित हो रही राजकोषीय स्थिति मौद्रिक प्रबंध के प्रति कड़ी चुनौतियां उपस्थित करती है, विशेष रूप से यदि आपूर्ति में बेलोच अल्पावधि में बनी रहे। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि मौद्रिक नीति की प्रभावशालिता को राजकोषीय विस्तार द्वारा कम न किया जाए। यह मानना महत्वपूर्ण है कि अल्पावधि में आपूर्ति संबंधी सीमित लचीलेपन के वातावरण में पूरी अर्थव्यवस्था में फैले समग्र समस्त मांग का समायोजन अपेक्षित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामान्यीकृत अस्थिरता पैदा न होने पाए तथा वह भारत की वृद्धि की गति के परिणामों और सकारात्मक रुखों दोनों के रूप में कठिनाई से अर्जित लाभों को समाप्त न कर पाए। दूसरी ओर, यह भी आवश्यक है कि आपूर्ति संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने तथा दीर्घावधि में हुई उत्पादकता और क्षमता में सुधार के हाल के फायदों को पोषित और समेकित किया जाए। चौथे, इस बात को स्वीकार करना आवश्यक है कि मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति के वाहकों में निहित संरचनागत घटकों का ध्यान रखना होता है जो, चक्रीय तत्वों से भिन्न, समस्त मांग प्रबंधन के लिखतों के प्रति अल्पावधि में अभेद्य होते हैं।

I.97 पांचवें, यह मानने की जरूरत है कि बैंकों पर अपनी निवल घरेलू मांग एवं मीयादी देयताओं का 25 प्रतिशत एसएलआर का निर्धारण

सरकारी प्रतिभूति बाजार के उचित विकास को अवरुद्ध करेगा। ऐसे में यह दुविधा उत्पन्न होती है कि क्या यह मान लिया जाए कि एक ठीक-ठाक सरकारी प्रतिभूति बाजार है और इसलिए एसएलआर में तेजी से कमी करके बाजारीकरण को और पुख्ता बनाया जाए अथवा एक साथ अर्थक्षम बाजार उधार कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाए और एसएलआर में तदनु रूप कमी की जाए। इस संदर्भ में, यदि एसएलआर में तेजी से कमी की जाती है तो राजकोष में ब्याज दर के बोझ की संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा जारी किए गए बांडों के लिए एसएलआर की स्थिति का महत्व भी हाल ही में उस समय केंद्र में आ गया जब सरकार द्वारा जारी तेल बांड उतनी ही परिपक्वता के एसएलआर पात्र बांडों के मुकाबले 25 आधार अंक ज्यादा प्रतिफल देने के बावजूद तरल नहीं समझे गए। यह समझे जाने की जरूरत है कि विशेष बांड जारी करने से सरकारी बांडों की समग्र आपूर्ति में वृद्धि होती है और इस तरह प्रतिफल पर ऊपरी दबाव बढ़ जाता है। भारत में निःसंदेह रूप से ऋण बाजारों के वांछनीय सुधार के लिए यह जरूरी है कि कापॉरिट ऋण बाजार में चल रहे सुधारों के अलावा इन वास्तविकताओं से भी रू-ब-रू हुआ जाए।

I.98 छठे, घरेलू वित्तीय बाजारों में सुव्यवस्थित स्थितियां बनी हुई हैं, सिवाय इक्विटी बाजार के जहां अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार की गतिविधियों के परिणामस्वरूप जोखिम से बचना तथा अनिश्चितता में वृद्धि दिखाई पड़ी। वैश्विक वित्तीय बाजारों के इर्द-गिर्द बढ़ी हुई अनिश्चितता तथा प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए असाधारण नीतिगत उपायों से यह संकेत उभरता है कि निकट भविष्य में वैश्विक स्तर पर वृद्धि तथा स्थिरता के ऊपर मंडराने वाले खतरे वर्ष 2008-09 के दौरान उभरने वाली मौद्रिक नीति के रुझानों के लिए अहम होंगे। प्रत्यक्ष प्रभाव का प्रमुख स्रोत वित्तीय प्रवाहों के माध्यम से विशेष रूप से इक्विटी बाजार तथा विदेशी मुद्रा बाजार के माध्यम से है।

I.99 सातवें, हालांकि जून 2008 से मौद्रिक एवं बैंकिंग समुच्चयों की वृद्धि दरों में उनके प्रस्तावित अनुमानों के अनुसार कमी दर्ज की जाने लगी है, फिर भी बैंक ऋण के लिए मांग में तेजी बनी हुई है। जहां अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के संदर्भ में तेल कंपनियों के निधीकरण संबंधी जरूरतों के कारण पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए ऋण की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है, वहीं दूसरे क्षेत्रों विशेष रूप से आधारभूत संरचना, सीमेंट, रसायनों, परिवहन परिचालकों तथा व्यावसायिक एवं

अन्य सेवाओं के लिए बैंक ऋण में भी तेजी आई है जिससे इन क्षेत्रों की गतिविधियों की लोच प्रदर्शित होती है। दूसरी तरफ, क्षेत्र-विशिष्ट कारकों के चलते कृषि, आवास, स्थावर संपदा, निर्माण, धातु उत्पादों, कपड़ों, रत्न एवं आभूषणों तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए बैंक ऋण की मांग कम हुई। वर्ष 2008-09 (1 अगस्त 2008 तक वर्ष-दर-वर्ष) में ऋण में वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धिशील गैर-खाद्य ऋण-जमा अनुपात बढ़कर 85.4 प्रतिशत हो गया। यह स्वीकार करने की जरूरत है कि बैंक क्रमिक रूप से वृद्धिशील ऋण-जमा के इतने ऊँचे अनुपात को बरकरार नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें अपनी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 33 प्रतिशत से अधिक सीआरआर एवं एलएलआर के रूप में बनाए रखना है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बैंकिंग प्रणाली ऋण में वृद्धि और जमा में वृद्धि के बीच एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करे।

I.100 अंत में, इस या उस रूप में नियंत्रित ब्याज दरों के निरंतर वर्चस्व से संकेत उभरता है कि मौद्रिक नीति के उपायों की सीमा में इसके प्रेषण में आई कठोरताओं को संज्ञान में लिए जाने की आवश्यकता है।

I.101 कड़ी चुनौतियों तथा भारत में वित्तीय बाजारों एवं संस्थाओं के प्रचलित ढांचे की पृष्ठभूमि में, यह महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाइयों के समय और परिमाण के संबंध में सूचित निर्णय लिए जाएं; तथा निर्णयों में सतत आधार पर आनेवाली जानकारी के मूल्यांकन का लाभ होना जरूरी है।

I.102 चूंकि मुद्रास्फीति की दरें सहनीय स्तर से अधिक हो गयी हैं, अतः मौद्रिक नीति द्वारा मांग संबंधी कुल दबावों, जिनमें सुदृढ़ता दिखाई दे रही है, की समस्या का समाधान करना जारी रखा जाएगा। तथापि, इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपूर्ति की स्थिति में सुधार की जरूरत है। अनाज की कीमत की मुद्रास्फीति संबंधी समस्या से निपटने के लिए मध्यावधि में मांग-आपूर्ति संबंधी बेमेलों का समाधान करना जरूरी है, जिसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाकर तथा ऋण एवं उत्पाद दोनों के बाजारों में किसानों के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन प्रणाली प्रदान कर फसल की उपज बढ़ाने की जरूरत है। आयात किये गये कच्चे तेल पर अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय तेल की उच्चतर कीमतों के प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करने के लिए लक्षित सब्सिडी के संबंध में पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में गुरुतर विनियंत्रण की नीति अपनाने, लागू होने वाले करों और शुल्कों को उपयुक्त स्तरों तक युक्तियुक्त बनाने और हेडलाइन

मुद्रास्फीति में एक बार किये जाने वाले बड़े समायोजनों के जोखिम को टालने के लिए उपभोक्ताओं को कीमत का क्रमिक परंतु नियमित अंतरण अपेक्षित होगा। चूंकि एक खुली अर्थव्यवस्था में विनिर्मित उत्पादों संबंधी कीमतें आयात और निर्यात दोनों की कीमतों के प्रति संवेदनशील होती हैं, अतः घरेलू मांग के अलावा विनिर्मित उत्पाद संबंधी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना पर्याप्त मूलभूत संरचना प्रदान करके तथा प्रमुख औद्योगिक निविष्टियों तक पहुंच बढ़ाकर औद्योगिक तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए सहायक वातावरण के निर्माण पर निर्भर होगा। व्यापार और प्रतिस्पर्धा नीतियां फर्मों के लिए लचीले मूल्य निर्धारण के रख का संवर्धन करने के उद्देश्य से बनायी जाएंगी। मांग में थोड़ी वृद्धि होने पर भी क्षेत्रवार आघात में मुद्रास्फीति को उन स्तरों से आगे ले जाने की संभाव्यता होती है जो मांग-आपूर्ति में समग्र संतुलन द्वारा न्यायोचित

हो, राजकोषीय एवं आपूर्ति पक्ष के उपाय क्षेत्र विशिष्ट में उत्पन्न मुद्रास्फीति दबावों को नियंत्रित कर उन्हें सामान्यीकृत होने से बचाने में मदद कर सकते हैं। मुद्रास्फीतिकारी दबावों को और बढ़ने से रोकना मौद्रिक नीति की पहली प्राथमिकता होगी।

I.103 वृद्धि में कुछ अधोमुखी जोखिम तथा अल्पावधि में मुद्रास्फीति पर ऊर्ध्वमुखी दबावों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यावधि से दीर्घावधि संभावनाएं सुदृढ़ बनी हुई हैं। तथापि, अर्थव्यवस्था की पूरी संभाव्यता के दोहन के लिए उसके सभी क्षेत्रों में सुधार के प्रयास जारी रखने की जरूरत है। तत्कालिक चुनौती यह है कि राजकोषीय क्षेत्र में हुए सुधारों तथा वास्तविक क्षेत्र में आपूर्ति संबंधी लचीलेपन को ध्यान में रखते समय मुद्रास्फीति को यथाशीघ्र सहनीय स्तर तक नीचे लाया जाए तथा वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखा जाए।

समष्टि आर्थिक नीतिगत परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

II.1.1 वर्ष 2006 में 5.1 प्रतिशत की तुलना में 2007 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि में कुछ कमी आयी और वह 5.0 प्रतिशत रही, लेकिन यह 2003-2006 की चार वर्ष की अवधि में 4.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत वृद्धि से कुछ अधिक थी। लेकिन, अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्याशित मंदी को दिखलाते हुए, वृद्धि के 2008 में काफी कम होकर 4.1 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2007 की तीसरी तिमाही की प्रत्याशित वृद्धि की तुलना में कुछ सुदृढ़ वृद्धि के बाद, अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, जापान तथा यूरो क्षेत्र में, 2007 की अंतिम तिमाही में वृद्धि में काफी कमी आयी। ऐसा अमेरिकी सब-प्राइम मोर्टगेज बाजार में उथल-पुथल और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में इसके फैल जाने के कारण हुआ। अनेक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधि में कमी देखने में आयी लेकिन वह चीन और भारत के नेतृत्व में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत वृद्धि से प्रतिकूलित हो गयी। विकासशील देशों में इसका प्रभाव कुल मिलाकर सीमित रहा है क्योंकि सब प्राइम से सम्बद्ध विभिन्न उत्पादों में उनका निवेश सीमित ही था। विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में उपभोग गतिविधि ने देशी मांग को मजबूत किया, जबकि निर्यात वृद्धि में कुछ कमी के संकेत दिखायी दिये। लेकिन खाद्यान्न, धातु और ऊर्जा के बढ़ते मूल्यों के साथ-साथ, बढ़ी हुई देशी मांग ने उदीयमान एशिया में अनेक देशों पर स्फीतिकारक दबाव बना दिये। ऋण में और अधिक कमी की संभावनाओं के साथ-साथ, वैश्विक वृद्धि में कमी के जोखिमों में अमरीकी मंदी के संभावित प्रभाव, बढ़े हुए स्फीतिकारक दबाव और लगातार बने हुए वैश्विक असंतुलन शामिल हैं। उच्च खाद्य पदार्थ मूल्यों और मुद्रास्फीति तथा स्फीतिकारक प्रत्याशाओं के निहितार्थ की प्रतिक्रिया के रूप में और जनसंख्या के निर्धन तबकों द्वारा खाद्य उपभोग को बचाने के लिए, विकसित और विकासशील दोनों ही देशों ने मूल्य नियंत्रणों, आयात प्रतिबंध घटाने और/अथवा निर्यात प्रतिबंध लगाने जैसे विभिन्न प्रकार के बाजार हस्तक्षेपों का सहारा लिया।

II.1.2 वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि जारी रही। हालांकि 2006-07 के 9.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कम होकर 9.0 प्रतिशत

रहा, लेकिन यह पिछले चार वर्ष की अवधि की (2003-04 से 2006-07) औसत वृद्धि से अधिक था। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में (2002-03 से 2006-07), औसत वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत प्रति वर्ष रही, जो योजना के 8 प्रतिशत के लक्ष्य से कुछ कम है - लेकिन यह अब तक किसी भी योजना अवधि में वृद्धि की सबसे तेज गति थी। 2006-07 में 8.1 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (अर्थात् फैक्टर मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद) कम होकर 7.8 प्रतिशत रह गयी। लेकिन, यह चार वर्ष की अवधि में (2003-04 से 2006-07) में 7.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत वृद्धि से अधिक थी। दसवीं योजना अवधि में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि औसतन 6.1 प्रतिशत प्रति वर्ष रही।

II.1.3 वर्ष 2007-08 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये नीतिगत उपायों से वृद्धि की गति को बनाए रखने में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त, देशी स्फीतिकारक दबावों पर नियंत्रण लगाने के लिए भी विशेष उपाय किये गये जो कि ईंधन, खाद्यान्न और धातु के उच्च तथा उतार-चढ़ाव वाले अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के कारण बढ़ गये थे। केंद्र सरकार ने 2007-08 में कई राजकोषीय और आपूर्ति को बढ़ाने वाले उपाय किये, जिनमें आयात पर सीमा शुल्क घटाना; जीरो शुल्क पर कुछ पण्यों के आयात की अनुमति देना; और कुछ संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल थे। इन उपायों को चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन के उद्देश्य से वर्ष के दौरान आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कई बार वृद्धि के रूप में मौद्रिक उपाय द्वारा मजबूत किया गया। वास्तविक, राजकोषीय, बाह्य, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्रों में किये गये नीतिगत उपायों में इस अध्याय के पहले भाग में चर्चा की गयी है और इन क्षेत्रों में हुई गतिविधियों की चर्चा इस अध्याय के बाद वाले भागों में की गई है।

वास्तविक क्षेत्र की नीतियां

कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां

II.1.4 समष्टि आर्थिक स्थिरता और वृद्धि की संभावनाओं में मजबूती लाने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, अपनी व्यापक और समावेशी वृद्धि की नीति के अनुसरण में सरकार ने इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा। कृषि विकास और कृषक समुदाय की स्थिति में सुधार लाने के लिए 2007-08 में उसने अनेक नई प्रकार की

पहल की। इनमें उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, संस्थागत ऋण और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाना शामिल थे। राज्यों द्वारा कृषि में निवेश को बढ़ाने तथा व्यथित कृषकों को ऋण से राहत दिलाने के लिए भी उपाय किये गये।

II.1.5 कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में मंद वृद्धि पर चिंता जताते हुए, 29 मई 2007 को हुई अपनी 53वीं बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक संकल्प किया कि केंद्र और राज्य सरकारें कृषि में फिर से जान फूंकने और कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपाय करेंगी। इस संकल्प के अनुसार कृषि मंत्रालय ने 2007-08 में केंद्र द्वारा प्रायोजित एक परियोजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) प्रारंभ की जिसका उद्देश्य वर्तमान में उत्पादकता के निम्नस्तर वाले लेकिन उच्च क्षमता वाले जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उपज में सुधार के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाना था (बाक्स II.1)।

II.1.6 राष्ट्रीय विकास परिषद के संकल्प में यह भी प्रस्ताव था कि राज्य योजनाओं में कृषि में निवेश में उनका हिस्सा बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने तथा कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र की योजनाओं को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में उन्हें लोच और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाए। तदनुसार, 16 अगस्त 2007 को, सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना* (आरकेवीवाइ) का अनुमोदन किया जिसके लिए 25,000 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य योजना होगी और स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए पात्रता कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों पर बेस लाइन प्रतिशत व्यय के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में राज्य बजटों में उपलब्ध करायी गयी राशि पर निर्भर करेगी। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को निधियां केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाएंगी।

II.1.7 सरकार ने कृषकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2007 का अनुमोदन किया जिसमें उत्पादन और उत्पादकता के अतिरिक्त कृषकों की आर्थिक समृद्धि पर ध्यान दिया गया। इस नीति के अधीन शामिल किये जानेवाले क्षेत्रों में उत्पादक आस्तियों तथा विपणन योग्य कौशल तक कृषकों की पहुंच में सुधार के लिए आस्ति सुधार; जल प्रयोग कुशलता जिसमें प्रति बूंद अधिक फसल का विचार निहित है; और उन्नत प्रौद्योगिकी और ज्ञान चौपाल शामिल हैं ताकि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

II.1.8 सरकार ने 2007-08 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के 31 कृषक आत्महत्या-प्रवण जिलों के लिए 16,979 करोड़ रुपये का पुनर्स्थापन पैकज अनुमोदित किया। तीन वर्ष की अवधि में क्रियान्वित किये जानेवाले इस पैकेज का उद्देश्य एक परिपुष्ट और सक्षम खेती तथा ऋण राहत के माध्यम से कृषकों के लिए आजीविका समर्थन प्रणाली स्थापित करना, संस्थागत ऋण की बेहतर आपूर्ति, कृषि के प्रति फसल पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीति, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं, वाटरशेड प्रबंधन, बेहतर विस्तार और फार्म सहायता सुविधाएं, तथा बागवानी, पशु धन, डेअरी तथा मछली पालन के माध्यम से सहायक आय अवसर उपलब्ध कराना है।

II.1.9 सरकार को आशा थी कि वर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइबीपी) के अंतर्गत 2007-08 में 24 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा 753 लघु सिंचाई योजनाएं पूरी कर ली जाएंगी जिससे 5,00,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का निर्माण होगा। केंद्रीय बजट 2008-09 में पिछले वर्ष के क्रमशः 11,000 करोड़ रुपये और 3,580 करोड़ रुपये की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुमानित परिव्यय बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया जिसमें अनुदान का भाग 5,550 करोड़ रुपये था।

II.1.10 केंद्रीय बजट 2008-09 में ग्रामीण बुनियाद सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ)-XIV 2008-09 में मूल राशि बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपये कर दी गयी ताकि ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं की निधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2008-09 में आरआइडीएफ-XIV के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपये की मूल राशि सहित ग्रामीण सड़कों के लिए एक अलग सुविधा का भी प्रस्ताव था।

II.1.11 वर्ष 2007-08 के दौरान कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह का लक्ष्य लगातार चौथे वर्ष लक्ष्य की तुलना में अधिक रहा। 2007-08 के लिए 2,25,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण का वास्तविक वितरण 2,25,348 करोड़ रुपये था। केंद्रीय बजट में 2008-09 के लिए कुल कृषि ऋण का लक्ष्य 2,80,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। बजट में 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर अल्पकालिक कृषि ऋण जारी रखने का भी प्रावधान है और 2008-09 में ब्याज अनुदान के लिए 1,600 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान किया गया।

बॉक्स II.1
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

भारतीय संदर्भ में, आम आदमी को कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना खाद्य सुरक्षा का एक प्रमुख मानदंड रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति प्रारंभ की गयी थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों की आय बढ़ाने के साथ-साथ खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त करना था। हरित क्रांति में बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों, सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार, उर्वरकों और रसायनों का और अधिक उपयोग, संस्थागत सहायता (ऋण सहित) और समर्थन मूल्य नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिससे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली। 1950-51 में लगभग 51 मिलियन टन की तुलना में 1967-68 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर लगभग 95 मिलियन टन हो गया और उसके बाद 2007-08 में 230.7 मिलियन टन (अनुमानित) के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे भारत खाद्यान्न का निर्यातक बन गया जबकि 1960 के दशक में भारत को खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था।

लेकिन 1990-2007 में 1.2 प्रतिशत पर खाद्यान्न उत्पादन की औसत वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर से कम थी। 2007-08 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इस अवधि में अनाज और दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो गयी। 1990-91 में प्रति व्यक्ति 468 ग्राम की तुलना में 2005-06 में अनाज का उपभोग प्रति व्यक्ति 412 ग्राम रह गया, जबकि उसी अवधि में दालों का उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति दिन 42 ग्राम से (1956-57 में 72 ग्राम) कम होकर 33 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन रह गया। यही नहीं, लगातार निर्धनता, बेरोजगारी और क्रय शक्ति के अभाव के कारण जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को खाद्य पदार्थ आसानी से नहीं मिलते। देश में लगभग आधी जनसंख्या के अभी भी न्यून-पौष्टिकता से ग्रसित होने के कारण खाद्य सुरक्षा की चुनौती अभी भी एक कठिन कार्य है।

देश में खाद्यान्नों की कमी की समस्या का सामना करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 29 मई 2007 को हुई अपनी 53वीं बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंत तक चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमशः 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन और 2 मिलियन टन बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ करने का संकल्प किया। तदनुसार, केंद्र द्वारा प्रायोजित 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' 2007-08 में प्रारंभ किया गया। मिशन का उद्देश्य देश के कुछ जिलों में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना; भूमि की उर्वरकता तथा अलग-अलग फार्म स्तर पर उत्पादकता फिर से कायम करना; रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना; तथा फार्म स्तर पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना (अर्थात् फार्म से लाभ) ताकि कृषकों में फिर से आत्म विश्वास जगे।

मिशन का उद्देश्य ऐसे जिलों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनमें उच्च क्षमता तो है लेकिन इस समय उत्पादकता का स्तर तुलनात्मक रूप से कम है। उद्देश्य यह है कि बेहतर प्रौद्योगिकी और फार्म प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों की उपज का अंतर कम किया जाए। संसाधनों से विपन्न कृषकों तक पहुंचने के लिए और विभिन्न गतिविधियों की लगातार निगरानी करने के लिए,

अनेक प्रकार के कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। चुनिंदा जिलों में हिताधिकारियों के चयन, प्राथमिकतावाले क्षेत्रों की पहचान करने और स्थानीय स्तर पर पहल को क्रियान्वित करने जैसी गतिविधियों में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रियता से शामिल किया जाएगा।

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मिशन की रणनीतियों में विभिन्न स्तरों पर सभी हितधारकों को सक्रियता से शामिल करना; बेहतर प्रौद्योगिकी के संवर्धन और विस्तार; यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिताधिकारियों को समय पर सुविधा प्राप्त हो रही है निधियों के प्रवाहों की लगातार निगरानी करना; जिला योजनाओं के साथ प्रस्तावित सहायता का समन्वयन करना; प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित करना तथा क्रियान्वयक एजेंसियों द्वारा परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण के लिए सहायता के प्रभाव का साथ-साथ आकलन करना। मिशन देश के 16 राज्यों के 305 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पहचान किये गये जिलों को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे जिले के कृषि विकास के लिए तैयार किये गये एसआरईपी में शामिल कोई भी स्थानीय क्षेत्र विकल्प को चुन सकते हैं। 2007-08 में विभिन्न प्रकार की सहायता करने के लिए विभिन्न राज्यों को 149.4 करोड़ रुपये की राशि दी गयी। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में मिशन का कुल परिव्यय 4,882.5 करोड़ रुपये होगा (सारणी क)।

सारणी क : एनएफएसएम के अंतर्गत प्रस्तावित आबंटन

वर्ष	(करोड़ रुपये)			
	चावल	गेहूं	दालें	कुल
2007-08	70.8	234.6	96.9	402.3
2008-09	384.1	682.7	285.9	1,316.8
2009-10	366.3	290.8	287.2	944.2
2010-11	428.3	341.5	286.4	1,056.3
2011-12	508.8	370.8	283.4	1,163.0
कुल	1,722.3	1,920.3	1,239.9	4,882.5

भारत कुछ ऐसे गिने-चुने देशों में से एक है जिन्होंने खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ प्रयोग किये हैं। एनएफएसएम के रूप में निहित अद्यतन प्रयास से देश में समयबद्ध तरीके से खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की आशा है।

संदर्भ :

1. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (2007), नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑपरेशनल गाइडलाइन्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अगस्त
2. _____ (2002), रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन इंडिया विजन, 2020 (चेयरमैन डॉ.एस.पी.गुप्ता), योजना आयोग, दिसंबर
3. _____ (2008), आर्थिक सर्वेक्षण, 2007-08, वित्त मंत्रालय
4. _____ विभिन्न प्रेस प्रकाशनियां, प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो।

II.1.12 केंद्रीय बजट 2008-09 में की गयी घोषणा के अनुसारण में, भारत सरकार ने कृषक समुदाय की तकलीफों को कम करने, विशेषकर छोटे और सीमांत कृषकों के लिए, ऋण माफी और ऋण

सहायता के संबंध में मई 2008 में दिशा निर्देश जारी किये। सरकार का अनुमान है कि लगभग 30 मिलियन छोटे और सीमांत कृषक तथा लगभग 10 मिलियन दूसरे कृषक योजना से लाभान्वित होंगे।

मई 2008 में योजना की संशोधित लागत 71,680 करोड़ रुपये होने का अनुमान था।

II.1.13 वर्ष 2008-09 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरइजीएस), जोकि मांग पर आधारित रोजगार के लिए कानूनी गारंटी सहित योजना है, के लिए बजट 16,000 करोड़ रुपये था और देश के सभी 596 ग्रामीण जिलों में प्रारंभ करने का प्रस्ताव था।

विनिर्माण और मूलभूत सुविधाएं

II.1.14 क्षेत्र-विशेष नीतियां 2007-08 में जारी रखी गयीं ताकि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके, जिसकी वृद्धि वर्ष के दौरान मंद पड़ गयी थी। व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूत बनाने के लिए कदम जारी रखे गये ताकि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाया जा सके। विशिष्ट क्षेत्रों में मंदी को दूर करने के लिए राजकोषीय उपाय भी किये गये जो कि विकास और रोजगार दोनों ही उद्देश्यों से महत्वपूर्ण है और उनमें बड़ी विभिन्नता भी है।

II.1.15 देश में विनिर्माण क्षेत्र के लगातार विकास को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए जनवरी 2008 में भारत सरकार द्वारा एक उच्च शक्ति प्राप्त दल का गठन किया गया (अध्यक्ष : डॉ.वी.कृष्णमूर्ति)। दल के विचारणीय विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल हैं : (क) अगले 10-15 वर्षों के लिए भारतीय विनिर्माण उद्योगों के लगातार विकास को सुनिश्चित करना; (ख) विनिर्माण उद्योगों के विकास में हाल ही में आयी मंदी को पलटना; (ग) भारतीय रुपये की मूल्य वृद्धि और उच्च ब्याज दरों के कारण, विशेषकर वस्त्र, चर्म और हस्तशिल्प जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के संबंध में भारतीय विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना; (घ) भारत में विनिर्माण के आधुनिकीकरण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) और मजबूत प्रौद्योगिकी आधार बनाना।

II.1.16 अक्टूबर 2007 में एक नयी कोयला वितरण नीति अधिसूचित की गयी ताकि कोयले के आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता दोनों ही पर दायित्व की प्रणाली में विविध प्रकार के उपभोक्ताओं को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर कोयले की सुनिश्चित मात्रा की आपूर्ति की जा सके। इस नीति में छोटे और मध्यम उद्योगों को कोयले की आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों के लिए भी पहले से अधिक बड़ी भूमिका का प्रावधान है। नीति के प्रावधानों के आधार पर, देश में यथोचित कोयला बाजार बनाने को सुविधाजनक करने के लिए कुछ संशोधित बातों सहित कोयले की ई-नीलामी फिर से प्रारंभ की गयी। ई-नीलामी की नई क्रियाविधि के अधीन, नीलामी बोली के

लिए कोई न्यूनतम मूल्य नहीं होगा जैसा कि कोयले के ई-नीलामी विक्रय के अंतिम चरण में था, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों को एक रिजर्व मूल्य रखने की स्वतंत्रता होगी जो यथोचित वाणिज्यिक निर्णय लेने के लिए कोयले के अधिसूचित मूल्य से कम नहीं होगा। ई-नीलामी के लिए दो प्लेटफार्म होंगे, पहला एक वर्ष या अधिक अवधि हेतु कोयले की आपूर्ति के लिए और दूसरा ई-नीलामी के प्रस्ताव की बारंबारता के अनुसार कम अवधि हेतु कोयले की आपूर्ति के लिए। कोयले के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षा होगी कि वे कोयला आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं दोनों द्वारा यथोचित योजना के लिए ई-नीलामी के अन्तर्गत कोयले की बिक्री के प्रस्ताव के लिए वर्ष के प्रारंभ में समयसारणी बनाएंगे।

II.1.17 उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अधिक उत्पादनजन्य लाभ के लिए व्यष्टि और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा एकमात्र विनिर्माण पर आरक्षण को समाप्त करने की गति ने 2005 से जोर पकड़ लिया है। सरकार ने फरवरी 2008 में 79 मदों को आरक्षित सूची से हटा दिया है। इससे व्यष्टि और लघु उद्यमों द्वारा एकमात्र विनिर्माण के लिए आरक्षित सूची में अब केवल 35 मदें रह गयी हैं। व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता जारी रखने के लिए, 2008-09 के केंद्रीय बजट में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में एक जोखिम पूंजी निधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में यह भी प्रस्ताव किया गया कि सिडबी द्वारा 5 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए गारंटी शुल्क 1.5 प्रतिशत से कम करके 1.0 प्रतिशत और वार्षिक सेवा शुल्क 0.75 प्रतिशत से कम करके 0.5 प्रतिशत कर दिया जाए।

II.1.18 सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की तर्ज पर व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यम समूहों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (एनएमसीपी) के अंतर्गत एक 10-सूत्रीय कार्यक्रम की भी घोषणा की। इन उपायों में वर्तमान योजनाओं के अलावा, फरवरी 2007 में अति लघु और लघु उद्यमों के लिए घोषित पैकेज के अंतर्गत नयी योजनाएं भी शामिल हैं। अति लघु और लघु मझौले उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए की गयी नयी पहल में पाठ्यक्रम चलाने के लिए चुनिंदा प्रबंध/व्यावसायिक विद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को वित्तीय सहायता देने की योजना; 1,200 उद्यम क्लब चलाने के लिए पांच चुनिंदा विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने की योजना

और नारियल-जटा उद्योग के पुनरुत्थान, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना शामिल है। सरकार ने अग्रणी एजेंसियों या उद्यमी मित्र के माध्यम से पहली पीढ़ी के उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने में विभिन्न प्रक्रिया संबंधी और कानूनी बाधाओं को दूर करने, तथा उद्यम स्थापित करने और उन्हें चलाने में विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए फरवरी 2008 में *राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना* प्रारंभ की। सीमांत वर्ग से संबंधित लाभकर्ताओं की पहचान तथा लक्ष्यीकरण को और ध्यान देने के उद्देश्य से, एक नया ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) जिसे *प्रधानमंत्री रोजगार योजना* (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरइजीपी) का विलय करके 15 अगस्त 2008 से शुरू किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत छोटे उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना है।

II.1.19 केंद्रीय बजट 2008-09 में ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान समन्वित वस्त्र पार्क योजना (एसआइटीपी) और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) के लिए योजना जारी रखने का प्रस्ताव था जिसमें वस्त्र निर्माण उद्योग की मूल्य वर्धिता और रोजगार निर्माण की संभावित क्षमता को देखते हुए कताई, बुनकरी, बुनाई, वस्त्र निर्माण, तकनीकी वस्त्र और प्रसंस्करण पर ज्यादा ध्यान दिया गया। हथकरघा क्षेत्र के प्रति समूह दृष्टिकोण ने तेजी से प्रगति की है और 250 समूह विकसित किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत मार्च 2008 तक 1.8 मिलियन बुनकरों को शामिल किया गया। योजना 2008-09 में भी जारी रहेगी और इसमें अनुषंगी हथकरघा कामगार शामिल होंगे।

II.1.20 सरकार ने मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए उपाय किये। ऊर्जा क्षेत्र में, केंद्रीय बजट 2008-09 में *राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना* के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। बिजली के खराब पारेषण और वितरण की स्थिति को देखते हुए, संचार और वितरण के लिए एक राष्ट्रीय निधि गठित करने का प्रस्ताव था। सड़क नेटवर्क में सुधार लाने के लिए केंद्रीय बजट में 2007-08 में 10,867

करोड़ रुपये की तुलना में 2008-09 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए 12,966 करोड़ रुपये आबंटित किये गये।

II.1.21 सरकार ने तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए जून 2008 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद विरमानी)। समिति (i) 2004-05 और 2007-08 के बीच अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन कंपनियों, तेल शोधकों तथा डाउनस्ट्रीम तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की वित्तीय स्थिति पर तेल मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव की जांच करेगी; (ii) सभी तीनों समूहों की कंपनियों के नकदी प्रवाह और लाभप्रदता का विश्लेषण करेगी ताकि उनके परिचालन में हो रहे परिवर्तनों की स्पष्ट स्थिति प्राप्त हो सके, विशेषकर उनके परिचालनों के लिए ऋण और नकदी की उपलब्धता पर प्रभाव; (iii) तेल विपणन कंपनियों पर मूल्य संबंधी नियंत्रण लगाने के परिणामस्वरूप 'न्यून वसूली' की संकल्पना पर पुनर्विचार और तथाकथित घाटे और वास्तविक घाटे की जांच करना; (iv) शोधकों और तेल वितरण कंपनियों की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ताकि उनकी सामान्य कारोबारी गतिविधियां जारी रह सकें और अर्थव्यवस्था की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियों के संभावित स्रोतों का पता लगाया जा सके तथा (v) अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन कंपनियों, शोधकों, डाउनस्ट्रीम तेल विपणन कंपनियों और स्टैंड अलोन शोधकों सहित सभी हितधारकों द्वारा बोझ बांटने के लिए उपलब्ध विकल्पों की जांच करना।

II.1.22 उद्योग को बढ़ावा देने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, इन्वर्जन और अन्य विसंगतियों को हटाने के लिए, केंद्रीय बजट 2008-09 में विभिन्न श्रेणियों के लिए सीमा शुल्कों में परिवर्तन किया गया। तदनुसार, प्रोजेक्ट आयात, फास्फोरिक एसिड और खेल की वस्तुओं की विशिष्ट मशीनरी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया; कुछ विशिष्ट जीवन रक्षक दवाइयों, ऐसी दवाइयों के निर्माण के लिए प्रयोग में आनेवाली बल्क दवाइयों, पालिश की गयी क्यूबिक जिर्कोनिया, कन्वर्जन्स उत्पाद और रफ कोरल पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया जबकि कच्चे तेल और अपरिष्कृत सल्फर पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत

कर दिया गया। स्टील मेल्टिंग स्क्रैप, एल्युमिनियम स्क्रैप और बॅकटोफ्यूज पर सीमा शुल्क बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। सेट टॉप बॉक्स के कुछ विशिष्ट पुर्जों, सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग में प्रयोग के लिए विशिष्ट कच्चे पदार्थ, खेल की वस्तुओं के लिए विशिष्ट कच्चे पदार्थ, रफ क्यूबिक जिर्कोनिया, उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित नाफ्था, काटे गये और पालिश किये गये रंगीन रत्न और रफ सिंथेटिक रत्न पर सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गयी।

II.1.23 अनेक प्रकार की वस्तुओं के लिए उत्पादन शुल्क में कमी की गयी। इनमें फार्मा सेक्टर में उत्पादित वस्तुएं, जल शुद्ध करने के उपकरणों, मुलम्मा और फ्लश दरवाजों, स्टैराइल ड्रेसिंग पैड, विशिष्ट प्रकार की पैकेज करने की सामग्री, तथा नाशते के लिए खाद्यान्न (16 प्रतिशत से 8 प्रतिशत); बसें और उनकी चेसिस, छोटी कारें, दो पहिए और तिपहिए (16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत); हाइब्रिड कारें (24 प्रतिशत से 14 प्रतिशत); कागज, कागज बोर्ड और उनसे निर्मित वस्तुएं; तथा कुछ प्रकार के लेखन, मुद्रण तथा पैकिंग कागज (12 प्रतिशत से 8 प्रतिशत) शामिल हैं। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्पादन शुल्क से छूट दे दी गयी। 14 अगस्त 2008 से, अति महत्वपूर्ण कोयला तापीय प्रौद्योगिकी पर आधारित अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई

राजकोषीय नीति

II.1.24 वर्ष 2007-08 में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया जारी रही जैसा कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) नियमावली, 2004 में विनिर्दिष्ट किया गया था। साथ-साथ राजकोषीय नीति में आर्थिक विकास, ईक्विटी और समष्टि आर्थिक स्थिरता के उद्देश्यों का अनुसरण किया गया। 2007-08 के लिए केंद्र सरकार के संशोधित वित्त अनुमानों में सुधार दिखलाई दिया, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बजट अनुमान की तुलना में घाटे के प्रमुख संकेतक अर्थात् राजस्व घाटे (आरडी) और सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत की कमी हुई। ऐसा बढ़े हुए कर राजस्व और मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण हुआ। बजट में अनुमानित 11.8 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के संशोधित अनुमानों में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 12.5 प्रतिशत हो गया।

II.1.25 वर्ष 2007-08 के लिए कर नीति में तर्क संगत कर दरों, कम छूटों, पहले से व्यापक कर आधार और बकाया राशियों की वसूली के रूप में संतुलित कर विन्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया। वैयक्तिक आय और कंपनी करों की समग्र दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया जबकि वैयक्तिक आय की छूट की सीमा में 10,000 रुपये की वृद्धि की गयी। एक करोड़ रुपये या उससे कम की करयोग्य आय वाली कंपनियों पर अधिभार समाप्त कर दिया गया। कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश वितरण कर (डीडीटी) की दर 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गयी और मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों और चलनिधि पारस्परिक निधियों द्वारा दिये गये लाभांश पर 25 प्रतिशत की गयी।

II.1.26 वर्तमान कर आधार में विस्तार के लिए कई उपाय किए गए। एक, न्यूनतम एकांतर कर (मैट) के आधार को, सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की यूनिटों और निर्यातोन्मुख यूनिटों के लाभों को इसकी परिधि में लाकर, व्यापक बनाया गया; दो, स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान कारोबार कर रहे और विशिष्ट सीमा से अधिक टर्न ओवर वाले अलग-अलग व्यक्तियों तथा हिंदू अविभक्त परिवारों द्वारा ठेकेदारों को किये गये भुगतान पर लागू किया गया; तीन, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के अधीन सुविधाओं को शामिल करने के लिए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (एफबीटी) का दायरा बढ़ाया गया।

II.1.27 प्रत्यक्ष करों के अधीन दी गयी प्रमुख राहत में, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नकद आहरण को बैंकिंग कैश ट्रान्ज़ैक्शन टैक्स (बीसीटीटी) से छूट दी गयी, जबकि अलग-अलग व्यक्तियों और हिंदू अविभक्त परिवारों के लिए बीसीटीटी छूट सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गयी। मूलभूत सुविधाओं के लिए लाभ और अर्जन के संबंध में 10 वर्ष के लिए दी गयी 100 प्रतिशत छूट क्रॉस कन्ट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर लागू की गयी। इसके अतिरिक्त, अभिव्यक्ति 'मूलभूत सुविधा' का विस्तार किया गया ताकि समुद्र में नौवहन चैनल को इसमें शामिल किया जा सके। शहरी मूलभूत सुविधाओं के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों के समूह के लिए निधियां जुटाने के लिए बनायी गयी राज्य वित्तीय इकाइयों के माध्यम से कर मुक्त बांड के निर्गम को स्वीकृति दी गयी। आंतरिक अनुसंधान और विकास के संबंध में व्यय के लिए दी गयी भारित 150

प्रतिशत की कटौती पांच वर्षों के लिए और बढ़ाकर, 31 मार्च 2012 तक कर दी गयी। उद्यम पूंजी निधि को दी गयी कर से छूट को केवल बायो टेक्नॉलॉजी के उद्यम पूंजी संस्थानों में निवेश, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी, नैनोटेक्नॉलॉजी, बीज अनुसंधान और विकास, फार्मा क्षेत्र में नयी रासायनिक इकाइयों के अनुसंधान और विकास, डेअरी उद्योग, मुर्गीपालन उद्योग तथा बायो-ईंधनों के उत्पादन तक ही सीमित किया गया।

II.1.28 अप्रत्यक्ष करों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। सहज, तर्कसंगत और सरल कर विन्यास लाने तथा सीमा शुल्क दरों को एशियान स्तरों तक कम करने की नीति को जारी रखते हुए, गैर-कृषि आयात के लिए सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 2006-07 में 12.5 प्रतिशत से कम करके 2007-08 में 10 प्रतिशत कर दिया गया। देशी विनिर्माताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर निविष्टिगत पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न श्रेणियों में रासायनों और प्लास्टिक पर आयात शुल्क काफी कम कर दिया गया। गैर-कृषि वस्तुओं के लिए सामान्य औसत टैरिफ 2006-07 में 12.2 प्रतिशत से कम करके 2007-08 में लगभग 9.4 प्रतिशत कर दिया गया। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान निदेशालय के साथ पंजीकृत सभी अनुसंधान संस्थाओं सार्वजनिक निधियों को उपलब्ध 5 प्रतिशत शुल्क की रियायती दर में विस्तार किया गया ताकि देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिल सके। उत्पाद शुल्क के संबंध में नीति, दरों को कम करने के बजाए, कर आधार में विस्तार करने की रही। तदनुसार, केंद्रीय बजट 2007-08 में सामान्य सीईएनवीएटी दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क का मूल्यानुसार भाग 8 प्रतिशत से कम करके 6 प्रतिशत कर दिया गया ताकि इन दो मदों में मूल्य कमी का बोझ बांटा जा सके।

केंद्रीय बजट 2008-09

II.1.29 केंद्रीय बजट 2008-09 ने और तेज तथा समावेशी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया और विकास के लिए आपूर्ति संबंधी रुकावटों का हल ढूंढने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बजट में 2008-09 को (i) जारी कार्यक्रमों को मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करने; (ii) कार्यान्वयन की निकटता से निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने; तथा (iii) प्राप्त लक्ष्यों और उनकी गुणवत्ता के संदर्भ में परिणाम मापने के माध्यम से समेकन का वर्ष बनाने का प्रस्ताव

था। ब्याज भुगतानों, रक्षा, पेंशन, वेतन और सब्सिडी जैसे प्रतिबद्ध और गैर-विवेकाधीन व्ययों के दबाव के बावजूद, 2008-09 के बजट में ग्रामीण रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सहित सामाजिक क्षेत्रों के लिए आबंटन में वृद्धि करके तेज और सर्वांगीण विकास पर बल देना जारी रहा। बजट में ग्रामीण भारत की क्षमता का उपयोग करने के लिए ग्रामीण सड़कों तथा विद्युतीकरण सहित भौतिक मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से पर्याप्त संसाधन जुटाये गये।

II.1.30 व्यय की पुनर्प्राथमिकताओं में और गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देते हुए, विशेषकर मूलभूत सुविधा विकास तथा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र पर, केंद्रीय बजट 2008-09 में प्रस्तावित वित्तीय समेकन की प्रक्रिया राजस्व से निदेशित होगी। शिक्षा के अन्तर्गत ध्यान प्राथमिक स्तर पर संख्या में वृद्धि करना और तृतीयक क्षेत्र शिक्षा उपलब्ध कराने पर होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणाली की स्थापना के लिए आबंटित राशि में वृद्धि की गई।

II.1.31 केंद्रीय बजट 2008-09 में घोषित कर प्रस्तावों का उद्देश्य कर राजस्व में वृद्धि को जारी रखना तथा पिछले चार वर्षों में हासिल की गयी उपलब्धियों को और मजबूत बनाना था। इसके लिए कर प्रशासन की गुणवत्ता, दक्षता तथा प्रभावकारिता में सुधार के साथ-साथ यथोचित नीतियां बनायी गयी। नीति का उद्देश्य सहज और कम दरें रखना, छूट को समाप्त करना तथा कर आधार को व्यापक बनाना था। कर प्रशासन के मामले में, कर राजस्व की बकाया राशियों की वसूली, कर दाता की सेवा में सुधार तथा निवारण स्तरों में वृद्धि पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2008-09 में प्रत्यक्ष कर उपायों का राजस्व पर कोई प्रभाव न पड़ने तथा अप्रत्यक्ष प्रस्तावों के कारण 5,900 करोड़ रुपये की हानि होने की संभावना थी।

II.1.32 प्रत्यक्ष करों के संबंध में, कंपनी कर दरों और अधिभारों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सभी कर दाताओं के लिए वैयक्तिक आय कर के लिए छूट की प्रारंभिक सीमा 1,10,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दी गयी जिससे सभी करदाताओं को कम-से-कम 4,000 रुपये की राहत मिली। महिलाओं के लिए मूल छूट सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दी गयी और 65 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,25,000 रुपये कर दी गयी। वैयक्तिक आय कर के चार स्लैब में भी वृद्धि की गयी। छोटी बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 तथा डाकघर मीयादी खाते को आय कर

अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अपने पिता अथवा माता अथवा दोनों के लिए मेडिकल बीमा प्रीमियम देने वाले व्यक्ति को धारा 80घ के अधीन 15,000 रुपये की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी गयी। बैंककारी नकद लेनदेन कर 1 अप्रैल 2009 से समाप्त कर दिया जायेगा।

II.1.33 डीमेट रूप में जारी और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनी ऋण लिखतों को स्रोत पर कर की कटौती से छूट दी गयी। लाभांश वितरण कर दर के समस्तर पर लाने के लिए, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की दर बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गयी। किसी मूल कंपनी को अपनी सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश को उसके द्वारा वितरित लाभांश से समायोजित करने की अनुमति दी गयी, बशर्ते कि सहायक कंपनी पर लाभांश वितरण कर (डीडीटी) लगाया गया हो और मूल कंपनी किसी और कंपनी की सहायक संस्था नहीं है।

II.1.34 सीमान्त लाभ कर (एफबीटी) के दायरे से क्रश सुविधाओं, अतिथिगृहों, कर्मचारी-खिलाडी के प्रायोजन तथा कर्मचारियों के लिए खेलकूद आयोजित करने संबंधी व्यय को हटाकर, केंद्रीय बजट 2008-09 में कंपनियों और फर्मों को सीमांत लाभ कर में कुछ राहत दी गयी। कर देयता के संबंध में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को दी गयी छूट हटा दी गयी और अदा किये गये प्रतिभूति लेनदेन कर को कारोबारी आय के संबंध में किसी और कटौती योग्य व्यय के समान समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिनके लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया, प्रतिभूति लेनदेन कर, विकल्प प्रीमियम पर लगाया जाएगा और देनदारी विक्रेता की होगी; ऐसे विकल्प जिनका प्रयोग कर लिया गया, कर निपटान मूल्य पर लगाया जाएगा और देनदारी क्रेता की होगी। बजट में पण्य एक्चेंज में विकल्पों और फ्यूचर पर प्रतिभूति लेनदेन कर के समान ही पण्य लेनदेन कर (सीटीटी) प्रारंभ किया गया।

II.1.35 2008-09 के लिए, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में, गैर-कृषि वस्तुओं पर सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रतिशत बनाए रखी गयी। सीमा शुल्कों में क्षेत्र-विशेष कमियां की गयीं ताकि उद्योग को बढ़ावा मिल सके। ऊर्जा क्षेत्र में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं पर 4 प्रतिशत की दर से विशेष प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लगाया गया। निर्यात लाभ और शुल्क में छूट की जटिल प्रणाली के कारण, मूल्य विसंगतियों और राजस्व हानियों से बचने के लिए, पॉलीमर के विनिर्माण में प्रयोग के लिए नैप्था पर शुल्क से दी गयी छूट को हटा लिया गया और उस पर 5

प्रतिशत की सामान्य दर लगा दी गयी। लेकिन, उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित नैप्था को आयात शुल्क से छूट जारी रहेगी।

II.1.36 विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बजट 2008-09 में सभी वस्तुओं पर सामान्य सीईएनवीएटी दर घटाकर 16 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर दी गयी। विकास और रोजगार उन्मुख क्षेत्रों के संबंध में उत्पादन शुल्क कम कर दिया गया। कुछ वस्तुओं जैसे कंपोस्टिंग मशीनों, वायरलेस डेटा कार्डों, डिब्बाबंद नारियल पानी, चाय और कॉफी मिश्रणों, तथा पफ्ड चावल पर उत्पादन शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया। अनब्रान्डेड पेट्रोल और अनब्रान्डेड डीजल पर उत्पाद शुल्क के यथामूल्य भाग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 1.35 रुपये प्रति लीटर का समतुल्य विशिष्ट शुल्क लगा दिया गया। परिणामस्वरूप, अनब्रान्डेड पेट्रोल और अनब्रान्डेड डीजल पर विशिष्ट शुल्क क्रमशः 14.35 रुपये प्रति लिटर और 4.60 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया।

II.1.37 सेवा कर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते हुए भाग को देखते हुए, इसके दायरे में यूनिट संबद्ध बीमा योजना (यूएलआईपी) के अधीन उपलब्ध कराई गई आस्ति प्रबंध सेवा; स्टॉक/पण्य बाजारों और समाशोधन गृहों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं; जिन मामलों में मूल्य वर्धित कर (वीएटी) देय नहीं है उनमें वस्तुओं के प्रयोग के अधिकार और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को लाया गया। छोटे सेवा प्रदाताओं की सुविधा और प्रशासनिक संसाधनों के इष्टतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, छोटे सेवा प्रदाताओं के लिए वार्षिक टर्नओवर की प्रारंभिक सीमा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई। इस छूट से लगभग 65,000 छोटे सेवा प्रदाताओं को लाभ होने की आशा है।

II.1.38 सरकार तेरहवें वित्त आयोग से अनुरोध करेगी कि छोटे केंद्रीय वेतन आयोग (एसपीसी) के कारण दायित्वों के स्पष्ट हो जाने पर राजकोषीय समायोजन के लिए फिर से योजना बनाए और उसे यथोचित रूप से संशोधित करे। एसपीसी ने 24 मार्च 2008 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। तदुपरांत, केंद्र सरकार ने कुछ संशोधनों के बाद एसपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन का अनुमोदन प्रदान किया। केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुसार एसपीसी का वित्तीय प्रभाव लगभग 22,100 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है (बाक्स II.2)।

II.1.39 केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच एक करार होने के बाद तथा 2008-09 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में

केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की दर 2007-08 में 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गई और 01 जून 2008 से और घटाकर 2 प्रतिशत की गई। राज्यों को सीएसटी के कम किये जाने के कारण होनेवाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति को संबंधित वर्ष में सीएसटी की वास्तविक उगाही के आधार पर आनुपातिक हानि तक सीमित किया जाएगा। सरकार ने नोट किया कि माल और सेवा कर को 01 अप्रैल 2010 से लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के कार्य में काफ़ी प्रगति हुई है।

II.1.40 वर्ष 2008-09 की व्यय नीति का लक्ष्य सामाजिक विकास तथा बुनियादी जरूरतों के खर्चों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के साथ-साथ योजनेतर व्यय को सीमित रखने का था। इस संबंध में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को योजनेतर व्यय के निर्दिष्ट शीर्षों पर 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती करनी होगी। ब्याज भुगतान, ऋण की चुकौती, रक्षा पूंजी, वेतन, पेंशन और राज्यों को दिए जानेवाले वित्त आयोग अनुदानों (ग्रांट) को छोड़कर योजनेतर व्यय के शेष शीर्षों पर 5 प्रतिशत की

बाक्स II.2

सरकार के वित्त पर छठे वेतन आयोग का प्रभाव

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (अध्यक्ष: न्यायमूर्ति बी.एन.श्रीकृष्ण) जिसका गठन सरकार ने 5 अक्टूबर 2006 को किया था, ने अपनी रिपोर्ट 24 मार्च 2008 को प्रस्तुत कर दी। विचारणीय विषयों में, केंद्र सरकार के संगठनों को जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध आधुनिक, पेशेवर और नागरिकों के प्रति मैत्रीपूर्ण इकाइयों में परिवर्तित करना है। तदनुसार, आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वेतन पैकेज तैयार किया और आम आदमी को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दाति प्रणालियों में सुधार के लिए सरकारी तंत्र को युक्तियुक्त बनाने के लिए सिफारिशें दीं। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, आयोग ने सरकारी तंत्र के स्तरों में कमी करने की सिफारिश की ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके और सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार हो सके। उसने कार्य निष्पादन से जुड़ी एक प्रोत्साहन योजना (पीआरआइएस) और वेतनमानों की मूल स्कीम में परिवर्तनीय वेतन वृद्धियों का भी सुझाव दिया। बेहतर निष्पादन का आकलन किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा हिताधिकारी (एंड यूजर) को दी गई बेहतर सेवा के संदर्भ में किया जाएगा। पीआरआइएस में बेहतर निष्पादन के लिए वेतन के अतिरिक्त धन प्रदान करने का प्रावधान होगा। वेतनमान और पेंशन 1 जनवरी 2006 से, पूर्व प्रभाव से, लागू होंगे, जबकि अन्य सिफारिशें बाद में लागू की जाएंगी।

छठे वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशें हैं : (क) सिविल और रक्षा बलों, दोनों के लिए चार विशिष्ट चल वेतन समूह और भारत सरकार के सचिव/समकक्ष पद तथा कैबिनेट सचिव के लिए एक विशिष्ट वेतनमान; (ख) वेतन समूह (पीबी-1) के प्रवेश स्तर पर न्यूनतम 6600/- रुपये पर न्यूनतम वेतन (अगस्त 2008 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 7000/- रुपये तक संशोधित); सचिव स्तर पर अधिकतम वेतन 80,000/- रुपये; न्यूनतम: अधिकतम अनुपात 1:12 होगा; (ग) सभी नियत भत्तों के मुद्रास्फीति के साथ इंडैक्शन सहित सिविल और रक्षा बलों के अधिकांश भत्तों को दो गुना करना; (घ) पेंशन में 40 प्रतिशत की वृद्धि; (ङ) महंगाई भत्ते की गणना के लिए, जितनी बार संभव हो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष का संशोधन; (च) ब्रिगेडियर/समकक्ष स्तर के पद तक रक्षा बलों के सभी कार्मिकों के लिए सेना सेवा वेतन का प्रावधान।

सरकारी वित्त पर वेतन वृद्धि का प्रभाव 12,561 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (सारणी क) होगा जिसमें से 9,242 करोड़ रुपये के व्यय का केंद्र सरकार द्वारा और शेष 3,319 करोड़ रुपये का रेलवे बजट द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन आयोग के अनुसार (i) पेंशन कम्युटेशन फार्मूला में प्रस्तावित परिशोधन; (ii) पेंशन कम्युटेशन के भुगतान के लिए संशोधित योजना;

(iii) अग्रिमों के भुगतान के लिए संशोधित योजना और रक्षा बल कार्मिकों के लिए लेटरल मूवमेंट के कारण 4,586 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत होगी। इस प्रकार, सरकार के लिए निवल अतिरिक्त वित्तीय भार 7,975 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का होगा। लेकिन आयोग के अनुसार, सिफारिशों के कार्यान्वयन के पहले वर्ष में संभवतया कोई बचत नहीं होगी।

सारणी क : प्रति वर्ष वित्तीय प्रभाव

शीर्ष	(करोड़ रुपये)
असैनिकों के लिए संशोधित वेतनमान	3,828
रक्षा बलों के लिए संशोधित वेतनमान	1,640
रक्षा बलों के लिए सेना सेवा वेतन	1,497
परिवहन भत्ता (असैनिक और सुरक्षा बल)	241
मकान किराया भत्ता (असैनिक और सुरक्षा बल)	1,100
पेंशन (असैनिक और सुरक्षा बल)	1,365
उपदान (असैनिक और सुरक्षा बल)	410
छुट्टी के बदले नकद राशि (असैनिक और सुरक्षा बल)	180
रक्षा बल भत्ते	1,750
अन्य भत्ते	400
विविध (अलग-अलग पदों का उन्नयन, अलग-अलग भत्ते)	150

जोड़

12,561

1 जनवरी 2006 से, पश्चाद् प्रभाव से, बकाया भुगतान के कारण एकबारगी व्यय का प्रभाव 18,060 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से, केंद्र सरकार के बजट द्वारा 12,642 करोड़ रुपये और शेष 5,418 करोड़ रुपये रेलवे बजट द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2008 को एसपीसी की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है। केंद्र सरकार के संशोधन के अनुसार एसपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण 2008-09 में वित्तीय भार लगभग 22,100 करोड़ रुपये का होगा। इसमें से, 15,700 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट द्वारा और 6,400 करोड़ रुपये रेलवे बजट द्वारा वहन किये जाएंगे।

संदर्भ:

भारत सरकार (2008), 'छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट, मार्च।
भारत सरकार (2008), प्रेस सूचना ब्यूरो, वित्त मंत्रालय, 14 अगस्त।

अनिवार्य कटौती लागू की जानी थी। राजकोषीय नीति समावेशी वृद्धि, मानव पूंजी विकास और महत्वपूर्ण बुनियादी विकास से संबंधित खर्चों के प्रति अनुकूल बनी रहने की थी ताकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने वास्तविक परिणाम का पता लगाने, उस पर निगरानी रखने तथा उसका निर्धारण करने के लिए 2008-09 के लिए आउटकम बजट प्रस्तुत किए। मुख्य ध्यान परिव्यय से बदलकर परिणामों पर दिए जाने से व्यय पर कारगर ढंग से नजर रखने, व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने और सुपुर्दगी तंत्र की दक्षता एवं जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत धन का सही मूल्य प्राप्त करने के लिए महसूस की गई। बेहतर व्यय अनुशासन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से लेखांकन प्रणाली को सरकारी प्राप्तियों और व्यय की स्थिति पर ऑनलाइन नजर रखने के लिए व्यापक बनाया जा रहा है ऐसा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाएगा ताकि विभिन्न केंद्रीय/राज्यों की योजनाओं की स्थिति ऑनलाइन प्राप्ति की जा सके।

II.1.41 बजट में ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, महिला और बाल विकास तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों के उच्चतर परिव्ययों के जरिए तथा इन कार्यक्रमों में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर निगरानी के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र की बुनियादी व्यवस्था पर बल देना जारी रखा गया है। वर्ष 2008-09 में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आबंटन सामाजिक क्षेत्र के सुधारों में इनकी महत्ता के मद्देनजर पर्याप्त रूप से बढ़ गए। वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में *भारत निर्माण* के अधीन बनाये गए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अर्थात् *सर्व शिक्षा अभियान* (एसएसए) पर दिए जानेवाले बल को प्राथमिक स्तर पर पहुंच तथा बुनियादी व्यवस्था से हटाकर पढ़ने की प्रवृत्ति बनाए रखने, गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पहुंच को सुनिश्चित करने पर देना प्रारंभ किया गया। बजट में 6000 उच्च गुणवत्ता वाले आदर्श स्कूल स्थापित करके देश के सभी खंडों में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाने और विभिन्न राज्यों में उच्चतर शिक्षा के संस्थान स्थापित करने के लिए एक नई योजना भी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय संसाधनों को बांट लेने तथा सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित

करेगा। वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), जिसका लक्ष्य संपूर्णतः कार्यशील, समुदाय की स्वाधिकृत विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदाता योजना स्थापित करना है, संबंधी आबंटन राशि बढ़ाकर 12,050 करोड़ रुपए कर दी गई है।

II.1.42 सरकार ने 'असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2007' के अधिनियम बन जाने की प्रत्याशा में एक चरणबद्ध रूप में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई तीन योजनाएं लागू कीं। ये हैं:- (i) *आम आदमी बीमा योजना* जो कि गरीब घरेलू कामगारों को बीमा रक्षा प्रदान करती है; (ii) *राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना* जिसके द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले असंगठित क्षेत्र के हर कामगार को तथा उसके परिवार को 30,000 रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी; और (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना जिसकी व्याप्ति 19 नवंबर 2007 से बढ़ाकर उसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की श्रेणी के 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया।

राज्य सरकारें

II.1.43 राज्य सरकारें वर्ष 2007-08 के दौरान राजकोषीय सुधार और समेकन कार्यक्रम में बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) द्वारा निर्दिष्ट राजकोषीय पुनर्संरचना मार्ग तथा संबंधित राजकोषीय दायित्व विधानों (एफआरएल) के अधीन निर्धारित लक्ष्य के रूप में प्रगति करती रहीं। जून 2008 के अंत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों ने एफआरएल को अधिनियम बना लिया। सभी राज्यों ने बिक्री के स्थान पर योजित मूल्य कर (वैट) कार्यान्वित कर लिया, वैट को कार्यान्वित करनेवाला अंतिम राज्य था उत्तर प्रदेश जिसने 01 जनवरी 2008 से इसे लागू किया। राज्य सरकारें अपने एफआरएल की एक अपेक्षा के रूप में मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी) तैयार कर रही हैं, जिसमें कि नीतिगत प्राथमिकताएं, मुख्य नीतियां और तीन-वर्षीय अवधि के लिए चल लक्ष्य परिभाषित हैं।

II.1.44 भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार 13 नवंबर 2007 को तेरहवां वित्त आयोग गठित किया गया जिसकी अवधि 2010 से 2015 तक होगी। अपने विचारार्थ विषयों के रूप में, आयोग निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगा - केंद्र तथा राज्यों के बीच करों से प्राप्त निवल आय का संवितरण, जो उनके बीच बांट ली जानी है

या बांट ली जा सकती है, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायता-अनुदान पर लागू सिद्धांत और राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की *पंचायतों* और महानगर पालिकाओं के संसाधनों को पूरक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए जरूरी उपाय। उपर्युक्त के अलावा, आयोग, *अन्य बातों के साथ-साथ*, (क) माल और सेवा कर (जीएसटी) के प्रस्तावित कार्यान्वयन के प्रभाव; (ख) सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने की जरूरत; (ग) परिस्थिति विज्ञान (इकोलॉजी), पर्यावरण तथा संवहनीय विकास के अनुरूप बदली जलवायु का प्रबंध करने पर भी विचार करेगा।

II.1.45 राज्यों ने 2008-09 के लिए अपने बजट प्रस्तुत करते हुए राजस्व को बढ़ाने तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की ओर व्यय की दिशा मोड़ने के लिए कई नीतिगत पहलों की घोषणा की थी। अधिकांश राज्यों ने अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 2008-09 में कृषि और जल रक्षण के आबंटनों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया। सभी राज्यों ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर उच्चतर व्यय प्रस्तावित किए हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों ने भी सड़क और शहरी परिवहन के विकास के लिए उच्चतर आबंटन करते हुए बुनियादी संरचना के विकास पर बल दिया है। असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने बिजली क्षेत्र के लिए योजनाओं की घोषणा की। कुछ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने शहरी विकास तथा आवास क्षेत्रों के लिए उच्चतर आबंटनों का प्रस्ताव किया। राज्य सरकारें न्यून और मध्यम आय वर्ग के परिवारों, झोपडपट्टीवासियों और गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) सहित विभिन्न योजनाओं के अधीन आवास निर्माण का कार्य हाथ में ले रही हैं। आंध्रप्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड और

उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने कोषागारों और कर विभागों के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव किया। महाराष्ट्र ने कम्प्यूटरीकृत बजट वितरण प्रणाली कार्यान्वित की ताकि नकदी प्रवाह प्रणाली में सुधार हो सके। अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ और राज्यों ने महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट पद्धति लागू की। केरल ने एक जेंडर बोर्ड गठित करने की घोषणा की। मणिपुर ने गारंटी शोधन निधि और आकस्मिकता ऋण शोधन निधि बनाने का प्रस्ताव किया।

बाह्य क्षेत्र की नीतियां

II.1.46 विदेश व्यापार नीति (2004-09) के वार्षिक अनुपूरक (2008) में सरकार ने क्षेत्रगत पहलों, संवर्द्धनात्मक उपायों, रुपया मूल्यवृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों को राहत, लेनदेन लागत कम करने और क्रियाविधियों को सरल बनाने के लिए किये गये उपायों के जरिए बाह्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के नीतिगत उपाय घोषित किया। संवर्द्धनात्मक उपायों के अंतर्गत निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के अधीन विनिर्माण और सेवाओं को निर्यातों का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। शुल्क पात्रता पास बुक योजना की अवधि बढ़ाकर मई 2009 तक कर दी गई। रुपए में हुई मूल्यवृद्धि से प्रभावित चुनिंदा क्षेत्रों में निर्यातकों को राहत प्रदान करने के एक उपाय के रूप में, निर्दिष्ट क्षेत्रों को पहले ही दिए गए ब्याज दर अनुदान को और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और प्रभावित क्षेत्रों के मामले में ईपीसीजी के अधीन औसत निर्यात बाध्यता कम कर दी गयी। घोषित अन्य क्षेत्रगत उपायों में सूचना प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर, टेलिकॉम, खिलौने और खेलकूद के सामान जैसे क्षेत्रों के लिए किए गए विशिष्ट उपाय शामिल थे। इनमें निम्नलिखित शामिल थे: टेलिकॉम क्षेत्र के लिए एक नए निर्यात संवर्द्धन परिषद का गठन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर क्षेत्र में हाइटेक उत्पाद योजना के अधीन लाभ पाने के लिए विशिष्ट मदें जोड़ना। फोकस बाजार योजना, जिसका लक्ष्य चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के प्रति उच्च मालभाड़ा लागतों तथा इन बाजारों में व्याप्त अन्य कमियों को समायोजित करते हुए निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाना है, की व्याप्ति 10 और देशों तक बढ़ा दी गयी। अन्य बातों के साथ साथ, घोषित निर्यात सुविधा उपायों में निम्नलिखित शामिल थे: शुल्क की धनवापसी में विलंब होने के मामले में निर्यातकों को ब्याज का भुगतान, घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में स्थित किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट/डेवलपर/सह-डेवलपर की विनिर्माण या प्रक्रिया संबंधी गतिविधियों में निर्मित कचरे/कबाड़/अवशिष्ट वस्तुओं का निःशुल्क

निपटान; निर्दिष्ट क्षेत्रों में मॉडवैट उपभोग न करने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा को हटाना; और लागत कम करने और सुपुर्दगी कार्यक्रमों का पालन करने के लिए निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अधीन कुछ अतिरिक्त पोर्ट शामिल करना। निर्यातकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा के परस्पर आदान-प्रदान से संबंधित लेनदेन लागत घटाने संबंधी उपाय इस प्रकार थे - इलेक्ट्रॉनिक संदेश विनिमय केंद्र (एक्सचेंज) के जरिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेज (ईडीआई) समर्थित उन्नत प्राधिकरण योजना तथा इपीसीजी योजना सक्षम बनाना; विद्यमान सभी ईडीआई को एकल पोर्ट के रूप में देखना; शुल्क क्रेडिट पर्चियों पर आवेदन शुल्क घटाना; इपीसीजी प्राधिकरण और आयातक-निर्यातक कूट संख्या और अनुपूरक दावों से संबंधित फीस घटाना। प्रमुख क्रियाविधिगत सरलीकरण के कार्य में परेषण के आधार पर शुल्क अदा करने की वर्तमान प्रणाली से निर्यात उन्मुख यूनिटों (ईओयू) को उत्पाद शुल्क का भुगतान मासिक आधार पर करने की अनुमति देना, जो कतिपय शर्तों के अधीन था; और इपीसीजी योजना के अधीन लागत बीमा भाड़ा (सीआईएफ) या 10 प्रतिशत से ऊपर की शुल्क की बची राशि में आनुपातिक वृद्धि/ कटौती की अनुमति देना शामिल था।

विदेशी मुद्रा लेनदेन¹

II. 1.47 वर्ष 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक बाह्य भुगतान क्षेत्र को और सरल एवं उदार बनाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार को गहन बनाने के लिए कई उपाय करता रहा। बाहरी-देशों के साथ पूंजीगत प्रवाहों, अंतर्वाह और बहिर्वाह दोनों ही को और उदार बनाने की गई नीतिगत पहलों के अधीन, अन्य बातों के साथ साथ, म्युच्युअल फंडों के लिए विदेशी निवेश सीमाएं बढ़ा दी गईं तथा म्युच्युअल फंडों और उद्यम पूंजी निधियों सहित भारतीय कंपनियों के लिए निवेश आयाम व्यापक बना दिए गए; भारतीय कंपनियों में कम से कम 10 प्रतिशत का पारस्परिक पण (स्टेक) रखने की शर्त के साथ विदेशी कंपनियों की इक्विटियों में संविभाग निवेश की बढ़ी सीमाएं समाप्त की गईं; विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों (ईक्विटी और ऋण) के लिए वायदा संविदाओं को रद्द करने और इस प्रकार रद्द संविदाओं के 50 प्रतिशत तक संविदाओं को पुनः बुक करने की अनुमति दी गई; आवक/जावक धन-प्रेषणों के संबंध में लघु और मझौले उद्यमों तथा निवासी व्यक्तियों के करेंसी एक्सपोजरों की प्रतिरक्षा (हेज) की तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की बढ़ी हुई पूर्व चुकौती सीमा की अनुमति दी गई। सेवा क्षेत्र की कंपनियों को 2 जून 2008 से अनुमोदित

रूट (मार्ग) के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के आयात के प्रयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की अनुमति दी गई।

II.1.48 चालू खाता लेनदेनों के संबंध में वर्ष 2007-08 के दौरान किये गए महत्वपूर्ण उदारीकरण उपायों में शामिल थे - निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के अधीन धन-प्रेषणों की सीमा कतिपय शर्तों के अधीन बढ़ाना (मई 2007 में प्रति वित्तीय वर्ष 50,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर और सितंबर 2007 में और बढ़ाकर प्रति वित्तीय वर्ष 2,00,000 अमरीकी डालर); निकृष्ट गुणवत्ता के कारण भारत को पुनःआयातित किए जानेवाले माल के लिए निर्यात आय की धनवापसी की अनुमति देना; बुनियादी परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाओं की सीमाएं बढ़ाना तथा परिष्कृत हीरो के आयात के लिए सीमाएं बढ़ाना।

II.1.49 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति को लागू करने में प्राप्त अनुभवों तथा विद्यमान समष्टि आर्थिक स्थिति के मद्देनजर अगस्त 2007 में ईसीबी के दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई। तदनुसार, समन्वित कस्बा (टाउनशिप) विकसित करने के लिए ईसीबी आय का उपयोग करने की दी गई छूट को समाप्त कर दिया गया। साथ ही, प्रति वित्तीय वर्ष प्रति उधारकर्ता 500 मिलियन अमरीका डालर के ईसीबी को स्वचालित रूट के अधीन ईसीबी के अंतिम उपयोग के लिए अनुमत केवल विदेशी मुद्रा व्यय की अनुमति दी गई और इस संबंध में निधियों को विदेश में रखा जाना आवश्यक था। अनुमत अंतिम उपयोग के लिए रुपया व्यय को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक अनुमोदन रूट के अधीन 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के ईसीबी (जून 2008 में बढ़ाकर बुनियादी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर और अन्य उधारकर्ताओं के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर किया गया) की अनुमति देने पर विचार करेगा। ईसीबी के लिए समग्र लागत सीमाएं (ऑल-इन-कॉस्ट सीलिंग) मई 2007 में घटाई गईं (परंतु बाद में मई 2008 में इन्हें पुनः लागू कर दिया गया)।

मौद्रिक नीति ढांचा²

II.1.50 2007-08 के दौरान मौद्रिक नीति संचालन भारी पूंजी प्रवाहों, वैश्विक वित्तीय बाजारों में हुई भारी उथल-पुथल तथा वैश्विक एवं देशी कारकों के कारण मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं में

¹ वित्तीय क्षेत्र की नीतियों पर एक विस्तृत चर्चा इस रिपोर्ट के अध्याय V में (वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन) में दी गई है।

² मौद्रिक प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा रिपोर्ट के अध्याय III (मौद्रिक और ऋण नीति परिचालन) में दी गयी है।

हुई वृद्धि से उत्पन्न होनेवाली चुनौतियों का सामना करने की जरूरत के अनुसार रहा। कृषि की वृद्धि दर में आई मंदी के फलस्वरूप उत्पन्न आपूर्तिगत बाधाओं के साथ-साथ अत्यधिक मांग के दबावों की पृष्ठभूमि में तैयार किए गए 2007-08 (अप्रैल 2007) के वार्षिक नीति वक्तव्य में जोर दिया गया कि मौद्रिक नीति उद्देश्यों को दिए जानेवाले महत्व के न्यायोचित संतुलन के लिए निरंतर वृद्धि को समर्थन देने हेतु स्थिरता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति का रुझान "मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं एवं संवृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली उभरती हुई वैश्विक और देशी स्थितियों के संदर्भ में उचित सभी संभव उपाय करते हुए तत्परता से कार्रवाई करने का रहा" (अप्रैल 2007)। वर्ष 2007-08 की पहली तिमाही में समष्टिआर्थिक कार्यानिष्पादन वृद्धि एवं मुद्रास्फीति दोनों रूपों में अनुकूल रहा, ऐसा होते हुए भी मौद्रिक नीति में समग्र मुद्रास्फीतिकारी दृष्टिकोण का निरंतर मूल्यांकन करने की जरूरत पर बल दिया गया। वैश्विक वित्तीय बाजारों में कम-मूल्यन और व्यापक जोखिम फैलाव से काफ़ी अनिश्चितता की स्थिति बन गई। अतः पहली तिमाही की समीक्षा में निर्धारित किये गये अनुसार मौद्रिक नीति के रुझान में सकेत दिया गया कि संवृद्धि की गति को बनाये रखने के लिए मूल्य स्थिरता और सुस्थिर मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं पर निरंतर बल दिया जाता रहेगा, 'प्रासांगिक रूप से, आनेवाले महीनों में वित्तीय स्थिरता अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाएगी" (जुलाई 2007)। तदनुसार, नीति के क्रम में उचित चलनिधि स्थितियों के प्रबंधन को उच्चतर प्राथमिकता दी गई। मौद्रिक नीति के सामने चलनिधि और समग्र स्थिरता के लिए विशेष रूप से वैश्विक कारकों से उत्पन्न मुद्रास्फीति के बढ़ते खतरे के परिप्रेक्ष्य में, भारी पूंजी प्रवाहों और तत्संबंधी प्रभावों का प्रबंध करने की चुनौतिया आयीं। जुलाई 2007 के प्रारंभ से वैश्विक वित्तीय बाजारों में असामान्य अस्थिरता, दबावयुक्त चलनिधि और तीव्र जोखिम से बचने की स्थिति रही। अत्यधिक वैश्विक अनिश्चितता और केंद्रीय बैंकों द्वारा अपारंपरिक रूप से की गयी कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में मध्यावधि समीक्षा में अर्थव्यवस्था में स्थिरता और संवृद्धि की गति बनाए रखने के सभी संभव विकल्पों को अपनाने का निर्णय किया गया, साथ ही 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य और पहली तिमाही समीक्षा में निर्धारित रुझान को जारी रखा गया। वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही के दौरान जहां देशी संभावनाएं सकारात्मक रहीं, वहीं वैश्विक आर्थिक संभावना सब-प्राइम संकट और खाद्यान्न, ईंधन और धातु के अस्थिर वैश्विक मूल्यों, जिनके कारण संवृद्धि तथा मुद्रास्फीति दोनों ही के लिए जोखिम

बढ़ा, के साथ और बिगड़ती गई। अतः, मौद्रिक नीति का रुझान "उभरती तीव्र वैश्विक अनिश्चितताओं और देशी मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की गतिमानता को प्रभावित करनेवाली देशी स्थितियों पर निगरानी रखने" का रहा ताकि यथोचित रूप में पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार के उपायों के साथ सुचारु रूप से प्रतिक्रिया दी जा सके (जनवरी 2008)।

II.1.51 वर्ष 2008-09 (अप्रैल 2008) के वार्षिक नीति वक्तव्य में शीघ्र समाधान की संभावना की भारी अनिश्चितता के साथ वैश्विक गतिविधियों के कारण वृद्धि तथा स्थिरता को अधिक खतरे की बात स्वीकार की गई। तथापि, वक्तव्य में मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं पर संदर्भित प्रभाव के साथ देशी कारक हावी बने रहने की बात कही गई। तदनुसार, मौद्रिक नीति का समग्र रुझान एक ऐसे मौद्रिक और ब्याज दर परिवेश को सुनिश्चित करने के रूप में था जो संवृद्धि की गति को बनाये रखने के लिए अनुकूल रहने के साथ साथ मूल्य स्थिरता, मुद्रास्फीति की नियंत्रित प्रत्याशाओं और वित्तीय बाजारों की अच्छी स्थितियों को अत्यधिक प्राथमिकता देना है। नीति में प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के उभरते चक्र और मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली देशी स्थितियों के संदर्भ में, यथोचित रूप से पारंपरिक और अपारंपरिक उपायों के साथ कार्रवाई करने का संकल्प किया गया। इस रुझान को वार्षिक नीति वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा (जुलाई 2008) में दोहराया गया जिसमें यह कहा गया कि अप्रत्याशित अनिश्चितताओं और दुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में, "नीतिगत कार्रवाइयों के समय तथा उसकी मात्रा के संबंध में एक सूझबूझपूर्ण निर्णय लेना महत्वपूर्ण है; और ऐसे निर्णयों को निरंतर आधार पर मिलती सूचनाओं के मूल्यांकन से लाभान्वित होना चाहिए।"

II.1.52 मौद्रिक नीति के रुझान के अनुरूप मौद्रिक नीति के संचयी और विलंबकारी प्रभाव को स्वीकारते हुए, मौद्रिक निभाव हटा लेना, जो सितंबर 2004 से प्रारंभ हुआ था, वर्ष 2007-08 और 2008-09 में अब तक जारी है। वर्ष 2007-08 के दौरान आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) को 150 आधार अंक बढ़ा दिया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान अब तक तेल के मूल्यों के अलावा अंतर्निहित क्रमिक रूप से निर्मित हो रहे मुद्रास्फीतिकारी दबावों के परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक नीति में अर्थव्यवस्था-वार आधार पर मांग को सुचारु और समायोजन योग्य बनाने की जरूरत को स्वीकार किया गया ताकि मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाएं सीमित रहें।

तदनुसार, रिजर्व बैंक पहले से ही सावधानीपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान (जुलाई 2008 के अंत तक) सीआरआर में कुल 125 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई और इसमें 30 अगस्त 2008 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से और 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की जाएगी, सितंबर 2004 से आरक्षित नकदी निधि (सीआरआर) में हुई संचयी वृद्धि कुल 450 आधार अंक होगी। साथ ही, रिजर्व बैंक ने अन्य नीतिगत ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने के साथ साथ रिपो दर जून - जुलाई 2008 के दौरान कुल 125 आधार अंकों की, बढ़ोतरी के साथ 9.0 प्रतिशत कर दी, वहीं अन्य नीतिगत ब्याज दरें अपरिवर्तित रखीं।

ऋण सुपुर्दगी³

II.1.53 वर्ष 2007-08 के दौरान, रिजर्व बैंक ने छोटे उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने संबंधी तंत्र में सुधार लाने की अपनी नीति जारी रखी, विशेष रूप से कृषि और छोटे उद्यम क्षेत्र हेतु बैंकों के लिए बिना किसी क्रियाविधिगत जटिलताओं के पर्याप्त एवं समय पर वित्त उपलब्ध करने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करते हुए। रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निर्मित करने के लिए अधिकाधिक वित्तीय समावेशन, ऋण सुपुर्दगी तंत्र को बढ़ावा देने, वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहन देने और ऋण की गुणवत्ता में सुधार लाने पर बल दिया है। इस ओर, बैंक ने पहुँच को और बढ़ाने तथा लेन-देन की लागत को कम करने के लिए कई पहलें की जैसे - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन करना, ग्रामीण सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाना, ऋण प्रदान करने के बहुविध आयामों यथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), व्यक्ति वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) को प्रोत्साहन प्रदान करना, बैंकिंग सुविधा प्रदाता (बीएफ)/ कारोबारी प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल और अधिकाधिक प्रगति करने और लेनदेन लागत कम करने के संबंध में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी (आईसीटी) उपायों को अपनाना। 2008-09 के दौरान, रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर बल देने के साथ-साथ रोजगार सघन क्षेत्रों में विशेषतः ऋण की गुणवत्ता एवं ऋण सुपुर्दगी पर बल देना जारी रखा।

वित्तीय क्षेत्र की नीतियां⁴

II.1.54 रिजर्व बैंक की विनियामक परिधि वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाजारों के विभिन्न

घटकों (मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार) सहित वित्तीय प्रणाली एक बड़े खंड तक फैली हुई है। वर्ष 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक निरंतर आर्थिक वृद्धि को समर्थन प्रदान करने तथा वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वित्तीय प्रणाली के यथोचित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उपाय करता रहा। विभिन्न नीतिगत उपायों का बल विवेक सम्मत विनियमन एवं प्रकटीकरण मानदंडों के रूप में यथोचित सुरक्षा उपायों तथा पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने पर बना रहा। वैश्विक वित्तीय बाजारों में हाल में हुई उथल पुथल की पृष्ठभूमि में वित्तीय क्षेत्र में मंदी छाई रही।

II.1.55 विदेशी बैंकों और विदेशों में कारोबार करनेवाले भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 को अपने आप को बासेल II ढांचे में परिवर्तित कर लिया। रिजर्व बैंक ने बासेल II के पिलर 2 के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। बैंकों को बासेल II की अपेक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम बनाने के लिए पूंजी जुटाने के नए मार्ग अपनाने की अनुमति दी गई। कंपनी संचालन के क्षेत्र में की गई एक महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार थी- सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के चयनित निदेशकों के लिए 'सुयोग्य तथा उचित' मानदंडों संबंधी दिशानिर्देश। इस दिशा में अन्य पहलें थीं-कंपनी की सामाजिक जवाबदेही, निरंतर विकास और गैर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में दिशानिर्देश। कालाधन निरोधक (एएमएल) तथा अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) दिशानिर्देश और वसूली एजेंटों, शिकायत निवारण तंत्र तथा राष्ट्रीय कॉल-न करें रजिस्ट्री के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपाय किए गए। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बनाए गए वीजन दस्तावेज से उत्पन्न नीतिगत उपायों में संवर्धित विवेक-सम्मत मानदंडों, सीमित पहुँच के साथ छोटे यूसीबी के लिए विभेदक विनियामक प्रणाली जारी रखने और एटीएम-व-डेबिट कार्ड एवं मुद्रा अंतरण की अनुमति देने सहित विभिन्न अन्य ग्राहक सेवा और कारोबार सुविधाजनक बनाने संबंधी उपायों पर बल दिया गया। यूसीबी क्षेत्र में विलयन तथा समामेलन में आलोच्य वर्ष के दौरान और तेजी आई। रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी रहे ताकि वे अधिक सक्रिय एवं स्वस्थ बन जाएं। बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण और परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश जारी करना, विवेकसम्मत मानदंड तथा उन पर लागू निवेश संबंधी निदेश

³ ऋण सुपुर्दगी से संबंधित नीतियों पर विस्तृत चर्चा इस रिपोर्ट के अध्याय IV (ऋण सुपुर्दगी) में दी गई है।

⁴ वित्तीय क्षेत्र की नीतियों पर विस्तृत चर्चा रिपोर्ट के अध्याय V (वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन) और अध्याय VI (वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण) में दी गई है।

जारी करना; ली जानेवाली ब्याज दर में पारदर्शिता लाने के प्रयास करना; कंपनी बांड लेनदेनों के लिए फिम्मडा रिपोर्टिंग मंच; और केवाईसी मानदंड लागू करने के उपाय करना महत्वपूर्ण गतिविधियां रही।

वित्तीय बाजारों के लिए नीतियां

II.1.56 रिजर्व बैंक वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहन बनाने के लिए उपाय करता रहा और कारगर विनियमन और ओवरसाइट के जरिए रक्षित परिवेश में बाजार सहभागियों को परिचालनगत लचीलेपन की अनुमति देता रहा। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार रिजर्व बैंक के प्राथमिक बाजार से हट जाने के साथ सरकारी प्रतिभूति बाजार को सुदृढ़ बनाने के उपाय प्रारंभ किए गए। इनमें निम्नलिखित शामिल थे - अल्प बिक्री लेनदेनों और तयशुदा सौदा प्रणाली के आर्डर मैचिंग खंड (एनडीएस-ओएम) के बाहर किए जानेवाले 'जब जारी' कार्यकलापों के लिए रक्षा (कवर लेग); सर्वांगीण रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी - एनडी-एसआई) को एनडीएस-ओएम मंच पर ग्राहक के सहायक सामान्य बही खाते (सीएसजीएल) के जरिए परोक्ष पहुंच की सुविधा प्रदान करना; और सरकारी प्रतिभूति खंड में (बहुविध-मॉडल निपटान) म्युच्युअल फंडों जैसे बैंकैतर/प्राधिकृत व्यापारी से इतर व्यापारियों के लिए पदनामित निपटान बैंकों के जरिए एक नया निपटान तंत्र लागू करना।

II.1.57 वर्ष 2007-08 के दौरान पूंजी बाजार नीतियां भारतीय पूंजी बाजार को दक्ष, परदर्शी और निवेशक अनुकूल बनाने की ओर निर्देशित थीं। सुस्थितिवाली तथा अनुपालनकर्ता सूचीबद्ध कंपनियों को जनता के प्रस्ताव (ऑफरिंग) और राइट निर्गमों की अनुवर्ती कार्रवाई के जरिए एक समय प्रभावी स्वरूप में भारतीय प्राथमिक बाजार में प्रवेश की सक्षमता प्रदान करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने कतिपय निर्दिष्ट अपेक्षाएं पूरी करनेवाली सूचीबद्ध कंपनियों को तुरंत कार्रवाई (फास्ट ट्रैक) निर्गम जारी करने की अनुमति दी। निम्नलिखित के संबंध में फीस में संशोधन कर कमी की गई (क) सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू), (ख) राइट इश्यू और (ग) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद। बाजारों को ऑनशोर उन्मुख बनाने के लिए क्रमिक रूप से प्रोत्साहित करने संबंधी पहले कदम के रूप में सेबी ने डेरिवेटिव पर सेबी समिति द्वारा की गई अंतरिम सिफारिशों के आधार पर भारतीय बाजारों के लिए नए डेरिवेटिव उत्पाद प्रारंभ करना सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है। की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलें थीं - एक व्यापक ढांचे की

शर्त पर सभी वर्गों के निवेशकों के लिए शॉर्ट सेलिंग प्रारंभ करना। सेबी ने 'प्रतिभूति ऋण प्रदान करने की योजना, 1997' के समग्र ढांचे के अधीन बाजार के सभी सहभागियों के लिए एक स्वयंपूर्ण प्रतिभूति ऋण प्रदान करने और उधार लेने संबंधी (एसएलबी) योजना बनाने का निर्णय लिया।

II.1.58 म्युच्युअल फंडों को और पारदर्शी एवं निवेशक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से कई पहलें की गईं। इनमें शामिल थीं - म्युच्युअल फंड के आवेदकों को प्रवेश के समय के भार से छूट प्रदान करना, समाप्ति की ओर आई योजनाओं के निर्गम व्ययों को हटाना और बोनस यूनिटों पर और लाभांश के पुनर्निवेश पर आबंटित यूनिटों के प्रवेश तथा निकासी भार को हटाना। साथ ही, म्युच्युअल फंडों द्वारा विदेशी निवेशों के लिए कुल उच्चतम सीमा सितंबर 2007 को बढ़ाकर 5 बिलियन अमरीकी डालर और अप्रैल 2008 में 7 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई।

II.1.59 भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सेबी ने डेरिवेटिव संविभाग में होनेवाले लेनदेनों पर मार्जिन के लिए, एएए दर्जा प्राप्त विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में देने की, विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति दी। सेबी ने निर्णय लिया कि सरकारी प्रतिभूतियों/खजाना बिलों में विदेशी संस्थागत निवेशकों/गौण खातों द्वारा निवेशों के लिए उपलब्ध संचयी ऋण निवेश सीमा को जनवरी 2008 में बढ़ाकर 3.2 बिलियन अमेरिकी डालर तथा जून 2008 में और 5 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया जाए। अविनियमित विदेशी संस्थाओं को सहभागिता नोट (पी-नोट) जारी करने से प्रतिबंधित किया गया। पंजीकरण मार्ग से और निवेशकों को समाहित करने के लिए सेबी ने पंजीकरण संबंधी मानदंडों में कई आशोधन किए। व्यापक आधारवाले मानदंड को संशोधित कर इसमें कम से कम ऐसे 20 निवेशक संस्थाओं को शामिल किया गया जिनमें से किसी भी निवेशक के पास 49 प्रतिशत (फिलहाल के 10 प्रतिशत की बजाए) से अधिक की धारित राशि नहीं होनी चाहिए। सेबी बोर्ड ने फाउंडेशन, एण्डोमेंट्स, विश्वविद्यालय निधियां तथा धर्मार्थ न्यास या समितियों जैसी संस्थाओं, जो किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं हैं, को विदेशी संस्थागत निवेशकों के रूप में पंजीकृत न करने के लिए भी सूचित किया।

II.1.60 2007-08 के दौरान निजी कंपनी ऋण बाजार को विकसित करने के लिए भी कई उपाय किए गए। सेबी ने कंपनी बांड लेनदेन मंच स्थापित करने को संस्थागत बना दिया जिसके बाद बम्बई शेयर बाजार

(बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) में लेनदेन मंच स्थापित किए गए। सेबी ने ऐसे जारीकर्ताओं द्वारा किए जानेवाले निरंतर प्रकटीकरण के प्रावधान को युक्तिसंगत बना दिया जिन्होंने अपनी ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराया है। सेबी ने कंपनी बांड बाजार में इस गतिविधि को सरकारी प्रतिभूतियों के समान कंपनी बांडों में बंद अवधि (शट पीरिऑड) को घटाते हुए, अर्हताप्राप्त संस्थागत निवेशकों (क्यूआइआई) सहित सभी संस्थाओं के कंपनी बांडों के लेनदेन योग्य (ट्रेडेबल) लॉट को घटाकर 1 लाख रुपए करते हुए और दिन की गणना परंपरा⁵ का मानकीकरण करते हुए सख्त बनाने के उपाय कार्यान्वित किए। निवेशकों की सुरक्षा के संबंध में सेबी ने यह आवश्यक बना दिया कि निवेशकों के लिए डिबेंचर जारी करनेवाली कंपनियां तथा संबंधित डिबेंचर न्यासी/शेयर बाजार डिबेंचरों से संबंधित समस्त जानकारी वेबसाइटों और प्रेस प्रकाशनियों के जरिए प्रसारित करेंगे। साथ ही, सेबी ने निवेश ग्रेड से कम के बांड जारी करने में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण (डीआईपी) दिशानिर्देश, 2000 में संशोधन किया।

II.1.61 2008-09 के केंद्रीय बजट में बांड, करेंसी और डिबेंचर बाजार विकसित करने संबंधी उपाय घोषित किए गए जिनमें शामिल हैं - शेयर

बाजारों में सौदा की जानेवाली करेंसी और ब्याज दर फ्यूचर प्रारंभ (लांच) करना और यथोचित सुरक्षा उपायों के साथ एक पारदर्शी क्रेडिट डेरिवेटिव बाजार विकसित करना। बाद में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में विशेष रूप से ऋण बाजारों में पाई गई कतिपय प्रतिकूल गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया कि फिलहाल भारत में क्रेडिट डेरिवेटिव लागू करने के लिए समय लाभकारी नहीं है। देशी परिवर्तनीय बांडों की सौदा योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से बजट में ऐसा एक तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया जिससे निवेशक परिवर्तनीय बांड से इम्बेडिड इक्विटी विकल्प को अलग कर सके तथा उसका अलग से सौदा कर सके। बजट में यह भी प्रस्तावित था कि डिमैट रूप में जारी और मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनी बांडों को स्रोत पर कर कटौती से छूट दी जाए। 6 अगस्त 2008 से बैंकों सहित शेयर बाजार में करेंसी वायदों के लेनदेन की अनुमति दी गई।

कानूनी ढांचा

II.1.62 सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 को 1 दिसंबर 2007 को अधिसूचित किया गया (बॉक्स II.3)।

बॉक्स II.3

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007

लोक ऋण अधिनियम, 1944 के स्थान पर अगस्त 2006 में अधिनियमित सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (जीएस अधिनियम) प्रतिस्थापित किया गया तथा इससे भारतीय प्रतिभूति अधिनियम 1920 को निरस्त कर दिया गया। रिजर्व बैंक ने जीएस अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 बनाई जो जीएस अधिनियम के साथ-साथ 1 दिसंबर 2007 से अमल में आई।

जीएस अधिनियम और जीएस विनियमावली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: (i) निवेशक अनुकूल स्वतः उन्मोचन सुविधा अर्थात् यदि निवेशक बांड लेजर खाते (बीएलए), अनुषंगी सामान्य बही खाते (एसजीएल) या स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति की उन्मोचन आय प्राप्त करने के लिए बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत करता है तो कोई भौतिक उन्मोचन सूचना (डिस्चार्ज) देना जरूरी नहीं; (ii) सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखने, दृष्टिबंधक रखने या ग्रहणाधिकार की सुविधा; (iii) सीएसजीएल खाते में धारित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में घटकों (व्यक्तियों) के लाभान्वित स्वामित्व को कानूनी मान्यता; (iv) मृत धारक की किसी सरकारी प्रतिभूति के हकदारी की मान्यता के लिए सरल क्रियाविधि/प्रलेखीकरण; (v) स्टॉक प्रमाणपत्र और बीएलए के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों के लिए नामांकन सुविधा; (vi) किसी सरकारी प्रतिभूति को मूलधन, ब्याज और उसके पुनर्गठन

के लिए स्ट्रिपिंग करने की सुविधा; (vii) सरकारी प्रतिभूति की अनुलिपि जारी करने के लिए सरल क्रिया विधि; (viii) अधियुक्तता (वेस्टिंग) आदेश करने संबंधी सरल क्रिया विधि; और (ix) एसजीएल खाते के दुरुपयोग के मामले में एसजीएल खाताधारियों को विवर्जित करना। जीएस अधिनियम द्वारा रिजर्व बैंक को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हुई हैं - जानकारी मंगवाना, सरकारी प्रतिभूति के संबंध में निरीक्षण करवाना तथा निदेश जारी करना तथा साथ ही जीएस अधिनियम के उल्लंघन के मामले में पांच लाख रुपए तक का दंड लगाना और ऐसे उल्लंघन जारी रहने की अवधि के दौरान पहले दिन के बाद से प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए का और दंड लगाना।

बेहतर ग्राहक सेवा की दृष्टि से, जीएस अधिनियम और जीएस विनियमावली के बारे में एक प्रेस प्रकाशनी के जरिए व्यापक सूचना प्रसारित की गई। साथ ही, जीएस अधिनियम और जीएस विनियमावली के बारे में अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) भी एक सुलभता से समझी जानेवाली भाषा में तैयार किए गए हैं और निवेशकों/एजेंसी बैंकों के लाभ के लिए इन्हें रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया। साथ ही, जीएस अधिनियम एवं जीएस विनियमावली की निवेशक अनुकूल विशेषताओं के विशेष उल्लेख के साथ एक विज्ञापन अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं में मुद्रण मीडिया में जारी किया जा रहा है।

⁵ दिन की गणना की परंपरा कूपन तारीखों के बीच के दिनों की संख्या निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होती है जो बांडों के उपचित ब्याज और वर्तमान मूल्य का हिसाब करने के संबंध में महत्वपूर्ण है, जब अगला कूपन भुगतान की पूर्ण कूपन अवधि से न्यून होता है।

II.1.63 रिजर्व बैंक को भारतीय स्टेट बैंक में धारित अपनी शेयरधारिता को केंद्र सरकार के पक्ष में अंतरित करने की सक्षमता प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1995 में भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 2007, जो 29 जून 2007 को अमल में आया, के जरिए कतिपय संशोधन किये गये। बाद में इस अध्यादेश के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2007 लाया गया (जो स्वीकार करने संबंधी प्रावधानों द्वारा 29 जून 2007 को अमल में आया)।

II.1.64 व्यष्टि वित्त क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक, 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को रखा गया। उक्त विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं- i) व्यष्टि वित्त विकास परिषद का गठन; ii) नाबार्ड के पास व्यष्टि वित्त संगठनों का पंजीकरण; iii) व्यष्टि वित्त लोकपाल के जरिए विवादों का निपटान और (iv) अपराध संबंधी दंड। वित्त संबंधी स्थायी समिति को उक्त विधेयक विचारार्थ भेजा गया है।

II.1.65 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2007 जिसके द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में संशोधन किए गए ताकि बंधक युक्त ऋण सहित प्रतिभूतिकृत ऋण में लेनदेन करने के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध हो सके, मई 2007 में पारित किया गया। इस अधिनियम, में *अन्य बातों के साथ साथ*, ये प्रावधान हैं (क) 'प्रतिभूतियों' की परिभाषा के अधीन प्रतिभूतिकरण प्रमाणपत्रों या लिखतों को शामिल करना; और (ख) सेबी से प्रतिभूतिकरण प्रमाणपत्र या लिखत जारी करने और उससे संबंधित क्रियाविधि के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।

II.1.66 भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंकों के कानून) संशोधन अधिनियम, 2007 दिनांक 9 जुलाई 2007 को अमल में आया जिसके द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अधिनियम, 1950, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में संशोधन किए गए। अधिनियम में अन्य, बातों के साथ-साथ, सहायक बैंकों की पूंजी बढ़ाने का प्रावधान है; यह उन्हें बाजार से संसाधन जुटाने की सक्षमता प्रदान करता है और इन बैंकों के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करता है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं - (क) भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करना; (ख) स्टेट बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के अनुमोदन से उनकी निर्गमित पूंजी निर्धारित करना; (ग) निर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसरण में स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से अधिमानी आबंटन/निजी स्थान/सार्वजनिक निर्गमों के जरिए उनकी जारी पूंजी बढ़ाना; (घ) स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक के अनुमोदन से इक्विटी शेयरधारियों को बोनस शेयर जारी करना; और (ङ) स्टेट बैंक की अधिदेशात्मक शेयरधारिता को 55 प्रतिशत से कम कर इक्विटी शेयर युक्त निर्गमित पूंजी का 51 प्रतिशत कर देना।

II.1.67 भुगतान और निपटान करने, रिजर्व बैंक को भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने और उनका पर्यवेक्षण करने का प्राधिकार देने और नेटिंग क्रियाविधि और निपटान की अंतिमता को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के रूप में एक व्यापक विधान को 20 दिसंबर 2007 को अधिनियम बना दिया गया (बॉक्स II.4)।

बॉक्स II.4

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

भुगतान और निपटान प्रणाली को सुस्थापित विधि आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक देश में भुगतान प्रणाली के आसान और सक्षम कार्य संचालन के लिए बैंकिंग प्रणाली के विनियामक के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। एक ऐसे सुस्पष्ट कानून की जरूरत को पूरा करने हेतु देश की वैविध्यपूर्ण भुगतान प्रणालियों पर विभिन्न बैंकों और संस्थाओं द्वारा सीधे विनियमन और नजर रखने में आसानी के लिए दिसंबर 2007 में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 पारित किया गया और इसे 12 अगस्त 2008 को लागू किया गया। अधिनियम में नेटिंग क्रियाविधि और निपटान को अंतिमता की कानूनी मान्यता प्रदान की गई है।

अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक को शक्तियां प्राप्त होंगी (क) देश में कार्यरत विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों, जिनमें गैर बैंकों जैसे सिसिल, कार्ड कंपनियां, अन्य भुगतान प्रणाली प्रदाता और भविष्य में खुदरा भुगतान के लिए स्थापित किए जानेवाले संगठनों द्वारा परिचालित किए जाने वाले सहित, को

विनियमित करना और उनपर निगरानी रखना; (ख) भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करने तथा प्राधिकरण हटा लेने संबंधी क्रियाविधि निर्धारित करना; (ग) विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए परिचालनगत एवं तकनीकी मानक निर्धारित करना; (घ) सेवा प्रदाताओं से सूचना मंगवाना तथा विवरणियां और दस्तावेज प्रस्तुत करना; (ङ) प्रणाली प्रदाताओं को निदेश और दिशानिर्देश जारी करना; (च) प्रणाली प्रदाताओं की प्रणालियों और परिसर की लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण करना; (छ) प्रणाली प्रदाताओं के कार्य निर्धारित करना; और (ज) सूचना या दस्तावेज उपलब्ध न कराने या सूचना को गलत रूप में प्रकट करने के लिए और शुल्क प्रभार और दण्ड लगाना।

इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक को विनियम बनाने तथा अधिनियम के उपबंधों को परिचालन में लाने की शक्तियां प्राप्त हैं। तदनुसार, विनियमावली के दो सेट अर्थात् (i) भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड और (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 12 अगस्त 2008 को अधिसूचित किए गए।

II. वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में 2007-08 के दौरान लगातार पांचवें वर्ष भी संवृद्धि की उच्च गति बनी रही, यद्यपि इसमें कुछ नरमी भी थी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की दर वर्ष 2007-08 के दौरान 9.0 प्रतिशत रखी गई, इसकी तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान यह दर 9.6 प्रतिशत थी; यह उद्योग और सेवाओं में नरमी को प्रकट करता है। विगत वर्ष में पुनरुत्थान के बाद वर्ष 2007-08 में औद्योगिक विकास धीमा रहा, जबकि सेवा क्षेत्र की संवृद्धि में 2000-01 से पहली बार मंदी देखी गई। हालांकि, वर्ष के दौरान एक सकारात्मक लक्षण भी रहा कि कृषि क्षेत्र से प्राप्त वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में सुधार हुआ, जबकि एक वर्ष पहले इसमें मंदी थी (सारणी 2.1 और परिशिष्ट सारणी 2 तथा 3)। नरमी के बावजूद 2007-08 के दौरान संवृद्धि का समग्र निष्पादन मजबूत रहा और प्रमुख उन्नत तथा उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्था में भारत भी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहा।

II.2.2 वर्ष 2007-08 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दसवीं पंचवर्षीय योजना और वर्तमान दशक की औसत संवृद्धि की तुलना में अभी तक अधिक ही रही है। विगत पांच वर्ष के दौरान

(2003-04 से 2007-08) सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 11.1 प्रतिशत रहा; जबकि उद्योग क्षेत्र का योगदान 18.3 प्रतिशत रहा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना रहा और समग्र संवृद्धि में इसका योगदान 70.6 प्रतिशत रहा, इस प्रकार संवृद्धि प्रक्रिया में इसने सहारा प्रदान किया।

II.2.3 भारतीय अर्थव्यवस्था का निष्पादन वैश्विक संदर्भ में भी उल्लेखनीय रहा। वैश्विक आर्थिक संभावना (जुलाई 2008) के अनुसार, विश्व की अर्थव्यवस्था में 2007 में 5.0 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत और चीन की संवृद्धि दर तेज रही। वर्ष 2007-08 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमेपन को देखें तो भी भारत और चीन वैश्विक संवृद्धि के प्रमुख संचालक बने रहे, जिनके पीछे सुदृढ़ उत्पादकता से प्राप्त लाभ और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ प्रगतिशील एकीकरण थे। विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आइसीपी) के आधार पर किए गए क्रय-शक्ति समता (पीपीपी) के आकलनों के अनुसार 'पीपीपी' के अर्थों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत और चीन की हिस्सेदारी को 2006 की तुलना में 2007 के दौरान उच्चतर स्तर पर रखा गया। वैश्विक उत्पाद में चीन का हिस्सा 2006 में 10.2 प्रतिशत था जो 2007 में बढ़कर 10.8 प्रतिशत हो गया, जबकि

सारणी 2.1: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (1999-2000 की कीमतों पर)

क्षेत्र	1990-91 से 1999-2000 (औसत)	2000-01 से 2007-08 (औसत)	2002-03 से 2006-07 (10 वीं योजना)	2005-06@	2006-07*	2007-08#	2007-08 (प्रतिशत)			
							ति 1	ति 2	ति 3	ति 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	3.2	2.9	2.5	5.9	3.8	4.5	4.4	4.7	6.0	2.9
1.1 कृषि	3.3	उ.न.	2.5	6.1	3.8	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
2. उद्योग	5.7	7.1	8.0	8.0	10.6	8.1	9.6	8.6	8.6	5.8
2.1 खनन और उत्खनन	4.8	4.9	6.1	4.9	5.7	4.7	1.7	5.5	5.7	5.9
2.2 विनिर्माण	5.6	7.8	8.6	9.0	12.0	8.8	10.9	9.2	9.6	5.8
2.3 विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	7.3	4.8	5.6	4.7	6.0	6.3	7.9	6.9	4.8	5.6
3. सेवाएं	7.1	9.0	9.7	11.0	11.2	10.7	10.6	10.7	10.0	11.4
3.1 व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण और संचार	7.5	10.3	11.1	11.5	11.8	12.0	13.1	11.0	11.5	12.4
3.2 वित्तपोषण, बीमा स्थावर संपदा तथा व्यवसाय सेवाएं	8.1	8.8	9.5	11.4	13.9	11.8	12.6	12.4	11.9	10.5
3.3 सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	6.5	5.8	6.1	7.2	6.9	7.3	5.2	7.7	6.2	9.5
3.4 निर्माण	5.6	10.6	12.9	16.5	12.0	9.8	7.7	11.8	7.1	12.6
4. उपादान लागत पर वास्तविक जीडीपी	5.7	7.3	7.8	9.4	9.6	9.0	9.2	9.3	8.8	8.8
				(100.0)	(100.0)	(100.0)				

@ : अनंतिम अनुमान.

* : त्वरित अनुमान.

: संशोधित अनुमान.

उ.न.: उपलब्ध नहीं.

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों के आंकड़े वास्तविक जीडीपी प्रतिशत अंश के द्योतक हैं।

2. ति1: पहली तिमाही (अप्रैल-जून), ति2: दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर), ति3: तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर), और ति4: चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च)

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

भारत की हिस्सेदारी इसी अवधि में 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गई। क्रय शक्ति समता (पीपीपी)की विनिमय दर की

दृष्टि में कहें तो वर्ष 2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था चौथी विशालतम अर्थव्यवस्था रही (बॉक्स II.5)।

बॉक्स II.5 : अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 1993 (एसएनए 93) एक ऐसी प्रणाली है जो आर्थिक क्रियाकलापों की पैमाइश के लिए एकसमान अंतर्राष्ट्रीय संरचना प्रदान करती है। बाजार विनिमय दरों पर आधारित मानक-पद्धति में कीमत स्तरों की भिन्नता अनिवार्य रूप से प्रकट नहीं होती है और इसलिए इसमें किसी अर्थव्यवस्था के उत्पाद के वास्तविक मूल्य तथा इसके निवासियों के जीवन स्तर को कम अथवा अधिक आंका जा सकता है। इसलिए एसएनए 93 में सिफारिश की गई कि आर्थिक क्रियाकलापों के वास्तविक मूल्य का निर्धारण क्रय-शक्ति समतुल्यता का प्रयोग करते हुए किया जाए।

अर्थव्यवस्थाओं के बीच कीमत स्तरों की तुलना के लिए अधिक अर्थपूर्ण उपाय की जरूरत ने अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आइसीपी) का सृजन किया। यह आइसीपी एक वैश्विक सांख्यिकीय प्रयास है जिसमें राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को शामिल किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर तुलनीय कीमत स्तरों, व्यय मूल्यों और क्रय शक्ति समतुल्यता आकलनों को तैयार करता है, जिनका प्रयोग नीति-निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विद्वानों द्वारा किया जाता है।

यह कार्यक्रम 1968 में संयुक्त राष्ट्र और पेन सिल्वेनिया विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय तुलना यूनिट के संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, जिसके लिए फोर्ड फाउंडेशन और विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी। वर्ष 1970 में 10 देशों की तुलना की सामान्य परियोजना से शुरू करके वर्ष 1975, 1980, 1985, 1990 (केवल आंशिक) और 1993 अन्य चक्र भी चलाए गए। वर्तमान में, विश्व बैंक में स्थित आइसीपी वैश्विक कार्यालय द्वारा विश्व के 107 देशों में कीमतों के आंकड़ों का संग्रह और पीपीपी का आकलन किया जाता है। आइसीपी के परिणामों को यूरो स्टेट/ओईसीडी के साथ जोड़कर पीपीपी कार्यक्रम में सहभागी देशों की संख्या लगभग 150 हो जाती है; और इस प्रकार यह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा संग्रह संक्रिया बन जाती है।

पीपीपी आधारित आकलनों को तैयार करने के प्रयोजन से आइसीपी द्वारा चक्रिय (रिंग) तुलना का प्रयोग किया जाता है। चक्रिय तुलना एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण है, ताकि सम-समान मुद्रा में अभिव्यक्त वैश्विक पीपीपी तैयार करने के लिए क्षेत्रीय पीपीपी को जोड़ा जा सके। बहुपक्षीय चक्रिय तुलना में प्रत्येक क्षेत्र से चुनिंदा देशों की जरूरत होती है जो अलहदा तुलना में शामिल हों, दो क्षेत्रों में एक सम्पर्क प्रदान करने के लिए विशेष रूप से संगठित हों। 'चक्र में शामिल देशों' से अपेक्षित है कि वे अपनी-अपनी क्षेत्रीय सूचियां बनाने के अलावा एक सम-सामान्य वैश्विक रिंग उत्पाद सूची के लिए भी कीमतें प्रदान करें। इस दृष्टिकोण से क्षेत्रों के बीच सर्वाधिक मजबूत संपर्क स्थापित होता है, क्योंकि रिंग देशों के बीच किसी भी क्षेत्र के युग में उत्पादों का मिलान किया जा सकता है।

पहले के दृष्टिकोण को 'सेतु पद्धति' कहा जाता था, जिसमें क्षेत्रों को जोड़ने का काम बहुधा एक या दो देशों के माध्यम से किया जाता था, ऐसे में संपर्क के देश-विशेष के लिए परिणाम काफी संवेदी होते थे। आइसीपी में अपनाई गई पद्धति देशों के चयन के प्रति कम संवेदी है। रिंग प्रणाली में प्रत्येक क्षेत्र की समता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश में राष्ट्रीय मुद्रा में किए गए व्यय को उस क्षेत्र के निर्दिष्ट देश की मुद्रा की मात्रा में बदल दिया जाता है, जैसे कि पश्चिम एशिया में ओमान। अगला कदम यह कि इन

व्ययों और समतुल्यताओं को प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक योग के रूप में, जैसे उपभोग या सकल घरेलू उत्पाद के रूप में लिया जाता है। वर्ष 2005 में यह कार्य इकिएस पद्धति⁶ से किया गया जिसमें अफ्रीका, एशिया, ओईसीडी, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी एशिया को समान अधिभार दिया गया है (हेस्टन, 2008)।

विगत चक्रों के स्वतंत्र मूल्यांकनों में पाया गया कि क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 'सेतु पद्धति' असंतोषजनक है। इसके पश्चात बहुपक्षीय दृष्टिकोण 'रिंग पद्धति' को अपनाया गया। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये 'रिंग देश' क्षेत्रों द्वारा स्तरीकृत देशों के प्रदर्शन के रूप में कार्य करते हैं।

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि के लिए निहितार्थ

दिसंबर 2007 में आइसीपी के तहत संशोधित पीपीपी अनुमानों के आधार पर जारी किए गए नए अनुमानों के बाद आइएमआइ द्वारा प्रकाशित *वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक* (अप्रैल 2008) में वैश्विक संवृद्धि दृष्टिकोण को वर्ष 2000-07 के लिए 0.5 प्रतिशत अंक नीचे लाया गया। पीपीपी विनिमय दरों के संशोधनों में कुछ महत्वपूर्ण उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की पीपीपी दरों में महत्वपूर्ण कमी भी निहित है, जिनमें तेल निर्यातक भी शामिल हैं। इन परिवर्तनों में अलग-अलग देशों और समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली पीपीपी विनिमय दरों पर आधारित सकल वैश्विक संवृद्धि और वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी दोनों के लिए निहितार्थ हैं।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अप्रैल 2008) के अनुसार, वर्ष 2007 में 4.9 प्रतिशत (जुलाई 2008 में, *वर्ल्ड इकोनॉमिक आउट-लुक* अपडेट में 5.0 तक संशोधित) की अनुमानित वैश्विक संवृद्धि 0.5 प्रतिशत अंक की कमी को प्रकट करती है, विशुद्ध रूप में पीपीपी अधिभारों के कारण (अक्टूबर 2007 के *वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक* में 5.2 प्रतिशत के वैश्विक संवृद्धि अनुमानों से) और विगत *वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक* (अक्टूबर 2007) के बाद से देश संवृद्धि दरों के अनुमानों पर आधारित संशोधनों में 0.2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की गई है।

यद्यपि बहुत से देशों के लिए पीपीपी अनुमानों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं; तथापि वैश्विक संवृद्धि अनुमानों पर पड़ने वाले प्रभाव काफी सीमा तक भारत, चीन और संयुक्त राज्य के वैश्विक उत्पाद में सापेक्षिक हिस्सेदारी में निहित परिवर्तनों से परिचालित होते हैं। वैश्विक उत्पाद में भारत का अनुमानित हिस्सा 2007 में 4.6 प्रतिशत था (6.4 प्रतिशत से संशोधित) जबकि चीन का हिस्सा 10.8 प्रतिशत 15.8 प्रतिशत से कम) और अमेरिका का हिस्सा 21.4 प्रतिशत (19.3 प्रतिशत से ऊपर) रहा। इन परिवर्तनों के बावजूद वैश्विक संवृद्धि की विशद तस्वीर में बहुत बदलाव नहीं हुआ। भारत और चीन जैसी उदीयमान अर्थव्यवस्थाएं अभी भी वैश्विक संवृद्धि की संचालक बनी हुई हैं।

संदर्भ

1. हेस्टन, ए (2008) : "दि 2005 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी एस्टीमेट्स: ए प्रिलिमिनरी रिव्यू" इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, मार्च 15.
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2008) : *वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक*, अप्रैल.
3. विश्व बैंक (2008) : www.worldbank.org पर आइसीपी और रिंग पद्धति उपलब्ध है।

⁶ यह एक बहुपक्षीय पद्धति है जिसका विकास ओ.एल.तेतो, पी.कोवस और बी.शुल्ज द्वारा किया गया है जिसमें फिशर इन्डेक्स के सभी संभव उत्पादों का n वर्गमूल, n देशों के बीच निकाला जाता है। इसका उपयोग विस्तृत शीर्ष स्तर पर शीर्ष समतुल्यताओं और जीडीपी स्तर का आकलन करने के लिए किया गया। इकिएस में आधार-देश की अपरिवर्तनीयता और संक्रामिकता के गुण हैं।

सकल आपूर्ति

कृषि

II.2.4 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संशोधित अनुमानों के अनुसार, कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि 2006-07 के 3.8 प्रतिशत से सुधरकर 2007-08 में 4.5 प्रतिशत पर रही (सारणी 2.1)। यह समस्त खाद्यान्न उत्पादन के 230.7 मिलियन टन के सर्वकालीन उच्चतम स्तर के प्रभाव को दर्शाता है; यह उत्पादन पिछले वर्ष (217.3 मिलियन टन) की तुलना में 6.2 प्रतिशत अधिक रहा। खरीफ़ उत्पादन 121.0 मिलियन टन पर रहा, जो 9.4 प्रतिशत अधिक है, और रबी उत्पादन 109.7 मिलियन टन पर थोड़ा कम रहा जो कि 2.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है (परिशिष्ट सारणी 4)।

II.2.5 वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून सामान्य से 5 प्रतिशत अधिक रहा, जबकि 2006 में यह सामान्य से

एक प्रतिशत कम था (सारणी 2.2)। केरल में सामान्य तारीख से चार दिन पहले 28 मई 2007 को मानसून पहुंच गया। अरब सागर के मध्य-पूर्व हिस्से में सुपर साइक्लॉन 'गोनू' की सक्रियता के कारण जून के प्रारंभ में मामूली व्यवधान के बाद दक्षिण-पश्चिमी मानसून पूरी गति से बढ़ते हुए सामान्य से 11 दिन पहले ही 4 जुलाई 2007 तक पूरे देश में छा गया। इस प्रकार, यद्यपि शुरुआत में मौसम थोड़ा कमजोर रहा और जून के पहले सप्ताह, जुलाई के तीसरे और चौथे सप्ताह तथा अगस्त के तीसरे सप्ताह में बारिश में कमी रही पर शेष मौसम में वर्षा संतुलित रही। जून 2007 के अंतिम सप्ताह के बाद देश में समग्र वर्षा हमेशा की तरह सामान्य से अधिक हुई। माह के दौरान वर्षा की स्थिति देखें तो यह जून (19 प्रतिशत) और सितंबर 2007 (18 प्रतिशत) में सामान्य से अधिक और जुलाई (3 प्रतिशत) तथा अगस्त 2007 (1 प्रतिशत) में सामान्य से थोड़ी कम रही। मौसम विज्ञान के 36 उप खंडों में से 30 उप खंडों (विगत वर्ष 26 उप खंड) में समग्र वर्षा अधिक/सामान्य रही और 6 उप खंडों (विगत

सारणी 2.2: वर्षा का भौगोलिक विभाजन

वर्ष	दक्षिण -पश्चिम मानसून (जून-सितंबर)					उत्तर -पूर्व मानसून (अक्टूबर-दिसंबर)				
	संचयी वर्षा अधिक (+)/ कम (-) सामान्य (प्रतिशत)	अधिक वर्षा	सामान्य वर्षा	वर्षा का अभाव	छिटपुट / नहीं वर्षा	संचयी वर्षा अधिक (+)/ कम (-) सामान्य	अधिक वर्षा	सामान्य वर्षा	वर्षा का अभाव	छिटपुट / नहीं वर्षा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1998	6	12	21	3	0	47	28	6	1	1
1999	-4	3	26	7	0	19	20	7	6	3
2000	-8	5	23	8	0	-47	0	4	13	19
2001	-8	1	30	5	0	13	14	10	9	3
2002	-19	1	14	19	2	-33	3	7	12	14
2003	2	7	26	3	0	9	9	9	6	12
2004	-13	0	23	13	0	-11	8	10	17	1
2005	-1	9	23	4	0	10	11	6	5	14
2006	-1	6	20	10	0	-21	3	6	14	13
2007	5	13	17	6	0	-32	2	7	9	18
2008*	2	10	22	4	0					

* : 13 अगस्त 2008 को

टिप्पणी : अधिक : +20 प्रतिशत या अधिक.

छिटपुट: - 60 प्रतिशत या कम.

सभी विभाजन दीर्घावधि औसत पर आधारित.

स्रोत : भारतीय मौसम विभाग.

सामान्य : +19 प्रतिशत से -19 प्रतिशत

वर्षा नहीं : - 100 प्रतिशत.

अभाव : - 20 प्रतिशत से -59 प्रतिशत.

वर्ष 10 उप खंड) में कम/छिटपुट वर्षा/वर्षा नहीं की स्थिति रही। भारत के चारों समरूपी प्रदेशों⁷ में देखें तो पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा सामान्य से कम अर्थात् दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) की 85 प्रतिशत रही, दक्षिणी प्रायः द्वीप में (एलपीए की 126 प्रतिशत अधिक); मध्य भारत (एलपीए की 108 प्रतिशत) और पूर्वोत्तर भारत में (एलपीए की 104 प्रतिशत) यह सामान्य से अधिक रही। पांच उप-खंडों (पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश) में मौसम के अंत में मामूली सूखे⁸ (26 से 50 प्रतिशत वर्षा की कमी) की स्थिति रही। देश की कुल जल भंडारण क्षमता का 72 प्रतिशत भाग 81 प्रमुख जलाशयों में है। यह दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के अंत (27 सितंबर 2007) में सभी जलाशयों के पूर्ण भराव स्तर (एफआरएल) का 79 प्रतिशत था, जो कि विगत वर्ष में इसी अवधि में हुए 87 प्रतिशत भराव से कम था किन्तु 10 वर्ष के औसत 67 प्रतिशत भराव से अधिक रहा। दक्षिण-पश्चिमी मानसून औसत से अधिक रहा, जबकि इसकी तुलना में पूर्वोत्तर मानसून (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2007) कमजोर रहा और कुल वर्षा 32 प्रतिशत हुई जो सामान्य से कम रही, इसकी तुलना में विगत वर्ष इसी अवधि में सामान्य से 21 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई थी।

II.2.6 चतुर्थ अग्रिम आकलन के अनुसार, 2007-08 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 230.7 मिलियन टन रहा जो कि 2007-08 के लिए निर्धारित 221.5 मिलियन टन के लक्ष्य और विगत वर्ष के 217.3 मिलियन टन के उत्पादन से अधिक रहा (सारणी 2.3 और परिशिष्ट सारणी 4)। इससे सभी खाद्यान्नों के उत्पादन में रिकार्ड उपलब्धियां रहीं, जिनमें सबसे ज्यादा उत्पादन मोटे अनाजों और अनुकूल दक्षिण-पश्चिमी मानसून के कारण चावल का हुआ। हालांकि, गेहूँ के उत्पादन में मामूली बढ़ोतरी हुई। खाद्यान्नों से इतर को देखें तो तिलहनों और कपास का उत्पादन 2007-08 के दौरान सर्वकालीन रिकार्ड स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया। यद्यपि जूट और मेस्ता में विगत वर्ष की तुलना में गिरावट की संभावना रही।

II.2.7 वर्ष 2007-08 के दौरान अनाजों, दालों और तिलहनों के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद, हाल के वर्षों में इनमें स्थिरता आई है

सारणी 2.3 : कृषि उत्पादन

फसल	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08#
1	2	3	4	5
1. वृद्धि दर (प्रतिशत) ##				
सभी फसलें	-1.6	12.1	11.6	6.6
क. खाद्यान्न	-7.1	5.8	3.6	5.7
ख. खाद्यान्नेतर	1.6	16.0	15.6	7.9
2. उत्पादन (मिलियन टन)				
क. खाद्यान्न	198.4	208.6	217.3	230.7
i. चावल	83.1	91.8	93.4	96.4
ii. गेहूँ	68.6	69.4	75.8	78.4
iii. मोटे अनाज	33.5	34.1	33.9	40.7
iv. दालें	13.1	13.4	14.2	15.1
ख. खाद्यान्नेतर				
i. तिलहन+	24.4	28.0	24.3	28.8
ii. गन्ना	237.1	281.2	355.5	340.6
iii. कपास@	16.4	18.5	22.6	25.8
iv. जूट और मेस्ता++	10.3	10.8	11.3	11.2
v. चाय**	893.0	946.0	955.9*	944.7*
vi. कॉफी**	275.5	274.0	280.0	262.0

: उत्पादन 9 जुलाई 2008 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान पर आधारित है।
: वृद्धि दरें 1993-94 = 100 को समाप्त हो रहे वर्षत्रय आधार वाले कृषि उत्पादन सूचकांक पर आधारित हैं।
+ : कुल ग्यारह में से नौ तिलहनों के लिए।
@ : 170 कि.ग्रा. वजन वाली मिलियन गांठें।
++ : 180 कि.ग्रा. वजन वाली मिलियन गांठें।
* : अप्रैल-नवंबर के लिए अनुमानित उत्पादन।
** : कैलेन्डर वर्ष के आधार पर चाय के लिए आंकड़े मिलियन किलोग्राम।
स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

(सारणी 2.4)। स्थिर सीमित वैविध्यपूर्ण फसल परिवर्तन, कृषि निवेश में कमी, लगभग शून्य विस्तार सेवाएं और नमी तथा कीटों से बरबादी के कारण उत्पादों में स्थिरता रही। इसके अलावा, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि और सहयोगी क्षेत्रों पर संचालन समिति ने नोट किया था कि भूमि-क्षरण, पानी की तंगी, और ग्रामीण आधार संरचना (सिंचाई सहित) में सरकारी और निजी स्तरों पर निवेश की धीमी प्रगति ने भी कृषि में ठहराव के लिए योगदान किया, खास कर 1990 के दशक से। यद्यपि, कृषि में बढ़ोतरी का ज्यादातर हिस्सा सिंचाई के विस्तार और सिंचित भूमि की बढ़ी हुई उत्पादकता से प्राप्त हुआ, वर्षा सिंचित कृषि उत्पादकता कमोबेश स्थिर ही रही। इसके अलावा, जैसा कि हाल ही के एक अनुसंधान अध्ययन में बताया गया है कि कृषि में

⁷ चारों समरूपी प्रदेश हैं : (1) उत्तर-पश्चिम भारत (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर); (2) मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और गोवा); (3) दक्षिणी प्रायः द्वीप (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) और (4) पूर्वोत्तर भारत (बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा)।

⁸ भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, सामान्य मूल्य से शुष्कता सूचकांक के विपथन को प्रतिशत में व्यक्त किया गया है और तदनुसार, सूखे को गंभीर (50 प्रतिशत से अधिक), कम (26 - 50 प्रतिशत) और थोड़ा (25 प्रतिशत तक) में वर्गीकृत किया गया है।

सारणी 2.4: प्रमुख फसलों के उत्पादन

(मिलियन टन)

वर्ष	चावल	गेहूँ	दालें	कुल खाद्यान्न	तिलहन
1	2	3	4	5	6
1990-91	74.3	55.1	14.3	176.4	18.6
1995-96	77.0	62.1	12.3	180.4	22.1
1996-97	81.7	69.4	14.2	199.4	24.4
1997-98	82.5	66.4	13.0	192.3	21.3
1998-99	86.1	71.3	14.9	203.6	24.8
1999-2000	89.7	76.4	13.4	209.8	20.7
2000-01	85.0	69.7	11.1	196.8	18.4
2001-02	93.3	72.8	13.4	212.9	20.7
2002-03	71.8	65.8	11.1	174.8	14.8
2003-04	88.5	72.2	14.9	213.2	25.2
2004-05	83.1	68.6	13.1	198.4	24.4
2005-06	91.8	69.4	13.4	208.6	28.0
2006-07	93.4	75.8	14.2	217.3	24.3
2007-08	96.4	78.4	15.1	230.7	28.8

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

(वास्तविक मायनों में) सार्वजनिक व्यय की धीमी संवृद्धि से खेती-बाड़ी को मदद करने संबंधी, खासकर अधिक खुली अर्थव्यवस्था में, पर्याप्त अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रम में रुकावट आई है। साथ ही, इस अध्ययन में यह भी उल्लेख था कि दीर्घावधि पूंजी-निर्माण में बढ़ोतरी किए बिना परिचालनों में निरंतरता बनाए रखने के लिए इनपुट जरूरतों को पूरा करने हेतु किसानों द्वारा अल्प-अवधि के ऋण लेने से कृषि के निवेश में रुकावट आई।

II.2.8 कृषि उत्पादों की बढ़ोतरी सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में बढ़े हुए पूंजी निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर है। कृषि में सकल

घरेलू उत्पादों का समानुपातिक निवेश हाल के वर्षों में स्थिर ही रहा है। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्षतया कृषि में सकल पूंजी निर्माण 2006-07 में 12.5 प्रतिशत रहा, जबकि 2000-01 में यह 9.6 प्रतिशत था (सारणी 2.5)। आर्थिक सर्वेक्षण 2007-08 के अनुसार, ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में इसे बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने की जरूरत है ताकि कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत के संवृद्धि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

II.2.9 हाल के समय में मुद्रास्फीति बढ़ गई, जो अन्य बातों के साथ-साथ, इन प्राथमिक जिनसों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण थी, हालांकि यह स्थिति केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी। खुली अर्थव्यवस्था में घरेलू कीमतों के विश्व-बाजार की विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से तेजी से प्रभावित होने की संभावना रहती है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आघात प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन में स्थिरता लाने के साथ समष्टि अर्थव्यवस्था प्रबंधन के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं।

II.2.10 सरकार ने कृषि क्षेत्र के उत्थान को शीर्ष प्राथमिकता दी है। तदनुसार, आगामी चार वर्षों में (2008-09 से 2011-12) सिंचाई के विस्तार और कृषि अनुसंधान में सुधार तथा प्रसार कार्यक्रम के लिए परिव्यय को बढ़ाया गया है। इसके अलावा, 2007-08 से केंद्र प्रायोजित स्कीम - 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' - की शुरुआत की गई है ताकि देश में प्रमुख खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सके (देखिए बाक्स II.1)।

सारणी 2.5: कृषि में सकल पूंजी निर्माण (1999-2000 कीमतों पर)

वर्ष	कृषि में निवेश (करोड़ रुपये)			कृषि के सकल निवेश में हिस्सा (प्रतिशत)		सकल पूंजी निर्माण/स्थिर कीमतों पर जीडीपी	कृषि में निवेश (स्थिर कीमतों पर जीडीपी का प्रतिशत)
	कुल	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी		
1	2	3	4	5	6	7	8
1999-00	43,473	7,716	35,757	17.7	82.3	10.6	2.4
2000-01	39,027	7,156	31,871	18.3	81.7	9.6	2.1
2001-02	48,215	8,746	39,469	18.1	81.9	11.1	2.4
2002-03	46,823	7,962	38,861	17.0	83.0	11.8	2.3
2003-04	44,833	9,376	35,457	20.9	79.1	10.2	2.0
2004-05	49,108	12,273	36,835	25.0	75.0	11.1	2.1
2005-06	54,905	15,005	39,900	27.3	72.7	11.7	2.1
2006-07	60,762	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	12.5	2.1

उ.न. : उपलब्ध नहीं

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन.

II.2.11 भारत को विविधतापूर्ण कृषि-जलवायु का वरदान मिला है, जिसके चलते इसके पास बहुत बड़ी संख्या में बागवानी फसलें उगाने की भारी क्षमता है। वर्ष 2006-07 के दौरान फलों और सब्जियों का कुल अनुमानित उत्पादन लगभग 57.7 मिलियन टन और 111.8 मिलियन टन रहा, जो कि विश्व के कुल उत्पादों का क्रमशः 15 प्रतिशत और 11 प्रतिशत है। बागवानी क्षेत्र ने 2005-06 में कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 28 प्रतिशत का योगदान किया। बागवानी फसलों ने 2005-06 में 8.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की थी, जो 2006-07 में घटकर 2.8 प्रतिशत रह गई, इसका मुख्य कारण प्याज के उत्पादन में कमी और मसालों के उत्पादन में स्थिरता रही। वर्ष 2006-07 में कुल बागवानी उत्पादन में सब्जियों, फलों, पौधरोपण फसलों और मसालों का योगदान क्रमशः 59.8 प्रतिशत, 30.9 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत रहा। भारत ने 2006-07 के दौरान 186.9 मिलियन टन बागवानी फसलों का उत्पादन किया।

II.2.12 भारत में पशुधन की संख्या विश्व के सबसे बड़े पशुधनों में से एक है। देश के आर्थिक विकास में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह भारत में कृषि के साथ भी काफी नजदीकी से जुड़ा हुआ है और यह देश के ग्रामीण इलाकों में छोटे तथा सीमांत कृषकों के लिए अनुपूरक आय के स्रोत के अलावा देश के करोड़ों लोगों को सस्ता पौष्टिक आहार भी प्रदान करता है। देश के बंजर और अर्ध-बंजर इलाकों में इसका बहुत महत्व है, वहां परिवार की आय का मुख्य स्रोत यही है।

II.2.13 पशुधन का योगदान कुल जीडीपी में 4 प्रतिशत और कृषि सम्बद्ध क्रियाकलापों से जीडीपी का लगभग एक चौथाई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए समग्रतया 6-7 प्रतिशत वार्षिक संवृद्धि की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2006-07 में इस क्षेत्र ने 101 मिलियन टन दूध, 51 बिलियन अंडों, 45 मिलियन किलोग्राम ऊन और 2.3 मिलियन टन मांस का योगदान किया। दूध के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, जो 1950-51 के 17 मिलियन टन से बढ़कर 2007-08 में लगभग 102 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1968-69 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 112 ग्राम दूध की उपलब्धता थी जो 2006-07 में बढ़कर 246 ग्राम हो गई। तथापि विश्व के 265 ग्राम प्रति दिन के औसत की तुलना में यह अभी भी कम है।

खाद्य प्रबंधन

II.2.14 वर्ष 2007-08 के दौरान खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की खरीद 37.4 मिलियन टन रही। गेहूं की खरीद 2006-07 के 9.2 मिलियन टन से बढ़कर 2007-08 में 11.1 मिलियन टन हो गई (सारणी 2.6 और परिशिष्ट सारणी-5)। वर्ष 2007-08 के दौरान चावल और गेहूं की खपत 37.4 मिलियन टन रही जो कि विगत वर्ष इसी अवधि के दौरान हुई खपत से 1.8 प्रतिशत बढ़ी, इसका मुख्य कारण लक्षित सार्वजनिक वितरण (टीपीडीएस) प्रणाली के तहत बढ़ी हुई खपत थी। भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आइ) और अन्य सरकारी एजेंसियों के पास एक वर्ष पहले 25.1 मिलियन टन खाद्यान्न का भंडार था जो 1 मई 2008 को बढ़कर 30.7 मिलियन टन हो गया, जो बफर स्टॉक मानदंड (1 अप्रैल 2008 को 16.2 मिलियन टन) से भी अधिक ही है। चावल (12.9 मिलियन टन) और गेहूं (17.7 मिलियन टन) दोनों ही के भंडार इतने थे जो दोनों के बफर स्टॉक मानदंड क्रमशः 12.2 मिलियन टन और 4.0 मिलियन टन की तुलना में अधिक थे।

II.2.15 वर्ष 1990 के दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की शुरुआत के बाद से ही, जिंस वायदा बाजार को उदार बनाने के कदम उठाए गए, जिसमें कई जिंसों के वायदा व्यापार को क्रमिक तौर पर खोला गया। वायदा संविदा (नियमन) अधिनियम, 1952 नामक कानून की शुरुआत हो जाने के साथ ही जिंस वायदा बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए संस्थागत ढांचा तैयार हुआ, जिसने देश में वायदा व्यापार चलाने के लिए कानूनी आधार प्रदान किया और, अन्य बातों के साथ-साथ, विनियम को मान्यता प्रदान की। ऑन लाइन व्यापार और व्यावसायिक प्रबंधन सहित राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना और इसे मान्यता देने के बाद जिंसों के वायदा बाजार में उछाल आया। तदनुसार, जिंस वायदा बाजार में व्यापार की कुल मात्रा 2007-08 में 40.65 लाख करोड़ रुपये हो गई जो कि 2004-05 में 5.72 लाख करोड़ रुपये थी। जिंस वायदा बाजार कीमत तलाशने की प्रक्रिया में सहायता देते हैं और जोखिम प्रबंधन का बंदोबस्त करते हैं। इनकी प्रभावशीलता सभी स्टेक-होल्डरों की सहभागिता पर निर्भर है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार का व्यापार स्पष्ट रूप से सट्टेबाजी का औजार न बन जाए। हाल ही में यह चिंता जताई गई थी कि जिंस वायदा कारोबार में अत्यधिक सट्टेबाजी बहुत-

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 2.6: खाद्यान्न भंडार का प्रबन्धन

(मिलियन टन)

वर्ष/माह	खाद्यान्नों का प्रारंभिक स्टॉक			खाद्यान्नों की सरकारी खरीद			खाद्यान्नों की खपत					अंतिम स्टॉक	मानदंड
	चावल	गेहूँ	कुल	चावल	गेहूँ	कुल	सा.वि.प्र.	अ.क.यो.	खु.बा.वि. - घरेलू	निर्यात	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2004-05	13.1	6.9	20.7	24.0	16.8	40.8	29.7	10.6	0.2	1.0	41.5	18.0	
2005-06	13.3	4.1	18.0	26.7	14.8	41.5	31.4	9.8	1.1	0.0	42.3	16.6	
2006-07	13.7	2.0	16.6	26.3	9.2	35.5	31.6	5.1	0.0	0.0	36.8	17.9	
2007-08	13.2	4.7	17.9	26.3	11.1	37.4	33.5	3.9	0.0	0.0	37.4	19.8	
2008-09*	13.8	5.8	19.8	4.5	22.5	27.1	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
				(4.3)	(11.1)	(15.4)							
2007													
जनवरी	12.0	5.4	17.5	4.3	0.0	4.3	2.7	0.4	0.0	0.0	3.1	18.1	20.0
फरवरी	12.6	5.4	18.1	2.4	0.0	2.4	2.7	0.5	0.0	0.0	3.1	19.1	
मार्च	14.0	5.1	19.1	1.2	0.0	1.2	2.7	0.5	0.0	0.0	3.2	17.9	
अप्रैल	13.2	4.7	17.9	0.9	7.9	8.7	2.6	0.2	0.0	0.0	2.8	25.1	16.2
मई	13.5	11.6	25.1	1.5	2.6	4.0	2.8	0.2	0.0	0.0	3.0	25.9	
जून	12.6	13.3	25.9	1.3	0.7	2.0	2.7	0.4	0.0	0.0	3.0	23.9	
जुलाई	11.0	12.9	23.9	0.8	0.0	0.8	2.9	0.4	0.0	0.0	3.2	21.2	26.9
अगस्त	9.2	12.0	21.2	0.1	0.0	0.1	2.8	0.3	0.0	0.0	3.0	17.9	
सितम्बर	6.9	11.0	17.9	0.1	0.0	0.1	2.7	0.3	0.0	0.0	2.9	15.6	
अक्टूबर	5.5	10.1	15.6	7.4	0.0	7.4	2.7	0.3	0.0	0.0	2.9	19.7	16.2
नवम्बर	10.7	9.0	19.7	1.8	0.0	1.8	2.7	0.3	0.0	0.0	2.9	18.5	
दिसम्बर	10.1	8.4	18.5	3.5	0.0	3.5	2.7	0.3	0.0	0.0	3.0	19.2	
2008													
जनवरी	11.5	7.7	19.2	4.5	0.0	4.5	2.9	0.3	0.0	0.0	3.2	21.4	20.0
फरवरी	14.0	7.2	21.4	3.0	0.0	3.0	2.9	0.4	0.0	0.0	3.4	21.4	
मार्च	14.7	6.5	21.4	1.6	0.0	1.6	3.1	0.5	0.0	0.0	3.5	19.8	
अप्रैल	13.8	5.8	19.8	1.1	12.6	13.7	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	30.7	16.2
मई	12.9	17.7	30.7	2.1	8.8	10.9	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
जून	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1.2	0.9	2.2	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
जुलाई*	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0.1	0.2	0.3	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	26.9

साविप्र: सार्वजनिक वितरण प्रणाली.

अ.क.यो.: अन्य कल्याण योजनाएं.

खु.बा.वि.: खुले बाजार में बिक्री.

उ.न.: उपलब्ध नहीं.

*: 31 जुलाई 2008 तक सरकारी खरीद.

टिप्पणी: (1) प्रारंभिक स्टॉक और सरकारी खरीद को जोड़कर तथा उसमें से खपत की मात्रा को घटाकर निकाले गए आंकड़े सरकारी खरीद आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि स्टॉक में मोटे अनाज शामिल हैं।

(2) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2007-08 के अवधि में खाइपान की वसूली दर्शाते हैं।

स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

सी कृषि जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी में योगदान करने वाला घटक हो सकता है। इसका प्रतिकार करते हुए, सरकार ने एक समिति का गठन किया (अध्यक्ष: प्रो. अभिजित सेन) ताकि कृषि जिंसों की कीमतों पर वायदा कारोबार का यदि कोई प्रभाव पड़ा हो, तो उसका अध्ययन किया जाए। समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि हाजिर कीमतों की घटी या बढ़ी हुई परिवर्तनशीलता पर वायदा कारोबार के प्रभाव का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखा। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि जिस अवधि में वायदा कारोबार चला वह इतनी कम है कि उसमें वायदा बाजारों के खुलने और सामान्य चक्रीय समायोजन के बीच पर्याप्त विभेद नहीं किया जा सकता। तथापि, समिति ने व्यापक दायरे

वाली सिफारिशों की हैं, जैसे - वायदा बाजारों में किसानों की व्यापक सहभागिता तय करना; कृषि विपणन में सुधारों को तेज करना; और जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित संविदा तैयार करना।

II.2.16 हालांकि, जैसा कि अभिजित सेन समिति ने उल्लेख किया है कि जिंस वायदा बाजारों में किसानों की सीधी भागीदारी इस समय तो बहुत कठिन है क्योंकि लॉट का आकार बड़ा है, मार्जिन दैनिक आधार पर हैं और सदस्यता शुल्क बहुत ज्यादा हैं जोकि इन बाजारों में किसानों की सहभागिता को हतोत्साहित करते हैं। यदि किसानों की ओर से संस्थाओं को बाजार में समाहारकर्ता का कार्य करने दिया जाए तो

वायदा बाजारों से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। जिस वायदा कारोबार के लिए नियामक निकाय - वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) वास्तविक बाजारों में किसानों सहित सभी सहभागियों में वायदा बाजारों के बारे में जागरूकता के सृजन पर विशेष जोर दे रहा है। आपूर्ति श्रृंखला में सभी स्टेक-होल्डरों की अधिकाधिक सहभागिता कराने के प्रयोजन से एफएमसी ने विभिन्न कदम उठाये हैं, ताकि कीमत तलाशने की प्रक्रिया अधिक कुशल बने। जागरूकता कार्यक्रमों को इस तरह का बनाया गया है कि वायदा बाजारों के लाभ से किसान परिचित हो सकें और विभिन्न निर्णय लेने में वायदा एक्सचेंज से आने वाले कीमत संकेतों का उपयोग कर सकें।

औद्योगिक निष्पादन

II.2.17 औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि में 2007-08 के दौरान नरमी रही। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार, उद्योग से प्राप्त होने वाली वास्तविक जीडीपी 2006-07 के 10.6 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 8.1 प्रतिशत हो गयी (सारणी 1.1 और परिशिष्ट सारणी 2), जिसका कारण विनिर्माण क्रियाकलापों में नरमी रहना था। तथापि, औद्योगिक संवृद्धि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त 8.0 प्रतिशत की औसत संवृद्धि से कुछ अधिक ही रही।

II.2.18 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) की दृष्टि से देखें तो 2006-07 में औद्योगिक संवृद्धि दर 11.5 प्रतिशत के शीर्ष स्तर

पर थी जो 2007-08 के दौरान नरम होकर 8.5 प्रतिशत पर आ गई। वर्ष 2007-08 के दौरान औद्योगिक निष्पादन में विभिन्न घटक थे। पहला, आइआइपी में 2006-07 के दौरान नौ महीनों में दो अंकों की वृद्धि हुई। यह 1995-96 में हुए प्रभावशील कार्यनिष्पादन के लगभग बराबर थी, उस समय आइआइपी ने समूचे वर्ष दो अंकों में संवृद्धि दर्ज की थी। इस प्रकार, कुछ सीमा तक 2007-08 के दौरान हुई गिरावट आधारभूत प्रभाव को प्रकट करती है, खासकर वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान (सारणी 2.7)। इसके अलावा, आइआइपी ने 2006-07 में जो उत्कृष्ट संवृद्धि दर्ज की उसे छोड़ें तो 2007-08 के दौरान औद्योगिक कार्यनिष्पादन काफी प्रभावी रहा और वर्ष के चार महीनों के दौरान हुई संवृद्धि दोहरे अंकों में रही। इसकी तुलना में हाल ही के विगत समय में 2004-05 में केवल एक माह के दौरान और 2005-06 के दौरान दो महीनों में संवृद्धि दर दो अंकों में रही (परिशिष्ट सारणी 6)। तदनुसार, 2007-08 के दौरान आइआइपी संवृद्धि दर दसवीं योजना अवधि में दर्ज 8.2 प्रतिशत की औसत संवृद्धि दर से तुलनीय है।

II.2.19 दूसरे, यह कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में गिरावट और आधारभूत संरचना क्षेत्र के धीमे निष्पादन से आपूर्ति की बाधाओं से भी औद्योगिक विस्तार में अड़चने रहीं। अंत में यह कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत में लगातार औद्योगिक उछाल, कच्चे तेल और पण्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी (जो कि औद्योगिक

सारणी 2.7: औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन - संवृद्धि

(प्रतिशत)

माह	उत्खनन और खनन		विनिर्माण		विद्युत		आइआइपी - सामान्य	
	2006-07	2007-08 अ	2006-07	2007-08 अ	2006-07	2007-08 अ	2006-07	2007-08 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	3.4	2.6	11.0	12.4	5.9	8.7	9.9	11.3
मई	2.9	3.8	13.3	11.3	5.0	9.4	11.7	10.6
जून	4.7	1.5	10.7	9.7	4.9	6.8	9.7	8.9
जुलाई	5.1	3.2	14.3	8.8	8.9	7.5	13.2	8.3
अगस्त	-1.7	14.7	11.9	10.7	4.1	9.2	10.3	10.9
सितम्बर	4.3	4.9	12.7	7.4	11.3	4.5	12.0	7.0
अक्टूबर	5.9	5.1	3.8	13.8	9.7	4.2	4.5	12.2
नवम्बर	8.8	6.3	17.2	4.7	8.7	5.8	15.8	4.9
दिसम्बर	6.1	5.0	14.5	8.6	9.1	3.8	13.4	8.0
जनवरी	7.7	2.9	12.3	6.7	8.3	3.7	11.6	6.2
फरवरी	7.5	7.9	12.0	9.6	3.3	9.8	11.0	9.5
मार्च	8.0	4.9	16.0	5.7	7.9	3.7	14.8	5.5
अप्रैल-मार्च	5.3	5.1	12.5	9.0	7.3	6.4	11.5	8.5

अ: अनंतिम.

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार

क्षेत्र के लिए इनपुट का निर्माण करती हैं) से ज्ञात होता है औद्योगिक संवृद्धि को समर्थन में घरेलू मांग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।

II.2.20 औद्योगिक संवृद्धि में धीमापन मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में दिखाई दिया 2006-07 के दौरान आइआइपी संवृद्धि में इसका सापेक्षिक योगदान 91.1 प्रतिशत था जो 2007-08 में घटकर 89.5 प्रतिशत रह गया। खनन और विद्युत क्षेत्र भी 2007-08 के दौरान धीमी गति से आगे बढ़े (चार्ट II.1)। वर्ष की प्रथम छमाही में विद्युत क्षेत्र में परिलक्षित भारी संवृद्धि सभी तीन संयंत्रों अर्थात् थर्मल, हाइड्रो और परमाणु विद्युत में कम उत्पादन के कारण दूसरी छमाही में नरम रही।

II.2.21 विनिर्माण क्षेत्र, जिसने 2002-03 की शुरुआत से औद्योगिक संवृद्धि को गतिमान बनाया हुआ था, 2007-08 के दौरान कमजोर पड़ गया। वर्ष 2007-08 के दौरान विनिर्माण उत्पादन के सूचकांक की संवृद्धि 9.0 प्रतिशत पर रही जो कि विगत चार वर्ष में न्यूनतम है (सारणी 2.8 और परिशिष्ट सारणी 6)। आइआइपी में 56.0 प्रतिशत का भार पाने वाले ग्यारह उद्योग समूहों (कपड़ा उत्पाद, अधात्विक खनिज उत्पाद, धातु उत्पाद और कलपुर्जे, सूती कपड़ा, कागज और कागज उत्पाद; और यातायात उपकरण तथा कलपुर्जे सहित) में 2007-08 के दौरान न्यून संवृद्धि रही। दूसरी ओर, लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों तथा जूट और अन्य वनस्पति रेशों के उत्पाद में 2006-07 की तुलना में 2007-08 के दौरान उन्नत निष्पादन हुआ।

सारणी 2.8: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक: उद्योगों का क्षेत्रीय और उपयोग आधारित वर्गीकरण

उद्योग समूह	आइआइपी में भारिक	संवृद्धि दर		भारिकित योगदान #	
		2006-07	2007-08 अ	2006-07	2007-08 अ
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
क्षेत्रीय वर्गीकरण					
उत्खनन	10.5	5.3	5.1	3.4	4.2
विनिर्माण	79.4	12.5	9.0	91.1	89.5
विद्युत	10.2	7.3	6.3	5.5	6.3
उपयोग आधारित वर्गीकरण					
मूलभूत माल	35.6	10.3	7.0	27.2	24.7
पूँजीगत माल	9.3	18.2	18.0	17.6	25.0
मध्यवर्ती माल	26.5	12.0	8.9	27.0	27.4
उपभोक्ता माल (क+ख)	28.7	10.1	6.1	28.5	22.9
क) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	5.4	9.2	-1.0	6.7	-1.0
ख) उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं	23.3	10.4	8.5	21.8	24.0
सामान्य	100.0	11.5	8.3	100.0	100.0

अ : अनंतिम. # : पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ 100 नहीं होगा।


स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन.

‘रसायनों और रसायन उत्पादों’; ‘मूल धातुओं और मिश्रधातु उद्योगों तथा ‘मशीनरी और उपस्कर’ समूह में प्रमुख प्रचालक बने रहे और विनिर्माण संवृद्धि में 54.8 प्रतिशत से भी अधिक योगदान किया। द्विअंकीय वर्गीकरण को देखें तो विनिर्माण उद्योग के 17 समूहों में से 16 ने वर्ष के दौरान सकारात्मक संवृद्धि दर्ज की है (परिशिष्ट सारणी 7 और 8)।

II.2.22 प्रयोग-आधारित वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो 2007-08 के दौरान सभी क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाकलाप नरम रहे, और उपभोक्ता माल क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट रही। मूलभूत सामग्री क्षेत्र, जिसने 2007-08 की पहली छमाही में दो अंकों में संवृद्धि दर्ज की, सीमेंट, बिजली और नाइट्रोजन तथा फास्फेट आधारित उर्वरक खण्डों और कुछ इस्पात उत्पादों (जैसे कार्बन इस्पात, इस्पाती तारें, क्वायल और एच.आर.शीट) में कमी के कारण दूसरी छमाही में अपनी गति कायम नहीं रख पाया (परिशिष्ट सारणी 9)। मध्यवर्ती माल क्षेत्र में भी आधार प्रभाव और सूती धागों, फिलामेन्ट धागों, पोलिस्टर फाइबर, विस्कोस स्टेपल फाइबर, ऑटो उपकरणों तथा कल पुर्जों के उत्पादन वृद्धि में नरमी और कुछ रासायनिक रंगों, टिन मैटल कनस्तरों तथा बॉल और रोलर बेयरिंग के उत्पादन में गिरावट के कारण न्यूनतर संवृद्धि रही।

II.2.23 वर्ष 2002-03 में पूँजीगत माल क्षेत्र में जो 10.5 प्रतिशत की वृद्धि थी वह 2006-07 तक 18.2 प्रतिशत तक पहुंच गई, किंतु वर्ष 2007-08 में यह गिरकर 18.0 तक पहुंच गई। यह गिरावट

चार्ट II.1: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की क्षेत्रीय वृद्धि



मुख्यतः मशीनरी और उपकरण क्षेत्र में देखने को मिली जिसका कारण था तैयार ट्रेक्टर, टेलीफोन उपकरण, कटिंग टूल्स और मटेरियल हैंडलिंग उपकरणों के उत्पादन में कमी। इस गिरावट के बावजूद, पूंजीगत माल क्षेत्र की वृद्धि दर मजबूत बनी रही। प्रिंटिंग मशीनरी, औद्योगिक मशीनरी, प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण और कृषि-उपयोगी औजार जैसे पूंजीगत माल क्षेत्र में 2007-08 के दौरान उत्पादन में 27 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि दर्ज की गई जबकि मशीनरी (अमरीकी डालर में) निर्यात की वृद्धि दर भी 25 प्रतिशत की उच्च सीमा पर बनी रही। वर्ष के दौरान, इंजीनियरी माल के निर्यात, जिनमें मुख्यतः पूंजीगत माल होता है, में 20 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती का असर पूंजीगत माल उद्योग के कार्य-निष्पादन पर पड़ा। पूंजीगत माल के उत्पादन में लगातार वृद्धि होने से विद्युत क्षेत्र, धातु तथा धातु उत्पादों, रसायनों और मशीनरी तथा यातायात उपकरण जैसे उद्योग क्षेत्रों की क्षमताओं में वृद्धि हुई।

II.2.24 उपभोक्ता माल क्षेत्र की वृद्धि दर में (28.7 प्रतिशत भार) इस बार भी गिरावट देखी गई। वर्ष 2005-06 में इस क्षेत्र में 12.0 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी जो 2006-07 में घटकर 10.1 प्रतिशत तक पहुंची और 2007-08 के दौरान इससे भी अधिक गिरकर 6.1 प्रतिशत तक पहुंच गई। एक ओर गैर टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि हुई, जिसकी मांग तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर रहती है, की वृद्धि दर में कमी

दर्ज की गई, वहीं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में भी कमी आई जिसका असर उपभोक्ता माल क्षेत्र के कार्य निष्पादन पर पड़ा (सारणी 2.9)। कुल 63 गैर टिकाऊ वस्तुओं में से (आइआईपी में 23.3 प्रतिशत भार के साथ) 20 मदों, जिनकी 7.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, के उत्पादन में वर्ष 2007-08 में कमी आई। इसके अलावा, गैर-टिकाऊ वस्तुओं में चीनी (आइआईपी में 2.2 प्रतिशत हिस्सेदारी) और चॉकलेट तथा चीनी से बने मिष्ठान, बीयर और खाद्य तेल जैसे अन्य गैर-टिकाऊ वस्तुओं में कम वृद्धि के कारण इन क्षेत्रों में भी गिरावट देखी गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रतिशत मौसम की दशाओं के कारण खाद्य तेलों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा।

II.2.25 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में खराब कार्य-निष्पादन को देखते हुए यह समझ लेना आवश्यक हो गया है कि औद्योगिक उत्पादन की वर्तमान सूचकांक श्रृंखला (आधार वर्ष 1993-94), जो पिछले दशक में निर्धारित उत्पाद समूह और उनके भार प्रतिशत के आधार पर बनाई गई थी, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की बदलती विशेषताओं को पकड़ नहीं पाई (बॉक्स II.6)।

क्षमता का उपयोग

II.2.26 वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय उद्योग का क्षमता उपयोग 83.9 प्रतिशत था, जो पीक -आउटपुट एप्रोच के अनुसार पिछले वर्ष के 81.8 प्रतिशत के आकलन से अधिक था (सारणी 2.10)। वर्ष के

सारणी 2.9: उपभोक्ता माल में विकास की प्रवृत्ति

(प्रतिशत)

माह	उपभोक्ता माल (28.7)			टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं (5.4)			उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं (23.3)		
	2005-06	2006-07	2007-08 अ	2005-06	2006-07	2007-08 अ	2005-06	2006-07	2007-08 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	13.5	8.9	14.7	18.7	7.4	2.4	11.9	9.4	18.7
मई	18.4	10.5	8.7	17.7	17.5	-0.7	18.6	8.2	12.1
जून	23.7	6.1	3.6	12.8	19.9	-3.6	27.5	1.8	6.3
जुलाई	4.5	16.8	7.1	3.8	16.1	-2.7	4.7	17.1	10.5
अगस्त	9.3	15.0	0.0	13.0	19.0	-6.2	8.0	13.6	2.4
सितंबर	11.9	12.1	-0.2	15.2	11.8	-7.3	10.5	12.2	2.6
अक्टूबर	14.6	-2.8	13.7	16.4	0.2	9.0	14.0	-4.1	15.8
नवंबर	11.1	13.5	-2.9	16.2	10.1	-5.5	9.3	14.8	-2.0
दिसंबर	7.3	10.7	8.7	12.0	1.8	2.8	6.0	13.5	10.3
जनवरी	8.0	8.2	8.4	15.9	5.3	-0.5	5.7	9.1	11.1
फरवरी	12.5	7.4	11.7	20.3	1.8	3.1	10.1	9.3	14.3
मार्च	12.4	15.8	0.9	21.0	3.8	-1.8	9.5	20.2	1.9
अप्रैल-मार्च	12.0	10.1	6.1	15.3	9.2	-1.0	10.9	10.4	8.5

अ : अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े आईआईपी में प्रभार प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार

बॉक्स II.6 : टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र का हाल का कार्य-निष्पादन : कुछ परिप्रेक्ष्य

उपभोक्ता माल क्षेत्र में वर्ष 2007-08 के दौरान लगातार दूसरे वर्ष खराब कार्य-निष्पादन के कारण औद्योगिक क्षेत्र की समग्र स्थायी विकास गति के बारे में चिंता उत्पन्न हुई है। वर्ष 2007-08 के दौरान उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र (आईआईपी में 5.4 भार प्रतिशत) के उत्पादन में 2003-04 - 2005-06 से लगातार तीन वर्षों की तुलना में कमी आई है, जबकि औसत वृद्धि दर 13.8 प्रतिशत बनी रही। हो सकता है कि मांग में कमी के कारण टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई हो। कुछ औद्योगिक महकमों का कहना है कि ब्याज दर बढ़ जाने से मांग में कमी आई।

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र के अलग-अलग विश्लेषणों से यह दिखाई देता है कि ब्याज दर में वृद्धि, मांग में कमी का प्रमुख कारण नहीं है। 26 में से छः वस्तुएं ऐसी हैं जो ब्याज-दरों पर निर्भर करती हैं क्योंकि उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। ब्याज संवेदी इन वस्तुओं में से यदि दुपहिया वाहनों को छोड़ दें, तो वर्ष 2007-08 के दौरान अन्य क्षेत्रों जैसे-पैसेंजर कार, रेफ्रिजरेटर, एअर कंडीशनर और वाशिंग मशीन में अच्छी वृद्धि दिखाई यद्यपि थोड़ी गिरावट जरूर आई। दूसरे, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि शेष मर्चों में से दस मर्चों में (जैसे टेप-रिकॉर्डर, टेलीफोन उपकरण, टाइपराइटर, हाथ घड़ी, अलार्म घड़ी), जिनका आईआईपी में भार 2.2 प्रतिशत है और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी है, गिरावट दर्ज हुई जिससे टिकाऊ वस्तु उपभोक्ता क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में कमी आई। यदि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के इस समूह का गहराई से अध्ययन करें, तो ज्ञात होता है कि वास्तव में इन वस्तुओं की आपूर्ति और मांग दोनों ही समाप्त हो चुकी है। एक ओर प्रौद्योगिकी और नवोत्थान के कारण बाजार नई किस्मों के टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से भरा पड़ा है, तो दूसरी ओर मध्यम वर्ग के अधिक संपन्न बनने और उपभोग में वृद्धि के कारण उच्च तकनीक, अर्ध-विलासिता और वस्तुओं की मांग बढ़ी है। अर्थ-व्यवस्था के परिवर्तनशीलता के दौर में पहले जो वस्तुएं विलासिता की मानी जाती थीं, वे अब आवश्यकता बन गई हैं, जिसका जीवंत उदाहरण है मोबाइल फोन। बहु-उपयोगी उत्पादों के निर्माण, वस्तु प्रचलन से हट जाने और उनकी जगह नए उत्पाद आ जाने के कारण टेलीफोन उपकरण, टेलीविजन सेट, टेप रिकॉर्डर और टाइपराइटर जैसी कुछ वस्तुओं के उत्पादन को झटका लगा है। अतः उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के कार्य-निष्पादन की प्रगति का मूल्यांकन करते समय इस बात को नजर-अंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि उच्च प्रौद्योगिकी विकल्प आ जाने के कारण कुछ उत्पादों का उत्पादन अनावश्यक हो गया है। पारंपरिक वस्तुओं के

उपभोग के बदले नए उत्पादों ने जो स्थान ग्रहण कर लिया है उसे 1993-94 के आधार वर्ष के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में यथोचित रूप से शामिल नहीं किया गया है। इससे यह तथ्य उभरकर आता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक समूह में परिशोधन करके उसमें नए उत्पादों को शामिल किया जाना चाहिए।

वर्ष 1997-98 (आधार वर्ष 1993-94) में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक समूह में जो परिशोधन हुआ उससे उपभोक्ता मर्चों की संख्या में वृद्धि तो हुई, लेकिन आधारभूत और पूंजीगत माल क्षेत्र की संख्या ज्यों-की-त्यों रही, बल्कि मध्यवर्ती माल क्षेत्र की संख्या कम हो गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में उपभोक्ता माल के भार में 5.0 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि करके उसे 28.7 प्रतिशत (पहले 23.7 प्रतिशत थी) तक बढ़ाया गया और आधे से भी अधिक बढ़ाए गए भार को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में जोड़ा गया जिससे टिकाऊ वस्तुओं का भार 2.6 प्रतिशत (1980-81 सीरीज) से बढ़कर 5.4 प्रतिशत (1993-94 सीरीज) हो गया। भारत में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के वर्तमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक सीरीज में रबर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम एवं कोयला उत्पाद; धातु के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, परिवहन उपकरण और अन्य निर्माण उद्योग कोटियां शामिल हैं। पिछले दशक में क्रम-सूची में जो परिशोधन हुआ उसमें मांग के स्वरूप में परिवर्तन और उपभोक्तावाद में वृद्धि के साथ-साथ वाशिंग/लाउंड्री मशीन (माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी) जैसे टिकाऊ विलासिता माल के प्रति आकर्षण भी परिलक्षित हुआ। तथापि, 1993-94 आधार वर्ष वाले वर्तमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में समय के साथ पसंदगी में होने वाले परिवर्तन को यथोचित रूप से शामिल नहीं किया गया है।

संदर्भ :

1. राजेश, राज और नवीन कुमार (2008), दि रिसेंट पर्फॉर्मेंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स सेक्टर इन इंडिया: सम फैक्ट फाइंडिंग, भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ स्टडीज।
2. भारत सरकार (2007), भारतीय अर्थव्यवस्था की छमाही समीक्षा 2007-08, वित्त मंत्रालय।
3. नागराज आर. (2008)। 'इंडियाज रिसेंट इकॉनॉमिक ग्रोथ : ए क्लोजर लुक', इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, खंड XLIII, सं.15, अप्रैल 12-18।

दौरान कई प्रमुख उद्योगों (पेंट, एनामल तथा वार्निश, माचिस, एसबेस्टस सीमेंट प्रेशर तथा बिल्डिंग पाइप, टेक्स्टाइल मशीनरी, लाइटिंग, फिटिंग एण्ड फिक्सचर, बिजली के पंखे और जिप फासनर जैसे उद्योग, जो मुख्यतः लघु उद्योग क्षेत्र में आते हैं, और डीजल इंजन, ऑप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट, एअर एण्ड गैर कंप्रेसर, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, साबुन, इलेक्ट्रिक मोटर, बोल्ट और नट, पेपर और पेपर बोर्ड, पाइप और ट्यूब, स्टील वायर, मशीन टूल, स्टेनलेस/अलॉय स्टील, बिस्किट, स्टील कास्टिंग, इंडियन टाइप लेदर फुटवियर, कॉटन यार्न, फेरो मिंगनीज, फेरो अलॉय, फेरो क्रोम, कार्बन ब्लैक, फ्लूरोसेंट ट्यूब तथा ऑक्सिजन जैसे अन्य उद्योग क्षेत्र) का क्षमता उपयोगिता

95 प्रतिशत से भी अधिक रहा। किंतु, पेट्रोलियम कोक केलसाइन्ड, मूंगफली तेल, विटामिन सी, तिल का तेल, नमक और डाइमिथाइल टेट्रापथालेट (डीएमटी) जैसे कुछ उद्योगों में वर्ष के दौरान 40 प्रतिशत से भी कम क्षमता उपयोग हुआ।

बुनियादी सुविधा उद्योग

II.2.27 वर्ष 2006-07 में बुनियादी सुविधा क्षेत्र में वृद्धि हुई थी किंतु 2007-08 में इसमें काफी गिरावट आई। पिछले वर्ष 9.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान इस क्षेत्र (आईआईपी में 26.7 प्रतिशत भार) में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.2)।

सारणी 2.10 : क्षमता उपयोग

(प्रतिशत)

उद्योग	भारत	क्षमता उपयोग		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
खाद्य वस्तुएं	9.08	66.1	67.8	68.9
पेय पदार्थ, तंबाकू और संबद्ध उत्पाद	2.38	84.2	84.2	83.4
सूती वस्त्र	5.52	97.4	94.6	96.5
ऊन, रेशम और कृत्रिम धागों से बने वस्त्र	2.26	90.8	87.4	86.8
जूट और अन्य वनस्पति रेशों से बने वस्त्र (कपास) को छोड़कर	0.59	83.5	71.4	90.4
वस्त्र उत्पाद (परिधान सहित)	2.54	92.7	92.3	95.6
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, फर्नीचर और फिक्सचर	2.70	81.4	69.6	88.9
कागज और कागज उत्पाद, मुद्रण, प्रकाशन तथा संबद्ध गतिविधियां	2.65	88.2	93.8	93.3
चमड़ा, और चमड़ा तथा फर से बनी वस्तुएं	1.14	77.5	81.1	89.1
रसायन और रासायनिक उत्पाद :पेट्रोलियम और कोयले के उत्पादों को छोड़कर	14.0	81.2	79.2	81.1
रबर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयले के उत्पाद	5.73	86.1	86.8	86.5
अधात्विक खनिज उत्पाद	4.40	82.5	85.8	86.8
मूल धातु और मिश्रधातु उद्योग	7.45	82.8	83.4	85.3
धात्विक उत्पाद और कलपुर्जे (मशीनरी और उपकरण के अलावा)	2.81	68.8	65.3	74.2
मशीनरी और उपकरण (वाहन उपकरण के अलावा)	9.57	75.0	74.9	77.0
वाहन उपकरण और पुर्जे	3.98	82.3	80.7	81.4
अन्य विनिर्माण उद्योग	2.56	71.7	73.4	73.4
विनिर्माण उद्योग	79.36	80.7	80.1	82.5
खनन और उत्खनन	10.47	85.3	83.2	83.3
विद्युत	10.17	94.0	93.4	95.9
सभी उद्योग	100	82.5	81.8	83.9

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

- सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए 296 उद्योगों के उत्पादन आंकड़ों के आधार पर क्षमता उपयोग का परिकलन किया गया है।
- क्षमता उपयोग को शीर्ष उत्पादन दृष्टिकोण से अनुमानित किया गया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी विशेष उद्योग का वित्तीय वर्ष के दौरान शीर्ष मासिक उत्पादन उसकी स्थापित उत्पादन क्षमता कहलाती है। जबकि मासिक वास्तविक उत्पादन उस वर्ष का वास्तविक उपयोग स्तर कहलाता है। किसी विशेष उद्योग का मासिक क्षमता उपयोग इस वर्ष के शीर्ष उत्पादन स्तर मासिक उत्पादन का अनुपात है। जबकि बारह महीनों का औसतन उपयोग उस उद्योग क्षेत्र के लिए वार्षिक क्षमता उपयोग माना जाता है।
- शीर्ष उत्पादन दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुमानित क्षमता उपयोग केवल प्रवृत्ति संकेत हैं और उससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे वास्तविक क्षमता उपयोग का स्तर दर्शाते हैं। क्षमता उपयोग पर कोई अन्य आंकड़े या संकेतक उपलब्ध न रहने पर शीर्ष उत्पादन दृष्टिकोण का प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया जाता है।

स्रोत : सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।


कोयले को छोड़कर वर्ष 2007-08 के दौरान बुनियादी सुविधा क्षेत्र की मंदी में गिरावट आई। थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर जैसे ऊर्जा निर्माण क्षेत्र में गिरावट के कारण विद्युत क्षेत्र में गिरावट आई। इसके अलावा, नए थर्मल स्टेशनों के संबंध में 'बेलेन्स ऑफ प्लान्ट्स'⁹ की खराब स्थिति ने उनके वाणिज्यिक परिचालनों को रोका और थर्मल पावर उत्पादन में रुकावट आई। जलाशयों का स्तर कम रहने के कारण हाइड्रो पावर उत्पादन कम रहा, जबकि यूरेनियम की कमी की वजह से परमाणु ऊर्जा उत्पादन भी बाधित रहा। स्टील और सीमेंट के प्रमुख उत्पादकों को सीमित क्षमता का सामना करना पड़ा जिससे स्टील और सीमेंट के उत्पादन में मंदी आई। ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआइएल)

और तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी (ओएनजीसी) को अपतटीय रिग पर्याप्त रूप से उपलब्ध न हो सकने के कारण इनके उत्पादन में गिरावट और नए कुओं से अनुमान से कम उत्पादन के चलते कच्चे तेल के उत्पादन वृद्धि में कमी आई। उच्च आधार प्रभाव के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ रिफाइनरियों के उत्पादन में कमी से पेट्रोलियम रिफाइनरी में कम उत्पादन वृद्धि हुई।

II.2.28 शिपिंग और रेलवे कैरेज का उत्पादन तथा पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद 2007-08 के निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ। पावर, तैयार स्टील, उर्वरक और कूड पेट्रोलियम क्षेत्र में वर्ष 2007-08 के दौरान निर्धारित लक्ष्य से कम उत्पादन हुआ। साथ ही, कोयले और

⁹ 'बेलेन्स ऑफ प्लान्ट्स' स्थिति खराब रहने से सहायक प्लान्ट्स के उपयोग पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इनका उपयोग नए थर्मल यूनिटों का वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए किया जाता है। सहायक प्लान्ट में कोल हैडलिंग प्लान्ट, एश हैडलिंग प्लान्ट और प्री-हीटिंग प्लान्ट आदि शामिल हैं।

चार्ट II.2: बुनियादी सुविधा उद्योग का विकास - क्षेत्रवार



प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी कमी आई (सारणी 2.11)। ऊर्जा उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और विकास प्रक्रिया में उसकी भूमिका का विशेष महत्व है (बॉक्स II.7)।

केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का कार्यानिष्पादन

II.2.29 केंद्रीय क्षेत्र की विलंबित परियोजनाओं की संख्या, जो मार्च 2007 के अंत में 171 थी, फरवरी 2008 के अंत तक 221 हो गयी। किंतु, अपने निर्धारित समय से आगे चलने वाली परियोजनाओं की

सारणी 2.12 : केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं का निष्पादन

(मार्च की समाप्ति पर)

मद	2001	2005	2006	2007	2008#
1	2	3	4	5	6
1. परियोजनाओं की संख्या (क से घ)	187	327	396	491	514
(क) समय से आगे	5	16	6	6	18
(ख) समय पर	58	65	113	179	138
(ग) विलंबित *	65	125	149	171	221
(घ) प्रारंभ होने की तारीख के बिना	59	121	128	135	137
2. कुल परियोजनाओं की लागत में वृद्धि (करोड़ रुपये)	40,303	39,585	47,337	39,741	40,313
3. कुल परियोजनाओं की लागत में वृद्धि (मूल लागत का %)	36.4	19.2	18.2	12.4	11.5
4. विलंबित परियोजनाओं की कुल लागत में वृद्धि (करोड़ रुपये)	23,374	25,388	29,655	20,808	22,786
5. विलंबित परियोजनाओं की कुल लागत में वृद्धि (मूल लागत का %)	91.6	45.2	35.6	19.8	15.1

* : इसमें ऐसी कुछ परियोजनाएं शामिल हैं जिनके विलंब के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी कमीशनिंग की तारीख पता है।

: 2008 के लिए आंकड़े फरवरी के अंत के हैं।

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

संख्या में भी तीव्र वृद्धि हुई। मार्च 2007 के अंत में यह संख्या छः थी, जो फरवरी 2008 के अंत में बढ़कर 18 तक पहुंच गई (सारणी 2.12)। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण अनापत्ति, अनुपयोगी परियोजना डिजाइन के कारण योजना में परिवर्तन और कुछ क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधा की अनुपलब्धता से परियोजनाओं के कार्यान्वयन, मुख्यतः रेलवे, भूतल परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ। इन समस्याओं के बावजूद हाल के वर्षों में विलंबित और कुल परियोजनाओं के अतिरिक्त लागत में उल्लेखनीय

सारणी 2.11 : बुनियादी सुविधा उद्योगों के लक्ष्य और उपलब्धियां

क्षेत्र	इकाई	2006-07			2007-08		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	अंतर (%)	लक्ष्य	उपलब्धियां	अंतर (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
पावर	बिलियन इकाई	663.0	662.5	-0.1	710.0	704.5	-0.8
कोयला	मिलियन टन	425.1	425.0	0.0	454.9	450.5	-1.0
तैयार स्टील	मिलियन टन	52.1	52.5	0.8	57.0	55.2	-3.1
रेलवे	मिलियन टन	726.0	728.8	0.4	790.0	794.2	0.5
नौ-वहन (प्रमुख बंदरगाह)	मिलियन टन	465.7	463.8	-0.4	515.3	519.2	0.7
उर्वरक	मिलियन टन	16.3	16.1	-1.1	16.8	14.7	-12.6
सीमेंट	मिलियन टन	159.6	161.7	1.3	उ.न.	174.3	उ.न.
कच्चा तेल	मिलियन टन	35.4	34.0	-4.1	35.0	34.1	-2.5
पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पाद	मिलियन टन	135.3	146.6	8.3	146.3	156.1	6.7
प्राकृतिक गैस उत्पादन	मिलियन क्यूबिक मीटर	31538.0	31747.0	0.7	33241.0	32274.0	-2.9

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

बॉक्स II.7

ऊर्जा उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित मामले

बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और विकास प्रक्रिया में उसकी भूमिका का महत्व सभी जानते हैं। विकास प्रक्रिया के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं की मांग भी बढ़ती है, ऐसे में मूल बुनियादी सुविधा क्षेत्र के विकास में कमी और क्षमता विकास में धीमी गति रहने से इन सेवाओं की उपलब्धता पर सीमाएं आ जाती हैं। ग्यारहवीं योजना के एप्रोच पेपर में कुशलतापूर्वक कहा गया कि विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का अभाव भारत के उत्पादन के विकास में बहुत बड़ी अल्पकालिक रुकावट है। इसके अलावा, आधारभूत सुविधा की भारी कमी और संसाधनों की कमी के वातावरण में निजी क्षेत्र की भूमिका मददगार साबित हो सकती है।

अर्थव्यवस्था के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सुवहनीय ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है। भारत में, विविधकृत संसाधन आधार और भिन्न-भिन्न भौगोलिक परिस्थितियां क्षेत्र और सेक्टर - विशिष्ट ऊर्जा संसाधन आयोजना की मांग करती हैं। इस संदर्भ में, नीति को अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की समग्र मांग को भरोसेपूर्वक पूरा करने की आवश्यकता है। इस प्रकार ऊर्जा और आधारभूत सुविधा से संबंधित मुद्दे किसी विकास रणनीति का मूल हैं। इस पृष्ठभूमि में, सेक्टर विशिष्ट मुद्दों को नीचे दिया गया है।

कोयले की उपलब्धता वाले अन्य देशों की तुलना में भारत में कोयला निकालने की क्षमता का पर्याप्त रूप से दोहन नहीं किया गया है। खनिज संपदा की खोज और खदानों के संचालन की ओर निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए खदान और खनिज अधिनियम, खनिज रियायत नियम और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में कई अवसरों पर संशोधन किए गए हैं, लेकिन अब तक अल्प निवेश किया गया है। खनन से संबंधित कार्य में भू-अधिग्रहण और पुनर्स्थापन की समस्याओं से रुकावट आती है और कोयले को उसके उपयोग स्थानों पर पहुंचाने की भी समस्या है। अन्य समस्याएं घरेलू कोयले की हल्की गुणवत्ता और आयातित कोयले की उच्च गुणवत्ता के बढ़ते मूल्यों से संबंधित हैं। 'एकीकृत ऊर्जा नीति समिति' (अध्यक्ष: किरिट पारेख, दिसंबर 2005) ने कोयले के आयात को बढ़ावा देने, घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिटों को कोयले के ब्लॉक आर्बिट कर देने तथा केप्टिव खदानों को अंतिम उपयोगकर्ताओं को आर्बिट कर देने की बात कही। इन प्रयासों के बावजूद केप्टिव खदानों के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

लक्ष्य से कम बिजली उत्पादन और क्षमता विस्तार की धीमी गति के परिणामस्वरूप बिजली क्षेत्र में, बिजली की कमी (10 प्रतिशत वार्षिक) चिंता का विषय है, जबकि दूसरी ओर मांग में वृद्धि तेज गति से हुई है। पुरानी ग्रिडों, पुरानी मशीनरी और टेक्नॉलॉजी और बिजली की चोरी के कारण होने वाली उच्च ट्रांसमिशन और वितरण हानियां तथा कम संयंत्र लोड फैक्टर (तापीय बिजलीघरों के लिए 65 प्रतिशत) संबद्ध समस्याएं हैं। अत्यधिक पूंजी प्रधान होने के अलावा संयंत्र के नूतनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए अनिवार्य रूप से बिजली बंद करने में उत्पादन गतिविधियाँ रुकती हैं। कोल हैंडलिंग, ऐश हैंडलिंग और प्री-हीटिंग प्लांट जैसे सहायक प्लांट की स्थिति ठीक न रहने से प्लांट का बिगड़ता संतुलन नए थर्मल प्लांटों को वाणिज्यिक स्तर पर परिचालित करने के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए विभिन्न मोर्चों पर सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल है: निजी क्षेत्र के स्वावलंबी ऊर्जा निर्माताओं (आईपीपी), व्यापारी ऊर्जा निर्माताओं (एमपीपी) और निजी क्षेत्र के केप्टिव पॉवर प्लांटों को प्रोत्साहित करना, फिर भी आपूर्ति में उनका योगदान कुल क्षमता का 8.4 प्रतिशत है। पावर ट्रेडिंग, वर्तमान क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने, बिजली की कमी को टालने और पॉवर यूटिलिटी तथा उपभोक्ताओं के लिए बिजली मूल्य में कमी लाने का प्रयास कर रही है, किंतु यह अभी आरंभिक अवस्था में है। बिजली अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार व्यापार अब

लाइसेंसिकृत और विनियमित कार्य है। इससे बिजली का नए ढंग से मूल्य-निर्धारित करने में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा आएगी और बिजली की दरों में कमी आएगी। इसके अलावा, किरिट पारेख समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में उपलब्ध विशाल थोरियम स्रोतों का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएं। हालांकि, लगभग सभी बड़े राज्यों ने विभिन्न सुधार प्रक्रियाओं को कार्यान्वित किया है और उसने राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन, राज्य विद्युत बोर्डों का विघटन और टैरिफ आदेश जारी करने जैसे उपायों को अपनाया है फिर भी अभी कुछ वास्तविक समस्याएं हैं जिन्हें इस परिप्रेक्ष्य में सुलझाया जाना है। वांछित परिणाम अभी दूर हैं, क्योंकि सुधार प्रक्रिया को मूलतः अपनाया नहीं गया है और अंतराल शेष है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों के बीच, हाइड्रो पॉवर उत्पादन की हिस्सेदारी कुल स्थापित क्षमता का 24.7 प्रतिशत है और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा (पवन ऊर्जा, लघु जल परियोजना, बायोमास पॉवर आदि) की हिस्सेदारी केवल 7.7 प्रतिशत है, जबकि क्षमता इससे कहीं अधिक है। लगभग एक लाख मेगावाट हाइड्रो पॉवर क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। परमाणु ऊर्जा क्षमता, जो कुल बिजली निर्माता का 2.9 प्रतिशत है, वर्तमान में यूरेनियम की कमी का सामना कर रही है। परिणामस्वरूप, प्लांट अपने प्लांट लोड क्षमता के केवल 50 प्रतिशत तक परिचालन कर पा रहे हैं।

2007-08 के दौरान, कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन घरेलू तेल की मांग (रिफाइनरी कूड थ्रूपुट) का लगभग 22 प्रतिशत का पूरा कर सका। तेल की बढ़ती कीमतों से आयात बिलों में अचानक वृद्धि हुई है। कीमतों में जरा-सी भी वृद्धि करने से मुद्रास्फीति में वृद्धि और राजकोषीय असंतुलन हो जाता है। घरेलू कूड ऑयल क्षेत्र को वर्तमान में काफी समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे - ऑयल फोल्ड में एयर इजेक्शन रोकना, नाममात्र क्षमता वृद्धि, पर्यावरण संबंधी मामले, नए कुंओं से अपेक्षा से कम लाभ मिलना, अल्प आधार शक्ति, एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग योजना का अनुमान से कम योगदान और रुकावटें/स्थानीय समस्याएं। इसके विपरीत, देश में पेट्रोलियम रिफाइनरी क्षमता में अच्छी वृद्धि हुई और भारत ने पीओएल उत्पाद केवल शुद्ध रूप से निर्यात किए।

ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियां दिखाई तो दे ही रही हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल - हैं ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण, बाजार में सुधार की अधिक आवश्यकता (गैस तथा पॉवर क्षेत्र में) और प्रोत्साहन निवेश। समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को मजबूत बनाने और उन्हें समेकित करने की दृष्टि से व्यवहार्यता को देखते हुए मिले-जुले सार्वजनिक निवेश, सार्वजनिक - निजी भागीदारी (पीपीपी) और पूर्णतया निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। इन परिस्थितियों में, ग्यारहवीं योजना के दौरान बुनियादी सुविधा क्षेत्र में 500 बिलियन अमरीकी डालर का अनुमान लगाया गया है और इसके निवेश को जीडीपी के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

संदर्भ :

1. भारत सरकार (2005), *एकीकृत ऊर्जा नीति पर विशेषज्ञ समिति की मसौदा रिपोर्ट*, दिसंबर।
2. _____, (2006), अधिक गतिशील और अधिक समावेशी प्रगति की ओर, 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण, नवंबर।
3. _____, *भारतीय कोयला परिदृश्य* पर विविध रिपोर्ट: 2007-08-एक समीक्षा, कोयला नियंत्रक कार्यालय
4. ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार की वेबसाइट।

कमी आई है। सभी परियोजनाओं की मूल लागत पर मार्च 2007 के अंत में 12.4 प्रतिशत अधिक खर्च हुआ था, जबकि फरवरी 2008 में यह खर्च कम हुआ और 11.5 प्रतिशत तक पहुंचा।

निवेश वातावरण

II.2.30 औद्योगिक गतिविधियों में मंदी के बावजूद वर्ष 2007-08 के दौरान निवेश वातावरण अनुकूल रहा जो भारी निवेश प्रस्तावों से परिलक्षित होता है (सारणी 2.13)।

विलयन और अधिग्रहण

II.2.31 वर्ष 2007-08 (अप्रैल-जनवरी) में विलयन और अधिग्रहण गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई जो विश्व स्तर पर सामान्य रूप से विलयन और अधिग्रहण गतिविधियों में आई कमी और घरेलू औद्योगिक गतिविधियों की मंद गति के अनुरूप थी (सारणी 2.14)। अप्रैल- जनवरी 2007-08 के दौरान मूल्य के अनुसार अधिग्रहण सौदों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 34.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2007-08 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान भारतीय कार्पोरेट्स द्वारा विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण में मंदी रही। वर्ष 2007-08 (अप्रैल-जनवरी) में अधिकतर विलयन वित्तीय सेवा क्षेत्रों में हुआ (15.7 प्रतिशत), उसके बाद व्यापार (7.0 प्रतिशत), रसायन उद्योग (4.7 प्रतिशत), उद्योग उत्पादनकर्ता मशीनरी (4.7

सारणी 2.13 : औद्योगिक निवेश प्रस्ताव

वर्ष	आईएम		एलओआइ/डीआइएल	
	प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)	प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
2001-02	3,094	70,994	102	1,361
2002-03	3,178	80,824	60	332
2003-04	4,130	1,54,954	145	3,454
2004-05	5,548	2,89,782	101	4,309
2005-06	6,341	3,82,743	135	3,638
2006-07	5,591	6,92,401	87	4,002
2007-08	3,673	12,25,761	131	6,696
संचयी*	73,471	37,95,419	4,372	1,29,781

* : अगस्त 1991 से मार्च 2008.

आईएम : औद्योगिक उद्यमी जापन.

एलओआइ : आशय पत्र

डीआइएल : प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस, जो नवंबर 2003 से जारी किए जा रहे हैं।

स्रोत : औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 2.14 : घोषित विलयन और अधिग्रहण

वर्ष	कुल अधिग्रहण		कुल विलयन
	संख्या	संख्या (करोड़ रुपये)	संख्या
1	2	3	4
2002-03	843	23,785	381
2003-04	830	35,073	291
2004-05	797	60,282	272
2005-06	874	1,00,612	394
2006-07	924	2,04,597	358
2006-07 (अप्रैल-जनवरी)	688	1,16,893	321
2007-08 (अप्रैल-जनवरी)	687	76,229	173

टिप्पणी : सौदों में अन्य के अलावा अधिमानी आबंटन, शेयरों की वापसी खरीद और विनिवेश प्रस्ताव शामिल है।

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र।

प्रतिशत), वस्त्रोद्योग (3.5 प्रतिशत) और अधात्विक खनिज उत्पादों (3.5 प्रतिशत) का क्रम रहा। वित्तीय सेवा क्षेत्र में अधिग्रहण गतिविधि सर्वाधिक रही (17.9 प्रतिशत), उसके बाद अधात्विक खनिज उत्पाद (12.3 प्रतिशत), निर्माण (11.6 प्रतिशत), रसायन (10.6 प्रतिशत), परिवहन उपकरण (8.3 प्रतिशत) और खनन (7.5 प्रतिशत) का क्रम रहा।

अति लघु और लघु उद्यम

II.2.32 अति लघु और लघु उद्योग (एमएसई) क्षेत्र औद्योगिक विकास और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा वे रोजगार के अच्छे अवसर भी निर्माण करते हैं। हाल के वर्षों में, एमएसई क्षेत्र ने समग्र औद्योगिक विकास की तुलना में लगातार अच्छी वृद्धि दर्ज की। भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल औद्योगिक मूल्य वर्धन में एमएसई क्षेत्र का 40 प्रतिशत योगदान रहा और निर्मित वस्तुओं के निर्यात में 47 प्रतिशत योगदान रहा। भारत में अनुमानतः 13 मिलियन के लगभग एमएसई की संख्या थी जिन्होंने वर्ष 2006-07 के दौरान लगभग 31 मिलियन लोगों को रोजगार दिया (सारणी 2.15)। एमएसई निर्यात का स्वरूप धीरे-धीरे गैर-पारंपरिक उत्पादों की ओर बदलता जा रहा है। वर्ष 2005-06 के दौरान एमएसई क्षेत्र से हुए कुल निर्यात में इसका हिस्सा 97.8 प्रतिशत रहा।

2008-09 की गतिविधियां

II.2.33 विनिर्माण क्षेत्र (11.1 प्रतिशत के मुकाबले 5.6 प्रतिशत) और बिजली उत्पादन (8.3 प्रतिशत के मुकाबले 2.0 प्रतिशत) में मंद वृद्धि के कारण अप्रैल-जून 2008 के दौरान औद्योगिक उत्पादन

सारणी 2.15 : अति लघु और लघु उद्यमों का कार्य-निष्पादन

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7
इकाइयों की संख्या (मिलियन)	10.5	11.0	11.4	11.9	12.3	12.8
रोजगार (मिलियन)	25.2	26.4	27.5	28.8	30.0	31.3
निवेश (करोड़ रुपये)	1,60,673	1,69,579	1,78,269	1,88,793	1,98,050	2,07,307
उत्पादन मूल्य (करोड़ रुपये)	2,82,270	3,14,850	3,64,547	4,29,796	4,97,842	उ.न.
एसएसआइ से निर्यात (करोड़ रुपये)	71,244	86,013	97,644	1,24,417	1,50,242	उ.न.
अ. : अनंतिम।	उ.न. : उपलब्ध नहीं।					
स्रोत :	अति लघु, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार।					

सूचकांक में 5.2 प्रतिशत (पिछले वर्ष 10.3 प्रतिशत) की कम वृद्धि दर दर्ज की गई। विद्युत क्षेत्र में 2.0 प्रतिशत (8.3 प्रतिशत) की गिरावट आई तथापि, खनन क्षेत्र में 4.7 प्रतिशत (2.7 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। उपयोग आधार पर वर्गीकरण के अनुसार सभी क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। पूंजीगत माल में 6.5 प्रतिशत (19.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। मध्यवर्ती और आधारभूत वस्तु क्षेत्र में क्रमशः 2.6 प्रतिशत (9.3 प्रतिशत) और 3.3 प्रतिशत (9.4 प्रतिशत) का विस्तार हुआ। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में 8.5 प्रतिशत (9.0 प्रतिशत) का विस्तार हुआ। अप्रैल-जून 2008 के दौरान छः बुनियादी सुविधा उद्योग क्षेत्रों में 3.5 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 6.4 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई।

सेवा क्षेत्र

II.2.34 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के संशोधित अनुमान के अनुसार, सेवा क्षेत्र से निर्मित वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2006-07 के 11.2 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 10.7 प्रतिशत हो गई जिसका कारण था 'वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा एवं कारोबार सेवा तथा 'निर्माण' उप क्षेत्र में मंदी (सारणी 1.1 और परिशिष्ट सारणी 2)। 'वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाओं की वृद्धि पर, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक जमाराशियों और ऋण विकास में कमी का असर भी पड़ा। दूसरी ओर, 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार' तथा 'समुदाय, समाज और वैयक्तिक सेवा' उपक्षेत्रों में अच्छी वृद्धि दिखाई दी जिससे सेवा क्षेत्र की वृद्धि लगातार तीसरे वर्ष भी दो आंकड़ों में रही। नागर विमानन क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो संबंधी कार्य और नए सेल फोन कनेक्शनों में लगातार वृद्धि से 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार' उपक्षेत्र के विकास को बल मिला (सारणी 2.16)।

II.2.35 इधर कुछ समय से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग भारत के आर्थिक विकास और रोजगार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है (बाक्स II.8)। वर्ष 2007-08 के दौरान सॉफ्टवेयर सेवाओं और हार्डवेयर के माध्यम से होने वाली आय तेजी से बढ़ी (सारणी 2.17)। 1991 के सुधार की अवधि में, भारतीय आईटी/आईटीईएस उद्योग क्षेत्र ने जीडीपी, विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार निर्माण क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कार्पोरेट कार्यनिष्पादन

II.2.36 वर्ष 2007-08 के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में आई मंदी का प्रभाव कार्पोरेट क्षेत्र के कार्य निष्पादन पर हुआ। वर्ष 2007-08 के

सारणी 2.16 : सेवा क्षेत्र गतिविधि के संकेतक

(वृद्धि दर प्रतिशत में)

उप-क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
पर्यटक आगमन	12.4	13.0	11.3
वाणिज्यिक वाहन उत्पादन	10.6	33.0	4.8
यातायात भाड़ा अर्जक रेलवे राजस्व	10.7	9.2	9.0
नए सेल फोन कनेक्शन	89.4	85.4	38.3
प्रमुख बंदरगाहों पर माल चढ़ाई/उतराई	10.4	9.5	11.9
नागरिक उड्डयन			
क) निर्यात माल की चढ़ाई/उतराई	7.3	3.6	7.5
ख) आयात माल की चढ़ाई/उतराई	15.8	19.4	19.7
ग) अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर यात्री यातायात	12.8	12.1	11.9
घ) घरेलू टर्मिनलों पर यात्री यातायात	27.1	34.0	20.6
सीमेंट	12.4	9.1	8.1
स्टील	10.8	13.1	5.1
बैंकों में कुल जमाराशियां	18.1	23.8	22.4
बैंकों के खाद्येतर ऋण	31.8	28.5	23.0
स्रोत :	पर्यटन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक		

बॉक्स II.8 : भारतीय अर्थव्यवस्था में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उद्योग का योगदान

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उद्योग के अंतर्गत हार्डवेयर, साफ्टवेयर, नेटवर्क तथा ध्वनि, डाटा, टेक्स्ट और चित्रों जैसी सूचना के संकलन, संग्रहण, संसाधन, प्रक्षेपण और प्रस्तुतीकरण के माध्यम आते हैं। इस उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा उद्योग, दोनों ही आते हैं जिसमें आंकड़ों और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही उन्हें प्रक्षेपित और प्रदर्शित किया जाता है। बीसवीं सदी के अंतिम पच्चीस वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग ने आर्थिक जगत में क्रांति ला दी (यूनससीटीएडी, 2008)। इसके दूरगामी परिणाम हुए। आईसीटी क्षेत्र के लिए आवश्यक माल के उत्पादन से इस क्षेत्र ने स्वयं विकास किया और अन्य क्षेत्रों के साथ पारस्परिक अवलंबन के कारण उन क्षेत्रों की उत्पादकता, स्पर्धात्मकता, विकास और मानव कल्याण क्षेत्र में वृद्धि हुई (डेडरिक एल, 2001)।

1991 के बाद जो संस्थागत नवोन्मेषी परिवर्तन किए गए और निर्यात उन्मुख जो नीतिगत उपाय किए गए उससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग क्षेत्र के जरिए भारत को बहुत लाभ हुआ। इन उपायों में शामिल हैं - निर्यात के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना, दूर-संचार नीति में सुधार लाना, लंबी दूरी के राष्ट्रीय और मोबाइल फोन बाजारों को निजीकरण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना। आईसीटी उद्योग क्षेत्र संबंधी इस विकास रणनीति से भारत को दुर्तरफा लाभ हुआ। पहला तो यह कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्षेत्र का विस्तार हुआ और दूसरे शेष अर्थव्यवस्था के साथ इसकी पारस्परिक अवलंबिता स्थापित हुई।

सूचना प्रौद्योगिकी और उससे जुड़ी सेवाओं (आईटी/आईटीईएस) ने अब भारत के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग क्षेत्र में अपना प्रमुख स्थान बना लिया है और उसके योगदान से देश का सकल घरेलू उत्पाद, जो 1997-98 में 1.2 प्रतिशत था, धीरे-धीरे बढ़कर 2007-08 तक 6.0 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2007-08 के दौरान इस उद्योग क्षेत्र ने 40.3 बिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा आय दर्ज की (चार्ट 'क')। वर्ष 2007-08 के अंत में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में 2.0 मिलियन का सीधा रोजगार अपेक्षित था। (2000-01 से 2007-08) के दशक में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र का रोजगार 26 प्रतिशत की कंपाउंड वार्षिक औसत दर से बढ़ा और देश में संघटित निजी क्षेत्र में यह सबसे बड़े नियोजता के अलावा, इसके उपयोग से दूसरे क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा मिला जिससे पहली पीढ़ी के उद्योग की गति बढ़ी, उत्पाद/सेवाओं का गुणवत्ता स्तर बढ़ा और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिमा तेजी से उभरी।

आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में जो वृद्धि हुई उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई गुना असर पड़ा, जो इस तथ्य से दिखाई पड़ता है कि आईटी/आईटीईएस क्षेत्र यदि 1 रुपया खर्च करता है (घरेलू माल और सेवाओं के लिए) तो वह अर्थव्यवस्था में कुल 2 रुपए का आउटपुट देता है, जिसका कारण है फर्मों द्वारा किया जाने वाला व्यय (पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय) और इस क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिकों द्वारा किया जाने वाला भारी खर्च (नासकॉम, 2008) (सारणी

क)। नासकॉम द्वारा एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि 2005-06 में उद्योग क्षेत्र के कुल 33.55 बिलियन अमेरिकी डालर के राजस्व में से वेतनेतर परिचालन व्यय, पूंजीगत व्यय और व्यावसायिकों द्वारा किए गए खर्च की राशि स्वरूप घरेलू अर्थव्यवस्था में 15.85 बिलियन अमेरिकी डालर खर्च हुए। इस खर्च से अन्य क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा जिससे मजदूरों की मजदूरी दर और वेतन प्रभावित हुए और 15.5 बिलियन अमेरिकी डालर का अतिरिक्त आउटपुट मिला। गृह निर्माण/निर्माण, परिवहन सेवा, संचार, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, खाद्य वस्तु और वस्त्रादि क्षेत्र पर कई गुना असर पड़ा।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेष के कारण संचार का एक मजबूत माध्यम उपलब्ध हुआ है जिससे प्रत्यक्ष रूप से आने वाली पारंपरिक अड़चनें दूर हुई हैं। सरकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र को तकनीकी शिक्षा कुशल कार्य-बल उपलब्ध कराकर, स्थायी विनियामक और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ों का अंतर कम करके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के सभी घटकों तक पहुंचाया जा सकता है।


संदर्भ :

1. डेडरिक, जेसन, विजय गुरुबक्सानी और केनेथ एल.क्रेमर (2001), "इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एट दी फर्म एण्ड कंट्री लेवल", सेंटर फॉर रिसर्च ऑन आईटी एण्ड ऑर्गनाइजेशनल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इरविन।
2. नासकॉम (2008), इंडियन आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्री : इम्पेक्टिंग इकॉनोमी एण्ड सोसाइटी 2007-08, नासकॉम।
3. यूनससीटीएडी (2008), इन्फार्मेशन इकॉनोमी रिपोर्ट 2007-08.

सारणी क : आईटी/आईटीईएस उद्योग का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर गुणक प्रभाव (2005-06)

क्षेत्र	आईटी उद्योग क्षेत्र द्वारा व्यय (यूएस बिलियन डालर)	आउटपुट प्रभाव (यूएस बिलियन डालर)	आउटपुट गुणक
1	2	3	4
निर्माण/गृह निर्माण	3.15	6.18	2.0
परिवहन सेवाएं	1.28	2.77	2.2
साज-सज्जा/वस्त्रादि	0.73	1.59	2.2
संचार	1.00	1.59	1.6
खाद्य वस्तुएं	0.56	1.38	2.5
मनोरंजन/यात्रा	0.63	1.30	2.0
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	0.43	1.12	2.6
स्वास्थ्य/बीमा	0.58	1.01	1.7
ईंधन और ऊर्जा	0.42	0.95	2.3
होटल/रेस्तरां	0.45	0.95	2.1
शिक्षा/अनुसंधान	0.62	0.76	1.2
ऑटोमोबाइल	0.27	0.66	2.5
आईटी बुनियादी सुविधाएं	0.20	0.43	2.1
मुद्रण/प्रकाशन	0.09	0.19	2.2
अन्य सेवाएं	5.45	10.48	1.9
कुल	15.83	31.34	2.0

स्रोत : नासकॉम क्रिसिल अनुसंधान - दी राइजिंग टाइड: एम्प्लायमेंट एण्ड आउटपुट लिंकिजेस ऑफ आईटी/आईटीईएस, 2007.



सारणी 2.17 : भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग

(बिलियन अमेरिकी डालर)

मद	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08अनु
1	2	3	4	5
1. कुल सॉफ्टवेयर और सेवाएं				
राजस्व (i से iii)	22.5	30.3	39.7	52.0
निर्यात	17.7	23.6	31.3	40.3
घरेलू	4.9	6.7	8.4	11.7
i) आइटी सेवाएं	13.5	17.8	23.5	31.0
निर्यात	10.0	13.3	18.0	23.1
घरेलू	3.5	4.5	5.5	7.9
ii) आइटीईएस-बीपीओ	5.2	7.2	9.5	12.5
निर्यात	4.6	6.3	8.4	10.9
घरेलू	0.6	0.9	1.1	1.6
iii) इंजीनियरिंग सेवाएं और अनुसंधान एवं विकास, सॉफ्टवेयर उत्पाद	3.8	5.3	6.5	8.5
निर्यात	3.1	4.0	4.9	6.3
घरेलू	0.7	1.3	1.6	2.2
2. हार्डवेयर	5.6	7.1	8.5	12.0
3. कुल आइटी उद्योग (1+2)	28.2	37.4	48.0	64.0
	(4.1)	(4.8)	(5.2)	(6.0)
जापन मदें:	(हजारों में)			
4. कुल रोजगार (क से ग)*	1,058	1,293	1,630	उ.न.
क) आइटी सेवाएं	297	398	562	उ.न.
ख) आइटी ईएस-बीपीओ	316	415	545	उ.न.
ग) इंजीनियरिंग सेवाएं और अनुसंधान एवं विकास, सॉफ्टवेयर उत्पाद	93	115	144	उ.न.
5. घरेलू बाजार (उपयोगकर्ता संगठन सहित)	352	365	378	उ.न.
अनु : अनुमान।	उ.न. : उपलब्ध नहीं।			
* : हार्डवेयर को छोड़कर				
टिप्पणी :	कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हैं।			
स्रोत :	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज।			

दौरान कुछ चुनिंदा गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के ब्रिकी और निवल लाभ में वृद्धि क्रमशः 26.2 प्रतिशत और 45.2 प्रतिशत थी, जो 2007-08 में घटकर क्रमशः 18.3 और 26.2 प्रतिशत हो गयी। अन्य आय में भारी वृद्धि के बावजूद (7.1 प्रतिशत की तुलना में 46.2 प्रतिशत) कार्पोरेट क्षेत्र के सकल मुनाफे (41.9 प्रतिशत की तुलना में 22.8 प्रतिशत) में गिरावट आई। वर्ष 2007-08 के दौरान मूल्यह्रास प्रावधान 14.8 प्रतिशत से बढ़ गया जबकि 2006-07 में यह वृद्धि 15.4 प्रतिशत थी। 2007-08 में ब्याज भुगतान में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2006-07 में 17.4 प्रतिशत थी। लेकिन ब्याज व्याप्ति अनुपात पिछले वर्ष के 7.5 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 7.3 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 के दौरान ब्रिकी के प्रति सकल लाभ और कर पश्चात लाभ अनुपातों द्वारा मापित लाभदायकता में सुधार हुआ है (सारणी 2.18)

सकल मांग

II.2.37 वर्ष 2007-08 के दौरान खपत तथा निवेश के कारण होने वाली घरेलू मांग विकास का मुख्य कारक बनी रही। संशोधित अनुमान के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) का प्रतिशत जो 2006-07 में 15.1 था वर्ष 2007-08 में घटकर 13.8 प्रतिशत हो गया। तथापि, इसी अवधि के लिए जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीएफसीएफ जीडीपी के 30.6 प्रतिशत से बढ़कर 31.9 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्ष आई मंदी के पश्चात् वर्ष 2007-08 में वास्तविक निजी अंतिम खपत व्यय में सुधार तथा सरकारी अंतिम खपत व्यय में निरंतर वृद्धि के कारण कुल अंतिम खपत व्यय की वृद्धि में बढ़ोतरी हुई। 2007-08 में मूल्यवान वस्तुओं में निवेश पिछले वर्ष के 14.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 13.9 प्रतिशत तक तेजी से बढ़ा (सारणी 2.19)। जबकि 2007-08 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 46.6 प्रतिशत (2006-07 में 45.5 प्रतिशत) की वृद्धिशील संवृद्धि को निजी उपभोग मांग के 53.8 प्रतिशत (2006-07 के दौरान 43.9 प्रतिशत) तक सकल नियत पूंजी निर्माण द्वारा हिसाब में लिया गया था।

II.2.38 भारत में वर्तमान वृद्धि का क्रम घरेलू मांग अर्थात् उपभोग और निवेश द्वारा संचालित होता रहा। तथापि, हाल के वर्षों में घरेलू मांग में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दिए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में उपभोग के अंश में 2001-02 के 76.5 प्रतिशत से 2007-08 में 67.8 प्रतिशत होने तक लगातार कमी आयी है, जबकि उसी अवधि के दौरान वास्तविक निवेश (सकल घरेलू पूंजी निर्माण) में 22.2 प्रतिशत से 33.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है (सारणी 2.20)। इस प्रकार, घरेलू मांग में निवेश क्रियाकलापों का सापेक्षिक महत्व बढ़ा है।

II.2.39 निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) के अंश में वर्ष 2001-02 के 64.3 प्रतिशत से वर्ष 2007-08 में 58.2 प्रतिशत की कमी आयी। हाल के वर्षों में, निजी अंतिम उपभोग व्यय चक्रीय अनुकूल हो गया है। अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि 2002-03 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 9.0 प्रतिशत हो गई, जबकि उसी अवधि के दौरान निजी उपभोग 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गया। प्रति व्यक्ति निजी उपभोग व्यय में वर्ष 2002-03 में 1.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी से वर्ष 2007-08 में 6.8 प्रतिशत की

सारणी 2.18: कारपोरेट क्षेत्र का निष्पादन

(प्रतिशत)

मद	1991-92	2000-01	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2007-08			
	से 1999-2000	से 2006-07						ति 1	ति 2	ति 3	ति 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वृद्धि दर (प्रतिशत)	(औसत)	(औसत)									
बिक्री	14.0	14.2	16.0	24.1	16.3	26.2	18.3	19.2	16.0	18.0	20.6
अन्य आय	17.0	5.2	22.1	-0.9	17.3	7.1	46.2	106.7	45.2	70.2	28.5
कुल व्यय	14.1	13.6	14.9	23.6	16.7	23.4	18.4	18.0	15.3	18.9	23.3
मूल्यद्वस का प्रावधान	17.3	8.9	6.0	11.2	8.1	15.4	14.8	18.1	15.8	17.9	15.4
कुल लाभ	12.5	20.4	25.0	32.5	24.6	41.9	22.8	31.9	22.5	20.4	16.8
ब्याज का भुगतान	15.8	-1.4	-11.9	-5.8	-2.0	17.4	28.8	4.4	18.4	45.7	35.8
करोत्तर लाभ	11.8	36.5	59.8	51.2	32.8	45.2	26.2	33.9	22.7	29.4	14.1
चुनिदा अनुपात (प्रतिशत)	(न्यून.-अधि)	(न्यून.-अधि)									
बिक्री के प्रति कुल लाभ	(10.5-14.2)	(10.1-15.5)	11.1	11.9	12.2	15.5	16.3	16.7	16.3	16.2	15.0
बिक्री के प्रति करोत्तर लाभ	(3.3-7.8)	(2.6-10.7)	5.9	7.2	8.2	10.7	11.8	11.6	11.5	12.2	10.3
बिक्री के प्रति ब्याज	(5.3-6.9)	(2.1-6.1)	3.4	2.6	2.2	2.1	2.2	2.0	2.1	2.5	2.2
कुल लाभ के प्रति ब्याज	(36.9-62.7)	(13.4-60.0)	30.7	21.8	18.1	13.4	13.8	11.8	12.8	15.3	14.6
कुल व्यय के प्रति ब्याज	(5.4-6.8)	(2.3-6.1)	3.6	2.8	2.4	2.3	2.5	2.2	2.3	2.8	2.4
ब्याज व्याप्ति अनुपात	(1.6-2.7)	(1.7-7.5)	3.3	4.6	5.5	7.5	7.3	8.5	7.8	6.5	6.8
इन्विटी से ऋण	(58.7-99.5)	(43.0-70.5)*	58.6	52.7	43.0	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
निधियों के कुल स्रोत से											
निधियों के आंतरिक स्रोत	(26.1-40.3)	(43.6-65.3)*	53.5	55.5	43.6	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
कुल उधार के प्रति											
बैंक उधार	(27.5-35.0)	(34.4-58.2)*	48.0	51.7	58.2	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
ज्ञापन:											(रुपये करोड़ में)
कंपनियों की संख्या			2,214	2,214	2,730	2,388	2,359	2,342	2,228	2,329	2,357
बिक्री			4,42,743	5,49,449	7,35,216	10,41,894	11,41,711	2,80,814	2,97,110	3,06,238	3,50,917
अन्य आय			12,031	11,927	17,088	23,895	30,958	9,151	8,057	9,221	10,082
व्यय			3,86,559	4,77,609	6,43,824	8,78,645	9,56,930	2,37,698	2,49,194	2,57,472	3,02,105
मूल्यद्वस का प्रावधान			20,406	22,697	28,961	37,095	40,664	10,173	10,576	10,961	11,805
कुल लाभ			49,278	65,301	90,179	1,61,006	1,86,665	46,780	48,296	49,717	52,583
ब्याज भुगतान			15,143	14,268	16,302	21,500	25,677	5,504	6,194	7,609	7,703
करोत्तर लाभ			26,182	39,599	60,236	1,11,107	1,34,291	32,699	34,266	37,470	36,109

* : आंकड़े 2000-01 से 2005-06 की अवधि के लिए हैं।

टिप्पणी: 1. वर्ष 2005-06 तक के आंकड़े लेखा-परीक्षित वार्षिक खातों पर आधारित हैं जबकि 2006-07 और 2007-08 के आंकड़े चुनिदा गैर सरकारी गैर वित्तीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं।
2. एक समान कंपनियों के समूह के लिए पिछले वर्ष के अनुरूप अवधि के संदर्भ में वृद्धि दरों में प्रतिशत घट-बढ़ है।
3. कंपनियों की संख्या तथा संघटन में भिन्नता के कारण प्रत्येक अवधि में तिमाही आंकड़े वार्षिक आंकड़ों में शामिल नहीं किये गए हैं।

वृद्धि हुई। माल के प्रकार में, निजी अंतिम उपभोग व्यय के अंश के अनुसार सेवा क्षेत्र के उपभोग व्यय के अंश में वृद्धि हुई, जबकि तदनु रूप गैर टिकाऊ माल में कमी आई। सेवाओं पर उपभोग व्यय के अंश में वृद्धि मुख्य रूप से 'मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक सेवाओं' और 'फर्नीचर, साज सामान, उपकरणों तथा सेवाओं' पर किए गए व्यय के कारण हुई जिसकी उच्चतर आय लोच है।

II.2.40 हाल के कुछ अध्ययनों में यह देखा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान उच्च वृद्धि, विशेष रूप से सुधार के बाद की अवधि में, उत्पादकता प्रेरित रही। इन अध्ययनों ने भारत की उत्पादकता के अनुमान के लिए वर्तमान विश्लेषणात्मक संकल्पनाओं तथा प्रायोगिक तकनीकों का प्रयोग किया (बॉक्स II.9)।

बचत और पूंजी निर्माण

II.2.41 चालू दशक के दौरान यह देखा गया कि वृद्धिमान प्रवृत्ति जारी रही और 2006-07 के दौरान सकल घरेलू बचत और निवेश दरें अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गईं। चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत (जीडीएस) 2005-06 में 34.3 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 2006-07 में 34.8 प्रतिशत हो गई (परिशिष्ट सारणी 11)। निजी निगमित क्षेत्र की बचत में लगातार पाँचवे वर्ष भी सुधार हुआ। 2001-02 में यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत कम थी जो 2004-05 में बढ़कर 6.6 प्रतिशत और पुनः 2006-07 में 7.8 प्रतिशत हो गई, इससे प्रकट होता है कि निगमित क्षेत्र के अर्जनों की प्रतिधारण क्षमता में लगातार

आर्थिक समीक्षा

**सारणी 2.19 : वास्तविक प्रभावी मांग के चयनित संसाधनों में वृद्धि #
(आधार वर्ष: 1999-2000)**

(प्रतिशत)

मद	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06@	2006-07*	2007-08^
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कुल अंतिम उपभोग व्यय जिसका	2.8	5.5	2.2	5.3	4.8	8.2	7.0	8.1
निजी अंतिम उपभोग	3.2	6.1	2.7	5.8	5.2	8.7	7.1	8.3
सरकारी अंतिम उपभोग	0.9	2.3	-0.4	2.6	2.6	5.4	6.2	7.0
2. कुल निवेश +	-3.5	-2.9	17.0	19.9	19.5	19.4	10.9	उ.न.
निजी निवेश ++	-5.4	4.1	18.5	14.1	24.8	18.4	15.0	उ.न.
सरकारी निवेश ++	-3.0	3.0	-7.0	8.3	14.7	21.5	12.0	उ.न.
मूल्यवान वस्तुएं ++	-8.1	-5.4	-4.1	66.6	57.2	-2.2	14.9	13.9
3. कुल नियत निवेश	0.0	7.4	6.6	13.7	18.9	17.4	15.1	13.8
जिसका								
निजी नियत भाग	-0.8	8.9	8.7	14.7	23.6	17.1	14.6	उ.न.
सरकारी नियत भाग	1.9	3.6	1.3	10.8	5.2	18.5	17.0	उ.न.

: बाजार कीमतों पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित @ : अंतिम अनुमान
 * : त्वरित अनुमान ^ : संशोधित अनुमान
 + : भूल-चूक हेतु समायोजित ++ : भूल-चूक हेतु असमायोजित उ.न. : उपलब्ध नहीं
टिप्पणी : 'मूल्यवान वस्तुओं' में कलाकृतियों और प्राचीन कृतियों को छोड़कर मूल्यवान वस्तुओं के अधिग्रहण पर किया गया व्यय शामिल है।
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर, घरेलू क्षेत्र की बचतें 2005-06 में 24.2 प्रतिशत थीं जो 2006-07 में मामूली सी कम होकर सकल घरेलू उत्पाद के 23.8 प्रतिशत पर रहीं। सरकारी क्षेत्र बचत, जिसमें 2003-04 से ही उथल-पुथल की स्थिति दिखी, में निर्बचत से सकारात्मक बचत की स्थिति रही, इन बचतों में मुख्य रूप से गैर-विभागीय और विभागीय उद्यमों की उच्चतर बचत शामिल है, ये 2003-04 में जीडीपी का 1.1 प्रतिशत थीं जो कि 2006-07 में 3.2 प्रतिशत हो गईं (चार्ट II.3)।

II.2.42 वर्ष 2006-07 के दौरान घरेलू बचत दर में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हुई, जबकि घरेलू निवेश में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी दर्ज हुई। परिणाम स्वरूप, 2006-07 में घरेलू निवेश दर जीडीपी के 35.9 प्रतिशत पर पहुँच गई, जबकि 2005-06 में यह 35.5 प्रतिशत थी (सारणी 2.21)।

II.2.43 उपलब्ध नवीनतम जानकारी के आधार पर प्राथमिक अनुमानों में, 2007-08 के लिए घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचतों (निवल) को

सारणी 2.20: सकल घरेलू उत्पाद का व्यय पक्ष

(स्थिर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कुल उपभोग व्यय	76.5	75.3	73.2	70.8	70.2	68.4	67.8
2. निजी अंतिम उपभोग व्यय	64.3	63.6	62.1	60.3	60.0	58.6	58.2
3. सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	12.2	11.7	11.1	10.5	10.2	9.8	9.6
4. निर्यात	13.3	15.6	15.3	18.1	19.0	20.6	20.3
5. आयात-घटाकर	13.3	14.2	15.3	16.3	21.8	24.7	24.4
6. सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ)#	22.2	25.0	27.7	30.6	33.4	33.8	31.9 ^
7. बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* : त्वरित अनुमान # : भूल चूक के लिए समायोजित ^ : सकल नियत पूंजी निर्माण से संबंधित
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

बॉक्स II.9

उत्पादकता के संकल्पनात्मक पक्ष

उत्पादकता का निहितार्थ है उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी इनपुट का मूल्य। किसी इनपुट की उत्पादकता का निर्धारण इस तथ्य से होता है कि उस इनपुट से कितना उत्पादन हो सकता है।

संवृद्धि का महत्वपूर्ण तत्व है उत्पादकता। यह व्यापक और बढ़ते हुए रोजगार में योगदान करनेवाला महत्वपूर्ण घटक भी है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ रही है तो इसका आशय यह है कि उत्पादन के घटक और पण्य रूपी इनपुट अपनी सकल कार्यक्षमता में बढ़ोतरी प्रदर्शित कर रहे हैं। मौद्रिक विस्तार की दर को देखते हुए उत्पादकता में सुधार से कीमतें कम रखने में सहायता मिलती है और निर्यात बढ़ता है।

उत्पादकता के पारंपारिक मापदंड

(क) एकल घटक उत्पादकता

किसी भी क्षेत्र में या किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता मापने में प्रयुक्त सरलतम और सर्वाधिक प्रयुक्त मानदंडों में यह है कि निवल उत्पादन (या निवल मूल्य समायोजित) को अंश (भाज्य) के रूप में लिया जाय और भूमि, श्रम और पूंजी नामक तीन अन्य घटकों में से किसी एक को 'हर' (विभाजक) के स्थान पर लेकर किसी एक घटक की तुलना में अनुपात निकाला दिया जाए। इस प्रक्रिया को एकल घटक उत्पादकता मानदंड का नाम दिया गया है।

(ख) कुल सकल उत्पाद और कुल सकल इनपुट

एसएफपी पद्धति में प्रतीत होता है कि भौतिक-पूंजी-सह मध्यवर्ती इनपुट और पूंजी-सह-सकल उत्पाद के बीच सम्बन्ध को सामान्यतया अपरिवर्ती मान लिया है। सकल इनपुट और सकल आउटपुट के बीच संबंध को सामान्यतया उत्पादन कहा जाता है, अर्थात् पण्यों के बीच संबंध। इसलिए (क) मध्यवर्ती इनपुट (ख) निवल आउटपुट और (ग) पूंजी तथा कुल सकल आउटपुट सहित (क) पूंजी तथा (ख) मध्यवर्ती इनपुट तथा कुल सकल आउटपुट के बीच एक नए मानदंड की गुंजाइश है। इसे मानदंड को 'कुल सकल आउटपुट से कुल सकल इनपुट' (गोगो) का नाम दिया गया है (ब्रह्मानंद 1982)।

(ग) वर्धमान पूंजी - आउटपुट अनुपात

वर्धमान पूंजी आउटपुट अनुपात (आइसीओआर) को जीडीपी में वृद्धि की तुलना में पूंजी स्टॉक में वृद्धि के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार (आइसीओआर) पूंजी की सीमांत उत्पादकता का प्रतिरोम है। आइसीओआर देश में विगत अनुभवों का बाह्य आकलन करते हुए अनुमान लगाता है कि यदि पूंजी की अगली इकाई को दक्षता-पूर्वक उपयोग में लाया जाता है तो जीडीपी में बढ़ोतरी होगी (स्वालेहीन, 2007)। परिचालनात्मक रूप, (आइसीओआर) की गणना सकल निवेश और जीडीपी में परिवर्तन के अनुपात के रूप में की जाती है।

नये मानदंड - कुल घटक उत्पादकता

कुल घटक उत्पादकता संवृद्धि (टीएफपी) का आकलन आउटपुट की संवृद्धि और इनपुट की संवृद्धि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है। दूसरे शब्दों में, यह आउटपुट की ऐसी संवृद्धि है जिसमें इनपुट की संवृद्धि का योगदान नहीं है। टीएफपी संवृद्धि का आकलन करने के लिए नव-शास्त्रीय संरचना के आधार पर विभिन्न पद्धतियों का विकास किया गया है। इन पद्धतियों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (क) संवृद्धि लेखांकन (ख) इकोनोमेट्रिक दृष्टिकोण (ग) फ्रंटियर दृष्टिकोण।

क) संवृद्धि लेखांकन दृष्टिकोण

उत्पादन और वितरण के नव-शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर संवृद्धि लेखांकन दृष्टिकोण में बताया जाता है कि प्रतिस्पर्धी समतुल्यता और पैमाने पर निरंतर प्रतिलाभ की प्रत्याशा में घटकों के लिए किया जानेवाला भुगतान कुल उत्पाद को

समाप्त कर देता है। तथापि, प्रौद्योगिकीय प्रगति की मौजूदगी में घटकों को किये जानेवाले भुगतान कुल उत्पादन को समाप्त नहीं करेंगे और बचे हुए आउटपुट रहेंगे, जिसकी व्याख्या कुल घटक इनपुट द्वारा नहीं की जाती है। यह बचा हुआ आउटपुट 'बहुत कम बचा हुआ' के रूप में जाना जाता है और इसका प्रयोग उत्पादकता संवृद्धि के आकलन और व्याख्या के लिए किया जाता है।

ख) इकोनोमेट्रिक दृष्टिकोण

उत्पादकता आकलन के लिए इकोनोमेट्रिक दृष्टिकोण उत्पादन अथवा लागत प्रकार्यों के आकलन करने पर आधारित है। इस पद्धति में प्रत्याशा की जाती है कि प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को उत्पादन प्रकार्य (या लागत प्रकार्य) में बदलाव के रूप में बताया जा सकता है, इसलिए यदि पैमाने और दक्षता प्रभावों को एक स्तर विशेष पर अचर मान लिया जाय तो उत्पादन प्रकार्य (या लागत प्रकार्य) में होनेवाला बदलाव प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के साथ मिलाकर सीधे ही उत्पादकता के आकलन में प्रयुक्त किया जा सकता है। इकोनोमेट्रिक दृष्टिकोण का आकर्षण यह है कि इसमें 'उपयुक्तता की अच्छाई' का प्रावधान है और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा इनपुट के लिए मांग के महत्वपूर्ण पक्ष के परिक्षण की अनुमति है।

ग) फ्रंटियर दृष्टिकोण


यह दृष्टिकोण फ्रंटियर उत्पादन प्रकार्य से सम्बद्ध इनपुट मात्राओं के सुप्रसिद्ध सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यथासंभव अधिकतम आउटपुट होते हैं। यह दृष्टिकोण प्राप्त हो चुके आउटपुट के विपरीत है, जिसका प्रयोग उत्पादकता संवृद्धि के लिए पारंपारिक अनुभवजन्य प्रलेख में किया गया। यह उत्पादन प्रक्रिया की सैद्धांतिक परिभाषा के समनुरूप है। उत्पादन फ्रंटियर में अधिकतम का विचार सन्निहित है, जो कि एक मानक के रूप में है तथा जिसके प्रतिपक्ष में किसी भी आर्थिक एजेंट के वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना की जा सकती है। फ्रंटियर दृष्टिकोण को अभिनिर्धारणात्मक और स्टॉक हैस्टिक दृष्टिकोण के उप-समूहों में बांटा जा सकता है। इन दोनों दृष्टिकोणों के अपने-अपने लाभ और सीमाएं हैं (सलीम, 1999)।

हाल के अनुभवजन्य अध्ययनों में प्रकट हुआ है कि सुधार-पूर्व की अवधि में घरेलू उत्पादकता में सुधार के कुछ संकेत मिले। प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए किये गये विभिन्न सुधारों से प्रतीत होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ी है (मोहन, 2008)। एक अन्य अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि कुल घटक उत्पादकता की औसत संवृद्धि दर 1999-2004 के दौरान 2.0 प्रतिशत रही (बोसवर्थ अन्य 2006)। एक अन्य अध्ययन के अनुसार 2003-05 के दौरान औसत टीएफपी संवृद्धि 3.5 प्रतिशत रही और संवृद्धि में टीएफपी का योगदान 43.5 प्रतिशत रहा (पोद्दार और यी, 2007)।

संदर्भ

1. बोसवर्थ बी., सुसन एम.कोलीन्स एंड अरविंद विरमनी (2006), *सोर्सज आफ ग्रोथ इन द इंडियन इकॉनॉमी*, बुकिंग्स इंस्टीट्यूट, यूएसए।
2. ब्रह्मानंद पी.आर. (1982), *प्रोडक्टिविटी इन द इंडियन इकॉनॉमी*, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुंबई।
3. पोद्दार टी.एंड इवा यी (2007) "इंडियाज राइजिंग ग्रोथ पोटेंशियल", ग्लोबल इकॉनॉमिक्स पेपर नं.152, गोल्डमन साच।
4. मोहन राकेश (2008), "दी ग्रोथ रेकार्ड ऑफ द इंडियन इकॉनॉमी, 1950-2008: ए स्टोरी ऑफ सस्टेड सेविंगज एंड इनवेस्टमेंट", *रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन*, मार्च।
5. सलीम आर. ए. (1999): *कंपैसिटी रिअलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन ए डेवेलोपिंग कंट्री*, अशगेट पब्लिशिंग लि., अल्डरशॉट, यू.के.।
6. स्वालेहीन, एम.(2007): "करप्शन एंड इनवेस्टमेंट चॉइसेज: ए पैनल डाटा स्टडी", *किक्लोस*. वॉल्यूम 60 सं. 4, पीपी. 601-616।

चार्ट II.3: सकल घरेलू बचत



वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी के 11.2 प्रतिशत पर रखा गया है, जो 2006-07 के 11.7 प्रतिशत के अनुमानों की तुलना में कम थे (सारणी 2.22)। वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 में घरेलू वित्तीय बचतों के अधिमान पैटर्न में कुछ परिवर्तन हुए। 2007-08 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बचतें 'करेंसी' और 'शेयर तथा डिबेचरों में निवेश' के रूप में बढ़ी, जबकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बचतें जमाओं, 'सरकार के दावों' और संविदागत बचतों के रूप में घटीं (परिशिष्ट सारणी 12)। वित्तीय देयताओं में जीडीपी के 2.4 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में घरेलू क्षेत्र की सकल वित्तीय आस्तियों

सारणी 2.22: वित्तीय आस्तियों में घरेलू बचत

(राशि करोड़ रूपयों में)

मद	2005-06अ	2006-07अ	2007-08#
1	2	3	
क. वित्तीय आस्तियां (सकल)	5,97,867	7,68,967	7,34,699
	(16.7)	(18.5)	(15.6)
1. मुद्रा	53,071	66,323	80,342
	(1.5)	(1.6)	(1.7)
	[8.9]	[8.6]	[10.9]
2. जमा @	2,80,772	4,25,050	4,15,245
	(7.8)	(10.3)	(8.8)
	[47.0]	[55.3]	[56.5]
3. सरकार पर दावे	87,168	40,627	-27,042
	(2.4)	(1.0)	(-0.6)
	[14.6]	[5.3]	[-3.7]
4. शेयरों तथा डिबेचरों में निवेश +	30,735	51,086	77,073
	(0.9)	(1.2)	(1.6)
	[5.1]	[6.6]	[10.5]
5. संविदागत बचत*	1,46,122	1,85,881	1,89,081
	(4.1)	(4.5)	(4.0)
	[24.4]	[24.2]	[25.7]
ख. वित्तीय देयताएं	1,83,424	2,82,697	2,08,666
	(5.1)	(6.8)	(4.4)
ग. वित्तीय आस्तियों में बचत (निवल) (क-ख)	4,14,444	4,86,270	5,26,033
	(11.6)	(11.7)	(11.2)

अ : अनंतिम # : प्रारंभिक
 @ : बैंक जमा राशियां, गैर-बैंक जमा राशियां और व्यापारिक ऋण (निवल) को शामिल किया गया है।
 + : भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूचुअल निधियों के विशिष्ट उपक्रमों की इकाइयों
 * : जीवन बीमा और भविष्य तथा पेंशन निधियों को शामिल किया गया है।
 टिप्पणी : 1. पूर्णांकन के कारण सभी घटकों का योग समान नहीं भी हो सकता है।
 2. () में दिए गए आंकड़े वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी का प्रतिशत दर्शाते हैं और [] में दिए गए आंकड़े वित्तीय आस्तियों (सकल) का प्रतिशत दर्शाते हैं।

में जीडीपी के 2.9 प्रतिशत की उच्च दर कमी का परिणाम 2007-08 में निवल घरेलू वित्तीय बचतों की कम दर रही।

सारणी 2.21: सकल पूंजी निर्माण

(वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी का प्रतिशत)

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06अ	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7
1. घरेलू क्षेत्र	11.3	12.9	13.0	12.9	12.5	12.5
2. सरकारी क्षेत्र	6.9	6.1	6.3	6.9	7.6	7.8
3. निजी कंपनी क्षेत्र	5.4	5.7	6.6	10.5	13.3	14.5
4. मूल्यवान वस्तुएं +	0.6	0.6	0.9	1.3	1.2	1.2
5. सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ) #	22.8	25.2	28.2	32.2	35.5	35.9

अ : अनंतिम * : त्वरित अनुमान
 + : 'मूल्यवान वस्तुओं' में कलाकृतियों और प्राचीन कृतियों को छोड़कर मूल्यवान वस्तुओं के अधिग्रहण पर किया गया व्यय शामिल है।
 # : चूंकि जीडीसीएफ को भूल-चूक हेतु समायोजित किया गया है, क्षेत्र-वार पूंजी निर्माण आंकड़ों को जीडीसीएफ में नहीं जोड़ा जाता है।
 स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

II.2.44 संक्षेप में, वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च संवृद्धि जारी रही, यद्यपि वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य थी। वर्ष 2007-08 लगातार ऐसा तीसरा वर्ष था जब वृद्धि दर 9 प्रतिशत या उससे ऊपर रही। दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-03 से 2006-07) के दौरान 7.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि किसी योजना अवधि में प्राप्त की गई सबसे उच्चतम वृद्धि है। जबकि वृद्धि प्रक्रिया औद्योगिक गतिविधि से समर्थित सेवा-क्षेत्र द्वारा जारी रही और वर्ष 2007-08 के दौरान कृषि क्षेत्र में वसूली के सकारात्मक लक्षण थे। इससे समग्र विकास प्रक्रिया में सुधार के अलावा अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न आपूर्ति सुधरने में भी मदद मिली। घरेलू मांग होने से भारत में विकास प्रक्रिया जारी रही। पिछले कुछ वर्षों में घरेलू मांग के अंतर्गत उपभोग के अंश में कमी आयी जबकि घरेलू बचत दर में सुधार के समर्थन से निवेश में वृद्धि हुई। विदेशी बचतों के लिए आश्रय देना सामान्य रूप से जारी रहा।

III. मुद्रा, ऋण और मूल्य


II.3.1 वर्ष 2007-08 के दौरान मौद्रिक और चलनिधि समुच्चयों का तेजी से बढ़ना जारी रहा, जिससे बड़े और निरंतर पूंजी प्रवाह का बने रहना परिलक्षित होता है। वर्ष के दौरान व्यापक मुद्रा (एम₃) में वृद्धि अप्रैल 2007 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में उल्लेख किए गए अनुसार 2007-08 के लिए 17.0-17.5 प्रतिशत की अनुमानित संकेतात्मक दिशा से ऊपर बनी रही। फिर भी, एम₃ की वृद्धि दर फरवरी 2008 के मध्य से कम हुई और यह मियादी जमाराशियों की वृद्धि में आई कुछ कमी को दर्शाती है। दूसरी ओर 2007-08 में खाद्येतर ऋण की वृद्धि में कमी आई और रिजर्व बैंक के 24.0-25.0 प्रतिशत के नीतिगत अनुमान से सामान्य कम रही (अप्रैल-2007)। जमाराशियों में वृद्धि के साथ एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक के निवेशों में अग्रानुक्रम से वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, उनके एनडीटीएल के अनुपात के रूप में उनके एसएलआर निवेश मार्च 2007 के अंत के स्तर के लगभग बने रहे। रिजर्व बैंक द्वारा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत प्रतिभूतियों के निर्गमों और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत परिचालनों सहित नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) अनुबंधों तथा खुले बाजार के कार्यकलापों के संचालन के उचित उपयोग के माध्यम से 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक का चलनिधि का सक्रिय रूप से प्रबंध करना जारी रहा।

आरक्षित मुद्रा

II.3.2 आरक्षित मुद्रा में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष पर आधारित) पिछले वर्ष से अधिक रही (चार्ट II.4)। आरक्षित मुद्रा वृद्धि 2007-08 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एक वर्ष पहले के 23.7 प्रतिशत से बढ़कर 30.9 प्रतिशत हो गई (सारणी 2.23, परिशिष्ट सारणियां 13 और 14)। सीआरआर में हुई वृद्धि के प्रथम दौर के प्रभाव से समायोजित आरक्षित मुद्रा वृद्धि एक वर्ष पहले के 18.9 प्रतिशत से बढ़कर 25.3 प्रतिशत हो गई।

II.3.3 सीआरआर में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2007-08 के दौरान आरक्षित मुद्रा में काफी बड़े परिवर्तन दिखाई दिए जिसमें मुख्यतः रिजर्व बैंक के पास रखी गई बैंकों की जमाराशियों में घट-बढ़ से मांग और मियादी देयताओं में हुई भारी वृद्धि और रिजर्व बैंक बाजार परिचालन प्ररिलक्षित हुए। रिजर्व बैंक के पास रखी गई बैंकों की जमाराशियों में 2006-07 के 45.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 66.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2007-08 के दौरान मुद्रा के संचलन में हुई 17.2 प्रतिशत की वृद्धि एक वर्ष पहले के 17.1 प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ी अधिक थी।

II.3.4 स्रोत पक्ष में, आरक्षित मुद्रा रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित) द्वारा निरंतर प्रेरित रही, जो पिछले वर्ष के 1,64,601 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2007-



आर्थिक समीक्षा

सारणी 2.23: आरक्षित मुद्रा

(राशि करोड़ रुपए में)


मद	31 मार्च 2008 को बकाया	निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़					
		2006-07	2007-08	2007-08			
				तिमाही1	तिमाही2	तिमाही3	तिमाही4
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा	9,28,417	1,35,935 (23.7)	2,19,427 (30.9)	11,630	60,688	26,606	1,20,503
घटक (1+2+3)							
1. संचलन में मुद्रा	5,90,901	73,523 (17.1)	86,702 (17.2)	16,866	-13,297	46,781	36,352
2. भारिबैं के पास बैंकों की जमाराशियां	3,28,447	61,784 (45.6)	1,31,152 (66.5)	-4,800	75,464	-19,369	79,857
3. भारिबैं के पास अन्य जमाराशियां	9,069	628 (9.1)	1,573 (21.0)	-436	-1,479	-806	4,294
स्रोत (1+2+3+4-5)							
1. सरकार को भारिबैं का निवल ऋण	-1,13,209	-4,176	-1,15,632	-22,154	-54,695	-65,787	27,004
<i>जिसमें से: केंद्र सरकार को (i+ii+iii+iv-v)</i>	-1,14,636	-3,024	-1,16,772	-21,825	-55,588	-65,078	25,719
i. ऋण और अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0
ii. भारिबैंक द्वारा धारित खजाना बिल	0	0	0	0	0	0	0
iii. भारिबैं द्वारा धारित दिनांकित प्रतिभूतियां	1,14,593	26,763	17,421	-34,284	4,019	20,874	26,812
iv. भारिबैं द्वारा धारित रुपया सिक्के	132	-143	121	128	20	3	-31
v. केंद्र सरकार की जमाराशियां	2,29,361	29,644	1,34,314	-12,330	59,627	85,956	1,062
2. बैंकों तथा वाणिज्यिक क्षेत्र की भारिबैं का ऋण	6,378	1,990	-2,794	-6,450	-1,256	848	4,064
3. भारिबैं का एनएफईए	12,36,130	1,93,170 (28.7)	3,69,977 (42.7)	-2,745	1,19,430	94,681	1,58,610
<i>जिसमें से: एफसीए, पुर्नमूल्यन हेतु समायोजित</i>		1,64,601	3,70,550	47,728	1,18,074	1,00,888	1,03,860
4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	9,324	-493	1,064	166	354	312	232
5. भारिबैं की निवल मुद्रतर देयता	2,10,206	54,556	33,187	-42,812	3,145	3,448	69,406
जापन:							
निवल घरेलू आस्तियां	-3,07,713	-57,234	-1,50,550	14,375	-58,743	-68,075	-38,107
एलएएफ रिपो (+) / रिवर्स रिपो (-)	50,350	36,435	21,165	-32,182	9,067	16,300	27,980
खुले बाजार में निवल बिक्री # *		5,125	-5,923	1,246	1,560	-3,919	-4,810
केंद्र की अधिशेष	76,686	1,164	26,594	-34,597	15,376	54,765	-8,950
एमएसएस के अंतर्गत संग्रहण *	1,68,392	33,912	1,05,419	19,643	48,855	31,192	5,728
प्राधिकृत व्यापारियों से निवल खरीद (+)/बिक्री (-)		1,18,994	3,12,054	38,873	1,01,814	87,596	83,771
एनएफईए/आरक्षित मुद्रा @	133.1	122.2	133.1	119.8	125.8	133.4	133.1
एनएफईए/मुद्रा @	209.2	171.8	209.2	165.7	193.6	194.3	209.2
एनएफईए: निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां							
*: अंकित मूल्य पर							
टिप्पणी: 1. चौथी तिमाही के आंकड़े 31 मार्च पर आधारित हैं और अन्य तिमाहियों के आंकड़े अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार पर आधारित हैं।							
2. कोष्ठकों के आंकड़ें राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।							

08 के दौरान बढ़कर 3,70,550 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2004 से आरक्षित मुद्रा में विदेशी मुद्रा आस्तियों का हिस्सा 100 प्रतिशत से ऊपर रहा है। मार्च 2008 में यह पिछले वर्ष के 122.2 प्रतिशत से बढ़कर 133.1 तक पहुँच गया (चार्ट II.5)।

II.3.5 रिजर्व बैंक द्वारा किए गए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों और रिजर्व बैंक के पास रखी सरकारी जमाराशियों में घट-बढ़ से 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार को दिए गए रिजर्व बैंक के निवल ऋण में उतार-चढ़ाव परिलक्षित हुए। एमएसएस के अंतर्गत रिजर्व

बैंक के अवरुद्ध परिचालनों के कारण रिजर्व बैंक के पास केंद्र सरकार की जमाराशियों में वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक के पास रखी केंद्र सरकार की अतिरिक्त नकदी शेष राशियों में भी वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान एलएएफ के अंतर्गत चलनिधि डालने से केंद्रीय सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों की रिजर्व बैंक की धारिता में वृद्धि हुई। इन गतिविधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होकर रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को दिए गए निवल ऋण में वर्ष 2006-07 के दौरान 3,024 करोड़ रुपए की कमी की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 1,16,772 करोड़ रुपए की कमी आयी।

चार्ट II.5: स्रोत: आरक्षित मुद्रा



2008-09 के दौरान की गतिविधियां

II.3.6 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आरक्षित मुद्रा में एक वर्ष पहले के 24.1 प्रतिशत की तुलना में 15 अगस्त 2008 को 31.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सीआरआर में वृद्धि के प्रथम दौर के प्रभाव से समायोजित आरक्षित मुद्रा वृद्धि एक वर्ष पहले के 14.2 प्रतिशत की तुलना में 24.3 प्रतिशत हुई। रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में (पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित), वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एक वर्ष पहले की 2,40,618 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 2,51,201 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। केंद्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निवल ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एक वर्ष पहले की 78,935 करोड़ रुपए की कमी की तुलना में 6,125 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

मौद्रिक सर्वेक्षण

II.3.7 व्यापक मुद्रा (एम₃) एक वर्ष के पहले के 21.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 के अंत में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 20.8 प्रतिशत के कम स्तर पर थी, जो फरवरी 2008 के मध्य से मीयादी जमाराशियों में थोड़ी गिरावट को दर्शाता है। फिर भी, व्यापक मुद्रा में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कुल जमाराशियों में तीव्र वृद्धि हुई, जो वार्षिक नीतिगत वक्तव्य (अप्रैल 2007) में निर्दिष्ट वर्ष 2007-08 के लिए 4,90,000 करोड़ रुपए के पूर्वानुमान से अधिक रही। निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में हुई अभिवृद्धि मौद्रिक विस्तार का प्राथमिक स्रोत रही जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण में कमी आई (सारणी 2.24, परिशिष्ट सारणी 15 और चार्ट II.6)। मासिक औसत आधार पर व्यापक मुद्रा में 2006-07 के 19.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.3.8 निवासी आधारित नए मौद्रिक समुच्चय (एनएम₃), जिसकी गणना सीधे अनिवासी विदेशी मुद्रा जमाराशियों जैसे

एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के साथ नहीं की जा सकती, के विस्तार में एक वर्ष पहले के 21.0 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान 21.3 प्रतिशत पर थोड़ी सी वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणियां 16 और 17)। चलनिधि समुच्चय, एल₁ में मार्च 2008 के अंत में हुई 20.6 प्रतिशत की वृद्धि एक वर्ष पहले के समान थी।

II.3.9 2007-08 के अधिकांश अवधि के दौरान मुद्रा में विस्तार नियंत्रित स्तर पर था, केवल नवंबर 2007 में त्योहारों के दौरान मुद्रा की मांग बढ़ जाने के कारण मुद्रा का विस्तार तेजी से हुआ। जनता के पास मुद्रा में मार्च माह में पुनः वृद्धि हुई और मार्च 2008 के अंत तक, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पहले के 16.9 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है (चार्ट II.7)। मांग जमाराशियों में मार्च 2008 के अंत तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर हुई 20.8 प्रतिशत की वृद्धि एक वर्ष पहले के 17.1 प्रतिशत से अधिक थी। तदनुसार, मार्च 2008 के अंत तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर संकीर्ण मुद्रा में हुई 19.1 प्रतिशत की वृद्धि एक वर्ष पहले दर्ज 16.9 प्रतिशत से अधिक थी। 2007-08 में मीयादी जमाराशियों में उछाल जारी रहा, यद्यपि, 2007-08 की अंतिम तिमाही के दौरान कुछ कमी देखी गई। मीयादी जमा- राशियों में एक वर्ष पहले के 23.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 के अंत में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य बातों के साथ-साथ जिन कारणों से मीयादी जमाराशियों में तीव्र वृद्धि हुई उनमें प्रमुख हैं- सुदृढ़ आर्थिक गतिविधि, डाक जमाराशियों की तुलना में बैंक जमाराशियों पर उच्च ब्याज दरें और बैंक जमाराशियों पर धारा 80सी के कर लाभ। 2007-08 के दौरान डाक जमाराशियों की वृद्धि में नवंबर 2007 तक उल्लेखनीय गिरावट दिखाई दी। तथापि, दिसंबर 2007 में लघु बचत योजनाओं से निवल बहिर्गमन था (चार्ट II.8)। डाक जमाराशियों की ओर लोगों को

सारणी 2.24: मौद्रिक संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	31 मार्च 2008 को बकाया	घट-बढ़			
		31 मार्च 2007		31 मार्च 2008	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I. आरक्षित मुद्रा	9,28,417	1,35,935	23.7	2,19,427	30.9
I. संकुचित मुद्रा (एम)	11,50,953	1,39,714	16.9	1,84,864	19.1
III. व्यापक मुद्रा (एम ₃)	40,06,722	5,86,548	21.5	6,90,629	20.8
क) जनता के पास मुद्रा	5,67,476	69,786	16.9	84,571	17.5
ख) कुल जमाराशियां	34,30,177	5,16,134	22.3	6,04,485	21.4
i) मांग जमाराशियां	5,74,408	69,300	17.1	98,721	20.8
ii) सावधि जमाराशियां	28,55,769	4,46,834	23.5	5,05,765	21.5
जिसमें से: अनिवासी					
विदेशी मुद्रा जमाराशियां	56,935	8,185	13.8	-10,525	-15.6
IV. एनएम ₂	40,32,699	5,77,013	21.0	7,08,101	21.3
जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं से मांग मीयादी निधीयन	1,06,504	2,692	3.2	20,668	24.1
V. क) एल ₁	41,47,550	5,88,644	20.6	7,07,403	20.6
जिसमें से: डाकघर जमाराशियां	1,14,851	11,631	11.2	-698	-0.6
ख) एल ₂	41,50,482	5,88,644	20.6	7,07,403	20.5
ग) एल ₃	41,76,450	5,90,718	20.5	7,08,674	20.4
VI. व्यापक मुद्रा के प्रमुख स्रोत					
क) सरकार को निवल बैंक ऋण (i+ii)	9,07,077	69,177	9.0	72,842	8.7
i) सरकार को रिजर्व बैंक का निवल ऋण	-1,13,209	-4,176		-1,15,632	
जिसमें से: केंद्र को	-1,14,636	-3,024		-1,16,772	
ii) सरकार को अन्य बैंक ऋण	10,20,286	73,353	9.7	1,88,474	22.7
ख) वाणिज्यिक क्षेत्रों को बैंक ऋण	25,69,912	4,37,074	25.8	4,39,834	20.6
ग) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,95,131	1,86,985	25.7	3,81,952	41.8
घ) जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयता	9,324	-493	-5.6	1,064	12.9
ड) बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	7,74,723	1,06,195	22.9	2,05,063	36.0

ज्ञापन:

एससीबी की कुल जमाराशियां	31,96,939	5,02,885	23.8	5,85,006	22.4
एससीबी का खाद्यतर ऋण	23,17,515	4,18,282	28.5	4,32,846	23.0


एससीबी: अनुसूचित वाणिज्य बैंक एफआइ: वित्तीय संस्थाएं एनबीएफसी: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
 एनएम₂ निवासी आधारित सकल व्यापक मुद्रा है और एल₁, एल₂ और एल₃ मुद्रा आपूर्ति पर कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर संकलित चलनिधि समुच्चय है
 (अध्यक्ष: डॉ. वाइ.वी. रेड्डी, 1998) चलनिधि समुच्चय की परिभाषा इस प्रकार है:
 एल₁ = एनएम₃ + डाकघर बचत बैंकों में चुनिया जमाराशियां।
 एल₂ = एल₁ + मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं तथा पुनर्वित्त संस्थाओं के पास मीयादी जमाराशियां + वित्तीय संस्थाओं के सावधि उधार + वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र।
 एल₃ = एल₂ + गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियां।


टिप्पणी: 1. आंकड़े अंतिम हैं। जहां कहीं आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां पिछले उपलब्ध माह के अनुमानों को दोहराया गया है।

आकर्षित करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2007 में कतिपय डाक जमाराशियों के लिए कर-लाभों सहित कुछ प्रोत्साहन राशि की घोषणा


की। फिर भी अद्यतन अवधि तक के आंकड़े यह बतलाते हैं कि उपलब्ध निवल बहिर्वाह जून 2008 तक जारी रहा।

चार्ट II.6: मौद्रिक समुच्चय





II.3.10 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए खाद्येतर ऋण में एक वर्ष पहले के 28.5 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, 28 मार्च 2008 को 23.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 2.25, परिशिष्ट सारणियां 18 और 19 तथा चार्ट II.9)। 2007-08 के दौरान खाद्येतर ऋण में वृद्धि का वार्षिक औसत 23.9 प्रतिशत था जबकि एक वर्ष पूर्व यह 31.3 प्रतिशत था। खाद्येतर ऋण में वृद्धि रिजर्व बैंक के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य (अप्रैल 2007) में उल्लिखित



24.0 - 25.0 प्रतिशत के अनुमानित लक्ष्य के भीतर रही। खाद्येतर ऋण में वृद्धि, 2000-2004 की अवधि के दौरान 16.4 प्रतिशत और 1990 के दौरान 15.4 प्रतिशत की औसत वृद्धि की तुलना में 2004-05 से 2007-08 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान औसतन 27.7 प्रतिशत रही। वर्ष 2007-08 में ऋण वृद्धि में गिरावट तथा जमा वृद्धि में बढ़ोतरी के कारण उनके वर्ष-दर-वर्ष वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात में गिरावट आई, जो एक वर्ष पहले के 84.3 प्रतिशत से घटकर 28 मार्च 2008 को 73.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.10)।

II.3.11 ऋण वृद्धि दर लगातार वर्षों में जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रहने के कारण ऋण-जीडीपी अनुपात में वर्ष 2007-08 के दौरान और वृद्धि हुई। ऋण-जीडीपी अनुपात में मार्च 2000 के अंत में 29 प्रतिशत, मार्च 2006 के अंत में 47 प्रतिशत, मार्च 2007 के अंत में 51 प्रतिशत और इसके अतिरिक्त मार्च 2008 के अंत में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.3.12 वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान भारत में औसत जीडीपी वृद्धि दर 8.8 प्रतिशत और औसत मुद्रा आपूर्ति वृद्धि दर 17.6 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान, औसत डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति लगभग 5.5 प्रतिशत बनी रही। इस संदर्भ में, मुद्रा, उत्पाद और मूल्यों के बीच के संबंधों ने अनुसंधानकर्ताओं तथा नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है (बॉक्स II.10)।

II.3.13 2007-08 के क्षेत्रवार विस्तृत आंकड़े बताते हैं कि उद्योग ने वर्ष वार आधार पर लगभग 43 प्रतिशत वृद्धिशील खाद्येतर ऋण अवशोषित किया जब कि गत वर्ष इसी अवधि में यह 37 प्रतिशत था। इस अवधि में उद्योग में वृद्धिशील खाद्येतर ऋण का विस्तार बुनियादी क्षेत्र (बिजली, बंदरगाह तथा दूरसंचार), लोहा तथा इस्पात, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, इंजीनियरिंग, निर्माण और वाहन उद्योग की वजह से रहा। गत वर्ष इसी अवधि के 21 प्रतिशत की तुलना में केवल बुनियादी क्षेत्र ने इस वर्ष उद्योग में वृद्धिशील ऋण का 34 प्रतिशत प्राप्त किया। कृषि क्षेत्र ने गत वर्ष इसी अवधि के दौरान के 14 प्रतिशत की तुलना में वृद्धिशील खाद्येतर ऋण का लगभग 11 प्रतिशत अवशोषित किया। वृद्धिशील खाद्येतर ऋण में वैयक्तिक ऋण का हिस्सा 12 प्रतिशत था और वैयक्तिक ऋण में वृद्धिशील आवास ऋण का भाग 51 प्रतिशत था। कुछ कमी के साथ वाणिज्यिक संपदा में ऋण वृद्धि अधिक रही। (सारणी 2.26 तथा परिशिष्ट सारणी 20 और 21)

बॉक्स II.10 मुद्रा, उत्पादन और मूल्य

मुद्रा, उत्पाद और मूल्यों के बीच के परस्पर संबंधों का परंपरागत रूप में आर्थिक साहित्य और मौद्रिक नीति के संचालन दोनों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शास्त्रीय आर्थिक मान्यता के इस आधार पर कि मुद्रा मात्र एक आवरण होती है, कीन्स ने अर्थव्यवस्था में निवेश संबंधी मांग के स्तर को प्रभावित करने में ब्याज दर की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए अर्थव्यवस्था के मौद्रिक एवं वास्तविक क्षेत्रों को एकीकृत किया है। 1970 के दशक के दौरान नए शास्त्रीय अर्थशास्त्री यह मानते हुए बाजार सहभागियों की युक्तिसंगत अपेक्षाओं तथा बिना सख्ती के बाजार समाशोधन दृष्टिकोण पर यह तर्क देते हैं कि प्रत्याशित मौद्रिक नीति उपायों की कोई महत्ता है, और केवल अप्रत्याशित मौद्रिक नीति का कुछ प्रभाव हो सकता है परंतु वह भी अस्थायी होगा। इसलिए, बाजार सहभागियों को ऐसी आकस्मिकताओं से बचाने के लिए, नियम आधारित मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतिगत उपायों की सिफारिश की गई है। काफी समय तक भावी मौद्रिक नीति पर ऐसी युक्तिसंगत अपेक्षा का प्रभाव पड़ा है। किन्स परंपरा के नए अर्थशास्त्री (फिशर और फैल्प्स और टेलर) जो किन्स के विचारों की आम तौर पर पुष्टि करते हैं, यह तर्क देते हैं कि प्रत्याशित मौद्रिक नीतिगत उपायों का अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों में वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि वस्तुतः बाजार स्पष्ट नहीं होते।

आपूर्ति और मांग आघातों के कारण भारत में 1970 के दशक के दौरान मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई। आपूर्ति आघात मुख्यतः तेल और खाद्य कीमतों के कारण उत्पन्न हुए। दूसरी ओर मुद्रा आपूर्ति में तीव्र वृद्धि - 1970 के दशक के दौरान उत्पादन वृद्धि में गिरावट के बावजूद - ने मांग दबाव को बढ़ाया, जिसने औसत मुद्रास्फीति को 9.0 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। 1980 के दशक के दौरान प्रसार अभिमुख राजकोषीय नीति और उसके मुद्राकरण से उत्पन्न मांग दबावों के कारण रुक-रुक कर आपूर्ति आघातों ने मुद्रास्फीति को औसतन 8.0 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। रंगराजन और अरिफ (1990) के अनुभवजन्य सबूत से यह पुष्टि होती है कि अत्यधिक मौद्रिक विस्तार का प्रतिकूल प्रभाव राजकोषीय घाटे के मुद्राकरण से उत्पन्न मुद्रास्फीति पर पड़ता है। विनिमय दर में तीव्र मूल्यहास (11 प्रतिशत से अधिक), उच्च मौद्रिक वृद्धि, आवश्यक पण्यों जैसे दाल-दलहन तथा तिलहनों में आपूर्ति-मांग असंतुलनों सहित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि जैसे कई कारणों से वर्ष 1990 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति बढ़कर 11.0 प्रतिशत तक पहुँच गई। फिर भी, 1990 के दशक के मध्य में मुद्रास्फीति कम हुई चूंकि केंद्र सरकार को दिए गए निवल रिजर्व बैंक ऋण के रूप में बड़े पूंजी प्रवाहों के बावजूद रिजर्व बैंक ने संकेतक मुद्रास्फीति पूर्वानुमान से संगत स्तर तक अंतर्विष्ट मुद्रा की सफलतापूर्वक आपूर्ति की, जिसमें पिछले दशक में दो डिजिट वृद्धि के विपरीत नकारात्मक वृद्धि, प्राप्त कीमतों में गिरावट, वैश्विक मुद्रास्फीति में कमी और विनिमय दर मूल्यहास के निम्न क्रम के रूप में दर्ज हुई। एम₃ वृद्धि दर में 1990-95 के दौरान लगभग 18 प्रतिशत से 1995-2004 के दौरान लगभग 16 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आयी जब कि उसी अवधि में वास्तविक जीडीपी वृद्धि में बढ़ोतरी होकर वह 5.0 प्रतिशत से 6.1 प्रतिशत हो गई।

1970-71 से 1989-90 की अवधि के लिए मुद्रा, उत्पाद और मूल्यों के बीच संबंधों की जांच करने के पश्चात अनुभवजन्य अध्ययन से यह पाया गया है कि कीमतों पर एम₃ में हुए परिवर्तन का शेष प्रभाव परिवर्तन के कारण लगभग तीन वर्षों तक उल्लेखनीय बना रहा और उत्तरोत्तर रूप में क्षीण होता चला गया (शर्मा, 1991)। 1970-71 से 1992-93 की अवधि में किए गए एक अन्य अध्ययन से यह पाया गया है कि चार से पांच वर्ष की अवधि से कीमत परिवर्तन के औसत का अनुमान काफी सटीक निकला (रंगराजन, 2000)। 1994-95 के बाद भारत में मौद्रिक तथा राजकोषीय क्षेत्र सहित कई संरचनात्मक बदलाव हुए। इन परिवर्तनों के प्रणाली में नए कारण सूत्रपात हुए। इसके अतिरिक्त, मौद्रिक नीतिगत ढांचे और मौद्रिक प्रबंधन में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, मौद्रिक नीति के प्रेषण तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक अध्ययन से यह पाया गया कि मौद्रिक

विस्तार का स्वरूप अधिक मुद्रास्फीतिकारी था और उसका प्रभाव संपदा क्षेत्र पर स्थावर आउटपुट में वृद्धि के रूप में अल्प मात्रा में हुआ (शास्त्री, सिंह और भट्टाचार्य 2004)। इस अध्ययन से यह प्रकट होता है कि यदि संपदा क्षेत्र मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि पर कोई प्रतिक्रिया न दे, तो स्फीतिकारक दबाव और भी अधिक हो सकता है। अलग-अलग समय पर मौद्रिक नीति संचार क्रियाविधि के संबंध में किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि दर चैनलों (रिजर्व बैंक 1988) तथा बैंक उधार चैनल (मोहन 2007) तथा अन्य सहित विभिन्न चैनल महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। यह भी देखने में आया है कि मौद्रिक नीति परिचालन एक साथ और अलग-अलग अंतरालों और प्रायः लंबे में होते हैं। संचार अंतरालों में संरचनात्मक परिवर्तनों और फ्रेमवर्क सहित मौद्रिक नीति में परिवर्तन के कारण अनिश्चितता भी बनी रहती है (मोहन, पिछला संदर्भ)।

व्यापक मुद्रा आपूर्ति भारत में 2003-04 से मुद्रा, उत्पादन और मूल्य की संबद्धता में समष्टि आर्थिक गतिशीलता उपर्युक्त नीति प्रक्षेप-पथ निर्देशक, मजबूत जीडीपी वृद्धि और संयत डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति के कारण विकसित हुई। इस विकास में कई घटकों ने अपना योगदान दिया। पहला, यद्यपि हाल के वर्षों में मुद्रा आपूर्ति वृद्धि अधिक रही, इसका एक भाग अभिप्रेरित नीति के कारण डाक जमाराशियों से बैंकों की मीयादी जमाराशियों में स्थानांतरित हुआ और जिसके कारण अंतर्निहित मांग दबावों में कमी नहीं आई। दूसरा बेहतर उत्पादकता और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ देशी अर्थव्यवस्था के और अधिक समन्वयन से आपूर्ति में सुधार हुआ है, जिसके कारण बदलती मांग परिस्थितियों के संबंध में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाए बिना उत्पादक आसानी से अपनी आपूर्ति कर सके। तीसरा, भारत में उत्पादन उद्देश्यों के लिए बैंक ऋण ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हाल ही के महीनों में, मुद्रास्फीति एक वैश्विक प्रक्रिया बन गयी है और भारत इसका अपवाद नहीं है। भारत में हाल ही के महीनों में मुद्रा दरों में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और कुछ आपूर्ति संबंधी बातों के अलावा देशी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को दिखलाती है। मुद्रास्फीति दरों में वृद्धि और मौद्रिक विस्तार की हाल ही की दशा से यह आवश्यक हो गया है कि वैश्विक परिवेश में मुद्रा, उत्पाद और मूल्यों के परस्पर प्रभाव की फिर से जांच की जाए।

संदर्भ:

1. मोहन, राकेश (2007), "मानिटरी पॉलिसी ट्रान्समिशन इन इंडिया", भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अप्रैल।
2. रंगराजन सी., (2008), "मानिटरी पॉलिसी रिविजिटेड", रंगराजन सी.(संपा.) के एसेज ऑन मनी एंड फाइनेंस में प्रकाशित, पृष्ठ 20-29।
3. रंगराजन, सी और आर. अरिफ (1990), "मनी, आउटपुट एंड प्राइसेज: ए माइक्रोइकोनामिक मॉडल" इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 21 अप्रैल
4. शर्मा वाइएसआर (2003) "मनी, आउटपुट एंड प्राइसेज", ए. वासुदेवन (संपा.) के मनी एंड बैंकिंग में प्रकाशित।
5. शास्त्री, सिंह एंड भट्टाचार्य (2004), "मनी, आउटपुट एंड प्राइसेज: ए स्मॉल मैक्रो-इकोनामेट्रिक मॉडल रिलेटिंग टू दि इंडियन इकोनामी", रोमर कोरया और बरेंज एल.जी. (संपा.) के रिफार्मस्, इन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिसीज: चेलेंजेज कंफ्रंटिंग दि इंडियन इकोनामी' में प्रकाशित।
6. सिंह, बलवंत (2005), "ए फोरकास्टिंग एंड पॉलिसी सिम्युलेशन ओरियंटेड स्माल मैक्रो-मॉडल फॉर दि इंडियन इकोनामी", जर्नल ऑफ पॉलिटिकल मॉडेलिंग 27 (2005), 1025-1049।

आर्थिक समीक्षा

आवसेतर ऋण (समग्र ऋण में) में कमी के कारण हुआ जिसमें 2006 के 11.3 प्रतिशत से गिरावट आकर 2007 के मार्च अंत में वह 10.5 प्रतिशत हो गया। आवास ऋण का हिस्सा 12.00 प्रतिशत से कम होकर 11.8 प्रतिशत हो गया। कुल ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) मार्च 2006 के अंत में 11.4 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2007 में 11.8 प्रतिशत था; कुल ऋण में प्रत्यक्ष ऋण का हिस्सा मार्च 2006 के अंत में 8.2 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2007 के अंत में 8.8 प्रतिशत था। 2006-07 के दौरान कुल ऋण में उद्योग का हिस्सा 37.4 प्रतिशत से बढ़कर 38.1 प्रतिशत हो गया। व्यापार (थोक और खुदरा), व्यावसायिक और अन्य सेवा क्षेत्रों के हिस्से में भी वृद्धि

हुई जबकि 2006-07 के दौरान कुल ऋण में परिवहन ऑपरेटर और 'सभी अन्य' क्षेत्रों की भागीदारी में गिरावट हुई।

II.3.15 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान कीमतों के फैक्टर लागत पर कुल बैंक ऋण का भाग (जैसा कि बीएसआर डाटा के जरिए अनुमानित किया गया) मार्च, 2007 के अंत में लगभग 51 प्रतिशत था जो मार्च 2006 अंत से 5 प्रतिशत अंक अधिक था। कृषि जीडीपी में कृषि ऋण का प्रतिशत मार्च 2006 अंत में 28 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 अंत में 33 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार, औद्योगिक जीडीपी में औद्योगिक ऋण का अनुपात 84 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 94 प्रतिशत हो गया। हालांकि औद्योगिक

सारणी 2.26: खाद्येतर बैंक ऋण -क्षेत्रवार विनियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र / उद्योग	28, मार्च 2008 को बकाया	वर्ष - दर-वर्ष घट बढ़			
		28 मार्च 2008		28 मार्च 2008	
		कुल राशि	प्रतिशत	कुल राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4)	22,03,038	3,96,399	28.2	4,01,799	22.3
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियां	2,73,658	56,426	32.4	43,260	18.8
2. उद्योग (लघु, मझौले और बड़े)	8,71,900	1,46,890	26.7	1,74,566	25.0
लघु उद्योग	1,55,804	26,668	29.2	37,924	32.2
3. वैयक्तिक ऋण	5,05,390	96,486	26.8	48,656	10.7
आवास	2,55,653	45,791	24.7	24,659	10.7
सावधि जमा राशियों पर दिए गए अग्रिम	45,031	5,822	16.9	4,792	11.9
क्रेडिट कार्ड	19,259	4,330	47.7	5,843	43.6
शिक्षा	20,547	5,247	52.7	5,338	35.1
उपभोक्ता टिकाऊ	8,663	2,083	29.3	-526	-5.7
4. सेवाएं	5,46,516	96,596	30.2	1,29,743	31.1
परिवाहन परिचालक	37,447	9,178	52.9	10,928	41.2
व्यवसायिक और अन्य सेवाएं	29,756	8,643	56.6	5,830	24.4
व्यापार	1,22,297	23,077	27.6	15,685	14.7
स्थावर संपदा ऋण	62,276	18,483	69.2	17,070	37.8
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	75,301	14,722	42.9	26,274	53.6
ज्ञापन:					
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	7,38,686	1,23,404	24.2	1,04,544	16.5
उद्योग (छोटे, मझौले और बड़े)	8,71,900	1,46,890	26.7	1,74,566	25.0
खाद्य प्रसंस्करण	50,221	9,053	29.3	10,222	25.6
टेक्सटाइल	95,935	20,499	35.1	16,964	21.5
कागज और कागज उद्योग	13,622	2,440	26.7	2,034	17.6
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद तथा नाभिकीय ईंधन	41,738	10,736	42.7	5,852	16.3
रसायन और रसायन उत्पाद	64,391	7,136	14.7	8,617	15.4
रबड़ प्लास्टिक और उनके उत्पाद	10,410	2,000	27.6	1,160	12.5
लोहा और इस्पात	80,790	12,886	25.3	16,913	26.5
अन्य धातु और धातु उत्पाद	23,929	5,088	34.1	3,936	19.7
इंजीनियरी	52,442	9,148	26.2	8,416	19.1
वाहन, वाहन पार्ट और परिवहन उपकरण	29,152	2,294	12.3	8,230	39.3
रत्न और आभूषण	24,995	3,291	16.0	1,145	4.8
निर्माण	28,298	6,667	50.1	8,328	41.7
बुनियादी क्षेत्र	2,02,296	30,122	26.7	59,321	41.5

टिप्पणी: 1. आंकड़े अंतिम हैं और चुनिंदा अनुसूचित बैंकों से संबंधित हैं।

2. आंकड़ों में भारत ओवरसीज बैंक के आंकड़े शामिल हैं जिसका 31 मार्च 2007 को ओवरसीज बैंक में विलय हो गया था।

ऋण में निर्माण क्षेत्र ऋण को छोड़कर, मार्च 2006 और 2007 में अनुपात क्रमशः लगभग 71 प्रतिशत और 80 प्रतिशत था।

II.3.16 कंपनी जगत बैंक ऋणों के अलावा, पूंजी बाजार, बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) और आंतरिक धन उगाही जैसे बैंक से इतर विभिन्न संसाधनों से अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करते रहे। वर्ष 2007-08 के दौरान घरेलू इक्विटी निर्गमों से जुटाए गए संसाधन (48,153 करोड़ रुपए) गत वर्ष से 68 प्रतिशत अधिक थे। 2007-08 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के जरिए जुटाए गए संसाधन गत वर्ष से 54 प्रतिशत बढ़े। 2007-08 के दौरान वाणिज्यिक पत्र (सीपी) निर्गम के जरिए जुटाए गए संसाधन गत वर्ष के निर्गम से लगभग तिगुने थे। 2007-08 के दौरान गत वर्ष की तुलना में आई कुछ गिरावट के साथ चुनिंदा गैर वित्तीय और गैर-सरकारी कंपनियों में कर पश्चात लाभ के बावजूद, कंपनी जगत की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में निधियों का आंतरिक निर्माण मजबूत समर्थन देता रहा (सारणी 2.27 और अध्याय II.2 की सारणी 2.18 देखें)। वर्ष 2007-08 के दौरान अमेरिकन जमा रसीदें (एडीआर) और वैश्विक जमा रसीदें (जीडीआर) के माध्यम से इक्विटी के रूप में जुटाये गये संसाधन (13,023 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष की राशि से 20 प्रतिशत कम रहे।

II.3.17 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी निवल मांग और सावधि देयताओं के अनुरूप 2007-08 के दौरान, सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश बढ़ाया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश गत वर्ष के 10.3 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 अंत में वर्षवार 22.8 प्रतिशत बढ़ा। मार्च, 2008 अंत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश उनके निवल मांग और सावधि देयताओं (एनडीटीएल) का 27.8 प्रतिशत रहा जो मार्च 2007 अंत के लगभग समान था। (चार्ट II. 11)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एसएलआर में अधिक निवेश एक वर्ष पहले के 81,484 करोड़ रुपए से मार्च, 2008 अंत में 98,033 करोड़ रुपए बढ़ा।

II.3.18 2007-08 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर एसएलआर निवेश (अर्थात् वाणिज्यिक पत्र, शेयर और बांडों में निवेश) में काफी वृद्धि देखी गई। (सारणी 2.28)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले खाद्येतर ऋण, जिसमें उनका

सारणी 2.27 : उद्योगों की निधियों के चुनिंदा स्रोत

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07	2007-08 अ
1	2	3
क.. उद्योगों को बैंक ऋण #	1,46,890	1,74,566
ख. गैर बैंकों से कंपनियों को प्रवाह		
1. पूंजीगत निर्गम (i+ii)	29,178	51,479
i) गैर सरकारी पब्लिक लि. कंपनियां (क +ख)	29,178	48,962
क) बांड / डिबेंचर	585	809
ख) शेयर	28,593	48,153
ii) पीएसयू और सरकारी कंपनियां	0	2,517
2. एडीआर/ जीडीआर निर्गम	16,184	13,023
3. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)	1,04,046	1,60,221
4. वाणिज्यिक पेपर का निर्गम (सीपी)	5,145	14,903
ग. मूल्यहास प्रावधान +	37,095	40,664
घ. कर के बाद लाभ +	1,11,107	1,34,291


+ : आंकड़ें गैर वित्तीय और गैर सरकारी कंपनियों के चुनिंदा सैंपल के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम पर आधारित हैं।

: आंकड़े चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के हैं।

टिप्पणी: 1. आंकड़े अर्न्तम है।

- पूंजी निर्गम के आंकड़े सकल निर्गम से संबंधित है जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के निर्गम शामिल नहीं हैं। आंकड़ों में पूंजी निर्गम में बैंकों के उन निवेशों को समायोजित नहीं किया गया है जो उल्लेखनीय नहीं है।
- एडीआर/जीडीआर निर्गम के आंकड़ों में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के निर्गम को शामिल नहीं किया गया है।
- बाह्य वाणिज्यिक उधार में अल्पकालिक ऋण शामिल हैं।

गैर एसएलआर निवेश शामिल है, 2006-07 के 27.3 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 के दौरान घटकर 22.6 प्रतिशत रहा।



II.3.19 वर्ष 2007-08 में वाणिज्यिक बैंकों ने एक वर्ष पहले की तुलना में थोड़े अधिक विदेशी उधार लिए। विदेशी मुद्रा आस्ति में भी उनकी धारिता गत वर्ष की वृद्धि के विपरीत कम हुई। बैंकों की पूंजीगत और आरक्षित निधि एक वर्ष पहले की तुलना में अधिक थी।

2008-09 के दौरान गतिविधियां

II.3.20 वर्ष दर-वर्ष आधार पर व्यापक मुद्रा (एम₃) में वृद्धि एक वर्ष पहले के 21.8 प्रतिशत की तुलना में 1 अगस्त 2008 को 19.6 प्रतिशत थी। बड़े घटकों के बीच, कुल जमाराशियों में गत वर्ष की 23.1 प्रतिशत की तुलना में 20.0 प्रतिशत वृद्धि हुई। संसाधनों की ओर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋणों में एक वर्ष पहले के 23.5 प्रतिशत की तुलना में 1 अगस्त 2008 को 26.2 प्रतिशत की थोड़ी वृद्धि हुई, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों में उनका निवेश एक वर्ष पहले के 12.9 प्रतिशत की तुलना में 15.4 प्रतिशत बढ़ा।

मूल्य स्थिति

वैश्विक मुद्रास्फीति

II.3.21 2007-08 की दूसरी छमाही में वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ी तथा 2008-09 की पहली तिमाही के दौरान मुद्रास्फीतिक दबाव में और तीव्रता आई, जो खाद्य और ईंधन की ऊंची कीमतों और साथ ही मांग की बढ़ती परिस्थितियों विशेषकर उभरते बाजारों की मांग के सम्मिलित प्रभाव को परिलक्षित करती है

सारणी 2.28 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का गैर-एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ रुपए में)







मद	मार्च 18 2005	मार्च 31 2006	मार्च 30 2007	मार्च 28 2008
1	2	3	4	5
वाणिज्यिक पेपर	3,891	4,821	8,978	13,045
पारस्परिक निधियों के यूनिट	12,623	10,345	11,659	18,692
निम्नोक्त द्वारा जारी शेयर:	13,470	15,085	20,252	28,748
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,613	2,274	2,127	3,023
निजी कंपनी क्षेत्र	10,288	10,501	16,225	23,387
सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं	1,525	2,270	1,826	2,044
अन्य	44	41	74	294
निम्नोक्त द्वारा जारी बांड और शेयर	1,13,695	1,03,170	98,201	1,08,791
सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं	45,937	32,345	28,595	27,382
निजी कंपनी क्षेत्र	31,934	29,523	27,620	28,668
सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं	29,190	26,402	24,362	23,511
अन्य	6,633	14,899	17,623	29,230
कुल	1,43,679	1,33,421	1,39,090	1,69,277

टिप्पणी : आंकड़े अर्न्ततम हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर हैं।

(चार्ट II.12)। हालांकि आवास बाजार में कुछ करेक्शन के मद्देनजर बढ़ती मांग में कमी आई है जिससे कुछ हद तक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में विशेषकर अमेरिका में संसाधनों पर दबाव कम हुआ है। वर्ष के दौरान तेल कीमतों में रिकार्ड वृद्धि ने उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में मुद्रास्फीति चिंता को बढ़ाना जारी रखा। दूसरी ओर, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में केवल खाद्य और तेल की ऊंची कीमतों, जो उनके खपत का एक बड़ा हिस्सा है, ने ही नहीं बल्कि मजबूत वृद्धि के मद्देनजर बढ़ते उत्पादन अंतर ने भी मुद्रास्फीति जोखिम को कायम रखा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2007 के लैण्डर वर्ष में 2.2 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पहले के 2.4 प्रतिशत से कम थी, लेकिन 5 पूर्ववर्ती वर्षों (2001-2005) के 1.9 प्रतिशत से अधिक थी। विकासशील एशिया में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2001-05 के दौरान औसत 3.0 प्रतिशत और 2006 में 4.1 प्रतिशत से 2007 में 5.3 प्रतिशत बढ़ी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जो मार्च 2007 के 2.5 प्रतिशत से घटकर अगस्त 2007 में 1.9 प्रतिशत हो गयी, इसके बाद मार्च 2008 में 3.6 प्रतिशत बढ़ी (मुख्यतः ऊर्जा और खाद्य की ऊंची कीमतों के कारण जो मार्च, 2008 में वर्ष -दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 13.3 प्रतिशत और 5.1 प्रतिशत बढ़ी)। जून, 2008 में यह और अधिक तेज होकर 4.4 प्रतिशत हो गयी। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोर मुद्रास्फीति भी दृढ़ बनी रही। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में मार्च 2007 से जून 2008 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर) 1.9 - 2.2 प्रतिशत के बीच थी। उत्पादक मूल्य मुद्रास्फीति सितंबर 2007 के 3.2 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर जून 2008 में 8.7 प्रतिशत हो गई।

II.3.22 2007-08 के दौरान वैश्विक रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति चिंताओं के प्रति मौद्रिक नीति की मिश्रित प्रतिक्रिया रही है। यद्यपि 2007-08 की पहली छमाही के दौरान विकसित देशों के कई केंद्रीय बैंकों में नीतिगत दरें उच्च स्तर पर रहीं, वहीं दूसरी छमाही में विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक प्रगति पर अमरीकी सब-प्राइम संकट से उपजे ऋण संकट के प्रभावों के मद्देनजर मौद्रिक नीति में नरमी रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी बाजार चलनिधि में सुधार के लिए बड़ा दर में कमी की। स्वतंत्र रूप से कार्रवाई के अलावा, बड़े उन्नत केंद्रीय बैंकों द्वारा भी मुद्रा बाजार में दबाव को कम करने के उद्देश्य से अल्पावधि चलनिधि

चार्ट II 12: वैश्विक मुद्रास्फीति



टिप्पणी :1. उत्पादन अंतर (वास्तविक-संभाव्य) संभाव्य जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए हैं।

2. अमेरिका के लिए 1980-2007 के दौरान क्षमता उपयोग औसत से डेविएशन (कुल क्षमता का प्रतिशत), यूरो क्षेत्र के लिए 1985-2007 के दौरान डेविएशन के रूप में मापे गए हैं (औद्योगिक क्षमता का प्रतिशत) और जापान के लिए यह विनिर्माण क्षेत्र के परिचालन दर वास्तविक पण्य मूल्य सूचकांक को परिलक्षित करता है।

स्रोत: वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, अप्रैल-2008, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, आईएमएफ और संबंधित देशों के आधिकारिक वेबसाइट।

लाने के सम्मिलित प्रयास किए गये। अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी), रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, नॉरगेस बैंक (नॉर्वे), स्वीरिजेज रिस्क बैंक (स्वीडन) ने 2007-08 के दौरान अपनी नीतिगत दरें बढ़ाई। तथापि, भविष्य की प्रगति आकांक्षाओं पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार की उथल-पुथल और अमेरिकी आर्थिक मंदी के प्रभाव की चिंता के मद्देनजर उभरती

अर्थव्यवस्थावाले कई देशों के केंद्रीय बैंकों (जैसे पिपल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीसी), बैंक ऑफ कोरिया और साउथ अफ्रिकन रिजर्व बैंक) ने सुदृढ़ प्रगति और प्रचुर चलनिधि के बीच मुद्रास्फीति और इसकी संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोपाय के रूप में मौद्रिक नीति को कठोर बनाना जारी रखा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भी चलनिधि की अधिकता की चिंताओं के मद्देनजर नकदी आरक्षित आवश्यकता को बढ़ाया।

II.3.23 यूएस में खाद्य, ऊर्जा और परिवहन की कीमतों में तेजी से अगस्त 2007 से हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ी। हालांकि अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमिटी ने (एफओएमसी) 5 अगस्त 2008 को हुई अपनी बैठक में पाया कि वर्ष के उत्तरार्द्ध तथा अगले वर्ष से मुद्रास्फीति संयमित रहने की संभावना है, जबकि मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के बारे में अनिश्चितता अधिक रही। इस पृष्ठभूमि में एफओएमसी ने सितंबर, 2007 - अप्रैल 2008 के दौरान फेड फंड दर में 325 आधार अंक की कटौती करते हुए इसे 2.00 प्रतिशत करने के पश्चात् अपरिवर्तित रखा। बट्टा दर में भी अगस्त 2007 की शुरुआत से कुल 400 आधार अंकों की कटौती की गई और यह 2.25 प्रतिशत स्तर तक रही ताकि बाजार चलनिधि में सुधार हो सके। इन उपायों के अलावा, अमेरिकी फेड ने डिपॉजिटरी संस्थानों को डिस्काउंट विंडो पर विभिन्न संपार्श्विकों के स्थान पर सावधि निधि की नीलामी और काउन्टर पार्टियों की व्यापक रेंज तथा ईसीबी और स्विस नेशनल बैंक के साथ विदेशी मुद्रा स्वैप लाइन के जरिए चलनिधि को बढ़ाया। एफओएमसी के अनुसार, जबकि ऋण की कठोर स्थिति, आवास निर्माण विस्तार में कमी और ऊर्जा कीमतों में वृद्धि से अगले कुछ तिमाहियों तक आर्थिक विकास प्रभावित होने की संभावना है, तथापि मौद्रिक नीति में उल्लेखनीय नरमी के साथ किए जा रहे उपायों से बाजार चलनिधि को बल मिलेगा और कुछ समय बाद यह संयमित वृद्धि में सहायक होगी।

II.3.24 यूके में, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वर्ष के अंत में शीर्ष पर रहेगी और इसके बाद दो वर्षों की अवधि के भीतर 2 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर वापस आ जाएगी। समिति के नवीनतम आकलन के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की तत्काल संभावना 2 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर जाने की ओर थी जिससे उत्पादन स्थिर रहेगा। आर्थिक कार्यकलाप की कमजोरियों के कारण अतिरिक्त क्षमता की गुंजाइश को बढ़ाएगा जो मध्यावधि में मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक लाने में आवश्यक है। तथापि, मंदी के विस्तार और मुद्रास्फीति में स्थायी बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति संभावनाओं पर अत्याधिक जोखिम था। इस पृष्ठभूमि में, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी नीतिगत दर में दिसंबर 2007 से अप्रैल 2008 के दौरान 75 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.00 प्रतिशत करने के बाद आगे अपरिवर्तित रखा। (सारणी 2.29)। उन्होंने पहले अगस्त 2006 - जुलाई 2007 के दौरान नीतिगत दर को 125 आधार अंक बढ़ाया था। यूरो क्षेत्र में, मुद्रास्फीति में वृद्धि उल्लेखनीय रूप से जारी रही और पूर्व के आकलन

से अधिक लंबी अवधि के लिए मूल्य स्थिरता स्तर से काफी ऊपर रहने की संभावना थी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के अनुसार, वर्तमान वित्तीय बाजार तनाव के आलोक में मुद्रा और ऋण की लगातार तेज वृद्धि और बैंक ऋण आपूर्ति पर महत्वपूर्ण दबाव की अनुपस्थिति मध्यावधि के लिए मूल्य स्थिरता पर अपसाइड जोखिम के इसके आकलन की पुष्टि करती है। इसी प्रकार, ईसीबी की कार्यकारी परिषद के अनुसार, यद्यपि नवीनतम आंकड़ों ने प्रथम तिमाही में अत्यधिक तेज वृद्धि के पश्चात् 2008 की मध्य अवधि में वास्तविक जीडीपी के अपेक्षित रूप से कमजोर रहने की पुष्टि की, तथापि यूरो के आर्थिक आधार मजबूत थे। इस पृष्ठभूमि में, ईसीबी ने विस्तृत रूप से आधारित दूसरे दौर के प्रभावों और मध्य अवधि के लिए मूल्य स्थिरता पर बढ़ते अपसाइड जोखिम को रोकने के लिए लगभग एक वर्ष से अपरिवर्तित रखे अपनी मूल नीतिगत दर में 9 जुलाई 2008 से प्रभावी 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की और उसके बाद दरों को अपरिवर्तित रखा। बैंक ऑफ जापान (बीओजे) के अनुसार, आगामी महीनों में कमोबेश ऊंचे रहने के बाद मुद्रास्फीति धीरे-धीरे संयमित होने की संभावना है। आर्थिक वृद्धि कुछ समय तक धीमी रहने के पश्चात वस्तुओं की कीमतों में कमी और विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के उनके मंदी के दौर से निकलने के कारण संयमित वृद्धि मार्ग पर धीरे-धीरे लौटने की संभावना है। इस पृष्ठभूमि में, बैंक ऑफ जापान ने फरवरी 2007 से अपनी प्रत्येक बैठक में नीतिगत दर अपरिवर्तित रखी, जब इन्होंने असंपार्श्विकृत ओवरनाइट मांग-दर (मार्च 2006 से मौद्रिक नीति का परिचालनगत लक्ष्य) 25 आधार अंक तक बढ़ाया और यह 0.50 प्रतिशत हो गयी।

II.3.25 वर्ष 2007-08 के दौरान प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की विनिमय दरों में हुई मूल्यवृद्धि के होते हुए भी मजबूत संवृद्धि और प्रचुर चलनिधि के बीच मुद्रास्फीति मजबूत बनी रही। चीन में मुख्यतः ऊंची खाद्य कीमतों के कारण उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति एक वर्ष के पहले के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 में 8.3 प्रतिशत हो गई। इसके बाद जुलाई 2008 में यह नरम होकर 6.3 प्रतिशत हो गई। बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि के प्रबंधन और मुद्रा तथा ऋण की उचित वृद्धि का मार्गदर्शन करने के लिए पीबीसी ने अप्रैल 2006 की शुरुआत से बेंचमार्क 1 वर्षीय उधार दर को कुल 189 आधार अंक बढ़ा दिया और यह 21 दिसंबर 2007 को 7.47 प्रतिशत हो गयी और जुलाई 2006 एवं जून 2008 के बीच नकदी

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 2.29: वैश्विक मुद्रास्फीति संकेतक

(प्रतिशत)

देश / क्षेत्र	मुख्य नीति दर	नीति दर (नवीनतम)	नीति दरों में बदलाव (आधार अंक)			सीपीआई मुद्रास्फीति (व-द-व)			वास्तविक जीडीपी वृद्धि (व-द-व)		
			2006-07 (अप्रैल-मार्च)	2007-08 (अप्रैल-मार्च)	मार्च 2008 समाप्ति से	2007	जुलाई 2007	जुलाई 2008	2007	2007 (ति1)	2008 (ति1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विकसित अर्थव्यवस्थाएं											
ऑस्ट्रेलिया	नकदी दर	7.25 (मार्च 5, 2008)	75	100	0	2.3	2.1 [^]	4.5 [^]	3.9	3.8	3.6
कनाडा	ओवरनाइट दर	3.00 (अप्रैल 22, 2008)	50	(-75)	(-50)	2.1	2.2 [*]	3.1 [*]	2.7	2.0	1.7
यूरो क्षेत्र	मुख्य पुनर्वित्त परिचालनों पर ब्याज दर	4.25 (जुलाई 9, 2008)	125	25	25	2.1	1.8	4.0	2.6	2.5 [^]	1.5 [^]
जापान	असंपाशिवीकृत ओवरनाइट मांग दर	0.50 (फरवरी 21, 2007)	50	0	0	0.0	-0.2 [*]	2.0 [*]	2.1	1.6 [^]	1.0 [^]
यूके	अधिकृत बैंक दर	5.00 (अप्रैल 10, 2008)	75	0	(-25)	2.3	1.9	4.4	3.1	3.1 [^]	1.6 [^]
यूएस	फेडरल निधि दर	2.00 (अप्रैल 30, 2008)	50	(-300)	(-25)	2.9	2.4	5.6	2.2	1.9 [^]	1.8 [^]
विकासशील अर्थव्यवस्थाएं											
ब्राजील	सेलिक दर	13.00 (जुलाई 23, 2008)	(-375)	(-150)	175	3.6	3.7	6.4	5.4	4.3	5.8
भारत	रिवर्स रिपो दर	6.00 (जुलाई 25, 2006)	50	0	0						
	रिपो दर	9.00 (जुलाई 30, 2008)	125	0	125	6.2	5.7 [*]	7.7 [*]	9.0	9.7	8.8
			(100)	(150)	(150) [#]						
चीन	बैंचमार्क 1-वर्षीय उधार दर	7.47 (दिसंबर 21, 2007)	81	108	0	4.8	5.6	6.3	11.9	11.5 [^]	10.1 [^]
			(250)	(550)	(200)						
इंडोनेशिया	बीआइ दर	9.00 (अगस्त 5, 2008)	(-375)	(-100)	100	6.4	5.3	11.9	6.3	6.3 [^]	6.4 [^]
इजरायल	मूल दर	4.00 (जुलाई 28, 2008)	(-75)	(-25)	25	0.5	0.3	4.8	5.3	5.4	5.2
कोरिया	बेस दर **	5.25 (अगस्त 7, 2008)	50	50	25	2.5	2.5	5.9	5.0	5.0 [^]	4.8 [^]
			(80)								
फिलिपिन्स	रिवर्स रिपो दर	5.75 (जुलाई 17, 2008) +	0	(-250)	75	2.8	2.6	12.2	7.3	6.9	5.1
रूस	पुनर्वित्त दर	11.00 (जुलाई 14, 2008)	(-150)	(-25)	75						
			(150)	(200)	(300) ⁺⁺	9.0	8.7	14.7	8.1	7.9	8.5
साउथ अफ्रिका	रिपो दर	12.00 (जून 13, 2008)	200	200	100	7.1	7.0 [*]	12.2 [*]	5.1	5.0 [^]	4.5 [^]
थाईलैंड	14-दिवसीय पुनर्खरीद	5.00 (जून 7, 2006)	50								
	1-दिवसीय पुनर्खरीद	3.50 (जुलाई 16, 2008)	(-44) [@]	(-125)	25	2.2	1.7	9.2	4.8	4.3	6.0

[^]: दूसरी तिमाही * : जून

[@]: 16 जनवरी 2007 की तुलना में परिवर्तन। 17 जनवरी 2007 से 1 दिवसीय पुनर्खरीद दर 14 दिवसीय पुनर्खरीद दर की जगह स्थान पर नीतिगत दर बन गई।

⁺: बीएसपी के साथ टियारिंग प्रणाली हटायी गई और 13 जुलाई, 2007 से रिवर्स रिपो रेट के लिए ब्याज दरें 6.00 प्रतिशत और रिपो रेट के लिए 8.00 प्रतिशत समायोजित की गई।

^{**}: मार्च 2008 से, नीतिगत दर ओवरनाइट कॉल रेट से 'बैंक ऑफ कोरिया रेट या (बेस रेट)' में बदली गई और उसी स्तर पर स्थिर की गई जैसा कि 7 मार्च 2008 को वर्तमान कॉल रेट लक्ष्य 5.00 प्रतिशत है।

⁺⁺: सितंबर 2008 से लागू होने वाली 150 आधार अंक की वृद्धि शामिल है।

[#]: 29 जुलाई 2008 को घोषित 25 आधार अंक की वृद्धि शामिल है जो 30 अगस्त 2008 से लागू होगा।

टिप्पणी : 1. भारत के लिए मुद्रा स्फीति आंकड़े औद्योगिक कामगारों के सीपीआई से संबंधित है। वर्ष 2007 के मुद्रास्फीति और जीडीपी वृद्धि के आंकड़े राजकोषीय वर्ष 2007-08 के हैं।

2. स्तंभ (3) के कोष्ठकों के आंकड़े उस तारीख को दर्शाते हैं जब नीति दरों में अंतिम बार संशोधन किया गया।

3. स्तंभ (4) (5) और (6) के कोष्ठकों के आंकड़े अवधि के दौरान नकदी आरक्षित अनुपात में घटबढ़ को सूचित करते हैं।

स्रोत : आइएमएफ, संबंधित केंद्रीय बैंक तथा इकॉनॉमिस्ट के वेबसाइट।

आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को कुल 1000 आधार अंक बढ़ाया और यह 17.5 प्रतिशत हो गयी। कोरिया में, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मुख्यतः तेल की ऊंची कीमतों से प्रभावित होकर बढ़ती रही और काफी समय तक मुद्रास्फीति उल्लेखनीय रूप से ऊंची रहने की संभावना है। एमपीसी के अनुसार, मुख्यतः तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार अस्थिरता और अमेरिका में आर्थिक मंदी के कारण भविष्य की आर्थिक विकास में अनिश्चतता का स्तर काफी अधिक है। इसलिए बैंक ऑफ कोरिया ने लगभग एक वर्ष तक नीतिगत दर को 5.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित

रखने के बाद 7 अगस्त 2008 को 25 आधार अंक बढ़ाकर उसे 5.25 प्रतिशत कर दिया। थाईलैंड में, ऊर्जा और कच्चे खाद्य की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप हेडलाइन मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि हुई। एमपीसी के अनुसार, मुद्रास्फीति जोखिम तेजी से बढ़े हैं जिससे निजी क्षेत्र का विश्वास प्रभावित हुआ है और आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में कठिनाई आई है और अंततः इसने थाई अर्थव्यवस्था की संभाव्य प्रगति और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया है। इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी ने जुलाई 2007 से (जब नीतिगत दर में 25 आधार अंक की कटौती की गई)

अपनी नीतिगत दर 3.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के बाद, 16 जुलाई 2008 को हुई अपनी हाल की बैठक में नीतिगत दर को 25 आधार अंक बढ़ाते हुए 3.50 प्रतिशत किया। बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार, घरेलू मांग दबावों के अलावा, अर्थव्यवस्था में अभी भी विश्व बाजार में तेल और खाद्य की घटती-बढ़ती कीमतों की वजह से आगामी मुद्रास्फीति दबाव के जोखिम हैं। 2008 के अंत में सीपीआई मुद्रास्फीति 11.5-12.5 प्रतिशत की सीमा में रहने की संभावना है। इसलिए, बैंक ऑफ इंडोनेशिया जिसने मई 2006 - दिसंबर 2007 के दौरान अपनी नीतिगत दर में कुल 475 आधार अंक कटौती की थी, इसके बाद 5 अगस्त 2008 तक इसे कुल 100 आधार अंक बढ़ाते हुए 9.0 प्रतिशत किया।

II.3.26 अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच, रूस में मजबूत संवृद्धि की परिस्थिति में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ऊंची रही। मुद्रा आपूर्ति (एम₂) में वृद्धि ऊंची रहने के साथ, यद्यपि हाल में, यह कुछ संयमित थी, बैंक ऑफ रशिया ने अनिवासी बैंकों के प्रति रूबल और विदेशी मुद्रा में ऋण संस्थानों की देयताओं पर अपेक्षित आरक्षित अनुपात को 15 जनवरी 2008 और 1 मार्च 2008 में प्रत्येक बार 100 आधार अंकों की बढ़ोतरी तथा पुनः 1 जुलाई 2008 तथा 1 सितंबर 2008 में प्रत्येक बार 150 आधार अंकों की बढ़ोतरी करके 8.5 प्रतिशत तक बढ़ाया (इसमें पहले 11 अक्टूबर 2007 से 100 आधार अंक कटौती की गई थी)। पुनर्वित्तपोषण दर भी फरवरी 2008 से कुल 100 आधार अंक बढ़ाई गई और यह 14 जुलाई 2008 को 11.00 हो गया; इसमें पहले 19 जून 2007 को 50 आधार अंक की कटौती की गई थी। दक्षिण अफ्रिका में ऊर्जा और खाद्य की बढ़ती कीमतों की वजह से मुद्रास्फीति में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही। साउथ अफ्रीका रिजर्व बैंक के अनुसार, बंधक बांड (मॉडगोज बांड) (सीपीआइएक्स) पर ब्याज दर को छोड़कर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2008 की तीसरी तिमाही में 13 प्रतिशत के शीर्ष पर रहने और 2010 की दूसरी तिमाही तक लक्ष्य सीमा के भीतर लौटने की संभावना है। इस पृष्ठभूमि में, साउथ अफ्रिका रिजर्व बैंक ने 2008-09 की पहली तिमाही के दौरान अपनी नीतिगत दर 100 आधार अंक और अधिक बढ़ाते हुए इसे 12.00 प्रतिशत किया। इस प्रकार, जून 2006 जब से नीति कठोर होनी शुरू हुई, नीतिगत दर में 500 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील ने मार्च 2008 अंत से

अपनी नीतिगत दर 175 आधार अंक बढ़ाते हुए 23 जुलाई 2008 को इसे 13.0 प्रतिशत किया। इसके पहले सितंबर 2005 और सितंबर 2007 के बीच नीतिगत दर में 850 आधार अंक की कटौती की गई थी। बैंक ऑफ इजरायल जिसने अगस्त 2007 से जनवरी 2008 के बीच अपनी नीतिगत दर में 75 आधार अंक की वृद्धि की थी, मुद्रास्फीति को 1-3 प्रतिशत मूल्यस्थिरता लक्ष्य सीमा तक लाने के लिए अपनी दर में 25 आधार अंक की वृद्धि, जो जून, जुलाई और अगस्त 2008 से प्रभावी होकर 4.0 प्रतिशत हो गई, करने से पहले अपनी दर में प्रत्येक मार्च और अप्रैल 2008 को 50 आधार अंकों की कमी की।

II.3.27 यूके को छोड़कर चुनिंदा उभरती अर्थव्यवस्थाओं और साथ ही साथ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मार्च 2007 की तुलना में मार्च 2008 में वास्तविक नीतिगत दर (रिअल पॉलिसी रेट) में सामान्यतया गिरावट आई (सारणी 2.30)। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मार्च 2008 की तुलना में अगस्त 2008 में वास्तविक नीतिगत दरें सामान्यतया आगे नरम रही। ब्राजील को छोड़कर, अधिकांश देशों में अगस्त 2008 में वास्तविक नीतिगत दरें (-)5.4 प्रतिशत से 1.3

सारणी 2.30: सांकेतिक और वास्तविक नीतिगत दरें :
चुनिंदा देश

(प्रतिशत)

देश	सांकेतिक नीति दर			वास्तविक नीति दर		
	मार्च 2007	मार्च 2008	अगस्त* 2008	मार्च 2007	मार्च 2008	अगस्त* 2008
1	2	3	4	5	6	7
विकसित अर्थव्यवस्था						
अमरीका	5.25	2.25	2.00	2.45	-1.75	-3.60
ब्रिटेन	5.25	5.25	5.00	2.15	2.75	0.60
यूरो क्षेत्र	3.75	4.00	4.25	1.85	0.40	0.25
विकासशील अर्थव्यवस्था						
ब्राजील	12.75	11.25	13.00	9.75	6.55	6.60
चीन	6.39	7.47	7.47	3.09	-0.83	1.17
भारत	7.75	7.75	9.00	1.05	-0.15	1.30
				(1.85)	(0.00)	-3.63
इंडोनेशिया	9.00	8.00	9.00	2.50	-0.20	-2.90
इजरायल	4.00	3.75	4.00	4.90	0.05	-0.80
कोरिया	4.50	5.00	5.25	2.30	1.10	-0.65
रूस	10.50	10.25	11.00	3.10	-3.05	-3.70
दक्षिण अफ्रीका	9.00	11.00	12.00	2.90	0.40	-0.20
थाईलैंड	4.50	3.25	3.50	2.50	-2.05	-5.70

* : 22 अगस्त 2008 को अगस्त 2008 की वास्तविक नीति दरें नवीनतम उपलब्ध मुद्रास्फीति दर पर आधारित हैं।

टिप्पणी : 1. वास्तविक नीति दर वह है जो नीति दर से वर्ष-दर-वर्ष उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति घटाकर पाया जाता है। भारत में रिपो दर को नीति दर माना जाता है, जबकि मुद्रा स्फीति सीपीआई औद्योगिक कामगारों से संबंधित है।

2. कोष्ठकों के भारत के आंकड़े थोक मूल्य मुद्रास्फीति पर आधारित हैं।

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इकॉनॉमिस्ट और संबंधित केंद्रीय बैंकों की आधिकारिक वेबसाइट।

वार्षिक रिपोर्ट

प्रतिशत के बीच रही। भारत में मार्च 2008 की तुलना में जुलाई 2008 में वास्तविक नीतिगत दरें सकारात्मक हुईं। चुनिंदा उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में ब्राजील में वास्तविक नीतिगत दरें सबसे ऊंची और रूस तथा थाइलैंड में सबसे कम थीं।

वैश्विक पण्य मूल्य

II 3.28 प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में धीमी होती वृद्धि और वित्तीय बाजार की उथल-पुथल संबंधी चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2007-08 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पण्य की कीमतें तेज हुई हैं, जो महत्वपूर्ण पण्यों के मांग-आपूर्ति असंतुलन को परिलक्षित करती है। मार्च 2008 में खाद्य कीमतों में 66.9 प्रतिशत की वृद्धि की वजह से, विश्व बैंक के गैर ऊर्जा पण्य कीमत सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष, आधार पर 42.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि से मांग में बढ़ोतरी और प्रमुख वस्तुओं के कम स्टाक परिलक्षित हुए

हैं। वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतें नयी ऊंचाई पर पहुंची। जून-दिसंबर 2007 के दौरान कुछ स्थिर रहने के बाद, जनवरी-मार्च 2008 के दौरान धातु की कीमतें पुनः बढ़ी और इसने विश्व बैंक के धातु और खनिज सूचकांक को वर्ष-दर-वर्ष बढ़ाते हुए मार्च 2008 में 22.1 प्रतिशत तक पहुंचा दिया (सारणी 2.31)।

II.3.29 वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) द्वारा दर्शाई गई कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जून 2007 की शुरुआत में तेजी से बढ़ी, जो तंग आपूर्ति-मांग संतुलन, भू-राजनीतिक तनाव, प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरिकी डॉलर में कमजोरी और निवेशकों तथा वित्तीय बाजार प्रतिभागियों की बढ़ती रुचि को परिलक्षित करती है। वर्ष 2007-08 के दौरान (अर्थात् 13 मार्च 2008 को) यह 110.2 अमरिकी डॉलर प्रति बैरल की ऊंचाई तक पहुंच गया। अमेरिका, जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, में मंदी आने की गहराती चिंताओं के बीच कुछ कमी आने के बाद उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से बढ़ती

सारणी 2.31: अंतर्राष्ट्रीय पण्य कीमतें

पण्य	यूनिट	2004 (बाजार मूल्य)	सूचकांक					घट-बढ़ (प्रतिशत) मार्च 2008 में, मार्च 2007 की तुलना में
			2004	2005	2006	2007	2008 मार्च	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ऊर्जा								
कोयला	\$/एमटी	53.0	100	90	93	124	223	113.5
कच्चा तेल (औसत)	\$/बीबीएल	37.7	100	142	170	188	270	68.1
गैर-ऊर्जा पण्य								
पामतेल	\$/एमटी	471.3	100	90	101	165	265	100.8
सोयाबीन तेल	\$/एमटी	616.0	100	88	97	143	240	105.6
सोयाबीन	\$/एमटी	306.5	100	90	88	125	188	78.6
चावल	\$/एमटी	237.7	100	120	128	137	250	86.4
गेहूं	\$/एमटी	156.9	100	97	122	163	280	120.8
मक्का	\$/एमटी	111.8	100	88	109	146	210	37.5
चीनी	सी/किग्रा	15.8	100	138	206	141	184	26.4
कपास ए सूचकांक	सी/किग्रा	136.6	100	89	93	102	129	37.4
एल्यूमीनियम	\$/एमटी	1716.0	100	111	150	154	175	8.8
तांबा	\$/एमटी	2866.0	100	128	235	248	294	30.8
सोना	\$/टीओजेड	409.2	100	109	148	170	237	47.9
चांदी	\$/टीओजेड	669.0	100	110	173	200	287	46.0
स्टील उत्पाद सूचकांक	1990=100	121.5	100	113	111	111	148	35.3
स्टील कोल्ड-रोलड क्वाइल / शीट	\$/एमटी	607.1	100	121	114	107	132	23.1
स्टील हॉट-रोलड क्वाइल / शीट	\$/एमटी	502.5	100	126	119	109	149	36.4
टीन	सी/किग्रा	851.3	100	87	103	171	233	42.5
जिंक	सी/किग्रा	104.8	100	132	313	309	240	-23.2
मेमो:								
ऊर्जा से इतर पण्य सूचकांक		1990=100	107.4	121.9	151.8	175.7	237.3	42.2
खाद्य सूचकांक		1990=100	110.0	109.9	120.6	146.0	218.1	66.9
धातु और खनिज सूचकांक		1990=100	112.4	142.5	215.0	244.9	298.8	22.1

\$/ अमरिकी डॉलर सी: अमरिकी सेंट बीबीएल: बैरल. एमटी: मेट्रिक टन. किग्रा: किलो ग्राम. टीओजेड: टॉय आउंस.

स्रोत: विश्व बैंक के वास्तविक पण्य मूल्य पर आधारित। संबंधित अवधि के दौरान मूल्य की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए वर्ष 2004 को आधार वर्ष लिया गया है।

मांग के आलोक में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कीमतें पुनः बढ़ी और 3 जुलाई 2008 को यह 145.3 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गयी। अमेरिका के कम होते कच्चे तेल के स्टॉक, नाइजीरिया में आपूर्ति बाधा और ईरान एवं इजरायल के बीच गहराते तनाव ने इस वृद्धि में और बढ़ोतरी की और भविष्य की आपूर्ति में नई चिंता उत्पन्न की। इसके बाद, 19 अगस्त 2008 तक कच्चे तेल की कीमत 114.4 अमेरिकी डॉलर तक नरम हुई। तेल के विकल्पों के बीच, कोयले की कीमतें मार्च 2008 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 123 प्रतिशत बढ़ीं जो विशेषकर आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रिका में आपूर्ति में बाधा तथा मांग में वृद्धि परिलक्षित करती है।

II.3.30 मई-दिसंबर 2007 के दौरान धातु की कीमतें नरम हुईं जो निर्माण की मांग में होती कमी और आपूर्ति में कुछ सुधार परिलक्षित करता है। हालांकि इसके बाद उभरती अर्थव्यवस्थाओं विशेषकर चीन से बढ़ती मांग और आपूर्ति चिंताओं के बीच इसकी कीमतें जो गत वर्ष संतुलित रही थी, में तेजी से बढ़ोतरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, मुख्य आधार धातुओं जैसे एल्युमिनियम, तांबा, निकेल और जिंक की वैश्विक मांग में लगभग 90 प्रतिशत की वृद्धि के लिए चीन जिम्मेदार था। विश्व बैंक के धातु और खनिज मूल्य सूचकांक जिसमें मई- दिसंबर 2007 में 17 प्रतिशत गिरावट हुई थी, उसमें दिसंबर 2007 और मार्च 2008 के बीच लगभग 34 प्रतिशत वृद्धि हुई। 2007-08 की पहली छमाही के दौरान इस्पात की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहने के बाद, दूसरी छमाही में, कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कच्चे लोहे, ऊर्जा और माल भाड़ा शुल्क के कारण बढ़ती इन्पुट लागत परिलक्षित करती है। अप्रैल 2008 की शुरुआत में धातु की कीमतें कमोबेश नरम रही, जबकि इस्पात की कीमतों में वृद्धि जारी रही।

II.3.31 खाद्यान्न मूल्यों में तेजी आई, विशेषकर वर्ष 2007-08 की दूसरी छमाही में गेहूं, चावल तथा तिलहनों/खाद्य तेलों में, जो मांग (दोनों मांग - खपत मांग और खाद्येतर उपयोग जैसे बायो इंधन उत्पादन की मांग) में बढ़ोतरी तथा प्रमुख फसलों के कम स्टॉक को परिलक्षित करती है। सूखे की स्थिति (घटती आपूर्ति द्वारा) और तेल की ऊंची होती कीमतों (उत्पादन लागत में वृद्धि द्वारा) ने भी मूल्य वृद्धि में योगदान दिया। मार्च 2008 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इन कारकों की वजह से गेहूं, चावल, सोयाबीन, सोयाबीन तेल और

पाम तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें क्रमशः 120.8 प्रतिशत, 86.4 प्रतिशत, 78.6 प्रतिशत, 105.6 प्रतिशत और 100.8 प्रतिशत बढ़ी। आईएमएफ खाद्य मूल्य सूचकांक मार्च 2008 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर पहले की सबसे बड़ी वृद्धि जो 1980 में देखी गई थी, को पार करते हुए 45.3 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि मार्च 2008 की तुलना में, जुलाई 2008 तक गेहूं की कीमतें लगभग 25 प्रतिशत कम हुईं जबकि इसी अवधि में चावल की कीमतें तेजी से लगभग 23 प्रतिशत बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य खाद्य मदों की कीमतों में तेजी जारी रही।

II.3.32 विकसित और विकासशील दोनों देशों में ऊर्जा कीमतों के अलावा खाद्य की कीमतें हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि की मुख्य कारक थीं। विकासशील एशिया में 2007 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य कीमतों का योगदान सबसे अधिक था (67.5 प्रतिशत) और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में इसका योगदान सबसे कम था (19.5 प्रतिशत) (सारणी 2.32)। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में, हेडलाइन मुद्रास्फीति अधिक उल्लेखनीय रूप से बढ़ी जो मांग में मजबूत वृद्धि और ऊर्जा, विशेषकर खपत समूह में खाद्य के बढ़ते प्रभाव दोनों को परिलक्षित करती है। ओईसीडी देशों में खपत समूह में खाद्य आइटमों का भारांक 10-20 प्रतिशत है जबकि विकासशील एशिया में इसका भारांक 30 प्रतिशत है।

II.3.33 बढ़ते हुए खाद्य मूल्यों, विशेष रूप से गेहूं, चावल, मक्का, तिलहन/खाद्य तेलों, और इनकी हेडलाइन मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीतिक अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में विकसित और विकासशील दोनों ही देशों में सरकारों ने मूल्यवृद्धि पर रोक लगाने और जनता के कमजोर वर्ग के उपभोग की रक्षा हेतु मूल्य नियंत्रणों, आयात प्रतिबंधों

सारणी- 2.32 : 2007 में वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक

क्षेत्र	(प्रतिशत)				
	हेडलाइन	खाद्य		ईंधन	
	मुद्रास्फीति	मुद्रास्फीति	हेडलाइन में योगदान	मुद्रास्फीति	हेडलाइन में योगदान
1	2	3	4	5	6
विश्व	3.9	6.2	44.3	4.1	8.0
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.2	3.0	19.5	3.8	12.1
अफ्रीका	7.4	8.7	43.6	6.7	6.5
विकासशील एशिया	4.9	10.0	67.5	3.1	3.4
मिडिल ईस्ट	10.1	13.6	42.3	10.1	24.4
वेस्टर्न हेमिस्फियर	5.4	8.5	40.8	2.3	3.4

स्रोत : विश्व आर्थिक आउट लुक, अप्रैल 2008.

बॉक्स II- 11

खाद्य मूल्य स्फीति नियंत्रित करना: विभिन्न देशों में किए गए उपाय

आयात करने वाले और निर्यात करने वाले दोनों ही देशों में सरकारों ने खाद्य मूल्यों में होनेवाली वृद्धि से घरेलू मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों में कमी हेतु कई उपाय किए। एशिया में, चीन की सरकार ने 1 जनवरी 2008 से गेहूं, कुट्टू, जौ और जई पर 20 प्रतिशत तथा चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन पर 5 प्रतिशत निर्यात शुल्क लागू किया। साथ ही, दिसंबर 2007 में गेहूं, चावल, मक्का और सोयाबीन पर वेल्यू एडेड टैक्स (वेट) के रूप में उपलब्ध निर्यात छूट को हटा दिया गया। उसने गेहूं के आटे और स्टार्च पर 25 प्रतिशत तथा मक्का, चावल और सोयाबीन के आटे पर 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क भी लागू कर दिया। सरकार ने गेहूं और चावल के न्यूनतम खरीद मूल्यों तथा कृषिगत इनपुट अनुदानों में वृद्धि के रूप में कई कृषिगत उत्पादन सहायता उपायों की घोषणा भी की। पाकिस्तान में सरकार ने गेहूं और गेहूं से बने उत्पादों के निर्यात पर 35 प्रतिशत शुल्क लगाये जाने के साथ साथ अफगानिस्तान को निजी रूप से किए जाने वाले गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी। उसने सामरिक भंडार बनाये रखने के एक प्रयास के रूप में गेहूं के समर्थन मूल्यों में 23 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। इंडोनेशिया सरकार द्वारा गेहूं के आयात पर 5 प्रतिशत शुल्क हटा लिया गया और आयातित सोयाबीन पर 10 प्रतिशत शुल्क स्थगित कर दिया गया। कोरिया गणराज्य में जनवरी 2008 के प्रारंभ से छह माह की अवधि के लिए पिसाई में काम आने वाले गेहूं पर आयात शुल्क में 1 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत; मक्का पर 1.5 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत और सोयाबीन और फीड मैज पर 2 प्रतिशत से शून्य प्रतिशत की कमी की गई। जापान सरकार ने खाद्य सुरक्षा के विशेष प्रभारी विभाग की स्थापना की और विश्व बाजार से अपनी खरीददारी को परिवर्तित करने के लिए तत्काल उपाय घोषित किए। मंगोलिया सरकार ने 1 जनवरी 2008 से आयातित गेहूं और आटे पर वैल्यू एडेड टैक्स को हटा दिया। तुर्की सरकार ने गेहूं पर आयात शुल्क को घटा कर 130 प्रतिशत से 8 प्रतिशत; मक्का पर 130 प्रतिशत से 35 प्रतिशत और जौ पर 100 प्रतिशत से 'शून्य' प्रतिशत कर दिया। वियतनाम सरकार ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध जून 2008 तक बढ़ाये जाने के साथ ही 2008 के दौरान चावल के कुल निर्यात को पहले से निर्धारित 4.5 मिलियन टन की अनुमत सीमा को घटाकर 3.5 मिलियन टन कर दिया। फिलिपिंस, बंगलादेश, थाइलैण्ड और मलेशिया सरकारों ने या तो उच्च स्टॉक बनाये रखा या चावल के स्टॉक की अनुदानित मूल्यों पर बिक्री की।

यूरोप में यूरोपियन संघ ने 2008 के बुवाई के मौसम के लिए 10 प्रतिशत अलग रखे जाने की अनिवार्यता को हटा दिया और साथ ही दिसंबर 2007 से जून 2008 तक आनाज (जई, कुट्टू और बाजरा को छोड़कर) पर आयात शुल्क को

स्थगित कर दिया। रूस गणराज्य ने जनवरी 2008 के अंत से गेहूं के निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत (या 105 प्रति टन से कम नहीं) कर दिया। इसने घरेलू उत्पादकों के लिए आनाज के क्रय मूल्य बढ़ाये जाने की घोषणा भी की। यूक्रेन सरकार ने मुद्रास्फीति विरोधी उपायों के पैकेज के एक भाग के रूप में खाद्यान्न उद्योग और व्यापारियों द्वारा लिए जाने वाले मार्जिन की सीमा को निर्धारित किए जाने संबंधी योजना की घोषणा की।

लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में मेक्सिको सरकार ने जनवरी 2008 की शुरुआत में कोटा और प्रशुल्कों को हटाने का कार्य पूरा कर लिया जो 1994 के प्रारंभ में कनाडा और संयुक्त राज्य के साथ उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (एनएफटीए) के अंतर्गत मक्का, दालों, दूध और चीनी को बचाये रखने के लिए लगाए गए थे। इसने खाद्यान्न उत्पादन सहायता उपायों की घोषणा भी की जिसमें खाद के मूल्यों को घटाकर एक तिहाई करने का लक्ष्य शामिल था। पेरु में, गेहूं और मक्का तथा सभी प्रकार के आटे के आयात पर 17 से 25 प्रतिशत की सीमा में लगने वाले प्रशुल्क हटा लिये गये थे। इसने मार्च 2008 में जनसंख्या के निर्धनतम तबके के लिए खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम शुरू किए जाने की घोषणा भी की। ब्राजील सरकार ने 30 जून 2008 तक 1 मिलियन टन नॉन-मर्कोसर गेहूं पर लगने वाले 10 प्रतिशत आयात प्रशुल्क को हटा लिया। बोलिविया में, चावल, गेहूं और गेहूं से बने उत्पादों, मक्का, सोयाबीन तेल और मांस के प्रशुल्क रहित आयात को मई 2008 के अंत तक बढ़ा दिया गया, दूसरी ओर अनाजों और मांस उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया।

अफ्रीका में, मिस्त्र सरकार ने खाद्यान्न सहायता राशि को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया और कजाकिस्तान से अधिमान्य दरों पर एक मिलियन टन गेहूं आयात किए जाने हेतु द्विपक्षीय समझौता किया, जिसकी सुपुर्दगी 2008 में की जानी थी। सरकार ने चावल के निर्यात पर अप्रैल से अक्टूबर 2008 तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की। इथियोपिया सरकार ने प्रमुख खाद्यान्नों के निर्यात और आनाज अधिसंचयन पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के तहत आपातकालीन हस्तक्षेपों के लिए घरेलू खरीद को स्थगित कर दिया। सरकार ने खाद्यान्नों और आटे पर लगने वाले वैल्यू एडेड और कुल बिक्री पर लगने वाले करों के साथ ही खाद्य तेल पर लगने वाले सभी करों को निरस्त कर दिया। जिम्बाब्वे में सरकार ने अनुदानित मूल्यों पर बेचे जा रहे मक्का, गेहूं और ज्वार के आयात पर नियंत्रण जारी रखा। तंजानिया संयुक्त गणराज्य में सरकार ने 3 लाख टन मक्का के कर रहित आयात की मंजूरी दी और कृषिगत पण्यों के निर्यात पर रोक लगायी।

स्रोत: खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) संयुक्त राष्ट्र

में कमी और निर्यात पर प्रतिबंधों को लागू किए जाने के रूप में कई बाजार हस्तक्षेपों का सहारा लिया। (बॉक्स II-11)

भारत में मुद्रास्फीति की दशाएँ

थोक मूल्य मुद्रास्फीति

II.3.34 भारत में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में उतार-चढ़ाव पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 5.9 प्रतिशत

से बढ़कर मार्च 2008 की समाप्त पर 7.7 प्रतिशत हो गयी। शुरू में अक्टूबर 2007 के मध्य तक मुद्रास्फीति में कमी आयी, जिसका आंशिक प्रभाव कुछ प्राथमिक खाद्य वस्तुओं और कुछ विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में कमी के साथ-साथ आधारभूत प्रभाव के रूप में देखा गया। हालांकि, बाद में मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से बढ़ते हुए 15 मार्च 2008 को वर्ष के उच्चतम स्तर 8.0 प्रतिशत पर पहुंच गई जो तीन प्रमुख समूहों यथा-प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन समूह और विनिर्मित उत्पादों की आधारभूत पण्यों पर आपूर्ति पक्ष के दबावों में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय


कीमतों में तेजी दर्शाता है। वर्ष के अंत तक (29 मार्च 2008) मुद्रास्फीति कुछ कम होकर 7.7 प्रतिशत रही। ईंधन को छोड़कर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मुद्रास्फीति, 8.0 प्रतिशत रही जो हेडलाइन मुद्रास्फीति दर से अधिक थी। वर्ष के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव दर्शाते हुए थोक मूल्य सूचकांक आधारित वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर (52 सप्ताहों का औसत) जून 2007 की शुरुआत से कम होते हुए 29 मार्च 2008 को 4.7 प्रतिशत हो गयी, (पिछले वर्ष 5.4 प्रतिशत थी) (चार्ट II.13)। मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोपायी मौद्रिक उपाय जारी रखें (अध्याय III देखें)। मुद्रास्फीतिक दबावों को कम करने के लिए सरकार ने भी राजकोषीय तथा आपूर्ति पक्ष उपाय किए।

II.3.35 2007-08 के दौरान हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की प्रमुख उत्प्रेरक बारह मर्दे/समूह यथा, चावल, गेहूँ, दूध, कपास, तिलहन, लौह अयस्क, कोयला खनन, खनिज तेल, खाद्य तेल, खली, मूलभूत भारी अकार्बनिक रसायन और धातुएं थीं। थोक मूल्य सूचकांक बास्केट में लगभग 35 प्रतिशत के संयुक्त भारांक वाली ये मर्दे थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 29 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार 82 प्रतिशत मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी हैं (पिछले वर्ष के 56 प्रतिशत की तुलना में)। इनमें से कुछ पण्यों के घरेलू बाजार में मूल्य बढ़ने का आंशिक कारण अंतर्राष्ट्रीय पण्य मूल्यों पर दबाव होना था। अपेक्षाकृत रूप से एक लंबी अवधि (2004-07) के लिए तुलना किए जाने पर यह प्रकट होता है कि घरेलू खाद्य मूल्यों में हुई वृद्धि, वैश्विक खाद्य मूल्यों में आयी वृद्धि की तुलना में किंचित कम रही जो विस्तृत घरेलू उत्पादन आधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति प्रबंधन किए जाने के साथ ही कम उत्पादन वाली अवधियों के दौरान अत्यावश्यक

पण्यों का समय पर आयात किया जाना दर्शाता है। खनिज तेल की घरेलू कीमतों में वृद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का आंशिक और ठहराव युक्त प्रभाव देखने को मिला, जिसका कारण सरकार द्वारा कीमतों के बोझ में भागीदारी किए जाने की रणनीति को अपनाया जाना था। धातुओं और स्टील की घरेलू कीमतों में वृद्धि कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप ही होती रही। (देखें तालिका 2.33)

II.3.36 प्रमुख समूहों में से, प्राथमिक वस्तुओं, खाद्य और खाद्येतर वस्तुओं दोनों ही ने, 2007-08 के दौरान मुद्रास्फीति पर वृद्धिकारी दबाव डाला जो घरेलू उत्पादन में कमी के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान खाद्य वस्तुओं के अन्तर्गत चावल, गेहूँ और दूध के दामों में पिछले वर्ष के क्रमशः 5.7 प्रतिशत, 7.3 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 9.1 प्रतिशत, 5.1 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (देखें परिशिष्ट सारणी 23) खाद्येतर प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत तिलहन और कपास के दामों में पिछले वर्ष के सर्वोच्च क्रमशः 31.6 प्रतिशत और 21.9 प्रतिशत की तुलना में 20.3 प्रतिशत और 14.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घरेलू उपलब्धता में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न आपूर्ति- पक्ष के उपायों का आंशिक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि की तुलना में चावल और गेहूँ की घरेलू कीमतों में न्यून वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ। तिलहन की कीमतों में लगातार वृद्धि का कारण मांग की अधिकता, रबी की फसल में कमी होने के अनुमान के साथ-साथ बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतें थीं। वर्ष 2007-08 के दौरान अच्छी घरेलू उपज के बावजूद भी कपास की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव के अनुरूप बढ़ीं। दालों की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष आधार

चार्ट II.13 मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव



तालिका 2.33: प्रमुख पण्य मुद्रास्फीति - वैश्विक की तुलना में घरेलू (वर्ष-दर-वर्ष)

(प्रतिशत)

मद	औसत मुद्रास्फीति		वैश्विक मार्च 2008 में, मार्च 2007 की तुलना में)	वार्षिक मुद्रास्फीति			
	वैश्विक (2004-07)	भारत (2004-05 से 2007-08)		भारत *		भारत योगदान	
				2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1. चावल	13.6	5.1	86.4	5.7	9.1	2.1	2.5
2. गेहूँ	15.9	6.1	120.8	7.3	5.1	1.8	1.0
3. दूध	--	4.3	--	8.4	8.7	5.8	4.7
4. कपास	0.2	2.7	37.4	21.9	14.0	3.5	2.0
5. तिलहन	12-23	9.4	79-91	31.6	20.3	11.0	6.7
6. लौह अयस्क	29.7	64.5	66.0	16.9	61.8	2.0	6.3
7. कोयला खनन	29.3	6.7	113.5	0.0	9.8	0.0	2.5
8. खनिज तेल	25.8	9.7	68.1	0.5	9.3	1.1	15.1
9. खाद्य तेल	14-18	5.8	100-106	14.1	20.0	4.7	5.5
10. खली	11.9	8.2	71.7	32.9	27.2	7.0	5.6
11. मूलभूत भारी अकार्बनिक रसायन	--	9.7	--	-3.5	33.1	-0.7	4.9
12. मूलभूत धातुएं, मिश्रित धातुएं और उत्पाद - लोहा और स्टील	32.6	11.5	9.4	11.3	20.3	17.4	25.2
	3.8	14.0	35.3	8.1	34.2	6.0	20.1
कुल						55.7	82.0

* : मार्च के अंत के थो. मू. सू. पर आधारित

- टिप्पणी:** 1. वैश्विक मूल्य वृद्धि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख पण्य कीमतों संबंधी आंकड़ों पर आधारित है, 2. वैश्विक खाद्य तेल मूल्यों में पाम आयल और सोयाबीन आयल को शामिल किया गया है। 3. वैश्विक धातुएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के धातु मूल्य सूचकांक पर आधारित हैं। 4. वैश्विक लौह और स्टील विश्व बैंक के स्टील उत्पादन मूल्य सूचकांक पर आधारित है। 5. वैश्विक खनिज तेल कच्चे तेल के हाजिर मूल्यों (औसत) पर आधारित है।

पर कुछ कमी देखी गई। समग्र रूप में वर्ष 2007-08 के दौरान प्राथमिक वस्तु आधारित मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष आधार पर पिछले वर्ष के 10.7 प्रतिशत की तुलना में 9.7 प्रतिशत रही। (देखें सारणी 2.34)

II.3.37 सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की कीमतों में मुद्रास्फीति रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 के दौरान कई उपाय किए गए। पाम आयल पर अप्रैल 2007 में सीमा शुल्क में एक समान रूप से 10 प्रतिशत अंकों की कटौती की गई, जबकि जुलाई 2007 में, विभिन्न खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 5-10 प्रतिशत अंकों की सीमा में कमी की गई। सभी प्रकार के खाद्य तेलों पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क को भी हटा लिया गया। मार्च 2008 में कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेल पर सीमा शुल्क को 40-75 प्रतिशत की सीमा से और घटाकर 20.0-27.5 प्रतिशत कर दिया गया। 01 अप्रैल 2008 से सभी खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। सरकार द्वारा दिसंबर 2007 के अंत तक शून्य शुल्क पर गेहूँ के आयात की अनुमति

दी गई। दालों के आयात पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया और शून्य शुल्क पर दालों के आयात की वैधता अवधि मार्च 2007 से चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर मार्च 2009 कर दी गई। 22 जून 2006 को दालों के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध की वैध-अवधि को मार्च 2009 के अंत तक बढ़ा दिया गया। मार्च 2008 में अर्द्ध परिष्कृत और पूर्ण परिष्कृत चावल पर मार्च 2009 तक सीमा शुल्क 70 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत किया गया। इस वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 125 रुपए प्रति टन और गेहूँ का मूल्य 2007-08 के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया। 2008-09 के लिए गेहूँ का मूल्य 150 रुपए और बढ़ाया गया।

II.3.38 ईंधन समूह की मुद्रास्फीति जो कि जून-नवंबर 2007 के दौरान नकारात्मक थी, आधार प्रभाव के साथ-साथ नवंबर 2006 और फरवरी 2007 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के रूप में परिलक्षित हुई; नवंबर 2007 के मध्य से धनात्मक होकर 29 मार्च 2008 को 6.8 प्रतिशत पर पहुंच गयी (पिछले वर्ष यह 1.0

सारणी 2.34 भारत में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

(प्रतिशत)

पण्य	2006-07 (मार्च 31)			2007-08 (मार्च 29)	
	भार	मुद्रास्फीति	भा.अं.	मुद्रास्फीति	भा.अं.
1	2	3	4	5	6
सभी पण्य	100.0	5.9	100.0	7.7	100.0
1. प्राथमिक वस्तुएं	22.0	10.7	39.0	9.7	28.2
i. खाद्य वस्तुएं	15.4	8.0	20.8	6.5	13.2
ii. खाद्येतर वस्तुएं	6.1	17.2	15.6	11.4	8.8
iii. खनिज	0.5	17.5	2.6	49.9	6.2
2. ईंधन, पावर, बिजली और लुब्रीकेट	14.2	1.0	4.0	6.8	18.9
i. खनिज तेल	7.0	0.5	1.1	9.3	15.1
ii. विद्युत	5.5	2.3	2.8	1.5	1.4
iii. कोयला खनन	1.8	0.0	0.0	9.8	2.5
3. विनिर्मित उत्पाद	63.8	6.1	57.3	7.3	52.8
i. खाद्य उत्पाद	11.5	6.1	10.5	9.4	12.4
ii. सूती वस्त्र	4.2	-1.0	-0.6	-6.8	-2.8
iii. मानव निर्मित रेशे	4.4	3.9	1.3	2.8	0.7
iv. रसायन और रसायन उत्पाद	11.9	3.6	7.1	6.0	8.7
जिसमें से : खाद्य	3.7	1.8	1.0	5.1	2.0
v. मूलभूत धातुएं, मिश्रित धातु और धात्विक उत्पाद	8.3	11.3	17.4	20.3	25.2
जिसमें से : लोहा और स्टील	3.6	8.1	6.0	34.2	20.1
vi. अधात्विक खनिज उत्पाद	2.5	9.0	3.6	6.4	2.0
जिसमें से : सीमेंट	1.7	11.6	3.2	5.1	1.1
vii. मशीनरी और मशीन यंत्र	8.4	8.1	8.6	3.5	2.9
जिसमें से : वैद्युतीय मशीनरी	5.0	12.9	6.7	4.8	2.0
viii. परिवहन उपकरण और कलपुर्जे	4.3	2.0	1.2	3.9	1.7
<i>जापन:</i>					
खाद्य मदे (संयुक्त)	26.9	7.3	31.2	7.7	25.6
खाद्य को छोड़कर थामूस	73.1	5.5	68.8	7.8	74.4
ईंधन को छोड़कर थामूस	85.8	7.4	96.0	8.0	81.1

भा.अ. : भारत अंशदान

प्रतिशत थी)। ईंधन समूह मुद्रास्फीति में नवंबर 2007 से शुरू हुई वृद्धि को अनियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों यथा नेफथा, भट्टी में प्रयुक्त होने वाले तेल, हवाई जहाज ईंधन (एटीएफ) और बिटुमेन की कीमतों में लगातार वृद्धि के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में 15 फरवरी 2008 से की गयी क्रमशः 2 रुपए प्रति लीटर और 1 रुपया प्रति लीटर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है (कीमतों में कमी किए जाने के लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद यह वृद्धि हुई है)। कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लगभग 76 प्रतिशत बढ़कर फरवरी 2007 के 56.6 अमेरिकी डालर प्रति बैरल से मार्च 2008 में 99.3 अमेरिकी डालर प्रति बैरल हो गई; भारतीय रुपये में यह वृद्धि लगभग 61 प्रतिशत थी जो इसी अवधि में अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये में लगभग 9 प्रतिशत की मजबूती के रूप में परिलक्षित हुई। इसी अवधि में खनिज तेल समूह के अन्तर्गत अनियंत्रित मर्दे 39-42 प्रतिशत के

दायरे में रही, जबकि सरकार और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा बोझ में भागीदारी के बाद पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में 3-4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, 2007-08 के दौरान सामाजिक चिंताओं के आधार पर केरोसीन और एलपीजी की घरेलू कीमतों को अपरिवर्तित रखा गया। सरकार द्वारा अपनायी गई बोझ में भागीदारी किये जाने संबंधी रणनीति को परिलक्षित करते हुए तेल विपणन कंपनियों की न्यून वसूलियों में 56 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि होने इनके वर्ष 2006-07 के रु.49,387 करोड़ की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान रु.77,123 करोड़ हो जाने का अनुमान था।

II.3.39 विनिर्मित उत्पाद आधारित मुद्रास्फीति शुरू में वर्ष के प्रारंभ के 6.4 प्रतिशत से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर घटकर नवंबर 2007 को 3.5 प्रतिशत हुई, जो चीनी, वस्त्र और अलौह धातुओं की कीमतों में कमी के साथ-साथ आधार प्रभाव के रूप में देखने में आयी। वर्ष के दौरान हेड लाइन मुद्रास्फीति में कमी लाये जाने हेतु यह आंशिक तौर

पर जिम्मेदार रहीं। बाद में, विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति बढ़कर 29 मार्च 2008 को 7.3 प्रतिशत पर पहुंच गई (एक वर्ष पहले 6.1 प्रतिशत) और हेडलाइन मुद्रास्फीति के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में उभरी जिसका मुख्य कारण खाद्य तेलों/खली, मूलभूत भारी अकार्बनिक रसायनों और मूलभूत धातुओं और मिश्र धातुओं की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि थी (परिशिष्ट सारणी 24)। इन पण्यों ने 29 मार्च 2008 को समग्र थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में सम्मिलित रूप से लगभग 41 प्रतिशत का योगदान दिया। विनिर्मित खाद्य उत्पादों जैसे कि खाद्य तेल/खली की घरेलू कीमतों में 29 मार्च 2008 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 20.0 प्रतिशत और 27.2 प्रतिशत वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले के क्रमशः 14.1 प्रतिशत और 32.9 प्रतिशत के स्तर के ऊपर) जो मांग में वृद्धि, रबी 2007 में तिलहनों की कमजोर उपज के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुई। खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों के बीच धातु समूह की कीमतें तेजी से 29 मार्च 2008 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तेजी से 20.3 प्रतिशत बढ़ीं, जिसमें लोहे और स्टील का योगदान प्रमुख रहा (34.2 प्रतिशत)। लोहे और स्टील की घरेलू कीमतों में तीव्र वृद्धि, विशेष रूप से 2007-08 की अंतिम तिमाही के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्टील कीमतों में आयी तेजी के अनुरूप रही। यद्यपि अलौह धातुओं की घरेलू कीमतों में एक वर्ष पहले की 29.3 प्रतिशत वृद्धि के विपरीत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.6 प्रतिशत की कमी आयी। इलेक्ट्रिकल मशीनरी की कीमतें पिछले वर्ष के 12.9 प्रतिशत के स्तर से 4.8 प्रतिशत और बढ़ीं जो इनपुट लागतों में वृद्धि को दर्शाती है। सीमेंट की कीमतों में पिछले वर्ष के 11.6 प्रतिशत के स्तर से 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र की जोरदार मांग और सीमेंट उद्योग में क्षमता उपयोग की उच्च दर को दर्शाता है। विनिर्माण लागतों में कमी किए जाने हेतु सरकार ने 3 अप्रैल 2007 को पोर्टलैंड सीमेंट के आयात पर प्रतिकारी शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में छूट दिए जाने का निर्णय लिया; इसे जनवरी 2007 में मूल सीमा शुल्क से पहले ही से मुक्त कर दिया गया था। 2007-08 के दौरान मूलभूत भारी अकार्बनिक रसायन की कीमतों में पिछले वर्ष की 3.5 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 33.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। अन्य मर्दों में चीनी की कीमतें स्थिर बनी रहीं जो घरेलू उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती हैं जबकि सूती कपड़ों की कीमतें लगातार गिरती रहीं जो वैश्विक बाजारों से प्रतिस्पर्धी दबावों और निर्यात मांग में कमी को दर्शाती हैं।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

II.3.40 उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में जनवरी 2008 तक कुछ कमी आयी जो मुख्यतया खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट को दर्शाती है। खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति विभिन्न मापों में मार्च 2007 की 10.9-12.2 प्रतिशत की सीमा से घटकर जनवरी 2008 में 5.7-7.0 प्रतिशत हो गई। इस कमी के बावजूद, जनवरी 2008 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से अधिक थी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में खाद्य वस्तुओं के उच्चतर भार को दर्शाती है। इसके बाद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति मापों में कुछ वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थ और ईंधन के मूल्यों में वृद्धि होना था। अलग-अलग आंकड़े दर्शाते हैं कि विभिन्न सीपीआई मापों में खाद्य समूह मुद्रास्फीति मार्च 2008 में बढ़कर 7.8-9.3 प्रतिशत हो गयी। ईंधन समूह मुद्रास्फीति में मार्च 2007 के 3.2-6.9 प्रतिशत की सीमा से मार्च 2008 में 4.6-8.0 प्रतिशत की सीमा में हुई वृद्धि ने भी उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में योगदान दिया। "विविध समूह" का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवा मूल्यों में 2007-08 के दौरान सामान्यतया तेजी देखी गई। मकान के किरायों में मिला-जुला रुख देखा गया। इसने सीपीआई-आई डब्ल्यू में वृद्धि की जबकि सीपीआई-यूएनएमई में कमी लाई। तदनुसार, मार्च 2008 को उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के विभिन्न मापों में उतार-चढ़ाव 6.0-7.9 प्रतिशत की सीमा में होता रहा परंतु ये एक वर्ष पहले दर्ज किए गए 6.7-9.5 प्रतिशत से कम रहा। (परिशिष्ट -सारणी 25)।

II.3.41 सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में प्रमुख पण्य समूहों की तुलना से यह प्रकट होता है कि खाद्य और ईंधन की कीमतों में सामान्यतया सदृश उतारचढ़ाव रहा, यद्यपि उतारचढ़ाव की यह सीमा सीपीआई के विभिन्न मानदंडों में अलग-अलग है जिसका कारण अधिभारिता पैटर्न के साथ-साथ मर्दों की परिव्याप्ति में भिन्नता होना है (देखें सारणी 2.35)।

आस्ति मूल्य और मुद्रास्फीति

II.3.42 2007-08 के दौरान घरेलू इक्विटी और बुलियन बाजार में मिलाजुला रुख देखने को मिला। जनवरी 2008 के मध्य तक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करने के पश्चात वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितताएं बढ़ जाने और घरेलू अर्थव्यवस्था में कुछ मंदी आने की चिन्ताओं के परिणामस्वरूप घरेलू इक्विटी कीमतों में तेज गिरावट आयी। समग्र रूप में, मार्च 2008 की समाप्ति पर बीएसई सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। 2007-08 के दौरान घरेलू स्वर्ण मूल्यों में वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय उतार-चढ़ावों के अनुरूप रही। घरेलू स्वर्ण मूल्य मार्च 2008 में

आर्थिक समीक्षा

सारणी 2.35 - उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति - प्रमुख समूह

(वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ प्रतिशत में)

सीपीआई मापक	भार	मार्च-03	मार्च-04	मार्च-05	मार्च-06	मार्च-07	जून-07	सितं.-07	दिसं.-07	मार्च-08	मई-08	जून-08	जुलाई-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सीपीआई-आई डब्ल्यू (आधार: 2001=100)#													
सामान्य	100.0	4.1	3.5	4.2	4.9	6.7	5.7	6.4	5.5	7.9	7.8	7.7	--
खाद्य समूह	46.2	3.7	3.1	1.6	4.9	12.2	8.1	8.7	6.2	9.3	10.7	--	--
पान, सुपारी आदि	2.3	1.9	4.2	2.1	3.1	4.4	9.6	10.3	10.3	10.9	7.2	--	--
ईंधन और बिजली	6.4	6.3	6.5	4.9	-2.9	3.2	1.6	2.3	2.3	4.6	3.8	--	--
आवास	15.3	5.4	3.9	20.4	6.6	4.1	4.1	4.0	4.0	4.7	4.7	--	--
वस्त्र, बिस्तर आदि	6.6	1.5	2.1	2.3	3.0	3.7	4.4	5.3	3.5	2.6	3.4	--	--
विविध	23.3	5.3	3.2	3.9	4.6	3.3	4.0	4.0	4.7	6.3	6.3	--	--
सीपीआई-यूएनएमई (आधार: 1984-85=100)													
सामान्य	100.0	3.8	3.4	4.0	5.0	7.6	6.1	5.7	5.1	6.0	6.8	7.3	--
खाद्य समूह	47.1	2.6	3.0	2.2	5.3	10.9	7.7	7.7	6.2	7.8	9.5	9.6	--
ईंधन और बिजली	5.5	3.1	3.2	9.6	1.9	6.4	7.2	7.0	5.4	4.6	0.9	5.3	--
आवास	16.4	6.3	5.2	7.5	5.5	5.6	5.6	4.9	4.7	4.0	3.8	3.8	--
वस्त्र, बिस्तर आदि	7.0	2.6	2.6	2.0	2.9	3.6	4.3	4.0	4.1	4.3	3.9	3.4	--
विविध	24.0	6.0	2.8	4.4	5.1	4.4	3.7	3.2	3.8	4.8	5.6	6.6	--
सीपीआई-ए एल (आधार: 1986-87=100)													
सामान्य	100.0	4.9	2.5	2.4	5.3	9.5	7.8	7.9	5.9	7.9	9.1	8.8	9.4
खाद्य समूह	69.2	6.0	1.6	2.2	5.5	11.8	8.8	8.8	6.2	8.5	10.0	9.6	10.7
पान, सुपारी आदि	3.8	3.5	4.7	-1.3	6.6	5.7	9.1	11.1	11.3	10.4	11.1	11.2	10.8
ईंधन और बिजली	8.4	4.8	3.0	3.0	4.3	6.9	7.4	7.2	6.3	8.0	7.3	8.9	9.3
वस्त्र, बिस्तर आदि	7.0	3.0	4.1	2.5	2.2	3.5	2.7	1.9	1.3	1.8	2.9	3.1	3.6
विविध	11.7	3.1	2.7	5.5	5.5	6.8	6.7	5.5	5.2	6.1	6.3	6.5	7.0
सीपीआई-आरएल (आधार: 1986-87=100)													
सामान्य	100.0	4.8	2.5	2.4	5.3	9.2	7.5	7.6	5.6	7.6	8.8	8.7	9.4
खाद्य समूह	66.8	5.6	1.9	1.9	5.8	11.5	8.5	8.8	6.2	8.2	10.0	9.6	10.5
पान, सुपारी आदि	3.7	3.5	4.7	-1.0	6.3	5.7	9.3	11.6	11.5	10.6	11.0	10.9	10.5
ईंधन और बिजली	7.9	4.8	3.0	2.9	4.0	6.9	7.4	7.2	6.3	8.0	7.3	8.9	9.3
वस्त्र, बिस्तर आदि	9.8	3.3	3.4	2.8	2.7	3.1	2.6	2.1	2.6	2.8	3.5	4.1	4.3
विविध	11.9	3.1	3.0	5.5	5.2	6.3	6.2	5.3	5.0	6.2	6.6	6.8	7.0
ज्ञापन :													
थो.मू.सू. मुद्रास्फीति (अवधि के अंत में)	100.0	6.5	4.6	5.1	4.1	5.9	4.4	3.4	3.8	7.7	9.3	11.9	12.0
खाद्य (सम्मिलित रूप में)	26.9	3.9	4.0	1.9	4.2	7.3	4.5	3.7	2.6	7.7	8.6	9.4	8.8
ईंधन समूह	14.2	10.8	2.5	10.5	8.9	1.0	-1.3	-2.3	3.4	6.8	7.9	16.3	17.1
वस्त्र	9.8	10.6	8.8	-5.7	-0.5	1.1	2.2	-1.7	-3.7	-4.3	1.9	5.8	6.6
जीडीपी अवमुद्रास्फीति आधारित मुद्रास्फीति *		3.9	3.7	4.2	4.9	5.5	5.4	3.9	2.7	4.2	--	--	--
#	: जनवरी 2006 से पहले के आंकड़े पुरानी श्रृंखला पर आधारित हैं (आधार 1982=100)												
*	: मार्च के आंकड़े पूरे वर्ष के हैं।												
आईडब्ल्यू:	औद्योगिक क्रमगार						यूएनएमई : शहरी श्रमेतर कर्मचारी						
एएल	कृषि श्रमिक						आरएल : ग्रामीण श्रमिक						

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 36 प्रतिशत बढ़कर 12,739 रुपए प्रति दस ग्राम के आसपास हो गये जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के उतार-चढ़ाव के अनुरूप ही थे, जिनमे इसी अवधि में लगभग 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण मूल्यों ने 17 मार्च 2008 को 1011 अमेरिकी डालर प्रति औंस की ऊंचाई को छुआ जो अमेरिकी डालर में कमजोरी, तेल की कीमतों में मजबूती और वैश्विक वित्तीय बाजारों में व्याप्त अनिश्चितताओं के चलते निवेशकों के बढ़े हुए रुझान को दर्शाता है।

2008-09 के दौरान गतिविधियां

II.3.43 9 अगस्त 2008 को हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक (थोमूसू) मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मार्च 2008 के अंत के 7.7 प्रतिशत और एक वर्ष पहले के 4.2 प्रतिशत की तुलना में 12.6 प्रतिशत थी। प्राथमिक वस्तु मुद्रास्फीति 11.8 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 9.5 प्रतिशत) थी जबकि विनिर्माण उत्पाद मुद्रास्फीति 10.9 प्रतिशत (4.7 प्रतिशत) थी। ईंधन समूह मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले की 2.0 प्रतिशत कमी की तुलना में तेजी से बढ़कर 18.0 प्रतिशत हो गयी। औसत थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर 9 अगस्त 2008 को एक

वर्ष पहले के 5.5 प्रतिशत की तुलना में 6.6 प्रतिशत थी। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के विभिन्न माप जून/जुलाई 2008 के दौरान 7.3-9.4 प्रतिशत की सीमा में रहे।

II.3.44 2007-08 के दौरान अपनाये गये राजकोषीय उपायों के बावजूद लगातार बढ़ रही कीमतों की पृष्ठभूमि में सरकार ने बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए अप्रैल 2008 के दौरान कई और उपायों की घोषणा की। सरकार ने 1 अप्रैल 2008 को गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को बढ़ाकर 1200 अमेरिकी डालर प्रति टन किए जाने की घोषणा की। सरकार ने अपरिष्कृत खाद्य तेल को शून्य शुल्क पर तथा परिष्कृत खाद्य तेल को 7.5 प्रतिशत शुल्क पर आयात की अनुमति दिए जाने की घोषणा भी की। कृत्रिम मक्खन और वनस्पति पर भी सीमा शुल्क 7.5 तक प्रतिशत घटा दिया गया। दालों के निर्यात पर 1 अप्रैल 2008 से लागू प्रतिबंध एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 5 लाख मैट्रिक टन के टेरिफ रेट कोटा के अंतर्गत आयातित मक्का पर लगाने वाले सीमा शुल्क को भी 15 प्रतिशत से घटाकर 'शून्य' कर दिया गया। उत्पादन कम होनेवाले गर्मी के महीनों में दूध की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु सरकार से 29 अप्रैल 2008 को 10,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष के टेरिफ रेट कोटा के अंतर्गत स्किमड मिल्क पावडर पर मूल सीमा शुल्क की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित किया। इसी प्रकार सरकार ने तरल दूध की पुनर्संरचना में काम आने वाले बटर आयल पर सीमा शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किए जाने की घोषणा की। सरकार ने बासमती चावल पर 8000 रुपए प्रतिटन का निर्यात शुल्क लगाये जाने के साथ ही इसके न्यूनतम निर्यात मूल्य में 1200 अमेरिकी डालर प्रति टन से 1000 अमेरिकी डालर प्रतिटन की आनुपातिक कटौती भी की।

II.3.45 स्टील के निर्यात को निरुत्साहित करने और घरेलू आपूर्ति में वृद्धि लाये जाने के क्रम में सरकार ने 29 अप्रैल 2008 को कई उपायों की घोषणा की। इनमें शामिल हैं: (i) कच्चे लोहे और नरम इस्पात पर मूल सीमा शुल्क में कमी किए जाने के साथ-साथ स्टील के उत्पादन में काम आने वाले तीन महत्वपूर्ण इनपुट जैसे कि धातुकर्म कोयला, लौह मिश्रित धातुएं और जिंक पर शुल्क 5 प्रतिशत से 'शून्य' किया जाना; (ii) थर्मो मेकैनिकल ट्रीटेड (टीमटी) सरियों के आयात को प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जो 14 प्रतिशत था, से मुक्त किया जाना; (iii) विनिर्दिष्ट प्राथमिक स्वरूप और अर्ध निर्मित उत्पादों और हॉट रॉलड क्वाइल/शीट पर 15 प्रतिशत; कोल्ड रॉलड क्वाइल/शीट

और पाइप तथा टयूब सहित विनिर्दिष्ट रॉलड उत्पादों पर 10 प्रतिशत; और क्वाइल/शीट आकार के कलईदार स्टील पर 5 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया जाना। इसी उद्देश्य से, निर्यात अनुसूची में 20 प्रतिशत की एक समान सांविधिक दर को जोड़ा गया। सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के घाटों में कमी लाये जाने हेतु 4 जून 2008 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 5 रुपए और 3 रुपए प्रति लीटर तथा एलपीजी में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गयी। इसके साथ ही, सरकार द्वारा कच्चे तेल पर सीमा शुल्क में 5 प्रतिशत से 'शून्य' तथा डीजल और पेट्रोल प्रत्येक पर 7.5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर 10.0 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत की कमी की गई। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में भी 1 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई। आम आदमी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों पर बिकनेवाले केरोसीन तेल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की।

II.3.46 घरेलू और वैश्विक दोनों ही स्तर पर बढ़ रही मुद्रास्फीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अन्तर्निहित दबावों को समझने का महत्व और भी बढ़ जाता है। (बाक्स II.12)

II.3.47 सार रूप में, विभिन्न देशों के बीच के अनुभव बताते हैं कि 2007-08 के दौरान खाद्य और ईंधन मूल्य वैश्विक मुद्रास्फीति के प्रमुख उत्प्रेरक रहे। यद्यपि, वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाएं मितली-जुली रहीं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए अधिकांश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मौद्रिक नीति को कठोर किया गया जबकि कई विकसित देशों में वित्तीय बाजार में होती रही उथल-पुथल और इसके वित्तीय स्थिरता और विकास पर पड़ने वाले असर को देखते हुए मौद्रिक नीति को नरम बनाया गया। भारत में 2007-08 की दूसरी छमाही से हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई जो आपूर्ति पक्ष के दबावों और अंतर्राष्ट्रीय पण्य मूल्यों में तेजी को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्यों में होती रही वृद्धि के अनुरूप ईंधन मूल्यों ने भी महत्वपूर्ण दबावों को जन्म दिया। कई अन्य विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत में भी खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई राजकोषीय और आपूर्ति पक्ष के उपाय प्रारंभ किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उभरती समष्टि आर्थिक, मौद्रिक और चलनिधि परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को स्थिर करने के लिए सीआरआर और नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि किए जाने जैसे मौद्रिक उपाय किए।

बॉक्स II.12

मुद्रास्फीतिक दबावों को समझना - प्रमुख (कोर) मुद्रास्फीति की प्रासंगिकता

समूचे विश्व में मौद्रिक नीति के प्रमुख लक्ष्यों में मूल्य स्थिरता भी एक लक्ष्य है। मूल्य स्थिरता को मापने का बेरोमीटर मुद्रास्फीति है, जिसका आंकलन सामान्य मूल्य स्तर में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर होने वाले परिवर्तनों के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। परिणामी मुद्रास्फीति कई प्रकार के मूल्य परिवर्तनों जिनमें से कुछ का अल्पकालिक (अस्थायी) प्रभाव होता है जबकि अन्यो का दीर्घकालिक (स्थायी) प्रभाव होता है, का संयुक्त परिणाम होती है। कभी-कभी आपूर्ति पक्ष से उत्पन्न होने वाले अस्थायी आघात मांग आघात संबंधी अन्तर्निहित मुद्रास्फीतिक प्रवाह से मिल जाते हैं और इस प्रकार के आंकलन नीति निर्माताओं को भ्रमित करने वाले संकेत प्रदान कर सकते हैं। यहां तक कि अन्तर्निहित मुद्रास्फीतिकारी दबावों के बने रहने के बावजूद भी कुछ समय के लिए नकारात्मक आपूर्ति आघात हेडलाइन मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं और सकारात्मक आपूर्ति आघात हेडलाइन मुद्रास्फीति को घटा सकते हैं। आपूर्ति अस्थिरताओं की ऐसी परिस्थितियों में सकल मूल्य स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए की जाने वाली नीतिगत कार्रवाई अस्थिरताओं के परिणामी प्रभावों में वृद्धि कर सकती है, जो केंद्रीय बैंकों के मुद्रास्फीतिक और परिणामी उद्देश्यों के बीच अल्पकालिक विरोधाभास भी पैदा कर सकती है। मांग आघातों से उत्पन्न होने वाले मुद्रास्फीतिक दबावों को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति सबसे अच्छा साधन होती है, इसलिए केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में अन्तर्निहित मुद्रास्फीतिक दबावों बारे में हेडलाइन उपायो से तारतम्य बिठाते हुए (आपूर्ति आघातों से पैदा होने वाले) सूचनाएं निकालने का प्रयास करते हैं। मुद्रास्फीति के ऐसे दीर्घकालिक घटक को 'कोर मुद्रास्फीति' या अन्तर्निहित प्रवृत्तिकारी मुद्रास्फीति कहा जाता है, जिसमें दीर्घकालिक लक्षणों के साथ-साथ आगे आने वाली मुद्रास्फीति के बारे में अनुमान लगाये जाने की शक्ति भी होती है।

'कोर मुद्रास्फीति' शब्द का बहुतायात से प्रयोग होने के बाद भी शोधकर्ताओं में इसकी परिभाषा के बारे में मतैक्य नहीं है। तथापि, कोर मुद्रास्फीति के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार हैं:

- i) यह वास्तविक समय में गणना योग्य होनी चाहिए। ii) यह जनता के लिए जानी पहचानी और समझी जा सकने योग्य होनी चाहिए। iii) इससे मुद्रास्फीति की दीर्घकालिक प्रवृत्तियों का पता चलना चाहिए। iv) यह बहुत ज्यादा अस्थिर नहीं होनी चाहिए अर्थात् इसमें हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस नहीं होनी चाहिए। v) यह भावी कीमत उतार-चढ़ाव के बारे में अनुमान लगाये जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती हों। vi) यह देखी गयी मुद्रास्फीति के बारे में बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो। vii) यह पिछली मौद्रिक नीति से अत्यधिक सुसंगत हो, और viii) यह अंततोगत्वा उत्पादन तटस्थता वाली हो।

कोर मुद्रास्फीति के विभिन्न मापदंड तथा उनके विकल्प के मानदंड अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। यह हो सकता है कि कुछ मापदंड एक से अधिक वांछित मानदंडों की पूर्ति करें, लेकिन यह एक अनुभवसिद्ध मामला है, जो कि विभिन्न देशों के बीच अलग-अलग अनुभव किया जाता है। अधिकांश मामलों में सादगी तथा प्रवाह के बीच ट्रेड ऑफ अच्छी तरह हो सकता है।

उसी तरह कोर मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण के बारे में भी सर्वसम्मति नहीं है। तथापि, सर्वाधिक सामान्य तथा सरल दृष्टिकोण प्रयोग में लाने के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति में अस्थिरता वाले तत्व जैसे खाद्य तथा तेल की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है। फिर भी, कोर मुद्रास्फीति के अपवर्जन आधारित मापदंड की एक मुख्य कमजोरी

यह है कि अस्थायी बाधाओंका विशेष उप-घटकों तक ही सीमित रहना जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा, अस्थिरतावाली मर्दों को पूरी तरह हटा देने से महत्वपूर्ण सूचना की स्थायी हानि होने का संभाव्य जोखिम बना रहता है। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए यद्यपि बहुत अधिक मूल्य परिवर्तन वाले घटकों को शामिल करते हुए सीमित प्रभाव आकलन दृष्टिकोण जैसे ट्रिम मीन या भारित मीडियन का प्रयोग किया जाता है, इसमें शीघ्र बढ़ने वाले घटकों, जो कि कुल मांग तथा अंतर्निहित मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में बदलाव के संकेत देते हैं, की लाभदायक सूचना रह जाने का जोखिम रहता है। इसके अलावा, मौद्रिक नीति के अल्पावधि व्यवहार के लिए मुद्रास्फीति की भूमिका भी विकासशील देशों में सीमित ही रहती है क्योंकि इन देशों का आर्थिक ढांचा इस प्रकार का होता है कि वे बड़े और निरंतर आघातों के अधीन होते हैं। विकासशील देशों में खाद्य वस्तुओं जिनका सूचकांक में भार आधे से अधिक होता है, को हटाकर कोर मुद्रास्फीति को मापना बहुत सार्थक नहीं होगा। इसके अलावा, कोर मुद्रास्फीति के निर्माण में सूचना विषयवस्तु की हानि तथा हेडलाइन मुद्रास्फीति की अपेक्षाकृत अधिक सार्वजनिक स्वीकार्यता नीतिगत लक्ष्यों की अपेक्षा अंतर्निहित मुद्रास्फीति प्रक्रिया के संकेतकों के रूप में केवल कोर मापदंड को लाभ दायक बनाती है।

कोर मुद्रास्फीति के मौजूदा विभिन्न तरीकों तथा उनके वैकल्पिक सूत्रीकरण को देखते हुए यह आवश्यक है कि कुछ मानदंड निर्धारित किए जाएं ताकि उनके आधार पर विभिन्न मापदंडों में से किसी एक को चुना जा सके। अनुभवों के आधार पर हुए अध्ययनों में विभिन्न मापदंडों के संयोजनों का प्रयोग करते हुए सुझाव दिये गये हैं। स्पष्ट रूप से, इन अध्ययनों से कोई सर्वमान्यता नहीं बनी है। भारतीय रिजर्व बैंक (सार्विकी तथा सूचना प्रबंध विभाग) ने विभिन्न 8 प्रणालियों अर्थात् अपवर्जन आधारित मापदंड, औसत मानक विचलन आधारित मापदंड, मीडियन आधारित, ट्रिम औसत आधारित, ऐतिहासिक मान विचलन पर आधारित, हॉड्रिक-प्रेसकॉट (एच.पी) फिल्टर, वेवलेट फिल्टर तथा संरचनात्मक वेक्टर ऑटोरिगेशन का उपयोग करते हुए भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित कोर मुद्रास्फीति को मापने का प्रयास किया है। इन मापदंडों की कोर मुद्रास्फीति के विभिन्न तत्वों पर जांच की गई है। अनुभव आधारित परिणाम दर्शाते हैं कि कोर मुद्रास्फीति के विभिन्न मापदंड कोई एक जैसा परिणाम नहीं दर्शाते हैं तथा किसी विशिष्ट मापदंड का चयन मुख्यतः आंकड़ों पर आधारित होता है।

तदनुसार, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर पण्य वस्तुओं के मूल्यों में हो रही सामान्य वृद्धि के मामले में कोर मुद्रास्फीति के मापदंड अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबावों को समझने के लिए विशिष्ट देश के संदर्भ में 'प्रासंगिक' होने चाहिए।

संदर्भ:

1. ब्लांडर, ए.एस. (1997) 'कमेंटरी' फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेन्ट लुइस रिजर्व्यू (मई-जून 1997); 157-160
2. बरयान, एम.एफ., और एस.जी. सेक्शेल्ती (1993), 'दिकन्ज्युमर प्राइस इंडेक्स एस ए मीजर ऑफ इन्फ्लेशन'। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ क्लेवेलैण्ड इकोनॉमिक रिजर्व्यू (1993:4): 15-24
3. क्वाह डी, और एस.पी.वाहे, (1995) 'मीजरिंग कोर इन्फ्लेशन', इकोनॉमिक जर्नल 105: 1130-1144.

सारणी: प्रासंगिक प्रमुख (थो मूसू - आधारित) स्फीति के वैकल्पिक उपाय

(प्रतिशत)

मद	भारत	अप्रैल-07	जून-07	सितं.-07	दिसं.-07	मार्च-08	मई-08	जून-08	जुलाई-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सभी वस्तुएं	100	6.0	4.4	3.4	3.8	7.7	8.8	11.9	12.0
कुल खाद्य वस्तुएं (पीए + एमएफजी)	26.9	7.6	5.7	3.7	2.6	7.7	8.6	9.4	9.0
कुल खाद्येतर वस्तुएं (अर्थात् थोमूसू, खाद्य के अलावा)	73.1	5.5	4.0	3.3	4.3	7.8	8.8	12.8	13.0
थोमूसू, कुल ईंधन के अलावा	85.8	7.5	6.1	5.0	4.0	8.0	9.0	10.7	10.6
थोमूसू, कुल खाद्य और ईंधन के अलावा	58.8	7.4	6.3	5.7	4.7	8.2	9.2	11.3	11.5
थोमूसू, प्राथमिक खाद्य के अलावा	84.6	5.3	3.8	3.2	4.2	8.0	9.3	13.0	13.2
विनिर्मित खाद्येतर उत्पाद	52.2	6.4	5.4	4.8	4.0	6.9	7.9	9.8	10.1
थोमूसू, धातुओं के अलावा	91.7	5.4	4.2	3.2	4.0	6.4	7.6	10.9	10.9
थोमूसू, धातुओं और खनिजों के अलावा	91.2	5.3	4.1	3.3	4.0	5.9	7.2	10.5	10.5
थोमूसू, तिलहनों और उत्पादों के अलावा	93.2	5.0	3.3	2.3	3.0	6.8	7.7	10.9	11.1
थोमूसू, धातुओं, खनिजों, तिलहनों और उत्पादों के अलावा	84.3	4.2	2.9	2.0	3.0	4.7	6.0	9.2	9.3
थोमूसू, धातुओं, खनिजों, खनिज तेलों के अलावा	84.2	6.2	5.5	4.3	3.8	5.4	6.6	8.0	7.8
पीए : प्राथमिक सामग्री		एमएफजी : विनिर्माण उत्पाद							

IV. सरकारी वित्त

II.4.1 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त में वर्ष 2007-08 के दौरान सुधार जारी रहा। प्रमुख घाटा संकेतक, अर्थात् सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और राजस्व घाटा, पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3-0.4 प्रतिशत अंक कम थे; प्राथमिक शेष अधिशेष की स्थिति में पहुंच गया। यह सुधार राजस्व प्राप्तियों, विशेष रूप से प्रत्यक्ष कर राजस्व में हुई काफी वृद्धि के कारण आया था (सारणी 2.36)। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अपने कर राजस्व में उछाल, आर्थिक विकास को बनाए रखने तथा कर की दरों में कमी लाकर और कर आधार का विस्तार करके कराधान की प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने के अनवरत प्रयासों का सूचक था। संयुक्त वित्त की एक खास विशेषता नियम आधारित राजकोषीय ढांचे के अंतर्गत केंद्र और राज्यों दोनों के द्वारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर बने रहते हुए भी विकास व्यय के लिए अधिक राशि का आबंटन थी।

केन्द्र सरकार का वित्त - 2007-08

संशोधित अनुमान¹⁰

II.4.2 वर्ष 2007-08 के लिए केंद्र सरकार के संशोधित अनुमानों (सं.अ.) में बजट अनुमानों (ब.अ.) की तुलना में सुधार परिलक्षित हुआ। प्रमुख घाटा संकेतक, अर्थात् राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा उनके बजट स्तरों से, सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 - 0.2 प्रतिशत अंक अपेक्षाकृत कम निर्धारित किए गए थे। सकल प्राथमिक अधिशेष, सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में, बजट अनुमान (ब.अ.) से 0.4 प्रतिशत अधिक था। वास्तविक आंकड़ों की दृष्टि से राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा बजट में किए गए अनुमानों से कम रहे लेकिन सकल प्राथमिक अधिशेष बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों से काफी अधिक थे (सारणी 2.37 तथा परिशिष्ट सारणी 26)। राजस्व लेखे में सुधार का मुख्य कारण अपेक्षाकृत अधिक कर राजस्व था (परिशिष्ट सारणी 27)। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को छोड़कर अन्य सभी मुख्य करों के अंतर्गत वसूलियां बजट अनुमानों की अपेक्षा अधिक थीं। राजस्व प्राप्तियों में आयी तेजी ने राजस्व व्यय में हुई वृद्धि (मुख्यतः अधिक ब्याज और सब्सिडी के भुगतान के कारण) को

सारणी 2.36: प्रमुख राजकोषीय संकेतक : सम्मिलित वित्त

(सघउ का प्रतिशत)

मद	1990-91	1995-96	2006-07	2007-08
				संअ
1	2	3	4	5
1. सकल राजकोषीय घाटा	9.4	6.5	5.6	5.3
2. राजस्व घाटा	4.2	3.2	1.3	0.9
3. प्राथमिक घाटा	5.0	1.6	0.0	-0.3
4. राजस्व प्राप्तियां	18.6	18.3	21.2	22.4
(i) कर राजस्व	15.4	14.7	17.5	18.5
प्रत्यक्ष कर	2.5	3.5	6.5	7.3
अप्रत्यक्ष कर	12.9	11.2	11.0	11.3
(ii) करेतर राजस्व	3.2	3.6	3.7	3.9
5. कुल व्यय*	28.7	25.4	26.8	28.8
(i) विकास व्यय *	17.1	13.9	14.2	15.6
(ii) विकासेतर व्यय	11.5	11.5	12.2	12.8
जिनमें से:				
ब्याज भुगतान	4.4	5.0	5.6	5.6
6. ऋण@	64.7	61.0	77.0	77.0
				प्रतिशत
पूँजी परिव्यय/कुल व्यय	13.1	10.8	14.2	17.6
ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्तियां	23.6	27.2	26.3	25.0
राजस्व घाटा/ सकल राजकोषीय घाटा	44.6	48.8	24.0	16.5
संअ : संशोधित अनुमान।				
* : इसमें 2007-08 में भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी (स्टेक) भारत सरकार को अंतरित करने से संबंधित लेनदेन के 35,531 करोड़ रुपये शामिल हैं।				
@ : इसमें 'आरक्षित निधियां' और 'जमा तथा अग्रिम' शामिल हैं।				
टिप्पणी: 1. सभी संकेतक अंतर सरकारी लेनदेन को घटाकर केंद्र तथा राज्यों के सम्मिलित आंकड़ों पर आधारित हैं।				
2. राज्य सरकारों से संबंधित आंकड़े 28 राज्य सरकारों के बजट से संबंधित हैं।				
3. संयुक्त वित्त प्रबंध के राजकोषीय अनुपात केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सरकार से उपलब्ध सघउ के अद्यतन आंकड़ों पर आधारित हैं।				

समायोजित कर दिया जिससे संशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा कम हो गया। दूसरी ओर पूँजी परिव्यय, रक्षा व्यय में कमी के कारण बजट की गयी राशि से मामूली कम रहा।

¹⁰ केंद्र सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के हिस्से (स्टेक) के अधिग्रहण की लागत के 35,531 करोड़ रुपये तथा भारतीय स्टेट बैंक के हिस्से (स्टेक) के अंतरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को अंतरित अधिशेष 34,309 करोड़ रुपए की राशि समायोजित की गई, जहां लागू हो।

सारणी 2.37: केंद्र के प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2007-08	2007-08	2008-09	घट-बढ़ (2 की तुलना में 3)		घट-बढ़ (3 की तुलना में 4)	
	(बअ)	(संअ)	(बअ)	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1. राजस्व प्राप्तियां	4,86,422	5,25,098	6,02,935	38,676	8.0	77,837	14.8
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	1,651*	1,816@	10,165	165	10.0	8,349	-
3. राजस्व व्यय जसमें से:	5,57,900	5,88,586	6,58,119	30,686	5.5	69,533	11.8
क) ब्याज भुगतान	1,58,995	1,71,971	1,90,807	12,976	8.2	18,836	11.0
4. पूंजी परिव्यय जिसमें से:	75,123*	74,264#	84,522	-859	-1.1	10,258	13.8
रक्षा	41,922	37,705	48,007	-4,217	-10.1	10,302	27.3
5. निवल उधार	5,998	6,495	3,746	497	8.3	-2,749	-42.3
6. राजस्व घाटा (3-1)	71,478	63,488	55,184	-7,990	-11.2	-8,304	-13.1
	(1.5)	(1.4)	(1.0)				
7. सकल राजकोषीय घाटा (4+5+6-2)	1,50,948	1,43,653**	1,33,287	-8,517	-5.6	-9,144	-6.4
	(3.3)	(3.1)	(2.5)				
8. प्राथमिक घाटा (7-3क)	-8,047	-28,318**	-57,520	-21,493	267.1	-27,980	94.7
	(-0.2)	(-0.6)	(-1.1)				

बअ : बजट अनुमान।

संअ : संशोधित अनुमान।

* : भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक का अंश स्वामित्व (स्टेक) सरकार को अंतरित करने से संबंधित लेनदेन के कारण 40,000 करोड़ रुपये समायोजित किए गए।

@ : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में अपने स्टेक की बिक्री के कारण केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक के अधिशेष अंतरण के 34,309 करोड़ रुपये घटाकर।

: भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक का अंश स्वामित्व (स्टेक) केंद्र सरकार को प्रदान करने की कुल अभिग्रहण लागत के 35,531 करोड़ रुपये घटाकर।

** : इसमें 1,223 करोड़ रुपये अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के स्टेक को भारत सरकार में अंतरण के कारण प्राप्तियों और खर्च का अंतर शामिल है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हैं।

II.4.3 निवल बाजार उधारों से, जोकि बजट अनुमान की तुलना में 0.1 प्रतिशत कम था, संशोधित अनुमानों में सकल राजकोषीय घाटे के 77.1 प्रतिशत भाग के लिए वित्तीय प्रबंध हो पाया जबकि बजट अनुमानों में इसे 73.4 प्रतिशत रखा गया था (परिशिष्ट सारणी 28)। संशोधित अनुमानों में, 'जमा और अग्रिम' तथा बाहरी सहायता ने सकल राजकोषीय घाटे के क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत भाग के वित्त की व्यवस्था की जबकि बजट अनुमानों में इन्हें क्रमशः (-) 1.6 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत रखा गया था।

अंतिम लेखे

II.4.4 लेखा महा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए वर्ष 2007-08 के अंतिम लेखों से स्पष्ट होता है कि राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा दोनों, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में, संशोधित अनुमानों में कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों में वृद्धि के कारण क्रमशः 0.2 प्रतिशत अंक और 0.3 प्रतिशत अंक और

कम हो गए, जबकि प्राथमिक अधिशेष में 0.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई (सारणी 2.38)।

केंद्र सरकार के ऋण की स्थिति

II.4.5 सकल राजकोषीय घाटे में कमी के बावजूद, केंद्र सरकार की बकाया घरेलू देयताएं - जिनमें आंतरिक ऋण तथा अन्य देयताएं जैसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ), राज्य भविष्य निधि, अन्य लेखे, आरक्षित निधि और जमाराशियां शामिल हैं - मामूली बढ़कर मार्च 2007 के अंत में (संशोधित अनुमान) सकल घरेलू उत्पाद के 59.3 प्रतिशत पर पहुंच गई जबकि मार्च 2006 के अंत में ये 58.8 प्रतिशत थीं। इससे सब्सिडियों के बदले तेल कंपनियों तथा उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों जैसी बजटेतर देयताओं में बढ़ोतरी परिलक्षित होती है। बकाया देयताओं में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियां भी शामिल होती हैं जिनसे प्राप्त राशि को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे खाते में अलग से रखी जाती है तथा यह राशि व्यय हेतु केंद्रीय सरकार को

सारणी 2.38 : 2007-08 के केंद्र के प्रमुख घाटा संकेतक - अर्न्तम खाते

(राशि करोड़ रुपये में)

संकेतन	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अर्न्तम खाते	घट-बढ़ (प्रतिशत)	
				स्तंभ 3 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा	71,478 (1.5)	63,488 (1.4)	55,535 (1.2)	-12.5	-22.3
सकल राजकोषीय घाटा	1,50,948 (3.3)	1,43,653 (3.1)	1,29,814 (2.8)	-9.7	-14.8
प्राथमिक घाटा	-8,047 (-0.2)	-28,318 (-0.6)	-41,680 (-0.9)	-	-

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हैं। कॉलम 4 के कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के संशोधित अनुमान पर आधारित।


उपलब्ध नहीं होती। तथापि, बकाया घरेलू देयताएं मार्च 2006 के अंत में 60.5 प्रतिशत से कम थीं (परिशिष्ट सारणी 29)। केंद्र सरकार की बकाया देनदारियों का सबसे बड़ा भाग आंतरिक ऋण के संबंध में था (मार्च 2008 के अंत के कुल ऋण का 63.7 प्रतिशत), इसके बाद राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधियों (27.8 प्रतिशत) का स्थान था।

II.4.6 राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतानों का अनुपात वर्ष के दौरान घटता रहा। यह औसत 2001-02 के 53.4 प्रतिशत से 2007-08 (संशोधित अनुमान) में घटकर 32.8 प्रतिशत हो गया क्योंकि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की गति (2001-02 तथा 2007-08 के बीच 161.0 प्रतिशत) ब्याज भुगतानों में वृद्धि की गति (60.00 प्रतिशत) से काफी ज्यादा रही (चार्ट II.14)।

II.4.7 बकाया बाजार ऋणों तथा राज्य भविष्य निधियों पर औसत ब्याज दर में 2007-08 में वृद्धि हुई जबकि राष्ट्रीय लघु बचत योजना तथा विशेष जमाओं में कमी आई (सारणी 2.39)।

राज्य सरकार वित्त - 2007-08 ¹¹

II.4.8 राज्य सरकारों ने 2007-08 के दौरान राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में और प्रगति की है जिसमें 11 राज्यों ने राजकोषीय दायित्व कानून के अंतर्गत निर्धारित सकल राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा किया तथा 23 राज्यों ने राजस्व संतुलन की स्थिति प्राप्त की। वर्ष 2007-08 (सं.अ.) में समेकित राजस्व अधिशेष



22,526 करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत) रखा गया था जबकि इसकी तुलना में 2007-08 (ब.अ.) में यह 11,973

सारणी 2.39: केंद्र की बकाया घरेलू देयताओं की औसत ब्याज दर

(प्रतिशत)

वर्ष	बाजार ऋण	लघु बचत/ एनएसएसएफ	राज्य भविष्य निधि	विशेष जमाराशियां
1	2	3	4	5
1990-91 से 1994-95 (औसत)	10.86	10.85	11.63	11.53
1995-96 से 1999-2000 (औसत)	12.39	11.62	11.62	10.93
2000-01	12.99	11.60	10.54	9.87
2001-02	12.83	11.61	9.09	10.5
2002-03	12.11	11.56	8.53	8.82
2003-04	11.11	10.88	7.39	7.94
2004-05	9.87	9.37	7.99	7.65
2005-06	10.07	8.90	7.46	7.25
2006-07	8.90	8.91	7.63	6.85
2007-08 (सं.अ)	9.45	8.33	7.83	5.67


सं.अ : संशोधित अनुमान।

- टिप्पणी :**
1. बाजार ऋण दिनांकित प्रतिभूतियां दर्शाते हैं।
 2. लघु बचत से तात्पर्य है - लघु बचत जमाराशियां, प्रमाणपत्र एवं सार्वजनिक भविष्य निधि। वर्ष 1999-2000 से, लघु बचतों पर ब्याज राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज को प्रदर्शित करता है।
 3. सरकार ने 30 जून 2003 से विशेष जमाराशि योजना की मूल निधि पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की है।
 4. प्रत्येक घटक की ब्याज दर वर्ष के दौरान किए गए ब्याज भुगतान को पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में बकाया देयताओं से भाग देकर निकाली गई है।

¹¹ वर्ष 2007-08 (संशोधित अनुमान) तथा 2008-09 (बजट अनुमान) के राज्य वित्त और संयुक्त वित्त का विश्लेषण 28 राज्य सरकारों के बजटों पर आधारित है।

करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत) था। 2007-08 (सं.अ.) में तेईस राज्य सरकारों ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व शेष की स्थिति प्राप्त करने के लिए निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व पहले ही राजस्व अधिशेष की स्थिति प्राप्त कर ली। 2007-08 (सं.अ.) में राजस्व अधिशेष वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्तियों (बजट में अनुमानित स्तर से 3.6 प्रतिशत अधिक) के कारण हुई जिससे अधिक राजस्व व्यय (बजट में अनुमानित स्तर से 1.9 प्रतिशत अधिक) का भी समायोजन हो गया। भागीदारी वाले करों में वृद्धि (8.8 प्रतिशत), केंद्र से प्राप्त होनेवाले अनुदानों (6.2 प्रतिशत) तथा राज्यों की अपनी गैर-कर प्राप्तियों (5.7 प्रतिशत) के कारण 2007-08 (सं.अ.) में बजट अनुमानों से अपेक्षाकृत अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई। किंतु, राज्यों की अपनी कर प्राप्तियां बजट अनुमानों से मामूली रूप से अर्थात् 0.2 प्रतिशत कम थीं। बजटीय स्तर से अधिक के पूंजी परिव्यय के बावजूद राजस्व खाते में काफी सुधार परिलक्षित करते हुए 2007-08 (सं.अ.) में संपूर्ण रूप से राज्यों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों की तुलना में 364 करोड़ रुपए की मामूली-सी कमी के साथ 1,07,958 करोड़ रुपए था। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, परिवहन तथा जल आपूर्ति तथा सफाई के संबंध में पूंजीगत परिव्यय अपेक्षाकृत अधिक था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी प्रमुख घाटा संकेतक 2007-08 के संशोधित अनुमानों में 2000-05 की अवधि के दौरान के औसत स्तरों से काफी कम रहे (चार्ट II.15, तथा परिशिष्ट सारणी 30)।

II.4.9 राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के रूप में संघटनात्मक परिवर्तन हुआ और 2007-08 (सं.अ.) में बाजार उधारियां सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के मुख्य स्रोत के रूप में उभरकर आईं (स.रा.घा.का 58.9 प्रतिशत)। लघु बचत के अंतर्गत संग्रहण में भारी गिरावट होने के कारण राष्ट्रीय बचत निधि, जो 1999-2000 से सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की मुख्य अंशदाता रही है, को जारी विशेष प्रतिभूतियों ने 2007-08 (सं.अ.) में सकल राजकोषीय घाटे के 9.1 प्रतिशत का वित्तपोषण किया जबकि 2006-07 में इसने 72.9 प्रतिशत का वित्तपोषण किया था। मुख्य रूप से, 2007-08 (सं.अ.) में अधिशेष नकदी शेष से



आहरण ने सकल राजकोषीय घाटे के 22.3 प्रतिशत का वित्तपोषण किया (परिशिष्ट सारणी 31)।

केंद्र और राज्यों की समेकित सरकारी बजट स्थिति-2007-08

II.4.10 वर्ष 2007-08 के दौरान संशोधित अनुमानों में मुख्य घाटा संकेतकों की दृष्टि से केंद्र और राज्यों की समेकित वित्तीय स्थिति में बजट अनुमानों की तुलना में सुधार देखा गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर - दोनों की वसूली में बहुत ज्यादा उछाल तथा अपेक्षाकृत अधिक गैर-कर प्राप्तियों के कारण, बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व घाटे में कमी आई (सारणी 2.40 तथा परिशिष्ट सारणी 32)। सकल व्यय बजट अनुमान से अपेक्षाकृत अधिक हुआ जिसका कारण गैर-विकास व्यय में वृद्धि थी, विशेष रूप से ब्याज अदायगी, राजकोषीय तथा प्रशासनिक सेवाओं के व्यय में वृद्धि। विकासात्मक व्यय 2007-08 में बजट अनुमानों की तुलना में अपेक्षाकृत कम था।

संयुक्त ऋण

II.4.11 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों की संयुक्त देनदारियां मार्च 2008 (सं.अ.) के अंत में, मार्च 2007 के अंत के बराबर 77.0 प्रतिशत थीं, जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार की बकाया देनदारियों में वृद्धि था, जिससे राज्य सरकार की देनदारियों में हुई कमी का समायोजन हो गया (सारणी 2.41)।

सारणी 2.40: केंद्र और राज्य के सम्मिलित वित्त के संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	1990-91	1995-96	2000-01	2006-07	2007-08 ब.अ	2007-08 सं.अ	घट-बढ़ (ब.अ. की तुलना में सं.अ.)	
							राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल राजकोषीय घाटा [(II-Iअ-I आ(क))]	53,580	77,671	1,99,852	2,30,432	2,56,286	2,47,831	-8,455	-3.3
	(9.4)	(6.5)	(9.5)	(5.6)	(5.4)	(5.3)		
राजस्व घाटा [II 1 - I अ]	23,871	37,932	1,38,803	55,366	59,504	40,959	-18,545	-31.2
	(4.2)	(3.2)	(6.6)	(1.3)	(1.3)	(0.9)		
प्राथमिक घाटा	28,585	18,598	75,035	-399	6,127	-15,905	-22,032	-359.6
	(5.0)	(1.6)	(3.6)	(0.0)	(0.1)	(-0.3)		
I. कुल प्राप्तियां (अ+आ)	1,51,593	2,96,629	5,94,804	11,25,252	13,10,973	13,31,711	20,738	1.6
अ. राजस्व प्राप्तियां (1+2)	1,05,757	2,17,526	3,78,817	8,77,075	9,96,267	10,55,165	58,898	5.9
1. कर प्राप्तियां (क+ख)	87,564	1,74,851	3,05,374	7,24,023	8,34,094	8,73,299	39,205	4.7
क) प्रत्यक्ष कर	14,267	41,603	80,215	2,68,108	3,05,949	3,42,750	36,801	12.0
ख) अप्रत्यक्ष कर	73,297	1,33,248	2,25,159	4,55,915	5,28,145	5,30,549	2,404	0.5
2. करेतर राजस्व	18,193	42,675	73,443	1,53,052	1,62,173	1,81,866	19,693	12.1
आ. पूंजी प्राप्तियां	45,836	79,102	2,15,987	2,48,177	3,14,706	2,76,546	-38,160	-12.1
क) ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां	3,531	6,968	12,591	1,667	57,344	52,834	-4,510	-7.9
ख) ऋण पूंजी प्राप्तियां	42,305	72,134	2,03,396	2,46,510	2,57,362	2,23,712	-33,650	-13.1
II. कुल व्यय (1+2+3 = 4+5)	1,62,868	3,02,166	5,91,258	11,09,174	13,09,897	13,55,830	45,933	3.5
1. राजस्व व्यय	1,29,628	2,55,457	5,17,618	9,32,441	10,55,770	10,96,124	40,354	3.8
2. पूंजी परिव्यय	21,353	32,594	55,875	1,57,316	2,33,919	2,38,126	4,207	1.8
3. ऋण और अग्रिम	11,887	14,115	17,766	19,417	20,207	21,580	1,373	6.8
4. विकास व्यय	97,149	1,65,361	3,08,546	5,88,028	7,45,961	7,36,974	-8,987	-1.2
5. विकासेतर व्यय	65,719	1,36,805	2,82,712	5,21,146	5,63,935	6,18,856	54,921	9.7

सं.अ.: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

टिप्पणी: 1. अंतर सरकारी लेनदेन घटाए गए हैं।

2. कोष्ठकों में दिए हुए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं।

3. राज्यों के आंकड़े 28 राज्यों के हैं।

4. पूर्णांकित किये जाने के कारण जोड़ की राशि में अंतर हो सकता है।

सरकार की आकस्मिक देयताएं/गारंटियां

II.4.12 केंद्र सरकार की बकाया गारंटियां मार्च 2006 के अंत के 1,10,626 करोड़ रुपए से मामूली घटकर मार्च 2007 के अंत में 1,09,826 करोड़ रुपए हो गई (सारणी 2.42)। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई गारंटियों के रूप में आकस्मिक देयताओं के स्टॉक की निवल वृद्धि में मार्च 2007 को समाप्त वर्ष में 800 करोड़ रुपये की गिरावट आई। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध नियम, 2004 में निर्धारित है कि आकस्मिक देयताओं के स्टॉक में निवल वृद्धि किसी भी वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 0.50 प्रतिशत की सीमा तक होनी चाहिए।

2008-09 के लिए राजकोषीय संभावना ¹²

केंद्र सरकार

II.4.13 केंद्रीय बजट 2008-09 में राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया जारी रही। बजट में वर्ष 2008-09 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे

में 0.6 प्रतिशत अंक की कमी करके उसे सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत पर लाने की बात कही गई है जबकि राजस्व घाटा 0.4 प्रतिशत

सारणी 2.41: केंद्र और राज्यों की सम्मिलित देयताएं

मार्च के अंत में	बकाया देयताएं (करोड़ रुपये)			ऋण सघट अनुपात (प्रतिशत)		
	केंद्र	राज्य	सम्मिलित	केंद्र	राज्य	सम्मिलित
1	2	3	4	5	6	7
1991	3,14,558	1,28,155	3,68,824	55.2	22.5	64.7
1996	6,06,232	2,49,535	7,26,854	50.9	20.9	61.0
2001	11,68,541	5,94,148	14,84,106	55.6	28.3	70.6
2002	13,66,408	6,90,747	17,33,033	60.0	30.3	76.0
2003	15,59,201	7,86,430	19,70,807	63.5	32.0	80.3
2004	17,36,678	9,13,376	22,41,950	63.0	33.2	81.4
2005	19,94,422	10,29,174	25,62,015	63.3	32.7	81.3
2006	22,60,145	11,67,866	28,79,705	63.1	32.6	80.4
2007	25,38,596	12,50,819	31,90,698	61.2	30.2	77.0
2008 सं.अ.	28,97,037	13,37,044	36,27,260	61.5	28.4	77.0
2009 ब.अ.	30,62,912	14,51,169	38,91,740	57.7	27.4	73.4

सं.अ.: संशोधित अनुमान।

ब.अ.: बजट अनुमान

टिप्पणी: 1. राज्यों के आंकड़े 28 राज्यों से संबंधित हैं।

2. 'संयुक्त देयताओं' के अंतर्गत अंतर सरकारी लेनदेन समयोजित किए गए हैं।

3. आंकड़ों में 'आरक्षित निधि' और 'जमाराशियां तथा अग्रिम' शामिल हैं।

¹² जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो इस खंड में प्रस्तुत 2008-09 सभी की तुलनाएं 2007-08 के संशोधित अनुमानों से की गई हैं।

सारणी 2.42: बकाया सरकारी गारंटियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मार्च के अंत में	केंद्र		राज्य		कुल	
	राशि	सघउ का प्रतिशत	राशि	सघउ का प्रतिशत	राशि	सघउ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1994	62,834	7.3	48,865	5.6	1,11,700	12.9
1995	62,468	6.1	48,479	4.8	1,10,947	10.9
1996	65,573	5.5	52,631	4.4	1,18,204	9.9
1997	69,748	5.1	65,339	4.7	1,35,087	9.8
1998	73,877	4.8	73,751	4.8	1,47,628	9.7
1999	74,606	4.3	79,457	4.5	1,54,063	8.8
2000	83,954	4.3	1,32,029	6.8	2,15,983	11.1
2001	86,862	4.1	1,68,719	8.0	2,55,581	12.2
2002	95,859	4.2	1,65,386	7.3	2,61,245	11.5
2003	90,617	3.7	1,84,294	7.5	2,74,911	11.2
2004	87,780	3.2	2,19,658	8.0	3,07,438	11.2
2005	1,07,957	3.4	2,04,426	6.5	3,12,383	9.9
2006	1,10,626	3.1	1,96,914P	5.5	3,07,540	8.6
2007	1,09,826	2.6

अ.: अनंतिम। ..: उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : पूर्णांकित किए जाने के कारण सघउ से अनुपात कुल से भिन्न हो सकते हैं।

स्रोत : 1. केंद्र की गारंटियों से संबंधित आंकड़े केंद्र सरकार के बजट प्रलेखों से लिए गए हैं।
2. राज्यों की गारंटियों के आंकड़े 17 प्रमुख राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं। वर्ष 2006 के आंकड़े 16 प्रमुख राज्यों से संबंधित हैं।

अंक कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 1.0 प्रतिशत पर लाने की बात कही गई है। बजट में वर्ष 2008-09 के दौरान सकल प्राथमिक अधिशेष में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत रहने की बात कही गई है जबकि वर्ष 2007-08 में यह 0.6 प्रतिशत था (सारणी 2.37)। हालांकि राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2003 के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार सकल राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है, वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने की अवधि को पुनर्निर्धारित करके उसे एक वर्ष और बढ़ाया गया है। ऐसा मुख्यतः राजस्व व्यय गहन कार्यक्रम तथा योजनाओं के पक्ष में योजना प्राथमिकताओं में परिवर्तन किए जाने तथा कुछ गैर योजना व्ययों में अल्पावधि में कड़ाई बरतने में प्रणालीगत अड़चनों के कारण किया गया है। केंद्रीय बजट में राजस्व प्रधान राजकोषीय सुदृढीकरण के साथ-साथ व्यय की प्राथमिकता के पुनः निर्धारण तथा नियंत्रण की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा 41.4 प्रतिशत के कम स्तर पर अनुमानित किया गया है, जिसके कारण पूंजीगत परिव्यय के लिए अधिक संसाधन प्रयोग में लाए जा सकेंगे (सारणी 2.43)।

प्राप्तियों का पैटर्न

II.4.14 वर्ष 2007-08 के दौरान बजट में राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष के स्तर से 14.8 प्रतिशत वृद्धि होने की बात कही गई है;

सारणी 2.43: केंद्र के सकल राजकोषीय घाटे का घटकवार विभाजन

(प्रतिशत)

वर्ष	राजस्व घाटा	पूंजी परिव्यय	निवल उधार	अन्य ऋणोत्तर प्राप्तियां @
1	2	3	4	5
1990-91	41.6	27.2	31.2	0
1995-96	49.4	23.4	29.6	-2.3
2000-01	71.7	20.8	9.2	-1.8
2001-02	71.1	18.8	12.7	-2.6
2002-03	74.4	20.1	7.7*	-2.2
2003-04	79.7	27.8	6.3*	-13.8
2004-05	62.6	41.3	-0.4*	-3.5
2005-06	63.0	37.6	0.5	-1.1
2006-07	56.3	42.3	1.8	-0.4
2007-08 (संअ)	44.6	52.1#	4.6	-1.3##
2008-09 (बअ)	41.4	63.4	2.8	-7.6

@ : विनिवेश आय और बोनस शेयरों के मूल्य सहित।

* : ऋण अदला-बदली लेनदेनों के लिए समायोजित।

: भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व (स्टेक) की केंद्र सरकार के कुल अधिग्रहण लागत 35,531 करोड़ रुपये के समायोजन के बाद।

: भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक का स्वामित्व (स्टेक) सरकार को अंतरित करने से संबंधित लेनदेन के कारण 34,309 करोड़ रुपये के अधिशेष अंतरण के समायोजन के बाद।

जबकि पिछले वर्ष 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी 2.44)। सीमा शुल्क कर को छोड़कर वर्ष 2008-09 के बजट में अन्य सभी प्रमुख करों की वसूली में हुई वृद्धि में कमी आने की बात कही गई है जिसका आंशिक कारण पिछले वर्षों में सुदृढ़ वृद्धि द्वारा निर्मित उच्चतर आधार है। इसके बावजूद वर्ष 2008-09 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर अनुपात बढ़कर 13.0 प्रतिशत हो जाने संभावना है। इस प्रकार वर्ष 2002-03 में शुरू हुई वृद्धि की प्रवृत्ति बरकरार रहेगी तथा इसमें प्रत्यक्ष करों में अनवरत वृद्धि बनी रहेगी (सारणी 2.45)।

II.4.15 लाभांश और लाभ में कम वृद्धि के कारण 2008-09 के बजट में गैर-कर राजस्व में 2.6 प्रतिशत की कम वृद्धि दर का अनुमान किया गया जो कि 2007-08 (12.2 प्रतिशत) की तुलना में कम है (देखें सारणी 2.44)। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के संबंध में बजट में अनुमान किया गया है कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों की वसूली अपरिवर्तित रहेगी। वर्ष 2008-09 में 10,165 करोड़ रुपए विनिवेश से प्राप्त होने का अनुमान किया गया है, जिसमें 1,165 करोड़ रुपए राष्ट्रीय निवेश निधि में निवेश के लिए अलग से निर्धारित किए गए हैं।

व्यय का पैटर्न

II.4.16 वर्ष 2008-09 के बजट में यह अनुमान किया गया है कि समग्र व्यय, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल घरेलू उत्पाद का 14.2 प्रतिशत होगा जबकि 2007-08 में यह 14.4 प्रतिशत¹³ था। यह इस बात का सूचक है कि गैर-योजना व्यय,

¹³ भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के अंश स्वामित्व (स्टेक) का अधिग्रहण करने के लिए 2007-08 में आबंटित 35,531 करोड़ रुपए का खर्च समायोजित किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 2.44: केंद्र की राजस्व स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)	घट-बढ़			
				2007-08		2008-09	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल प्राप्तियां (1+2)	5,83,387 (14.1)	6,75,064* (14.4)	7,50,884 (14.2)	91,677	15.7	75,820	11.2
1. राजस्व प्राप्तियां	4,34,387 (10.5)	5,25,098 (11.2)	6,02,935 (11.4)	90,711	20.9	77,837	14.8
कर राजस्व (निवल)	3,51,182 (8.5)	4,31,773 (9.2)	5,07,150 (9.6)	80,591	22.9	75,377	17.5
करेतर राजस्व	83,205 (2.0)	93,325 (2.0)	95,785 (1.8)	10,120	12.2	2,460	2.6
2. पूंजी प्राप्तियां	1,49,000 (3.6)	1,49,966* (3.2)	1,47,949 (2.8)	966	0.6	-2,017	-1.3
ऋणेतर पूंजी प्राप्ति	6,427 (0.2)	6,313* (0.1)	14,662 (0.3)	-114	-1.8	8,349	132.3
ऋण पूंजी प्राप्ति	1,42,573 (3.4)	1,43,653 (3.1)	1,33,287 (2.5)	1,080	0.8	-10,366	-7.2
जापन :							
सकल कर राजस्व	4,73,512 (11.4)	5,85,410 (12.5)	6,87,715 (13.0)	1,11,898	23.6	1,02,305	17.5
i) निगम कर	1,44,318 (3.5)	1,86,125 (4.0)	2,26,361 (4.3)	41,807	29.0	40,236	21.6
ii) आय कर@	75,081 (1.8)	1,03,470 (2.2)	1,20,604 (2.3)	28,389	37.8	17,134	16.6
iii) सीमा शुल्क	86,327 (2.1)	1,00,766 (2.1)	1,18,930 (2.2)	14,439	16.7	18,164	18.0
iv) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,17,613 (2.8)	1,27,947 (2.7)	1,37,874 (2.6)	10,334	8.8	9,927	7.8
v) सेवा कर	37,598 (0.9)	50,603 (1.1)	64,460 (1.2)	13,005	34.6	13,857	27.4
vi) प्रतिभूति अंतरण कर	4,646 (0.1)	7,500 (0.2)	9,000 (0.2)	2,854	61.4	1,500	20.0
vii) नकद बैंकिंग लेनदेन कर	507 (0.0)	550 (0.0)	550 (0.0)	43	8.5	0	0.0
viii) अतिरिक्त लाभ कर	5,316 (0.1)	6,800 (0.1)	8,160 (0.2)	1,484	27.9	1,360	20.0

सं.अ.: संशोधित अनुमान।

ब.अ.: बजट अनुमान।

* : भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक का अंश स्वामित्व (स्टेक) सरकार को अंतरित करने से संबंधित लेनदेन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक से लाभ के अंतरण के कारण 34,309 करोड़ रुपये समायोजित किए गए।

@ : अतिरिक्त लाभ कर को छोड़कर।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं।

विशेषतः ब्याज भुगतानों और सब्सिडियों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कमी आई है। कुल सब्सिडियां वर्ष 2007-08 के 22.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में घटकर 2.4 प्रतिशत होने का

बजट में अनुमान किया गया है, जिसके कारण वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में इसका प्रतिशत 0.2 प्रतिशत अंक घटकर 1.3 प्रतिशत होने का अनुमान है (सारणी 2.46)।

सारणी 2.45 : केंद्र का सकल कर राजस्व

(सघउ का प्रतिशत)

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर	कुल
1	2	3	4
1990-91	1.9	8.2	10.1
1991-92	2.3	8.0	10.3
1992-93	2.4	7.5	10.0
1993-94	2.4	6.5	8.8
1994-95	2.7	6.5	9.1
1995-96	2.8	6.5	9.4
1996-97	2.8	6.6	9.4
1997-98	3.2	6.0	9.1
1998-99	2.7	5.6	8.3
1999-00	3.0	5.8	8.8
2000-01	3.3	5.7	9.0
2001-02	3.0	5.2	8.2
2002-03	3.4	5.4	8.8
2003-04	3.8	5.4	9.2
2004-05	4.2	5.5	9.8
2005-06	4.6	5.6	10.3
2006-07	5.3	6.1	11.4
2007-08 (सं.अ.)	6.5	6.0	12.5
2008-09 (ब.अ.)	6.9	6.1	13.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान।

ब.अ. : बजट अनुमान।

II.4.17 सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में योजना व्यय का अनुपात बजट में बढ़ता रहेगा क्योंकि केंद्रीय योजना के लिए और अधिक बजटीय सहायता की व्यवस्था की गई है (सारणी 2.47)। वर्ष 2008-09 में पूंजी व्यय घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 1.7 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है। यद्यपि पूंजी व्यय के अंतर्गत बजट की व्यवस्था के अनुसार पूंजी परिव्यय 2008-09 के दौरान बढ़कर 91.1 प्रतिशत हो जाएगा जो 2007-08 के दौरान 87.1 प्रतिशत था तथा इसका मुख्य कारण रक्षा परिव्यय अधिक होना है। रक्षा पूंजी परिव्यय का हिस्सा 2007-08 के कुल पूंजी खर्च के 44.2 प्रतिशत से बढ़कर

2008-09 में 51.8 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन गैर रक्षा पूंजी परिव्यय 55.8 प्रतिशत से घटकर 48.2 प्रतिशत हो जाएगा।

II.4.18 बजट में विकास संबंधी प्रमुख व्ययों में, वर्ष 2008-09 के दौरान कुल व्यय के अनुपात के रूप में शिक्षा पर होने वाले व्यय का हिस्सा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाला सम्मिलित व्यय जो 2007-08 के दौरान कुल व्यय का 5.8 प्रतिशत था, 2008-09 में 6.5 प्रतिशत हो जाएगा। तथापि, अनुमान लगाया गया है कि कुल व्यय में से कृषि और ग्रामीण विकास के भाग में थोड़ी सी कमी आएगी (सारणी 2.48)।

सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

II.4.19 सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के एक विश्लेषण से पता चला है कि 2008-09 में निवल बाजार उधारों का हिस्सा (बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत बजट में किए गए आबंटनों को छोड़कर) 2007-08 के 77.1 प्रतिशत से घटकर सकल राजकोषीय घाटे का 74.3 प्रतिशत हो जाएगा। बाह्य सहायता से 2007-08 के 6.9 प्रतिशत की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का 8.2 प्रतिशत वित्त प्राप्त होगा। वर्ष 2008-09 के बजट में राष्ट्रीय लघु बचत योजना निधि द्वारा विशेष केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में सकल राजकोषीय घाटे का 7.4 प्रतिशत निवेश करने का अनुमान किया गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में (-) 1.3 प्रतिशत है। वर्ष 2008-09 के बजट में नकद आहरण द्वारा, पूर्व वर्ष में जुटाए गए नकदी शेष की तुलना में, सकल राजकोषीय घाटे का 5.4 प्रतिशत वित्त प्राप्त होने का अनुमान किया गया है (सारणी 2.49)।

सारणी 2.46 : केंद्र की सब्सिडियां

(करोड़ रुपये)

मद	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 सं.अ.	2008-09 ब.अ.
1	2	3	4	5	7	8
सब्सिडियां	44,323	45,957	47,522	57,125	69,742	71,431
	(1.6)	(1.5)	(1.3)	(1.4)	(1.5)	(1.3)
जिनमें से	:	:	:	:	:	:
i. खाद्य	25,181	25,798	23,077	24,014	31,546	32,667
	(0.9)	(0.8)	(0.6)	(0.6)	(0.7)	(0.6)
ii. उर्वरक	11,847	15,879	18,460	26,222	30,501	30,986
	(0.4)	(0.5)	(0.5)	(0.6)	(0.6)	(0.6)
iii. पेट्रोलियम	6,351	2,956	2,683	2,699	2,882	2,884
	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)

सं.अ. : संशोधित अनुमान।

ब.अ. : बजट अनुमान।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 2.47 : केंद्र सरकार के व्यय का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2006-07	2007-08 (सं.अ.)	2008-09 (ब.अ.)	घट-बढ़			
				2007-08		2008-09	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल व्यय	5,83,387	6,73,842*	7,50,884	90,455	15.5	77,042	11.4
	(14.1)	(14.4)	(14.2)				
1. योजनेतर व्यय	4,13,527	4,66,318*	5,07,498	52,791	12.8	41,180	8.8
	(10.0)	(9.9)	(9.6)				
i) ब्याज भुगतान	1,50,272	1,71,971	1,90,807	21,699	14.4	18,836	11.0
	(3.6)	(3.7)	(3.6)				
ii) रक्षा व्यय	85,510	92,500	1,05,600	6,990	8.2	13,100	14.2
	(2.1)	(2.0)	(2.0)				
iii) सब्सिडी	57,125	69,742	71,431	12,617	22.1	1,689	2.4
	(1.4)	(1.5)	(1.3)				
iv) राज्यों को अनुदान	35,734	36,432	43,294	698	2.0	6,862	18.8
	(0.9)	(0.8)	(0.8)				
v) अन्य योजनेतर व्यय	84,886	95,673*	96,366	10,787	12.7	-2,307	-(2.4)
	(2.0)	(2.0)	(1.8)				
2. योजना व्यय	1,69,860	2,07,524	2,43,386	37,664	22.2	35,862	17.3
	(4.1)	(4.4)	(4.6)				
i) केंद्र की योजना को बजट समर्थन	1,24,342	1,48,669	1,79,954	24,327	19.6	31,285	21.0
	(3.0)	(3.2)	(3.4)				
ii) राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं को केंद्रीय सहायता	45,518	58,855	63,432	13,337	29.3	4,577	7.8
	(1.1)	(1.3)	(1.2)				
ज्ञापन :							
सहायता अनुदान	91,621	1,06,025	1,23,340	14,404	15.7	17,315	16.3
ऋण	8,524	10,992	8,243	2,468	29.0	-2,749	-25.0

ब.अ.: बजट अनुमान। सं.अ.: संशोधित अनुमान।

* : भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक का अंश स्वामित्व (स्टेक) सरकार को अंतरित करने से संबंधित लेनदेन के कारण 35,531 करोड़ रुपये समायोजित किए गए।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हैं।

II.4.20 2,43,386 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय (योजना 'क') के अतिरिक्त बेहतर कराधान के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन संग्रहण हेतु केंद्रीय बजट 2008-09 में योजना 'ख' प्रस्तावित की गई है जो कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शहरी मूलभूत संरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए आबंटित की जाएंगी। 2008-09 के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतक यथा राजस्व घाटा, योजनेतर व्यय तथा सकल कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ग्यारहवीं योजना के प्राक्कलनों से अधिक रखे गए हैं (सारणी 2.50)।

II.4.21 हालांकि बजट में अनुमान लगाया गया है कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कम होगा लेकिन यह फिर भी कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी अधिक है (सारणी 2.51)।

सारणी 2.48 : केंद्र के चुनिंदा विकास शीर्षों पर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2007-08(सं.अ.)	2008-09(ब.अ.)
1	2	3
कृषि	62,442 (9.3)	68,612 (9.1)
शिक्षा	25,428 (3.8)	33,923 (4.5)
स्वास्थ्य	13,187 (2.0)	15,249 (2.0)
ग्रामीण विकास	17,385 (2.6)	18,562 (2.5)
सिंचाई	385 (0.1)	567 (0.1)

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल व्यय के प्रतिशत हैं।

2. भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक का अंश स्वामित्व (स्टेक) सरकार को अंतरित करने से संबंधित लेनदेन को हटाने के लिए 2007-08 (सं.अ.) का कुल व्यय समायोजित किया गया है।

आर्थिक समीक्षा

सारणी 2.49 : केंद्र के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2007-08	2008-09
	(सं.अ.)	(ब.अ.)
1	2	3
सकल राजकोषीय घाटा	1,43,653	1,33,287
<i>निम्न से वित्तीय सहायता:</i>		
बाजार से लिये गये उधार	1,10,727 (77.1)	99,000 (74.3)
अल्प बचत के बदले प्रतिभूतियां	-1,802 (-1.3)	9,873 (7.4)
बाहरी सहायता	9,970 (6.9)	10,989 (8.2)
राज्य भविष्य निधियां	4,800 (3.3)	4,800 (3.6)
राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ)	11,174 (7.8)	53 (0.0)
आरक्षित निधियां	3,504 (2.4)	-972 (-0.7)
जमा राशियां और अग्रिम	7,807 (5.4)	8629 (6.5)
डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधियां	3,045 (2.1)	4,123 (3.1)
आहरण द्वारा नकद शेष में कमी	-18,184 (-12.7)	7,225 (5.4)
अन्य #	12,612 (8.8)	-10,433 (-7.8)

#: बचत (कर योग्य) बांड 2003 और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मीयादी योजना शामिल।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े जीएफडी के प्रतिशत हैं।

बजटेतर मदें

II.4.22 यह मानते हुए कि राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे में सरकार की तेल, खाद्य और उर्वरक की देयताओं को शामिल नहीं किया जाता है, वर्ष 2008-09 के बजट के 'एक नजर में बजट'

सारणी 2.50 : बजट अनुमानों की तुलना में ग्यारहवीं योजना का पूर्वानुमान

(सघउ का प्रतिशत)

मद	2008-09	
	ग्यारहवी योजना का प्रक्षेपण	बजट अनुमान
1	2	3
केंद्र		
1. योजना को सकल बजट सहायता	4.51	4.59
<i>जिसमें से:</i>		
(i) योजना राजस्व व्यय	2.34	3.96
2. योजनेतर कुल	9.16	9.57
<i>जिसमें से:</i>		
(i) ब्याज भुगतान	3.18	3.60
(ii) रक्षा	2.20	1.99
(iv) राज्यों को योजनेतर अनुदान	0.72	0.82
(v) सब्सिडी	1.03	1.35
3. कुल व्यय	13.67	14.16
4. सकल कर राजस्व	11.83	12.97
<i>घटाएँ:</i> राज्यों का हिस्सा	3.22	3.37
5. केंद्र को निवल कर	8.62	9.56
6. करेतर राजस्व	1.82	1.81
7. कुल राजस्व प्राप्तियां	10.44	11.37
8. सकल राजकोषीय घाटा	3.00	2.51
9. राजस्व घाटा	0.00	1.04

में इन आंकड़ों को बिलो दि लाइन आइटम के रूप में सूचित किया गया है। राजकोषीय लेखांकन में और अधिक पारदर्शित लाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है (बॉक्स.II.13)।

केंद्र सरकार वित्त - अप्रैल-जून 2008

II.4.23 बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में, केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां अप्रैल-जून 2007 के 13.2 प्रतिशत से अप्रैल-जून 2008 में 13.7 प्रतिशत होकर मामूली रूप से बढ़ीं, जिसमें अधिक कर तथा करेतर राजस्व परिलक्षित होता है। बजट अनुमानों के प्रतिशत

सारणी 2.51: चुनिंदा देशों की केंद्र सरकारों के घाटा और ऋण संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

देश	राजकोषीय घाटा				लोक ऋण			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चीन	1.3	1.2	0.8	-0.7	18.5	17.9	17.3 प्र	..
रिपब्लिक ऑफ कोरिया	0.5	-0.1	1.3	1.5	25.2	29.5	32.2	33.3 प्र
भारत	4.0	4.1	3.5	2.8	63.3	63.1	61.2	61.7
इंडोनेशिया	1.1	0.5	1.0	1.2	55.2	45.6	38.6	35.7 प्र
मलेशिया	4.1	3.6	3.3	3.2	66.7	62.5	56.5 प्र	55.6 प्र
थाइलैंड	-0.1	0.6	-1.1	1.7	49.3	47.3	40.3	37.5

..: उपलब्ध नहीं प्र.: प्रक्षेपण।

टिप्पणी : ऋणात्मक चिह्न अधिशेष दर्शाते हैं।

- स्रोत : 1) एशिया इकॉनॉमिक मॉनिटर, दिसंबर 2007, एशियन डेवलपमेंट बैंक
2) केंद्रीय बजट दस्तावेज, भारत सरकार
3) 2007-08 के लिए अंतिम लेख, लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार।

बॉक्स II.13

बजट से इतर मदें तथा सरकारी वित्त

राजकोषीय पारदर्शिता की अंतर्राष्ट्रीय संहिता में इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि पिछले, वर्तमान तथा अनुमानित राजकोषीय कार्यकलाप तथा बड़े जाखिमों के बारे में जनता को विस्तृत सूचना प्रदान की जानी चाहिए (आइएमएफ, 2007)। संहिता में सरकारों से अपने बजट दस्तावेजों में, अंतिम लेखा सहित, अपने बजट संबंधी तथा बजट से इतर कार्यकलापों को शामिल करने के लिए कहा है। भारत में, बजट बाह्य मदें या बजटेतर मदें, विशेष रूप से पिछले कुछ समय से सरकार की देनदारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद द्वारा जुलाई 2007 में जारी इकॉनॉमिक आउटलुक 2007-08 में भी यह बताया गया है कि काफी बजटेतर देयताएं ऐसी थीं जिनको हिसाब में लिए जाने की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार पेट्रोलियम, खाद्य और उर्वरक पर प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के अलावा तेल मार्केटिंग कंपनियों (1997-98 से), भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) (2006-07) तथा उर्वरक कंपनियों (2007-08) की सहायता के लिए विशेष बांड भी आवधिक रूप में जारी कर रही है। जारी किए गए ऐसे बांड राजकोषीय घाटे की दृष्टि से निरपेक्ष होते हैं क्योंकि इनमें नकदी का अंतरण शामिल नहीं होता, इसलिए उन्हें बजट के व्यय/प्राप्तियों का हिस्सा नहीं माना जाता है। वर्तमान लेखा प्रथा के अनुसार जारी किए गए तेल बांडों या अन्य उसी प्रकार के बांडों को केन्द्र सरकार के बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण में (एएफएस) लोक लेखा में दर्शाया जाता है तथा तेल कंपनियों/उर्वरक कंपनियों के दावों के निपटान के लिए उसके समतुल्य लेन-देन राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्शाया जाता है। इसके बाद ये लेन-देन संबंधित समाधान विवरणों के माध्यम से व्यय बजट के राजस्व लेखे तथा प्राप्त बजट के पूंजी लेखे से घटा दिए जाते हैं। तथापि, इन बांडों के राजकोषीय निहितार्थ हैं क्योंकि वे सरकार की राजकोषीय देयताओं में जोड़े जाते हैं। इसके अलावा, इन पर अदा किए जाने वाले ब्याज को राजस्व व्यय का भाग माना जाता है, इससे यह राजस्व घाटे को प्रभावित करता है, जिसके कारण लगातार राजकोषीय घाटा होता रहता है।

यह मानते हुए कि राजस्व घाटे तथा सकल राजकोषीय घाटे को सरकार द्वारा तेल, खाद्य और उर्वरक के कारण वहन की जानेवाली देयताओं को हिसाब में न लेने के कारण कम आंका गया है, वर्ष 2008-09 में इन आंकड़ों को स्पष्ट रूप से सारांश बजट विवरण अर्थात् 'बजट एक नजर में' बिलो दि लाइन (लाभ निकालने के पहले वाली मद के रूप में) बजटेतर मदों के रूप में सूचित किया गया है जो कि इन मदों में पारदर्शिता लाने की दिशा में पहला कदम है। 2007-08 के संशोधित अनुमानों में 18,757 करोड़ रुपये की विशेष प्रतिभूतियां जारी की गयीं जिनमें से 11,257 करोड़ रुपये की तेल मार्केटिंग कंपनियों को तथा 7,500 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां उर्वरक कंपनियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जारी की गईं। वर्ष 2007-08 के दौरान तेल कंपनियों को वसूलियों के अंतर्गत तथा आकस्मिक देयताओं के निपटान के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में क्रमशः 20,233 करोड़ रुपये तथा 221 करोड़ रुपये की विशेष प्रतिभूतियां वास्तविक रूप में जारी की गईं। उर्वरक कंपनियों को उर्वरक आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति के रूप में 7,500 करोड़ रुपये की विशेष प्रतिभूतियां जारी की गईं। केंद्र सरकार ने भी भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर के राइट इश्यू में अपने अभिदान के रूप में भारतीय स्टेट बैंक को 9,996 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियां जारी कीं।

संदर्भ :

1. भारत सरकार (2007), 'इकॉनॉमिक आउटलुक-2007-08', प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक परामर्शदात्री परिषद, जुलाई।
2. भारत सरकार, केंद्रीय बजट दस्तावेज, विभिन्न अंक।
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2007), राजकोषीय पारदर्शिता के बारे में उचित व्यवहार संहिता, अप्रैल।

के रूप में कुल व्यय 22.5 प्रतिशत था जो कि अप्रैल-जून 2007 के 21.2 प्रतिशत की तुलना में अधिक (भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के स्टेक की अधिग्रहण राशि को घटाकर) था। योजना व्यय अप्रैल-जून 2008 में पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में बढ़कर 29.8 प्रतिशत हो गया (2007 में भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के स्टेक की अधिग्रहण राशि को समायोजित किया गया) जबकि गैर-योजना व्यय में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में, अप्रैल-जून 2008 में राजस्व घाटा 2007 की तदनु रूप अवधि के 96.0 प्रतिशत से बढ़कर 138.7 प्रतिशत हो गया। अप्रैल-जून 2008 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 86,126 करोड़ रुपए था जो कि बजट अनुमानों का 64.6 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2007 के तदनु रूप अवधि के दौरान यह 50.9 प्रतिशत (भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के स्टेक की अधिग्रहण लागत को घटाकर) था।

राज्य बजट 2008-09

II.4.24 राज्य सरकारों ने वर्ष 2008-09 के अपने बजटों में राजकोषीय सुधार तथा समेकन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। 2008-09 के बजट अनुमानों में राज्यों का समेकित राजस्व अधिशेष वर्ष 2007-08 (सं.अ.) के 22,526 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.48 प्रतिशत) की तुलना में 28,426 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.54 प्रतिशत) होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप, सकल राजकोषीय घाटा 2007-08 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद के 2.3 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। 2008-09 (सं.अ.) में समेकित प्राथमिक घाटा पिछले वर्ष के समान सकल घरेलू उत्पाद 0.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। (सारणी 2.52 तथा परिशिष्ट सारणी 30)।

II.4.25 2008-09 के दौरान राजस्व खाते में वृद्धि को मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा जो राज्यों के अपने

आर्थिक समीक्षा

सारणी 2.52: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2007-08	2008-09
	औसत					ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल राजकोषीय घाटा	(2.8)	(3.4)	(4.0)	90,084	77,509	108,323	107,958	112,653
राजस्व घाटा	(0.7)	(1.7)	(2.2)	7,013	-24,857	-11,973	-22,526	-28,426
प्राथमिक घाटा	(1.1)	(1.4)	(1.3)	6,060	-15,654	5,648	5,080	4,270

ब.अ.: बजट अनुमान। सं.अ.: संशोधित अनुमान।

टिप्पणी: 1. ऋणात्मक चिन्ह अधिशेष दर्शाते।
2. कोष्ठक के आंकड़े सघट के प्रतिशत हैं।
3. 2006-07 के लिए सघट के आंकड़े सीएसओ के त्वरित अनुमान और 2007-08 के लिए सघट के आंकड़े इसके संशोधित अनुमानों पर आधारित हैं। 2008-09 के सघट के आंकड़े 2008-09 के केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज के अनुसार हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

कर राजस्व, केंद्र से शेरर योग्य करों एवं अनुदानों में वृद्धि से प्राप्त होगा (सारणी 2.53)। राजस्व आवर्धन राजकोषीय स्पेस निर्माण करने का एक उपाय है जिसने नियम-आधारित राजकोषीय ढांचे के

अंतर्गत उधार राशियों द्वारा व्यय के वित्त पोषण को परोक्ष रूप से सीमित किए जाने के कारण अतिरिक्त महत्व प्राप्त किया है (बॉक्स II.14)।

सारणी 2.53: राज्य सरकारों की सकल प्राप्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2007-08	2008-09	प्रतिशत घट-बढ़		
	(औसत)					ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.	स्तंभ 8/6	स्तंभ 8/7	स्तंभ 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समग्र प्राप्तियां (1+2)	(16.0)	(14.8)	(17.2)	5,95,627	6,73,358	7,67,695	7,63,367	8,95,307	13.4	-0.6	17.3
1. कुल राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	(12.0)	(10.7)	(11.2)	4,31,020	5,30,556	6,06,733	6,28,742	7,19,835	18.5	3.6	14.5
(क) राज्यों का अपना राजस्व	(7.2)	(6.7)	(7.0)	2,60,246	3,15,812	3,53,229	3,55,970	4,03,658	12.7	0.8	13.4
राज्यों का अपना कर	(5.3)	(5.1)	(5.6)	2,12,307	2,52,548	2,94,038	2,93,392	3,36,810	16.2	-0.2	14.8
राज्यों का अपना करेतर	(1.8)	(1.6)	(1.4)	47,939	63,263	59,191	62,578	66,848	-1.1	5.7	6.8
(ख) केंद्रीय अंतरण	(4.8)	(4.0)	(4.2)	1,70,774	2,14,744	2,53,504	2,72,773	3,16,177	27.0	7.6	15.9
साझायोग्य कर	(2.6)	(2.4)	(2.4)	94,024	1,20,293	1,36,184	1,48,134	1,73,147	23.1	8.8	16.9
केंद्रीय अनुदान	(2.3)	(1.6)	(1.8)	76,750	94,451	1,17,320	1,24,638	1,43,030	32.0	6.2	14.8
2. पूंजी प्राप्तियां (क+ख)	(4.0)	(4.1)	(6.0)	1,64,607	1,42,802	1,60,962	1,34,625	1,75,472	-5.7	-16.4	30.3
(क) केंद्र से ऋण @	(1.9)	(1.7)	(1.0)	8,097	5,529	14,918	11,291	15,349	104.2	-24.3	35.9
(ख) अन्य पूंजी प्राप्तियां	(2.1)	(2.4)	(5.0)	1,56,510	1,37,273	1,46,043	1,23,334	1,60,123	-10.2	-15.5	29.8

ब.अ. : बजट अनुमान सं.अ.: संशोधित अनुमान

@ : 1999-2000 से लेखा प्रणाली में बदलाव के कारण, अल्प बचत में राज्यों के हिस्से को, जिसे पहले केंद्र से ऋण में शामिल किया जाता था, आंतरिक ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा इसे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दिखाया गया है। तथापि, इस सारणी में रिपोर्ट किए गए 1999-2000 से पूर्व के आंकड़ों में तुलनीयता की दृष्टि से, अल्प बचत पर लिए गए ऋण को निकाल दिया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े सघट के प्रतिशत में हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

बॉक्स II.14:

राज्य सरकार स्तर पर राजकोषीय स्पेस

राजकोषीय स्पेस (फिस्कल स्पेस) की संकल्पना अनेक तरीकों से की गई है और संकल्पना अभी भी विकसित किए जाने के स्तर पर है। इसे 'अपने साख को हानि पहुंचाए बिना सरकार द्वारा किए जा सकने वाले व्यय के वर्तमान स्तर और व्यय के अधिकतम स्तर के अंतर' (आईएमएफ -वर्ल्ड बैंक, 2006) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे सरकार की वित्तीय स्थिति की निरंतरता को क्षति पहुंचाए बिना वांछित प्रायोजनों के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराने में बजट संबंधी गुंजाइश की उपलब्धता की सरकार को अनुमति देने (हिलर, 2005) के तौर पर भी परिभाषित किया जा सकता है। ये दोनों परिभाषाएं अवशिष्ट की दृष्टि से (अंतर या गुंजाइश) राजकोषीय स्पेस की संकल्पना करती हैं। इसके विपरीत, राजकोषीय स्पेस की विशेषता को 'घरेलू संसाधन जुटाने में बढ़ोतरी के लिए टोस नीतिगत कार्रवाई एवं सक्षम शासन-प्रणाली को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुधारों, इन नीतिगत कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए संस्थागत और आर्थिक माहौल' (राय और अन्य, 2007) के रूप में भी देख सकते हैं। इस परिभाषा में घरेलू संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करना इस तथ्य को उजागर करता है कि अंततः किसी अर्थव्यवस्था की निरंतरता और साख इस बात पर निर्भर करती है कि (क) किस हद तक घरेलू वित्तपोषण प्रणाली लोक व्यय की सहायता में सक्षम है, और (ख) तथ्यात्मक रूप से स्थाई तरीके से संसाधनों को जुटाना राजनैतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का कार्य है जिसके अधीन राजकोषीय स्पेस प्राप्त किया जाता है।

परिचालनगत संदर्भ में राजकोषीय स्पेस देश-विशिष्ट मामला है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के लिए राजकोषीय स्पेस एक तात्कालिक मुद्दा प्रतीत होता है क्योंकि यह अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश उपलब्ध कराएगा जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा जैसे कुछ महत्वपूर्ण खर्चों की ओर उपलब्ध कराई जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप मध्यावधि विकास बढ़ेगा और दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था का राजस्व आधार बढ़ेगा। हालांकि, विशेष क्रियाकलाप के लिए राजकोषीय स्पेस का निर्माण करते वक्त सरकार के लिए यह आकलन करना आवश्यक होगा कि क्या इससे संबंधित किसी भविष्य के व्यय को सरकार के सामान्य राजस्व से पूरा किया जा सकेगा। यदि सरकार के पिछले ऋण के पुनर्भुगतान के लिए राजकोषीय स्पेस का निर्माण किया गया है तो सरकार भविष्य में ब्याज बहिर्गमन संबंधी धन बचा सकती है (तांजी 2007)। इसके विपरीत, यदि सरकार की भविष्य का बजट संबंधी व्यय सरकार के अनुमानित प्रतिबद्ध व्यय के साथ जुड़ा हुआ है तो यह भविष्य में सरकार के महत्वपूर्ण व्ययों के लिए नकारात्मक राजकोषीय स्पेस का निर्माण करेगा।

राज्य सरकारों के वित्त के संदर्भ में राजकोषीय स्पेस महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि केंद्र सरकार की तुलना में व्यय संबंधी उनका उत्तरदायित्व अधिक है। राज्य स्तर पर राजकोषीय स्पेस का निर्माण अनेक तरीकों से किया जा सकता है जैसे कर की दरों में बढ़ोतरी करना, कर प्रशासन को मजबूत करना, कम प्राथमिकता वाले व्यय में कटौती करना, व्यय कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना, अतिरिक्त उधार लेना और केंद्र सरकार से अधिक धन प्राप्त करना (हिलर, 2005)। यद्यपि राजकोषीय स्पेस के निर्माण का वांछनीय तरीका कम प्राथमिकता वाले व्यय में कटौती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसा करने से कोई खास क्षेत्र कमजोर नहीं होता हो, जिससे कि भविष्य में संपूर्ण क्षेत्र के पुनर्निर्माण की लागत से बचा जा सके। इसी प्रकार, यदि राजकोषीय स्पेस का निर्माण अतिरिक्त उधार राशियों से किया जाता है, तो इसका मूल्यांकन ऋण चुकाने के लिए आवश्यक राजस्व जुटाने में सरकार की क्षमता पर इसके

प्रभाव के संदर्भ में किया जाए।

आनेवाले दशकों में जनसांख्यिकीय अधिकता का फायदा उठाने के लिए भारत में राजकोषीय स्पेस का निर्माण महत्वपूर्ण है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज बताते हैं कि 9 प्रतिशत की वृद्धि को प्राप्त करने के लिए देश की बुनियादी ढांचागत कमी को दूर करना आवश्यक है। राजकोषीय स्पेस का निर्माण देश को सामाजिक और वास्तविक दोनों बुनियादी ढांचों में प्रचुर निवेश करने में सक्षम बनाएगा। राज्यों द्वारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की तुलना में स्वयं के कर के अनुपात को बढ़ाया जाना संभवतः भारत में, राज्य स्तर पर राजकोषीय स्पेस निर्माण का तरीका है। इस प्रकार, कर राजस्व को बढ़ाने और गैर-विकासत्मक व्ययों को कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू की गयी पहल भारत में राज्य स्तरीय सरकारों में प्रत्यक्ष रूप से राजकोषीय स्पेस का निर्माण करेगी। इसके अलावा, आर्थिक सहायता दिए जा सकने वाले क्षेत्र की बेहतर पहचान कर गैर-आवश्यक आर्थिक सहायता में कमी कर भी राजकोषीय स्पेस का निर्माण किया जा सकता है।

2002-05 के दौरान परिचालित ऋण अदला-बदली योजना और बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण समेकन और राहत योजना (डीसीआरएफ) ने ब्याज भुगतान पर व्यय में कमी कर भारत के राज्यों में राजकोषीय स्पेस का निर्माण किया। विशेष प्रयोजन संस्थाओं के माध्यम से पृथक राजकोषीय स्पेस का निर्माण करने का प्रयास कुछ राज्य कर रहे हैं। अपने बजट पर भविष्य में पड़ने वाले दबाव से बचने के लिए राज्यों को एसपीवी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रतिलाभ की दर को पर्याप्त सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए। हाल के वर्षों में, राज्य सरकारों ने राजकोषीय स्पेस के निर्माण के लिए जमीन और संपत्ति की बिक्री जैसे कुछ एकल उपायों की भी पहल की है। हालांकि, ऐसे राजकोषीय स्पेस द्वारा वित्तपोषित व्यय यदि भविष्य में और अधिक व्यय की मांग करते हैं तो भविष्य में यह सामान्य बजट पर दबाव डाल सकती है। इसके अलावा, अनेक राज्य सरकारों ने बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए राजकोषीय स्पेस के निर्माण में सरकारी-निजी सहभागिता (पीपीपी) का प्रयोग किया है। पीपीपी के माध्यम से राज्य सरकारें लोक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋणोत्तर निर्माण तरीके से निजी निधियों तक पहुंच बना सकती हैं।

संदर्भ:

1. भारत सरकार (2007), 'ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज
2. हिलर, पी.एस. (2005), 'अंडरस्टैंडिंग फिस्कल स्पेस', *पॉलिसी डिसकसन पेपर*, आईएमएफ
3. आईएमएफ-वर्ल्ड बैंक, (2006) *इंटरिम रिपोर्ट ऑन फिस्कल पॉलिसी फॉर ग्रोथ एंड डिवलपमेंट*, राजकोषीय नीति और विकास पर संयुक्त वर्ल्ड बैंक - आईएमएफ बोर्ड की विकास समिति
4. रॉय, रथीन और अन्य (2007), 'फिस्कल स्पेस फार वॉट ? इनालिटिकल इशू फ्राम ह्यूमन डिवलपमेंट प्रास्वेक्टिव', राजकोषीय नीति पर जी-20 कार्यशाला में प्रस्तुत पेपर, जुलाई 1-2, इस्तांबुल
5. तांजी, वी. (2007), 'कैन फिस्कल डिसेन्ट्रलाइजेशन क्रिएट फिस्कल स्पेस?' राजकोषीय नीति पर जी-20 कार्यशाला में प्रस्तुत पेपर, जुलाई 1-2, इस्तांबुल

आर्थिक समीक्षा

सारणी : 2.54: राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	1990-95 1995-00 2000-05			2005-06	2006-07	2007-08	2007-08	2008-09	प्रतिशत घट-बढ़		
	औसत								ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समग्र व्यय (1+2=3+4+5)	(15.9)	(14.9)	(17.1)	5,61,682	6,57,280	7,66,620	7,87,489	8,92,783	19.8	2.7	13.4
1. राजस्व व्यय जिसमें से:	(12.7)	(12.4)	(13.4)	4,38,034	5,05,699	5,94,760	6,06,216	6,91,409	19.9	1.9	14.1
ब्याज भुगतान	(1.7)	(2.0)	(2.7)	84,024	93,164	1,02,675	1,02,878	1,08,383	10.4	0.2	5.4
2. पूंजी व्यय जिसमें से:	(3.2)	(2.5)	(3.6)	1,23,648	1,51,582	1,71,859	1,81,273	2,01,374	19.6	5.5	11.1
पूंजी परिव्यय	(1.5)	(1.4)	(1.6)	77,559	98,063	1,18,796	1,28,331	1,45,159	30.9	8.0	13.1
3. विकास व्यय	(10.7)	(9.4)	(9.4)	3,30,044	3,92,165	4,67,695	4,93,563	5,57,116	25.9	5.5	12.9
4. विकासेतर व्यय	(4.3)	(4.8)	(5.9)	1,90,021	2,11,872	2,46,130	2,41,019	2,75,609	13.8	-2.1	14.4
5. अन्य*	(0.9)	(0.7)	(1.7)	41,617	53,243	52,794	52,907	60,058	-0.6	0.2	13.5
	(0.9)	(0.7)	(1.7)	(1.2)	(1.3)	(1.1)	(1.1)	(1.1)			

बअ: बजट अनुमान। संअ: संशोधित अनुमान।
 * : इसमें स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और आंबटन सहायता अनुदान और अंशदान, आंतरिक ऋण का निपटान, केंद्र को ऋणों की चुकौती शामिल है।
टिप्पणी : कोषक के आंकड़े सघट के प्रतिशत हैं।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

II.4.26 राजस्व व्यय, विशेष रूप से पेंशन और ब्याज के भुगतान के संबंध में होने वाले व्यय में कमी लाकर भी राजस्व अधिशेष में बढ़ोतरी की जा सकती है। जीडीपी के अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय पिछले वर्ष की तरह 2008-09 (बअ) में 2.7 प्रतिशत बना रहेगा। यह नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 (बअ) में विकासात्मक व्यय में कमी का अनुमान है जबकि गैर-विकासात्मक व्यय में बढ़ोतरी का अनुमान है (सारणी 2.54)। विकास व्यय में कमी चिंता का विषय है क्योंकि सामाजिक और अर्थिक विकास के लिए विकासात्मक मदों पर सार्वजनिक व्यय आवश्यक है। राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है कि वे व्यय को युक्तिसंगत बनाने संबंधी उपाय करें ताकि सार्वजनिक और आवश्यक समानों के प्रावधान पर ध्यान दिया जा सके (बॉक्स II.15)।

II.4.27 राजस्व अधिशेष से, जो कि 2008-09 (ब. अ.) में सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत होने का अनुमान है, पूंजीगत परिव्यय के एक भाग का वित्तपोषण होगा। 2008-09 (बजट अनुमान) में सकल राजकोषीय घाटे की प्रमुख वित्तपोषक मदों में बाजार से ली गई उधार राशियां (56.7 प्रतिशत) होंगी, और उसके

बाद एनएसएसएफ (19.8 प्रतिशत) को जारी विशेष प्रतिभूतियां और भविष्य निधियां (11.5 प्रतिशत) होंगी (सारणी 2.55 और परिशिष्ट सारणी 32)।

II.4.28 केंद्र से राज्यों को संसाधन अंतरण के संबंध के राज्यों के बजट के साथ-साथ 2008-09 के केंद्रीय बजट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 2008-09 के दौरान राज्यों ने केंद्र से मिलनेवाले अनुदानों का अधिक अनुमान लगाया है जबकि बांटे जाने वाले केंद्रीय करों को कम आंका है। राज्यों के बजट में एनएसएसएफ से प्राप्त होनेवाली राशि और केंद्र से ऋणों को वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में घोषित की गयी राशि की तुलना में 2008-09 के लिए अधिक आंका गया है। वर्ष 2008-09 के केंद्रीय बजट में उल्लिखित न्यागमन एवं अंतरण के आँकड़ों के अनुसार राज्यों का राजस्व अधिशेष कुछ कम होगा जबकि सकल राजकोषीय घाटा राज्य सरकारों के बजट प्रावधान से ज्यादा होगा।

2008-09 के लिए संयुक्त वित्त

II.4.29 वर्ष 2008-09 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त बजट संबंधी स्थिति का अवलोकन यह संकेत करता है कि वास्तविक

बॉक्स II.15
राज्य सरकारों के लोक व्यय का स्वरूप

भारतीय संविधान के अनुसार सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक बुनियादी ढांचों से संबंधित व्यय की जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों को सौंपा गया है। मानव विकास स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इच्छित परिणाम पाने के लिए राज्यों को अपनी मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने व्यय को बढ़ाना होगा, इसके साथ-साथ लोक सेवाएं प्रदान करने वाली प्रणालियों में सुधार लाना होगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएफ) के ढांचे के अंतर्गत, अधिकांश राज्यों के परिचालनों में, घाटे या उधार द्वारा वित्तपोषण कर लोक व्यय में टोस वृद्धि करने में बजट संबंधी मुश्किलें हैं। इससे राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे सामाजिक और अन्य विकासात्मक व्यय में वित्तीय स्पेस को बढ़ाने में व्यय को युक्ति संगत बनाने के उपायों के साथ राजस्व आधारित रणनीति को अपनाने की आवश्यकता सामने आई है।

राज्य सरकारों के समेकित व्यय के स्वरूप का आकलन यह उजागर करता है कि जीडीपी के अनुपात के तौर पर उनका कुल औसत व्यय (राजस्व और पूंजी) 1991-95 के 15.9 प्रतिशत से अचानक घटकर 1996-2000 में 14.9 प्रतिशत हो गया, जो राजस्व और पूंजी दोनों घटकों में गिरावट को दर्शाता है (सारणी - क)। वर्ष 2001-05 के दौरान अनुपात सुधरकर 17.1 प्रतिशत हो गया था, लेकिन 2006-07 में घटकर 15.9 प्रतिशत हो गया। 1990 के दूसरे भाग में राज्य वित्त को ह्रास की ओर ले जाने वाले सकल व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के दबाव की तुलना में वर्तमान दशक में राजकोषीय दायित्व विधान ढांचे के अधीन राजकोषीय समेकन ने राजस्व प्राप्ति में वृद्धि और राजस्व व्यय में कमी की। राज्यों के राजस्व शेष में परिणामी वृद्धि ने जीडीपी की तुलना में पूंजीगत व्यय में सामान्य वृद्धि की है।

लोक व्यय को बढ़ाने की सीमा को देखते हुए राज्य सरकारें व्यय सुधार आयोगों का गठन कर रहीं हैं और व्यय को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में अनेक उपाय कर रहीं हैं। राज्य सरकारों की व्यय में गैर-विकासात्मक घटकों की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरों पर व्यय सुधार चुनौती बने हुए हैं। राजकोषीय घाटे के बढ़ते हुए स्तर के साथ, राज्य सरकारों के व्ययों का बड़ा भाग ब्याज भुगतान होता है, जो 1991-95 के जीडीपी के 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001-05 के दौरान जीडीपी का 2.7 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय समेकन प्रक्रिया के अधीन राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदम और राज्य सरकारों की देयताओं की पुनर्संरचना हाल के वर्षों का सकारात्मक पक्ष था, जिसने जीडीपी के ब्याज भुगतानों के अनुपातों में कमी को बढ़ावा दिया। मुख्यतः ऋण अदला-बदली योजना (2002-05) और बारहवीं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत की गई गैर-ऋण समेकन और राहत सुविधा के कारण 2003-04 में जीडीपी के 2.9 प्रतिशत की उँचाई को छूने के पश्चात ब्याज भुगतान 2006-07 में घटकर जीडीपी का 2.2 प्रतिशत हो गया। दूसरा, अन्य आवश्यक गैर-निवल प्रयोज्य घटक-पेंशन दायित्वों ने 1991-95 में जीडीपी के 0.6 प्रतिशत की तुलना में 2001-05 में 1.2 प्रतिशत तक वृद्धि 19 राज्य सरकारों को परिभाषित अंशदान आधार पर नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू करने पर बाध्य किया। इसने पेंशन दायित्वों को स्थिर कर इसमें कमी की। तीसरा, 1990 के दशक की शुरुआत से ही सरकारी कर्मियों की वृद्धि में रोक की नीति के फलस्वरूप प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय अपेक्षाकृत स्थिर है।

सारणी - क - राज्य सरकारों के व्यय की प्रवृत्तियां

मद	जीडीपी का प्रतिशत							
	1990-91	1995-96	2000-01	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
	से से से			(सं.अ.) (ब.अ.)				
1994-95 1999-00 2004-05								
औसत								
कुल व्यय (1+2)	15.9	14.9	17.1	15.7	15.9	16.7	16.8	
1. राजस्व व्यय	12.7	12.4	13.4	12.2	12.2	12.9	13.0	
जिसमेंसे:								
(क) ब्याज भुगतान	1.7	2.0	2.7	2.3	2.2	2.2	2.0	
(ख) पेंशन	0.6	0.8	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	
(ग) प्रशासनिक सेवाएं	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.2	
2. पूंजीगत व्यय	3.2	2.5	3.6	3.5	3.7	3.8	3.8	
जिसमेंसे:								
(क) पूंजीगत परिव्यय	1.5	1.4	1.6	2.2	2.4	2.7	2.7	
(ख) ऋण और अग्रिम	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	
ज्ञान मदें:								
(i) विकासात्मक व्यय	10.7	9.4	9.4	9.2	9.5	10.5	10.5	
(ii) सामाजिक क्षेत्र व्यय	5.8	5.5	5.5	5.3	5.4	6.1	6.3	

संअ: संशोधित अनुमान बअ: बजट अनुमान
स्रोत: राज्य वित्त - विभिन्न वर्षों के बजटों का अध्ययन

इस प्रकार, हाल के वर्षों में विकासत्मक उद्देश्यों के लिए व्यय में वृद्धि हुई है। हालांकि, यह अभी भी 1990 के दशक की शुरुआत में प्राप्त किए गए स्तरों से कम है। जीडीपी के अनुपात के तौर पर औसत विकासात्मक व्यय (राजस्व और पूंजी) 1990-91 से 1994-95 तक 10.7 प्रतिशत से घटकर 2001-05 के दौरान 9.4 प्रतिशत हो गया लेकिन 2008-09 (बअ) में 10.5 प्रतिशत तक बढ़ने का बजट प्रावधान है। जीडीपी के अनुपात के तौर पर औसत सामाजिक क्षेत्र व्यय (सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रह एवं भंडारण) 1991-95 और 2001-05 के बीच 5.8 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत हो गया लेकिन 2008-09 (बअ) में 6.3 प्रतिशत तक बढ़ने का बजट प्रावधान है।

राज्य सरकारों के वर्तमान व्ययों का स्वरूप से लोक व्यय प्रबंध सुधारने से संबंधित अनेक मुद्दे सामने आ रहे हैं। पहला, राज्यों को एफआरएल के नियम आधारित ढांचे के अंतर्गत राजकोषीय अनुशासन (हार्ड बजट बाध्यताओं) का पालन करना होगा। दूसरा विशेषकर हाल के वर्षों में ऋण चुकौती में आई गिरावट के कारण कम हुए वित्तीय स्पेस को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक व्ययों हेतु आबंटन में सुधार की आवश्यकता है। तीसरा, केवल आम लोगों एवं आवश्यक वस्तुओं के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित कर राज्य व्ययों का पुनः प्राथमिकीकरण किया जा सकता है। अंततः, राज्य सरकारें व्यय को सरकारी व्यय की गुणवत्ता, पहुंच और प्रभाव के संदर्भ में उनके परिणामों से जोड़ सकती हैं।

संदर्भ:

1. चीक, एलेन (2007), 'मैनेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर' राजकोषीय नीति पर जी-20 वर्कशाप में प्रस्तुत पेपर, जुलाई 1-2, इस्तांबुल
2. सेन, टी.के और के. करमरकर (2007), 'मानव विकास के लिए लोक व्यय का पुनः प्राथमिकीकरण' वर्किंग पेपर सं-2, मानव विकास का वित्तपोषण, राष्ट्रीय लोक वित्तपोषण और नीति संस्थान, जून।

आर्थिक समीक्षा

सारणी 2.55 : राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का घटकवार विभाजन और वित्तपोषण का स्वरूप

(प्रतिशत)

मद	1990-95	1995-00	2000-05	2005-06	2006-07	2007-08	2007-08	2008-09
	औसत					ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विभाजन (1+2+3+4)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1. राजस्व घाटा	25.2	47.1	54.6	7.8	-32.1	-11.1	-20.9	-25.2
2. पूंजी परिव्यय	55.4	43.1	40.5	86.1	126.5	109.7	118.9	128.9
3. दिए गए निवल उधार	19.4	10.0	4.9	6.1	8.0	10.7	9.8	9.7
4. ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियां*	-	0.2	-	-	2.5	9.3	7.8	13.3
वित्तपोषण (1 से 11)								
1. बाजार उधार	16.1	16.4	26.4	17.0	16.8	24.3	58.9	56.7
2. केंद्र से ऋण	48.8	39.7	4.3	-	-12.2	6.0	2.9	5.9
3. एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों पर ऋण	-	28.9 #	40.2	81.9	72.9	49.6	9.1	19.8
4. एलओइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	1.8	2.9	4.0	4.5	1.0	7.3	6.2	6.0
5. राज्य भविष्य निधि इत्यादि	17.6	16.2	10.1	11.6	13.4	11.4	11.3	11.5
6. आरक्षित निधि	6.8	5.6	5.0	5.8	9.8	3.9	-8.9	1.1
7. जमाराशियां और अग्रिम	9.9	9.9	4.2	8.1	16.5	1.4	4.7	4.3
8. उचंत और विविध	4.3	2.8	-0.8	8.8	6.1	-1.3	-4.5	-1.6
9. विप्रेषण	-1.4	-3.7	0.7	0.1	-0.4	-	-0.3	0.1
10. अन्य	0.7	1.4	4.7	-	-3.3	-1.5	-1.6	-1.4
11. समग्र अधिशेष (-) / घाटा (+)	-4.5	3.0	1.2	-37.7	-20.7	-1.0	22.3	-2.2

बअ : बजट अनुमान । संअ: संशोधित अनुमान । -: लागू नहीं।
 * : विनिवेश और जमीन की बिक्री से प्राप्त आय सहित।
 # : केवल 1999-2000 से संबंधित क्योंकि यह उसी वर्ष से शुरू हुआ।
 टिप्पणी : 'अन्य' में क्षतिपूर्ति और अन्य बांड, अन्य संस्थानों से ऋण, आकस्मिक निधि का विनियोजन, अंतर-राज्य निपटान और आकस्मिक निधि शामिल है।
 स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

और सकल घरेलू उत्पाद दोनों अर्थों में घाटे के महत्वपूर्ण संकेतकों में उल्लेखनीय रूप से कमी आने का अनुमान लगाया गया है (सारणी 2.56)। संयुक्त बजटीय स्थिति की उल्लेखनीय विशेषता समेकित

सारणी 2.56: केंद्र और राज्य सरकारों के घाटे की मात्रा

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)			सघट का प्रतिशत		
	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	53,580	23,871	28,585	9.4	4.2	5.0
1995-96	77,671	37,932	18,598	6.5	3.2	1.6
2000-01	1,99,852	1,38,803	75,035	9.5	6.6	3.6
2002-03	2,34,987	1,62,990	75,927	9.6	6.6	3.1
2003-04	2,34,501	1,59,408	56,928	8.5	5.8	2.1
2004-05	2,34,721	1,14,761	42,408	7.5	3.6	1.3
2005-06	2,39,560	99,312	35,583	6.7	2.8	1.0
2006-07	2,30,432	55,366	-399	5.6	1.3	0.0
2007-08 संअ	2,47,831	40,959	-15,905	5.3	0.9	-0.3
2008-09 बअ	2,44,460	26,758	-43,017	4.6	0.5	-0.8

बअ: बजट अनुमान । संअ: संशोधित अनुमान।
 टिप्पणी : राज्यों से संबंधित आकड़े 28 राज्यों के बजट से संबंधित हैं।

राज्य वित्त के राजस्व खाते में उल्लेखनीय अधिशेष के बनने के कारण एवं नियम आधारित एफआरबीएम ढांचे के अंतर्गत केंद्र सरकार के राजस्व घाटे की कमी सहित वर्ष 2008-09 (बअ) सहित हाल ही के वर्षों में आकड़ों में देखी गयी कमी का लगातार बने रहना है।

II.4.30 मुख्यतः कर राजस्व में वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होने का अनुमान है (सारणी 2.57)। संयुक्त कर - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2007-08 के 18.5 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 19.2 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। अनुमान है कि व्यय के क्षेत्र में, कुल व्यय में विकास व्यय का हिस्सा वर्ष 2007-08 के 54.4 प्रतिशत संशोधित अनुमान से बढ़कर 2008-09 में बजट अनुमान में 56.2 प्रतिशत हो जाएगा।

II.4.31 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान बाजार उधारी के जरिए संयुक्त जीएफडी के वित्तपोषण का स्तर कम आंका गया है। हालांकि राज्य भविष्य निधि के हिस्से में आंशिक वृद्धि का अनुमान है, तथापि आधारभूत प्रभाव के कारण जीएफडी के वित्तपोषण के लिए लघु बचत का अंशदान 2008-09 में अधिक बढ़ने का बजट अनुमान है (सारणी 2.58)।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 2.57: केंद्र और राज्यों की सम्मिलित प्राप्तियां और संवितरण

मदें	(राशि करोड़ रुपए में)			
	2007-08 सं.अ.	2008-09 ब.अ.	घट-बढ़ राशि प्रतिशत	
1	2	3	4	5
कुल प्राप्तियां (अ+आ)	13,31,711	14,88,330	1,56,619	11.8
अ. राजस्व प्राप्तियां (1+2)	10,55,165 (22.4)	12,08,804 (22.8)	1,53,639	14.6
1. कर प्राप्तियां (क+ख)	8,73,299 (18.5)	10,17,107 (19.2)	1,43,808	16.5
क) प्रत्यक्ष कर	3,42,750 (7.3)	4,08,659 (7.7)	65,909	19.2
ख) अप्रत्यक्ष कर	5,30,549 (11.3)	6,08,448 (11.5)	77,899	14.7
2. करेतर प्राप्तियां	1,81,866 (3.9)	1,91,697 (3.6)	9,831	5.4
आ. पूंजी प्राप्तियां	2,76,546 (5.9)	2,79,526 (5.3)	2,980	1.1
कुल संवितरण (इ+ई)	13,55,830 (28.8)	14,85,535 (28.0)	1,29,705	9.6
इ. विकास व्यय	7,36,974 (15.6)	8,34,345 (15.7)	97,371	13.2
ई. विकासेतर व्यय *	6,18,856 (13.1)	6,51,190 (12.3)	32,334	5.2

संअ : संशोधित अनुमान। बअ: बजट अनुमान।
: भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक का अंश स्वामित्व (स्टेक) सरकार को अंतरिम करने से संबंधित लेनदेन के कारण 35,531 करोड़ रुपए समायोजित किए गए।
टिप्पणी: 1. कोष्ठकों के आंकड़े सघट के प्रतिशत हैं।
2. राज्यों से संबंधित आंकड़े 28 राज्यों के बजट से संबंधित हैं।

सामाजिक क्षेत्र व्यय

II.4.32 सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में संयुक्त सामाजिक क्षेत्र व्यय में वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी के साथ 8.5 प्रतिशत होने का बजट अनुमान है (सारणी

सारणी 2.59: सामाजिक क्षेत्र पर केंद्र और राज्यों का सम्मिलित व्यय

वर्ष	(राशि करोड़ रुपए में)			
	2006-07	2007-08 ब.अ.	2007-08 सं.अ.	2008-09 ब.अ.
1	2	3	4	5
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय*	3,25,351	3,71,877	3,87,527	4,50,151
जिसमें से:				
सामाजिक सेवाएं	2,41,340	2,96,212	3,05,290	3,59,181
जिसमें से:				
i) शिक्षा	1,14,744	1,33,284	1,35,679	1,60,642
ii) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	52,126	65,158	66,423	75,055
सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत				
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय	7.8	7.9	8.2	8.5
जिसमें से:				
सामाजिक सेवाएं	5.8	6.3	6.5	6.8
जिसमें से:				
i) शिक्षा	2.8	2.8	2.9	3.0
ii) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1.3	1.4	1.4	1.4
कुल व्यय का प्रतिशत				
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय	29.3	28.4	28.6	30.3
जिसमें से:				
सामाजिक सेवाएं	21.8	22.6	22.5	24.2
जिसमें से:				
i) शिक्षा	10.3	10.2	10.0	10.8
ii) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4.7	5.0	4.9	5.1
* : सामाजिक क्षेत्र संबंधी व्यय में सामाजिक संवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्यान्न सप्लाय शामिल हैं।				
नोट : राज्यों से संबंधित आंकड़े 28 राज्यों के बजट से संबंधित हैं।				

2.59)। शिक्षा पर व्यय का हिस्सा सामाजिक सेवाओं के व्यय का 44.6 प्रतिशत होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा अधिक है।

सारणी 2.58: केंद्र और राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	बाजार उधार	राज्य भविष्य निधि	अल्प बचत	बाह्य सहायता	अन्य	सकल राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5	6	7
2005-06	1,21,546 (50.7)	15,388 (6.4)	89,836 (37.5)	7,472 (3.1)	5,318 (2.2)	2,39,560 (100.0)
2006-07	1,27,858 (55.5)	15,188 (6.6)	63,746 (27.7)	8,472 (3.7)	15,168 (6.6)	2,30,432 (100.0)
2007-08 बअ	1,37,134 (53.5)	15,659 (6.1)	57,500 (22.4)	9,111 (3.6)	36,882 (14.4)	2,56,286 (100.0)
2007-08 संअ	1,74,280 (70.3)	15,193 (6.1)	8,827 (3.6)	9,970 (4.0)	39,561 (16.0)	2,47,831 (100.0)
2008-09 बअ	1,62,842 (66.6)	16,301 (6.7)	28,498 (11.7)	10,989 (4.5)	25,830 (10.6)	2,44,460 (100.0)

बअ: बजट अनुमान। संअ: संशोधित अनुमान।
टिप्पणी: 1. कोष्ठकों के आंकड़े सघट के प्रतिशत हैं।
2. राज्यों से संबंधित आंकड़े 28 राज्यों के बजट से संबंधित हैं।

II.4.33 अंत में, राज्य वित्त में महत्वपूर्ण सुधार के कारण 2008-09 के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त में उल्लेखनीय सुधार होने का अनुमान है। अनेक राज्य सरकारों के राजस्व खातों में संभावित आधिक्य के कारण 2008-09 के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों के घाटे के महत्वपूर्ण संकेतकों में एक वर्ष पहले की अपेक्षा कमी आने का अनुमान है। राजकोषीय वित्तीय समेकन प्रक्रिया को कर - जीडीपी अनुपात में वृद्धि के जरिए आगे बढ़ाना परिकल्पित है जो निरंतर आर्थिक वृद्धि और स्थिर कर वातावरण से समर्थित होगा। तथापि, छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत व्यय तथा तेल, उर्वरक और खाद्यान्न हेतु अधिक सब्सिडी की आवश्यकता के परिणामस्वरूप राजकोषीय दबाव पुनः बढ़ सकता है।

V. वित्तीय बाजार

II.5.1 2007-08 की अधिकांश अवधि में वैश्विक वित्तीय बाजार अशांत बना रहा। अमरीकी सब-प्राइम बंधक बाजार में उत्पन्न होने वाली हलचल क्रमशः गहराती चली गई और बाजार के अन्य खंडों में फैल गयी जिसके कारण नकदी की मांग में वृद्धि हुई। व्यक्तिगत स्तर पर कार्रवाई करने के अलावा, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के केंद्रीय बैंकों ने भी वित्तीय बाजार में चलनिधि पर आ रहे दबाव को कम करने के लिए साझा तौर पर उपायों की पहल की। वास्तविक अर्थव्यवस्था में मंदी से संबंधित चिंता के कारण 2007 के अंत तक संवृद्धि जोखिम के पुनः कीमत निर्धारण का कार्य व्यापक आधार पर शुरू कर दिया गया। अनेक अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति दबावों के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों ने ऐतिहासिक ऊँचाइयों को छुआ एवं पण्यों के मूल्य उच्च स्तरों तक चले गए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के इक्विटी बाजारों में वर्ष की अधिकांश अवधि में गिरावट आई, जबकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में जनवरी 2008 से तीव्र गिरावट आई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घावधि सरकारी बांडों के प्रतिफल में कमी आई जो निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव एवं अमरीका की मौद्रिक नीति में नरमी के रूप में परिलक्षित हुई। मुद्रा बाजारों में, अमरीकी डालर प्रमुख मुद्राओं की तुलना में गिरा।

II.5.2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी बाजारों के रुख के अनुसार विशेष तौर पर जनवरी 2008 के दूसरे सप्ताह की शुरुआत से, इक्विटी बाजार में आवधिक अस्थिरता को छोड़कर, भारत में वित्तीय बाजार 2007-08 के दौरान विदेशी बाजारों के उथल-पुथल से लगभग

अप्रभावित रहे। हालांकि पूरे वर्ष में इक्विटी बाजार में सकारात्मक वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक के साथ केंद्रीय सरकार के पूंजी प्रवाह एवं नकदी-शेष में भिन्नता के कारण मुद्रा बाजार में भी अस्थिरता का छोटा दौर देखा गया। घरेलू मुद्रा बाजार में ब्याज दरों में परिवर्तन, मुख्यतः बैंकिंग प्रणाली के साथ चलनिधि की परिस्थितियों में बदलाव के प्रभाव को परिलक्षित करते हैं। 06 अगस्त 2007 से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन रिवर्स रेपो पर 3000 करोड़ रुपये की स्वीकृति की सीमा को हटाने के बाद, वर्ष के बाकी भाग के दौरान मुद्रा बाजारों में ब्याज दर अधिकांशतः रिवर्स रेपो और रेपो दर सीमा के बीच घटती-बढ़ती रहीं। वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार के संपार्श्विक खंडों की ब्याज दरें मांग दर से नीचे बनी रहीं। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये ने सामान्यतः दो-तरफा गति दिखाई। वर्ष के अधिकांश भाग में सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिफल में कमी आई (सारणी 2.60)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा दरों, विशेषकर लंबी परिपक्वता अवधि वाली जमा दरों, में कमी आई।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार

II.5.3 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों ने वर्ष 2007-08 के दौरान अत्यधिक अनिश्चितता एवं अस्थिरता देखी है जो अगस्त 2007 में अमरीकी सब-प्राइम बंधक बाजार में संकट के कारण उत्पन्न हुई। यह संकट ऋण वृद्धि में अप्रत्याशित तेजी और वित्तीय बाजार में लिवरेज की पृष्ठभूमि में हुआ, जिसे ऐतिहासिक रूप से कम वास्तविक ब्याज दरों, कम वित्तीय बाजार अस्थिरता एवं पर्याप्त चलनिधि सहित लम्बी अवधि की सौम्य अर्थव्यवस्था और वित्तीय परिस्थितियों ने बढ़ाया। ब्याज की निम्न दरों के माहौल ने निवेशकों की उच्च प्रतिलाभ की अभिलाषा एवं निश्चिंतता के माहौल ने बाजार के प्रतिभागियों को अत्यधिक उंचा जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया। इसने वित्तीय बाजारों के माध्यम से जोखिमों को अलग-अलग करने एवं उनके वितरण के लिए वित्तीय नवोन्मेषों को आगे प्रेरित किया और आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस), संपार्श्विक ऋण दायित्वों (सीडीओ) और ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) जैसी उच्च प्रतिलाभ एवं जटिल वित्तीय उत्पादों की मांग में बढ़ोत्तरी की। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने तुलन-पत्र में शामिल न होने वाली निधियों का प्रावधान कर इस प्रक्रिया को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। बैंकों एवं श्रेणी निर्धारक एजेंसियों दोनों ने इन उत्पादों में निहित चलनिधि और संकेन्द्रण

वार्षिक रिपोर्ट

और जोखिमों का आकलन गलत किया। अप्रैल 2008¹⁴ में आइएमएफ के आकलन के अनुसार, हाल का वित्तीय बाजार संकट "ग्रेट डिप्रेशन" के पश्चात सबसे बड़े वित्तीय आघात के रूप में सामने आया और वित्तीय प्रणाली के मूल में बाजारों और संस्थाओं को बहुत नुकसान पहुँचाया।

II.5.4 हाल की वित्तीय बाजार की गतिविधियों के क्रम को स्थूल रूप में पांच चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला चरण, 2007 के मध्य से सितंबर 2007 के अंत तक, संकट की उत्पत्ति एवं केंद्रीय बैंकों द्वारा शुरू किए गए उपायों को दर्शाता है। दूसरा चरण, सितंबर 2007 के अंत से अक्टूबर 2007 के मध्य तक, केंद्रीय बैंक द्वारा बार-बार चलनिधि लाए

जाने के फलस्वरूप सुधार की छोटी अवधि को दर्शाता है। तीसरा चरण-अक्टूबर 2007 के मध्य से मार्च 2008 के मध्य तक, संकट की नई चिंताओं के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि सब-प्राइम उधार संकट क्रमशः गहराता गया और बाजार के अन्य अस्तियों पर फैल गया। वास्तविक अर्थव्यवस्था में मंदी के बारे में चिंताओं ने भी 2007 के अंत तक वृद्धि की उभरती चिंताओं के कारण जोखिम के और व्यापक पुनःमूल्यनिर्धारण को आगे बढ़ाया। मार्च 2008 के मध्य से मई 2008 के अंत तक के चौथे चरण ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में आंशिक सुधार देखा। मई 2008 के अंत से पांचवें चरण में नए अवलेखनों एवं नौकरी में कटौतियों की खबर ने नई अव्यवस्थाओं की ओर संकेत किया।

सारणी 2.60: घरेलू वित्तीय बाजार एक नजर में

वर्ष/माह	मांग मुद्रा		सरकारी प्रतिभूतियां		विदेशी मुद्रा		चलनिधि प्रबंधन			इक्विटी				
	औसत दैनिक कारोबार (करोड़ रुपए)	औसत मांग दरें * (प्रतिशत)	सरकारी प्रतिभूतियों का औसत दैनिक कारोबार (करोड़ रुपए (+))	औसत 10 वर्षीय आय @ (प्रतिशत)	औसत दैनिक अंतर-बैंक कारोबार (मिलियन अमरीकी डालर)	औसत विनियम दर (रुपया प्रति अमरीकी डालर)	भरि बैंक की निवल विदेशी मुद्रा बिक्री (-)/ खरीद (+) (मिलियन अमरीकी डालर)	3 माह वाले औसत वायदा प्रिमियम	औसत बकाया एमएसएस # (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक एलएएफ बकाया (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक बीएसई कारोबार (करोड़ रुपए)	औसत एनएसई सूचकांक** (करोड़ रुपए)	औसत एस एण्ड पी सीएनएस निफ्टी ** (करोड़ रुपए)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2005-06	17,979	5.60	3,643	7.12	12,738	44.27	8,143 ##	1.60	58,792	10,986	3,248	6,253	8280	2513
2006-07	21,725	7.22	4,863	7.78	18,719	45.28	26,824 ##	2.14	37,698	21,973	3,832	7,812	12277	3572
2007-08	21,393	6.07	8,104	7.91	33,746P	40.24	78,203 ##	2.16	1,28,684	4,677	6,335	14,148	16569	4897
जनवरी 2007	22,360	8.18	4,822	7.71	21,171	44.33	2,830	4.22	39,553	-10,738	4,380	8,757	13984	4037
फरवरी 2007	23,254	7.16	4,386	7.90	20,298	44.16	11,862	3.71	40,827	648	4,676	9,483	14143	4084
मार्च 2007	23,217	14.07	2,991	8.00	25,992	44.03	2,307	4.51	52,944	-11,858	3,716	7,998	12858	3731
अप्रैल 2007	29,689	8.33	4,636	8.10	29,311	42.15	2,055	6.91	71,468	-8,937	3,935	8,428	13478	3947
मई 2007	20,476	6.96	4,442	8.15	25,569	40.78	4,426	4.58	83,779	-6,397	4,706	9,885	14156	4184
जून 2007	16,826	2.42	6,250	8.20	30,538	40.77	3,192	2.59	83,049	1,689	4,536	9,221	14334	4222
जुलाई 2007	16,581	0.73	13,273	7.94	32,586	40.41	11,428	1.12	82,996	2,230	5,684	12,147	15253	4474
अगस्त 2007	23,603	6.31	6,882	7.95	31,994	40.82	1,815	1.59	1,00,454	21,729	4,820	10,511	14779	4301
सितंबर 2007	21,991	6.41	5,859	7.92	36,768	40.34	11,867	1.45	1,17,674	16,558	6,157	13,302	16046	4660
अक्टूबर 2007	18,549	6.03	5,890	7.92	39,452P	39.51	12,544	1.12	1,58,907	36,665	9,049	20,709	18500	5457
नवंबर 2007	20,146	6.98	4,560	7.94	30,677P	39.44	7,827	1.40	1,75,952	-2,742	7,756	18,837	19260	5749
दिसंबर 2007	16,249	7.50	7,704	7.91	31,547P	39.44	2,731	1.64	1,64,606	-10,804	8,606	19,283	19827	5964
जनवरी 2008	27,531	6.69	19,182	7.61	38,008P	39.37	13,625	2.07	1,59,866	15,692	8,071	19,441	19326	5756
फरवरी 2008	22,716	7.06	12,693	7.57	40,441P	39.73	3,884	0.24	1,75,166	-1,294	5,808	13,342	17728	5202
मार्च 2008	22,364	7.37	5,881	7.69	38,617P	40.36	2,809	1.25	1,70,285	-8,271	6,166	14,056	15838	4770
अप्रैल 2008	19,516	6.11	6,657	8.10	36,710P	40.02	4,325	2.68	1,70,726	26,359	5,773	13,561	16291	4902
मई 2008	19,481	6.62	6,780	8.04	31,868P	42.13	148	2.45	1,75,565	11,841	6,084	13,896	16946	5029
जून 2008	21,707	7.75	6,835	8.41	38,108P	42.82	-5,229	3.78	1,74,433	-8,622	5,410	12,592	14997	4464
जुलाई 2008 (अ)	24,736	8.76	5,474	9.19	-	42.84	-	6.04	1,72,169	-27,961	5,388	12,862	13717	4125

* : दैनिक भारत मांग मुद्रा उधार दरों का औसत। + : केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के दैनिक तत्काल कारोबार का औसत
 @ : दैनिक अंतिम दरों का औसत। # : साप्ताहिक बकाया एम एस एस का औसत
 ## : वित्तीय वर्ष के लिए संचयी। एलएएफ : चलनिधि समायोजन सुविधा
 बीएसई: बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. एनएसई : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
 टिप्पणी: कॉलम 11 में (-) चलनिधि डालने, जबकि (+) चलनिधि के अवशोषण को दर्शाता है। ** : दैनिक अंतिम सूचकांक औसत
 एमएसएस: बाजार स्थिरीकरण योजना
 अ : अनंतिम - : उपलब्ध नहीं

¹⁴ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अप्रैल 2008

II.5.5 सब-प्राइम बंधक (कमजोर ऋण इतिहासवाले व्यक्तियों को दिया गया आवासीय ऋण) पर चूक की दरें 2005 के मध्य के पश्चात् सुस्पष्ट रूप से बढ़ीं। ये हानियां वित्तीय बाजार की चलनिधि में तीव्र गिरावट से बढ़ गयीं क्योंकि निवेशक ऐसे उत्पादों में निवेश के प्रति अनिच्छुक हो गए। इन घटनाओं के फलस्वरूप अंडरराइटिंग संबंधी मानदंडों में कड़ाई आई, जिससे सब-प्राइम ऋण के लिए कुछ ही परिवार पात्र रह गए। अमरीकी आवास बाजार में प्रतिकूल गतिविधियों के कारण बंधक एक्सपोजर में हानियां अत्यधिक बढ़ गईं। आस्ति-समर्थित वाणिज्यिक पत्र (एबीसीपी) कार्यक्रमों के अनेक जारीकर्ताओं ने पाया कि परिपक्व आस्ति समर्थित पत्र को नए दीर्घावधि पत्र में परिवर्तित करना बहुत ही कठिन हो गया। वित्तीय प्रणाली के एक्सपोजरों पर अनिश्चितता का असर बैंकों और अमरीका के बाहर हेज फंड तक फैल गया क्योंकि उन्होंने अंतर्निहित प्रतिभूतियों के तौर पर सब-प्राइम बंधक के साथ संरचित उत्पादों में अपने एक्सपोजर के बारे में जानकारी दी। रेटिंग एजेंसियों ने भी घोषणा की कि वे सब-प्राइम बंधकों के अंतर्निहित पूल के साथ आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों का दर्जा घटा रहे हैं।

II.5.6 चूंकि एबीसीपी में कार्यकलाप कम हो गए हैं, इस बात की चिंता पैदा हुई कि बैंकों को अपने तुलन पत्रों में एबीसीपी एक्सपोजर को लेने की बाध्यता से निकट भविष्य में ऋण की कमी के बारे में आशंका उत्पन्न हो सकती है। दीर्घावधि परिपक्वताओं में वित्तपोषण हेतु वाणिज्यिक पत्र जारी करनेवाले संस्थानों की असमर्थता ने उन्हें अपने प्रायोजक बैंकों से चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जिससे बैंकों को चलनिधि जुटाने के लिए आगे आना पड़ा। प्रतिपक्ष आस्तिओं की गुणवत्ता की अनिश्चितता ने भी स्थिति को खराब किया है। इस तरह से अल्पावधि मुद्रा बाजारों में व्यवधान आ गए जो अगस्त 2007 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक दिवसीय ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि का कारण बने क्योंकि तुलन-पत्र से इतर उन आस्तियों को अवशोषित करने के दबाव के कारण बैंकों को अपनी चलनिधियों को संरक्षित करना पड़ा जिसके लिए वे निधि जुटा नहीं पाये तथा सब-प्राइम प्रतिभूतियों और अन्य संरचित ऋणों को बनाए रखने पर बैंकों को होने वाली हानियों की मात्रा एवं वितरण के बारे में अनिश्चितता बनी रही। यूके ने अंतर-बैंक दरों में कतिपय सबसे तीव्र वृद्धि देखी क्योंकि बंधक ऋणदाता नार्दर्न रॉक की चलनिधि आवश्यकता अंततः बढ़ गई जो उसे बंद हो जाने की ओर ले जा रही थी। औद्योगिक देशों में

सरकारी बांडों के प्रतिफल में बाजार बिक्री के कारण बहुत तीव्र कमी आई और निवेशक जोखिम आस्तियों से दूर हो गए।

II.5.7 अतः अमरीका और अन्य प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों को अंतर-बैंक बाजार को स्थिर करने के लिए अगस्त 2007 में चलनिधि डालने (इंजेक्ट) की आवश्यकता पड़ी। बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम द्वारा बड़ी मात्रा और परिपक्वता वाले खुले बाजार के परिचालनों को किया गया था। बैंक जिन प्रतिभूतियों पर उधार ले सकते हैं उसमें बंधक समर्थित प्रतिभूतियों को शामिल करने के लिए यूएस फेड एवं ईसीबी द्वारा उन्हें व्यापक किया गया। यूएस फेड ने एबीसीपी को संपार्श्विक के तौर पर स्वीकार करने का भी निर्णय लिया। 16 अगस्त 2007 को यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) ने अपनी बट्टा दर में 50 आधार अंकों की कमी कर बाजार में कुछ शांति लाने का प्रयास किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नार्दर्न रॉक बैंक की आपातकालीन चलनिधि सहायता दी। यूएस एफओएमसी ने, 18 सितंबर 2007 को आयोजित बैठक में फेड निधि दर लक्ष्यों में 50 आधार अंकों की कटौती कर 5.25 प्रतिशत से 4.75 प्रतिशत और साथ ही साथ फेडरल बट्टा दर को 5.75 प्रतिशत से 5.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। एफओएमसी की अगस्त 2007 तक प्राथमिक चिंता मुद्रास्फीति दबाव संबंधी थी, परन्तु 18 सितंबर 2007 के इसके विवरण में आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिमों को बढ़ी हुई चिंता के रूप में दिखाया गया था।

II.5.8 दूसरे चरण में, अंतर बैंक मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक द्वारा लगातार चलनिधि डालने और अमरीका में कम नीति दर के फलस्वरूप अक्टूबर 2007 की शुरुआत में थोड़े समय के लिए ऋण बाजारों में सुधार आया। तीसरे चरण में, अमरीका आवास बाजार में अनिश्चितता के संबंध में नई चिंताओं और अक्टूबर 2007 के मध्य से संबद्ध आर्थिक और वित्तीय जोखिमों के प्रति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक्सपोजर ने ऋण प्रसार को बढ़ाया। अमरीका की गतिविधियों की तर्ज पर यूरो क्षेत्र में भी ऋण प्रसार में बढ़ोत्तरी हुई। संरचित लिखतों के लिए बाजार परिस्थितियां कमजोर हो गईं जो संरचित ऋण उत्पादों के मूल्यांकन के संबंध में बिगड़ रही आस्ति गुणवत्ता और अनिश्चितता को दर्शाती हैं। यह मुद्रा बाजार में अक्टूबर 2007 के मध्य से शुरू हुए खराब रुख को भी दर्शाती है क्योंकि चलनिधि की स्थिति सख्त होने से अंतर बैंक दरों में वृद्धि होने लगी। तीन महीनों की अंतर-बैंक ब्याज दरों और एक दिवसीय सूचकांक स्वैप के बीच स्वैप स्प्रेड तेजी

से बढ़ा जो चलनिधि के लिए अत्यधिक तरजीह और प्रतिपक्ष जोखिम प्रीमियम की वृद्धि को दर्शाता है। क्रेडिट कार्डों द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों, ऑटो ऋणों, विद्यार्थी ऋणों और वाणिज्यिक बंधक सहित अन्य संबंधित बाजार खंडों में भी यह स्प्रेड तेजी से बढ़ा जो कि चूक दरों की बढ़ोतरी, ज्यादा लीवरेज एवं संदेहास्पद प्रतिभूतिकरण तकनीक से संबंधित चिंताओं के परिणामस्वरूप था। बाजार के सहभागियों ने सरकारी प्रतिभूतियों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। आर्थिक क्रियाकलापों की कमजोर स्थिति की आशंका और अमरीका की मौद्रिक नीति में और अधिक नरमी की आशा में बांड प्रतिफल में भी कमी आई।

II.5.9 चलनिधि को सुधारने के लिए अमेरिकन फेडरल रिजर्व बोर्ड ने फेड निधि दर में 31 अक्टूबर 2007 और 11 दिसंबर 2007 को हर बार 25 आधार अंकों की कमी की। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा ने भी दिसंबर 2007 में अपनी नीति दर में कमी की। अत्यधिक तनाव और मुद्रा बाजार के कार्यकलापों में अत्यधिक हानि की हालत में पांच केंद्रीय बैंकों, अर्थात्, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी, फेडरल रिजर्व और स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) ने 12 दिसंबर 2007 को बढ़े हुए दबाव को खत्म करने के लिए साझे तौर पर उपायों की घोषणा की। फेडरल रिजर्व द्वारा उठाए गए कदमों में मीयादी नीलामी सुविधा (टीएएफ) की स्थापना और यूरोपियन सेंट्रल बैंक तथा स्विस नेशनल बैंक के साथ विदेशी मुद्रा स्वैप लाइनों की स्थापना शामिल है। टीएएफ ने बहुत बड़े बैंकों के समूह को फेड से प्रत्यक्ष निधि के लिए बोली की अनुमति दी। टीएएफ का लक्ष्य नकद रखने पर बैंकों को प्रोत्साहन देने में कमी लाना और परिवारों और फर्मों को ऋण उपलब्ध कराने की इच्छा को बढ़ाना था। ईसीबी ने घोषणा की कि यूरो सिस्टम 28 और 35 दिनों की परिपक्वता के लिए ईसीबी-पात्र संपार्श्विकों पर अमरीकी डालर टीएएफ के संबंध में दो अमरीकी डालर चलनिधि उपलब्ध कराने वाली प्रणाली शुरू करेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 18 दिसंबर 2007 और 15 जनवरी 2008 को निर्धारित अपने दीर्घावधि रिपो खुले बाजार परिचालनों में तीन महीने की परिपक्वता पर प्रदत्त आरक्षितों की राशि बढ़ा दी। इसने परिपक्वता पर दी गयी निधि के लिए स्वीकृत संपार्श्विकों की सीमा भी बढ़ा दी। बैंक ऑफ कनाडा ने आवधिक खरीद और पुनर्बिक्री करार करने की घोषणा की जो एक कैलेंडर वर्ष के लिए प्रभावी होगा। ब्रिटेन की सरकार ने बैंकिंग प्रणाली को दुष्प्रभाव की स्थिति से बचाने के लिए नॉर्दन रॉक के जमाकर्ताओं को गारंटी प्रदान की। नॉर्दन रॉक को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बड़ी राशि का ऋण प्रदान किया।

II.5.10 जनवरी 2008 से वास्तविक अर्थव्यवस्था में आसन्न मंदी के प्रमाण दिखाई देने लगे थे जिसकी वजह से वृद्धि की चिंताओं से उत्पन्न जोखिम का बहु-विस्तारित पुनर्मूल्यन करना पड़ा। वर्ष 2008 में वास्तविक गतिविधि के आधारभूत नजरिए के और बिगाड़ने और वृद्धि में गिरावट के बढ़ते जोखिम को देखते हुए अमरीकी फेडरल बैंक ने 22 जनवरी 2008 को फेड निधि दर में 75 आधार अंकों की तीव्र कटौती करते हुए उसे 3.50 प्रतिशत कर दिया और 30 जनवरी 2008 को उसमें और 50 आधार अंकों की कटौती करते हुए उसे 3.00 प्रतिशत कर दिया। 18 सितंबर 2007 से आरंभ हुए इस कटौती के दौर में कुल 225 आधार अंकों की कटौती की गई।

II.5.11 अमरीकी विनिर्माण क्षेत्र में हुई कमजोर वृद्धि, श्रम बाजार की प्रतिकूल स्थितियों और ऋण प्रदान और आबंटित करने की वित्तीय प्रणाली की क्षमता के प्रति अनिश्चितता की स्थिति ने ऋण बाजार के माहौल को और भी खराब किया। मोनोलाइन वित्तीय गारंटियों को डाउनग्रेड करने की प्रत्याशा ने बाजार के माहौल को और भी बिगाड़ दिया। इस तरह से पूरे विश्व के ऋण बाजारों में और भी अस्थिरता देखने को मिली और सर्वत्र स्प्रेडों में तीव्र वृद्धि हुई। इसकी वजह थी प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा बढ़ते खाते में डाली जानेवाली राशि में बढ़ोतरी और अमरीका आवास क्षेत्र से आनेवाली प्रतिकूल खबरों के कारण अमरीका अर्थव्यवस्था के और कमजोर होते जाने की आशंका।

II.5.12 वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में भी अत्यधिक अस्थिरता देखी गई जो आर्थिक दृष्टिकोण और बाजार की संभावना के बीच प्रतिपुष्टि प्रभाव के बारे में घबराहट को दर्शाती है। फरवरी 2008 में मुद्रा बाजार और प्रतिभूति बाजार उथल-पुथल भरे रहे, जो ऋण बाजार से इन क्षेत्रों में जोखिम के फैलाव और अमरीकी अर्थव्यवस्था में और भी मंदी के संकेतों को दर्शाते हैं। निवेशकों द्वारा वैकल्पिक आस्ति वर्गों का चयन करने के कारण सरकारी बांडों से होनेवाले प्रतिफल में तीव्र गिरावट आई और पण्य बाजार में होनेवाले निवेश में इजाफा देखने में आया। अतिरिक्त मोनोलाइन गारंटियों के डाउनग्रेड की खबरों के साथ-साथ संबंधित पुनर्पूजीकरण एवं पुनर्संरचनात्मक योजनाओं और मोनोलाइन के समान ही एक्सपोजरों से होनेवाली हानि में वृद्धि के आकलन तथा अनवाइंड लिखतों एवं सुनियोजित लिखतों के प्रति नए सिरे से उठ खड़े हुए अदेशों ने वित्तीय बाजारों में और भी उथल-पुथल मचा दी। अमरीका, यूरोप, जापान और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिभूति बाजार में गिरावट दर्ज हुई। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजार में, जिसमें कुछ लचीलापन

दिखा था, जनवरी 2008 से भारी उथल-पुथल दर्ज हुई। इक्विटी बाजार में आई गिरावट और सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रवाह में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकारी बांडों के प्रतिफल में और भी गिरावट दर्ज हुई। प्रतिफल में दर्ज हुई यह गिरावट अमरीका की मौद्रिक नीति में और भी राहत दिए जाने की आशा में भी आई थी। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 14 मार्च 2008 को निवेश बैंक 'बीयर स्टर्न्स' को आपात्कालीन निधि प्रदान करने की घोषणा की। व्यवस्था के अनुसार उक्त निवेश बैंक को निधि उपलब्ध कराने के लिए न्यूयार्क फेड को अपनी छूट प्रणाली के माध्यम से जेपी मॉर्गन बैंक को निधि अंतरित करना था जिसने बीयर स्टर्न्स के साथ एक जमानती ऋण सुविधा स्थापित कर ली थी। बाजार में चलनिधि की स्थिति को मजबूत बनाने और समय के साथ-साथ सामान्य वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए और आर्थिक गतिविधि के जोखिम को कम करने के लिए अमरीकी फेडरल बैंक ने 18 मार्च 2008 को फेड निधि दर के लक्ष्य में 75 आधार अंकों की तीव्र कमी कर उसे 2.25 प्रतिशत कर दिया और 29-30 अप्रैल 2008 को इसमें 25 आधार अंकों की और कटौती करते हुए उसे 2.0 प्रतिशत पर ला दिया। 18 सितंबर 2007 से आरंभ हुए इस सिलसिले में कुल मिलाकर 325 आधार अंकों की कटौती की गई।

II.5.13 मार्च 2008 के मध्य और मई 2008 के अंत के बीच के चौथे चरण में वित्तीय बाजार की स्थिति में संयत सुधार देखने में आया। मई 2008 के अंत से मार्च 2008 के मध्य तक बाजार में निवेशकों की सतर्कतापूर्ण जोखिम सहनशीलता की वापसी दिखाई दी। फलस्वरूप, स्प्रेड के कम होने के साथ ऋण बाजारों में सुधार हुआ तथा अस्थायी तौर पर इक्विटी बाजारों में निवेशकों की रुचि पुनर्जीवित हुई। तथापि, ऐसी अनुकूल गतिविधियों के ठीक विपरीत, अंतर-बैंक मुद्रा बाजारों में कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि चलनिधि की मांग अधिक बनी रही।

II.5.14 अंतर बैंक मुद्रा बाजारों में मार्च-मई 2008 के दौरान दबाव के चिह्न दिखाई देना जारी रहा क्योंकि यूएस, यूके और यूरो क्षेत्र के सभी तीन प्रमुख बाजारों में लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) और ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप दर के बीच का स्प्रेड बढ़ गया। केन्द्रीय बैंकों ने वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थितियों पर साथ में काम करना जारी रखा। कुछ मीयादी निधीयन बाजारों में निरंतर चलनिधि दबाव के कारण यूरोपीय केन्द्रीय बैंक, अमरीकी फेडरल रिजर्व और एसएनबी ने मई 2008 में अपने चलनिधि उपाय बढ़ाने की घोषणा की। 2 मई 2008 को अमरीकी फेडरल रिजर्व ने अपने द्विसाप्ताहिक टीएएफ के अंतर्गत पात्र निक्षेपागार संस्थाओं को नीलाम

की गई राशियों को 50 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 75 बिलियन अमरीकी डालर करना घोषित किया। इसकी शुरुआत 5 मई 2008 की नीलामी से हुई। टीएएफ के आकार में वृद्धि के साथ फेडरल खुला बाजार समिति (एफओएमसी) ने यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और एसएनबी के साथ अपनी मौजूदा अस्थायी पारस्परिक मुद्रा व्यवस्था में और वृद्धि की। इन व्यवस्थाओं ने यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और एसएनबी को क्रमशः 50 बिलियन और 12 बिलियन अमरीकी डालर तक अमरीकी डालर दिया जो 12 दिसंबर 2007 की तुलना में 20 बिलियन अमरीकी डालर और 6 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्शाती है। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक के गवर्निंग काउंसिल ने अमरीकी फेडरल रिजर्व के साथ तथा टीएएफ के संदर्भ में यह निर्णय लिया कि प्रत्येक द्वि-साप्ताहिक नीलामी में यूरोप्रणाली में काउंटरपार्टी को दी जानेवाली अमरीकी डॉलर चलनिधि की राशि को बढ़ाकर 25 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया जाए। एसएनबी ने अमरीकी डालर रिपो नीलामी की बारंबारता और राशि बढ़ाने का निर्णय लिया। तदनुसार एसएनबी ने अपने अमरीकी डालर नीलामी को 14 दिन में एक बार आधार पर आयोजित करने का निर्णय लिया। उपलब्ध की गयी चलनिधि की पूरी राशि 6 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर अधिकतम 12 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई। बढ़ाये गये संपार्श्विक की व्यापक मात्रा ने वित्तीय बाजारों के वित्तपोषण की स्थिति को व्यापक स्तर तक बढ़ाया।

II.5.15 वर्ष 2008 की पहली तिमाही में स्प्रेड में व्यापक अंतर के साथ ही जोखिम वहन करने के प्रति निवेशकों के सतर्कतापूर्ण रवैये के कारण ऋण बाजार में उत्साह का माहौल बना रहा। बाजार में चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ जिससे विभिन्न लिखतों के मूल्यों में तुलनात्मक अंतर देखने में आया। वित्तीय बाजारों में आई स्थिरता और कम निराशावादी आर्थिक दृष्टिकोण ने भी इक्विटी बाजारों के माहौल में मई 2008 के अंत तक टर्नअराउंड लाने में योगदान किया। सरकारी बांडों के प्रतिफल में वृद्धि हुई, जो ऋण एवं इक्विटी बाजारों में हुए विकास का ही आईना थी। वित्तीय उथल-पुथल का वास्तविक आर्थिक गतिविधि पर पड़ने वाला प्रभाव उतना गहरा नहीं होगा जितना कि माना जा रहा था, निवेशकों में बढ़ती इस धारणा ने भी उनके विश्वास में इजाफा किया। 8 जुलाई 2008 को बैंक ऑफ कनाडा ने यह निर्दिष्ट किया कि वे अप्रैल 2008 के अंत से दिखाई देनेवाली निधीयन स्थिति में सुधार को देखते हुए प्रणाली से चलनिधि हटा लेंगे।

II.5.16 तथापि वित्तीय बाजार जून 2008 में और जुलाई 2008 की शुरुआत में फिर से दबाव में आ गया क्योंकि मई 2008 से दो अमरीकी बंधक कंपनियों अर्थात् 'फॅनी माई' और 'फ्रेडी मॅक' की

हानि और दीर्घावधि लाभप्रदता के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं। मई 2008 से इक्विटी बाजारों में गिरावट आई जो विकसित और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति बढ़ने और कूड ऑइल की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंचने को दर्शाता है। मुद्रास्फीति उच्च रहने की संभावना की अनिश्चितता को देखते हुए अमरीकी फेड ने 25 जून 2008 और 5 अगस्त 2008 को आयोजित अपनी बैठक में फेड निधि दर लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। अपनी मौजूदा चलनिधि सुविधाओं की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 30 जुलाई 2008 को निम्नलिखित चरण घोषित किये (i) प्राथमिक व्यापारी ऋण सुविधाएँ (पीडीपीएफ) और टीएसएलएफ 30 जनवरी 2009 तक बढ़ाना (ii) टीएसएलएफ पर ड्रा के 50 बिलियन अमरीकी डॉलर पर ऑप्शन की नीलामी का प्रारंभ (iii) 84 दिन के टीएएफ ऋण का 28 दिन के टीएएफ ऋण के पूरक के रूप में प्रारंभ और (iv) फेडरल रिजर्व की यूरोपीय केन्द्रीय बैंक के साथ स्वैप लाइन को मई 2008 के 50 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 55 बिलियन अमरीकी डॉलर करना। इस परिवर्तन के साथ, यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और एसएनबी ने भी अपने परिचालन की परिपक्वता को अनुकूल बनाया। प्रतिभूति बाजार जुलाई 2008 के अंत तक कुछ हद तक उबर गए और कूड ऑइल की कीमतों में गिरावट दर्शाता है।

II.5.17 वित्तीय बाजार की हाल की अस्तव्यस्तता से मिलनेवाली महत्वपूर्ण सीख यह है कि वित्तीय प्रणाली को पूंजी और चलनिधि संबंधी मानदंड मजबूत बनाने, अधिक मजबूत जोखिम प्रबंध प्रथाओं, सूक्ष्मतर पर्यवेक्षण और फर्म-वाइड जोखिम के प्रबंधन, वित्तीय मूलभूत संरचना की गुरुतर पारदर्शिता और लचीलेपन जैसे विनियामक बदलावों के साथ मजबूत बनाना आवश्यक है। निजी निवेशक और अन्य बाजार सहभागियों को वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तथापि वित्तीय विपत्ति का हाल ही का प्रसंग वित्तीय विनियमन और अंतिम उधारदाता के रूप में उचित भूमिका के बारे में कई सवाल खड़े कर रहा है। अंतिम उधारदाता की भूमिका निभाते हुए केन्द्रीय बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि अत्यधिक जोखिम उठाने और जोखिम को कम आंकने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उचित प्रोत्साहन रखे गये हों, ताकि भविष्य में गुरुतर संकट टाले जा सकें। जैसा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के मामले में हुआ, उसने नॉर्डन रॉक को ऋण देते समय दण्ड दर के सिद्धांत को बनाये रखा।

II.5.18 इसके पूर्व हुए वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के ठीक विपरीत, मौजूदा उथल-पुथल भरे माहौल का उभरती और विकासमान अर्थव्यवस्थाओं पर पड़नेवाले प्रत्यक्ष प्रभाव को अब तक काफी हद

तक नियंत्रित रखा गया है। विशेष रूप में उदीयमान एशिया पर वित्तीय बाजार के हाल के उथल-पुथल का कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ने पाया है। तथापि एशियाई इक्विटी बाजारों में अस्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और क्रेडिट स्प्रेड में भी विस्तार हुआ। इसके अलावा, अमरीकी अर्थव्यवस्था की मंदी का विपरीत प्रभाव एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। इन प्रतिकूल गतिविधियों के बावजूद एशिया की आर्थिक वृद्धि कई सकारात्मक कारकों की वजह से रुकी रही। सर्वप्रथम, समष्टि आर्थिक मूलभूत कारक 10 वर्ष पूर्व अर्थात् 1997 के दक्षिण पूर्वी एशियाई संकट के समय, की अपेक्षा काफी मजबूत हैं जिसका पता संप्रभुतासंपन्न देशों की क्रेडिट रेटिंग में हुए सुधार को देखकर चलता है। कई एशियाई देशों ने घरेलू खर्चों में कमी की है, राजकोषीय घाटे को कम किया है और अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार लाया है। स्थानीय करेंसी वाले वित्तीय लिखतों के विकास से करेंसी से जुड़ी विसंगतियों को कम करने में मदद मिली है जो एशियाई वित्तीय संकट का मूलभूत कारण रहा है। केन्द्रीय बैंकों ने भी अपने पूंजीगत प्रवाह के प्रबंधन में सुधार किया है, विनिमय दर के अधिमूल्यन, ऋण में अत्यधिक बढ़ोतरी और आस्ति के नकली विस्तार के जोखिम को कम किया है। दूसरे, अधिकतर एशियाई देशों में इक्विटी की तुलना में उधार के अनुपात में तीव्र गिरावट के साथ ही विदेशी करेंसी में उधार लेना कार्पोरेटों के लिए निधि इकट्ठा करने का प्रमुख जरिया नहीं रहा है और इसके कारण एशिया की कार्पोरेट इकाइयों के तुलनपत्र में सुधार दर्ज हुआ है। तीसरे, अधिकतर एशियाई देशों ने अपनी बाह्य स्थिति को मजबूत किया है। अधिकतर देशों के चालू खाते में अधिशेष की स्थिति है और विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि हुई है। निर्यातों में भी विविधता है। सब प्राइम संकट के दौरान एशियाई बाजारों से उल्लेखनीय संविभाग बहिर्वाह और कैरी ट्रेड की अनवाइडिंग के बावजूद एशियाई करेंसियों पर बिकवाली का दबाव कम रहा, जो उनकी मजबूत बाह्य स्थिति का परिचायक है। चौथे, सम्पत्ति मूल्य की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करने के लिए कई एशियाई देशों ने हाल के वर्षों में जब भी कीमतों से खतरा महसूस किया है तब तत्काल सम्पत्ति बाजार की तेजी को रोकने के उपाय किए हैं। इसके फलस्वरूप धीमी आर्थिक प्रगति और वित्तीय बाजार संकट के परिप्रेक्ष्य में सम्पत्ति की कीमतों में होनेवाली गिरावट कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं बनने पाई है।

II.5.19 हाल ही के सब-प्राइम उधार संकट की वजह से वित्तीय बाजारों की सहज कार्यप्रणाली के समक्ष कई मुद्दे और आशंकाएं पैदा हो गई हैं। (बाक्स II.16)

बाक्स II.16

सब-प्राइम उधार संकट : वित्तीय बाजारों के लिए मुद्दे

सब-प्राइम उधार संकट ने आम नीति के समक्ष वित्तीय बाजार की स्थिरता के मुद्दे को सबसे आगे ला खड़ा किया है। इसने केंद्रीय बैंकों के समक्ष एक प्रमुख दुविधा उत्पन्न कर दी है जिसमें एक ओर है मौद्रिक नीति के उद्देश्य के रूप में वित्तीय स्थिरता का सापेक्ष महत्व तो दूसरी ओर है मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करने का अधिक परंपरागत उद्देश्य। सब प्राइम संकट के परिप्रेक्ष्य में पर्यवेक्षी और नियामक प्रणालियों की अपर्याप्तता स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। इसके फलस्वरूप इस संकट से निकलने के लिए कई केंद्रीय बैंकों द्वारा आरंभ किए गए कई गैर परंपरागत उपायों के साथ वित्तीय बाजारों को संतुष्ट होना पड़ा।

कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वित्तीय बाजारों के नजरिए से ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, 2007 के मध्य में जोखिमों के पुनर्मूल्यान में आई तेजी, जिसके साथ मूल्यों को कम आंकना भी जारी रहा, से संभवतः अंतिम समायोजन योग्य लागत में तेजी आई होगी जिसे पूरे विश्व के वित्तीय बाजारों को वहन करना पड़ता (मोहन - 2007क)। दूसरे, बाजार चलनिधि और निधीयन चलनिधि में एक साथ आई कमी को जटिल उत्पादों के मूल्यान और प्रणाली में जोखिमों के निर्धारण की बढ़ती अनिश्चितता से और भी बढ़ावा मिला। तीसरे, ऋण बाजारों की उथल-पुथल से बैंक भी अछूते नहीं रहे, विशेषकर "ऋण दो और संबंधित सारे अधिकार अपने पास रखो" के दौर से निकलकर हाल के वर्षों में तेजी से प्रचलित हुई "ऋण दो और उसके दायित्व अन्य वित्तीय इकाइयों को सौंप दो" की धारणा के परिप्रेक्ष्य में (मोहन 2007ख)। चौथे, इस संकट ने बैंकों को कितनी तेजी और गहराई से प्रभावित किया, इसका पता अंतर बैंक बाजार में हुई भारी अव्यवस्था को देखकर चलता है। बाजार सहभागी और नीति निर्माताओं ने वित्तीय बाजार के उन संभावित दबावों को गंभीरता से नहीं लिया जो बैंकों को प्रभावित करनेवाले अनैच्छिक पुनर्मध्यगामी दबावों पर असर डाल सकते हैं। पांचवे, हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हुई विशेष निवेश संस्थाओं (एसआइबी) द्वारा अदा की जानेवाली प्रमुख भूमिका पर प्राधिकारियों और पर्यवेक्षकों की चौकस निगाहें शायद ही पड़ी हों। इसके परिणामस्वरूप, चलनिधि की संभावित मांग जो बैंकों पर ही भारी पड़ सकती थी अथवा वैश्विक वित्तीय प्रणाली में समाहित लीवरेज की मात्रा का सही आकलन नहीं किया जा सका। छठे, चूंकि डिलीवरेजिंग की प्रक्रिया धीमी है, विशेष रूप से ऋण बाजार में, अतएव दबाव की स्थितिवाले बाजारों में आस्तियों का मूल्यान अत्यंत कठिन हो जाता है। सातवें, बाजार की समग्र प्रणाली पर अनजानी घटनाओं के क्रमिक प्रभाव की वजह से भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आस्ति समर्थित वाणिज्यिक पत्र बाजार में लिखतों के मूल्यांकन एवं रेटिंग में असफल रहीं (आइएमएफ, 2008)। अंततः, पूंजीगत कुशन प्रदान करने में वित्तीय संस्थाओं की प्रत्यक्ष अक्षमता पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। बैंकों द्वारा अपनी पूंजीगत स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस समय किए जा रहे प्रमुख प्रयास यह दर्शाते हैं कि आंके गए मौजूदा जोखिम के सम्मुख पूंजीगत कुशन बहुत ही छोटे हैं (नाइट, 2008)। यह दर्शाता है कि तेजी और विकास के दौर में बफर का वास्तविकता से परे बढ़-चढ़कर आकलन करना कितना आसान है। प्रतिभूतिकरण के व्यापक प्रयोग से इस प्रक्रिया को और भी बढ़ावा मिला क्योंकि इससे पूरी प्रणाली में जोखिम

का विभाजन हुआ और विभिन्न वित्तीय इकाइयों के तुलनपत्र के आकार पर ध्यान दिए बगैर जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला (गीथनर, 2008)।

इसके अलावा "हेज फंड" और "कैरी ट्रेड" के प्रति कुछ आशंकाएं हैं जो वित्तीय बाजारों को भी प्रभावित करती हैं। हेज फंड अत्यधिक लीवरेज्ड संस्थाएं हैं जो शेयर बाजार में किए जानेवाले निवेश की तुलना में उच्च प्रतिफल अर्जित करने के लिए जानी जाती हैं। अत्यधिक लीवरेज्ड होने के कारण यदि उनकी आस्तियों में तीव्र गिरावट होती है तो वे अपनी पूंजी भी तेजी से खो सकती हैं। हेज फंड भी ट्रेडिंग करके अत्यधिक अस्थिरता का जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं जिससे मूल्यों में अति प्रतिक्रियात्मक रूख देखने को मिल सकता है। बड़ी राशिवाले हेज फंडों के असफल हो जाने की स्थिति में उसका वित्तीय बाजारों एवं उनमें एक्सपोजर रखनेवाली संस्थाओं पर गंभीर परिणाम हो सकता है।

'कैरी ट्रेड' से असाधारण उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में हानि होने की भी संभावना रहती है। 'कैरी ट्रेड' विशेष रूप से विनिमय दर अथवा ब्याज दरों में होनेवाले किसी भी परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। हाल के समय में जापान और न्यूजीलैंड की ब्याज दरों में अंतर ने येन में उधार लेकर आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जहां ब्याज दरें ऊंची हैं, की करेंसियों में आस्ति की खरीद के द्वारा लाभ अर्जित करने के मौके प्रदान किए हैं। यदि कैरी ट्रेड अचानक बीच में बंद कर दिया जाए तो वित्तीय स्थिरता को खतरा हो सकता है क्योंकि तब आस्तियों की कीमतों में तीव्र वृद्धि और विनिमय दर में नए सिरे से समायोजन होगा।

संदर्भ

1. गीथनर, टी (2008) "दि करेंट फाइनेंशियल चैलेंजेज; पोलिसी एण्ड रेग्युलेटरी इम्प्लिकेशन्स", दि कार्डसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स कांफरेन्स 2008, न्यूयार्क सिटी में दी गई टिप्पणियां।
2. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (2008), *ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अप्रैल 2008*।
3. नाइट, एम.डी. (2008) "नाउ यू सी इट, नाउ यू डॉट; दि नेचर ऑफ रिस्क एंड दि करेंट फाइनेंशियल टर्माइल", ग्लोबल एसोशिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स के नौवें वार्षिक जोखिम प्रबंधन सम्मेलन, 26-28 फरवरी 2008 में दिया गया भाषण।
4. मोहन आर (2007क) "रीसेंट फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट्स एंड इम्प्लिकेशन्स फॉर मानेटीरी पॉलिसी", *भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अक्टूबर*।
5. मोहन आर (2007ख) "इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर रिफार्म्स; फॉर्स्टिंग ग्रोथ व्हाइल कंटेनिंग रिस्क" *भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, दिसंबर*।
6. रिपोर्ट ऑफ दि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम ऑन एनहांसिंग मार्केट एंड इंस्टिट्यूशनल रेजिलियन्स, अप्रैल 2008।

अल्पावधि ब्याज दरें

II.5.20 वर्ष 2007-08 में अल्पावधि ब्याज दरों में मिश्रित रुख देखने को मिला। अमरीका और ब्रिटेन में दिसंबर 2007 से ब्याज

दरों में गिरावट हुई, जो मुद्रा की सहज उपलब्धता का परिचायक था। दूसरी ओर, अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि यूरो देशों और स्वीडन में अल्पावधि ब्याज दरों में वृद्धि हुई क्योंकि इन देशों के केंद्रीय बैंकों ने अपनी नीति दरों को बढ़ा दिया। वर्ष 2007-08 के दौरान,

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अल्पावधि ब्याज दरों में मिश्रित रुख देखने को मिला, अर्जेंटीना, चीन, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस में इनमें मजबूती आई जबकि हांगकांग, ब्राजील और थाईलैंड में इनमें नरमी आई (सारणी 2.61)।

II.5.21 वर्ष 2008-09 के दौरान अब तक (13 अगस्त 2008 तक) विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अल्पावधि ब्याज दरें मोटे तौर पर नीति दरों के आगे-पीछे बनी रही हैं। अमरीका में अल्पावधि ब्याज दरों में गिरावट दर्ज हुई है। अमरीकी फेडरल बैंक ने 29-30 अप्रैल 2008 को फेड निधि दरों में 25 आधार अंकों की कमी करने के बाद जून और अगस्त 2008 में लक्षित फेड निधि दर को 2.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। ब्रिटेन में अल्पावधि ब्याज दरों में गिरावट आई जो अप्रैल 2008 में नीति दर में हुई कटौती को दर्शाती है। दूसरी ओर, यूरो क्षेत्र में अल्पावधि ब्याज दरों में वृद्धि हुई, जो 3 जुलाई 2008 को प्रमुख नीति दरों में हुई वृद्धि को दर्शाता है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आम तौर पर अल्पावधि ब्याज दरों में वृद्धिपरक रुख देखने को मिला और उसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, हांगकांग, मलेशिया, दक्षिण कोरिया एवं थाईलैंड में मजबूती आई। चीन और फिलीपींस इसके अपवाद रहे।

सारणी 2.61 : अल्पावधि ब्याज दरें

(प्रतिशत)

क्षेत्र/देश	के अंत में			
	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008	अगस्त 2008*
1	2	3	4	5
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं				
यूरो क्षेत्र	2.80	3.91	4.72	4.97
जापान	0.04	0.57	0.75	0.75
स्वीडन	1.99	3.21	4.11	4.26
यूके	4.58	5.55	6.01	5.76
यूएस	4.77	5.23	2.26	2.14
उदोयमान बाजार अर्थव्यवस्थाएं				
अर्जेंटीना	9.63	9.63	10.44	13.88
ब्राजील	16.54	12.68	11.18	12.91
चीन	2.40	2.86	4.50	4.32
हांगकांग	4.47	4.17	1.83	2.24
भारत	6.11	7.98	7.23	9.15
मलेशिया	3.51	3.64	3.62	3.70
फिलीपींस	7.38	5.31	6.44	4.94
दक्षिण कोरिया	4.26	4.94	5.32	5.78
थाईलैंड	5.10	4.45	3.25	3.78


*: 13 अगस्त 2008 की स्थिति के अनुसार

टिप्पणी : भारत से संबंधित आंकड़े 91-दिवसीय खजाना बिल दरों के हैं जबकि अन्य देशों के लिए तीन महीने की मुद्रा बाजार दरों के हैं।

स्रोत : दि इकोनॉमिस्ट

सरकारी बांड प्रतिफल

II.5.22 वर्ष 2007-08 की पहली तिमाही के दौरान, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी बांड प्रतिफल में वृद्धि हुई, जो उच्चतर अल्पावधि दरों और वृद्धि की उच्चतर अपेक्षाओं को दर्शाता है। तथापि वर्ष के बाद वाले हिस्से में दीर्घावधि सरकारी बांड प्रतिफल में कमी आई, जो बिगड़ते आवासीय बाजार, ऋण बाजारों की उथल-पुथल और अमरीका में मौद्रिक नीति में नरमी लाए जाने के कारण जोखिमवाली आस्तियों में निवेश के प्रति घटती रुचि को दर्शाता है (चार्ट - II.16)। अमरीका में 10 वर्षीय सरकारी बांड प्रतिफल, जो 30 मार्च 2007 को 4.65 प्रतिशत था, बढ़कर 12 जून 2007 को 5.26 प्रतिशत पर पहुंच गया लेकिन 31 मार्च 2008 को उसमें पुनः गिरावट आई और वह 3.45 प्रतिशत पर पहुंच गया। कुल मिलाकर वर्ष 2007-08 के दौरान, अमरीका में 10 वर्षीय प्रतिफल में 120 आधार अंकों की गिरावट दर्ज हुई। अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 10 वर्षीय सरकारी लिखतों से होनेवाली आय में कमी हुई (यूके में 49 आधार अंक, जापान में 41 आधार अंक और यूरो क्षेत्र में 16 आधार अंक)। वर्ष 2008-09 के दौरान अब तक (13 अगस्त 2008 तक) प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घावधि सरकारी बांड प्रतिफल, जो मार्च 2008 के अंत में एकदम नीचे पहुंच गया था, में मजबूती आई जो सरकारी प्रतिभूतियों की सुरक्षित मांग में कमी और निवेशकों में मौद्रिक ढील की जरूरत के पुनर्मूल्यांकन को दर्शाता है।



इक्विटी बाजार

II.5.23 वर्ष 2007-08 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजारों में गिरावट दर्ज हुई, जो अमरीकी सेवा उद्योग के दायरे के सिमटने, कुछ प्रमुख अमरीकी कंपनियों की आय में कमजोर वृद्धि, गृह मोचन-निषेध के रिकार्ड उच्च स्तर तक पहुंच जाने और अमरीका में मंद खुदरा बिक्री के कारण अमरीकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के अंदेसे को दर्शाती है (सारणी 2.62)। 22 जनवरी 2008 को इक्विटी बाजार अपनी गिरावट की स्थिति से बाहर निकल आए और इसकी वजह रही अमरीका में अल्पावधि ब्याज दरों में अनपेक्षित कमी तथा मोनोलाइन बीमाकर्ताओं को पूंजी के संभावित अंतर्वेश की खबरें। जनवरी 2008 के उत्तरार्ध में इक्विटी बाजारों में पुनः उछाल आया, लेकिन इस दौरान हुए लाभ का अधिकांश हिस्सा फरवरी-मार्च 2008 के दौरान क्षीण होता गया जो विकास की संभावनाओं के कमजोर होने का परिचायक है। मॉरगन स्टेनले कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विकसित बाजार सूचकांक अक्टूबर 2007 के अंत से 23 जनवरी 2008 के दौरान 17.0 प्रतिशत घट गया और अक्टूबर

2007 के अंत से मार्च 2008 के अंत की अवधि के दौरान इसमें 14.0 प्रतिशत की गिरावट हुई। दूसरी ओर बीच-बीच में होनेवाले सुधारों, सुदृढ़ कॉर्पोरेट लाभार्जन, सुदृढ़ संविभाग प्रवाह और अत्यधिक विलयन एवं अधिग्रहण गतिविधियों के बीच उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बाजारों में वर्ष 2007-08 के अधिकांश भाग में और लाभ रिकार्ड किया गया। तथापि, लचीले बने रहने के बावजूद उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजारों में जनवरी 2008 से अत्यधिक कमजोर स्थिति देखने में आई जिसका प्रमुख कारण जोखिम वहन करने और लाभार्जन की अपेक्षाओं पर दबाव का होना था। एमएससीआई के उभरते बाजारों के सूचकांक में अक्टूबर 2007 के अंत से लेकर 23 जनवरी 2008 के दौरान 21.1 प्रतिशत तथा अक्टूबर 2007 के अंत से लेकर मार्च 2008 के अंत तक की अवधि के दौरान 17.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। वर्ष 2008-09 के दौरान, वैश्विक इक्विटी बाजारों में और भी गिरावट आई जो आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी को दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा बाजार

II.5.24 वर्ष 2007-08 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमुख करेंसियों की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्य में गिरावट आई जो सब-प्राइम संकट, फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में की गई कटौती और अपेक्षा से कम आर्थिक गतिविधियों का परिचायक है। 2007-08 की पिछली दो तिमाहियों के दौरान यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन की तुलना में अमरीकी डॉलर ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर तक पहुंच

सारणी 2.62 : अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार

देश (सूचकांक)	प्रतिशत में घट-बढ़ (वर्ष-दर-वर्ष)		पी/ई अनुपात		घट-बढ़ का सहगुणांक 2007-08
	मार्च 2007 के अंत में	मार्च 2008 के अंत में	मार्च 2007 के अंत में	मार्च 2008 के अंत में	
1	2	3	4	5	6
उभरते बाजार					
इंडोनेशिया (जकार्ता कम्पोजिट)	38.4	33.7	19.1	17.0	11.5
ब्राजील (बोवेस्पा)	20.7	33.1	14.1	14.1	9.3
थाईलैंड (सेट कम्पोजिट)	-8.1	21.3	10.6	16.6	6.9
भारत (बीएसई सूचकांक)	15.9	19.7	20.5	21.6	13.7
दक्षिण कोरिया (केओएसपीआई)	6.8	17.3	13.0	14.2	8.5
चीन	145.2	9.1	34.2	28.1	15.5
ताईवान (ताईवान सूचकांक)	19.2	8.7	17.1	18.4	6.8
रूस (आरटीएस)	34.9	6.1	13.0	12.0	7.1
मलेशिया (केएलएसई कम्पोजिट)	34.6	0.1	17.0	13.7	4.7
सिंगापुर (स्ट्रेट टाइम्स)	28.2	-4.9	14.0	10.8	7.1
विकसित बाजार					
यूएस (डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज)	11.2	-0.7	16.4	15.2	4.2
यूएस (नैसडैक कम्पोजिट)	3.5	-5.9	34.6	33.7	6.0
यूरो क्षेत्र (एफटीएसई यूरो टॉप 100)	7.5	-15.7	14.8	11.2	6.9
यूके (एफटीएसई 100)	5.8	-9.6	16.7	11.5	4.9
जापान (निकेई 225)	1.3	-27.6	23.4	14.3	11.1
हांगकांग (हैंगसेंग)	25.3	15.4	15.1	13.3	12.6
मेमो:					
एमएससीआई विश्व	13.4	-5.1	-	-	4.7
एमएससीआई उभरते	17.9	18.9	-	-	9.2
एमएससीआई एशिया	18.7	18.6	-	-	10.5
- : उपलब्ध नहीं					
स्रोत : ब्लूमबर्ग					

सारणी 2.63 : अन्य मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि (+)/हास (-)

मुद्रा	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008	अगस्त 11,
	के अंत में @	के अंत में @	के अंत में @	2008 *
1	2	3	4	5
यूरो	7.1	-9.1	-15.8	5.3
पाउंड स्टर्लिंग	8.5	-11.4	-1.5	3.5
जापानी येन	9.4	0.2	-14.9	9.8
चीनी युआन	-3.1	-3.4	-9.3	-2.2
रूसी रूबल	-0.6	-6.1	-9.7	4.5
तुर्की लीरा	-2.0	3.2	-5.8	-9.9
भारतीय रुपया	2.2	-2.5	-9.0	5.1
इंडोनेशिया रुपिया	-4.3	0.5	1.1	0.0
मलेशियन रिंगिट	-3.0	-6.2	-7.8	4.0
दक्षिण कोरिया वोन	-4.7	-3.7	5.5	3.2
थाई बाथ	-0.7	-9.9	-10.2	7.0
अर्जेंटीना पेसो	5.4	0.7	2.1	-3.8
ब्राजीलियन रियल	-18.1	-6.4	-17.0	-5.4
मेक्सिकन पेसो	-2.6	1.3	-3.5	-4.9
साउथ अफ्रीकन रैंड	-0.5	17.2	11.3	-4.9

@ : वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ . * : मार्च 2008 की समाप्ति की तुलना में घट-बढ़.

गया। वर्ष 2007-08 के दौरान अमरीकी डालर के मूल्य में यूरो की तुलना में 15.8 प्रतिशत, पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में 1.5 प्रतिशत और जापानी येन की तुलना में 14.9 प्रतिशत की कमी हुई (सारणी 2.63)। एशियाई करेंसियों में अमरीकी डालर के मूल्य में चीनी युआन की तुलना में 9.3 प्रतिशत, थाई बाथ की तुलना में 10.2 प्रतिशत की कमी आई, लेकिन दक्षिण कोरियाई वॉन की तुलना में इसमें 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-जुलाई 2008 के दौरान अमरीकी डॉलर के मूल्य में और भी गिरावट जारी रही जो पूरे विश्व में वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, कमजोर इक्विटी बाजार, विनिर्माण क्षेत्र में निम्न वृद्धि, नॉन-फार्म पेट्रोल रोजगार में कमी के साथ बेरोजगारी में हुई वृद्धि, अमरीका में नए मकानों की बिक्री में आई कमी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमरीकी डालर पर बिकवाली दबावों के मद्देनजर ग्राहकों के विश्वास में आई कमी को दर्शाती है। तथापि, यूएस में घरों की बिक्री तथा यूरो क्षेत्र में ब्याज दर की वृद्धि के लिए हासमान प्रत्याशाओं की पृष्ठभूमि में अगस्त 2008 के आरंभ से अमरीकी डालर में मूल्यवृद्धि हुई।


घरेलू वित्तीय बाजार

मुद्रा बाजार

मांग/सूचना मुद्रा बाजार

II.5.25 वर्ष 2007-08 के दौरान मुद्रा बाजार में मोटे तौर पर सुव्यवस्था बनी रही, केवल अपवादस्वरूप पूंजी प्रवाह और रिजर्व बैंक के पास रखी केंद्रीय सरकार की नकदी शेषराशि में बड़े परिवर्तन के कारण यदा-कदा उथल-पुथल देखने में आया। 5 मार्च 2007 से 5 अगस्त 2007 तक चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत रिवर्स रिपो स्वीकृतियों पर 3,000 करोड़ रुपए की सीमा लगाने से मुद्रा बाजार पर भी प्रभाव पड़ा। जून-जुलाई 2007 के दौरान मांग/सूचना दरों में नरमी आई और वे रिवर्स रेपो दर से नीचे आ गईं, लेकिन 6 अगस्त 2007 से नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन रिवर्स रेपो स्वीकार करने पर लगी 3000 करोड़ रुपए की सीमा को हटा देने के बाद पुनः रिवर्स रेपो और रेपो कॉरीडोर की ओर लौट आई (चार्ट II.17 और परिशिष्ट सारणी 35)। 1 अप्रैल 2007 से 5 अगस्त 2007 के बीच मांग दर का औसत 4.47 प्रतिशत था तथा 6 अगस्त 2007 से 31 मार्च 2008 के बीच यह 6.89 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान कुल मिलाकर मांग दर औसतन 6.07 प्रतिशत पर रही, जो 2006-07 की तुलना में 115 आधार अंक नीचे था।

II.5.26 मांग/सूचना मुद्रा बाजार में भारांकित औसत मांग/सूचना दर मार्च 2007 के दूसरे पखवाड़े के उच्च स्तर की तुलना में अप्रैल 2007 में घट गई। इसकी वजह थी केंद्र सरकार के नकदी शेष में कमी के फलस्वरूप चलनिधि की स्थिति में सुधार होना। केंद्र सरकार



के नकदी शेष में लगातार कमी के बावजूद अप्रैल 2007 के दूसरे पखवाड़े से चलनिधि की स्थिति मजबूत हो गई, आंशिक रूप से इसका कारण रहा 30 मार्च 2007 को की गई घोषणा के अनुसार सीआरआर में की गई दो चरणों में 25 आधार अंकों (प्रत्येक) की बढ़ोतरी। सीआरआर 14 अप्रैल 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 6.25 प्रतिशत और 28 अप्रैल 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 6.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसके फलस्वरूप, अप्रैल 2007 दूसरे पखवाड़े और मई 2007 में कुछ समय के लिए मांग/सूचना मुद्रा बाजार दरें बढ़कर रिपो दर को भी पार कर गईं। 28 मई 2007 से चलनिधि की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो केंद्र सरकार के नकदी शेष में कटौती और रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को दर्शाता है। अतिरिक्त चलनिधि और 5 मार्च 2007 से एलएएफ के अधीन रिवर्स रिपो पर लगाई गई 3000 करोड़ रुपए की सीमा के चलते, जून और जुलाई 2007 के दौरान मांग दर रिवर्स रेपो दर से काफी कम बनी रही। वास्तव में जून और जुलाई 2007 में कई अवसरों पर मांग दर एक प्रतिशत से भी नीचे रही; 2 अगस्त 2007 को यह 0.13 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गई।

II.5.27 6 अगस्त 2007 से एलएएफ के माध्यम से दैनिक रिवर्स रिपो पर लगाई गई 3000 करोड़ रुपए की सीमा को हटा लिए जाने से मांग दर में मजबूती आई लेकिन वह अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2007 के दौरान 6.00 - 7.75 प्रतिशत के रिवर्स रिपो और रिपो दर के अनौपचारिक दायरे के बीच बनी रही। तथापि, नवंबर 2007 के दूसरे सप्ताह से चलनिधि की स्थिति में सापेक्षिक सख्ती होने के कारण

मांग/सूचना मुद्रा बाजार दरों में वृद्धि हुई और उनका रुख अनौपचारिक दायरे की ऊपरी सीमा की ओर हुआ। इसके प्रमुख कारण थे, त्यौहारों की वजह से करेंसी की मांग में वृद्धि, रिजर्व बैंक के पास केंद्र सरकार के नकदी शेष में बढ़ोतरी और 10 नवंबर 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से सीआरआर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर उसे 7.5 प्रतिशत कर देना। दिसंबर 2007 में अग्रिम कर के बहिर्वाह के कारण चलनिधि में कमी हो जाने से मांग/सूचना दर रिपो दर के आस-पास बनी रही।


II.5.28 जनवरी 2008 के पहले सप्ताह में अंशतः केंद्र सरकार के अधिशेष में कमी किए जाने के कारण चलनिधि की स्थिति में सुधार की वजह से मांग दरों में गिरावट आई। जनवरी 2008 के उत्तरार्ध से इन दरों में मजबूती आई परंतु माह के अधिकांश दिनों में वह अनौपचारिक दायरे के भीतर बनी रही। मांग दरों का रुख जनवरी 2008 के समान ही फरवरी 2008 में भी बना रहा। तिमाही अग्रिम कर बहिर्वाह के कारण मांग/सूचना मुद्रा बाजार दरों में मार्च 2008 के उत्तरार्ध में वृद्धि हुई लेकिन कारगर चलनिधि प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा एलएएफ के अधीन की गई विशेष व्यवस्था सहित एहतियाती कार्रवाई किए जाने से मुद्रा बाजार की स्थिति को सुव्यवस्थित बनाए रखने में मदद मिली।

II.5.29 मुद्रा बाजार के संपार्श्विक खंडों - बाजार रिपो (एलएएफ से बाहर) और संपार्श्विकीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (सीबीएलओ) - में ब्याज दरें मांग दरों के आस-पास बनी रहीं। अब संपार्श्विक बाजार मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण खंड है और वर्ष 2007-08 के दौरान कुल कारोबार में इसका हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत रहा (चार्ट II.18 और सारणी 2.64)। वर्ष 2007-08 के दौरान ब्याज दर सीबीएलओ, बाजार रिपो और मांग/सूचना मुद्रा बाजार में क्रमशः

औसतन 5.20 प्रतिशत, 5.50 प्रतिशत और 6.07 प्रतिशत रही (एक वर्ष पहले ये क्रमशः 6.24 प्रतिशत, 6.34 प्रतिशत और 7.22 प्रतिशत थीं)। वर्ष 2007-08 के दौरान इन सभी तीन मुद्रा बाजार खंडों में भारांकित औसत दर कुल मिलाकर 5.48 प्रतिशत थी, जो कि एक वर्ष पहले 6.57 प्रतिशत थी। सीबीएलओ और बाजार रिपो दोनों खंडों में म्यूच्युअल फंड प्रमुख उधार देनेवाले जबकि वाणिज्य बैंक तथा प्राथमिक व्यापारी प्रमुख उधार लेनेवालों में शामिल थे। अप्रैल-जुलाई 2008 के दौरान सीबीएलओ और बाजार रिपो खंडों में औसत दरें क्रमशः 6.55 प्रतिशत और 6.82 प्रतिशत थीं।

II.5.30 अप्रैल 2008 के आरंभ से केंद्र सरकार के नकदी अधिशेष में उल्लेखनीय कमी हो जाने के कारण मांग दर में नरमी आई। अप्रैल 2008 के दौरान मांग/सूचना मुद्रा दर औसतन 6.11 प्रतिशत पर रिवर्स रिपो के आस-पास बनी रही। मई 2008 में मांग दर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और वह 6.62 प्रतिशत के औसत पर पहुंच गई जो बैंकिंग प्रणाली की अधिशेष चलनिधि में गिरावट को दर्शाता है, ऐसा 26 अप्रैल 2008, 10 मई 2008 और 24 मई 2008 से आरंभ होनेवाले पखवाड़ों से तीन चरणों में प्रभावी, हर स्तर पर सीआरआर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए उसके 8.25 प्रतिशत पर पहुंच जाने से हुए संचयी प्रभाव के कारण हुआ। जून 2008 के आरंभ में थोड़ा सुधार होने के बाद, चलनिधि की स्थिति में सख्ती आने के कारण 10 जून 2008 से अधिकतर मांग दर रिपो दर से अधिक बनी रही। जुलाई 2008 के पहले सप्ताह में मांग दरों में तीव्र गिरावट आई और यह एलएएफ के दायरे में बनी रही क्योंकि केंद्र सरकार के नकदी शेष में गिरावट आने के कारण चलनिधि की स्थिति में सुधार देखने में आया। इसके पश्चात् मांग दर बढ़कर ज्यादातर रिपो दर से अधिक रही, जो सीआरआर में दो चरणों में प्रत्येक बार की गई 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी (क्रमशः 5 जुलाई एवं 19 जुलाई) से

चार्ट II.18 : मुद्रा बाजार - ब्याज दर और मात्रा



* : मांग मुद्रा, सीबीएलओ और बाजार रिपो खंडों में ब्याज दर का भारत औसत

सारणी 2.64 : मुद्रा बाजार खंडों की गतिविधियां

(रुपए करोड़)

वर्ष/माह	औसत दैनिक मात्रा (एक चरण)					वाणिज्यिक पत्र		जमा प्रमाणपत्र	
	मांग मुद्रा बाजार	रिपो बाजार (एलएएफ बाहर)	संपार्श्वकीकृत उधार लेने और देने के दायित्व (सीबीएलओ)	कुल (2+3+4)	मीयादी मुद्रा बाजार	बकाया	डब्ल्यू-एडीआर (प्रतिशत)	बकाया	डब्ल्यू-एडीआर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2005-06	8,990	5,296	10,020	24,306	417	17,285	6.46	27,298	-
2006-07	10,863	8,419	16,195	35,477	506	21,336	8.08	64,821	8.24
2007-08	10,697	13,684	27,813	52,194	352	33,813	9.20	1,16,904	8.94
जन 2007	11,180	6,591	15,758	33,529	515	24,398	9.09	70,149	9.22
फर 2007	11,627	7,794	19,063	38,484	467	21,167	10.49	72,795	9.87
मार्च 2007	11,608	8,687	17,662	37,957	739	17,863	11.33	93,272	10.75
अप्रै 2007	14,845	7,173	18,086	40,104	440	18,759	10.52	95,980	10.55
मई 2007	10,238	8,965	20,810	40,013	277	22,024	9.87	99,715	9.87
जून 2007	8,413	10,295	20,742	39,450	308	26,256	8.93	98,337	9.37
जुला 2007	8,290	12,322	20,768	41,380	288	30,631	7.05	1,05,317	7.86
अग 2007	11,802	16,688	26,890	55,380	319	31,784	8.30	1,09,224	8.67
सितं 2007	10,995	17,876	29,044	57,915	265	33,614	8.95	1,18,481	8.57
अक्तू 2007	9,275	15,300	29,579	54,154	221	42,183	7.65	1,24,232	7.91
नव 2007	10,073	12,729	28,614	51,416	184	41,308	9.45	1,27,143	8.48
दिसं 2007	8,124	13,354	30,087	51,565	509	40,243	9.27	1,23,466	8.81
जन 2008	13,765	17,029	35,711	66,505	312	50,062	11.83	1,29,124	8.82
फर 2008	11,358	17,682	36,007	65,047	525	40,642	9.73	1,39,160	9.94
मार्च 2008	11,182	14,800	37,413	63,395	571	32,592	10.38	1,47,792	10.00
अप्रै 2008	9,758	14,966	38,828	63,552	374	37,584	8.85	1,50,865	8.49
मई 2008	9,740	14,729	36,326	60,795	420	42,032	9.02	1,56,780	8.95
जून 2008	10,854	11,262	35,774	57,890	253	46,847	10.03	1,63,143	9.16
जुला 2008 (अ)	12,368	8,591	23,669	44,628	226	51,569	10.95	1,64,892	10.23

-: अनुपलब्ध.

डब्ल्यूएडीआर: भारित औसत बढ़ा दर

अ. : अनंतिम

उसके 8.75 प्रतिशत पर पहुंच जाने और 29 जुलाई 2008 को रिपो दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी से उसके 9.0 प्रतिशत पर पहुंच जाने के प्रभाव को दर्शाता है। जुलाई 2008 में औसत मांग दर 8.76 प्रतिशत थी। अगस्त 2008 के दौरान अब तक (20 अगस्त 2008), मांग दरें, चलनिधि की वर्तमान सख्त स्थितियों के कारण, अधिकांशतः रिपो दर के ऊपर रहीं। 20 अगस्त 2008 को मांग दर 9.56 प्रतिशत थी।

जमा प्रमाण पत्र

II.5.31 अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) ऋण की मांग को पूरा करने हेतु अपने जमा संसाधनों में इजाजा करने के लिए जमा प्रमाणपत्रों पर निर्भर बने रहे। बड़ी मात्रा में जमाराशियों को आकर्षित करने के लिए समय तथा दिए जाने वाले प्रतिफल की लोचनीयता ने जमा प्रमाणपत्रों को कुछ बैंकों द्वारा संसाधनों को इकट्ठा किए जाने का पसंदीदा

जरिया बना दिया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्रों के लिए दी जानेवाली बकाया राशि जो मार्च 2007 के अंत में 93,272 करोड़ रुपए थी, मार्च 2008 के अंत में बढ़कर 1,47,792 करोड़ रुपए तक पहुंच गई (देखिए सारणी 2.64 और परिशिष्ट सारणी 36)। यह बकाया राशि मार्च 2008 के अंत में जमा प्रमाणपत्र जारी करनेवाले बैंकों की समग्र जमाराशि का 6.0 प्रतिशत थी (मार्च 2007 के अंत में 4.8 प्रतिशत), जिसमें बैंकवार काफी अंतर था। कम जमाराशि आधार वाले छोटे बैंकों की कुल जमाराशि की तुलना में जमा प्रमाणपत्रों का अनुपात बड़े बैंकों की अपेक्षा अधिक था। वर्ष 2007-08 के दौरान "181 दिन और अधिक" अवधि के लिए सबसे अधिक राशि के जमाराशि प्रमाण पत्र जारी किए गए। जमा प्रमाणपत्रों की भारित औसत बढ़ा दर (डब्ल्यूएडीआर) मार्च 2007 के अंत के 10.75 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 10.0 प्रतिशत थी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्रों

के लिए बकाया राशि बढ़कर 18 जुलाई 2008 को 1,64,892 करोड़ रुपए पर पहुंच गई जो जमा प्रमाणपत्र जारी करनेवालों बैंकों की कुल समस्त जमाराशि का 6.2 प्रतिशत थी। जमा प्रमाणपत्रों की भारत औसत बढ़ा दर 18 जुलाई 2008 को 10.23 प्रतिशत थी।

वाणिज्यिक पत्र

II.5.32 कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि मार्च 2007 के अंत में 17,863 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर जनवरी 2008 के अंत में 50,062 करोड़ रुपए हो गई (देखिए सारणी 2.64 और परिशिष्ट सारणी 37)। उसके बाद वाणिज्यिक पत्रों को जारी करने में गिरावट आई और मार्च 2008 के अंत में बकाया राशि घटकर 32,592 करोड़ रुपए रह गई, जो वर्ष के अंत में होनेवाले मौसमी मोचन को दर्शाता है। वाणिज्यिक पत्रों को जारी किए जाने का पाक्षिक औसत 2006-07 के 2,322 करोड़ रुपए की तुलना में 2007-08 के दौरान 4,153 करोड़ रुपए था। वाणिज्यिक पत्रों को जारी करने में प्राइम रेटेड संस्थाओं का वर्चस्व था। वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि बढ़कर 31 जुलाई 2008 को 51,569 करोड़ रुपए हो गई। वाणिज्यिक पत्रों पर भारत औसत बढ़ा दर, जो 31 मार्च 2007 को 11.33 प्रतिशत थी, अक्टूबर 2007 के अंत में घटकर 7.65 प्रतिशत रह गई, लेकिन फिर इसमें तेजी आई और यह 31 मार्च 2008 को 10.38 प्रतिशत पर पहुंच गई और 31 जुलाई 2008 को और बढ़कर 10.95 प्रतिशत हो गई। वाणिज्यिक पत्रों को जारी करने की सबसे पसंदीदा अवधि "180 दिन और उससे अधिक" थी।

II.5.33 वाणिज्यिक पत्रों को जारी करनेवालों में पट्टेदारी और वित्तपोषण कंपनियां प्रमुख थीं और उनके बाद विनिर्माण कंपनियों और वित्तीय संस्थानों का स्थान आता है (सारणी 2.65)।

विदेशी मुद्रा बाजार

II.5.34 वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय रुपए में 39.26 - 43.15 प्रति अमरीकी डालर के दायरे में सामान्यतः दो तरफा गति देखी गई (चार्ट II.19)। वर्ष के आरंभ में, घरेलू मुद्रा बाजार में चलनिधि की तंगी की स्थिति और बैंकों द्वारा अमरीकी डालर की बिक्री की वजह से रुपए के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई और वह मार्च 2007 के अंत के 43.60 रुपए प्रति डालर से बढ़कर 29 मई 2007 को 40.46 रुपए प्रति अमरीकी डालर पर पहुंच गया। उसके पश्चात जुलाई 2007 के अंतिम सप्ताह तक रुपए में स्थिरता बनी रही। तथापि, विदेशी संस्थागत निवेश का बहिर्वाह, भारतीय इक्विटी बाजार में मंदड़िया की स्थिति और अमरीकी सब-प्राइम बंधक संकट की आशंकाओं की वजह से अगस्त 2007 के पहले पखवाड़े के दौरान भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट आई और वह 31 जुलाई 2007 के

सारणी 2.65 वाणिज्यिक पत्र - प्रमुख जारीकर्ता

(करोड़ रुपए)


जारीकर्ता की श्रेणी	अंत में			
	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008	जुलाई 2008
1	2	3	4	5
पट्टेदारी और वित्त	9,400 (73.9)	12,594 (70.5)	24,925 (76.5)	38,754 (75.1)
विनिर्माण	1,982 (15.6)	2,754 (15.4)	5,687 (17.4)	9,560 (18.6)
वित्तीय संस्थाएं	1,336 (10.5)	2,515 (14.1)	1,980 (6.1)	3,255 (6.3)
कुल	12,718 (100.0)	17,863 (100.0)	32,592 (100.0)	51,569 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए आंकड़े कुल बकाया के प्रतिशत अंश हैं।

40.43 रु. प्रति अमरीकी डालर से बढ़कर 17 अगस्त 2007 को 41.58 रु. प्रति अमरीकी डालर हो गया। लेकिन उसके बाद बड़ी मात्रा में पूंजी के अंतर्वाह, अमरीकी फेडरल बैंक द्वारा ब्याज दर में कमी, अन्य प्रमुख करेंसियों की तुलना में अमरीकी डालर के मूल्य में आई कमी और घरेलू शेयर बाजार के अच्छे कार्य-निष्पादन के कारण रुपए की विनिमय दर में वृद्धि हुई। अक्टूबर 2007 - जनवरी 2008 के दौरान रुपया 39.26 - 39.84 रुपए प्रति अमरीकी डालर के दायरे के बीच घूमता रहा। तथापि, फरवरी 2008 के आरंभ से विदेशी संस्थागत निवेश के बहिर्वाह, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और तेल कंपनियों द्वारा डालर की अत्यधिक मांग किए जाने से अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में गिरावट आनी शुरू हो गई। मार्च 2008 के अंत में रुपए की विनिमय दर 39.99 रुपए प्रति अमरीकी डालर थी।

II.5.35 रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान 26.8 बिलियन अमरीकी डालर की खरीद की गई थी, जिसकी तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 78.2 बिलियन अमरीकी डालर की खरीद की गई (चार्ट II.20 और सारणी 2.66)। मार्च 2007 के अंत से मार्च 2008 के अंत के दौरान अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में मार्च 2007 के अंत की स्थिति से 9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए की विनिमय दर में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि यूरो की तुलना में 7.8 प्रतिशत, जापानी येन की तुलना में 7.6 प्रतिशत और चीनी युआन की तुलना में 1.1 प्रतिशत की कमी आई।

चार्ट II.19 : प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए में घट-बढ़



II.5.36 वर्ष 2008-09 के दौरान अब तक (20 अगस्त 2008 तक), आम तौर पर भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट हुई है जो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बड़ी मात्रा में पूंजी को बाहर ले जाने (वर्ष 2008-09 की पहली तिमाही के दौरान 5.2 बिलियन अमरीकी डालर), तेल कंपनियों द्वारा डालर की अधिक मांग और शेयर बाजार की मंदिड़िया परिस्थितियों को दर्शाता है। 20 अगस्त 2008 को रुपए की विनिमय दर प्रति अमरीकी डालर 43.75 रुपए थी। इस स्तर पर भारतीय रुपए की विनिमय दर में 31 मार्च 2008 के स्तर की

तुलना में 8.6 प्रतिशत की गिरावट देखने में आई। इसी अवधि के दौरान रुपए की विनिमय दर में पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में 2.5

सारणी : 2.66 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डालर की खरीद और बिक्री

(मिलियन अमरीकी डालर)


वर्ष/माह	खरीद (+) (+)	बिक्री (-) (-)	निवल (+/-) खरीद (+) बिक्री (-)	निवल बकाया वायदा बिक्रियां (-) खरीद (+) (माह के अंत में)
1	2	3	4	5
2005-06	15,239	7,096	(+) 8,143	0
2006-07	26,824	0	(+) 26,824	0
2007-08	79,696	1,493	(+) 78,203	14,735
जन 2007	2,830	0	(+) 2,830	0
फर 2007	11,862	0	(+) 11,862	0
मार्च 2007	2,307	0	(+) 2,307	0
अप्रैल 2007	2,055	0	(+) 2,055	0
मई 2007	4,426	0	(+) 4,426	0
जून 2007	3,192	0	(+) 3,192	0
जुला. 2007	11,428	0	(+) 11,428	0
अग. 2007	1,815	0	(+) 1,815	0
सितं. 2007	11,867	0	(+) 11,867	0
अक्टू. 2007	12,544	0	(+) 12,544	(+) 4,990
नव. 2007	7,827	0	(+) 7,827	(+) 7,553
दिसं. 2007	2,731	0	(+) 2,731	(+) 8,238
जन 2008	13,625	0	(+) 13,625	(+) 16,629
फर 2008	3,884	0	(+) 3,884	(+) 16,178
मार्च 2008	4,302	1,493	(+) 2,809	(+) 14,735
अप्रैल 2008	4,325	0	(+) 4,325	(+) 17,095
मई 2008	1,625	1,477	(+) 148	(+) 15,470
जून 2008	1,770	6,999	(-) 5,229	(+) 13,700

(+) : इसमें खरीद निहित है, जिसमें स्वेप और तत्काल वायदों के अंतर्गत खरीद चरण भी शामिल है।

(-) : इसमें बिक्री निहित है जिसमें स्वेप और तत्काल वायदों के अंतर्गत बिक्री चरण भी शामिल है।

टिप्पणी : यह सारणी मूल्य निर्धारण की तारीखों पर आधारित है और इसमें इंडिया मिलेनियम डिफॉजेंट के तहत किए गए लेनदेनों के आंकड़े शामिल हैं।

चार्ट II.20 : विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप और विनिमय दर



प्रतिशत, यूरो की तुलना में 2.2 प्रतिशत और चीनी युआन की तुलना में 10.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई जबकि जापानी येन की तुलना में इसमें 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।



II.5.37 भारत को आइएमएफ के 'प्रबंधित प्लोट' विनिमय दर युग के तहत वर्गीकृत किया गया है। रिजर्व बैंक आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है। भारत की विनिमय दर नीतियों को एशिया के लिए आदर्श बताया गया है (बॉक्स II.17)।

II.5.38 प्रभावी विनिमय दर के अनुसार 36-मुद्रा व्यापार आधारित भारांकों के अनुसार भारतीय रुपए की सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में मार्च 2007 और मार्च 2008 के बीच क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान 6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांकों के अनुसार भारतीय रुपए की एनईईआर और आरईईआर में क्रमशः 0.2 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी 38)। 8 अगस्त 2008 को मार्च 2008 के अंत के स्तरों की तुलना में 6-करेंसी व्यापार भारित रुपए की सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर में 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.5.39 हाजिर विदेशी मुद्रा बाजार की स्थितियों और घरेलू मुद्रा बाजार में चलनिधि की सामान्यतः सुखद स्थितियों ने वर्ष 2007-08 के दौरान अमरीकी डालर पर वायदा प्रीमिया को कम बनाए रखा

(चार्ट II.21)। फरवरी 2008 में एक ओर जहां रुपए का कारोबार बढ़े पर एक माह के वायदा दर पर जारी रहा, वहीं निर्यातकों द्वारा वायदा स्थिति को भुनाते रहने के कारण तीन माह और छह माह के वायदा प्रीमिया वित्त वर्ष में सबसे निचले स्तर पर बने रहे। एक माह, तीन माह और छह माह के वायदा प्रीमिया, जो मार्च 2007 के अंत में क्रमशः 7.30 प्रतिशत, 5.14 प्रतिशत और 4.40 प्रतिशत थे, वे 31 मार्च 2008 को घटकर क्रमशः 3.45 प्रतिशत, 2.75 प्रतिशत और 2.50 प्रतिशत पर पहुंच गए। 8 अगस्त 2008 को एक माह, तीन माह और छह माह के वायदा प्रीमिया क्रमशः 6.82 प्रतिशत, 5.59 प्रतिशत और 4.36 प्रतिशत थे।

II.5.40 वर्ष 2007-08 के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार के कुल कारोबार में 87.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो बड़ी संख्या में सीमा पार के ट्रेड और पूंजी प्रवाह को दर्शाता है (चार्ट II.22 और परिशिष्ट सारणी 39)। वर्ष 2007-08 के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में औसत दैनिक कारोबार बढ़कर 48.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो कि वर्ष 2006-07 के दौरान 25.8 बिलियन अमरीकी डालर था। अंतर्बैंक औसत दैनिक कारोबार जहां 18.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 33.8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया, वहीं मर्चेट कारोबार 7.0 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 14.3 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया। अंतर्बैंक और मर्चेट कारोबार का अनुपात एक वर्ष पहले के 2.7 की तुलना में 2007-08 के दौरान 2.4 था।



बॉक्स II.16 विनिमय दर व्यवस्था

उचित विनिमय दर मुद्रा व्यवस्था का विकल्प समय के साथ-साथ और प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार देशों के बीच तथा देश विशेष के संदर्भ में परिवर्तित हुआ है। नियत (हार्ड पेग्स) और विदेशी मुद्रा की स्वतंत्र चल विनिमय दर ये दोनों विनिमय दर व्यवस्था के विपरीत ध्रुव हैं। नियत विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत देश की करेंसी के मूल्य को अन्य करेंसी अथवा अन्य करेंसियों के बास्केट के मूल्यों के साथ मिलाया जाता है। करेंसी बोर्ड व्यवस्था के मामले में घरेलू करेंसी का समर्थन संदर्भाधीन विदेशी करेंसी द्वारा एक-पर-एक आधार पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा की स्वतंत्र चल दर अथवा लचीली विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत घरेलू करेंसी के मूल्यों को विदेशी मुद्रा बाजार के मांग और आपूर्ति बलों के अनुसार घटने-बढ़ने दिया जाता है। इन दो विनिमय दर व्यवस्थाओं के बीच मध्यस्थ व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला विद्यमान होती है जैसे - 'प्रबंधित फ्लोट' और 'विनिमय दर बैंड'। 'प्रबंधित फ्लोट' एक ऐसी मध्यस्थ व्यवस्था है जो 'स्वतंत्र फ्लोट' के करीब है, जबकि 'विनिमय दर बैंड' ऐसी मध्यस्थ व्यवस्था है जो 'पेगड रिजिम (स्थिर व्यवस्था)' के करीब है। प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत प्राधिकारियों के द्वारा ब्याज दर नीति का समायोजन किया जाता है और/अथवा बिना किसी विशेष प्रतिबद्धता के जानबूझकर विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया जाता है। विनिमय दर बैंड या तो नियत पेग्स (क्षैतिज बैंड की सीमा में पेगड विनिमय दर कहा जाता है) अथवा क्रालिंग पेग्स या धीमी गति से परिवर्तित होनेवाली दर (क्रालिंग बैंड कहा जाता है) होती है। बैंड व्यवस्था के अंतर्गत, करेंसी का मूल्य नियत केंद्रीय दर के आसपास कम-से-कम +/-1 प्रतिशत के घटबढ़ के किसी मार्जिन के भीतर रखा जाता है, अथवा विनिमय दर के अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच का मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक होता है। क्रालिंग बैंड के अंतर्गत केंद्रीय दर / मार्जिन का समायोजन नियत दर पर अथवा चयनात्मक मात्रात्मक सूचकों में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में आवधिक रूप से किया जाता है। प्रत्येक व्यवस्था के अपने लाभ और अपनी हानियां हैं।

बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय एकीकरण तथा बढ़ती हुई विदेशी पूंजी प्रवाहों के अनुभवों के कारण पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाओं के लिए विनिमय दर व्यवस्था के चुनाव में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 1990 के दशक में ईएमई में विभिन्न प्रकार के संकट आए हैं। इनमें से कई नियत विदेशी मुद्रा दर को बनाए रखने के प्रयास के अंजाम थे जैसेकि 1994 में मेक्सिको में हुआ, 1997 में कुछ पूर्वी एशिया के देशों में हुआ और 1998 में रूस में हुआ। इन संकटों ने उचित विनिमय दर व्यवस्था पर नए सिरे से बहस को जन्म दिया। एक विचार धारा का मानना था कि लिखित विनिमय दर पेग्स को निर्धारित करना एक गलती थी और जिसका समाधान वर्धित विनिमय दर लोच में निहित है। दूसरी विचारधारा का मानना था कि प्रतिबद्धता पूरी न कर पाने के कारण नियत दर व्यवस्था में संकट आया और सर्वोत्तम नीति यह थी कि करेंसी बोर्ड जैसी पक्की संस्थागत प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इस प्रकार एशियाई संकट के पश्चात आम तौर पर मानी जा रही सैद्धांतिक स्थिति यह थी कि किसी देश के पास मौद्रिक स्वतंत्रता त्यागने तथा करेंसी बोर्ड स्थापित करने अथवा स्थिर करेंसी प्रयोजन को त्यागने और विनिमय दर को स्वतंत्रतापूर्वक अपना स्थान ग्रहण करने देने का विकल्प होना चाहिए ताकि मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति नियंत्रण के प्रयोजनों के अनुरूप निदेशित किया जा सके। तथापि नियत विनिमय दर प्रणाली स्पष्टतया ब्राजीलियन और अर्जेंटीनियन संकट, जो एशियाई संकट के पश्चात घटित हुआ, के पश्चात गैर-

पसंदीदा हो गई क्योंकि डालर के मुकाबले नियत पेग्स की मजबूत करेंसी बोर्ड जैसी व्यवस्थाएं भी अर्थक्षम नहीं पायी गईं। प्रमुख विचार उभरकर आया कि अधिकतर देशों के लिए चल अथवा लचीली विनिमय दरों का होना एकमात्र ऐसा धारणीय उपाय था जिससे कम जोखिमपूर्ण विनिमय दर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती। तथापि, यह आम तौर पर माना जाता है कि चल, नियत और मध्यवर्ती व्यवस्थाएं सर्वथा उचित हैं और यह कि उचित व्यवस्था का चुनाव प्रश्नगत देश की परिस्थितियों की जानकारी को नजरअंदाज करते हुए नहीं किया जा सकता।

विभिन्न देशों के अनुभवों का झुकाव देश विशेष की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मध्यवर्ती व्यवस्था की ओर है तथा विनिमय दर के स्तर के लिए कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऐसा विशेष तौर पर न्यून और मध्यम आय वाले उन देशों के मामले में सत्य घटित हुआ है जो फ्लोटिंग दर में संस्थागत और परिचालनगत रुकावटों का सामना करते हैं और थोड़े समय फ्लोटिंग में चलने के बाद शीघ्र ही पेग्स पर वापस आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 2007 की विनिमय दर व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के अनुसरण में अप्रैल 2007 को 83 देशों ने फ्लोटिंग व्यवस्था (जिनमें से 48 ने प्रबंधित फ्लोट और 35 ने स्वतंत्र फ्लोट को अपनाया), 82 देशों ने सॉफ्ट पेग्स और 23 देशों ने हार्ड पेग्स को अपनाया। सॉफ्ट पेग्स अपनानेवाले 82 देशों में से 49 देश एक करेंसी से बंधे हैं, जबकि 6 देशों ने विनिमय दर बैंड अपनाया है जिसमें क्षैतिज बैंड (हंगरी, साइप्रस, डेनमार्क, स्लोवाक गणतंत्र और टोंगा) और क्रालिंग बैंड (कोस्टारिका) सम्मिलित हैं।

मार्च 1993 से भारत में विदेशी मुद्रा दर का निर्धारण मुख्य तौर से बाजार की मांग और आपूर्ति की स्थितियों पर निर्भर रहकर किया जाता रहा है। हाल के वर्षों में भारत का दृष्टिकोण लचीलेपन के साथ विनिमय दरों की सावधानीपूर्वक निगरानी और प्रबंध करने के विस्तृत सिद्धांतों से निदेशित रहा है जिसमें कोई स्थिर लक्ष्य निर्धारित नहीं होता अथवा पूर्व घोषित लक्ष्य अथवा बैंड नहीं होता, तथा साथ ही आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करने की गुंजाइश होती है जबकि निहित मांग और आपूर्ति की स्थितियों को इस बात की अनुमति होती है कि वे एक अवधि में व्यवस्थित तौर पर विनिमय दर संचलनों को उचित तरीके से निर्धारित करें। इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन को पूरा करने की शर्त पर विनिमय दर नीति अधिक अस्थिरता को कम करने, सट्टेबाजी की गतिविधियों को स्थापित होने से रोकने, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने में मदद करने और एक व्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार विकसित करने की आवश्यकता द्वारा निदेशित है। यह प्रणाली देश में सफल रही है।

संदर्भ

1. फ्रैंकेल, जेफ्री (2003), "एक्सपीरियेंस ऑफ एण्ड लेसन फ्रॉम एक्सचेंज रेट इन इमर्जिंग इकोनॉमिज" वर्किंग पेपर 10032, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, केंब्रिज, आईएए 02138-अक्टूबर।
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2007), विदेशी मुद्रा व्यवस्था और विदेशी मुद्रा प्रतिबंधनों पर वार्षिक रिपोर्ट।
3. जालान, विमल (2003) का भाषण, भारत के 14वें राष्ट्रीय फोरेक्स एसोसिएशन असेंबली में, अगस्त।

II.5.41 अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के अप्रैल 2007 में जारी 'ट्रिपल एनल सेंट्रल बैंक सर्वे ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स मार्केट ऐक्टिविटी' के अनुसार, वैश्विक दैनिक औसत विदेशी विनिमय कारोबार अप्रैल 2001 के 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डालर तथा अप्रैल 2004 के 2.0 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल 2007 में 3.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। सर्वेक्षण के अनुसार, विदेशी मुद्रा में ट्रेडिंग सामान्यतः उभरते बाजारों में बढ़ा, तथापि, सर्वेक्षण में शामिल सभी देशों में से भारत की वृद्धि सर्वाधिक थी। भारत का दैनिक औसत विदेशी मुद्रा बाजार कारोबार अप्रैल 2004 के 7 बिलियन अमरीकी डालर (दैनिक औसत वैश्विक विदेशी मुद्रा कारोबार के 0.3 प्रतिशत अंश) से लगभग पाँच गुना बढ़कर अप्रैल 2007 में 34 बिलियन अमरीकी डॉलर (दैनिक औसत वैश्विक विदेशी मुद्रा कारोबार का 0.9 प्रतिशत अंश) हो गया। अप्रैल 2001 में भारत का दैनिक औसत विदेशी मुद्रा कारोबार 3 बिलियन अमरीकी डालर था।

सरकारी प्रतिभूति बाजार


II.5.42 सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिफल में 2007-08 की पहली तिमाही में कुछ सख्ती आयी, जो अंशतः वैश्विक प्रवृत्तियों, सीआरआर में वृद्धि, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) की अधिकतम सीमा में वृद्धि तथा एमएसएस के तहत निर्गमों को दर्शाता है (चार्ट II.23)। 10-वर्षीय प्रतिफल 11 जून 2007 को 8.32 प्रतिशत की आंतर-वर्ष ऊंचाई पर पहुंच गई। उसके बाद, जुलाई 2007 में प्रतिफल में नरमी आई, जो चलनिधि की स्थिति में नरमी, न्यूनतर मुद्रास्फीति और प्रतिफल की वैश्विक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। प्रतिफल में गिरावट को रोका गया क्योंकि बाजार ने 6 अगस्त 2007 को एलएएफ के तहत चलनिधि के अवशेषों पर लगाई गई ऊपरी सीमा को हटाये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगस्त-दिसंबर 2007 के दौरान प्रतिफल सामान्यतः एक दायरे में रहा। देशी सरकारी

प्रतिभूति बाजार में जनवरी 2008 में उछाल आया तथा 10-वर्षीय प्रतिफल 23 जनवरी 2008 को 7.42 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो अमरीकी फेड द्वारा दर में कटौती किए जाने के चलते रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती की आशा बढ़ने को दर्शाता है। बाद में मार्च 2008 के दूसरे पखवाड़े से प्रतिफल में तेजी आने लगी, जो उच्चतर मुद्रास्फीति को दर्शाता है। 2007-08 के दौरान 10-वर्षीय प्रतिफल 7.42-8.32 प्रतिशत के दायरे में रहा। 31 मार्च 2008 को 10-वर्षीय प्रतिफल 7.93 प्रतिशत था जो मार्च 2007 के अंत की तुलना में 4 आधार अंक कम था।

II.5.43 2008-09 के दौरान अब तक (20 अगस्त 2008 तक) 10-वर्षीय प्रतिफल 7.91-9.51 प्रतिशत के दायरे में रहा। प्रतिफल में सख्ती आई क्योंकि देशी थोक मूल्य सूचकांक में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं में सख्ती आई थी। 10 वर्षीय प्रतिफल 15 जुलाई 2008 को 9.51 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचने के बाद जुलाई 2008 के तीसरे सप्ताह में गिर गया, जो अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में आयी नरमी को दर्शाता है। 20 अगस्त 2008 को 10 वर्षीय प्रतिफल 9.15 प्रतिशत था जो मार्च 2008 के अंत की तुलना में 122 आधार अंक अधिक था।

II.5.44 1 से 10 वर्षीय प्रतिफल के बीच का स्प्रेड मार्च 2007 के अंत के 42 आधार अंकों से थोड़ा बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 45 आधार अंक हो गया। दीर्घावधि में 10 से 30 वर्षीय प्रतिफल के बीच का स्प्रेड मार्च 2007 के अंत के 37 आधार अंकों से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 47 आधार अंक हो गया। 5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में 5-वर्षीय एएए-दरवाले बांडों के प्रतिफल का स्प्रेड मार्च 2007 के अंत के 142 आधार अंकों से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 161 आधार अंक हो गया (सारणी 2.67)।

चार्ट II.23 : केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल



सारणी 2.67 : प्रतिफल स्प्रेड

(आधार अंक)


वर्ष/माह	स्प्रेड 10 वर्ष- 91-दिवसीय खजाना बिल	10 वर्ष- 1 वर्ष	20 वर्ष- 10 वर्ष	30 वर्ष- 10 वर्ष	5 वर्षीय एएए बांड- 5 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति
1	2	3	4	5	6
2005-06	146	106	36	45	48
2006-07	115	77	32	43	106
2007-08	65	37	30	38	151
जनवरी 2007	43	36	32	35	126
फरवरी 2007	65	37	16	21	152
मार्च 2007	41	42	26	37	142
अप्रैल 2007	80	27	19	33	162
मई 2007	107	41	25	36	174
जून 2007	87	65	23	31	186
जुलाई 2007	176	77	30	47	137
अगस्त 2007	98	51	31	39	170
सितंबर 2007	84	52	40	49	157
अक्टूबर 2007	57	21	37	43	125
नवंबर 2007	44	20	31	39	123
दिसंबर 2007	46	19	25	31	127
जनवरी 2008	-39	11	24	28	141
फरवरी 2008	-33	11	32	36	158
मार्च 2008	78	45	38	47	161
अप्रैल 2008	77	27	38	42	130
मई 2008	74	29	24	29	145
जून 2008	-12	-49	58	50	125
जुलाई 2008	-15	-4	50	53	124

II.5.45 कुछ वर्षों से, सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त तथा प्रतिफल में आम तौर पर विपरीत संबंध देखा गया है। बढ़ते प्रतिफल की अवधि में पण्यवर्त में कमी आती है जबकि प्रतिफल में नरमी आने की अवधि में पण्यवर्त में तेज वृद्धि होती है (चार्ट II.24 तथा परिशिष्ट सारणी 40)।

क्रेडिट बाजार

II.5.46 1 साल से 3 साल तक की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें मार्च 2007 के 7.25-9.50 प्रतिशत के दायरे की तुलना में मार्च 2008 में 8.25-9.25 प्रतिशत के दायरे में रखी गईं, जबकि 3 साल से अधिक परिपक्वतावाली जमाराशियों पर प्रस्तावित ब्याज दरें मार्च 2007 के 7.50-9.50 प्रतिशत के दायरे की तुलना में मार्च 2008 में 8.00-9.00 प्रतिशत के दायरे में रखी गईं। इसी तरह, 1 साल से 3 साल तक की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा

चार्ट II.24 : सरकारी प्रतिभूति बाजार में कारोबार और प्रतिफल



प्रस्तावित ब्याज दरें मार्च 2007 के 6.75-9.75 प्रतिशत के दायरे की तुलना में मार्च 2008 में 7.25-9.25 प्रतिशत के दायरे में रखी गईं, जबकि 3 साल से अधिक परिपक्वतावाली जमाराशियों पर प्रस्तावित ब्याज दरें मार्च 2007 के 7.75-9.60 प्रतिशत के दायरे की तुलना में मार्च 2008 में 7.25-9.75 प्रतिशत के दायरे में रखी गईं। 1 साल से 3 साल तक की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर विदेशी बैंकों द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें मार्च 2007 के 3.50-9.50 प्रतिशत के दायरे की तुलना में मार्च 2008 में 3.50-9.75 प्रतिशत के दायरे में रखी गईं (सारणी 2.68 तथा परिशिष्ट सारणी 41)।

II.5.47 2008-09 में अब तक (जुलाई 2008 के अंत तक) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा ब्याज दरें तेज हो गईं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की एक से तीन साल तक की जमाराशियों पर ब्याज की दरें मार्च 2008 के 8.25-9.25 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर जुलाई 2008 में 8.25-9.75 प्रतिशत हो गईं। निजी क्षेत्र के बैंकों की 1 से 3 साल तक तथा 3 साल से अधिक दोनों की जमाराशियों पर ब्याज दरें मार्च 2008 के क्रमशः 7.25-9.25 प्रतिशत तथा 7.25-9.75 प्रतिशत के दायरे की तुलना में जुलाई 2008 में बढ़कर 8.00-10.00 प्रतिशत के दायरे में पहुंच गईं।

II.5.48 सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क मूल उधार दरों (बीपीएलआर) को मार्च 2007 के क्रमशः 12.25-12.75 प्रतिशत तथा 12.00-16.50 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2008 में क्रमशः 12.25-13.50 प्रतिशत तथा 13.00-16.50

सारणी 2.68: जमा और उधार दरें

(प्रतिशत)

मद	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008	जून 2008	जुलाई 2008
1	2	3	4	5	6	7
1. घरेलू जमा दर						
सरकारी क्षेत्र के बैंक						
1 वर्ष तक	2.75-6.00	2.25-6.50	2.75-8.75	2.75-8.50	2.75-9.00	2.75-9.25
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	4.75-6.50	5.75-6.75	7.25-9.50	8.25-9.25	8.25-9.50	8.25-9.75
3 वर्ष से अधिक	5.25-7.00	6.00-7.25	7.50-9.50	8.00-9.00	8.00-9.35	8.50-9.50
निजी क्षेत्र के बैंक						
1 वर्ष तक	3.00-6.25	3.50-7.25	3.00-9.00	2.50-9.25	3.00-8.75	3.00-9.50
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	5.25-7.25	5.50-7.75	6.75-9.75	7.25-9.25	8.00-9.50	8.00-10.00
3 वर्ष से अधिक	5.75-7.00	6.00-7.75	7.75-9.60	7.25-9.75	8.00-10.00	8.00-10.00
विदेशी बैंक						
1 वर्ष तक	3.00-6.25	3.00-6.15	3.00-9.50	2.25-9.25	3.00-9.25	3.75-9.50
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3.50-6.50	4.00-6.50	3.50-9.50	3.50-9.75	3.50-9.75	3.50-9.75
3 वर्ष से अधिक	3.50-7.00	5.50-6.50	4.05-9.50	3.60-9.50	3.60-9.50	3.60-9.50
2. बेंचमार्क मूल उधार दर						
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.25-11.25	10.25-11.25	12.25-12.75	12.25-13.50	12.50-14.00	12.75-14.00
निजी क्षेत्र के बैंक	11.00-13.50	11.00-14.00	12.00-16.50	13.00-16.50	13.00-17.00	13.50-17.25
विदेशी बैंक	10.00-14.50	10.00-14.50	10.00-15.50	10.00-15.50	10.00-15.50	10.00-15.50
3. वास्तविक उधार दर*						
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2.75-16.00	4.00-16.50	4.00-17.00	4.00-17.75	-	-
निजी क्षेत्र के बैंक	3.15-22.00	3.15-20.50	3.15-25.50	4.00-24.00	-	-
विदेशी बैंक	3.55-23.50	4.75-26.00	5.00-26.50	5.00-28.00	-	-
4. उधार दरों का भारित औसत	12.57	11.97	11.92	-	-	-

- : अनुपलब्ध।

* : 2 लाख रुपए से अधिक की निर्यातित मांग तथा मीयादी ऋण पर ब्याज की दर, जिसमें दोनों ओर 5 प्रतिशत के चरम स्तर पर होनेवाली उधार दरें शामिल नहीं हैं।

प्रतिशत के दायरे में रखा गया। जुलाई 2008 में, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क मूल उधार दरें क्रमशः 12.75-14.00 प्रतिशत तथा 13.50-17.25 प्रतिशत के दायरे में रखी गईं। तथापि, विदेशी बैंकों की बीपीएलआर उसी अवधि में 10.00-15.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा।

II.5.49 सरकारी क्षेत्र के बैंकों का भारित औसत बीपीएलआर मार्च 2007 के 12.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 में 12.8 प्रतिशत और आगे जून 2008 में 12.9 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि में निजी क्षेत्र के बैंकों का भारित औसत बीपीएलआर 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 15.1 प्रतिशत तथा आगे और बढ़कर 15.2 प्रतिशत हो गया। विदेशी बैंकों का भारित औसत बीपीएलआर भी मार्च 2007 के 12.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 में 13.9 प्रतिशत और आगे जून 2008 में 14.1 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की भारित औसत वास्तविक उधार दर मार्च 2005 के अंत के 12.6

प्रतिशत से घटकर मार्च 2006 के अंत में 12.0 प्रतिशत तथा मार्च 2007 के अंत में और घटकर 11.9 प्रतिशत हो गई।

इक्विटी तथा ऋण बाजार

प्राथमिक बाजार

II.5.50 कंपनी क्षेत्र द्वारा प्राथमिक बाजार से सार्वजनिक निर्गमों के जरिए जुटाये गये संसाधन (बिक्री के प्रस्ताव को छोड़कर) 158.5 प्रतिशत बढ़कर 2007-08 में 83,707 करोड़ रुपए के हो गये, हालांकि 2007-08 में निर्गमों की संख्या 119 पर अपरिवर्तित रही (सारणी 2.69)। इस प्रकार सार्वजनिक निर्गमों का औसत आकार 2006-07 के 272 करोड़ रुपए से बढ़कर 2007-08 में 703 करोड़ रुपए हो गया। कुल संसाधन संग्रहण में गैर-सरकारी कंपनियों (निजी क्षेत्र) का हिस्सा 2006-07 के 94.5 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 76.0 प्रतिशत रह गया (चार्ट II.25 तथा परिशिष्ट सारणी 42)। सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने 2007-08 में सार्वजनिक निर्गमों के जरिए पिछले साल के 6.8 प्रतिशत की

सारणी 2.69: प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाना

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07		2007-08 अ	
	निर्गमों की संख्या	राशि निर्गमों की संख्या	राशि निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
अ. प्रॉपेक्ट्स एवं राइट निर्गम**				
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	117	30,603	115	63,638
क) वित्तीय	8	1,425	11	14,676
ख) गैर वित्तीय	109	29,178	104	48,962
2. सरकारी क्षेत्र (क+ख+ग)	2	1,779	4	20,069
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1	997	-	-
ख) सरकारी कंपनियां	-	-	2	2,516
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	1	782	2	17,553
3. कुल (1+2)	119	32,382	119	83,707
		(20.2)		(158.5)
जिसमें से				
(i) इक्विटी	116	31,532	116	82,398
(ii) ऋण	3	850	3	1,309
आ. निजी स्थानन +				
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	1,524	81,841	1,614	1,29,522
क) वित्तीय	632	48,414	904	88,151
ख) गैर वित्तीय	892	33,427	710	41,371
2. सरकारी क्षेत्र (क+ख)	157	64,025	198	83,046
क) वित्तीय	127	52,117	132	56,185
ख) गैर वित्तीय	30	11,908	66	26,861
3. कुल (1+2)	1,681	1,45,866	1,812	2,12,568
		(51.2)		(45.7)
जिसमें से				
(i) इक्विटी	1	57	2	1,410
(ii) ऋण	1,680	1,45,809	1,810	2,11,158
स. यूरो निर्गम (एडीआर तथा जीडीआर)	40	17,005	26	26,556
		(49.8)		(56.2)

अ: अनंतिम. **: बिक्री के प्रस्तावों को छोड़कर. -: शून्य/नगण्य.

नोट: कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और सभी व्यापारिक बैंक।


तुलना में 38.5 प्रतिशत संसाधन जुटाए। सरकारी क्षेत्र के 2 बैंकों ने सार्वजनिक निर्गमों के जरिए कुल 17,553 करोड़ रुपए की निधियां जुटाईं।

II.5.51 कुल सार्वजनिक निर्गमों में निर्गमों की संख्या तथा जुटाए गए संसाधनों दोनों की दृष्टि से आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आइपीओ) का हिस्सा 2007-08 के दौरान उल्लेखनीय रूप से बढ़ा। वित्तीय वर्ष 2007-08 के 119 सार्वजनिक निर्गमों में से 82 निर्गम आइपीओ थे तथा उनके द्वारा कुल संसाधनों का 47.7 प्रतिशत जुटाया गया। 2007-08 के दौरान सार्वजनिक निर्गमों के जरिए जुटाए गए कुल संसाधनों में इक्विटी निर्गमों का हिस्सा 98.4 प्रतिशत था, जबकि इसकी तुलना में पिछले साल यह 97.4 प्रतिशत था। 2007-08 के दौरान लाए गए 119 सार्वजनिक निर्गमों में सिर्फ 3 ऋण निर्गम थे। इस प्रकार निजी कंपनी ऋण बाजार महत्वहीन बना हुआ है। बाजार

के इस महत्वपूर्ण खंड को विकसित करने के लिए 2007-08 में कई प्रयास किए गए (बाक्स II.18)।

II.5.52 देशी निजी स्थानन बाजार भारतीय कंपनी क्षेत्र के लिए निधीयन का उल्लेखनीय स्रोत बना हुआ है। निजी स्थानन के माध्यम से संसाधन संग्रहण में 2006-07 की 51.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2007-08 में 45.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 2,12,568 करोड़ रुपए हो गया। निजी क्षेत्र की संस्थाओं (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों) ने 2007-08 में बड़ी मात्रा में संसाधन (60.9 प्रतिशत) जुटाए (चार्ट II.25)। सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा जुटाए गए 83,046 करोड़ रुपए के संसाधनों में 2006-07 की 15.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2007-08 में 29.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वित्तीय मध्यस्थों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों) द्वारा जुटाए गए संसाधन 43.6 प्रतिशत बढ़कर 1,44,336 करोड़ रुपए के हो गए जो कुल संसाधन संग्रहण का 67.9 प्रतिशत है। बैंकों (सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों) ने निजी स्थाननों के जरिए 26,199 करोड़ रुपए जुटाए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.5 प्रतिशत निम्नतर था।

II.5.53 यूरो निर्गमों - अमरीकी डिपोजिटरी रसीद (एडीआर) और वैश्विक डिपोजिटरी रसीद (जीडीआर) - के जरिए भारतीय कंपनियों द्वारा जुटाए गए संसाधन तेजी से 56.2 प्रतिशत बढ़कर 2007-08 में 26,556 करोड़ रुपए के हो गए। इनमें से, 17,851



बाक्स II.18

भारत में कंपनी बांड बाजार - चालू स्थिति

एक विकासशील अर्थव्यवस्था में परिचालित बहुल वित्तीय सरणियों में से कंपनी बांड बाजार को हाल के वर्षों में न सिर्फ दीर्घावधि निधियां प्रदान करने की इसकी योग्यता के कारण अपितु तेजी से समन्वित हो रही वैश्विक वित्तीय प्रणाली के आघातों को अवशोषित करने के लिए भी विशेष स्थान मिला हुआ है। एक सुविकसित बांड बाजार क्रेडिट तथा आस्ति-देयता संबंधी बेमेलों के प्रति बैंकों के एक्सपोजर को कम करता है तथा इससे, बदले में, प्रणालीगत जोखिम कम होते हैं। इसके अलावा, जब बैंकिंग क्षेत्र तथा इक्विटी बाजार से निधीयन कठिन हो जाता है, उस समय व्यापक और गहरा बांड बाजार संसाधन जुटाने के लिए एक वैकल्पिक सरणी के रूप में उभर सकता है। साथ ही कंपनी बांड मूल्यों की सूचनात्मक दक्षता अंतर्निहित स्टाकों के समतुल्य है (हाचकिस तथा रोनेन, 2002)।

समष्टि स्तर पर विकास की गति तथा कंपनी बांड बाजार का आकार व्यापक तौर पर आर्थिक वृद्धि, अर्थव्यवस्था में वित्तीय विकास के स्तर तथा उसकी वृद्धि के लिए प्रस्तावित संस्थागत समर्थन पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए अमरीकी कंपनी बांड बाजार के व्यापक आकार का कारण लंबी अवधि में इसका विकास तथा परिष्कृत वित्तीय शिल्प दोनों हो सकते हैं। इसी तरह कोरिया के बांड बाजार बंधक तथा आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों जैसे विन्यस्त वित्तीय उत्पादों की बढ़ी हुई उपलब्धता के कारण विकसित हुए हैं (आरबीआइ, 2007)। संस्थागत सेटिंग में परिवर्तन मलेशिया के बांड बाजार की वृद्धि के पीछे प्रमुख चालक शक्ति है (शर्मा, 2000)। उदाहरण के लिए बांड बाजार निम्नलिखित के द्वारा प्रेरित था - पेंशन निधियों, यूनिट ट्रस्टों और बीमा कंपनियों जैसे संस्थागत निवेशकों की उपस्थिति, राष्ट्रीय बांड बाजार समिति नामक एक संस्था के तहत विनियामक उत्तरदायित्व का समेकन और इस्लामिक बांड बाजार को प्रोत्साहन। सिंगापुर में स्थानीय एवं विदेशी दोनों मुद्राओं में अनिवासी निर्गमकर्ताओं को आकृष्ट कर निवेशक आधार बढ़ाने का विचार था। इसे गैर वित्तीय संस्थाओं के साथ ट्रेडिंग करने वाली सिंगापुर आधारित वित्तीय संस्थाओं पर तथा ब्याज दर अदला-बदली की ट्रेडिंग पर प्रतिबंध हटाने से प्रोत्साहन मिला।

कंपनी बांड बाजार काफी समय से भारत में मौजूद है। तथापि, लंबी इतिहास के बावजूद भारत में कंपनी बांड बाजार के सार्वजनिक निर्गम खंड का आकार नगण्य रहा है। हाल के वर्षों में, निजी स्थानन बाजार से ऋण के रूप में बड़े संसाधन जुटाए गए हैं। 1990-91 से 1994-95 के दौरान सार्वजनिक ऋण निर्गमों के माध्यम से जुटायी गयी 7,513 करोड़ रुपए की वार्षिक औसत राशि की तुलना में 1995-96 से 1999-00 के दौरान संसाधन संग्रहण कम होकर 5,469 करोड़ रुपए तथा 2000-01 से 2006-07 के दौरान और कम होकर 2,899 करोड़ रुपए रह गया। इसके ठीक विपरीत, ऋणों के निजी स्थानन के जरिए निधियों का संग्रहण 1995-96 से 1999-00 के 33,638 करोड़ रुपए के औसत से बढ़कर 2000-01 से 2006-07 के दौरान औसतन 84,262 करोड़ रुपए हो गया। 2007-08 में, सार्वजनिक ऋण निर्गमों के जरिए जुटायी गयी 1,309 करोड़ रुपए की तुलना में निजी स्थानन बाजार से जुटाए गए संसाधन 2,12,568 करोड़ रुपए पर काफी अधिक थे।

बाजार की बुनियादी सुविधा तथा व्यापक विनियामक ढांचे की कमी के साथ कम निर्गम, जिसके कारण द्वितीयक बाजार में तरलता कम हो जाती है, निवेशक आधार का कम होना, ऋण मूल्यांकन का अपर्याप्त कौशल, निर्गम की ऊंची लागत, व्यापार में पारदर्शिता की कमी तथा उत्पादों के प्रतिभूतिकरण का न्यून विकास ऐसे कुछ प्रमुख कारक हैं जिन्होंने निजी कंपनी ऋण बाजार की वृद्धि को अवरुद्ध किया है। सार्वजनिक निर्गम के लिए सख्त मानदंड, विनियामक ओवरलैप

तथा जोखिम प्रबंधन उत्पादों की कमी बाजार की वृद्धि को रोकनेवाले कुछ व्यष्टि अवरोध हैं (आइसीएमए, 2008)। समष्टि अवरोधों में मांग और आपूर्ति संबंधी अवरोध प्रमुख हैं। कंपनी ऋण के लिए मांग बैंकों तथा देशी संस्थागत निवेशकों यथा बीमा कंपनियों, जो कड़े आस्ति आबंधन नियमों के अधीन हैं, पर निवेश संबंधी प्रतिबंधों के कारण सीमित है। पेंशन क्षेत्र से निधियों की आपूर्ति रुकी हुई है क्योंकि औपचारिक पेंशन प्रणाली की व्याप्ति सिर्फ संगठित कामगारों तक सीमित है (गरजरेल्ली, आदि 2007)।

हाल की अवधि में, ऋण बाजार को विकसित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। बीएसई, एनएसई तथा एफआइएमएमडीए में कंपनी बांड के लिए रिपोर्टिंग और ट्रेडिंग का प्लेटफार्म चालू हो गया है। सेबी ने ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध कराने वाले निर्गमकर्ताओं द्वारा निरंतर प्रकटीकरण के प्रावधानों को युक्तियुक्त बना दिया है। इसने सरकारी प्रतिभूतियों के अनुरूप कंपनी बांडों के मामले में बंद अवधि कम करके, अर्हताप्राप्त संस्थागत निवेशकों सहित सभी संस्थाओं के मामले में कंपनी बांडों का विपणनयोग्य लॉट कम करके उसे 1,00,000 रुपए करके तथा दिन की गिनती की परंपरा को मानकीकृत करके कंपनी बांड बाजारों में कामकाज को कारगर बनाने के लिए उपाय भी किए हैं। निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सेबी ने इसे अधिदेशात्मक बना दिया कि डिबेंचर जारी करनेवाली कंपनियां तथा संबंधित डिबेंचर न्यासी / स्टॉक एक्सचेंज डिबेंचरों से संबंधित सारी जानकारी संबंधित वेबसाइट पर दिखाकर तथा प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से निवेशकों को देंगे। ऋण निर्गम की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा स्टांप शुल्क के युक्तियुक्तकरण जैसे कई अन्य सुधारों पर भी विचार किया जा रहा है।

कंपनी बांड बाजार में विस्तार करने के लिए क्रेडिट रेटिंग तथा बांड बीमा संस्थाओं जैसी ऋण वृद्धि संबंधी प्रक्रियाओं के जरिए क्रेडिट संबंधी जोखिम को प्रबंधित करना प्रमुख तत्व है। निवेश क्षमता के साथ अच्छी जोखिम मूल्यांकन क्षमता वाले संस्थागत निवेशक भी ऋण संवर्धकों के रूप में कार्य कर सकते हैं। तथापि, ऐसी संस्थाओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय अपेक्षित है (मोहन, 2006)।

संदर्भ

1. गजरेल्ली, एफ, आदि (2007), “ बांडिंग द ब्रिक्स: ए बिग चान्स फॉर इंडियाज डेट कैपिटल मार्केट”, ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर 161, नवम्बर।
2. हाचकिस, ई. तथा टी.रोनेन (2002), “ दि इन्फार्मेशन एफिशिएंसी ऑफ दि कार्पोरेट बांड मार्केट - ऐन इंट्रा-डे एनालिसिस” वित्तीय अध्ययनों की समीक्षा, खंड 15 ।
3. आइसीएमए सेंटर (2008), “ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज कार्पोरेट डेट मार्केट”, सिटी ऑफ लंदन, फरवरी।
4. मोहन, आर. (2006), “ रिसेन्ट ट्रेड इन द इंडियन डेट मार्केट एण्ड करेंट इनिशिएटिव्ज”, रिजर्व बैंक बुलेटिन, अप्रैल।
5. भारतीय रिजर्व बैंक (2007), मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट- 2005-06।
6. शर्मा, के. (2000), “ दि अंडरलाइंग कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन कार्पोरेट बांड मार्केट डेवलपमेंट इन साउथ-ईस्ट एशिया”, डीईएसए डिस्कशन पेपर सं.14, आर्थिक और सामाजिक कार्य, यूनाइटेड नेशन्स ।

करोड़ रुपए एडीआर के रूप में तथा 8,705 करोड़ रुपए जीडीआर के रूप में जुटाए गए। अधिकांश यूरो निर्गम निजी गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा किए गए।

द्वितीयक बाजार

II.5.54 जनवरी 2008 के प्रारंभ तक आम तौर पर तेज रहे देशी शेयर बाजारों में 11 जनवरी 2008 से तेज करेकशन देखा गया (चार्ट II.26)। पिछले साल की तेज प्रवृत्ति जारी रखते हुए भारत के शेयर बाजारों में तेजी आई और वह अप्रैल-दिसंबर 2007 के बीच नई ऊंचाई पर पहुंच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा घरेलू म्यूच्युअल फंडों से चलनिधि समर्थन, सुदृढ़ समष्टि आर्थिक फंडामेंटल, कंपनियों की अच्छी आय, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजारों में उछाल की प्रवृत्ति तथा अन्य क्षेत्र एवं स्टॉक-विशिष्ट समाचारों ने बाजार के रुख को उछालने में मदद की। यद्यपि अगस्त के बीच, अक्तूबर के बीच तथा दिसम्बर 2007 के बीच घरेलू शेयर बाजारों में करेकशन हुआ, तथापि शीघ्र ही उनमें सुधार हुआ। 8 जनवरी 2008 को बीएसई सेंसेक्स 20873 की सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंच गया।


II.5.55 11 जनवरी 2008 से अमरीका में सबप्राइम उधार संकट की गंभीरता तथा अन्य बाजार खंडों एवं अन्य देशों में उसके असर के फैलाव पर बढ़ी हुई चिंता के कारण देशी शेयर बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता के दौर आए। अमरीका के सेवा उद्योग में

संकुचन, अमरीका की कुछ अग्रणी कंपनियों द्वारा सूचित कम आय वृद्धि, गृह मोचन-निषेध के रिकार्ड ऊंचे स्तरों पर पहुंचने तथा अमरीका में खुदरा बिक्री में मंदी के कारण अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका ने भी रुख को प्रभावित किया। आइपीओ निर्गमों के कारण द्वितीयक बाजार से लिक्विडिटी पर दबाव, भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिक्री, 2008-09 के केंद्रीय बजट में अल्पावधि पूंजी लाभ कर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने, देशी मुद्रास्फीति दर में वृद्धि, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचने, अमरीकी बाजारों में एडीआर के मूल्यों में गिरावट कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने बाजार के रुख पर प्रतिकूल असर डाला। मार्च 2007 के अंत तथा 31 मार्च 2008 के बीच बीएसई सेंसेक्स 12455-20873 के व्यापक दायरे में रहा। 31 मार्च 2008 को बीएसई सेंसेक्स तथा एनएसडपी सीएनएक्स निफ्टी क्रमशः 15644 तथा 4735 पर बंद हुए तथा इस प्रकार उनमें मार्च 2007 के अंत की तुलना में क्रमशः 19.7 प्रतिशत तथा 23.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी 43)।

II.5.56 बीएसई का बाजार पूंजीकरण मार्च 2008 के अंत तक तेजी से 44.9 प्रतिशत बढ़कर 51,38,015 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो स्टॉक मूल्यों में वृद्धि तथा नई प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किए जाने को दर्शाता है (सारणी 2.70 तथा परिशिष्ट सारणी 44)। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बाजार पूंजीकरण मार्च 2007 के अंत के 85.5 प्रतिशत से बढ़कर 8 जनवरी 2008 को 156.7 प्रतिशत हो गया तथा मार्च 2008 के अंत तक वह गिरकर 109.5 प्रतिशत रह गया। बीएसई सेंसेक्स का मूल्य-अर्जन अनुपात मार्च 2007 के अंत के 20.3 से बढ़कर 8 जनवरी 2008 को 28.5 हो गया तथा मार्च 2008 के अंत तक वह गिरकर 20.1 रह गया। 2007-08 के दौरान शेयर बाजारों में अस्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि हो गयी तथा वह अनेक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्चतर रही। प्रमुख शेयर बाजारों में पण्यवर्त में 2007-08 के दौरान तेजी से वृद्धि हुई। नकदी खंड में बीएसई तथा एनएसई के संयुक्त पण्यवर्त में 2007-08 के दौरान 76.8 प्रतिशत की तथा डेरिवेटिव खंड में 79.8 प्रतिशत की वृद्धि हो गई (परिशिष्ट सारणी 45)।

II.5.57 बाजार के प्रतिभागियों को पर्याप्त चलनिधि एवं मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करने के प्रयास में सेबी ने 21 अप्रैल 2008 से सभी वर्ग के निवेशकों को शॉर्टसेलिंग तथा प्रतिभूतियां उधार देने और उधार लेने की योजना को अनुमति दी (बॉक्स II.19)।

चार्ट II.26 : भारतीय स्टॉक बाजार



बाक्स II.19

शॉर्ट सेलिंग तथा प्रतिभूतियां उधार देना और लेना

शॉर्ट सेलिंग - उन प्रतिभूतियों की बिक्री, जो विक्रेता के पास न हों - काफी समय से चली आ रही बाजार प्रथाओं में से एक है, जिस पर पूरे विश्व के अधिकांश प्रतिभूति बाजार में काफी चर्चा होती रही है। शॉर्ट सेलिंग के पक्षधर इसे न सिर्फ चलनिधि प्रदान करने के लिए अपितु मूल्य की खोज में मदद करने के लिए भी प्रतिभूति बाजार की एक वांछनीय एवं आवश्यक विशेषता मानते हैं। वस्तुतः शॉर्ट सेलिंग में प्रतिबंध लगाने पर प्रवर्तक तथा प्रबंधन अपनी कंपनियों के शेयरों के भाव बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। दूसरी ओर, विभिन्न आधारों पर शॉर्ट सेलिंग की आलोचना की जाती है। पहला, इससे शेयर के भाव में अस्थिरता बढ़ती है तथा शेयर के भाव में अत्यधिक गिरावट आती है। दूसरा, शॉर्ट सेलिंग निपटान में विघटन, अव्यवस्थित ट्रेडिंग तथा सुपुर्दगी में परिणामी चूक के कारण उत्पन्न हो सकती है। शॉर्ट सेलिंग की प्रक्रिया की श्रृंखला के भीतर संभावित जोखिम भी हैं यथा प्रतिभूति उधार देने के बाजार के परिचालन में निपटान की प्रक्रिया एवं सक्षम जोखिम प्रबंधन।

अधिकांश विकसित देश और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं शॉर्ट सेल की प्रक्रिया का अनुसरण कर रही हैं। यू.के. में विनीय सेवा प्राधिकरण (एफएसए) शॉर्ट सेलिंग को ऐसा वैध पेशेवर निवेश कार्यकलाप मानता है जो समर्थक सक्षम बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तथापि, एफएसए शॉर्ट सेलिंग में शामिल निवेशकों पर कुछ प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं लागू करता है। इसी तरह, अमरीका में शॉर्ट सेलिंग एक पुराना निवेश साधन है तथा वह सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के तहत नियंत्रित है। शॉर्ट सेलिंग पर प्रतिबंधों को और उदार बनाने के लिए, एसईसी ने जून 2007 में यह निर्णय लिया कि शॉर्ट सेल के भाव पर लगी उन सीमाओं को समाप्त किया जाए जिनका जन्म 1930 के दशक में एसईसी के उदय के साथ हुआ था। हाल ही में हांगकांग, कोरिया और सिंगापुर ने भी कतिपय उद्दिष्ट प्रतिभूतियों पर शॉर्ट सेलिंग की अनुमति दी है बशर्ते ऐसे लेनदेनों में प्रकटीकरण तथा गिरते बाजार में शॉर्ट सेलिंग संबंधी लेनदेनों पर निषेध लगाने वाले टिक नियम लागू हों। मलेशिया ने भी लगभग एक दशक के अंतराल के बाद मार्च 2006 में विनियमित शॉर्ट सेलिंग पर पाबंदी उठा दी ताकि पण्यवर्त बढ़ाया जा सके तथा मलेशिया के सामान्यतः कम ट्रेडवाले बाजार में विदेशी रुचि को बढ़ाया जा सके।

शॉर्टसेलिंग की अनुपूर्ति करने तथा अपनी निष्क्रिय प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ कमाने में निवेशकों की मदद करने के लिए, अधिकांश बाजारों में प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने की भी अनुमति दी गई है। प्रतिभूति उधार देने और लेने संबंधी लेनदेन मोटे तौर पर काउंटर पर होनेवाले संविदागत दायित्व हैं जो उधार देने और लेनेवालों के बीच निष्पादित होता है तथा प्रतिभूति बाजार के विनियामक उधार देने और लेने संबंधी लेनदेनों को सीधे विनियमित नहीं करते। प्रतिभूति उधार देने और लेने की योजनाएं अभिरक्षकों तथा निक्षेपागारों द्वारा चलायी जाती हैं जिनके पास उनके ग्राहकों की प्रतिभूतियों की मांग और आपूर्ति को पूरा करने के लिए अपना स्क्रीन होता है। हांगकांग, कोरिया तथा सिंगापुर जैसे कुछ बाजारों में निक्षेपागार और अभिरक्षक प्रतिभूतियां उधार देने और लेने संबंधी लेनदेनों के निष्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं।

भारत में नवम्बर 1996 में पहली बार सेबी द्वारा शॉर्टसेल की शुरुआत की गई। उसके बाद 1998 में बाजार में अस्थिरता को देखते हुए सेबी ने 17 जून 1998 से शॉर्टसेल पर अस्थायी तौर पर पाबंदी लगा दी। सेबी ने 2 जुलाई 2001 से

शॉर्टसेल पर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिये तथा दिसम्बर 2002 में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आधार पर 2003 में पुनः पाबंदी लगा दी गई। रोडिंग निपटान प्रणाली लागू करने, निपटान चक्र को कम करके टी+2 करने तथा डेरिवेटिव उपलब्ध कराने के रूप में प्रदर्शित बाजार की व्यष्टि संरचना में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में 2003 में द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति ने शॉर्टसेल के मुद्दे की समीक्षा की। द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सेबी ने 20 दिसम्बर 2007 से शॉर्टसेलिंग की अनुमति दे दी। इस योजना की व्यापक रूपरेखा में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं: (i) भारतीय प्रतिभूति बाजार में अरक्षित शॉर्टसेलिंग की अनुमति नहीं है तथा तदनुसार सभी निवेशकों से अपेक्षित है कि वे निपटान के समय प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी संबंधी अपने दायित्वों का पालन अवश्य करें; (ii) किसी संस्थागत निवेशक को डे-ट्रेडिंग करने की अनुमति नहीं है; (iii) शेयर बाजारों से अपेक्षित है कि वे आवश्यक एकसमान निवारक उपबंध तैयार करें तथा निपटान के समय प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी देने में चूक करने के लिए दलालों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करें; (iv) फ्यूचर और ऑप्शन खंडों में जिन प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग की जाती है वे शॉर्टसेलिंग के लिए पात्र हैं; तथा (v) दलालों को अधिदेश दिया गया है कि वे अगले ट्रेडिंग दिन में ट्रेडिंग शुरू होने के पहले स्क्रिप-वार शॉर्टसेलिंग की स्थितियों के ब्यौरे प्राप्त करें, आंकड़े को मिलाएं तथा उसे शेयर बाजारों में अपलोड करें।

शॉर्टसेल की गई प्रतिभूतियों के निपटान के लिए प्रतिभूतियां उधार लेने की प्रक्रिया उपलब्ध कराने हेतु सेबी ने 21 अप्रैल 2008 से ‘‘प्रतिभूति उधार योजना, 1997’’ के समग्र ढांचे के तहत बाजार के सभी प्रतिभागियों के लिए प्रतिभूति उधार देने और लेने की एक पूर्ण योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया, जो इन शर्तों के अधीन है: (i) योजना का परिचालन राष्ट्र भर में मौजूद टर्मिनलों से युक्त शेयर बाजारों के समाशोधन निगम/समाशोधन गृह के जरिए किया जाता है; (ii) प्रतिभूति उधार देने और लेने की अनुमति स्वचालित, स्क्रीन आधारित, आर्डर मिलानेवाले प्लेटफार्म पर दी जाती है जिसे अनुमोदित मध्यस्थों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा; (iii) आरंभ में फ्यूचर और ऑप्शन खंड में जिन प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग होती है वे योजना के तहत उधार देने और लेने के लिए पात्र होंगे; (iv) अनुमोदित मध्यस्थ, समाशोधन सदस्य तथा ग्राहक करार करके करार के पक्षकारों के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा दायित्व निर्धारित करेंगे; तथा (v) प्रतिभूति उधार देने और लेने संबंधी लेनदेनों के लिए निपटान चक्र टी+1 आधार पर होगा।

संदर्भ :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (2005), शॉर्टसेलिंग तथा प्रतिभूति उधार देने और लेने संबंधी चर्चापत्र, दिसंबर।
2. - (2007) ‘‘शॉर्टसेलिंग एण्ड सिक्युरिटीज लेंडिंग एण्ड बॉरोइंग’’, एमआरडी/डीओपी/एसई/डीईपी/सीआइआर 14/2007 दिनांक 20 दिसंबर 2007।
3. - (2008), ‘‘ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ शॉर्टसेलिंग एण्ड सिक्युरिटीज लेंडिंग एण्ड बॉरोइंग’’, एमआरडी/डीओपी/एसई/सीआइआर 05/2008 दिनांक 19 मार्च 2008।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 2.70: भारतीय इक्विटी बाजार - मुख्य संकेतक

संकेतक	बीएसई			एनएसई		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
1. बीएसई सेंसेक्स/एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी						
(i) औसत	8280	12277	16569	2513	3572	4897
(ii) वर्ष का अंत	11280	13072	15644	3403	3822	4735
2. घटबढ़ का सहगुणांक (प्रतिशत)	16.7	11.1	13.7	15.6	10.4	14.4
3. मूल्य-अर्जन अनुपात @	20.9	20.3	20.1	20.3	18.4	20.6
4. कीमत-बही मूल्य अनुपात @	5.1	5.1	5.2	5.2	4.9	5.1
5. प्रतिफल @ (प्रतिशत वार्षिक)	1.2	1.3	1.0	1.3	1.3	1.1
6. सूचीबद्ध कंपनियां	4,781	4,821	4,887	1,069	1,228	1,381
7. नकदी खंड का कारोबार (करोड़ रुपए)	8,16,074	9,56,185	15,78,856	15,69,556	19,45,285	35,51,038
8. डेरिवेटिव खंड का कारोबार (करोड़ रुपए)	9	59,007	2,42,308	48,24,174	73,56,242	1,30,90,478
9. बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपए) #	30,22,191	35,45,041	51,38,015	28,13,201	33,67,350	48,58,122
10. जीडीपी के प्रति बाजार पूंजीकरण अनुपात	84.4	85.5	109.5	78.6	81.2	103.5

@ : मार्च के अंत में तथा बीएसई सेंसेक्स में शामिल 30 स्क्रिप्स पर आधारित।

: मार्च के अंत में।

स्रोत : बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमि.(बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)।

II.5.58 2007-08 के दौरान घरेलू शेयर बाजार में होनेवाले लाभ विभिन्न क्षेत्रों के बीच फैले थे। अधिकांश क्षेत्रवार सूचकांकों में बीएसई सेंसेक्स की तुलना में मार्च 2007 के अंत और 8 जनवरी 2008 के बीच उच्चतर लाभ दिखा, परंतु उसके बाद उन्होंने बीएसई सेंसेक्स की तुलना में उच्चतर हानियां दर्शायीं। कुल मिलाकर, क्षेत्रवार सूचकांकों की प्रवृत्ति एक मिलीजुली तसवीर पेश करती है। जहां अधिकांश क्षेत्रवार सूचकांकों ने बीएसई सेंसेक्स को आउटपरफार्म किया, वहीं

कुछ क्षेत्रवार सूचकांकों का कार्य-निष्पादन 2007-08 के दौरान बीएसई सेंसेक्स से नीचे रहा। 2007-08 के दौरान, बीएसई सेंसेक्स में हुए 19.7 प्रतिशत के लाभ की तुलना में बीएसई स्मालकैप ने 21.2 प्रतिशत का उच्चतर लाभ दर्शाया, जबकि बीएसई मिडकैप ने 19.4 प्रतिशत का थोड़ा न्यूनतर लाभ दर्शाया। बीएसई 500, जो व्यापक सूचकांक है, ने भी 2007-08 के दौरान 24.3 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्शायी (सारणी 2.71)।

सारणी 2.71: बीएसई क्षेत्रवार स्टॉक सूचकांक

(आधार : 1978-79=100)

क्षेत्र	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत)		घटबढ़ (प्रतिशत)	
	मार्च 2007 के अंत में	मार्च 2008 के अंत में	मार्च 2007 के अंत की तुलना में 08 जनवरी 2008	08 जनवरी 2008 की तुलना में मार्च 2008 के अंत में
1	2	3	4	5
ऑटो	-8.5	-7.1	14.9	-19.1
बैंकिंग	24.3	18.0	84.8	-36.1
पूंजीगत माल	11.1	54.4	122.8	-30.7
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	11.1	8.8	84.0	-40.9
शीघ्र खपतवाली उपभोक्ता वस्तुएं	-21.3	31.7	44.0	-8.6
हेल्थ केयर	-5.4	5.4	17.7	-10.4
सूचना प्रौद्योगिकी	21.6	-27.6	-13.4	-16.4
धातु	-4.3	65.2	130.2	-28.2
तेल और गैस	30.5	56.0	118.9	-28.7
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	-3.2	25.4	82.4	-31.2
बीएसई 500	9.7	24.3	77.6	-30.0
बीएसई सेंसेक्स	15.9	19.7	59.7	-25.1
बीएसई मिडकैप	0.7	19.4	82.3	-34.5
बीएसई स्मालकैप	-1.8	21.2	108.9	-42.0

स्रोत : बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमि.(बीएसई)

II.5.59 विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में बड़ी निधियों का निवेश करना जारी रखा। सेबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2007 और 8 जनवरी 2008 के बीच एफआईआई ने भारतीय इक्विटी बाजार में 66,898 करोड़ रुपए का निवेश किया। तथापि एफआईआई ने 9 जनवरी 2008 तथा 31 मार्च 2008 के बीच 14,324 करोड़ रुपए की निवल बिक्री की। कुल मिलाकर, 2007-08 में भारतीय इक्विटी तथा ऋण में एफआईआई का निवेश दुगुने से अधिक हो गया। इक्विटी में म्यूच्युअल फंडों का निवेश 2007-08 में 79.9 प्रतिशत बढ़ गया। ऋण में उनका निवेश 2007-08 में 40.4 प्रतिशत बढ़ गया (सारणी 2.72)।

II.5.60 2008-09 के दौरान, देशी शेयर बाजारों में 21 मई 2008 तक बढ़त की प्रवृत्ति रही तथा उन्होंने मार्च 2008 के अंत की तुलना में 10.2 प्रतिशत का लाभ दर्शाया। इस बढ़त की प्रवृत्ति का कारण आइटी की प्रमुख कंपनियों द्वारा 2007-08 की चौथी तिमाही के लिए आशा से बेहतर परिणाम घोषित करना, भारतीय इक्विटी बाजार में एफआईआई की निवल खरीद तथा कुछ सीमा तक कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नरमी था। तथापि उसके बाद मुख्यतः देशी खुदरा ईंधन मूल्यों में वृद्धि, देशी मुद्रास्फीति दर में वृद्धि, भारतीय इक्विटी बाजार में एफआईआई द्वारा निवल बिक्री, बढ़ते व्यापार घाटे एवं रुपए के मूल्यहास पर चिंता, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी बाजारों में गिरावट की प्रवृत्ति, कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि, धातुओं की वैश्विक कीमतों में गिरावट, तथा अन्य क्षेत्र और स्टॉक विशिष्ट समाचारों के कारण बाजार में सतर्कता आ गई। फलस्वरूप 20 अगस्त 2008 को बीएसई सेंसेक्स और एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी क्रमशः 14,678 और 4416 पर कम पर बंद हुए

और उन्होंने मार्च 2008 के अंत के स्तर की तुलना में क्रमशः 6.2 प्रतिशत तथा 6.7 प्रतिशत की हानि दर्ज की। मार्च 2008 के अंत तथा 20 अगस्त 2008 के बीच बीएसई सेंसेक्स 12576-17600 के दायरे में रहा।

एनएसई के थोक ऋण बाजार खंड की गतिविधियां

II.5.61 एनएसई के थोक ऋण बाजार खंड में गतिविधि में 2007-08 में सुधार हुआ तथा पण्णावर्त 28.8 प्रतिशत बढ़कर 2,82,317 करोड़ रुपए हो गया। 31 मार्च 2008 को ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों की संख्या 3,566 थी जो एक वर्ष पूर्व (3,253) की तुलना में उच्चतर थी। थोक ऋण बाजार खंड में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों का कुल बाजार पूंजीकरण 31 मार्च 2008 को 21,23,346 करोड़ रुपए था (मार्च 2007 के अंत में 17,84,801 करोड़ रुपए)।

म्यूच्युअल फंड

II.5.62 म्यूच्युअल फंडों द्वारा जुटाए गए निवल संसाधन 2007-08 के दौरान 63.6 प्रतिशत बढ़कर 1,53,802 करोड़ रुपए हो गए। म्यूच्युअल फंडों द्वारा प्रबंधित निवल आस्तियां भी 2007-08 में 54.8 प्रतिशत बढ़कर 5,05,152 करोड़ रुपए हो गई (सारणी 2.73)।

II.5.63 म्यूच्युअल फंडों द्वारा शुरू की गई स्कीमों की संख्या तथा जुटाए गए निवल संसाधन दोनों में 2007-08 के दौरान पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई (सारणी 2.74)। 2007-08 के दौरान म्यूच्युअल फंडों द्वारा जुटाए गए संसाधनों का बड़ा भाग आय/ऋण बाजार उन्मुख स्कीमों के तहत था। वर्ष के दौरान ग्रोथ/इक्विटी उन्मुख स्कीमों के तहत निधियों का निवल संग्रहण भी बढ़ा। संतुलित स्कीमों में भी लोकप्रिय हो रही हैं क्योंकि 2007-08 के दौरान इस खंड में निवल अंतर्वाह में 237.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

II.5.64 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों तरह के संसाधन जुटा सकती हैं बशर्ते किसी समय कुल बकाया राशि उनके नवीनतम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के दस गुने से अधिक न हो। इस समग्र उच्चतम सीमा के भीतर 4 वित्तीय संस्थाओं अर्थात् एक्जिम बैंक, सिडबी, एनएचबी और नाबार्ड को मीयादी मुद्रा, मीयादी जमा, अंतर-कंपनी जमा, सीडी और सीपी जैसी लिखतों के जरिए उनकी निवल स्वाधिकृत निधि के 100 प्रतिशत के समतुल्य संसाधन जुटाने

सारणी 2.72: संस्थागत निवेशों की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपए)

वर्ष	विदेशी संस्थागत निवेशक		म्यूच्युअल फंड	
	इक्विटी में	ऋण में	इक्विटी में	ऋण में
	निवल निवेश	निवल निवेश	निवल निवेश	निवल निवेश
1	2	3	4	5
2003-04	43,631	5,534	1,308	22,701
2004-05	40,991	1,927	448	16,987
2005-06	48,487	-7,334	14,302	36,801
2006-07	26,031	6,081	9,062	52,543
2007-08	52,574	12,499	16,306	73,790

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 2.73: म्यूच्युअल फंडों द्वारा संसाधन संग्रहण

(करोड़ रुपए)

श्रेणी	2006-07		2007-08अ	
	निवल संग्रहण@	निवल आस्तियां #	निवल संग्रहण@	निवल आस्तियां #
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र	79,038	2,62,079	1,33,304	4,15,621
सरकारी क्षेत्र *	14,947	64,213	20,498	89,531
कुल	93,985	3,26,292	1,53,802	5,05,152

अ: अनंतिम @ : मोचनों को घटाकर # : संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत की स्थिति

* : यूटीआइ म्यूच्युअल फंड शामिल है। भूतपूर्व यूटीआइ को यूटीआइ म्यूच्युअल फंड (सेबी के साथ पंजीकृत) तथा यूटीआइ के विनिर्दिष्ट उपक्रम के रूप में विभाजित किया गया। सारणी के आंकड़ों में सिर्फ यूटीआइ म्यूच्युअल फंड के बारे में जानकारी दी गई है।

नोट : आंकड़ों में फंड ऑफ फंड्स स्कीमों के तहत जुटायी गयी निधियां शामिल नहीं हैं।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

की छत्रसीमा (अंब्रेला लिमिट) उपलब्ध करायी गयी। इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा संसाधन संग्रहण की कुल छत्र सीमा 31 मार्च 2007 के 19001 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 31 मार्च 2008 को 19,500 करोड़ रुपए कर दी गई। 2 वित्तीय संस्थाओं अर्थात आइएफसीआइ तथा टीएफसीआइ को वर्ष के दौरान एनबीएफसी में बदल दिया गया। साथ ही, आइआइबीआइ स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया में है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गए संसाधनों की बकाया राशि मार्च 2007 के अंत के 3,293 करोड़ रुपए

(कुल सीमा के 17.3 प्रतिशत) की तुलना में मार्च 2008 के अंत में बढ़कर 4,458 करोड़ रुपए (कुल सीमाओं का 22.9 प्रतिशत) हो गई। वर्ष के दौरान वाणिज्यिक पत्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा सबसे ज्यादा तरजीह दी जानेवाली लिखत बनी रही।

II.5.65 बांडों और डिबेंचरों के रूप में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए कुल संसाधन 2007-08 के दौरान 20.4 प्रतिशत बढ़कर 17,175 करोड़ रुपये हो गए (सारणी 2.75)। अखिल

सारणी 2.74: म्यूच्युअल फंडों द्वारा जुटायी गई निधियां - स्कीमों के प्रकार

(राशि करोड़ रुपए में)

स्कीम	2006-07			2007-08 अ		
	स्कीमों की संख्या	निवल संग्रहण	निवल आस्तियां *	स्कीमों की संख्या	निवल संग्रहण	निवल आस्तियां *
1	2	3	4	5	6	7
क. आय/ऋण उन्मुख स्कीमें	450	64,068	1,93,585	593	1,03,867	3,12,997
(i) लिक्विड/मुद्रा बाजार	55	4,986	72,006	58	14,976	89,402
(ii) गिल्ट	28	-964	2,257	30	434	2,833
(iii) ऋण (आश्वासित प्रतिफल से इतर)	367	60,046	1,19,322	505	88,457	2,20,762
(iv) ऋण (आश्वासित प्रतिफल)	0	0	0	0	0	0
ख. ग्रोथ/इक्विटी उन्मुख स्कीमें	267	28,206	1,23,597	313	46,933	1,72,742
(i) इक्विटी संबद्ध बचत स्कीमें	40	4,453	10,211	43	6,151	16,020
(ii) अन्य	227	23,753	1,13,386	270	40,782	1,56,722
ग. संतुलित स्कीमें	38	1,711	9,110	37	5,768	16,283
घ. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड+	-	-	-	13	-2,766	3,130
(i) गोल्ड ईटीएफ	-	-	-	5	277	483
(ii) अन्य ईटीएफ	-	-	-	8	-3,043	2,647
ड. फंड ऑफ फंड्स स्कीम	33	1,164	2,215	37	1,162	3,742
च. कुल #	755	93,985	3,26,292	956	1,53,802	5,05,152

*: मार्च के अंत में # : कुल में फंड ऑफ फंड्स स्कीमें शामिल नहीं हैं। अ : अनंतिम - : अनुपलब्ध

+: एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पहली बार 24 जनवरी 2006 के सेबी परिपत्र सं.आइएमडी/सीआइआर सं.4158422/06 द्वारा लागू किए गए।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

सारणी 2.75: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांडों/डिबेंचरों के जरिए जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपए में)

संस्था	जुटाये गये संसाधन		बकाया उधार		निधियों की भारत औसत लागत (प्रतिशत)		भारत परिपक्वता (वर्ष)	
	2006-07	2007-08	मार्च 2007 के अंत में	मार्च 2008 के अंत में	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्जिम बैंक	2,512	3,555	9,676	11,871	7.3	7.8	4.9	3.6
सिडबी	572	..	6,463	5,415	9.6	..	10.0	..
नाबार्ड	10,899	13,620	31,260	32,630	8.7	9.5	5.0	4.0
एनएचबी	283	..	10,411	7,262	8.1	..	2.0	..
कुल	14,265	17,175	57,810	57,179
.. : शून्य/लागू नहीं								
नोट:	1. आंकड़े सिर्फ रुपया संसाधनों से संबंधित हैं।							
	2. जुटाए गए संसाधनों संबंधी आंकड़ों में बांडों/डिबेंचरों के जरिए जुटाए गए दीर्घावधि संसाधन; वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों के जरिए जुटाए गए अल्पावधि संसाधन, अंतर-कंपनी जमाराशियां, मीयादी जमाराशियां तथा मीयादी मुद्रा शामिल हैं।							
	3. आंकड़े अनंतिम हैं।							
स्रोत:	संबंधित वित्तीय संस्थाएं							

भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता 2007-08 के दौरान 87.8 प्रतिशत तथा वितरित वित्तीय सहायता 19.0 प्रतिशत बढ़ गयी (परिशिष्ट सारणी 46)।

II.5.66 सारांश तौर पर, 2007-08 के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्तव्यस्तता की स्थिति रही क्योंकि अमरीका के सब-प्राइम बंधक बाजार में संकट गहराकर अन्य बाजारों तक फैल गया। 2007-08 के दौरान इक्विटी बाजार, जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी बाजार की प्रवृत्तियों के अनुरूप विशेष तौर पर जनवरी 2008 के दूसरे सप्ताह से अस्थिरता के दौर देखे गए, को छोड़कर, भारतीय वित्तीय बाजार मोटे तौर पर व्यवस्थित रहे। पूंजीगत प्रवाहों में तथा रिजर्व बैंक के पास रखे गए केंद्र सरकार के नकदी शेष में हुए परिवर्तनों के कारण मुद्रा बाजार में भी अस्थिरता का संक्षिप्त दौर देखा गया। 6 अगस्त 2007 को एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो स्वीकृतियों पर से 3,000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा हटाने के बाद रातभर के मुद्रा बाजारों की ब्याज दरें रिवर्स रिपो तथा रिपो के दायरे में चलती रही तथा वर्ष के शेष भाग के दौरान वे सामान्यतः उस दायरे में रहीं। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपए में आम तौर पर दुतरफा गतिविधियां दिखाई दीं। वर्ष के अधिकांश भाग में सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिफल में नरमी आयी। विशेषतः परिपक्वताओं के दीर्घतर छोर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरों में नरमी आई।

VI. बाह्य क्षेत्र

II.6.1. कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के नई ऊंचाइयों तक पहुंचने, तथा वैश्विक वित्त बाजार में बड़ी अस्थिरता के बावजूद 2007-08 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति सुखद बनी रही। यद्यपि पण्य निर्यात में अच्छी वृद्धि बनी रही, तथापि तेल से इतर वस्तुओं के आयात की बनी हुई मांग तथा कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल को देखते हुए वर्ष के दौरान व्यापार घाटा बढ़ गया। तथापि अदृश्य मदों के तहत निजी अंतरणों एवं सॉफ्टवेयर निर्यातों में हुई उच्च वृद्धि की अगुवाई में निवल अधिशेष में उछाल बना रहा तथा उसके द्वारा व्यापार घाटे का एक उल्लेखनीय भाग प्रतितुलित हो गया। फलस्वरूप, वर्ष के दौरान अदृश्य खाते में पर्याप्त अधिशेष होने के परिणामस्वरूप चालू खाता में घाटा बढ़ने को नियंत्रित किया गया। वर्ष के दौरान संविभाग निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारों तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों की अगुवाई में निवल पूंजी आवकों में वृद्धि हुई। जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उच्चतर स्तर पर बना रहा जो भारतीय कंपनी क्षेत्र की बढ़ती हुई वैश्विक पहुंच को प्रदर्शित करता है। निवल पूंजी आवक चालू खाता घाटे से काफी अधिक होने के साथ समग्र भुगतान संतुलन में उल्लेखनीय अधिशेष दर्ज किया गया, जो 2007-08 के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में 110.5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि में दिखाई देता है।


अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

II.6.2. वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2006 के 5.1 प्रतिशत की तुलना में 2007 में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी 47 तथा चार्ट II.27)। 2007 की तीसरी तिमाही में आशा से अधिक तेज वृद्धि होने के बाद मुख्यतः अमरीकी सब-प्राइम बंधक बाजार द्वारा उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की घबराहट के कारण 2007 की अंतिम तिमाही में अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में तेजी से कमी आई। अमरीका में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2006 के 2.9 प्रतिशत से तेजी से कम होकर 2007 में 2.2 प्रतिशत हो गई, जबकि जापान और यूरो क्षेत्र में वृद्धि दरें 2006 के क्रमशः 2.4 प्रतिशत तथा 2.8 प्रतिशत की तुलना में 2007 में क्रमशः 2.1 प्रतिशत तथा 2.6 प्रतिशत पर थोड़ा निम्नतर रखी गई। तथापि यू.के. की अर्थव्यवस्था में पिछले साल के 2.9 प्रतिशत की तुलना में 2007 में 3.1 प्रतिशत की थोड़ी उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रवृत्ति से ऊपर की वृद्धि बनी रही, इसके बावजूद कि वर्ष के अंत में निर्यात और औद्योगिक उत्पादन में थोड़ी मंदी आ गयी। 2007 के दौरान उभरते एशिया में वृद्धि की अगुवाई चीन तथा भारत ने की। 2007 के दौरान चीन में 11.9 प्रतिशत की तेज वृद्धि निवेश वृद्धि एवं निवल निर्यात द्वारा चालित थी, यद्यपि वर्ष के अंत में निर्यात वृद्धि में कुछ मंदी आई थी। 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि में कुछ मंदी आई जिसके ब्यौरे खंड II.2 में दिए गए हैं।

II.6.3. प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आयी मंदी को देखते हुए 2007 में वैश्विक पण्य व्यापार में कमी हुई तथा विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि 2006 के 9.2 प्रतिशत की तुलना में 2007 में 6.8 प्रतिशत पर न्यूनतर रखी गई। आइएमएफ के अनुसार, 2007 में उभरते तथा विकासशील देशों को निजी पूंजी प्रवाह में 2006 की तुलना में ढाई गुने से अधिक की वृद्धि हुई जो बैंक एवं अन्य उधार तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को समाविष्ट करते हुए “अन्य पूंजी प्रवाह” में उछाल द्वारा चालित थी (सारणी 2.76)। निवल निजी संविभाग प्रवाहों में 2006 में देखे गए बहिर्वाह के विपरीत 2007 में अंतर्वाह देखा गया। 2007 में उदीयमान एशिया तथा उसके बाद केंद्रीय तथा पूर्वी यूरोप और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स निजी पूंजी प्रवाहों के प्रमुख प्राप्तकर्ता थे। अन्य क्षेत्रों में उदीयमान एशिया 2007 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के निवल प्रवाह में प्रमुख स्थान पर बना रहा।

II.6.4. आइएमएफ के अनुसार, मुख्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं के कारण 2008 में वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप में और मंदी आने की संभावना है। विश्व की वृद्धि में प्रक्षेपित मंदी के अनुरूप 2008 में व्यापार की मात्रा तथा निजी पूंजी प्रवाहों के भी प्रभावित होने की आशा है (परिशिष्ट सारणी 47)। 2008 में अमरीकी अर्थव्यवस्था में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, हालांकि ये संभावनाएं आवास में सुधार के भावी मार्ग, वित्तीय क्षेत्र के विस्थापन की मात्रा तथा घरेलू एवं व्यावसायिक वित्त पर आगामी प्रभाव पर निर्भर होंगी। 2008 में यूरो क्षेत्र में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है, हालांकि इस

चार्ट II.27 : विश्व उत्पादन और व्यापार में वृद्धि



सारणी 2.76 : विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों को निवल पूंजी प्रवाह

(बिलियन अमरीकी डालर)

मद	2005	2006	2007	2008प्र	2009प्र
1	2	3	4	5	6
निवल निजी पूंजी प्रवाह*	251.8	231.9	605.0	330.7	441.5
प्रत्यक्ष निवेश	259.8	250.1	309.9	306.9	322.4
संविभागीय निवेश	-19.4	-103.8	48.5	-72.2	31.0
अन्य	13.3	87.5	248.8	98.0	90.0
आधिकारिक पूंजी प्रवाह	-109.9	-160.0	-149.0	-162.3	-149.8

प्र : आइएमएफ प्रक्षेपण अनु : अनुमान
 * : आंकड़ों के परि सीमन के कारण, निवल निजी पूंजी प्रवाह के तहत सूचीबद्ध प्रवाह में कुछ आधिकारिक प्रवाह शामिल हो सकते हैं।
 नोट : कोष्ठकों के आंकड़े विकासशील देशों को निवल पूंजी प्रवाह से संबंधित हैं तथा वे वैश्विक विकास वित्त, 2008 पर आधारित हैं। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण (आइएमएफ) और वैश्विक वित्त विकास (विश्व बैंक) द्वारा निवल निजी पूंजी प्रवाहों के अनुमानों में अंतर (1) उभरते बाजारों की परिभाषा में अंतर तथा (2) निवल निजी पूंजी प्रवाहों के भीतर मदों के उपचार में अंतर, के कारण है।
 स्रोत : विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, आइएमएफ, अप्रैल 2008; वैश्विक विकास वित्त, विश्व बैंक, 2008।

बात की चिंता बढ़ रही है कि अमरीकी प्रभाव का फैलाव, ऋण की सख्त स्थितियां तथा जोखिम के फैलाव में वृद्धि का देशी मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निर्यात वृद्धि एवं खपत में संभावित मंदी के कारण 2008 में जापान में वृद्धि कम होकर 1.5 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। विकासशील एशिया के लिए 2007 के 10.0 प्रतिशत की तुलना में 2008 के लिए 8.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। चीन में वृद्धि 2008 में कम होकर 9.7 प्रतिशत रह जाने की आशा है।

II.6.5. वैश्विक वृद्धि के अल्पावधि दृष्टिकोण के प्रति समग्र जोखिम संतुलन में नीचे की ओर झुकाव बना हुआ है। नकारात्मक वित्तीय आघात तथा घरेलू मांग के बीच की अंतःक्रिया अमरीका में गंभीर अधोमुखी जोखिम है तथा कुछ सीमा तक पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों के लिए भी। तथापि, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रक्षेपित देशी मांग के लिए कुछ उछाल की संभावना है। उभरता बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के समर्थन में स्थिरताकारी कारक हैं (बॉक्स II.20)। उभरते बाजारों और

बॉक्स II.20

वैश्विक मंदी तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर उसका प्रभाव

वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुख्यतः उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में और कुछ सीमा तक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में आई मंदी के कारण 2008 में मंदी होने की व्यापक संभावना है। कुछ मंदी के बावजूद जो उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं अब तक वित्तीय बाजार की अस्तव्यस्तता द्वारा उल्लेखनीय रूप से प्रभावित नहीं हुई हैं, उनमें तीव्र गति से वृद्धि होना जारी रहेगा तथा वे वैश्विक वृद्धि का समर्थन करेंगी। घरेलू मांग उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि का प्रमुख चालक होगा, यद्यपि व्यापारिक एवं वित्तीय दोनों माध्यमों के बाह्य जोखिम के कारण अधोमुखी जोखिम उत्पन्न होंगे। यद्यपि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं अब तक वैश्विक मंदी से बची रही हैं, तथापि उनकी वृद्धि की संभावनाएं भी बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होंगी। जोखिम से बचने की प्रवृत्ति में वृद्धि ने अनेक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निजी बांड निर्गम में पहले ही मंदी ला दी है तथा वर्तमान परिदृश्य में पूंजी आवक की संभावना समाप्त होती दिख रही है। साथ ही उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा और अनाज की उच्चतर कीमतों के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति में हाल ही में हुई वृद्धि चिंता का कारण है। विकसित देशों में आई मंदी से तथा वैश्विक वित्तीय बाजार में लंबे उथल-पुथल की संभावना से उत्पन्न मंदकारी आवेगों के प्रति सतर्क रहते हुए उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के स्तर पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने हेतु संतुलित प्रतिसाद की जरूरत है।

अतः यह आवश्यक है कि अमरीकी मंदी के उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर संभावित प्रभाव का आकलन किया जाए। आइएमएफ के अनुसार अमरीका की जीडीपी वृद्धि में 1 प्रतिशत की कटौती होने से छह माह की पश्चता के साथ उन्नत यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में 0.5 प्रतिशत अंक की गिरावट आती है तथा अमरीका और यूरोप में मंदी के संयुक्त प्रभाव को हिसाब में लेने पर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में लगभग 0.75 प्रतिशत अंकों की गिरावट आती है। 2008 में विश्व व्यापार में भी आइएमएफ के अनुसार 1.2 प्रतिशत की तथा विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 1.0 प्रतिशत की गिरावट आने की आशा है, जो मंदतर वैश्विक वृद्धि की प्रत्याशा को दर्शाता है।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर अमरीकी मंदी का असर मुख्यतः व्यापार संपर्कों और वित्तीय संपर्कों के माध्यम से हो सकता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आई मंदी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं को व्यापारिक असर अब तक सीमित रहा है। तथापि, ऐसा असर उन अर्थव्यवस्थाओं पर अधिक दिखाई देता है जो या तो अमरीका के साथ भारी मात्रा में व्यापार करती हैं अथवा जो अपनी वृद्धि के वित्तपोषण के लिए ज्यादातर बाहर निर्भर रहती हैं। यदि अमरीकी मंदी देरी तक बनी रहती है तथा यूरो क्षेत्र में भी मांग की कमजोर स्थितियां बनी रहती हैं तो कमजोर बाह्य मांग के साथ ऊर्जा की उच्चतर कीमतें एवं इक्विटी की निम्नतर कीमतें एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि की संभावना को जोखिम में डाल सकती हैं। इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में वृद्धि की संभावना को बनाए रखने में

चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि चीन पर वैश्विक मंदी, विशेषकर अमरीका की मंदी, का असर पड़ता है तो उसका फैलाव अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर हो सकता है क्योंकि चीन के लगभग आधे निर्यात उभरती अर्थव्यवस्थाओं को किए जाते हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाएं आपस में अधिकाधिक व्यापार कर रही हैं जो वैश्विक मंदी के वर्तमान दौर में एक शुभ संकेत है।

जहां तक वित्तीय संपर्कों के माध्यम से प्रभाव का संबंध है, 2008 के हाल के महीनों में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीगत अंतर्वाहों में कमी आई। कई ऐसे देश, जो अल्पावधि सीमापार के उधार पर बहुत अधिक निर्भर थे, प्रभावित हुए हैं। तथापि, उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर समग्र प्रत्यक्ष प्रभाव अब तक वैश्विक वित्तीय बाजार में संकट की पिछली अवधियों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम रहा है।

आइएमएफ के अनुसार, उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लचीलेपन की मात्रा तथा भारी मंदी से असंबद्ध रहने की उनकी योग्यता तथा 2008 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संभावित मंदी दो कारकों पर निर्भर होगी, अर्थात् (i) वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में निरंतर समेकन से उत्पादकता लाभ कमाना तथा (ii) समष्टि आर्थिक नीतिगत ढांचे में सुधार से स्थिरीकरण लाभ। तथापि, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को अधिक नकारात्मक बाहरी वातावरण, जो व्यापारिक कार्य-निष्पादन को कमजोर कर सकता है तथा पूंजी के अंतर्वाह को अवरुद्ध कर सकता है, के प्रति प्रतिसाद के लिए तैयार रहना चाहिए।

एक हाल के अध्ययन में यह पाया गया कि उभरते बाजारों के वृद्धि संबंधी कार्य-निष्पादन पर औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का असर कम हो रहा है (अकिन और कोस, 2007)। यदि अमरीकी मंदी कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहती है तथा वित्तीय बाजार की स्थितियों को समय पर बहाल कर दिया जाता है, तो अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर उनका असर सीमित हो सकता है। तथापि, दूसरे अध्ययन की यह दलील है कि यदि मंदी अमरीका में उपभोग तथा निवेश तक फैल जाती है तथा वह पूर्णकाल मंदी में बदल जाती है तो विभिन्न देशों के बीच उसका व्यापक असर दिखने की उम्मीद है। इस संदर्भ में विश्वसनीय नीतिगत प्रतिसाद शेष विश्व में अमरीकी असर के फैलाव को कम कर सकते हैं (कोस, 2008)।

संदर्भ

1. अकिन,सिगडेम और कोस, एम.अयहान (2007), 'चेजिंग नेचर ऑफ नार्थ-साउथ लिंकेजेज: स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स एण्ड एक्सप्लानेशन्स' आइएमएफ वर्किंग पेपर सं.07/280।
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2008), विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अप्रैल।
3. कोस, एम.अयान (2008), 'कैन इमर्जिंग इकोनामीज डीकपल' www.imf.org/external/np/res/docs/2008/pdf/kose.pdf

विकासशील देशों को होनेवाले असर को अब तक मुख्यतः सब-प्राइम संबंधी प्रतिभूतियों के प्रति उनके सीमित प्रत्यक्ष एक्सपोजर के कारण अपेक्षाकृत तौर पर नियंत्रित रखा गया है। उपभोग संबंधी कार्यकलाप ने उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में देशी मांग को समर्थन दिया है, जबकि निर्यात वृद्धि में मंदी के कुछ संकेत मिल रहे हैं। अनाज और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के साथ क्षेत्र में सशक्त घरेलू मांग के कारण उभरते एशिया के कई देशों में मुद्रास्फीतिकारी दबाव बन रहे हैं। वैश्विक वृद्धि के प्रति अधोमुखी जोखिम में और अधिक ऋण के संकुचन की संभावना के अलावा अमरीका में संभावित मंदी, अनाज और ऊर्जा की कीमतों में बढ़त के कारण मुद्रास्फीतिकारी दबावों में वृद्धि तथा वैश्विक असंतुलन बने रहने का प्रभाव शामिल है।

II.6.6 विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, वास्तविक रूप में विश्व पण्य निर्यात वृद्धि 2006 के 8.5 प्रतिशत से कम होकर 2007 में 5.5 प्रतिशत हो गई, जिसका कारण था - वैश्विक आर्थिक वृद्धि में मंदी तथा विकसित क्षेत्र (अमरीका, यूरोप, जापान) और एशिया में निवल तेल आयातक विकासशील देशों में मांग में कमी। वर्ष 2008 के लिए विश्व व्यापार संगठन ने अनुमान लगाया है कि मुख्यतः वैश्विक उत्पादन में प्रत्याशित कमी के कारण वैश्विक पण्य व्यापार की वृद्धि 2007 के 5.5 प्रतिशत से और कम होकर लगभग 4.5 प्रतिशत रह जाएगी। मंदी से जुड़े अधोमुखी जोखिमों में अमरीका में मंदी की प्रवृत्तियां, यूरोप तथा जापान में कमजोर मांग, मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी शामिल हैं।

II.6.7. वैश्वीकरण - व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, सीमापार की उत्पादन प्रणालियों के माध्यम से गुरुतर समन्वयन, और सूचना और संचार के प्रवाह - ने अर्थव्यवस्थाओं को निकटतर ला दिया है। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया का उल्लेखनीय परिणाम यह है कि अनेक विकासशील देश अपनी आर्थिक वृद्धि को तेज कर सके हैं। चूंकि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई) अधिक समन्वित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ परस्पर निर्भर होती जा रही हैं, वैश्विक आर्थिक आपूर्ति शृंखला में उन्होंने एक ऐसी नई भूमिका अपना ली है जिसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर पड़ता है (बॉक्स II.21)।

भुगतान संतुलन

पण्य व्यापार

II.6.8. वैश्विक आर्थिक वृद्धि में मंदी तथा वित्तीय बाजार की प्रतिकूल गतिविधियों के बावजूद 2007-08 में भारत के पण्य व्यापार में वृद्धि

की गति बनी रही। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार, 2007 के दौरान विश्व व्यापार (निर्यात और आयात को मिलाकर) में भारत का हिस्सा 2006 के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 1.3 प्रतिशत हो गया। 2007 में भारत के निर्यात और आयात विश्व के निर्यात और आयात के क्रमशः 1.0 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत थे। 2007 में भारत विश्व में 26वां सबसे बड़ा निर्यातक तथा 18वां सबसे बड़ा आयातक था। भारत का पण्य व्यापार घाटा, भुगतान संतुलन आधार पर, 2006-07 के 63.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2007-08 के दौरान 90.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

II.6.9. वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत के पण्य निर्यात में 2006-07 के 22.6 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (परिशिष्ट सारणी 48)। 2007-08 के लिए उपलब्ध पण्यवार निर्यात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कृषि और संबद्ध उत्पाद, इंजीनियरिंग माल, रत्न और आभूषण तथा पेट्रोलियम उत्पादों ने कुल मिलाकर निर्यात वृद्धि में लगभग 69 प्रतिशत का योगदान दिया तथा वे निर्यात वृद्धि के वाहक थे। विनिर्मित माल के निर्यात में, रत्न और आभूषण, वस्त्र और वस्त्र उत्पाद में वृद्धि हुई जबकि इंजीनियरिंग माल में कमी आई। 2007-08 के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में 33.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2006-07 के 60.5 प्रतिशत की तुलना में कम थी (परिशिष्ट सारणी 49)।

II.6.10. विशेष तौर पर 2000-01 से भारत के पण्य माल निर्यात की संरचना में कुछ उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पण्य माल के निर्यात में 2001-08 की अवधि के दौरान 20.3 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले दशक (1990-2000) की 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। वर्ष 2000 से पण्य के रूप में भारत का निर्यात बास्केट अधिक विशाखीकृत हो गया है। कृषि और संबद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, वस्त्र और वस्त्र उत्पाद, रत्न और आभूषण तथा चमड़ा और विनिर्मित उत्पाद जैसे परंपरागत निर्यातों का हिस्सा कुल निर्यात में कम हो गया है, जबकि इंजीनियरिंग माल तथा पेट्रोलियम उत्पाद का हिस्सा बढ़ गया है।

बाक्स II.21

बदलता हुआ वैश्विक आर्थिक भूगोल

व्यापार और वित्त के बड़े प्रवाह में परिलक्षित वैश्वीकरण की लहर वर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था को नया रूप दे रही है। मुख्य आर्थिक कार्यकलापों के साथ ईएमडीई के क्रमिक समन्वयन के साथ, विश्व के पण्य व्यापार में ईएमडीई का हिस्सा 1993 के 23.9 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 35.4 प्रतिशत हो गया। जीडीपी के अनुपात के रूप में निर्यात एवं आयात द्वारा मापा गया व्यापार संबंधी खुलापन 40.4 प्रतिशत से बढ़कर उसी अवधि में 66.1 प्रतिशत हो गया। इस तथ्य ने कि अर्थव्यवस्थाओं का यह समूह हाल की अवधि में गतिशील वृद्धि का केंद्र भी बन गया है, जो अपने सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्वों को दर्शाता है, उनके उच्चतर व्यापारिक खुलेपन में भी अंशदान किया है। फलस्वरूप, पीपीपी के रूप में विश्व जीडीपी में उनका हिस्सा 1993 के 36.2 प्रतिशत से सुधरकर 2007 में 43.7 प्रतिशत हो गया। अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्चतर वृद्धि अंतराल को दर्शाते हुए सकल निजी पूंजी प्रवाह में भी 1999-2007 के दौरान 30 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है और वह 2007 में 1,634 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया। 2007 को समाप्त 10-वर्षीय अवधि में निवल आधिकारिक प्रवाह नगण्य है जिसका निहितार्थ यह है कि उनके सुदृढ़ कार्य-निष्पादन ने अनेक प्रकार के निवेशकों को आकर्षित किया है।

क्रमिक रूप से बढ़ रहे इन सब वैश्विक आर्थिक संबंधों ने दिलचस्प मुद्दे उठाए हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि अब अधिकाधिक रूप से यह स्पष्ट हो चुका है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच अन्य बातों में वास्तविक जीडीपी, मुद्रास्फीति, ब्याज दरों की वृद्धि के रूप में व्यवसाय चक्र में दीर्घतर अभिसरण हुआ है, यद्यपि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं वित्तीय बाजार के चालू उथल-पुथल तथा आरंभिक वैश्विक आर्थिक मंदी द्वारा अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुई हैं। उन्नत तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच बदलते आर्थिक संबंधों का भी पिछले दशक में मुद्रास्फीति पर उल्लेखनीय असर पड़ा है। वैश्वीकरण तथा व्यापार समन्वयन में हुई वृद्धि ने विदेशी उत्पादकों द्वारा बाजार में पहुंच संबंधी अवरोधों को कम कर दिया। यह देशों बाजारों में मूल्य की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है तथा आयात को बढ़ाता है। इसके कारण कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार वाली वस्तुओं के उत्पादन को दूसरे स्थान पर भी ले जाना पड़ा है। चीन के विनिर्माण उद्योग तथा कुछ सीमा तक भारत के सेवा क्षेत्र ने मुद्रास्फीतिकारी दबावों में वर्तमान वृद्धि के पहले पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीतिकारी दबावों को कम करने में स्वीकार्य रूप से अंशदान किया है (रेड्डी, 2008)। इसके अलावा, मुद्रास्फीति की अस्थिरता में भी गिरावट की प्रवृत्ति है तथा इसकी चक्रीय गति स्वयं मुद्रास्फीति के स्तर की गति से मोटे तौर पर मिलती है (व्हाइट, 2008)।

मध्य वर्ग में वृद्धि होने के साथ, विश्व बाजार की मांग में व्यापार स्वरूप में होने वाले बदलाव के साथ नाटकीय बदलाव आ रहा है। अब तक की तरह व्यापार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर कम निर्भर है क्योंकि उपभोक्ता की क्रय शक्ति प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई है। यह विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि की समग्र गति में काफी तेजी लाता है। इसी तरह, कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग तथा प्रवास ने श्रम बाजारों को वैश्विक तौर पर रूपांतरित तथा संबद्ध किया है जिनका उन्नत और विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय समष्टि आर्थिक निहितार्थ है। साथ ही नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था ने नीति निर्माताओं को व्यापार, वित्त, आर्थिक वृद्धि, गरीबी, वातावरण धारणीयता, सामाजिक प्रगति एवं शासन, जिन्हें एक समय अलग माना जाता था, संबंधी इंटरफेस के मुद्दों के बारे में समग्र राय बनाने के लिए विवश कर दिया है। उदाहरण के लिए डब्ल्यूटीओ में होनेवाली वार्ता के दौरान सामाजिक और पर्यावरण संबंधी आयामों के बारे में अधिकाधिक चर्चा की जाती है।

साथ ही वैश्वीकरण अपने साथ कई चुनौतियां लेकर भी आया है। अब सभी अर्थव्यवस्थाएं प्रतिकूल बाह्य आघातों के तीव्रतर परेषण के प्रति खुली हैं। कभी-कभी सुदृढ़ मूलभूत तत्वोंवाली अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अमरीका में उत्पन्न हाल के सब-प्राइम संकट ने उन अनेक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है जो अन्यथा स्वस्थ हैं। ऐसी भेद्यता यह सुझाती है कि, बाजार प्रतिभागियों विशेषतः बैंकों के लिए विनियमन एवं विवेकपूर्ण निरीक्षण, सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, संविभाग के उचित मूल्यन तथा उचित प्रकटीकरण का कोई स्थानापन्न नहीं है।

साथ ही वैश्वीकरण के बारे में यह भी माना जाता है कि स्वतंत्र मौद्रिक नीति के अनुसरण के लिए वैश्वीकरण व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को नियंत्रित करती है। देशव्यापी अनुभव यह दर्शाते हैं कि बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयकरण के माहौल में, विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति के जरिए बाजार आधारित मौद्रिक नीति के लिए बड़ी गुंजाइश प्रदान की जा सकती है तथा विनिमय दर में अधिक लचीलापन लाया जा सकता है तथा अर्थव्यवस्था को किसी प्रतिकूल आघात से भी बचाया जा सकता है और इस प्रकार संबंधित देश की मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जा सकता है।

जहां वैश्वीकरण ने लगभग सभी देशों के बीच रहन-सहन के स्तर को सुधारा है, वहीं हाल की अवधि में फायदों का वितरण - देशों के बीच तथा देश के भीतर दोनों रूपों में - सार्वजनिक नीति की गंभीर चिंता का विषय बन गया है। अनेक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, पिछले कई वर्षों में जीडीपी में तेज गति से वृद्धि हुई है, परंतु माध्यिक वास्तविक आय लगभग उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। इसी तरह, लगभग सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कुल राष्ट्रीय आय में श्रमिकों की आय का हिस्सा पिछले 25 सालों में कम हुआ है। कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं, एशिया सहित, में असमानता में भी वृद्धि हुई है। ये गतिविधियां वैश्वीकरण के लाभों के बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं तथा नौकरी में बढ़ती हुई कमी और आय की असुरक्षा, विशेषतः अकुशल श्रमिकों के लिए, के कारण संरक्षणवादी वक्तृता की ओर ले जाती हैं, हालांकि कंपनियों के पुनर्विन्यास से विशेषज्ञों के लिए भी नौकरी की असुरक्षा बढ़ती है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखने पर, जहां वैश्वीकरण ने उच्चतर आय और रोजगार, बेहतर प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और बाजार तक पहुंच में अंशदान किया है, वहीं इसने खराब भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा को उन्नत करने की जरूरत संबंधी कई चुनौतियां भी ला दी हैं। अन्यथा, भारत के लिए यह चुनौती होगी कि वह तेजी से बदल रही वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के चरण में भारत अपनी जनसांख्यिक स्थितियों का पूरा लाभ उठा सके।

संदर्भ :

1. रेड्डी, वाइ.वी., (2008), “फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, ग्रोथ एण्ड स्टैबिलिटी : ऐन इंडियन परस्पेक्टिव” वैश्वीकरण, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति पर 7 मार्च 2008 को पैरिस में बैंक डी फ्रान्स की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में दी गई टिप्पणियां।
2. व्हाइट, विलियम आर. (2008), “ग्लोबलाइजेशन एंड डि डिटरमिनेंट्स ऑफ़ डोमेस्टिक इंप्लेशन”, बीआइएस वर्किंग पेपर संख्या 256, मार्च।

II.6.11. गंतव्य-वार 2007-08 के दौरान समग्र निर्यात में 13.0 प्रतिशत हिस्से के साथ अमरीका भारत के लिए अकेला सबसे बड़ा बाजार बना रहा, हालांकि इसका हिस्सा एक साल पहले के 14.9 प्रतिशत की तुलना में कम हो गया (सारणी 2.77)। अन्य प्रमुख निर्यात गंतव्य थे - यूएई (9.7 प्रतिशत), चीन (6.8 प्रतिशत), सिंगापुर (4.3 प्रतिशत), यूके (4.1 प्रतिशत), हांगकांग (4.0 प्रतिशत), जर्मनी (3.2 प्रतिशत), नीदरलैंड्स (3.0 प्रतिशत) तथा क्षेत्रवार, यूरोपीयन यूनियन, उत्तरी अमरीका, पूर्वी यूरोप तथा एशिया के विकासशील देशों को निर्यात में वृद्धि हुई, जबकि एशिया और ओशेनिया, ओपेक, अफ्रीका के विकासशील देशों तथा लैटिन अमरीका के विकासशील देशों को निर्यात में कमी आई।

II.6.12. पिछले वर्षों में भारत के निर्यातों में भौगोलिक विशाखीकरण भी हुआ है (बॉक्स II.22)। वर्ष 2000 के पहले यूरोपीयन यूनियन तथा अमरीका जैसे विकसित क्षेत्र भारत के प्रमुख निर्यात बाजार थे। तथापि, 2007-08 तक विकासशील देश प्रमुख बाजार बन गए तथा एशिया, ओपेक और अफ्रीका के देशों में निर्यात में उल्लेखनीय उछाल आया। यूरोपीयन यूनियन तथा अमरीका के हिस्से में मुख्यतः इन क्षेत्रों को भारत के निर्यातों की पण्य संरचना में संरचनागत बदलाव आने के कारण गिरावट आई।

II.6.13. भारत के आयात में वृद्धि 2006-07 के 24.5 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 29.0 प्रतिशत हो गई। पेट्रोलियम, तेल तथा

स्नेहकों के आयात में वृद्धि 2006-07 के 30.0 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 39.4 प्रतिशत हो गई जो मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के भारतीय बास्केट की कीमतों में उछाल (2006-07 के 12.0 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 27.4 प्रतिशत अधिक) को दर्शाता है।

II.6.14. तेल से इतर आयातों में वृद्धि 2007-08 के दौरान 24.4 प्रतिशत (एक साल पहले 22.2 प्रतिशत) थी तथा उसने आयात में समग्र वृद्धि में लगभग 58 प्रतिशत का अंशदान किया। तेल से इतर आयातों के भीतर, पूंजीगत माल का आयात थोड़ा गिरकर 24.1 प्रतिशत (एक साल पहले 25.0 प्रतिशत) रह गए, जबकि सोना और चांदी के आयात गिरकर 21.8 प्रतिशत (एक साल पहले 29.4 प्रतिशत) रह गए (परिशिष्ट सारणी 50)। सोने और चांदी को छोड़कर तेल से इतर पदार्थों का आयात एक वर्ष पहले के 21.4 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2007-08 में 24.7 प्रतिशत हो गया। मुख्य औद्योगिक निविष्टियों (सोना और चांदी, थोक खपत वस्तुओं, विनिर्मित उर्वरक और व्यावसायिक उपकरणों को छोड़कर तेल से इतर आयात) में वृद्धि 24.2 प्रतिशत (2006-07 में 19.6 प्रतिशत) की त्वरित दर से हुई। उक्त अवधि में आयात में त्वरित वृद्धि दशनिवाले तेल से इतर अन्य प्रमुख पदार्थ थे - खाद्य तेल, उर्वरक, मोती, मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान पत्थर, रसायन, वस्त्र और कोयला, कोक और ब्रिकेट।

II.6.15. स्रोतवार, चीन आयात का मुख्य स्रोत था जिसका कुल आयात (तेल तथा तेल से इतर आयात) में 2007-08 में हिस्सा 11.3 प्रतिशत था (सारणी 2.78)। आयात के अन्य प्रमुख स्रोत थे - सऊदी अरब (8.1 प्रतिशत), यूएई (5.6 प्रतिशत), यूएस (5.5 प्रतिशत), ईरान (4.6 प्रतिशत), स्विटजरलैंड (4.1 प्रतिशत), जर्मनी (4.0 प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया (3.3 प्रतिशत)।

2008-09 के दौरान की गतिविधियां

II.6.16. अप्रैल-जून 2008 के दौरान, भारत के पण्य निर्यात में 22.4 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 20.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पण्य आयात में 29.8 प्रतिशत (38.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अप्रैल-जून 2008 में तेल का आयात 50.4 प्रतिशत बढ़ा, जबकि तेल से इतर आयात 20.9 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल-जून 2008 के लिए पण्य व्यापार घाटा अप्रैल-जून 2007 के 21.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 30.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

सारणी 2.77: भारत के निर्यातों की दिशा

समूह/ देश	बिलियन अमरीकी डालर		घटबढ़ (प्रतिशत)	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1. ओईसीडी देश	52.0	61.7	13.5	18.6
जिनमें से :				
क) ईयू	25.8	32.2	15.1	24.9
ख) उत्तरी अमरीका	20.0	22.0	8.7	10.0
यूएस	18.9	20.7	8.7	9.7
2. ओपेक	20.7	26.2	35.8	26.4
जिनमें से:				
यूएई	12.0	15.4	40.0	27.7
3. विकासशील देश	50.8	67.2	27.8	32.4
जिनमें से:				
एशिया	37.6	50.1	21.4	33.2
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना	8.3	10.8	22.7	30.0
सिंगापुर	6.1	6.9	11.9	12.9
4. कुल निर्यात	126.4	159.0	22.6	25.8
स्रोत : डीजीसीआइएण्डएस				

बॉक्स II.22 भारत के निर्यात का विशाखीकरण

उदारीकरण तथा तीव्र वैश्वीकरण के युग में आर्थिक वृद्धि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्यात आय को स्थिर करने के लिए निर्यात विशाखीकरण एक दीर्घावधि व्यापार नीतिगत साधन के रूप में उभरा है क्योंकि कुछ सामानों तक निर्यात का संकेंद्रीकरण व्यापार में गिरावट, आय की अस्थिरता तथा अंततः वृद्धि की संभाव्यता के जोखिम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने में प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात पर निर्भरता कम करके विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात की ओर विशाखीकरण अपेक्षित है ताकि बाह्यताओं और अग्र-पश्च संपर्कों के लाभ उठाए जा सकें। निर्यात विशाखीकरण से जुड़ी बाह्यताएं विशाखीकृत निर्यात संरचना से जुड़ी हुई हैं जिन्हें ज्ञान के प्रसार एवं नए संगठनात्मक तथा उद्यमी कौशल के अर्जन के जरिए उत्पादन की नई प्रौद्योगिकी लागू करके सुकर बनाया जाता है। अग्र-पश्च संपर्क विशाखीकृत निर्यात संरचना के उत्पादन के लिए प्रावधान करते हैं।

व्यापार साहित्य निर्यात विशाखीकरण के दो आयामों अर्थात् व्यापार की सघन संरचना (जिसे सघन मार्जिन भी कहा जाता है) तथा व्यापार की व्यापक संरचना (व्यापक मार्जिन) की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। व्यापार की गहन संरचना पहले से निर्यात किए जा रहे सामानों के निर्यात बढ़ाने से संबंधित होती है जबकि व्यापक संरचना को नए उत्पादों में निर्यात बढ़ाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुभवजन्य अध्ययन यह प्रकट करते हैं कि निर्यात का विशाखीकरण बढ़ रहा है तथा वह विकासशील देशों के भीतर अधिक गतिशील हो रहा है और आय के स्तर, गंतव्य बाजारों के आकार तथा उनकी समीपता के आधार पर यह अलग-अलग होता है। सामान्यतः सबसे गरीब देश ज्ञान और मूलभूत सुविधा से रहित अपनी आर्थिक संरचना के स्वरूप के कारण बिल्कुल अलग प्रकार की बाधा का अनुभव कर रहे हैं। उत्पादन के विशाखीकरण के अभाव में उनका निर्यात कुछ उत्पादों तक सीमित होता है। सभी क्षेत्रों के लिए गहन मार्जिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्ग है। व्यापक मार्जिन के भीतर विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों के लिए भौगोलिक विशाखीकरण अधिक मायने रखता है। साथ ही सशक्त विशाखीकृत निर्यात बाजार बनाए रखने के लिए, गंतव्य बाजार के आकार के अलावा हमें लागत संबंधी कारक को भी हिसाब में लेना चाहिए। प्रभावी क्षेत्रीयता, व्यापार को सुकर बनाने के उपाय का संवर्धन तथा मूलभूत सुविधा को सुदृढ़ बनाना, व्यापार की लागत कम करने के महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। अनुभवजन्य अध्ययन निर्यात विशाखीकरण के लिए नीति निर्धारित करते हैं। दुर्लभ

संसाधनों के साथ व्यापार की गहन संरचना की स्थिति में मौजूदा निर्यातों में गुणवत्ता शृंखला को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। व्यापार की व्यापक संरचना में, उत्पाद विशाखीकरण की तुलना में भौगोलिक विशाखीकरण अधिक महत्वपूर्ण है।

भारत में, हाल के वर्षों में पण्य निर्यात में सुदृढ़ और बनी हुई वृद्धि (2002-08 के दौरान 24.0 प्रतिशत की औसत वृद्धि) के साथ पण्य संरचना और बाजार विशाखीकरण में संरचनागत बदलाव आया। भारत के निर्यात विशाखीकरण में व्यापार की व्यापक संरचना की प्रवृत्ति देखी गयी जिसके तहत गहन प्रौद्योगिकी वाले पण्य व्यापक भौगोलिक व्यापक के साथ वृद्धि के वाहक के रूप में उभरे। गहन प्रौद्योगिकी वाले इंजीनियरिंग माल और पेट्रोलियम उत्पाद परंपरागत रूप से प्रमुख मदों यथा रत्न और आभूषण तथा वस्त्र और वस्त्र उत्पाद के स्थान पर भारत के निर्यात के वाहक के रूप में उभरे। विशाखीकृत विकासशील देशों के बाजार के साथ मशीनरी, परिवहन उपकरण, धातु एवं लोहा और इस्पात का निर्माण, इंजीनियरिंग माल की वृद्धि के वाहक बने। इसके अलावा, विशेषतः अयस्क और खनिज, धातु और पेट्रोलियम उत्पाद की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण आयात की कीमतों की तुलना में निर्यात की अपेक्षाकृत उंची कीमतों पर उत्पन्न व्यापार प्रभाव ने हाल के वर्षों में उच्च निर्यात वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद की।

पिछले कुछ वर्षों, में भारत के निर्यात में भी भौगोलिक विशाखीकरण देखा गया है। भारत के प्रमुख निर्यात बाजार यूरोपीयन यूनियन और अमरीका जैसे विकसित क्षेत्रों से एशिया, ओपेक और अफ्रीका के देशों जैसे विशाखीकृत बाजारों की ओर चले गए हैं।

संदर्भ

1. ओलिवर कैडोट, सेलाइन करैरे तथा वनेसा स्ट्रास-काह, *एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन: व्हाट इज बिहाइंड द हम्प?*, आर्थिक नीति अनुसंधान केंद्र, चर्चा पत्र सं. 6590, नवम्बर 2007।
2. अल्बर्टो अमर्गो-पचेको तथा मार्था डेनीसे पेरोला, ‘‘पैटर्न ऑफ एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज: इंटेसिव एण्ड एक्सटेंसिव मार्जिन्स’’, पालिसी रिसर्च वर्किंग पेपर सं.4473, विश्व बैंक, जनवरी 2008।
3. विश्व बैंक (2005), ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स 2005: ट्रेड रीजनलिज्म एण्ड डेवलपमेंट।

सारणी 2.78: भारत के आयातों की दिशा


समूह/ देश	बिलियन अमरीकी डालर		घट-बढ़ (प्रतिशत)	
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1. ओईसीडी देश	64.0	75.8	23.6	18.4
जिनमें से:				
क) ईयू	28.4	33.1	13.0	16.3
जर्मनी	7.5	9.6	25.3	26.8
यूके	4.2	5.0	6.2	18.7
ख) उत्तरी अमरीका	13.5	15.1	30.3	12.0
यूएस	11.7	13.2	24.1	12.5
2. ओपेक	56.1	76.1	402.0	35.8
जिनमें से:				
एशिया	8.7	13.5	98.8	55.6
3. विकासशील देश	59.8	80.6	57.8	34.8
जिनमें से:				
एशिया	47.4	64.1	55.5	35.4
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना	17.5	27.1	60.7	55.1
सिंगापुर	5.5	8.1	63.7	47.8
दक्षिण कोरिया	4.8	6.0	5.3	25.5
4. कुल आयात	185.7	239.7	24.5	29.0

स्रोत : डीजीसीआइएण्डएस

अदृश्य मदे

II.6.17. अदृश्य खाते में सेवा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय आस्तियों, श्रम और संपत्ति से आय तथा मुख्यतः कामगारों के प्रेषण सहित सीमापार के अंतरण शामिल हैं। 2007-08 में अदृश्य मदों के तहत निवल अधिशेष (अदृश्य प्राप्तियां घटाव भुगतान) 72.7 बिलियन अमरीकी डालर पर उच्चतर (2006-07 में 53.4 बिलियन अमरीकी डालर) था, जो मुख्यतः विदेशी भारतीयों के प्रेषण में वृद्धि और सॉफ्टवेयर निर्यातों में वृद्धि को दर्शाता है (सारणी 2.79 तथा परिशिष्ट सारणी 52)। सकल अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि 2006-07 के 28.3 प्रतिशत से कम होकर 2007-08 में 26.2 प्रतिशत रह गई जो मुख्यतः 2007-08 की दूसरी तिमाही में सॉफ्टवेयर एवं व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में कमी का परिणाम था। चालू प्राप्तियों में सकल अदृश्य प्राप्तियों का हिस्सा एक वर्ष पहले के 47.3 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2007-08 में 47.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.28)। अदृश्य भुगतान में 2006-07 के 29.3 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 17.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। अदृश्य मदों के तहत निवल अधिशेष 2006-07 में जीडीपी का 5.8 प्रतिशत था जो बढ़कर 2007-08 में जीडीपी का 6.2 प्रतिशत हो गया।

चार्ट II.28 : भारत की अदृश्य प्राप्तियां



सेवाएं

II.6.18. सेवाओं के तहत निवल अधिशेष सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में हुई निवल वृद्धि के कारण 2006-07 के 31.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2007-08 में 37.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत की सेवा प्राप्तियों में यात्रा अर्जन, परिवहन, सॉफ्टवेयर और कारोबारी सेवाओं की प्रधानता है जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रुचि में अत्यधिक वृद्धि तथा भारत के उच्च कुशलता- प्राप्त कामगारों और गहन प्रौद्योगिकी वाली सेवाओं के बढ़ते महत्व को दर्शाता है (सारणी 2.80)। इसी तरह, घरेलू अर्थव्यवस्था के विस्तार, बढ़ती हुई भाड़ा लागत, बाहरी यात्रियों की संख्याओं में वृद्धि, कारोबारी तथा प्रबंध परामर्शी सेवाओं से संबंधित भुगतान, तथा वास्तुशिल्प, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी सेवाओं के कारण सेवा संबंधी भुगतानों में वृद्धि हो रही है।

II.6.19. सेवा संबंधी कई प्रकार के निर्यातों का तुलनात्मक लाभ उठाने हुए भारत हाल के वर्षों में विश्व में सेवा के बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। 2006 में 1995 के 0.6 प्रतिशत की तुलना में 2.5 प्रतिशत बाजार हिस्से के साथ भारत विश्व का 11वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बना (चार्ट II.29)।

II.6.20. सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात 2007-08 में 40.3 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया और इस प्रकार इसने वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप में कुछ मंदी के बावजूद 28.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। ग्राहकों की जरूरत, कम परिचालन लागत के साथ माहौल में बदलाव ने

सारणी 2.79: भारत का भुगतान संतुलन - मुख्य संकेतक

(मिलि.अम.डालर)

मद/संकेतक	1990-91	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07आं.सं	2007-08अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) व्यापार शेष	-9,438	-11,574	-10,690	-13,718	-33,702	-51,904	-63,171	-90,060
ii) अदृश्य, निवल	-242	14,974	17,035	27,801	31,232	42,002	53,405	72,657
iii) चालू खाता शेष	-9,680	3,400	6,345	14,083	-2,470	-9,902	-9,766	-17,403
iv) पूंजी खाता	7,056	8,551	10,840	16,736	28,022	25,470	45,779	108,031
v) समग्र शेष #	-2,492	11,757	16,985	31,421	26,159	15,052	36,606	92,164
vi) विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि * [वृद्धि(-)/ कमी (+)]	1,278	-11,757	-16,985	-31,421	-26,159	-15,052	-36,606	-92,164
संकेतक(प्रतिशत में)								
1. व्यापार								
i) निर्यात/ जीडीपी	5.8	9.4	10.6	11.0	12.1	13.0	14.0	13.5
ii) आयात/जीडीपी	8.8	11.8	12.7	13.3	16.9	19.4	20.9	21.2
iii) व्यापार शेष /जीडीपी	-3.0	-2.4	-2.1	-2.3	-4.8	-6.4	-6.9	-7.7
iv) निर्यात की मात्रा में वृद्धि	11.0	3.9	21.7	6.0	17.5	11.8	15.8	-
2. अदृश्य								
i) अदृश्य प्राप्तियां/जीडीपी	2.3	7.7	8.3	8.9	9.9	11.1	12.5	12.4
ii) अदृश्य भुगतान /जीडीपी	2.4	4.5	4.9	4.3	5.5	5.9	6.7	6.2
iii) अदृश्य (निवल)/ जीडीपी	-0.1	3.1	3.4	4.6	4.4	5.2	5.8	6.2
3. चालू खाता								
i) चालू प्राप्तियां @/जीडीपी	8.0	16.9	18.8	19.8	21.9	24.0	26.4	25.8
ii) चालू भुगतान/जीडीपी	11.2	16.3	17.6	17.6	22.4	25.3	27.6	27.4
ii) चालू प्राप्तियों में वृद्धि @	6.6	4.5	17.6	25.2	29.3	26.0	24.9	24.9
iii) चालू प्राप्तियां @/चालू भुगतान	71.5	103.8	106.6	112.8	98.0	94.8	95.9	94.3
iv) चालू खाता शेष/जीडीपी	-3.1	0.7	1.2	2.3	-0.4	-1.2	-1.1	-1.5
4. पूंजी खाता								
i) भारत में विदेशी निवेश (निवल) /जीडीपी	-	1.7	1.2	2.6	2.2	2.6	3.2	5.2
ii) पूंजी प्रवाह (निवल)/जीडीपी	2.2	1.8	2.1	2.8	4.0	3.1	5.0	9.2
iii) पूंजी अंतर्वाह/जीडीपी	7.2	9.1	9.1	12.6	14.0	17.9	25.3	36.5
iv) पूंजी बहिर्वाह/जीडीपी	5.0	7.3	7.0	9.8	10.0	14.8	20.3	27.3
v) भारत में विदेशी निवेश (निवल)/निर्यात	0.6	18.2	11.2	23.7	18.0	20.3	22.6	38.8
5. अन्य								
i) ऋण- जीडीपी के अनुपात	28.7	21.1	20.3	17.8	18.6	17.2	17.8	18.8
ii) ऋण-चुकोती अनुपात	35.3	13.7	16.0	16.1	6.1	9.9	4.8	5.4
iii) देयता-चुकोती अनुपात	35.6	14.9	16.1	19.1	7.1	11.2	6.2	6.5
iv) आरक्षित निधियों का आयात कवर (महीनों में)	2.5	11.5	14.2	16.9	14.3	11.6	12.5	15.0
आंसं : आंशिक संशोधित	अ: अनंतिम	#: भूलचूक शामिल						
@ :आधिकारिक अंतरणों को छोड़कर	*: मूल्यन संबंधी परिवर्तन छोड़कर		-: उपलब्ध नहीं।					

2003-04 से लगभग 30.0 प्रतिशत की स्थिर साफ्टवेयर निर्यात वृद्धि बनाये रखने में भारत की मदद की। नैसकॉम के अनुसार, अमरीका और ब्रिटेन सबसे बड़े निर्यात बाजार बने रहे (2006-07 में क्रमशः 61 प्रतिशत और 18 प्रतिशत बाजार हिस्से पर उनका कब्जा था)। तथापि, यह उद्योग अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में अपना एक्सपोजर निरंतर बढ़ा रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी का सामना करने के लिए भारतीय कंपनियां आइटी परामर्श और सिस्टम के समन्वयन, हार्डवेयर समर्थन और संस्थापन एवं प्रसंस्करण सेवाओं

की अदोहित संभावनाओं का पता लगाकर मूल्यवत्ता की श्रृंखला में ऊपर उठती गयीं। इन गतिविधियों के फलस्वरूप, भारत ने कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के अग्रणी निर्यातक की अपनी स्थिति बरकरार रखी (सारणी 2.81)।

II.6.21. अन्य प्रमुख सेवाओं में, यात्रा प्राप्तियों को आने वाले यात्रियों की संख्या में अच्छी वृद्धि का लाभ मिलता रहा (सारणी 2.82)। 2003-04 से पर्यटन संबंधी आय में उछाल बना रहा, जो व्यवसाय

सारणी 2.80: भारत की सेवाओं के निर्यातों की संरचना

वर्ष	राशि (मिलि.अम. डालर)	सेवाओं के कुल निर्यात में हिस्सा (प्रतिशत)					
		यात्रा	परिवहन	बीमा	जीएनआई	सॉफ्टवेयर	विविध *
1	2	3	4	5	6	7	8
1970-71	292	16.8	49.7	5.5	13.7	0	14.4
1980-81	2,804	43.5	16.3	2.3	4.0	0	33.9
1990-91	4,551	32.0	21.6	2.4	0.3	0	43.6
2000-01	16,268	21.5	12.6	1.7	4.0	39.0	21.3
2003-04	26,868	18.7	11.9	1.6	0.9	47.6	19.2
2004-05	43,249	15.4	10.8	2.0	0.9	40.9	29.9
2005-06	57,659	13.6	11.0	1.8	0.5	40.9	32.1
2006-07	76,181	12.0	10.6	1.6	0.3	41.1	34.5
2007-08	87,687	12.9	10.8	1.8	0.4	46.0	28.1

* : सॉफ्टवेयर सेवाओं को छोड़कर


जीएनआई : सरकार, अन्यत्र शामिल न किए गए

और अवकाश यात्रा दोनों, भुगतान प्रणाली में उदारीकरण, बढ़ते हुए वैश्वीकरण, सेवा निर्यात में वृद्धि तथा संबद्ध व्यावसायिक यात्रा को दर्शाता है। दूसरी ओर, बाहरी पर्यटन में निरंतर वृद्धि के साथ यात्रा भुगतान में भी वृद्धि हुई जो (i) बढ़ते हुए पण्य और सेवा व्यापार; तथा (ii) भुगतान के उदारीकृत वातावरण में निवासियों की बढ़ती हुई व्यययोग्य आय के अनुरूप व्यवसाय और अवकाश यात्रा में वृद्धि को दर्शाता है। यात्रा खाते के तहत निवल प्राप्तियां 2006-07 के 2.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2007-08 में 2.1 बिलियन अमरीकी डालर पर निम्नतर

रहीं।

II.6.22. 2007-08 के दौरान, अदृश्य प्राप्तियों के तहत मुख्यतः व्यावसायिक और पेशेवर सेवाओं की अगुआई में सॉफ्टवेयर से इतर सेवाओं के निर्यात में उछाल आया (सारणी 2.83)। व्यावसायिक सेवाओं की श्रेणी में ये शामिल हैं - व्यापार संबद्ध सेवाएं; चार्टर किराये पर लेने सहित परिचालन कर्मिंदल के बिना परिचालनात्मक पट्टादायी सेवाएं; विधिक सेवाएं; लेखांकन, लेखा-परीक्षा, बुककीपिंग और कर परामर्शी सेवाएं; विज्ञापन, व्यापार मेला, बाजार अनुसंधान और लोक राय लेने संबंधी सेवा; अनुसंधान और विकास सेवाएं;

चार्ट II.29: वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा



सारणी 2.81: कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात

(बिलियन अमरीकी डालर)

श्रेणी *	देश	2000	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6
1	भारत	6.3	17.7	23.6	31.3
2	आयरलैंड	7.5	18.8	19.6	21.0
3	ब्रिटेन	4.3	11.7	11.2	12.0
4	जर्मनी	3.8	8.1	8.3	9.6
5	यू.एस.ए.	5.6	6.7	7.5	7.6
6	इजराइल	4.2	4.4	4.5	5.3
7	कनाडा	2.4	3.1	3.9	4.0
8	स्पेन	2.0	3.0	3.6	4.0
9	नीदरलैंड	1.2	3.7	3.7	3.9
10	बेल्जियम	-	2.4	2.6	2.8

* : वर्ष 2006 के लिए श्रेणी-निर्धारण किया गया है।

स्रोत : भुगतान संतुलन सांख्यिकी वार्षिक पुस्तिका, आईएमएफ और भारतीय रिजर्व बैंक।

सारणी 2.82: भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन तथा बाहरी यात्रियों की संख्या

वर्ष	आगमन (मिलियन)	वृद्धि दर (प्रतिशत)	प्रस्थान (मिलियन)	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
2000	2.65	6.9	4.42	7.5
2001	2.54	-7.4	4.56	3.2
2002	2.38	-4.0	4.94	8.3
2003	2.73	12.5	5.35	8.3
2004	3.46	29.6	6.21	16.1
2005	3.92	11.4	7.18	15.6
2006	4.45	13.5	8.34	16.2
2007	4.98	11.9	उ.न.	उ.न.

उ.न.: उपलब्ध नहीं
 स्रोत : पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

वास्तुशिल्प, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी सेवाएं; कृषि, खनन और स्थल पर प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं; श्रव्य-दृश्य तथा संबंधित सेवाएं; और निजी और सांस्कृतिक सेवाएं (सारणी 2.84)। साफ्टवेयर निर्यात को घटाकर विविध प्राप्तियां 2007-08 के दौरान 24.6 बिलियन अमरीकी डालर पर (2006-07 के दौरान 26.3 बिलियन अमरीकी डालर) थीं।

निजी अंतरण

II.6.23. निजी अंतरण संबंधी अंतर्वाह 2007-08 के दौरान 42.6 बिलियन अमरीकी डालर था, तथा इसमें 2006-07 के 29.0 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 47.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (सारणी 2.85)। कामगारों के विप्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि में अंशदान देनेवाले कई कारक इस प्रकार हैं - भारतीयों द्वारा प्रवसन में वृद्धि, मुद्रा भेजने और उसका निवेश करने में प्रोत्साहनों में सुधार, विनियमों

और नियंत्रणों को शिथिल करना, बैंकिंग के अभिगम और प्रौद्योगिकी में सुधार तथा पूंजी खाते को क्रमिक तौर पर खोलना।

II.6.24. भारत ने विश्व में विप्रेषणों के एक प्रमुख प्राप्तकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाये रखी तथा ऐसे प्रवाहों के मामले में अपेक्षाकृत स्थिरता रही (सारणी 2.86)।

निवेश आय

II.6.25. निवेश आय घाटा 2006-07 के अवधि के 6.0 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2007-08 के दौरान 5.2 बिलियन अमरीकी डालर रह गया, जिसके मुख्य कारण थे - विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों पर ब्याज आय, विदेश में परिचालित भारतीय कंपनियों का लाभांश और लाभ तथा पुनर्निवेशित आय। 2007-08 के दौरान निवेश आय प्राप्तियों में तेज वृद्धि हुई, जो प्रारक्षित निधियों में उपचय में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

चालू खाता

II.6.26. अदृश्य मदों के अधिशेष में 2007-08 के दौरान बनी हुई वृद्धि ने बढ़ते हुए पण्य व्यापार घाटे के प्रभाव को कम करने का कार्य किया। फलस्वरूप, 2007-08 के दौरान चालू खाता घाटा 17.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया (2006-07 में 9.8 बिलियन अमरीकी डालर) (परिशिष्ट सारणी 51)। जीडीपी के अनुपात के रूप में, 2007-08 में चालू खाता घाटा 1.5 प्रतिशत था, जो मुख्यतः उच्चतर व्यापार घाटे के कारण पिछले वर्ष (1.1 प्रतिशत) की तुलना में उच्चतर था। पण्य व्यापार घाटा, जो 1990 के दशक के मध्य और 2003-04 के बीच जीडीपी के लगभग 3-4 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा, 2006-07 में तेजी से बढ़कर जीडीपी का 6.9 प्रतिशत

सारणी 2.83: सॉफ्टवेयर से इतर विविध प्राप्तियां और भुगतान

(मिलि.अम.डालर)

मद	प्राप्तियां			भुगतान		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
1. संचार सेवाएं	1,575	2,099	2,436	289	659	837
2. निर्माण	242	332	780	724	737	693
3. वित्तीय	1,209	2,913	3,085	965	2,087	2,847
4. समाचार एजेंसी	185	334	643	130	219	413
5. रॉयल्टी, कॉपीराइट और लाइसेंस शुल्क	191	97	157	594	1,038	1,038
6. कारोबारी सेवाएं	9,307	19,266	16,624	7,748	17,093	16,668
7. वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक	189	173	559	84	116	174
8. अन्य	5,607	1,042	335	5,997	4,357	1,953
जोड़ (1 से 8)	18,505	26,256	24,619	16,531	26,306	24,623

सारणी 2.84: कारोबारी सेवाएं

(मिलि.अम.डालर)

मद	प्राप्तियां			भुगतान		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
1. व्यापार संबद्ध	521	939	2,223	1,206	1,655	2,258
2. व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्शी	2,320	7,346	4,215	1,806	5,027	3,400
3. वास्तुशिल्प, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी	3,193	6,134	3,287	1,414	3,673	3,235
4. कार्यालयों का रखरखाव	1,577	2,334	2,867	2,074	3,424	2,827
5. अन्य	1,696	2,513	4,032	1,248	3,314	4,947
कुल (1 से 5)	9,307	19,266	16,624	7,748	17,093	16,668

हो गया तथा उच्चतर गैर-तेल आयात, विशेषतः, विस्तारित घरेलू निवेश मांग को पूरा करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात तथा कच्चे तेल की उच्चतर कीमतों के कारण 2007-08 में और बढ़कर जीडीपी का 7.7 प्रतिशत हो गया। 2007-08 में भारतीय बास्केट (ओमान, दुबई और ब्रेंट क्रिस्मों का मिश्रण) के कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़कर औसतन 79.5 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो जाने के कारण 2007-08 में भारत के आयात संबंधी भुगतानों में और वृद्धि हुई। तथापि, अदृश्य मदों के तहत सुदृढ़ प्राप्तियों के कारण भारत का चालू खाता घाटा 2007-08 में मंद स्तर पर रहा (चार्ट II.30)।

II.6.27. अधिकतर अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से भिन्न भारत का चालू खाता 2007 में घाटे में बना रहा (सारणी 2.87)।

पूंजी खाता

II.6.28. वर्ष के अधिकांश भाग में अनुकूल घरेलू वित्तीय एवं आर्थिक स्थितियों, पूंजी खातों में उदारीकरण में वृद्धि, वैश्विक बाजारों में उपलब्ध अतिरिक्त चलनिधि सहित भारत में वृद्धि की गति बने रहने

सारणी 2.85: भारत को निजी अंतरणों की संरचना

(मिलि.अम.डालर)

वर्ष	कुल	जिसमें से	
		परिवार के रखरखाव के लिए आंतरिक विप्रेषण	स्थानीय आहरण/अनिवासी भारतीय जमाराशियों से मोचन
1	2	3	4
2005-06	24,951	10,455	12,454
2006-07	28,951	13,561	13,208
2007-08	42,589	20,950	19,019


के कारण 2007-08 के दौरान भारत में पूंजी के अंतर्वाहों में वृद्धि हुई। 2007-08 के दौरान भारत में पूंजी का सकल अंतर्वाह, 320.7 बिलियन अमरीकी डालर के बहिर्वाह की तुलना में, 428.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया (सारणी 2.88)। 2007-08 में पूंजी खाते के प्रमुख वाहक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, एफआइआइ प्रवाह, जावक प्रत्यक्ष निवेश तथा अल्पावधि ऋण थे (परिशिष्ट सारणी 52)।

II.6.29. पूंजी प्रवाहों में ऋण तथा ऋणेतर दोनों तरह के प्रवाहों की प्रमुखता थी। 2007-08 में 108.0 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी

सारणी 2.86: कामगारों के विप्रेषण - सर्वोच्च दस विप्रेषण प्राप्त करने वाले देश

(मिलियन अमरीकी डालर)

देश	1996	2004	2005	2006
1	2	3	4	5
भारत	10,930	20,012	23,518	27,607
मेक्सिको	4,224	16,613	20,035	23,054
फिलीपीन्स	569	8,617	10,668	12,481
चीन	1,672	4,627	5,495	6,830
स्पेन	2,749	5,196	5,339	6,057
इंडोनेशिया	796	1,700	5,296	5,560
रोमानिया	10	18	3,754	5,506
मोरोक्को	2,165	4,221	4,589	5,454
मिश्र	3,107	3,341	5,017	5,330
पाकिस्तान	1,284	3,943	4,277	5,113
स्रोत : भुगतान संतुलन सांख्यिकी वार्षिक पुस्तिका, 2007, आइएमएफ और भारतीय रिजर्व बैंक				



के 9.2 प्रतिशत) पर निवल पूंजी प्रवाह (अंतर्वाह घटाव बहिर्वाह) 2006-07 में प्राप्त राशि (45.8 बिलियन अमरीकी डालर अथवा जीडीपी का 5.0 प्रतिशत) का 2.4 गुना तथा 2005-06 में निवल प्रवाहों (25.5 बिलियन अमरीकी डालर अथवा जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) का 4.2 गुना था।

विदेशी निवेश

II.6.30. 2007-08 में भारत में विदेशी निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा संविभाग निवेश अंतर्वाहों द्वारा चालित था। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में मोटे तौर पर इक्विटी, पुनर्निवेशित आय तथा अंतर कंपनी ऋण शामिल होते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का निवल प्रवाह (निवल आवक एफडीआइ घटाव निवल जावक एफडीआइ) 2006-07 के 8.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2007-08 में 15.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2007-08 के दौरान 32.4 बिलियन अमरीकी डालर पर सकल आवक एफडीआइ (2006-07 में 22.1 बिलियन अमरीकी डालर) ने घरेलू कार्यकलाप में बनी हुई सुदृढ़ता तथा वित्तीय, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में आनेवाले अंतर्वाहों के साथ निवेश संबंधी सकारात्मक माहौल को प्रदर्शित किया (सारणी 2.89)। कंपनियों के कार्य-निष्पादन, सकारात्मक निवेशक रुख, टेलीकॉम एवं खुदरा जैसे क्षेत्रों में एफडीआइ नीतियों के और उदारिकरण तथा सरकार द्वारा संवर्धनात्मक प्रयास में वृद्धि ने भी एफडीआइ को आकृष्ट करने में भूमिका अदा की। अधिकांश एफडीआइ प्रवाह इक्विटी के रूप में थे, जबकि संविभाग प्रवाह अधिकांशतः एफडीआइ द्वारा किये गये निवेश के रूप में थे।

II.6.31. भारत में 2007-08 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा संविभाग अंतर्वाह कमोबेश उसी मात्रा में थे (चार्ट II.31)।

सारणी 2.87: चुनिंदा देशों में व्यापार और चालू खाता शेष

(जीडीपी के प्रति प्रतिशत)

देश	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007अ	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	चालू खाता शेष							व्यापार शेष						
अर्जेंटीना	-1.4	8.9	6.3	2.1	1.9	2.5	2.9	2.7	17.6	13.2	8.7	7.2	6.5	5.1
ब्राजील	-4.2	-1.5	0.8	1.8	1.6	1.2	0.8	0.5	2.6	4.5	5.1	5.1	4.3	3.0
चिली	-1.6	-0.9	-1.1	2.2	1.1	3.6	3.7	2.7	3.5	5.0	10.0	9.1	15.5	14.4
चीन	1.3	2.4	2.8	3.6	7.2	9.4	11.7	2.6	3.0	2.7	3.1	6.0	8.2	9.7
मिश्र	0.0	0.7	2.4	4.3	3.2	0.8	1.4	-7.3	-6.6	-5.2	-8.3	-8.6	-7.9	-9.4
भारत #	0.7	1.2	2.3	-0.4	-1.2	-1.1	-1.5	-2.4	-2.1	-2.3	-4.8	-6.4	-6.9	-7.7
इंडोनेशिया	4.3	4.0	3.5	0.6	0.1	2.7	1.6	14.1	12.0	10.5	7.8	6.1	8.1	7.6
जापान	2.1	2.9	3.2	3.7	3.6	3.9	4.5	1.7	2.4	2.5	2.9	2.1	1.9	2.4
कोरिया	1.7	1.0	2.0	4.1	1.9	0.7	0.1	2.8	2.7	3.6	5.5	4.1	3.1	3.1
मलेशिया	8.3	8.4	12.7	12.6	15.3	17.2	14.4	19.8	18.0	23.3	22.1	24.2	23.5	20.0
मेक्सिको	-2.8	-2.2	-1.4	-1.0	-0.6	-0.3	-0.7	-1.5	-1.2	-0.9	-1.3	-1.0	-0.7	-1.1
फिलीपीन्स	-2.5	-0.5	0.4	1.9	2.0	4.3	3.8	-8.8	-7.2	-7.3	-6.5	-7.9	-5.7	-5.7
रूस	11.1	8.4	8.2	10.1	11.1	9.7	8.9	15.7	13.4	13.9	14.5	15.5	14.1	10.2
दक्षिण अफ्रीका	0.3	0.8	-1.1	-3.2	-4.0	-6.5	-6.7	4.4	4.3	2.1	-0.1	-0.4	-2.4	-2.0
थाईलैंड	4.4	3.7	3.4	1.7	-4.5	1.6	3.7	7.4	7.1	7.8	6.7	1.9	6.7	10.6
तुर्की	2.4	-0.8	-3.3	-5.2	-6.2	-7.9	-7.5	-1.7	-2.8	-4.4	-5.8	-6.8	-7.7	-7.0

अः अनुमानित (-) घाटा सूचित करता है # : आंकड़े वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से संबंधित हैं।

स्रोत : विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी तथा अनुच्छेद IV परामर्श रिपोर्ट, आइएमएफ; इकोनॉमिस्ट और केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटें

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 2.88: सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	अंतर्वाह			बहिर्वाह		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	9,178	22,959	34,924	6,144	14,480	19,379
2. संविभाग निवेश	68,120	109,622	235,630	55,626	102,560	206,369
3. बाह्य सहायता	3,631	3,763	4,241	1,929	1,996	2,127
4. बाह्य वाणिज्यिक उधार	14,343	20,973	29,851	11,835*	4,818	7,686
5. अनिवासी भारतीय जमाराशियां	17,835	19,914	29,321	15,046	15,593	29,142
6. अनिवासी भारतीय जमाराशियों को छोड़कर बैंकिंग पूंजी	3,823	17,295	26,412	5,239	19,703	14,834
7. अल्पावधि व्यापार ऋण	21,505	29,992	49,411	17,806	23,380	31,728
8. रुपया ऋण चुकौती	0	0	0	572	162	121
9. अन्य पूंजी	5,941	7,724	18,950	4,709	3,771	9,323
कुल (1 से 9)	144,376	232,242	428,740	118,906	186,463	320,709

* : 5.5 बिलियन अमरीकी डालर राशि की आइएमडी चुकौती के प्रभाव सहित।

II.6.32. अंकटाड विश्व निवेश संभावना सर्वेक्षण 2007-2009 के अनुसार भारत 2005 और 2006 में चीन के बाद दूसरा सबसे अनुकूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेशवाला गंतव्य देश बनकर उभरा। सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) के अंतर्वाहों की तुलना में भारत में एफडीआइ के अंतर्वाहों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है (चार्ट II.32)।

II.6.33. देशवार, 2007-08 के दौरान मारीशस के जरिए किया गया निवेश भारत में सर्वाधिक एफडीआइ निवेश था तथा उसके बाद सिंगापुर का स्थान था। ब्रिटेन और नीदरलैंड क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर चले गए (सारणी 2.90)। क्षेत्रवार, वित्तीय सेवा क्षेत्र ने 2007-08 में 3.9 बिलियन अमरीकी डालर (2006-07 में 1.3 बिलियन अमरीकी डालर) का सबसे बड़ा एफडीआइ प्रवाह आकृष्ट किया। निर्माण

सारणी 2.89: भारत को विदेशी निवेश प्रवाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	2004-05	2005-06	2006-07अ	2007-08अ
1	2	3	4	5
अ. प्रत्यक्ष निवेश (I+II+III)	6,051	8,961	22,079	32,435
I. इक्विटी (क+ख+ग+घ)	3,778	5,975	16,482	25,241
क) सरकार (एसआइए/एफआइपीबी)	1,062	1,126	2,156	2,298
ख) रिजर्व बैंक	1,258	2,233	7,151	17,129
घ) शेयरों की खरीद*	930	2,181	6,278	5,148
ड) अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	528	435	897	666
II. पुनर्निवेशित आय	1,904	2,760	5,091	6,884
III. अन्य पूंजी #	369	226	506	310
आ. संविभाग निवेश (क+ख+ग)	9,315	12,492	7,003	29,395
क) जीडीआर/एडीआर	613	2,552	3,776	8,769
ख) एफआइआइ @	8,686	9,926	3,225	20,328
ग) अपतटीय निधियां और अन्य	16	14	2	298
इ. कुल (अ+आ)	15,366	21,453	29,082	61,830

अ : अर्न्तम

* : फेमा, 1999 की धारा 6 के तहत अनिवासियों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों की खरीद से संबंधित।


: आंकड़े एफडीआइ संस्थाओं के अंतर-कंपनी ऋण लेनदेनों से संबंधित हैं।

@ : आंकड़े एफआइआइ द्वारा निधियों के निवल अंतर्वाह को दर्शाते हैं।

नोट: 1. 2006-07 और 2007-08 के लिए अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी तथा पुनर्निवेशित आय के आंकड़े अनुमान हैं।

2. इस सारणी में प्रस्तुत विदेशी निवेश के आंकड़े देश में अंतर्वाह को दर्शाते हैं तथा वे अन्य सारणियों में प्रस्तुत आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते हैं। वे एफआइआइ द्वारा शेयर बाजारों में निवल निवेश संबंधी आंकड़ों से भी भिन्न हो सकते हैं।

चाट II.31: भारत में विदेशी निवेश



तथा विनिर्माण क्षेत्रों में भी एफडीआइ प्रवाहों में तेज वृद्धि हुई।

II.6.34. भारत से निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2006-07 के 13.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2007-08 में 17.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। ट्रेडिंग में विदेशी निवेश 2006-07 के 1.7 बिलियन अमरीकी डालर से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2007-08 में 9.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया (सारणी 2.91)।

II.6.35. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) ने वर्ष 2007-08 में, अगस्त, नवम्बर, फरवरी तथा मार्च के महीनों को छोड़कर, भारतीय शेयर बाजार में निवल खरीद की। 2006-07 के 3.2 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2007-08 में 20.3 बिलियन अमरीकी डालर पर बड़ा एफआइआइ अंतर्वाह (निवल) आया, जो प्राथमिक बाजार में एफआइआइ की बढ़ी हुई सहभागिता को दर्शाता है क्योंकि कंपनियों ने आईपीओ एवं सात एफपीओ के द्वारा कुल लगभग 135 बिलियन अमरीकी डालर के बड़े संसाधन जुटाए। भारतीय कंपनियों ने एडीआर/जीडीआर के जरिए भी संसाधन जुटाए जिनकी मात्रा 2007-08 में 8.8 बिलियन अमरीकी डालर (2006-07 में 3.8 बिलियन अमरीकी डालर) थी। बड़े एफआइआइ प्रवाहों तथा एडीआर/जीडीआर के जरिए संसाधन संग्रहण में वृद्धि के फलस्वरूप निवल संविभाग निवेश 2006-07 के 7.1 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2007-08 में 29.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2006 में भारत उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच संविभाग

सारणी 2.90: भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह: देशवार और क्षेत्रवार*

(मिलियन अमरीकी डालर)

देश/क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4
कुल एफडीआइ	3,359	9,307	19,427
देशवार अंतर्वाह			
मारीशस	1,363	3,780	9,518
सिंगापुर	166	582	2,827
यूके	261	1,809	601
नीदरलैंड	50	559	601
साइप्रस	13	58	570
यूपएसए	346	706	486
जर्मनी	45	116	486
जापान	86	80	457
केमन आइलैंड	14	41	228
यूएई	47	215	226
स्विटजरलैंड	68	57	193
फ्रान्स	12	100	136
हांगकांग	26	60	111
दक्षिण कोरिया	61	68	86
इटली	39	57	24
अन्य	762	1,019	2,877
क्षेत्रवार अंतर्वाह @			
वित्तीय सेवाएं	318	1,330	3,850
विनिर्माण	1,411	1,641	3,726
निर्माण	191	967	2,551
भू-संपदा संबंधी कार्यकलाप	34	431	1,336
व्यावसायिक सेवाएं	71	2,425	1,158
कंप्यूटर सेवाएं	770	824	1,035
बिजली तथा अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण और संचारण	70	174	829
परिवहन	87	165	816
खनन	6	42	461
रेस्तराँ और होटल	67	153	280
खुदरा और थोक व्यापार	11	47	200
ट्रेडिंग	17	82	176
शिक्षा, अनुसंधान और विकास	10	43	156
संचार सेवाएं	8	423	66
विविध सेवाएं #	101	298	1,901
अन्य	187	262	886

अ : अर्न्तम

* : इस सारणी के आंकड़े रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग और सरकारी मार्ग के अंतर्गत सिर्फ इक्विटी पूंजी से संबंधित हैं। फेमा, 1999 की धारा 6 के तहत अनिवासियों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों की खरीद तथा अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी को शामिल नहीं किया गया है।

: समुदाय, सांस्कृतिक गतिविधियों, वैयक्तिक, सार्वजनिक, स्वच्छता, स्वास्थ्य, मरम्मत एवं अन्य से संबंधित सेवाओं सहित विविध सेवाएं।

@ : क्षेत्रों के वर्गीकरण में संशोधन के कारण, 2005-06 और 2006-07 के आंकड़े वार्षिक रिपोर्ट के पूर्व के निर्गमों में प्रकाशित आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते हैं।

सारणी 2.91: भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

(मिलियन अमरीकी डालर)

उद्योग	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
1	2	3	4	5
विनिर्माण	1,170	3,407	3,545	6,240
वित्तीय सेवाएं	7	160	28	26
गैर-वित्तीय सेवाएं	304	895	7,486	1,635
ट्रेडिंग	192	377	1,739	8,993
अन्य	100	207	656	1,010
कुल	1,776	5,050	13,459	17,910

* : नवीनतम सूचित संशोधित आंकड़ों पर आधारित। अतः ये आंकड़े भुगतान संतुलन के तहत प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

नोट: आंकड़ों में इक्विटी और ऋण घटक शामिल हैं।

अंतर्वाहों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था (चार्ट II.32 तथा सारणी 2.92)।

ऋण प्रवाह

II.6.36. बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) तथा व्यापारिक ऋणों की अगुवाई में 2007-08 के दौरान ऋण प्रवाहों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सकल संवितरण तथा सकल चुकौती दोनों 2007-08 के दौरान उच्चतर स्तर पर थे, जिससे ईसीबी के तहत 22.2 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्वाह हुआ। निवल अल्पावधि व्यापार ऋण पिछले साल के 6.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2007-08 के दौरान 17.7 बिलियन अमरीकी डालर (180 दिनों के आपूर्तिकर्ता ऋण सहित) थे, जो कच्चे तेल की उच्चतर कीमतों के कारण कच्चे तेल की आयात के वित्तपोषण की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को दर्शाता है। कुल अल्पावधि व्यापार ऋण में से 180 दिन तक का आपूर्तिकर्ता ऋण 6.8 बिलियन अमरीकी डालर (2006-07 में 3.3 बिलियन



अमरीकी डालर) था। अनिवासी भारतीय जमाराशियों के तहत निवल अंतर्वाह 2006-07 के 4.3 बिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 2007-08 के दौरान 0.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जिसका आंशिक कारण विभिन्न जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में अधिकतम सीमा में कटौती तथा घरेलू स्तर पर अनिवासी भारतीय जमाराशियों से बड़े स्तर पर आहरण था (सारणी 2.93)।

II.6.37. भारत को पिछले साल की तदनु रूप अवधि में प्राप्त 1.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2007-08 के दौरान 2.1 बिलियन अमरीकी डालर की बाह्य सहायता (निवल) प्राप्त हुई (परिशिष्ट सारणी 54)। भारत ने अनुदानों तथा ऋणों के रूप में अन्य देशों को, जिनमें से भूटान, नेपाल और श्रीलंका प्रमुख हिताधिकारी थे, अंशदान किया (सारणी 2.94)।

बाह्य ऋण

II.6.38. भारत को बढ़े हुए ऋण प्रवाह को दर्शाते हुए, मार्च 2008 के अंत में बाह्य ऋण 221.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जो मार्च 2007 के अंत की तुलना में 51.5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्शाता है (सारणी 2.95 और परिशिष्ट सारणी 55)। इस अवधि के दौरान मुख्यतः उच्चतर ईसीबी और अल्पावधि ऋण के कारण ऋण में वृद्धि हुई। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं तथा भारतीय रुपये की तुलना में अमरीकी डॉलर के मूल्यहास को दर्शाने वाले मूल्यन प्रभाव के कारण 9.9 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। कुल बाह्य ऋण स्टॉक का सबसे बड़ा घटक (57.1 प्रतिशत) अमरीकी डालर में मूल्यवर्गित था, उसके बाद भारतीय रुपए (14.5 प्रतिशत), जापानी येन (12.1 प्रतिशत) तथा एसडीआर (10.2 प्रतिशत) का स्थान था। मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से (i) 180 दिन तक के आपूर्तिकर्ता

चार्ट II.32: भारत और विकासशील देशों को विदेशी निवेश अंतर्वाह



सारणी 2.92: चुनिंदा देशों को विदेशी प्रत्यक्ष और संविभाग इक्विटी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

देश	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश						विदेशी संविभाग निवेश					
भारत	5,472	5,626	4,323	5,771	6,677	17,453	2,853	1,022	8,216	9,037	12,144	9,549
अर्जेंटीना	2,166	2,149	1,652	4,125	5,265	4,840	31	-116	65	-86	-48	662
ब्राजील	22,457	16,590	10,144	18,166	15,193	18,782	2,481	1,981	2,973	2,081	6,451	7,716
चिली	4,200	2,550	4,307	7,173	6,667	7,952	-217	-320	318	8	1,760	63
चीन	44,241	49,308	47,077	54,936	79,127	78,095	849	2,249	7,729	10,923	20,346	42,861
इंडोनेशिया	-2,977	145	-597	1,896	8,336	5,580	442	877	1,131	2,043	-165	1,898
मलेशिया	554	3,203	2,473	4,624	3,966	6,064	0	-55	1,340	4,510	-1,200	2,392
मारीशस	-28	32	63	14	39	107	-9	-1	8	19	36	32
मेक्सिको	29,431	21,096	15,007	22,470	19,881	19,222	151	-104	-123	-2,522	3,353	2,805
फिलीपीन्स	195	1,542	491	688	1,854	2,345	125	227	501	518	1,465	2,388
रूसी संघ	2,748	3,461	7,958	15,444	12,886	30,827	542	2,626	422	233	-215	6,149
दक्षिण अफ्रीका	7,270	735	783	701	6,522	-120	-962	-388	685	6,661	7,230	14,959
थाईलैंड	5,061	3,335	5,235	5,862	8,048	9,010	352	539	1,787	1,319	5,665	5,300

स्रोत : वैश्विक विकास वित्त, विश्व बैंक ऑनलाइन डेटाबेस।

ऋण और (ii) अल्पावधि ऋण लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश को शामिल करने के साथ अल्पावधि ऋण की व्याप्ति को अधिक व्यापक बना दिया गया।

II.6.39. 2007-08 के दौरान बाह्य ऋण की धारणीयता के संकेतक अनुकूल बने रहे। जीडीपी के प्रति बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2007 के अंत के 17.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 18.8 प्रतिशत हो गया; यह अनुपात मार्च 1995 के अंत में 30.8 प्रतिशत था। ऋण चुकौती अनुपात पिछले साल के 4.8 प्रतिशत की तुलना में

सारणी 2.93: अनिवासी भारतीय जमा योजनाओं के तहत शेष राशि

(मिलियन अमरीकी डालर)

योजना	बकाया		निवल अंतर्वाह	
	(मार्च के अंत में)		(अप्रैल-मार्च)	
	2007	2008	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5
1. एफसीएनआर(बी)	15,129	14,168	2,065	-960
2. एनआर(ई)आरए	24,495	26,716	1,830	109
3. एनआरओ	1,616	2,788	426	1,030
कुल	41,240	43,672	4,321	179

अःअर्नातिम

नोट : 1. सभी आंकड़ों में उपचित ब्याज शामिल है।

2. स्तंभ 4 और 5 में एनआर(ई) आरए तथा एनआरओ जमाराशियों के संबंध में निवल अंतर्वाह वर्ष के दौरान मूल्यन में परिवर्तनों के कारण बकाया स्टॉकों के बीच अंतरों के साथ मेल नहीं खा सकते हैं।

2007-08 के दौरान 5.4 प्रतिशत था। 2007-08 के दौरान हुई अल्पावधि ऋण की वृद्धि को दर्शाते हुए कुल ऋण के प्रति अल्पावधि

सारणी 2.94: विदेशी सरकारों को भारत का अनुदान तथा ऋण

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	2006-07			2007-08		
	अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
अ. योजना (विदेशी मामले)	41	8	49	63	12	75
आ. योजनेतर (i+ii+iii)	306	28	334	360	16	376
i. विदेशी मामले	290	0	290	349	0	349
बांग्ला देश	4	0	4	15	0	15
भूटान	108	0	108	132	0	132
नेपाल	46	0	46	25	0	25
अफ्रीका	4	0	4	12	0	12
म्यांमार	9	0	9	5	0	5
श्रीलंका	6	0	6	7	0	7
अन्य विकासशील देश	113	0	113	153	0	153
ii. वित्तीय	15	28	43	10	16	26
यू.एन.डी.पी.को अंशदान	5	0	5	5	0	5
मारीशस	0	2	2	0	0	0
म्यांमार	0	0	0	0	0	0
श्रीलंका	0	22	22	0	15	15
सुरिनाम	0	0	0	0	0	0
अन्य देश	4	4	8	4	1	5
विकास सहायता	6	0	6	1	0	1
iii. जहाजरानी	1	0	1	1	0	1
बांग्ला देश	1	0	1	1	0	1
ग. कुल (अ+आ)	347	36	383	423	28	451

स्रोत : संघशासित बजट, भारत सरकार

सारणी 2.95: भारत का बाह्य ऋण

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	मार्च	मार्च	2007-08 के दौरान	
	2007 के अंत में	2008 के अंत में	घटबढ़	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. बहुपक्षीय	35,337	39,312	3,975	11.2
2. द्विपक्षीय	16,061	19,613	3,552	22.1
3. आइएमएफ	0	0	0	0
4. निर्यात ऋण	7,051	10,267	3,216	45.6
5. बाह्य वाणिज्यिक उधार	41,657	62,019	20,362	48.9
6. एनआरआई जमा	41,240	43,672	2,432	5.9
7. रुपया ऋण	1,947	2,016	69	3.5
8. दीर्घावधि ऋण (1 से 7)	143,293	176,899	33,606	23.5
9. अल्पावधि ऋण	26,376	44,313	17,937	68.0
10. कुल ऋण (8+9)	169,669	221,212	51,543	30.4

ऋण तथा आरक्षित निधियों के प्रति अल्पावधि ऋण का अनुपात बढ़कर क्रमशः 20.0 प्रतिशत तथा 14.3 प्रतिशत हो गया। मार्च 2008 के अंत में, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां बाह्य ऋण के स्टॉक से 40.0 प्रतिशत अधिक थीं। चालू प्राप्तियां भी बाह्य ऋण के स्टॉक से अधिक

थीं, जो पण्य निर्यात एवं अदृश्य प्राप्तियों में बनी हुई वृद्धि को दर्शाता है (सारणी 2.96)।

II.6.40. विकासशील विश्व के सर्वोच्च 20 देनदार देशों के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी 2006 तक के बाह्य ऋण संबंधी अंतर्देशीय आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बाह्य ऋण स्टॉक के रूप में 2006 में भारत का 5वां स्थान था (सारणी 2.97)। तथापि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्रति बाह्य ऋण के अनुपात के रूप में चीन के बाद भारत की स्थिति दूसरे न्यूनतम स्थान पर थी। यद्यपि भारत 2006 में विकासशील देशों का पांचवां सबसे बड़ा देनदार देश था, इसका ऋण चुकौती अनुपात चीन और मलेशिया के बाद तीसरे न्यूनतम स्थान पर था।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

II.6.41. वर्ष के दौरान पूंजी का अंतर्वाह चालू खाता घाटा की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्चतर था, अतः 2007-08 के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (जिनमें विदेशी मुद्रा आस्तियां, सोना, एसडीआर तथा आइएमएफ के साथ आरक्षित शृंखला स्थिति शामिल हैं) मार्च 2007 के अंत के 199.2 बिलियन

सारणी 2.96: बाह्य ऋण चुकौती भुगतान

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
1. बाह्य सहायता@	2,666	2,904	3,241
2. बाह्य वाणिज्यिक उधार *	14,749	6,819	11,317
3. आइएमएफ	0	0	0
4. एनआरआई जमा (ब्याज भुगतान)	1,497	1,969	1,813
5. रुपया ऋण चुकौती	572	162	121
6. कुल ऋण चुकौती	19,484	11,854	16,492
7. कुल चालू प्राप्तियां #	1,96,778	2,45,616	3,02,963
8. जीडीपी के प्रति बाह्य ऋण का अनुपात (%)	17.2	17.8	18.8
9. कुल ऋण के प्रति अल्पावधि ऋण का अनुपात (%)	14.1	15.5	20.0
10. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के प्रति अल्पावधि ऋण का अनुपात (%)	12.9	13.2	14.3
11. बाह्य ऋण के प्रति विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का अनुपात (%)	109.8	117.4	140.0
12. ऋण चुकौती अनुपात (6/7) (%)	9.9	4.8	5.4
13. चालू प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान का अनुपात (%)	2.8	2.3	2.7
14. चालू प्राप्तियों के प्रति ऋण का अनुपात (%)	70.2	69.1	73.0
15. देयता चुकौती अनुपात (%)	11.2	6.2	6.5

@ : गैर-सरकारी ऋणों सहित। * : व्यापार ऋणों के ब्याज घटकों सहित।

: आधिकारिक अंतरणों को छोड़कर।

नोट: 1. इस सारणी में ऋण चुकौती भुगतान लेखांकन की उपचयात्मक पद्धति का अनुसरण करता है जो भुगतान संतुलन के संकलन के अनुरूप होता है और, इसलिए, नकदी आधार पर दर्ज किए गए से भिन्न हो सकता है।
2. देयता चुकौती अनुपात कुल चालू प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ऋण चुकौती भुगतान तथा लाभ के प्रेषण और लाभांश को मिलाकर दर्शाता है।

सारणी 2.97: सर्वोच्च बीस देनदार देशों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना, 2006

देश	बाह्य ऋण (बिलि. अम. डालर)	जीएनपी के प्रति बाह्य ऋण (%)	ऋण चुकौती अनुपात (%)	कुल ऋण के प्रति विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (%)	कुल ऋण के प्रति रियायती ऋण (%)	कुल ऋण के प्रति अल्पावधि ऋण (%)
1	2	3	4	5	6	7
1. चीन	323	12.1	2.5	334.8	10.9	53.7
2. रूसी संघ	251	26.2	13.8	121.0	0.6	16.1
3. तुर्की	208	51.7	33.2	30.4	1.9	20.4
4. ब्राजील	194	18.7	37.3	44.2	1.3	10.5
5. भारत	170	17.8	4.8	117.4	23.3	15.5
6. मेक्सिको	161	19.5	18.9	47.5	0.9	4.6
7. इंडोनेशिया	131	37.5	16.6	32.5	27.1	25.2
8. पोलैंड	126	38.7	24.7	38.5	0.9	17.0
9. अर्जेंटीना	122	58.6	31.6	26.2	1.1	28.7
10. हंगरी	108	102.7	33.1	20.1	1.1	13.9
11. कजाकस्तान	74	103.4	33.7	25.8	1.3	17.0
12. फिलीपीन्स	60	47.1	19.6	38.1	20.7	8.3
13. थाईलैंड	55	27.3	9.4	121.3	12.3	32.2
14. रोमानिया	55	46.7	18.4	54.8	2.0	32.2
15. मलेशिया	53	36.0	4.0	157.8	8.4	30.8
16. यूक्रेन	50	47.6	18.1	44.8	3.6	44.8
17. चिली	48	37.9	20.0	40.4	0.6	19.6
18. वेनेजुएला आर बी	45	24.7	13.3	82.3	0.4	26.5
19. कोलंबिया	40	26.9	31.3	38.9	2.6	12.1
20. ब्रेशिया	37	90.2	33.1	30.7	1.6	14.9

स्रोत: भारत के लिए आंकड़े 2006-07 के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित हुए हैं तथा अन्य देशों के आंकड़े दिसम्बर 2006 के अंत के हैं तथा वे विश्व बैंक के वैश्विक विकास वित्त ऑनलाइन डेटाबेस में उपलब्ध हैं।

अमरीकी डालर की तुलना में मार्च 2008 के अंत में बढ़कर 309.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गई (सारणी 2.98 तथा परिशिष्ट सारणी 56)। 2007-08 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि के प्रमुख स्रोत थे - विदेशी निवेश, ईसीबी, बैंकिंग पूंजी, सॉफ्टवेयर सेवाओं तथा निजी अंतरण प्राप्तियों के तहत प्राप्त अंतर्वाह। भारत फरवरी 2003 में वित्तीय लेनदेन योजना (एफटीपी) के तहत आइएमएफ का लेनदार बन गया। एफटीपी के तहत खरीद द्वारा भारत के अंशदान की कुल मात्रा जून 2005 के अंत में 493 मिलियन एसडीआर थी तथा उसके बाद एफटीपी के तहत ऐसी कोई खरीद नहीं की गई। तथापि नवम्बर 2005 से एफटीपी के पुनर्खरीद लेनदेनों में भारत को शामिल किया गया। भारत ने छह देशों अर्थात् तुर्की, अल्जीरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, उरुग्वे तथा यूक्रेन से नवम्बर 2007 तक 13 पुनर्खरीद लेनदेन किए जिनकी मात्रा 709 मिलियन एसडीआर थी।

II.6.42. भारत 2007-08 के दौरान उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का तीसरा सबसे बड़ा धारक (एक साल पहले चौथा) था (सारणी 2.99)।

भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां, जैसाकि विभिन्न आरक्षित पर्याप्तता संकेतकों से दिखाई देता है, सुखद स्तर पर थीं तथा आयात कवर मार्च 2007 के अंत के 12.5 माह से और बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 15.0 माह हो गया। कुल चालू खाता भुगतानों (पण्य आयात तथा अदृश्य भुगतान) के कवर के रूप में, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां मार्च 2007 के अंत के 9.5 माह की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 11.6 माह के समतुल्य थीं।

II.6.43. भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 15 अगस्त 2008 को 296.2 बिलियन अमरीकी डालर थीं। इस स्तर पर आरक्षित निधियां मार्च 2008 के अंत की तुलना में 13.5 बिलियन अमरीकी डालर कम थीं।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन

II.6.44. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में घटबढ़ मुख्यतः बाजार में रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि की खरीद और बिक्री से होती है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के संविभाग में रखी गई विदेशी मुद्रा आस्तियों के नियोजन से भी आय होती है। भारत सरकार की बाह्य सहायता प्राप्तियां भी आरक्षित निधियों में शामिल होती हैं।

सारणी 2.98: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

(मिलियन अमरीकी डालर)

मार्च के अंत में	सोना	एसडीआर	विदेशी चल आस्तियां	आइएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति	कुल (2+3+4+5)	आइएमएफ ऋण का उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1993	3,380	18	6,434	296	10,128	4,799
1994	4,078	108	15,068	299	19,553	5,040
1995	4,370	7	20,809	331	25,517	4,300
1996	4,561	82	17,044	310	21,997	2,374
1997	4,054	2	22,367	291	26,714	1,313
1998	3,391	1	25,975	283	29,650	664
1999	2,960	8	29,522	663	33,153	287
2000	2,974	4	35,058	658	38,694	26
2001	2,725	2	39,554	616	42,897	0
2002	3,047	10	51,049	610	54,716	0
2003	3,534	4	71,890	672	76,100	0
2004	4,198	2	107,448	1,311	112,959	0
2005	4,500	5	135,571	1,438	141,514	0
2006	5,755	3	145,108	756	151,622	0
2007	6,784	2	191,924	469	199,179	0
2008	10,039	18	299,230	436	309,723	0

अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप रिज़र्व बैंक अमरीकी डालर में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां व्यक्त करने की प्रथा का अनुसरण करता है जिसका निहितार्थ यह है कि जिन अन्य मुद्राओं में विदेशी मुद्रा आस्तियां रखी गई हैं उनकी तुलना में अमरीकी डालर में घटबढ़ होने का प्रभाव विदेशी मुद्रा आस्तियों में इसके स्तर पर भी पड़ेगा।

II.6.45. भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण में भुगतान संतुलन की बदलती हुई संरचना को हिसाब में लिया जाता है तथा इसके 'चलनिधि जोखिम' को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप भारत

सारणी 2.99: दस सर्वोच्च उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (मार्च 2008 के अंत में)

(बिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	देश	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां
1	2	3
1.	चीन	1682.2
2.	रूस	493.3
3.	भारत	309.7
4.	ताइवान	286.9
5.	दक्षिण कोरिया	264.2
6.	ब्राजील	195.3
7.	सिंगापुर	177.6
8.	हंगकांग	160.2
9.	मलेशिया	120.0
10.	थाईलैंड	107.5

स्रोत : दि इकोनॉमिस्ट

में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन का मार्गदर्शी उद्देश्य क्रय शक्ति के रूप में आरक्षित निधियों के दीर्घावधि मूल्य को परिरक्षित रखने तथा जोखिम एवं प्रतिलाभ में अस्थिरता को न्यूनतम करने की जरूरत के ढांचे के भीतर सुरक्षा, तरलता और प्रतिलाभों को इष्टतम करना है।

II.6.46. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के नियोजन के लिए विधिक ढांचा प्रदान करता है। जहां प्रमुख परिवर्तनीय मुद्राएं विदेशी मुद्रा आस्तियों की मुद्रा संरचना का चुनिंदा सेट हैं वहीं विदेशी मुद्रा आस्तियों के लिए निवेश संसार में अन्य केंद्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, सर्वोच्च रेटिंग वाले विदेशी वाणिज्यिक बैंकों के पास रखी जमाराशियां, 10 वर्षों से अनधिक अवशिष्ट परिपक्वतावाली संप्रभुतासंपन्न और अधिराष्ट्रीय संस्थाओं के ऋण का प्रतिनिधित्व करनेवाली प्रतिभूतियां और रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित अन्य कोई लिखत या संस्थाएं शामिल हैं (सारणी 2.100)।

II.6.47. उक्त कानूनी उपबंधों के अनुसरण में, निवेश की रणनीति का लक्ष्य मुद्रा, बाजारों तथा लिखतों के संबंध में विशाखीकरण करना है। निवेशों के पैटर्न को शामिल करनेवाले निर्णय संविभाग प्रबंधन के व्यापक मानदंडों द्वारा चालित होते हैं तथा पूंजी परिरक्षण

सारणी 2.100: विदेशी मुद्रा आस्तियों के परिणियोजन का स्वरूप

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	मार्च 31, 2004	मार्च 31, 2005	मार्च 31, 2006	मार्च 31, 2007	मार्च 31, 2008
1	2	3	4	5	6
विदेशी चालू आस्तियां	1,07,448	1,35,571	1,45,108	1,91,924	2,99,230
(क) प्रतिभूतियां	35,024	36,819	35,172	52,996	1,03,569
() अन्य केंद्रीय बैंक, बीआइएस और आइएमएफ के पास जमा	45,877	65,127	65,399	92,175	1,89,645
(c) विदेशी वाणिज्य बैंकों के पास जमा/बाह्य आस्ति प्रबंधकों के पास रखी निधियां	26,547	33,625	44,537	46,753	6,016

और चलनिधि के लिए सुदृढ़ आग्रह होता है। सभी विदेशी मुद्रा आस्तियों का निवेश उच्चतम गुणवत्तावाली आस्तियों में किया जाता है। आरक्षित निधियों का एक छोटा हिस्सा बाह्य आस्ति प्रबंधकों को सौंपा जाता है ताकि उनके कौशल और बाजार अनुसंधान तक पहुंचा और उसका लाभ उठाया जा सके।

II.6.48. आरक्षित निधि प्रबंधन की व्यापक रणनीति में आरक्षित निधियों के नियोजन से जुड़े वित्तीय एवं परिचालनात्मक जोखिमों के प्रति एक्सपोजर के प्रबंधन और नियंत्रण पर जोर दिया जाता है। जोखिम प्रबंधन कार्यों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा के अनुरूप सुदृढ़ नियंत्रण संरचना का विकास, जवाबदेही में सुधार, सभी परिचालनों के बीच जोखिम संबंधी जागरूकता की संस्कृति तथा आंतरिक कौशल और विशेषज्ञता के विकास के लिए संसाधनों का कुशल आबंटन सुनिश्चित करना है। इस संबंध में मौजूद वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप परिचालनात्मक जोखिम नियंत्रण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

II.6.49. आरक्षित निधियों के नियोजन का समग्र दृष्टिकोण न्यून जोखिम सहित स्थिर प्रतिलाभ प्राप्त करने का है। आरक्षित निधि का प्रबंधन करने में होनेवाले जोखिमों की पहचान करने, उनकी माप करने, उन पर निगरानी और नियंत्रण रखने के लिए सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां लागू हैं। रिजर्व बैंक बांडों/खजाना बिलों में निवेश करता है जो उच्चस्तरीय संप्रभुतासंपन्न और अधिराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति ऋण दायित्वों को दर्शाता है। इन निवेशों में कोई प्रमुख ऋण जोखिम नहीं होता। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक और अन्य केंद्रीय बैंकों के पास रखी गई जमाराशियों को भी जोखिममुक्त माना जाता है। काफी सीमा तक, विदेशी वाणिज्य बैंकों के पास जमाराशियां रखने तथा अन्य

लेनदेनों में निहित ऋण संबंधी जोखिम को प्रतिपक्षकार अर्थात् बैंकों और प्रतिभूति फर्मों का चयन करते समय सख्त ऋण मानदंड लागू करके दूर/कम किया जाता है। प्रतिपक्षकारों को रेटिंग एजेंसियों द्वारा किसी तरह डाउनग्रेड किए जाने पर उन पर अत्यंत कड़ी निगरानी रखी जाती है तथा बाजार का आकलन/अभिमत किसी तरह से प्रतिकूल होने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

II.6.50. बहुमुद्रा तथा बहुबाजार संविभागों में निवेश के कारण उत्पन्न मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न मुद्राओं में उपयुक्त एक्सपोजर के जरिए किया जाता है, जो मुद्रा में संभावित घटबढ़ तथा मध्यावधि और दीर्घावधि में होनेवाली अन्य बातों पर निर्भर करता है यथा आरक्षित निधियों का बड़ा भाग हस्तक्षेप मुद्रा में रखने की जरूरत, देश की बदलती हुई बाह्य व्यापार रूपरेखा के अनुरूप आरक्षित निधियों की उपयुक्त मुद्रा संबंधी रूपरेखा बनाए रखना तथा संविभाग के विशाखीकरण से होने वाले फायदे प्राप्त करना। आरक्षित संविभाग की ब्याज दर संवेदनशीलता बेंचमार्क अवधि तथा बेंचमार्क से अनुमत विचलन के रूप में पहचानी जाती है। बाजार की गत्यात्मकता तथा जोखिम के स्वीकार्य स्तर को ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क अवधि तथा विचलन के लिए दूरी में उपयुक्त परिवर्तन किया जाता है। लिखतों का चुनाव अपेक्षित स्तर पर संविभाग की चलनिधि का रखरखाव करता है।

II.6.51. रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में हुआ घटबढ़ साप्ताहिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधियों तथा विदेशी मुद्रा चलनिधि स्थिति का प्रकटीकरण आइएमएफ के विशेष आंकड़ा प्रसार मानक

(एसडीडीएस) के तहत किया जाता है। रिज़र्व बैंक गुरुतर पारदर्शिता लाने के लिए विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन संबंधी छमाही रिपोर्ट संकलित करके उसे सार्वजनिक करता है। 30 सितंबर 2003 की ऐसी पहली रिपोर्ट फरवरी 2004 में भारत सरकार एवं रिज़र्व बैंक दोनों के वेबसाइटों के जरिए पब्लिक डोमेन में रखी गयी थी। बाद में मार्च और सितंबर के अंत की स्थिति संबंधी 9 और रिपोर्टें रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में रखी गयीं।

अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति

II.6.52. भारत की निवल अंतर्राष्ट्रीय देयताएं मार्च 2007 के अंत तथा दिसम्बर 2007 के अंत के बीच 11.5 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ गई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय देयताओं में हुई वृद्धि (97.9 बिलियन अमरीकी डालर) अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों में हुई वृद्धि (86.4 बिलियन अमरीकी डालर) से अधिक थी। जहां देयताओं में वृद्धि का मुख्य कारण संविभाग निवेश के तहत बड़ा पूंजी अंतर्वाह, प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋण था, वहीं अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों में हुई वृद्धि आरक्षित आस्तियों में वृद्धि तथा कुछ सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में हुई वृद्धि में दिखाई देती है (सारणी 2.101)।

II.6.53. देशों के पारस्परिक आंकड़ों से यह प्रकट होता है कि दिसम्बर 2006 के अंत में हांगकांग, चीन, रूस और सिंगापुर की तुलना में भारत की सकल अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां और देयताएं न्यूनतर थीं (सारणी 2.102)। इसके अलावा, 2006 में भारत की निवल अंतर्राष्ट्रीय देयताओं में गिरावट आई जबकि चीन, हांगकांग और सिंगापुर की निवल अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों वाले देशों में वृद्धि हुई।

II.6.54. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय देयताएं मार्च 2007 के अंत के स्तर की तुलना में सितंबर 2007 को समाप्त तिमाही में डालर के रूप में 18.8 प्रतिशत बढ़ गई। तथापि उसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 2.103)। लेनदेन इकाइयों के रिहाइशी देश के अनुसार भारतीय बैंकों की कुल अंतर्राष्ट्रीय देयताओं का 29.1 प्रतिशत भाग तथा कुल अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों का 23.4 प्रतिशत अमरीका से संबंधित था। जहां विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित आस्तियां कुल अंतर्राष्ट्रीय

सारणी 2.101: भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति

(बिलियन अमरीकी डालर)

मद	मार्च के अंत में			दिसंबर के अंत में.
	2005	2006आंसं	2007आंसं	2007अ
1	2	3	4	5
अ. आस्तियां	165.7	184.0	245.3	331.7
1. प्रत्यक्ष निवेश	10.0	15.9	29.4	39.0
2. संविभाग निवेश	0.4	1.0	0.8	0.6
2.1 इक्विटी प्रतिभूतियां	0.2	0.5	0.4	0.4
2.2 ऋण प्रतिभूतियां	0.2	0.5	0.4	0.2
3. अन्य निवेश	13.7	15.5	15.9	16.9
3.1 व्यापार ऋण	1.1	-0.3	0.6	2.4
3.2 ऋण	1.9	2.4	3.0	3.1
3.3 मुद्रा और जमा	7.3	10.0	8.1	6.9
3.4 अन्य आस्तियां	3.4	3.3	4.2	4.5
4. आरक्षित आस्तियां	141.5	151.6	199.2	275.3
आ. देयताएं	219.6	243.7	307.7	405.6
1. प्रत्यक्ष निवेश	44.5	52.4	76.2	102.4
2. संविभाग निवेश	56.0	64.3	79.5	124.6
2.1 इक्विटी प्रतिभूतियां	43.2	54.7	63.3	103.5
2.2 ऋण प्रतिभूतियां	12.8	9.5	16.2	21.1
3. अन्य निवेश	119.2	127.1	152.0	178.7
3.1 व्यापार ऋण	18.3	21.2	27.7	36.1
3.2 ऋण	66.0	68.0	80.9	97.2
3.3 मुद्रा और जमा	33.6	37.3	42.3	44.1
3.4 अन्य देयताएं	1.2	0.6	1.1	1.3
इ. निवल स्थिति (अ-आ)	-53.9	-59.8	-62.4	-73.9
जापान :				
ऋण देयताएं / कुल देयताएं (%)	60.1	56.1	54.7	49.2
गैर-ऋण देयताएं / कुल देयताएं (%)	39.9	43.9	45.3	50.8
आंसं.: आंशिक संशोधित	अ: अर्न्तित			

आस्तियों का 95.9 प्रतिशत थीं, वहीं कुल अंतर्राष्ट्रीय देयताओं में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित देयताओं का अनुपात सितंबर 2007 के अंत में 47.5 प्रतिशत पर न्यूनतर था।

II.6.55. सारांश में, 2007-08 के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति सुखद रही। वर्ष के दौरान पण्य व्यापार घाटे में और अधिक वृद्धि हुई। तथापि हाल के वर्षों में इसके अधिकांश भाग का वित्तपोषण अदृश्य मदों, जिनमें मुख्यतः सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात तथा विदेश में कार्यरत भारतीयों के विप्रेषण शामिल हैं, के तहत प्राप्त निवल अधिशेष में निरंतर वृद्धि द्वारा किया गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता घाटा 2007-08

आर्थिक समीक्षा

सारणी 2.102: अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति : चुनिंदा देश

(दिसंबर 2006 के अंत में, बिलियन अमरीकी डालर)

मद	अर्जेंटीना	ब्राजील	चिली	चीन	हांगकांग	भारत	फिलीपीन्स	रूस	सिंगापुर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ. कुल वित्तीय आस्तियां	175	239	122	1,626	1,929	244	49	706	716
विदेश में प्रत्यक्ष निवेश	26	114	27	82	677	24	2	209	134
संविभाग निवेश	0	14	56	229	581	1	6	13	156
इक्विटी	0	4	44	1	339	0	0	1	82
ऋण	0	10	12	228	242	0	6	12	74
अन्य निवेश	117	25	19	242	515	20	18	180	290
मौद्रिक प्राधिकरण	0	1	0	उ.न.	0	0	0	0	उ.न.
सामान्य सरकार	7	0	1	उ.न.	0	2	0	74	उ.न.
बैंक	3	11	3	उ.न.	414	13	11	56	उ.न.
अन्य क्षेत्र	107	13	15	उ.न.	101	5	7	50	उ.न.
आरक्षित आस्तियां	33	86	19	1073	133	199	23	304	136
वित्तीय डेरिवेटिव	0	0	1	0	23	0	0	0	0
आ. कुल वित्तीय देयताएं	156	620	136	965	1,411	288	79	769	587
प्रत्यक्ष निवेश	62	236	81	544	743	72	16	271	222
संविभाग निवेश	45	300	20	121	260	80	27	260	130
इक्विटी	5	188	8	107	248	63	7	205	110
ऋण	40	112	12	14	12	17	20	55	20
अन्य निवेश	44	83	36	300	388	136	36	238	235
मौद्रिक प्राधिकरण	0	0	0	उ.न.	0	1	0	4	उ.न.
सामान्य सरकार	22	0	1	उ.न.	0	48	14	17	उ.न.
बैंक	3	9	6	उ.न.	339	41	7	97	उ.न.
अन्य क्षेत्र	19	74	28	उ.न.	49	46	15	120	उ.न.
वित्तीय डेरिवेटिव	5	1	1	उ.न.	20	0	0	0	उ.न.
इ. निवल स्थिति (अ-आ)	18	-381	-14	661	518	-44	-30	-63	129

उ.न. : उपलब्ध नहीं

स्रोत : अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, आइएमएफ

सारणी 2.103: भारत में बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

(मिलियन अमरीकी डालर)

श्रेणी/मद	- के अंत में बकाया राशि		
	मार्च -06अ	मार्च -07अ	सितं.-07अ
1	2	3	4
कुल अंतर्राष्ट्रीय देयताएं	68,723	82,976	98,587
जिनमें से :			
एफसीएनआर(बी) जमाराशियां	13,025	15,663	16,238
अनिवासी बाह्य रुपया जमाराशियां	22,483	25,974	27,719
विदेशी मुद्रा उधार	14,283	14,141	15,865
बांड	988	2,003	1,997
अनिवासी साधारण रुपया जमाराशियां	1,221	1,577	2,182
एडीआर और जीडीआर	3,325	5,409	8,708
ईईएफसी खाते	1,348	2,163	2,402
कुल अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां	35,459	46,693	50,583
जिनमें से :			
निवासियों के प्रति विदेशी मुद्रा ऋण	14,173	17,253	22,033
बकाया निर्यात बिल	7,073	9,396	10,253
नोस्ट्रो शेष	9,978	15,525	13,657

अ: अनंतिम

एडीआर : अमरीकी डिपॉजिटरी रसीद

जीडीआर : वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद

ईईएफसी : विदेशी मुद्रा अर्जकों की विदेशी मुद्रा

नोट : सभी आंकड़ों में प्रोद्भूत ब्याज शामिल हैं।

के दौरान 1.5 प्रतिशत था। दूसरी ओर विदेशी निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारों के समर्थन से पूंजी प्रवाह (निवल), भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में खरीद संबंधी बहिर्वाहों को प्रतितुलित करते हुए और बढ़ गया। समग्र भुगतान संतुलन अधिशेष के कारण 2007-08 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में 110.5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई।

भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन

III

मौद्रिक नीति का परिचालन

III.1 2007-08 के दौरान मौद्रिक नीति के संचालन को अप्रत्याशित पूँजी प्रवाह, उथल-पुथल भरे वैश्विक वित्तीय बाजार और मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं द्वारा प्रस्तुत अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वर्ष के अंत में आरंभिक मूल्यांकनों से संबंधित वैश्विक और घरेलू दोनों गतिविधियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने मौद्रिक दशाओं को प्रभावित किया। वैश्विक वित्तीय बाजारों में काफी अधिक अनिश्चितता और प्रमुख केंद्रीय बैंकों के असामान्य नीतिगत प्रतिसाद ने वित्तीय बाजार की गतिविधियों द्वारा प्रस्तुत गंभीर जोखिमों का संकेत दिया। वैश्विक वित्तीय प्रणाली की दोषपूर्णता, पूँजी प्रवाह की मात्रा और दिशा में व्यापक परिवर्तन तथा विनिमय दर में घट-बढ़ ने मौद्रिक और चलनिधि प्रबंधन के संचालन को जटिल बना दिया। घरेलू दृष्टिकोण औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्र गतिविधि में कुछ मंदी के साथ सकारात्मक बना रहा। खाद्येतर ऋण के विस्तार में कुछ कमी आई और यह अप्रैल 2007 में जारी वार्षिक नीति वक्तव्य में दिए गए अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा संकेतित पथ (ट्रेजेक्टरी) पर बना रहा। 2007-08 की चौथी तिमाही के दौरान मुद्रास्फीतिक दबाव पूर्ति-पक्ष के कारकों के कारण बढ़ा, ये हैं वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्यान्नों, कच्चे तेल और स्टील के वैश्विक मूल्यों में तेजी। पूर्ति संबंधी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में घरेलू माँग सहित वैश्विक कारकों ने मुद्रास्फीतिक दबावों और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं को बढ़ाया। ऐसा रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर 2004 से कई अवसरों पर उठाए गए एहतियाती मौद्रिक/विवेकपूर्ण कदमों के बावजूद हुआ। तथापि, वर्ष के अंत में मुद्रास्फीतिक वृद्धि वैश्विक रुझानों के अनुरूप थी।

III.2 इस अध्याय में 2007-08 और 2008-09 (अगस्त 2008 तक) के दौरान रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति परिचालनों का वर्णन किया गया है, जिसमें मौद्रिक नीति का संचालन और चलनिधि का प्रबंधन शामिल है। व्यापक पूँजी प्रवाह, केंद्र सरकार के नकद शेषों में उतार-

चढ़ाव और बढ़ते मुद्रास्फीतिक दबाव ने वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति के परिचालन तथा चलनिधि प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश की। हाल के महीनों में, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तेज वृद्धि ने मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। मुद्रा स्फीतिक आघात के स्वरूप को देखते हुए, अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीतिक दबाव को रोकने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का प्रयोग उसी अनुपात में किया गया।

III.3 रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2005 में मौद्रिक नीति पर एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) बनाई जिसमें मौद्रिक आर्थिक, केंद्रीय बैंकिंग, वित्तीय बाजार और सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र से बाह्य विशेषज्ञ लिए गए। परामर्शदात्री व्यवस्था में सुधार के लिए भारत में मौद्रिक नीति के संस्थागत ढांचे में परिवर्तन की जारी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में इस समिति का गठन किया गया। जनवरी 2007 में इसका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात, बाह्य विशेषज्ञों से मूल्यवान इन्पुट और सुझावों का लाभ उठाने के लिए रिज़र्व बैंक ने तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का पुनर्गठन किया और इसका विस्तार किया तथा इसका कार्यकाल बढ़ाकर 31 जनवरी 2009 तक कर दिया। विस्तृत की गई समिति (टीएसी) में पाँच बाह्य सदस्य और रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के दो सदस्य हैं। गवर्नर समिति की अध्यक्षता करता है, जिसमें मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर उपाध्यक्ष होते हैं। बैंक के अन्य तीन उप गवर्नर भी समिति के सदस्य होते हैं, तकनीकी सलाहकार समिति समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों का आकलन करने के लिए एक तिमाही में कम से कम एक बैठक करती है और मौद्रिक नीति के रुझान तथा उपायों पर सलाह देती है। 2007-08 के दौरान, टीएसी की बैठक सामान्यतया मौद्रिक नीति समीक्षा के एक सप्ताह पहले बैठक आयोजित की गई। इसमें समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों की समीक्षा की गई, आर्थिक परिदृश्य का मूल्यांकन

किया गया, उपयोगी नीतिगत सुझाव दिए गए और मौद्रिक नीति उपायों के बारे में सलाह दी गई। 2008-09 में अब तक, अप्रैल 2008 और जुलाई 2008 की पहली तिमाही समीक्षा के 2008-09 की वार्षिक नीति के पहले सामान्य बैठक करने के अलावा, 2008-09 में मुद्रास्फीति दर में अकस्मात वृद्धि को देखते हुए, समुचित नीतिगत प्रतिसादों पर रिजर्व बैंक को सलाह देने के लिए 23 जून 2008 को टीएसी की एक अतिरिक्त बैठक बुलाई गई। टीएसी की भूमिका परामर्शदात्री स्वरूप की है। निर्णय लेने की जबाबदेही, उत्तरदायित्व और समयपरकता पूरी तरह से रिजर्व बैंक के पास हैं।

मौद्रिक नीति का परिचालन: 2007-08

2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य

III.4 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की घोषणा करते समय (24 अप्रैल 2007) वैश्विक वृद्धि सुदृढ़ थी, यद्यपि इसके 2006 की तुलना में 2007 में कम होने की आशा की गई थी। वस्तु और आस्ति मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ वैश्विक तौर पर मुद्रास्फीतिक दबाव प्रकट हो रहे थे। वैश्विक वित्तीय बाजार में, भू-राजनैतिक जोखिम सहित जोखिम अवमूल्यित और अपविस्तृत बने रहे। घरेलू मोर्चे पर, कुछ चक्रीय तत्वों के प्रमाण थे यद्यपि यह महसूस किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह विश्वास बढ़ रहा था कि अर्थव्यवस्था संभावित रूप से वृद्धि पथ पर आगे बढ़ रही थी। तथापि, मांग दबाव सुदृढ़ वृद्धि के साथ बढ़े और पूर्ति पक्ष के बढ़े हुए दबाव भी मौजूद थे। वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार, अपने स्वरूप के कारण, सभी क्षेत्रों में पूर्ति पक्ष के सभी मसलों को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता और यह स्वीकार कर लेना विवेकपूर्ण था कि मांग में विस्तार का प्रथम प्रभाव मुद्रास्फीतिक दबावों और समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता के जोखिम में परिलक्षित होगा। वार्षिक नीति वक्तव्य में पुनः कहा गया कि ऊपर उल्लिखित कारक पूँजीगत माल की निरंतर मांग, मुद्रा और ऋण वृद्धि की उच्च दरों, कुछ क्षेत्रों में मजदूरी दबावों में वृद्धि के संकेत, बढ़ती इन्फुट लागत और मूल्य शक्ति के उदय के रूप में दिखे। इस पृष्ठभूमि में, वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया कि मुद्रास्फीतिक दबावों को रोकते हुए उच्च वृद्धि पथ की ओर संक्रमण करना प्रमुख नीतिगत चुनौती है।

III.5 नीतिगत प्रयोजनों के लिए, वार्षिक नीति वक्तव्य में 2007-08 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 8.5 प्रतिशत के लगभग रखा

गया, ऐसा मानते हुए कि अन्तरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में कोई और बढ़ोतरी नहीं होगी और घरेलू अथवा बाह्य आघात नहीं आएंगे। कुल मांग पर मौद्रिक नीति के विलंबित और संचयी प्रभाव को देखते हुए और यह मानते हुए कि पूर्ति प्रबंधन सहायक होगा, यह संकेत दिया गया कि पूँजी प्रवाह का सक्रियतापूर्वक प्रबंधन किए जाने की आवश्यकता है, और घरेलू अथवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो रहे आघातों की गैर-मौजूदगी में, यह प्रयास होगा कि मुद्रास्फीति को 2007-08 में 5.0 प्रतिशत के समीप रखा जाए। वक्तव्य में कहा गया कि ऐसे संकेत हैं कि रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति पर 5.0 प्रतिशत की स्वगृहीत मध्यम कालिक अधिकतम सीमा का मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं पर अच्छा प्रभाव पड़ा है और इस प्रकार सामाजिक रूप से सहनीय मुद्रास्फीति की दर नीचे आ गई है। इस संबंध में वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक अधिमान्यताओं के साथ भारत के बढ़ते समन्वयन को स्वीकार करते हुए, वक्तव्य में और आगे कहा गया कि भविष्य में, मुद्रास्फीति को, 4.0-4.5 प्रतिशत की सीमा में रखने के लिए नीति और बोध को अनुकूल रखने का संकल्प लेना होगा। यह उद्देश्य मध्यम काल में स्वयं गतिशील वृद्धि को बनाए रखने में सहायता होगा।

III.6 2005-06 और 2006-07 में मुद्रा पूर्ति वृद्धि के संकेतात्मक अनुमानों के ऊपर रहने की दृष्टि से, वृद्धि और मुद्रास्फीतिक दृष्टि कोण के अनुरूप 2007-08 में मौद्रिक विस्तार को 17.0-17.5 प्रतिशत के लगभग रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। मुद्रा आपूर्ति के अनुमानों के सुसंगत, 2007-08 में कुल जमाराशियों में वृद्धि 4,90,000 करोड़ रुपए के लगभग रखी गई। निधियन के स्रोतों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनी क्षेत्र के बांडों/डिबेंचरों/शेयरों और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश सहित, खाद्येतर ऋणों के 2004-07 से 29.8 प्रतिशत के औसत के मौद्रिक अनुमानों के अनुरूप 2007-08 में 24.0-25.0 प्रतिशत रहने की घोषणा की गई।

III.7 वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया कि 2007-08 में मौद्रिक नीति के रुझान को उन पैटर्नों द्वारा अनुकूलित किया जाएगा जिसमें वैश्विक, विशेष रूप से, घरेलू वातावरण का अनावरण किया जाएगा। समष्टि आर्थिक और वित्तीय दशाओं के संभावित विकास ने एक ऐसे वातावरण की ओर संकेत किया जो भारत में वृद्धि की गति को बनाए रखने में

सहायक होगा। वक्तव्य में दोहराया गया कि मौद्रिक नीति को, वृद्धि में सहयोग देने के साथ-साथ, मूल्य की दशाओं और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना होगा और बनाए रखना होगा। तदनुसार, मूल्यस्थिरता और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं की रोकथाम पर बल देने के लिए आगे की अवधि में नीतिगत अधिमान्यता की प्रबल रूप से वकालत की गई।

III.8 व्यापक पूँजी अंतर्वाहों और चलनिधि तथा मौद्रिक प्रबंध के निहितार्थों के संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीयों की जमाओं अर्थात् विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर(बी)) जमाराशि और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (एनआर(ई)आरए) जमाराशि से संबंधित ब्याज दर निर्धारणों की समीक्षा की, ऐसा विशेष रूप से भारत और शेष विश्व के बीच मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर अंतर के आलोक में किया गया। तत्कालीन प्रचलित मौद्रिक दशाओं को देखते हुए, एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर अधिकतम सीमा को लिबोर के 25 आधार अंक कम से घटाकर लिबोर से 75 आधार अंक कम किया गया। इसी प्रकार, एनआर(ई)आरए जमा राशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा को लिबोर के स्तर पर लाने के लिए 50 आधार अंक घटाया गया।

पहली तिमाही की समीक्षा

III.9 मौद्रिक नीति के वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा (31 जुलाई 2007) में, रिजर्व बैंक ने कहा कि 2007-08 में वृद्धि की संभावनाएं सकारात्मक दिखीं। कुल मिलाकर, देश में भारतीय मौसम विभाग की सामान्य वर्षा की भविष्यवाणी की पृष्ठभूमि में, कृषि में वृद्धि के रुझान की वापसी की आशा की गई। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधि में वृद्धि के बने रहने की आशा है। कुल मिलाकर, नीतिगत प्रयोजनों के लिए घरेलू अथवा बाह्य आघातों को छोड़कर, 2007-08 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 8.5 प्रतिशत के लगभग बना रहा। समीक्षा में कहा गया कि ऐसे संकेत हैं कि मौद्रिक नीति कार्यों के विलंबित और संचयी प्रभावों ने तथा पूर्ति प्रबंधन के लिए राजकोषीय और प्रशासनिक उपायों के तालमेल ने मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं पर अच्छा प्रभाव डाला। तथापि, यह नोट किया गया कि मौद्रिक प्रबंधन द्वारा मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं के लिए संभावित खतरे के रूप में वस्तु के मूल्यों, विशेष रूप से तेल मूल्यों में उतार-चढ़ाव, आस्ति मूल्यों में वृद्धि और उत्पादकों के बीच मूल्यन शक्ति के पुनरोदय पर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता होगी। यह मानते हुए कि सकल पूर्ति प्रबंधन सार्वजनिक

नीति का ध्यान आकर्षित करता रहेगा तथा पूँजी खाते का और सक्रिय प्रबंधन किया जाएगा, समीक्षा में 2007-08 की मुद्रास्फीति के लिए दृष्टिकोण अपरिवर्तित रहा। जबकि खाद्येतर ऋण की वृद्धि में गिरावट हुई, समीक्षा में कहा गया कि मुद्रा पूर्ति और आरक्षित मुद्रा में वृद्धि के लिए समुचित प्रतिसाद की आवश्यकता होगी।

III.10 समीक्षा में पाया गया कि वैश्विक दृष्टिकोण सकारात्मक है जिसमें सुदृढ़ और स्थायी वृद्धि के लिए संभावनाएं जारी रहेंगी, लेकिन विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिक दबावों की चिंताएं थीं। मौद्रिक प्राधिकारी वास्तविक ब्याज दरों के उस समय प्रचलित स्तर के संबंध में चाहते थे कि मौद्रिक निभाव को और हटाया जाए तथा जिस प्रकार मुद्रास्फीति विकसित हो रही थी, वे उसी प्रकार तैयारी के प्रति रेसपांड करने का संकेत दे रहे थे। समीक्षा में कहा गया कि वित्तीय बाजार जोखिमों का आक्रमक तरीके से पुनर्मूल्यन कर रहे थे, तथापि, जोखिमों के व्यापक रूप से अपविस्तृत होने और चलनिधि की अधिकता ने काफी अधिक अनिश्चितता प्रदान की। विश्वव्यापी प्रभाव के साथ, इक्विटी और मुद्रा बाजार में अस्थिरता के पुनरोदय ने अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक वातावरण के विकास को अनिश्चितता का एक अतिरिक्त आयाम प्रदान किया। इन गतिविधियों ने सघन नीति निगरानी को आवश्यक बना दिया जिसमें नीतिगत अधिमान्यता घरेलू वास्तविक गतिविधि से आघातों को अलग करना था। भविष्य के लिए, समीक्षा में कहा गया कि वैश्विक अनिश्चितताओं में किसी ऐसी वृद्धि के संदर्भ में भारत की मौद्रिक नीति सतर्क और सक्रिय बनी रहेगी, जो घरेलू अर्थव्यवस्था में वृद्धि और स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करेगी। घरेलू दृष्टिकोण अनुकूल बना हुआ है और वह भविष्य में मौद्रिक नीति के गतिशील सेटिंग पर हावी होगा। मौद्रिक नीति को इस प्रकार बनाया जाना आवश्यक है जिससे यह स्थिरता को बनाए रखकर वृद्धि को संरक्षित करे। तदनुसार, यह कहा गया कि जबकि मौद्रिक नीति के रुख में मूल्य स्थिरता और अत्यधिक मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं पर लगाम लगाना जारी रहेगा जिससे वृद्धि की गति बनी रहेगी, प्रासंगिक रूप से, वित्तीय स्थिरता आगे आने वाले महीनों में और अधिक महत्व प्राप्त कर लेगी।

III.11 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा में नोट किया गया कि भारत के वित्तीय बाजार में हाल की गतिविधियां और वैश्विक बाजार में संभावित अनिश्चितताएं नीतिगत उत्तराधिकार में समुचित चलनिधि दशाओं का प्रबंधन करने के लिए उच्च प्राथमिकता की मांग करती हैं। तदनुसार, समीक्षा में कहा गया कि रिजर्व बैंक जब जैसी स्थिति होगी

अपने पास उपलब्ध सभी नीति लिखतों का लोचपूर्ण उपयोग करते हुए एमएसएस और एलएएफ सहित सीआरआर और खुले बाजार की क्रियाओं के समुचित उपयोग के माध्यम से चलनिधि के सक्रिय मांग प्रबंधन की नीति जारी रखेगा। प्रचलित समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक तथा चलनिधि दशाओं को ध्यान में रखते हुए, 6 अगस्त 2007 से एलएएफ के अन्तर्गत दैनिक रिवर्स रिपो पर 3000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा को वापस लेने का निर्णय लिया गया। तथपि, रिजर्व बैंक के पास उपयुक्ततानुसार उच्चतम सीमा को पुनः लागू करने का विवेकाधिकार है। दूसरे एलएएफ को, जिसे 28 नवंबर 2005 से लागू किया गया, 6 अगस्त 2007 से वापस ले लिया गया। प्रचलित चलनिधि दशाओं की समीक्षा करने पर भी, सीआरआर को 4 अगस्त 2007 को शुरु पखवाड़े से 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया गया।

मध्यावधि समीक्षा

III.12 30 अक्टूबर 2007 को जारी मध्यावधि समीक्षा में रिजर्व बैंक ने पाया कि कुल मांग दशाएं सुदृढ़ और ऊर्ध्वगामी हैं। समीक्षा में कहा गया कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्रेरक सकल निश्चित निवेश में काफी वृद्धि था जो जारी क्षमता निर्माण की तेज गति का परिचायक है, जबकि निजी उपभोग और निर्यात में वृद्धि सापेक्षिक रूप से कम बना रहा। निवेश प्रेरित वृद्धि को मुख्य रूप से बचत दरों द्वारा समर्थन मिला, जो जीडीपी के लगभग 32-33 प्रतिशत पर पहुंच गया, और जो दशक की शुरुआत से 10 प्रतिशत अंक अधिक था। यह पाया गया कि ब्याज दर चक्र में परिवर्तन और औद्योगिक गतिविधि में अल्पकालिक शिथिलता के बावजूद निवेश की गति जारी रही। समीक्षा में यह भी कहा गया कि मौद्रिक समुच्चय आरंभिक अनुमानों के ऊपर थे, जो जमा वृद्धि के अपेक्षा से अधिक होने के प्रभाव और पूँजी अंतर्वाह के बहिर्जात विस्तारक प्रभाव तथा राजकोषीय नकद शेषों के आहरण को दर्शाता है। मौद्रिक विस्तार के अन्तर्गत, बैंक ऋण वृद्धि में कमी के संकेत दृष्टिगोचर थे, लेकिन ये पूर्व के चार वर्षों की वृद्धि की उच्च दरों से काफी अधिक थे। फिर भी, तार्किक रूप से सुदृढ़ निर्यात वृद्धि के बावजूद, वस्तु व्यापार घाटा काफी अधिक बढ़ गया, जो बाह्य क्षेत्र में घरेलू मांग के प्रसरित होने का प्रमाण है। समीक्षा में जोर दिया गया कि यद्यपि थोक मूल्य के अर्थ में मुद्रास्फीति में काफी कमी आई, उपभोक्ता मूल्य के अर्थ में, विशेष रूप से कृषि कामगारों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए यह अधिक बनी रही।

मध्यावधि समीक्षा में सबप्राइम संकट, विश्व के वित्तीय बाजार में निपटाए गए ऋण की गुणवत्ता और वैश्विक वृद्धि तथा वित्तीय स्थिरता के लिए खतरे पर भी चिंताएं जताईं गयीं। समीक्षा में संभावित मुद्रास्फीतिक जोखिम और प्रणालीगत अनिश्चितता तथा कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में निरंतर वृद्धि एवं वैश्विक स्तर पर खाद्य मूल्यों की ऐतिहासिक रूप से अधिकता का उल्लेख किया गया।

III.13 वास्तविक क्षेत्र के रुझानों को देखते हुए, मध्यावधि समीक्षा में कहा गया कि वास्तविक अर्थव्यवस्था में गति को बनाए रखा जाएगा और तदनुसार 2007-08 की जीडीपी वृद्धि को 8.5 प्रतिशत रखा गया, जैसाकि अप्रैल 2007 के वार्षिक नीति वक्तव्य तथा पहली तिमाही समीक्षा में दिया गया है। इसमें फिर कहा गया कि 2007-08 के दौरान स्वगृहीत मध्यमकालिक मुद्रास्फीति सीमा 5.0 प्रतिशत होगी और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं को 4.0-4.5 प्रतिशत की सीमा में रखा जाएगा जैसा कि 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया है। इस उद्देश्य के लिए मध्यमकालिक समीक्षा में 3.0 प्रतिशत की मध्यमकालिक मुद्रास्फीति दर को रखा गया जो भारत के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ व्यापक समन्वयन से सुसंगत है। समीक्षा में कच्चे तेल के बढ़ते और अस्थिर अन्तरराष्ट्रीय मूल्य तथा खाद्य मूल्यों के ऊँचे स्तर भी ध्यान दिया गया जिसने मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं का खतरा उत्पन्न किया।

III.14 मध्यावधि समीक्षा में कहा गया कि मुद्रास्फीति को खतरा न केवल घरेलू चलनिधि दशाओं से बल्कि अंतर्निहित वैश्विक दबावों से भी हुआ, यद्यपि वैश्विक वित्तीय बाजार में उथल-पुथल को दूर करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा चलनिधि डालने का संभावित प्रभाव इस चरण में स्पष्ट नहीं था। फिर भी, यह पाया गया कि वैश्विक रूप से, भावी मुद्रास्फीति पर दबाव कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों तथा खाद्य और धातु के मूल्यों के ऊँचे और अस्थिर स्तर में सन्निहित हैं। इसके अलावा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन की प्रबल स्थिति को देखते हुए, चीन में मुद्रास्फीति की तेज वृद्धि के प्रमुख व्यापारिक सहभागियों के बीच प्रसरित होने की संभावना है। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत, अनिवार्य रूप से पूँजी अंतर्वाह द्वारा चालित मौद्रिक समुच्चयों और चलनिधि में वृद्धि को अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर पर माना गया, जिसके लिए नीतिगत ध्यान में प्राथमिकता

देने और आगामी मौद्रिक नीति के संचालन के लिए असाधारण चुनौतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तत्कालीन मौद्रिक दशाओं की समीक्षा करने पर यह तय किया गया कि अनुसूचित बैंकों के सीआरआर में 10 नवंबर 2007 को शुरु पखवाड़े से 50 आधार अंक की बढ़ोतरी की जाए (सारणी 3.1)।

तीसरी तिमाही की समीक्षा

III.15 तीसरी तिमाही की समीक्षा में उपलब्ध सूचना के आधार पर 2007-08 के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का मूल्यांकन जारी रहा। इसने कृषि के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की पुष्टि की और शेष 2007-08 के लिए औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र की संभावनाएं अनुकूल और

सकारात्मक दिखीं। उभरती माँग के स्वरूप का मूल्यांकन करते हुए, यह नोट किया गया कि जबकि 2007-08 की पहली छमाही के दौरान निश्चित पूँजी निर्माण की दर बढ़ी, निजी अंतिम उपभोग व्यय कम हुआ। अप्रैल-नवंबर 2007 के लिए पूँजी माल उत्पादन की सुदृढ़ वृद्धि, जो 1993-94 से सर्वाधिक रही थी, में भी निवेश मांग की शक्ति दिखी।

III.16 समीक्षा में नोट किया गया कि मध्यावधि समीक्षा के समय से आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति दोनों में वृद्धि हुई, जो व्यापक पूँजी अन्तर्वाह के काफी विस्तारकारी प्रभाव को दर्शाती है, जो रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की तीव्र वृद्धि में समाहित थे (पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित)। खाद्येतर ऋण, जो 2007-08 की पहली छमाही में कम

सारणी 3.1 : प्रमुख नीतिगत दरों और आरक्षित निधि अपेक्षाओं में घट-बढ़

(प्रतिशत)

से प्रभावी	बैंक दर	रिवर्स रिपो दर	रिपो दर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात	सांविधिक चलनिधि अनुपात
1	2	3	4	5	6
31 मार्च 2004	6.00	4.50	6.00	4.50	25
18 सितंबर 2004	6.00	4.50	6.00	4.75 (+0.25)	25
2 अक्टूबर 2004	6.00	4.50	6.00	5.00 (+0.25)	25
27 अक्टूबर 2004	6.00	4.75 (+0.25)	6.00	5.00	25
29 अप्रैल 2005	6.00	5.00 (+0.25)	6.00	5.00	25
26 अक्टूबर 2005	6.00	5.25 (+0.25)	6.25 (+0.25)	5.00	25
24 जनवरी 2006	6.00	5.50 (+0.25)	6.50 (+0.25)	5.00	25
9 जून 2006	6.00	5.75 (+0.25)	6.75 (+0.25)	5.00	25
25 जुलाई 2006	6.00	6.00 (+0.25)	7.00 (+0.25)	5.00	25
31 अक्टूबर 2006	6.00	6.00	7.25 (+0.25)	5.00	25
23 दिसंबर 2006	6.00	6.00	7.25	5.25 (+0.25)	25
6 जनवरी 2007	6.00	6.00	7.25	5.50 (+0.25)	25
31 जनवरी 2007	6.00	6.00	7.50 (+0.25)	5.50	25
17 फरवरी 2007	6.00	6.00	7.50	5.75 (+0.25)	25
3 मार्च 2007	6.00	6.00	7.50	6.00 (+0.25)	25
30 मार्च 2007	6.00	6.00	7.75 (+0.25)	6.00	25
14 अप्रैल 2007	6.00	6.00	7.75	6.25 (+0.25)	25
28 अप्रैल 2007	6.00	6.00	7.75	6.50 (+0.25)	25
4 अगस्त 2007	6.00	6.00	7.75	7.00 (+0.50)	25
10 नवंबर 2007	6.00	6.00	7.75	7.50 (+0.50)	25
26 अप्रैल 2008	6.00	6.00	7.75	7.75 (+0.25)	25
10 मई 2008	6.00	6.00	7.75	8.00 (+0.25)	25
24 मई 2008	6.00	6.00	7.75	8.25 (+0.25)	25
11 जून 2008	6.00	6.00	8.00 (+0.25)	8.25	25
25 जून 2008	6.00	6.00	8.50 (+0.50)	8.25	25
5 जुलाई 2008	6.00	6.00	8.50	8.50 (+0.25)	25
19 जुलाई 2008	6.00	6.00	8.50	8.75 (+0.25)	25
30 जुलाई 2008	6.00	6.00	9.00 (+0.50)	8.75	25
30 अगस्त 2008	6.00	6.00	9.00	9.00 (+0.25)	25

टिप्पणी: 1 29 अक्टूबर 2004 से, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को ध्यान में रखते हुए रिपो और रिवर्स रिपो के नाम रिवर्स रिपो के नाम बदल दिये गये हैं। अब रिवर्स रिपो का अर्थ चलनिधि खपा लेना है और रिपो का आशय बाजार में चलनिधि लाना है। 29 अक्टूबर 2004 से पूर्व रिपो का अर्थ चलनिधि खपा लेना था जबकि रिवर्स रिपो का आशय बाजार में चलनिधि लाना था। इस रिपोर्ट में यह नामावली 29 अक्टूबर 2004 के पहले की अवधि के लिए भी अभिव्यक्ति के नये आधार पर है।

2 कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े नीतिगत दरों/ अनुपात में परिवर्तन दर्शाते हैं।

हुए, वर्ष के बाद वाले भाग के दौरान बढ़े और जिसने कुल जमा वृद्धि, जो 2007-08 के दौरान संकेतात्मक अनुमानों के काफी ऊपर थी, में किसी कमी को रोका।

III.17 यद्यपि उपलब्ध आंकड़ों से निर्माण और प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के अर्थ में मुद्रास्फीति में कुछ कमी दिखी (मध्य जुलाई 2007 से), तीसरी तिमाही की समीक्षा में कहा गया कि घरेलू मुद्रास्फीतिक दशाएं व्यापक रूप से प्रतिकूल वैश्विक गतिविधियों के प्रति भेद्यशील हो रही हैं। समीक्षा में कहा गया कि मुद्रास्फीतिक जोखिम आगे की अवधि में और बढ़े। खाद्यान्न के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य, जो ऐतिहासिक ऊँचाइयों तक पहुँच गए थे, लंबे समय के लिए अधिक होने के प्रति उद्यत थे, जिसमें मांग के आपूर्ति से आगे रहने का अनुमान लगाया गया था तथा ऐतिहासिक रूप से कम स्टॉक था, जो जैव ईंधन के डाइवर्जन के कारण बढ़ा था। प्राथमिक खाद्यतर वर्ग में तिलहन/खाद्य तेल समूह से जन्मा ऊर्ध्वमुखी मुद्रास्फीति जोखिम, घरेलू और वैश्विक दोनों रूप में, काफी बढ़ा। धातु के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य अनिश्चित बने रहे, जिसमें एशिया का मांग दबाव इस क्षेत्र में हुई सुदृढ़ वृद्धि से धारण किया गया।

III.18 तीसरी तिमाही की समीक्षा में कहा गया कि 2007-08 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अप्रत्याशित रही। मौद्रिक और चलनिधि दशाओं के विस्तार ने चलनिधि के प्रबंधन का कार्य जटिल तथा चुनौतीपूर्ण बना दिया। इस संबंध में, विशेष रूप से तेल, धातु और खाद्य मूल्यों के कारण अन्तरराष्ट्रीय मूल्य दबावों के साथ-साथ, समीक्षा में आस्तित्व मूल्यों में वृद्धि के जोखिम तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्ध्वगामी मुद्रास्फीतिक दबावों के जोखिम को स्वीकारा गया। समीक्षा में कहा गया कि घरेलू मौद्रिक और चलनिधि दशाएं पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धिशील रहीं और उनके वैश्विक कारकों द्वारा बढ़ाए जाने की संभावना थी, विशेष रूप से अवरुद्ध मुद्रा बाजार को सक्रिय करने के लिए प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा व्यापक मात्रा में चलनिधि डालने के कारण। आगे कहा गया कि चलनिधि दशाओं को अनेक अन्तर्निहित कारकों द्वारा निर्मित किया जा रहा था और उनकी गतिविधियों के भविष्य में चलनिधि प्रबंधन के लिए निहितार्थ हैं तथा उनके लिए उपयुक्त व समय पर कार्रवाई अपेक्षित है। समीक्षा में यह भी कहा गया कि जनवरी 2008 के दूसरे और तीसरे सप्ताह की घटनाओं ने पूँजी प्रवाह में विपर्यय की संभावनाओं का संकेत दिया, यद्यपि यह निश्चित नहीं था कि ऐसी घटनाएं कितनी

अल्पकालिक होंगी। समीक्षा में सावधान किया गया कि पूँजी खाते का रणनीतिक प्रबंध सभी स्थितियों तथा भविष्य की किन्हीं अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयारी की मांग करता है।

III.19 विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अन्तर्निहित गति को देखते हुए, समग्र वृद्धि अनुमान को 8.5 प्रतिशत पर रखा गया जैसाकि अप्रैल 2007 के वार्षिक नीति वक्तव्य में अनुमान लगाया गया और मध्यावधि समीक्षा में दुहराया गया। तीसरी तिमाही की समीक्षा में मौद्रिक नीति के रुख में 2007-08 में मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत के करीब रखने की बात को दुहराया गया और भविष्य में मुद्रास्फीतिक प्रत्याशा दर को 4.0-4.5 प्रतिशत की सीमा में रखा गया, जैसा कि 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य तथा मध्यावधि समीक्षा में उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के व्यापक समन्वयन के अनुरूप, मध्यमकालिक उद्देश्य मुद्रास्फीति को 3.0 प्रतिशत के लगभग रखना होगा जैसाकि 2007-08 की मध्यावधि समीक्षा में उल्लेख किया गया था। समीक्षा में कहा गया कि कुल जमा वृद्धि 2007-08 के 4,90,000 करोड़ रुपए के वार्षिक नीति अनुमान से अधिक थी तथा यह भी पाया गया कि खाद्यतर ऋण में वृद्धि 24.0-25.0 प्रतिशत से कम थी जैसाकि 2007-08 के लिए अनुमान लगाया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि 2007-08 के लिए व्यापक मुद्रा में वृद्धि 17.0-17.5 प्रतिशत के संकेतात्मक प्रक्षेपण-पथ से ऊपर बनी रही और इसको कम करने के लिए समुचित प्रतिसाद अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

III.20 तीसरी तिमाही की समीक्षा में जोर दिया गया कि आगे की अवधि में मौद्रिक नीति के संचालन में चलनिधि प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाती रहेगी। इसमें वृद्धि की गति को बनाए रखते हुए मूल्य स्थिरता पर बल दिया गया। रोजगार प्रधान क्षेत्र के लिए ऋण गुणवत्ता और ऋण सुपुर्दगी तथा वित्तीय समावेशन पर भी नीतिगत प्राथमिकता दुहराई गई। अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की गतिविधियों और वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, मौद्रिक नीति में उभरती बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं पर प्रभाव डालती घरेलू स्थिति, वित्तीय स्थिरता तथा समुचित नीतिगत कार्रवाई के लिए वृद्धि गति पर निगरानी की आवश्यकता पर और जोर दिया गया।

III.21 तीसरी तिमाही की समीक्षा के बाद की अवधि में, घरेलू मुद्रास्फीतिक परिदृश्य और चलनिधि दशाओं की उल्लेखनीय गतिविधियों

ने मौद्रिक नीति रुझान को तीव्र सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष दर वर्ष आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, जो 12 जनवरी 2008 को अर्थात् तीसरी तिमाही की समीक्षा की घोषणा के समय 3.83 प्रतिशत थी, 29 मार्च 2008 को बढ़कर 7.41 प्रतिशत हो गया और 5 अप्रैल 2008 को 7.14 प्रतिशत पर बनी रही तथा इसकी मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं पर समग्र प्रभाव की निगरानी रखने और उसे कम किए जाने की आवश्यकता है। 2007-08 के दौरान प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि खाद्य वस्तुओं और गैर-खाद्य वस्तुओं जैसे तिलहन के कारण थी। खाद्य तेल, खली, मूल धातु, एलॉय और धातु उत्पाद तथा मूल और भारी अजैविक रसायन के मूल्यों में वृद्धि ने विनिर्माण मूल्यों को बढ़ाने में योगदान दिया।

III.22 प्रचलित समष्टि आर्थिक, मौद्रिक और प्रत्याशित चलनिधि दशाओं के आलोक में और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं को रोकने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने 17 अप्रैल 2008 को नकदी आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) को 26 अप्रैल 2008 और 10 मई 2008 को शुरू हुए पखवाड़ों से दो चरणों में, प्रत्येक बार 25 आधार अंक अर्थात् 50 आधार अंक, बढ़ाकर 8.0 प्रतिशत करने की घोषणा की, इस प्रकार पहले दौर में बैंकिंग प्रणाली से 18,500 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि अवशोषित की गई। सीआरआर को बढ़ाने का उद्देश्य अत्यधिक चलनिधि को अवशोषित करना, मांग दबावों के बढ़ने से बचना और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं को रोकना था। यह मौद्रिक नीति उपाय वार्षिक नीति वक्तव्य और 2007-08 के वक्तव्य की समीक्षाओं में दिए गए रुझान से सुसंगत है (बाक्स III.1)।

मौद्रिक नीति का परिचालन: 2008-09

2008-09 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य

III.23 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य (एपीएस, अप्रैल 2008) में कहा गया कि 2007-08 के आरंभिक मूल्यांकनों से संबंधित वैश्विक और घरेलू दोनों गतिविधियों में काफी परिवर्तन हुए। वैश्विक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में अक्टूबर 2007 की मध्यावधि समीक्षा के समय से और जनवरी 2008 की तीसरी तिमाही समीक्षा के बाद तेजी से गिरावट आई। वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया कि नीति वक्तव्य की घोषणा के समय वैश्विक मंदी के खतरे बढ़ गए थे। इसमें यह भी कहा गया कि

जनवरी 2008 से अन्तरराष्ट्रीय खाद्य और ऊर्जा मूल्य के ऊर्ध्वगामी दबाव वैश्विक रूप से मुद्रास्फीति पर कुछ मात्रा में निरंतर ऊर्ध्वगामी दबाव डालते प्रतीत हुए। घरेलू मामले में, जनवरी 2008 तक दृष्टिकोण सकारात्मक बना रहा तथा, अनुमान के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र गतिविधि, कारोबार विश्वास और खाद्येतर ऋण में मंदी के संकेत दिखे। वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया कि आगामी माहों में वृद्धि की संभावनाओं के सहमति मूल्यांकनों में काँट-छाँट की गई। जनवरी 2008 की शुरुआत से, अन्तरराष्ट्रीय खाद्य, कच्चे तेल और धातु के मूल्यों के ऊर्ध्वगामी दबावों से मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं के लिए जोखिम पहले की अपेक्षा और अधिक प्रबल तथा वास्तविक हो गए। इस पृष्ठभूमि में, 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य में अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति को बनाए रखते हुए मुद्रास्फीतिक दबावों और वैश्विक अनिश्चितताओं को कम करने के लिए बहु-व्यापी नीतिगत चुनौतियों पर जोर दिया गया।

III.24 प्रारंभिक भविष्यवाणियों में 2008 के दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम में पूरे देश के लिए दीर्घावधि औसत के 99 प्रतिशत पर लगभग सामान्य वर्षा होने का अनुमान लगाया, जो कृषि में वृद्धि की रुझान को बनाए रखने का शुभ संकेत दे रहा था। वक्तव्य में कहा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में 2008 में विश्व की जीडीपी वृद्धि की प्रत्याशित गिरावट औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाओं को थोड़ा सा मंद कर सकती है, यद्यपि इन क्षेत्रों में विस्तार की अन्तर्निहित गति को बनाए रखे जाने की संभावना थी। इस समग्र समष्टि आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, अप्रैल 2008 के वार्षिक नीति वक्तव्य में, 2008-09 के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि को नीति प्रयोजनों के लिए 8.0 से 8.5 प्रतिशत के दायरे में रखा गया, यह मानते हुए कि (क) वैश्विक वित्तीय और वस्तु बाजार तथा वास्तविक अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से इस अवस्था में मूल्यांकित केन्द्रीय परिदृश्य के साथ संरेखित करना होगा और (ख) घरेलू तौर पर सामान्य मानसून स्थितियां जारी रहेंगी। कुल मांग पर मौद्रिक नीति के विलम्बित और संचयी प्रभाव को देखते हुए और यह मानते हुए कि आपूर्ति प्रबंधन सहायक होगा, पूँजी प्रवाहों का सक्रियतापूर्वक प्रबंधन किया जाएगा और घरेलू तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में जन्मी नई विपदाओं के अभाव में वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया कि 2008-09 में मुद्रास्फीति को 7.0 प्रतिशत से अधिक के उच्च स्तर से घटाकर 5.5

बाक्स III:1

भारत में मौद्रिक नीति का रुझान

2007-08

वार्षिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 2007)

- मूल्य स्थिरता और सुनियंत्रित मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं पर बल देना, ऐसे मौद्रिक तथा ब्याज दर वातावरण को सुनिश्चित करना, जो अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश मांग का समर्थन करे जिससे वृद्धि की गति को बनाए रखा जा सके।
- समकालीन रूप से व्यापक ऋण प्रसार और वित्तीय समावेशन का अनुसरण करते हुए, ऋण गुणवत्ता और समष्टि आर्थिक तथा विशेष रूप से, वित्तीय स्थिरता को प्राप्त करने के लिए वित्तीय बाजार की व्यवस्थित दशाओं पर पुनः जोर देना।
- मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि गति पर प्रभाव डालने वाली उभरती वैश्विक तथा घरेलू स्थिति के उपयुक्त तेजी से सभी संभव उपायों के प्रति रेसपांड करना।

पहली तिमाही की समीक्षा (जुलाई 2007)

- मूल्य स्थिरता और सुनियंत्रित मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं पर बल देना, ऐसी मौद्रिक तथा ब्याज दर वातावरण को सुनिश्चित करना, जो अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश मांग का समर्थन करे जिससे वृद्धि की गति को बनाए रखा जा सके।
- समकालीन रूप से व्यापक ऋण प्रसार और वित्तीय समावेशन का अनुसरण करते हुए, ऋण गुणवत्ता और समष्टि आर्थिक तथा विशेष रूप से, वित्तीय स्थिरता को प्राप्त करने के लिए वित्तीय बाजार की व्यवस्थित दशाओं पर पुनः जोर देना।
- मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि गति पर प्रभाव डालने वाली उभरती वैश्विक तथा घरेलू स्थिति के उपयुक्त तेजी से सभी संभव उपायों के प्रति रेसपांड करना।

मध्यावधि समीक्षा (अक्टूबर 2007)

- मूल्य स्थिरता और सुनियंत्रित मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं पर बल देना, ऐसे मौद्रिक तथा ब्याज दर वातावरण को सुनिश्चित करना, जो अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश मांग का समर्थन करे जिससे वृद्धि की गति को बनाए रखा जा सके।
- समकालीन रूप से व्यापक ऋण प्रसार और वित्तीय समावेशन का अनुसरण करते हुए, ऋण गुणवत्ता और समष्टि आर्थिक तथा विशेष रूप से, वित्तीय स्थिरता को प्राप्त करने के लिए वित्तीय बाजार की व्यवस्थित दशाओं पर पुनः जोर देना।
- मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि गति पर प्रभाव डालने वाली उभरती वैश्विक तथा घरेलू स्थिति के उपयुक्त तेजी से सभी संभव उपायों के प्रति रेसपांड करना।
- असामान्य अत्यधिक वैश्विक अनिश्चितताओं और वित्तीय बाजार की गतिविधियों के अपारंपरिक वित्तीय प्रतिसादों को देखते हुए, अर्थव्यवस्था

में स्थिरता और वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए सभी संभव विकल्पों का सहारा लेने के लिए तैयार रहना।

तीसरी तिमाही की समीक्षा (जनवरी 2008)

- वित्तीय बाजारों में वृद्धि की गति और व्यवस्थित दशाओं को जारी रखने में सहायक मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए मूल्य स्थिरता और सुनियंत्रित मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं पर जोर देना।
- वित्तीय समावेशन का अनुसरण करते समय, विशेष रूप से रोजगार - प्रधान क्षेत्र के लिए ऋण गुणवत्ता और ऋण सुपुर्दगी पर बल देना।
- पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों उपायों के साथ, जैसा उपयुक्त हो, तेजी से रेसपांड करने के लिए मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की गति पर प्रभाव डालने वाली बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू स्थितियों की निगरानी करना।

2008-09

वार्षिक नीति वक्तव्य 2008-09 (अप्रैल 2008)

- वृद्धि की गति के जारी रखने में सहायक होने के साथ-साथ, ऐसा मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जो मूल्य स्थिरता, नियंत्रित मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं और वित्तीय बाजार में सुव्यवस्थित दशाओं को उच्च प्राथमिकता दे।
- प्रतिकूल अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों के बढ़ रहे समूहन और, जैसा उपयुक्त हो, पारंपरिक तथा अपारंपरिक दोनों उपायों के साथ, मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की गति पर प्रभाव डालने वाली घरेलू स्थितियों पर निरंतर आधार पर तेजी से रेसपांड करना।
- वित्तीय समावेशन का अनुगमन करते समय, ऋण गुणवत्ता और ऋण सुपुर्दगी, विशेष रूप से रोजगार-प्रधान क्षेत्रों के लिए पर जोर देना।

पहली तिमाही की समीक्षा (जुलाई 2008)

- वृद्धि की गति के जारी रखने में सहायक होने के साथ-साथ, ऐसा मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जो मूल्य स्थिरता, नियंत्रित मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं और वित्तीय बाजार में सुव्यवस्थित दशाओं को उच्च प्राथमिकता दे।
- प्रतिकूल अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों के बढ़ रहे समूहन और, जैसा उपयुक्त हो, पारंपरिक तथा अपारंपरिक दोनों उपायों के साथ, मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की गति पर प्रभाव डालने वाली घरेलू स्थितियों पर निरंतर आधार पर तेजी से रेसपांड करना।
- वित्तीय समावेशन का अनुगमन करते समय, ऋण गुणवत्ता और ऋण सुपुर्दगी, विशेष रूप से रोजगार-प्रधान क्षेत्रों के लिए पर जोर देना।

प्रतिशत के लगभग लाया जाए; इसे वैश्विक रूप से संप्रेषित मुद्रास्फीति की उभरती जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यथासंभव 5.0 प्रतिशत के करीब लाने को तरजीह दी जाए। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि भविष्य में मुद्रास्फीति को 4.0-4.5 प्रतिशत की सीमा में रखने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नीति और अवधारणाओं में सुधार किया जाना जारी रहेगा जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के व्यापक समन्वयन और मध्यावधि में स्वप्रेरक वृद्धि को बनाए रखने के उद्देश्य के अनुरूप लगभग 3.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर एक मध्यावधि प्रयोजन बन जाए।

III.25 वक्तव्य में यह भी कहा गया कि 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में काफी वृद्धि और ऋण तथा जमावृद्धि में चक्रीय त्वरण के कारण, विशेष रूप से बाद वाले में, मुद्रा आपूर्ति 2005-07 में लगातार सकेतात्मक अनुमानों से ऊपर बनी रही। परिणामी मौद्रिक अधिकता को देखते हुए, वक्तव्य में उल्लेख किया गया कि वृद्धि और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के अनुरूप 2008-09 में मौद्रिक विस्तार को 16.5 - 17.0 प्रतिशत की सीमा में रखने की आवश्यकता है, जिससे समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। मुद्रा आपूर्ति के अनुमानों के अनुरूप, 2008-09 में कुल जमाओं में वृद्धि लगभग 17.0 प्रतिशत अथवा लगभग 5,50,000 करोड़ रुपए रखी गई। निधीयन के स्रोतों के समग्र मूल्यांकन और अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों की समग्र ऋण आवश्यकताओं के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनी क्षेत्र के बांड/डिबेंचर/शेयर में निवेश और वाणिज्यिक-पत्रों सहित, खाद्येतर ऋण में वृद्धि मौद्रिक अनुमानों के अनुरूप 2008-09 में 20.0 प्रतिशत के लगभग रखी गई।

III.26 निहित अप्रत्याशित जटिलताओं और अत्यधिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, निम्नलिखित कारकों ने 2008-09 के लिए मौद्रिक नीति के रुझान को प्रभावित किया। पहला, खाद्य और ऊर्जा के बढ़े हुए तथा अस्थिर मूल्यों की चुनौती तुरंत उपस्थित थी, जिसमें चक्रीय घटकों के अलावा संभवतः कुछ संरचनात्मक घटक निहित थे। दूसरे, जबकि मांग दबाव जारी रहे, घरेलू आपूर्ति प्रतिसाद में कुछ सुधार हुआ। तीसरे, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की प्रक्रिया में भारत सरकार द्वारा आपूर्ति प्रबंधन और रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक उपायों के संबंध में कदम उठाए गए थे। चौथे, उभरती वैश्विक और घरेलू अनिश्चितताओं के वातावरण में नीतिगत प्रतिसादों ने प्रत्याशाओं के

प्रबंधन पर जोर दिया। पांचवें, मौद्रिक नीति ने यह निश्चय प्रदर्शित किया कि वह मौद्रिक प्रत्याशाओं के संबंध में प्रतिकूल गतिविधियों के किन्हीं चिह्नों को रोकने के लिए निरंतर आधार पर निर्णायक रूप से कार्य करेगी।

III.27 वार्षिक नीति वक्तव्य में कहा गया कि 2008-09 की मौद्रिक नीति के रुझान को, वृद्धि और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिविधियों सहित, भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। जैसीकि चर्चा की गई, उपर्युक्त अप्रत्याशित अनिश्चितताओं और दुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, इसमें नीतिगत कार्रवाइयों के समय और मात्रा के संबंध में सूचित निर्णय लेने की महत्ता को स्वीकार किया गया। मौद्रिक नीति के रुझान में ऐसे मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण को बनाए रखने पर जोर दिया गया जो वृद्धि की गति को जारी रखने में सहायक होने के साथ-साथ मूल्यस्थिरता, नियंत्रित मौद्रिक प्रत्याशाओं और वित्तीय बाजार में सुव्यवस्थित दशाओं को उच्च प्राथमिकता दे। नीतिगत रुझान में वित्तीय समावेशन को जारी रखते हुए ऋण की गुणवत्ता और विशेष रूप से रोजगार-प्रधान क्षेत्रों के लिए ऋण की सुपर्दगी के महत्व पर और जोर दिया गया। इसमें पुनः कहा गया कि मौद्रिक नीति प्रतिकूल अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों के उभरते समूह और मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं, वित्तीय स्थिरता और वृद्धि की गति को प्रभावित करनेवाली देशी स्थिति के प्रति परंपरागत और गैर परंपरागत उपायों के साथ, जैसा उचित हो, निरंतर आधार पर तेजी से रेडपांड करेगी। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं को रोकने के लिए अपने एहतियाती और नपे-तुले दृष्टिकोण को जारी रखते हुए, 24 मई 2008 को शुरू पखवाड़े से सीआरआर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत कर दिया। इसके पश्चात 17 अप्रैल 2008 को की गई घोषणा के अनुसार 26 अप्रैल और 10 मई 2008 को शुरू पखवाड़े से सीआरआर को 50 आधार अंक अर्थात् प्रत्येक बार 25 आधार अंक, बढ़ाया गया।

III.28 वर्ष 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य में उपस्थित अप्रत्याशित अनिश्चितताओं और दुविधाओं का जिक्र किया गया था यह कहा गया कि “जबकि मौद्रिक नीति को तुरंत उपस्थित चिंताओं के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करनी होगी, समग्र समष्टि आर्थिक प्रत्याशाओं के संबंध में, यह सापेक्षिक रूप से लंबे समय परिप्रेक्ष्य अर्थात् एक से दो वर्ष में, विचारों की अनदेखी नहीं कर सकता है। साथ ही, मुद्रास्फीतिक

प्रत्याशाओं के संबंध में प्रतिकूल गतिविधियों के किसी संकेत को रोकने के लिए निर्णायक रूप से, प्रभावी और तेजी से कार्य करने के लिए इस क्षण निरंतर आधार पर एक निश्चय को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है'। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, जो 12 जनवरी 2008 को (2007-08 के लिए तीसरी तिमाही समीक्षा की घोषणा के समय) 4.36 प्रतिशत थी बढ़कर 12 अप्रैल 2008 (2008-09 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की घोषणा के समय) को 7.33 प्रतिशत और 24 मई 2008 को और अधिक बढ़कर 8.24 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की विभिन्न मापें भी, जो जनवरी 2008 में 4.8 से 5.9 प्रतिशत की सीमा में थीं, अप्रैल 2008 में बढ़कर 7.8 से 8.9 प्रतिशत की सीमा में हो गईं। इन गतिविधियों के आलोक में, और तत्कालीन समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक दशाओं की समीक्षा करने पर तथा मौद्रिक प्रत्याशाओं को रोकने की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने 11 जून 2008 को तुरंत प्रभाव से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अन्तर्गत रिपो दर को 7.75 प्रतिशत से 25 आधार अंक बढ़ाकर 8.00 प्रतिशत करने की घोषणा की।

III.29 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक में घट-बढ़ पर आधारित मुद्रास्फीति मार्च 2008 के अंत के 7.75 प्रतिशत और एक वर्ष पहले के 4.28 प्रतिशत से बढ़कर 7 जून 2008 को 11.05 प्रतिशत हो गई। ईंधन उप समूह को छोड़कर मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले के 5.92 प्रतिशत से बढ़कर 9.61 प्रतिशत हो गई। ईंधन और खाद्य को छोड़कर, मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के 6.33 प्रतिशत के विपरीत 10.33 हो गई। ईंधन से इतर पण्यों में मुद्रा स्फीति की वृद्धि ने पूर्व अवधि के ईंधन की मदों के मूल्यों में वृद्धि के दूसरे दौर के प्रभाव को दर्शाया। रिजर्व बैंक ने माना कि तेल के मूल्यों के अलावा, ऐसे कुछ अन्तर्निहित मुद्रास्फीतिक दबाव हैं जो भारत में मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं। इसलिए, मौद्रिक नीति ने अर्थव्यवस्थाव्यापी समग्र कुल मांग के समायोजन की महत्ता को स्वीकार किया। यह महसूस किया गया कि उच्च और अस्थिर ऊर्जा मूल्य अस्थायी प्रवृत्ति नहीं थी तथा एक ऐसी मौद्रिक नीति की आवश्यकता थी जो इस समायोजन को कारगर और समर्थ बना सके जिससे मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं की रोकथाम की जा सके। यह भी देखा गया कि जब सभी नीतियां मुद्रास्फीति जनित चुनौतियों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं, मौद्रिक समुच्चयों में अन्तर्निहित मांग

दबाव परिलक्षित हुए। वर्ष दर वर्ष आधार पर, मुद्रा आपूर्ति (एम₃) एक वर्ष पहले की 21.0 प्रतिशत की वृद्धि से और 2008-09 के लिए निर्धारित 16.5 - 17.0 प्रतिशत के संकेतात्मक अनुमानों से ऊपर बढ़कर 6 जून 2008 को 21.4 प्रतिशत हो गई (एपीएस, अप्रैल 2008)। 6 जून 2008 को वर्ष दर वर्ष आधार पर सकल जमा 23.2 प्रतिशत बढ़ी, जो 2008-09 के 17.0 प्रतिशत के संकेतात्मक अनुमान के ऊपर थी। खाद्येतर ऋण वृद्धि 26.2 प्रतिशत थी और यह भी 20.0 प्रतिशत के संकेतात्मक अनुमान से ऊपर थी। इस अवसर पर, मौद्रिक नीति की सर्वोपरि प्राथमिकता, मुद्रास्फीतिक दबावों की और सघनता से बचना तथा मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं की दृढ़तापूर्वक रोकथाम करना और ऐसे कुल मांग दबावों का तत्काल हल ढूंढना जो प्रत्यक्ष में सुदृढ़ दिखाई पड़ते हैं, थी। तदनुसार, 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यथानिर्धारित मौद्रिक नीति के रुझान के अनुरूप, घरेलू और वैश्विक समष्टिआर्थिक तथा वित्तीय गतिविधियों पर आवक सूचनाओं के आधार पर, रिजर्व बैंक ने 25 जून 2008 को एलएएफ के अन्तर्गत रिपो दर को 8.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.50 प्रतिशत कर दिया। सीआरआर को भी दो चरणों में 50 आधार अंक, अर्थात् प्रत्येक बार 25 आधार अंक, बढ़ाकर 8.75 प्रतिशत कर दिया गया, जो क्रमशः 5 जुलाई और 19 जुलाई 2008 से प्रभावी हुई।

पहली तिमाही की समीक्षा

III.30 मौद्रिक नीति पर 2008-09 के वार्षिक वक्तव्य की पहली तिमाही की समीक्षा में कहा गया कि अप्रैल 2008 को वार्षिक नीति वक्तव्य की घोषणा के पश्चात्, वैश्विक और घरेलू गतिविधियों में, पूर्ति और मांग दोनों पक्षों में, मुद्रास्फीतिक दबावों में वृद्धि के संकेत दिखे, विशेष रूप से 2008-09 की पहली तिमाही के दौरान मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं तथा बोध के अर्थ में। बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति तथा 13 वर्ष से ऊपर बढ़ती घरेलू मुद्रास्फीति के वातावरण में, रिजर्व बैंक ने चिंता के साथ कहा कि मुद्रास्फीति वैश्विक दृष्टिकोण के लिए सबसे बड़े जोखिम के रूप में उभरी है, जो पूरे विश्व में काफी ऊँचाइयों तक बढ़ी है तथा जिसे दो दशकों में सामान्यतया नहीं देखा गया है। विद्यमान मुद्रास्फीति मुख्य रूप से पण्यों, विशेष रूप से ऊर्जा, खाद्य और धातु के बढ़ते मूल्यों द्वारा चालित थी। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में ये चिंताएं बढ़ रही थीं कि खाद्य और ऊर्जा के बढ़ते मूल्यों से दूसरे दौर के प्रभावों के माध्यम से और अधिक

सामान्यीकृत मुद्रास्फीति चक्र की शुरुआत होगी। यद्यपि मुद्रास्फीति के पूर्व मूल्यांकन के अनुसार बढ़ने की आशा थी, बाद के परिवर्तनों का आकार व गति स्पष्ट रूप से अप्रत्याशित थी। जबकि अब मुद्रास्फीति एक विश्वव्यापी घटना है, आघात के स्वरूप के बोध, उनके प्रत्याशित सातत्य, मुद्रास्फीति चक्र की अवस्था और द्वितीय-क्रम के प्रभाव की शुरुआत के आधार पर देशों के प्रतिसाद व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न रहे हैं। इसके अलावा, कुछ देशों में केंद्रीय बैंकों के नीतिगत प्रतिसाद को वृद्धि में मंदी की गति और गहनता तथा वित्तीय स्थिरता के लिए उसके संभावित निहितार्थों की चिंताओं ने बाधित किया है।

III.31 यह भी कहा गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की मुद्रास्फीति में वृद्धि कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के पास-थू एवं खाद्य, धातु और रासायनिक उत्पादों सहित विनिर्माण क्षेत्र की व्यापक दायरे वाली बढ़ती मुद्रास्फीति को परिलक्षित करती है। बढ़ते आयात मूल्यों के माध्यम से इनपुट लागत में सीधी वृद्धि और तिलहन, कच्ची रुई और दूध के मूल्यों में तीव्र वृद्धि तथा अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप कोयला, खाद्यतेल, चावल और स्टील के मूल्यों में उतार-चढ़ाव ने विनिर्माण क्षेत्र की समग्र मुद्रा स्फीति में योगदान किया है। इसमें कहा गया कि अन्तरराष्ट्रीय खाद्य, कच्चे तेल और अन्य पण्य के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव व्यापार घाटे के काफी अधिक बढ़ने में परिलक्षित हुआ जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में निरंतर अधोगामी प्रभाव पड़ा जो पोर्टफोलियो बहिर्वाह के साथ पूँजीगत प्रवाह की अस्थिरता और अन्तरराष्ट्रीय बैंक उधार की कड़ाई से और बदतर हो गया।

III.32 पहली तिमाही की समीक्षा में कहा गया कि मुद्रास्फीति को वर्तमान ऊँचाई से नीचे लाना और मौद्रिक प्रत्याशाओं को स्थिर करना मौद्रिक नीति रुझान की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। इसमें कहा गया कि भविष्य को देखते हुए वैश्विक तथा और महत्वपूर्ण रूप से घरेलू कारकों ने मौद्रिक प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत कीं और कई मोर्चों पर सुदृढ़ नीतिगत कार्रवाइयों की अपेक्षा है। यह भी कहा गया कि इस पृष्ठभूमि में, ऐसी आशा है कि आगामी महीनों में मुद्रास्फीति वर्तमान स्तर की ऊँचाई से कम होगी और 2008-09 की अंतिम तिमाही से मुद्रास्फीति में स्पष्ट कमी की आशा की जा सकती है। तदनुसार, यह कहा गया कि नीतिगत कार्रवाई का उद्देश्य मुद्रास्फीति को यथाशीघ्र

वर्तमान असहनीय स्तर से 5.0 प्रतिशत के नीचे के सहनीय स्तर पर और मध्यम अवधि में 3.0 प्रतिशत के लगभग लाना है, इस स्थिति में वास्तविक नीतिगत प्रयास होगा कि मुद्रास्फीति को लगभग 11.0 - 12.0 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से 31 मार्च 2009 तक 7.00 प्रतिशत के समीप लाया जाए। इसमें कहा गया कि ऊपर वर्णित कुल मांग प्रबंधन और आपूर्ति संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, 2008-09 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक जीडीपी वृद्धि के 8.0 से 8.5 प्रतिशत की सीमा में रहने के अनुमान आशावादी साबित होंगे, जैसाकि अप्रैल 2008 के वार्षिक नीति वक्तव्य में दिया गया है, और इसलिए नीतिगत प्रयोजनों के लिए घरेलू अथवा बाह्य आघातों को छोड़कर, लगभग 8.0 प्रतिशत का अनुमान अधिक वास्तविक केंद्रीय परिदृश्य प्रतीत होता है।

III.33 पहली तिमाही की समीक्षा में मौद्रिक विस्तार को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और 2008-09 में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के अनुमान को वृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावना (आउटलुक) के अनुरूप लगभग 17.0 प्रतिशत की सीमा में संशोधित किया गया जिससे आगे की अवधि में समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। मुद्रा आपूर्ति के अनुमान के अनुरूप, 2008-09 में कुल जमाओं में वृद्धि 17.5 प्रतिशत अथवा 6,00,000 करोड़ रुपये के लगभग रखी गई है। निधीयन के स्रोतों के समग्र मूल्यांकन और अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों की समग्र ऋण आवश्यकताओं के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनी क्षेत्र के बैंडों/डिबेंचरों/ शेयरों और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश सहित खाद्येतर ऋण में वृद्धि, मौद्रिक अनुमानों के अनुरूप, वार्षिक नीति वक्तव्य में दिए गए अनुसार, 2008-09 में 20.0 प्रतिशत के लगभग रखी गई है।

III.34 पहली तिमाही की समीक्षा में कहा गया कि मौद्रिक प्रत्याशाओं को रोकने की महत्ता को देखते हुए, आगामी मौद्रिक और समष्टि आर्थिक गतिविधियों पर लगातार अधिकाधिक निगरानी रखी जाएगी जिससे मौद्रिक नीति रुझान के अनुरूप, आवश्यकतानुसार समुचित उपायों के साथ तुरंत प्रतिसाद किया जा सके। इसके अलावा, वर्तमान समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक स्थितियों को देखते हुए, पहली तिमाही की समीक्षा में एलएएफ के अन्तर्गत निश्चित रिपो दर को 30 जुलाई 2008 से 50 आधार अंक बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत से 9.0 प्रतिशत तथा सीआरआर को 30 अगस्त 2008 से 25 आधार अंक बढ़ाकर 9.0 प्रतिशत करने की घोषणा की गई।

नकदी आरक्षित निधि अनुपात

III.35 2007-08 के दौरान, सीआरआर को चार चरणों में 150 आधार अंक बढ़ाकर बैंक की निवल मांग और मियादी देयताओं के 6.0 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत किया गया, 2008-09 (अगस्त 2008 तक) के दौरान, सीआरआर को प्रत्येक 25 आधार अंक के छः चरणों में 150 आधार अंक और बढ़ाकर बैंक की निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) का 9.00 प्रतिशत कर दिया गया (चार्ट III.1) दिसंबर 2006 और जुलाई 2008 के बीच, सीआरआर में 375 आधार अंक की संचयी वृद्धि की गई और सीआरआर में वृद्धि के कारण पहले चरण में 1,22,500 करोड़ रुपए की चलनिधि की अनुमति राशि वापस ली गई। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने जुलाई 2008 की अपनी पहली तिमाही की समीक्षा में 30 जुलाई 2008 से रिपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 9.0 प्रतिशत कर दिया और 30 अगस्त 2008 को शुरु पखवाड़े से सीआरआर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 9.0 प्रतिशत कर दिया।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

III.36 2007-08 के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात को बैंक की निवल मांग और मियादी देयताओं के 25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया; इस अनुपात को पिछली बार नवंबर 1997 में संशोधित किया गया था। मार्च 2008 के अंत में वाणिज्य बैंकों की एसएलआर प्रतिभूतियों की धारिताएं मार्च 2007 के अंत की तरह उनकी निवल मांग और मियादी देयताओं के 27.8 प्रतिशत पर बनी रहीं।


ब्याज दर नीति

III.37 ब्याज दरें, जो पहले मौद्रिक प्राधिकारी और वित्तीय क्षेत्र की सुसंगति के अनुसार विभिन्न समयों पर विनियमित की जाती थीं, कुछ दरों को छोड़कर, क्रमिक रूप से अविनियमित कर दी गई हैं। यद्यपि कुछ ब्याज दरों जैसे बचत बैंक जमाओं, एनआरई जमाओं और एफसीएनआर (बी) जमाओं और 2 लाख तक के निर्यात ऋण तथा छोटे ऋणों पर ब्याज दरों को अभी भी रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहा है कि इनको बदलते परिदृश्य के अनुरूप आशोधित किया जाए। वर्तमान में, बचत बैंक जमाओं पर ब्याज दर को 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया है; इस दर को पिछली बार 1 मार्च 2003 को संशोधित किया गया था। वर्ष 2007-08 के रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य में एफसीएनआर(बी) और एनआरई जमा दोनों पर उच्चतम ब्याज दर को 50 आधार अंक घटाया गया। 24 अप्रैल 2007 को कारोबार की समाप्ति से, एफसीएनआर(बी) जमाओं पर उच्चतम ब्याज दर को लिबोर / स्वैप दर से 75 आधार अंक कम और समान परिपक्वता वाली एनआरई जमा दरों पर उच्चतम दर को लिबोर / स्वैप दर पर रखा गया (सारणी 3.2)।

III.38 24 सितंबर 2001 को घोषित 180 दिवस तक के लदान-पूर्व रुपया निर्यात ऋण और 90 दिवस तक के लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा में, बीपीएलआर के नीचे 250 आधार अंक तक कमी की वैधता को 31 अक्टूबर 2008 तक बढ़ाया गया (परिशिष्ट सारणी 57)। निर्यात ऋण की समीक्षा के लिए बने कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर, विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर उच्चतम ब्याज दर को 18 अप्रैल 2006 को 25 आधार अंक बढ़ाकर लिबोर से 100 आधार अंक अधिक कर दिया गया।

चलनिधि प्रबंध

III.39 2007-08 के दौरान चलनिधि का प्रबंध रिजर्व बैंक के नीति क्रम में एक प्राथमिकता बना रहा। रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करना जारी रखा कि प्रणाली में उपयुक्त चलनिधि बनाए रखी जाए जिससे मूल्य और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य के सुसंगत, ऋण की सभी उचित आवश्यकताएं, विशेष रूप से उत्पादक प्रयोजनों के लिए, पूरी की जा सकें। इसके लिए, रिजर्व बैंक ने सीआरआर और खुले बाजार के निर्धारणों, एमएसएस और एलएएफ सहित, के समुचित प्रयोग के माध्यम से और जब जैसी आवश्यकता हुई, इसने अपने पास उपलब्ध सभी नीतिगत लिखतों का लोचपूर्ण प्रयोग करते हुए चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखी (सारणी 3.3 तथा सारणी 3.4)। 2007-08 में



सारणी 3.2: अनिवासी जमाराशियों का ब्याज दर ढांचा

(आधार अंक)

प्रभावी तारीख	एफसीएनआर (बी) जमाराशि (उच्चतम सीमा)	प्रभावी तारीख	अनिवासी बाह्य (रुपया) जमाराशियां (1-3 वर्षीय परिपक्वता के लिए उच्चतम दर)
1	2	3	4
19 अप्रैल 2001	लिबोर	17 जुलाई 2003	लिबोर + 250
29 अप्रैल 2002	लिबोर - 25	15 सितंबर 2003	लिबोर + 100
28 मार्च 2006	लिबोर	18 अक्टूबर 2003	लिबोर + 25
31 जनवरी 2007	लिबोर - 25	17 अप्रैल 2004	लिबोर
24 अप्रैल 2007	लिबोर - 75	1 नवंबर 2004	लिबोर + 50
		17 नवंबर 2005	लिबोर + 75
		18 अप्रैल 2006	लिबोर + 100
		31 जनवरी 2007	लिबोर + 50
		24 अप्रैल 2007	लिबोर

टिप्पणी:

एफसीएनआर (बी) जमाओं के मामले में संबंधित मुद्रा/परिपक्वता के लिए लिबोर/स्वैप दरें और एनआरई जमाओं के मामले में तदनु रूप परिपक्वता के अमरीकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरें।

चलनिधि के लिए वर्ष के अंत की सामान्य मांग का अधिक कारगर तरीके के प्रबंधन करना रिजर्व बैंक द्वारा की गई आनुमानिक व्यवस्था की एक उल्लेखनीय विशेषता थी।

सारणी 3.3: चलनिधि प्रबंध

(करोड़ रुपये)

अंतिम शुक्रवार को बकाया राशि	एलएएफ	एमएसएस	भारिबैं पास केंद्र सरकार के अधिशेष @	कुल (2 से 4)
1	2	3	4	5
2007				
जनवरी	-11,445	39,375	42,494	70,424
फरवरी	6,940	42,807	53,115	1,02,862
मार्च*	-29,185	62,974	49,992	83,781
अप्रैल	-9,996	75,924	-980	64,948
मई	-4,690	87,319	-7,753	74,876
जून	-8,895	81,137	-15,159	57,083
जुलाई	2,992	88,010	-20,199	70,803
अगस्त	16,855	1,06,434	20,807	1,44,096
सितंबर	-6,070	1,31,473	30,771	1,56,174
अक्टूबर	18,135	1,74,277	23,735	2,16,147
नवंबर	-1,320	1,71,468	36,668	2,06,816
दिसंबर	-33,865	1,59,717	80,591	2,06,443
2008				
जनवरी	985	1,66,739	70,657	2,38,381
फरवरी	8,085	1,75,089	68,538	2,51,712
मार्च*	-50,350	1,68,392	76,586	1,94,628
अप्रैल	32,765	1,72,444	36,549	2,41,758
मई	-9,600	1,75,362	17,102	1,82,864
जून	-32,090	1,74,433	36,513	1,78,856
जुलाई	-43,260	1,71,327	15,043	1,43,110

@ : अधिशेष की स्थिति में आरबीआइ में जमा न्यूनतम नकदी राशियों को छोड़कर।

* : संबंधित आंकड़े 31 मार्च की स्थिति के अनुसार हैं।

टिप्पणी : 1. कॉलम 2 में नकारात्मक चिह्न इस बात का संकेत है कि एलएएफ रिपो के माध्यम से चलनिधि डाली गई।

2. 5 मार्च 2007 और 5 अगस्त 2007 के बीच दैनिक रिवर्स रिपो अवशोषण के अंतर्गत अधिकतम राशि 3000 करोड़ रुपये तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये की राशि है।

3. स्तंभ 4 में ऋणात्मक चिह्न डब्ल्यू एम ए / ओवरड्राफ्ट दर्शाता है।

III.40 2007-08 के दौरान चलनिधि का प्रबंधन अधिक जटिल हो गया क्योंकि रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा प्रवाह में उच्च उतार-चढ़ाव के कारण चलनिधि में हुए अस्वाभाविक उतार-चढ़ाव तथा इसके पास रखे सरकार के नकद शेषों का नियंत्रण करना था। 2007-08 के अधिकांश भाग की चलनिधि दशाएं आसान बनी रहीं, यद्यपि अल्प अवधियों में सख्ती की स्थितियां रहती थीं। ऐसा मुख्य रूप से तिमाही अग्रिम कर बहिर्वाहों और अस्थिर पूंजी प्रवाहों के कारण सरकार के नकदी शेषों में अंतर के चलते हुआ। हाल के वर्षों में, भारत और कुछ अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह की विशाल राशि को देखते हुए, केंद्रीय बैंकों को ऐसे विदेशी अन्तर्वाहों के फलस्वरूप हुए अधिशेष चलनिधि के प्रबंध के लिए अपने चलनिधि प्रबंध ढाँचे को समुचित रूप से समन्वित करना पड़ा (बॉक्स III.2)।

III.41 रिजर्व बैंक ने उभरती दशाओं के अनुरूप, 2007-08 के दौरान कई उपायों के माध्यम से अपनी चलनिधि का प्रबंधन सुचारु रूप से जारी रखा। 2007-08 की शुरुआत के पहले, चलनिधि समायोजन सुविधा को 2 मार्च 2007 को संशोधित किया गया और एक संवर्धित एमएसएस कार्यक्रम को लाया गया जिससे अति अल्पकालिक चलनिधि बेमेलों के संतुलन की सुविधा के रूप में एलएएफ को पुनः लाया जा सके। तदनुसार, 5 मार्च 2007 से, दैनिक रिवर्स रिपो अवशोषणों को प्रतिदिन अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए कर दिया गया जिसमें पहले एलएएफ में 2000 करोड़ रुपए और दूसरे एलएएफ में 1,000 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी। जैसे वर्ष 2007-08 शुरू हुआ, रिजर्व बैंक ने 3 अप्रैल 2007 से एलएएफ रिपो परिचालन के अन्तर्गत राज्य

मौद्रिक नीति का परिचालन

सारणी 3.4: मासिक प्राथमिक चलनिधि प्रवाह और खुल बाजार के परिचालन

(करोड़ रुपये)

माह	आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां #			एलएएफ के अंतर्गत निवल रिपो			आरबीआई के प्रारंभिक अभिदान @	खुले बाजार के निवल परिचालन			बाजार स्थिरीकरण योजना		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अप्रैल	20,832	11,935	15,059	-40,555	-19,189	-83,115	0	-112	-313	-111	4,786	-12,951	-4052
मई	4,781	8,138	9,447	-9,440	-5,306	3,155	0	-1,303	-680	-54	-3,541	-11,395	-2918
जून	2,494	27,655	-8,971	26,935	-7,687	34,610	0	-121	-252	8,860	-5,307	4,702	929
जुलाई	2,556	25,219	-33,674	-15,760	-3	29,325	0	-968	-664	9,488	-4,603	-2,410	2,993
अग.	2,993	38,817		16,080	-13,855		0	5	-498		-2,205	-21,407	
सितंबर	5,399	54,039		28,075	22,925		0	-214	-398		-2,133	-25,039	
अक्टूबर	4,031	52,372		-10,355	-24,205		0	-233	-531		1,973	-42,804	
नवंबर	17,066	29,994		-3,725	9,425		0	-131	-146		2,174	-1,104	
दिसंबर	10,536	18,521		36,275	31,080		0	-24	4597		-832	12,716	
जनवरी	9,478	45,251		-8,470	-34,305		0	-555	680		-1,742	1,607	
फरवरी	47,268	38,428		-6,650	3,850		0	-60	2321		74	-14,031	
मार्च	37,167	20,181		24,025	58,435		10,000	-1,409	1809		-22,557	6,697	
कुल	1,64,601	3,70,550	-18,139	36,435	21,165	-16,025	10,000	-5,125	5,923	18,183	-33,913	-1,05,419	-3,048

: पुनर्मुल्यांकन हेतु समायोजित

(+) : बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि डालने की स्थिति दर्शाता है।

(-) : बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि के अवशोषण की स्थिति दर्शाता है।

@ : राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के अनुसार अप्रैल 2006 से आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक बाजार में सहभागिता की अनुमति नहीं है।

टिप्पणी : मार्च माह के आंकड़े 31 मार्च की स्थिति तथा अन्य सभी महीनों के आंकड़े रिपोर्टिंग हेतु नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार हैं।

विकास ऋण (एसडीएल) को पात्र प्रतिभूति के रूप में अनुमति प्रदान की। प्रचलित चलनिधि दशाओं को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने 6 अगस्त 2007 से एलएएफ के अन्तर्गत दैनिक रिवर्स रिपो पर 3,000 करोड़ रुपए की सीमा को वापस ले लिया, जबकि इस अधिकार को बनाए रखा गया कि यदि उचित हुआ तो सीमा को पुनः लागू किया जा सकेगा। दूसरे एलएएफ, जो 28 नवंबर 2005 को शुरू किया गया और दैनिक आधार पर 3.00 बजे सायं और 3.45 सायं के बीच परिचालित किया गया, को भी 6 अगस्त 2007 से वापस ले लिया गया। व्यापक और निरंतर पूँजी प्रवाह को देखते हुए, भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से वर्ष 2007-08 के लिए एमएसएस की सीमा को संशोधित किया, इसको उत्तरोत्तर चार अवसरों पर 80,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक सीमा से बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ रुपए किया गया। ऐसा एमएसएस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक की चलनिधि प्रबंधन की संशोधित व्यवस्था और हाल की अवधि के पूँजी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए और लोचपूर्वक उसका प्रयोग करने तथा अति अल्पकालिक बेमेलों के संतुलन की सुविधा के रूप में एलएएफ को पुनः वापस लाने के अनुरूप किया गया।

III.42 2007-08 की पहली तिमाही के दौरान, इसके चलनिधि दबाव में 4 अप्रैल 2007 से क्रमिक रूप से कमी आई, जिसका आंशिक कारण केंद्र के नकद शेषों का मार्च 2007 के अंत के 50,092 करोड़ रुपए से घटकर अप्रैल 2007 के मध्य में 32,023 करोड़ रुपए होना था। फलस्वरूप,

एलएएफ रिपो के माध्यम से डाली गई राशि घटी। 9-15 अप्रैल 2007 के दौरान एलएएफ रिवर्स रिपो के अन्तर्गत, वास्तव में, चलनिधि अवशोषित की गई। तथापि, आशोधित व्यवस्था के अनुसार रिवर्स रिपो के अवशोषण 3000 करोड़ की सीमा के अन्दर सीमित बने रहे। अप्रैल 2007 के मध्य से आगे, चलनिधि दशाएं, 14 अप्रैल 2007 और 28 अप्रैल 2007 को शुरू पखवाड़े से सीआरआर में प्रत्येक बार 25 आधार अंक की दो चरणों में वृद्धि के कारण, कठोर हुईं, जिससे 16 अप्रैल - 27 मई 2007 के दौरान औसतन 9,629 करोड़ रुपए की औसत दैनिक निवल चलनिधि डाली गई (चार्ट III.2)। चलनिधि दबाव 28 मई 2007 से कम होने शुरू हुए और तिमाही के शेष भाग के दौरान स्थितियां सुखद बनी रहीं, जो सरकारी व्यय में वृद्धि और रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों से विदेशी मुद्रा की खरीद को दर्शाता है (सारणी 3.5)। 29 जून 2007 को सरकार के नकद शेष पुनः घाटे में बदल गए, जो भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के हिस्से को सरकार को किए गए अंतरण को दर्शाता है। एमएसएस के अन्तर्गत बकाया शेष मार्च 2007 के अंत के 62,974 करोड़ रुपए से बढ़कर 29 जून 2007 को 81,137 करोड़ रुपए हो गए, जो 2 मार्च 2007 को घोषित किए गए अनुसार बढ़े हुए एमएसएस कार्यक्रम को दर्शाता है।

III.43 2007-08 की दूसरी तिमाही के दौरान रिजर्व बैंक ने एलएएफ के अन्तर्गत चलनिधि का अवशोषण जारी रखा। एलएएफ विंडो के अन्तर्गत अवशोषण 28 मई 2007 को शुरू हुआ, जो 28 जून

बॉक्स III.2 चलनिधि प्रबंध की चुनौतियां

केंद्रीय बैंक के पास चलनिधि के प्रबंधन के लिए मौद्रिक नीति के अंतिम लक्ष्य के समनुरूप एक ढाँचा और लिखतों का एक सेट है (बिंदसील, 2000)। चलनिधि प्रबंधन का महत्व बाजार परिचालनों के माध्यम से ब्याज दरों पर पर्याप्त प्रभाव और नियंत्रण करने में केंद्रीय बैंक की योग्यता में निहित है। इस संबंध में, केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष रूप से कम से कम ऐसी अल्पावधि ब्याज दर निर्धारित कर सकता है जो नीति दर के रूप में कार्य करें। केंद्रीय बैंक शेष आय वक्र का निर्धारण बाजार पर छोड़कर अल्पकालिक ब्याज दर के नियंत्रण द्वारा आय वक्र में मौद्रिक नीति आवेगों को संप्रेषित करने का प्रयास करता है। सार्वभौम आय वक्र, बदले में, अर्थव्यवस्था में उधार और जमा दरों को प्रभावित करता है। एक बार बैंक उधार प्रभावित हो जाता है तो ब्याज दरों का ऐसे वास्तविक परिवर्तियों, जैसे उपभोग और निवेश जिनका उत्पाद और मुद्रास्फूर्ति पर असर पड़ता है, पर प्रभाव पड़ता है। जबकि सक्रिय चलनिधि प्रबंधन का स्थानीय उद्देश्य अल्पकालिक ब्याज दरों को सीमा के अन्तर्गत रखना होता है, इसका एक व्यापक दीर्घकालिक उद्देश्य मौद्रिक नीति के अंतिम लक्ष्य को कार्यान्वित करना होता है (मोहन, 2006)।

जबकि अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बाजार परिचालनों को एक ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जाता है जहाँ अर्थव्यवस्था में वर्ष भर चलनिधि की कमी रहती है, उभरते बाजारों में चलनिधि प्रबंधन और भिन्न होता है जिसमें एकांतर रूप से आधिक्य और कमी की दशाएं होती हैं तथा उनके बाह्य खातों में गुरुतर उतार-चढ़ाव होता है। हाल के वर्षों में, प्रवाह में काफी अस्थिरता वाली उभरती बहुसंख्यक बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, पूँजी प्रवाह चलनिधि प्रबंधन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक रहा है। ऐसी स्थिति में जब प्रवाह चालू खाता घाटे से अधिक होते हैं, इसका परिणाम विदेशी मुद्रा भंडार का संचय होता है। तथापि, अनिष्टभावीकृत पूँजी अन्तर्वाह का परिणाम मुद्रास्फूर्ति, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा की कमी तथा मौद्रिक नियंत्रण में कमी के रूप में हो सकता है। जब इन प्रवाहों का खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से निष्प्रभावीकरण हो जाता है, लागतें काफी अधिक हो सकती हैं क्योंकि निष्प्रभावीकरण परिचालनों से घरेलू ब्याज दरें बढ़ती हैं जिससे और अधिक अन्तर्वाह होने लगते हैं। तथापि, निष्प्रभावीकरण की राजकोषीय लागत भी अधिक हो सकती है।

विशिष्ट रूप से, व्यापक और अस्थिर पूँजी प्रवाह के दबाव वाले देशों को असंभव त्रयी की चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऐसे उदाहरण हैं जब देश ऐसी उलझनों को सुलझाने के प्रयास में समस्याओं में फँस गए जब वैश्विक आस्ति पोर्टफोलियो आवंटन से लाभ के अवसर सामने आए (ऑक्टोफेल्ड आदि, 2004)। सामान्यतः देश अपनी मौद्रिक नीति की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं तथा अपनी विनिमय दरों को स्थिर रखते हैं। अत्यधिक वित्तीय खुलावा के कारण, कई देशों को व्यापक विनिमय दर लोच की ओर जाना पड़ा अथवा अपने मौद्रिक नीति लक्ष्यों पर वैश्विक पूँजी बाजार के समन्वयन की प्राथमिकता को स्वीकार करना पड़ा जिसके कारण कुछ लागत देनी पड़ी।

पूँजी प्रवाह का प्रबंध करने में विभिन्न देशों के अनुभव भिन्न-भिन्न और अलग-अलग रहे हैं। क्रोशिया को व्यापक रूप से एफडीआइ अन्तर्वाह के कारण चलनिधि आधिक्य का सामना करना पड़ा जिसका परिणाम मौद्रिक समुच्चयों में उच्च वृद्धि रही। परिणामतः क्रोशियन नेशनल बैंक (सीएनबी) को अत्यधिक चलनिधि का अवशोषण करने के लिए आरक्षित निधि आवश्यकताओं का सहारा लेना पड़ा। मैक्सिको में पूँजी प्रवाह के प्रभाव को कम करने की चुनौती का सामना खुले बाजार के परिचालनों के माध्यम से सीमांत चलनिधि को कम रखकर किया गया। जबकि इसने आधिक्य से जुड़े कुछ बुरे प्रभावों को दूर करने में मदद की, परिचालन ढाँचे ने भ्रमात्मक संकेत दिए और संप्रेषण माध्यम धुँधला हो गया। पाकिस्तान को व्यापक प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह से आई चलनिधि के आधिक्य का प्रबंधन करने में सीमित सफलता

मिली। दूसरी तरफ, रूस का अनुभव मिश्रित रहा है। चीक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी प्रवाह की मात्रा असाधारण रूप से अधिक रही है, बाजार परिचालन मूलभूत समस्या को दूर करने में पर्याप्त नहीं हैं (सगगर, 2006)। एशिया में, चीन और कोरिया ने बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि के अवशोषण के लिए केंद्रीय बैंक बांड जारी करने के साथ आरक्षित निधि आवश्यकताओं में वृद्धि का सहारा लिया। अधिकांश पूँजी अन्तर्वाहों पर अनर्जित आरक्षित निधि आवश्यकताओं (यूआरआर), जिसके लिए उन्हें केंद्रीय बैंक के पास एक वर्ष के लिए जमाराशियां रखनी होती हैं, को लागू करने के माध्यम से थाइलैण्ड में प्रत्यक्ष रूप से पूँजी प्रवाह के प्रबंधन को लक्ष्य करने वाले उपाय शुरू किए गए। इसी तरह, कोलंबिया ने केंद्रीय बैंक में छह माह के लिए रखे जाने वाले बाह्य उधार पर यूआरआर की शुरुआत की। इसके अलावा, यूआरआर के निवारण और काउंटरपार्टी जोखिम के प्रति बैंकों के एक्सपोजर को सीमित करने के लिए व्युत्पन्न बाजार में सकल स्थिति सहित बैंकों की विदेशी मुद्रा स्थिति पर एक नई उच्चतम सीमा लगाई गई (भारिबै, 2008)। अंत में, चिली और ब्राजील के केंद्रीय बैंकों ने भंडार में वृद्धि करने के लिए हाजिर बाजार से अन्तर्वाहों की विशाल राशि खरीदी और वायदा बाजार में भी बड़े-बड़े परिचालन किए।


हाल की अवधि में अप्रत्याशित पूँजी अन्तर्वाहों के कारण, चलनिधि प्रबंधन में भारतीय अनुभव कई प्रकार से विचित्र रहे हैं। पहला, कई अन्य देशों से भिन्न, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम मौद्रिक प्राधिकारी को अपनी प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति नहीं देता। दूसरा, चलनिधि प्रबंधन के लिए कई लिखतों अर्थात् एलएएफ विंडो, सीधे खुले बाजार के परिचालन, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) और सीआरआर का प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में, एमएसएस ने आधिक्य और कमी के एकांतर चलनिधि चक्रों का प्रबंध करने में मौद्रिक प्राधिकारियों की मदद की है। रिजर्व बैंक ने अब दैनिक चलनिधि प्रबंधन का कार्य एलएएफ के सुपुर्द किया है, जबकि एमएसएस का अर्ध-टिकाऊ चलनिधि विसंगतियों को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। तीसरा, वर्तमान में चलनिधि प्रबंधन भार सहभागिता के आधार पर किया जाता है जिसमें निष्प्रभावीकरण परिचालनों की लागत सभी सहभागियों अर्थात् एमएसएस के मामले में सरकार, एलएएफ रिवर्स रिपो के मामले में रिजर्व बैंक और सीआरआर के मामले में बैंकिंग प्रणाली द्वारा बांट ली जाती है। चौथे, मौद्रिक उपायों की अनुपूर्ति विनियामक और विवेकपूर्ण उपायों द्वारा की जाती है जिसके द्वारा संवेदनशील क्षेत्र को दिए गए ऋण में नपी-तुली गिरावट जोखिम भार में परिवर्तनों द्वारा लाई गई। पांचवें, पूँजी खाता उदारीकरण के लिए और क्रमिक तथा चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाकर, अस्थायी पूँजी नियंत्रण को लागू करने के बाद पूँजी अन्तर्वाह को और स्थायी आधार पर बनाए रखना संभव हो गया है।

संदर्भ

- (1) बिंदसील, यू.(2000): “ सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी मैनेजमेंट: थ्योरी एंड प्रैक्टिस”, अप्रैल, यूरोपियन सेंट्रल बैंक।
- (2) मोहन, आर. (2006): “ भारत में चलनिधि प्रबंधन की चुनौती” से निपटना: एक प्रयोगकर्ता का दृष्टिकोण, रिजर्व बैंक बुलेटिन, अप्रैल।
- (3) ऑक्टोफेल्ड. एम, शामबाग, जे.सी. और ए.एम.टेलर (2004): “दि ट्राइलेमा इन हिस्ट्री: ट्रेड ऑफिस एमंग एक्सचेंज रेट्स, मॉनिटरी पॉलिसीज एंड कैपिटल मोबिलिटी”, एनबीईआर वर्किंग पेपर सं.10396।
- (4) भारतीय रिजर्व बैंक (2008): वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य, 29 अप्रैल।
- (5) सगगर, एम (2006): “ मॉनिटरी पॉलिसी एंड आपरेशंस इन कंट्रीज विद सरप्लस लिक्विडिटी” इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 18 मार्च।

मौद्रिक नीति का परिचालन

चार्ट III.2: एल ए एफ के अंतर्गत रिपो (+) / रिवर्स रिपो (-)



- 2 जुलाई 2007 के बीच की अस्थायी अवधि को छोड़कर जुलाई 2007 तक जारी रहा। निरंतर पूँजी प्रवाह और 2007-08 की पहली तिमाही के अंत में सरकारी शेषों की गिरावट रिवर्स रिपो की सीमा की

वापसी के पश्चात, रिवर्स रिपो के माध्यम से 6 अगस्त 2007 को 52,070 करोड़ रुपए के चलनिधि के विशाल अवशोषण में, परिलक्षित हुई। अगस्त के दूसरे सप्ताह से सरकारी नकद शेषों में वृद्धि और 4 अगस्त 2007 को शुरू पखवाड़े से सीआरआर में 50 आधार अंक की वृद्धि करके उसे 7.0 प्रतिशत किए जाने के कारण विशाल रिवर्स रिपो के अंतर्गत अवशोषणों में धीरे-धीरे कमी आई। एमएसएस की बकाया राशि अगस्त 2007 के 92,954 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 अगस्त 2007 को 1,06,434 करोड़ रुपए हो गई। तदुपरांत, 28 अगस्त - 13 सितंबर 2007 के दौरान रिजर्व बैंक के पास रखे सरकार के नकद शेषों में कमी के कारण चलनिधि बढ़नी शुरू हो गई। मध्य सितंबर में सरकार को बैंकिंग प्रणाली के अग्रिम कर बहिर्वाहों के कारण एलएएफके अन्तर्गत अवशोषणों में कमी आई। रिजर्व बैंक ने, वास्तव में, इस तिमाही में पहली बार 21 सितंबर 2007 को एलएएफ परिचालनों के माध्यम से (1200 करोड़ रुपए), और बाद में 28 सितंबर 2007 को एक बार और चलनिधि डाली।

III.44 2007-08 की तीसरी तिमाही में चलनिधि दशाएं कुछ आसान रहीं, जो सरकारी आधिक्य और रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की निवल

सारणी 3.5: रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंध परिचालन

(करोड़ रुपए)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2007-08			
					ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क. नकदी के संवाहक (1+2+3+4+5)	59,268	-31,696	62,278	2,04,026	51,146	1,11,169	-1,984	43,695
1. भारिबैं. द्वारा प्रधिकृत व्यापारियों से की गई निवल खरीद	91,105	32,884	118,994	3,12,054	39,791	1,00,896	88,545	82,822
2. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	-40,892	-57,256	-69,786	-84,571	-12,946	9,465	-47,422	-33,667
3. रिजर्व बैंक के पास केंद्र सरकार के अधिशेष नकद शेष	467	-22,726	-1,164	-26,594	49,992	-30,771	-49,820	4,005
4. डब्ल्यूएमए तथा ओडी	0	0	0	0	15,159	-15,159	0	0
5. अन्य (अवशिष्ट)	8,589	15,403	14,234	3,137	-40,850	46,739	6,712	-9,465
ख. चलनिधि का प्रबंध (6+7+8+9)	-57,896	57,969	-24,257	-1,17,743	-53,943	-68,621	-11,189	16,010
6. एलएएफ रिपो का चलनिधि पर प्रभाव	15,315	12,080	36,435	21,165	-20,290	-2,825	27,795	16,485
7. खुले आजार परिचालनों (निवल) का चलनिधि पर प्रभाव*	0	10,740	720	13,510	10	40	5,260	8,200
8. एमएसएस का परिचालनों पर प्रभाव	-64,211	35,149	-33,912	-1,05,419	-18,163	-50,336	-28,244	-8,675
9. सीआरआर में परिवर्तन के कारण प्रथम दौर का चलनिधि प्रभाव	-9,000	0	-27,500	-47,000	-15,500	-15,500	-16,000	0
ग. बैंक आरक्षित निधियां (क +ख) #	1,372	26,273	38,021	86,283	-2,797	42,548	-13,173	59,705

डब्ल्यूएमए : अर्थोपाय अग्रिम ओडी : ओवरड्राफ्ट
 (+) : बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि डालने की स्थिति दर्शाता है।
 (-) : बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि के अवशोषण की स्थिति दर्शाता है।
 # : बैंकों के पास उपलब्ध वाल्ट कैश शामिल है और सीआरआर में परिवर्तन के कारण पहले दौर के चलनिधि प्रभाव के लिए समायोजित किया गया।
 * : समेकित शोधन निधियों हेतु समायोजित तथा निजी स्थानन को शामिल करते हुए।
 टिप्पणी : उक्त आंकड़े 31 मार्च की स्थिति तथा अन्य महीनों के लिए अंतिम शुक्रवार की स्थिति से संबंधित हैं।

खरीद में कुछ कमी को दर्शाता है। अक्टूबर 2007 के दौरान एलएएफ परिचालनों के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा किए गए औसत दैनिक अवशोषण 36,665 करोड़ रुपए के थे। पूँजी अन्तर्वाह में निरंतर वृद्धि ने एमएसएस के लिए 4 अक्टूबर 2007 को 2,00,000 करोड़ रुपए और 7 नवंबर 2007 को 2,50,000 करोड़ की उच्चतम सीमा में ऊर्ध्वगामी संशोधन को आवश्यक बना दिया। चलनिधि दशाएं त्यौहारी मौसम की मुद्रा की मांग और रिजर्व बैंक के पास सरकार के अधिशेष में वृद्धि के कारण अक्टूबर के अंत और नवंबर 2007 के प्रारंभिक भाग में दबाव के अन्तर्गत रहीं। चलनिधि दशाएं कठोर हुईं, जो नवंबर 2007 में सीआरआर में 50 आधार अंक की वृद्धि और केंद्र सरकार के अधिशेष नकद शेषों में वृद्धि को दर्शाती हैं। इसलिए रिजर्व बैंक को चलनिधि डालनी पड़ी, 12-30 नवंबर 2007 के दौरान एलएएफ के अन्तर्गत औसत दैनिक निवल चलनिधि अंतर्वेश 10,341 करोड़ रुपए थी। केंद्र सरकार के अधिशेष नकद शेषों के दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश (20,000 करोड़ रुपए तक), जिसे 4 अक्टूबर 2007 और 19 नवंबर 2007 के बीच अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, को चलनिधि दशाओं में कड़ाई के कारण पुनः चालू किया गया। चलनिधि दशाओं में कड़ाई व्यापक रूप से तिमाही अग्रिम कर बहिर्वाहों के कारण दिसंबर 2007 में जारी रही। एलएएफ के अन्तर्गत औसत दैनिक निवल अंतर्वेश दिसंबर 2007 में 10,804 करोड़ रुपए थी।

III.45 केंद्र सरकार के नकद शेषों के आधिक्य में कमी और उस समय व्यापक पूँजी प्रवाह के कारण रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा परिचालन के चलते 2007-08 की अंतिम तिमाही की शुरुआत में चलनिधि की स्थिति में कुछ नरमी देखी गई। उभरती चलनिधि स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ढाई माह के अंतराल के बाद जनवरी 2008 में एमएसएस के अन्तर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी की गई। तथापि, जनवरी 2008 के दूसरे पखवाड़े में, रिजर्व बैंक के पास केंद्र के नकद शेषों में वृद्धि के कारण चलनिधि आधिक्य कम हुआ। जनवरी 2008 के दौरान दैनिक औसत निवल बकाया चलनिधि अवशोषण 15,692 करोड़ रुपए था। फरवरी 2008 के दौरान, एलएएफ विंडो रिजर्व बैंक के पास

केंद्र सरकार के नकद शेषों के आधिक्य में और वृद्धि के कारण, अवशोषण से चलनिधि डालने के स्वरूप में अंतरित हो गई। फरवरी 2008 में 1,294 करोड़ रुपए की औसत दैनिक निवल बकाया चलनिधि डाली गई। वर्तमान चलनिधि दशाओं को देखते हुए, एमएसएस के अन्तर्गत माह के मध्य से कोई नीलामी नहीं की गई। केंद्र के अधिशेष नकद शेषों में कमी और रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार के परिचालन¹ के अन्तर्गत प्रतिभूतियों की खरीद के कारण मार्च 2008 की शुरुआत से चलनिधि की स्थितियों में नरमी आई। 13 मार्च 2008 को एलएएफ के अन्तर्गत 30,335 करोड़ रुपए का अवशोषण किया गया।

III.46 अग्रिम कर बहिर्वाह चलनिधि की स्थितियां 17 मार्च 2008 से कठोर हुईं और साथ ही साथ केंद्र का आधिक्य 14 मार्च 2008 के 66,241 करोड़ रुपए से बढ़कर 28 मार्च 2008 को 1,03,645 करोड़ रुपए हो गया। रिजर्व बैंक ने अग्रिम कर बहिर्वाह की सामान्य अनुसूची और वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों की मांग की प्रत्याशा में, चलनिधि को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कीं और (i) 14 मार्च 2008 को अतिरिक्त एलएएफ के अन्तर्गत तीन दिवसीय रिपो/रिवर्स रिपो नीलामी, (ii) 17 मार्च 2008 को अतिरिक्त एलएएफ के अन्तर्गत सात दिवसीय रिपो/नीलामी; तथा (iii) 31 मार्च 2008 को अतिरिक्त एलएएफ के अन्तर्गत दो दिवसीय रिपो/रिवर्स रिपो नीलामी की। रिजर्व बैंक ने एलएएफ परिचालनों के माध्यम से 31 मार्च 2008 को 50,350 करोड़ रुपए की चलनिधि डाली (सारणी 3.6)। मार्च 2008 के दौरान 8,271 करोड़ रुपए की औसत दैनिक निवल बकाया चलनिधि डाली गई।

III.47 2000-08 के दौरान, रिजर्व बैंक ने रिपो परिचालन के माध्यम से 86 दिन (2006-07 में 64 दिन) चलनिधि डाली, जबकि इसने रिवर्स रिपो के माध्यम से 225 दिन (2006-07 में 244 दिन) चलनिधि का अवशोषण किया (सारणी 3.7)। 2007-08 के दौरान 75 दिन निवल चलनिधि डाली गई और 171 दिन निवल अवशोषण किया गया (2006-07 के दौरान क्रमशः 48 दिन और 197 दिन)। 26 नवंबर 2007 को एलएएफ के रिपो/रिवर्स रिपो विंडो के अन्तर्गत कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई।

¹ 2007-08 के दौरान, ओएमओ के अंतर्गत खरीदी गई केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुल राशि 13,510 करोड़ रुपए थी। ओएमओ परिचालन रिजर्व बैंक के पोर्टफोलियो में सरकारी प्रतिभूतियों की चुकौती की राशि तक चलनिधि तटस्थ होते हैं।

मौद्रिक नीति का परिचालन

सारणी 3.6: रिजर्व बैंक में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की धारिता

(करोड़ रुपये)

Year	रिजर्व बैंक पर न्यायमन	रिजर्व बैंक द्वारा किया गया प्राइवेट प्लेसमेंट	रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार परिचालन की खरीद	विशेष प्रतिभूतियों का दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तन	रिजर्व बैंक के निवेश स्टॉक में कुल वृद्धि (2+3+4+5)	रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार के परिचालन को बिक्री	स्टॉक में निवल वृद्धि (6-7)	रिजर्व बैंक की बकाया धारिताएं (अवधि के अंत में) *	ज्ञापन: निवल रिपो (+)/ रिवर्स रिपो (-) बकाया #
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1996-97	3,698	-	623	-	4,321	11,206	-6,885	6,666	-2,300
1997-98	7,028	6,000	467	20,000	33,495	8,081	25,414	31,977	-4,202
1998-99	8,205	30,000	-	-	38,205	26,348	11,857	42,212	-400
1999-00	-	27,000	1,244	-	28,244	36,614	-8,370	35,190	-
2000-01	13,151	18,000	4,471	-	35,622	23,795	11,827	41,732	-1,355
2001-02	679	28,213	5,084	-	33,976	35,419	-1,443	40,927	-4,355
2002-03	5,175	31,000	-	40,000	76,175	53,780	22,395	55,438	-2,415
2003-04	-	21,500	-	61,818	83,318	41,849	41,469	77,397	-34,645
2004-05	847	350	-	-	1,197	2,899	-1,702	80,770	-19,330
2005-06	-	10,000	740	-	10,740	4,653	6,087	83,205	-7,250
2006-07	-	-	720	-	720	5,845	-5,125	75,537	29,185
2007-08	-	-	13,510	-	13,510	7,587	5,293	68,965	50,350

*: एलएएफ के अंतर्गत बिक्री की गई प्रतिभूतियों को मिलाकर।

: आंकड़े मार्च के अंत से संबंधित हैं।

III.48 अप्रैल 2008 की शुरुआत से चलनिधि की स्थितियों में मुख्य रूप से केंद्र सरकार के नकद शेषों में काफी कमी के कारण नरमी रही। चलनिधि दशा की समीक्षा करने पर, रिजर्व बैंक ने 17 अप्रैल 2008 को सीआरआर को क्रमशः 26 अप्रैल 2008 और 10 मई 2008 को शुरू पखवाड़े से लागू दो चरणों में प्रत्येक बार 25 आधार अंक बढ़ाकर 8.0 प्रतिशत कर दिया। एमएसएस के अन्तर्गत नीलामी शुरू की गई और 25 अप्रैल 2008 को एमएसएस के अन्तर्गत शेष 1,72,444 करोड़ रुपए हो गए। अप्रैल 2008 के दौरान एलएएफ के अन्तर्गत दैनिक औसत निवल बकाया चलनिधि अवशोषण 26,359 करोड़ रुपए थी। 29 अप्रैल 2008 को जारी वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में सीआरआर को 25 आधार अंक और बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत करने की घोषणा की गई जो 24 मई 2008 को शुरू पखवाड़े से लागू हुई। सीआरआर में वृद्धि को दर्शाते हुए, मई 2008 के दौरान एलएएफ के अन्तर्गत औसत दैनिक अवशोषण घटकर 11,841 करोड़ रुपए हो गए। मई 2008 के दौरान एमएसएस के अन्तर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों की कोई नीलामी नहीं की गई। जून के शुरू में चलनिधि की स्थिति में नरमी आई और 1-9 जून 2008 के दौरान एलएएफ के अन्तर्गत 15,469 करोड़ रुपए का औसत दैनिक निवल अवशोषण किया गया।

III.49 समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक स्थितियों की समीक्षा करने पर तथा मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं की रोकथाम की दृष्टि से, रिजर्व बैंक ने एलएएफ के अन्तर्गत रिपो दर को 12 जून 2008 से 25 आधार अंक बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया। तदुपरांत, अग्रिम कर संग्रहणों के

कारण केंद्र सरकार के शेषों में वृद्धि के चलते, चलनिधि की स्थितियां घाटे के स्वरूप में बदल गईं और 10-27 जून 2008 के दौरान एलएएफ के अन्तर्गत 17,288 करोड़ रुपए की औसत दैनिक चलनिधि डाली गई। मांग दबावों, जो कि अन्तरराष्ट्रीय पण्यों, विशेष रूप से कच्चे तेल और धातु के मूल्यों के निरंतर दबावों के कारण मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुए, को रोकने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 25 जून 2008 से एलएएफ के अन्तर्गत रिपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया और सीआरआर को भी क्रमशः 5 जुलाई और 19 जुलाई 2008 को शुरू पखवाड़े से दो चरणों में 50 आधार अंक (प्रत्येक बार 25 आधार अंक) बढ़ाकर 8.75 प्रतिशत कर दिया। जून 2008 के दौरान कोई एमएसएस नीलामी नहीं की गई। जून के दौरान एलएएफ के माध्यम से 8,622 करोड़ रुपए की औसत दैनिक निवल चलनिधि डाली गई।

II.50 मुख्य रूप से केंद्र सरकार के नकद शेषों में कमी के कारण जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान चलनिधि की स्थिति में नरमी आई लेकिन इसके पश्चात पिछले माह में सीआरआर में दो चरणों में वृद्धि के कारण काफी कठोर हो गई। जुलाई 2008 के दौरान चलनिधि डालने का औसत 27,961 करोड़ रुपए था। जुलाई 2008 में एमएसएस के अन्तर्गत नीलामियां शुरू की गईं और 25 जुलाई 2008 को एमएसएस के अन्तर्गत बकाया शेष 1,71,327 करोड़ रुपए था। रखरखाव अवधि के अंतिम दिन बैंक की आरक्षित निधियों के सुचारु प्रबंधन के लिए बाजार सहभागियों से प्राप्त सुझावों के प्रतिसाद में, रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2008 से

सारणी 3.7: एलएफ के अंतर्गत रिवर्स रिपो / रिपो में लगायी गयी बोलियां

वर्ष / माह	रिवर्स रिपो					रिपो				
	बोलियां प्राप्त होनेवाले दिनों की संख्या	उन दिनों की संख्या जब सभी बोलियां अस्वीकृत हुईं	बोलियां पूर्णतः स्वीकृत होनेवाले दिनों की संख्या	पूर्ण से कम बोलियां स्वीकृत होनेवाले दिनों की संख्या	बोलियों के आंशिक तौर पर स्वीकृत होनेवाले दिनों की संख्या	बोलियां प्राप्त होनेवाले दिनों की संख्या	उन दिनों की संख्या - सभी बोलियां अस्वीकृत	बोलियां पूर्णतः स्वीकृत होनेवाले दिनों की संख्या	पूर्ण कम बोलियां स्वीकृत होनेवाले दिनों की संख्या	बोलियों के आंशिक तौर पर स्वीकृत होनेवाले दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004-05	242	0	242	0	0	23	0	23	0	0
2005-06	244	0	244	0	0	78	0	76@	2	0
2006-07	244	0	234	0	10	64	0	63@	1	0
2007-08	225	0	165	0	60	86	0	86	0	0
अप्रैल	19	0	11	0	8	15	0	15	0	0
मई	21	0	12	0	9	14	0	14	0	0
जून	21	0	2	0	19	2	0	2	0	0
जुलाई	21	0	0	0	21	0	0	0	0	0
अगस्त	21	0	18	0	3	0	0	0	0	0
सितंबर	19	0	19	0	0	2	0	2	0	0
अक्टूबर	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0
नवंबर	11	0	11	0	0	12	0	12	0	0
दिसंबर	13	0	13	0	0	13	0	13	0	0
जनवरी	23	0	23	0	0	7	0	7	0	0
फरवरी	20	0	20	0	0	11	0	11	0	0
मार्च	14	0	14	0	0	10	0	10	0	0
2008-09	48	0	48	0	0	45	0	45	0	0
अप्रैल	18	0	18	0	0	1	0	1	0	0
मई	19	0	19	0	0	7	0	7	0	0
जून	6	0	6	0	0	16	0	16	0	0
जुलाई	5	0	5	0	0	21	0	21	0	0

@ : 24 जनवरी 2006, 23 मार्च 2006 और 4 अप्रैल 2006 को प्रत्येक दिन तकनीकी आधार पर एक बोली स्वीकृत नहीं होने के कारण पूर्णतः बोलियां स्वीकृत होनेवाले दिनों की संख्या बोलियों की प्राप्ति वाले दिनों की संख्या से कम है।

- टिप्पणी : 1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए 29 अक्टूबर 2004 से रिपो और रिवर्स रिपो के नाम बदले गए। अब रिवर्स रिपो से आशय नकदी को सोखने / आत्मसात करने से है जबकि रिपो से आशय नकदी संचरित करने से है। 29 अक्टूबर 2004 से पहले रिपो से आशय नकदी आत्मसात करने से और रिवर्स -रिपो से आशय नकदी संचरित करने से था।
2. 28 नवंबर 2005 से आंकड़ों में एलएफ का दूसरा चरण शामिल है। 6 अगस्त 2007 को दूसरे एलएफ को समाप्त कर दिया गया। 1 अगस्त 2008 से रिपोर्टिंग शुक्रवार को दूसरे एलएफ को दुबारा शुरू किया गया।
3. 5 मार्च और 5 अगस्त 2007 के बीच रिवर्स-रिपो के अंतर्गत दैनिक आधार पर आत्मसात की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 3,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई जिसमें से एलएफ के प्रथम चरण के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये तथा दूसरे चरण के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई।

रिपोर्टिंग शुक्रवार को दूसरे एलएफ (एसएलएफ) की शुरुआत की। 1-14 अगस्त 2008 के दौरान एलएफ के अंतर्गत 22,928 करोड़ रुपए की औसत दैनिक निवल चलनिधि डाली गई।

III.51 कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के समक्ष उपस्थित चलनिधि और अन्य संबंधित समस्याओं के प्रणालीगत निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार के सुचारु संचालन और समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए 30 मई 2008 को विशेष बाजार परिचालन (एसएमओ) की घोषणा की। ये परिचालन 5 जून 2008 से शुरु किए गए। एसएमओ के अंतर्गत, रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खातों में रखे गए तेल बांडों में निर्दिष्ट बैंकों के माध्यम से द्वितीयक बाजार में खुले बाजार की क्रियाएं (भारतीय रिजर्व

बैंक के विवेक पर तत्काल अथवा रिपो) संचालित कीं बशर्ते कि किसी एकल दिवस पर 1500 करोड़ रुपए (11 जून 2008 को 1000 करोड़ रुपए से संशोधित) की समग्र अधिकतम सीमा हो और इसने तेल कंपनियों को बाजार विनिमय दर पर निर्दिष्ट बैंकों के माध्यम से समतुल्य विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई। विदेशी मुद्रा का निपटान और सरकारी प्रतिभूतियों के चरणों का संचालन समकालिक रूप से इस प्रकार किया गया कि चलनिधि का कोई प्रभाव न हो। ये परिचालन, स्वरूप में, तदर्थ, अस्थायी और आपवादिक थे तथा निरंतर आधार पर इनकी समीक्षा की जाती थी। एसएमओ के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा खरीदे गए तेल बांडों की कुल राशि 19,325 करोड़ रुपए थी। एसएमओ एक आपवादिक उपाय था जो वित्तीय स्थिरता के हित में लिया गया था। इसे 8 अगस्त 2008 में समाप्त कर दिया गया।

IV.1 रिजर्व बैंक ने 2007-08 के दौरान बैंकों के लिए पोषक वातावरण बनाकर विशेष रूप से कृषि और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण सुपुर्दगी में सुधार करने के अपने प्रयास जारी रखे। रिजर्व बैंक ने अधिक वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को संवर्धित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। ऋण सुपुर्दगी सुधारने और वित्तीय समावेशन का संवर्धन करने की दृष्टि से 2007-08 के दौरान अनेक उपाय किए गए। इसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने पर दिशानिर्देशों में संशोधन शामिल है जिसमें निम्न बातों पर बल दिया गया था: जनसंख्या के बड़े भाग को प्रभावित करने वाले तथा अधिक रोजगार देने वाले अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की ओर ऋण प्रवाह बढ़ाना; ग्रामीण सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाना; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्संरचित करना जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य सेवादाता हैं। रिजर्व बैंक ने स्व-सहायता समूहों, व्यष्टि वित्त संस्थाओं जैसे उधार देने के बहुविध माध्यमों को प्रोत्साहन देने और कारोबार सुविधादाता/ कारोबार प्रतिनिधि मॉडल अपनाने; और कृषि तथा व्यष्टि, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों को ऋण देने की क्रियाविधि और प्रक्रिया को सरल बनाने पर बल देना भी जारी रखा। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से अब तक वंचित रहे जनसंख्या के घटकों को ये सेवाएं उपयुक्त लागत पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जिससे उनकी पहुंच बढ़ेगी और लेनदेन लागत घटेगी।

IV.2 उक्त पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था के जरूरतमंद क्षेत्रों की ओर ऋण प्रवाह सुधारने¹; व्यष्टि वित्त को प्रोत्साहन देने; और वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श के संवर्धन के लिए की गई पहलों की रूपरेखा दी गई है। रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जिनसे 30 अप्रैल 2007 से लक्ष्यों की गणना व्यापक आधार पर की जाती है (इसमें एचटीएम श्रेणी में रखे गैर-एसएलआर बांडों में निवेश और निवल बैंक ऋण शामिल हैं)। इन दिशानिर्देशों का निहित सिद्धांत प्राथमिकता

प्राप्त क्षेत्र को बैंक ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना है। इस अध्याय में रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण सुगम बनाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को भी दर्शाया गया है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकों द्वारा कृषि को दिया गया वास्तविक ऋण सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पिछले चार में से प्रत्येक वर्ष में पार कर गया था। केंद्रीय बजट 2008-09 में घोषित कृषि ऋण माफी और ऋण राहत सहित किसानों के लिए किए गए विभिन्न उपायों की भी चर्चा की गई है। व्यष्टि और लघु उद्यमों की ओर ऋण प्रवाह में की गई प्रगति के साथ रुग्ण व्यष्टि और लघु क्षेत्र के उद्यमों को ऋण की स्थिति प्रस्तुत की गई है। व्यष्टि वित्तीय कार्य और बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्य की भी स्व-सहायता समूहों द्वारा खाते रखने में पारदर्शिता सुधारने के लिए की गई पहलों के साथ चर्चा की गई है। 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए आधारभूत बैंकिंग 'नो फ्रिल्स' खाते उपलब्ध कराने में हुई प्रगति कवर की गई है। विकास लागत पूरी करने के लिए संघीय बजट 2007-08 में घोषित वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की स्थूल विशेषताएं और वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए संवर्धनात्मक हस्तक्षेप और प्रौद्योगिकी अपनाने की लागत भी कवर की गई है। वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए अन्य जारी अनेक उपाय जैसे प्रायोगिक आधार पर विभिन्न वित्तीय साक्षरता केंद्रों और ऋण परामर्श की स्थापना, राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता अभियान की शुरुआत, अनौपचारिक स्रोतों से लिंकेज बनाना जिसमें उपयुक्त विधान से उचित रक्षोपाय शामिल हों, कम लागत के विप्रेषण उत्पादों की सुगमता के लिए आइटी समाधानों के लिए उद्योगों के मानक बनाना भी इस अध्याय में सम्मिलित हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार

IV.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर आंतरिक कार्य दल (अध्यक्ष: सी.एस.मूर्ति)द्वारा सितंबर 2005 में प्रस्तुत मसौदा तकनीकी पेपर और उस पर सरकारों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, एनबीएफसी, उद्योग संघों, मीडिया, जनता और भारतीय बैंक संघ

¹ ऋण के क्षेत्रवार/उद्योगवार विनियोजन पर चर्चा के संदर्भ के लिए कृपया अध्ययन II.3 देखें।

से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार पर दिशानिर्देश 30 अप्रैल 2007 से संशोधित किए गए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार पर संशोधित दिशानिर्देशों के मार्गदर्शी सिद्धांतों का लक्ष्य जनसंख्या के बड़े भाग और कमजोर वर्गों को प्रभावित करनेवाले समाज/अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों की ओर और कृषि अति लघु तथा लघु उद्यमों जैसे रोजगार की बहुतायतता वाले क्षेत्रों की ओर पर्याप्त बैंक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के लक्ष्य देशी और विदेशी बैंकों के मामले में क्रमशः 40 प्रतिशत और 32 प्रतिशत थे। किंतु, इनकी गणना पूर्ववर्ती निवल बैंक ऋण के प्रतिशत के स्थान पर अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक ऋण, (एएनबीसी) (निवल बैंक ऋण+ बैंकों द्वारा एचटीएम श्रेणी में धारित गैर एसएलआर बांडों में किया गया निवेश) या पिछले लेखा वर्ष के 31 मार्च की तुलनापत्रेतर एक्सपोजर (ओबीई) की ऋणतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, के रूप में की जाती है। बकाया एफसीएनआर (बी) और एनआरएनआर जमा राशि शेष की अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के प्रयोजनार्थ समायोजित निवल बैंक ऋण की गणना के लिए कटौती नहीं की जाती।

IV.4 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित है कि वे समायोजित निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत या ओबीई के ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, कमजोर वर्गों को उधार दें। किंतु, यह उल्लेख किया गया था कि अधिकांश बैंक कमजोर वर्गों को उधार देने का यह उप-लक्ष्य पूरा नहीं कर रहे थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कमजोर वर्गों को उधार देने का उप-लक्ष्य पूरा हो, रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे नाबार्ड में रखी ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि या अन्य वित्तीय संस्थाओं की निधि में योगदान के लिए राशि के आबंटन के प्रयोजनार्थ अप्रैल 2009 से कमजोर वर्गों को उधार देने में रही कमी की राशि भी हिसाब में लें।

IV.5 2008-09 के रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अनुमति दी गई है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के 60 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणी में रखी उनकी ऋण आस्तियां बेच सकते हैं।

IV.6 सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का समग्र लक्ष्य पूरा किया। यद्यपि निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों ने सामूहिक रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारों का समग्र लक्ष्य मार्च 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार पूरा किया था, निजी क्षेत्र के 23 बैंकों में से दो और 28 विदेशी बैंकों में से चार ने क्रमशः 40 प्रतिशत और 32 प्रतिशत का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का समग्र लक्ष्य पूरा नहीं किया था (सारणी 4.1)

IV.7 बैंकों द्वारा कृषि को उधार, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में, 18 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से लगातार कम बने रहे। किंतु, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों के संदर्भ में निवल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में बकाया कृषि अग्रिम पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़े हैं। 30 अप्रैल 2007 से लक्ष्य एएनबीसी या ओबीई

सारणी 4.1: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम

(राशि करोड़ रूप में)

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2002	1,71,484 (43.5)	24,184 (38.4)	9,936 (34.6)
2003	1,99,786 (41.2)	36,648 (44.1)	14,555 (33.1)
2004	2,44,456 (43.6)	48,920 (47.3)	17,960 (34.1)
2005	3,07,046 (42.8)	69,886 (43.6)	23,843 (35.3)
2006	4,09,748 (40.3)	1,06,586 (42.8)	30,439 (34.4)
2007	5,21,376 (39.7)	1,44,549 (42.9)	37,831 (33.4)
2008*	6,08,963 (44.6)	1,63,223 (47.5)	50,301 (39.5)

*: आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े मार्च को 2008 को छोड़कर निवल बैंक ऋण का प्रतिशत हैं जो संबंधित समूहों में एएनबीसी के प्रतिशत या ओबीई के समतुल्य क्रेडिट, जो भी अधिक हो, है।

2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के प्रति कुल अग्रिमों का लक्ष्य निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत (देशी बैंकों के लिए) और 32 प्रतिशत (विदेशी बैंकों के लिए) है। 30 अप्रैल 2007 से लक्ष्य एएनबीसी या ओबीई के समतुल्य क्रेडिट, जो भी अधिक हो, से लिंक किए गए हैं।

के समतुल्य क्रेडिट, जो भी अधिक हो, से जोड़े गए हैं (सारणी 4.2)।

IV.8 पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी में कृषि का हिस्सा कम हो जाने के बावजूद भोजन और निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या अपरिवर्तित रही है। अतः, कृषि क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने अनेक उपाय किए। विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों से अपेक्षित है कि वे वर्ष के दौरान (अप्रैल - मार्च) पूरे करने के लिए स्व-निर्धारित लक्ष्य बनाएं। बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य सामान्यतः पिछले वर्ष संवितरित राशि से लगभग 20 से 25 प्रतिशत अधिक होते हैं। विशेष कृषि ऋण योजना लागू करने से कृषि क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह 1994-95 के 8,255 करोड़ रुपए से काफी बढ़कर 2006-07 में 1,22,443 करोड़ रुपए हो गया। योजना के अंतर्गत 2006-07 के दौरान कृषि को किया गया संवितरण 1,18,160 करोड़ रुपए के अनुमान से अधिक था। वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए 1,52,133 करोड़ रुपए के लक्ष्य के प्रति योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कृषि को 1,11,543 करोड़ रुपए (अनंतिम) का संवितरण किया था। बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबंधित कार्यों के लिए ऋण प्रवाह पर परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष: श्री वी.एस. व्यास) की सिफारिशों के अनुसार, 2004-05 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि

समीक्षा में 2005-06 से निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विशेष कृषि ऋण योजना प्रणाली लागू की गई। निजी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत 2006-07 के दौरान कृषि को किया गया संवितरण 44,093 करोड़ रुपए था जबकि लक्ष्य 40,656 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2007-08 में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि के लिए संवितरण करने का लक्ष्य 41,427 करोड़ रुपए था, यह 45,905 करोड़ रुपए (अनंतिम) था (सारणी 4.3)।

IV.9 कृषि की ओर ऋण प्रवाह को तीन वर्ष की अवधि के भीतर दुगुना करने और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को वित्तीय विवेक सम्मत सीमा तक कुछ राहत देने की दृष्टि से केंद्रीय वित्त मंत्री ने 18 जून 2004 को अनेक उपायों की घोषणा की। तदनुसार, रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने बैंकों के लिए आवश्यक परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए। एकदम शुरु से ही वास्तविक संवितरण लक्ष्य से पिछले चार वर्षों में से प्रत्येक में अधिक रहा (सारणी 4.4)। 2007-08 के 2,25,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में सभी बैंकों ने 2,25,348 करोड़ रुपए (अनंतिम) का संवितरण किया। 2007-08 के दौरान, वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 7.29 मिलियन नए किसानों का वित्तपोषण किया गया, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष के लिए निर्धारित यह लक्ष्य 5 मिलियन किसान था। वित्त मंत्री ने 2008-09 के अपने बजट अभिभाषण में बैंकों से अनुरोध किया कि वे 2008-09 के दौरान ऋण स्तर को 2,80,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाएं।

सारणी 4.2: बकाया कृषि अग्रिम

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को	(राशि करोड़ रुपए में)			
	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक	
	बकाया राशि	निवल बैंक ऋण का प्रतिशत	बकाया राशि	निवल बैंक ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2002	58,142	14.8	6,581	8.5
2003	70,501	14.5	9,924	10.9
2004	84,435	15.1	14,730	12.7
2005	1,09,917	15.3	21,636	12.3
2006	1,55,220	15.3	36,712	13.6
2007	2,02,614	15.4	52,034	12.7
2008*	2,48,685	17.4	57,702	15.4

*: आंकड़े अनंतिम हैं।
टिप्पणी: देशी बैंकों के लिए कृषि अग्रिमों का लक्ष्य निवल बैंक ऋण के 18 प्रतिशत है। 30 अप्रैल 2007 से लक्ष्य एएनबीसी या ओबीई के समतुल्य क्रेडिट, जो भी अधिक हो, से लिंक किए गए हैं।

सारणी 4.3: विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत संवितरण

वर्ष	(राशि करोड़ रुपए में)			
	लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य प्राप्ति (प्रतिशत)	संवितरण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) (प्रतिशत)
	1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र के बैंक				
2004-2005	55,616	65,218	117.3	54.5
2005-2006	85,024	94,278	110.9	44.6
2006-2007	1,18,160	1,22,443	103.6	29.9
2007-2008*	1,52,133	1,11,543	73.3	
निजी क्षेत्र के बैंक				
2005-2006	24,222	31,199	128.8	
2006-2007	40,656	44,093	108.5	41.3
2007-2008*	41,427	45,905	110.8	

*: अनंतिम।

सारणी 4.4: बैंकों द्वारा कृषि को वास्तविक संवितरण और लक्ष्य

(राशि करोड़ रुपए में)

एजेंसी	(2004-05)		(2005-06)		(2006-07)		(2007-08)*	
	लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वाणिज्य बैंक	57,000	81,481	87,200	1,25,477	1,19,000	16,64,486	1,50,000	1,56,850
सहकारी बैंक	39,000	31,231	38,600	39,786	41,000	42,480	52,000	43,684
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8,500	12,404	15,200	15,223	15,000	20,435	23,000	24,814
अन्य एजेंसिया		193						
कुल	1,05,000	1,25,309	1,41,000	1,80,486	1,75,000	2,29,401	2,25,000	2,25,348

* : अंतिम।
स्रोत : नाबार्ड।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

IV.10 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना 1998-99 में शुरू की गई थी ताकि किसान कृषि हेतु निविष्टियां खरीद सकें और अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए सहजता से और किफायती ढंग से नकदी आहरित कर सकें। 2006-07 के दौरान सरकारी क्षेत्रों के बैंकों ने 4.8 मिलियन केसीसी जारी किए जिनकी ऋण सीमा 26,215 करोड़ रुपए थी। 2007-08 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 4.6 मिलियन केसीसी जारी किए थे जिनकी ऋण सीमा 59,582 करोड़ रुपए थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी केसीसी की संचयी संख्या 31 मार्च 2008 को 31.22 मिलियन (अंतिम) थी जिसमें 1,54,294 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी।

ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ)

IV.11 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और/या कृषि उधार के लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे आरआइडीएफ में वह राशि जमा करें जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाए। यह निधि 13 वर्षों से परिचालन में है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2007-08 के अपने बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में नाबार्ड में आरआइडीएफ - XIII की स्थापना की गई जिसकी मूल निधि 12,000 करोड़ रुपए थी और भारत निर्माण कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क घटक के लिए 4,000 करोड़ रुपए की मूल निधि के साथ अलग व्यवस्था रखी गई। इसमें योगदान उन देशी बैंकों का था जिन्होंने मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और / या कृषि उधार के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए थे।

IV.12 भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण सड़क घटक के लिए आरआइडीएफ के अंतर्गत की अलग व्यवस्था सहित आरआइडीएफ (I से XIII) के अंतर्गत का कुल विनिधान 80,000 करोड़ रुपए था। आरआइडीएफ के विभिन्न चरणों (I से XIII) के अंतर्गत राज्य सरकारों और राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) को स्वीकृत संचयी स्वीकृतियां 31 मई 2008 को क्रमशः 74,159 करोड़ रुपए और 8,000 करोड़ रुपए थीं। आरआइडीएफ के विभिन्न चरणों (I से XIII) के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को किया गया संचयी संवितरण उक्त तिथि को 46,601 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के निधीयन के लिए एनआरआरडीए को अब तक 4,500 करोड़ रुपए का ऋण संवितरित किया गया। 2007-2008 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को 12,795 करोड़ रुपए का कुल ऋण स्वीकृत किया गया। 2007-08 के दौरान आरआइडीएफ के विभिन्न चरणों के अंतर्गत संवितरित राशि 8,035 करोड़ रुपए थी।

IV.13 केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2008-09 के केंद्रीय बजट में 2008-09 के लिए नाबार्ड में 14,000 करोड़ रुपए की मूल निधि वाले आरआइडीएफ XIV की, भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण सड़क घटक के लिए आरआइडीएफ XIV के गठन की घोषणा की जिसमें 4,000 करोड़ रुपए की अलग मूल निधि होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में कुछ अन्य निधियां भी स्थापित की जाएंगी जिनमें उन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का अंशदान होगा जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार देने के अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए हैं। ये निधियां जून 2008 में स्थापित की गईं और मूलनिधि विनिधान को अगस्त 2008 में संशोधित किया गया।

संशोधित मूलनिधि विनिधान निम्नवत् हैं :- नाबार्ड के साथ आरआइडीएफ XIV के लिए 10,000 करोड़ रुपए और अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) (पुनर्वित्त) निधि के लिए 5,000 करोड़ रुपए; सिडबी के साथ व्यष्टि, लघु और मझौले (एमएसई)(पुनर्वित्त) निधि के लिए 1,600 करोड़ रुपए और एमएसई (जोखिम पूंजी) निधि के लिए 1,000 करोड़ रुपए; और एनएचबी के साथ ग्रामीण आवास निधि के लिए 1,000 करोड़ रुपए। 2008-09 के दौरान भारत निर्माण कार्यक्रम के ग्रामीण सड़क घटक के लिए आरआइडीएफ XIV की अलग विंडो के अंतर्गत मूलनिधि विनिधान 4,000 करोड़ रुपए पर अपरिवर्तित रखा गया है।

IV.14 2008-09 के दौरान आइआइडीएफ XIV के अंतर्गत बारह राज्य सरकारों को कुल 2,572 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया जिसमें व्यथित किसानों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री राहत पैकेज में पहचाने गए दो राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के आपदाग्रस्त जिलों को स्वीकृत 277 करोड़ रुपए शामिल हैं। 2008-09 के दौरान आरआइडीएफ XIV के अंतर्गत किया गया संवितरण 58 करोड़ रुपए था।

IV.15 मांग के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रियों की वसूली हाल के वर्षों में बढ़ गई (सारणी 4.5)। मांग के प्रतिशत के रूप में वसूली 2003-04 के बाद सुधर गई और 80 प्रतिशत बनी रही।

किसानों के लिए राहत के उपाय

IV.16 वर्ष के दौरान, किसानों की कठिनाइयां कम करने के लिए अनेक उपाय किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2006-07 के बजट

अभिभाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे 2005-06 के खरीफ और रबी के दौरान बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्येक फसल ऋण पर 1 लाख रुपए तक के मूल धन पर ब्याज दर में दो प्रतिशत अंक की राहत दें और इस प्रकार दी गई राहत को 31 मार्च 2006 से पहले उधारकर्ता के खाते में जमा करें। इसके अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2006-07 के अपने बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि खरीफ 2006-07 से, सरकार द्वारा किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में उन्हें 2 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर सहायता दी जाएगी। इस संबंध में बैंकों द्वारा प्रस्तुत दावों की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार ने 1,100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए।

IV.17 सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि नियत तिथि अर्थात् 31 मार्च 2007 तक भुगतान न कर सके किंतु 30 जून 2007 से पहले चुकौती किए/करने की संभावना वाले विदर्भ क्षेत्र के किसानों/उधारकर्ताओं के संबंध में 1 अप्रैल 2007 से 30 जून 2007 तक की अवधि के लिए एकबारगी उपाय के रूप में अतिरिक्त अर्थसहायता दी जाए। 30 जून 2007 तक प्रदान की गई अर्थसहायता खरीफ ऋण की चुकौती के संबंध में थी। सरकार ने 2007-08 और 2008-09 के केंद्रीय बजट में घोषणा की कि अल्पावधि फसल ऋण की दो प्रतिशत अर्थसहायता की योजना 2007-08 और 2008-09 के लिए भी जारी रहेगी।

IV.18 देश के कुछ क्षेत्रों में एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) फैल गया था। मुर्गियों को नष्ट करने और कुक्कुट उत्पादों की मांग में तेज गिरावट के कारण हुई हानि को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को निम्न बातों पर विचार करने की सूचना दी (i) 31 दिसंबर 2007 को/के पश्चात भुगतान हेतु देय हुए किंतु भुगतान न किए गए कार्यशील पूंजी ऋणों पर देय मूलधन और ब्याज तथा साथ ही सावधि ऋणों पर किस्त और ब्याज को सावधि ऋणों में परिवर्तित करके ऐसे ऋणों की वसूली एक वर्ष तक की प्रारंभिक अधिस्थगन के साथ तीन वर्षों तक की अवधि में किस्तों में करना; (ii) सावधि ऋण की बकाया राशि की पुनर्संरचना करना जिसमें

सारणी 4.5: सरकारी क्षेत्र के बैंक -प्रत्यक्ष कृषि अग्रियों की वसूली

(राशि करोड़ रुपए में)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली	अतिरिक्त	मांगकेप्रति वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2004	33,544	25,002	8,542	74.5
2005	45,454	35,733	9,721	78.6
2006	46,567	37,298	9,269	80.1
2007@	73,802	58,840	14,958	79.7

@ : आंकड़े अनंतिम।

यूनिट की नकदी प्रवाह उत्पत्ति क्षमता के आधार पर एक वर्ष तक की अधिस्थगन अवधि देना; (iii) पुनर्संरचना/रूपांतरण 30 अप्रैल 2008 को उससे पहले पूरा करना; (iv) पुनर्संरचित/रूपांतरित ऋणों को चालू देयताएं मानना। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि उधारकर्ता नए आवश्यकता आधारित वित्त के लिए पात्र होंगे और राहत उपायों को कुक्कुट उद्योग के सभी खातों तक बढ़ाया जाए जो 31 दिसंबर 2007 की स्थिति के अनुसार मानक खातों के रूप में वर्गीकृत किए गए थे।

IV.19 केंद्रीय बजट, 2008-09 में निम्न घोषणाएं की गईं (i) किसानों के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत की योजना जिसमें माफी दिए जा रहे अतिदेय ऋणों का कुल अनुमानित मूल्य 50,000 करोड़ रुपए था; और (ii) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा कार्यान्वयन के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिदेय ऋण पर एकबारगी निपटान राहत। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक और नाबार्ड के साथ परामर्श करके इस योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया और 23 मई 2008 को यह योजना अधिसूचित की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 23 मई 2008 को पुनः घोषणा की कि इस योजना की लागत लगभग 71,680 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया कि वे इस योजना को लागू करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें। जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा किया जाना था। नाबार्ड ने ऐसे ही दिशानिर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं को जारी किए (बाक्स IV.1)। इस योजना के वित्तपोषण का मोड यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार उधारदाता संस्थाओं को विधिवत प्रमाणित और लेखापरीक्षित दावों के आधार पर प्रतिपूर्ति संबंधित नोडल एजेंसियों (रिजर्व बैंक और नाबार्ड, जैसा भी मामला हो) के माध्यम से किस्तों में करेगी।

IV.20 रिजर्व बैंक ने कृषि ऋण प्राप्ति की क्रियाविधि और प्रक्रिया की जांच के लिए कार्य दल (अध्यक्ष : श्री सी.पी.स्वर्णकार) का गठन किया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2007 में प्रस्तुत की। किसानों द्वारा 'शून्य देयता' प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त करने की दृष्टि से सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को सूचित किया गया कि वे छोटे और सीमांत किसानों और बटाईदारों और उन जैसे लोगों को दिए 50,000 रुपए तक के छोटे ऋणों के लिए शून्य देयता प्रमाणपत्र की आवश्यकता समाप्त करके उसके बदले उधारकर्ताओं से स्व-घोषणा प्राप्त करें। इसके अलावा, भूमिहीन श्रमिकों, बटाईदारों

और मौखिक पट्टेदारों द्वारा पहचान / हैसियत के दस्तावेज प्रस्तुत करने की समस्या के समाधान के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे उधारकर्ताओं की इन श्रेणियों को दिये जाने वाले ऋणों के मामले में फसल उगाने संबंधी स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र स्वीकार करें।

IV.21 भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण प्रस्तुता पर समिति (अध्यक्ष : डा. आर. राधाकृष्ण) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण अवशोषण क्षमता, जोखिम घटाने की प्रथाओं की आवश्यकता, चक्रीय ऋण प्रणाली, विवाद निपटान तंत्र और ऋण शोधन निधि के गठन संबंधी मामलों पर ध्यान दिया गया। 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसरण में एक आंतरिक कार्य दल (अध्यक्ष : श्री वी.एस.दास) का गठन किया गया जिसका दायित्व राधाकृष्ण समिति की उन सिफारिशों की जांच करना था जो सामान्य रूप से बैंकिंग प्रणाली से और विशेष रूप से रिजर्व बैंक से संबंधित थीं। इस आंतरिक दल ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2008 में प्रस्तुत की। इस दल की सिफारिशों के आधार पर 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गई कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित प्रत्येक देशी वाणिज्य बैंक से कहा जाएगा कि वह किसानों को ऋण सीमा के 20 प्रतिशत मूल भाग के निरंतर उपयोग के लिए समर्थ बनाने के लिए वे प्रायोगिक आधार पर सरलीकृत चक्रीय ऋण उत्पाद प्रारंभ करने के लिए एक जिले का चयन करें। इस व्यवस्था से ब्याज भुगतान होने तक न्यूनतम चलनिधि वर्ष भर सुनिश्चित रहेगी। भूमिहीन श्रमिकों, बटाईदारों, काश्तकारों और मौखिक पट्टेदारों के लिए फसल ऋण की सरलीकृत क्रियाविधि शुरू करने की भी घोषणा की गई जिससे बैंक ऐसा शपथपत्र स्वीकार कर पाएंगे जिसमें किसी स्वतंत्र प्रमाणन की आवश्यकता के बिना 50,000 रुपए तक के ऋणों के लिए ऐसे लोगों द्वारा भूमि जुताई/ फसल उगाई का ब्योरा दिया गया हो। बैंक ऐसे लोगों को उधार देने के लिए संयुक्त देयता समूह / स्व-सहायता समूह प्रणाली को भी प्रोत्साहन दे सकते हैं। उक्त घोषणा के कार्यान्वयन की क्रियाविधि को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

व्यष्टि और लघु उद्यमों को ऋण का प्रवाह

IV.22 व्यष्टि और लघु उद्यम उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण और नाजुक घटक होते हैं। लघु उद्यम मूल्य योजन, रोजगार उत्पत्ति, राष्ट्रीय आय के समवितरण, उद्योगों के क्षेत्रवार फैलाव, पूंजी-जुटाव और उद्यमी-

बॉक्स IV.1

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008

वित्त मंत्री ने 2008-09 के अपने बजट अभिभाषण में किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की। इस योजना में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी ऋण संस्थाओं (शहरी सहकारी बैंकों सहित) और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों द्वारा 'सीमांत और छोटे किसानों' तथा 'अन्य किसानों' को दिए गए प्रत्यक्ष कृषि ऋण कवर हुए हैं।

इस योजना के अंतर्गत 'प्रत्यक्ष कृषि ऋण' में एकल किसानों के समूहों (उदाहरणार्थ, स्व-सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह) को प्रत्यक्ष रूप से दिए गए ऋणों सहित कृषि के प्रयोजनार्थ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से दिए गए अल्पावधि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण शामिल होते हैं बशर्ते बैंक उस समूह के प्रत्येक किसान को दिए गए ऋण के अलग-अलग आंकड़े रखते हों या ऐसा डाटा एस्पेचजी के स्तर पर रखा जाता है (उधारदाता संस्था के संतोष के अनुसार उसकी खाता बही में दिखा है)। 'अल्पावधि उत्पादन ऋण' को उस ऋण के रूप में परिभाषित किया गया था जो फसल उगाने के लिए दिया जाता है और जिसकी चुकौती 18 माह के भीतर की जाती है। इसमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक रोपण और बागवानी के लिए 1 लाख रुपए से अनधिक का कार्यशील पूंजीगत ऋण शामिल होता है। 'निवेश ऋण' में निरर्थक आस्तियों के प्रतिस्थापन और उन्हें बनाए रखने संबंधी परिव्यय पूरा करने के लिए और भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए अभिकल्पित पूंजीगत निवेश के लिए प्रत्यक्ष कृषि कार्यों हेतु दिया गया ऋण; और कृषि से संबद्ध कार्यों के संदर्भ में आस्ति प्राप्त के लिए संबद्ध कार्यों के लिए दिया गया ऋण शामिल हैं। इस योजना में दी गई परिभाषा के अनुसार 'सहकारी ऋण संस्था' का अर्थ वह सहकारी समिति है जो किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देती है और जो केंद्र सरकार से ब्याज सहायता पाने हेतु पात्र है; रिजर्व बैंक या नाबार्ड द्वारा विनियमित या पर्यवेक्षित बैंकिंग कार्य करती है; या किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे या दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे का भाग है। 1 हेक्टेयर (2.5 एकड़) तक की कृषि भूमि में खेती करने वाले किसान (स्वामी या काशतकार या बटाईदार के रूप में) का उल्लेख सीमांत किसान के रूप में किया गया है तथा 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर (5 एकड़) तक की कृषि भूमि में कृषि करने वाले किसान (स्वामी या काशतकार या बटाईदार के रूप में) को छोटे किसान की श्रेणी में रखा गया है। उसी प्रकार, 2 हेक्टेयर से अधिक (5 एकड़ से अधिक) की कृषि भूमि में खेती करने वाले किसान को 'अन्य किसान' कहा गया है।

ऋण माफी योजना में उस किसान को 'छोटा और सीमांत किसान' कहा गया है जिसने संबद्ध कार्यों के लिए निवेश ऋण लिया था जहां मूल ऋण राशि 50,000 रुपए से अधिक नहीं थी और 'अन्य किसान' उस किसान को कहा गया था जिसके मामले में यह राशि 50,000 रुपए से अधिक थी, भले ही इन दोनों मामलों में भू-धारण, यदि कोई हो, का आकार कुछ भी हो। अल्पावधि उत्पादन ऋण के मामले में ऐसी ऋण राशि (लागू ब्याज के साथ) और निवेश ऋण के मामले में ऐसे ऋण की किस्त जो अतिदेय है (ऐसी किस्तों पर लागू ब्याज के साथ) ऋण माफी या ऋण राहत, जैसा भी मामला हो, के लिए पात्र थी बशर्ते ऐसा ऋण (क) 31 मार्च 2007 तक संवितरित और 31 दिसंबर 2007 को अतिदेय हो तथा जिसकी 29 फरवरी 2008 तक चुकौती नहीं हुई थी; (ख) बैंकों द्वारा 2004 और 2006 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के

माध्यम से पुनर्संचित और पुनर्निर्धारित किया गया हो, भले ही वह अतिदेय हो या न हो; और (ग) प्राकृतिक आपदा के आधार पर रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2007 तक सामान्य रूप से पुनर्संचित और पुनर्निर्धारित किया गया हो, भले ही वह अतिदेय हो या न हो।

ऋण माफी योजना छोटे या सीमांत किसानों की संपूर्ण 'पात्र राशि' माफ करने के लिए घोषित की गई थी। 'अन्य किसानों' के मामले में इस योजना में एकबारगी निपटान योजना की घोषणा की गई जिसके अंतर्गत किसान को 'पात्र राशि' के 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी बशर्ते किसान 'पात्र राशि' के शेष 75 प्रतिशत का भुगतान कर दें। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, जिला विकास कार्यक्रम क्षेत्र और प्रधानमंत्री विशेष राहत पैकेज जिला (योजना के अनुबंध I में सूचीबद्ध) कवर करने वाले 237 राजस्व जिलों के मामले में 'अन्य किसानों' के लिए इस योजना में 'पात्र राशि' की 25 प्रतिशत या 20,000 रुपए, जो भी अधिक हो, की एकबारगी रियायत देने का प्रावधान है बशर्ते किसान शेष 'पात्र राशि' का भुगतान कर दें।

इस योजना में 'छोटे किसान' या 'सीमांत किसान' के रूप में श्रेणीबद्ध किसान पात्र राशि की माफी के बाद नए कृषि ऋण के लिए भी पात्र बनाए गए थे। अल्पावधि उत्पादन ऋण के मामले में 'अन्य किसान' उनके हिस्से के एक-तिहाई भाग के भुगतान के बाद नए अल्पावधि उत्पादन ऋण के लिए पात्र बनाए गए जबकि किसी निवेश ऋण (प्रत्यक्ष कृषि कार्यों या संबद्ध कार्यों के लिए) के मामले में 'अन्य किसान' अपने पूरे हिस्से का भुगतान करने के बाद पात्र बनेंगे।

इस योजना में खड़ी फसल से भिन्न किसी कृषि उत्पाद के गिरवी या दृष्टिबंधक की जमानत पर दिया हुआ अग्रिम कवर नहीं होता। यह कंपनियों, साझेदारी फर्मों, इस योजना में यथापरिभाषित सहकारी ऋण संस्थाओं से भिन्न समितियों या ऐसी ही किसी संस्था को दिया गया कृषि वित्त कवर नहीं करती। इतना ही नहीं, उधारदाता संस्थाओं द्वारा 31 मार्च 1997 से पहले दिए गए ऋण (2004 और 2006 के विशेष पैकेज और प्राकृतिक आपदाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत पुनर्संचित और पुनर्निर्धारित को छोड़कर) भी इस योजना में कवर नहीं किए गए हैं।

यह योजना लागू करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के मामले में रिजर्व बैंक नोडल एजेंसी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के मामले में नोडल एजेंसी नाबार्ड है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों की सूची और प्रत्येक किसान के मामले में ऋण माफी या ऋण राहत के विवरण की सत्यता और पूर्णता का दायित्व प्रत्येक उधारदाता संस्था का है। प्रत्येक उधारदाता संस्था से यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक राज्य के लिए एक या अधिक शिकायत निवारण अधिकारी (राज्यों में उसकी शाखाओं की संख्या के अनुसार) नियुक्त करें शिकायत निवारण अधिकारी को व्यथित किसानों से अभ्यावेदन प्राप्त करने तथा उस पर उपयुक्त आदेश पारित करने का अधिकार होगा और यह आदेश अंतिम होगा। इस योजना के अंतर्गत किसी प्रावधान की व्याख्या पर कोई संदेह उत्पन्न होने पर भारत सरकार संदेह दूर करेगी और भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

कार्यकुशलता में सुधार और निर्यात आय में योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे औद्योगिक नीति में उन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है। लघु उद्योग (अब व्यष्टि और लघु उद्यम) क्षेत्र को बैंक ऋण कृष्येतर क्षेत्र के ऋण का प्रमुख हिस्सा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्यम क्षेत्र को दिया गया कुल बकाया ऋण मार्च 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 1,48,651 करोड़ रुपए था जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 10.9 प्रतिशत और उनके कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम का 24.4 प्रतिशत था (सारणी 4.6)। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्यम क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण मार्च 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 46,069 करोड़ रुपए था जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 13.4 प्रतिशत और उनके कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 28.2 प्रतिशत था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया था कि वे प्रत्येक जिले में और एसएमई इकाइयों के समूह वाले केंद्र में कम-से-कम एक विशेषज्ञताप्राप्त एसएमई शाखा परिचालित करें। मार्च 2007 के अंत तक बैंकों द्वारा परिचालित विशेषज्ञताप्राप्त एसएमई शाखाओं की संख्या 636 थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल बैंक ऋण में एमएसई को दिए हुए ऋण का हिस्सा 2002 से कम हो गया है। किंतु, मार्च 2008 तक की अद्यतन प्रवृत्ति ने सुधार दर्शाया है।

IV.23 रुग्ण लघु उद्योगों के पुनर्वास पर कार्य दल (अध्यक्ष: श्री एस.एस.कोहली) की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने जनवरी 2002 में बैंकों के लिए विस्तृत संशोधित दिशानिर्देश जारी किए

सारणी 4.6: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा व्यष्टि और लघु उद्यमों को बैंक ऋण

(राशि करोड़ रुपए में)

मार्च के अंतिम शुक्रवार को	लघु उद्योगों के बकाया अग्रिम	एनबीसी का प्रतिशत
1	2	3
2002	54,268	13.8
2003	52,646	10.8
2004	58,311	10.3
2005	68,000	9.5
2006	82,434	8.1
2007	1,02,550	7.8
2008 (अंतिम) @	1,48,651	10.9*

* : एनबीसी या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के समतुल्य, जो भी अधिक हो, का प्रतिशत।

@ : 30 अप्रैल 2007 से लघु उद्योगों को एमएसई के रूप में परिभाषित किया गया है।

ताकि दुर्बलता की पहचान प्रारंभिक अवस्था में ही करके संभाव्य रूप से सक्षम के रूप में पहचानी गई लघु उद्यमों के पुनर्वास के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। इन दिशानिर्देशों के अनुसार किसी इकाई को सक्षम/संभाव्य रूप से सक्षम के रूप में घोषित किए जाने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर पुनर्वास पैकेज का पूरा कार्यान्वयन होना चाहिए। रुग्ण लघु उद्यम इकाइयों की कुल संख्या में गिरावट आने के बावजूद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बहियों में उनके विरुद्ध बकाया ऋण की राशि मार्च 2006 के अंत की तुलना में मार्च 2007 के अंत में बढ़ गई थी (सारणी 4.7)।

IV.24 लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को संस्थागत ऋण प्रवाह पर स्थायी परामर्शदात्री समिति की 16 जनवरी 2007 को आयोजित 8वीं बैठक में रुग्ण लघु उद्योग / लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा करते समय यह देखा गया कि संभाव्य रूप से सक्षम इकाइयों के पुनर्वास / पोषण में काफी विलंब हुआ था। यह स्पष्ट किया गया कि इनमें से अनेक मामलों में इकाइयों के पुनर्वास/पोषण में विलंब का कारण प्रवर्तक द्वारा अतिरिक्त अंशदान न ला पाना था। मध्यावधि समीक्षा (2007-08) में दर्शाए अनुसार, इन मामलों की जांच करने और संभाव्य रूप से सक्षम रुग्ण इकाइयों के शीघ्र पुनर्वास हेतु सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए गठित कार्यदल (अध्यक्ष : डा. के.सी.चक्रवर्ती) ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2008 में प्रस्तुत की। इसे रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था और उस पर प्राप्त अभिमतों की जांच की जा रही है।

IV.25 व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अक्टूबर 2, 2006 से लागू हुआ। इस अधिनियम ने उद्यमों को व्यापक आधार पर (i) माल का विनिर्माण/उत्पादन और (ii) सेवा प्रदाता के रूप में श्रेणीबद्ध किया। उद्यमों को आगे संयंत्र और मशीनरी तथा उपस्कर में निवेश के स्तर के आधार पर व्यष्टि, लघु और मझौले उद्यमों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। इस अधिनियम में परिभाषित व्यष्टि और लघु उद्यमों की परिभाषा को 30 अप्रैल 2007 को जारी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संशोधित दिशानिर्देशों में शामिल किया गया। 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप सभी एसएलबीसी संयोजक बैंकों को 8 मई 2007 को सूचित किया गया कि वे एमएसई

सारणी 4.7: ऋण, व्यष्टि और लघु उद्यमों को ऋण

(राशि करोड़ रुपए में)

मार्च के अंत में	कुल ऋण इकाइयां		संभाव्य रूप से सक्षम		असक्षम		सक्षमता का निर्णय न हुई		पोषणाधीन इकाइयां	
	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004	143,366	5,773	2,406	551	138,081	4,937	2,938	266	729	281
2005	138,041	5,380	3,922	435	132,153	4,884	1,966	61	2,080	260
2006	126,824	4,981	4,594	498	117,148	4,141	5,082	342	915	234
2007	114,132	5,267	4,287	428	109,011	4,757	834	82	588	269

क्षेत्र को, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा देश के विभिन्न भागों में 21 राज्यों में फैले 388 पहचाने गए समूहों में ऋण सुपुर्दगी की अपनी संस्थागत व्यवस्था की समीक्षा करें।

IV.26 भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड ने एमएसई ग्राहकों के लिए बैंकिंग संहिता बनाने के लिए चुनिंदा बैंकों, भारतीय बैंक संघ और रिजर्व बैंक से सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल ने उद्योग संघों, बैंकों, सिडबी और सरकारी एजेंसियों के साथ चर्चा करके 11 मार्च 2008 को संहिता को अंतिम रूप दिया। व्यष्टि और लघु उद्यम (एमएसई) ग्राहकों की प्रतिनिधि 'बैंकों की संहिता' की प्रतिबद्धता केंद्रीय वित्त मंत्री ने 31 मई 2008 को जारी की। यह एक स्वैच्छिक संहिता है जो बैंकों के एमएसई ग्राहकों को उनके दैनिक परिचालनों और वित्तीय कठिनाई के समय बैंकिंग सेवा तक सुलभ, तेज और पारदर्शी पहुंच प्रदान करने की बैंकों की सकारात्मक प्रतिबद्धता दर्शाती है। यह संहिता बहुविध लक्ष्यों के साथ लागू की गई थी जिसमें सक्षम बैंकिंग सेवाओं तक सुलभ पहुंच के माध्यम से एमएसई क्षेत्र को सकारात्मक बल प्रदान करना; उचित बैंकिंग प्रथाओं को प्रोत्साहन देना, प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना और कारोबारी समझ सुधारना, उच्च परिचालन मानक प्राप्त के लिए बाजार की शक्तियों को प्रोत्साहन देना, बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ाना और उचित तथा सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्धन करना शामिल है।

निर्यात ऋण अर्थ सहायता

IV.27 सरकार ने 12 जुलाई 2007 को उपायों के पैकेज की घोषणा की जिसका लक्ष्य व्यष्टि उद्यम, लघु उद्यम और मझौले उद्यमों के रूप

में परिभाषित एसएमई क्षेत्र से सभी निर्यातकों को और वस्त्रोद्योग (हथकरघा सहित), तैयार वस्त्र, चर्म उत्पाद, हस्त शिल्प, अभियांत्रिकी उत्पाद, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, खेल के सामान और खिलौने जैसे नौ श्रेणी के निर्यातों में निर्यातकों द्वारा लिए गए रुपया निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत अंक वार्षिक की ब्याज दर सहायता के संदर्भ में अस्थायी अवधि के लिए राहत देना था। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे सभी एसएमई क्षेत्रों और ऊपर परिभाषित नौ क्षेत्रों को 1 अप्रैल 2007 से 31 दिसंबर 2007 की अवधि की बकाया राशि पर 90 दिन तक के पोतलदानोत्तर ऋण और 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण पर बीपीएलआर से 4.5 प्रतिशत कम से अनधिक की ब्याज दर लगाएंगे।

IV.28 भारत सरकार ने 6 अक्टूबर 2007 को निर्यातकों के प्रति ब्याज दर सहायता में आंशिक संशोधन करके उसे तीन माह अर्थात् 31 मार्च 2008 तक बढ़ाया तथा इस योजना की व्याप्ति बढ़ाकर उसमें जूट और कारपेट, प्रसंस्कृत काजू, कॉफी, चाय, रस निकाली गई खली, प्लास्टिक और लिनोलियम शामिल किए गए।

IV.29 पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के मामले में निर्यात ऋण पर सहायता में 30 नवंबर 2007 को 2 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की गई (पहले प्रस्तावित 2 प्रतिशत के अतिरिक्त) जो कि निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए थी - चर्म तथा चर्म विनिर्माण, समुद्री उत्पाद, वर्तमान योजना के अंतर्गत वस्त्रों की सभी श्रेणियां, तैयार वस्त्र और कारपेट सहित किंतु मानव निर्मित रेशो और हस्तशिल्प छोड़कर। अतः, बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे उपर्युक्त क्षेत्रों के संबंध में बकाया राशि पर 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व ऋण और

90 दिन तक के पोतलदानोत्तर ऋण पर बीपीएलआर से 6.5 प्रतिशत कम से अनधिक ब्याज दर लगाएंगे। किंतु कुल अर्थसहायता इस शर्त पर थी कि सहायता पश्चात की ब्याज दर 7 प्रतिशत से कम नहीं होगी जो कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र लिए लागू दर है। उक्त व्यवस्था 1 नवंबर 2007 से 31 मार्च 2008 तक वैध थी। रिजर्व बैंक ने निर्यात ऋण पर उक्त ब्याज सहायता एक और वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक बढ़ाई। बाद में, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि ब्याज दर सहायता योजना 30 सितंबर 2008 से समाप्त की जाए और रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2008 को इसे संप्रेषित किया ताकि निर्यातकों को आवश्यक समायोजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

VI.30 अगस्त-सितंबर 2007 के दौरान वैश्विक और देशी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए और लघु और मझौले उद्यमों को एक अवसर देने की दृष्टि से, ताकि वे वैश्विक बाजारों में चुनौतियों का सामना कर सकें, रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के साथ चर्चा करके सभी निर्यातकों को 6 अक्टूबर 2007 से विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खातों पर ब्याज अर्जन की अनुमति दी जो 31 अक्टूबर 2008 को या पहले के एक वर्ष की अवधिपूर्णाता के रूप में प्रति निर्यातक 1 मिलियन अमरीकी डालर के बकाया शेषों की सीमा तक होगा। इस योजना में ब्याज दर बैंक स्वयं निर्धारित करते हैं किंतु, रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के साथ चर्चा करके 1 नवंबर 2008 से यह सुविधा समाप्त करने का निर्णय लिया। तदनुसार, 1 नवंबर 2008 से सभी ईईएफसी खाते गैर ब्याज धारणीय चालू खातों के रूप में ही खोले जा सकते हैं।

असंगठित क्षेत्र में कार्य-दशा और आजीविका-संवर्धन पर रिपोर्ट (अर्जुन के. सेनगुप्ता समिति) की सिफारिशों के अध्ययन के लिए आंतरिक कार्य दल

IV.31 असंगठित क्षेत्र में उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग (अध्यक्ष : डा. अर्जुन के. सेनगुप्ता) ने असंगठित क्षेत्र में 'कार्य-दशा और आजीविका - संवर्धन' पर केंद्र सरकार को व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कृषि और कृष्येतर क्षेत्रों संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए उपाय सुझाव गए हैं। वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार रिजर्व बैंक के भीतर एक आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री

के.यू.बी.राव) का गठन किया गया जो सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट की वित्तीय प्रणाली से संबंधित विभिन्न सिफारिशों का अध्ययन करेगा और स्वीकार्य सिफारिशें लागू करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई योजना का सुझाव देगा। इस आंतरिक दल की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी गई है।

अग्रणी (लीड) बैंक योजना

IV. 32 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसरण एक उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष : श्रीमती उषा थोरात) का गठन किया गया जिसके सदस्य वित्तीय संस्थाओं, बैंकों से लिए गए थे और चुनिंदा राज्यों आदि के मुख्य सचिव थे। इस समिति का दायित्व वित्तीय समावेशन और बैंकिंग क्षेत्र की हाल की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा करना और उसकी प्रभावशीलता सुधारना था। इस समिति की चुनिंदा बैंकों, कुछ राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, एमएफआइ/एनजीओ के प्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षाविदों और अन्य के साथ (20 जून 2008 तक) दस बैठकें आयोजित की गईं। समिति ने अग्रणी बैंक योजना के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए एक प्रश्नावली बनाकर सभी राज्य सरकारों और प्रमुख बैंकों को भेजी। समिति द्वारा शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है।

ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन - वर्तमान स्थिति

IV. 33 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पर कार्य बल (अध्यक्ष : प्रो.ए. वैद्यनाथन) की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत सरकार ने अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन का पैकेज अनुमोदित किया। अब तक, 25 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाण, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) ने पैकेज के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आठ राज्यों ने अपने सहकारी समिति अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किए।

नाबार्ड ने भारत सरकार के हिस्से के रूप में 3,348 करोड़ रुपए जारी किए। सात राज्य सरकारों ने प्राथमिककृषि ऋण समितियों की पुनर्पूजीकरण सहायता के लिए 338 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा जारी किया। पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन और निगरानी का पर्यवेक्षण भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे के अध्ययन का दायित्व भी उक्त कार्य बल को सौंपा है जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2006 में प्रस्तुत की। 2008-09 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन पैकेज की विषयवस्तु पर सहमति हो गई है। इस पैकेज की अनुमानित लागत 3,074 करोड़ रुपए थी जिसमें से केंद्र सरकार का अंशदान 2,642 करोड़ रुपए होगा।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विशेष कार्य बल

IV.34 रिजर्व बैंक के गवर्नर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बीच मई 2008 में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप नई शाखाएं, मुद्रा तिजोरियां खोलने और विदेशी मुद्रा विनिमय तथा सार्वजनिक नीति के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राज्य सरकारों से आवश्यक समझी गई कारोबारी सुविधाएं देने के लिए केंद्रों की सूची प्राप्त करने के लिए विशेष कार्य बल (अध्यक्ष : श्रीमती उषा थोरात) का गठन किया गया था। यह बैंकों द्वारा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य न पाए गए केंद्रों में उक्त सुविधाएं देने में लागत का बंटवारा बैंकों, राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक के बीच करने की युक्ति निकालेगा। अब इस कार्य बल ने इसके निर्णय लागू करने के लिए पहले एक राज्य के संबंध में कार्रवाई का निर्णय लिया जिसके लिए मेघालय राज्य का चयन किया गया है।

सरकार प्रायोजित योजनाएं

IV.35 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान 1,432,701 स्वरोजगारियों को 1,272.5 करोड़ रुपए का बैंक ऋण (और 465.2 करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी) दिया गया। सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों में से 338,169 (23.60 प्रतिशत) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

(एससी/एसटी) के; 711,653 (49.67 प्रतिशत) महिलाएं और 11,433 (0.79 प्रतिशत) शारीरिक रूप से विकलांग थे।

IV.36 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत 2007-08 के दौरान 67,234 मामलों में (प्राप्त 135,042 आवेदनों में से) 236.84 करोड़ रुपए संवितरित किए गए। इनमें से 2007-08 में, 60.3 करोड़ रुपए 18,106 एससी/एसटी को, 62.5 करोड़ रुपए 16,801 महिलाओं को और 3.6 करोड़ रुपए 780 विकलांग व्यक्तियों को संवितरित किए गए थे।

IV.37 सफाई कर्मी मुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) के अंतर्गत 2007-08 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए कुल मिलाकर 9,402 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इसमें कुल 16.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और 6,009 लाभार्थियों को 14.3 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे। इसमें से वर्ष के दौरान 12.4 करोड़ रुपए 5,065 एससी/एसटी लाभार्थियों को (कुल संवितरण का 84.3 प्रतिशत) तथा 1.2 करोड़ रुपए 632 ओबीसी लाभार्थियों को (कुल संवितरण का 10.5 प्रतिशत) संवितरित किए गए थे। 2007-08 के दौरान 4.5 करोड़ रुपए 1,800 महिलाओं (30.0 प्रतिशत) को संवितरित किए गए थे।

IV.38 प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत मार्च 2008 तक 234,165 लाभार्थियों को 1,746 करोड़ रुपए की सहायता राशि संवितरित की गई थी। भारत सरकार ने पीएमआरवाई का ग्रामीण रोजगार सृजन (आरईजीपी) कार्यक्रम के साथ विलय करके प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक नई योजना बनाने का निर्णय लिया। इस संबंध में प्रस्ताव को भारत सरकार का अनुमोदक मिलना बाकी है। तदनुसार, 5 मार्च 2008 को सभी कार्यान्वयनकर्ता बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत के वर्ष 2007-08 तथा 2006-07 के कार्यक्रम के भी (यदि कोई हो) विभिन्न लक्ष्य पूरे करने के लिए आवश्यक उपाय करें और 2007-08 के कार्यक्रम के लिए अपनी अंतिम सब्सिडी की अपेक्षा (यदि कोई हो) 31 मार्च 2008 तक भेज दें। सरकार ने 15 अगस्त 2008 को अब नई योजना की घोषणा की है।

IV.39 एसजीएसवाइ की केंद्र स्तरीय समन्वय समिति (सीएलसीसी) की 8 फरवरी 2008 को हुई 11वीं बैठक में वाणिज्य बैंकों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि ग्रामीण गरीब लोगों को इस योजना के लाभ मिलते रहना सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण और कार्यकुशलता उन्नयन में एसजीएसवाइ के लाभार्थियों की सहायता के लिए ग्रामीण विकास और स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरयूडीएसईटीआइ) जैसी प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, सभी राज्य स्तरीय बैंकर समिति/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को अप्रैल 2008 में सूचित किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक जिलों में कम से कम एक ग्रामीण विकास और स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करें।

हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)

IV.40 भारत सरकार ने सफाईकर्मियों की मुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) के स्थान पर 'हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना' (एसआरएमएस) नामक एक नई और संशोधित योजना अनुमोदित की, जिसका उद्देश्य शेष सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों का मार्च 2009 तक पुनर्वास करना है। इस अनुमोदित योजना में हाथ से सफाई करनेवाले लोगों के वैकल्पिक पेशों में पुनर्वास के लिए पूंजी सब्सिडी, रियायती ऋण और क्षमता निर्माण हेतु प्रावधान हैं। तदनुसार, 15 अप्रैल 2008 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह योजना लागू करें।

व्यष्टि वित्त

IV.41 औपचारिक वित्तीय संस्थाओं का शाखा नेटवर्क 1970 के दशक के प्रारंभ में तेजी से बढ़ने के बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा भाग बैंकिंग व्याप्ति से बाहर ही रह गया, विशेष रूप से उसकी ऋण आवश्यकताओं के लिए। इसके कारण गरीब लोगों की महसूस की गई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उन तक पहुंचने की दृष्टि से वैकल्पिक नीतियों और तंत्र की खोज करना आवश्यक हो गया। इस संदर्भ में, विश्व भर में व्यष्टि वित्त के हस्तक्षेप को ऐसे साधन

के रूप में पहचाना गया जो आय में वृद्धि कर सकता है, वैयक्तिक और घरेलू प्रतिभूति में योगदान कर सकता है और बेहतरी के लिए सामाजिक संबंध बदल सकता है।

IV.42 व्यष्टि वित्त प्रबंधन के विभिन्न मॉडल विद्यमान हैं, किंतु देश में एसएचजी - बैंक लिंकेज कार्यक्रम प्रमुख व्यष्टि वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है। यह वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा लागू किया जा रहा है। 31 मार्च 2007 को 2.89 मिलियन एसएचजी बैंकों से जुड़े थे जिनका बकाया बैंक ऋण 12,366 करोड़ रुपए था। बकाया ऋणों में वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 71 प्रतिशत था, वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का हिस्सा क्रमशः 23 प्रतिशत और 6 प्रतिशत था (सारणी 4.8)। 2006-07 के दौरान बैंकों ने विद्यमान एसएचजी को पुनः ऋण देने सहित 1.1 मिलियन एसएचजी को 6,570 करोड़ रुपए का वित्तपोषण किया। 31 मार्च 2007 को बैंकिंग क्षेत्र में बचत बैंक खाते रखने वाले एसएचजी की संख्या 4.2 मिलियन थी जिनकी बकाया बचत 3,513 करोड़ रुपए थी, जिसमें एसएचजी - बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत 58 मिलियन से अधिक गरीब परिवार कवर हुए थे। एसएचजी बचत में सर्वाधिक हिस्सा वाणिज्य बैंकों (53.9 प्रतिशत) का था जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (32.9 प्रतिशत और सहकारी बैंकों (13.2 प्रतिशत) का स्थान था। 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार, 290 रिपोर्टिंग बैंकों में से 73 प्रतिशत बैंकों का एसएचजी को दिए गए ऋण पर वसूली दर 80 प्रतिशत थी। बैंकों ने व्यष्टि वित्त के अंतर्गत आगे उधार देने के लिए गैर सरकारी संगठनों/व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एनजीओ/एमएफआइ) का भी वित्तपोषण किया। 31 मार्च 2007 को बकाया बैंक ऋण वाले एमएफआइ की संख्या 550 थी और बकाया राशि 1,585 करोड़ रुपए थी। 2006-07 के दौरान बैंकों ने 334 एमएफआइ को 1,152 करोड़ रुपए का वित्तपोषण किया था।

IV.43 व्यष्टि वित्त गतिविधियों में 1990 के दशक के अंतिम समय से निम्न कारणों से तेज वृद्धि हुई : (i) गरीब लोगों तक पहुंचने की क्षमता; (ii) वित्तीय स्थिरता का आश्वासन; (iii) पारंपरिक व्यवस्था निर्माण की संभावना; (iv) गरीब लोगों की सामान्य उपभोग और आजीविका संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने

सारणी 4.8: 31 मार्च 2007 को एसएचजी के प्रति बकाया बैंक ऋण

एजेंसी	एसएचजी की संख्या	प्रतिशत हिस्सा	राशि (करोड़ रुपए)	प्रतिशत हिस्सा	प्रति एसएचजी बकाया ऋण (रुपए)
1	2	3	4	5	6
वाणिज्य बैंक (सरकारी क्षेत्र)	1,810,353	62.5	8,225	66.5	45,435
वाणिज्य बैंक (निजी क्षेत्र)	82,663	2.9	535	4.3	64,719
उपयोग (वाणिज्य बैंक)	1,893,016	65.4	8,760	70.8	46,277
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	729,255	25.2	2,802	22.7	38,419
सहकारी बैंक	272,234	9.4	804	6.5	29,546
कुल	2,894,505	100.0	12,366	100.0	42,724

एसएचजी: स्व-सहयता समूह
स्रोत: नाबार्ड

के लिए उनके लिए अनौपचारिक और लचीली वित्तीय सेवाओं का प्रावधान (v) अनुभव और नवोन्मेष के परिणामस्वरूप बेहतर वित्तीय उत्पादों की उपलब्धता; और (vi) गरीबों के लिए संपार्श्विकी मुक्त व्यष्टि ऋण का व्यष्टि प्रावधान। वित्त गरीब लोगों को उनकी लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता करता है। कम आय वाले उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रस्तावित अनौपचारिक और लचीली सेवाओं के कारण देश में व्यष्टि वित्त गतिविधियां तेज गति से बढ़ी हैं। गरीबों के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में व्यष्टि वित्त की संभावना को पहचानते हुए रिजर्व बैंक देश में व्यष्टि वित्त क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए सुविधाजनक वातावरण बना रहा है।

IV.44 पहले के एक अवसर पर, रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को सूचित किया था कि व्यष्टि ऋण में न केवल गरीब लोगों के विभिन्न कृषि और कृष्येतर कार्यों के उत्पादन और उपभोग ऋण कवर होने चाहिए, बल्कि आवास और आश्रय सुधार जैसी अन्य ऋण आवश्यकताएं भी शामिल होनी चाहिए। केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2008-09 के अपने बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप उक्त अनुदेशों को दोहराते हुए बैंकों को सूचित किया गया कि वे एसएचजी सदस्यों की संपूर्ण ऋण आवश्यकताएं पूरी करें। व्यष्टि वित्त क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक 2007, संसद के विचाराधीन है जिसमें उक्त क्षेत्र के विनियमन की परिकल्पना की गई।

IV.45 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य, में की गई घोषणा के अनुसरण में रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने एसएचजी द्वारा रखे गए

खातों की पारदर्शिता की मात्रा और उनके द्वारा सुस्वीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से एसएचजी - बैंक लिंकेज कार्यक्रम का आकलन किया। अध्ययन के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन

IV.46 रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं तक समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों की पहुंच पर समय-समय पर बल दिया है जो शाखा लाइसेंसिकरण नीति और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार पर दिशानिर्देशों में दिखता है। इन पहलों से बैंक शाखाओं की संख्या में तेज वृद्धि होने के बावजूद एक बहुत बड़ा घरेलू हिस्सा औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की परिधि से बाहर रह गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के सर्वेक्षण के अनुसार 1991 में मात्र 15.1 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने और 42.8 प्रतिशत शहरी परिवारों ने वाणिज्य या सहकारी बैंकों में जमाराशि होने की सूचना दी थी। जनगणना आंकड़ों से पता चला कि 2001 में बैंकिंग (जमा) सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों का अनुपात 30.1 प्रतिशत था जबकि शहरी परिवारों के मामले में 49.5 प्रतिशत था। समावेशन का विस्तार विशिष्ट जनसंख्या समूहों और क्षेत्रों में अधिक था। एनएसएसओ (59वां चक्र, 2003) के आंकड़ों के अनुसार देश में 45.9 मिलियन किसान परिवार, अर्थात् कुल 89.3 मिलियन परिवारों के 51.4 प्रतिशत की संस्थागत या गैर संस्थागत दोनों ऋण स्रोतों तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा, बैंक शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के बावजूद, कुल कृषक परिवारों में से मात्र 27 प्रतिशत ने औपचारिक स्रोतों से ऋण लिया था (इनमें से एक-तिहाई ने अनौपचारिक स्रोतों से

भी उधार लिया था)। औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त न करने वाले कृषक परिवार, कुल कृषक परिवारों के अनुपात के रूप में 95.9 प्रतिशत, 81.3 प्रतिशत और 77.6 प्रतिशत के साथ क्रमशः उत्तर पूर्वी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिक थे। इस प्रकार, समावेशन न होना बहुत अधिक होने के अलावा, इसमें क्षेत्रों, सामाजिक समूहों और आस्ति धारिता के अनुसार भी बहुत अधिक भिन्नता थी। समूह जितना गरीब था, उनका समावेशन उतना ही कम था।

IV.47 वित्तीय समावेशन पर चिंता अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एआइडीआइएस), 2002 के परिणामों से भी बढ़ गई जिसके अनुसार 40 वर्षों की अवधि में कृषक परिवारों के ऋण स्रोतों में गैर संस्थागत स्रोतों का हिस्सा 1951 के 93 प्रतिशत से कम होकर 1991 में लगभग 30 प्रतिशत रह गया जिसमें साहूकारों का हिस्सा 69.7 प्रतिशत से घटकर 17.5 प्रतिशत रह गया। किंतु, 2002 में एआइडीआइएस ने उल्लेख किया कि साहूकारों का हिस्सा बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया और गैर संस्थागत स्रोतों का समग्र हिस्सा 39 प्रतिशत हो गया। दूसरे शब्दों में, बैंकिंग की पहुंच के बावजूद औपचारिक ऋण प्रणाली अनौपचारिक वित्तीय बाजारों में पर्याप्त रूप से प्रवेश नहीं कर पाई। इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि पिछले दशक में कृषि वृद्धि की दर, विशेष रूप से खद्यान्न उत्पादन के संबंध में, कम हो गई है।

IV.48 अतः रिजर्व बैंक ने 2005 से वित्तीय समावेशन पर लक्ष्यित नीति प्रारंभ की। सरल संदर्भ में, वित्तीय समावेशन का अर्थ है बैंकिंग सेवाओं की सुपुर्दगी को वहन की योग्य लागत पर वंचित और कम आय समूह के व्यापक वर्गों के उन लोगों तक पहुंचाना जो सामान्यतः इसकी परिधि से बाहर रह जाते हैं। रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन के लक्ष्य की ओर व्यापक दृष्टिकोण लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है, मात्र ऋण वितरित करना नहीं; लोगों को भुगतान प्रणाली तक पहुंच देना तथा वित्तीय समावेशन को सक्षम कारोबारी मॉडल और अवसर के रूप में बनाना है। इस दृष्टिकोण के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिधि से बाहर रहे लोगों को स्वरूपबद्ध वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

नो फ्रिल्स खाते

IV.49 रिजर्व बैंक ने नवंबर 2005 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया कि वे शून्य या कम न्यूनतम शेष तथा प्रभार वाले आधारभूत बैंकिंग 'नो फ्रिल्स' खाते उपलब्ध कराएं ताकि जनसंख्या का एक बड़ा भाग ऐसे खातों तक पहुंच सके। बैंकों ने

इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की है और बैंकों, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गए नो फ्रिल्स खातों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है (सारणी 4.9)

IV.50 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार और वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा देने की दृष्टि से मई 2008 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 'नो फ्रिल्स' खातों के प्रति प्रदान किए गए 25,000 रुपए (प्रति खाता) तक के ओवरड्राफ्टों को तत्काल प्रभाव से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत के कृषि क्षेत्र के अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत करें।

IV.51 रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित राज्य स्तरीय/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी/यूटीएलबीसी) के संयोजक बैंकों को 28 अप्रैल 2006 को सूचित किया कि वे 'नो फ्रिल्स' खाता उपलब्ध करवाकर और जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) निर्गम से 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक उपयुक्त जिले की पहचान करें। उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि प्राप्त अनुभव के आधार पर 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन उपलब्ध कराने की गुंजाइश बढ़ाकर उसमें अन्य क्षेत्रों/जिलों को कवर किया जाए। एसएलबीसी/यूटीएलबीसी को आगे यह भी सूचित किया गया कि 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कार्यरत विभिन्न बैंकों को गांव आर्बांटाट किए जाएं और एसएलबीसी/यूटीएलबीसी की बैठकों में सितंबर 2006 से वित्तीय समावेश में हुई प्रगति की निगरानी की जाए। अब तक, 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश के लिए 340 जिलों की पहचान की गई है और 19 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में 153 जिलों में लक्ष्य प्राप्ति की सूचना दी गई है। उल्लेखनीय रूप से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा

सारणी 4.9: नो फ्रिल्स खातों की संख्या

बैंक समूह	निम्नलिखित दिनांक को		
	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008*
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	332,878	5,865,419	13,925,674
निजी क्षेत्र के बैंक	156,388	860,997	1,879,073
विदेशी बैंक	231	5,919	33,115
कुल	489,497	6,732,335	15,837,862

*: अर्न्ततम।

टिप्पणी: आंकड़े संचयी हैं।

और नगर हवेली, गोवा और लक्ष्यद्वीप के सभी जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्त की सूचना मिली है।

IV.52 रिजर्व बैंक ने 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त की सूचना देने वाले 26 जिलों में 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन की प्राप्ति में हुई प्रगति का बाहरी एजेंसियों के माध्यम से आकलन अध्ययन करवाया था ताकि इस संबंध में भावी कार्रवाई के लिए आधार मिल सके। यह अध्ययन गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में किया गया था। अध्ययन के निष्कर्षों की जांच की जा रही है।

मध्यस्थों का एजेंटों के रूप में उपयोग

IV.53 रिजर्व बैंक ने जनवरी 2006 में कारोबार सहायक और कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के उपयोग के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं देने में एनजीओ/एसएचजी, व्यक्तिगत संस्थाओं (नियमित एनबीएफसी को छोड़कर) और अन्य नागरी समिति संगठनों की सेवाएं मध्यस्थ के रूप में लेने की अनुमति दी। कारोबार प्रतिनिधि मॉडल से बैंक ग्रामीण बस्तियों से बहुत करीब के स्थान में 'नकदी आवक/नकदी जावक' लेनदेन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिससे दूरी की समस्या हल हो जाती है। बैंक भारतीय डाक से भी करार कर रहे हैं ताकि वे डाक कार्यालयों के विशाल नेटवर्क का उपयोग कारोबार प्रतिनिधि के रूप में करके पोस्टमैन के ग्रामीण जनता के करीबी पहचान की सहायता से अपनी पहुंच बढ़ा सकें।

IV.54 आइसीटी गांव स्तर पर किफायती वित्तीय सेवाओं के प्रावधान से वित्तीय समावेशन का स्तर बढ़ाने का समाधान प्रस्तुत करता है। रिजर्व बैंक बैंकों को उनके कारोबार प्रतिनिधि की सहायता से उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए आइसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित करता आ रहा है। कारोबार प्रतिनिधि अपने पास हस्तधारित साधन रखते हैं जो अनिवार्यतः स्मार्ट कार्ड रीडर होते हैं। मोबाइल फोन भी कार्ड रीडर के रूप में विकसित किए गए हैं। प्राप्त की गई जानकारी मध्यवर्ती सर्वर को भेजी जाती है जहां खाते रखे गए होते हैं। इन साधनों का प्रयोग ग्रामीण ग्राहकों को भुगतान करने तथा उनसे नकदी लेने में किया जाता है। खाता धारकों को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते हैं जिन पर उनके फोटो और उँगलियों के निशान होते हैं। प्रायोगिक अध्ययनों ने दर्शाया है कि यह प्रौद्योगिकी व्यवहार्य

और सक्षम होने के साथ किफायती भी है। वर्तमान में इसमें उन्नयन करना एक चुनौती है और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य इस बात पर दृढ़ हैं कि सभी सरकारी भुगतान इन खातों के माध्यम से होने चाहिए ताकि ऐसे भुगतानों में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करने के अलावा वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने के व्यापक अवसर मिलें। इस बात को पहचानते हुए कि आइटी-युक्त सेवाओं में वित्तीय समावेश सुधारने की संभावना है, रिजर्व बैंक ने मई 2007 में बैंकों से अनुरोध किया कि वे उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग कर के अपना वित्तीय समावेश बढ़ाएं। रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया कि विकसित किए गए समाधान अत्यधिक सुरक्षित, लेखा-परीक्षा के अनुकूल हों और व्यापक रूप से स्वीकृत खुले मानकों का अनुपालन करते हों ताकि विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रणालियों के बीच अंतर-परिचालनीयता बनी रहे।

IV.55 केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2008-09 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में बैंकों को अनुमति दी गई कि वे पहले ही अनुमत संस्थाओं के अलावा 24 अप्रैल 2008 से कारोबार प्रतिनिधियों के रूप में सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को ले सकते हैं बशर्ते वे उपयुक्त रूप से कार्यशील हों। रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि ऐसे लोगों को कारोबार प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि इन लोगों का जिन क्षेत्रों में कार्य करना प्रस्तावित है वहां इनका स्थायी निवास हो और साथ ही एजेंसी जोखिम न्यूनतम करने की दृष्टि से उपयुक्त समझे गए अन्य रक्षोपाय भी किए जाएं। कारोबार प्रतिनिधियों के परिचालनों और कार्यों का पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि प्रत्येक कारोबार प्रतिनिधि को आधार शाखा के रूप में नामित विशेष बैंक शाखा के साथ सबद्ध किया जाए तथा उसके पर्यवेक्षण के अंतर्गत रखा जाए। कारोबार प्रतिनिधियों के किसी कारोबार स्थल और आधार शाखा के बीच की दूरी, ग्रामीण क्षेत्र अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में सामान्यतः 15 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। महानगरीय क्षेत्र में यह दूरी 5 कि.मी. तक हो सकती है। किंतु, दूरी का यह मानदंड शिथिल करने की आवश्यकता महसूस होने पर यह मामला संबंधित जिले की जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाए। ऐसी शिथिलता में जुड़े हुए जिले भी शामिल होने की स्थिति में मामले का निपटान राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)

करेगी जोकि महानगरीय क्षेत्रों के लिए भी नामित मंच होगी। ऐसे अनुरोधों पर डीसीसी/एसएलबीसी कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में या जहां आबादी दूर तक फैली है और जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी हो किंतु शाखा व्यवहार्य न हो, गुणवत्ता के आधार पर विचार कर सकती है और ऐसा करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ऐसे आवेदन करने वाले बैंक की आधार शाखा में कारोबार प्रतिनिधियों पर निगरानी रखने की क्षमता होनी चाहिए। वर्तमान में जहां कारोबार प्रतिनिधियों उल्लिखित सीमा से आगे तक कार्य रहे हैं, वहां डीसीसी/एसएलबीसी को इससे अवगत रखना पड़ेगा और यदि डीसीसी/एसएलबीसी द्वारा उल्लिखित आधारों पर विशिष्ट अनुमोदन न दिया गया हो तो छह माह के भीतर निर्धारित सीमा का पालन करने हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे कोई भी महत्वपूर्ण मामला रिजर्व बैंक के ध्यान में लाएं ताकि सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत करने में आसानी हो। इसके अलावा, कारोबार सहायक/कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के कार्यान्वयन पर बैंकों के नियंत्रक प्राधिकारियों को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए तथा उन्हें विशेष रूप से शाखाओं में उनके आवधिक दौरों के समय कारोबार सहायक/कारोबार प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली की जांच करनी चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे कारोबार सहायक/कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के कार्यान्वयन की बोर्ड स्तर पर आवधिक समीक्षा के लिए संस्थागत प्रणाली बनाएं।

IV.56 अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की वर्तमान व्यवस्था की अनुपूरक व्यवस्था के रूप में धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा 15 फरवरी 2006 से फाइनांशियल इंस्टीट्यूट यूनिट - इंडिया को नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)/ संदेहजनक लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रस्तुत करना शुरू किया गया। बैंकों को 13 अप्रैल 2007 को यह भी सूचित किया गया कि वे वायर अंतरण लेनदेनों में प्रवर्तकों की संपूर्ण जानकारी (नाम, पता, खाता सं.) शामिल करें। वर्तमान केवाईसी/एएमएल/सीएफटी व्यवस्था पर प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर 18 फरवरी 2008 को संबंधित दिशानिर्देश संशोधित किए गए। इन दिशानिर्देशों में अन्य के साथ ही निम्न बातें शामिल हैं : (i) खाता खोलते समय निवास स्थान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस करने वाले निकट संबंधियों के मामले में बैंक संबंधित भावी ग्राहक जिस निकट संबंधी के साथ रहते हैं उस निकट संबंधी की पहचान का

दस्तावेज और यूटिलिटी बिल और इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि खाता खोलने वाला व्यक्ति उनका रिश्तेदार है और उनके साथ रहता है। पते के अधिक सत्यापन के लिए बैंक डाक के माध्यम से प्राप्त पत्र जैसे किसी अन्य साक्ष्य का भी उपयोग कर सकते हैं; (ii) बैंकों को सूचित किया गया है कि वे निर्देशों के निहितार्थ को समझें तथा व्यक्तियों को अनुचित कठिनाई से बचाएं जिन्हें वैसे भी कम जोखिम वाले ग्राहकों की श्रेणी में रखा गया है; (iii) बैंकों ने छह माह से अन्यून आवधिकता में ग्राहकों के जोखिम श्रेणीकरण की समीक्षा करनी चाहिए।

IV.57 रिजर्व बैंक ने 4 जून 2008 को बैंकों को सूचित किया कि वे तृतीय पक्षीय चेकों सहित चेक बुक सुविधा, एटीएम सुविधा, निवल बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, खुदरा ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं दृष्टि की समस्या वाले लोगों को भी अवश्य दें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे अपनी शाखाओं को निर्देश दें कि वे विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने में दृष्टि की समस्यावाले लोगों की हर संभव सहायता करें।

विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में बैंकिंग सेवाओं में सुधार

IV.58 रिजर्व बैंक ने बैंकों की पहुंच और उनकी सेवाओं में सुधार करने, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कम विकसित राज्यों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन बढ़ाने और इन राज्य सरकारों की विकास योजनाओं को सहायता देने की दृष्टि से उपाय सुझाने के लिए हाल ही में कार्य दलों का गठन किया था। इन कार्य दलों ने संबंधित क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच और वित्तीय समावेशन बढ़ाने, वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करने, मुद्रा और भुगतान प्रणाली सुधारने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के पुनरुज्जीवन के लिए विशिष्ट सिफारिशें की हैं। इन दलों की सिफारिशें कार्यान्वयनाधीन हैं।

IV.59 हिमाचल प्रदेश और झारखंड राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में बैंकिंग सेवाओं के अध्ययन के लिए तीन अलग कार्यदल गठित किए गए थे। इन दलों ने अब अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इन दलों की सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए संबंधित एजेंसियों को भेज दी गई हैं।

सामान्य प्रयोजनवाले क्रेडिट कार्ड

IV.60 ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बिक्री केंद्र और एटीएम सुविधाएं कम होती हैं, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिजर्व

बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिसंबर 2005 में सूचित किया कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) जारी करने के लिए जीसीसी योजना शुरू करें जिसका आधार सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विद्यमान प्रथा के अनुसार घरेलू आय और नकदी प्रवाह का आकलन होगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों की यह भी सूचित किया कि वे जीसीसी के अंतर्गत के सामान्य प्रयोजनों के ऋण के अंतर्गत बकाया ऋण का पचास प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत करें। रिजर्व बैंक ने मई 2008 में बैंकों को पुनः सूचित किया कि वे जीसीसी के अंतर्गत के 100 प्रतिशत बकाया ऋण को तत्काल प्रभाव से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत करें।

विभेदात्मक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना

IV.61 डीआरआइ योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मार्च 2008 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के बकाया अग्रिम 191 हजार उधार खातों के अंतर्गत 669 करोड़ रुपए थे जो पिछले वर्ष के अंत में बकाया समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के समतुल्य ऋण जो भी अधिक था, का 0.05 प्रतिशत था, जबकि लक्ष्य 1.0 प्रतिशत था। केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2007-08 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप डीआरआइ योजना के अंतर्गत के ऋणों की सीमा प्रति लाभार्थी 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और आवास ऋण की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई। 2008-09 के केन्द्रीय बजट में आगे यह भी घोषित किया गया कि वार्षिक पारिवारिक आय के रूप में उधारकर्ताओं के पात्रता मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 24,000 रुपए होंगे।

वित्तीय समावेशन निधि (एफआइएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ)

IV.62 भारत सरकार द्वारा 'वित्तीय समावेशन पर गठित समिति' (अध्यक्ष : डा.सी.रंगराजन) ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि वित्तीय समावेशन के लिए विकासात्मक और संवर्धनात्मक हस्तक्षेपों की लागत पूरी करने के लिए 'वित्तीय समावेशन संवर्धन और विकास निधि' और प्रौद्योगिकी अपनाने की लागत पूरी करने के लिए 'वित्तीय

समावेशन निधि' (एफआईटीएफ) की स्थापना की जाए। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के अपने बजट अभिभाषण में नाबार्ड में प्रति 500 करोड़ रुपए की समग्र मूलनिधि के साथ वित्तीय समावेशन निधि (एफआइएफ) और एफआईटीएफ के गठन की घोषणा की (बॉक्स IV .2)। सरकार ने सूचित किया कि 2007-08 के लिए यह निर्णय लिया गया था कि इन दोनों निधियों में से प्रत्येक में केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड प्रारंभ में 25 करोड़ रुपए का अंशदान 40:40:20 के अनुपात में करेंगे। सरकार को समिति की अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2008 में प्रस्तुत की गई है।

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श

IV.63 इस बात को पहचानते हुए कि वित्तीय गैर-समावेशन का एक मुख्य कारण जागरूकता का अभाव है, रिजर्व बैंक ने वित्तीय रूप से साक्षर करने और ऋण परामर्श सेवाओं के संवर्धन की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। रिजर्व बैंक ने 'वित्तीय साक्षरता परियोजना' नामक परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यालय और महाविद्यालय जानेवाले बच्चों, महिलाओं, ग्रामीण और शहरी गरीबों, रक्षा कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न लक्षित समूहों तक केन्द्रीय बैंक और सामान्य बैंकिंग संकल्पनाओं संबंधी जानकारी का प्रसार करना है। लक्षित श्रोताओं तक इसका प्रसार अन्य में बैंकों, स्थानीय सरकारी मशीनरी, विद्यालयों/महाविद्यालयों के बीच पैम्फलेट्स, ब्रोशर, फिल्म के साथ ही रिजर्व बैंक की वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने 'सामान्य व्यक्ति को जानकारी देने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं (असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलगु और ऊर्दू) में अपनी वेबसाइट "आम जनता के लिए" नामक लिंक की व्यवस्था की है।

IV.64 रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 14 नवंबर 2007 को 'वित्तीय शिक्षण' साइट लिंक शुरू की गई जिसका मुख्य लक्ष्य विभिन्न आयु समूह के बच्चों को बैंकिंग, वित्त और केन्द्रीय बैंकिंग के आधारभूत सिद्धांत है। बच्चों के लिए बैंकिंग, वित्त और केन्द्रीय बैंकिंग की जटिलताएं सरल और रोचक रूप में स्पष्ट करने के लिए कॉमिक बुक फॉर्मेट का उपयोग किया गया है। इस साइट पर विभिन्न मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की सुरक्षा विशेषताओं पर फिल्म है और शैक्षिक फिल्म भी है जिसमें नागरिकों को नोटों को स्टैपल न करने की सलाह दी गई है। इस साइट पर खेल भाग भी

बॉक्स IV.2

वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि

केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2007-08 के बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में नाबार्ड में वित्तीय समावेशन निधि (एफआइएफ) और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआइटीएफ) का गठन किया गया, जिसमें प्रत्येक की समग्र मूल निधि 500 करोड़ रुपए थी और जिसमें भारत सरकार, रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा 40:40:20 के अनुपात में प्रारंभिक निधीयन किया जाना था। यह निधीयन निधि के उपयोग के आधार पर चरणबद्ध रूप से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में किया जाना था। निधि के बहिर्वाह के आधार पर, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार, रिजर्व बैंक और नाबार्ड और अन्य पणधारकों/संस्थाओं द्वारा वार्षिक संपूरण किया जाना है। एफआइएफ/एफआइटीएफ का परिचालन सभी जिलों में ग्रामीण परिवारों का 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन होने तक, इन निधियों के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि तक, या सरकार द्वारा निर्धारित बढ़ाई गई अवधि तक जारी रहेगा।

वित्तीय समावेशन निधि (एफआइएफ)

एफआइएफ का लक्ष्य अधिक वित्तीय समावेशन, विशेष रूप से दुर्बल वर्गों, कम आय वाले समूहों के बीच और पिछड़े क्षेत्रों/अब तक बैंक सुविधा रहित रहे क्षेत्रों, में प्राप्त करने की दृष्टि से 'विकासात्मक और संवर्धनात्मक कार्यों' को सहायता देना है।

पात्र कार्य / प्रयोजन

एफआइएफ का उपयोग निम्नलिखित कार्यों/प्रयोजनों के लिए किया जाएगा : (i) कारोबार सहायकों/कारोबार प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण इनपुट्स के लिए निधीयन सहायता; (ii) संसाधन केंद्रों, किसानों के सेवा केंद्रों और ग्रामीण विकास तथा स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं जैसी संस्थाओं को संवर्धनात्मक सहायता देना ताकि वे उन्नत तकनीकी और वित्तीय सेवाएं (परामर्श सहित) दे सकें जिनका लक्ष्य प्रौद्योगिकी अपना ने में वृद्धि, आस्तियों का प्रभावी प्रबंध, उद्यमशील क्षमता का पोषण और वित्तीय शिक्षण और साक्षरता बढ़ाना है; (iii) स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के संवर्धन, पोषण और ऋण लिकिंग के लिए निधीयन सहायता उपलब्ध कराना; (iv) अन्यो के बीच नाबार्ड, बैंकों, डाक कार्यालयों, राज्य सरकार के विभागों, एमएफआइ, एनजीओ, स्थानीय स्तर के संगठनों के कार्मिकों एसएचजी/संयुक्त देयता समूहों के सदस्यों का क्षमता निर्माण; (v) मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वित्तीय समावेशन के लिए हस्तक्षेप हेतु अनुमोदित संस्थाओं के व्यय का भुगतान करना; (vi) ग्रामीण ऋण ब्यूरो के गठन हेतु निधीयन सहायता और ग्रामीण ग्राहकों की ऋण रेटिंग; (vii) स्थानीय स्तर के संगठनों / फेडरेशनों की पहलों को समर्थन देना; (viii) नवोन्मेषी उत्पादों, प्रसंस्करणों और वित्तीय समावेशन के मॉडल के विकास की प्रायोगिक परियोजनाओं को समर्थन देना; (ix) एफआइएफ के लिए गठित परामर्शदाता निकाय द्वारा सिफारिश किए गए कोई भी अन्य विकासात्मक और संवर्धनात्मक हस्तक्षेप।

पात्र संस्थाएं

(i) वित्तीय संस्थाएं, नामतः नाबार्ड, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक; (ii) एनजीओ, एमएफआइ, एसएचजी, किसान क्लब, स्थानीय स्तर की संस्थाएं; (iii) प्रशिक्षण और अनुसंधान संगठन, अकादमी संस्थाएं, विश्वविद्यालय; (iv) बीमा कंपनियों (व्यष्टि बीमा सेवा प्रदान), डाक कार्यालय, रेलवे जैसे सेवा प्रदाता, और (v) एफआइएफ के समग्र लक्ष्यों जैसे लक्ष्य वाले अन्य संगठन जो समय-समय पर परामर्शदाता बोर्ड द्वारा अनुमोदित होते हैं।

वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआइटीएफ)

एफआइटीएफ का उद्देश्य सूचना संचार प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन का संवर्धन करना, वित्तीय समावेशन में अनुसंधान

और प्रौद्योगिकी अंतरण को प्रेरित करना, वित्तीय सेवा दाताओं/प्रयोक्ताओं की प्रौद्योगिकी समाहित करने की क्षमता बढ़ाना और जोखिम पण-धारकों के बीच नवोन्मेष और सहकार्य के वातावरण को प्रोत्साहन देना है।

पात्र कार्य / प्रयोजन

एफआइटीएफ का उपयोग निम्नलिखित कार्यों/प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

(i) प्रयोक्ता-अनुकूल प्रौद्योगिकी समाधानों को प्रोत्साहित करना; (ii) समाज के वंचित वर्गों को वहन करने योग्य वित्तीय सेवाएं देने के लक्ष्य वाले प्रौद्योगिकी समाधानों को वित्तीय सहायता देना; (iii) समग्र ऋण सूचना के साथ एक सामान्य प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा बनाना; (iv) ऋण प्रसंस्करण के लिए अभिलेखीकरण में सहायक प्रौद्योगिकी को निधीयन सहायता; (v) सिद्ध न हुए किंतु संभावनायुक्त प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के लिए व्यवहार्यता अंतराल/प्रायोगिक परियोजना को निधीयन; (vi) वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप संबंधी अध्ययन, परामर्शी सेवा, अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करना; (vii) वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी संबंधी चर्चा, प्रसार के लिए सेमिनार, सम्मेलन और अन्य प्रक्रियाओं को संवर्धित करना ; (viii) वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी के साहित्य और प्रचार सामग्री आदि का प्रकाशन; (ix) बैंकों, डाक कार्यालयों, राज्य सरकार के विभागों, एमएफआइ, एनजीओ, वीए और अन्य पण-धारकों के कार्मिकों का क्षमता निर्माण; और (x) परामर्शदाता समिति द्वारा अनुमोदित कोई अन्य कार्य।

पात्र संस्थाएं

(क) वित्तीय संस्थाएं, नामतः नाबार्ड, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक; (ख) एनजीओ, एमएफआइ, एसएचजी, किसान क्लब, स्थानीय स्तर के संगठन, आदि; (ग) प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता और बीमा कंपनियों (व्यष्टि बीमा सेवा दाता), डाक कार्यालय, रेलवे जैसे अन्य सेवा प्रदाता, और (घ) एफआइटीएफ के समग्र लक्ष्यों जैसे लक्ष्य वाली अन्य संस्था/संगठन जो परामर्शदाता बोर्ड द्वारा अनुमोदित होते हैं।

परामर्शदाता बोर्ड और एफआइएफ/एफआइटीएफ का प्रबंधन : भारत सरकार द्वारा गठित परामर्शदाता बोर्ड एफआइएफ/एफआइटीएफ संबंधी विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन और नीतिगत परामर्श देंगे। वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी समाधान के संवर्धन के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक और विकासात्मक हस्तक्षेपों के लिए पात्र संस्थाओं/संगठनों को सहायता का स्वरूप, मात्रा और शर्तें एफआइएफ/एफआइटीएफ के लिए परामर्शदाता बोर्ड तय करेंगे। परामर्शदाता बोर्ड एफआइएफ/एफआइटीएफ के संबंध में दैनिक कार्यों के संदर्भ में अपनी स्वयं की क्रियाविधि तय कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न मामलों की जांच, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए समितियों, उप समितियों कार्य बलों का गठन शामिल है।

एफआइएफ/एफआइटीएफ की कार्यक्रम स्वीकृति, कार्यान्वयन, निगरानी और प्रशासन नाबार्ड के साथ होंगे। एफआइएफ/एफआइटीएफ से उपचित ब्याज/अर्जित आय परामर्शदाता बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार एफआइएफ/ एफआइटीएफ में वापस नियोजित की जाएगी। परामर्शदाता बोर्ड की बैठकों के आयोजन में हुआ व्यय और एफआइएफ/एफआइटीएफ संबंधी अपने कार्य करने में नाबार्ड द्वारा किए गए अन्य व्यय (एफआइएफ/ एफआइटीएफ) की स्वीकृति, कार्यान्वयन और निगरानी में लगे कार्मिकों के वेतन/भत्ते छोड़कर) निधि में से उस आधार पर किए जाएंगे जो परामर्शदाता बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किए जाएंगे।

है। इस भाग का लक्ष्य बच्चों को मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना है। रिजर्व बैंक ने आजादी के बाद भारत में बैंकिंग के विकास पर एक प्रदर्शनी भी रखी थी, जो भारतीय स्वतंत्रता के 60 वर्षीय महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा देश भर में चलाई गई "आजादी एक्सप्रेस" में रखा गया था। रिजर्व बैंक ने बच्चों में बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में रुचि जगाने की दृष्टि से देश भर में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था। यंग स्कॉलर्स इंटरशिप अवार्ड स्कीम भी कार्यान्वयनाधीन है जिसका उद्देश्य युवा महाविद्यालयीन छात्रों को उनकी छुट्टियों के दौरान रिजर्व बैंक में अस्थायी रूप से कार्य करने का अवसर देना है।

IV.65 रिजर्व बैंक द्वारा विपदाग्रस्त किसानों की सहायतार्थ उपाय सुझाने के लिए गठित कार्य दल (अध्यक्ष: प्रो. एस.एस.जोल) ने सिफारिश की है कि ऋण व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए वित्तीय और आजीविका संबंधी परामर्श महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, कृषि ऋण की क्रियाविधि और प्रक्रिया की जांच के लिए गठित कार्य दल (अध्यक्ष : श्री सी.पी.स्वर्णकार) ने भी सिफारिश की है कि तुलनात्मक रूप में कम विकसित क्षेत्रों में ऋण सुपुर्दगी पर विशेष बल देने के लिए ऋण और तकनीकी परामर्श के लिए बैंकों को एकल या सामूहिक रूप से परामर्श केंद्र खोलने पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए। इन दो दलों की सिफारिशों को देखते हुए और 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को सूचित किया गया था कि वे किसी भी एक जिले में प्रायोगिक आधार पर वित्तीय साक्षरता और परामर्श केंद्र खोलें और उसके अनुभव के आधार पर उसका अन्य जिलों तक विस्तार करें। विभिन्न बैंक प्रायोगिक आधार पर ऋण परामर्श केंद्र खोलने के लिए पहल कर रहे हैं।

IV.66 2007-08 की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में यह उल्लेख किया गया था कि वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र पर संकल्पना पत्र तैयार करके रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा। 2008-09 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने दर्शाया कि अन्य में सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, भूत-पूर्व सैनिक जैसे व्यक्तियों को ऋण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी।

इस पृष्ठभूमि में, वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र पर संकल्पना पत्र बनाकर उसे जनता की प्रति-सूचना के लिए 3 अप्रैल 2008 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया ताकि भावी कार्रवाई की जा सके। (बॉक्स IV.3)। इस संकल्पना पत्र पर प्राप्त प्रतिसूचना की भावी कार्यदिशा के निर्णयार्थ जांच की जा रही है।

ऋण सूचना प्रणाली

IV.67 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सतर्क करने और उन्हें उन उधारकर्ताओं के प्रति जागरूक करने के लिए जिन्होंने अन्य उधारदाता संस्थाओं के प्रति ऋण चुकौती में चूक की है, ऋण सूचना प्रणाली की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहले चरण के रूप में उधारकर्ता पर ऋण सूचना की प्रभावी प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में नए एनपीए की वृद्धि को रोकना भी आवश्यक था। इस संदर्भ में, रिजर्व बैंक/सरकार और साथ ही ऋण संस्थाओं द्वारा प्रभावी डाटाबेस प्रणाली के माध्यम से उधारकर्ताओं के बारे में एक पर्याप्त, समग्र और विश्वसनीय सूचना प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई। रिजर्व बैंक ने ऋण सूचना ब्यूरो (सीआइबी) के गठन के संभावना की खोज करने के लिए 1999 में एक कार्य दल (अध्यक्ष : श्री. एन.एच.सिद्दीकी) बनाया था जिसमें चुनिंदा सार्वजनिक बैंकों, आइडीबीआई, आइसीआइसीआई, भारतीय बैंक संघ और रिजर्व बैंक से प्रतिनिधि लिए गए थे। इस कार्य दल ने वाणिज्य बैंकों, एफआइ और रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के इक्विटी सहभाग के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सीआइबी के गठन की सिफारिश की। कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, एसबीआई ने एचडीएफसी के सहयोग से जनवरी 2001 में ऋण सूचना ब्यूरो (इं)लि. (सीआइबीआइएल) (सिबिल) की स्थापना की।

IV.68 सिबिल को बैंकों के ग्राहकों की सूचना देने और साथ ही ग्राहकों की गोपनीयता बनाए रखने संबंधी कानूनी बाधाएं दूर करने की दृष्टि से ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम बनने तक रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 1 अक्टूबर 2002 को सूचित किया कि वे ऋण के नवीकरण के समय सभी मौजूदा

बॉक्स IV. 3

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र : संकल्पना पत्र

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) पर संकल्पना पत्र के तीन भाग हैं। भाग 'क' में वित्तीय साक्षरता की परिभाषा और आवश्यकता की चर्चा की गई है जबकि भाग 'ख' में ऋण परामर्श संबंधी परिभाषा, आवश्यकता और विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी गई है। भाग 'ग' एफएलसीसी की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ऋण परामर्श को अधिक प्रभावी और लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से एफएलसीसी के गठन की योजना का सुझाव दिया गया है। संकल्पना पत्र में सुझाई गई योजना की विशेषताएं निम्नवत् हैं :

उद्देश्य : 1. एफएलसीसी का प्रमुख उद्देश्य मुक्त वित्तीय साक्षरता/शिक्षा और ऋण परामर्श देना होगा। विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत् होंगे : (क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को प्राप्त विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं संबंधी शिक्षा देना और लोगों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से जुड़ने के लाभों से अवगत कराना। (ख) उधार लेने संबंधी दायित्व पर शिक्षा सहित आमने-सामने वित्तीय परामर्श सेवा देना। (ग) आपदाग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्निर्धारण योजना बनाना और उसकी सिफारिश विचारार्थ सहकारी संस्थाओं सहित औपचारिक वित्तीय संस्थाओं को करना; (घ) वित्तीय साक्षरता का संवर्धन करने वाले और किसी व्यक्ति की ऋण संबंधी परेशानी दूर करने वाले कार्य करना; और किंतु, एफएलसीसी निवेश सलाह केंद्र के रूप में कार्य नहीं करेगा।

2. ऋण (डेट) परामर्श/क्रेडिट परामर्श प्रतिबंधात्मक और परामर्श सुधारतात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। प्रतिबंधात्मक परामर्श के मामले में केंद्र ऋण की लागत और आवश्यकतानुसार बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की उपलब्धता संबंधी जागरूकता प्रदान करेगा। सुधारतात्मक परामर्श के मामले में ग्राहक परामर्श केंद्र पहुंच सकते हैं और केंद्र आवश्यकता पड़ने पर बैंक शाखा के साथ परामर्श करके प्रभावी ऋण पुनर्निर्धारण योजना बना सकता है।

व्याप्ति : ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की कमी और अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता को देखते हुए ऐसे क्षेत्रों के केंद्र कृषक समुदायों और संबंधित कार्यों में लगे लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता और परामर्श पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जबकि महानगरीय / शहरी क्षेत्रों के केंद्र अन्य के में क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण में अतिदेय वाले व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

संगठनात्मक / प्रशासनिक ढांचा : प्रारंभ में बैंक एफएलसीसी शुरू करने के लिए अकेले या अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से न्यास/समितियां बना सकते हैं। बैंक ऐसे न्यास/समिति के बोर्ड पर किसी प्रतिष्ठित स्थानीय नागरिक को शामिल कर सकते हैं। किंतु, किसी कार्यरत बैंकर को बोर्ड में शामिल नहीं कर सकते। एफएलसीसी का निर्धेयन प्रारंभ में पूर्णतः बैंक/बैंकों द्वारा किया जाएगा। अधिकतम व्याप्ति होने की दृष्टि से, एफएलसीसी का गठन विभिन्न स्तरों, अर्थात् ब्लॉक, जिला, कस्बा और शहरी स्तरों पर करने की आवश्यकता होगी। एफएलसीसी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों से चर्चा और समन्वय करके विभिन्न स्तरों पर एफएलसीसी का गठन चरणबद्ध तरीके से करने की योजना बना सकती है। किंतु, प्रारंभ में जिला मुख्यालयों में एफएलसीसी के गठन के लिए अग्रणी बैंक पहल कर सकते हैं। लागत को न्यूनतम रखने के प्रयास होने चाहिए, किंतु बैंकों को एफएलसीसी का गठन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जहां कम आय वाले उधारकर्ताओं का संक्रेटण होता है, करने में समर्थन देने के लिए नाबार्ड द्वारा गठित वित्तीय समावेशन निधि के माध्यम से लागत-बंटवारा करने पर विचार किया जा सकता है। यह प्रणाली सुस्थिर हो जाने के बाद, परामर्श केंद्र लागत का एक भाग कवर करने के लिए उन बैंकों पर नाममात्र का प्रभार लगा सकते हैं जिनके उधारकर्ताओं ने ऋण परामर्श और परामर्श केंद्र द्वारा बनाई गई ऋण प्रबंधन योजना के कारण चुकौती शुरू कर दी है। ग्राहकों को परामर्शी और प्रबंधन सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जा सकती हैं ताकि उन पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े।

बुनियादी सुविधाएं : बैंक पर्याप्त संचार और नेटवर्किंग सुविधाओं के साथ उचित बुनियादी सुविधाएं देंगे।

ऋण परामर्श और ऋण निपटान प्रणाली : बैंकों को अपने आपदाग्रस्त ग्राहकों या किसी भी बैंक के ग्राहकों को उनके द्वारा गठित एफएलसीसी पहुंचने हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसी एफएलसीसी की जानकारी अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत उपलब्ध विविध मंचों के माध्यम से दी जा सकती है। एफएलसीसी सामूहिक परामर्श के लिए केंद्र में या जिले के विविध स्थानों में ओपन हाउस सेमिनार आयोजित कर सकती है। एकल-ऋणदाता-ऋण के लिए एफएलसीसी संबंधित बैंक के साथ वार्ता करके उधारकर्ता की सहायता कर सकते हैं। व्यक्तियों द्वारा बहुविध ऋण लिया गया हो तो एफएलसीसी सर्वाधिक एक्सपोजर वाले बैंक/बैंकों के साथ वार्ता करके ऋण का पुनर्निर्धारण कर सकती है और वसूलियों को आनुपातिक आधार पर बांटना होगा। किंतु, एफएलसीसी स्वयं को धन की वसूली और वितरण में शामिल नहीं करेंगे। यह कार्य संबंधित बैंक पर छोड़ दिया जाएगा या सर्वाधिक एक्सपोजर वाला बैंक सभी बैंकों की ओर से करेगा।

अर्हता और प्रशिक्षण - परामर्शदाता : उक्त केंद्रों पर पूर्णकालिक आधार पर कार्य करने के लिए उच्च अर्हताप्राप्त/प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का चयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने 2008-09 के अपने बजट अभिभाषण में दर्शाया था कि ऋण परामर्शदाता के रूप में अन्यों से सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक आदि जैसे लोगों को नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी। ऋण परामर्शदाता को बैंकिंग, कानून, वित्त का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और उनमें संप्रेषण तथा समूह निर्माण की अच्छी कार्यकुशलता होनी चाहिए और इसे अद्यतन घटनाओं से निरंतर उन्नत करना होगा। भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्था (आइआइबीएफ) तथा अन्य व्यावसायिकों ने ऋण परामर्श और ऋण प्रबंधन पर विशेषीकृत पाठ्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।

इंटरफेस के प्रकार : परामर्श केंद्र अन्य के साथ ही प्रत्यक्ष, टेलीफोन, ई-मेल, डाक से मिलने वाले अनुरोधों पर कार्रवाई करने योग्य होने चाहिए। सरल संपर्क के लिए वहां टोल मुक्त लाइन, ई-मेल और फ़ैक्स सुविधा होनी चाहिए। जिलों के सभी ब्लॉकों को सेवा देने के लिए मोबाइल यूनिट भी बनाए जा सकते हैं।

निगरानी : प्रत्येक राज्य में एफएलसीसी के कार्यों की निगरानी एक समिति द्वारा की जाएगी जिसके मुख्य रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक होंगे और बैंकों को नियमित आधार पर प्रति-सूचना दी जाएगी।

पारदर्शिता/सूचना प्रकटीकरण : सभी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर सभी शूल्को, ब्याज दरों, आय और उनके द्वारा प्रस्तावित मानक उत्पादों की मुख्य विशेषताएं प्रदर्शित करनी चाहिए ताकि ग्राहक इस जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें। रिजर्व बैंक भी अपनी वेबसाइट पर सभी बैंकों संबंधी समेकित जानकारी रखेगा ताकि एक ही स्थान पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो जाए।

सूचना का आदान-प्रदान : यह अनिवार्य है कि बैंकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ऋण सूचना कंपनियों का शीघ्र ही गठन और उन्नयन किया जाए। बदले में एफएलसीसी संबंधित बैंक या चूककर्ता उधारकर्ता के प्रति सर्वाधिक एक्सपोजर वाले बैंक से व्यापक ऋण सूचना प्राप्त कर सकती है।

प्रचार : प्रचार के सभी साधनों, यथा प्रेस का अन्य में से काफ़्रेन्स, कार्यशाला, प्रकाशन, वेबसाइट, रोड शो, मोबाइल यूनिट, ग्राम मेले आदि का सक्रिय सहयोग लेना चाहिए। इस संबंध में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए वित्तीय साक्षरता और परामर्श पर स्थायी समिति गठित की जिसमें रिजर्व बैंक, नाबार्ड, आइबीए, बीसीएसबीआइ, सीआइबीआइएल, संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत एनजीओ और ग्राहक संगठनों से सदस्य लिए जाएंगे। परामर्श केंद्रों की सूची आइबीए, बीसीएसबीआइ, रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखी जानी चाहिए और उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।

उधारकर्ताओं और गारंटीदाताओं से सहमति प्राप्त करें और गैर-वाद दाखिल खातों संबंधी ऋण सूचना में साझीदारी के लिए सभी नए उधारकर्ताओं / गारंटीदाताओं की सहमति सिबिल की दें। 2002 में गठित कार्य दल (अध्यक्ष : श्री एस.आर. अय्यर) ने टिप्पणी की कि सीआइबी के सीमित परिचालनों के लिए 'सहमति खंड' जैसी कोई कार्यपद्धति शुरुआत के रूप में अपनायी जा सकती है, किंतु ऐसी कोई कार्यपद्धति किसी विशेष विधान की एवजी नहीं हो सकती। अतः, कार्य दल ने सिफारिश की कि भारत सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से कोई उपयुक्त कानून शीघ्र अधिनियमित करे।

IV.69 कानूनी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और ब्यूरो को ऋण संस्थाओं के उधारकर्ताओं पर ऋण सूचना एकत्र, प्रसंस्करित करने और बांटने में सहायता देने की दृष्टि से संसद ने मई 2005 में ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 पारित किया तथा भारत के गजट में 23 जून 2005 को उसे अधिसूचित किया। भारत सरकार ने ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के लिए 14 दिसंबर 2006 को नियम और विनियम भी अधिसूचित किए जिससे यह अधिनियम परिचालन में आ गया।

IV.70 रिजर्व बैंक ने ऋण सूचना कारोबार जारी रखने / प्रारंभ करने में रुचि रखने वाली कंपनियों से आवेदनपत्र आमंत्रित करते हुए 18 अप्रैल 2007 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की। रिजर्व बैंक ने इन आवेदनपत्रों की जांच करने तथा उन कंपनियों के नामों की सिफारिश करने, जिन्हें रिजर्व बैंक पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, के लिए बाह्य उच्च स्तरीय परामर्शदाता

समिति (अध्यक्ष : डा. आर.एच. पाटिल) का गठन किया। ऋण सूचना कंपनियों के लिए 12 मार्च 2008 को एफडीआइ नीति की घोषणा के बाद आवेदनपत्रों को प्रोसेस करने का कार्य शुरू किया गया और रिजर्व बैंक ऋण सूचना कंपनी के गठन का 'सैद्धांतिक अनुमोदन' शीघ्र ही प्रदान करेगा।

संभावना

IV.71 रिजर्व बैंक ने अपने विभिन्न उपायों के माध्यम से ऋण सुपुर्दगी सुधारने के अपने प्रयास जारी रखे। हाल के वर्षों में कृषि और एसएमई क्षेत्रों की ओर ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था के लिए इन क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता है। अतः, आगामी वर्षों में बैंकों को प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विशेष रूप से कृषि और दुर्बल वर्गों के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में और प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तीय समावेशन बढ़ाने हेतु अब तक किए गए उपायों ने अब तक अच्छे परिणाम दिए हैं और अनेक लोग बैंकिंग परिधि में आए हैं। एसएचजी - बैंक लिंकेज कार्यक्रम, जोकि दुनिया में अपने प्रकार का सबसे बड़ा है, के माध्यम से व्यष्टि-वित्त के मामले में प्राप्त गति भी बनाई रखी जाएगी। भविष्य में, बहु-एजेंसी दृष्टिकोण के माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर अधिक बल दिया जाएगा जिससे न सिर्फ बैंकिंग की पहुंच बढ़ेगी बल्कि लेनदेन लागत घटेगी और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया स्थायी स्वरूप की बनेगी। रिजर्व बैंक ऋण सुपुर्दगी में सुधार करने के साथ ही ऋण की गुणवत्ता बनाए रखने पर बल देना जारी रखेगा।

V.1 वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों का विकास करने तथा वित्तीय बाजार में बाजार सहभागियों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखे। भारत के वित्तीय बाजार के विभिन्न खंड वैश्विक वित्तीय बाजार के उतार-चढ़ावों से सामान्यतः सुरक्षित रहे। नई प्रकार की लिखतों, बाजार के बेहतर मूलभूत ढांचे तथा नए सहभागियों की दृष्टि से वित्तीय बाजारों के संस्थागत ढांचे में और सुदृढ़ता आई और इन सभी ने मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में सुधार लाने में सहायता की। मुद्रा बाजार संबंधी व्यापक नीतिगत उद्देश्य स्थिरता सुनिश्चित करना, चूक संबंधी जोखिम को कम करना तथा उसके विभिन्न खंडों में संतुलित विकास करना बना रहा। सरकारी प्रतिभूति बाजार में, रिजर्व बैंक का प्रयास रहा कि सहभागियों, लिखतों एवं प्रक्रियाओं की दृष्टि से इसे व्यापक तथा गहन बनाया जाए। राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन एवं प्राथमिक खंड से रिजर्व बैंक के अलग हो जाने के फलस्वरूप सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो गया है। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 ने सरकारी प्रतिभूतियों के प्रबंधन तथा समेकन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार बढ़ा दिए हैं।

V.2 विदेशी मुद्रा बाजार में, त्वरित तथा कुशल ग्राहक सेवा को सुकर बनाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा लेनदेनों के व्यवहार की प्रक्रिया को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने के लिए कई पहलें कीं। पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्नीयता संबंधी समिति (सीएफसीएसी) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा लेनदेनों को उदारीकृत करने की दिशा में कई उपाय किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 ने मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र के प्रबंधन हेतु रिजर्व बैंक को वर्धित परिचालनात्मक लचीलापन तथा अधिक युक्तिकालन मुहैया कराया है। इस अधिनियम ने रिजर्व बैंक को ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों एवं क्रेडिट डेरिवेटिवों को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान किया। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने देश में डेरिवेटिव उत्पादों के विकास हेतु कई उपाय किए। मुद्रा, विदेशी मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति

बाजार संबंधी तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) ने वित्तीय बाजारों के विकास तथा विनियमन संबंधी मुद्दों पर भारतीय रिजर्व बैंक का बहुमूल्य मार्गदर्शन किया है।

V.3 इस अध्याय में वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने क्षेत्राधिकार अर्थात्, मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार तथा विदेशी मुद्रा बाजार के विभिन्न खंडों में और व्यापकता एवं गहनता लाने की दिशा में किए गए विभिन्न विनियामक तथा विकासात्मक उपायों के बारे में चर्चा की गई है। मुद्रा बाजार में, राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत पात्र प्रतिभूति के रूप में शामिल किया गया। भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) द्वारा रुपया ब्याज दर स्वैप के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को लागू किया गया। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु एक प्रभावी लिखत के रूप में सुदृढ़ ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक कार्य दल की स्थापना की गई जो इससे संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करके भारत में ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार के विकास संबंधी उपायों के बारे में सुझाव देगा। सरकारी प्रतिभूति बाजार में, एनडीएस-आर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म की सदस्यता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) को दी गई। शार्ट सेल तथा 'जब जारी' लेनदेनों को एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म से अन्यत्र कवर करने की अनुमति दी गई तथा वाणिज्य बैंकों के पास रखे निधि खातों के जरिए सरकारी प्रतिभूति लेनदेनों के निपटान की अनुमति देने के लिए एनडीएस में एक सेटेलमेंट व्यवस्था स्थापित की गई। वर्ष 2007-08 के दौरान, विदेशी मुद्रा बाजार में, उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत निवासियों द्वारा प्रेषण की राशि की सीमा बढ़ाई गई। विदेश में अधिग्रहण को सुकर बनाने के उद्देश्य से कार्पोरेट द्वारा विदेश में निवेश हेतु प्रेषण की राशि की सीमा में और वृद्धि की गई। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी दिशानिर्देशों को पूर्व भुगतान की सीमा में वृद्धि करके, सभी कीमत शामिल अधिकतम सीमा बढ़ाकर, स्वीकार्य अंतिम उपयोग (रुपया पूंजी व्यय) को बढ़ाकर तथा सेवा क्षेत्र की संस्थाओं को बाह्य वाणिज्यिक

उधार लेने के लिए अनुमति देकर उदार बनाया गया। बाजार सहभागियों द्वारा वायदा विदेशी मुद्रा संविदा स्वैप तथा ऑप्शन जैसी विभिन्न बचाव (हेजिंग) लिखतों के उपयोग के संबंध में प्राप्त अनुभव एवं चलनिधि की स्थिति में तथा इन लिखतों की लेखाविधिक प्रणाली में सुधार को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का अध्ययन करने तथा प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित ढांचे के बारे में सुझाव देने हेतु करेंसी फ्यूचर्स पर एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया गया जिसने वर्ष के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। एक्सचेंजों पर करेंसी फ्यूचर में कारोबार करने के संबंध में परिचालनात्मक पक्षों पर सुझाव देने के लिए गठित रिजर्व बैंक-सेबी स्थायी समिति ने वर्ष के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तदनुसार, मान्यताप्राप्त/नए एक्सचेंजों में निवासी व्यक्तियों को मुद्रा फ्यूचर में ट्रेडिंग करने की अनुमति देने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।

मुद्रा बाजार

V.4 मौद्रिक नीति संबंधी संवेगों की कारगर संप्रेषणीयता एवं वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों के संयोजन हेतु एक सुविकसित मुद्रा बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुद्रा बाजार के विभिन्न खंडों के कार्यों में सुधार एवं लिखतों एवं सहभागियों के बीच निधियों के अबाधित प्रवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने हाल के वर्षों में कई उपाय किए हैं। इन उपायों ने पारदर्शिता में सुधार लाने, मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को सुकर बनाने एवं बेहतर चलनिधि तथा जोखिम प्रबंधन हेतु अवसर देने की दिशा में सहायता की है।

चलनिधि समायोजन सुविधा

V.5 संपाशिकों का आधार बढ़ाने के उद्देश्य से, राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) -रिपो के अंतर्गत 3 अप्रैल 2007 से पात्र प्रतिभूति के रूप में शामिल किया गया। राज्य विकास ऋणों के संबंध में 10 प्रतिशत की मार्जिन निर्धारित की गई।

ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप) के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म

V.6 भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2007 में डेरिवेटिव लेनदेन करने के लिए व्यापक विनियामक फ्रेमवर्क शामिल करते हुए ब्याज दर डेरिवेटिवों (आइआरडी) के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। ओवर-दि-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव लेनदेनों के संबंध में, व्यापार संबंधी जानकारियों के पारदर्शी संग्रहण तथा प्रसार एवं व्यापार के उपरांत

प्रोसेसिंग के कुशल ढांचे के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जिससे उनसे जुड़े जोखिमों को नियंत्रित किया जा सके। सीसीआईएल को सूचित किया गया कि वह रुपया ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) के लिए कारोबार रिपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म तैयार करे। यह रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म 30 अगस्त 2007 से प्रारंभ हुआ। बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों ने आइआरएस तथा वायदा दर करारों के बारे में इस प्लेटफॉर्म में दैनिक आधार पर रिपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया है।

ब्याज दर फ्यूचर्स

V.7 ब्याज दर फ्यूचर्स पर कारोबार करने के लिए 2003 में एक्सचेंजों में एक अनाम आदेश आधारित प्रणाली स्थापित की गई। बैंकों को अपने अंतर्निहित निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम का बचाव (हेज) करने की अनुमति दी गई, जबकि प्राथमिक व्यापारियों को बाजार निर्माता के रूप में अनुमति दी गई। उसके बाद सरकारी प्रतिभूति बाजार में अनेक विकासात्मक बदलाव हुए जिनमें शार्ट सेलिंग तथा जब जारी बाजारों का प्रारंभ किया जाना शामिल है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु एक प्रभावी लिखत के रूप में सुदृढ़ ब्याज दर फ्यूचर्स मार्केट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा मुद्रा, विदेशी मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजारों के संबंध में रिजर्व बैंक की तकनीकी परामर्शदात्री समिति की सिफारिश के अनुसार, ब्याज दर फ्यूचर्स बाजार के विकास को सुकर बनाने के लिए सभी संबंधित मुद्दों तथा उपायों के संबंध में सुझाव देने हेतु अगस्त 2007 में ब्याज दर फ्यूचर्स पर एक कार्य दल (अध्यक्ष: श्री वी. के. शर्मा) का गठन किया गया (बॉक्स V.1)। तकनीकी परामर्शदात्री समिति ने जन साधारण, विशेषज्ञों, बैंकों, बाजार के सहभागियों तथा भारत सरकार से प्राप्त प्रतिसूचनाओं तथा टिप्पणियों पर विचार करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया तथा अगस्त 2008 को इसे जारी कर दिया गया।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

V.8 भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के दौरान बाजार सहभागियों के परामर्श से सरकारी प्रतिभूति बाजार को और व्यापक तथा गहन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय किए। वर्ष के दौरान किए गए विकासात्मक उपायों की प्रमुख विशेषताएं हैं: (i) शार्ट सेल तथा 'जब जारी' लेनदेनों को एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म से बाहर कवर करने की अनुमति; (ii) कतिपय अर्हताप्राप्त गिल्ट खाताधारकों को एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म का विस्तार; तथा (iii) वाणिज्य बैंकों के

बॉक्स V.1

ब्याज दर फ्यूचर्स पर कार्य दल

वित्तीय क्षेत्र सुधार के एक भाग के रूप में ब्याज दरों पर से नियंत्रण हटाए जाने तथा उसके परिणामस्वरूप ब्याज दरों में आए उतार-चढ़ावों को देखते हुए ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु बचाव व्यवस्था (हेजिंग) संबंधी लिखतों को प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 1999 में ब्याज दर अदला-बदली (आइआरएस) तथा वायदा दर करार (एफआरए) की शुरुआत की। बाद में, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि. (एनएसई) ने 2003 में एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले ब्याज दर फ्यूचर्स (आइआरएफ) संविदा प्रारंभ किया। तथापि, इस उत्पाद के प्रति बाजार ने कोई रुचि नहीं दिखाई तथा बाद में बाजार में तरलता पूरी तरह समाप्त हो गई।

इस पृष्ठभूमि में मुद्रा, विदेशी मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी परामर्शदात्री समिति ने ब्याज दर फ्यूचर्स पर एक कार्य दल (अध्यक्ष: श्री वी. के. शर्मा) का गठन किया। कार्य दल के उद्देश्य निम्नलिखित थे- (i) उत्पाद की डिजाइन के विशेष संदर्भ में आइआरएफ के अनुभव की समीक्षा करना तथा आइआरएफ को सक्रिय बनाने के लिए सिफारिशें करना (ii) आइआरएफ के संदर्भ में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के साथ आइआरएस/ एफआरए संबंधी दिशानिर्देशों के सामंजस्य की आवश्यकता की जांच करना, तथा (iii) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) सहित अनिवासियों द्वारा सहभागिता की संभावना की जांच करना। कार्य दल की रिपोर्ट जनसाधारण की प्रतिसूचनाएं तथा टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 3 मार्च 2008 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट में डाल दी गई। तकनीकी परामर्शदात्री समिति ने जनसाधारण, विशेषज्ञों, बैंकों, बाजार के सहभागियों तथा भारत सरकार से प्राप्त प्रतिसूचनाओं तथा टिप्पणियों पर विचार करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया तथा 8 अगस्त 2008 को इसे जारी कर दिया गया।

दल की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार थीं:

- बैंकों को, पूंजी आवश्यकता सहित विवेकपूर्ण विनियमों के अधीन, आइआरएफ में ट्रेडिंग पोजिशन की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त, बिद्री के लिए उपलब्ध (एफएस) तथा व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर्निहित निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम को हेज करने के लिए बैंकों द्वारा आइआरएफ में भाग लेने की वर्तमान प्रथा को बैंकों के समग्र तुलनपत्र - तुलनपत्र तथा उससे बाह्य मदों सहित - में निहित ब्याज दर जोखिमों के लिए भी, आइआरएफ के पुनःप्रवर्तन के साथ, लागू किया जाना चाहिए।
- समग्र एसएलआर पोर्टफोलियो को परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत रखने संबंधी वर्तमान व्यवस्था की साथ-साथ समीक्षा की जानी चाहिए।
- जैसाकि लेखाविधि मानक 30 में परिकल्पना की गई है, आइआरएस, आइआरएफ तथा अंतर्निहित सरकारी प्रतिभूतियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लेखाविधि मानक अधिदेशात्मक बना दिया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि ये संतुलित तथा सामंजस्यपूर्ण हों।
- शॉर्ट सेलिंग की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि शॉर्ट सेल की मियाद/अभिप्राय/परिपक्वता, वायदा संविदा की मियाद/अभिप्राय/परिपक्वता के साथ ही हो जाती हो।
- सहायक सामान्य खाता बही (एसपीएल) की बाउंसिंग के लिए वर्तमान के दंडात्मक विनियामक दंड के बजाए एक पारदर्शी तथा नियम आधारित आर्थिक दंड की प्रणाली निर्धारित की जाए।

- रिपो बाजार की तरलता तथा कुशलता में सुधार लाया जाए।
- आइआरएफ पर व्यापक नीति तैयार करके, उत्पाद तथा सहभागियों सहित वित्तीय प्रणाली की कुशलता तथा उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक का होना चाहिए जबकि सूक्ष्मतर ब्यौरों, जो एक्सचेंज के सहभागियों के आपसी संपर्क से निरूपित होते हैं, का निर्धारण संबंधित एक्सचेंजों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों को आइआरएफ बाजार में लांग पोजिशन लेने की अनुमति दी जाए बशर्ते नकदी तथा आइआरएफ बाजार का सकल एक्सपोजर, अधिकतम स्वीकार्य नकदी बाजार एक्सपोजर की वर्तमान स्वीकार्य सीमा से अधिक न हो। विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों को भी उक्त अधिकतम स्वीकार्य सीमा के अधीन केवल नकदी बाजार के एक्सपोजर को हेज करने के लिए आइआरएफ में शॉर्ट पोजिशन लेने की अनुमति दी जाए।
- शुरु में, बांड फ्यूचर्स के खंड में कल्पित, कूपन सहित, 10 वर्षीय भारत सरकार प्रतिभूति आधारित आइआरएफ संविदा प्रारंभ की जाए। 2 वर्षीय, 5 वर्षीय तथा 30 वर्षीय भारत सरकार प्रतिभूतियों अथवा संबंधित एक्सचेंज द्वारा अन्य परिपक्वता अवधि अथवा कूपन आधारित संविदा की शुरुआत किया जाना बाजार के प्रतिसाद तथा आवश्यकता पर निर्भर करेगा।
- संविदा का निपटारा भौतिक रूप में किया जाए तथा संविदा को समर्थन देने हेतु अंतर्निहित बाजार की तरलता में सुधार सहित, आवश्यक सूक्ष्म-संरचनागत परिवर्तन किए जाएं।
- चालाकी से बाजार को प्रभावित करने की संभावना को कम करने के उद्देश्य से एक्सचेंजों द्वारा सुपुर्दगी योग्य प्रतिभूतियों की सकल सीमा को 20,000 करोड़ रुपए के सांकेतिक न्यूनतम सकल बकाया स्टॉक तक सीमित किया जाए।
- संविदा का निपटारा भौतिक रूप में किया जाएगा, अतएव आइआरएफ के व्यापार के समय तथा अंतर्निहित भारत सरकार प्रतिभूतियों के व्यापार के समय में सामंजस्य स्थापित किया जाए।
- 91 दिवसीय राजकोषीय बिल फ्यूचर्स पर वर्तमान संविदा को भारतीय रिजर्व बैंक की साप्ताहिक निलामी में निर्धारित आय पर आधारित निपटान मूल्य पर बनाए रखा जाए। एक्सचेंज में ट्रेड की गयी/वास्तविक कॉल दरों के इंडेक्स पर आधारित संविदा के बारे में विचार किया जाए।
- नकदी बाजार में सुपुर्दगी आधारित लंबी अवधि/अभिप्राय/परिपक्वतावाली शॉर्ट सेलिंग की अनुमति केवल बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को दी जाए।
- भारत सरकार प्रतिभूतियों (तथा अन्य ऋण लिखतों) में नकदी बाजार तथा आइआरएफ के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए तथा साथ ही, आइआरएफ बाजार, जो कि ऋण बाजार की गहनता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, में तरलता को बढ़ाने के उद्देश्य से आइआरएफ को प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से छूट दी जाए।
- स्वाभाविक परिणाम के रूप में ब्याज दरों पर आप्शन प्रारंभ किया जाए।

पास रखे निधि खातों के जरिए सरकारी प्रतिभूति लेनदेनों के निपटान की अनुमति देने के लिए एक सेटेलमेंट व्यवस्था की स्थापना।

एनडीएस-आर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म

V.9 एनडीएस-ओएम, जो कि एनडीएस पर अनाम आदेश-आधारित सरकारी प्रतिभूति कारोबार का मॉड्यूल है, का प्रारंभ अगस्त 2005 में किया गया था तथा इस तक पहुंच की अनुमति प्रारंभ में वाणिज्य बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को दी गई थी परंतु बाद में अन्य एनडीएस सदस्यों जैसे, बीमा कंपनियों, पारस्परिक निधियों तथा बड़ी भविष्य निधियों को भी इस तक पहुंच की अनुमति दी गई। सीधी पहुंच के अलावा मई 2007 से सहभागियों की चुनिंदा श्रेणियों अर्थात् जमाराशि लेनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, पारस्परिक निधियों, बीमा कंपनियों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा न्यासों को ग्राहक के सहायक सामान्य खाता-बही (सीएसजीएल) के माध्यम से अप्रत्यक्ष पहुंच की अनुमति दी गई। नवंबर 2007 से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि न लेनेवाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) को सीएसजीएल सुविधा प्रदान की गई। मई 2008 से एनडीएस-ओएम पर सीएसजीएल सुविधा तक पहुंच को और विस्तारित करके उसमें अन्य जमाराशि न लेने वाली एनबीएफसी, कार्पोरेटों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) को शामिल किया गया। इन संस्थाओं को अनुमति दी गई कि वे सीएसजीएल रूट का उपयोग करके एनडीएस-ओएम के सीधे सदस्यों अर्थात् बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के जरिए एनडीएस-ओएम पर आदेश दे सकते हैं। ऐसे कारोबार का निपटारा सीएसजीएल खातों एवं एनडीएस-ओएम सदस्य के चालू खाते के जरिए किया जाएगा।

एनडीएस-ओएम के बाहर मंदड़िया बिक्री (शार्ट सेल) व जब जारी लेनदेन

V.10 शार्ट सेल तथा 'जब जारी' लेनदेन क्रमशः फरवरी 2006 तथा मई 2006 में प्रारंभ किए गए तथा शुरुआत में एनडीएस-ओएम पर ही इनके किए जाने की अनुमति थी। व्यापक बाजार सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1 जनवरी 2008 से शार्ट सेल और 'जब जारी' लेनदेनों के कवर लेनदेन एनडीएस-ओएम से बाहर अर्थात् टेलीफोन बाजार अथवा प्राथमिक निर्गम में खरीदी के माध्यम से करने की अनुमति दी गई।

एनडीएस पर सरकारी प्रतिभूतियों में विविध रूपात्मक (मोडल) निपटारा

V.11 वर्तमान में, एनडीएस सदस्यों द्वारा सरकारी प्रतिभूति लेनदेनों के निपटारे के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में चालू खाता तथा सहायक

सामान्य खाता बही का होना अधिदेशात्मक है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक का मध्यावधि लक्ष्य यह है कि चालू खाते की सुविधा केवल बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों को ही दी जाए, जिसके कारण बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों से इतर संस्थाओं द्वारा धारित चालू खातों को क्रमशः बंद करने की आवश्यकता होगी। तदनुसार, सरकारी प्रतिभूति बाजार में विविध रूपात्मक निपटारा (एमएमएस) प्रणाली प्रारंभ की गई ताकि एनडीएस के बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों से इतर सदस्यों द्वारा किए गए सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों के निपटारे में सुविधा हो सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत, लेनदेन के निधि वाले पक्ष का निपटारा 'नामोद्दिष्ट निपटारा बैंक' (डीएसबी) के रूप में चुने गए चुनिंदा वाणिज्य बैंकों में रखे उनके निधि खातों के माध्यम से किया जाता है। इन संस्थाओं के सरकारी प्रतिभूति संबंधी सभी लेनदेन अर्थात् द्वितीयक बाजार, प्राथमिक बाजार तथा सरकारी प्रतिभूतियों संबंधी भुगतान (ब्याज भुगतान तथा चुकौतियां) 'डीएसबी' के चालू खाते के माध्यम से किए जाएंगे जिनके पास बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों से इतर संस्थाओं ने निपटारे के प्रयोजन से ऐसे खाते खोल रखे हैं। इस संबंध में दिशानिर्देश 2 जून 2008 को जारी किए गए तथा यह प्रणाली 16 जून 2008 से लागू हो गई।

कार्पोरेट बांड बाजार

V.12 रिजर्व बैंक ने कार्पोरेट बांड तथा प्रतिभूतिकरण पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डा. आर. एच. पाटील) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रयास जारी रखे। समिति की सिफारिशों में से एक कार्पोरेट बांडों के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्मों की स्थापना थी। ट्रेड रिपोर्ट करने के प्लेटफॉर्म की स्थापना राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.(एनएसई), बंबई शेयर बाजार लि.(बीएसई) तथा भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (फिम्डा) द्वारा की जा चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विनियमित संस्थाओं को उनके ओटीसी ट्रेड फिम्डा प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जहां तक कार्पोरेट बांडों में रिपो प्रारंभ करने का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2008-09 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषणा की कि अधिक सार्वजनिक निर्गमों तथा द्वितीयक बाजार ट्रेडिंग के जरिए बेहतर कीमत निर्धारण, तथा सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) III एवं स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग (एसटीपी) जैसे पूर्व शर्तों के पूरा होते ही इसके बारे में विचार किया जाएगा।

प्राथमिक व्यापारी

V.13 प्राथमिक व्यापारियों की संख्या मार्च 2007 के अंत के 17 से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 19 हो गई। इनमें से 9 गैर बैंक संस्थाएं (स्टैंड अलोन पीडी) थीं तथा शेष 10 ऐसे बैंक थे जो विभागीय तौर पर प्राथमिक व्यापारी का कारोबार (बैंक-पीडी) कर रहे थे। जुलाई 2006 में प्राथमिक व्यापारियों को स्टेप डाउन सब्सिडियरी स्थापित करने से रोक लगा दी गई। जिन प्राथमिक व्यापारियों की पहले से ही स्टेप डाउन सब्सिडियरियां (भारत तथा विदेश में) थीं उनसे अपेक्षा की गई कि वे इन सब्सिडियरियों के स्वामित्व के स्वरूप का पुनर्गठन करें। स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों ने वर्ष 2007-08 के दौरान इन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

V.14 पिछले कई वर्षों से सरकारी प्रतिभूति बाजार का उल्लेखनीय रूप से विकास हुआ है तथा प्राथमिक व्यापारियों ने, 1996 में पहली बार कारोबार की अनुमति दिए जाने के बाद से, सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास की प्रक्रिया में उल्लेखनीय योगदान दिया है (बाक्स V.2)।

विदेशी मुद्रा बाजार

V.15 वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा कारोबार के संचालन हेतु अधिक सहायक वातावरण मुहैया कराने हेतु कई पहलें कीं। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेनों को निरंतर उदारीकृत करके, नियंत्रणों को हटाकर तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर त्वरित तथा दक्ष ग्राहक सेवा उपलब्ध कराना है। इसके साथ-साथ, प्राधिकृत व्यापारियों को अधिकार प्रत्यायोजित किए गए ताकि लेनदेनों को आम लोगों के लिए सरल बनाया जा सके। पूंजी खाते को खोलने की दिशा में भारत के सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण तथा यह कि पूंजी खाते के उदारीकरण को कतिपय पूर्वशर्तों की पूर्ति पर निर्भर प्रक्रिया के रूप में देखे जाने से भारत अच्छी स्थिति में आ गया है। पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता (सीएफसीएसी) संबंधी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा लेनदेनों को और उदार बनाने की दिशा में कई उपाय प्रारंभ किए गए।

चालू खाता संबंधी उपाय

निर्यात

V.16 प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई कि वे खराब गुणवत्ता के कारण भारत में पुनः आयातित वस्तुओं के संबंध में, पुनः आयात के साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत, निर्यात से प्राप्त राशि की वापसी हेतु अनुमति दे सकते हैं। पुनः आयात संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्त में इस रूप में ढील दी गई कि वस्तुओं का निर्यातकर्ता एक वचनपत्र प्रस्तुत

करेगा कि प्रेषण की तारीख से तीन माह के अंदर वस्तुओं का पुनः आयात किया जाएगा।

आयात

V.17 आयातकों को उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित उदारीकरण / सरलीकरण की प्रक्रिया लागू की गई:

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे भारत में बीपीओ कंपनियों को उनके विदेश स्थित साइट पर आयात करके लगाए जाने वाले उपस्करों की लागत के संबंध में, कतिपय शर्तों के अधीन, राशि प्रेषित कर सकते हैं।

(ii) नियमित विमान यातायात सेवा प्रारंभ करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमति प्राप्त एयरलाइन कंपनियों को अनुमति दी गई कि वे बैंक गारंटी के बिना 50 मिलियन अमरीकी डालर तक का अग्रिम प्रेषण कर सकते हैं। अन्य सभी मामलों में, बिना बैंक गारंटी/साख पत्र के अग्रिम प्रेषण की वर्तमान 10,00,000 अमरीकी डॉलर की सीमा बनी हुई है।

(iii) उन मामलों में जहां अपरिष्कृत हिरों, अपरिष्कृत बहुमूल्य तथा कम बहुमूल्य रत्नों के आयातकों को आयात बिलों के दस्तावेज विदेशी आपूर्तिकर्ता से सीधे प्राप्त हुए हों, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे आयात के संबंध में 3,00,000 अमरीकी डालर तक की राशि का प्रेषण कर सकते हैं।

प्रेषण सुविधाएं

V.18 अच्छी ट्रैकरिकार्ड वाली भारतीय कंपनियों को अपनी विदेशी मुद्रा आय में से भारत से बाहर चेयर की स्थापना हेतु राशि प्रेषित करने की अनुमति दी गई जबकि इससे पहले ऐसी स्थिति में मामला-दर-मामला आधार पर अनुमति दी जाती थी। प्राधिकृत व्यापारियों को यह अधिकार प्रत्यायोजित किया गया कि वे भारतीय कंपनियों द्वारा कतिपय विशिष्ट प्रयोजन हेतु दिए गए दान की राशि प्रेषित कर सकेंगे, बशर्ते यह राशि कंपनी की पिछले तीन वर्षों की विदेशी मुद्रा आय के एक प्रतिशत अथवा 5 मिलियन अमरीकी डालर, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा के भीतर हो। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश से प्राप्त की गई परामर्शी सेवाओं के लिए प्रेषण की सीमा को प्रति परियोजना 1 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 10 मिलियन अमरीकी डालर किया गया है। अन्य सभी मामलों में प्रति परियोजना 1 मिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा बरकरार रहेगी। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे कंपनी द्वारा लाए गए निवेश के 5 प्रतिशत तक अथवा 1,00,000 अमरीकी डालर,

बॉक्स V.2
सरकारी प्रतिभूति बाजार और प्राथमिक व्यापारी

1992 में प्रारंभ की गई सरकारी प्रतिभूति बाजार सुधार प्रक्रिया के महत्व वाले क्षेत्रों में एक यह था कि सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में सक्रिय कारोबार हेतु एक समर्पित संस्थागत व्यवस्था का विकास किया जाए। इस क्रम में सरकारी प्रतिभूति बाजार में संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत में 1996 में प्राथमिक व्यापारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। प्राथमिक व्यापारियों के लिए परिकल्पित भूमिकाओं में प्राथमिक बाजार निर्गमों को समर्थन देना तथा द्वितीयक बाजार में तरलता बढ़ाने में सहायता करना था।

2005-06 से 2007-08 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की निलामियों के आंकड़ों के विश्लेषणों से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक बाजार के कार्यकलापों में प्राथमिक व्यापारियों ने प्रमुख भूमिका अदा की है। राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिक बाजार से रिजर्व बैंक के अलग हो जाने की पृष्ठभूमि में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्राथमिक व्यापारियों का उत्तदायित्व है कि वे दिनांकित केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियों की निलामियों की हामीदारी करें और कम-से-कम अपनी हामीदारी प्रतिबद्धता के बराबर राशि के लिए बोली भी लगाएं। जैसा कि सफ्ट है, सरकारी प्रतिभूति के लिए बाजार मांग के अधिकांश हिस्से का सृजन प्राथमिक व्यापारियों से होता है। जैसा कि बोली-कवर अनुपात में परिलक्षित होता है, निर्गमों की मात्रा में बढ़ोतरी के अनुरूप खाजाना बिलों तथा दिनांकित प्रतिभूतियों की निलामियों में प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत की गई कुल बोली में हाल के वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। प्राथमिक व्यापारी अल्पावधि तथा मध्यावधि प्रतिभूतियों की निलामियों में प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाते रहे हैं। प्राथमिक निलामी आबंटनों में भी प्राथमिक व्यापारियों का एक प्रमुख हिस्सा (45 प्रतिशत से अधिक) रहा है (चार्ट)। तथापि, प्राथमिक व्यापारियों का सफलता अनुपात

सारणी: भारत सरकार- बाजार से उधारी



वर्ष	कुल बाजार उधारियां (दिनांकित प्रतिभूतियां)	निलामियों के जरिए उगाही गई	रिजर्व बैंक पर (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1996-97	27,911	27,911	3,698
1997-98	43,390	37,390	7,028
1998-99	83,753	53,753	8,205
1999-00	86,630	59,630	-
2000-01	1,00,183	82,183	13,151
2001-02	1,14,213	86,000	679
2002-03	1,25,000 *	94,000	5,175
2003-04	1,21,500 *	1,00,000	-
2004-05	80,350	80,000	847
2005-06	1,31,000	1,21,000	-
2006-07	1,46,000	1,46,000	-
2007-08	1,56,000	1,56,000	-
2008-09 #	82,000	82,000	-

* : बाह्य ऋण की समय पूर्व चुकौती के लिए लिया गया उधार शामिल है
#: 11 अगस्त 2008 तक

अन्य निवेशक समूहों, जिनके लिए न्यूनतम बोली की बाध्यता नहीं है, के मुकाबले तुलनात्मक रूप से निम्न रहा है।

प्राथमिक निर्गमों में भारतीय रिजर्व बैंक पर निर्भरता में पिछले कई वर्षों से क्रमशः कमी लाई जा रही है (सारणी)। 1 अप्रैल 2006 से भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक बाजार से अलग हो जाने के के बावजूद प्राथमिक व्यापारी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के कारण सरकारी उधारी का कार्य बाजार में बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

चार्ट: प्राथमिक निर्गमों में निवेशक श्रेणी-वार हिस्सा



इनमें से जो भी अधिक हो, की निगमन-पूर्व की भारत में व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं (पहले यह सीमा केवल 1,00,000 अमरीकी डालर तक ही थी)।

V.19 भारत में जहाज / कर्मीदल प्रबंधनकर्ता एजेंसियों, जो भारत से बाहर निगमित नौ-परिवहन कंपनियों को सेवाएं देती हैं, को अनुमति

दी गई कि वे अपने सामान्य कारोबार संबंधी लेनदेनों के प्रयोजन से कतिपय सामान्य शर्तों के अधीन भारत में गैर ब्याज अर्जक विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे भारत में तेल की खोज के लिए आपरेटरों को, कतिपय शर्तों के अधीन, भारत में विदेशी मुद्रा अथवा रुपया खाते में जमा के जरिए नकद मांग के प्रति भुगतान कर सकते हैं।

V.20 रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत विदेशी मुद्रा गृहों द्वारा वोस्ट्रो खाता रखने संबंधी दिशानिर्देशों को फरवरी 2008 में और उदार बनाया गया। हाल के वर्षों में आरडीए तथा मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अंतर्गत निजी प्रेषणों में काफी बढ़ोतरी हुई है जो रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार के अंतरणों को सुकर बनाने के प्रयासों को दर्शाता है। (बॉक्स V.3)।

विदेशी मुद्रा अर्जकों का विदेशी मुद्रा खाता

V.21 वैश्विक बाजारों की चुनौतियों के प्रबंधन हेतु छोटे तथा मझोले उद्यमों (एसएमई) को एक अवसर देने के उद्देश्य से सभी विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता धारकों को 31 अक्टूबर 2008 को अथवा उससे पूर्व परिपक्व होनेवाली 1 वर्ष तक की मीयादी जमारशि के रूप में 1 मिलियन अमरीकी डालर तक की बकाया राशि

बॉक्स V.3

रुपया आहरण व्यवस्था तथा मुद्रा अंतरण सेवा योजना

1990 के दशक से प्रेषण की सतत वृद्धि में बाजार-आधारित विनिमय दर सहित ढांचागत सुधार, चालू खाता परिवर्तनीयता, साथ ही श्रमिक बहिर्वाह पैटर्न में अर्धकुशल से उच्च कुशल श्रेणी की ओर बढ़ते बदलाव की महत्वपूर्ण समर्थनकारी भूमिका रही है। प्रेषणों की वृद्धि में बैंकिंग चैनल, मुद्रा अंतरण एजेंसी तथा डाकघर जैसी त्वरित तथा किफायती मुद्रा अंतरण व्यवस्था के जरिए प्रेषणों के प्रवाह को सुकर बनाने हेतु किए गए नीतिगत उपायों ने प्रेषणों की वृद्धि में योगदान दिया है। यद्यपि भारत में प्राप्त होनेवाले प्रेषणों का अधिकांश भाग बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आता है, फिर भी हाल के वर्षों में दो योजनाओं, यथा - (i) रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) तथा (ii) मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) का महत्व भी इस संबंध में काफी बढ़ गया है। ये दो योजनाएं सरल तथा त्वरित परिचालन का लाभ उपलब्ध कराती हैं तथा प्रेषण सुविधाओं को देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए)

रुपया आहरण व्यवस्था योजना के अंतर्गत श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीमा पार से भारत में आक प्रेषणों को प्राप्त करने के लिए खाड़ी के देशों, हांगकांग तथा सिंगापुर के एक्सचेंज हाउसों में वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी गई। आरडीए की तीन श्रेणियां हैं, यथा - नामित डिपॉजिटरी एजेंसी (डीडीए), गैर-डीडीए तथा स्पीड रेमिटेंस। इनमें से प्रत्येक व्यवस्था के लिए एक्सचेंज हाउस द्वारा रुपए में अलग-अलग वोस्ट्रो एकाउंट खोलना आवश्यक होता है। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत कोई नकद भुगतान नहीं किया जाता। इन व्यवस्थाओं का उपयोग धर्मार्थ संस्थाओं को दान/अभिदान करने के लिए नहीं किया जा सकता। इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत 2,00,000 रुपए (प्रति लेनदेन) तक का व्यापार संबंधी प्रेषण किया जा सकता है। एनआरई खाते में जमा करने की भी अनुमति है। तथापि इस व्यवस्था के अंतर्गत जावक प्रेषण करने की परिकल्पना नहीं की गई है।

अप्रैल 2008 तक आरडीए के अंतर्गत 39 बैंकों तथा 69 एक्सचेंज हाउस के बीच आपसी संबंध था। 69 एक्सचेंज हाउस में से 66 एक्सचेंज हाउस खाड़ी देशों में, 1 हांगकांग में तथा 2 सिंगापुर में निगमित थे। इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रेषणों में 2003 से उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है (सारणी क)।

मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)

एमटीएसएस विदेश से भारत में हिताधिकारी को निजी प्रेषण भेजने का त्वरित तथा सरल उपाय है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के भरण-पोषण के लिए प्रेषण तथा भारत भ्रमण के लिए आए विदेशी पर्यटकों को प्रेषण जैसे व्यक्तिगत प्रेषण ही किए जा सकते हैं। एमटीएसएस के अंतर्गत धर्मार्थ संस्थाओं/ ट्रस्टों को दान/ अंशदान करने की अनुमति नहीं है। इस प्रणाली में प्रतिष्ठित विदेशी मुद्रा अंतरण कंपनी और प्राधिकृत व्यापारी तथा स्वयंपूर्ण मुद्रा परिवर्तक जैसे भारत में उनके एजेंट के बीच आपसी साझेदारी की परिकल्पना की गई है जो हिताधिकारी को चालू विनिमय दर पर भारत में राशि का भुगतान करेगा। इस प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त प्रेषण का प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत विदेशी प्रिंसिपल के अनुदेश पर भारतीय एजेंट हिताधिकारी को पहले भुगतान करता है तथा विदेशी प्रिंसिपल द्वारा उसे एक-दो दिन में सामान्य बैंकिंग के माध्यम से राशि तथा कमीशन का भुगतान कर दिया जाता है। योजना के अंतर्गत एक लेनदेन के लिए 2500 अमरीकी डालर की सीमा निर्धारित की गई है। 50,000 रुपए तक की राशि का भुगतान नकद रूप में किया जा सकता है। इससे अधिक की राशि का भुगतान चेक/ मांग ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश द्वारा अथवा हिताधिकारी के खाते में सीधे राशि जमा करके किया जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा एक कैलेंडर वर्ष के दौरान केवल 12 प्रेषण प्राप्त किए जा सकते हैं।

अप्रैल 2008 के अंत में, एमटीएसएस के अंतर्गत 26 भारतीय एजेंट तथा 11 विदेशी प्रिंसिपल थे। प्राप्त प्रेषणों की कुल राशि में 2003 से निरंतर वृद्धि हो रही है (सारणी ख)।

सारणी क : आरडीए के अंतर्गत प्राप्त प्रेषण

वर्ष	मिलियन अमरीकी डालर	घटबढ़ (प्रतिशत)
1	2	3
2003	5,414	-
2004	6,125	13.2
2005	7,334	19.7
2006	8,834	20.5
2007	11,635	31.7

सारणी ख: एमटीएसएस के अंतर्गत प्राप्त प्रेषण

वर्ष	मिलियन अमरीकी डालर	घटबढ़ (प्रतिशत)
1	2	3
2003	836	-
2004	1,261	51.0
2005	1,982	57.1
2006	3,271	65.1
2007	5,344	63.4

रखने की अनुमति दी गई। तथापि, इस प्रकार की जमाराशि पर ब्याज की दरें बैंकों द्वारा तय की जाएंगी। यह निर्णय लिया गया कि यह सुविधा 01 नवंबर 2008 से हटा ली जाए। तदनुसार, सभी ईईएफसी खातों को केवल ब्याज अनर्जक चालू खाते के रूप में खोले तथा बनाए रखे जाने की अनुमति होगी।

पूँजी खाता संबंधी उपाय

उदारीकृत प्रेषण योजना

V.22 विदेशी मुद्रा लेनदेनों के संबंध में और अधिक लचीलापन लाने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत प्रेषण की सीमा को मई 2007 में 50,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर तथा सितंबर 2007 में पुनः बढ़ाकर 2,00,000 अमरीकी डालर प्रति वित्तीय वर्ष किया गया। यह भी निर्धारित किया गया कि बैंक निवासी व्यक्तियों को एलआरएस के अंतर्गत प्रेषण हेतु किसी भी प्रकार की ऋण सुविधाएं न दें तथा विदेशी एक्सचेंज/विदेशी काउंटरपार्टी के साथ मार्जिन अथवा मार्जिन कॉल की प्रकृति के लेनदेन न करें।

कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना

V.23 प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों¹ को यह अनुमति दी गई कि वे भारतीय कंपनियों के अनिवासी भारतीय कर्मचारियों को कंपनियों के शेयरों की खरीद के लिए कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (ईएसओपी) स्कीम के अंतर्गत, कतिपय शर्तों के अधीन, रुपया ऋण प्रदान कर सकते हैं।

बाह्य वाणिज्यिक उधार

V.24 कंपनियों को अपनी चलनिधि तथा ब्याज लागत के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के समयपूर्व भुगतान की सीमा को, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना तथा ऋण के लिए प्रयोज्य न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के अनुपालन की शर्त के अधीन, दिसंबर 2006 के 300 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर अप्रैल 2007 में 400 मिलियन अमरीकी डालर तथा सितंबर 2007 में 500 मिलियन अमरीकी डालर किया गया।

V.25 मई 2007 में बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी नीति की समीक्षा की गई। यह निर्णय लिया गया कि ईसीबी के स्वीकार्य अंतिम उपयोग के रूप में 'समेकित टाउनशिप का विकास' के लिए दी गई छूट को समाप्त

कर दिया जाए। इससे पहले, ईसीबी से प्राप्त राशि को समेकित टाउनशिप के विकास के लिए उपयोग करने की अनुमति थी। इसके अतिरिक्त, भारत की सरकारी क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड में उन्नीत किए जाने के कारण, 3 से 5 वर्ष तक की औसत परिपक्वता वाली ईसीबी के लिए सभी कीमत शामिल उच्चतम सीमा को संशोधित करके 6 माह लिबोर के ऊपर 200 आधार अंक (बीपीएस) से घटाकर 150 आधार अंक तथा 5 वर्ष से अधिक की औसत परिपक्वता वाली ईसीबी के लिए 350 आधार अंक से घटाकर 250 आधार अंक किया गया।

V.26 समीक्षा के बाद बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति को अगस्त 2007 में संशोधित किया गया। संशोधित नीति के अनुसार, प्रति उधारकर्ता कंपनी प्रति वर्ष 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति केवल बाह्य वाणिज्यिक उधार के स्वीकार्य अंतिम उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा व्यय हेतु होगी। तदनुसार, 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार की उगाही करने वाले उधारकर्ता को ऐसी राशि विदेश में रखनी होगी जिसका उपयोग स्वीकार्य अंतिम उपयोग हेतु विदेशी मुद्रा व्यय के रूप में किया जा सकेगा तथा ऐसी राशि को भारत में स्वचालित रूट अथवा अनुमोदन रूट दोनों के अंतर्गत नहीं लाया जा सकेगा। स्वचालित रूट के अंतर्गत स्वीकार्य अंतिम उपयोग हेतु विदेशी मुद्रा व्ययों के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रति वित्तीय वर्ष प्रति उधारकर्ता कंपनी के लिए स्वीकार्य है तथा ऐसी निधि विदेश में रखी जाएगी एवं उसे भारत में प्रेषित नहीं किया जा सकेगा। जो उधारकर्ता स्वीकार्य अंतिम उपयोग हेतु रुपया व्यय के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधार लेना चाहते हैं उन्हें इसके लिए अनुमोदन रूट के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेना जरूरी है। बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी अन्य सभी बातों जैसे- पात्र उधारकर्ता, स्वचालित रूट के अंतर्गत प्रति उधारकर्ता कंपनी प्रति वित्तीय वर्ष की 500 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा, स्वीकृत उधारदाता, औसत परिपक्वता अवधि, सभी लागत सहित उच्चतम सीमा, समय पूर्व भुगतान, विद्यमान बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्त तथा रिपोर्टिंग की व्यवस्था को यथावत् रखा गया है।

V.27 मई 2008 में बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी नीति की पुनः समीक्षा की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अनुमोदन रूट के अंतर्गत बुनियादी ढांचा क्षेत्र के उधारकर्ता स्वीकार्य अंतिम उपयोग हेतु रुपया व्यय के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का बाह्य वाणिज्यिक

¹ उन बैंकों (अर्थात् अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों) को प्राधिकृत व्यापारी-I बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो वर्तमान में विदेशी मुद्रा कारोबार करने हेतु प्राधिकृत हैं। ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार, सभी चालू तथा पूँजी खाता लेनदेनों में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत हैं।

उधार ले सकते हैं। अन्य उधारकर्ताओं के मामलों में, अनुमोदन रूट के अंतर्गत स्वीकार्य अंतिम उपयोग हेतु रुपया व्यय के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया। 3 से 5 वर्ष तक की औसत परिपक्वता वाली ईसीबी के लिए सभी कीमत शामिल उच्चतम सीमा को संशोधित करके 6 माह लिबोर के ऊपर 150 आधार अंक (बीपीएस) से बढ़ाकर 200 आधार अंक तथा 5 वर्ष से अधिक की औसत परिपक्वता वाली ईसीबी के लिए 250 आधार अंक से बढ़ाकर 350 आधार अंक कर दिया गया।

V. 28 जून 2008 में, यह निर्णय लिया गया कि सेवा क्षेत्र की संस्थाओं जैसे- होटलों, अस्पतालों तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों को अनुमोदन रूट के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर प्रति वित्तीय वर्ष तक का बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी जाए।

V. 29 एक वर्ष तक के व्यापार ऋण के लिए सभी कीमत शामिल उच्चतम सीमा में संशोधन करके ऋण की संबंधित मुद्रा अथवा प्रयोज्य बेंचमार्क के छह माह लिबोर के ऊपर 50 आधार अंक से बढ़ाकर छह माह लिबोर के ऊपर 75 आधार अंक कर दिया गया।

V. 30 11 जुलाई 2008 से भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया तथा प्राथमिक व्यापारी श्रेणी I बैंकों को अनुमति दी गई कि उधारकर्ता द्वारा जुटाए जाने वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने हेतु वे अचल संपत्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन करने तथा विदेशी ऋणदाता/ प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में कापेरिट अथवा निजी गारंटी जारी करने के लिए, कतिपय शर्तों के अधीन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत 'अनापत्ति' सूचित कर सकते हैं।

विदेश में प्रत्यक्ष निवेश

V.31 कंपनियों को विदेश में उनके निवेश के संबंध में अधिक परिचालनगत लचीलापन मुहैया कराया गया। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल थीं।

(i) पंजीकृत साझेदारी फर्म सहित भारतीय संस्थाओं (संसद के अधिनियम के अंतर्गत भारत में निगमित कंपनियों) की विदेश में निवेश की सीमा (कुल वित्तीय प्रतिबद्धता) को जून 2007 में उनके पिछले लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार उनकी निवल मालियत के 200 प्रतिशत (पंजीकृत साझेदारी फर्म के लिए 200 प्रतिशत की सीमा बरकरार है) से बढ़ाकर 300 प्रतिशत तथा सितंबर 2007 में पुनः बढ़ाकर 400 प्रतिशत कर दिया गया। सकल वित्तीय प्रतिबद्धता के

निर्धारण के लिए 50 प्रतिशत के परिवर्तन कारक (कंवर्सन फैक्टर) के स्थान पर गारंटी की मात्रा राशि के 100 प्रतिशत के रूप में हिसाब में ली गई। विदेश में अधिग्रहण की लागत तथा उसके निधीयन के उपाय एवं निष्पादन सूचकों संबंधी आंकड़े प्राप्त करने के लिए भी विदेश में निवेश संबंधी एक संशोधित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का प्रारंभ किया गया।

(ii) विदेश स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध तथा भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में न्यूनतम 10 प्रतिशत शेयर धारण करने वाली विदेशी कंपनियों की इक्विटियों तथा विदेशी कंपनियों द्वारा जारी रेडेड बांड/ नियत आय वाली प्रतिभूतियों में पोर्टफोलियो निवेश हेतु निवल मालियत की वर्तमान 25 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर निवेशकर्ता कंपनी की निवल मालियत का 35 प्रतिशत (जून 2007 में) तथा उसे पुनः बढ़ाकर 50 प्रतिशत (सितंबर 2007 में) किया गया। इसके अतिरिक्त, भारतीय कंपनियों में तदनुरूपी 10 प्रतिशत धारिता संबंधी अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया गया।

(iii) वास्तविक कारोबारी गतिविधियां करने वाली विदेशी कंपनी को जारी एडीआर/ जीडीआर के बदले में उसके शेयरों के भारतीय पार्टी द्वारा अर्जन को, कतिपय शर्तों के अधीन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के स्वीकार्य विधि के रूप में माना गया।

(iv) भारतीय पार्टियों को विदेश में निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्राप्त करने हेतु परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें अनुमति दी गई कि वे विदेशी संयुक्त उद्यमों/ पूर्णतः नियंत्रण वाली सहायक कंपनियों में धारित शेयरों को गिरवी के रूप में विदेशी उधारदाता को अंतरित कर सकती हैं, बशर्ते उधारदाता बैंक के रूप में नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित हो एवं भारतीय पार्टी की सकल वित्तीय प्रतिबद्धताएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार हों।

(v) सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों को अनुमति दी गई कि वे तेल क्षेत्र (अर्थात् तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज तथा ड्रिलिंग हेतु) की विदेश स्थित अनिगमित संस्था में निवेश हेतु बिना किसी सीमा के प्रेषण कर सकते हैं। यह सुविधा ओएनजीसी विदेश लि. तथा ऑयल इंडिया लि. को दी गई। अन्य भारतीय कंपनियों को पिछले लेखा परीक्षित तुलन

पत्र की तारीख को उनकी निवल मालियत के 400 प्रतिशत तक इस सुविधा का लाभ लेने की अनुमति दी गई। 400 प्रतिशत से अधिक के निवेश के लिए रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है।

(vi) भारतीय कंपनियों को अनुमति दी गई कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से, पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को उनकी निवल मालियत के 400 प्रतिशत से अधिक का निवेश तेल, गैस, कोयला तथा खनिज अयस्क जैसे ऊर्जा तथा प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में कर सकते हैं।

(vii) रिपोर्टिंग प्रणाली की व्याप्ति में सुधार लाने तथा गतिशील परिवेश में प्रवाहों की निगरानी सुनिश्चित करने की दृष्टि से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआइ) हेतु रिपोर्टिंग प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया गया तथा एकल फार्म ओडीआइ निर्धारित की गई।

(viii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (इक्विटी और ऋण में) करने वाली निवासी संस्थाओं को ऐसे निवेश से उत्पन्न विनियम जोखिम का बचाव (हेज) वायदा/ आप्शन संविदा में शामिल होकर करने की अनुमति दी गई। ऐसी संविदा को नियत तारीख को सुपुर्दगी अथवा रोलओवर द्वारा पूरा करना आवश्यक है तथा इसे रद्द नहीं किया जा सकता। निवासियों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे ऐसी वायदा संविदाओं को रद्द कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, रद्द की गई 50 प्रतिशत संविदाओं को पुनः बुक करने की अनुमति दी गई।

V.32 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत पारस्परिक निधियों द्वारा विदेशी निवेश संबंधी प्रावधानों को और उदार बनाया गया:

(i) सेबी के पास पंजीकृत पारस्परिक निधियों द्वारा विदेशी निवेश की समग्र उच्चतम सीमा को मई 2007 के 4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर सितंबर 2007 में 5 बिलियन अमरीकी डालर तथा अप्रैल 2008 में पुनः बढ़ाकर 7 बिलियन अमरीकी डालर किया गया। सेबी द्वारा दी गई अनुमति के अधीन कुछ पात्र सीमित संख्यक भारतीय पारस्परिक निधियों को विदेशी एक्सचेंज में ट्रेड की जाने वाली निधियों में संचयी रूप में एक बिलियन अमरीकी डालर तक निवेश करने की अनुमति दिए जाने की वर्तमान सुविधा जारी रहेगी।

(ii) सेबी के पास पंजीकृत भारतीय पारस्परिक निधियों को अनुमति दी गई (जून 2007) कि वे सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन निम्नलिखित में निवेश कर सकते हैं - (क) वे विदेशी पारस्परिक निधियां जो गैर सूचीबद्ध विदेशी प्रतिभूतियों में अपनी निवल आस्तियों के 10 प्रतिशत से अनधिक नाममात्र निवेश करती हों; (ख) विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो प्रतिभूतियों में निवेश करती हो; तथा (ग) विदेशी कंपनियों के एडीआर/ जीडीआर।

V.33 बाह्य निवेश संबंधी नीति को और उदार बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया (जून 2008) कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से विनिर्माण/शैक्षिक क्षेत्रों में कार्यरत पंजीकृत न्यासों तथा समितियों को भारत से बाहर संयुक्त उद्यमों/ पूर्णतः नियंत्रण वाली सहायक कंपनियों में उसी क्षेत्र में निवेश करने के लिए अनुमति दी जाए।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

V.34 अंतर्वह की गुणवत्ता को देखते हुए तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे के व्यापक रूप में संकलन हेतु भारत सरकार के परामर्श से रिपोर्टिंग फार्म (एफसी-जीपीआर) में संशोधन किया गया। अनिवासी अर्जनकर्ताओं को परिचालनगत लचीलापन मुहैया कराने के उद्देश्य से सेबी के विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक निदेशों के अधीन, खुला प्रस्ताव/डिलिस्टिंग/निकासी प्रस्ताव के माध्यम से शेयरों/डिबेंचरों के अर्जन/अंतरण हेतु प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गयी कि वे अनिवासी कंपनियों के पक्ष में निलंब खाता तथा विशेष खाता खोल सकते हैं।

V.35 अधिमान शेयरों में विदेशी निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि केवल निर्धारित समयावधि में आनेवाली पूर्णतः तथा अधिदेशात्मक रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को पूँजी के भाग के रूप में माना जाएगा। अन्य किसी भी प्रकार के अधिमानी शेयरों को ऋण के रूप में माना जाएगा तथा वे बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी मानदंडों के अधीन होंगे। डिबेंचरों में विदेशी निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में भी संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि इक्विटी के हिस्से के रूप में केवल उन्हीं लिखतों को शामिल किया जाएगा जो निर्दिष्ट समयावधि में इक्विटी में पूर्णतः तथा अधिदेशात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती हों।

V.36 भारत सरकार के परामर्श से, अनिवासी निवेशकों को शेयर जारी करने की समयावधि अग्रिम प्रेषण प्राप्त होने के तारीख से 180 दिन निर्धारित की गयी। यदि 180 दिन के अंदर इक्विटी शेयर जारी नहीं किये जाते हैं तो प्राप्त अग्रिम की राशि बैंकिंग चैनलों अथवा निवेशक के एनआरई/ एफसीएनआर(बी) खाते में जमा के जरिये तत्काल लौटा

दी जानी चाहिए। अपवादात्मक स्थिति में राशि की वापसी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा। बांग्लादेश के नागरिकों/वहां निगमित संस्थाओं को अनुमति दी गई कि वे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) के पूर्व अनुमोदन से भारतीय कंपनी के शेयरों तथा परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद कर सकते हैं।

V.37 केंद्र सरकार तथा सेबी के परामर्श से सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप खातेदारों को कतिपय शर्तों के अधीन अनुमति दी गई कि वे भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयर उधार दे/ले सकते हैं तथा उन्हें शॉर्ट सेल कर सकते हैं।

V.38 ऋण सूचना कंपनियों में कतिपय शर्तों के अधीन 49 प्रतिशत तक की सकल सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। पण्य एक्सचेंजों में भी 49 प्रतिशत तक की समेकित सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति फारवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा जारी विनियमों के अधीन दी गई जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा 26 प्रतिशत तथा विदेशी संस्थागत निवेश की अधिकतम सीमा 23 प्रतिशत होगी।

विदेशी मुद्रा हेजिंग (बचाव व्यवस्था)

V.39 विदेशी मुद्रा बाजार को और गहन बनाने के उद्देश्य से, विदेशी मुद्रा हेजिंग को सुकर बनाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए:

(i) निर्यातकों/ आयातकों द्वारा एक्सपोजर के बारे में की गई घोषणा के अनुसार तथा पिछले कार्य-निष्पादन के आधार पर वायदा संविदा बुक करने हेतु पात्रता सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया गया। पात्रता सीमा से अधिक की बुक की गई संविदाएं सुपुर्दगी आधार पर होंगी तथा इन्हें रद्द नहीं किया जा सकेगा।

ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंकों, विशेष रूप से रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों को यह अधिकार दिया गया कि वे घरेलू उत्पादकों/ उपयोगकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंजों में उनके अंतर्निहित आर्थिक एक्सपोजर के आधार पर एल्यूमीनियम, तांबा, सीसा, निकल तथा जस्ता में अपनी मूल्य जोखिम को हेज करने की अनुमति दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह छूट दी गई कि वे अपने स्वविवेक पर एविएशन टर्बाइन फ्यूएल के वास्तविक उपयोगकर्ताओं को उनकी घरेलू खरीद के आधार पर अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंजों में आर्थिक एक्सपोजर को हेज करने की अनुमति दे सकते हैं।

(iii) छोटे तथा मझोले उद्यमों को वायदा तथा आप्शन का उपयोग करके उनके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मुद्रा एक्सपोजरों को हेज करने की अनुमति दी गई।

(iv) निवासी व्यक्तियों को अनुमति दी गई कि वे वायदा संविदा का उपयोग करके उनके आवक/ जावक प्रेषणों के संबंध में प्रति वित्तीय वर्ष 1,00,000 अमरीकी डालर तक के मुद्रा एक्सपोजरों को हेज कर सकते हैं।

(v) तेल की मार्केटिंग तथा रिफाइनिंग करने वाली घरेलू तेल कंपनियों को अनुमति दी गई कि वे पिछली तिमाही से पूर्ववर्ती तिमाही की मात्रा के आधार पर अपने माल के 50 प्रतिशत तक के पण्य मूल्य जोखिम को हेज कर सकती हैं। अवधि युक्त विदेशी ओटीसी/ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिवों का उपयोग करके किए जाने वाले हेज को अधिकतम एक वर्ष के वायदा तक सीमित किया गया।

(vi) कच्चे तेल की रिफाइनिंग करने वाली घरेलू कंपनियों को अनुमति दी गई कि वे विदेशी एक्सचेंजों/ बाजारों में अंतरराष्ट्रीय कीमतों से संबद्ध अंतर्निहित संविदा के आधार पर कच्चे तेल की घरेलू खरीद तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर पण्य कीमत जोखिम को हेज करने की अनुमति दे सकते हैं।

(vii) कच्चे तेल की रिफाइनिंग करने वाली घरेलू कंपनियों को अनुमति दी गई कि वे कच्चे तेल के आयात के लिए, पिछले वर्ष के दौरान के वास्तविक आयात की मात्रा के 50 प्रतिशत अथवा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान के आयात की औसत मात्रा के 50 प्रतिशत तक, विदेशी एक्सचेंजों/ बाजारों में अपने पण्य मूल्य जोखिम का हेज कर सकते हैं जो उनके पूर्व के निष्पादन के आधार पर होगा।

मुद्रा फ्यूचर्स

V.40 वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, मुद्रा फ्यूचर्स पर अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का अध्ययन करने तथा विद्यमान विधिक तथा विनियामक ढांचे के अंतर्गत प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु समुचित ढांचे के बारे में सुझाव देने के लिए मुद्रा फ्यूचर्स पर एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया गया। तदनुसार, आंतरिक कार्य दल (अध्यक्ष: श्री सलीम गंगाधरन) ने अन्य बातों के साथ-साथ उन कतिपय उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों का अध्ययन किया जहां पूंजी नियंत्रण के वातावरण में मुद्रा फ्यूचर्स एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं (बॉक्स V.4)। एक्सचेंजों पर मुद्रा फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के परिचालनात्मक पक्षों के संबंध में परामर्श देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक-सेबी स्थायी तकनीकी समिति का गठन किया गया। अगस्त 2008

बॉक्स V.4 मुद्रा फ्यूचर्स पर कार्य दल

शेष विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते एकीकरण तथा वित्तीय बाजारों की निरंतर बढ़ती गहनता के संदर्भ में पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधी समिति (अध्यक्ष: एस. एस. तारापोर) ने उचित व्यापार व्यवस्था, संविदा के ढांचे तथा विनियामक परिवेश द्वारा जोखिमों के नियंत्रण के अधीन, मुद्रा फ्यूचर्स प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 के जरिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करके रिजर्व बैंक को ब्याज दर, विदेशी मुद्रा तथा क्रेडिट डेरिवेटिव पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। वर्तमान विधिक तथा विनियामक ढांचे के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय अनुभव का अध्ययन करने तथा प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त ढांचे का सुझाव देने के लिए मुद्रा फ्यूचर्स पर एक आंतरिक कार्य दल (अध्यक्ष: श्री सलीम गंगाधरन) का गठन किया गया।

कार्य दल ने बैंकरों के एसोसिएशनों, बैंकों तथा भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों के ब्रोकरों सहित बाजार सहभागियों के विभिन्न वर्गों के साथ व्यापक चर्चा की। बाजार सहभागियों के साथ हुई चर्चाओं तथा अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर दल ने मुद्रा फ्यूचर्स को लागू करने हेतु भारतीय संदर्भ में उनके गुण-दोष का विश्लेषण करके विभिन्न विकल्पों का सुझाव दिया। उसके बाद इस विश्लेषण को मुद्रा, विदेशी मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार संबंधी तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। टीएसी के विचारों को शामिल करते हुए दल की रिपोर्ट का प्रारूप व्यापक प्रसार तथा प्रतिसूचना हेतु नवंबर 2007 में रिजर्व बैंक की वेबसाइट में डाल दिया गया। जनसाधारण, बैंकों, बाजार सहभागियों, विद्वज्जनों तथा भारत सरकार से प्राप्त प्रतिसूचनाओं / टिप्पणियों की टीएसी की बैठक में चर्चा की गई तथा अंतिम रिपोर्ट 28 अप्रैल 2008 को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट में डाल दी गई। कार्य दल की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित थीं-

- एक मानकीकृत अमरीकी डालर- भारतीय रुपया संविदा की शुरुआत की जाए; छह महीने बाद यूरो-भारतीय रुपया संविदा प्रारंभ की जाए।
- 1,000 अमरीकी डालर के कल्पित मूल्य वाली एकल संविदा, वायदा बाजार की प्रथा के अनुरूप, पहले 12 महीनों के लिए प्रारंभ की जाए। संविदाओं का नकद निपटान किया जाएगा।
- प्रारंभ में, मुद्रा फ्यूचर्स बाजार में सहभागिता निवासियों तक सीमित रखी जाए तथा इसके लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या दी जाए ताकि फ्यूचर्स एक्सचेंजों में सहभागियों के विभिन्न वर्गों की पहचान स्पष्ट हो सके।
- बैंकों को अपने तथा ग्राहकों के खाते के संबंध में व्यापार-व-क्लियरिंग सदस्य एवं प्रोफेशनल क्लियरिंग सदस्य दोनों के रूप में फ्यूचर्स एक्सचेंजों का प्रत्यक्ष सदस्य बनने की अनुमति दी जाए।
- मुद्रा फ्यूचर्स बाजार में ब्रोकरों को अनुमति दी जाए, बशर्ते वे 'उपयुक्त तथा उचित' मानदंडों तथा अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यन तथा सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीकृत समाशोधन दृष्टिकोण की अपेक्षा एक्सचेंज विशिष्ट समाशोधन कार्पोरेशन को वरीयता दी जाए।
- सहभागियों की संख्या निर्धारित करने अथवा उसमें बदलाव करने तथा/ अथवा सहभागी-वार पोजिशन सीमा तय करने अथवा वित्तीय स्थिरता के हित में अन्य कोई विवेकपूर्ण सीमा तय करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखा जाना चाहिए।

- मुद्रा फ्यूचर्स प्रारंभ करने के लिए, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले वर्तमान एक्सचेंजों तथा मुद्रा फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने हेतु गठित नई संस्थाओं के बारे में विचार किया जाए तथा इसके लिए मुख्य मानदंड निवल मालियत तथा पूंजी पर्याप्तता होना चाहिए।

वर्ष 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार एक्सचेंजों में मुद्रा फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के संबंध में परिचालनात्मक पहलुओं पर परामर्श देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक- सेबी स्थायी तकनीकी समिति का गठन किया गया। तकनीकी समिति की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी की वेबसाइट में भी डाल दी गई है। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार थीं-

- मुद्रा फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने हेतु सेबी से अनुमोदन के बाद राष्ट्रव्यापी टर्मिनल युक्त एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी द्वारा अनुमोदित एक नए एक्सचेंज की स्थापना की जाए। एक्सचेंज की तुलना पत्र निवल मालियत कम-से-कम 100 करोड़ रुपए की होगी।
- मुद्रा फ्यूचर्स खंड की सदस्यता को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के इक्विटी डेरिवेटिव खंड अथवा नकदी खंड की सदस्यता से अलग रखा जाए। व्यापारी सदस्य की तुलना पत्र निवल मालियत 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए जबकि समाशोधन सदस्य की तुलना पत्र निवल मालियत 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए।
- प्रारंभ में अमरीकी डालर- भारतीय रुपए पर मुद्रा फ्यूचर्स की संविदा का आकार न्यूनतम 1,000 अमरीकी डालर रखा जाए तथा उसकी अधिकतम परिपक्वता अवधि मासिक परिपक्वता सहित 12 महीने की हो। मुद्रा फ्यूचर्स की संविदा का निपटारा माह के अंतिम कार्य दिवस में भारतीय रुपए में नकद रूप में किया जाए।
- प्रारंभ में, केवल निवासियों को मुद्रा फ्यूचर्स बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाए।
- ट्रेडिंग के पहले दिन न्यूनतम 1.75 प्रतिशत का प्रारंभिक मार्जिन रखा जाए तथा उसके बाद 1 प्रतिशत का मार्जिन निर्धारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, बाजार दर पर मूल्यन के कारण होने वाली अत्यधिक हानि के लिए 1 प्रतिशत की मार्जिन तत्काल आधार पर लागू की जानी चाहिए। कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन सभी महीनों के लिए 250 रुपए होनी चाहिए।
- सकल खुली पोजिशन सीमाएं, ग्राहकों के लिए कुल खुले (ओपन) ब्याज के 6 प्रतिशत अथवा 5 मिलियन अमरीकी डालर, इनमें से जो भी अधिक हो, से अनधिक तथा व्यापारी सदस्यों के लिए 15 प्रतिशत अथवा 25 मिलियन अमरीकी डालर, इनमें से जो भी अधिक हो, से अनधिक होनी चाहिए। समाशोधन सदस्यों के स्तर पर अलग-से कोई सीमा निर्धारित न की जाए।
- रिजर्व बैंक तथा सेबी दोनों के करेसी फ्यूचर्स बाजार संबंधी क्षेत्राधिकार में आने वाले मुद्दों, यदि कोई हो, के समाधान हेतु रिजर्व बैंक- सेबी समिति की बैठकें आवधिक रूप में होनी चाहिए।

मान्यताप्राप्त/ नए स्टॉक एक्सचेंजों में मुद्रा फ्यूचर्सों में ट्रेड करने संबंधी दिशानिर्देश 6 अगस्त 2008 को जारी किए गए।

में निवासी व्यक्तियों को भारत में मुद्रा फ्यूचर बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई। तदनुसार, मान्यताप्राप्त / नए स्टॉक एक्सचेंजों में मुद्रा फ्यूचरों में ट्रेड करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।

पूंजी खाता संबंधी अन्य उपाय

V.41 प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे एफसीएनआर(बी) जामाराशियों की परिपक्वता राशि भारत से बाहर तीसरी पार्टी को प्रेषित कर सकते हैं बशर्ते लेनदेन को खातेदार द्वारा निर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया हो तथा प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन के सही होने के संबंध में आश्वस्त हो। निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त / वसूल की गई/ खर्च न की गई/ अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा की राशि के अभ्यर्पण के लिए एक समान अवधि का निर्धारण किया गया जो राशि की प्राप्ति/ वसूली/ खरीद/ अर्जन/ यात्री के लौटने की तारीख से, यथास्थिति, 180 दिन की होगी। अन्य सभी मामलों में अभ्यर्पण आवश्यकता संबंधी विनियमन/ निदेश यथावत् रहेंगे। कतिपय शर्तों के अधीन, मुख्तारनामा से एनआरओ खातों के परिचालन की सुविधा दी गई। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे कतिपय शर्तों के अधीन, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत परिसमापन के अधीन आ चुकी भारतीय कंपनियों की आस्तियों में से प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के लिए धनशोधन विरोधी (एएमएल) दिशानिर्देश

V.42 प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा एएमएल दिशानिर्देशों में से कतिपय दिशानिर्देशों को लागू करने में व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उसमें समय-समय पर संशोधन किया गया। विदेशी यात्री/ अनिवासी भारतीय द्वारा नकदीकरण के लिए नकद भुगतान की सीमा, अक्टूबर 2007 के 2000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 3000 अमरीकी डालर की गई। यह निर्णय लिया गया कि नाम, पता तथा व्यावसायिक कार्यकलाप, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमन

प्रमाण पत्र, संस्था के बहिर्नियम, संस्था के अंतर्नियम, फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि पंजीकृत हो तो), भागीदारी विलेख आदि के अतिरिक्त पैन कार्ड को भी कंपनी / फर्म के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

संभावना

V.43 यद्यपि विदेश में हुई वित्तीय अस्तव्यस्तता का असर भारतीय वित्तीय बाजारों पर बहुत अधिक नहीं पड़ा है, तथापि वित्तीय प्रवाहों के द्वारा विशेष रूप से इक्विटी बाजारों में पड़ने वाले प्रभाव तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बाजार में पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैश्विक वित्तीय बाजारों पर छाई हुई अनिश्चितता तथा उससे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय बाजारों के विभिन्न खंडों में होने वाली गतिविधियों पर करीब से नजर रखना जारी रखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक का यह भी प्रयास होगा कि बाजार के ढांचे में सुधार करके, बाजार सहभागियों की संख्या बढ़ाकर तथा नई लिखतों को प्रारंभ करके वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों को और गहन तथा व्यापक बनाया जाए। वित्तीय बाजारों के कतिपय खंडों यथा मियादी मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव बाजार, कंपनी बांड बाजार खंडों तथा जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक पत्रों के लिए द्वितीयक बाजार निर्माण जैसे मुद्दों की ओर रिजर्व बैंक को अधिक ध्यान देना होगा। विशेष रूप से पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर परिकल्पित प्रयास के संदर्भ में बाजारों के और समेकन के उपाय किए जाएंगे ताकि मौद्रिक संप्रेषण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ विभिन्न बाजार सहभागियों के बीच जोखिमों का कुशल वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, बढ़ते उदारीकरण तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ अधिकाधिक समेकन के कारण यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि घरेलू वित्तीय बाजार तथा सहभागी अप्रत्याशित तथा बड़े झटकों को, यदि वे उत्पन्न हों, सहन करने की स्थिति में रहें ताकि वित्तीय स्थिरता बनाई रखी जा सके।

VI.1 रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना का निर्माण करना जारी रखा और उसे देशी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त रूप में अपनाया। इसका उद्देश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, कुशल, मजबूत और गतिशील बनाने का रहा है। विदेशी बैंकों और विदेशों में अस्तित्व रखनेवाले देशी बैंकों ने 31 मार्च 2008 को सफलतापूर्वक बेसल II तक सफलतापूर्वक अंतरण कर लिया। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक की नीतिगत पहलों का फोकस बैंकों में कंपनी अभिशासन (कारपोरेट गवर्नेंस) की प्रथाओं को मजबूत करने और ग्राहक सेवा में सुधार लाने पर था। विश्व स्तर पर वित्तीय बाजारों में घटित होनेवाली घटनाओं की सावधानीपूर्वक निगरानी रखी गई ताकि उचित शिक्षा ग्रहण की जा सके। रिजर्व बैंक ने परिदृष्टि प्रलेख (विज़न डॉक्युमेंट) में निर्धारित पथ पर शहरी सहकारी बैंकों के संचालन को मजबूत करना जारी रखा। प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं को क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रबिंदु के रूप में रखकर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीएस) को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी रहे।

VI.2 इस अध्याय में रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के संबंध में किये गये विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षी उपायों का विवरण दिया गया है। यह वर्ष नए पूँजी पर्याप्तता ढाँचे (बेसल II) के कार्यान्वयन में अधिकांश प्रगति का साक्ष्य रहा। वर्ष के दौरान स्तंभ II के दिशा-निर्देश जारी किए गए। पूर्व में जारी किए गए ढाँचे में कुछ संशोधन भी किये गये। पूँजी जुटाने के लिए बैंकों को नए-नए अवसर उपलब्ध कराए गए ताकि उन्हें बेसल II की अपेक्षा पूरी करने में अधिकाधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। चलनिधि और परिसंपत्ति-देयता प्रबंध पर विशेष रूप से बल दिया गया। कारपोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहलों में कंपनी सामाजिक दायित्व संबंधी दिशा-निर्देश, बनाए रखने लायक विकास और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक बोर्डों पर चुने गए निदेशकों के लिए 'योग्य और उचित' (फिट एण्ड प्रोपर) संबंधी मानदंडों पर दिशा-निर्देश शामिल हैं। धन-शोधन निवारण (एएमएल) और अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) संबंधी दिशा-निर्देशों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपाय किये गये। ग्राहक सेवा के संबंध में की गई नीतिगत पहलुओं में वसूली एजेंटों और शिकायत निवारण तंत्र के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं।

VI.3 शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित विनियामक उपायों का लक्ष्य सहमति ज्ञापनों (एमओयू) के लाभों और शहरी सहकारी बैंकों संबंधी

कार्यदल (टीएफसीयूबी) की व्यवस्था का समेकन रहा। शहरी सहकारी बैंकों को कारोबार के अधिकाधिक अवसर और पूँजी जुटाने के विकल्प उपलब्ध कराये गये। रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षण की गई संस्थाओं में से आईएफसीआई और टीएफसीआई को वर्ष के दौरान एनबीएफसी की हैसियत प्रदान की गई। आईआईबीआई समाप्त किये जाने की प्रक्रिया के अधीन है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों में बंधक गारंटी कंपनियों के लिए विनियामक ढांचा तैयार करना एवं विवेकसम्मत दिशा-निर्देशों और ग्राहक सेवा के क्षेत्र में विभिन्न उपाय करना शामिल है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए विनियामक ढांचा

VI.4 रिजर्व बैंक के विनियामक दायरे के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और विभिन्न वित्तीय बाजारों सहित वित्तीय संस्थाओं का एक बड़ा खंड आ जाता है। मार्च 2008 की समाप्ति पर 79 वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), 91 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1,770 शहरी सहकारी बैंक, 4 विकास वित्त संस्थाएँ (डीएफआईएस), 12,834 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जिनमें से 376 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जनसाधारण से जमाराशियाँ स्वीकार करने/धारण करने की अनुमति दी गई) तथा 19 प्राथमिक व्यापारी (पीडी) (इनमें से 10 बैंक हैं जो पीडी का कारोबार विभागीय तौर पर करते हैं तथा 9 गैर बैंकिंग संस्थाएँ हैं जिन्हें स्टैंड एलोन प्राथमिक व्यापारी कहा जाता है) थे। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड वित्तीय संस्थाओं के उन खंडों पर, जो रिजर्व बैंक के दायरे में आते हैं, अपनी पर्यवेक्षी भूमिका का निर्वाह निरंतर करता रहा।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड

VI.5 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, जिसका गठन रिजर्व बैंक (बीएफएस) विनियामावली, 1994 के अंतर्गत रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों द्वारा 16 नवंबर 1994 को किया गया था, निरंतर वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और प्राथमिक व्यापारी (पीडी) पर अपना अधीक्षण करता रहा। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने अपनी जनवरी 2007 से दिसंबर 2007 तक की अवधि में आयोजित 11 बैठकों और 2008 में (4 जून 2008 तक) आयोजित पाँच बैठकों में वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न खंडों के कार्यनिष्पादन पर विभिन्न ज्ञापनों पर विचार किया। रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी और विनियामक मुद्दों

को प्रभावी ढंग से संभालने के पीछे वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड मुख्य रूप से मार्गदर्शी शक्ति रहा। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने वाणिज्य बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में निरीक्षण के निष्कर्षों, बैंकों की कार्यपद्धति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे खातों का समाधान, धोखाधड़ियों की निगरानी, विदेशों में परिचालन, मासिक निगरानी के अंतर्गत बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की तथा बैंकों की कार्यपद्धति को मजबूत बनाने की दृष्टि से अनेक निदेश जारी किए। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा विवेचित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस खंड में निर्दिष्ट किये गये हैं।

VI.6 2007-08 के दौरान 98 वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों (एफआई) की रिपोर्टें (28 सरकारी क्षेत्र के बैंकों, 26 निजी क्षेत्र के बैंकों, 34 विदेशी बैंकों, चार स्थानीय क्षेत्र बैंकों और छह अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई)के संबंध में) समीक्षा के लिए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के समक्ष रखी गई। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने ग्रेड I और II में वर्गीकृत 41 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय विशिष्टताओं की समीक्षा के साथ-साथ ग्रेड III और IV में वर्गीकृत 12 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की रिपोर्टों की भी समीक्षा की। बैंकों के सामान्य और आवर्ती सरोकारों पर विचार करते हुए बोर्ड ने यह महसूस किया कि प्रस्तुत किये गये मुद्दों का प्रभाव बैंकों में कंपनी अभिशासन (कारपोरेट गवर्नंस) के स्तर पर है। तदनुसार, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए अलग-अलग फॉर्मेट बनाए गए। इन फॉर्मेटों में बैंकारी विनियमन अधिनियम 1949, स्टाक एक्सचेंजों के लिस्टिंग करारों के खंड 49, समय-समय पर जारी किये गये तथा बैंक/वित्तीय संस्था बोर्डों की भूमिका की जांच करने के लिए गठित परामर्शदात्री दल (अध्यक्ष : डॉ. ए. एस. गांगुली) द्वारा उठाये गये दिशानिर्देशों के अंतर्गत सम्मिलित अभिशासन संबंधी सभी मुद्दे (योग्य और उचित मानदंडों सहित) शामिल किये गये। ये फॉर्मेट तैयार करने के पीछे उद्देश्य कारपोरेट गवर्नंस के संबंध में बैंक के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन एक सुव्यवस्थित और व्यापक तरीके से करना और बैंकों के कार्यनिष्पादन के आधार पर बैंकों का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में करने के लिए एक प्रयास करना है। इनमें से प्रत्येक फॉर्मेट की प्रति भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को उनकी टिप्पणी और सुझावों के लिए भेजी गई।

VI.7 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों और पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा एक अत्यधिक गतिशील और द्रुतगति से विकसित हो रहे बैंकिंग परिवेश में उनकी सुदृढ़ता और प्रभावात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए की। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के तत्वावधान में वर्ष के दौरान किये गये कुछ उपायों में शामिल हैं : (i) वसूली एजेंटों के संबंध में हाल ही में बैंकों के विरुद्ध मुकदमों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए वसूली एजेंटों की नियुक्ति एवं बैंक के लिए और समग्र रूप में बैंकिंग

क्षेत्र के लिए उत्पन्न होनेवाले गंभीर प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम संबंधी मार्गदर्शी निदेश; (ii) चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) में सन्निहित वास्तविक देयता/दायित्वों तथा पर्याप्त प्रकाटीकरण का पता लगाकर बैंकों द्वारा जारी किये गए चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसी) के वित्तीय प्रभाव के निर्धारण पर मार्गदर्शी दिशानिर्देश; (iii) एक अस्थायी अवधि के लिए या अन्यथा निवेश की धारिता के संबंध में अभिग्रहण के समय संबंधित बैंक के बोर्ड द्वारा 'उद्देश्य' के अभिलेखन को अनिवार्य बनानेवाले समेकन से संबंधित मानदंड। बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड के निदेशों के अनुसार 'वित्तीय समूहों (कांग्लोमरेटों)' के संबंध में विनियामक और पर्यवेक्षी प्रक्रिया पर एक दृष्टिकोण-पत्र भी तैयारी के अधीन था। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा विचार किये गये अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में स्थानीय क्षेत्र बैंकों की भावी संरचना, बैंकों के पर्यवेक्षी रेटिंगों का प्रकटीकरण और भूमि-भवन (रियल एस्टेट) के क्षेत्र में बैंकों का एक्सपोजर शामिल हैं।

VI.8 वर्ष के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने वित्तीय संस्थाओं की विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना तथा वित्तीय क्षेत्र में उनकी उभरती हुई भूमिका के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं की भूमिकाओं और उनकी संरचना की समीक्षा की। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा राज्य वित्तीय निगमों को एक्सपोजर की तुलना में उसकी भूमिका निरंतर वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का ध्यान आकर्षित करती रही तथा इस पर विस्तार से भी की गई। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निदेशों के आधार पर सिडबी को सूचित किया गया कि वह राज्य वित्तीय निगमों को उसके एक्सपोजर पर जोखिम भार बढ़ाए, पुनर्संरचना/एकबारगी निपटान पैकेजों को उपलब्ध कराने के बाद भी चूक करनेवाले राज्य वित्तीय निगमों के संबंध में पूरा प्रावधानीकरण करे एवं राज्य वित्तीय निगमों को अपने एक्सपोजरों के संबंध में 'सुविधा-वार' के स्थान पर 'उधारकर्ता-वार' के प्रति परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए मानदंड संशोधित करे। राज्य वित्तीय निगमों में पूर्व के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई)की धारिताओं के अंतरण के मुद्दे और उनके मूल्यांकन के संबंध में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने निदेश दिया कि 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार आईडीबीआई लि. के खातों को अंतिम रूप देने से पहले आईडीबीआई लि. की धारिताओं का मूल्यांकन उचित मूल्य (अंकित मूल्य के बदले) पर करने के संबंध में एक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। सरकार ने 17 जनवरी 2008 की एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा आईडीबीआई की ओर से अभिदान किये गये प्रत्येक राज्य वित्तीय निगम के सभी शेयर तथा अधिसूचित दिनांक से ठीक पहले के दिनांक को आईडीबीआई द्वारा पूँजी के बदले प्रदत्त ऋणों के संबंध में बकाया राशि सिडबी को अंतरित करने के लिए 31 जनवरी 2008 को नियत दिनांक के रूप में अधिसूचित किया गया।

VI.9 बोर्ड ने सहकारी बैंकिंग और गैर-सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र के संबंध में भी विभिन्न उपाय प्रारंभ किये। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों को छोड़कर रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं अर्थात् शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर बेसल मानदंडों की प्रयोज्यता के मुद्दे की जाँच-पड़ताल करने के लिए रिजर्व बैंक में एक अंतर-विभागीय दल गठित किया गया। शहरी सहकारी बैंकों के लिए अन्य उपायों में शामिल हैं : (i) निर्धारित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में चूक करनेवाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए नीतिगत रूपरेखा; (ii) निदेशों के अंतर्गत रखे गए शहरी सहकारी बैंकों के लिए उपाय; (iii) टीएफसीयूबी की सिफारिशों के आधार पर पर्यवेक्षी कार्य की रूपरेखा; तथा (iv) शहरी सहकारी बैंकों की पुनः संरचना हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सिद्धांतों का निर्धारण। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के क्षेत्र में उत्पन्न होनेवाले प्रणालीगत जोखिमों का मूल्यांकन प्रारंभ करने के साथ-साथ वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने जिन अन्य क्षेत्रों पर भी विवेचन किया वे हैं- (i) एक उचित व्यवहार संहिता लागू करते हुए, वित्तीय सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले अवसरवादी व्यवहार से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करना; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक नई श्रेणी अर्थात् परिसंपत्ति वित्त कंपनियों का निर्माण करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पुनः वर्गीकरण; (iii) सिडबी की भावी संरचना; और (iv) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) का भावी ढाँचा।

V.10 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निदेशों पर बैंकों के कार्यचालन के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जो बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए प्रभावकारी हैं, का अनेक प्रकार का अध्ययन रिजर्व बैंक द्वारा कराया गया। इस अध्ययन से संबंधित क्षेत्र हैं- अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) का प्रबंध, असुरक्षितता (वल्नरबिलिटी) का मूल्यांकन, समूह और बड़े उधार खातों को एक्सपोजर, ब्याज दर जोखिम, निवेश संविभाग तथा रियल एस्टेट क्षेत्र को एक्सपोजर।

विनियामक पहलें

वाणिज्य बैंक

VI.11 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किये गये नीतिगत उपायों का लक्ष्य ग्राहक- सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ ही, बैंकिंग प्रणाली को अधिक समुत्थानशील बनाना और उसे सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ पंक्तिबद्ध करना रहा है।

विवेकपूर्ण मानदंड

VI.12 जनवरी 2008 में शैक्षिक ऋणों के लिए जोखिम भार की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय किया गया कि 'शैक्षिक ऋणों' को पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए उपभोक्ता ऋण के भाग के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शैक्षिक ऋणों के लिए लागू जोखिम भार बेसल I रूपरेखा के अंतर्गत आनेवाले बैंकों के संबंध में 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है; बेसल II रूपरेखा के अंतर्गत ऐसे ऋणों को 'विनियामक फुटकर' संविभाग के घटक के रूप में माना गया है और इनके संबंध में 75 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होता है।

VI.13 मई 2008 में गृहनिर्माण के लिए बैंक ऋणों की सीमा बेसल I और बेसल II रूपरेखा के अंतर्गत पूँजीगत पर्याप्तता के लिए रियायती जोखिम भार लागू करने के प्रयोजन हेतु 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई। तदनुसार, जहाँ मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात 75 प्रतिशत के बराबर या उससे कम था, वहाँ 30 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए 50 प्रतिशत का जोखिम भार होगा, जबकि इससे अधिक राशि के ऋणों के लिए 75 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होगा। अन्य ऋणों, अर्थात् 75 प्रतिशत से अधिक एलटीवी अनुपात वाले ऋणों के संबंध में उनके आकार पर विचार किये बिना 100 प्रतिशत का जोखिम भार लागू होना जारी रहेगा।

VI.14 बुनियादी संरचना क्षेत्र को ऋण की आपूर्ति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से दिसंबर 2007 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे असूचीबद्ध एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों को लिए 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के भीतर बुनियादी संरचना की गतिविधियों में लिप्त कंपनियों के अश्रेणीकृत (अनरेटेड) बांडों में निवेश कर सकते हैं। मई 2008 में रिजर्व बैंक ने कानूनी और अन्य बाहरी कारणों से बुनियादी संरचना की परियोजनाएँ पूरी करने में विलंब के संबंध में बुनियादी संरचना की परियोजनाओं से संबंधित परिसंपत्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों को आशोधित किया। तदनुसार, यह निर्णय किया गया कि 28 मई 2002 के बाद बैंक द्वारा वित्तपोषित बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के मामले में परियोजना के वित्तीय समापन के समय ही परियोजना पूरी करने की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और यदि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख परियोजना के समापन की तारीख के बाद दो वर्ष की अवधि से अधिक बढ़ जाती है जैसा कि मूल रूप से परिकल्पित है, तो खाते को अवमानक (सब-स्टैंडर्ड) माना जाना चाहिए।

VI.15 भविष्य में साख-पत्र जारी करनेवाले बैंकों द्वारा जिन संभावित देयताओं/दायित्वों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें ध्यान में रखते

हुए मार्च 2008 में बैंक की सहायक संस्था की ओर से तथा विदेशी विनियामक के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करने से संबंधित मानदंडों को सख्त बनाया गया। इस संदर्भ में, निम्नलिखित विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किये गये : (i) बैंक को चाहिए कि वह साख-पत्रों के निर्गम के लिए एक सुपरिभाषित नीति निर्धारित करे तथा साख-पत्र का प्रत्येक निर्गम बैंक के निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन के अधीन होना चाहिए; और (ii) बैंक अपने द्वारा जारी किये गये और बकाया साख-पत्रों से उस स्थिति में, जब जारी किये गये साख-पत्रों के अंतर्गत अंगीकृत दायित्वों के अनुसार भारत में या विदेश में स्थित अपनी सहायक संस्था की सहायता करने की उससे माँग की जाती है, उत्पन्न होनेवाले संभावित वित्तीय प्रभाव का वर्ष में कम से कम एक बार निर्धारण करे; (iii) ऐसा कोई भी साख-पत्र जो किसी रेटिंग एजेंसी/ आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षकों/आंतरिक निरीक्षकों अथवा रिजर्व बैंक के निरीक्षक दल द्वारा बैंक की आकस्मिक देयता के रूप में निर्धारित किया गया हो, सभी विवेकपूर्ण विनियामक प्रयोजनों के लिए समान आधार पर बैंक द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी के रूप में माना जाता है; (iv) बैंकों को चाहिए कि वे वर्ष के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए सभी साख-पत्रों का पूरा विवरण उनके निर्धारित वित्तीय प्रभाव एवं अतीत में उनके द्वारा जारी किये गये साख-पत्रों के अंतर्गत उनके निर्धारित संचयी वित्तीय दायित्वों सहित 'लेखों की टिप्पणी' के भाग के रूप में अपने प्रकाशित वित्तीय विवरणों में प्रकट करें।

VI.16 वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एफआई) रिपोर्टों और समेकित विवेकपूर्ण विवरणों (सीपीआर) से यह विदित हुआ कि कुछ बैंकों ने विभिन्न म्युचुअल फंडों को बड़े आकार के ऋण प्रदान किये थे और म्युचुअल फंडों/विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की ओर से शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) को अविकल्पी भुगतान वायदे भी जारी किये थे। फिर भी, इन बैंकों ने इन एक्सपोजरों को अपने पूँजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) की गणना के लिए शामिल नहीं किया था। तदनुसार, दिसंबर 2007 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे म्युचुअल फंडों को वित्त प्रदान करने में विवेक से काम लें तथा म्युचुअल फंडों को ऋण और अग्रिम केवल योजना की निवल परिसंपत्ति के 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के भीतर यूनियों की पुनः खरीद/प्रतिदान के प्रयोजन हेतु उनकी अस्थायी चलनिधि संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए और छह महीने से अनधिक अवधि के लिए मंजूर करें। इस प्रकार का वित्त, यदि ईक्विटी-उन्मुख म्युचुअल फंडों को दिया जाता है तो वह बैंक के पूँजी बाजार एक्सपोजर का भाग ही बनेगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि चूँकि अविकल्पी भुगतान वायदों (आईपीसी) का स्वरूप शेयरों की

खरीद के लिए गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा का है, अतः बैंकों का इस प्रकार का एक्सपोजर उनके पूँजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) का ही अंश होगा। इसके अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों जैसी संस्थाओं को बैंकों से अविकल्पी भुगतान वायदों (आईपीसी) जैसी निधि-आधारित अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाएँ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। बैंकों को उपर्युक्त आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु 13 सितंबर 2008 तक 9 माह की संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई है।

VI.17 किसी औचित्य के बिना उपलब्ध प्रतिभूतियों के मूल्य से काफी कम मूल्य पर अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) को कुछ बैंकों द्वारा बेचने की घटनाओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2007 में बैंकों के बीच अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) की खरीद/बिक्री पर वर्तमान दिशानिर्देशों को आशोधित किया। तदनुसार, अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) को बेचते समय बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूलीयोग्य मूल्य के साथ संबद्ध अनुमानित नकदी प्रवाह के निवल मूल्य की गणना उसमें से वसूली की लागत घटाकर करें। बिक्री मूल्य सामान्यतः ऊपर वर्णित तरीके से प्राप्त निवल वर्तमान मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। समझौता निपटारों में भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए। चूँकि समझौता राशि का भुगतान किस्तों में हो सकता है, अतः समझौता राशि के निवल वर्तमान मूल्य की गणना की जानी चाहिए तथा यह राशि सामान्यतः प्रतिभूतियों के निवल वर्तमान मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए।

बेसल II कार्यान्वयन

VI.18 2007-08 के दौरान बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा विकसित किये गये 'नये पूँजी-पर्याप्तता ढाँचे (बेसल II)' के कार्यान्वयन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की गई। भारत में परिचालन करनेवाले विदेशी बैंकों तथा भारत से बाहर परिचालनगत उपस्थिति रखनेवाले भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से संशोधित ढाँचे को अपनाया। वर्ष के दौरान प्रमुख विनियामक गतिविधियों में एनसीएएफ दिशानिर्देश (बॉक्स VI.1), पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (स्तंभ 2) पर दिशानिर्देश तथा विनियामक पूँजी के भाग के रूप में अधिमानी शेयरों का निर्गम शामिल हैं।

स्तंभ II संबंधी दिशानिर्देश

VI.19 बेसल II ढाँचे के तीन स्तंभ हैं। स्तंभ I न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षाएँ हैं जबकि स्तंभ 2 और स्तंभ 3 क्रमशः पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) और बाजार अनुशासन से संबंधित हैं। उक्त ढाँचे का स्तंभ 2, 1988 के बेसल I ढाँचे की तुलना में जो केवल ऋण जोखिम

बॉक्स VI.1

नये पूँजी-पर्याप्तता ढाँचे में संशोधन

‘नये पूँजी-पर्याप्तता ढाँचे के कार्यान्वयन’ पर अप्रैल 2007 के दिशानिर्देशों की समीक्षा मार्च 2008 में की गई तथा कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन जारी किये गये। उक्त संशोधनों में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश, बैंकों द्वारा राज्य सरकारों को अन्य प्रत्यक्ष ऋण/साख/ओवरड्राफ्ट एक्सपोजर, यदि कोई हों, पर शून्य जोखिम भार लागू होगा।
- (ii) स्वर्ण और स्वर्ण आभूषणों द्वारा रक्षित वैयक्तिक ऋणों के संबंध में प्रतिपक्षी एक्सपोजर, स्वर्ण को जोखिम प्रशामक (मिटिगेंट) के रूप में मानते हुए व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत आकलित किया जाएगा।
- (iii) एक्सपोजर पर मार्जिन (हेअरकट) लागू करने के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि चूँकि उक्त प्रयोजन एक्सपोजरों के मूल्य में अंतर्निहित बाजार की अस्थिरता का अभिग्रहण करना है तथा ऋण के संवितरण/निवेश द्वारा अभिगृहीत एक्सपोजर एक ‘नकदी लेनदेन’ होगा, अतः उस पर उक्त मार्जिन को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, बैंकों को सूचित किया गया था कि उनके लिए रेपो-शैली के लेनदेनों से उत्पन्न होनेवाले एक्सपोजरों के संबंध में ऊर्ध्वमुखी समायोजन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि रेपो-लेनदेनों में बेची गई/उधार दी गई/गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार की अस्थिरता के अधीन होगा और उसपर उक्त मार्जिन लागू होगा।
- (iv) बैंक संपार्श्विक प्रतिभूतियों को उनके पास रखी हुई जमाराशियों के रूप में मान्यता दे सकते हैं, भले ही ऐसी जमाराशियों की अवधि तीन महीने से कम हो अथवा एक्सपोजरों की तुलना में जमाराशियों की परिपक्वता की बेमेल स्थिति हो, बशर्ते कि बकाया ऋण के लिए ऐसी जमाराशियों के परिपक्वता आगमों का समायोजन करने अथवा अंतर्निहित ऋण की पूरी चुकौती होने तक ऐसी जमाराशियों के नवीकरण

के लिए जमाकर्ता की सुस्पष्ट सहमति प्राप्त कर ली गई हो।

- (v) बैंकों को सूचित किया गया कि वे ईक्विटियों के लिए पूँजी प्रभार की गणना बैंक की व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) में स्थित उनके वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर करें।
- (vi) गैर-अनुसूचित बैंकों के एक्सपोजरों के संबंध में जोखिम भार, सीआरएआर के उनके स्तर के साथ संबद्ध रूप में 100 प्रतिशत से 625 प्रतिशत तक के दायरे में निर्धारित किये गये। उन बैंकों के मामलों में जहाँ रिजर्व बैंक द्वारा कोई पूँजी-पर्याप्तता मानदंड निर्धारित नहीं किये गये हैं, उक्त बैंकों को सूचित किया गया कि वे वाणिज्य बैंकों के लिए लागू पूँजी-पर्याप्तता मानदंडों को अपनाते हुए, निवेशिती बैंकों से आवश्यक सूचना प्राप्त करके सीआरएआर की गणना आनुमानिक आधार पर करें।
- (vii) सारे विश्व में शेयर बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता को देखते हुए पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों की सूची में से ईक्विटियों को हटा दिया गया है।
- (viii) एक्सपोजरों और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए मानक पर्यवेक्षी मार्जिन की व्यवस्था की गई जो विदेशी केंद्रीय शासकों/कंपनियों की बाध्यता है।
- (ix) बैंकों को रेपो/प्रति पुनर्खरीद (रिवर्स रेपो) की पद्धति के लेनदेन के लिए लागू पूँजी-पर्याप्तता ढाँचे की सूचना दी गई।
- (x) बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएएस) तथा ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणियों की ऋण प्रतिभूतियों और अन्य ब्याज-दर संबंधी लिखतों में ब्याज-दर जोखिम (विशिष्ट जोखिम) हेतु पूँजी प्रभार के माप के लिए विस्तृत दिशानिर्देश शामिल किये गये हैं।

और बाजार जोखिम का समाधान करता है, बेसल II को बैंकों को प्रभावित करनेवाले विभिन्न जोखिमों की समष्टि से युक्त उसकी व्याप्ति के साथ और अधिक व्यापक बनाता है। जबकि स्तंभ 1 और स्तंभ 3 पर दिशानिर्देश रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी किये गये थे, स्तंभ 2 के संबंध में दिशानिर्देश जिनमें पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) और आंतरिक पूँजी-पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएपी) शामिल हैं, मार्च 2008 में जारी किये गये (बॉक्स VI.2)।

VI.20 जबकि बेसल II ढाँचे के मूल तत्व प्रयोग में लाये जा रहे हैं, बैंकों और पर्यवेक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे बेसल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए क्षमताओं का निर्माण कर लें (बॉक्स VI.3)।

VI.21 टियर I और उच्चतर टियर II पूँजी जुटाने के लिए भारतीय बैंकों को लिखतों का अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों को अक्टूबर 2007 में इस बात की अनुमति दी गई कि वे वर्तमान कानूनी उपबंधों के अधीन टियर I पूँजी के रूप में बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) के माध्यम से भारतीय

रूपों में अधिमानी शेयर जारी करें। इसके अलावा, बेमीयादी संचयी अधिमान शेयरों (पीसीपीएस), प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयरों (आरएनसीपीएस) और प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयरों (आरसीपीएस) को उच्चतर टियर II पूँजी के रूप में अनुमति दी गई थी। बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान शेयरों को ईक्विटी के समकक्ष माना गया है; और इस कारण से इन लिखतों पर देय कूपन को लाभांश के रूप में माना जाता है। उच्चतर टियर II अधिमान शेयरों को देयताओं के रूप में माना जाता है और उनपर देय कूपन को ब्याज के रूप में माना जाता है। बैंक द्वारा पीएनसीपीएस के निर्गम द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि की आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए निवल माँग और मीयादी देयताओं की गणना हेतु देयता के रूप में नहीं गिना जाता है तथा इस स्थिति के होते हुए, इस पर सीआरएआर/एसएलआर की अपेक्षाएँ लागू नहीं होतीं। किसी बैंक द्वारा उच्चतर टियर II लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई कुल राशि को आरक्षित निधि की अपेक्षाओं के लिए निवल माँग और मीयादी देयताओं की गणना हेतु देयता के रूप में गिना जाता है और, इस स्थिति के होते हुए, उस पर सीआरएआर/एसएलआर की अपेक्षाएँ लागू होती हैं।

बॉक्स VI.2

आंतरिक पूँजी-पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) और पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) पर दिशानिर्देश

पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया (एसआरपी) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के पास उनके कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का समाधान करने के लिए पर्याप्त पूँजी हो तथा उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना भी है कि वे अपने जोखिमों की निगरानी और प्रबंध के लिए बेहतर जोखिम प्रबंध तकनीकों का प्रयोग करें। इसके क्रम में बैंकों के अंदर एक सुपरिभाषित आंतरिक निर्धारण प्रक्रिया अपेक्षित है जिसके माध्यम से वे रिजर्व बैंक को आश्वस्त कर सकें कि उनके लिए जो विभिन्न जोखिम संभावित हैं, उनके लिए उनके पास पर्याप्त पूँजी धारित है। आश्वासन की उक्त प्रक्रिया में बैंक और रिजर्व बैंक के बीच सक्रिय वार्तालाप भी संबद्ध हो सकता है ताकि आवश्यकता होने पर बैंक के जोखिम एक्सपोजर को कम करने के लिए अथवा उसकी पूँजी को बढ़ाने/पुनः स्थापित करने के लिए उचित हस्तक्षेप किया जा सके।

बेसल II के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि उनके पास आंतरिक पूँजी-पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति हो तथा वे एकल या समेकित स्तर पर आईसीएएपी के अनुसार पूँजीगत अपेक्षा का निर्धारण करें। किसी भी बैंक के लिए यह आवश्यक है कि आईसीएएपी बैंक की प्रबंधन और निर्णयकारी संस्कृति का अभिन्न अंग बने। आईसीएएपी का कार्यान्वयन *आनुपातिकता के सिद्धांत*

द्वारा दिशानिर्देशित होना चाहिए तथा जोखिम के माप और प्रबंध के संबंध में आईसीएएपी में अपनाई गई परिष्कृतता की मात्रा बैंक के व्यावसायिक परिचालनों में विद्यमान जटिलता के स्वरूप, सीमा, परिमाण और मात्रा के अनुरूप होनी चाहिए। आईसीएएपी को रिजर्व बैंक द्वारा की जानेवाली समीक्षा से अलग, एक आंतरिक या बाह्य लेखा-परीक्षा प्रक्रिया द्वारा नियमित और स्वतंत्र समीक्षा के अधीन होना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईसीएएपी व्यापक और आनुपातिक है। यह मानते हुए कि कुछ जोखिम तत्काल कम परिमाणनीय हैं, बैंकों के आईसीएएपी दस्तावेज के लिए यह आवश्यक है कि वह परिमाणनीय और मात्रात्मक रूप से निर्धारित जोखिमों को स्पष्टतः सीमांकित करे। आईसीएएपी के लिए यह भी अपेक्षित है कि वह खास तौर से बैंक की पूँजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली बाजार स्थितियों में कुछ असंभाव्य परंतु युक्तियुक्त घटनाओं या प्रवृत्तियों के प्रति बैंक की संभावित असुरक्षितता का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण जोखिम एक्सपोजरों के संबंध में आवधिक तौर पर दबाव के परीक्षणों और परिदृश्य के विश्लेषणों के संचालन को भी शामिल करे। तथापि, उनकी पूँजीगत अपेक्षाओं के आंतरिक निर्धारण के लिए जटिल और परिष्कृत अर्थमितीय प्रतिरूपों को अपनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कोई अधिदेशात्मक अपेक्षा नहीं की गई है।

चलनिधि प्रबंध

VI.22 1999 में निर्धारित परिसंपत्ति-देयता प्रबंध संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, चलनिधि का पता परंपरागत परिपक्वता अथवा नकदी प्रवाह के असंतुलों द्वारा लगाया जाता है। यह महसूस किया गया था कि बेहतर चलनिधि प्रबंध के लिए संरचनागत चलनिधि विवरण में पहली समयावधि (बकेट) का अंतराल अर्थात् 1-14 दिन का समय अधिक लंबा था। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और बैंकों की परिष्कृतता के स्तर तथा अपेक्षाकृत अधिक बारीक मूल्यांकन और बेहतर चलनिधि प्रबंध की आवश्यकता का समुचित ध्यान रखते हुए यह निर्णय किया गया कि 1-14 दिन की इस समयावधि को तीन हिस्सों में विभाजित करते हुए अधिक कनीदार (ग्रैन्युलर) बनाया जाए अर्थात्- दिन 1 (अर्थात् अगला दिन), 2-7 दिन और 8-14 दिन। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया कि अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन और 15-28 दिन के दौरान संचित ऋणात्मक असंतुलन संचयी बहिर्वाहों के 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए जिससे चलनिधि पर संचयी प्रभाव की पहचान की जा सके। बैंकों को सूचित किया गया कि वे गतिशील चलनिधि प्रबंध प्रारंभ करें तथा यह संरचनात्मक चलनिधि विवरण दैनिक आधार पर तैयार करें। इस संबंध में दिशानिर्देश अक्टूबर 2007 में जारी किये गये। संपूर्ण नेटवर्क से युक्त परिवेश के अभाव में बैंकों को अनुमति दी गई कि वे प्रारंभ में सर्वोत्तम उपलब्ध डाटा विस्तार के आधार पर विवरण का संकलन करें,

परंतु उन्हें सूचित किया गया कि वे एक समयबद्ध तरीके से 100 प्रतिशत डाटा विस्तार प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास करें। संरचनागत चलनिधि की स्थिति के पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग की आवृत्ति भी 1 अप्रैल 2008 से बढ़ाकर पाक्षिक कर दी गई है।

धन-शोधन निवारण

VI.23 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) की वर्तमान व्यवस्था के लिए 15 फरवरी 2006 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंकों द्वारा वित्तीय आसूचना एकक - भारत (एफआईयू-आइएनडी) को नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)/संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) के रिपोर्टिंग की अपेक्षा की पूरक व्यवस्था प्रारंभ की गई। 13 अप्रैल 2007 को बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे तार अंतरण लेनदेनों में मूल व्यक्ति की पूरी सूचना (नाम, पते और खाता संख्या) सम्मिलित करें। वर्तमान केवाईसी/एएमएल/सीएफटी व्यवस्था पर प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर संबंधित दिशानिर्देशों में 18 फरवरी 2008 को संशोधन किया गया (बॉक्स VI.4)।

समेकन और विविधीकरण

VI.24 वर्ष के दौरान समेकन और विविधीकरण की प्रक्रिया जारी रही। बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44क की उप धारा (4) के अंतर्गत रिजर्व बैंक ने 27 अगस्त 2007 को दी सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब (सीबीओपी) के साथ लॉर्ड कृष्णा बैंक लि. (एलकेबी) के

बॉक्स VI.3
बेसल II में उन्नत दृष्टिकोण

बेसल II का ढाँचा विभिन्न कारकों के कारण अत्यधिक जटिल है जैसे : (i) उपलब्ध विकल्पों की विविधता; (ii) राष्ट्रीय विवेक के प्रयोग में विभिन्नता और उसका संभावित प्रभाव; (iii) कार्यान्वयन के विभिन्न मुद्दों के प्रति, विशेष रूप से सीमा-पार स्थिति में स्पष्टता का अभाव; और (iv) विनियामक अंतरापणन के लिए संभावित अनभिप्रेत गुंजाइश। बेसल II ढाँचे के अंतर्गत ऋण और बाजार जोखिमों के लिए पूँजी बनाए रखने के अतिरिक्त, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे परिचालनगत जोखिम के लिए भी पूँजी बनाए रखें।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम के अंतर्गत दो विकल्प हैं- मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (आईआरबी)। मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) के अंतर्गत बैंक उपयुक्त रूप में परिसंपत्तियों का वर्गीकरण तथा अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम प्रशामकों, लिखत के प्रकार और परिसंपत्ति की गुणवत्ता जैसे अन्य कारकों का उचित संज्ञान लेते हुए बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर जोखिम भार का समनुदेशन करते हुए बैंक की परिसंपत्तियों के ऋण जोखिम को आंकने के लिए निर्धारित जोखिम भारिता का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर, आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (आईआरबी) बैंकों को इस बात की अनुमति देता है कि वे प्रतिपक्षियों और एक्सपोजरों के अपने स्वयं के आंतरिक रेटिंगों का प्रयोग करें जिससे विभिन्न एक्सपोजरों के लिए जोखिम के बेहतर विभेदीकरण की अनुमति मिलती है तथा इस कारण से जोखिमों के परिमाण के साथ बेहतर पंक्तिबद्ध पूँजीगत अपेक्षाओं की पूर्ति की जाती है। आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (आईआरबी) बेसल समिति द्वारा प्रदत्त एक फार्मुले पर निर्भर है जिसके चार प्रमुख प्रभावकारी तत्व हैं अर्थात् चूक की संभावना (पीडी), हानिकारक चूक (एलजीडी), चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) और परिपक्वता (एम)। जबकि किसी उधारकर्ता या उधारकर्ताओं के समूह की पीडी केंद्रीय परिमापीय संकल्पना है जिस पर आईआरबी दृष्टिकोण निर्मित है, बैंकों के लिए प्रत्याशित आंतरिक या आर्थिक हानि के संयुक्त मापन के लिए एलजीडी और ईएडी का अनुमान करने की आवश्यकता है। आईआरबी दृष्टिकोण दो प्रकार का है :

- स्थापना आईआरबी (एफआईआरबी) : बैंक प्रत्येक उधारकर्ता के साथ संबद्ध पीडी का अनुमान करता है, तथा पर्यवेक्षक एलजीडी और ईएडी जैसी अन्य निविष्टियों की आपूर्ति करता है।
- उन्नत आईआरबी (एआईआरबी) : पीडी के अतिरिक्त, बैंक ईएडी, एलजीडी और एम जैसी अन्य निविष्टियाँ जोड़ देता है। इस दृष्टिकोण के लिए अपेक्षाएँ अधिक कठोर हैं।

उन्नत दृष्टिकोण अपनाते के लिए बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे प्रारंभ में आंतरिक रेटिंगों से संबंधित न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी करें तथा एक निरंतर आधार पर रेटिंग के अभिकल्प की प्रणाली, परिचालन, नियंत्रण, कंपनी अभिशासन तथा ऋण जोखिम घटकों जैसे- एफआईआरबी और एआईआरबी दोनों के लिए पीडी एवं एआईआरबी के लिए एलजीडी और ईएडी के प्राक्कलन और वैधीकरण से संबंधित आवश्यकताएँ पूरी करें। बैंकों के पास कम से कम पीडी डाटा पाँच वर्ष के लिए तथा एलजीडी और ईएडी डाटा सात वर्षों के लिए होने चाहिए। बैंकों के पास मानवशक्ति कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी की मूलभूत संरचना और प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का पर्याप्त रूप से कोटि-उन्नयन किया जाना चाहिए। पर्यवेक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे मॉडलों के वैधीकरण और बाद में परीक्षण के कौशल को विकसित करें।

भारत में, बैंकों को सूचित किया गया कि वे एसए को अपनाकर ऋण जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकताओं की गणना करें। चूँकि अपेक्षित डाटा को निर्मित करने, ऋण जोखिम मॉडलों को विकसित करने और उनकी बाद में जाँच-पड़ताल करने में बैंकों के सामने कई चुनौतियाँ अत्यधिक मानवशक्ति की अपेक्षाओं और सूचना प्रौद्योगिकी की मूलभूत संरचना के रूप में उत्पन्न हो सकती हैं तथा पर्यवेक्षकों के लिए भी मॉडलों को वैधीकृत करने में और अनुमोदन की प्रक्रिया को संचालित

करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अतः रिजर्व बैंक ने इस बात को वरीयता दी कि भारत में बैंकों द्वारा प्रारंभ में सरल दृष्टिकोणों का कार्यान्वयन किया जाए। उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने का विकल्प देने के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा यथासमय निर्णय लिया जाएगा।

बाजार जोखिम

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने 1988 के पूँजी समझौते (बेसल I ढांचा) में जनवरी 1996 के बाजार जोखिम संशोधन के जरिए बाजार जोखिम पर पूँजी प्रभार का प्रारंभ किया। बाजार जोखिमों से सुरक्षा के लिए पूँजीगत अपेक्षा का आकलन करने हेतु दो पद्धतियाँ विद्यमान हैं -

- मानकीकृत मापन पद्धति : वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली इस पद्धति में उन ब्याज-दर संबंधी और ईक्विटी लिखतों के लिए एक 'बिल्टिंग ब्लॉक' दृष्टिकोण अपनाया गया है जो 'विशिष्ट जोखिम' के लिए पूँजीगत आवश्यकताओं को 'सामान्य बाजार जोखिम' के लिए पूँजीगत आवश्यकताओं से अलग कर देते हैं। 'विशिष्ट जोखिम प्रभार' को एकल जारीकर्ता से संबंधित कारकों के कारण किसी एकल प्रतिभूति के मूल्य में प्रतिकूल गतिविधि से बचाने के लिए बनाया गया है। उक्त 'सामान्य बाजार जोखिम प्रभार' को संविभाग में ब्याज-दर जोखिम से सुरक्षा हेतु बनाया गया है।
- आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) : यह पद्धति बैंकों को अपने स्वामित्व की आंतरिक पद्धति का उपयोग करने में समर्थ बनाती है जिसके लिए आवश्यक है कि वह बीसीबीएस द्वारा निर्धारित गुणात्मक और मात्रात्मक मानदंडों को पूरा करे तथा वह बैंक के पर्यवेक्षी प्राधिकारी के सुस्पष्ट अनुमोदन के अधीन हो।

यह मानते हुए कि भारत में बैंक अपने आंतरिक जोखिम प्रबंध मॉडलों को विकसित करने के संबंध में अभी नवजात स्थिति में हैं, यह निर्णय लिया गया कि शुरुआती तौर पर बैंक मानकीकृत मापन पद्धति को अपनाएँ। पूँजीगत विनियमों का आंतरिक मॉडल ढाँचा बैंकों को बाजार जोखिम के उनके आंतरिक मॉडल अनुमानों के सहीपन को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है। बैंकों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर उन्हें उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी जा सकती है।

परिचालन जोखिम

संशोधित ढाँचा परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभारों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित तीन दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है :

- आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) : यह दृष्टिकोण परिचालन जोखिम के लिए एक प्रभार 'सकल आय' के नियत प्रतिशत के रूप में निर्धारित करता है जो बैंक के जोखिम एक्सपोजर के लिए एक प्रतिनिधि का कार्य करता है।
- मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) : इस दृष्टिकोण में यह अपेक्षित है कि संस्था अपने परिचालनों को आठ मानक व्यावसायिक दिशाओं (बिजनेस लाइनों) में अलग करे और प्रत्येक व्यावसायिक दिशा के लिए पूँजी प्रभार की गणना उस व्यावसायिक दिशा के लिए समनुयोजित एक कारक (निर्दिष्ट बीटा) द्वारा उस व्यावसायिक दिशा के लिए सकल आय को गुणा करके की जाती है।
- उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) : इस दृष्टिकोण के अंतर्गत विनियामक पूँजीगत अपेक्षा बैंक द्वारा आंतरिक परिचालन जोखिम मापन प्रणाली द्वारा निकाले गए जोखिम के माप के समान होगी।

भारत में, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे परिचालन जोखिम के लिए पूँजीगत प्रभार का आकलन करने हेतु बीआईए को अपनाएँ। उन्हें अधिक परिष्कृत परिचालनगत जोखिम मापन प्रणालियों और प्रथाओं को विकसित करने के साथ ही, उपलब्ध दृष्टिकोणों की बहुलता (स्पेक्ट्रम) का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बॉक्स VI.4

अपने ग्राहक को जानिए और धन शोधन निवारण के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश - मुख्य मुख्य बातें

- खाते खोलने के लिए निवास स्थान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में यदि करीबी रिश्तेदार कठिनाई अनुभव करते हैं तो बैंक उक्त रिश्तेदार की पहचान का दस्तावेज और एक उपयोगिता (युटिलिटी) बिल प्राप्त कर सकते हैं जिसके साथ संभावित ग्राहक निवास कर रहा है तथा उक्त रिश्तेदार से एक घोषणा भी प्राप्त किया जा सकता है कि खाता खोलने का इच्छुक उपर्युक्त व्यक्ति (संभावित ग्राहक) उसका रिश्तेदार है और उसके साथ निवास कर रहा है। बैंक किसी अन्य पूरक साक्ष्य का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे पते का अधिक सत्यापन करने के लिए डाक द्वारा प्राप्त पत्र।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे अनुदेशों में निहित भावना को मन में रखें और ऐसे व्यक्तियों को अनुचित कष्ट होने की स्थितियों से बचें जो अन्यथा कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत हैं।
- बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा कम से कम छह महीने में एक बार की आवधिकता पर करें।
- बैंकों से यह भी अपेक्षित था कि वे खाता खोलने के बाद ग्राहक पहचान सूचना (चित्र/चित्रों सहित) को आवधिक तौर पर अद्यतन करने की एक प्रणाली शुरू करें जो न्यून जोखिम श्रेणी के ग्राहकों के मामले में कम से

- कम पाँच वर्ष में एक बार हो तथा उच्च/मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में कम से कम दो वर्ष में एक बार हो।
- घरेलू और मेजबान देश संबंधी केवाईसी/एएमएल विनियमन में अंतर के मामलों में विदेश स्थित शाखाओं/सहायक संस्थाओं से यह अपेक्षित था कि वे दोनों में से अधिक सख्त विनियमन को अपनाएँ।
- खाते खोलते समय, बैंक यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक का नाम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के संकल्पों (यूएनएससीआरएस) की सूची में न हो। इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी वर्तमान खातों की बारीक जाँच करें कि कोई भी खाता उक्त सूची में शामिल संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा धारित या उनके साथ संबद्ध न हो। उक्त सूची में विद्यमान किसी भी व्यक्ति/संस्था के साथ साम्य रखनेवाले खातों का पूर्ण विवरण तत्काल रिजर्व बैंक और एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाना चाहिए।
- बैंकों को चाहिए कि वे अपने कार्मिकों की नियुक्ति/ अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में जांच की उपयुक्त व्यवस्था स्थापित करें।

समामेलन की योजना को मंजूरी दी। यह योजना 29 अगस्त 2007 को कारोबार के प्रारंभ से ही लागू हो गई। उन्हीं संविधिक प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20 मई 2008 को सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का एचडीएफसी बैंक लि. के साथ सामामेलन की योजना को मंजूरी दे दी गई तथा यह योजना 23 मई 2008 को कारोबार के प्रारंभ के समय से लागू हुई।

V.25 स्टाक की बिक्री के रूप में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि. (ईबीएल) के बैंकिंग कारोबार (उसके क्रेडिट कार्ड और यात्रा से संबंधित कारोबार को छोड़कर) के वैश्विक अभिग्रहण के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने 5 मार्च 2008 को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) की भारतीय शाखाओं के साथ ईबीएल की भारतीय शाखाओं के सामामेलन को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, ईबीएल के मूल बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन (ईबीसी) को क्रेडिट कार्डों, यात्रा संबंधी सेवाओं तथा ईबीएल की संस्थागत जमारारिशियों, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को ईबीएल के बैंकिंग कारोबार की बिक्री से पहले उसे अंतरित की गई थी, से संबंधित कारोबार के संचालन के लिए नई दिल्ली में अपनी प्रथम शाखा खोलने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत 'विराम के आधार' पर एक सीमित बैंकिंग लाइसेंस जारी की गई। ईबीसी को चार क्रेडिट कार्ड केंद्रों के लिए प्राधिकार दिया गया जो पूर्ववर्ती ईबीएल को जारी प्राधिकार के स्थान पर था।

VI.26 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में 7 फरवरी 2008 तथा 9 अप्रैल 2008 को अधिसूचनाएं जारी की गईं जो क्रमशः "सोनाली बैंक" का नाम "सोनाली बैंक लिमिटेड" के रूप में एवं "अरब बंगलादेश बैंक लिमिटेड" का नाम "एबी बैंक लिमिटेड" के रूप में परिवर्तन को लागू करने के लिए थीं।

VI.27 वर्ष के दौरान किसी भी अपतटीय बैंकिंग की इकाई (ओबीयू) को खोलने की सूचना नहीं मिली। छह बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लि. और केनरा बैंक की सात अपतटीय इकाइयाँ (ओबीयू) तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) अर्थात् सीपूज (मुंबई), नोएडा और कोच्चि से लगातार कार्य करती रहीं।

VI.28 28 जून 2007 को बैंकों द्वारा पेंशन निधि प्रबंध के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देश जारी करने के बाद पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए एक सहायक संस्था स्थापित करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक को सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया।

VI.29 जून 2008 की समाप्ति पर भारत भर में 74 बैंक परिसमापन के अधीन थे। परिसमापन कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के मामले में आधिकारिक/न्यायालय परिसमापकों के साथ अनुवर्तन किया जा रहा है।

VI.30 भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपनी मौजूदगी को विस्तार देना जारी रखा। जुलाई 2007 और जून 2008 के बीच भारतीय बैंकों ने

विदेशों में 17 शाखाएँ/सहायक संस्थाएँ/प्रतिनिधि कार्यालय खोले हैं (सारणी 6.1)। जून 2008 के अंत में 18 भारतीय बैंकों (13 सरकारी क्षेत्र के बैंक और पाँच निजी क्षेत्र के बैंक) की उपस्थिति विदेशों में थी जिनका 51 देशों में 203 कार्यालयों (131 शाखाएँ, 43 प्रतिनिधि कार्यालय, सात संयुक्त उद्यम और 22 सहायक संस्थाएँ) का नेटवर्क था।

VI.31 कैलेंडर वर्ष 2007 के दौरान रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी बैंकों द्वारा शाखाएँ खोलने के लिए 19 अनुमोदन जारी किए। वर्ष के दौरान विभिन्न विदेशी बैंकों ने भारत में शाखाएँ और प्रतिनिधि कार्यालय खोले (सारणी 6.2)। जुलाई 2007 से तीन वर्तमान बैंकों को 18 शाखाएँ खोलने के लिए और पाँच नये विदेशी बैंकों (अर्थात् जेएससी वीटीबी बैंक, यूबीएस एजी, ड्रेसडनेर बैंक एजी, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन और युनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.) को भारत में प्रत्येक बैंक को एक-एक शाखा खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। जून 2008 के अंत में भारत में 279 शाखाओं के साथ 30 विदेशी बैंक कार्य कर रहे थे। इसके साथ ही, 41 विदेशी बैंक भी भारत में प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से कार्य कर रहे थे।

अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) प्रबंध

VI.32 भारत में बैंकों के पास उनकी अनर्जक परिसंपत्तियों के समाधान के लिए अनेक तंत्र हैं। बैंकों के लिए उपलब्ध कानूनी मंचों में शामिल हैं:

सारणी 6.1 : विदेशों में खोले गए भारतीय बैंकों के कार्यालय (जुलाई 2007 से जून 2008 तक)

बैंक के नाम	उपस्थिति का स्वरूप	देश	स्थान
1	2	3	4
बैंक ऑफ बड़ौदा	शाखा शाखा	दक्षिण अफ्रीका युनाइटेड किंगडम	जोहानिसबर्ग लंदन
बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि.	शाखा प्रतिनिधि कार्यालय	बहरीन आस्ट्रेलिया	मनामा सिडनी
बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो) लि.	सहायक संस्था	घाना	आक्रा
बैंक ऑफ इंडिया फेडरल बैंक लि. आइसीआइसीआइ बैंक लि.	प्रतिनिधि कार्यालय प्रतिनिधि कार्यालय शाखा	त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो दक्षिण अफ्रीका यू.ए.ई. क्रतर	पोर्ट ऑफ स्पेन जोहानिसबर्ग अबू धबी दोहा (क्यूएफसी)
इंडियन ओवरसीज बैंक	शाखा प्रतिनिधि कार्यालय	यू.एस.ए. विएतनाम	न्यूयार्क हो चि मिन्ह
पंजाब नेशनल बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया	शाखा प्रतिनिधि कार्यालय शाखा	हांगकांग यू.ए.ई. युनाइटेड किंगडम	हांगकांग अबू धबी रलेसगो
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	शाखा	हांगकांग	सेंट्रल हांगकांग
बैंक ऑफ इंडिया रेक्सिस बैंक लि.	सहायक संस्था प्रतिनिधि कार्यालय	तांजानिया यू.ए.ई.	दार-ए-सलाम दुबई

सारणी 6.2 : भारत में खोले गए विदेशी बैंकों के कार्यालय (जुलाई 2007 से अप्रैल 2008 तक)

बैंक का नाम	उपस्थिति का स्वरूप	स्थान
1	2	3
ड्यूश बैंक एजी	शाखा	कोल्हापुर, औरंगाबाद
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	शाखा	सिलीगुड़ी, जलगाँव
बारक्लेस बैंक पीएलसी	शाखा	जूनागढ़
एचएसएच नोर्डबैंक एजी (जर्मनी)	प्रतिनिधि कार्यालय	मुंबई
वूरी बैंक (दक्षिण कोरिया)	प्रतिनिधि कार्यालय	नई दिल्ली
वेस्टपैक बैंकिंग कारपोरेशन, (आस्ट्रेलिया)	प्रतिनिधि कार्यालय	मुंबई
रॉयल बैंक ऑफ कनाडा	प्रतिनिधि कार्यालय	मुंबई
फर्स्टरेड बैंक लि. (दक्षिण अफ्रीका)	प्रतिनिधि कार्यालय	मुंबई
स्कैंडिनाविस्का एम्सकिरडा		
बेकेन एबी (स्वीडन)	प्रतिनिधि कार्यालय	नई दिल्ली
बायेरिश्च लांड्सबैंक (जर्मनी)	प्रतिनिधि कार्यालय	मुंबई
सिटीबैंक एन.ए.	शाखा	अकोला
जेएससी वीटीबी बैंक (रूस)	प्रथम शाखा	नई दिल्ली

टिप्पणी : सूचना अर्नातम है।

वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसाई अधिनियम, 2002), बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (आरडीडीबी अधिनियम) और लोक अदालतों (जन न्यायालय) के मंच। उक्त तीनों सरणियों में से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (ट्रिब्युनल्स) के माध्यम से विद्यमान तंत्र सर्वाधिक सफल रहा है और उसके बाद उसके अधिक निकट है सरफेसाई अधिनियम। बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत कम राशि के साथ संबद्ध मामलों के समाधान में लोक अदालतों के तंत्र का भी सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है (सारणी 6.3)।

कंपनी अभिशासन और कंपनी सामाजिक दायित्व

VI.33 स्थिर विकास के संबंध में विश्व भर में घटित हो रही प्रगति को रेखांकित करने एवं जागरूकता के स्तर का उन्नयन करने के लिए रिजर्व बैंक ने कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर), स्थिर विकास (एसडी) और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग (एनएफआर) की संकल्पनाएं लागू करते हुए दिशानिर्देश जारी किए। सीएसआर में कंपनियों द्वारा उनके व्यावसायिक परिचालनों में एवं साथ ही उनके हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के साथ पारस्परिक क्रिया में भी सामाजिक और परिवेशगत सरोकारों का समेकन आवश्यक हो जाता है। एसडी में आवश्यक रूप से आर्थिक विकास के अनुसरण में परिवेशगत और सामाजिक प्रणालियों की गुणवत्ता को बनाये रखने की प्रक्रिया की ओर संकेत किया जाता है। एनएफआर मूल रूप से संस्थाओं द्वारा उनकी गतिविधियों, विशेष रूप से तीन प्रकार के निम्नतम आधार (ट्रिपल बॉटमलाइन) अर्थात् परिवेशगत, सामाजिक और आर्थिक लेखांकन के संबंध में रिपोर्टिंग की एक प्रणाली है। बनाए

सारणी 6.3 : अनर्जक परिसंपत्तियों का समाधान
(मार्च 2008 की समाप्ति पर संचयीकृत)

(राशि करोड़ रु. में)

समाधान का तंत्र	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
सरफेसार्स	जारी किए गए नोटिस		वसूली		समझौता प्रस्ताव	
	279,996	56,060	172,809	15,415	62,432	9,043
ऋण वसूली ट्रिब्युनल्स*	दायर मामले		न्यायनिर्णीत मामले		वसूली	
	79,169	1,26,378	45,088	58,719	अनु.	21,541
लोक अदालतें	दायर मामले		निर्णीत मामले		वसूली	
	1,164,650	7,740	404,378	2,009	322,732	885

* : ऋण वसूली ट्रिब्युनलों (डीआरटी) और डीआरएटी की संख्या सितंबर 2007 के अंत में क्रमशः 29 और 5 थी ।

अनु.: अनुपलब्ध

रखने लायक स्थिर विकास के संदर्भ में खास तौर से वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं।

VI.34 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्था विधि (संशोधन), अधिनियम, 2006, 16 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ जिसके अनुसार यह अपेक्षा की गई कि केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर रिजर्व बैंक के एक अधिकारी को नामित करने के बजाय, वाणिज्य बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त एक व्यक्ति को नामित करे। प्रभावात्मक तौर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों पर विद्यमान सभी तत्कालीन निदेशकों के स्थान पर 27 फरवरी 2007 से सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्त किये गये। उपर्युक्त अधिनियम के संशोधन द्वारा एक नई धारा 9(क) भी जोड़ी गई और रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्रदान किया गया कि बैंकिंग नीति के हित में/जनहित/बैंक अथवा जमाकर्ताओं के हित में यदि आवश्यक समझे तो एक या एक से अधिक निदेशकों को नियुक्त करे। उपर्युक्त धारा के अनुसार, रिजर्व बैंक ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक को नियुक्त किया। इसी प्रकार, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन अधिनियम, 2007, 9 जुलाई 2007 से लागू हुआ जिसके द्वारा यह अपेक्षा की गई कि रिजर्व बैंक अपने एक अधिकारी को नामित करने के बजाय, वाणिज्य बैंकों के विनियमन अथवा पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में आवश्यक अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त एक व्यक्ति को नामित करे। तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के समनुषंगी बैंकों के बोर्डों पर विद्यमान तत्कालीन निदेशकों को बदलकर उनके स्थान पर सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्त किये गये।

VI.35 रिजर्व बैंक ने भी राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के बोर्डों पर चुने गये निदेशकों के लिए 'योग्य और उचित' मानदंड निर्धारित किये (बॉक्स VI.5)।

VI.36 बैंकों के बोर्डों पर उनके द्वारा प्रारंभ की गई समीक्षाओं के कैलेंडर के कारण उत्पन्न बोझ को कम करने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उक्त समीक्षाओं का कैलेंडर वर्तमान सरोकारों को प्रतिबिंबित करता है, इन कैलेंडर मदों का संशोधन अप्रैल 2008 में किया गया। उपर्युक्त कैलेंडर में समीक्षा की महत्वपूर्ण न्यूनतम आवश्यकताओं की रूपरेखा निहित है तथा बैंकों के बोर्डों के पास यह विवेकाधिकार होगा कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त समीक्षाएँ निर्धारित कर सकें। संशोधित कार्यक्रम जिसे जून 2008 से लागू करने की आवश्यकता है, दो शीर्षों अर्थात् 'परिचालनों की समीक्षा' और 'कार्यनीति की समीक्षा' के अंतर्गत होगा। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि बोर्ड की प्रत्येक बैठक में कारोबार की योजना - लक्ष्य और उपलब्धि, गैर-निधि कारोबार की समीक्षा, मानव संसाधन प्रबंध, प्रशिक्षण और औद्योगिक संबंध, नया संभावित कारोबार/उत्पादों की दिशाएँ तथा वर्तमान कारोबार/उत्पादों की दिशाओं को बंद करने की समीक्षा हेतु कार्यनीति बनाने के लिए एक अलग समय आबंटित करें।

पर्यवेक्षी पहलें

VI.37 नये विनियामक परिवर्तन और अन्य आंकड़ा/सूचना संबंधी आवश्यकताओं के शामिल करने के लिए परोक्ष निगरानी और चौकसी (ऑसमास) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई परोक्ष विवरणियों की व्याप्ति और विस्तार को आवधिक तौर पर

बॉक्स VI.5

राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के चुने गए निदेशकों के लिए योग्य और उचित (फिट एण्ड प्रॉपर) मानदंड

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के परामर्शक निदेशक दल (अध्यक्ष : श्री ए. एस. गांगुली) की रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक ने जून 2004 में निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों पर निदेशकों के लिए 'योग्य और उचित' (फिट एण्ड प्रॉपर) मानदंड जारी किये थे। इसे आगे और विस्तार देते हुए रिजर्व बैंक ने नवंबर 2007 में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के बोर्डों पर चुने गये निदेशकों के लिए 'योग्य और उचित' मानदंड अधिसूचित कर दिये :

- क) राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के लिए यह अपेक्षित है कि वे एक 'नामांकन समिति' गठित करें जिसमें निदेशक मंडल से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र निदेशक/गैर-कार्यपालक निदेशक) शामिल हों। निदेशक मंडल को भी चाहिए कि वह अपने निदेशकों में से एक निदेशक को उक्त नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करे। अपेक्षित कोरम अध्यक्ष को भी मिलाकर तीन है। उक्त नामांकन समिति को गठित करते समय निदेशक मंडल उसके कार्यकाल के संबंध में भी निर्णय कर सकता है।
- ख) उक्त नामांकन समिति से यह अपेक्षित है कि वह मौजूदा चुने हुए निदेशकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 (2006 में यथासंशोधित) की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत तथा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के मामले में भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (2007 में यथासंशोधित) की धारा 25(1)(घ) के अंतर्गत एक निदेशक के रूप में चुने जानेवाले व्यक्ति की 'योग्य और उचित' हैसियत निर्धारित करने के लिए उचित सावधानी की प्रक्रिया प्रारंभ करे। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को चाहिए कि वे उन मौजूदा चुने हुए निदेशकों/व्यक्तियों से आवश्यक सूचना और घोषणा प्राप्त करें जो चुनाव के लिए अपने नामांकन दायर करते हैं। उक्त नामांकन समिति से यह अपेक्षित है कि वह चुने जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में नामांकनों की स्वीकृति की अंतिम तारीख से पहले बैठक करे तथा कुछ मानदंडों के आधार पर

व्यक्ति की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। नामांकन समिति से यह अपेक्षित है कि वह मौजूदा चुने हुए निदेशकों/प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'योग्य और उचित' स्थिति का निर्धारण व्यापक मानदंडों जैसे: शैक्षणिक योग्यता; अनुभव और विशेषज्ञता के क्षेत्र तथा पिछले रिकार्ड और विश्वसनीयता के आधार पर करे।

नामांकन समिति को यह देखना चाहिए कि क्या उपर्युक्त किसी भी मानदंड का पालन न करने से बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में अपने कर्तव्य-पालन में वर्तमान चुने हुए निदेशक/प्रस्तावित उम्मीदवार के लिए बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा, किसी भी उम्मीदवार के संबंध में यदि किसी प्राधिकरण/विनियामक एजेंसी के पास प्रतिकूल सूचना अथवा दिवालियापन या किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण के प्रति चूक का होना बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में रहने के लिए उम्मीदवार को अयोग्य और अनुचित बना देगा।

ग) यह वांछनीय है कि लोकहित में बोर्ड यह सुनिश्चित करे कि चुने गए निदेशक चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष भी 31 मार्च को गांगुली दल द्वारा संस्तुत रूप में प्रतिज्ञापत्र विलेख निष्पादित करें। उक्त प्रतिज्ञापत्र विलेखों में *अन्य बातों के साथ-साथ* निदेशकों के दायित्व, नैतिक मूल्य और प्रकटीकरण मानक एवं निदेशकों और बैंकों से की जानेवाली अपेक्षाओं की भूमिका निहित है।

नामांकन समिति से यह भी अपेक्षा की गई कि वह बैंक के बोर्ड पर वर्तमान चुने हुए निदेशकों की 'योग्य और उचित' स्थिति का निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी करे। इसके अतिरिक्त, चुने गए सभी निदेशकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रति वर्ष एक साधारण घोषणापत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा पहले से ही प्रस्तुत सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा जहाँ कहीं कोई परिवर्तन है वहाँ निदेशकों द्वारा आवश्यक ब्योरा तत्काल प्रस्तुत किया जाए। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन है तो नामांकन समिति से यह अपेक्षित है कि वह नये सिरे से उचित सावधानी की प्रक्रिया प्रारंभ करे और निदेशक की 'योग्य और उचित' स्थिति की जाँच करे।

संशोधित किया गया है। परोक्ष विवरणियों में पिछला संशोधन दिसंबर 2004 में किया गया था। नये विनियामक निर्धारणों, पर्यवेक्षी फोकस में परिवर्तनों, अन्य अतिरिक्त रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और वर्तमान रिपोर्टिंग/आंकड़ा संसाधन में सुधारों के कारण परोक्ष विवरणियों में संशोधन आवश्यक हो गया। तदनुसार, परोक्ष विवरणियों की व्याप्ति और विस्तार की एक व्यापक समीक्षा इस समय चालू है।

VI.38 31 मार्च 2008 से नये पूँजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप में करने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि परोक्ष (ऑफ-साइट) रिपोर्टिंग ढांचे के अंतर्गत एक नई पूँजी पर्याप्तता विवरणी तैयार की जाए। तदनुसार, एक आंतरिक दल ने रिपोर्टिंग फार्मेट में संशोधन का सुझाव दिया।

VI.39 बैंक अब तक रिजर्व बैंक को परोक्ष विवरणियाँ स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए ई-मेल द्वारा प्रस्तुत करते रहे हैं। यह निर्णय किया गया कि रिजर्व बैंक की ऑनलाइन विवरणी फाइलिंग प्रणाली (ओआरएफएस) बाह्य संस्थाओं से सभी आंकड़े/सूचना प्राप्त करने के लिए एक ही स्थान पर डाटा निधान होना चाहिए। परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया कि सभी विवरणियों को ओआरएफएस में अंतरित किया जाए। प्रणाली आवश्यकता विनिर्देशन (एसआरएस) सभी वर्तमान 22 विवरणियों के लिए पूरा किया गया है तथा उनका कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। नई बेसल II विवरणी को भी ओआरएफएस पर ही कार्यान्वित किया जाएगा। आस्ति-देयता प्रबंध संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार संरचनागत चलनिधि विवरण (एसटीएल) का प्रचलन फरवरी

2008 से प्रारंभ किया जा चुका है। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों को आशोधित/नई रिपोर्टों के वितरण की समस्या को दूर करने के लिए यह परिकल्पित है कि सभी रिपोर्टिंग उपकरण भी वेब-समर्थ होंगे ताकि क्षेत्रीय कार्यालय नवीनतम आशोधित रिपोर्टों तत्काल प्राप्त करेंगे।

धोखाधड़ियों की निगरानी

VI.40 जबकि बैंकिंग में नये उत्पादों और नवोन्मेषताओं को लागू करने के परिणामस्वरूप अधिकाधिक कुशलता और सेवाओं का अपेक्षाकृत शीघ्रतर वितरण संभव हुआ है, इसके कारण बैंकों के समक्ष बड़े परिचालनगत जोखिम भी उत्पन्न हुए हैं। यह रिजर्व बैंक को बैंकों द्वारा सूचित की गई धोखाधड़ियों की संख्या में वृद्धि में देखा गया है (सारणी 6.4)।

VI.41 अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों को सामान्य धोखाधड़ी-प्रवण (फ्राड प्रोन) क्षेत्रों, धोखाधड़ियों की कार्यप्रणाली और धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा उठाये जाने हेतु अपेक्षित कदमों के बारे में सुग्राही बनाता रहा है। बैंकों को निदेश दिया गया है कि वे रिजर्व बैंक को 1 लाख रुपये और उससे अधिक राशि से संबद्ध धोखाधड़ियों के मामलों की सूचना दें। बैंकों से धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर रिजर्व बैंक संबंधित बैंकों को सूचित करता है कि वे (i) पुलिस/सीबीआई में शिकायत दर्ज करें; (ii) स्टाफ के दायित्व की जाँच करें और दोषी स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करें; (iii) धोखाधड़ी में संबद्ध राशि की वसूली के लिए कदम उठाएँ; (iv) जहाँ लागू हो, वहाँ बीमा राशि का दावा करें; (v) प्रणाली और कार्यविधियों को सरल और कारगर बनाएँ; तथा (vi) प्रणाली में विद्यमान बचाव के रास्ते (लूपहोल्स) बंद कर दें ताकि उसी प्रकार की धोखाधड़ियाँ पुनः न हों। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षित है कि वे 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ियों की सूचना केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के आर्थिक अपराध खंड को दें तथा 1 करोड़ रुपये से कम राशि की धोखाधड़ियों की सूचना स्थानीय

पुलिस को दें। निजी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षित है कि वे 10,000 रुपये और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ियों की सूचना स्थानीय पुलिस को दें। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक राशि से संबद्ध धोखाधड़ियों के बारे में गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को सूचित करें।

VI.42 रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को 25 लाख रुपये और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ियों में संबद्ध उधारकर्ताओं के ब्योरे के साथ सतर्कता सूचनाएँ गोपनीय तौर पर भेजी गईं जिससे बैंक संबंधित संस्थाओं को ऋण सुविधाओं की मंजूरी पर विचार करते समय उचित सावधानी बरत सकें।

ग्राहक सेवा

VI.43 2006 में स्थापित भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता में उनके द्वारा किये गये वादों को गोचर कार्यनिष्पादन के रूप में कार्यान्वित करने के लिए सदस्य बैंकों के साथ सक्रिय संवाद द्वारा बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। वर्तमान में सत्तर अनुसूचित वाणिज्य बैंक बीसीएसबीआई के सदस्य हैं। उक्त संहिता के कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए बीसीएसबीआई ने उक्त संहिता की प्रतियों के वितरण, प्रस्तावित विभिन्न बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता, प्रशुल्क अनुसूची, ब्याज-दरों, केवायसी कार्यविधियों, सीमित सुविधा खाते (नो फ्रिल्स अकाउंट्स) खोलने की स्थिति, शिकायत निवारण प्रणालियों आदि के लिए प्रचलित प्रणालियों का पता लगाने के लिए पाँच नगरों, चेन्नै, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और हैदराबाद में सदस्य बैंकों की 700 शाखाओं का एक सर्वेक्षण करवाया। इस सर्वेक्षण के परिणामों से यह विदित हुआ कि बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने सभी ग्राहकों को उक्त संहिता की विषय-वस्तु की जानकारी प्रसारित करने, ग्राहकों तक उनकी जमाराशियों और उनके परिणामों के नियमों और शर्तों की जानकारी के साथ पहुँचाने, अपने प्रशुल्क अनुसूची में पारदर्शिता लाने, ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक प्रणाली की उपलब्धता के संबंध में उन्हें शिक्षित करने तथा उधारकर्ताओं के प्रति कुछ मूलभूत जिम्मेदारियाँ पूरी करने आदि के लिए अपनी व्यवस्था-तंत्र में गति तीव्रतर करें। सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर संबंधित बैंकों के साथ चर्चा हुई तथा बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कमियों को दूर करने के लिए सहमत हुए।

V.44 बैंकिंग प्रभारों के औचित्य संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष: श्री एन. सदाशिवन), जिसने सितंबर 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, ने सुझाव दिया कि बीसीएसबीआई समय-समय पर सेवा प्रभार की

सारणी 6.4 : बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ियाँ

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	सभी धोखाधड़ियाँ		बड़े मूल्य की धोखाधड़ियाँ	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2001-02	2,035	556	76	486
2002-03	4,056	502	82	375
2003-04	6,853	776	76	421
2004-05	10,450	779	96	461
2005-06	13,914	1,381	194	1094
2006-07	23,618	1,194	150	840
2007-08	21,247	1,059	177	659

दरों में परिवर्तन का तुलनात्मक आधार पर नजर रखे ताकि ऐसे प्रभारों में असामान्य वृद्धि के बारे में पता लगाया जा सके। तदनुसार, बीसीएसबीआइ ने कुछ चुनिंदा सदस्य बैंकों द्वारा आम तौर पर उपयोग की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं पर लगाए जाने वाले प्रभारों के संबंध में प्रारंभिक नमूना अध्ययन किया, जैसे- न्यूनतम जमाराशि न रखने पर लगाया जाने वाला दंड, बाहरी चेकों के संग्रहण, मांग ड्राफ्ट तथा चेक बुक जारी करने एवं बचत खाता बंद करने पर लगाया जाने वाला प्रभार। अध्ययन से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट हुआ कि विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा निर्धारित न्यूनतम जमाराशि सार्वजनिक क्षेत्र के तथा निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों की तुलना में अधिक होने के साथ-साथ न्यूनतम जमाराशि बनाए न रखने पर लगाया जाने वाला प्रभार भी अधिक है। नमूना अध्ययन में अन्य चार प्रभारों में बैंकों के बीच भारी अंतर नहीं था। नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में 31 दिसंबर 2007 की स्थिति अनुसार अनुपालन के वार्षिक विवरण के निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की गई स्थिति संबंधी रिपोर्ट पर प्रत्येक बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ कार्यपालक निदेशकों के साथ चर्चा की गई तथा संहिता के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु आपसी सहमति से समय सीमा निर्धारित की गई। कुछ बैंकों को छोड़कर, सदस्य बैंकों ने भारतीय बैंक संघ द्वारा बीसीएसबीआइ द्वारा दिए गए कतिपय सुझावों को शामिल करने के बाद चेक संग्रहण, शिकायतों के निराकरण, प्रतिभूतियों की पुनर्प्राप्ति तथा क्षतिपूर्ति विषय पर जारी आदर्श नीति को अपनाया। समीक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि जानकारी के प्रसार एवं दैनिक कामकाज में ग्राहकों के साथ व्यवहार में सुधार लाने के लिए बैंक सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। जहां 15 सदस्य बैंकों ने संहिता की प्रतियां अपने विद्यमान ग्राहकों को भेजने का कार्य पूरा कर लिया है वहीं शेष बैंकों द्वारा यह कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिए जाने की आशा है। बैंकों द्वारा पूरी जानकारी दिए बगैर उत्पादों की बिक्री के मामलों से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों में भारी वृद्धि संहिता के प्रावधान पूरी निष्ठा के साथ लागू किए जाने के महत्व को रेखांकित करती है।

VI.45 मई 2003 में ऋणदाताओं के लिए जारी किये गये उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा की गई कि वे ऋण स्वीकृत/संवितरित करते समय सभी उधारकर्ताओं को ऋण करार में उद्धृत सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति के साथ ऋण करार की एक प्रति प्रेषित करें। ये अनुदेश अगस्त 2007 में पुनः दुहराये गये क्योंकि यह पाया गया कि कुछ बैंक ऋण करार की प्रति उधारकर्ताओं द्वारा अनुरोध किये जाने पर ही उपलब्ध करा रहे थे। इसी प्रकार के दिशानिर्देश गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी जारी किये गये।

VI.46 बैंकों को समय-समय पर सूचित किया गया कि वे शाखा-स्तरीय ग्राहक सेवा समितियाँ गठित करें। तथापि, यह ज्ञात हुआ कि ऐसी समितियों का या तो अस्तित्व नहीं है या वे निष्क्रिय स्थिति में हैं। शाखा स्तर पर ग्राहकों और बैंक के बीच संचार के एक औपचारिक माध्यम को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को सितंबर 2007 में सूचित किया गया कि वे ग्राहकों की अधिकतर संबद्धता के साथ शाखा-स्तरीय समितियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। बैंकों को सूचित किया गया कि यह वांछनीय है कि शाखा स्तरीय समितियों में वरिष्ठ नागरिकों सहित, उनके ग्राहक भी शामिल किये जाएँ। उक्त दिशानिर्देशों में शाखा स्तरीय समितियों के लिए ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति को सूचना देने और नियमित बैठकें आयोजित करने की अपेक्षाएँ भी विनिर्दिष्ट की गईं।

VI.47 कुछ बैंक ग्राहकों को नियमित मीयादी जमाराशियों के अतिरिक्त विशेष मीयादी जमा उत्पाद भी प्रस्तावित कर रहे थे जिनकी अवधि का दायरा 300 दिन से 5 वर्ष तक था और उनकी निश्चित अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन पीरियड) 6 से 12 महीनों के बीच थी और लॉक-इन अवधि के दौरान इन जमाराशियों का समयपूर्व आहरण निषिद्ध था। लॉक-इन अवधि के दौरान अवधिपूर्व आहरण के मामले में कोई ब्याज नहीं दिया गया था। इसके अलावा, इन जमाराशियों पर प्रस्तावित ब्याज-दरें सामान्य जमाराशियों पर ब्याज-दरों के अनुरूप नहीं थीं। फिर भी, कुछ बैंकों ने कुछ शर्तों के अधीन अंशतः पूर्व-भुगतान की अनुमति दी थी। इस संबंध में रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे जमाराशियों पर अदा किये जानेवाले ब्याज के मामले में एक ही तारीख को और एक ही परिपक्वता अवधि के लिए स्वीकृत जमाराशियों के बीच परस्पर कोई भेदभाव न करें चाहे ऐसी जमाराशियाँ बैंक के एक ही कार्यालय में स्वीकार की गई हों अथवा अलग-अलग कार्यालयों में। केवल अपवादस्वरूप विशेष रूप से निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए मीयादी जमाराशि योजनाओं के संबंध में जिनके अंतर्गत बैंक किसी भी आकार की सामान्य जमाराशियों की तुलना में ब्याज की उच्चतर और नियत दरें लागू कर सकते हैं, तथा 15 लाख रुपये और उससे अधिक राशि की एकल अवधि जमाराशियों के संबंध में जिन पर बैंक जमाराशियों के आकार के आधार पर ब्याज की परिवर्ती दरें लागू कर सकते हैं, अनुमति दी गई। अक्टूबर 2007 में बैंकों को सूचित किया गया कि लॉक-इन अवधि तथा उपर्युक्त अन्य विशेषताओं सहित विशेष योजनाएँ "घरेलू जमाराशियों में रखी रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरें आदि" विषयक मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार नहीं हैं तथा इन योजनाओं को बंद करके अनुपालन की सूचना दी जाए।

VI.48 यह महसूस किया गया कि हाल के समय में वसूली एजेंटों को नियुक्त करने के लिए बैंकों के विरुद्ध विवादों और मुकदमों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए प्रतिकूल प्रचार के परिणामस्वरूप समग्र रूप में बैंकिंग क्षेत्र के लिए गंभीर प्रतिष्ठा-संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। अतः रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2008 में भारत में बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबद्ध नीति, व्यवहार और क्रियाविधि के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये (बॉक्स VI.6)।

VI.49 मई 2008 में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिया गया कि शिकायतों के स्रोत पर विचार किये बिना उन्हें ग्राहकों से प्राप्त करने तथा उचित और त्वरित रूप से उनका समाधान करने पर विशेष रूप से जोर देते हुए एक उपयुक्त तंत्र विद्यमान हो। इस संबंध में बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि: (i) वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाओं में शिकायत रजिस्टर प्रमुख स्थान पर रखे जाएँ जिससे ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें; (ii) उनके पास शिकायतों की प्राप्ति-सूचना देने की एक प्रणाली हो, जहाँ शिकायतें पत्रों/फार्मों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं; (iii) विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों का समाधान करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की जाए; (iv) वे यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होनेवाली तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और सरकार की गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित शिकायतों का समाधान भी उपर्युक्त प्रक्रिया का एक अंग हो; (v) शाखाओं में जिन अधिकारियों के साथ शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क किया जा सकता है, उनके नाम उनकी सीधी टेलिफोन संख्या, फैक्स संख्या, पूरे पते (पोस्ट बॉक्स नं. नहीं) और ई-मेल पते के साथ प्रमुख रूप से प्रदर्शित किये जाएँ।

VI.50 बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि जहाँ शिकायतों का समाधान अगले कार्यदिवस के भीतर किया जाता है, वहाँ उन्हें वित्तीय परिणामों के साथ प्रकट करने के लिए अपेक्षित शिकायतों के विवरण में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। इससे यह आशा की जाती है कि यह अगले कार्यदिवस के भीतर शिकायतों का समाधान करने के लिए बैंकों और उनकी शाखाओं के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि जहाँ शिकायतों का समाधान एक महीने के अंदर नहीं किया जाता, वहाँ संबंधित शाखा/नियंत्रण कार्यालय को चाहिए कि वह उसकी एक प्रति बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत संबंधित केंद्रीय (नोडल) अधिकारी के पास भेजे और शिकायत की स्थिति के संबंध में उसे अद्यतन सूचना देता रहे। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि ग्राहक बैंक के

उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो संबंधित बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने के उसके अधिकारों से उसे अवगत कराया गया है, बैंकों को सूचित किया गया कि वे शिकायत के समाधान के संबंध में ग्राहक को भेजे जानेवाले अंतिम पत्र में यह निर्दिष्ट करें कि ग्राहक संबंधित बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकता है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे शिकायत निवारण व्यवस्था के बारे में विज्ञापनों द्वारा और तत्संबंधी सूचना को अपनी वेबसाइटों पर रखने के द्वारा व्यापक प्रचार दें।

V.51 बैंकों को सूचित किया गया कि उनके द्वारा लगाए गए टेलीविक्रेताओं यथा- डाइरेक्ट सेलिंग एजेंटों (डीएसए)/ डाइरेक्ट मार्केटिंग एजेंटों (डीएमए) का दूरसंचार विभाग के पास टेलीविक्रेताओं के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे कॉलिंग सूची का मार्जन करने के लिए डीएमए/डीएसए/टेलीविक्रेताओं को अनुदेश दें तथा अयाचित वाणिज्यिक सूचना विनियमावली, 2007 के उपबंधों में परिकल्पित रूप में कॉल न करने की राष्ट्रीय रजिस्ट्री (एनडीएनसी) से अपनी कॉलिंग सूचियों को मार्जित किये बिना कोई भी टेलीविपणन कॉल न करें (बॉक्स VI.7)।

VI.52 ग्राहक सेवा के क्षेत्र में ग्राहकों के साथ बेहतर व्यवहार के संबंध में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र होने के अलावा इस संबंध में बहुप्रतीक्षित सिद्धांत है- पारदर्शिता, तर्कसंगतता, विक्रय में सच्चाई, गोपनीयता और आवश्यकता पड़ने पर जरूरी सहयोग प्रदान करना। रिजर्व बैंक ग्राहकों को बेहतर सेवा दिलाने के लिए सतत कदम उठा रहा है। बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत ई-मेल, ऑनलाइन अथवा डाक से भेजने की सुविधा है। बैंकिंग लोकपाल कार्यालय शिकायतों को शिकायत ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रेक करता है। बैंकिंग लोकपाल के 15 कार्यालयों में वर्ष 2007-08 में 47,887 शिकायतें प्राप्त हुई जबकि वर्ष 2006-07 में 38,638 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006(मई 2007 तक संशोधित) के अनुसार बैंक के ग्राहक और बैंक, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये निर्णय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान ऐसी 186 अपीलें प्राप्त हुईं।

V.53 रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्राप्त महत्वपूर्ण प्रतिसूचना की जांच की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप दे दिया है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रणालीगत मुद्दों की जांच के लिए "ग्राहक सेवा बैठक" के रूप में तिमाही बैठक आयोजित

बॉक्स VI.6

वसूली एजेंटों के संबंध में दिशानिर्देश

वसूली एजेंटों के संबंध में दिशानिर्देशों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ नियुक्ति, प्रोत्साहन, पद्धतियाँ, प्रशिक्षण, कार्यविधियाँ, शिकायत निवारण और दंड के विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं।

वसूली एजेंटों की नियुक्ति

- वसूली एजेंट की परिभाषा इस प्रकार दी गई कि बैंक द्वारा नियुक्त एजेंटियाँ तथा संबंधित एजेंटियों के एजेंट/कर्मचारी उसके अंतर्गत आ जाते हैं।
- बैंकों से अपेक्षित है कि वे वसूली एजेंटों की नियुक्ति के लिए एक उचित सावधानी प्रक्रिया का अनुसरण करें। इसके अलावा, बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वसूली की प्रक्रिया में उनके द्वारा नियुक्त एजेंट अपने कर्मचारियों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करें जिनमें अधिक सतर्कता के तौर पर रोजगार से पूर्व पुलिस द्वारा सत्यापन भी शामिल है।
- उचित सूचना और उपयुक्त प्राधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे वसूली एजेंसी को चूक के मामले भेजते समय उधारकर्ता को वसूली एजेंसी फर्मों/कंपनियों का ब्योरा सूचित करें। इसके अतिरिक्त, एजेंट को भी चाहिए कि वह बैंक अथवा एजेंसी फर्म/कंपनी द्वारा उसको जारी किये गये पहचान पत्र सहित बैंक से प्राप्त नोटिस की प्रति और प्राधिकार पत्र अपने साथ ले जाए।
- उक्त नोटिस और प्राधिकार पत्र में अन्य ब्योरे के साथ-साथ, संबंधित वसूली एजेंसी के टेलिफोन नंबर भी शामिल होने चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि वसूली एजेंटों द्वारा ग्राहकों को तथा ग्राहकों द्वारा वसूली एजेंटों को किये गये टेलिफोन कालों की अंतर्वस्तु/पाठ का टेपरिकॉर्डिंग उपलब्ध हो। बैंकों के लिए उचित पूर्व-सावधानी बरतने की आवश्यकता है जैसे ग्राहक को यह सूचित करना कि बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा है।
- बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंसी फर्मों/कंपनियों का अद्यतन विवरण बैंक की वेबसाइट पर भी रखा जाए।
- जहाँ कोई शिकायत/परिवाद दर्ज किया गया है, वहाँ बैंक तब तक मामला वसूली एजेंटों के पास न भेजे जब तक कि उसका अंतिम रूप से निपटान न कर दिया जाए। फिर भी, जहाँ उधारकर्ता लगातार असार और कष्टप्रद शिकायतें कर रहा हो, वहाँ वह वसूली प्रक्रिया में आगे बढ़े, भले ही शिकायत/परिवाद उनके पास लंबित क्यों न हो।
- प्रत्येक बैंक के पास ऐसी व्यवस्था हो जहाँ वसूली प्रक्रिया के संबंध में उधारकर्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया जा सके।

वसूली एजेंटों को प्रोत्साहन

- यह ज्ञात हुआ कि कुछ बैंकों ने वसूली के कठोर लक्ष्य निर्धारित किये हैं अथवा वे वसूली एजेंटों को अत्यधिक प्रोत्साहन देते हैं। अतः बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि वसूली एजेंटों के साथ संविदाओं में असभ्य, गैर-कानूनी और आपत्तिजनक व्यवहार अथवा वसूली प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है।

वसूली एजेंटों द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ

- बैंकों को सूचित किया गया कि वे रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विभिन्न दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें, जैसे ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता, क्रेडिट कार्ड परिचालनों पर दिशानिर्देश एवं बीसीएसबीआई द्वारा बनाई गई ऋण वसूली प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता की संहिता।

वसूली एजेंटों के लिए प्रशिक्षण

- बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वसूली एजेंटों को उचित रूप से प्रशिक्षण दें ताकि वे अपनी जिम्मेदारियाँ, खास तौर से ऐसे पहलू जैसे मिलने का समय, ग्राहक संबंधी सूचना की गोपनीयता (प्राइवसी), आदि को सावधानी और संवेदनशीलता के साथ निभाएँ।

- रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से अनुरोध किया कि वे इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस (आईआईबीएफ) के साथ परामर्श करके न्यूनतम 100 घंटे के प्रशिक्षण सहित प्रत्यक्ष वसूली एजेंटों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम बनाएँ। आईआईबीएफ द्वारा एक बार उपर्युक्त पाठ्यक्रम के प्रारंभ करने के बाद, बैंक यह सुनिश्चित करें कि एक वर्ष की अवधि में उनके सभी वसूली एजेंट उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त करें और उपर्युक्त संस्थान से प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

बैंकों को बंधक/दृष्टिबंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा लेना

- बैंकों को सूचित किया गया कि यह वांछनीय है कि वे प्रतिभूति हित को लागू करते समय न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना सरफेसई अधिनियम जैसी संबंधित संविधियों के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी उपायों पर ही निर्भर रहें।
- जहाँ बैंकों ने उधारकर्ता के साथ की गई संविदा में पुनः कब्जा खंड शामिल किया है और अपने अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसे पुनः कब्जे के खंड पर निर्भर रहते हैं, वहाँ उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि वे उक्त पुनः कब्जे का खंड कानूनी तौर पर वैध है, भारतीय संविदा अधिनियम के उपबंधों का पालन अक्षरशः किया गया है तथा इस प्रकार का पुनः कब्जे का खंड संविदा का निष्पादन करते समय उधारकर्ता की जानकारी में स्पष्ट रूप से लाया गया है। संविदा के नियम और शर्तें पूर्णतया वसूली नीति के अनुसार होनी चाहिए।

लोक अदालतों के मंच का उपयोग

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार बैंकों को प्रोत्साहित किया गया कि वे 10 लाख रुपये से कम राशि के वैयक्तिक ऋणों, क्रेडिट कार्ड ऋणों अथवा आवास ऋणों की वसूली के लिए लोक अदालतों के मंच का उपयोग करें।

ऋण परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग

- बैंकों को प्रोत्साहित किया गया कि वे जहाँ यह स्पष्ट रूप से जानने में आया हो कि किसी खास उधारकर्ता का मामला सहानुभूतिपूर्वक विचार करने योग्य है, वहाँ उधारकर्ताओं को उपयुक्त परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ऋण परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करें।

बैंक/उसके वसूली एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

- बैंकों को सूचित किया गया कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन और बैंकों के वसूली एजेंटों द्वारा अपनाई गई अनुचित प्रथाओं के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों को गंभीर दृष्टि से देखा जाएगा।
- रिजर्व बैंक किसी बैंक द्वारा उसके अधिकार-क्षेत्र संबंधी अथवा कार्यप्रणाली संबंधी किसी विशिष्ट क्षेत्र में वसूली एजेंटों को नियुक्त करने पर एक सीमित अवधि के लिए बंदिश लगाने पर विचार कर सकता है। जब उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वसूली प्रक्रिया से संबंधित नीति, प्रथा और कार्यविधि के संबंध में किसी बैंक या उसके निदेशकों/अधिकारियों/एजेंटों के विरुद्ध कटु आलोचना पारित की जाती है अथवा दंड लगाया जाता है तब इसी प्रकार की पर्यवेक्षी कार्रवाई की जा सकती है।
- यह आशा की जाती है कि बैंक सामान्य प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करें कि ऋण वसूली प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन उनके कर्मचारी भी करें।

आवधिक समीक्षा

- वसूली एजेंटों को नियुक्त करनेवाले सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने अनुभव से व्यवस्था की आवधिक समीक्षा प्रारंभ करें जिससे सुधारों को लागू किया जा सके और उक्त दिशानिर्देशों में सुधार के लिए सुझाव रिजर्व बैंक की जानकारी में लाएँ।

बॉक्स VI.7

अयाचित वाणिज्यिक सूचनाएँ - राष्ट्रीय कॉल न करने की रजिस्ट्री

क्रेडिट कार्ड अभिदाताओं से निरंतर प्राप्त हो रही शिकायतों और इस संबंध में जनहित मुकदमे के संदर्भ में दिल्ली के उच्च न्यायालय की टिप्पणी को देखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने अयाचित वाणिज्यिक सूचनाओं (यूसीसी) को नियंत्रित करने के लिए दूरसंचार अयाचित वाणिज्यिक सूचना (टीयूसीसी) विनियमावली 2007 बनाई। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 6 जून 2007 को दूरस्थ विक्रेताओं (टेलीमार्केटर्स) के लिए पंजीयन प्रक्रिया सहित, संबंधित दिशानिर्देश जारी कर दिये। इस विनियमावली में यह परिकल्पित है कि सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता ऐसा तंत्र स्थापित करेंगे जिससे उन अभिदाताओं से अनुरोध प्राप्त किये जा सकें जो अयाचित वाणिज्यिक सूचनाएँ (यूसीसी) प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तथा इस प्रयोजन के लिए एक 'निजी कॉल न करने की' सूची (प्राइवेट डू नॉट कॉल लिस्ट) रखेंगे और उसे परिचालित करेंगे। उक्त सूची में ऐसे सभी अभिदाताओं के टेलिफोन नंबर और अन्य विवरण होंगे जो अपने को कॉल न करवाना चाहते हैं। इस सूची में से टेलीफोन नंबर और क्षेत्र कूट को परिचालकों द्वारा एक राष्ट्रीय कॉल न करने की (एनडीएनसी) रजिस्ट्री में ऑनलाइन तौर पर अद्यतन किया जाएगा जिसका रखरखाव राष्ट्रीय संसूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जाएगा। टेलीविक्रेताओं को चाहिए कि वे स्वयं को उक्त एनडीएनसी रजिस्ट्री में पंजीकृत करवा लें। वे ऑनलाइन ही उक्त कॉलिंग सूची एनडीएनसी रजिस्ट्री को प्रस्तुत करेंगे जहाँ रजिस्ट्री में सूचीबद्ध संख्याओं को हटाकर सूची को आशोधित/मार्जित कर दिया जाएगा तथा आशोधित/मार्जित सूची को ऑनलाइन ही दूरस्थ विक्रेताओं को वापस अंतरित किया जाएगा ताकि वे काल कर सकें। यूसीसी विनियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए टीआरएआई ने यह अधिदेशात्मक कर दिया है कि दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीविक्रेताओं के लिए दिशानिर्देश जारी करने से तीन महीने के अंदर टेलीविक्रेता स्वयं को दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के पास पंजीकृत करा लें, अन्यथा उनकी दूरसंचार

सेवाओं के कट जाने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निदेश दिया गया कि यदि टेलीविक्रेताओं द्वारा यूसीसी विनियमावली का उल्लंघन हो तो वे उनको प्रदत्त टेलीफोन संपर्क काट दें। उपर्युक्त नीति के अनुरूप बैंकों को सूचित किया गया कि वे निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करें :

- बैंक ऐसे टेलीविक्रेताओं (डीएसए/डीएमए) को नियुक्त न करें जिनके पास टेलीविक्रेताओं के रूप में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त वैध पंजीयन प्रमाणपत्र न हो।
- बैंक अपने द्वारा नियुक्त टेलीविक्रेताओं (डीएसए/डीएमए) की सूची भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को टेलीविपणन कॉल करने के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त टेलीफोन संख्याओं सहित प्रस्तुत करें ताकि आईबीए उस सूची को आगे टीआरएआई के पास भेज सके।
- बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा वर्तमान में नियुक्त टेली विक्रेता (डीएसए/डीएमए) स्वयं को टेलीविक्रेताओं के रूप में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के पास पंजीकृत करवा लें।
- डीएसए/डीएमए के अतिरिक्त, बैंकों/उनके कॉल सेंटर्स, जो याचना कॉल करते हैं, को भी चाहिए कि दूरसंचार विभाग के पास स्वयं को टेलीविक्रेताओं के रूप में पंजीकृत करा लें तथा बैंकों/उनके कॉल सेंटर्स से यह अपेक्षित है कि स्वयं को टेलीविक्रेताओं के रूप में पंजीकृत कराते समय दूरविपणन के लिए प्रयुक्त टेलीफोन संख्याओं का ब्योरा भी दे दें।
- बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे कॉलिंग सूची का मार्जन करने के लिए डीएमए/डीएसए/टेलीविक्रेताओं को अनुदेश दें तथा अयाचित वाणिज्यिक सूचना विनियमावली, 2007 के उपबंधों में परिकल्पित रूप में एनडीएनसी के पास अपनी कॉलिंग सूचियों को मार्जित किये बिना कोई भी टेलीविपणन कॉल न करें।

की जाती है। इस बैठक में सहिता और बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना सहित, ग्राहक सेवा संबंधी अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग लोकपाल, भारतीय बैंक संघ तथा भारतीय सहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के विनियामक और पर्यवेक्षी विभागों के वरिष्ठ स्तर के सदस्य भाग लेते हैं। यह बैठक स्व-विनियमन अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन के जरिए समयबद्ध आधार पर समुचित सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाती है। बैठक यह भी सुनिश्चित करती है कि ग्राहक के हित में आम सहमति का दृष्टिकोण अपनाया जाए। बैठक में चर्चा के बाद उभरी सहमति/ निर्णय/ सिफारिश परामर्शी स्वरूप की होती है तथा इनकी जांच संबंधित विनियामक विभागों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

VI.54 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क के अनुसार सितंबर 2005 से भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्मेलन की प्रक्रिया की पहल करने के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों की संख्या घटकर 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार 14,788 शाखाओं के नेटवर्क सहित 26 राज्यों के 585 जिलों में परिचालित रूप में 91 हो गई। आगे और सम्मेलन के साथ ही पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किये जाने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या घटकर 30 मई 2008 की स्थिति के अनुसार 88 रह गई।

VI.55 भारत सरकार ने सरफेसाई अधिनियम, 2002 के प्रयोजन के लिए 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' को 'बैंक' के रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना 17 मई 2007 को जारी की। मई 2007 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना सभी बीमा उत्पादों के वितरण के लिए जोखिम सहभागिता से रहित कंपनी बीमा एजेंसी कारोबार प्रारंभ करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति योग्य एक्सपोजर सीमाओं के अंदर संघीय सहायता उधार (कन्सॉर्टियम लेंडिंग) शुरू करने की भी अनुमति दी गई। समूची प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूँजीगत संरचना को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीतिगत

वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में यह घोषित किया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चाहिए कि वे 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार अपने तुलन-पत्रों में सीआरएआर के स्तर का प्रकटीकरण करें तथा इन बैंकों द्वारा सीआरएआर का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा (रोडमैप) बनाई जानी चाहिए।

VI.56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने एवं निर्णय लेने में बोर्डों को अधिक अधिकार और लचीलापन देने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ खास तौर से निवेश, कारोबार के विकास और स्टाफिंग अर्थात् अन्य बातों के साथ-साथ स्टाफ संख्या का निर्धारण, नई भर्ती और पदोन्नति के मामलों में बोर्ड को किन-किन क्षेत्रों में अधिक स्वायत्तता दी जा सकती है, इस पर विचार-विमर्श कर सुझाव देने के लिए सितंबर 2006 में एक कार्यदल (अध्यक्ष: डॉ. के. जी. करमरकर) गठित किया। इस कार्यदल द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार/कार्यान्वित किया गया है।

VI.57 वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप तथा बेहतर ग्राहक सेवाएं देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने और कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स की ओर अंतरण करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तैयार करने के लिए नाबार्ड, प्रायोजक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रतिनिधियों को लेते हुए एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री जी. श्रीनिवासन) गठित किया गया ताकि इस संबंध में एक रूपरेखा (रोडमैप) तैयार की जा सके। कार्यदल अपनी रिपोर्ट अगस्त 2008 में प्रस्तुत कर दी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक व्यापक मानव संसाधन नीति बनाने के लिए गठित समिति (अध्यक्ष : डॉ. वाई. एस. पी. थोरात) ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को अक्टूबर 2007 में प्रस्तुत की जो भारत सरकार द्वारा परीक्षण के अधीन है।

VI.58 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान की जानेवाली सहायता के तौर-तरीके निर्धारित करने के लिए एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री जी. पद्मनाभन) गठित किया गया जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए उपयुक्त विभिन्न वहनीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित सोल्यूशनों का पता लगाने और लागत के तत्वों का अभिनिर्धारण करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उत्पादन के उपकरण संस्थापित करने सहित, इस प्रकार के आईसीटी सोल्यूशनों के निधीयन के लिए तरीके और मानदंडों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया। दल की रिपोर्ट जनसाधारण की टिप्पणी हेतु वेबसाइट में डाल दी गई है।

VI.59 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) छोटे निवेशकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करता रहा है ताकि छोटे निवेशकों का देश की बैंकिंग प्रणाली के प्रति विश्वास बना रहे तथा प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के स्तर में वृद्धि की जा सके। डीआइसीजीसी द्वारा भारत में जन जागरण कार्यक्रम के अंग के रूप में, जमाराशि बीमा योजना के बारे में जनता को बीमाकृत बैंकों, अपनी वेबसाइट, जमाराशि बीमा पर दिशानिर्देश संबंधी प्रचार पुस्तिका के माध्यमों से जानकारी दी जाती है। डीआइसीजीसी की वेबसाइट में अन्य जानकारियों के साथ-साथ, भारत में जमाराशि बीमा प्रणाली, "अकसर पूछे जाने वाले प्रश्नों" के उत्तर, दावे के निपटारे का तरीका, बीमाकृत बैंकों की सूची, निपटाए गए दावों का विवरण, बीमाकृत बैंकों को जारी किए गए परिपत्र तथा अन्य संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए डीआइसीजीसी अपनी वेबसाइट में निपटाए गए दावों से संबंधित जानकारी/ आंकड़े बैंक के नाम तथा राशि सहित उपलब्ध कराता है। वर्ष 2007-08 के दौरान डीआइसीजीसी ने सहकारी बैंकों के कुल 161 करोड़ रुपए के दावों (22 मूल तथा 18 अतिरिक्त दावे) का निपटारा किया।

VI.60 डीआइसीजीसी का उद्देश्य जमाकर्ताओं, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं को त्वरित प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना है (बॉक्स VI.8)।

सहकारी बैंक

VI.61 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) क्षेत्र में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में 1990 के दशक के अंतिम वर्षों तथा इस दशक के प्रारंभिक वर्षों में हुई तेज वृद्धि ने इस क्षेत्र में कुछ कमजोरियों को भी जन्म दिया जिन्होंने इस संबंध में जनता के विचार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। उपर्युक्त स्थिति का सामना करने के लिए रिजर्व बैंक ने पहले कदम के रूप में मई 2004 में यह घोषणा की कि शहरी सहकारी बैंकों के लिए वैधानिक, विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की समीक्षा होने तक नये शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना हेतु लाइसेंस नहीं दिये जाएंगे। मार्च 2005 में 'शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक परिदृष्टि प्रलेख' का प्रारूप तैयार किया गया और सार्वजनिक पहुँच (पब्लिक डोमेइन) पर रखा गया। इस परिदृष्टि प्रलेख (विजन डॉक्युमेंट) में इस क्षेत्र की मुख्य-मुख्य बातों पर चर्चा की गई, इन बैंकों को आक्रांत करनेवाली समस्याओं का विश्लेषण किया गया तथा उनकी समस्याओं का सामना करने के लिए रणनीतियाँ प्रस्तावित की गईं। उक्त विजन डॉक्युमेंट का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रिजर्व बैंक और

बॉक्स VI.8

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों का शीघ्र निपटारा

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) ने जमाकर्ताओं के दावों के निपटारे में होनेवाली देरी को दूर करने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं। निगम ने परिसमापन आदेश को न्यायालय में चुनौती दिए जाने कारण बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधाओं को दूर करने के उद्देश्य से नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त, निगम उन असाधारण स्थितियों में जब परिसमापकों से दावों की सूची लंबे समय तक पत्राचार चलने तथा काफी समय बीतने पर भी डीआइसीजीसी को प्राप्त नहीं होती है, दावा प्राप्त न होने के संबंध में जमाकर्ताओं को सूचित करते हुए विज्ञापन जारी करके जमाकर्ताओं से अनुरोध करता है कि वे परिसमापकों के पास अपना दावा प्रस्तुत करें तथा इसकी सूचना निगम को भी दें। तथापि, यह पाया गया है कि जहां कई मामलों में इसका परिणाम अच्छा रहा है वहीं कई अन्य मामलों में इसका प्रतिसाद संतोषजनक नहीं रहा है। निगम ने दावे के निपटारे में होने वाली देरी के कारणों का अध्ययन किया और इस प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए। उस विशेष परिस्थिति में, जब लेखों की लेखा परीक्षा में देरी के कारण परिसमापक द्वारा काफी समय बाद भी दावे की सूची प्रस्तुत नहीं की गई है, डीआइसीजीसी ने लेखा परीक्षा तथा/ अथवा दावा सूची तैयार करने का कार्य पूरा करने में सहकारी बैंकों के परिसमापक को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया है कि सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करे। यदि दावे की वास्तविकता के बारे में डीआइसीजीसी संतुष्ट हो तो वह विशेष मामले के रूप में, निर्धारित तारीख की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षित तुलनपत्र प्रस्तुत

करने संबंधी अपेक्षा से छूट दे सकता है। निगम ने यह सुझाव दिया है कि उक्त प्रयोजन हेतु सनदी लेखाकार की नियुक्ति शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में गठित कार्यदल की उप समिति की सिफारिशों के अनुसार सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा की जाए और सनदी लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा का कार्य उप समिति द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। अन्य यथार्थ परिस्थितियों में ऐसे अनुरोध पर निगम मामला-दर-मामला आधार पर विचार करेगा।

अन्य उपायों के अलावा, मामला न्यायालय में लंबित रहने के दौरान दावों का निपटारा करने, दावा सूची प्राप्त न होने के संबंध में निगम द्वारा विज्ञापन जारी करने संबंधी उक्त नीतियों का समग्र प्रभाव उत्साहजनक रहा है तथा डीआइसीजीसी ने 14 बैंकों के 1,93,873 जमाकर्ताओं के 132 करोड़ रुपए की कुल राशि के दावों का निपटारा किया। इसके अतिरिक्त डीआइसीजीसी ने संयुक्त जमा खाता संबंधी नीति में संशोधन किया है जिसके कारण 'क' और 'ख' तथा 'ख' और 'क' के नाम स्थित संयुक्त खातों को दो ऐसे पात्र अलग-अलग खातों के रूप में माना गया है जो 1 लाख रुपए के अधिकतम दावे के लिए पात्र होंगे। इस नीतिगत परिवर्तन के कारण 9 बैंकों के 216 लाख रुपए के अतिरिक्त दावों का निपटारा किया गया।

यद्यपि उक्त उपायों ने असफल हुए बैंकों के जमाकर्ताओं को कुछ राहत पहुंचायी है, तथापि सहकारी बैंकों के परिसमापकों से दावा सूची देर से प्राप्त होने की बात को लेकर निगम चिंतित है क्योंकि ऐसी देरी में और कमी लाने की आवश्यकता है।

संबंधित राज्य सरकारों के बीच सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के दोहरे नियंत्रण की समस्या का समाधान करने एवं उक्त बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए एक परामर्शक मंच स्थापित करने से संबंधित है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए उन राज्यों से संपर्क किया जिनके पास शहरी सहकारी बैंकों का बड़ा नेटवर्क है। जून 2005 से 19 राज्य सरकारों और बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में केंद्र सरकार के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किये गये तथा उनके साथ शहरी सहकारी बैंकों संबंधी कार्यदल (टीएफसीयूबी) बनाये गये। कुल मिलाकर इस क्षेत्र की 95 प्रतिशत जमाराशियों को समाविष्ट करते हुए उक्त सहमति ज्ञापनों के अंतर्गत 1,597 शहरी सहकारी बैंक (90.0 प्रतिशत) सम्मिलित किये गये। शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित कार्यदलों (टीएफसीयूबी) की व्यवस्था शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में विश्वास को पुनः बहाल करने में समर्थ रही है और इस संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है (बॉक्स VI.9)।

VI.62 शहरी सहकारी क्षेत्र से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर स्तर I यूसीबीस की परिभाषा को मार्च 2008 में संशोधित किया गया। संशोधित परिभाषा के अनुसार स्तर I शहरी सहकारी बैंक (यूसीबीस)

को इस प्रकार परिभाषित किया गया : (i) यूनिट बैंक अर्थात् वे बैंक जिनकी एक शाखा /प्रधान कार्यालय है और जिनकी जमाराशियाँ 100 करोड़ रुपये से कम हैं, जिनकी शाखाएँ एक ही जिले में स्थित हैं; (ii) ऐसे बैंक जिनकी जमाराशियाँ 100 करोड़ रुपये से कम हैं और शाखाएँ एक से अधिक जिलों में हैं बशर्ते कि उक्त शाखाएँ सटे हुए जिलों में हैं, तथा एक जिले में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ और अग्रिम अलग से बैंक की क्रमशः कुल जमाराशियों और अग्रिमों का कम से कम 95 प्रतिशत बनते हैं; (iii) ऐसे बैंक जिनकी जमाराशियाँ 100 करोड़ रुपये से कम हैं, जिनकी शाखाएँ मूल रूप से एक ही जिले में रहीं, परंतु बाद में जिले के पुनर्गठन के कारण बहु-जिलाई हो गई हैं। शेष शहरी सहकारी बैंक स्तर II शहरी सहकारी बैंक (यूसीबीस) माने गये हैं। 100 करोड़ रुपये का जमाराशि आधार संबंधित वित्तीय वर्ष में पाक्षिक निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के औसत के आधार पर एवं तदनुसार राशि के अग्रिमों का आधार संबंधित वित्तीय वर्ष के पाक्षिक औसत के आधार पर निर्धारित किया गया है।

विवेकपूर्ण मानदंड

VI.63 जुलाई 2007 में यह स्पष्ट किया गया कि शेयर दलालों को (शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर तथा अन्य के साथ-साथ मीयादी

बॉक्स VI.9

परिदृष्टि प्रलेख (विज्ञान डॉक्युमेंट) का शहरी सहकारी बैंकों पर प्रभाव

विभिन्न उपायों के प्रभाव का आकलन इस क्षेत्र की बदलती रूपरेखा के माध्यम से किया जा सकता है। कमजोर/रुग्णता दर्शाने वाले ग्रेड III तथा ग्रेड IV शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में मार्च 2005 और मार्च 2007 के बीच कमी आई। ग्रेड III शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में 2004 के बाद लगातार कमी आई। यद्यपि, ग्रेड IV शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में मार्च 2005 तथा 2006 के अंत में बढ़ोतरी हुई, तथापि मार्च 2007 के अंत में इनकी संख्या में कमी आई (सारणी क)। शहरी सहकारी बैंकों की समग्र परिसंपत्ति की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ तथा 2005 में कुल अग्रिमों से उनकी अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के 23.2 प्रतिशत से घटकर 2007 में 17.0 प्रतिशत हो गई। पिछले चार वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और उनका ग्रेड-वार वितरण भी शहरी सहकारी बैंकों के क्षेत्र की समग्र स्थिति में सुधार के अंतर्गत प्रतिबिंबित हुआ। शहरी सहकारी बैंकों के क्षेत्र में जनता के विश्वास में वृद्धि 2005-06 के दौरान जमाराशियों में हुई 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी से भी अधिक 2006-07 के दौरान

6.1 प्रतिशत की वृद्धि में प्रतिबिंबित हुई और इस प्रकार 2004-05 की गिरावट की प्रवृत्ति उलट दी गई। इसी प्रकार, अग्रिमों में भी 2005-06 की 7.1 प्रतिशत की वृद्धि से भी अधिक 2006-07 के दौरान 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करनेवाले राज्यों में समन्वित पर्यवेक्षण/विनियमन की संवर्धित सुविधा से रिजर्व बैंक ऐसे राज्यों में पात्र शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों को कारोबार के अतिरिक्त अवसर विस्तारित कर सका। इन सुविधाओं में मुद्रा तिजोरियाँ लगाने, म्युचुअल फंड उत्पाद बेचने, गैर-जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा व्यवसाय संचालित करने, नए एटीएम खोलने, विस्तार काउंटर्स को शाखाओं में परिवर्तित करने तथा श्रेणी I और II में प्राधिकृत व्यापारी के रूप में विदेशी मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति शामिल है। इसके अलावा, जैसा कि 2007-08 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में घोषित किया गया है, ऐसे राज्यों में वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों को भी नई शाखाएँ खोलने की अनुमति दी गई। यह एक सुविधा थी जो 2004 में समाप्त की गई थी।

सारणी क : शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार - 2004-2007

वर्ष	श.स. बैंकों की संख्या	सकल एनपीए (करोड़ रुपये)	कुल अग्रिमों से सकल एनपीए का प्रतिशत	विभिन्न ग्रेडों में श.स. बैंकों का अंतरण ग्रेड				III और IV में श.स. बैंक का प्रतिशत
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2004	1,919	15,406	22.7	880	307	529	203	38.1
2005	1,872	15,486	23.2	807	340	497	228	38.7
2006	1,853	13,506	18.9	716	460	407	270	36.5
2007	1,813	13,363	17.0	652	598	295	268	31.1

जमाराशियों, और जीवन बीमा पालिसियों जैसी अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर) कोई भी निधि-आधारित या गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएँ चाहे वे रक्षित हों या अरक्षित, प्रदान करने से एवं पण्य दलालों को कोई भी सुविधा (उनकी ओर से गारंटी जारी करने सहित) प्रदान करने से शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिबंधित किया जाएगा। तथापि, उन्हें केवल व्यक्तियों को म्युचुअल फंडों के यूनितों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करने की अनुमति दी गई जैसा कि शेयरों, डिबेंचरों और बांडों की जमानत के आधार पर अग्रिम प्रदान किये जाते हैं। कोई भी प्रचलित ऋण सुविधा उपर्युक्त अनुदेशों के अनुरूप न होने पर उसे अविलंब समाप्त/बंद करना आवश्यक है।

VI.64 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के एएस-14 के अंतर्निहित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2007 में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के विलयों के मामले में विलय पर साख (गुडविल) के परिशोधन से संबंधित मानदंड संशोधित किये गये। सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से इतर निवेशों पर अनुदेशों की समीक्षा करते हुए शहरी सहकारी बैंकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति दी गई कि वे अन्वयों के साथ 'ए' अथवा समकक्ष रेटिंग वाले प्रतिदेय स्वरूप के वाणिज्य पत्रों (सीपी), डिबेंचरों और बांडो, ऋण

म्युचुअल फंडों के यूनितों और मुद्रा बाजार म्युचुअल फंडों के यूनितों में निवेश करें। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किये गये निदेशों के अनुरूप शहरी सहकारी बैंकों को सितंबर 2007 में यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि ऋण सुविधाओं का उपयोग उधारकर्ताओं द्वारा उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वे प्राप्त की गई हैं तथा यदि कोई विपथन हो तो उधारकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

VI.65 जनवरी 2008 में शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे शैक्षणिक ऋणों का वर्गीकरण पूँजी-पर्याप्तता मानदंडों के प्रयोजन के लिए उपभोक्ता ऋण के रूप में न करें तथा पूर्व के 125 प्रतिशत के जोखिम-भार के स्थान पर 100 प्रतिशत जोखिम-भार लागू करें।

VI.66 वित्तीय समस्याओं से ग्रस्त जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के संबंध में सांविधिक आरक्षित निधियों के अनुरक्षण एवं उनको शहरी सहकारी बैंकों के एक्सपोजर पर प्रावधानीकरण की आवश्यकताओं के संबंध में वर्तमान अनुदेशों को सितंबर 2007 में आशोधित किया गया तथा (i) डीसीसीबी जिन्होंने भुगतान में चूक की है/जिन्हें निदेशों के अंतर्गत रखा गया है; और (ii) परिसमापन के

अधीन स्थित डीसीसीबी के पास रखी गई जमाराशियों को अलग-अलग व्यवहार प्रदान किया गया।

ग्राहक सेवा

VI.67 शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि ग्राहकों द्वारा जारी किये गये रुपये के अंश से युक्त चेकों/ ड्राफ्टों को उनके द्वारा अस्वीकार न किया जाए और संबंधित स्टाफ अनुदेशों की अच्छी जानकारी रखें ताकि जनसाधारण को कोई कष्ट न पहुँचे। शहरी सहकारी बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई कि उनके ऐसे स्टाफ-सदस्यों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है जिनके संबंध में यह पाया गया हो कि उन्होंने एक रुपये के अंश से युक्त चेक/ ड्राफ्ट स्वीकार करने से इनकार किया है।

VI.68 हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए एक निर्णय को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे सामान्यतः इस बात पर जोर दें कि जमा खाता खोलनेवाला कोई भी व्यक्ति नामांकन भी करे। बैंक को चाहिए कि वह जमाकर्ता को नामांकन सुविधा के लाभ स्पष्ट करे, और यदि वह व्यक्ति इसके बावजूद नामांकन करना न चाहे तो बैंक उससे इस आशय का एक विशिष्ट पत्र देने के लिए कहे कि वह नामांकन करना नहीं चाहता।

VI.69 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे उचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएँ निर्धारित करें ताकि उनके द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर प्रसंस्करण और अन्य प्रभारों सहित अत्यधिक ब्याज न लगाया जाए। बैंकों को सूचित किया गया कि वे छोटे मूल्य के ऋणों, विशेष रूप से वैयक्तिक ऋणों और इसी स्वरूप के अन्य ऋणों के संबंध में सिद्धांत और कार्यविधियाँ निर्धारित करते समय कुछ व्यापक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें।

VI.70 शहरी सहकारी बैंकों को पूंजीगत निधि (टियर I तथा टियर II) जुटाने हेतु सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से उन्हें अधिमानी शेयर जारी करने की अनुमति दी गई, यथा- (i) बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पीएनपीसीएस), (ii) बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस), (iii) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस), (iv) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)। इसके अतिरिक्त, शहरी सहकारी बैंकों को यह भी अनुमति दी गई कि वे पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि की मीयादी जमाराशि जुटा सकते हैं और यह राशि टियर II पूंजी के रूप में माने जाने के लिए पात्र होगी।

VI.71 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सुरक्षा जमा लॉकर/सुरक्षा अभिरक्षा वस्तु सुविधा एवं सुरक्षा जमा लॉकरों तक प्रवेश/ सुरक्षा जमा

वस्तुओं की वापसी की सुविधा प्रदान करने के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किये गये।

VI.72 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किये गये दिशानिर्देशों के समान ही शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि नई घरेलू जमा संग्रहण योजनाएँ प्रारंभ करने से पहले, अन्य बातों के साथ-साथ जमाराशियों पर ब्याज-दरों, मीयादी जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण एवं मीयादी जमाराशियों की जमानत पर ऋणों और अग्रिमों की स्वीकृति के संबंध में समय-समय पर जारी रिजर्व बैंक के निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

VI.73 वाणिज्य बैंकों को जारी किये गये अनुदेशों के ही समान शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदन और बहुविध अशक्तताओं से युक्त व्यक्तियों के लिए बैंक खाते खोलने / परिचालित करने के प्रयोजन के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय द्वारा जारी किये गये अथवा उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्तरीय समितियों द्वारा जारी किये गये संरक्षण प्रमाणपत्र पर निर्भर रहें। शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी सूचित किया गया कि उनकी शाखाएँ उचित मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि अशक्त व्यक्तियों के माता-पिता/ संबंधियों को इस संबंध में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

कारोबार का सरलीकरण

VI.74 जिन राज्यों ने रिजर्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) का निष्पादन किया है, उन राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों अथवा बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों को कुछ पात्रता के मानदंडों का अनुपालन करने की शर्त के अधीन जोखिम सहभागिता के बिना कंपनी एजेंटों के रूप में बीमा एजेंसी का कारोबार प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। शहरी सहकारी बैंकों को कुछ दिशानिर्देशों के अधीन अपने बोर्डों के अनुमोदन से एकबारगी (बुलेट) चुकौती के विकल्प के साथ स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने के लिए नीतियाँ निर्धारित करने की अनुमति दी गई। प्रचलित नीति के अनुसार जिन शहरी सहकारी बैंकों को ऑन-साइट/ऑफ-साइट एटीएम संस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया, उन्हें अनुमति दी गई कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड के अनुमोदन से एटीएम-व-डेबिट कार्ड की सुविधा प्रारंभ कर सकते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे इस प्रकार के कार्ड बैंकों से इतर संस्थाओं के साथ संबद्धता (टाई-अप) के साथ जारी न करें। तथापि, ऑफलाइन डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही, वाणिज्य बैंकों को जारी किये गये दिशानिर्देशों के समान ही, सभी शहरी सहकारी बैंकों

द्वारा कार्यान्वयन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा सेवा प्रभागों का एक ढाँचा निर्धारित किया गया।

VI.75 मुद्रा अंतरण सेवा योजनाओं (एमटीएसएस) के अंतर्गत एजेंटों/ उप एजेंटों के रूप में कार्य करने से शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिबंधित करने वाले पहले के दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और यह निर्णय किया गया कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I और II का लाइसेंस धारण करनेवाले शहरी सहकारी बैंक कुछ शर्तों के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप एमटीएसएस के अंतर्गत एजेंटों/उप एजेंटों के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक ही राज्य के अंदर अपने परिचालन के क्षेत्र में एक शहर से दूसरे शहर में अपनी शाखाओं को अंतरित करने की अनुमति दी गई : (i) वर्तमान केंद्र की तरह नया केंद्र भी उसी अथवा उससे कम जनसंख्या समूह का होना चाहिए; (ii) कम बैंक सुविधा वाले जिले में स्थित शाखा को केवल कम बैंक सुविधा वाले जिले में स्थित किसी अन्य केंद्र में ही अंतरित किया जा सकता है ; और (iii) उक्त स्थानांतरण लागत और कारोबार की दृष्टि से बैंक के लिए लाभदायक होना चाहिए।

VI.76 पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों से सामान्यतः यह अपेक्षित था कि वे बिल्डरों/ठेकेदारों के ऋण स्वीकार करने से दूर रहें। तथापि, जहाँ ठेकेदार अपेक्षाकृत छोटा निर्माण कार्य स्वयं ही प्रारंभ करते हैं, वहाँ शहरी सहकारी बैंकों को इस बात के लिए अनुमति दी गई कि वे निर्माण सामग्री के दृष्टिबंधक के आधार पर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में विचार कर सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार के ऋण और अग्रिम शहरी सहकारी बैंकों की उप-विधियों तथा रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों/निर्देशों के अनुसार हों। शहरी सहकारी बैंकों को फरवरी 2008 में यह स्पष्ट किया गया कि वे बिल्डरों/ठेकेदारों को किसी आवासीय परियोजना के भाग के रूप में भी भूमि के अभिग्रहण के लिए निधि-आधारित/गैर-निधि आधारित सुविधाएँ प्रदान न करें। इसके अलावा, जहाँ भूमि को संपार्श्विक जमानत के रूप में स्वीकार किया गया है, वहाँ इस प्रकार की भूमि का मूल्यांकन केवल चालू बाजार भाव पर ही किया जाना चाहिए।

VI.77 अधिक मजबूत संस्थाओं के साथ कमजोर संस्थाओं के विलय की प्रक्रिया के द्वारा शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के समेकन को विलय के प्रस्तावों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देश उपलब्ध कराकर गतिशील बनाया गया। शहरी सहकारी बैंकों के विलय से संबंधित दिशानिर्देश फरवरी 2005 में जारी करने के अनुक्रम में रिजर्व बैंक ने 91 बैंकों के संबंध में विलय के लिए 104 प्रस्ताव प्राप्त किये। रिजर्व बैंक ने 67 मामलों में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किये। इनमें से 53 विलय केंद्रीय पंजीयक, सहकारी

समितियाँ (सीआरसीएस)/ संबंधित पंजीयक, सहकारी समितियाँ द्वारा सांविधिक आदेश जारी करने पर प्रभावी हुए। विलय के लिए बीस प्रस्ताव रिजर्व बैंक द्वारा अस्वीकार किये गये जबकि चार प्रस्ताव बैंकों द्वारा वापस लिए गए। शेष 13 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अधिकांश लक्ष्य-बैंक हानि उठानेवाले शहरी सहकारी बैंक हैं। कुछ मामलों में, विलय की अनुमति लाभ अर्जित करनेवाले बैंकों को भी समेकन के उद्देश्य के साथ दी गई तथा कुछ मामलों में इस प्रकार के बैंकों के संबंध में विलय की अनुमति दी गई क्योंकि उन्हें दीर्घ अवधि में एकल आधार पर अर्थक्षम नहीं माना गया।

ग्रामीण सहकारी संस्थाएँ

VI.78 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुत्थान के संबंध में कार्यदल (अध्यक्ष : प्रो. ए. वैद्यनाथन) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद भारत सरकार ने अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनरुत्थान के लिए एक पैकेज का अनुमोदन किया। अब तक पच्चीस राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ उक्त पैकेज में परिकल्पित रूप में सहमति ज्ञापन निष्पादित किये। आठ राज्यों ने अपने सहकारी समितियाँ अधिनियमों में आवश्यक संशोधन कर लिये। भारत सरकार के अंश के रूप में नाबार्ड द्वारा 3,348 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई। उक्त सातों राज्य सरकारों ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) के पुनः पूँजीकरण की सहायता के लिए 338 करोड़ रुपये तक का अपना अंश जारी किया। पुनरुत्थान पैकेज का कार्यान्वयन और अनुप्रवर्तन भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (एनआईएमसी) द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, दीर्घकालीन सहकारी ऋण संरचना का अध्ययन करने का कार्य भारत सरकार द्वारा उसी कार्यदल को सौंपा गया, जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2006 में प्रस्तुत की। 2008-09 के केंद्र बजट में यह घोषित किया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के पुनरुत्थान के लिए उक्त पैकेज की अंतर्वस्तु पर सहमति हुई है। उक्त पैकेज की लागत 3,074 करोड़ रुपये की अनुमानित की गई जिसमें से केंद्र सरकार का अंश 2,642 करोड़ रुपये का था।

VI.79 पूँजीगत संरचना को मजबूत करने तथा समूची वित्तीय प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में भी, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे 31 मार्च 2008 की स्थिति का प्रकटीकरण अपने तुलन-पत्र में करें तथा उसके बाद प्रतिवर्ष

सीआरएआर का अपेक्षित स्तर का प्रकटीकरण तुलन पत्र में "लेखे पर नोट" के रूप में करें। राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किये गये दिशानिर्देशों की ही तरह प्रतिबंधात्मक उपबंधों के साथ विशेष जमाराशियाँ स्वीकार करने और अत्यधिक ब्याज-दरें लगाने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये।

VI.80 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार, 371 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 121 ने तथा 31 राज्य सहकारी बैंकों में से छह ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर जैसा लागू है) की धारा 11(1) के उपबंधों का पालन नहीं किया। इसी प्रकार छह राज्य सहकारी बैंकों और 121 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने धारा 22(3)(क) (अर्थात् जब जमाकर्ताओं के दावे उपचित होते हैं तब उनके वर्तमान और भावी जमाकर्ताओं को पूर्णतः भुगतान करने की स्थिति में होना) तथा 28 राज्य सहकारी बैंकों और 342 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) (अर्थात् चूँकि इन बैंकों के कार्यों का संचालन इस तरीके से नहीं किया जा रहा है जो जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल नहीं है) का पालन नहीं किया। 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार दो राज्य सहकारी बैंकों और नौ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के निदेशों के अंतर्गत रखा गया और अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें कुछ क्षेत्रों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने और/या नई जमाराशियाँ स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया।

वित्तीय संस्थाएँ

VI.81 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ (एआईएफआईएस) वित्तीय सुधारों के प्रारंभ से ही कठिनाइयों का सामना करती रही हैं क्योंकि उनकी अपेक्षाकृत सस्ती और आश्चर्य देयताओं और परिसंपत्तियों का व्यावसायिक मॉडल दबाव में आ गया। दो वित्तीय संस्थाओं ने स्वयं को बैंकों के रूप में परिवर्तित कर लिया है तथा कुछ अन्यो को एनबीएफसी के रूप में पुनः स्थापित कर दिया गया है। 31 मार्च 2008 को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित चार संस्थाएँ अर्थात् निर्यात-आयात बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और सिडबी थीं।

VI.82 पुनर्वित्तपोषण के रूप में राज्य वित्तीय निगमों को सिडबी का उल्लेखनीय एक्सपोजर है। राज्य वित्तीय निगमों की दुर्बल वित्तीय स्थिति और सिडबी की वित्तीय स्थिति पर उसके संभावित व्यापित (स्पिल ओवल) के प्रभाव को देखते हुए सिडबी के विनियामक फोकस को तेज करने के लिए उपाय किये गये। राज्य वित्तीय निगमों को सिडबी के एक्सपोजर के लिए जोखिम भार को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया। सिडबी को अनुदेश दिया गया कि वह उन

राज्य वित्तीय निगमों के संबंध में पूर्णतः प्रावधान करे जिन्होंने पुनः संरचना/एकबारगी निपटान (ओटीएस) पैकेज उन्हें प्रदान करने के बाद भी चूक की हो, और उन राज्य वित्तीय निगमों को पुनर्वित्त मंजूर न करे जिन्होंने नकारात्मक निवल मालियत (नेट वर्थ) दर्शाना जारी रखा हो। सिडबी को सूचित किया गया कि वह राज्य वित्तीय निगमों को अपने एक्सपोजर के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में बैंकों के लिए लागू मानदंडों का अनुसरण करे (इसमें वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू "सुविधा-वार" वर्गीकरण से "उधारकर्ता-वार" वर्गीकरण की ओर परिवर्तन संबद्ध है)। सिडबी को यह सुनिश्चित करने के लिए भी सूचित किया गया कि सभी राज्य वित्तीय निगम उन्हीं एकसमान लेखांकन मानदंडों का अनुसरण करें जिनका अनुसरण बैंकों द्वारा किया जाता है। तथापि, ऋणात्मक (नेगटिव) निवल मालियत वाले राज्य वित्तीय निगमों को सिडबी द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किये जाने के संबंध में निर्णय की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर तथा केंद्र सरकार से प्राप्त इस सूचना के आधार पर कि चार राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य वित्तीय निगमों की निवल मालियत को धनात्मक (पॉजिटिव) स्थिति में लाने के लिए एक समयबद्ध तरीके से अपने संबंधित राज्य वित्तीय निगमों को निधियाँ उपलब्ध कराने का वचन दिया है, पुनर्विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि जिस सीमा तक संबंधित राज्य सरकारें अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगी, उस सीमा तक सिडबी उक्त चार राज्य वित्तीय निगमों को पुनर्वित्त प्रदान कर सकती है।

VI.83 2007-08 के दौरान दो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआईएस) अर्थात् आईएफसीआई और टीएफसीआई, जो रिजर्व बैंक के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं एवं जिन्हें पूर्व में एनबीएफसी विनियमावली से छूट प्रदान की गई थी और इस स्थिति के होते हुए जिन्हें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के रूप में विनियमित किया जा रहा था, को एनबीएफसी विनियमावली के अधीन कर दिया गया। अन्यो के बीच, आईआईबीआई उसकी दुर्बल वित्तीय स्थिति को देखते हुए स्वेच्छा से समाप्त किये जाने की प्रक्रिया में है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

VI.84 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीएस) वित्तीय मध्यस्थता में बैंकों के लिए पूरक का कार्य करने के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के लिए गहराई और लचीलापन प्रदान करती हैं। वित्तीय क्षेत्र में उनके महत्व के अनुसार इस क्षेत्र को मजबूत करने तथा इसे स्पंदनशील और स्वस्थ बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने प्रयास जारी रखे। जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अलावा, जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन भी प्रणाली में उनके महत्व के कारण उल्लेखनीय बन गया है। नये और उभरते हुए पर्यवेक्षी सरोकारों को प्रतिबिंबित करते हुए रिजर्व बैंक ने 2007-08 के दौरान विभिन्न कदम उठाये।

VI.85 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा कुछ ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और अन्य प्रभार लगाने के संबंध में अनेक शिकायतों को देखते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे ब्याज-दरें तथा प्रसंस्करण और अन्य प्रभार निर्धारित करने के लिए उचित आंतरिक सिद्धांत और क्रियाविधियाँ निर्धारित करें भले ही ब्याज-दरों का विनियमन रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'उचित व्यवहार संहिता' संबंधी दिशानिर्देश ध्यान में रखें।

VI.86 सेबी ने निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संघ (फिमडा) को कंपनी बांडों के लिए उसकी रिपोर्टिंग प्लेटफार्म स्थापित करने की अनुमति दी तथा वह 1 सितंबर 2007 से लागू हो गया। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की गई कि वे ओटीसी बाजार में कंपनी बांडों में अपने अनुषंगी बाजार संबंधी लेनदेनों की सूचना 01 सितंबर 2007 से फिमडा के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर दें।

VI.87 जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों -आरएनबीसी- सहित) को 5 मार्च 2008 को सूचित किया गया कि 'उपेक्षा और नकदी की कमियों' एवं 'विदेशी मुद्रा लेनदेनों में अनियमितताओं' के मामले धोखाधड़ी के रूप में सूचित किये जाने चाहिए यदि धोखा देने/प्रवंचित करने का इरादा अनुमानित/सिद्ध किया गया हो। तथापि, निम्नलिखित मामले जहाँ खोज के समय कपटपूर्ण उद्देश्य का संदेह नहीं किया गया है/सिद्ध नहीं किया गया है, वहाँ उन्हें धोखाधड़ी के रूप में मानना अपेक्षित है और तदनुसार उनकी सूचना दी जानी चाहिए : (i) 10,000 रुपये से अधिक नकदी की कमियों के मामले; और (ii) 5,000 रुपये से अधिक नकदी की कमियों के मामले, यदि प्रबंध तंत्र/लेखा-परीक्षक/निरीक्षण अधिकारी द्वारा पता लगाये गये हों और नकदी को संभालनेवाले व्यक्तियों द्वारा घटना होने पर सूचित नहीं किये गये हों।

VI.88 पारस्परिक हित वित्तीय कंपनियों (अधिसूचित निधियाँ) तथा पारस्परिक हित कंपनियों (संभावित निधियाँ) के विनियम कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास 2001 से हैं। तदनुसार, इस स्थिति को प्रतिबिंबित करते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जनता से जमास्वीकरण (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1998 जैसी कि पारस्परिक हित वित्तीय कंपनियों और पारस्परिक हित कंपनियों पर लागू है, को अद्यतन किया गया और ऐसी कंपनियों को उपर्युक्त निदेशों के उपबंधों से छूट प्रदान की गई। तथापि, अक्टूबर 2007 में यह स्पष्ट किया गया कि यदि कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किसी पारस्परिक हित कंपनी (संभावित निधि) से प्राप्त निधि हैसियत प्रदान करने के लिए आवेदन अस्वीकार किया गया हो तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू उपर्युक्त निदेशों के उपबंध इस प्रकार की कंपनियों पर लागू होंगे।

VI.89 अवांछित वाणिज्यिक सूचनाओं के संबंध में बैंकों को जारी किये गये दिशानिर्देशों की ही तरह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नवंबर 2007 में सूचित किया गया कि : (i) वे ऐसे दूरस्थ विक्रेताओं (टेलीमार्केटर्स) (डीएसएस/डीएमएस) को नियुक्त न करें जिन्हें टेलीमार्केटर्स के रूप में दूरसंचार विभाग (डीओटी) से वैध पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ हो; (ii) उनके द्वारा नियुक्त टेलीमार्केटर्स (डीएसएस/डीएमएस) की सूची दूरविपणन (टेलीमार्केटिंग) कॉल करने के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे पंजीकृत टेलीफोन संख्याओं के साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राइ) को प्रस्तुत करें; तथा (iii) यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा वर्तमान में नियुक्त किये गये सभी एजेंट टेलीमार्केटर्स के रूप में दूरसंचार विभाग के पास स्वयं को पंजीकृत करा लें।

VI.90 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1987 के पैरा 5क के अनुसार अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसीएस) के लिए यह अनिवार्य है कि वे जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से कम से कम दो महीने पहले जमाकर्ताओं को जमाराशि की परिपक्वता के बारे में सूचित करें। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को 14 दिसंबर 2007 को सूचित किया गया कि जमाकर्ताओं के हित में जहाँ आरएनबीसी जमाकर्ता द्वारा किये गये दावे पर परिपक्वता पर ब्याज के साथ जमाराशि की चुकौती नहीं करता है, तो वह निम्नलिखित तरीके से ब्याज अदा करने के लिए बाध्य होगी : (i) यदि कंपनी ने परिपक्वता की तारीख से कम से कम दो महीने पहले जमाकर्ता को उसकी परिपक्वता के बारे में सूचित कर दिया है और इस बात का उसके पास पर्याप्त प्रमाण है अर्थात् जमाकर्ता की प्राप्ति-स्वीकृति है, परंतु जमाकर्ता परिपक्वता पर अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता, तो कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह परिपक्वता पर देय राशि के साथ ही, दावे की तारीख से चुकौती की तारीख तक जमाराशि पर लागू दर से ब्याज अदा करे; (ii) यदि कंपनी ने परिपक्वता की तारीख से दो महीने पहले जमाकर्ता को परिपक्वता के बारे में सूचित नहीं किया है, तो जमाकर्ता जब भी दावा करता है, तब कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह परिपक्वता पर देय राशि के साथ ही, परिपक्वता की तारीख से चुकौती की तारीख तक जमाराशि पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान करे।

VI.91 प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों (एससी/आरसी) को मार्च 2008 में सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2008 केतुलन-पत्र के साथ प्रारंभ करके उस वार्षिक आम सभा की तारीख से जिसमें लेखा-परीक्षित परिणामों को स्वीकार किया गया हो, एक महीने के अंदर प्रति वर्ष निदेशक की रिपोर्ट/लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें। इसके अलावा, निवेशक प्रतिभूति

रसीदों (एसआर)में निवेश के संबंध में जानकारी के साथ निर्णय ले सकें, इसके लिए प्रतिभूति रसीदों के निर्गम के समय परिसंपत्तियों के अभिग्रहण की तारीख, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन तथा इस प्रकार की परिसंपत्तियों में एससी/आरसी के हित सहित अतिरिक्त प्रकटीकरण निर्धारित किये गये।

VI.92 2007-08 के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की श्रेणी के रूप में बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी) के समावेश से संबंधित है (बॉक्स VI.10)। ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राथमिक तौर पर बंधक गारंटी कारोबार से व्यवसाय के पण्यावर्त (टर्नओवर) के कम से कम 90 प्रतिशत के साथ अथवा बंधक गारंटी

बॉक्स VI.10 बंधक गारंटी कंपनी

बंधक गारंटी कंपनी की परिभाषा एक ऐसी कंपनी के रूप में दी गई है जो प्राथमिक तौर पर बंधक गारंटी प्रदान करने का कारोबार करती है। ऐसी कंपनियाँ किसी पूर्व-निर्धारित रूप में संकेत की स्थिति के उत्पन्न होने पर किसी ऋणदात्री संस्था को आवास ऋण और उस पर उपचित ब्याज की राशि की चुकौती के लिए गारंटी देती हैं। इन गारंटियों से आवास ऋण क्षेत्र के प्राथमिक ऋणदाताओं को अपना ऋण जोखिम बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी) को अंतरित करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार, बंधक गारंटी कंपनियाँ एक ऋण जोखिम को कम करनेवाले उत्पाद के रूप में परिकल्पित हैं। वैश्विक तौर पर बंधक गारंटी कंपनियों ने ऋण जोखिम का शमन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ (च)(iii) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 जनवरी 2008 को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से बंधक गारंटी कंपनियों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में अधिसूचित किया गया। केंद्र बजट 2007-08 में किये गये प्रस्तावों के अनुसार उक्त बंधक गारंटी उत्पाद उधारकर्ता, बंधक गारंटी कंपनी और ऋणदात्री संस्था (बैंक/आवास वित्त कंपनी) के बीच एक त्रिपक्षीय संविदा है। बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीयन और परिचालन संबंधी मार्गदर्शी दिशानिर्देश एवं इस प्रकार की कंपनियों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड, निवेश संबंधी निदेश रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 15 फरवरी 2008 को रखे गये।

बंधक गारंटी संविदा की विशेषताएँ

बंधक गारंटी संविदा के मुख्य लक्षण निम्नानुसार हैं :

- यह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 126 के अंतर्गत गारंटी की संविदा होगी।
- बंधक गारंटी संविदा भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत बेशर्त और अविकल्पी होगी तथा प्राप्त गारंटी बलप्रयोग, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, मिथ्या-निरूपण और/या गलती से मुक्त होगी।
- बंधक गारंटी कंपनी गारंटी की राशि की सीमा तक आवास ऋण खाते में बकाया मूलधन और ब्याज की चुकौती की गारंटी देगी।
- गारंटीदाता बंधक रखी गई संपत्ति के वसूलीयोग्य मूल्य के साथ किसी समायोजन के बिना माँग की जाने पर गारंटी दी गई राशि अदा करेगा।
- यह उधारकर्ता, ऋणदात्री संस्था और बंधक की गारंटी देनेवाली बंधक गारंटी कंपनी के बीच त्रिपक्षीय संविदा होगी।

बंधक गारंटी कंपनी की विशेषताएँ

बंधक गारंटी कंपनियों के मुख्य लक्षण संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

- यह बंधक गारंटी का कारोबार प्रारंभ करने से पहले रिजर्व बैंक से पंजीयन का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी।
- कारोबार प्रारंभ करते समय इसके पास कम से कम 100 करोड़ रुपये की निवल स्वाधिकृत निधि होगी जिसकी समीक्षा इसमें वृद्धि करने के लिए 3 वर्ष के बाद की जाएगी।
- इसके पास विविधीकृत शेयरधारिता होगी।
- यह जनता से जमाराशियाँ स्वीकार नहीं करेगी। यह बाह्य वाणिज्य उधार प्राप्त नहीं करेगी तथा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करेगी।

- यह अपेक्षित है कि अर्जित प्रीमियम या शुल्क के 40 प्रतिशत अथवा प्रावधान या कर, दोनों में जो भी अधिक हो, के बाद लाभ के 25 प्रतिशत के अंतरण द्वारा एक आकस्मिकता आरक्षित निधि का निर्माण और उसका अनुरक्षण किया जाए।
- बंधक गारंटी कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह संकेत (ट्रिगर) की स्थिति के उत्पन्न होने पर बिना किसी विलंब के गारंटी की अपनी देयता पूरी करे।
- बंधक गारंटी कंपनी ऐसे किसी आवास ऋण के लिए बंधक गारंटी नहीं दे सकती जिसके मूल्य से ऋण का अनुपात 90 प्रतिशत या उससे अधिक है।

निवेश संबंधी निदेश

बंधक गारंटी कंपनियों के लिए निवेश संबंधी निदेशों की कुछ विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बंधक गारंटी कंपनी अपनी निवेश नीति रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुरूप बना लेगी।
- वह केवल निम्नलिखित लिखतों में ही निवेश करेगी : (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ; (ii) सरकार द्वारा गारंटीकृत कंपनी निकायों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियाँ; (iii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/सरकारी वित्तीय संस्थाओं (पीएफआई) की मीयादी जमाराशियाँ/जमा प्रमाणपत्र/बांड; (iv) कंपनी की सूचीबद्ध और श्रेणीकृत डिबेंचर/बांड; (v) पूर्णतः कर्ज-उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट; (vi) सूची से इतर (अनकोटेड) सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड।
- कोई भी बंधक गारंटी कंपनी केंद्र/राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में कुल निवेश संविभाग का कम से कम 25 प्रतिशत धारण करेगी तथा उसके शेष निवेश किसी भी एक श्रेणी में 25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन होंगे।
- सभी निवेश प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य के अनुसार (मार्केड टू मार्केट) होंगे।

विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित निदेश

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ निम्नलिखित विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होंगी:

- यह आवश्यक है कि संकेत की स्थिति (ट्रिगर ईवेंट) के उत्पन्न होने पर ऋणदात्री संस्था से प्राप्त परिसंपत्ति को सीधे अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए।
- ऋणदाता से अभिगृहीत परिसंपत्ति पर आय को केवल नकदी आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्य आय को जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू निदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- बंधक गारंटी संविदाओं पर प्रीमियम अथवा शुल्क को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों के अनुसार लाभ-हानि लेखे में आय के रूप में माना जाएगा।
- बंधक गारंटी कंपनी से अपेक्षित है कि वह 10 प्रतिशत का न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात बनाये रखे, जिसमें से कम से कम 6 प्रतिशत स्तर I पूँजी होगी।

कारोबार से कुल आय के कम से कम 90 प्रतिशत की प्राप्ति के साथ बंधक गारंटी प्रदान करने का लेनदेन करती है, बंधक गारंटी कंपनी (एमजीसी) के रूप में अर्हताप्राप्त होगी।

VI.93 जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति को एक क्रमिक, अविच्छेदक और भेदभाव से रहित तरीके से 200 लाख रुपये के न्यूनतम स्तर तक उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि करने के द्वारा मजबूत करने की दिशा में एक संयत गति सुनिश्चित करने के लिए यह सूचित किया गया कि न्यूनतम 200 लाख रुपये से कम निवल स्वाधिकृत निधियाँ रखनेवाली और जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपनी जमाराशियों के संबंध में उनके द्वारा वर्तमान में धारित स्तर पर उनकी निकासी पर रोक लगाएँ। इसके अलावा, इस प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से यह अपेक्षा की गई कि वे निर्धारित रूप में जमाराशियों की संशोधित उच्चतम सीमा तक जनता की जमाराशियों को नीचे लाएँ।

VI.94 वित्तीय क्षेत्र के अन्य खंडों की ही तरह वर्तमान रिपोर्टिंग तंत्र और धनशोधन निवारण संबंधी दिशानिर्देशों को मजबूत बनाते हुए धोखाधड़ियों पर वर्तमान मार्गदर्शी दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी वर्ष के दौरान जारी किये गये।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में हाल की गतिविधियाँ तथा पर्यवेक्षकों के लिए सीख

VI.95 विकसित अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से अमेरिका में ऋण बाजारों ने अशांत परिस्थितियों और उल्लेखनीय हानि का साक्षात्कार किया है जिससे कुछ संस्थाओं में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ और कुछ प्रमुख बैंकों को उक्त बाजारों में चलनिधि अंतर्विष्ट करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जबकि भारत ऋण बाजार के दबाव के प्रभाव से अपेक्षाकृत रूप से अलग रहा है, सब प्राइम घटना पूर्वव्यापी रूप में दुनिया भर में बैंकों एवं बैंकिंग पर्यवेक्षकों को भी उपयोगी सीख देती है। ऋण बाजार की गतिविधियाँ *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित से उत्पन्न परिस्थितियों के समुच्चय से प्रेरित थीं- (i) ऋण मध्यवर्तियों द्वारा अपने ऋण मूल्यांकनों में फैक्टर न किये गये समष्टि-आर्थिक परिवेश में परिवर्तन; (ii) ऋण/बैंकिंग संस्थाओं द्वारा 'उत्पादन से वितरण तक' के मॉडलों को स्वीकार करना जिसके कारण सख्ती से उचित सावधानी सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रोत्साहन कमजोर पड़ गये; (iii) ऋण मध्यवर्तियों द्वारा प्रतिभूतिकरण संरचनाओं सहित, ऋण-जोखिम अंतरण (सीआरटी) लिखतों पर भारी मात्रा में निर्भरता जिससे प्रतिभूतिकृत पत्र/बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ (एमबीएस)/सुनियोजित वित्त उत्पाद जारी करने के द्वारा विविध प्रकार के विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी)

में इस प्रकार के एक्सपोजरों का संग्रहण सुसाध्य हो सका; और (iv) निवेशकों द्वारा उक्त प्रतिभूतिकृत उत्पादों जैसे बचाव निधियाँ, परिसंपत्ति प्रबंधक, सुनियोजित निवेश साधन (एसआईवी) और बाजार के विभिन्न खंडों में विशेष रूप से अभिकल्पित साधनों की तत्काल स्वीकृति, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे निवेशकों तक अंतर्निहित ऋण जोखिम का व्यापक तौर पर फैलाव हुआ जो आवश्यक रूप से अंतर्निहित ऋण जोखिमों का निर्धारण करने के लिए प्रवर्तक बैंकों से बेहतर रूप में साधन-संपन्न नहीं थे। उक्त अशांत स्थिति में पर्यवेक्षकों, विशेष रूप से विकासशील देशों के पर्यवेक्षकों के लिए कई पाठ निहित हैं (बॉक्स VI.11)।

VI.96 उक्त संकट के कारण उक्त उथल-पुथल से उत्पन्न स्थिरता संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए मौजूदा विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं के संबंध में देश की प्रथाओं के मूल्यांकन के लिए वित्तीय पर्यवेक्षकों द्वारा समन्वित प्रयास करना पड़ा (बॉक्स VI.12)।

VI.97 वैश्विक वित्तीय गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत आधारित विनियमों की तुलना में नियमों की प्रभावशालिता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है (बॉक्स VI.13)।

समष्टि-विवेकपूर्ण संकेतकों की समीक्षा

VI.98 मार्च 2000 से समष्टि विवेकपूर्ण संकेतकों (एमपीआई) पर निगरानी रखना रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण का महत्वपूर्ण तत्व रहा है। यह रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष और परोक्ष पर्यवेक्षण संबंधी प्रयासों का अनुपूरक है। एमपीआई में अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं के स्वास्थ्य के संकलित व्यष्टि-विवेकपूर्ण संकेतक (एएमपीआई) तथा वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता से जुड़े समष्टि आर्थिक संकेतक (एमईआई) दोनों शामिल हैं।

VI.99 2007-08 के एमपीआई के विहगावलोकन से यह विदित होता है कि वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख घटकों के विभिन्न संकेतकों में और सुधार हुआ है (सारणी 6.5)। पूंजी पर्याप्तता अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की न्यूनतम अपेक्षाओं से उल्लेखनीय रूप से ऊपर बना रहा। आस्ति गुणवत्ता में आम तौर पर सुधार हुआ। 2007-08 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ में पिछले वर्ष के स्तर की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ, जबकि प्राथमिक व्यापारियों के मामले में इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई।

पूंजी पर्याप्तता

VI.100 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में मार्च 2007 के अंत की स्थिति की तुलना में मार्च 2008 के अंत में और सुधार हुआ जो यह सुझाता है कि पूंजी में वृद्धि कुल जोखिम भारित आस्तियों में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक थी (सारणी 6.5)। 2007-08 के दौरान पूंजी-भारित आस्तियों

बॉक्स VI.11

सब-प्राइम संकट से पाठ

हाल की वित्तीय बाजार अशांति से उत्पन्न होनेवाले प्रमुख पाठ इसके नीचे संक्षेप में दिये जा रहे हैं :

हामीदारी मानक

उक्त घटना ने एक बार फिर ऋण मध्यवर्तियों द्वारा विवेकपूर्ण हामीदारी मानकों का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। पारंपरिक बैंकिंग उपकरण जैसे मूल्य से ऋण का अनुपात, ऋण सेवा अनुपात (विशेष रूप से "टीजर दरों" के समाप्त होने के बाद), ऋण का प्रयोजन, उधारकर्ताओं की आय और परिपत्तियों के दस्तावेजी प्रमाण का सत्यापन तथा उधारकर्ताओं के कार्यों की लगातार निगरानी ने अपनी निरंतर संगतता को दर्शाया, भले ही वित्तीय प्रौद्योगिकी और उत्पादों में तेजी से प्रगति क्यों न हुई हो। यदि उत्पादों के बिल्डिंग ब्लॉकों को सख्त हामीदारी मानकों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता, तो अत्याधुनिक वित्तीय इंजीनियरी द्वारा निर्मित उत्पाद दीर्घ अवधि तक टिकाऊ नहीं हो सकते।

जोखिम का अंतरण

ऋण मध्यवर्तियों द्वारा "उत्पादन से वितरण तक" मॉडलों के अंगीकरण द्वारा जोखिम के अंतरण ने ऋण के मूल्यांकन के स्तर पर सख्ती से उचित सावधानी सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रोत्साहनों को कमजोर करना पड़ा जिससे निम्न गुणवत्ता/सब-प्राइम प्रतिपक्षियों पर ऋण जोखिमों की उल्लेखनीय राशि का अनुमान लगाना पड़ा। जटिल संरचित उत्पाद किस तरह से कार्य करते हैं, निवेशकों को किस तरह की जोखिमों का वस्तुतः सामना करना पड़ता है तथा जोखिम अंतरण के मामले में जोखिम अंततः कहाँ रहता है (वस्तुतः क्या कोई जोखिम सचमुच अंतरित किया गया है), इन सब की अपर्याप्त समझ ने समस्या को और बढ़ा दिया। साथ ही, कई निवेशकों को जटिल संरचनायुक्त उत्पादों की बाह्य रेटिंग की व्याख्या करने में कठिनाई हुई तथा प्रायः उन्होंने सोचा कि बाजार एवं चलनिधि जोखिम को बाह्य रेटिंग द्वारा कवर किया गया था जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं हुआ था।

चलनिधि जोखिम

बाजार चलनिधि (मूल्यों को प्रभावित किए बिना बड़ी मात्रा में लेनदेनों को शीघ्रता से निष्पादित करने की योग्यता) तथा अलग-अलग बैंक की निधीयन चलनिधि (आस्तियों में वृद्धि के निधीयन तथा दायित्व उत्पन्न होने पर उन्हें पूरा करने की योग्यता) के बीच निकट संपर्क के बारे में पर्यवेक्षकों तथा बैंकों के स्तर पर समझ अपर्याप्त थी। ऋण में हाल में हुई उथल-पुथल ने चलनिधि संबंधी आयोजना में बाजार विघटक परिदृश्यों तथा संस्था विशिष्ट परिदृश्यों - जिनमें ऋण संबंधी बिचौलियों की तुलनपत्र बाह्य वचनबद्धताओं, अव्यक्त अथवा व्यक्त, से उत्पन्न चलनिधि संबंधी मांग को भी शामिल किया जाना चाहिए - पर विचार करने के महत्व को, बैंकों तथा पर्यवेक्षकों दोनों के लिए रेखांकित किया है। चलनिधि संबंधी आकस्मिक योजनाओं के बारे में निहित मान्यताएं यथा ऋण बिक्री और प्रतिभूतिकरण के कारण आस्ति की विपणनीयता के जरिए आस्तियों की अंतर्निहित चलनिधि की कल्पना करना तथा आकस्मिक सुविधाओं को आहरित करने की योग्यता वास्तविक होनी चाहिए और वह अत्यधिक आशावादी नहीं होनी चाहिए तथा नकदी प्रवाह और तनाव परिरक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

मूल्यन

हाल ही में बाजार में हुई उथल-पुथल और उसके फलस्वरूप चलनिधि की कमी ने जोखिम एक्सपोजरों के विश्वसनीय मूल्यन तथा पारदर्शिता के महत्व को उजागर किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बैंकों ने संपाश्विकीकृत ऋण बाध्यताओं (सीडीओ) एवं अवशिष्ट हितों जैसे कुछ प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के आरंभिक एवं सतत मूल्य को निर्धारित करने के लिए अनुचित रूप से

आशावादी मूल्यन तथा मॉडलिंग पद्धतियों का उपयोग किया है। बाजार भाव पर दर्शाने के मॉडलवाले मूल्यन तथा सीडीओ एवं अन्य संरचित उत्पादों के लिए अंतर्निहित आस्तियों के बाजार मूल्यों से प्राप्त मूल्यन की साध्यता पर प्रश्न उठाए गए हैं।

संरचित उत्पादों में अवशिष्ट जोखिम

निवेशकर्ता बैंकों तथा आस्ति समर्थित वाणिज्यिक पत्र (एबीसीपी) कार्यक्रमों के निर्गमकर्ताओं और प्रायोजकों के रूप में कार्य करनेवाले बैंकों की ओर से संरचित उत्पादों में अवशिष्ट जोखिमों की पर्याप्त पहचान नहीं की गई। उदाहरण के लिए जिन बैंकों ने एबीसीपी कार्यक्रमों के लिए चलनिधि की सुविधाएं प्रदान की थीं इनके सामने अधिक मात्रा में ऋण जोखिम था, जिसे सूक्ष्म रूप से सुविधाओं के प्रावधानों के भीतर शामिल किया जा सकता था। जहां सभी वचनबद्धताओं में कुछ मात्रा में ऋण जोखिम होता है, वहीं चलनिधि प्रदान करने के लिए एबीसीपी कार्यक्रमों को दी गई कतिपय वचनबद्धताओं के कारण प्रदान करनेवाली संस्था के समक्ष अंतर्निहित आस्ति पूल, प्रायः व्यापार संबंधी प्राप्य राशियां अथवा अन्य संरचित उत्पाद अथवा निधीयन के लिए एबीसीपी कार्यक्रम का उपयोग करनेवाली विशिष्ट कंपनी का ऋण जोखिम हो सकता था। प्रतिभूतिकरण संबंधी एक्सपोजर बैंकों को उल्लेखनीय प्रतिष्ठागत जोखिमों के प्रति भी एक्सपोज कर सकते हैं। प्रायः, आस्ति समर्थित प्रतिभूतियां जारी करने के प्रायोजक बैंक प्रतिभूतिकरण संबंधी लेनदेन में सेवा प्रदाता, प्रशासक, अथवा चलनिधि प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। उनकी निधीयन लागत में संभावित वृद्धि को रोकने के लिए, बैंक प्रतिभूतिकृत आस्ति पूल के कार्य-निष्पादन को सुधार कर, उदाहरण के लिए प्रतिभूतिकृत आस्ति पूल में उच्चतर गुणवत्तावाली आस्तियां जोड़कर, बैंक उनके संविदात्मक दायित्व के बाहर जाकर प्रतिभूतिकरण संबंधी लेनदेनों को समर्थन दे सकते हैं। इसी तरह, बैंक द्वारा प्रायोजित संरचित निवेश वाहन (एसआइवी) के समक्ष उपस्थित चलनिधि संबंधी समस्याओं के कारण प्रायोजक बैंकों ने प्रतिष्ठागत कारणों से अपने तुलनपत्रों में अपनी एसआइवी को शामिल किया, हालांकि ऐसा करने के लिए कोई संविदागत दायित्व नहीं था।

पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण

जटिल संरचित उत्पादों के संबंध में बैंकों तथा निवेशकों द्वारा हाल में समान रूप से अनुभव की गई कठिनाइयों ने अपर्याप्त प्रकटीकरण के कारण पारदर्शिता की कमी को उजागर किया है। परंतु उथल-पुथल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिन मामलों में निवेशकों के समक्ष जानकारी उपलब्ध थी, उन मामलों में भी उन्होंने पूरी जानकारी का उपयोग नहीं किया। शायद इन समस्याओं को टाला जा सकता था अथवा कम से कम विशेष रूप से संयुक्त राज्य में उद्भूत सब-प्राइम बंधकों द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों के सीडीओ में कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के एक्सपोजर के संबंध में गुरुतर पारदर्शिता के जरिए इन्हें कम किया जा सकता था।

विनियमन संबंधी गुंजाइश

वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों में निरंतर बढ़ रहे समेकन को देखते हुए, प्रणाली के विनियमित भागों को प्रभावित करने की अविनियमित बाजार प्रतिभागियों की संभाव्यता, चाहे उसका पर्यवेक्षण कितनी भी अच्छी तरह से क्यों न किया गया हो, को वित्तीय पर्यवेक्षकों द्वारा बेहतर रूप में पहचानने की जरूरत है। अविनियमित संस्थाएं जिन विनियामक अंतरालों में कार्य करती हैं, उनकी पहचान करने तथा कारगर तौर पर उनका निवारण करने की जरूरत है ताकि प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण विनियमित संस्थाओं को अविनियमित संस्थाओं के कार्यकलापों द्वारा अनुचित जोखिम, जिसमें काफी सार्वजनिक लागत आती है, न उठाना पड़े।

बॉक्स VI.12

वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) की रिपोर्ट - स्थिति

वैश्विक वित्तीय बाजार में उथल-पुथल को देखते हुए एफएसएफ की रिपोर्ट (अप्रैल 2008) में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अंतर्निहित कारणों एवं कमजोरियों का पता लगाया गया। रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, 2008 के अंत तक निम्नलिखित को कार्यान्वित किए जाने के लिए एफएसएफ के प्रस्ताव शामिल हैं - पूंजी, चलनिधि और जोखिम प्रबंधन के विवेकपूर्ण निरीक्षण को सुदृढ़ करना, पारदर्शिता और मूल्यन को बढ़ाना, क्रेडिट रेटिंग की भूमिका और उसके उपयोगों में बदलाव, जोखिम के प्रति प्राधिकारियों की प्रतिक्रियाशीलता को सुदृढ़ करना तथा वित्तीय प्रणाली में मौजूद तनाव से निपटने के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएं लागू करना। रिजर्व बैंक ने इनमें से कई पहलुओं को शामिल करते हुए विनियामक दिशानिर्देश लागू किए जबकि अन्यो के मामले में कार्रवाई शुरू की जा रही है। कई मामलों में कार्रवाई के संबंध में यह मानना चाहिए कि कार्य प्रगति पर है। किसी भी स्थिति में दिशानिर्देश वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है जबकि संस्थागत विकास की वर्तमान अवस्था में उन्हें देश-विशिष्ट की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त बनाना है। एफएसएफ द्वारा किए गए कई प्रस्तावों का कार्यान्वयन भारत में पहले ही किया जा चुका है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

पूंजी, चलनिधि जोखिम प्रबंधन का सुदृढ़ विवेकपूर्ण निरीक्षण

- चरणबद्ध तरीके से बासेल II के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है अतः अंशशोधन और अच्छी तरह से अनुकूलन के लिए निरंतर आधार पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा रही है।
- बासेल के ढांचे के तहत न्यूनतम पूंजी संबंधी अपेक्षा 9 प्रतिशत के उच्चतर स्तर पर निर्धारित की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में बैंकों के एक्सपोजर तथा उनकी चलनिधि की स्थिति पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जा रही है। प्रतिभूतिकरण के प्रयोजन के लिए एसपीवी के रूप में तुलनपत्र बाह्य वाहनों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं तथा ऐसे एसपीवी के लिए चलनिधि की सुविधा हेतु पूंजी प्रभार निर्धारित किया गया है। विभिन्न जोखिम कारकों के लिए तनाव परिक्षण हेतु नीतियां तथा ढांचा स्थापित करने की जरूरत है।
- डेरिवेटिव सहित विशिष्ट तुलनपत्र बाह्य मदों के लिए ऋण रूपांतर कारक, जोखिम भार और प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं विस्तारित स्तर पर हैं, जबकि सिंथेटिक प्रतिभूतिकरण जैसी जटिल संरचनाओं की अनुमति नहीं है।
- आस्ति देयता प्रबंधन के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीति विकसित करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है। चलनिधि जोखिम की माप में पहले कालखंड को विभाजित करके तथा उसमें आनेवाले निवल संचयी ऋणात्मक बेमेलों पर अधिकतम सीमा लगाकर अधिक बारीकी लाई गई।
- निधियों के लिए रात भर का अप्रतिभूत बाजार सिर्फ बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों तक सीमित है, जिसके फलस्वरूप ट्रेडिंग की मात्रा रात भर के अप्रतिभूत बाजार से संपार्श्विकीकृत बाजार की ओर मुड़ती है। (i) पाक्षिक औसत आधार पर पूंजीगत निधियों के 100 प्रतिशत (अर्थात टीयर-I और टीयर-II पूंजी के जोड़) तक मांग मुद्रा बाजार में उधार देने और लेने; तथा (ii) निवल मालियत के 200 प्रतिशत तक (11.25 प्रतिशत से ऊपर सीआरएआर वाले बैंकों के लिए 300 प्रतिशत) 'खरीदी गई अंतर बैंक देयताओं' पर सीमा निर्धारित की गई है।

पारदर्शिता और मूल्यन में वृद्धि

- विभिन्न लिखतों और आस्तियों के मूल्यन के बारे में दिशानिर्देश जारी करने सहित जटिल वित्तीय उत्पादों के बारे में मूल्यन मानदंडों तथा

बाजार अनुशासन को सुदृढ़ किया गया है। जोखिम प्रबंधन तथा कारपोरेट अभिशासन पहलुओं, उपयुक्तता तथा उचित नीति, डेरिवेटिव संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड, विशिष्ट पारदर्शिता तथा मूल्यन मानदंड, यथा बैंकों द्वारा संरचित उत्पादों की बिक्री के लिए कैलकुलेटर उपलब्ध कराने अथवा कम से कम कैलकुलेटर तक पहुंच के लिए निर्धारण को समाविष्ट करते हुए डेरिवेटिवों के बारे में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिससे सतत आधार पर इन उत्पादों को बाजार भाव पर उद्धृत करने में उपयोक्ताओं को मदद मिलेगी। सभी अनुमत डेरिवेटिव लेनदेनों की गणना प्रचलित बाजार दरों पर ही की जा सकती है।

- प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाओं का एक सेट विकसित किया गया है जो बाजार प्रतिभागियों को पूंजी पर्याप्तता, जोखिम एक्सपोजर, जोखिम आकलन प्रक्रियाओं तथा प्रमुख कारोबारी मानदंडों के बारे में उपलब्ध प्रमुख जानकारी के आकलन की अनुमति देता है। यह, बदले में, निरंतर तथा समझने योग्य प्रकटीकरण ढांचा उपलब्ध करायेगा जिससे तुलनात्मकता, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण संबंधी लेखांकन मानक संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन में वृद्धि होगी।
- बासेल II ढांचे के स्तंभ 3 के तहत प्रकटीकरण के लिए ब्योरेवार फॉर्मेट, अनुपालन न करने के लिए वित्तीय दंड सहित दंड लगाने के खंड के साथ, निर्धारित किए गए हैं।

क्रेडिट रेटिंग की भूमिका तथा उपयोग में परिवर्तन

- पात्र क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पहचान की ब्योरेवार प्रक्रिया तैयार की जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि बैंकों द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के चयन में तथा उनकी रेटिंग लागू करने में सुसंगति हो, जबकि विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आकलनों को 'चेरी पिक' करने की अनुमति बैंकों को नहीं दी गई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, विशिष्ट रेटिंग ग्रेडों से जुड़े जोखिम भारों तथा समेकित जोखिम भारित आस्तियों को प्रकट किए जाने की आवश्यकता है।

जोखिमों के प्रति प्राधिकारियों की प्रतिक्रियाशीलता को सुदृढ़ करना

- विशिष्ट मुद्दों पर पर्यवेक्षणात्मक जानकारी कुछ अन्य विदेशी बैंकिंग पर्यवेक्षकों/विनियामकों के साथ बांटने के लिए एक प्रणाली तैयार की गई है। सीमापार के पर्यवेक्षण तथा विदेशी विनियामकों के साथ पर्यवेक्षी सहयोग तथा पर्यवेक्षी मंडल व्यवस्था संबंधी व्यवस्था की जांच के लिए उपयुक्त ढांचा अपनाने हेतु रोडमैप तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया है।

वित्तीय प्रणाली में स्थित तनाव से निपटने के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएं

- दैनिक आधार पर वित्तीय बाजारों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था की गई है।
- निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) तथा एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए चल निधि सुविधा जैसी स्थायी सुविधाओं के अलावा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), खुले बाजार के परिचालनों (ओएमओ) तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) सहित चलनिधि प्रबंधन सुविधा के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं।
- वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत रिजर्व बैंक को कमजोर तथा असफल हो रहे बैंकों के साथ निपटने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। बैंकारी विनियमन अधिनियम में धारा 44ए तथा 45 के तहत क्रमशः स्वैच्छक समामेलन और अनिवार्य विलय के लिए समर्थकारी प्रावधान मौजूद हैं।
- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा निक्षेप बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

बॉक्स VI.13
सिद्धांत आधारित विनियमन

सिद्धांत आधारित अथवा 'लाइट-टच' विनियमन का जन्म मूल रूप से 1997 के सुधारों से पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड में हुआ था। इसमें फर्मों द्वारा उनके कारोबार के परिचालन के बारे में विस्तृत नियम निर्धारित करके तथा पर्यवेक्षी कार्रवाई करके उन्हें आदेश देने से यथासंभव दूर रहने का उल्लेख है। इसमें विनियमित फर्मों को इस बात का निर्णय करने का दायित्व सौंपा जाता है कि उनके कारोबार के उद्देश्यों तथा प्रक्रियाओं को सर्वोत्तम तरीके से विनियामकों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट परिणामों के साथ किस तरह से संरेखित किया जाए। इसमें सिद्धांतों में तथा परिणाम-केंद्रित नियमों में वांछित विनियामक परिणाम निर्धारित करना होता है ताकि विनियामकों को उनके परिणामों के अनुसरण में फर्मों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ संपर्क करने में मदद मिले।

विनियमन के प्रति अधिक सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण के प्रति बदलाव जोखिम तथा साक्ष्य-आधारित मॉडलों का अनुपूरक है। साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण में इस पर सबसे पहले विचार किया जाता है कि क्या ऐसी कोई बाजार संबंधी चूक है जिसका समाधान करने की जरूरत हो तथा, यदि हां, तो क्या उससे निपटने का सर्वोत्तम तरीका विनियमन है। सिद्धांत आधारित विनियमन फर्मों की प्रत्याशाओं को तथा उनसे निपटने के उपायों को परिचालित करता है। अनेक लोगों द्वारा सिद्धांत आधारित विनियमन विनियामक प्रगति की प्रक्रिया में नैसर्गिक अगले कदम के रूप में माना जाता है, जो वित्तीय सेवाओं, उद्योग एवं उपभोक्ताओं के लिए विनियामक युग में सुधार को जारी रखने की अनुमति देता है।

सिद्धांत-आधारित विनियमन के प्रस्तावकों के अनुसार पिछले अनुभव यह सुझाते हैं कि निर्धारक मानदंड दुराचार को रोकने में असमर्थ रहे हैं। हमेशा बढ़ रही नियम पुस्तकें, जिनकी अभिकल्पना अपराध रोकने के लिए की गई है, अपविक्रय, बाजार संबंधी अवचार अथवा अन्य अवांछनीय प्रथाओं को रोक नहीं पाई हैं। इसके बजाय यह माना जाता है कि विस्तृत नियम विनियामक तथा उद्योगों के संसाधनों पर बढ़ता हुआ भार बन गए हैं। वित्तीय बाजार निरंतर बदल रहे हैं। सतत नवोन्मेष तथा नए उत्पादों का विकास ऐसे महत्वपूर्ण उपाय है जिनमें वित्तीय सेवा उद्योग उपभोक्ताओं तथा बाजारों के लिए लाभ उत्पन्न करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विनियमन बाजारों की बदलती गति के प्रति अधिक तीव्रता से प्रतिसाद दिखाते हैं तथा उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए उन्हें लगातार विकसित होने की अनुमति देते हैं। जो भी विनियमन निर्धारण के बजाए परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके द्वारा इस विकास और नवोन्मेष को अधिक समर्थन दिए जाने की संभावना है। तेजी से बदल रहे बाजार स्थल में सिद्धांत अधिक स्थायी हैं। वित्तीय विनियमन के प्रति सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण की गुणवत्ता निम्नानुसार हैं :

- विस्तृत नियमों का सेट बनाने के बजाय सिद्धांतों का सेट बनाना अधिक आसान है।
- सिद्धांतों के सेट को समझना सभी पणधारकों के लिए अधिक आसान है।

- इसके गुरुतर लचीलेपन के कारण यह एक विषम बैंकिंग क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।
- वित्तीय सेवा उद्योग में अपने बाजारों, विधायी पृष्ठभूमि तथा संस्कृति के संदर्भ में अपने अनुपालन की स्थिति को विकसित करने के लिए अधिक लचीलापन उपलब्ध है।
- यह एक फर्म तथा उसके विनियामक के बीच सहकारपूर्ण और परिणाम-अभिमुख संबंध के लिए प्रोत्साहन देता है तथा अन्य विनियामकों के बीच पारस्परिक समझ को सुकर बनाता है।
- यह विनियामक एवं विनियमिती के बीच एक सहकारपूर्ण संवाद के लिए आधार उपलब्ध कराता है तथा पर्यवेक्षण के प्रति शिक्षात्मक दृष्टिकोण आदि का संवर्धन करता है।

दूसरी ओर, सिद्धांत आधारित विनियमन में कई समस्याएं और अधोमुखी जोखिम हैं यथा -

- सिद्धांत आधारित युग उद्योग को यह जानकारी प्राप्त होने नहीं देते हैं कि वह कहां स्थित है क्योंकि सिद्धांतों की परिभाषा उपयुक्त रूप से निश्चित नहीं है।
- अधिक सिद्धांत आधारित विनियमन की ओर बढ़ने से कई तरीके से जबाबदेही संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं।
- ऐसा जोखिम है कि सिद्धांत आधारित विनियमन से 'विनियामक क्रीप' के प्रभावों के प्रति, वृद्धि हो सकती है।
- सिद्धांत आधारित विनियमन की समग्र प्रभावशीलता किसी देश में वित्तीय और कारपोरेट जगत में प्रचलित नैतिक एवं शासन संबंधी मानदंडों पर अत्यंत निर्भर रहती है।
- विनियामक ऐसा देखते हैं कि सिद्धांत आधारित विनियमन में अत्यधिक विनियामक जोखिम हैं तथा उन्हें आशंका है कि आंतरिक कारपोरेट नैतिकता, अनुपालन तथा शासन के अपर्याप्त रूप से ऊंचे मानकों वाले वातावरण में सिद्धांत आधारित विनियमन द्वारा अनुमत परिचालनगत लचीलेपन का दुरुपयोग किया जा सकता है।
- व्यापक सिद्धांतों, जिनमें व्यक्तिगत हस्तक्षेप अधिक हो सकता है, की तुलना में सख्त परंतु विशिष्ट नियमों के उल्लंघन को साबित करना अधिक आसान है।

नियम आधारित तथा सिद्धान्त आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण एक दूसरे को बहिष्कृत नहीं करते। इंग्लैंड की वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एफएसए) में 6,000 से अधिक पृष्ठों की नियम पुस्तक है। नियमों और अनुशासनात्मक नियमों के निर्माण में सिद्धान्तों से मदद मिलेगी। अतः विनियामकों को चाहिए कि वे उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें ये पर्यवेक्षी दृष्टिकोण प्रभावी हों तथा इन दोनों दृष्टिकोणों के इष्टतम समन्वयन के आधार पर विनियमों की प्रभावशीलता उसकी समग्रता में बढ़ाएँ।

में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम थी, जो बैंकों के अग्रिम संविभाग में कम वृद्धि को दर्शाता है। विनियामक पूंजी में हुई वृद्धि में मुख्यतः मूल पूंजी (अर्थात् टियर-1) के कारण हुई। मूल पूंजी अनुपात मार्च 2007 के अंत के 8.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 9.1 प्रतिशत हो गया। सभी बैंकों ने मार्च 2008 के अंत में निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन किया (सारणी 6.6)।

VI.101 मार्च 2008 के अंत में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर मार्च 2007 के अंत की तुलना में उच्चतर था (सारणी 6.5)। 53 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में से 41 शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत और उससे अधिक था, जबकि 10 शहरी सहकारी बैंकों का 3 प्रतिशत से कम था।

वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण

सारणी 6.5: चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(प्रतिशत)

मद	मार्च को समाप्त वर्ष	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	विकास वित्त संस्थाएं	प्राथमिक व्यापारी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
1	2	3	4	5	6	7
सीआरएआर	2007	12.3	11.4	25.3	33.4	21.1
	2008	13.1	11.9	26.3	37.5	22.4
सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक आस्तियां	2007	2.7	17.7	5.6	अनु.	1.6
	2008	2.4	14.2	0.6	अनु.	2.6
निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां	2007	1.1	3.3	0.1	अनु.	0.0
	2008	1.1	2.3	0.1	अनु.	0.3
कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ	2007	0.9	0.7	1.5	2.9	1.0
	2008	1.0	0.7	1.3	2.5	अनु.
इक्विटी पर प्रतिफल	2007	13.2	अनु.	6.7	9.0	8.6
	2008	12.5	अनु.	6.1	10.7	अनु.
लागत/आय अनुपात	2007	51.2	58.9	20.5	49.9	17.3
	2008	49.2	56.2	21.2	25.4	अनु.

अनु.: अनुपलब्ध

Note : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।

2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के 2008 के आंकड़े सितंबर 2007 को समाप्त अवधि से संबंधित हैं।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े सिर्फ घरेलू परिचालनों से संबंधित हैं तथा हो सकता है कि वे तुलनपत्र के आंकड़ों से मेल न खाएं।

4. 1 नवंबर 2007 को एक नए स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारी को प्राधिकृत किए जाने के साथ प्राथमिक व्यापारियों की संख्या मार्च 2007 के अंत के 8 से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 9 हो गई।

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, प्राथमिक व्यापारी तथा वित्तीय संस्थाओं की परोक्ष विवरणियां।

VI.102 एक समूह के रूप में वित्तीय संस्थाओं का सीआरएआर मार्च 2007 के अंत के 25.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 26.3 प्रतिशत हो गया (सारणी 6.5 तथा 6.7)। ऐसा मुख्यतः पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के सीआरएआर में वृद्धि के कारण हुआ।

VI.103 एक समूह के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का सीआरएआर मार्च 2007 के अंत के 21.1 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2007 के अंत में 22.4 प्रतिशत हो गया जो विनियामक न्यूनतम (12 प्रतिशत) से काफी अधिक था। 12 प्रतिशत से कम सीआरएआर

सारणी 6.6 : अनुसूचित वाणिज्य बैंक - सीआरएआर का बारंबारता वितरण (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	मार्च के अंत में	ऋणात्मक	0 और 9 प्रतिशत के बीच	9 और 10 प्रतिशत के बीच	10 और 15 प्रतिशत के बीच	15 प्रतिशत और अधिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2007	0	0	0	28	0	28
	2008	0	0	0	28	0	28
राष्ट्रीयकृत बैंक	2007	0	0	0	20	0	20
	2008	0	0	0	20	0	20
स्टेट बैंक समूह	2007	0	0	0	8	0	8
	2008	0	0	0	8	0	8
निजी क्षेत्र के बैंक	2007	1*	0	2	19	3	25
	2008	0	0	1	17	5	23
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2007	1*	0	2	11	3	17
	2008	0	0	1	10	4	15
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2007	0	0	0	8	0	8
	2008	0	0	0	7	1	8
विदेशी बैंक	2007	0	0	0	10	19	29
	2008	0	0	1	7	20	28
सभी बैंक	2007	1	0	2	57	22	82
	2008	0	0	2	53	24	79

* : सांगली बैंक से संबंधित, जिसका विलय बाद में आइसीआइसीआइ बैंक के साथ कर दिया गया।

नोट : आंकड़े अनंतिम तथा अलेखापरीक्षित हैं।


स्रोत : बैंकों द्वारा सिर्फ उनके घरेलू परिचालनों के संबंध में प्रस्तुत परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां।

सारणी 6.7: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं का सीआरएआर तथा उनकी निवल अनर्जक आस्तियां (मार्च 2008 के अंत में)

वित्तीय संस्थाएं	सीआरएआर (प्रतिशत)	(प्रतिशत)	
		निवल अनर्जक आस्तियां (करोड़ रुपए)	निवल ऋणों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3	4
मीयादी ऋणदात्री संस्थाएं			
एक्जिम बैंक	15.13	113.06	0.39
सभी मीयादी ऋणदात्री संस्थाएं	15.13	113.06	0.39
पुनर्वित्त संस्थाएं			
नाबार्ड	26.61	19.28	0.02
एनएचबी	22.56	0.00	0.00
सिडबी	46.55	49.06	0.25
सभी पुनर्वित्त संस्थाएं	30.84	68.34	0.06
सभी वित्तीय संस्थाएं	26.28	181.40	0.12

स्रोत : वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत परोक्ष विवरण।

रखनेवाली कंपनियों की संख्या में कुल और प्रतिशत दोनों रूपों में गिरावट आई, जबकि 30 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर रखनेवाली कंपनियों की कुल संख्या में गिरावट आई परंतु प्रतिशत के रूप में उसमें वृद्धि हुई जिसका निहितार्थ यह है कि क्षेत्र में समेकन हो रहा है। 30 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर रखनेवाली कंपनियों की संख्या कंपनियों की कुल संख्या का लगभग 50 प्रतिशत थी। 12 प्रतिशत से कम सीआरएआर रखनेवाली कंपनियां मोटे तौर पर समस्याग्रस्त/कमजोर कंपनियां थीं (चार्ट VI.1)। प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर मार्च 2007 के अंत के 33.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2008 के अंत में 37.5 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर उनके विनियामक न्यूनतम की तुलना में काफी अधिक था।



आस्ति की गुणवत्ता

VI.104 वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ। मार्च 2008 के अंत में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात गिरकर क्रमशः 2.4 प्रतिशत हो गया जबकि निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 1.1 प्रतिशत रह गया (सारणी 6.8)। सुदृढ़ आर्थिक कार्यकलाप तथा वसूली के बेहतर माहौल ने हाल के वर्षों में अनर्जक आस्तियों में कमी को सुकर बनाया। सिर्फ 6 बैंकों की निवल अनर्जक आस्तियां निवल अग्रिमों के 2 प्रतिशत से अधिक थीं (सारणी 6.9)। वित्तीय संस्थाओं तथा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

सारणी 6.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंक - कार्य-निष्पादन संकेतक

(प्रतिशत)

मद/बैंक समूह	2007-08				2007-08	2008-09
	ति1	ति2	ति3	ति4		
1	2	3	4	5	6	7
परिचालन व्यय/कुल आस्तियां*						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.1	1.9	2.0	1.4	1.8	1.9
सरकारी क्षेत्र के बैंक	1.8	1.7	1.6	1.1	1.6	1.6
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.9	1.7	1.7	1.3	1.7	1.7
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.5	2.5	2.6	2.3	2.5	2.6
विदेशी बैंक	2.9	2.5	3.3	2.7	2.8	2.7
निवल ब्याज आय/कुल आस्तियां*						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.8	2.3	2.4	2.0	2.4	2.5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.7	2.1	2.1	1.7	2.2	2.3
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.9	2.5	2.4	1.8	2.4	2.7
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.3	2.2	2.6	2.4	2.4	2.7
विदेशी बैंक	4.2	3.4	3.7	3.9	3.8	3.8
निवल लाभ/कुल आस्तियां *						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9
सरकारी क्षेत्र के बैंक	0.9	0.9	1.0	0.7	0.9	0.6
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.1	1.0	1.2	0.7	1.0	0.8
निजी क्षेत्र के नए बैंक	0.8	1.0	1.1	1.1	1.0	0.6
विदेशी बैंक	2.2	1.8	0.9	2.4	1.8	2.7
सकल अग्रिमों के प्रति सकल अनर्जक आस्तियां**						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.8	2.7	2.6	2.4	2.4	2.4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2.9	2.8	2.6	2.4	2.4	2.2
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3.1	2.8	2.7	2.3	2.3	2.4
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.5	2.6	2.7	2.9	2.9	3.2
विदेशी बैंक	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9
निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां **						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1
सरकारी क्षेत्र के बैंक	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8
निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5
विदेशी बैंक	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
सीआरएआर*						
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	12.6	13.3	13.1	13.1	13.1	12.7
सरकारी क्षेत्र के बैंक	12.9	12.8	12.7	12.6	12.6	12.3
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	13.0	13.1	13.7	14.1	14.1	13.9
निजी क्षेत्र के नए बैंक	11.5	15.9	15.4	14.4	14.4	14.1
विदेशी बैंक	12.3	11.4	11.8	13.4	13.4	12.2

* : तिमाहियों के बीच तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिकीकृत।

** : तिमाही के अंत की स्थिति।

स्रोत : बैंकों द्वारा उनके घरेलू परिचालनों के संबंध में प्रस्तुत परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां।

में भी 2007-08 के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा निवल अनर्जक आस्तियां क्रमशः 0.1 प्रतिशत तथा 2.3 प्रतिशत पर थीं (देखें सारणी 6.5)। 53 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में से 37 शहरी सहकारी बैंकों की निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात उनके अग्रिमों का 5 प्रतिशत या उससे कम थीं (सारणी 6.10)।

आय और लाभप्रदता संकेतक

VI.105 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आय 2006-07 में उनकी आस्तियों का 8.04 प्रतिशत थी जो ब्याजेतर आय तथा ब्याज आय दोनों में हुई वृद्धि के कारण 2007-08 में 8.59 प्रतिशत हो गई (सारणी 6.11)। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याजेतर आय में वर्ष के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

सारणी 6.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां

	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक
	स्टेट	राष्ट्रीयकृत	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	
1	2	3	4	5	6
2003-04					
2 प्रतिशत तक	6	5	2	4	19
2 प्रतिशत से अधिक तथा 5 प्रतिशत तक	2	9	9	5	4
5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक	0	4	7	0	3
10 प्रतिशत से अधिक	0	1	2	1	7
2004-05					
2 प्रतिशत तक	7	10	4	6	22
2 प्रतिशत से अधिक तथा 5 प्रतिशत तक	1	8	12	3	2
5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक	0	2	4	1	2
10 प्रतिशत से अधिक	0	0	0	0	4
2005-06					
2 प्रतिशत तक	7	15	11	6	26
2 प्रतिशत से अधिक तथा 5 प्रतिशत तक	1	5	7	2	0
5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक	0	0	2	0	0
10 प्रतिशत से अधिक	0	0	0	0	3
2006-07					
2 प्रतिशत तक	8	18	14	7	27
2 प्रतिशत से अधिक तथा 5 प्रतिशत तक	0	2	2	1	1
5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक	0	0	1	0	0
10 प्रतिशत से अधिक	0	0	0	0	1
2007-08*					
2 प्रतिशत तक	7	19	15	7	25
2 प्रतिशत से अधिक तथा 5 प्रतिशत तक	1	1	0	1	2
5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक	0	0	0	0	0
10 प्रतिशत से अधिक	0	0	0	0	1

* : 31 मार्च 2007 के आंकड़े अलेखापरीक्षित तथा अर्न्तम हैं।

स्रोत : बैंकों द्वारा सिर्फ उनके घरेलू परिचालनों के संबंध में प्रस्तुत परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां।

सारणी 6.10: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां*

(बारंबारता वितरण)

निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियां	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
2 प्रतिशत तक	25	23	24
2 प्रतिशत से अधिक तथा 5 प्रतिशत तक	8	14	13
5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक	10	9	6
10 प्रतिशत से अधिक	11	7	10
जोड़	54	53	53

*: आंकड़े अर्न्तम हैं

स्रोत: परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां

VI.106 तथापि, उच्चतर ब्याज व्यय के कारण कुल व्यय में (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में), परिचालन व्ययों में गिरावट आने के बावजूद, वृद्धि हुई। फलस्वरूप, 2007-08 के दौरान प्रावधानों तथा करों से पहले का लाभ (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में), पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा। तथापि, 2007-08 के दौरान 0.99 प्रतिशत पर आस्तियों पर प्रतिलाभ (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में लाभ) न्यूनतर प्रावधानों के कारण 2006-07 (0.89 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा उच्चतर था। 51 बैंकों ने (79 बैंकों में से) वर्ष के दौरान आस्तियों पर प्रतिलाभ में वृद्धि दर्ज की (सारणी 6.12)।

सारणी 6.11: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनात्मक परिणाम - प्रमुख अनुपात

(कुल आस्तियों का प्रतिशत)

संकेतक	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
1. कुल आय (i+ii)	8.03	8.04	8.59
i) ब्याज आय			
(ब्याज कर को घटाकर)	6.65	6.88	7.17
ii) ब्याजेतर आय	1.38	1.16	1.42
2. कुल व्यय (i+ii)	5.98	6.11	6.66
i) ब्याज व्यय	3.82	4.13	4.81
ii) परिचालन व्यय	2.16	1.97	1.85
3. प्रावधानों तथा करों से पहले आय	2.05	1.92	1.92
4. प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	1.17	1.03	0.93
5. करोत्तर लाभ	0.88	0.89	0.99

(राशि करोड़ रुपए में)

1. कुल आय (i+ii)	2,16,286	2,66,266	3,54,093
i) ब्याज आय			
(ब्याज कर को घटाकर)	1,79,087	2,27,731	2,95,688
ii) ब्याजेतर आय	37,199	38,535	58,405
2. कुल व्यय (i+ii)	1,61,048	2,02,167	2,74,452
i) ब्याज व्यय	1,02,866	1,36,899	1,98,236
ii) परिचालन व्यय	58,182	65,267	76,216
3. प्रावधानों तथा करों से पहले आय	55,212	63,429	79,254
4. प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	31,549	33,991	38,283
5. करोत्तर लाभ	23,663	29,438	40,971

नोट : 1. बैंकों द्वारा सिर्फ उनके घरेलू परिचालनों के संबंध में प्रस्तुत परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां।
2. मार्च 2008 के आंकड़े अर्न्तम तथा अलेखापरीक्षित हैं।

VI.107 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों पर प्रतिलाभ 2006-07 के 0.69 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 0.67 प्रतिशत पर लगभग बनाए रखा गया (सारणी 6.13)। प्राथमिक व्यापारियों की आस्तियों पर प्रतिलाभ 2006-07 के 2.92 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 2007-08 में 2.48 प्रतिशत रह गया (सारणी 6.5 देखें)।

बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता

ब्याज दर जोखिम

VI.108 बैंकिंग प्रणाली के निवेश संविभाग का बड़ा हिस्सा मार्च 2008 की समाप्ति पर 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम) प्रतिभूतियों के रूप में (लगभग 60 प्रतिशत) था। चूंकि एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले निवेशों को व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) निवेशों जैसे (i) 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) और (ii) 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी) की तरह दैनिक बाजार मूल्य पर मूल्यांकित नहीं करना होता, अतः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवेश संविभाग ब्याज दर जोखिम के प्रति सापेक्षतः कम संवेदनशील होता है। तथापि मार्च 2008 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति के कारण बैंकों को अधिक एमटीएम हानि हुई। इसके परिणामस्वरूप व्यापार बही में धारित निवेशों के संबंध में मूल्यनस के लिए प्रावधानों में बकाया शेष के रूप में उपलब्ध कुशन राशि एमटीएम हानियों को समायोजित करने पर घटकर लगभग नगण्य हो गई। यद्यपि बैंकों ने ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए विशेष रूप से व्यापार बही के मामले में इसके आकार में कमी लाने के साथ-साथ अवधि में कमी करने जैसी विभिन्न संविभाग प्रबंधन तकनीकें अपनायीं, तथापि यदि प्रतिफल में लगातार वृद्धि अक्षुण्ण बनी रहती है तो इससे प्रणाली पर दबाव पड़ेगा।

सारणी 6.13 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के परिचालनात्मक परिणाम - प्रमुख अनुपात

(कुल आस्तियों के प्रति अनुपात)

सं. मद	2006-07	2007-08
1	2	3
1. कुल आय (i+ii)	6.63	6.59
i) ब्याज आय	5.82	6.11
ii) ब्याजेतर आय	0.81	0.48
2. कुल व्यय (i+ii)	5.43	5.45
i) ब्याज व्यय	3.53	3.94
ii) ब्याजेतर व्यय	1.90	1.51
3. प्रावधानों तथा करों से पहले आय	1.20	1.14
4. प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	0.51	0.47
5. करोत्तर लाभ	0.69	0.67

नोट : सभी आंकड़े अर्न्तम हैं।

मुद्रा जोखिम

VI.109 विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये ने अमेरिकी डालर की तुलना में 2007-08 के दौरान दोतरफा रुख दर्शाया। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा जोखिम वाले सभी एजेंटों को समुचित बचाव (हेजिंग) लिखतों का उपयोग करने और विदेशी मुद्रा में संभावित प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से बचने के लिए गुंजाइश (कुशन) रखने एवं रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी।

पण्य जोखिम

VI.110 सारे विश्व में, विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में हुई सुदृढ़ वृद्धि और वित्तीय बाजारों में सट्टा-अटकल मूल्यों के दबावों के कारण हाल ही के महीनों में वैश्विक पण्यों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई।

सारणी 6.12: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनात्मक परिणाम - 2007-08

(अवधि के दौरान अनुपातों में वृद्धि दर्शानेवाले बैंकों की संख्या)

कुल आस्तियों के प्रति अनुपात	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	सभी बैंक
	स्टेट बैंक समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक		
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल आय	8	16	12	8	17	61
i) ब्याज आय	7	15	12	8	17	59
ii) ब्याजेतर आय	7	15	12	7	17	58
2. कुल व्यय	8	19	13	8	16	64
i) ब्याज व्यय	8	20	14	7	16	65
ii) परिचालन व्यय	1	0	2	6	14	23
3. प्रावधानों तथा करों से पहले आय	1	6	8	6	19	40
4. प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	0	4	4	7	14	29
5. करोत्तर लाभ	4	11	11	5	20	51

नोट : 1. बैंकों द्वारा सिर्फ उनके घरेलू परिचालनों के संबंध में प्रस्तुत परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियां।
2. आंकड़े अर्न्तम तथा अलेखापरीक्षित हैं।

पण्यों के लिए पण्य अनुसंधान ब्यूरो (सीआरबी) इंडेक्स 2 जुलाई 2007 के 316.7 से बढ़कर 30 जून 2008 को 462.7 हो गया। इस अवधि के दौरान सोने का हाजिर मूल्य 654.75 अमरीकी डालर से बढ़कर 930.25 अमरीकी डालर हो गया और कूड (ब्रेंट) का मूल्य 73.81 अमरीकी डालर से बढ़कर 139.30 अमरीकी डालर हो गया। इसने मुद्रास्फीति बढ़ाने के अलावा वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को महत्वपूर्ण संविभाग पुर्नसंतुलन हेतु प्रेरित किया। भारत में पण्यों के मूल्यों में अस्थिरता का प्रभाव बैंकों पर निवेश अथवा क्रेडिट चैनल के द्वारा पड़ता है। जोखिम अंतरण का प्रमुख माध्यम पण्य व्यापारियों और उद्योगों के प्रति उनका ऋण एक्सपोजर होता है, जिनकी लाभप्रदता स्थिर पण्य मूल्यों पर निर्भर रहने के कारण उनके द्वारा हेजिंग नहीं किये जाने पर प्रभावित होती है। अतः बैंकों के लिए जरूरी होगा कि इस जोखिम के लिए सतर्क रहें और समुचित जोखिम निदान के उपाय करें।

ईक्विटी जोखिम

VI.111 पूंजी बाजार एक्सपोजर के लिए अप्रैल 2007 से औचित्यपूर्ण मानदंड लागू होने से पूंजी बाजार जोखिम के लिए अब प्रत्येक बैंक के एक्सपोजर की विनियामक सीमा पिछले वर्ष मार्च की समाप्ति पर उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत तक रखी गयी है। मार्च 2008 की समाप्ति पर पूंजी बाजार के प्रति बैंकिंग प्रणाली का समग्र एक्सपोजर निवल मालियत का 28 प्रतिशत था। रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों की पूंजी बाजार में सहभागिता सीमा के भीतर रहे और उनके अग्रिमों के लिए उचित संपार्श्विक हों, कई विनियामक आवश्यकताएं निर्धारित कीं ताकि वे निवेश के लिए दिए गए अग्रिमों को सुरक्षित रख सकें।

चलनिधि

VI.112 सरकार के पूंजी प्रवाह तथा उनके नकद शेष में घटबढ़ वित्तीय बाजारों में चलनिधि की स्थितियों के मुख्य वाहक थे, जो रात भर की ब्याज दरों में अस्थिरता लाते थे। रिजर्व बैंक ने अपने पास उपलब्ध सभी नीतिगत साधनों का लचीलेपन के साथ उपयुक्त उपयोग करके चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन की अपनी नीति जारी रखी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में कुल आस्तियों की तुलना में चल (लिक्विड) आस्तियों का अनुपात पिछले वर्ष के अंत के स्तर की तरह मार्च 2008 के अंत में 32.3 प्रतिशत था।

संभावना

VI.113 रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा के साथ अपने विनियामक माहौल के संरेखण के उद्देश्य से कई पहलें कीं। विदेशी बैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति दर्ज कराने वाले बैंकों ने 31 मार्च 2008 को सफलतापूर्वक बासेल II को अपना लिया। शेष वाणिज्यिक बैंक बासेल II को 31 मार्च 2009 को अपना लेंगे। हाल की वैश्विक वित्तीय बाजार की गतिविधियां विनियामकों और पर्यवेक्षकों के लिए उपयोगी पाठ प्रस्तुत करती हैं। वित्तीय स्थिरता मंच ने 2008 के अंत तक कार्यान्वयन के लिए अनेक प्रस्ताव किए हैं। जबकि भारत पहले ही इनमें से कुछ प्रस्तावों को कार्यान्वित कर चुका है, अन्य प्रस्तावों की सतर्कतापूर्वक जांच की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। आनेवाले वर्षों में बैंकों द्वारा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को, विशेष रूप से जोखिम के उभरते क्षेत्रों यथा- चलनिधि जोखिम और तुलनपत्र बाह्य मदों के कारण एवं डेरिवेटिव बाजार के लेनदेनों के कारण उत्पन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है। सेवा प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने तथा शीघ्र शिकायत निवारण के क्षेत्रों सहित, ग्राहक सेवा में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

VII.1 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक की ऋण प्रबंध नीति दो उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होती रही - समय के साथ लागत कम करना और रोल-ओवर जोखिम के अनुरूप परिपक्वता प्रोफाइल का अनुसरण। ऋण प्रबंधन परिचालन ऐसे वातावरण में किए गए जिसमें पहले से मौद्रिक उपायों में कठोरता लाने और आय वक्र के ऊर्ध्वगामी होने की विशेषता शामिल है। वर्ष के दौरान जमाराशियों में उछाल भरी वृद्धि के साथ सरकारी प्रतिभूतियों के लिए मांग का एक प्रमुख स्रोत वैधानिक अपेक्षा के अनुपालन के लिए बैंकिंग क्षेत्र से निकला और बीमा क्षेत्र ने उसका अनुसरण किया।

VII.2 इस अध्याय में 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक के ऋण प्रबंध कार्यों की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार का बाजार उधार कार्यक्रम, जो गत वर्ष से अधिक था, प्राथमिक व्यापारियों पर अपेक्षाकृत कम न्यागमन के साथ सुगमतापूर्वक पूरा हुआ। वर्ष की पहली छमाही में एक अनिर्धारित नीलामी को छोड़कर दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियां मोटे तौर पर निर्गम कैलेंडर के अनुसार रहीं। वर्ष के दौरान बाजार उधार की औसत भारित लागत बढ़ी, जिससे ब्याज दरों में तेजी परिलक्षित होती है। वर्ष के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के यथार्थ समेकन और परिपक्वता स्वरूप के दीर्घीकरण की नीति जारी रही। वर्ष के दौरान औसत भारित परिपक्वता मामूली रूप से बढ़ी, जो बकाया खुले बाजार ऋण के जोखिम प्रोफाइल में हुए सुधार में परिलक्षित हुई है।

VII.3 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम पूरी तरह से नीलामी के माध्यम से चलाए गये। 2007-08 के दौरान जुटाई गयी सकल राशि पिछले वर्ष जुटायी गयी राशि की तुलना में दुगने से अधिक थी क्योंकि 2007-08 के दौरान राज्यों को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि संग्रह में हुई कमी को पूरा करने के लिए केंद्र से अतिरिक्त संसाधन स्वीकृत किये गये थे। तथापि, राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के औसत निर्गम का आकार लगातार अपेक्षाकृत छोटा बना रहा। वर्ष के दौरान भारित औसत प्रतिलाभ बेहतर रहा और केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के तुलनीय द्वितीयक बाजार प्रतिलाभ की तुलना में नीलामियों में उच्चतम प्रतिलाभ का भारित औसत स्प्रेड पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा।

VII.4 केन्द्र और राज्यों के सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों का मिश्रित निवल निर्गम 2006-07 के 1,25,549 करोड़ रुपए की तुलना में 2007-08 में 1,65,728 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा, 2007-08 में बाजार उधार कार्यक्रम से अलग 38,050 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियां विभिन्न संस्थाओं को जारी की गयीं (2006-07 में 40,321 करोड़ रुपए)। बाजार उधार कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने में राजकोषीय मानदंडों, बाजार गहनता तथा अनुकूल चलनिधि स्थिति का बेहतर बाजार बोध दिखायी दिया जिससे बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों के भारी अतिरिक्त निर्गमों की आवश्यकता पड़ी।

केन्द्र सरकार


अर्थोपाय अग्रिम

VII.5 वर्ष 2007-08 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए केंद्र सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं 20,000 करोड़ रुपए तथा दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के लिए 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गयी थीं। इस प्रकार छमाही आधार पर सीमाएं तय करने की पुरानी प्रथा, जो 2006-07 से पहले विद्यमान थी, फिर से प्रारंभ कर दी गयी। 2006-07 में राजकोषीय जबाबदेही एवं बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम), 2003 जिसने 1 अप्रैल 2006 से सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में भारतीय रिजर्व बैंक की सहभागिता प्रतिबंधित कर दी थी, द्वारा जरूरी अंतरण को सुगम बनाने के लिए तिमाही आधार पर अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं निर्धारित की गयी थीं। रिजर्व बैंक ने अंतरण संबंधी समस्याओं और मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के परामर्श से इन सीमाओं को संशोधित करने की नमनीयता अपने पास बनाये रखी। अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज दर रिपो दर पर और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रिपो दर तथा 2 प्रतिशत अंक अधिक पर बनी रही।

VII.6 2007-08 के दौरान, सामान्यतः केंद्र सरकार की चलनिधि स्थिति सुगम रही, यद्यपि वर्ष की पहली तिमाही और जुलाई 2007 में कुछ दबाव थे। केंद्र सरकार के नकद अधिशेष जो मार्च 2007 के अंत में 50,092 करोड़ रुपए थे, वे केंद्र के प्रत्याशित खर्च से अधिक खर्च को पूरा

करने के लिए आहरित कर लिए गए। 2007-08 के पहले चार महीनों के दौरान राजस्व प्राप्तियों और सकल व्यय के बीच बढ़ी हुई विसंगतियों से उत्पन्न उधार आवश्यकताओं में तेज वृद्धि से केंद्र सरकार ने तीन अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का मार्ग अपनाया जिसमें 12,305 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट सबसे अधिक था। भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के हिस्से के केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण से पहले जून 2007 में अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसका महीने के अंत तक इस व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग कर लिया गया और केंद्र सरकार को अर्थोपाय अग्रिम की ओर फिर से लौटना पड़ा। 9 अगस्त 2007 को रिजर्व बैंक से अधिशेष के अंतरण के साथ ही केंद्र सरकार अधिशेष नकद शेष की स्थिति में पहुंच गयी और यह स्थिति उसके बाद भी बनी रही जो 27 मार्च 2008 को 1,04,741 करोड़ रुपए के शिखर को छू रही थी (चार्ट VII.1)। 2007-08 के दौरान केंद्र सरकार ने 2006-07 के दौरान 39 दिनों की तुलना में कुल 91 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिम लिया। केंद्र सरकार ने भी 37 दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट भी लिया। 31 मार्च 2008 को अधिशेष शेष 76,686 करोड़ रुपए (20,000 करोड़ रुपए के निवेश शेष सहित) था।

VII.7 वर्ष 2008-09 के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) हेतु 20,000 करोड़ रुपए तथा दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च) के लिए 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गयी



थीं। अर्थोपाय अग्रिमों पर लागू ब्याज दर का पहले की भांति रिपो दर से जुड़े रहना जारी रहेगा। केंद्र ने 76,686 करोड़ रुपए के भारी अधिशेष शेष के साथ राजकोषीय वर्ष की शुरुआत की और पिछले वर्ष की तदनु रूप तिमाही में क्रमशः 52 दिन और 10 दिन के लिए अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट लेने की तुलना में पूरी पहली तिमाही में अधिशेष में बना रहा। यह स्थिति तिमाही के दौरान भारी निवल बाजार उधार आवश्यकताओं (जीएफडी) के बावजूद थी और इसने मार्च 2008 के अंत में अधिशेष शेषों के बढ़ते भंडार तथा खजाना बिलों के माध्यम से जुटाए गए 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बाजार उधार को दर्शाया। दूसरी तिमाही के दौरान (14 अगस्त तक) केंद्र ने 4 अगस्त 2008 और 6 अगस्त 2008 के बीच 3 दिन का अर्थोपाय अग्रिम लिया जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में 39 दिन का अर्थोपाय अग्रिम और 27 दिन का ओवरड्राफ्ट था।

खजाना बिल

VII.8 30 मार्च 2007 को जारी वार्षिक निर्गम कैलेंडर के अनुसार सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के तहत 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिल (टीबी) की अधिसूचित राशियां क्रमशः 500 करोड़ रुपए (साप्ताहिक नीलामी), 500 करोड़ रुपए (पाक्षिक नीलामी) और 1000 करोड़ (पाक्षिक नीलामी) के स्तर पर अपरिवर्तित रहीं। तथापि, सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के तहत खजाना बिलों की अधिसूचित राशियां जून 2007 में कई अवसरों पर बढ़ायी गयीं ताकि अन्य बातों के साथ-साथ 29 जून 2007 को भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक के हिस्से के अंतरण के कारण उत्पन्न अस्थायी नकदी विसंगति का वित्तपोषण किया जा सके, जो कि अस्थायी रूप से होनी प्रत्याशित थी। इस संबंध में निर्गम कैलेंडरों (खजाना बिलों के माध्यम से 27,500 करोड़ रुपए और दिनांकित प्रतिभूति के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए) के बाहर 32,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटायी गयी थी (सारणी 7.1)। मौजूदा चलनिधि स्थितियों को देखते हुए वर्ष के दौरान बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत जारी की गयी खजाना बिलों की अधिसूचित राशि को बदला गया। 91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिलों के निवल निर्गम (एमएसएस को छोड़कर) पिछले वर्ष की तुलना में कम रहे (परिशिष्ट सारणी 58)। खजाना बिलों के सभी निर्गमों के सामान्य बाजार उधार घटकों के लिए बाजार द्वारा पूरी तरह अभिदान किया गया।


सारणी 7.1: भारतीय स्टेट बैंक में रिज़र्व बैंक के हिस्से के अंतरण के वित्तपोषण हेतु खज़ाना बिलों के माध्यम से अतिरिक्त उधार

(करोड़ रुपए)

निर्गम का दिनांक	अतिरिक्त निर्गम*
1	2
91-दिवसीय	
जून 8, 2007	1,500
जून 13, 2007	3,000
जून 15, 2007	3,000
जून 22, 2007	3,000
जून 27, 2007	5,000
जून 29, 2007	3,000
कुल	18,500
182-दिवसीय	
जून 13, 2007	2,000
जून 15, 2007	2,000
जून 29, 2007	2,000
कुल	6,000
364-दिवसीय	
जून 8, 2007	1,000
जून 22, 2007	2,000
कुल	3,000
कुल जोड़	27,500

*: अधिसूचित राशि के अलावा

VII.9 2007-08 के दौरान सभी परिपक्वतावाले खज़ाना बिलों का प्राथमिक बाजार प्रतिलाभ बढ़ा (सारणी 7.2)। 18 जुलाई 2007 को प्रतिलाभों में तेज गिरावट और फरवरी तथा मार्च 2008 में प्रतिलाभों में नरमी जो आसान चलनिधि स्थितियों तथा अत्यंत कम अल्पावधि



ब्याज दरों को दर्शाता है, को छोड़कर 2007-08 के दौरान प्रतिलाभ एक वर्ष पहले के अपने संबंधित स्तरों की तुलना में अधिक थे (चार्ट VII.2)। प्रतिलाभों का बेहतर होना अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा बाजार ब्याज दरों, रिर्वर्स रिपो के माध्यम से अवशोषण की उच्चतम सीमा हटाने और नकदी आरक्षित अनुपात में बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों, खासकर फेडरल निधियों की लक्ष्य दर में कटौती से अक्टूबर 2007 और जनवरी 2008 में ब्याज दरें नरम पड़ गयीं। 2007-08 के दौरान ध्यान देने योग्य विशेष बात यह रही कि 2006-07 की तुलना में वर्षात में सामान्यतः सख्त चलनिधि स्थितियों का प्रबंध बेहतर रहा। इसे तथा मुद्रा बाजार खंडों की प्रवृत्तियों को दर्शाते हुए

सारणी 7.2: खज़ाना बिलों की रूपरेखा

(अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए में)

खज़ाना बिलों का प्रकार	भारत औसत						बकाया राशि	
	कट-आफ प्रतिलाभ (प्रतिशत)		सकल राशि		निवल राशि		मार्च के अंत में	मार्च के अंत में
	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91-दिवसीय	6.80	7.09	1,31,577 (48,222)	2,10,365 (64,841)	28,911 (14,473)	-5,272 (-4,841)	45,229 (14,473)	39,957 (9,632)
182-दिवसीय	6.87	7.38	36,912 (16,125)	46,926 (20,605)	7,435 (4,950)	-421 (-345)	17,206 (7,950)	16,785 (7,605)
364-दिवसीय	7.07	7.50	53,813 (20,440)	57,205 (25,000)	8,795 (4,440)	3,392 (4,560)	53,813 (20,440)	57,205 (25,000)

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत निर्गमों से संबंधित हैं।

91-दिवसीय, 182-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिलों के लिए मार्च 2008 के अंत में प्राथमिक प्रतिलाभ क्रमशः 7.23 प्रतिशत, 7.36 प्रतिशत और 7.35 प्रतिशत रहे, जो मार्च 2007 के अंत के क्रमशः 75, 84 और 63 आधार अंकों की तुलना में कम थे। जुलाई 2007 में ऊंचे स्प्रेड के साथ 91-दिवसीय खजाना बिलों की तुलना में 364-दिवसीय खजाना बिलों का प्रतिलाभ स्प्रेड 208 आधार अंकों (18 जुलाई 2007) और 5 आधार अंकों (12 मार्च 2008) के बीच घटता-बढ़ता रहा जो अन्य बातों के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामियों पर 3000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा को दर्शाता है। 6 अगस्त 2007 को यह सीमा समाप्त करने से वर्ष की शेष अवधि के लिए औसत प्रतिलाभ स्प्रेड 31 आधार अंक (एक वर्ष पहले 27 आधार अंक) था (सारणी 7.3)। 2007-08 के दौरान औसत प्रतिलाभ स्प्रेड 42 आधार अंक (1 वर्ष पहले 38 आधार अंक) था।

VII.10 2007-08 के दौरान, पिछले वर्ष के 72,514 करोड़ रुपए की तुलना में, खजाना बिलों की कुल 1,11,551 करोड़ रुपए की गैर-स्पर्धी बोलियां प्राप्त हुईं जो राज्य सरकारों के अधिशेष नकद शेषों के

स्थायी स्वरूप को दर्शाती हैं। नीलाम किए गए खजाना बिलों के सकल निर्गमों में गैर-स्पर्धी बोलियों का हिस्सा 2006-07 के 33 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 35 प्रतिशत हो गया, जो लगभग पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेशों के कारण था।

VII.11 24 मार्च 2008 को वर्ष 2008-09 के लिए खजाना बिलों की नियमित नीलामी के लिए कैलेंडर घोषित किया गया था। इसमें 91-दिवसीय और 182-दिवसीय खजाना बिलों में से प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपए तथा 364-दिवसीय खजाना बिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि अपरिवर्तित रखी गयी थी। तथापि, 2008-09 के दौरान (14 अगस्त 2008 तक) 91-दिवसीय खजाना बिलों की अधिसूचित राशि (एमएसएस को छोड़कर) दस अवसरों पर प्रत्येक बार 2,500 करोड़ रुपए और एक अवसर पर 1,500 करोड़ रुपए बढ़ायी गयी थी और 182-दिवसीय खजाना बिलों की राशि दो अवसरों पर हर बार 500 करोड़ रुपए बढ़ायी गयी थी। इस प्रकार, किसानों की ऋण माफी योजना के संबंध में होने वाले व्यय से कैलेंडर में अधिसूचित राशि के अलावा उत्पन्न होने वाली प्रत्याशित अस्थायी नकदी विसंगति को वित्तपोषित करने के लिए 27,500 करोड़ रुपए (निवल 17,500 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त राशि जुटाई गयी थी।

सारणी 7.3: खजाना बिल - प्राथमिक बाजार

माह	अधिसूचित राशि (करोड़ रुपए)	न्यूनतम कट-आफ मूल्य पर औसत निहित प्रतिलाभ (प्रतिशत)			बोली - कवर अनुपात*		
		91-दिवसीय	182-दिवसीय	364-दिवसीय	91-दिवसीय	182-दिवसीय	364-दिवसीय
1	2	3	4	5	6	7	8
2007-08							
अप्रैल	15,000	7.53	7.87	7.72	2.87	3.36	3.16
मई	18,500	7.59	7.70	7.79	2.33	2.57	2.33
जून	35,000	7.41	7.76	6.67	3.23	4.11	3.97
जुलाई	12,500	5.07	5.94	6.87	4.48	2.70	4.56
अगस्त	20,500	6.74	7.37	7.42	2.11	1.41	2.46
सितंबर	25,000	7.08	7.33	7.48	2.07	2.91	2.83
अक्टूबर	28,500	7.11	7.45	7.37	2.16	1.73	3.23
नवंबर	22,500	7.47	7.65	7.75	1.63	1.38	1.88
दिसंबर	7,500	7.41	7.60	7.69	4.41	4.67	3.67
जनवरी	19,000	7.08	7.24	7.39	2.63	1.61	4.36
फरवरी	15,500	7.33	7.40	7.51	2.15	2.91	2.78
मार्च	5,000	7.33	7.45	7.40	3.97	4.17	3.34
2008-09							
अप्रैल	22,000	7.28	7.41	7.53	1.70	1.36	2.36
मई	21,000	7.41	7.55	7.61	2.65	2.78	3.05
जून	11,500	8.01	8.42	7.93	2.00	2.76	2.80
जुलाई	16,000	9.07	9.33	9.39	2.52	2.72	3.55

* : अधिसूचित राशि के लिए प्राप्त स्पर्धात्मक बोलियों का अनुपात।

दिनांकित प्रतिभूतियां

VII.12 2007-08 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए निवल बाजार उधार 1,10,671 करोड़ रुपए रहे जो 2006-07 के 1,06,921 करोड़ रुपयों की तुलना में 3.5 प्रतिशत अधिक रहे। 2007-08 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाए गए सकल बाजार उधार 1,56,000 करोड़ रुपए रहे जो 2006-07 के दौरान 1,46,000 करोड़ रुपए की तुलना में 6.9 प्रतिशत बढ़े (सारणी 7.4, परिशिष्ट सारणी 34 और 59)। वर्ष 2007-08 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों पर कुल न्यागमन (डिवॉल्वमेंट) 957 करोड़ रुपए रहा जो कि 2006-07 के 5,604 करोड़ रुपए की तुलना में कम था।

VII.13 रिजर्व बैंक ने 2007-08 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के सकारात्मक समेकन और प्रतिभूतियों के परिपक्वता स्वरूप को बढ़ाने की अपनी नीति जारी रखी। वर्ष के दौरान जारी की गई 35 दिनांकित प्रतिभूतियों में से 34 प्रतिभूतियां मौजूदा प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम थे; द्वितीयक बाजार में एक बेंच मार्क प्रदान करने के लिए 10-वर्षीय परिपक्वता वाली एक नई प्रतिभूति जारी की गई थी (परिशिष्ट सारणी 60)। 2006-07 में वर्ष के दौरान जारी की गई 33 प्रतिभूतियों में से तीन प्रतिभूतियां नए निर्गमों के रूप में थीं। 31 मार्च 2008 की स्थिति के

सारणी 7.4: केन्द्र सरकार के सकल और निवल बाज़ार उधार

(करोड़ रुपए में)

लिखत	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (बजट अनु.)	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (बजट अनु.)	2008-09 (वास्तविक)*
1	2	3	4	5	6
कुल	1,79,373 (1,11,275)	1,88,828 (1,09,579)	1,88,205 (1,09,504)	1,75,780 (99,000)	95,845 (57,199)
<i>जिसमें से:</i>					
(i) दिनांकित प्रतिभूतियां	1,46,000 (1,06,921)	1,55,455 (1,09,579)	1,56,000 (1,10,671)	1,49,780 (1,05,205)	82,000 (57,982)
(ii) 364-दिवसीय खजाना बिल	33,373 (4,354)	33,373 (-)	32,205 (-1,167)	26,000 (-6,205)	13,845 (-783)

बअ: बजट अनुमान * : 14 अगस्त 2008 की स्थिति के अनुसार।
टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े निवल उधार दर्शाते हैं।

अनुसार 13,32,435 करोड़ रुपए की 102 बकाया विपणनीय प्रतिभूतियों (एमएसएस सहित) में से 20 प्रतिभूतियां, जिनमें से प्रत्येक की न्यूनतम बकाया राशि 25,000 करोड़ रुपए थी, कुल बकाया राशि का लगभग 54 प्रतिशत थीं (मार्च 2007 के अंत में 27 प्रतिशत), जो इन प्रतिभूतियों की चलनिधि क्षमता को दर्शाती है।

VII.14 लोक ऋण कार्यालय -वार्तातय लेन-देन प्रणाली(पीडीओ-एनडीएस) में प्राइमरी ऑक्शन मॉड्यूल की शुरुआत ने नीलामी प्रक्रिया की दक्षता बढ़ा दी है। तथापि, पूरी नीलामी प्रक्रिया को पूरी करने में

लगनेवाला समय अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अनुकूलतः तुलनीय नहीं है। इस संबंध में, इस नीलामी प्रक्रिया की समग्र दक्षता में सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए एक अंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष:एच.आर.खान) गठित किया गया था (बॉक्स VII.1)।

VII.15 2007-08 की पहली छमाही के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि 97,000 करोड़ रुपए थी जो कि निर्गम कैलेंडर में दर्शाई गई राशि से 5,000 करोड़ रुपए अधिक थी। राजकोषीय वर्ष की दूसरी छमाही के लिए निर्गम कैलेंडर, जो दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 59,000 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाने के लिए निर्धारित किया गया था, का पूरी तरह से पालन किया गया। इस प्रकार 2007-08 के दौरान वास्तविक निर्गम कुल 1,56,000 करोड़ रुपए रहा।

VII.16 2007-08 की पहली तिमाही के दौरान भारत औसत प्रतिलाभ ऊंचे बने रहे जो समग्र ब्याज दर स्थितियों के कठोर होने और बाद में नरम पड़ने को दर्शाता है। समग्र रूप में दिनांकित प्रतिभूतियों का भारत औसत प्रतिलाभ लगातार चौथे वर्ष भी 2007-08 के दौरान बढ़ा और 2006-07 के 7.89 प्रतिशत और 2005-06 के 7.34 प्रतिशत की तुलना में 8.12 प्रतिशत पर रखा गया था (चार्ट VII.3)। हालांकि, केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक पर भारत औसत

बॉक्स VII.1

भारत सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी प्रक्रिया के संबंध में गठित कार्यदल


सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाने तथा इसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से एक आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष:एच.आर.खान) गठित किया गया था जिसका कार्य था i)अपनाई जानेवाली वर्तमान नीलामी प्रक्रिया की समीक्षा करना; ii) नीलामी प्रक्रिया पूरी करने में लगने वाले समय को घटाने के संबंध में सुझाव देना और iii) समग्र दक्षता में सुधार लाना। इस कार्यदल ने सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी प्रक्रिया के विभिन्न देशों के अनुभवों की समीक्षा की और वर्तमान नीलामी प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न समस्याओं को दूर करने के संबंध में बाजार सहभागियों से परामर्श किया। इस दल ने अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशों की जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

- (क) बोली प्रस्तुत करने और नीलामी के परिणाम घोषित करने के बीच के समय अंतर को क्रमिक रूप से घटाते हुए मौजूदा 3 घंटे से कम करके अल्पावधि में 1½ घंटे करना और मध्यावधि में इसे और भी घटाते हुए एक घंटे करना तथा दीर्घावधि में इसे 30 मिनट बनाना।
- (ख) दिनांकित प्रतिभूतियों के साथ-साथ खजाना बिलों की नीलामियों में गैर स्पर्धी-बोलियों के प्रस्तुतीकरण, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक दोनों ही रूपों, में लगने वाला समय पहले किया जा सकता है।

- (ग) गैर स्पर्धी-बोलियां प्रस्तुत करने की इच्छुक पात्र संस्थाओं और व्यक्तियों को बैंक/प्राथमिक व्यापारी के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक्सेस दिया जा सकता है।
- (घ) बैंक/प्राथमिक व्यापारी को अपने सभी ग्राहकों की ओर से एक समेकित बोली प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ गैर स्पर्धी बोलियों की वास्तविकता के सत्यापन का उत्तरदायित्व संबंधित बैंक/प्राथमिक व्यापारी के ऊपर रहेगा।
- (ङ) केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बोलियां भौतिक रूप से स्वीकार की जा सकती हैं और गैर-एनडीएस सदस्यों की स्पर्धी-बोलियां एनडीएस सदस्यों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा सकती हैं।
- (च) सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में गैर-एनडीएस सदस्यों की सीधी सहभागिता की सुविधा भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी हेतु नये प्राथमिक नीलामी मॉड्यूल के साथ सुरक्षित वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से अगले चरण में दी जा सकती है।

भारत सरकार के परामर्श से इस कार्यदल की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

चार्ट VII.3: दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों का भारत औसत प्रतिलाभ



कूपन ने अधोगामी प्रवृत्ति जारी रखी और यह मार्च 2007 के अंत के 8.55 प्रतिशत से गिरकर 31 मार्च 2008 को 8.50 प्रतिशत पर आ गई।

VII.17 वर्ष के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत परिपक्वता 14.90 वर्ष पर, 2006-07 के 14.72 वर्ष की तुलना में, अधिक रही (सारणी 7.5)। 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार बकाया स्टॉक की भारत औसत परिपक्वता बढ़कर 10.59 वर्ष हो गई

जब कि मार्च 2007 के अंत में यह 9.97 वर्ष थी (एमएसएस प्रतिभूतियों को छोड़कर)।

VII.18 2007-08 के दौरान, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में प्राथमिक निर्दिष्ट प्रतिलाभ और उसी परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के मौजूदा द्वितीयक बाजार प्रतिलाभों के बीच का स्प्रेड (-) 48 और 8 आधार अंकों के बीच रहा। तथापि, दिनांकित प्रतिभूतियों की 35 नीलामियों में से 28 नीलामियों में स्प्रेड (-) 5 और 5 आधार अंकों के बीच रहा जो प्राथमिक नीलामियों में कुशल मूल्य खोज को दर्शाता है (सारणी 7.6)।

VII.19 2007-08 के दौरान दस वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वतावाली प्रतिभूतियों का हिस्सा कुल निर्गमों में घटकर 43 प्रतिशत रह गया जबकि 2006-07 के दौरान यह 46 प्रतिशत था। 2007-08 के दौरान पांच वर्ष तक की अवधियों वाली दिनांकित प्रतिभूतियों का कोई निर्गम नहीं हुआ। पांच वर्ष से कम वाले बकाया स्टॉक का हिस्सा पिछले वर्ष के 26 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 20 प्रतिशत हो गया जबकि 10 वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वतावाले बकाया स्टॉक का हिस्सा 2006-07 के 33 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया (सारणी 7.7)।

VII.20 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के बकाया बाजार ऋणों के चुकौती कार्यक्रम पर आधारित वार्षिक चुकौती देयता सांकेतिक अर्थों में 2011-12 और 2017-18 के बीच चुकौतियों के समूहित हो जाने को दर्शाता है जिसमें चुकौतियों की राशि 2016-17

सारणी 7.5: केन्द्र सरकार के बाजार ऋण - रूपरेखा *

(आय प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में वाइटीएम की सीमा			वर्ष के दौरान निर्गम		बकाया स्टॉक		
	5 वर्ष से कम	5 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारत औसत प्रतिफल	परिपक्वताओं की सीमा	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1997-98	10.85-12.14	11.15-13.05	-	12.01	3-10	6.60	6.50	..
1998-99	11.40-11.68	11.10-12.25	12.25-12.60	11.86	2-20	7.70	6.30	..
1999-00	-	10.73-11.99	10.77-12.45	11.77	5-19	12.60	7.10	..
2000-01	9.47-10.95	9.88-11.69	10.47-11.70	10.95	2-20	10.60	7.50	..
2001-02	-	6.98-9.81	7.18-11.00	9.44	5-25	14.30	8.20	10.84
2002-03	-	6.65-8.14	6.84-8.62	7.34	7-30	13.80	8.90	10.44
2003-04	4.69	4.62-5.73	5.18-6.35	5.71	4-30	14.94	9.78	9.30
2004-05	5.90	5.53-7.20	4.49-8.24	6.11	5-30	14.13	9.63	8.79
2005-06	-	6.70-7.06	6.91-7.79	7.34	5-30	16.90	9.92	8.75
2006-07	7.69-7.94	7.06-8.29	7.43-8.75	7.89	4-30	14.72	9.97	8.55
2007-08	-	7.55-8.44	7.62-8.64	8.12	6-29	14.90	10.59	8.50

*: एमएसएस के अंतर्गत होनेवाले निर्गमों को छोड़कर; वाइटीएम : परिपक्वता पर प्रतिफल; .. : अनुपलब्ध; - : कोई निर्गम नहीं

सारणी 7.6 : प्राथमिक निर्दिष्ट प्रतिलाभ और प्रचलित द्वितीयक बाजार प्रतिलाभ

(राशि करोड़ रुपयों में / प्रतिलाभ प्रतिशत में)

नीलामी की तारीख	अवशिष्ट परिपक्वता	जुटाई गई कुल राशि	निर्दिष्ट प्रतिलाभ	प्रचलित द्वितीयक बाजार प्रतिलाभ	स्प्रेड (आधार अंक) (4)-(5)	बिड-कवर अनुपात
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल 12, 2007	8.39	6,000	8.16	8.16	0.00	1.88
अप्रैल 12, 2007	29.15	4,000	8.58	8.56	0.02	2.66
अप्रैल 27, 2007	9.71	6,000	8.16	8.11	0.05	2.15
मई 11, 2007	9.92	6,000	8.31	8.28	0.03	1.58
मई 11, 2007	29.06	4,000	8.64	8.58	0.06	2.51
मई 25, 2007	8.26	5,000	8.24	8.16	0.08	3.57
मई 25, 2007	14.96	3,000	8.41	8.37	0.04	2.85
जून 5, 2007	9.86	6,000	8.18	8.15	0.03	2.50
जून 5, 2007	29.00	3,000	8.52	8.48	0.04	2.42
जून 12, 2007	9.84	5,000	8.44	8.38	0.06	3.30
जून 15, 2007	9.83	6,000	8.35	8.29	0.06	4.76
जुलाई 6, 2007	10.00	6,000	7.99	7.96	0.03	3.01
जुलाई 6, 2007	28.91	4,000	8.45	8.39	0.06	2.07
जुलाई 20, 2007	6.11	6,000	7.59	7.54	0.05	2.33
जुलाई 20, 2007	25.10	3,000	8.34	8.33	0.01	3.76
अगस्त 3, 2007	9.93	6,000	7.93	7.88	0.05	3.32
अगस्त 3, 2007	25.06	4,000	8.45	8.93	-0.48	2.45
अगस्त 24, 2007	6.02	5,000	7.87	7.86	0.01	2.90
अगस्त 24, 2007	9.89	2,000	7.91	7.91	0.00	2.93
सितंबर 7, 2007	14.43	4,000	8.16	8.16	0.00	3.84
सितंबर 7, 2007	28.74	3,000	8.41	8.36	0.05	2.89
अक्टूबर 12, 2007	9.73	6,000	7.91	7.89	0.02	2.74
अक्टूबर 12, 2007	24.87	4,000	8.45	8.43	0.02	2.56
अक्टूबर 26, 2007	5.84	4,000	7.74	7.73	0.01	2.94
अक्टूबर 26, 2007	14.54	4,000	8.13	8.12	0.01	3.59
नवंबर 8, 2007	14.26	5,000	8.26	8.19	0.07	1.81
नवंबर 8, 2007	28.57	3,000	8.39	8.38	0.01	3.10
नवंबर 23, 2007	9.62	3,000	7.90	7.89	0.01	2.23
नवंबर 23, 2007	14.47	4,000	8.20	8.18	0.02	3.35
दिसंबर 14, 2007	9.56	5,000	7.92	7.90	0.02	2.12
दिसंबर 14, 2007	28.47	2,000	8.26	8.25	0.01	3.69
जनवरी 11, 2008	9.49	6,000	7.55	7.57	-0.02	2.33
जनवरी 11, 2008	28.40	4,000	7.89	7.87	0.02	3.73
फरवरी 8, 2008	28.32	4,000	7.77	7.76	0.01	2.91
फरवरी 8, 2008	14.01	5,000	7.62	7.61	0.01	2.77

और 2017-18 में 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर जायेगी (सारणी 7.8)। तथापि, प्रक्षेपित जीडीपी के सापेक्ष चुकौती देयताएं ज्यादा समुचित रूप से निर्धारित होंगी।

VII.21 भारी लागत वाले ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में और घट गया। 9 प्रतिशत और उससे अधिक के कूपन वाले बकाया स्टॉक का हिस्सा 31 मार्च 2007 के 36.7 प्रतिशत से गिरकर 31 मार्च 2008 को 30.4 प्रतिशत हो गया। तथापि, ब्याज दरों के बढ़ने को दर्शाते हुए 7.00-8.99 प्रतिशत की ब्याज दर पर संविदागत

सारणी 7.7: केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता की रूपरेखा*

(प्रतिशत)

वर्ष	वर्ष के दौरान जारी			बकाया स्टॉक		
	5 वर्ष से कम	5 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	5 वर्ष से कम	5 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7
1997-98	18	82	0	41	41	18
1998-99	18	68	14	41	42	16
1999-00	0	35	65	37	39	24
2000-01	6	41	53	27	47	26
2001-02	2	24	74	31	36	33
2002-03	0	36	64	26	35	39
2003-04	5	15	80	24	32	44
2004-05	11	11	78	27	30	43
2005-06	0	26	74	26	31	43
2006-07	7	47	46	26	41	33
2007-08	0	57	43	20	44	36

*: बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत निर्गमों को छोड़कर

ऋण के बकाया स्टॉक का हिस्सा 2007-08 में लगभग 52 प्रतिशत था (एक वर्ष पहले 39.5 प्रतिशत) (सारणी 7.9)।

सारणी 7.8: केन्द्र के बकाया बाजार ऋणों का चुकौती कार्यक्रम*

(31 मार्च 2008 को)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राशि
1	2
2008-2009	44,028 #
2009-2010	52,589
2010-2011	66,586
2011-2012	73,581
2012-2013	74,621
2013-2014	80,009
2014-2015	69,018
2015-2016	76,244
2016-2017	1,14,130
2017-2018	1,20,774
2018-2019	42,478
2019-2020	28,000
2020-2021	11,000
2021-2022	55,846
2022-2023	57,465
2023-2024	21,000
2025-2026	16,688
2026-2027	19,389
2027-2028	17,680
2028-2029	11,000
2031-2032	2,687
2032-2033	35,957
2034-2035	29,350
2035-2036	29,000
2036-2037	55,000
कुल	12,04,118 #

*: बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत निर्गमों को छोड़कर

#: कॉल और पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूति से संबंधित 547 करोड़ रुपए छोड़कर

सारणी 7.9: केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक की ब्याज दर की रूपरेखा*

ब्याज दर (प्रतिशत)	बकाया राशि (करोड़ रुपए)		कुल में अंश (प्रतिशत)	
	मार्च 2007 को समाप्त पर	मार्च 2008 की समाप्त पर	मार्च 2007 की समाप्त पर	मार्च 2008 की समाप्त पर
1	2	3	4	5
4.00-4.99	11,000	4,500	1.0	0.4
5.00-5.99	82,818	74,818	7.6	6.2
6.00-6.99	1,63,949	1,29,444	15.1	10.8
7.00-7.99	3,20,540	4,46,540	29.6	37.1
8.00-8.99	1,07,681	1,81,782	9.9	15.1
9.00-9.99	71,424	70,751	6.6	5.8
10.00-10.99	1,01,382	93,067	9.4	7.7
11.00-11.99	1,18,668	1,10,556	10.9	9.2
12.00-12.99	93,184	92,660	8.6	7.7
13.00-14.00	12,700	0	1.2	0.0
कुल	10,83,346	12,04,118#	100	100

*: बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत निर्गमों को छोड़कर
#: कॉल और पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूति से संबंधित 547 करोड़ रुपए छोड़कर

राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किये गये पुनर्पूजीकरण बांडों/विशेष प्रतिभूतियों का परिवर्तन

VII.22 केंद्रीय बजट 2006-07 में व्यापार योग्य, एसएलआर के लिए पात्र केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तन के जरिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किए गए पुनर्पूजीकरण बांडों/विशेष प्रतिभूतियों की समस्त बकाया राशि जो 20,809 करोड़ रुपए थी, को समाप्त करने की घोषणा की गयी थी। जहां 8,708 करोड़ रुपए के लिए परिवर्तन की पहली श्रृंखला 2006-07 में अमल में लायी गई थी वहीं शेष राशि को 2007-08 के दौरान क्रमशः 6,831 करोड़ रुपए और 5,270 करोड़ रुपए की दो श्रृंखलाओं में परिवर्तित किया गया था। इन श्रृंखलाओं में से प्रत्येक में 15.20 और 25 वर्ष की परिपक्वतावाली तीन नई प्रतिभूतियां पहले वाले पुनर्पूजीकरण बांडों के स्थान पर एलएलआर वाले स्तर के साथ जारी की गयी थीं।

2007-08 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियां

VII.23 2007-08 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री और आकस्मिक देयताओं के निपटान के कारण अनुमानित कम वसूलियों के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को घाटे की भरपाई करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को 18 जनवरी 2008 को 11,257 करोड़ रुपए और 28 मार्च 2008 को 9,297 करोड़ रुपए की दो विशेष प्रतिभूतियां जारी कीं जिनकी कुल राशि 20,554 करोड़ रुपए थी।

VII.24 वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान उर्वरक सब्सिडी के लिए घाटा पूरा करने के लिए उर्वरक कंपनियों को दो विशेष प्रतिभूतियां जारी

की गयी थीं। 16-वर्षीय परिपक्वतावाले विशेष बांडों की पहली श्रृंखला 7 दिसंबर 2007 को 3,890 करोड़ रुपए के लिए 22 उर्वरक कंपनियों को जारी की गयी थी। 18-वर्षीय परिपक्वतावाले विशेष बांडों की दूसरी श्रृंखला 18 फरवरी 2008 को 3,610 करोड़ रुपए के लिए 23 उर्वरक कंपनियों को जारी की गयी थी। इस प्रकार, 2007-08 के दौरान उर्वरक कंपनियों को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियों के कुल निर्गम कुल मिलाकर 7,500 करोड़ रुपए के थे।

VII.25 केंद्र सरकार ने इक्विटी शेयरों के एसबीआई के राइट इश्यू के लिए अभिदान के रूप में 27 मार्च 2008 को भारतीय स्टेट बैंक को 9,996 करोड़ रुपए के लिए 16-वर्षीय परिपक्वतावाली विशेष प्रतिभूतियां भी जारी कीं। इस प्रकार, विभिन्न संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां कुल मिलाकर 2006-07 के 40,321 करोड़ रुपए की तुलना में 2007-08 में 38,050 करोड़ रहीं।

2008-09 के दौरान बाजार उधार

VII.26 2008-09 के लिए केंद्र सरकार का बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियों और 364-दिवसीय खजाना बिलों सहित) 1,75,780 करोड़ रुपए (99,000 करोड़ रुपए निवल) होने का बजट अनुमान लगाया गया, जो कि 2007-08 में जुटाई गयी वास्तविक राशि की तुलना में कम था। 24 मार्च 2008 को 2008-09 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों हेतु निर्गम कैलेण्डर केंद्र सरकार के परामर्श से जारी किया गया था। तदनुसार, पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान जुटाये गये 97,000 करोड़ रुपए की तुलना में 96,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाना तय किया गया है। मासिक रूप से जुटाई जानेवाली राशि 8,000 करोड़ रुपए (सितंबर 2008) से 20,000 करोड़ रुपए (अप्रैल-मई 2008) के बीच बदलती है (सारणी 7.10)। जबकि 2008-09 की पहली छमाही के दौरान जुटाई जानेवाली प्रतिभूतियों का 36 प्रतिशत 10 से 14 वर्ष के बीच की अवधि का होगा और प्रतिभूतियों का 32 प्रतिशत 20-वर्ष और उससे अधिक की अवधि का होगा।

VII.27 2008-09 के दौरान अब तक (14 अगस्त 2008 तक) बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से 82,000 करोड़ रुपए जुटाये हैं। अनिश्चित बाजार स्थितियों को देखते हुए 24 जुलाई 2008 को हुई नीलामी के सिवाय जहां उच्च परिपक्वता वाली प्रतिभूति के स्थान पर 10-वर्षीय बेंचमार्क वाली प्रतिभूति जारी की गयी थी, ये उधार संकेतक कैलेण्डर के अनुसार जुटाये गये थे। 24 जुलाई 2008 और 8 अगस्त 2008 को हुई नीलामियां एक समान मूल्य पद्धति पर आधारित थीं। 10-वर्षीय परिपक्वता के एक नए निर्गम

सारणी 7.10: सांकेतिक कैलेंडर और केंद्र सरकार के वास्तविक उधार - 2008-09

(राशि करोड़ रुपए में/परिपक्वता वर्ष में/प्रतिशत प्रतिशत में)

क्रम	नीलामी कैलेंडर के अनुसार उधार राशियां			वास्तविक उधार			
	संख्या	नीलामी की अवधि	राशि	अवशिष्ट परिपक्वता	नीलामी की तारीख	राशि	अवशिष्ट परिपक्वता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अप्रैल 4 - 11, 2008	6,000	5-9 वर्ष	अप्रैल 11, 2008	6,000	7.38	8.14
		4,000	20- वर्ष और अधिक		4,000	24.37	8.67
2.	अप्रैल 18 - 25, 2008	6,000	10-14 वर्ष	अप्रैल 21, 2008	6,000	10.00	8.24
		4,000	20- वर्ष और अधिक		4,000	28.13	8.77
3.	मई 2-9, 2008	6,000	5-9 वर्ष	मई 9, 2008	6,000	7.92	7.96
		4,000	20-वर्ष और अधिक		4,000	24.29	8.35
4.	मई 16-23, 2008	6,000	10-14 वर्ष	मई 23, 2008	6,000	9.91	8.07
		4,000	20-वर्ष और अधिक		4,000	23.72	8.52
5.	मई 30- June 6, 2008	6,000	10-14 वर्ष	जून 6, 2008	6,000	9.87	8.26
		4,000	20 वर्ष और अधिक		4,000	24.22	8.72
6.	जून 13 - 20, 2008	6,000	15-19 वर्ष प्रतिभूति	जून 20, 2008	6,000	18.64	9.25
7.	जुलाई 4-11, 2008	6,000	10-14 वर्ष	जुलाई 4, 2008	6,000	9.79	9.13
		4,000	20 वर्ष और अधिक		4,000	23.61	10.03
8.	जुलाई 18-25, 2008	6,000	15-19 वर्ष	जुलाई 24, 2008	6,000	9.74	9.08
9.	अगस्त 1-8, 2008	6,000	10-14 वर्ष	अगस्त 8, 2008	6,000	9.70	9.14
		4,000	20 वर्ष और अधिक		4,000	24.06	9.88
10.	अगस्त 14-22, 2008	6,000	15-19 वर्ष				
11.	सितंबर 5-12, 2008	5,000	10-14 वर्ष				
		3,000	20-वर्ष और अधिक				
	कुल	96,000			82,000		

को छोड़कर 2008-09 के दौरान (14 अगस्त 2008 तक) सभी नीलामियों मौजूदा प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम थे (परिशिष्ट सारणी 60)। 2008-09 के दौरान (14 अगस्त 2008 तक) जारी की गयी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत परिपक्वता 15.21 वर्ष थी जो कि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान 14.32 वर्ष की परिपक्वता से अधिक थी। उसी अवधि के दौरान जारी की गयी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत परिपक्वता 8.24 प्रतिशत से बढ़कर 8.72 प्रतिशत हो गयी।

राज्य सरकारें

अर्थोपाय अग्रिम

VII.28 राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के संबंध में परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष श्री एम.पी. बेजबरुआ) की सिफारिशों के अनुसरण में 2006-07 से लागू की गयी राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की संशोधित योजना 2007-08 के लिए भी जारी रही। 2007-08 के लिए राज्य सरकारों हेतु सकल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 9,875 करोड़ रुपए पर रखी गयी थी। इसके अलावा, पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को अपना सामान्य बैंकिंग कारोबार करने तथा रुपया लोक ऋण का प्रबंध करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 21क के अंतर्गत रिजर्व बैंक ने पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के साथ एक करार किया जो

17 दिसंबर 2007 से लागू हुआ जिसके अनुसार इसकी सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 50 करोड़ रुपए निर्धारित की गयी थी। तदनुसार, 2007-08 के लिए सभी राज्यों (पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश सहित)की सकल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 9,925 करोड़ रुपए पर थी। सामान्य/विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दरें रिपो दर से जोड़ दी गयी थीं। इसके अलावा, समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) निर्मित करने के लिए राज्य सरकारों को एक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से इन निधियों में किये जानेवाले निवल वृद्धिशील वार्षिक निवेश को सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा के बराबर की उच्चतम सीमा तक विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने के लिए पात्र बनाया गया था।

VII.29 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का औसत उपयोग वर्ष की पहली छमाही के दौरान अधिक था किन्तु दूसरी छमाही में, विशेषकर अंतिम तिमाही में यह कम हो गया। वर्ष 2007-08 के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम का औसत उपयोग मार्च 2008 को छोड़कर पूरे वर्ष के दौरान 2006-07 की तुलना में काफी अधिक रहा। पहली छमाही के दौरान ओवरड्राफ्टों का औसत उपयोग अधिक था लेकिन वर्ष के अंत तक आते-आते कम होता गया। फरवरी और मार्च 2008 के महीनों में कोई ओवरड्राफ्ट नहीं था (सारणी 7.11)।

लोक ऋण प्रबंध

सारणी 7.11: राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट*

(करोड़ रूपए)

माह	विशेष अर्थोपाय अग्रिम			सामान्य अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट			कुल		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अप्रैल	25	235	489	723	114	287	37	15	139	785	364	916
मई	6	437	310	162	654	3	0	461	0	169	1552	313
जून	1	204	9	3	222	0	0	10	0	4	436	9
जुलाई	5	389	25	56	310	0	0	3	0	61	702	25
अगस्त	10	307		145	476		10	281		164	1064	
सितंबर	10	961		223	601		2	225		235	1787	
अक्टूबर	9	254		189	184		22	128		220	566	
नवंबर	10	279		268	351		48	127		327	757	
दिसंबर	22	161		246	103		122	13		390	277	
जनवरी	43	72		297	81		75	34		415	187	
फरवरी	39	72		121	8		5	0		165	80	
मार्च	35	5		4	1		2	0		41	6	
औसत	18	281	365	203	259	73	27	108	46	248	648	316

*: दैनिक बकायों का औसत

VII.30 2007-08 के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान क्रमशः आठ राज्यों और दो राज्यों की तुलना में, आठ राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम का मार्ग अपनाया जबकि तीन राज्यों ने ओवरड्राफ्ट लिया। उन दिनों की संख्या, जिनके दौरान राज्य अर्थोपाय अग्रिम में

रहे, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के लिए पिछले वर्ष के ऐसे दिनों की तुलना में कम थी जबकि पंजाब, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और नागालैण्ड के लिए यह अधिक थी (सारणी 7.12)।

सारणी 7.12: अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश-वार उपयोग

(करोड़ रूपए)

क्रम संख्या	राज्य	अर्थोपाय अग्रिम		ओवरड्राफ्ट			
		2006-07	2007-08	2006-07		2007-08	
		दिनों की संख्या	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या *	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या	दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
2	बिहार	0	0	0	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
4	गोवा	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
7	झारखंड	29	0	0	0	0	0
8	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
9	केरल	223	184	9	63	9	51
10	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
11	महाराष्ट्र	42	0	0	0	0	0
12	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0
13	पंजाब	0	19	0	0	0	0
14	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
15	तामिलनाडु	0	0	0	0	0	0
16	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
17	पश्चिम बंगाल	0	142	0	0	6	65
18	पुदुचेरी	-	0	-	-	0	0
विशेष श्रेणी के राज्य							
1	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0	0	0	0
2	असम	0	0	0	0	0	0
3	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	0	0
4	मणिपुर	0	3	0	0	0	0
5	मेघालय	0	0	0	0	0	0
6	मिजोरम	1	4	0	0	0	0
7	नागालैण्ड	28	30	2	16	1	3
8	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
9	उत्तराखंड	63	5	0	0	0	0

*: वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट लेने की नई घटनाओं को दर्शाता है।

- : लागू नहीं

VII.31 समिति (अध्यक्ष : श्री एम.पी. बेजबरुआ) की सिफारिशों के आधार पर 2008-09 के लिए राज्यवार सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की वर्ष के अंत में समीक्षा की गयी थी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि 2008-09 के लिए 9,925 करोड़ रुपये की वर्तमान राज्यवार सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं (पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश हेतु 50 करोड़ रुपये की सीमा सहित) बनाए रखी जाएं (सारणी 7.13)। 2008-09 के दौरान (14 अगस्त 2008 तक) चार राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम लिया उनमें से तीन राज्यों ने 4 से 14 दिन की अवधि के लिए ओवरड्राफ्ट भी लिया। अप्रैल 2008 के महीने में अर्थोपाय

अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग अधिक था, तथापि, जून और जुलाई 2008 में किसी भी राज्य द्वारा सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट न लेने के कारण बाद में यह क्रमिक रूप से तेजी से कम होता चला गया। 2008-09 के दौरान (14 अगस्त 2008 तक) अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का औसत दैनिक उपयोग पिछले वर्ष की तदनुसूचित अवधि के 769 करोड़ रुपये की तुलना में 313 करोड़ रुपये था।

VII.32 कम संग्रहों के कारण एनएसएसएफ निधियों के स्वचालित अंतर्वाह में काफी कमी के बावजूद अधिकांश राज्य सरकारों ने काफी

सारणी 7.13: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं

(करोड़ रुपये)

राज्य	(1 अप्रैल 2004 से प्रभावी)	(1 अप्रैल 2005 से प्रभावी)	(1 अप्रैल 2006 से प्रभावी)	(1 अप्रैल 2007 से प्रभावी)	(1 अप्रैल 2008 से प्रभावी)
1	2	3	4	5	6
विशेषतर श्रेणी के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश					
आंध्र प्रदेश	700	770	880	880	880
बिहार	340	380	425	425	425
छत्तीसगढ़	155	175	190	190	190
गोवा	65	65	65	65	65
गुजरात	520	575	630	630	630
झारखंड	175	225	280	280	280
हरियाणा	245	280	295	295	295
कर्नाटक	505	570	625	625	625
केरल	315	345	350	350	350
मध्य प्रदेश	395	420	460	460	460
महाराष्ट्र	1,000	1,050	1,160	1,160	1,160
उड़ीसा	250	270	300	300	300
पंजाब	325	360	360	360	360
राजस्थान	405	440	505	505	505
तामिलनाडु	615	670	730	730	730
उत्तर प्रदेश	835	920	1,020	1,020	1,020
पश्चिम बंगाल	480	495	545	545	545
पुदुचेरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	50#	50
उप जोड़	7,325	8,010	8,820	8,870	8,870
विशेष श्रेणी के राज्य					
अरुणाचल प्रदेश	50	50	65	65	65
असम	250	295	300	300	300
हिमाचल प्रदेश	140	145	190	190	190
मणिपुर	50	55	60	60	60
मेघालय	50	55	60	60	60
मिजोरम	50	50	55	55	55
नागालैंड	60	65	80	80	80
त्रिपुरा	70	80	100	100	100
उत्तराखंड	95	130	145	145	145
उप जोड़	815	925	1,055	1,055	1,055
कुल जोड़	8,140	8,935	9,875	9,925	9,925
कें. शा. प्र.: केंद्र शासित प्रदेश		#: 17 दिसंबर 2007 से प्रभावी			

नकद अधिशेष इकट्ठे कर लिए जो राज्यस्तरीय राजकोषीय समेकन उपायों और विवेकाधीन बाजार उधारों में भारी वृद्धि को दर्शाता है। राज्य सरकारों के अधिशेष नकद शेष अपने आप ही 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों (आइटीबी) में 5 प्रतिशत की बढ़ा दर पर निवेशित हो जाते हैं। अपेक्षाकृत अधिक प्रतिलाभों की खोज में राज्य सरकारों ने नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में निवेश करने का मार्ग अपनाया। परिणामस्वरूप, 2007-08 के दौरान मध्यवर्ती खजाना बिलों में राज्य सरकारों द्वारा किया जाने वाला मासिक औसत निवेश पिछले वर्ष के 42,988 करोड़ रुपए से 8 प्रतिशत गिरकर 39,654 करोड़ रुपए हो गया। इसके अनुसार नीलामी खजाना बिलों में राज्य सरकारों द्वारा किया जानेवाला मासिक औसत निवेश पिछले वर्ष के 20,920 करोड़ रुपए से 64.4 प्रतिशत बढ़कर 34,393 करोड़ रुपए पर पहुंच गया (सारणी 7.14)। तथापि, वर्षांत के अपने व्ययों को पूरा करने की प्रत्याशा में ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों की प्राथमिकता एटीबी से बदलकर आइटीबी पर चली गई है और उन्होंने बाजार उधारों से प्राप्त आगम को भी आइटीबी में अस्थायी तौर पर निवेश कर दिया है। परिणामस्वरूप, राज्यों द्वारा आइटीबी में किये गये बकाया निवेश 2007 के मार्च के अंत के 39,217 करोड़ रुपए (22 राज्य) की तुलना में मार्च 2008 के अंत में 68,129 करोड़ रुपए (26 राज्य) पर अधिक था। मार्च 2008 के अंत में एटीबी में राज्य सरकारों के बकाया निवेश 29,486 करोड़ रुपए थे जो कि मार्च 2007 के अंत के 34,186 करोड़ रुपए की तुलना में कम थे।

VII.33 अधिकांश राज्यों की चलनिधि स्थिति 2008-09 के दौरान अब तक सामान्यतः सुगम बनी रही है। 2008-09 की पहली छमाही के दौरान (14 अगस्त 2008 तक) खजाना बिलों (आइटीबी और एटीबी दोनों) में राज्य सरकारों द्वारा किया जानेवाला औसत निवेश पिछले वर्ष की तदनु रूप तिमाही की तुलना में ऊंचा था। 14 अगस्त 2008 को खजाना बिलों में राज्य सरकारों के बकाया निवेश 84,905 करोड़ रुपए थे जो 14 अगस्त 2007 के 78,238 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक थे।

VII.34 राज्य सरकारों की समेकित ऋण शोधन निधियां (सीएसएफ) और गारंटी मोचन निधियां केवल रिजर्व बैंक की खाता बहियों में 2007-08 तक रखी गयी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गयी थीं। राज्यों के निवेश संविभाग की मात्रा में तेज वृद्धि और रिजर्व बैंक के पास प्रतिभूतियों के एक निश्चित स्टॉक को दृष्टिगत रखते हुए, बैंक ने राज्य सरकारों की ओर से 2008-09 में अब तक (31 जुलाई 2008 तक) द्वितीयक बाजार से 2,073 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदीं और इन प्रतिभूतियों को राज्य सरकार द्वारा गठित समेकित ऋण शोधन निधि में बिना कोई अतिरिक्त प्रभार लगाए अंतरित कर दिया (बॉक्स VII.2)।

सारणी 7.14: राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेश के निवेश*

(करोड़ रुपये)

माह	14 दिवसीय खजाना बिलों में निवेश			नीलामी खजाना बिलों में निवेश			कुल		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	32,538	31,160	48,192	14,247	34,496	31,780	46,785	65,656	79,972
मई	34,559	31,359	48,280	17,542	32,612	32,244	52,101	63,971	80,525
जून	40,680	44,430	42,865	19,262	32,500	40,285	59,941	76,930	83,150
जुलाई	47,089	35,938	46,742	16,626	39,557	38,802	63,715	75,495	85,543
अगस्त	47,538	36,458		17,249	42,477		64,787	78,935	
सितंबर	47,858	34,282		18,762	39,201		66,620	73,483	
अक्टूबर	38,470	32,052		21,529	35,195		59,999	67,246	
नवंबर	41,694	30,556		21,656	33,872		63,350	64,427	
दिसंबर	43,879	38,042		25,106	31,565		68,985	69,607	
जनवरी	42,860	45,029		25,591	29,661		68,451	74,690	
फरवरी	48,054	50,633		24,554	32,403		72,608	83,036	
मार्च	50,632	65,910		28,920	29,181		79,552	95,091	
औसत	42,988	39,654	46,520	20,920	34,393	35,778	63,908	74,047	82,298

* : शुक्रवार के बकायों का औसत।

बॉक्स VII.2

रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के निवेश संविभाग का प्रबंध

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)

दसवें वित्त आयोग (1995) की सिफारिशों और उसके बाद राज्य सरकारों के साथ चर्चा के अनुसरण में रिजर्व बैंक ने जून 1999 में राज्य सरकारों के लिए सीएसएफ की योजना परिचालित की। राज्य सरकारों द्वारा सीएसएफ गठित करने का उद्देश्य यह था कि उन्हें खुले बाजार ऋणों की चुकौती करने के लिए एक कुशन मिले। इस योजना के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष पिछले वर्ष के अंत में बकाया खुला बाजार ऋणों की एक से तीन प्रतिशत तक की राशि का अभिदान एक संतुलित मात्रा में किया जाना अनिवार्य था। राज्य सरकार द्वारा योजना की अधिसूचना जारी करने की तारीख से 5 वर्ष से पहले आहरण करने की अनुमति नहीं थी। रिजर्व बैंक द्वारा सीएसएफ में निवेश सरकारी प्रतिभूतियों के अपने निवेश से प्रारंभ किये गये थे। यह योजना बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी, नवंबर 2004), राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम संबंधी परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष: श्री एम.पी.बेजबरुआ) (अक्टूबर 2005) और राज्यों द्वारा लिये जानेवाले उधारों के संबंध में गठित तकनीकी दल (अध्यक्ष: श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) (दिसंबर 2005) की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित की गयी थी। इन संशोधनों में शामिल था - (i) सभी देयताओं के परिशोधन को कवर करने के लिए सीएसएफ का दायरा बढ़ाना (पहले की तरह सिर्फ खुला बाजार उधार नहीं), (ii) राज्यों द्वारा सीएसएफ में अपने निवल वृद्धिशील वार्षिक निवेश के बराबर विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने की पात्रता, (iii) राज्यों द्वारा बकाया देयताओं के कम से कम 0.5 प्रतिशत का अंशदान करना और (iv) रिजर्व बैंक द्वारा द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियां अर्जित करने के लिए प्रावधान। यह संशोधित योजना राज्यों सरकारों को मई 2006 में रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित की गयी थी। 13 अगस्त 2008 के स्थिति के अनुसार 18 राज्यों ने इस सीएसएफ योजना की अधिसूचना जारी की जिसमें से 14 राज्यों ने संशोधित सीएसएफ योजना अधिसूचित की। 18 राज्यों सरकारों द्वारा सीएसएफ में किया जाने वाला सकल बकाया निवेश 31 जुलाई 2004 के 3,015 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 जुलाई 2008 को 20,966 करोड़ रुपए हो गया।

गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ)

राज्य सरकार द्वारा जारी की जानेवाली गारंटियों की उनकी सभी पहलुओं से जांच करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित राज्य सरकार उधारों संबंधी तकनीकी समिति (1999) की सिफारिशों के अनुसार रिजर्व बैंक ने अगस्त 2001 में राज्य सरकारों को गारंटी मोचन निधि की योजना परिचालित की। जीआरएफ में निवेश भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के अपने स्टॉक से प्रारंभ किये थे। जीआरएफ की स्थापना करने का उद्देश्य था कि राज्यस्तरीय उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा जारी किये गये बांडों और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी की गयी गारंटियों को लागू करने से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए एक कुशन प्रदान किया जाए। इस योजना के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा लागू की गयी बकाया गारंटी को कम से कम 1/5 वें हिस्से के बराबर की राशि और वर्ष के दौरान जारी की गयी वृद्धिशील गारंटियों के परिणामस्वरूप लागू की जानेवाली संभावित

राशि का अंशदान किये जाने की अपेक्षा की गई थी ताकि आगामी पांच वर्षों में बकाया गारंटी को लागू करने की संभावना के परिणामस्वरूप सरकार पर न्यागत (डिबॉल्व) होनेवाली प्रत्याशित गारंटियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्तर तक पहुंचा जा सके। यह योजना बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी), राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम संबंधी परामर्शदात्री समिति और राज्यों द्वारा लिये जानेवाले उधारों के संबंध में गठित तकनीकी दल की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित की गयी थी। इन संशोधनों में शामिल था - जीआरएफ में अपने निवल वृद्धिशील वार्षिक निवेश के बराबर विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने की राज्यों की पात्रता और रिजर्व बैंक द्वारा द्वितीयक बाजार से प्रतिभूतियां अर्जित करने के लिए प्रावधान। यह संशोधित योजना राज्य सरकारों को मई 2006 में रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित की गयी थी। 13 अगस्त 2008 की स्थिति के अनुसार 8 राज्यों ने इस जीआरएफ योजना की अधिसूचना जारी की जिसमें से 3 राज्यों ने संशोधित जीआरएफ योजना अधिसूचित की। 8 राज्यों सरकारों द्वारा जीआरएफ में किया जाने वाला सकल बकाया निवेश 31 जुलाई 2004 के 556 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 जुलाई 2008 को 2,869 करोड़ रुपए हो गया।

आपदा राहत निधि (सीआरएफ)

बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के बीच सीआरएफ योजना परिचालित की थी। इस योजना में प्राकृतिक आपदा राहत सहायता का वित्तपोषण करने के प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य द्वारा एक आपदा राहत निधि का गठन किया जाना शामिल था। 2005 से 2010 तक की परिचालन अवधि के लिए बारहवें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि की राशि केंद्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में अनुदान के साथ 21,333 करोड़ रुपए की कुल राशि परिकल्पित की थी। यह योजना बाद में संशोधित की गयी और जून 2006 में परिचालित की गयी जिसमें राज्यों को यह विवेकाधिकार दिया गया था कि यदि वे चाहें तो रिजर्व बैंक को निधि प्रबंधक के रूप में चुन सकते हैं। आपदा राहत निधि योजना के अंतर्गत किये जानेवाले निवेश विशेष अर्थोपाय अग्रिम सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं। राज्यों द्वारा अभी भी निधि प्रबंधक के रूप में इस आपदा राहत निधि योजना की अधिसूचना जारी की जानी है।

विशेष आरक्षित निधि (एसआरएफ)

बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को बैंक-टु-बैंक आधार पर बाह्य सहायता उन्हीं शर्तों पर अंतरित की जाए, जिन शर्तों पर बाह्य निधीयन एजेंसियों द्वारा ऐसी सहायता दी जाती है। यह सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों द्वारा लिये जानेवाले उधारों से संबंधित तकनीकी दल (अध्यक्ष: श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) (दिसंबर 2005) ने सिफारिश की थी कि विनिमय दरों की जोखिमों का प्रबंध करने के लिए एक अलग ऋण मोचन निधि की स्थापना की जाए जिसका निधीयन अनुकूल समय में बाह्य उधारों पर कम दर पर ब्याज की अदायगी से होनेवाली बचतों से किया जा सकेगा। इस निधि के गठन के तौर तरीकों पर राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन में चर्चा की गयी थी।

बाजार उधार

VII.35 वर्ष 2007-08 के लिए राज्य सरकारों हेतु बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत अर्न्तम निवल आबंटन 28,781 करोड़ रुपए रखा गया था। 11,555 करोड़ रुपए की चुकौतियों और 40,234 करोड़ रुपए

के अतिरिक्त आबंटन (जिसमें से 35,780 करोड़ रुपए एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रह में कमी के कारण) को हिसाब में लेते हुए 2007-08 में सकल आबंटन 80,570 करोड़ रुपए रहा। राज्य सरकारों ने पिछले वर्ष के 20,825 करोड़ रुपए की तुलना में 2007-08 में 67,779 करोड़

रुपए की सकल राशि जुटाई (सारणी 7.15 और परिशिष्ट सारणी 61)। संपूर्ण सकल राशि पिछले वर्ष की भांति ही 2007-08 में नीलामी मार्ग के माध्यम से जुटाई गयी थी। 2007-08 के दौरान बाजार उधार कार्यक्रम में 4 राज्यों (छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा और त्रिपुरा) ने भाग नहीं लिया जब कि 11 राज्य उन्हें आबंटित समस्त राशि नहीं जुटा सके।

VII.36 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रमों के अंतर्गत नीलामियों की 18 श्रृंखलाएं आयोजित की गयी थीं जब कि पिछले वर्ष में नीलामियों की 12 श्रृंखलाएं आयोजित की गयी थीं। 2007-08 के दौरान सभी निर्गमों की परिपक्वता 10-वर्षीय थी। राज्य सरकारों ने 2007-08 के सभी महीनों में बाजार ऋण जुटाए (सारणी 7.16 और परिशिष्ट सारणी 62)।

VII.37 2007-08 के दौरान जहां 2 राज्य सरकारें 9 बार बाजार में उतरीं, वहीं 2 अन्य राज्य सरकारें केवल एक अवसर पर बाजार में उतरीं। कुल मिलाकर 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा 120 नयी प्रतिभूतियां जारी की गयीं, जब कि 2006-07 में 72 प्रतिभूतियां जारी की गयी थीं (सारणी 7.17)। निर्गमों का औसत आकार पिछले

सारणी 7.15: राज्य सरकारों के वार्षिक बाजार उधार

(करोड़ रुपए)

मद	2006-07	2007-08#	2008-09
1	2	3	4
1. निवल आबंटन राशि	17,242	28,781	44,692 अ
2. अतिरिक्त आबंटन	2,803	4,454	45 अ
3. एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रह में कमी के कारण अतिरिक्त आबंटन	-	35,780	-
4. कुल निवल आबंटन (1+2+3)	20,045	69,015	44,737 अ
5. चुकौतियां	6,551	11,555 *	14,371
			(5,130) @
6. सकल आबंटन (4+5)	26,597	80,570	59,108 अ
7. जुटाई गई कुल राशि	20,825	67,779	10,812 @
8. जुटाई गई निवल राशि (7-5)	14,274	56,068	5,682 @
9. बकाया राज्य विकास ऋण (अंत-अवधि)	2,42,777	2,98,845	-

अ : अनंतिम
 * : उड़ीसा सरकार द्वारा की गई रुपए 156 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों की वापसी खरीद को छोड़कर।
 # : पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश सहित।
 @: 14 अगस्त 2008 तक

वर्ष के 289 करोड़ रुपए की तुलना में 2007-08 के दौरान 565 करोड़ रुपए था।

VII.38 राज्य सरकारों के लिए बाजार उधारों की भारित औसत लागत 2003-04 के 6.13 प्रतिशत से काफी बढ़कर 2007-08 में 8.25 प्रतिशत हो गयी, जो ब्याज दरों में सामान्य बढ़ोतरी को दर्शाता है। 2007-08 के दौरान भारित औसत प्रतिलाभ 2006-07 के 47 आधार अंकों की तुलना में 15 आधार अंक बढ़े (परिशिष्ट सारणी 63)। 2007-08 के दौरान राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी में कट-ऑफ प्रतिलाभ 7.84 प्रतिशत और 8.90 प्रतिशत के बीच रहे (सारणी 7.18)।

सारणी 7.16: राज्य सरकारों के माहवार बाजार उधार

क्रम संख्या	माह	नीलामी के माध्यम से जुटाई गई		केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की तुलना में अंतर (आधार अंक)	
		राज्यों/ कें.शा.प्र. की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)		कट-ऑफ प्रतिलाभ (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
2007-08					
1.	अप्रैल	5	1,837	8.30	22
2.	मई	1	350	8.34	23
3.	मई	2	1,400	8.40	28
4.	जून	9	3,566	8.45-8.57	23-35
5.	जुलाई	5	1,389	8.00-8.25	19-44
6.	अगस्त	8	3,484	8.30-8.90	30-90
7.	सितंबर	8	3,074	8.14-8.50	32-68
8.	अक्टूबर	1	590	8.20	29
9.	अक्टूबर	4	4,672	8.31-8.40	37-46
10.	नवंबर	6	5,300	8.39-8.69	51-81
11.	नवंबर	6	5,212	8.45-8.50	55-60
12.	दिसंबर	11	2,963	8.39-8.58	50-69
13.	जनवरी	6	5,833	8.03-8.12	33-42
14.	जनवरी	12	7,778	7.84-7.98	46-60
15.	फरवरी	13	7,776	7.93-8.02	39-48
16.	फरवरी	7	4,975	8.12-8.48	47-83
17.	मार्च	4	4,349	8.28-8.45	63-80
18.	मार्च	12	3,229	8.35-8.70	54-89
	कुल		67,779	7.84-8.90	19-90
2008-09					
1.	अप्रैल	4	2,648	8.50-8.60	35-45
2.	मई	5	3,264	8.39-8.68	30-59
3.	जून	3	2,300	9.38-9.59	77-98
4.	जुलाई	1	500	9.81	49
5.	जुलाई	3	2,100	9.86-9.90	48-52

कें.शा.प्र. : केंद्र शासित प्रदेश

सारणी 7.17: 2007-08 के दौरान नीलामियों की श्रृंखलाओं का बारंबारता वितरण

बाजार / निर्गम श्रृंखला में कितनी बार भाग लिया	राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या	जारी की गई प्रतिभूतियों की संख्या
1	2	3
1	2	2
2	4	8
3	2	6
4	7	28
6	3	18
8	5	40
9	2	18
कुल	25	120
कें.शा.प्र. : केंद्र शासित प्रदेश		

VII.39 2004-05 से 2007-08 की अवधि के दौरान उधारों की लागत में वृद्धि उत्तराखंड के संबंध में सबसे अधिक (202 आधार अंक) रही, जबकि सिक्किम के लिए यह सबसे कम (107 आधार अंक) थी। 2007-08 के दौरान न्यूनतम और उच्चतम भारत औसत प्रतिलाभ के बीच स्प्रेड 2006-07 के 45 आधार अंक से बढ़कर 64 आधार अंक हो गया; तथापि, यह स्प्रेड 2004-05 के 87 आधार अंक से कम था (परिशिष्ट सारणी 63)।

VII.40 नीलामियों में राज्य सरकार के कट-ऑफ प्रतिलाभ और तुलनीय परिपक्वतावाली केंद्र सरकार की प्रतिभूति के द्वितीयक बाजार प्रतिलाभ के बीच का स्प्रेड 2007-08 के दौरान जारी की गयी (120 में से) 49 प्रतिभूतियों के लिए 50 आधार अंक से ऊपर था (परिशिष्ट सारणी 62); 2006-07 के दौरान जारी की गयी (72 प्रतिभूतियों में से) केवल दो प्रतिभूतियों के लिए यह स्प्रेड 50 आधार अंक से अधिक था। पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश और 7 राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड तथा

सारणी 7.18 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ

वर्ष	दायरा	(प्रतिशत वार्षिक) भारत औसत
1	2	3
1997-98	12.30-13.05	12.82
1998-99	12.15-12.50	12.35
1999-00	11.00-12.25	11.89
2000-01	10.50-12.00	10.99
2001-02	7.80-10.53	9.20
2002-03	6.60-8.00	7.49
2003-04	5.78-6.40	6.13
2004-05	5.60-7.36	6.45
2005-06	7.32-7.85	7.63
2006-07	7.65-8.66	8.10
2007-08	7.84-8.90	8.25

जम्मू और कश्मीर के लिए यह भारत औसत स्प्रेड 50 आधार अंक से अधिक था (सारणी 7.19)। मौजूदा बाजार स्थितियों के कारण ब्याज दरों के बढ़ने और मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा भारी उधारों के फलस्वरूप 2007-08 में स्प्रेड बढ़े।

VII.41 2007-08 में उधारों की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप 8.00-8.99 प्रतिशत की ब्याज दर सीमावाले बकाया ऋणों का हिस्सा मार्च 2007 के अंत की तुलना में मार्च 2008 के अंत में तेजी से बढ़ा। अन्य ब्याज दर श्रेणियों वाली बकाया प्रतिभूतियों के हिस्से में काफी गिरावट आयी (सारणी 7.20)।

VII.42 मार्च 2008 के अंत में राज्य सरकारों के कुल बकाया ऋण का दो-तिहाई हिस्सा 6-10 वर्ष की परिपक्वता कालखंड में था, जो मार्च 2007 के अंत के 67.1 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से कम था। 6-10 वर्ष के परिपक्वता कालखंड वाले ऋणों का हिस्सा 47.4 प्रतिशत (उड़ीसा) और 100.0 प्रतिशत (पुदुचेरी) के बीच था (सारणी 7.21)।

सारणी 7.19: वर्ष 2007-08 के दौरान भारत औसत अंतर (स्प्रेड)

भारत औसत अंतर (आधार अंक)	सामान्य श्रेणी के राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	विशेष श्रेणी के राज्य
1	2	3
31- 40	मध्य प्रदेश और राजस्थान	नागालैण्ड
41 - 50	केरल, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल	असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम
51 - 60	आंध्र प्रदेश, गोवा, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक	उत्तराखंड
60 से अधिक	-	जम्मू और कश्मीर

सारणी 7.20 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक की ब्याज-दर रूपरेखा

क्र.सं.	ब्याज दर का दायरा (प्रतिशत)	बकाया राशि (करोड़ रूपए)		कुल राशि की तुलना में प्रतिशत	
		मार्च 2007 के अंत में	मार्च 2008 के अंत में	मार्च 2007 के अंत में	मार्च 2008 के अंत में
1		2	3	4	5
1.	5.00-5.99	33,825	33,825	13.9	11.3
2.	6.00-6.99	58,564	58,564	24.1	19.6
3.	7.00-7.99	59,638	69,936	24.6	23.4
4.	8.00-8.99	18,791	76,272	7.7	25.5
5.	9.00-9.99	5,412	5,412	2.2	1.8
6.	10.00-10.99	14,468	14,418	6.0	4.8
7.	11.00-11.99	16,934	16,869	7.0	5.6
8.	12.00-12.99	25,959	23,550	10.7	7.9
9.	13.00-13.99	9,186	0	3.8	0.0
	कुल	2,42,777	2,98,845	100	100

VII.43 ऋण अदला-बदली योजना के अंतर्गत 2002-03 और 2004-05 के बीच भारी मात्रा में लिए गये उधारों के कारण 2012-13 से बाजार उधारों की परिपक्वता रूपरेखा भारी चुकौती देयताएं दर्शाती है। एनएसएसएफ संग्रहणों की कमी को पूरा करने के लिए 2007-08 के दौरान भारी मात्रा में जुटाए गये उधारों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में चुकौती देयताएं दुगने से ज्यादा हो जाएंगी (सारणी 7.22)।

राज्य सरकारों के बाजार उधारों हेतु सांकेतिक कैलेण्डर

VII.44 2006-07 के लिए रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव किया गया था कि “राज्यों को उनके विवेक और पहल पर एक अग्रिम सांकेतिक खुला बाजार उधार कैलेण्डर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा”। राज्य वित्त सचिवों के 18वें और 19वें सम्मेलनों में लिए गये निर्णय के आधार पर 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों से अवधिवार उधार आवश्यकताएं प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। क्रमिक रूप में राज्य सरकारों के बाजार उधारों में अधिकाधिक पारदर्शिता लाने की दिशा में कदम उठाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 12 सितंबर 2007 को ‘राज्य सरकारों के बाजार उधार’ पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें निवल आबंटन, परिपक्वताएं, तब तक जुटाई गयी राशि और वह राशि जो 2007-08 की शेष अवधि में जुटाई जा सकेगी, का विवरण दिया गया था।

ऋण चुकाने के लिए नकद शेषों का उपयोग

VII.45 हाल के वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा इकट्ठे कर लिये गये भारी अधिशेष नकद शेषों और ऐसे शेषों के निवेशों पर अर्जित नकारात्मक स्प्रेडों ने कुछ राज्य सरकारों को बकाया ऋण चुकाने के लिए उनका

उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। बकाया राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) के पुनः क्रय की योजना, जो 2006-07 के दौरान रिवर्स

सारणी 7.21: राज्य सरकारों की बकाया प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि की रूपरेखा
(मार्च 2008 के अंत में)

क्र. सं.	राज्य	कुल बकाया राशि की तुलना में प्रतिशत		कुल बकाया राशि (करोड़ रूपए)
		0-5 वर्ष	6-10 वर्ष	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	38.8	61.2	29,186
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.7	82.3	598
3.	असम	38.0	62.0	7,155
4.	बिहार	48.8	51.2	11,401
5.	छत्तीसगढ़	43.7	56.3	1,837
6.	गोवा	35.3	64.7	1,477
7.	गुजरात	33.1	66.9	19,021
8.	हरियाणा	42.5	57.5	4,741
9.	हिमाचल प्रदेश	29.8	70.2	5,905
10.	जम्मू और काश्मीर	25.4	74.6	5,645
11.	झारखंड	23.5	76.5	4,039
12.	कर्नाटक	47.9	52.1	11,988
13.	केरल	27.9	72.1	16,481
14.	मध्य प्रदेश	34.4	65.6	13,257
15.	महाराष्ट्र	18.6	81.4	27,711
16.	मणिपुर	23.4	76.6	1,078
17.	मेघालय	32.6	67.4	1,268
18.	मिजोरम	31.2	68.8	838
19.	नागालैंड	34.6	65.4	1,998
20.	उड़ीसा	52.6	47.4	8,024
21.	पंजाब	23.0	77.0	13,228
22.	राजस्थान	39.7	60.3	19,303
23.	सिक्किम	22.1	77.9	742
24.	तामिलनाडु	32.6	67.4	20,502
25.	त्रिपुरा	41.5	58.5	1,114
26.	उत्तराखंड	25.5	74.5	4,620
27.	उत्तर प्रदेश	40.2	59.8	33,771
28.	पश्चिम बंगाल	21.4	78.6	31,579
29.	पुदुचेरी	0.0	100.0	337
	कुल	33.1	66.9	2,98,845

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी 7.22: बकाया राज्य ऋणों और पॉवर बांडों का परिपक्वता स्वरूप

(मार्च 2008 के अंत में)

वर्ष	राज्य ऋण	पॉवर बांड	कुल बकाया
1	2	3	4
2008-09	14,371	2,907	17,278
2009-10	16,238	2,907	19,145
2010-11	15,660	2,907	18,567
2011-12	21,993	2,907	24,900
2012-13	30,628	2,870	33,498
2013-14	32,079	2,870	34,949
2014-15	33,384	2,870	36,254
2015-16	35,191	2,907	38,098
2016-17	31,522	1,453	32,975
2017-18	67,779	0	67,779
कुल	2,98,845	24,598	3,23,443

नीलामियों के दो चक्र के माध्यम से चलायी गयी थी, 2007-08 के दौरान भी जारी रही। 156 करोड़ रुपये की कुल राशि, जिसमें उड़ीसा सरकार के 11 एसडीएल कवर किये गये थे, इन परिचालनों के माध्यम से, जो फरवरी और मार्च 2008 में एनडीएस - ओएम प्लेटफॉर्म पर द्वितीयक बाजार खरीदों के माध्यम से चलाये गये थे, खरीदी गयी थी। दो राज्य सरकारों यथा, उड़ीसा और तमिलनाडु ने भी राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) से उधार लिये गये क्रमशः 217 करोड़ रुपये और 1,178 करोड़ रुपये की राशि के ऋणों का पुनः क्रय किया।

2008-09 के दौरान अब तक (14 अगस्त 2008 तक) राज्य सरकारों के बाजार उधार

VII.46 2008-09 के लिए राज्य सरकारों के निवल बाजार उधारों का अनुमान 44,737 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें 45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन शामिल है। 14,371 करोड़ रुपये की चुकौतियों को हिसाब में लेते हुए राज्य सरकारों के सकल बाजार उधारों की राशि 59,108 करोड़ रुपये अनुमानित की गयी है। चालू वर्ष के दौरान अब तक (14 अगस्त 2008 तक) आठ राज्य सरकारों ने बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत 10,812 करोड़ रुपये जुटाये हैं जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधिके दौरान 8,542 करोड़ रुपये जुटाये थे। इन नीलामियों में कट-ऑफ प्रतिलाभ 8.39 प्रतिशत और 9.90 प्रतिशत के बीच रहा। बाजार ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर 2007-08 की तदनु रूप अवधि के 8.35 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 के दौरान (14 अगस्त 2008 तक) 9.07 प्रतिशत हो गयी। तत्संबंधित परिपक्वतावाली केंद्र सरकार की प्रतिभूति के प्रतिलाभों की तुलना में राज्य सरकारों प्रतिभूतियों के स्प्रेड 2007 की तदनु रूप अवधि के

19 और 44 आधार अंकों की तुलना में 30 और 98 आधार अंकों के बीच रहे।

राज्य वित्त सचिवों का सम्मेलन

VII.47 24 अगस्त 2007 को राज्य वित्त सचिवों का 20वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। सरकारी लेन-देनों से संबंधित परिचालनीय मुद्दों पर चर्चा के अलावा यह चर्चा राज्य सरकारों के नकद शेषों के निवेश हेतु ढांचे, राज्यों के निवेश संविभाग, केंद्र से बाह्य ऋणों के बैंक-टु-बैंक अंतरण के संदर्भ में राज्यों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंध और राज्यों के उधारों के संबंध में स्थायी तकनीकी समिति के मुद्दों पर मूलतः केंद्रित रही। 15 मई 2008 को आयोजित 21वें सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा केंद्रित रही, वह राज्य सरकारों के अधिशेष नकद शेषों, राज्यों के बाजार उधारों, बजट प्रबंधन और विभिन्न निधियों के प्रबंधन से संबंधित थी।

संभावना

VII.48 दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से केंद्र सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम का आकार 2007-08 के दौरान वास्तविक उधारों के माध्यम से जुटाई गयी राशि की तुलना में 2008-09 के लिए कम रखा गया था जो 2008-09 के केंद्रीय बजट में की गयी परिकल्पना के अनुसार उधार आवश्यकताओं में गिरावट को दर्शाता है। तथापि, विशेष प्रतिभूतियों के निर्गमों के माध्यमों से 'बजटेंतर' उधारों के आकार के सामान्य बाजार उधारों के प्रबंधन के लिए निहितार्थ हो सकते हैं। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007, के अधिनियमन से 'स्ट्रिप्स' को शुरू करना सुगम होगा। ऋण प्रबंध में दक्षता बढ़ाने की सुधार प्रक्रिया को आगे ले जाने के उद्देश्य से 2008-09 के दौरान सक्रिय समेकन और प्रतिभूतियों के यथोचित मिश्रण का अनुसरण किया जा सकेगा। सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु अपनाई जानेवाली मौजूदा नीलामी प्रक्रिया की समीक्षा करने और नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने में लगने वाला समय घटाने तथा समग्र दक्षता में सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा एक आंतरिक कार्यदल गठित किया गया था। कार्यान्वयन हेतु इस दल की सिफारिशों की रूप से जांच की जा रही है। 2008-09 के दौरान राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामियों में गैर-स्पर्धी बोलियां लगाने की सुविधा वाली योजना शुरू करने के उपाय प्रारंभ किये जा रहे हैं। 'एक क्रिटिकल मास' बनाकर चलनिधि की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गमों का अनुसरण किया जा सकेगा।

VIII.1 अच्छी गुणवत्ता के बैंक नोट तथा सिक्कों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रा प्रबंध परिचालन का उद्देश्य है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ आम जनता की बैंक नोटों तथा सिक्कों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा रही हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक नोटों की मांग को पूर्णतः पूरा किया गया। नए बैंक नोटों की आपूर्ति में वृद्धि तथा गंदे बैंक नोटों को वापस लेने के निरंतर प्रयासों के चलते 10 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। गंदे बैंक नोटों की छंटनी के निरंतर प्रयास, मुद्रा सत्यापन और संसाधन प्रणाली (सीवीपीएस) परिचालन की दूसरी पारी का आश्रय लेकर निपटान क्षमता बढ़ाने, वर्तमान मशीनों की मरम्मत एवं उनकी क्षमता को अपग्रेड करने से वर्ष 2007-08 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा निपटाए गए गंदे नोटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वाणिज्य बैंकों की सभी 4,271 मुद्रा तिजोरियों में नोट प्रोसेसिंग संबंधी कार्यों का मशीनीकरण किया गया। इसके अलावा, बैंकों में स्थित सभी मुद्रा तिजोरियों में नोट सॉर्टिंग मशीनें लगाई गईं। अगले युक्तिसंगत उपाय के रूप में, बैंक ने चुनिंदा मुद्रा तिजोरी से इतर शाखाओं में उनके द्वारा हैंडल की जानेवाली नकद की मात्रा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निकटता तथा जाली नोटों को पाए जाने की प्रमात्रा के आधार पर डेस्कटॉप नोट सॉर्टिंग मशीनों की खरीद करने एवं उन्हें लगवाने (इनस्टॉल करने) की शुरुआत की है।


VIII.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में 2007-08 के दौरान रिज़र्व बैंक के मुद्रा प्रबंध परिचालनों के ब्यौरे दिए गए हैं। अच्छी गुणवत्तावाले बैंक नोटों की जनता की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने नए बैंक नोटों की नियमित आपूर्ति, गंदे नोटों के शीघ्र निपटान तथा नकदी प्रोसेसिंग गतिविधि के मशीनीकरण में वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु बहुमुखी तरीकों के अंतर्गत अपने प्रयासों को जारी रखा। रिज़र्व बैंक ने बैंक नोटों को स्टेपल करने की प्रथा बंद करने के लिए निरंतर जोर दिया जिसके परिणामस्वरूप बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। मुद्रणालयों को की गई बैंक नोटों की मांग संख्या और मूल्य दोनों की दृष्टि से पूर्णतः पूरी की गई। वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक नोटों की संख्या में वृद्धि की हाल की प्रवृत्ति मूल्य की तुलना में कम बनी रही जो

उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों के प्रश्न में चल रहे संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। अक्टूबर 2006 से आगे सिक्कों की मांग बढ़ी, जो आगे 2007-08 के दौरान मजबूत हुई। रिज़र्व बैंक ने पर्याप्त रूप से सिक्कों की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियों को युक्तिसंगत तथा समेकित बनाने की चल रही नीति के प्रभाव को दर्शाते हुए वर्ष 2007-08 के दौरान मुद्रा तिजोरियों और राज्य कोषागार कार्यालयों (एसटीओ) की कुल संख्या घट गई। सभी मुद्रा तिजोरियों को नोट सॉर्टिंग मशीनें उपलब्ध कराने तथा बैंकों में जाली नोट सर्तकता कक्षाओं (एफएनवीसी) के गठन के परिणामस्वरूप मुद्रा तिजोरी के ही स्तर पर जाली नोटों को पकड़े जाने की दर में बढ़ोतरी हुई।

संचलन में बैंक नोट

VIII.3 वर्ष 2007-08 के दौरान संचलन में बैंक नोटों के मूल्य में 17.2 प्रतिशत (वर्ष 2006-07 के दौरान 17.6 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई जबकि बैंक नोटों की मात्रा में 11.0 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 5.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। गत कुछ वर्षों के दौरान धीरे-धीरे घटती हुई प्रवृत्ति को जारी रखते हुए व्यापक मुद्रा (एम₃) की तुलना में आम जनता के पास मुद्रा का अनुपात एक वर्ष पूर्व के 14.6 प्रतिशत से घटकर मार्च 2008 के अंत में 14.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट VIII.1)। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में आम जनता के पास मुद्रा का अनुपात एक वर्ष पूर्व 11.6 प्रतिशत से बढ़ना जारी रहा, जो वर्ष 2007-08 के दौरान 12.0 प्रतिशत हो गया।

VIII.4 इस प्रकार बैंक नोटों की संख्या में वृद्धि उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों, विशेष रूप से 1000 रुपए और 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों, के प्रति संरचनात्मक बदलाव के कारण मूल्य की तुलना में कमी बनी रही। जबकि वर्ष 2007-08 के दौरान 500 रुपए के मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या में 16.7 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 23.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, 1000 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या में 50.7 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 45.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चलन में अधिक संख्या में नए नोट डालने के लगातार प्रयासों के कारण 10 रुपए के बैंक नोटों की संख्या में 30.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।



मुद्रा तिजोरियों के पास रखे स्टॉक को हटाने के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप 2 रुपए तथा 5 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की संख्या में भी 23.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या में वर्ष 2006-07 की तुलना में नाममात्र कमी आई (सारणी 8.1)।

VIII.5 संख्या के अनुसार, मार्च 2008 के अंत में 100 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों का हिस्सा सबसे बड़ा (संचलन में कुल नोटों की संख्या का 30 प्रतिशत) था। मूल्य के अनुसार, मार्च 2008 के अंत में 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों का हिस्सा सबसे बड़ा (संचलन में बैंक नोटों के कुल

मूल्य का 45 प्रतिशत) था (चार्ट VIII.2)। कम मूल्यवर्ग से उच्चतर मूल्यवर्ग में बने हुए बदलाव का अंशतः कारण प्रौद्योगिकीय उन्नति (एटीएम के नेटवर्क का विस्तार) तथा आय का बढ़ा हुआ स्तर है।


संचलन में सिक्के

VIII.6 सिक्कों की मांग में तेजी की प्रवृत्ति, जो 2 रुपए के सिक्कों की मांग की अगुआई में अक्टूबर 2006 से आगे शुरू हुई वर्ष 2007-08 के दौरान बनी रही। वर्ष 2007-08 के दौरान सिक्कों के कुल मूल्य में (चलन में छोटे सिक्कों सहित) 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (वर्ष 2006-07 में 11.2 प्रतिशत तथा 2005-06 में 2.2 प्रतिशत)। संख्या की दृष्टि से, वर्ष 2007-08 के दौरान 5.7 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष 2006-07 में 6.5 प्रतिशत तथा 2005-06 में 1.4 प्रतिशत) दर्ज हुई (सारणी 8.2)। बैंक नोटों के मूल्य के अनुपात में सिक्कों का मूल्य मार्च 2006 के अंत के 1.71 से घटकर मार्च 2007 के अंत में 1.62 प्रतिशत रह गया और मार्च 2008 के अंत में 1.56 प्रतिशत रह गया। सिक्कों के मामले में, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हिस्सा एक रुपए के सिक्के का था (25.9 प्रतिशत), मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा हिस्सा 5 रुपए के सिक्कों का था (35.8 प्रतिशत)। संख्या की दृष्टि से, वर्ष 2007-08 के दौरान 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों में क्रमशः 8.1 प्रतिशत, 28.1 प्रतिशत और 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्य की दृष्टि से वर्ष 2007-08 के दौरान 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्कों में क्रमशः 8.0 प्रतिशत, 28.2 प्रतिशत एवं 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सारणी 8.1: संचलन में बैंक नोट

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नोट)			मूल्य (करोड़ रुपए में)		
	मार्च 2006 के अंत तक	मार्च 2007 के अंत तक	मार्च 2008 के अंत तक	मार्च 2006 के अंत तक	मार्च 2007 के अंत तक	मार्च 2008 के अंत तक
1	2	3	4	5	6	7
रु.2 और रु. 5	6,217	6,008	7,405	2,431	2,334	2,747
रु. 10	6,274	7,155	9,333	6,274	7,155	9,333
रु.20	2,038	2,089	2,054	4,076	4,178	4,108
रु.50	5,568	5,590	5,302	27,840	27,951	26,508
रु.100	13,464	13,544	13,457	1,34,640	1,35,444	1,34,575
रु.500	3,647	4,508	5,262	1,82,350	2,25,400	2,63,108
रु.1000	643	937	1,412	64,300	93,676	1,41,219
कुल	37,851	39,831	44,225	4,21,911	4,96,138	5,81,598

चार्ट VIII.2: संचलन में बैंक नोट: मार्च 2008 के अंत में



मुद्रा परिचालन

VIII.7 अच्छी गुणवत्तावाले बैंक नोटों की जनता की मांग पूरी करने के उद्देश्य से बैंक ने बहुमुखी तरीका अपनाते हुए अपने प्रयास जारी रखे, जिसमें नए नोटों की नियमित आपूर्ति, गंदे बैंक नोटों का शीघ्र निपटान एवं नकदी प्रोसेसिंग गतिविधि के मशीनीकरण में वृद्धि शामिल है। बैंक नोटों को स्टेपल करने की प्रथा बंद करने से भी बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। बैंकों को बार-बार यह सूचित किया गया कि वे जनता को केवल स्वच्छ बैंक नोट जारी करें और स्टेपल न की गई स्थिति में गंदे नोटों को मुद्रा तिजोरियों के माध्यम से रिजर्व बैंक को प्रेषित करें। रिजर्व बैंक नोटों की चलन आयु बढ़ाने के लिए स्वच्छ नोट नीति के एक भाग के रूप में विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रहा है।

मुद्रा तिजोरियां

VIII.8 नोट निर्गम तथा मुद्रा प्रबंध का मुख्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य रिजर्व बैंक द्वारा अपने 18 निर्गम कार्यालयों, लखनऊ में निर्गम विभाग के उप कार्यालय, कोच्चि में एक मुद्रा तिजोरी तथा 4271 मुद्रा तिजोरियों

और 4033 छोटा सिक्का डिपो के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से संपादित किया जाता है। रिजर्व बैंक के पास मुख्यतः अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ एजेंसी व्यवस्थाएं हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें एक मुद्रा तिजोरी सुविधा प्रदान की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मुद्रा तिजोरियों को युक्तिसंगत तथा समेकित करने की नीति के प्रभाव को दर्शाते हुए वर्ष 2007-08 के दौरान मुद्रा तिजोरियों और राज्य कोषागार कार्यालयों (एसटीओ) की कुल संख्या घट गई (सारणी 8.3)। भारतीय स्टेट बैंक तथा सहयोगी बैंकों ने अपने मुद्रा तिजोरियों को युक्तिसंगत एवं समेकित करने हेतु विस्तृत अभ्यास किया। परिणामस्वरूप, महानगरों तथा मुख्य शहरी केंद्रों में उनकी शाखाओं की तिजोरियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई। दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (प्रथमा बैंक, उत्तरप्रदेश और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा) को मुद्रा तिजोरियों के गठन के लिए 'सिद्धान्ततः' अनुमोदन प्रदान किया गया। राज्य कोषागार कार्यालयों की मुद्रा तिजोरियों की संख्या कम होकर 17 हो गई और उन्हें धीरे-धीरे बंद करने के प्रयास जारी हैं। स्टेट बैंक समूह का मुद्रा तिजोरियों में बड़ा हिस्सा

सारणी 8.2: संचलन में सिक्के

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (करोड़ रुपए में)		
	मार्च 2006 के अंत तक	मार्च 2007 के अंत तक	मार्च 2008 के अंत तक	मार्च 2006 के अंत तक	मार्च 2007 के अंत तक	मार्च 2008 के अंत तक
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	54,115	54,277	54,735	1,357	1,364	1,455
₹. 1 सिक्का	18,730	22,878	24,721	1,873	2,288	2,472
₹. 2 सिक्का	6,684	7,441	9,535	1,337	1,488	1,907
₹. 5 सिक्का	5,289	5,761	6,500	2,645	2,881	3,250
कुल	84,818	90,357	95,491	7,212	8,021	9,084

सारणी 8.3: मुद्रा तिजोरियां

श्रेणी	मुद्रा तिजोरियों की संख्या			
	30 जून 2005	30 जून 2006	30 जून 2007	31 दिसं. 2007
1	2	3	4	5
कोषागार	149	116	23	17
भारतीय स्टेट बैंक	2,198	2,182	2,127	2,097
भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक	1,008	994	988	983
राष्ट्रीयकृत बैंक	983	1,028	1,061	1,074
निजी क्षेत्र के बैंक	72	83	94	95
सहकारी बैंक	1	1	1	1
विदेशी बैंक	4	4	4	4
रिजर्व बैंक (कार्यालय एवं मुद्रा तिजोरियां)	20	20	20	20
कुल	4,435	4,428	4,318	4,291

(71.8 प्रतिशत) बना रहा, जिसके बाद राष्ट्रीय बैंकों (25.0 प्रतिशत) का स्थान रहा। वर्तमान भंडारों को बंद करने अथवा उन्हें स्वयंपूर्ण मुद्रा तिजोरियों में परिवर्तित करने का जो कार्य पहले शुरू किया गया था वह इस वर्ष के दौरान पूरा किया गया और 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार अब मुद्रा तिजोरियों से संबद्ध कोई रिपोजिटरी नहीं है।

नए बैंक नोटों की मांग तथा आपूर्ति

VIII.9 इस वर्ष में की गई बैंक नोटों की मांग मुद्रणालयों द्वारा संपूर्ण रूप से पूरी की गई (लगातार द्वितीय वर्ष के लिए) (सारणी 8.4 एवं 8.5)। इसका श्रेय आपूर्ति तथा कार्यक्षम आबंटन की प्रभावी निगरानी एवं मुद्रणालयों की क्षमता के प्रबंधन (मुद्रित मूल्यवर्ग के आधार पर) को दिया जा सकता है।

बैंक नोटों की मुद्रण लागत

VIII.10 बैंक नोटों के मुद्रण के लिए व्यय में कमी लाने हेतु जारी अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में रिजर्व बैंक ने न्यूनतम लागत उत्पादकों से बैंक नोटों की अधिकतम मात्रा को प्राप्त करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। तदनुसार, रिजर्व बैंक नोटों का मुद्रण दो मुद्रणालयों से कर रहा है जिसमें से एक है सिक्कुरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआइएल) तथा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)। वर्ष 2007-08 के दौरान मुद्रित बैंक नोटों की प्रभारित राशि 2,026 करोड़ रुपये थी, जिसमें से एसपीएमसीआइएल प्रेस को 5,442 मिलियन बैंक नोटों की आपूर्ति करने के लिए 908 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया और बीआरबीएनएमपीएल प्रेस को 8,488 मिलियन नोटों की खरीद के लिए 1,118 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया (सारणी 8.6)। बैंक नोटों की लागत को निरंतर घटाने एवं मुद्रित बैंक नोटों की गुणवत्ता बनाये रखते हुए अपने परिचालन में अधिक कार्यक्षमता लाने के लिए नोट मुद्रणालयों को प्रोत्साहित करने का रिजर्व बैंक का प्रयास रहा है।

मांग, आपूर्ति तथा सिक्कों का वितरण

VIII.11 वर्ष 2007-08 के दौरान सिक्कों की मांग में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए टकसाल को रिजर्व बैंक द्वारा की गई मांग में अचानक तेजी आई (सारणी 8.7)। सरकार की सहमति से रिजर्व बैंक ने टकसाल के पास रखे गए 5 रुपए के कुप्रो निकेल सिक्कों के 359 मिलियन नगों के स्टॉक भी ले लिये। सिक्कों की मांग में हुई तेजी को 50 पैसे के सिक्के के

सारणी 8.4: मांग और आपूर्ति किए गए बैंक नोटों की मात्रा

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09
	मांग	आपूर्ति	मांग के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांग	आपूर्ति	मांग के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांग	आपूर्ति	मांग के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रु.5	—	50	—	—	50	—	—	—	—	—
रु.10	3,300	1,183	36	3,500	3,480	99	4,200	4,193	100	5,000
रु.20	1,200	706	59	500	438	88	600	636	106	500
रु.50	2,700	1,063	39	1,400	1,458	104	1,200	1,213	101	1,000
रु.100	5,550	3,208	58	4,000	4,034	101	4,200	4,199	100	4,200
रु.500	1,800	661	37	1,500	1,473	98	1,800	1,805	100	3,500
रु.1000	450	130	29	600	589	98	700	699	100	800
कुल	15,000	7,001	47	11,500	11,522	100.2	12,700	12,745	100.4	15,000

सारणी 8.5: मांग और आपूर्ति किए गए बैंक नोटों का मूल्य

(करोड़ रुपये)

मूल्यवर्ग	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09
	मांग	आपूर्ति	मांग के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांग	आपूर्ति	मांग के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांग	आपूर्ति	मांग के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹. 5	—	25	—	—	25	—	—	—	—	—
₹. 10	3,300	1,183	36	3,500	3,480	99	4,200	4,193	100	5,000
₹. 20	2,400	1,412	59	1,000	876	88	1,200	1,272	106	1,000
₹. 50	13,500	5,316	39	7,000	7,292	104	6,000	6,065	101	5,000
₹. 100	55,500	32,084	58	40,000	40,348	101	42,000	41,990	100	42,000
₹. 500	90,000	33,065	37	75,000	73,655	98	90,000	90,250	100	1,75,000
₹. 1,000	45,000	12,960	29	60,000	58,910	98	70,000	69,900	100	80,000
कुल	2,09,700	86,045	41.0	1,86,500	1,84,586	99.0	2,13,400	2,13,670	100.1	3,08,000

127 मिलियन नग जारी करके पूरा किया गया। रिजर्व बैंक द्वारा सिक्कों की मांग में हुई तेजी को पूरा करने के लिए निम्न उपाय किए गए: (i) बैंक शाखाओं के अतिरिक्त डाकघरों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के माध्यम से सिक्कों के खुदरा वितरण की व्यवस्था; (ii) सिक्कों के वितरण के लिए देश की 2,000 बैंक शाखाओं की पहचान; (iii) इस बारे में जनता को सूचित करने हेतु प्रेस प्रकाशनी जारी करना एवं रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर इन बैंक शाखाओं की सूची प्रसारित करना; (iv) सीधे ग्राहकों को सिक्कों के वितरण के लिए विभिन्न प्रमुख केंद्रों पर बैंक के अनेक निर्गम कार्यालयों द्वारा सिक्का मेला लगवाना; (v) होटल, रिटेल शॉप तथा केमिस्ट के पंजीकृत एसोशियनों को बड़ी संख्या में सिक्के जारी करना; और (vi) रिजर्व बैंक कार्यालयों का प्रदर्शनी/व्यापार मेले में सहभाग एवं सीधे जनता के सदस्यों में सिक्कों का वितरण।

सारणी 8.6: बैंक नोटों की आपूर्ति तथा लागत

वर्ष (जुलाई - जून)	एसपीएमसीआइएल		बीआरबीएनएमपीएल	
	आपूर्ति (मिलियन नग)	लागत (करोड़ रुपए)	आपूर्ति (मिलियन नग)	लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
2003-04	4,951	894.2	8,421	815.3
2004-05	4,160	783.3	7,391	660.3
2005-06	2,697	405.9	4,194	629.0
2006-07	5,136	1,041.9	7,348	978.3
2007-08	5,442	908.1	8,488	1,118.1

एसपीएमसीआइएल : सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.
बीआरबीएनएमपीएल : भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड

गंदे नोटों का निपटान

VIII.12 वर्ष 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा निपटान किए गए गंदे नोटों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वर्ष के दौरान अधिकतम 10,696 मिलियन की संख्या में गंदे बैंक नोटों (संचलन में स्थित 24 प्रतिशत बैंक नोट) को प्रोसेस किया गया और उन्हें संचलन से हटाया गया। गंदे बैंक नोटों में सर्वाधिक हिस्सा था 100 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों का, उसके बाद का हिस्सा था 10 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों का (सारणी 8.8)। वर्ष के दौरान 10,696 मिलियन नगों के कुल निपटान (एक वर्ष पूर्व 7,325 मिलियन नग) की तुलना में इस वर्ष के दौरान 13,742 मिलियन नए बैंक नोटों के नगों की (एक वर्ष पूर्व 10,703 मिलियन नग) जनता के सदस्यों में और मुद्रा तिजोरियों में आपूर्ति की गई। गंदे बैंक नोटों को हटाने, मुद्रा सत्यापन और संसाधन प्रणाली (सीवीपीएस) परिचालन की दूसरी शिफ्ट का आश्रय लेकर निपटान क्षमता बढ़ाने, वर्तमान मशीनों की मरम्मत एवं उनकी क्षमता को अपग्रेड करने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान संचलन से हटाये गये और परिणामतः रिजर्व बैंक कार्यालयों द्वारा निपटान किए गए बैंक नोटों की संख्या में वृद्धि हुई।

VIII.13 वर्ष 2007-08 के दौरान सीवीपीएस परिचालन के माध्यम से 6,287 मिलियन नगों में बैंक नोटों को (एक वर्ष पूर्व 4,532 मिलियन नगों की तुलना में) प्रोसेस किया गया। शेष बैंक नोटों का निपटान डाइनेमिक वर्किंग मॉडल के तहत किया गया, जो एक सांख्यिकीय पद्धति है जिसमें अनियमितताओं, जैसेकि कमी (शॉर्टेज) तथा जाली होने संबंधी जांच के लिए एक लॉट (अर्थात प्रोसेसिंग के लिए विचारार्थ गंदे बैंक नोट) से एक प्रातिनिधिक नमूना (सैम्पल) लिया जाता है। यदि प्रातिनिधिक सैम्पल

सारणी 8.7: सिक्कों की मांग तथा आपूर्ति

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग
1	2	3	4	5	6	7	8
25 पैसे	0	0	0	0	0	0	0
50 पैसे	0	0	0	0	185	127	400
₹. 1	0	13	0	45	1,500	1,294	2,500
₹. 2	0	22	700	686 #	1,500	1,562	1,800
₹. 5	0	7	0	11	300	173	800
कुल	0	42 *	700	742	3,485	3,156	5,500

* : इसमें मुख्यतः स्मारक सिक्के शामिल हैं।

: नए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों की 700 मिलियन नगों की मांग कॉपर तथा निकेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर दिसंबर 2006 में की गई थी।

में पायी गई कमियां तथा जाली होना 'सहन सीमा' के भीतर है तो शेष लॉट की श्रेडिंग की जाती है अन्यथा संपूर्ण लॉट सीवीपीएस द्वारा 100 प्रतिशत जांच के लिए रखा जाता है। यह 'सहन सीमा' प्रत्येक रिजर्व बैंक कार्यालय में पाई गई मूल्यवर्गवार विशिष्ट कमियों तथा जाली नोटों के पिछले आंकड़ों के आधार पर तय होती है। वर्ष 2007-08 के दौरान छोटे मूल्यवर्ग के नोटों के निपटान में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मशीनीकरण

VIII.14 मुद्रा प्रबंध में नकदी प्रोसेसिंग गतिविधि तथा गंदे नोटों के निपटान का मशीनीकरण रिजर्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्र रहा है। सभी मुद्रा तिजोरियों में अब कम-से-कम एक सॉर्टिंग मशीन

लगाए जाने के साथ-साथ बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उनके द्वारा हैंडल की जानेवाली नकद राशि की मात्रा के आधार पर अपनी गैर मुद्रा तिजोरी शाखाओं में डेस्कटॉप नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) लगवा लें। रिजर्व बैंक ने अपने निर्गम कार्यालयों तथा देशभर की चुनिंदा बैंक शाखाओं में लगवाने के लिए एनएसएम खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है (बॉक्स VIII.1)।

जाली बैंक नोट

VIII.15 वर्ष 2007-08 के दौरान, रिजर्व बैंक कार्यालयों एवं बैंक शाखाओं में पकड़े गए जाली बैंक नोटों की संख्या में 86.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उच्चतर मूल्यवर्ग के अर्थात् 100 रुपए तथा उससे अधिक

सारणी 8.8: गंदे नोटों का निपटान तथा नए बैंक नोटों की आपूर्ति

मूल्यवर्ग	मिलियन में नगों की संख्या					
	2005-06		2006-07		2007-08	
	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
₹. 1,000	5	279	7	405	17	663
₹. 500	242	996	276	1,427	444	1756
₹. 100	3,250	3,223	2,360	3,716	3,727	4,015
₹. 50	2,160	1,221	1,456	1,438	2,172	1,522
₹. 20	532	730	489	739	834	728
₹. 10	2,593	2,392	2,243	2,719	3,030	4,580
₹. 5 तक	522	64	494	259	472	478
कुल	9,304	8,905	7,325	10,703	10,696	13,742

जापन:

संचलन में कुल बैंक नोट **37,851** **39,831** **44,225**

टिप्पणी: आपूर्ति के आंकड़ों में निर्गम कार्यालयों द्वारा जनता को जारी नोट तथा मुद्रा तिजोरियों को भेजे गए प्रेषण शामिल हैं और अतएव आंकड़े सारणी 8.4, जिसमें मुद्रणालयों द्वारा रिजर्व बैंक को आपूर्ति नोटों को दर्शाया है, से नहीं मिलते हैं।

बॉक्स VIII.1
नोट सॉर्टिंग प्रणाली

जाली नोटों के परिचालन के प्रवेश बिंदु पर ही प्रभावी नियंत्रण की योजना के एक भाग के रूप में और 'स्वच्छ नोट नीति' को सुनिश्चित करने के लिए, केवल जारी न करने योग्य बैंक नोट रिजर्व बैंक को भेजे जाते हैं और केवल अच्छी गुणवत्तावाले पुनःजारी करने योग्य बैंक नोट ही जनता को जारी किए जाते हैं, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे मुद्रा तिजोरी परिचालनों का समयबद्ध रूप से मशीनीकरण करें। तदनुसार, बैंकों से उनकी सभी मुद्रा तिजोरी शाखाओं में

उचित क्षमतावाली नोट सॉर्टिंग मशीनें उपलब्ध कराना अपेक्षित था। बैंकिंग नेटवर्क में स्थित सभी मुद्रा तिजोरी शाखाओं में अब नोट सॉर्टिंग मशीनें लगाई गई हैं।

जाली नोटों को पकड़ने और जालसाजी विरोधी प्रणालियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक द्वारा देशभर की चुनिंदा गैर तिजोरी शाखाओं में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निकटता, अधिकतर जाली नोट पकड़े जाने तथा अत्यधिक मात्रा में नकद हैंडलिंग की आवश्यकता के आधार पर एनएसएम लगाए जाएंगे।

मूल्यवर्ग के बैंक नोट पकड़े जाने के कारण जाली नोटों के मूल्य में 137.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 8.9)।

VIII.16 पकड़े जानेवाले जाली नोटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण थे सभी बैंकों द्वारा उनकी मुद्रा तिजोरी शाखाओं में नोट सॉर्टिंग मशीनें (मुद्रा तिजोरी स्तर पर ही नोटों की जांच तथा जाली नोट पकड़ने में सुविधा हेतु) लगवाना और बैंकों में जाली नोट सतर्कता कक्ष (एफएनवीसी) का गठन (बैंकिंग प्रणाली में जालसाजी विरोधी प्रबंधन के सख्त उपाय को सुनिश्चित करने के लिए)। रिजर्व बैंक के कार्यालयों में पकड़े गए जाली नोटों का हिस्सा 2005-06 के 96.1 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में गिरकर 56.4 प्रतिशत और 2007-08 में और गिरकर 31.7 प्रतिशत रह गया, जो मुद्रा तिजोरी शाखाओं में नोट सॉर्टिंग मशीनों के बढ़ते प्रभावी उपयोग को दर्शाता है। (सारणी 8.10)।

VIII.17 बैंकों के मुख्य कार्यालयों में गठित जाली नोट सतर्कता कक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करता है जैसे कि (i) जाली नोटों के संबंध में रिजर्व बैंक के अनुदेशों का अपनी शाखाओं में प्रचार; (ii) इन अनुदेशों

के अनुपालन पर निगरानी; (iii) पकड़े गए जाली नोटों के आंकड़ों का समेकन और जाली नोटों के मामले पर पुलिस के साथ अनुवर्ती कार्रवाई; (iv) जिस मुद्रा तिजोरी में कमियां/दोषपूर्ण/जाली नोट अत्यधिक पाए गए, उस मुद्रा तिजोरी में निगरानी बढ़ाना; और (v) मुद्रा तिजोरियों में नोट सॉर्टिंग मशीनें लगवाना सुनिश्चित करना तथा मुद्रा तिजोरियों/अन्य शाखाओं में जाली नोटों की पहचान पर निगरानी रखना।

मुद्रा प्रबंध का कंप्यूटरीकरण

VIII.18 रिजर्व बैंक ने केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्गम विभागों तथा विभिन्न बैंकों की मुद्रा तिजोरियों में एक समन्वित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आइसीसीओएमएस) स्थापित करने का कार्य शुरू किया, जिसमें 3 घटक हैं, अर्थात्, मुद्रा तिजोरी रिपोर्टिंग प्रणाली (सीसीआरएस), आईकॉमस्-इश्यू डिपार्टमेंट (आइकॉमस्-आइडी) तथा मुद्रा प्रबंध सूचना प्रणाली (सीएमआइएस)। इस परियोजना में तुरंत, सक्षम और दोष-मुक्त रिपोर्टिंग और मुद्रा तिजोरी लेन-देनों के लेखांकन तथा सक्रिय निगरानी में सुरक्षित तरीके से निर्गम विभागों और केंद्रीय कार्यालय के बीच सूचनाओं के अबाध प्रवाह को सुकर बनाने के

सारणी 8.9: पकड़े गए जाली नोट

मूल्यवर्ग	नगों की संख्या			मूल्य (रुपए में)		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7
रु. 10	80	110	107	800	1,100	1,070
रु. 20	340	305	343	6,800	6,100	6,860
रु. 50	5,991	6,800	8,119	2,99,550	3,40,000	4,05,950
रु. 100	104,590	68,741	110,273	1,04,59,000	68,74,100	1,10,27,300
रु. 500	12,014	25,636	66,838	60,07,000	1,28,18,000	3,34,19,000
रु. 1000	902	3,151	10,131	9,02,000	31,51,000	1,01,31,000
कुल	123,917	104,743	195,811	1,76,75,150	2,31,90,300	5,49,91,180

टिप्पणी: उक्त आंकड़ों में पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोटों को शामिल नहीं किया गया है।

सारणी 8.10: रिजर्व बैंक तथा बैंक शाखाओं में पकड़े गए जाली नोट

(नगों में)

वर्ष	रिजर्व बैंक में पकड़े गए	अन्य बैंकों में पकड़े गए	कुल
1	2	3	4
2005-06	119,068 (96.1)	4,849 (3.9)	123,917
2006-07	59,048 (56.4)	45,695 (43.6)	104,743
2007-08	62,134 (31.7)	133,677 (68.3)	195,811

टिप्पणी: स्तंभ (2) तथा (3) में कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल का हिस्सा दर्शाते हैं।

लिए कंप्यूटरीकरण तथा रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों के साथ मुद्रा तिजोरियों की नेटवर्किंग शामिल है। आइकॉम्स के अंतर्गत सीसीआरएस घटक पर पिछले वर्ष से 'लाइव-रन' शुरू किया गया, जिसमें स्थिरता आ गई है और इससे रिजर्व बैंक को कार्यक्षम रूप से मुद्रा अंतरण लेन-देनों का लेखांकन सुलभ हो गया है। दूसरे घटक, अर्थात् आइकॉम्स-आइडी के अंतर्गत रिजर्व बैंक के सभी 19 कार्यालयों द्वारा लेन-देनों को 'सीधे थ्रु पुट' प्रक्रिया से डाल दिया जाता है। सीएमआइएस के एक भाग के रूप में, जो इस वर्ष के दौरान परिचालित हुआ, सभी निर्गम कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों से रिजर्व बैंक को सभी निर्गम कार्यालयों में स्थित बैंक नोटों तथा सिक्कों के स्टॉक, संचय तथा गंदे नोटों के निपटान, नए नोटों तथा पुनः जारी करने योग्य नोटों और सिक्कों की खपत के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा अखिल भारतीय आधार पर किसी भी समय नोटों के परिचालन पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी।

ग्राहक सेवा

VIII.19 आम जनता को सिक्के जारी करने/उससे सिक्के स्वीकार करने तथा गंदे एवं कटे-फटे बैंक नोटों के विनिमय से संबंधित मामलों में ग्राहक सेवा के सुधार के लिए रिजर्व बैंक ने अपने प्रयास जारी रखे। इस संबंध में रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना किसी प्रतिबंध के लेन-देन में अथवा विनिमय के लिए सिक्के और गंदे नोट जारी करें / स्वीकार करें। उन कार्यालयों, जहां सिक्कों की मांग में तेजी आई है, को सूचित किया गया कि वे बैंकों के परामर्श से पहचाने गए स्थलों पर सिक्का कैम्पों की व्यवस्था करें। केवल रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही नहीं अपितु तिजोरियों तथा बैंक

शाखाओं में भी समय पर और सक्षम ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रखे गए।

VIII.20 कटे-फटे बैंक नोटों के विनिमय हेतु सुधारित ग्राहक सेवा के लिए रिजर्व बैंक ने वर्तमान नोट वापसी नियमावली में सरलीकरण का प्रस्ताव रखा है और इसे सरकार द्वारा अधिसूचना प्राप्त होने के बाद लागू कर दिया जाएगा।

VIII.21 जागरूकता अभियान के अंग के रूप में रिजर्व बैंक ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएफडीसी) के साथ मिलकर बैंक नोटों की सुरक्षात्मक विशेषताओं के प्रति जागरूकता निर्माण करने के लिए तथा बैंक नोटों को हैंडल करते समय 'क्या करें, क्या न करें' विषय पर जानकारी के लिए एक फिल्म बनाई है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने के कारण यह पूरे देशभर में समाज के सभी स्तरों में जनता के बीच जागरूकता निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण साधन साबित होगा।

VIII.22 पिछले कुछ वर्षों में मुद्रा प्रबंध परिचालन में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन की पृष्ठभूमि में, वर्तमान पद्धति एवं क्रियाविधि की जांच करने एवं नकदी के हैंडलिंग, प्रोसेसिंग तथा वितरण के क्षेत्र में और सुधार एवं उसे युक्तिसंगत बनाने के कुछ उपाय सुझाने के लिए मुद्रा प्रबंध पर एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री. यू.एस. पालीवाल) गठित किया गया। दल ने, रिजर्व बैंक को प्रस्तुत अपनी *अंतरिम रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ*, मुद्रणालयों में रु. 500 तथा रु.1,000 मूल्यवर्ग के बिना क्रमवाले नंबरों के बैंक नोट छपवाने तथा नकदी की उचित/अनुचित हैंडलिंग एवं अच्छी/बुरी ग्राहक सेवा के लिए प्रोत्साहन/निरुत्साहन की एक प्रणाली की शुरुआत करने की सिफारिश की (बॉक्स VIII.2)।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड

VIII.23 रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली एक सहायक कंपनी के रूप में निगमित भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) का गठन वर्ष 1996 में नए नोट परियोजना के कार्य के अधिग्रहण के लिए किया गया। यह मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल) के दो नोट मुद्रणालयों में बैंक नोटों का मुद्रण करता है। वर्ष 2007-08 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) के द्वारा बैंक नोटों की कुल आपूर्ति 8,488 मिलियन नग (2006-07 के दौरान 7,348 मिलियन नग) थी।

बॉक्स VIII.2

बैंक नोटों की बिना क्रमवार संख्या

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2006 में ₹.10, ₹.20 तथा ₹.50 मूल्यवर्ग के 'स्टार श्रृंखला' संख्यांकित बैंक नोट जारी करने की शुरुआत की। स्टार श्रृंखला एक विशेष संख्यांकित श्रृंखला है जो सामान्य संख्या पद्धति से अलग है। संख्यांकित स्टार श्रृंखला मूलतः दोषपूर्ण नोटों (एकल/पैकेट) को स्टार श्रृंखलावाले नोटों से बदलने के लिए उपयोग में लाई जाती है। '*' के उपसर्ग के साथ एक पूरी श्रृंखला अनन्य रूप से स्टार श्रृंखला की संख्या के लिए आरक्षित रखी जाती है। स्टार श्रृंखला के नोटों पर OAA *000001 से OAA* 1000000 तक क्रमवार संख्याएं हो सकती हैं।

₹.10, ₹.20 तथा ₹.50 मूल्यवर्ग के स्टार श्रृंखला वाले बैंक नोटों को सफलतापूर्वक जारी करने के बाद अब रिज़र्व बैंक बिना क्रमवार संख्या के ₹.500 तथा ₹.1,000 मूल्यवर्ग के नोटों को जारी करेगा। इस पद्धति में, एक

नए नोट पैकेट में 100 नोट होंगे जो 1 से 100 तक क्रमवार संख्यावाले नहीं होंगे। अन्य शब्दों में, पैकेटों में 100 नोट होंगे किंतु कुछ नोट क्रमवार नहीं होंगे। यह पद्धति मुद्रणालयों में लागत एवं श्रमशक्ति को युक्तिसंगत बनाने में सहायक होगी।

पहले की तरह काउंटरो पर तथा एटीएम के जरिए नए नोट पैकेटों में ही क्रमवार संख्यावाले बैंक नोट पैकेट उपलब्ध होंगे। अधिकतर जनता/नकद राशि उपयोगकर्ता पुनर्निर्गमनीय बैंक नोट प्राप्त करते हैं जो क्रमवार संख्यावाले नहीं होते। ₹.500 तथा ₹.1,000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की मांग में हुई वृद्धि, विशेष रूप से एटीएम के लिए, को देखते हुए मुद्रणालयों में अधिक कार्यक्षमता के साथ नए बैंक नोटों की मांग को पूरा करना आवश्यक है।

संभावना

VIII.24 रिज़र्व बैंक, देश में सक्षम रूप से अच्छी गुणवत्ता के बैंक नोट और सिक्कों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपना मुद्रा प्रबंध परिचालन जारी रखेगा। बैंक नोटों की संचलन आयु में वृद्धि

के लिए विभिन्न विकल्प ढूंढे जाएंगे। परिचालन दक्षता में वृद्धि की दृष्टि से प्रणालियों और प्रक्रियाओं को युक्तियुक्त बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मुद्रा प्रबंध में अंतरराष्ट्रीय न्यूनतम मानदंडों को स्थापित करने के प्रयत्न भी किए जाएंगे।

IX.1 भुगतान और निपटान प्रणाली वित्तीय लेन-देन के लिए एक तेज, सक्षम और सुरक्षित आधार उपलब्ध करारकर वित्तीय प्रणाली की आधारशिला तैयार करती है। सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) बैंकिंग कारोबार के लेन-देन के एक सफल रूपांतरण और विश्लेषणात्मक संसाधन के पीछे की अकेली सबसे बड़ी ताकत बन गई है। कागज तथा भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप के अभिसरण, सूचना प्रौद्योगिकी की गहन प्रक्रिया के माध्यम से परिचालनात्मक दक्षता और लचीलेपन में सुधार तथा नए वितरण माध्यमों की प्रकृति में नवोन्मेषीकरण ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय धरातल में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। वर्ष 2007-08 के दौरान, रिजर्व बैंक एक सुरक्षित, सक्षम और मजबूत भुगतान और निपटान प्रणाली को सुकर बनाने के लिए अपनी दूरदृष्टि के प्रयोग को जारी रखा। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परिदृष्टि दस्तावेज तैयार करने के अतिरिक्त स्वयं के लिए एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को लागू किया।

IX.2 यह अध्याय भुगतान और निपटान प्रणाली के आधुनिकीकरण तथा बैंकिंग प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी तीव्रता को बढ़ाने में गहन परामर्श के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा अदा की गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को परिचालित करने के लिए शुरू किए गए उपाय शामिल हैं जो भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) के लिए एक सुदृढ़ विधिसम्मत आधार प्रदान करते हैं। विधिक, जोखिम में कमी तथा ग्राहक सेवा से संबंधित बोर्ड द्वारा जारी किए गए कई महत्वपूर्ण नीति निर्देश भी इसमें शामिल किए गए हैं। भुगतान प्रणाली के विभिन्न संकेतक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआइपीएस), तथा खुदरा भुगतान प्रणाली दोनों में विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन लिखतों के माध्यम से अर्थात् तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआइपीएस) के भीतर विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूतियों के समाशोधन तथा खुदरा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण और खुदरा भुगतान प्रणाली के भीतर कार्ड आधारित भुगतान के माध्यम से, मात्र और मूल्य दोनों में एक त्वरित वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। रिजर्व बैंक ने तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस)

और केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली (सीएफएमएस) सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के लिए लागत में कमी, इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण के लिए ढाँचा और भारत-नेपाल विप्रेषण योजना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपाय शुरू किए हैं। डेटा केंद्रों की स्थापना तथा इसकी कई प्रणालियों के नए केंद्रों पर सफल स्थानांतरण, जो न केवल प्रणालियों के समेकन और केंद्रीकृत डेटा संसाधन को समर्थ बनाएंगे बल्कि कारोबारी निरंतरता और आपदा बचाव भी करेंगे, वर्ष 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन की मुख्य-मुख्य बातें रही हैं। एकीकृत लेखांकन प्रणाली की कार्यान्वयन, केंद्रीकृत लोक-लेखा प्रणाली (सीपीएडीएस) का परिचालन, कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आइसीसीओएमएस) का कार्यान्वयन भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फ्रीनेट) की मल्टि-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) में स्थानांतरण और इसके कार्पोरेट मेल के एक केंद्रीकृत प्रणाली में स्थानांतरण रिजर्व बैंक के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अन्य प्रमुख गतिविधियाँ थीं। रिजर्व बैंक द्वारा पालन किए जा रहे व्यापक दृष्टिकोणों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए, ताकि बैंक अपने सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को उपयुक्त ढंग से आयोजित कर सकें, वर्ष 2008-2010 की अवधि के लिए वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी (एफएसटी) परिदृष्टि दस्तावेज का अद्यतन संस्करण भी जारी किया गया।

भुगतान और निपटान प्रणाली

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)

IX.3 भारत सरकार के कार्यालयीन राजपत्र में 20 दिसंबर 2007 को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम भुगतान प्रणालियों, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआइपीएस) के लिए मुख्य सिद्धान्तों के अनुपालन के एक महत्वपूर्ण तत्व के लिए एक सुदृढ़ विधिक आधार उपलब्ध कराता है। भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड विनियमावली (बीपीएसएस), 2008 तथा भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमतावली, 2008 को 12 अगस्त 2008 को अधिसूचित किया

गया। बीपीएसएस विनियमावली में (i) बोर्ड की स्वरचना; (ii) बोर्ड के कार्य और शक्तियाँ; (iii) बोर्ड की ओर से प्रयोग की जानेवाली शक्तियाँ; और (iv) उप-समितियों के गठन शामिल थे। भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली में निम्न बातें शामिल हैं: (i) भुगतान प्रणाली शुरू करने या जारी रखने के लिए प्राधिकरण के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करने सहित भुगतान और निपटान प्रणाली, प्राधिकरण प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र फार्मेट आदि, (ii) भुगतान निर्देश और मानक निर्धारण, (iii) विवरणियाँ, दस्तावेज और अन्य जानकारी प्रस्तुत करना; (iv) लेखापरीक्षित तुलनपत्र प्रस्तुत करना, आदि।

IX.4 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) की जुलाई 2007 से जून 2008 के बीच पाँच बैठकें हो चुकी हैं। बोर्ड के निर्देशों का जोर भुगतान और निपटान प्रणालियों में विधिक, जोखिम में कमी और ग्राहक सेवा से संबंधित मामलों पर है। यह बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निर्देश उपलब्ध कराता है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं (i) मोबाइल फोन के माध्यम से भुगतानों के लिए एक ढाँचे की तैयारी; (ii) चुंबकीय स्याही अक्षर पहचान (माइकर) समाशोधन गृहों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार; (iii) गैर-माइकर समाशोधन गृहों का कंप्यूटरीकरण; (iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या तत्काल सकल निपटान प्रणाली कारोबारी घंटों के विस्तार (आधे घंटे तक) से वस्तुतः ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सर्वेक्षण आयोजित करना; (v) सभी तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) शाखाओं को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) हेतु समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली का विस्तार; (vi) सेवा प्रभागों की सीमा तथा इन सेवाओं में कमी के लिए बैंकों द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि को शामिल करते हुए बैंकों द्वारा प्रदान की गई मुख्य भुगतान सेवाओं पर सूचना का प्रसारण; (vii) पक्षपात रहित तरीके से बाजार में प्रतियोगिता फैलाने के लिए एक घरेलू कार्ड विकसित करने की संभावना का पता लगाना; (viii) भारत में भुगतान प्रणालियों के पर्यवेक्षण पर रिपोर्ट जारी करना; (ix) समाशोधन प्रयोजनों के लिए नगर अधिकार क्षेत्रों के विस्तार पर एक तकनीकी पत्र तैयार करना और 'समूह' दृष्टिकोण के विस्तार का पता करना; (x) खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के पक्ष में डाकघरों को लाने के लिए बातचीत शुरू करना; (xi) 24 x 7 स्वरूप की विप्रेषण प्रणाली में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली का उन्नयन; (xii) भारत-नेपाल विप्रेषण प्रणाली की शुरुआत करना; (xiii)

सेवा प्रभागों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य के लिए नकदी आहरण और शेष राशि की पृच्छताछ के लिए एटीएम के उपयोग और एटीएम के इष्टतम उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राहक प्रभागों को विवेकसम्मत बनाना; तथा (xiv) रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और बाजारों के बीच भारी मूल्य के लेन-देन (प्रारंभ में 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक तथा बाद में 10 लाख रुपए और अधिक) के लिए भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप के उपयोग को अधिदेशात्मक बनाना।

IX.5 बोर्ड के निर्देशों के अनुसरण में सेवा प्रभागों पर समेकित सूचना संबंधित बैंकों की वेबसाइटों को उपलब्ध कराए गए लिंक के साथ रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एटीएम के उपयोग के लिए ग्राहक प्रभागों तथा रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और बाजारों के बीच 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक (1 अगस्त 2008 से 10 लाख रुपए) के लेन-देन हेतु भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप के अधिदेशात्मक उपयोग पर विनियामक परिपत्र भी बैंकों द्वारा जारी किए गए और उनका कार्यान्वयन किया गया। मोबाइल भुगतान पर दिशानिर्देशों का मसौदा भी वेबसाइट पर रखा गया था।

भुगतान और निपटान प्रणालियों की गतिविधियाँ

IX.6 वर्ष 2007-08 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली के विभिन्न माध्यमों के उपयोग से वार्षिक पण्यावर्त का मूल्य गत वर्ष के 37.5 प्रतिशत की तुलना में तेजी से बढ़कर 41.8 प्रतिशत हो गया। परिणामस्वरूप, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रति वार्षिक पण्यावर्त का अनुपात 2005-06 के 8.6 प्रतिशत और 2006-07 के 10.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 12.7 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2007-08 के दौरान पण्यावर्त में वृद्धि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआइपीएस) लेन-देन वित्तीय बाजार समाशोधन के निपटान के द्वारा हुई जिसमें वर्ष के दौरान एक मजबूत वृद्धि जारी रही। कुल लेन-देन में इन दो प्रकार के लेन-देन का हिस्सा वर्ष 2006-07 के 82.9 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 85.1 प्रतिशत हो गया। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआइपीएस) में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) समाशोधन के द्वारा हुआ, जो लेन-देन और उसके बाद हुए विदेशी मुद्रा समाशोधन तथा सरकारी प्रतिभूति समाशोधन है। तथापि, इन माध्यमों से किए गए समाशोधन की मात्रा के अनुसार प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसआइपीएस) और खुदरा भुगतान प्रणाली दोनों के लिए कागज आधारित लेन-देन महत्वपूर्ण बना रहा। तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) का पण्यावर्त वर्ष 2006-07 में हुई 60.1 प्रतिशत

सारणी 9.1: भुगतान प्रणाली संकेतक : वार्षिक टर्नओवर

क्र	मात्रा (000 में)				मूल्य (करोड़ रुपए)			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियां (एसआइपीएस)								
1. अंतर बैंक समाशोधन	808	*	*	*	9,91,436	*	*	*
2. उच्च मूल्य समाशोधन	13,077	15,924	18,730	21,919	46,07,208	49,81,428	50,34,007	55,00,018
3. आरटीजीएस	460	1,767	3,876	5,840	40,66,184	1,15,40,836	1,84,81,155	2,73,18,330
कुल एसआइपीएस (1 से 3)	14,345	17,691	22,606	27,759	96,64,828	1,65,22,264	2,35,15,162	3,28,18,348
					(5.2)	(6.8)	(8.5)	(10.9)
वित्तीय बाजार समाशोधन								
4. सरकारी प्रतिभूति समाशोधन	185	151	167	216	26,92,129	25,59,260	35,78,037	56,02,602
5. विदेशी मुद्रा समाशोधन	466	490	606	757	40,42,435	52,39,674	80,23,078	1,27,26,832
कुल एसआइपीएस (1 से 5 तक)	651	641	773	973	67,34,564	77,98,934	1,16,01,115	1,83,29,434
					(2.2)	(2.2)	(2.8)	(3.9)
अन्य								
6. माइक्र समाशोधन	927,571	1,015,912	1,125,373	1,201,045	37,57,608	44,92,943	54,01,429	60,28,672
7. गैर माइक्र समाशोधन	225,392	254,922	223,177	237,600	11,02,643	18,54,763	16,06,990	18,67,376
8. खुदरा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	57,900	83,241	148,997	218,800	77,702	1,06,598	1,86,160	9,71,486
9. कार्ड	171,004	201,772	229,713	316,509	31,047	39,783	49,533	70,506
कुल अन्य (6 से 9 तक)	1,381,867	1,555,847	1,727,260	1,973,954	49,69,000	64,94,087	72,44,112	89,38,039
					(1.6)	(1.8)	(1.7)	(1.9)
कुल योग	1,396,863	1,574,179	1,750,639	2,002,686	2,13,68,392	3,08,15,285	4,23,60,389	6,00,85,821
					(6.8)	(8.6)	(10.2)	(12.7)
* कागज आधारित अंतर-बैंक समाशोधन मुंबई में 1 नवंबर 2004 से और अन्य केंद्रों पर जून 2005 तक बंद कर दिया गया। अब अंतर-बैंक लेनदेन आरटीजीएस के माध्यम से किए जाते हैं जिसका परिचालन 26 मार्च 2004 से शुरू हुआ।								
टिप्पणी:								
1. उच्च मूल्य समाशोधन का संबंध 1 लाख और उससे अधिक रुपए के चेकों से है।								
2. सरकारी प्रतिभूतियों का निपटान और विदेशी मुद्रा का लेनदेन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के माध्यम से किया जाता है।								
3. मार्च 2008 के अंत में माइक्र समाशोधन 60 केंद्रों पर उपलब्ध था (एक वर्ष पूर्व 59 केंद्र थे)।								
4. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस), इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी) और विशेष इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एसइएफटी) (अप्रैल 2003 से फरवरी 2006 तक परिचालन में) और एनईएफटी (नवंबर 2005 से परिचालन में) आते हैं।								
5. कार्डों में डेबिट क्रेडिट और स्मार्ट कार्ड शामिल हैं।								
6. कोष्ठकों के आंकड़ें वर्तमान बाजार मूल्यों के प्रति सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से हैं।								

वृद्धि के शीर्ष पर वर्ष 2007-08 के दौरान तेजी से 47.8 प्रतिशत बढ़ गया (सारणी 9.1)।

खुदरा भुगतान प्रणाली

IX.7 खुदरा भुगतान प्रणाली में चेक समाशोधन, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा और कार्ड भुगतान सम्मिलित हैं। विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों का संयुक्त टर्नओवर 2006-07 के 11.6 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 23.4 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य कारण खुदरा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण में तेज वृद्धि था। चेक समाशोधन खुदरा भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम बना रहा, यद्यपि 2007-08 में खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम का हिस्सा बढ़ गया था।

IX.8 वर्ष के दौरान कटक में एक नया माइक्र चेक प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) स्थापित किया गया जिससे माइक्र सीपीसी की कुल संख्या 60 हो गई। 2007-08 के दौरान माइक्र चेक समाशोधन कागज आधारित

समाशोधन में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 83.7 प्रतिशत और 86.1 प्रतिशत था। गैर माइक्र आधारित समाशोधन और निपटान मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 16.2 प्रतिशत बढ़ गया। शेष गैर-माइक्र केंद्रों में कार्यक्षमता सुधारने के लिए समाशोधन गृहों का कंप्यूटरीकरण शुरू किया गया है। 800 से अधिक समाशोधन गृहों का कंप्यूटरीकरण किया गया है जहां निपटान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है जबकि लिखतों की छंटाई अब भी हाथ से ही की जाती है। कागज आधारित समाशोधन में और कार्यक्षमता लाने की दृष्टि से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर चेक ट्रेंडेशन परियोजना शुरू की गई।

IX.9 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस), इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली शामिल

है। इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण में पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 के दौरान पांच गुना से भी अधिक वृद्धि हुई जो खुदरा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के सभी माध्यमों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है (सारणी 9.2)। खुदरा लेनदेनों की मात्रा वृद्धि की तुलना में उनके मूल्य में वृद्धि ने कंपनियों द्वारा जारी आइपीओ की अधिक अभिदान की राशि को वापस करने के लिए शेयर बाजारों द्वारा अधिदृष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग दर्शाया। तदनुसार, खुदरा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण का हिस्सा, जो खुदरा भुगतान प्रणाली में कुछ कम (2006-07 के दौरान 2.6 प्रतिशत) था, 2007-08 के दौरान तेजी से बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गया। भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए रिजर्व बैंक ने इसके द्वारा परिचालित सभी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के लिए प्रसंस्करण प्रभार से एक और वर्ष अर्थात् मार्च 2009 तक छूट प्रदान की है। साथ ही, ईसीएस का कवरेज भी बढ़ा दिया गया जो अब पिछले वर्ष के 64 केंद्रों की तुलना में 70 केंद्रों पर उपलब्ध है। ईसीएस के माध्यम से हुए लेनदेनों (जमा और नामे दोनों) की मात्रा और मूल्य में वृद्धि हुई है जिसका कारण इस प्रणाली के प्रयोग की सुगमता के संबंध में जागरूकता और साथ ही इसकी व्याप्ति में वृद्धि होना था। ईसीएस और साथ ही एनईएफटी को भी आइपीओ अभिदान की वापसी के लिए वरीयता दी जा रही है। ईएफटी, जोकि 1995 में परिचालनगत किया गया था, की अनुमति अब केवल सरकारी भुगतान के लिए ही है। अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा निधि अंतरण एनईएफटी के माध्यम से करने हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जोकि अधिक सुरक्षित भुगतान प्रणाली है। एनईएफटी में व्यापक भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित होता है। इन दोनों कारणों से एनईएफटी के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेनों की मात्रा बढ़ गई है।

IX.10 खुदरा भुगतानों के लिए कार्डों का उपयोग भी एक अधिमानी माध्यम है। यह नामे-जमा दोनों के लिए कार्डों के माध्यम से हुए लेनदेनों की मात्रा में वृद्धि से स्पष्ट होता है (सारणी 9.3)।

IX.11 देशभर में स्वयंचालित टेलर मशीनों (एटीएम) के प्रसार (शहरी क्षेत्रों में अधिक) के कारण ग्राहक सुविधा बढ़ गई है और नकदी के आहरण और शेष राशि की जांच करने के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता कम हो गई है। एटीएम की संख्या जून 2007 के अंत के 28,704 से बढ़कर जून 2008 के अंत में 36,314 हो गई। किंतु, नकदी आहरण और शेष राशि की जांच पर ग्राहकों पर लगाए जाने वाले सेवा प्रभार की अपारदर्शिता से ग्राहक इस सुविधा का इष्टतम लाभ नहीं ले सके। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों द्वारा अपने बैंक के एटीएम और अन्य बैंकों के एटीएम का उपयोग करने संबंधी विभिन्न मामलों की जांच की। "बैंकों के एटीएम: उचित मूल्यन और अधिक पहुंच" पर एप्रोच पेपर बनाया गया। इस संबंध में प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर रिजर्व बैंक ने नकदी आहरण और शेष राशि की जांच के लिए एटीएम के उपयोग पर ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभारों पर दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातें शामिल हैं: i) अपने बैंक के एटीएम का किसी भी प्रयोजनार्थ प्रयोग 10 मार्च 2008 से मुफ्त होगा, ii) शेषराशि की जांच के लिए किसी भी अन्य बैंक के एटीएम का प्रयोग 10 मार्च 2008 से मुफ्त होगा, iii) अन्य बैंकों के एटीएम के प्रयोग का शुल्क 1 अप्रैल 2008 से 20 रुपए से अधिक नहीं होगा और 1 अप्रैल 2009 से यह मुफ्त होगा।

IX.12 अनेक राज्य सरकारों ने समाज कल्याण कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनमें लाभार्थियों को भुगतान शामिल है। भुगतान का माध्यम या तो सरकारी कार्यालय होते हैं या बैंक या मनी ऑर्डर जैसे अन्य माध्यम होते हैं। रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को कारोबार प्रतिनिधि को संबद्ध करने की अनुमति देने के रूप में अपनी वित्तीय समावेशन पहलों के माध्यम से अब

सारणी 9.2 : खुदरा इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली

प्रकार	मात्रा (000 में)				मूल्य (करोड़ रुपए)			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएस - क्रेडिट	40,051 (97.3)	44,216 (10.4)	69,019 (56.1)	78,365 (13.5)	20,180 (97.3)	32,324 (60.2)	83,273 (157.6)	7,82,222 (839.3)
ईसीएस - डेबिट	15,300 (93.7)	35,958 (135.0)	75,202 (109.1)	127,120 (69.0)	2,921 (29.6)	12,986 (344.6)	25,441 (95.9)	48,937 (92.4)
ईएफटी/एनईएफटी	2,549 (211.2)	3,067 (20.3)	4,776 (55.7)	13,315 (178.8)	54,601 (218.8)	61,288 (12.2)	77,446 (26.4)	1,40,326 (81.2)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ों के पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं।

सारणी 9.3 : कार्ड आधारित भुगतान

प्रकार	लेनदेन की मात्रा (000 में)				लेनदेन का मूल्य (करोड़ रुपए)			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रेडिट कार्ड	129,472 (29.2)	156,086 (20.6)	169,536 (8.6)	228,203 (34.6)	25,686 (45.4)	33,886 (31.9)	41,361 (22.1)	57,958 (40.1)
डेबिट कार्ड	41,532 (10.0)	45,686 (10.0)	60,177 (31.7)	88,306 (46.7)	5,361 (10.0)	5,897 (10.0)	8,172 (38.6)	12,521 (53.2)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं।

तक ध्यान न दिए गए क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने के लिए कुछ कार्य किए हैं। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से समाज के दुर्बल और जरूरत लोगों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभों के लिए अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने की भी आवश्यकता है। इस संबंध में, संबंधित मामलों का विश्लेषण करने के लिए तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा अपनाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) प्रणाली के लिए उचित

व्यवहार्य फ्रेमवर्क का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई थी (बॉक्स IX.1)।

IX.13 विश्व के अनेक देशों ने बैंकिंग सेवाएं देने के लिए मोबाइल फोन की महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में पहचान की है। संप्रेषण के इस माध्यम के तेज विस्तार से वित्तीय समावेशन की लक्ष्य प्राप्ति को बल मिला है। किंतु, इस प्रौद्योगिकी में अब भी विकास हो रहा है और सुरक्षा मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है। फिर भी, इस माध्यम ने दूरस्थ क्षेत्रों

बॉक्स IX.1

इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण के लिए फ्रेमवर्क सुझाव समिति की रिपोर्ट - मुख्य सिफारिशें

उक्त समिति (अध्यक्ष : आर.बी.बर्मन) की सिफारिशों की निहित धारणा के अनुसार एक व्यापक कार्य पद्धति होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कारोबार प्रतिनिधि और बायोमेट्रिक आधारित स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वित्तीय समावेशन की योजना अपनाने हुए बैंकिंग माध्यमों का प्रयोग करते हुए सरकारी भुगतान अंतिम लाभार्थी तक पहुंच जाए। इस समिति ने इसके कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी के लिए फ्रेमवर्क भी सुझाया। समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नवत् हैं:

- समिति ने इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) के तीन मॉडलों नामतः बैंक शाखा मॉडल, बैंक-की अनुवाई वाले मॉडल और नॉन-बैंक मॉडल के लाभ-हानियों की विस्तृत जांच की। इसने सरकारी लाभों के संवितरण के लिए बैंक-की अनुवाई वाले मॉडल को अन्य दो मॉडलों की तुलना में वरीयता दी। ऐसा मॉडल 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन की कार्यनीति के अनुरूप कार्य कर सकता है।
- समिति ने महसूस किया कि निगरानी और समीक्षा के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण सुनिर्धारित प्रणाली है, और बैंक तथा राज्य सरकारें कार्यान्वयन की कार्यपद्धति से परिचित हैं, अतः सरल कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी आधारित ईबीटी प्रणालियों की निगरानी की साध्यता के लिए एक जिला - एक बैंक का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। जिन स्थानों में एक जिला - बहुविध बैंक दृष्टिकोण संतोषजनक तरीके से कार्य कर रहा है, वहां उसे जारी रखा जाए। एक जिला - एक बैंक दृष्टिकोण को परिचालनगत करने के लिए सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श करके बैंक की पहचान करने की आवश्यकता है।
- सरकारी लाभों को लाभार्थी के रहने के स्थान पर ही देना अंतिम वांछित लक्ष्य होना चाहिए। दो स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। प्रारंभ में,

संवितरण का कार्य बैंक या उसके कारोबार प्रतिनिधि के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना चाहिए। बाद में, संवितरण अलग-अलग गांवों तक जा सकता है।

- मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत कारोबार प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत ई-गवर्नन्स किऑस्क की व्यवहार्यता पर तब विचार किया जाए जब उनकी व्याप्ति अच्छी तरह बढ़ जाए और वे ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम संस्थाएं बन जाएं और कारोबार प्रतिनिधि पर रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के प्रावधान के अंतर्गत बैंकों के विस्तारित भाग के रूप में भुगतान सेवाएं देने लग जाएं।
- दोहराव से बचने की प्रणाली के साधन प्रयोग में लाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों की सटीक पहचान हो जाए और गलत व्यक्ति को लाभ न मिले या एक ही योजना में अनेक लोगों द्वारा गलत तरीके से लाभ न लिया जाए।
- भुगतान सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उचित रूप संप्रेषित होनी चाहिए ताकि राज्य सरकारों की अपेक्षानुसार विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें निकालने के लिए एक डेटाबेस तैयार हो जाए।
- प्रायोगिक आधार को संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य तक प्रसारित करने की परियोजना दिसंबर 2008 तक पूरी हो जानी चाहिए। परियोजना के कार्यान्वयन की आवधिक निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरीय संचालन समिति बनाई जाए। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और संयोजक ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव होंगे। जिला स्तरीय संचालन समिति का समन्वय वह बैंक करेगा जिसे ईबीटी कार्यान्वयन के लिए जिला आबंटित किया गया हो।

में जनसंख्या के एक बड़े भाग को संप्रेषण के साधन मुहैया कराए हैं। भारत में मोबाइल फोन कनेक्शन की पहुंच बहुत तेजी से बढ़ रही है। 31 मार्च 2008 को देश में लगभग 265 मिलियन मोबाइल फोन कनेक्शन हैं और एक माह के भीतर लगभग आठ मिलियन नए कनेक्शन जुड़ रहे हैं। एक लेवल प्लेइंग फिल्ड सुनिश्चित करने और यह देखते हुए कि यह प्रौद्योगिकी नई है, रिजर्व बैंक ने सुरक्षा और लेनदेनों का समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक मानक निर्धारित करते हुए लोगों की टिप्पणी के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा अपनी वेबसाइट पर रखा।

तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली

IX.14 उच्च मूल्य के लेनदेनों के तेज निपटान को सुकर बनाने के लिए मार्च 2004 से शुरू की गई आरटीजीएस प्रणाली बढ़े हुए शाखा नेटवर्क और व्यापक भौगोलिक कवरेज के साथ स्थिर हो गई है। जून 2008 अंत में आरटीजीएस कनेक्टिविटी 47,608 शाखाओं तक बढ़ा दी गई थी जिससे इस प्रणाली के माध्यम से निपटाई गई मात्रा में तेज वृद्धि हुई। आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से निपटानों की मात्रा और मूल्य में, अंतर बैंक और ग्राहक दोनों घटकों में, विशेष रूप से 2007-08 की अंतिम तिमाही में तेजी से वृद्धि हुई (सारणी 9.4)। आरटीजीएस प्रणाली और बैंकों की आंतरिक लेखांकन प्रणाली में समन्वय से स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग

सुकर हो गई है। साथ ही, आरटीजीएस - आइएएस और प्रतिभूति निपटान प्रणाली (एसएसएस) के एकीकरण से स्वचालित अंतरदिवसीय चलनिधि (आइडीएल) उपलब्ध हो गई है। एनसीसी, मुंबई में समाशोधन और निपटान परिचालन तथा सीसीआइएल परिचालित प्रणालियां आरटीजीएस में बहुपक्षीय निवल निपटान बैच (एमएनएसबी) मोड के रूप में निपटाए जाते हैं।

केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस)

IX.15 रिजर्व बैंक में अपने चालू खाते रखने वाले बैंक सीएफएमएस के माध्यम से रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में अपनी शेष राशि देख सकते हैं [केंद्रीकृत निधि जांच प्रणाली (सीएफईएस) के माध्यम से] और रिजर्व बैंक के कार्यालयों के बीच निधि अंतरित कर सकते हैं [केंद्रीकृत निधि अंतरण प्रणाली (सीएफटीएस) के माध्यम से]। यह सुविधा अब रिजर्व बैंक के सभी केंद्रों में उपलब्ध है। इस समय, 71 सदस्य बैंक इस सुविधा का व्यापक उपयोग कर रहे हैं।

भारत-नेपाल विप्रेषण

IX.16 भारत और नेपाल के बीच एक औपचारिक विप्रेषण प्रणाली की स्थापना के महत्व को देखते हुए एक समिति (अध्यक्ष: डा.आर.बी.

सारणी 9.4: आरटीजीएस लेनदेन

वर्ष/माह (मार्चांत)	सहभागियों की संख्या	शाखाओं की संख्या	अंतर बैंक		ग्राहक		कुल	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा (4+6)	मूल्य (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2004-05	उ.न.	उ.न.	391,931	38,16,522	68,492	2,49,662	460,423	40,66,184
2005-06	उ.न.	उ.न.	1,053,940	89,70,624	713,058	25,70,212	1,766,998	1,15,40,836
2006-07	106	28,697	1,393,728	1,13,13,347	2,481,779	71,67,808	3,875,507	1,84,81,155
2007-08	101	43,512	1,693,986	1,12,18,157	4,146,041	1,61,00,173	5,840,027	2,73,18,330
अप्रैल 2007	105	29,000	122,776	11,09,958	205,699	8,37,607	328,475	19,47,565
मई 2007	105	29,850	131,529	8,75,831	236,852	9,33,090	368,381	18,08,921
जून 2007	100	30,795	131,482	8,16,060	248,997	12,50,114	380,479	20,66,174
जुलाई 2007	100	31,840	131,358	8,40,713	263,319	13,83,382	394,677	22,24,096
अगस्त 2007	100	32,768	137,414	9,83,549	280,917	11,88,034	418,331	21,71,582
सितंबर 2007	100	33,578	127,097	9,10,182	277,955	12,09,225	405,052	21,19,407
अक्टूबर 2007	99	34,485	141,349	8,46,505	340,576	13,07,703	481,925	21,54,208
नवंबर 2007	100	35,685	146,727	8,87,495	375,960	13,94,946	522,687	22,82,441
दिसंबर 2007	100	36,677	145,098	7,91,095	408,181	14,14,048	553,279	22,05,144
जनवरी 2008	100	38,926	159,111	11,88,764	475,241	17,46,045	634,352	29,34,809
फरवरी 2008	102	41,760	156,135	9,89,587	481,218	16,37,191	637,353	26,26,778
मार्च 2008	105	43,512	163,910	9,78,417	551,126	17,98,788	715,036	27,77,205

उ.न. : उपलब्ध नहीं

बर्न) का गठन किया गया था। इस समिति ने एक प्रणाली के गठन की शीघ्रता दर्शाई और दो वैकल्पिक मॉडलों - केंद्रीय बैंक मॉडल और वाणिज्य बैंक मॉडल - का सुझाव दिया। दोनों मॉडलों के पक्ष और विपक्ष की जांच के बाद यह सुझाव दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक के समावेशन वाला केंद्रीय बैंक मॉडल वांछनीय होगा। किंतु, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नेपाल राष्ट्र बैंक की बुनियादी सुविधाएं तैयार करने में कुछ समय लग जाएगा, यह सुझाव दिया गया था कि इस प्रणाली को वाणिज्य बैंक मॉडल का प्रयोग करके शुरू किया जाए। तदनुसार, यह प्रणाली 15 मई 2008 से कार्यरत हो गई है (बॉक्स IX.2)।

भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी

IX.17 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 अधिसूचित किया गया है जिससे रिजर्व बैंक को देश में सभी भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के अधिकार मिल गए हैं। रिजर्व बैंक वर्तमान में इन कार्यों का निर्वाह बैंकों के विनियामक के रूप में कर रहा है। इसने माइकर और नॉन-माइकर समाशोधन गृहों के लिए न्यूनतम मानक बनाए हैं। साथ ही, ईसीएस और एनइएफटी के परिचालन के लिए भी ऐसे ही न्यूनतम मानक बनाकर उसे समाशोधन गृहों को भेजा गया है ताकि वे उसे अपना सकें।

सूचना प्रौद्योगिकी

रिजर्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी

IX.18 रिजर्व बैंक ने अपने दैनिक कार्यों में कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) का प्रयोग बढ़ा दिया है। 2007-08 के दौरान, रिजर्व बैंक ने आंकड़ा केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने के प्रयास किए, जिससे न केवल प्रणालियों और केंद्रीकृत आंकड़ा प्रसंस्करण का समेकन होगा बल्कि यह कारोबारी निरंतरता और आपात स्थिति में आपदा में सुधार का कार्य भी करेगा। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने तीन अत्याधुनिक आंकड़ा केंद्र स्थापित किए और अपनी अनेक प्रणालियां नए आंकड़ा केंद्रों में अंतरित कीं। आंकड़ा केंद्रों का स्वरूप ऐसा बनाया गया कि वे अपटाइम इंस्टिट्यूट¹ का टीयर - IV मानक पूरा कर सकें जो सभी घटकों की अतिरिक्तता के प्रबंध करता है। आंकड़ा केंद्रों की स्थापना के साथ ही प्रणालियों का मौजूदा वितरित ढांचे से आंकड़ा केंद्रों में केंद्रीकृत स्थल में अंतरण का कार्य शुरू हो गया। सुरक्षित इंटरनेट वेबसाइट, कार्पोरेट मेल मेसेजिंग प्रणाली और दस्तावेज प्रबंध सूचना प्रणाली (डीएमआइएस) नए ढांचे में अंतरित हो चुकी हैं जबकि केंद्रीकृत लोक लेखा विभाग प्रणाली (सीपीएडीएस) के प्रति अंतरण का कार्य चल रहा है जो सभी कार्यालयों में शुरू किया गया था। अन्य प्रणालियां अंतरण के विभिन्न चरणों में हैं। तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस)

बॉक्स IX.2

भारत - नेपाल विप्रेषण योजना - मुख्य विशेषताएं

- I. लक्षित समूह भारत में कार्यरत नेपाली मूल के वे प्रवासी कामगार हैं जो नेपाल में रहने वाले उनके परिवारों की सहायताार्थ नियमित अंतराल पर विप्रेषण करते हैं।
- II. यह बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत से नेपाल में होने वाले एकपक्षीय विप्रेषण को ही सुकर बनाता है,
- III. इस योजना के अंतर्गत प्रति विप्रेषण की राशि की अधिकतम सीमा 50,000 भारतीय रुपए (आइएनआर) निर्धारित की गई है और कोई भी प्रवासी नेपाली कामगार इस योजना के तहत एक वर्ष में अधिकतम 12 विप्रेषण कर सकता है।
- IV. भारत से विप्रेषण आइएनआर में होंगे जबकि लाभार्थियों को भुगतान नेपाली रुपए में किए जाएंगे।
- V. यह विप्रेषण सुविधा बैंकों के ग्राहकों और अन्य के लिए भी उपलब्ध है। इस प्रकार, इन दोनों देशों में या दो में से किसी एक देश में भी

- खाता न रखने वाला कोई भी नेपाली प्रवासी कामगार इस विप्रेषण योजना में सहभागी हो सकता है। ऐसे मामलों में विप्रेषणकर्ता को पासपोर्ट/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस/टेलीफोन बिल/ भारत स्थित नियोक्ता द्वारा ब्यौरे सहित जारी किया गया पहचान-प्रमाणपत्र तथा फोटोयुक्त जैसा पहचान का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- VI. भारत स्थित सभी एनईएफटी युक्त बैंक शाखाओं को इस सीमापारीय विप्रेषण पहल में सहभागी होना होगा।
- VII. नेपाल में लाभार्थियों को विप्रेषण का वितरण नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड की शाखाओं और उनके द्वारा अनुमोदित एजेंटों के माध्यम से किया जाएगा।
- VIII. लक्षित समूह नेपाल के गरीब कामगार होने के कारण एक रियायती प्रभार ढांचा तैयार किया गया है।

¹ अपटाइम इंस्टिट्यूट एक अंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त संस्था है जिसका मुख्यालय सांता फे, न्यू मेक्सिको, यूएसए में है। यह संस्था अन्य बातों के अलावा आंकड़ा केंद्रों के श्रेणीकरण के मानक उपलब्ध कराती है जो टीयर कहलाते हैं और इस समय टीयर IV सर्वोच्च स्तर का है जो आंकड़ा केंद्रों का 99.999 प्रतिशत अपटाइम उपलब्ध कराता है।

और वार्तातय लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) जैसे महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली अनुप्रयोग आंकड़ा केंद्र में स्थित प्रणालियों में अंतरित करके जांचे गए हैं और इस प्रकार विशेष रूप बैंकिंग क्षेत्र के लिए और व्यापक रूप से जनसामान्य के लिए अत्याधुनिक समाधान का मार्ग बन गया है।

रिजर्व बैंक के अंतर्गत प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन

IX.19 रिजर्व बैंक के सभी परिचालनों में आइटी के मजबूत जुड़ाव से सुरक्षित आइटी आधारित प्रणालियों की आवश्यकता का महत्व बढ़ गया है। 2007-08 के दौरान, बैंक में सभी आइटी प्रयोक्ताओं द्वारा अपनाए जाने के लिए सूचना प्रणालियों/सुरक्षा नीति पर विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए थे और स्टाफ, आइटी प्रयोक्ता, विक्रेता और अन्य पणधारियों के बीच व्यापक रूप से उनका प्रसार किया गया था।

IX.20 समग्र रिजर्व बैंक के लिए जनरिक आर्किटेक्चर में प्रवेश करने के व्यापक क्षेत्रों का अनुसरण करना रिजर्व बैंक के आंतरिक प्रयोक्ताओं के लिए आइटी सेवा के आधार पर कार्य को सुकर बनाने का केंद्र बना रहा। इसमें केंद्रीकृत दृष्टिकोण के साथ आइटी प्रणाली की स्थापना; सामान्य डेटाबेस और एकसमान परिचालन वातावरण तथा रिजर्व बैंक के भीतर आइटी आधारित परिचालन की सुगमता पर केंद्रित अन्य उपाय शामिल हैं। रिजर्व बैंक में विभिन्न विभागों के प्रयोग के लिए समग्र और केंद्रीकृत प्रणाली उपलब्ध कराने पर बल देना जारी रखते हुए 2007-08 के दौरान निम्नलिखित पहलें की गईं।

IX.21 पहली, समन्वित लेखांकन प्रणाली (आइएएस) लागू की गई जो रिजर्व बैंक में जमा लेखा विभाग में पहले से कार्यरत वर्तमान आइटी

प्रणाली का स्थान लेगी। इस प्रणाली की समग्र जांच की गई और यह परिचालनात्मक अपेक्षाएं पूरी कर रही है।

IX.22 दूसरी, भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में समानांतर प्रणाली के रूप में केंद्रीकृत सार्वजनिक लेखा प्रणाली (सीपीएडीएस) शुरू की गई; केंद्रीकृत पीडीओ अब अनेक वर्षों से कार्यरत है।

IX.23 तीसरी, समन्वित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आइसीसीओएमएस) कार्यान्वित की गई थी जो देश में 4,500 से अधिक मुद्रा तिजोरियों के लिए केंद्रीकृत रिपोर्टिंग सहित नकदी और मुद्रा प्रबंध को सुकर करती है।

IX.24 चौथी, सुगमतापूर्वक चलने वाली अन्य प्रणालियों में केंद्रीकृत डेटाबेस प्रबंध प्रणाली (सीडीबीएमएस), रिजर्व बैंक का आंकड़ा भंडार; सुरक्षित इंटरनेट वेबसाइट (जो प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को इंटरनेट आधारित पहुंच उपलब्ध कराती है); और विनियामक और पर्यवेक्षी विभागों के लिए परोक्ष निगरानी प्रणाली (ऑसमॉस) और केंद्रीकृत ऑसमॉस (कॉसमॉस) जैसी प्रणालियां शामिल हैं।

IX.25 रिजर्व बैंक में आइटी को आत्मसात करने और प्रयोग के स्तर का स्पष्ट विश्लेषण उपलब्ध कराने की दृष्टि से, मुख्य आकलन मानदंडों के संबंध में निष्पादन बेंचमार्किंग आवधिक रूप से की गई थी। चार महत्वपूर्ण अपेक्षा कारकों के संबंध में, 100 प्रतिशत कार्यान्वयन पूरा किया गया था जबकि तीन अन्य मानदंडों के संबंध में कार्यान्वयन 90 और 97 प्रतिशत के बीच था (सारणी 9.5)।

IX.26 दिन-प्रतिदिन के परिचालनों में आइटी समाधानों द्वारा निर्भार्य गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह अनिवार्य है कि वे हर समय

सारणी 9.5 : सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण घटक : 2007-08

महत्वपूर्ण आवश्यक घटक	कार्यनिष्पादन मानदंड	मार्च 2007 के अंत की स्थिति	मार्च 2008 के अंत की स्थिति
1	2	3	4
मानकीकरण	सभी विभागों में	95 प्रतिशत पूर्ण; 5 प्रतिशत कार्याधीन	97 प्रतिशत पूर्ण; 3 प्रतिशत कार्याधीन
एकीकृत अनुप्रयोग प्रणाली	सभी कार्यरत इकाइयों के लिए	85 प्रतिशत पूर्ण; 15 प्रतिशत कार्याधीन	90 प्रतिशत पूर्ण; 10 प्रतिशत कार्याधीन
सर्वर समेकन	सभी स्थानों पर	90 प्रतिशत पूर्ण; 10 प्रतिशत कार्याधीन	95 प्रतिशत पूर्ण; 5 प्रतिशत कार्याधीन
कनेक्टिविटी	सभी कार्यालयों और सभी स्थानों पर	100 प्रतिशत पूर्ण;	100 प्रतिशत पूर्ण;
उत्पादकता साधन	सभी महत्वपूर्ण मेनफ्रेम अनुप्रयोगों के लिए	100 प्रतिशत पूर्ण;	100 प्रतिशत पूर्ण;
कापॉरिट ई-मेल	सभी स्थानों पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए	100 प्रतिशत पूर्ण;	100 प्रतिशत पूर्ण;
आइएस सुरक्षा	सभी सूचना प्रणालियों के लिए	95+ प्रतिशत पूर्ण;	100 प्रतिशत पूर्ण;

उपलब्ध हों। अतः, आपदा के समय भी कोई भी आकस्मिक आवश्यकता पूरी करने के लिए कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) उपलब्ध है। भुगतान प्रणाली अनुप्रयोग प्रणालियों (यथा आरटीजीएस, सीएफएमएस, पीडीओ-एनडीएस और एसएफएमएस) सहित महत्वपूर्ण आइटी आधारित प्रणालियों को ऐसा बनाया गया है कि उनकी निर्बाध उपलब्धता का उच्च स्तर बना रहे। आवधिक आपदा सुधार ड्रिल का आयोजन सभी सहभागी सदस्यों को शामिल करते हुए नियमित रूप से किया जाता है।

IX.27 आइटी प्रयोग करने वाले सभी केंद्रीकृत परिचालनों के केंद्र में विश्वसनीय संचार नेटवर्क है जो रिजर्व बैंक के सभी स्थानों और उसके घटकों को जोड़ता है। इन्फ्रीनेट के क्लोज्ड यूजर ग्रूप नेटवर्क से मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) में अंतरण के कार्य में गति आ गई। इस नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके रिजर्व बैंक के सभी कार्यालय जोड़े गए जिसका लक्ष्य ऐसे नेटवर्क आधारित परिचालनों के लिए अपेक्षित सुरक्षा के स्तरों को कम किए बिना कार्यकुशलता और कम लागत उपलब्ध कराना था।

IX.28 रिजर्व बैंक की कार्पोरेट मेल प्रणाली, जो नेटवर्क आधारित प्रणाली में कार्य करती है, ने संतोषप्रद रूप से कार्य किया। वर्ष के दौरान की मुख्य गतिविधि मेल मेसेजिंग प्रणाली का केंद्रीकृत प्रणाली में अंतरण था - जो सिंगल फॉरेस्ट बेस्ड मेल मेसेजिंग प्रणाली कहलाती है। नई प्रणाली स्थिर हो गई है, जो प्राधिकृत प्रयोक्ता को कहीं से भी और घूमते समय भी पहुंच उपलब्ध कराती है।

IX.29 आइटी आधारित सुपर्दगी माध्यम में स्थिरता आ जाने से नए सुपर्दगी माध्यमों के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकी के अभिसरण की आवश्यकता है (बॉक्स IX.3)।

रिजर्व बैंक और आइडीआरबीटी

IX.30 बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी) न केवल रिजर्व बैंक को बल्कि संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र को भी नेटवर्किंग संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का केंद्र रहा है। यह संस्थान निरंतर इन्फ्रीनेट संबंधी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है जिसमें वर्ष के दौरान बल संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र के लिए नेटवर्क के मल्टी-प्रोटोकॉल

बॉक्स IX.3

प्रौद्योगिकी का अभिसरण - नए सुपर्दगी माध्यम

हाल के वर्षों में बैंक नए सुपर्दगी माध्यमों का प्रयोग करते हुए सेवा देने में और आइटी आधारित समाधान का प्रयोग करते हुए सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में समर्थ रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं स्वीकृत सुपर्दगी माध्यम बन गई हैं जिसकी विवेकी ग्राहकों के बीच लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मात्र 'ब्राउज' सुविधा के रूप में शुरू हुई इंटरनेट बैंकिंग में आज ग्राहकों को लगभग सभी लेनदेन करने की सुविधा उपलब्ध है। उसी प्रकार, मोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ग्राहक संदेश भेज सकते हैं जिसके फलस्वरूप वे उनके संबंधित खातों के लेनदेन का ब्योरा जान सकने के अलावा निधि अंतरण और नामे प्राधिकरण कार्य भी कर सकते हैं। किसी विशेष निर्धारित सीमा से अधिक के लेनदेन करने पर मोबाइल टेलीफोन सतर्क करता है, इंटरनेट आधारित अधिसूचनाएं और अन्य फोन बैंकिंग सुविधाएं बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं। कोर बैंकिंग प्रणालियां प्रारंभ कर चुके सभी बैंक ये सुविधाएं विभिन्न रेंज में उपलब्ध कराते हैं।

रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों के लिए अनेक नए माध्यम भी उपलब्ध कराता है। वर्षों पहले लागू किया गया ऐसा पहला माध्यम सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल) खातों में कार्रवाई संबंधी था। ये खाते, जो पहले उन विशेष कार्यालयों से संबद्ध माने जाते थे जहां से वे जारी किए गए थे बाद में, उनकी सर्विसिंग के संबंध में अखिल भारतीय स्वरूप के हो गए। इंटरनेट का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होना शुरू होने से रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग (सरकारी विभागों सहित) के ग्राहक रिजर्व बैंक की सार्वजनिक वेबसाइट से जुड़ने के

लिए इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद उनके खाते से संबंधित आंकड़ों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रूप से लॉग-इन कर सकते हैं और इस जानकारी को अपनी कंप्यूटर प्रणालियों पर डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि वे इन आंकड़ों को भावी प्रसंस्करण के लिए प्रयोग कर सकें। शिकायतों की ऑनलाइन खोज, ई-अधिप्राप्ति सुविधा और केंद्रीय बैंक को इलेक्ट्रॉनिक आधारित संप्रेषण ऐसी अन्य सेवा देने की प्रक्रियाएं हैं जो आइटी का प्रयोग करके पहले से ही लागू की गई हैं।

नए-नए सुपर्दगी माध्यम उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी रखते हुए निकट भविष्य की योजनाओं में चेक ट्रैकेशन की शुरुआत (जहां मूर्त कागजी चेक नहीं चलते हैं; इसके बदले प्रसंस्करण के लिए चेक की प्रतिछाया प्रयोग में लाई जाती है, जिससे कम मानवी हस्तक्षेप से ही तेज प्रसंस्करण और तेज निधि प्राप्ति होती है) शामिल है। इसके अलावा, कार्य प्रवाह आधारित प्रसंस्करण (जहां संप्रेषण के लिए बल कागजी कार्रवाई पर कम और सूचना के तत्काल प्रसारण पर अधिक बल दिया जाता है), मोबाइल इनपुट/सतर्कता, बेव आधारित पहुंच, बुलेटिन बोर्ड आदि शुरू किए जा रहे हैं।

इन सभी पहलों का केंद्र अभिसरण है। अभिसरण का लक्ष्य विविध प्रौद्योगिकी आधारित समाधान उपलब्ध कराना है जिनमें से सभी अखंडित रूप से अंतर-परिचालनीयता उपलब्ध कराएंगे जिससे प्रयोक्ता कई विकल्पों में से अपनी सुविधानुसार विकल्प चुन पाएगा।

लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) - आधारित संप्रेषण सेवाओं में अंतरण पर रहा है। आइटीआरबीटी बैंकिंग क्षेत्र को प्रमाणन प्राधिकारी संबंधी कार्य और राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस) का प्रबंधन भी उपलब्ध कराता रहा जो एटीएम के लिए इंटर स्विच संबद्धता की सुविधा देता है।

आइएस लेखा परीक्षा

IX.31 सूचना प्रणाली (आइएस) लेखापरीक्षा अब रिजर्व बैंक में नियमित कार्य बन गया है और यह आइटी प्रणालियों संबंधी संपूर्ण जीवन चक्र को कवर करती है। प्री-लॉन्च लेखापरीक्षा, कार्यान्वयन-पश्चात अध्ययन और नियमित आइएस लेखापरीक्षा जैसे विभिन्न घटक अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदंडों और दृष्टिकोणों का पालन करते हैं। दिन-प्रतिदिन के परिचालनों में आइटी के बड़े पैमाने पर प्रयोग से इन कार्यों से संबंधित जोखिमों में एक नया आयाम जुड़ गया है जिससे उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियां आवश्यक हो गई हैं (बॉक्स IX.4)।

वित्तीय क्षेत्र के लिए आइटी

IX.32 रिजर्व बैंक द्वारा की गई आइटी पहलों का देश में बैंकों के परिचालनों पर प्रभाव पड़ा है। बैंक अपनी आइटी पहलों की उपयुक्त रूप से योजना बना सकें इसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया जा रहा व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिजर्व बैंक अपनी मुख्य योजनाओं की रूपरेखा 2008-10 की अवधि के लिए वित्तीय क्षेत्र के प्रौद्योगिकी (एफएसटी) विजन दस्तावेज में दे रहा है। इस दस्तावेज के

2008-10 के अद्यतन रूप को 2007-08 के दौरान अंतिम रूप देकर प्रकाशित किया गया था (बॉक्स IX.5)।

IX.33 जहां तक बैंकों का संबंध है, वर्ष के दौरान की मुख्य गतिविधि लगभग सभी बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर कोर बैंकिंग प्रणालियां अपनायी थी जो बैंकों के ग्राहकों को अनेक सुविधाएं देने के अलावा बैंकों का प्रसंस्करण ढांचा भी बढ़ाती है।

संभावना

XI.34 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को अधिसूचित किया गया है। रिजर्व बैंक को देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के अधिकार मिले हैं जिनमें वे भी शामिल हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित न की जाने वाली संस्थाओं द्वारा परिचालित किए जाते हैं। रिजर्व बैंक इस अधिनियम को लागू करते समय मौजूदा भुगतान प्रणालियों का सुगम परिचालन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसका परिचालन निरंतर होना चाहिए। प्रणाली उपलब्ध कराने के इच्छुकों का विश्लेषण भुगतान प्रणाली की आवश्यकता और साथ ही उसे उपलब्ध कराने वाले की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। खुदरा भुगतान प्रणालियों में कार्यक्षमता सुधारने और खुदरा परिचालनों के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद (एनपीसीआई) का गठन प्राथमिकता होगी। भुगतान और निपटान प्रणाली का सुगम

बॉक्स IX.4

आइटी आधारित परिचालनों में जोखिम प्रबंधन

आइटी आधारित वातावरण में जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य किसी संगठन को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि उसके मिशन-क्रिटिकल कार्य अबाध रूप से जारी रहें, न कि मात्र उसकी आइटी अस्तित्यों को सुरक्षा मिले। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य आइटी प्रणाली की इष्टतम सुरक्षा सुनिश्चित करना है जहां सूचना जमा, प्रसंस्कारित और प्रेषित की जाती है ताकि प्रबंध तंत्र पूरी जानकारी के साथ जोखिम प्रबंधन के निर्णय ले सकें और सहायक दस्तवेजों के आधार पर आइटी प्रणालियों के प्राधिकरण (या मान्यता देना) सुकर हो जाएं। जोखिम प्रबंधन तभी प्रभावी होगा जब वह आइटी परियोजना के प्रारंभिक चरण में ही, उसकी शुरुआत से ही, समन्वित किया जाए। किसी सॉफ्टवेयर प्रणाली के लिए जोखिम प्रबंधन का उदाहरण नीचे दिया गया है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकल (एसडीएलसी) में शामिल किया जा सकता है:

- **चरण 1 - प्रारंभ:** आइटी प्रणाली की आवश्यकता प्रकट करके आइटी प्रणाली के प्रयोजन और व्यापित का प्रलेखीकरण किया जाता है। उसके बाद, सुरक्षा अपेक्षा सहित प्रणाली की अपेक्षाओं के विकास के सहायतार्थ पहचाने गए जोखिम प्रयोग में लाए जाते हैं और परिचालन की सुरक्षा अवधारणा बनाई जाती है।
- **चरण 2 - सॉफ्टवेयर विकास या अभिप्राप्ति:** आइटी प्रणाली बनाई, खरीदी, प्रोग्राम की गई, विकसित या अन्य रूप से निर्मित की जाती है। इस चरण में पहचाने गए जोखिम आइटी प्रणाली के सुरक्षा विश्लेषण के समर्थन के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं जो प्रणाली के विकास के दौरान वास्तुकला और डिजाइन के बीच तालमेल की ओर ले जाते हैं।

- **चरण 3 - कार्यान्वयन -** प्रणाली की सुरक्षा विशेषताएं कॉन्फिगर, एनेबल्ड, जांची गई और सत्यापित होनी चाहिए। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया उसकी अपेक्षा के प्रति और उसके आदर्श परिचालनात्मक वातावरण के भीतर प्रणाली के कार्यान्वयन के आकलन में सहायता करती है। पहचाने गए जोखिम संबंधी निर्णय प्रणाली परिचालन से पहले लिए जाने चाहिए।
- **चरण 4 - परिचालन और रखरखाव:** इस प्रणाली का परिचालन शुरू होने और उसके कार्य करना शुरू करने के बाद प्रणाली को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जोड़कर और संगठनात्मक प्रसंस्करणों, नीतियों और क्रियाविधियों में परिवर्तन करके निरंतर आधार पर संशोधित किया जाएगा। जोखिम प्रबंधन कार्य आवधिक रूप से प्रणाली के पुनर्प्राधिकरण (या पुनः मान्यता देने) या किसी आइटी प्रणाली के परिचालनात्मक, उत्पादन वातावरण (उदाहरणार्थनए प्रणाली इंटरफेस) में भारी परिवर्तन होने पर किए जाते हैं।
- **चरण 5 - निपटान:** इस चरण में सूचना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निपटान शामिल है। इसके कार्य में सूचना आगे बढ़ाना, अभिलेखन, हटा देना या नष्ट करना और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सफाई के कार्य शामिल हैं। जोखिम प्रबंधन के कार्य प्रणाली के घटकों के लिए किए जाते हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए निपटारा या प्रतिस्थापित किए जाते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उचित रूप से निपटान किया जाता है, शेष आंकड़ों को ठीक से हैंडल किया जाता है और प्रणाली अंतरण सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से किया जाता है।

बॉक्स IX.5
वित्तीय क्षेत्र की प्रौद्योगिकी संबंधी विजन दस्तावेज - 2008-10

वित्तीय क्षेत्र की प्रौद्योगिकी (एफएसटी) संबंधी विजन दस्तावेज सामान्य दिशा युक्त कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो रिजर्व बैंक अपनाता है और जो बैंकिंग क्षेत्र द्वारा भी मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है। एफएसटी विजन दस्तावेज में 'बेहतर ग्राहक सेवा, संशोधित हाउस कीपिंग और समग्र प्रणालीगत कार्यकुशलता के लिए आइटी अपनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र को समर्थ बनाना' कार्पोरेट उद्देश्य है।

पूर्ववर्ती एफएसटी विजन दस्तावेज की उपलब्धियों के स्तर की समीक्षा प्रस्तुत करने के बाद अब लगभग तीन वर्ष की मध्यावधि के लिए मुख्य क्षेत्र (थ्रस्ट एरिया) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह पहचानते हुए कि आइटी वित्तीय परिचालनों का अभिन्न हिस्सा बना रहेगा और कोर बैंकिंग प्रणालियां सभी बैंकों में स्थापित हो जाएंगी, कार्रवाई के मुख्य बिंदु निम्नवत होंगे:

- कोर बैंकिंग प्रणालियों का एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी सामान्य अंतर-बैंक भुगतान प्रणालियों के साथ स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) मोड में समन्वयन।

- ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) को बड़े पैमाने पर सुकर बनाने के लिए बैंकों में केंद्रीकरण की ओर बढ़ना और समग्र उद्यम के लिए बेहतर एमआइएस आधारित निर्णय लेना;
- भुगतान प्रक्रियाओं का बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिफिकेशन;
- आपदा सुधार प्रणालियों सहित पर्याप्त कारोबार निरंतरता योजनाओं के लिए व्यवस्था;
- आइएस लेखापरीक्षा को अधिक महत्व;
- आउटसोर्सिंग संबंधी जोखिम प्रबंधन पर बल;
- बासेल II की आवश्यकताओं का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आइटी संबंधी अपेक्षाएं;
- मानकीकृत संदेश आधारित वित्तीय लेनदेन प्रसंस्करण का बड़े पैमाने पर प्रयोग;
- रिजर्व बैंक में भी कोर बैंकिंग का पूरे पैमाने पर कार्यान्वयन; और
- इन उद्देश्यों की प्राप्ति की आवधिक समीक्षा।

परिचालन सुनिश्चित करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों की निगरानी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अधिक शाखाओं को कवर करने के लिए आरटीजीएस नेटवर्क की व्याप्ति में वृद्धि और उच्च मूल्य के लेनदेनों के अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन के निर्धारण (मार्च 2008) से आगामी वर्षों में आरटीजीएस कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

IX.35 हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक के परिचालनों में आइटी का प्रयोग बढ़ता गया है। आंकड़ा केंद्र पूर्णतः परिचालनगत बन जाने से संबंधित

कारोबार के विभाग अपने कोर कार्य क्षेत्रों की ओर अपने प्रयास कर पाएंगे, जबकि आइटी संबंधी पहलुओं का ध्यान आंकड़ा केंद्रों के अधिकारियों द्वारा रखा जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आइटी रिजर्व बैंक के कार्यमूलक यूनितों द्वारा प्रयोग में लाने के लिए परिचालनात्मक उत्कृष्टता प्राप्ति में उपकरण के रूप में उपलब्ध रहे। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी प्रसंस्करण अपेक्षा क्षमताओं पर आइटी परिप्रेक्ष्य से ध्यान दिया जाए जिससे आइटी और परिचालनों के बीच एकरूप, सुदृढ़ और समन्वित संबंध बन जाए।

X.1 केंद्रीय बैंक और वित्तीय विनियामक एजेंसियों की बदलती भूमिकाओं और गतिविधियों तथा हाल ही के वर्षों में वित्तीय प्रणालियों में बढ़ी हुई जटिलताओं ने मानव संसाधन विकास कार्य से जुड़े मुद्दों को जिस तरह सामने रखा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रिजर्व बैंक में भी मानव संसाधन विकास कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया जाता रहा है। इसका प्रमाण यह है कि रिजर्व बैंक पेश आनेवाली अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं, प्रणालीगत और मामला विशेष से जुड़े नवोन्मेषों की पुनरीक्षा, कौशल और तकनीकी विशेषता को निरंतर अद्यतन करने तथा अपने कर्मचारियों को नई और उभरती हुई चुनौतियों को स्वीकार करने तथा कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं के बीच एक संतुलन कायम करने योग्य बनाने के लिए उनमें व्यावसायिकता के उच्च स्तर की पूर्ति करने के लिए सदैव प्रयासरत रहा है। देश में आम आदमी तक अपनी पहुंच बनाने के लिए रिजर्व बैंक अपनी नीतियों के संबंध में सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए अपनी संचार नीतियों की निरंतर पुनरीक्षा करता है। शीर्ष प्रबंधन द्वारा दिए गए भाषणों (परिशिष्ट I), विभिन्न कार्यसमूहों की रिपोर्टें (परिशिष्ट II), और नियमित प्रकाशनों, जो संप्रेषण नीति का हिस्सा हैं, को व्यापक प्रचार के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाता है।

X.2 यह अध्याय रिजर्व बैंक द्वारा 2007-08 के दौरान अपने मानव पूंजी के प्रबंधन के लिए किए गए विभिन्न उपायों पर चर्चा करता है। इस अध्याय में मानव संसाधन कौशल के उन्नयन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों, जिसमें अपने आप उचित प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना तथा अपनी कार्य प्रणाली और परिचालनों से संबंधित क्षेत्रों में बाहर की प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाना सम्मिलित है, का उल्लेख भी किया गया है। आम तौर पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में और रिजर्व बैंक में खास तौर पर रुचि और जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयोजनार्थ रिजर्व बैंक ने पूरे देश में विभिन्न संस्थानों की स्नातक तक की कक्षाओं में अध्ययनरत 18 से 23 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए 'भारतीय रिजर्व बैंक युवा प्रतिभा योजना' के नाम से एक योजना प्रारंभ की है। रिजर्व बैंक के ग्राहक सेवा विभाग द्वारा जनता, बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध करायी जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

X.3 मौद्रिक और वित्तीय नीतियों का संचालन और निर्धारण करने के लिए रिजर्व बैंक के अनुसंधान विभागों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था

के विभिन्न पक्षों पर विश्लेषणात्मक अनुसंधान का सतत संचालन किया जाता रहा तथा सूचनाएं उपलब्ध की जाती रहीं। रिजर्व बैंक के अनुसंधान विभागों और अन्य विभागों के स्टाफ द्वारा कई अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए गए (परिशिष्ट III)। रिजर्व बैंक ने अपनी नीतियों के लिए की गई पहलकदमियों के तर्क तथा विश्लेषणात्मकता को उचित ठहराने के लिए प्रेस प्रकाशनों, मास्टर परिपत्रों, प्रकाशनों, भाषणों, बारंबार पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) और विज्ञापनों के जरिए बड़े पैमाने पर सूचनाओं का प्रचार-प्रसार जनता के बीच किया है।

X.4 अंत में इस अध्याय में केंद्रीय बोर्ड और उसकी बैठकों का विहगावलोकन प्रस्तुत किया गया है। 30 जून 2008 को समाप्त वर्ष में केंद्रीय बोर्ड की सात बैठकें हुईं। इन बैठकों में मुद्रा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण, मौद्रिक और ऋण नीति, लेखांकन नीति और आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति के क्षेत्रों पर चर्चा केंद्रित रही। समाज के गरीब तबके के लोगों को वृद्धि के लाभ तथा कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रवाह में वृद्धि कैसे सुनिश्चित की जाए, इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोर्ड की चर्चा केंद्रित रही।

मानव संसाधन पहल

प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन

X.5 भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न महाविद्यालयों ने रिजर्व बैंक और बैंकिंग उद्योग के अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाया। चार आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) के द्वारा रिजर्व बैंक के श्रेणी III तथा IV के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाता है (सारणी 10.1)।

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय

X.6 बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय (बीटीसी) की स्थापना 1954 में भारत में वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के ध्येय को ध्यान में रखकर की गई थी। तथापि बीटीसी के मूल उद्देश्य की पुनरीक्षा करने और भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप इसे पुनः अवस्थित करने की आवश्यकता महसूस की गई। रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ पुनः परिभाषित अधिदेश के आधार पर महाविद्यालय को पुनः अवस्थित करने, उचित संगठनात्मक ढांचे की रूपरेखा तैयार करने, पुनः अवस्थित होने के पश्चात नए निकाय के लिए संरचना और स्वायत्ता स्तरों तथा ऐसे निकाय की वृद्धि और प्रशासन में रिजर्व बैंक की

सारणी 10.1: रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान - संचालित कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्थान	2003-04 (जुलाई-जून)		2004-05 (जुलाई-जून)		2005-06 (जुलाई-जून)		2006-07 (जुलाई-जून)		2007-08 (जुलाई-जून)	
	कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बीटीसी, मुंबई	171	3,204	153	3,287	85	1,908	89	2,148	42 [^]	1,242 [^]
आरबीएससी, चेन्नै	144	2,874	133	2,895	127	2,633	138	2,941	158	3,302
सीएबी, पुणे	147 *	3,138 *	146	3,364	152 #	3,812 #	146	4,279	154	4,511
जेडटीसी (श्रेणी III)	187	3,652	245	5,442	230	4,710	215	4,069	191	3,563
जेडटीसी (श्रेणी IV)	56	958	40	1,295	76	1,592	78	1,605	65	1309

[^] : ये आंकड़े जुलाई-फरवरी के संबंध में हैं।
^{*} : इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों की पहल पर अन्यत्र संचालित 10 कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं जिनमें 384 भागीदारों ने भाग लिया।
[#] : इसमें 13 परोक्ष कार्यक्रम (कार्यस्थल से हटकर) सम्मिलित हैं जिनमें 437 भागीदारों ने भाग लिया।
 बीटीसी : बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय. आरबीएससी: रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय.
 सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय. जेडटीसी : आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र

भूमिका से मिलनेवाली सहायता को प्रतिबिंबित करने और महाविद्यालय के वर्तमान स्वरूप को बदलकर संकल्पित नए स्वरूप में ढालने के लिए बाह्य विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बीटीसी को 1 अप्रैल 2008 को बंद कर दिया गया। बंद होने के पूर्व (जुलाई 2007 से फरवरी 2008) बीटीसी ने वर्ष के दौरान ऋण, विदेशी मुद्रा और जोखिम प्रबंधन; 'अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)' और काला धन निरोधक; उन्नत केंद्रीय बैंकिंग; वाणिज्य बैंकों के लिए ऋण प्रबंधन; एकीकृत जोखिम प्रबंधन; अनुपालन जोखिम प्रबंधन; जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा; बासिल II और जोखिम प्रबंधन; तथा एकीकृत स्थापना प्रणालियों के क्षेत्र में 42 कार्यक्रमों का संचालन किया है। संकाय सदस्यों ने भारत में बाहर की विभिन्न संस्थाओं में भी जाकर सत्रों का संचालन किया।

रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

X.7 रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी), जिसकी स्थापना रिज़र्व बैंक के अपने ही कनिष्ठ और मध्यम प्रबंध संवर्गों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और वरिष्ठ प्रबंध संवर्ग के अधिकारियों का विशेषीकृत विकास करने के लिए की गई थी, सभी संवर्गों के अधिकारियों का कौशल उन्नयन करने में अहम भूमिका निभाता है। बदल रहे परिदृश्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आरबीएससी प्रशिक्षण की अपनी तकनीकों और साथ ही पढ़ाई जानेवाली सामग्री को आधुनिकतम बनाने में निरंतर प्रयासरत रहा है। आचार-संहितागत मुद्दों, संप्रेषण तकनीकों और साथ ही मानव मूल्यों को अधिकतर कार्यक्रमों में स्थान दिया गया है।

X.8 मुद्रा प्रबंध; ज्ञान प्रबंध; निरीक्षण और लेखा परीक्षा; एकीकृत कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आइसीसीओएमएस); तथा वित्तीय बाजार से जुड़े चर्चित कार्यक्रमों का संचालन महाविद्यालय में वर्ष के दौरान किया गया (सारणी 10.2)। प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के संबंध में परस्पर विचारों के आदान-प्रदान के एक कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय द्वारा सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ किया गया। महाविद्यालय ने "भारतीय रिज़र्व बैंक की कहानी" पर एक ई-लर्निंग पैकेज भी विकसित किया है। परिचालनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आपस में जोड़ने के एक भाग के रूप में महाविद्यालय ने रिज़र्व बैंक से जुड़े क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों के साथ सहयोगपूर्ण अध्ययन/परियोजनाओं की संकल्पना विकसित की है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में महाविद्यालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से "आइटी सक्षमीकृत वित्तीय समावेशन और सरकारी लाभ भुगतान" पर एक परियोजना अपने हाथ में ली है। इस परियोजना में विभिन्न बैंकों के आईटी सक्षमीकृत वित्तीय समावेशन पहल के क्षेत्र में हुई प्रगति और इस क्षेत्र में ऊर्जा किस प्रकार इतनी सशक्त की जाए कि वह राज्य सरकारों द्वारा किये जानेवाले विभिन्न लाभ भुगतानों के संवितरण साधनों की कुशलता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करे, का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

X.9 कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), जिसकी स्थापना मूलतः ग्रामीण और को-ऑपरेटिव ऋण क्षेत्रों के वरिष्ठ तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर की गई थी, ने हाल के वर्षों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, मानव संसाधन प्रबंध और सूचना

सारणी 10.2: 2007-08 के दौरान प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा संचालित किए गए चयनित कार्यक्रम / सेमिनार / कार्यशालाएं

रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी)	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी)
1. मुद्रा प्रबंध पर सेमिनार	1. कृषि वित्तीयन पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्रामीण शाखा प्रबंधकों के लिए कस्टोमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. एकीकृत कम्प्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आसीसीओएम) पर कार्यक्रम	2. वित्तीय जोखिम प्रबंध पर यूरो मुद्रा प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. वित्तीय बाजारों पर कार्यक्रम	3. आइटी प्रणाली में मूल्यांकन भेद्यता पर कार्यशाला
4. कोचिंग / मेन्टरिंग पर कार्यशाला	4. वित्तीयग्रामीण माइक्रो उद्यम और क्लस्टर विकास पर कार्यक्रम
5. प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए मुख्य सिद्धान्तों पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार	5. उन्नत डेरिवेटिव्स पर यूरो मुद्रा प्रशिक्षण कार्यक्रम
6. मौद्रिक नीति पहल पर सेमिनार	6. कारोबार निरंतरता प्रबंध और डिसएस्टर सिम्युलेशन एक्सरसाइज पर कार्यशाला (बिजनेस कंटीन्युटी प्रबंध संस्था की सहायता से)
7. एकीकृत कोष निरीक्षण पर कार्यक्रम	7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों / आइटी प्रमुखों के लिए कोर बैंकिंग सॉल्युशन्स पर कार्यक्रम
8. जोखिम प्रबंध और दि अफगानिस्तानी अधिकारियों के लिए मॉडेलिंग	8. बैंक दि फ्रान्स के सहयोजन से केंद्रीय बैंकों में परिचालनगत जोखिम पर सेमिनार (इंटरनैशनल बैंकिंग और फाइनेन्स इन्स्टीट्यूट - आइबीएफआई)
	9. बैंकिंग पर्यवेक्षण के कानूनी और विनियामक पक्ष (न्यू कैसेल विश्वविद्यालय के सहयोजन में)
	10. वित्तीय अपराध के कानूनी और विनियामक पक्ष (न्यू कैसेल विश्वविद्यालय के सहयोजन में)
	11. माइक्रो फाइनेन्स सम्मेलन
	12. सार्क और एसिएन देशों के केंद्रीय बैंकों के लिए क्रेडिट को-ऑपरेटिव्स हेतु ऑफ साइट निगरानी प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला
	13. अपने ग्राहक को जानिये- केवाईसी/धन शोधन निवारण - एएमएल दिशा निदेशों के लिए प्रौद्योगिकी सहायता पर कार्यशाला
	14. कृषि में जोखिम प्रबंध पर सेमिनार (एनआइए और एमसीएक्स के सहयोजन में)

प्रौद्योगिकी (आइटी) से जुड़े क्षेत्रों में अपने प्रशिक्षणों का विविधीकरण किया है। उभरती प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर महाविद्यालय ने वित्त जोखिम प्रबंध, माइक्रो उद्यम और क्लस्टर विकास पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया (सारणी 10.2)। महाविद्यालय ने वाणिज्य बैंकों के अधिकारियों के लिए कृषि परियोजना मूल्यांकन कार्यक्रम; बिहार में कृषिकीय कारोबार के वित्तीयन के लिए राज्य केंद्रित कार्यक्रम; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों (यूसीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुखों के लिए कोर बैंकिंग सॉल्युशन पर कार्यक्रम; वरिष्ठ बैंकों के लिए स्व-सहायता समूहों के वित्तीयन पर सीबीडी-नाबार्ड के सहयोग से एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम; तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकारी प्रमुखों के एक सम्मेलन का आयोजन भी किया।

X.10 महाविद्यालय ने विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करने के अलावा मीडिया से जुड़े लोगों के लिए परस्पर विचारों के आदान-प्रदानवाली कार्यशाला; एक्जिक्यूटिव विकास कार्यक्रम, आइएसओ 27001 सूचना

सुरक्षा प्रबंध प्रणाली मानक विषय पर बैंकों के सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुखों का एक सम्मेलन; ऑर्गेनिक कृषि पर कार्यशाला; प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुखों का वार्षिक सम्मेलन, सिंगापुर में अवस्थित बिजनेस कंटीन्युटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की सहायता से बिजनेस कंटीन्युटी मैनेजमेंट और डिसएस्टर सिमुलेशन एक्सरसाइज जैसे कार्यक्रमों का भी संचालन किया।

X.11 महाविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जिनके नाम हैं- कृषि बैंकिंग में अंतरराष्ट्रीय सहयोजन और प्रशिक्षण केंद्र (सीआइसीटीएबी) के समन्वयन में ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम; बैंक दि फ्रान्स (पैरा X17 देखें) के समन्वयन से केंद्रीय बैंकों में परिचालनगत जोखिम प्रबंध पर सेमिनार; और रॉयल मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान के अधिकारियों के लिए एकमेव कस्टोमाइज्ड कार्यक्रम 'केंद्रीय बैंकिंग'। महाविद्यालय ने

सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आइसीटी) सक्षमीकृत वित्तीय समेकन के बैंकों के प्रयास पर महाविद्यालय की नई वेबसाइट (www.cab.in) और नया ई-पोर्टल(www.ict.cab.org.in) प्रारंभ किया।

भारत में और विदेश में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

X.12 अपने मानव संसाधन के कौशल उन्नयन के लिए रिजर्व बैंक भी अपने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भारत में तथा विदेश में विभिन्न बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं, सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में करता है। भारत में अवस्थित बाह्य प्रबंध / बैंकिंग संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में बैंक के द्वारा 2007-08 के दौरान 895 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानव संसाधन प्रबंध, जोखिम प्रबंध, सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विदेश व्यापार, श्रम कानूनों और माइक्रो वित्त के क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। बैंक ने 30 से अधिक देशों में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं तथा बहु आयामी संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में अपने 520 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति किया। इन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग पर्यवेक्षण, डेरिवेटिव्स, जोखिम प्रबंध, वित्तीय कार्यक्रम निर्माण और नीतियां, केंद्रीय बैंकिंग लेखांकन, मौद्रिक नीति और परिचालन, कृषि के लिए वित्त कार्य, ग्रामीण विकास और मैक्रोइकोनॉमिक प्रबंध, मानव संसाधन, ऋण आस्ति और रिजर्व प्रबंध सम्मिलित था (सारणी 10.3)।

X.13 जानकारी स्तर को बढ़ाने और एक्जिक्यूटिव कौशल को और तीक्ष्ण करने के इरादे से रिजर्व बैंक ने मुख्य महा प्रबंधक बैंक वाले अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विदेश स्थित प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में संचालित किए जाने वाले 2 से 3 सप्ताह के उन्नत प्रबंधन / एक्जिक्यूटिव शैक्षिक कार्यक्रमों में वर्ष 2007-08 से प्रतिनियुक्त करने का निर्णय किया।

सारणी 10.3: भारत तथा विदेश स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या	विदेश में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
1	2	3
2001-2002	355	137
2002-2003	452	208
2003-2004	433	242
2004-2005	521	171
2005-2006	625	273
2006-2007	871	352
2007-2008	895	520

हारवर्ड बिजनेस स्कूल, दि कोलंबिया बिजनेस स्कूल और दि लंदन बिजनेस स्कूल जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त स्कूलों में 2007-08 के उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में 4 मुख्य महा प्रबंधकों को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया। वर्ष 2008-09 के लिए 4 और मुख्य महा प्रबंधकों का चयन किया गया है और उन्हें वार्षिक पाठ्यक्रम के दौरान उक्त कार्यक्रम में भेजा जाएगा।

X.14 बैंक ने अपने मध्यम प्रबंध को अंतरराष्ट्रीय युग का अनुभव प्राप्त कराने और उनके प्रबंध कौशल को निखारने के लिए अपने अधिकारियों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइआइएम), लखनऊ तथा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुडगांव के साथ एक सहयोगपूर्ण कार्यक्रम चलाने का निर्णय किया है। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा आमतौर पर उन्नत प्रबंध पाठ्यक्रम के रूप में तैयार की गई है जो दो भागों में होगी। घरेलू शिक्षा का भाग सहयोगपूर्ण संस्थाओं में पूरा किया जाएगा तथा विदेशी शिक्षा का भाग विदेश स्थित विभिन्न ख्यातिप्राप्त संस्थाओं में पूरा किया जाएगा।

X.15 रिजर्व बैंक के अधिकारियों की तकनीकी और प्रबंध प्रतिभा को निखारने के लिए अग्रणी केंद्रीय बैंकों और प्रमुख विनियामक तथा सुप्रानेशनल (अधिराष्ट्र) एजेंसियों के साथ और अधिक सहयोजन करने की आवश्यकता महसूस की गई। उक्त प्रयोजनार्थ रिजर्व बैंक संबंधित संस्थाओं के साथ वांछित मैकेनिज्म तैयार करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। ऐसी दुतरफा प्रतिनियुक्तियाँ (सेंकेडमेंट) अब तक बैंक ऑफ इंगलैंड, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और बैंक दि फ्रांस के साथ की गई हैं।

X.16 इस व्यवस्था के अंतर्गत रिजर्व बैंक के दो अधिकारियों को बैंक ऑफ इंगलैंड के वित्तीय स्थायित्व प्रभाग में तथा मौद्रिक और वित्तीय सांख्यिकी प्रभाग में क्रमशः प्रतिनियुक्त किया गया, इसके साथ ही साथ बैंक ऑफ इंगलैंड के दो अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रिजर्व बैंक के क्रमशः मौद्रिक नीति विभाग और वित्तीय बाजार विभाग में पूरी हो चुकी थी। रिजर्व बैंक का एक और अधिकारी शीघ्र ही बैंक ऑफ इंगलैंड में प्रतिनियुक्ति पर जानेवाला है। इसी अवधि में रिजर्व बैंक से एक और अधिकारी की प्रतिनियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के कार्मिक विभाग में की गई। रिजर्व बैंक के एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति बैंक दि फ्रांस के रिजर्व मैनेजमेंट डाइरेक्टोरेट में की गई है और बैंक दि फ्रांस से एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति शीघ्र ही रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में होने जा रही है। इसके अलावा रिजर्व बैंक से एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति नवंबर 2007 से बैंक ऑफ मॉरिशस के पर्यवेक्षण के क्षेत्र

में तीन वर्षों के लिए की गई है। एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति टोक्यो स्थित बैंक ऑफ जापान और वासेडा विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक परियोजना में भारत विश्लेषक के पद पर की गई है; अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि दो वर्षों के लिए अर्थात् 2010 तक बढ़ा दी गई है। आगे, भूटान के रॉयल मौद्रिक प्राधिकारी से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उनके मुद्रा प्रबंध विंग में दावा अनुभाग की स्थापना किए जाने के लिए उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए, रिजर्व बैंक शीघ्र ही उक्त कार्य के लिए किसी योग्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति छह सप्ताहों के लिए करेगा।

X.17 दि रिजर्व बैंक और बैंके दि फ्रांसने निर्णय किया है कि अब से वे दोनों मिलकर एकांतर आधार पर भारत और फ्रांस दोनों के साझे हित के विषयों पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन करेंगे। ऐसा पहला सेमिनार 20 और 21 दिसंबर 2007 को ‘‘केंद्रीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन’’ विषय पर कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में आयोजित किया गया। इस सेमिनार ने केंद्रीय बैंकों के लिए उभरकर आ रहे जोखिम भरे विश्व में अंतरदृष्टि उपलब्ध कराई वहीं दूसरी ओर जोखिम प्रबंध के संबंध में नीतियों की रूप-रेखा तय करने के लिए जरूरी उपाय और जुगत की जानकारी दी। यद्यपि सेमिनार के लिए दोनों संसाधन व्यक्ति बैंके दि फ्रांस से थे तथापि इसमें दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए, कई केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया।

X.18 विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती शिक्षावृत्ति योजना के तहत 2007-08 के दौरान तीन अधिकारियों का चयन किया गया। यह योजना 1986 में प्रारंभ हुई थी, तब से अब तक कुल मिलाकर इस योजना के तहत 90 अधिकारियों का चयन किया जा चुका है।

X.19 वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तीन अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अध्ययन छुट्टी का उपभोग किया।

आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र

X.20 रिजर्व बैंक के आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) के द्वारा रिजर्व बैंक के श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए कार्यमूलक क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवहार कुशलता के क्षेत्रों में कार्यक्रमों का संचालन किया गया। आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र ने अपने परिसर में नियमित कार्यक्रमों के अलावा श्रेणी III के कर्मचारियों के लिए कार्मिक प्रभावोत्पादकता, रिजर्व बैंक के कार्य और कार्य-प्रणाली विषय

पर तथा श्रेणी IV के स्टाफ के लिए विकासात्मक कार्यक्रम का ऑफ साइट संचालन किया।

कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण

X.21 ख्यातिप्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चार अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया।

अन्य पहल

X.22 जुलाई-दिसंबर 2007 के दौरान अंशकालिक और दूर शिक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 239 कर्मचारियों ने लाभ उठाया। अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय विश्लेषण और वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र में परा-स्नातक सम्मिलित थे।

X.23 अपने स्टाफ को कौशल उन्नयन का एक अतिरिक्त मौका उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय बैंक और वित्त संस्था (भारतीय बैंकर्स संस्था से संबद्ध) के कर्मचारियों के लिए एकमात्र रूप से तैयार ई-अध्ययन मॉड्यूल - जिसमें राजकोष और जोखिम प्रबंध, तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और विदेशी मुद्रा जैसे केंद्रीय बैंकिंग के विभिन्न पक्षों को रखा गया है - को प्राप्त किया गया है।

X.24 कर्मचारियों के स्वविकास, महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों पर कस्टोमाइज्ड ई-अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए बैंक द्वारा किए गए उपायों को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों को भारतीय बैंकिंग और वित्तीय संस्था (आइआइबीएफ) के माध्यम से राजकोष और जोखिम प्रबंध, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग तथा केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। राजकोष और जोखिम प्रबंध पर ई-अध्ययन सामग्री आइआइबीएफ पोर्टल पर डाली जा चुकी है। रिजर्व बैंक कर्मचारियों को अलग ‘लॉग इन आईडी’ तथा ‘पासवर्ड’ के द्वारा एक्सेस उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक कर्मचारी के मामले में एक्सेस की वैधता पासवर्ड को क्रियान्वित किए जाने की तारीख से चार माह तक सीमित रहेगी। अध्ययन अवधि के अंत में स्तर-I के उम्मीदवारों के लिए एक ऑन लाइन स्व-मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल हुए उम्मीदवारों को अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ उक्त पाठ्यक्रम के स्तर-II में पंजीकृत किया जाएगा। पाठ्यक्रम के स्तर - II को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उम्मीदवारों को आइआइबीएफ द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम का पूरा खर्चा, जिसमें कोर्सवेयर डिजिटलाइजेशन व्यय तथा पोर्टल होस्टिंग व्यय भी सम्मिलित होगा, बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

X.25 क्षमता निर्माण और जानकारी प्रबंध उपायों के एक हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक ने एलएसई इंडिया ऑब्जरवेटरी तथा एलएसई में

एशिया रिसर्च सेंटर में आई.जी. पटेल चेअर निर्मित करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइन्स (एलएसई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। लंदन में 'बदलते विश्व में भारत का 60 वां वर्ष: आगामी 20 वर्ष' के नाम से जानी जाने वाली एक चिरस्मरणीय घटना में, 15 अक्टूबर 2007 को इंडियन ऑब्जरवेटरी प्रारंभ की गई। इस मौके पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, गवर्नर रिजर्व बैंक, गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड उपस्थित थे। आशा है कि यह भारतीय ऑब्जरवेटरी समकालीन भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में अनुसंधान के लिए सबसे प्रमुख भूमिका निभायेगा। यह स्कूल में उनको आपस में मिलाएगा जो भारतीय मुद्दों पर पहले से ही कार्य करने में लगे हैं; उस कार्य के प्रोफाइल तथा यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में अन्यत्र किए जा रहे अन्य ऐसे ही कार्य को उत्कृष्टतम करने के लिए सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन करेगा। प्रो. सर निकोलस स्टर्न को इकोनॉमिक्स एण्ड गवर्नमेंट में आइ जी पटेल चेअर तथा भारतीय ऑब्जरवेटरी का निदेशक नियुक्त किया गया है।

X.26 भागीदार सार्क और पूर्वी अफ्रीकन देशों के सरकारी और केंद्रीय बैंकों के नामितियों, भारत के नामितियों के अलावा, को अर्थशास्त्र और संबंधित परिचालनात्मक क्षेत्रों में नीति का प्रशिक्षण देने के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआइबीएम) कैम्पस में संयुक्त भारत-अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) प्रशिक्षण कार्यक्रम (आइटीपी) की स्थापना की गई। वर्ष के दौरान संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 7 कार्यक्रमों का संचालन किया गया (सारणी 10.4)।

X.27 अन्य संस्थाओं के साथ बैंक के बढ़ते संबंधों और संपर्कों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडीडी) में बाह्य सेवा और तकनीकी संयोजन कक्ष का गठन किया गया। वर्ष के दौरान इस कक्ष के द्वारा विभिन्न दौरों / अटैचमेंट का

संयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर पाने के लिए नेशनल बैंक ऑफ इथियोपिया के 16 अधिकारियों की एक टीम ने रिजर्व बैंक का दौरा किया और उन्हें विभिन्न विभागों में रखा गया। बैंक ऑफ तन्जानिया के चार सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए बैंक का दौरा किया। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली और नवल वारफेयर महाविद्यालय, मुंबई के अधिकारियों के लिए इंटरफेस सत्रों का आयोजन किया गया।

वरिष्ठ प्रबंध सम्मेलन 2007

X.28 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केंद्रीय कार्यालय विभागों के प्रमुखों के लिए इंटरफेस मैकेनिज्म उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय निदेशकों का सम्मेलन आयोजित करता रहा है। चूंकि सम्मेलन में चर्चा और बहस के केंद्र में क्षेत्रीय निदेशक तथा बैंक के केंद्रीय कार्यालय विभागों के प्रमुख समान रूप से होते हैं, अतः 2007 से इस वार्षिक मिलाप को "वरिष्ठ प्रबंध सम्मेलन" का नाम दिया गया। वरिष्ठ प्रबंध सम्मेलन, 2007 का आयोजन 22 से 25 नवंबर 2007 के बीच मुंबई में किया गया। सम्मेलन के लिए सर्वाधिक प्रमुख विषय था "संगठनात्मक उत्कृष्टता की खोज: मुद्दे, समस्याएं और समाधान"। इसके अतिरिक्त बैंक के गवर्नर और अन्य शीर्ष एकजीक्यूटिवों, जिन्होंने संगठन के लिए अपने विजन को प्रकट किया और कई प्रख्यात मेहमान वक्ताओं ने भी रुचिकर और उभरते हुए मुद्दों के आयाम पर अपने विचार सम्मेलन में प्रकट किए। सम्मेलन में ग्रामीण महिला सशक्तीकरण और लिंग आधारित भेदभाव से लड़ने से लेकर प्रजातंत्र के रूप में सुप्रतिष्ठित भारत के अनोखेपन के लिए अहितकर अन्य कठोर सामाजिक भेदभाव और देश में विश्व स्तरीय अरबन ट्रान्सपोर्ट आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की आवश्यकता जैसे विविध रुचिकर और ज्वलंत विषयों को रखा

सारणी 10.4: संयुक्त भारत - आइएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम - पुणे

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
1.	मैक्रो इकोनॉमिक डायग्नॉस्टिक्स (एमडीएस)	अगस्त 20 - 31, 2007
2.	कार्यक्रम और निष्पादन बजटिंग (पीपीबी)	अक्टूबर 01 - 05, 2007
3.	मैक्रो इकोनॉमिक प्रबंध और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे (एमएमएफ)	दिसंबर 03 - 14, 2007
4.	वित्तीय प्रोग्रामिंग और नीतियां (एफपीपी)	मार्च 03 - 14, 2008
5.	उदयमान बाजारों में डेरिवेटिव्स पर सेमिनार	मार्च 26 - 28, 2008
6.	मैक्रो इकोनॉमिक प्रबंध और ऋण मुद्दे (एमडीआइ)	अप्रैल 14 - 25, 2008
7.	वित्तीय पर्यवेक्षकों के लिए एएमएल / सीएफटी कार्यशाला	मई 19 - 23, 2008

गया। वरिष्ठ प्रबंध सममेलन 2007 में अतिथि वक्ताओं में (i) ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति; (ii) डॉ.ई.श्रीधरन, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक; (iii) डॉ.देवी प्रसाद शेटी, अध्यक्ष - नारायण हृदयालय, बंगलूर; और (iv) सुश्री चेतना गाला सिन्हा, संस्थापक/अध्यक्ष, मन देशी महिला सहकारी बैंक लि.; सातारा, महाराष्ट्र सम्मिलित हैं।

X.29 ज्ञान का आदान-प्रदान करने संबंधी व्याख्यान के रूप में बैंक ने एक नियमित इंटरफेस मैकेनिज्म प्रारंभ किया जिसमें वित्त और कारपोरेट क्षेत्र के नेताओं को महत्वपूर्ण मुद्दों के विस्तृत आयाम पर अपना ज्ञान और अनुभव बैंक के अधिकारियों के साथ बांटने के लिए निमंत्रित किया जाता है। इस ज्ञान विनिमय से न सिर्फ परिदृश्य में विस्तार होगा अपितु बैंक के अधिकारीगण नई भूमिका और कार्य के डायनैमिक्स को पूरा करने में स्वयं को सक्षम पायेंगे। इस शृंखला के अंतर्गत बैंक द्वारा विभिन्न परस्पर आदान-प्रदानवाले व्याख्यानों का आयोजन किया गया।

X.30 रिजर्व बैंक के अपने प्रशिक्षण महाविद्यालयों, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, के अतिरिक्त चार और प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण में रिजर्व बैंक ने उत्प्रेरक का कार्य किया है। ये हैं - (i) इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आइजीआइडीआर), मुंबई; (ii) राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआइबीएम), पुणे; (iii) भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान (आइआइबीएम), गुवाहाटी; और (iv) बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आइडीबीआरटी), हैदराबाद। रिजर्व बैंक ने 2006-07 के दौरान आइजीआइडीआर, एनआइबीएम और आइआइबीएम को क्रमशः 6 करोड़ रुपए, 2.9 करोड़ रुपए और 29 लाख रुपए और 2004-05 के दौरान आइडीआरबीटी को 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की।

आइजीआइडीआर पुनरीक्षा समिति

X.31 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा डॉ.विमल जालान,संसद-सदस्य और भूतपूर्व गवर्नर,रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में एक बाह्य पुनरीक्षा समिति का गठन इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान(आजीआइडीआर),मुंबई द्वारा की गई उन्नति का मूल्यांकन करने और भविष्य के लिए रोडमैप सुझाने के लिए किया गया। समिति,जिसने जून 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ने (i) मार्ग की रुकावटों की पहचान करने; (ii) भारत में और पूरे विश्व में अनुसंधान प्रवृत्तियों और अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताओं के बदलते स्वरूप को समझने;(iii) संस्थान के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा;और(iv) संस्था को पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार करने हेतु संस्था के हाल के निष्पादन और चालू गतिविधियों का आकलन किया। आइजीआइडीआर

में वर्तमान स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए उपर्युक्त उपायों को उपयोग में लाते हुए पुनरीक्षा समिति ने आइजीआइडीआर को विश्व स्तरीय विकास अनुसंधान संस्थान बनाने के लिए उसकी कार्यप्रणाली और उसके आकर्षणीय तत्वों में अधिक सुधार लाने हेतु कुछ आवश्यक उपाय किए जाने का मामला रखा है। यह संक्रमणकालीन ट्रैजेक्टरी,जिसकी सिफारिश पुनरीक्षा समिति द्वारा की गई है,मुख्यतया चार फोकस क्षेत्रों को सम्मिलित करता है-(i)गवर्नेन्स और अन्य संरचनात्मक मुद्दे;(ii)संस्थान की प्रतिभा प्रबंध नीति को नए चलन के अनुरूप करना;(iii)अनुबंध की शर्तों और उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करना;और(iv)संस्थान की भौतिक आधारभूत संरचनाओं में सुधार करना।

'विदाउट रिजर्व' के लिए पुरस्कार

X.32 रिजर्व बैंक की गृह पत्रिका "विदाउट रिजर्व" ने गृह पत्रिकाओं के लिए बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया के वार्षिक संघ (एबीसीआइ)में पाँच पुरस्कार अर्जित किए जिनमें एक स्वर्ण,तीन रजत और एक कांस्य पुरस्कार है। त्रिवेंद्रम प्रेस क्लब द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गृह पत्रिका प्रतियोगिता में "विदाउट रिजर्व" को प्रिंटिंग ले-आउट,डिजाइन और संपादकीय सामग्री के क्षेत्र में समग्र रूप से उत्कृष्टता के लिए तीन प्रथम पुरस्कारों से नवाजा गया।

ग्रीष्मकालीन स्थानन (प्लेसमेंट)

X.33 रिजर्व बैंक में ग्रीष्म कालीन स्थानन योजना प्रचलन में है जो अपने देश के और विदेश के विद्यार्थियों को वास्तविक प्रबंधकीय परिवेश के प्रति उद्घाटित करने और उन्हें इंटर्नशिप करने के दौरान ही केंद्रीय बैंक में परिचालन से जुड़े मुद्दों पर अपने ज्ञान को क्रियान्वित करने का एक मौका देता है। हाल ही में की गई एक पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप बैंक की ग्रीष्मकालीन स्थानन योजना में कतिपय सुधार / आशोधन किए गए जो बैंक की समग्र रूप से प्रतिभा आकर्षण नीति के अनुरूप थे और साथ ही प्रशिक्षुओं को उनकी रुचि के अनुरूप और चुनौतीपूर्ण परियोजनाएं भी दी गईं। तदनुसार 2007 से रिजर्व बैंक में प्रत्येक वर्ष 20 ग्रीष्म प्रशिक्षु लिए जाएंगे जो विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों में तथा मेट्रो केंद्रों में अवस्थित कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में यथोचित परियोजनाएं हाथ में लेंगे। इसके अतिरिक्त विदेश स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययनरत इच्छुक उम्मीदवारों में से पांच ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षु भी लिए जाएंगे।

औद्योगिक संबंध

X.34 रिजर्व बैंक में वर्ष 2007-08 के दौरान आमतौर पर औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण बने रहे। रिजर्व बैंक में सेवा की परिस्थितियों और कल्याणकारी उपायों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर श्रमिक कर्मचारियों /

सारणी 10.5: रिज़र्व बैंक द्वारा भर्ती – 2007*

श्रेणी	कुल भर्ती	जिसमें से		प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	29	2	9	6.9	31.0
श्रेणी III	10	3	1	30.0	10.0
श्रेणी IV	-	-	-	-	-
(क) रखरखाव परिचारक	33	5	0	15.1	-
(ख) अन्य	64	10	3	15.6	4.7
कुल	136	20	13	14.7	9.6

*: जनवरी-दिसंबर.
अजा: अनुसूचित जाति. अजजा: अनुसूचित जन जाति.

अधिकारियों के मान्य एसोसिएशनों/फेडरेशनों के साथ आवधिक बैठकें हुईं।


भर्ती

X.35 वर्ष 2007 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान रिज़र्व बैंक में 136 कर्मचारियों की भर्ती हुई। इनमें अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) से 33 थे, जो कुल भर्ती का 24.3 प्रतिशत होते हैं (सारणी 10.5)।

स्टाफ संख्या

X.36 31 दिसंबर 2007 को कुल स्टाफ संख्या एक वर्ष पहले की 21910 की तुलना में 21,494 थी (चार्ट X.1)। कुल स्टाफ का 21.3 प्रतिशत स्टाफ अनुसूचित जाति से और 8.9 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से संबंधित था (सारणी 10.6)।

X.37 रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति /



अनुसूचित जन जाति और बुद्धिष्ठ संघ के प्रतिनिधियों और प्रबंधन के बीच 2007 के दौरान (जनवरी से दिसंबर) 4 बैठकें की गयीं। केंद्र सरकार की नीति के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) को 8 सितंबर 1993 से आरक्षण प्रावधान उपलब्ध कराया है। 31 दिसंबर 2007 को रिज़र्व बैंक में अपिव की संख्या (सितंबर 1993 के बाद की भर्ती) 850 थी। इनमें से 255 श्रेणी I में, 93 श्रेणी III में और 502 श्रेणी IV में थे। रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति लागू करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए अखिल भारतीय रिज़र्व

सारणी 10.6: रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या

श्रेणी	श्रेणीवार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत	
	कुल संख्या		अजा		अजजा		अजा	अजजा
	दिसंबर 31, 2006	दिसंबर 31, 2007	दिसंबर 31, 2006	दिसंबर 31, 2007	दिसंबर 31, 2006	दिसंबर 31, 2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी I	6,819	7,760	993	1,145	458	562	14.8	7.2
श्रेणी III	7,522	6,268	1,183	1,001	744	623	16.0	9.9
श्रेणी IV	7,569	7,466	2,465	2,443	752	728	32.7	9.7
कुल	21,910	21,494	4,641	4,589	1,954	1,913	21.3	8.9

अजा: अनुसूचित जाति. अजजा: अनुसूचित जन जाति.

बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के साथ दो बैठकें हुईं।

X.38 रिजर्व बैंक में भूतपूर्व फौजियों की 31 दिसंबर 2007 को कुल संख्या 1,217 थी जिसमें से 197 श्रेणी I में, 220 श्रेणी III में और 800 चतुर्थ श्रेणी में थे। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या दिसंबर 2007 के अंत में श्रेणी I में 145, श्रेणी III में 180 और श्रेणी IV में 133 थी।

X.39 कुल स्टाफ का 36.1 प्रतिशत श्रेणी I में, 29.2 प्रतिशत श्रेणी III में और शेष 34.7 प्रतिशत श्रेणी IV में था (सारणी 10.7)।

X.40 कुल स्टाफ का लगभग चौथाई भाग मुद्रा प्रबंध से संबंधित कार्य कर रहा है (सारणी 10.8)।

X.41 मुंबई केंद्र में सर्वाधिक स्टाफ संख्या (केंद्रीय कार्यालय विभागों को सम्मिलित करके) लगातार बनी रही - कुल का 29 प्रतिशत - इसके बाद कोलकाता (10 प्रतिशत), और चेन्नै तथा दिल्ली (प्रत्येक 7 प्रतिशत) (सारणी 10.9)।

नए कार्यालयों / विभागों का खोला जाना

X.42 रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश और झारखंड राज्यों के लिए 2 जुलाई और 15 नवंबर 2007 को क्रमशः शिमला और रांची में उप कार्यालय खोले। आरंभ में इन उप कार्यालयों में केवल एक विभाग अर्थात् ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (आरपीसीडी), जिसके अंतर्गत वित्तीय समेकन कक्ष रखा गया था, ही खुला। उप कार्यालय ग्रामीण ऋण और वित्तीय समेकन से संबंधित मुद्दों पर अपना ध्यान देंगे।

X.43 01 मार्च 2008 से प्रेस संपर्क विभाग का नाम बदलकर संचार विभाग कर दिया गया। 20 मई 2008 से सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग का नाम बदलकर सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग कर दिया गया।

X.44 विदेशी मुद्रा विभाग (विमुवि), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय और पणजी कार्यालय को परिचालनगत क्षमता बढ़ाने और सहूलियत के प्रयोजनार्थ क्रमशः 27 दिसंबर 2007 से और 03 अप्रैल 2008 से विमुवि, केंद्रीय कार्यालय से अलग कर क्षेत्रीय निदेशक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन लाया गया।

सारणी 10.7: वास्तविक स्टाफ संख्या
(दिसंबर 31, 2007 की समाप्ति पर)

श्रेणी	वास्तविक संख्या
1	2
श्रेणी I	7,760
1. ग्रेड एफ में वरिष्ठ अधिकारी	91
2. ग्रेड ई में वरिष्ठ अधिकारी	219
3. ग्रेड डी में वरिष्ठ अधिकारी	355
4. ग्रेड सी में अधिकारी	903
5. ग्रेड बी में अधिकारी	1,420
6. ग्रेड ए में अधिकारी	4,447
7. कोषपाल	18
8. उप कोषपाल	63
9. सहायक कोषपाल	244
श्रेणी III	6,268
1. लिपिक ग्रेड I	2,399
2. लिपिक ग्रेड II	2,121
3. आशुलिपिक	197
4. शब्द संसाधक	470
5. गणक	522
6. अन्य	559
श्रेणी IV	7,466
1. कार्यालय सहायक	1,646
2. मजदूर	1,735
3. अन्य	4,085
रिजर्व बैंक में कुल संख्या	21,494

X.45 देहरादून उप कार्यालय को सभी प्रशासनिक और परिचालनात्मक कार्यकलापों के लिए 26 दिसंबर 2007 से लखनऊ कार्यालय के साथ संबद्ध किया गया।

X.46 ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (ग्राआऋवि) कक्ष, नागपुर जो पहले अपने परिचालनगत आवश्यकताओं के लिए ग्राआऋवि, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संबद्ध था तथा प्रशासनिक मामलों के लिए नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संबद्ध था, अब 26 दिसंबर 2007 से समस्त मामलों के लिए नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संबद्ध किया गया।

हिंदी को प्रोत्साहन

X.47 वर्ष 2007-08 के दौरान रिजर्व बैंक अपने कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ होकर प्रयासरत रहा। राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 तथा भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के प्रावधानों को सम्मिलित करके बनाई गयी राजभाषा नीति की सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों यथा - शील्ड प्रतियोगिताएं, अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिताएं और अंतर बैंक/वित्तीय संस्था हिंदी/द्विभाषी गृहपत्रिका प्रतियोगिताएं - का आयोजन किया गया। कई कार्यक्रमों का संचालन 14 सितंबर 2007 से मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़े के समय किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 10.8: 31 दिसंबर 2007 को रिज़र्व बैंक की विभागवार स्टाफ संख्या

क्र. सं.	विभाग/कार्यालय	श्रेणी I			श्रेणी III			श्रेणी IV			कुल योग
		C.O.	R.O.	Total	C.O.	R.O.	Total	C.O.	R.O.	कुल	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ग्राहक सेवा विभाग (ग्रासेवि)	19	51	70	3	32	35	6	114	120	225
2.	प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग (प्रकाप्रवि)	97	920	1,017	75	881	956	53	2,546	2,599	4,572
3.	बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (बैपवि)	138	0	138	76	0	76	83	0	83	297
4.	बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (बैपर्वि)	121	609	730	22	123	145	26	115	141	1,016
5.	मुद्रा प्रबंध विभाग (मुप्रवि)	40	1,237	1,277	21	1,722	1,743	17	1,929	1,946	4,966
6.	आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (आविनीवि)	207	41	248	125	30	155	83	21	104	507
7.	व्यय और बजट नियंत्रण विभाग (व्यबनिवि)	75	373	448	70	412	482	35	136	171	1,101
8.	बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (बानिपवि)	67	0	67	18	0	18	13	0	13	98
9.	सरकारी और बैंक लेखा विभाग (सबैलेवि)	64	945	1,009	47	1,260	1,307	21	532	553	2,869
10.	सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (सांसूप्रवि)*	187	25	212	97	32	129	76	15	91	432
11.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सूप्रौवि)	78	57	135	7	13	20	15	2	17	172
12.	गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (गैबैपर्वि)	44	247	291	9	79	88	7	61	68	447
13.	संचार विभाग (संवि)#	8	0	8	5	0	5	6	0	6	19
14.	विदेशी मुद्रा विभाग (विमुवि)	97	185	282	78	208	286	52	147	199	767
15.	वित्तीय बाजार विभाग (विबावि)	22	0	22	4	0	4	5	0	5	31
16.	मानव संसाधन विकास विभाग (मासवि)	50	8	58	41	3	44	25	1	26	128
16A.	बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुंबई	0	32	32	0	28	28	0	93	93	153
16B.	रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै	0	37	37	0	19	19	0	38	38	94
16C.	आंचलिक प्रशिक्षण महाविद्यालय	0	20	20	0	6	6	0	5	5	31
16D.	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे	0	64	64	0	26	26	0	90	90	180
17.	आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आंरुप्रवि)	31	0	31	8	0	8	8	0	8	47
18.	निरीक्षण विभाग (निवि)	51	0	51	15	0	15	11	0	11	77
19.	विधि विभाग (विवि)	34	11	45	14	5	19	17	3	20	84
20.	परिसर विभाग (पवि)	44	289	333	38	262	300	49	694	743	1,376
21.	ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (ग्राआरुवि)	98	432	530	29	104	133	34	102	136	799
22.	सचिव विभाग	48	0	48	12	0	12	42	0	42	102
23.	शहरी बैंक विभाग (शबैवि)	77	383	460	24	112	136	38	59	97	693
24.	राजभाषा विभाग (रावि)	0	34	34	0	28	28	0	9	9	71
25.	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (निबीप्रगानि)	0	50	50	0	34	34	0	25	25	109
26.	रिज़र्व बैंक सर्विसेस बोर्ड (रिबैसबो)	13	0	13	11	0	11	7	0	7	31
	कुल	1,710	6,050	7,760	849	5,419	6,268	729	6,737	7,466	21,494

* : सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग का नाम 20 मई 2008 से बदलकर सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग कर दिया गया है।

: प्रेस संपर्क विभाग का नाम 1 मार्च 2008 से बदलकर संचार विभाग कर दिया गया है।

टिप्पणी: 1. के.का.-केंद्रीय कार्यालय, के.का.-क्षेत्रीय कार्यालय

2. मौद्रिक नीति विभाग (मौनिवि) में कार्यरत स्टाफ को अलग से नहीं दिखाया गया है क्योंकि स्टाफ का आहरण पांच अन्य विभागों, नाम हैं - आविनीवि, सांसूप्रवि, ग्राआरुवि और प्रकाप्रवि - से किया गया है। मौनिवि में 31 दिसंबर 2007 को विभिन्न श्रेणियों में स्टाफ की संख्या 41 श्रेणी I में, 17 श्रेणी III में और 14 श्रेणी IV में थी।

3. भुगतान और निपटान प्रणाली (भुनिप्र) को अलग से नहीं दर्शाया गया है क्योंकि इस विभाग का स्टाफ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्टाफ संख्या का एक हिस्सा है।

4. भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (भाबैकोमाबो) को अलग से नहीं दर्शाया गया है क्योंकि इस विभाग का स्टाफ ग्राआरुवि की स्टाफ संख्या का एक हिस्सा है।

5. मुप्रवि के विरुद्ध दर्शाए गए स्टाफ में निर्गम विभाग में कार्यरत स्टाफ भी सम्मिलित है।

6. सबैलेवि के विरुद्ध दर्शाए गए स्टाफ में बैंकिंग विभाग, लोक लेखा विभाग और लोक ऋण कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ भी सम्मिलित है।

सारणी 10.9: कार्यालयवार स्टाफ संख्या

(31 दिसंबर 2007 को)

कार्यालय	श्रेणी I	श्रेणी III	श्रेणी IV	कुल
1	2	3	4	5
1. अहमदाबाद	378	274	299	951
2. बंगलूर	449	285	301	1,035
3. बिलापुर	112	133	233	478
4. भोपाल	169	31	100	300
5. भुवनेश्वर	187	116	230	533
6. चंडीगढ़	199	44	115	358
7. चेन्नै	501	492	574	1,567
8. देहरादून (उप कार्यालय)	11	2	3	16
9. गुवाहटी	172	218	216	606
10. हैदराबाद	321	231	316	868
11. जयपुर	247	218	249	714
12. जम्मू	102	14	56	172
13. कानपुर	205	346	426	977
14. कोच्चि	29	64	45	138
15. कोलकाता	625	720	773	2,118
16. लखनऊ	214	81	137	432
17. मुंबई	776	878	1,315	2,969
18. नागपुर	256	389	307	952
19. नई दिल्ली	521	572	469	1,562
20. पणजी, गोवा	6	5	2	13
21. पटना	281	150	307	738
22. पुणे (कृषि और केंद्र/प्रकेंद्र)	62	26	87	175
23. रायपुर (उप कार्यालय)	13	0	0	13
24. रांची (उप कार्यालय)*	5	0	0	5
25. शिमला (उप कार्यालय)#	7	0	0	7
26. तिरुवनंतपुरम	202	130	177	509
क. कुल (1 to 26)	6,050	5,419	6,737	18,206
ख. मुंबई केंद्रीय कार्यालय विभाग	1,710	849	729	3,288
कुल योग (क+ख)	7,760	6,268	7,466	21,494

केंद्र/प्रकेंद्र: केंद्रीय अभिलेख और प्रलेखन केंद्र।

* : बैंक का एक उप कार्यालय 15 नवंबर 2007 को रांची में खुला।

: बैंक का एक उप कार्यालय 2 जुलाई 2007 को शिमला में खुला।

X.48 हिंदी को प्रोत्साहन देने के इरादे से रिजर्व बैंक ने अपने विभिन्न प्रकाशनों को द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित करना जारी रखा। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय गृह पत्रिका “विदाउट रिजर्व” का द्विभाषी प्रकाशन करता है। रिजर्व बैंक ने अपने राजभाषा विभाग के माध्यम से कंप्यूटरीकरण में हिंदी के उपयोग को और मजबूत किया है। रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के द्वारा वर्तमान बैंकिंग और अन्य संबंधित विषयों पर हिंदी में पुस्तकें छापी जाती रही हैं। बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा “बैंकिंग चिंतन-अनुचितन” नाम की प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिका, जो भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है, का प्रकाशन निरंतर जारी है। वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी हिंदी में नियमित रूप से पत्रिकाएं छापने का प्रयास किया। राजभाषा विभाग ने “राजभाषा समाचार” नाम के एक तिमाही प्रकाशन की शुरुआत जनवरी 2007 से की है। इस प्रकाशन में राजभाषा नीति और

अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन में हुई अद्यतन गतिविधियों को संकलित किया जाता है। बैंकिंग की नई अवधारणाओं को समझना भी इस प्रकाशन का एक हिस्सा है।

X.49 रिजर्व बैंक की मुख्य वेब साइट को हिंदी खंड के साथ जोड़ दिया गया। राजभाषा विभाग का इंटरनेट साइट केवल हिंदी में है। विभिन्न कार्यालयों/विभागों की इंटरनेट साइटें भी हिंदी खंड के साथ रखी गयी हैं। राजभाषा अधिकारियों के लिए अनुवाद कार्यालयाओं का संचालन रिजर्व बैंक करता है ताकि हिंदी अनुवाद कार्य को स्वीकृति मिले। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमूल परिवर्तन करते हुए वर्ष के दौरान एक नये कार्यक्रम ‘गहन हिंदी कार्यशाला’ का प्रारंभ किया गया जो कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने पर केंद्रित है।

X.50 वर्ष के दौरान बैंक के हिंदी पत्राचार में हिंदी यूनिकोड फॉन्ट लागू करने का निर्णय बैंक द्वारा लिया गया क्योंकि ये फॉन्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित होते हैं और सरकार द्वारा इनको प्रोत्साहित किया गया है। इन फॉन्ट को प्रयोग में लाने से हिंदी सामग्री एक जगह से दूसरी जगह हिंदी सॉफ्टवेयर की परवाह किए बिना सुगमतापूर्वक भेजी जा सकती है। इसके कारण हिंदी सामग्री को वेब फॉन्ट में परिवर्तित करने के झंझट से भी फुर्सत मिलेगी क्योंकि हिंदी यूनिकोड फॉन्ट को हिंदी वेब साइट पर सीधे ही उपयोग में लाया जा सकेगा। इसके अलावा इसकी सहायता से ई-मेल भी द्विभाषी रूप में सुगमतापूर्वक भेजे जा सकेंगे। इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गयी है। बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी) का संशोधित छठवां संस्करण भी प्रकाशित किया जा चुका है। बैंक ने एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली को ऑनलाइन कर दिया है। यह बैंक के लिए और साथ ही बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जो अन्य शब्दकोशों की भांति ही कम्प्यूटर पर अंग्रेजी-हिंदी शब्दावली से शब्द ढूंढने की सुविधा देगा। इसे अप्रैल 2008 में प्रारंभ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में आई नयी अवधारणाओं को समझने के लिए बैंकिंग शब्दावली हिंदी “पारिभाषिक कोष” तैयार करने के लिए एक कार्यदल की स्थापना भी की गयी है।

परिवाद निवारण मैकेनिज्म - कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न न होने देना।

X.51 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले [विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1997) एससीसी241] में विनिर्दिष्ट दिशादेशों के अनुसरण में कार्यस्थलों पर महिलाकर्मियों के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए 1998 में रिजर्व बैंक में परिवाद निवारण मैकेनिज्म लागू किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय कार्यालय के स्तर पर महिला अधिकारी ग्रेड ‘एफ’ की अध्यक्षता में एक केंद्रीय परिवाद समिति

(कंपस) कार्य करती है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्थित कार्यालयों में कार्यरत महिलाकर्मियों को परिवार निवारण मैकेनिज्म सुलभ कराने के प्रयोजनार्थ मुंबई स्थित रिजर्व बैंक के कार्यालयों में छह स्थानों पर और 20 क्षेत्रीय कार्यालयों में अतिरिक्त परिवार समितियां गठित की गयी हैं। इन समितियों में भी वरिष्ठ महिला अधिकारी ही अध्यक्ष हुआ करती है। प्रत्येक समिति में एक गैर-सरकारी संगठन को सम्मिलित करने के अलावा केंद्रीय परिवार समितियों (कंपस) और क्षेत्रीय परिवार समितियों (क्षेपस) में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक होती है। रिजर्व बैंक के सभी 20 केंद्रों पर गठित सभी परिवार समितियों और साथ ही मुंबई स्थित रिजर्व बैंक के विभिन्न परिसरों में गठित छह समितियों के लिए कंपस केंद्र के रूप में कार्य करता है। 2007-08 (जुलाई-अप्रैल) के दौरान कथित उत्पीड़न संबंधी एक परिवार प्राप्त हुआ था जिसकी छानबीन की जा रही है। इस अवधि से पूर्व प्राप्त एक परिवार अब अंतिम चरण पर है, केवल सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

X.52 नवंबर 2007 में शिलांग में विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत परिवार समितियों के सदस्यों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोक-थाम और निवारण पर दो दिवसीय सेमिनार (शृंखला में दूसरी) आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर इस सेमिनार में परिवार समितियों के अध्यक्षों/सदस्यों सहित भाग लेनेवालों की संख्या 34 थी। इस सेमिनार में अन्य विषयों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निदेशों, यौन उत्पीड़न के तथ्यों और आंकड़ों, परिवार समितियों के गठन, रोक-थाम उपायों, निवारण मैकेनिज्म तथा अनुशासनिक प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया।

रिजर्व बैंक में ग्राहक सेवा और परिवार निवारण प्रणाली

X.53 रिजर्व बैंक आम जनता, बैंकों, केन्द्र और राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं को मुद्रा प्रबंध और सरकारी प्राप्त और भुगतान (कर वसूलियों, लोक ऋण प्रबंध, निधियों का समाशोधन और विप्रेषण और विदेशी मुद्रा को सम्मिलित करते हुए) के क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराता है। ग्राहक सेवा की सुपुर्दगी को उत्कृष्ट करने के लिए बैंक के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे भिन्न-भिन्न ग्राहक सेवा गतिविधियों का काम उनके हाथों से लेकर एक ही छत के नीचे अर्थात्

ग्राहक सेवा विभाग, जिसकी स्थापना जुलाई 2006 में की गयी थी, को सौंप दिया गया। ग्राहक सेवा विभाग का परिवार निवारण कक्ष (पनिक) आम जनता की संतुष्टि होने तक रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के विरुद्ध परिवारों के शीघ्र निपटान के लिए बैंक के विभिन्न विभागों, जो जनता के काम से सीधे जुड़े हैं, के साथ सहयोजन करता है। विभिन्न केंद्रों में बैंक के विभिन्न विभागों, केंद्रीय कार्यालय विभागों सहित, द्वारा उपलब्ध की गयी सेवाओं में आम जनता/बैंक के ग्राहकों द्वारा किए गए परिवार पनिक के दायरे में आते हैं। पनिक के दायरे में बैंक के सभी सेवा प्रदान करने वाले विभाग विशेष रूप से बैंकिंग विभाग [लोक लेखा विभाग (लोलेवि), जमा लेखा विभाग(जलेवि), तथा लोक ऋण कार्यालय (लोऋका)], विदेशी मुद्रा विभाग और निर्गम विभाग आते हैं।

X.54 सभी कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालय विभागों में पनिक स्थापित किए जा चुके हैं। विभिन्न केंद्रों में और साथ ही केंद्रीय कार्यालय में भी पनिक के कार्य करने के बारे में जोरों का प्रचार विज्ञापन के जरिए छमाही आधार पर प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के प्रथम रविवार को किया जाता है। संबंधित विज्ञापन अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के अग्रणी अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं। रिजर्व बैंक के परिसर में बैंक द्वारा दी जानेवाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आनेवाले ग्राहकों/जनता के सदस्यों के लाभार्थ बैंकिंग विभाग में ग्राहक से संबंधित प्रत्येक गतिविधि के लिए समय सीमा दर्शानेवाले सिटीजन चार्टर को बैंकिंग विभाग में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। सिटीजन चार्टर को वांछित प्रचार रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर भी दिया गया है और काउंटर पर आये ग्राहकों/जनता के सदस्यों को इसकी हार्ड प्रतियां उपलब्ध करायी जाती हैं। पनिक के द्वारा सभी कार्यालयों/विभागों से परिवारों की प्राप्ति और निपटान संबंधी मासिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। पनिक के द्वारा सिटीजन चार्टर पर बैंक के ग्राहकों से प्राप्त लिखित फीड बैक पर तिमाही रिपोर्टें भी प्राप्त की जाती हैं। सीपीपीएपीएस की सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्यान्वयन योजना के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक तिमाही में ग्राहक सेवा के स्तर का मूल्यांकन करें। ग्राहक सेवा और परिवारों के निवारण से संबंधित मुद्दों पर शाखा स्तरीय प्रबंध समिति की बैठकों में भी चर्चा की जाती है। कार्यालयों के द्वारा ग्राहकों अर्थात् वाणिज्य बैंकों, शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों, सरकार, एजेंसियों/विभागों और जनता के सदस्यों के साथ आवधिक बैठकें भी

आयोजित की जाती हैं और उन पर पत्रिका को रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं। ग्राहक सेवा परिवाद/शिकायतें, रिजर्व बैंक और वाणिज्य बैंकों दोनों के ही विरुद्ध, स्थानीय बोर्डों के दायरे में लायी जा चुकी हैं। 2007 के दौरान (अप्रैल - दिसंबर) स्थानीय बोर्ड ने अपनी तिमाही बैठकों में रिजर्व बैंक कार्यालयों के विरुद्ध 317 परिवादों की पुनरीक्षा की, इनमें से 306 मामले नकदी/निर्गम विभाग के विरुद्ध थे।

X.55 बैंकिंग हाल में प्रमुख स्थानों पर सिटीजन चार्टर प्रदर्शित करना; प्राधिकृत व्यापारियों के लिए उनके ज्ञान/क्षमता स्तर में वृद्धि के लिए नियमित कार्यशालाएं करना; सिक्के छोड़नेवाली मशीन स्थापित करना; सिक्कों के वितरण के लिए आइएसओ मानकीकृत ग्राहक फीड बैक फॉर्मों को उपयोग में लाते हुए डाक घरों के साथ अनुबंध करना; असली नोटों की विशेषताएं दर्शाते हुए पोस्टर प्रदर्शित करना; वाणिज्य बैंकों, बीमा कंपनियों के पदाधिकारियों के लिए रिजर्व बैंक (नोट धन वापसी) नियमावली पर कार्यशालाएं आयोजित करना; बैंकिंग हाल में सूचना कियोस्क स्थापित करना और बैंकिंग हाल में वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा करवाना जैसी ग्राहक सेवा को उन्नत बनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों ने कई उपाय किए हैं।

X.56 रिजर्व बैंक की वेबसाइट में 'हम से संपर्क करें' और वेबपेज 'आम आदमी के लिए' में उपलब्ध कराए गए वेबलिंग का उपयोग कर के कोई भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत सीधे क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज सकता है, यह सुविधा वर्ष के दौरान किए गए आइटी उपाय के फलस्वरूप संभव हो पायी है।

X.57 जैसा कि अक्टूबर 2007 में वार्षिक नीति वक्तव्य 2008-09 की मध्यावधि पुनरीक्षा में घोषणा की गई है, रिजर्व बैंक एक समिति का गठन रिजर्व बैंक में ग्राहक सेवाओं संबंधी शिकायतों को देखने लिए करे जिसमें बाहर के सदस्यों को भी रखा जाए। समिति से अपेक्षित था कि वह (i) सीपीपीएपीएस सिफारिशों को अंगीकार किए जाने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक द्वारा सीधे अथवा बैंकों / संस्थाओं के माध्यम से प्रारंभ किए गए आम आदमी के लिए जनता सेवाओं की उन्नति के लिए प्रयासों का मूल्यांकन करे; (ii) ऐसी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए परामर्श दे; और (iii) सीपीपीएपीएस सिफारिशों को अंगीकार किए जाने के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी और अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विद्यमान नीतियों को सुसंगत बनाने के लिए उनका निरीक्षण करे। समिति

ने अपनी रिपोर्ट 15 अप्रैल 2008 को प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशों में मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी लेनदेन के क्षेत्र सम्मिलित किए गए जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं तथा ये सिफारिशें रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं।

X.58 वर्ष 2007-08 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा ग्राहकों के अनुकूल विभिन्न उपाय किए गए जिनमें मुख्य रूप से किए गए उपायों में बैंकिंग, मुद्रा प्रबंध, विदेशी मुद्रा प्रबंध, भुगतान प्रणाली और ग्राहक संतोष का मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना सम्मिलित है। राज्य तथा केंद्र सरकार के उद्यमों, प्राधिकृत विदेशी मुद्रा डीलरों, बड़े गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रोफेसरों और कृषकों के संगठनों के पदाधिकारियों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं / बैठकों का आयोजन किया गया।

X.59 आम आदमी को वित्त के संबंध में शिक्षित करने के लिए तैयार सामग्री के प्रचार-प्रसार को क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयासों से जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने वित्त से संबंधित शैक्षिक सामग्री को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने के लिए राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और जिला स्तर के सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वयन किया। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आम आदमी तक पहुँचने में सर्वाधिक सफल रहे शैक्षणिक प्रदर्श/प्रदर्शनी/पारस्परिक खेल कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शनियों / मेलों / सिक्कों के मेलों में भागीदारी को भरपूर सफलता हासिल हुई। अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नै, बंगलूर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कानपुर, नागपुर और तिरुवनंतपुरम कार्यालयों ने अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में व्यापारिक प्रदर्शनियों, सिक्कों के मेलों के स्टॉल लगाये। प्रदर्शनियों और कैम्पों में आने वाले लोगों ने सर्वाधिक रुचि करेंसी से जुड़े मुद्दों जैसे सड़े-गले और कटे-फटे नोटों के बदले नये नोट प्राप्त करने, करेंसी नोटों की सुरक्षा विशेषताओं की जानकारी पाने और सिक्के छोड़ने वाली मशीनों में दिरखाई जिससे यह तथ्य फिरसे प्रतिष्ठित हुआ कि रिजर्व बैंक का आम आदमी के लिए सर्वाधिक प्रकट और सुविख्यात कार्य है करेंसी नोट और सिक्के। नोफ्रिल बैंक खाता, सामान्य बैंकिंग, बैंकिंग लोकपाल योजना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, रिजर्व बैंक की स्वच्छ नीति, विदेशी मुद्रा सुविधाएं, एनबीएफसी में जमाराशियां जमा कराते समय सावधानी बरतने के बारे में जानकारी दी गयी।

परिसर विभाग

X.60 रिजर्व बैंक की भौतिक आस्तियों / आधारभूत संरचना के निर्माण, रखरखाव, नवीयन और इसके प्रबंधन के मामले में आमतौर पर परिसर विभाग नीति बनाता है और इन मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए बैंक ऑफिस के तौर पर कार्य करता है। इस विभाग ने पूरे देश

में विभिन्न संपदा कार्यालयों के सहयोजन के माध्यम से सभी कार्यालयों में संचार, डेटा अंतरण, उपकरणों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आधुनिकतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायीं। भवनों के बूढ़े होने, कार्य संस्कृति और बाह्य परिवेश में बदलाव आने के कारण वर्तमान समय में विभाग अपना ध्यान विद्यमान भवनों के आधुनिकीकरण, पुनर्वसन, नवीयन (रिट्रोफिटिंग) और इसकी यूटिलिटीज को आधुनिक बनाने/उन्हें बदलकर नई यूटिलिटीज लगाने पर केंद्रित कर रहा है। इसके साथ ही विभाग अपनी विद्यमान कार्यप्रक्रिया को उन्नत बनाने और उसमें पुनः बदलाव करने तथा विश्व स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है।

X.61 कार्यालय स्थलों को उपलब्ध कराने उनका रखरखाव और प्रबंध करने के दौरान विभाग ने अपना ध्यान परिवेशानुकूल सामग्री/प्रणालियों को उपयोग में लाने, जो ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड और देश की ऊर्जा और परिवेश नीतियों के अनुकूल है, पर केंद्रित किया है। 27 मई 2007 को लागू किए गए भारत सरकार के ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड के अनुसरण में 500 किलो वॉट अथवा इससे अधिक लोड वाले वाणिज्य भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कई प्रयास किए गए जिनका उद्देश्य था कुशल डिजाइन और ऊर्जा सक्षम / भू-भौतिकी अनुकूल उपकरणों को उपयोग में लाकर ऊर्जा खपत को कम करना। वर्ष के दौरान विभाग के निरंतर प्रयासों के रूप में रिजर्व बैंक के कार्यालय भवनों में ऊर्जा बचत के लिए कई कदम ऐसे उठाये गए जिनके चलते किलो वॉट घंटा (केडब्लूएच) के संदर्भ में लगभग 10 प्रतिशत तक ऊर्जा खपत में बचत हुई। जल संरक्षण प्रणाली लागू करने के लिए किए गए सघन प्रयासों के फलस्वरूप बैंक में जल लेखा परीक्षा लागू कर दी गई है और इस प्रकार की पहली जल लेखा परीक्षा दिसंबर 2008 तक पूरी करने का प्रस्ताव किया गया है।

रिजर्व बैंक में कार्यालयों/विभागों का निरीक्षण

X.62 रिजर्व बैंक के कार्यालयों / विभागों की प्रबंध लेखा परीक्षा और प्रणाली निरीक्षण (एमएएण्डएसई), सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा (सीए) और नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखा परीक्षा (सीएसएए) विनिर्दिष्ट अंतरालों पर की जाती है। एमएएण्डएसई का फोकस 3 'ई' पर है जिसका अर्थ है - कुशलता (एफिसिएन्सी), बचत (इकोनॉमी) और प्रणाली में प्रभावोत्पादकता (इफेक्टिवनेस)। एमएएण्डएसई विद्यमान प्रणाली और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करता है ताकि विधियों, विनियमों, आंतरिक नीतिगत दिशा-निदेशों तथा अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रबंध लेखा परीक्षा के अंतर्गत संगठनात्मक लक्ष्यों, शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा विभाग / कार्यालयों में ग्राहक सेवा और प्रबंध

कुशलता के पक्षों को भी देखा जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान प्रणाली निरीक्षणों (जिसमें दस क्षेत्रीय कार्यालयों, ग्यारह केंद्रीय कार्यालय विभागों और दो प्रशिक्षण स्थापना की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा भी सम्मिलित है) का काम पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली और मुंबई में बैंकिंग लोकपाल की प्रबंध लेखा परीक्षा का काम भी पूरा किया गया। एमएएण्डएसई रिपोर्टों के प्रमुख निष्कर्षों से संबंधित अनुपालन स्थिति की निगरानी कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी), जो केंद्रीय बोर्ड की निरीक्षण और लेखा परीक्षा उप-समिति (आइएएससी) के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में काम करती है, के द्वारा ही की जाती रही। वर्ष 2007-08 के दौरान आइएएससी की चार बैठकें, कार्यपालक निदेशकों की समिति की चार बैठकें और मुख्य महाप्रबंधकों की समिति की बारह बैठकें हुईं।

X.63 क्षेत्रीय कार्यालयों / केंद्रीय कार्यालय विभागों पर अनुपालन निगरानी और अनुवर्तन की प्रक्रिया को स्वयमेव बनाने के लिए एक साधारण ऑन लाइन अनुपालन निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली (सीओएमओआरएस) लागू की गई और इसे विभाग की वेबसाइट के साथ जोड़ा गया। सीओएमओआरएस का मुख्य उद्देश्य अनुपालन का प्रसंस्करण और पूर्ण सटीकता और कुशलता से काम करना है। सीओएमओआरएस यथा समय एक प्रभावित एमआइएस प्रणाली के रूप में सेवा करने योग्य विकसित किया जाएगा जो निरीक्षण निष्कर्षों की रिपोर्टिंग, जो कई वर्षों में जुटाये गए डेटा बेस से संकलित है, पर आधारित होगा। इस प्रणाली से अनुपालन निगरानी चक्र, जो पहले 10-15 दिनों का था, घट कर 3 से 4 दिनों का रह गया और इसके द्वारा लेखा परीक्षिता अनुपालन की अद्यतन स्थिति ऑन लाईन देख सकता है। केंद्रीय कार्यालय विभाग भी खुद को मार्क किए गए लंबित पैराग्राफों का अवलोकन किसी भी समय समेकित तरीके से कर सकते हैं।

X.64 विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालयों में प्रचलित संगामी लेखा परीक्षा और नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखा परीक्षा की प्रभावोत्पादकता की निगरानी कार्यालयों के ऑफ साइट लेखा परीक्षा निगरानी व्यवस्था और ऑन साइट फौरी लेखा परीक्षा के द्वारा की जाती रही है। 2007-08 के दौरान 20 क्षेत्रीय कार्यालयों, 22 केंद्रीय कार्यालयों और 3 प्रशिक्षण स्थापनाओं की फौरी लेखा परीक्षा (स्नैप ऑडिट) की गयी। वर्ष के दौरान मुंबई स्थित संगामी लेखा परीक्षकों (कॉन्करेंट ऑडिटर) को उनकी भूमिका की जानकारी देने और इस संबंध में उनसे रिजर्व बैंक की उम्मीदें क्या हैं, बताने के लिए जनवरी 2008 में निरीक्षण विभाग द्वारा एक 'कार्यशाला' आयोजित की गयी।

X.65 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन सिस्टम्स की तकनीकी लेखा परीक्षा का संचालन सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा क्षेत्र के बाह्य विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए किया गया। वर्ष के दौरान आरटीजीएस और सीपीएडी प्रणालियों

की प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा की गयी। प्री-लांच लेखा परीक्षा - चेक ट्रैकेशन प्रणाली (सीटीएस) का संचालन बाह्य सहायता लेकर की गयी। प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा के लिए सीसीआईएल और आईएसएस जैसे एप्लीकेशनों की पहचान भी की गयी है।

X.66 सीपीपीएपीएस की सिफारिशों को मानते हुए रिजर्व बैंक में चयनित कार्यक्षेत्रों/विभागों के आईएसओ 9001-2000 प्रमाणीकरण की प्राप्ति के लिए परियोजना का कार्यान्वयन चरणों में किया जा रहा है।

आईएसओ 9001-2000 एक जेनेरिक प्रबंध मानक है जो ग्राहक को केंद्र में रखकर गुणवत्तायुक्त प्रबंध प्रणालियां स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य फ्रेमवर्क तथा मुख्य कार्यों में निरंतर उन्नति उपलब्ध कराता है (बाक्स X.I)।

X.67 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों और मानकों को अंगीकार करने और उनका अनुपालन करने की दिशा में रिजर्व

बाक्स X.I

गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली (क्यूएमएस) : आईएसओ 9001-2000 मानक

गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली (क्यूएमएस) एक फ्रेमवर्क देता है जिसमें किसी संगठन के मुख्य कारोबार की योजना और उसके कार्यान्वयन के लिए वांछित नीतियों, प्रसंस्करणों और प्रक्रियाओं का एक सेट होता है जिसका लक्ष्य होता है परिचालन प्रणाली में सर्वोत्तम व्यवहारों का एकीकरण करके, प्रबंध फोकस और प्रबंध सोच के अनुशासन को एक साथ रखकर इष्टतम की प्राप्ति करना। यह संगठन को उसके कारोबारी उद्देश्यों की बेहतर प्राप्ति के लिए विभिन्न कारोबारी प्रक्रियाओं को पहचानने, उनका आकलन करने, नियंत्रण और सुधार करने में सक्षम बनाता है। दिसंबर 2000 में अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण

संगठन (आईएसओ) ने 9001-2000 मानक के लेबल वाले गुणवत्ता प्रबंध मानकों का एक सेट प्रचालित किया जो ग्राहक संतुष्टि का मापन करने पर जोर देते हुए प्रसंस्करण मॉडल पर आधारित था। ये मानक इतने जेनेरिक और लचीले हैं कि कितना भी छोटा अथवा बड़ा संगठन क्यों न हो, इन्हें अपने आप पर लागू कर सकता है। इन मानकों में 'योजना (प्लान), करो (डू), जांचो (चेक), कार्रवाई करो (ऐक्ट)' चक्र परिचालन सिद्धान्त के रूप में तथा 'निरंतर सुधार' (कंटीन्युअल इम्प्रूवमेंट) मुख्य कार्य के रूप में रखे गए हैं (प्रदर्श-क)।

प्रदर्शक

	<p>योजना - संगठन की परिस्थितियों का विश्लेषण करना, समग्र उद्देश्यों को स्थापित करना, अंतरिम लक्ष्य निर्धारित करना और इनकी प्राप्ति के लिए योजना बनाना। करो - योजना के अनुसार करो। जांचो - परिणामों को मापो। कार्रवाई करो - अगली बार बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए सुधार करो और गलतियों से सीख लो।</p>	<p>नयी खोजें एक ही लंबी छलांग में सुधार हैं। निरंतर सुधार एक क्रमिक और अंतहीन परिवर्तन है। निरंतरकारी सुधार एक वर्द्धमान परिवर्तन है जिसका अभिप्राय मापनयोग्य सुधारों, जो संगठन विशेष तथा उसके स्टेक धारकों के लिए बेहतर उचित समिश्र की सुपुर्दगी देता है, 'हर समय बेहतर बनना' के द्वारा है।</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

इन मानकों को निरीक्षण विभाग के समन्वयन से रिजर्व बैंक में सभी चयनित कार्य और स्थानों के लिए चरणों में लागू किए जाने का निर्णय किया गया है (सारणी)। 2007-08 के दौरान बंगलूर, चेन्नै, जयपुर और नई दिल्ली कार्यालयों में स्थित निर्गम और बैंकिंग विभागों (लोक लेखा विभाग, जमा लेखा विभाग और लोक ऋण कार्यालय), जहां सर्वाधिक बाह्य ग्राहकों का आना जाना है, को इन मानकों के अंतर्गत तीसरे पक्ष की लेखापरीक्षा के बाद प्रमाणित किया जा चुका है। हैदराबाद और कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुद्रा प्रबंध विभाग और साथ ही सरकारी और बैंक लेखा विभाग, जिन्हें पहले ही प्रमाणित किया जा चुका था, ने वर्ष के दौरान तीसरे पक्ष की पर्यवेक्षण (धारणीयता) लेखा परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया। इन मानकों को लागू करने से प्रमाणित हो चुके कार्य क्षेत्रों को लाभ प्राप्त

होता है। ये लाभ उन्हें निरंतर होते रहने वाले सुधार के द्वारा, जो मापनयोग्य गुणवत्ता उद्देश्यों से प्राप्य हैं, विशेष रूप से हाउसकीपिंग के क्षेत्रों और अभिलेख प्रबंध तथा ग्राहक सेवा के क्षेत्रों में; मापांकन/प्रसंस्करण उपकरणों के रीएमफेसाइज्ड कैंलब्रेशन सिस्टम, विशेष रूप से सीवीपीएस इत्यादि क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के प्रमाणन के अंतर्गत वर्ष 2009 तक रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में स्थित निर्गम और बैंकिंग विभागों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त आंतरिक ग्राहक संपर्क (प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग एवं मानव संसाधन विकास विभाग) तथा नीति निर्धारण (आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग) करने वाले कार्यक्षेत्रों को भी इतनी ही समय सीमा के भीतर प्रमाणन के अंतर्गत लाया जाना है।

सारणी

आईएसओ 9001-2000 के अंतर्गत प्रमाणित किए जा चुके विभागों/कार्यालयों के नाम	आईएसओ 9001-2000 के अंतर्गत प्रमाणन प्रक्रियागत विभागों/कार्यालयों के नाम
<ol style="list-style-type: none"> सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय हैदराबाद (निर्गम और बैंकिंग) कोलकाता (निर्गम और बैंकिंग) जयपुर (निर्गम और बैंकिंग) नई दिल्ली (निर्गम और बैंकिंग) चेन्नै (निर्गम और बैंकिंग) बंगलूर (निर्गम और बैंकिंग) 	<ol style="list-style-type: none"> आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, केंद्रीय कार्यालय प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय मानव संसाधन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय अहमदाबाद (निर्गम और बैंकिंग) भोपाल (निर्गम और बैंकिंग) नागपुर (निर्गम और बैंकिंग) तिरुअनंतपुरम, कोच्चि को सम्मिलित करते हुए (निर्गम और बैंकिंग)

बॉक्स X.2

सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (आइएसएमएस): आइएसओ 27001 मानक

सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (आइएसएमएस) संवेदनशील सूचनाओं के प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसमें लोगों एवं प्रसंस्करण और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को सम्मिलित किया गया है। आइएसओ 27001 : 2005 (बीएस 7799-2 : 2002 से अंगीकृत) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है और आइएसएमएस के लिए अपेक्षाओं का निर्धारण करता है। ये मानक कारोबार प्रसंस्करणों और आइटी सुरक्षा आवश्यकताओं को अनुकूल करते हुए किसी कार्य विशेष क्षेत्र/ डोमेन में प्रसंस्करण की हुई / भंडारित महत्वपूर्ण जानकारियों के अनुपात में पर्याप्त सुरक्षा नियंत्रणों के चयन के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराते हैं। इसका कार्यान्वयन सूचना प्रणाली अस्तित्व भंडारण, जोखिम निर्धारण और प्रबंध तथा सूचना सुरक्षा नीतियों के प्रलेखन और साथ ही प्रभावी जोखिम न्यूनीकरण के लिए नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।

इस काम में संवेदनशील सूचनाओं की बृहद मात्रा को देखते हुए उपर्युक्त मानकों को रिजर्व बैंक में कुछ चयनित कार्य क्षेत्रों में चरणों में कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया। मानकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यमान आइएसएमएस को अनुरूप करने के लिए बाह्य विशेषज्ञों / परामर्शदाताओं से सहायता प्राप्त की गयी जबकि निरीक्षण विभाग को सभी डोमेन और लोकेशनों

में प्रसंस्करण समन्वयन करने का जिम्मा सौंपा गया। सभी विभागों में कार्य की विविधता, बहु सूचना प्रसंस्करण प्रणालियों और सूचना के महत्व के विचलनीय स्तरों को देखते हुए विभागवार कार्यान्वयन और तृतीय पक्ष प्रमाणन प्रारंभ किया गया। कार्यान्वयन दृष्टिकोण को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह विभाग विशेष सूचना सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बैंकवार सूचना सुरक्षा नीति को बढ़ावा देता है। 2007-08 के दौरान इन मानकों को कुछ विभागों में कार्यान्वित किया गया (सारणी)। बीबीएस प्रमाणन लेखा परीक्षा पहले ही पूरी कर चुका है और शीघ्र ही डीबीओडी से भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। बाह्य निवेश और परिचालन विभाग तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, जो पहले ही प्रमाणन प्राप्त हैं, ने निगरानी (धारणीयता) लेखा परीक्षा सफलता पूर्वक पारित करते हुए प्रमाणन को अभी तक धारित कर रखा है। इन विभागों ने मानकों के कार्यान्वयन से लाभ उठाया अर्थात उनमें सभी स्तरों पर सुरक्षा जागरूकता में वृद्धि, प्रलेखित घटना रिपोर्टिंग प्रणाली में वृद्धि, डायनेमिक आइएस जोखिम मूल्यांकन और उपचार में वृद्धि पायी गयी क्योंकि प्रमाणन के अंतर्गत तृतीय पक्ष निगरानी के साथ-साथ आवधिक पुनरीक्षा और अंतरिक लेखा परीक्षा अधिदेशीय थे।

सारणी

आइएसओ 9001-2000 के अंतर्गत प्रमाणित किए जा चुके विभागों/कार्यालयों के नाम	आइएसओ 9001-2000 के अंतर्गत प्रमाणन प्रक्रियागत विभागों/कार्यालयों के नाम
<ol style="list-style-type: none"> 1. आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय 2. बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय 3. बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय 	<ol style="list-style-type: none"> 1. बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय 2. वित्त बाजार विभाग, केंद्रीय कार्यालय 3. केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर

बैंक के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में चरणबद्ध तरीके से कार्यक्षेत्रों में सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (आइएसएमएस) प्रमाणन (आइएसओ 27001) भी आरंभ की गई है (बॉक्स X.2)।

X.68 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप रिजर्व बैंक ने विद्यमान प्रणालीगत निरीक्षण को हटाकर उसकी जगह जोखिम आधारित आंतरिक निरीक्षण प्रचालित करने का कार्य हाथ में लिया है (बॉक्स X.3)।

व्यय और बजट नियंत्रण विभाग

X.69 व्यय और बजट नियंत्रण विभाग (डीईबीसी) रिजर्व बैंक का वार्षिक बजट तैयार करता है और बैंक के अपने स्टाफ को स्थापना से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराता है। विभाग ने एकीकृत स्थापना प्रणाली (आईईएस) को परिचालित किया है। यह त्रि-स्तरीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर है जो ब्राउसर आधारित एक्सेस देता है और पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है तथा जिसमें स्थापना से संबंधित समस्त कार्य, वेतन प्रक्रमीकरण / संवितरण कार्यकलाप सहित, कवर हो

जाते हैं। इसका उद्देश्य है मानक प्रक्रमों / नियमों के साथ-साथ एक कॉमन ओरेकल प्लेटफार्म उपलब्ध कराना और डेटा को सुरक्षित रखना। इसमें बारह मॉड्यूल्स होते हैं जिनमें से सात का संबंध वेतन (वेतनवृद्धि, पदोन्नति, छुट्टी, ऋण और अग्रिम को सम्मिलित करते हुए) से होता है और शेष पांच बिल, बजट, व्यय, निजी और अंतिम निपटान से जुड़े होते हैं। सभी मॉड्यूल्स विभाग में सक्रिय रहकर काम कर रहे हैं और क्रमशः इनका उपयोग केंद्रीय कार्यालय विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक के उपयोग से पता चलता है कि यह सॉफ्टवेयर उपभोगकर्ता के अनुकूल है और वेतन/स्थापना से संबंधित भुगतानों को इसने सरलीकृत किया है। इसके अलावा इसके कारण आयकर अर्थात आयकर फॉर्म 16 और फॉर्म 12 बी और 24 क्यू से संबंधित रिटर्न ऑनलाइन ही जनरेट करने में सहायता प्राप्त हुई है। अन्य मॉड्यूल्स के उपयोग को भी विभाग में लागू किया गया है और आहिस्ता-आहिस्ता इन्हें सभी कार्यालयों/विभागों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है।

बॉक्स X.3

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा

रिजर्व बैंक का आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य काफी मजबूत है और कई वर्षों में यह अपने इस रूप को पा सका है। इसके अंतर्गत अन्य बातों के अलावा प्रबंध लेखा परीक्षा और प्रणाली निरीक्षण (मैनेजमेंट ऑडिट एण्ड सिस्टम्स इंस्पेक्शन), संगामी लेखा परीक्षा (कॉन्करेंट ऑडिट), नियंत्रण स्वमूल्यांकन लेखा परीक्षा (सीएसए), फौरी लेखा परीक्षा (सैनैप ऑडिट कम मॉनिटरिंग सिस्टम) सह निगरानी प्रणाली (एसएनएसएम) सम्मिलित हैं। निरीक्षण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों में अनुपालन और नियंत्रण जाँचों के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और बाह्य सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा सम्मिलित हैं। पंक्ति प्रबंध (लाइन मैनेजमेंट) को सुझाव देकर भी लेखा परीक्षा की परामर्शदायी भूमिका निभाई जाती है। तथापि आंतरिक लेखा परीक्षा की भूमिका में आये बदलाव, जो अनुपालन से हटकर अब जोखिम आश्वासन पर आ गया है तथा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है, को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रणाली निरीक्षण विधि की पुनरीक्षा की गयी। यह माना गया कि जोखिम मूल्यांकन के प्रति बैंक में प्रचलित विद्यमान आंतरिक निरीक्षण अस्पष्टतापूर्ण था और नियंत्रण तथा अनुपालन पर ही इसका सर्वाधिक जोर था, जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक नियंत्रण और भी कड़े होते जो नियंत्रणों के एक के बाद एक कई स्तर निर्मित कर देता तथा जिसके कारण एक प्रकार के ‘संगठनात्मक मेल’ का निर्माण हुआ होता और जिसमें कारोबार प्रसंस्करण की गति तो धीमी होती ही साथ ही संप्रेषण और अधिक कठिन हो जाता। तुलनात्मक रूप में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआइए) आश्वासन देता है कि जोखिमों को संगठन की जोखिम ग्राह्यता के भीतर ही रखा जाता है। यह ऐसे किसी भी जोखिम पर लागू होता है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में भीतर से अथवा बाहर से खतरा उत्पन्न करता है। जोखिम मूल्यांकन और आश्वासन के प्रति आरबीआइए के खुले और स्पष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त होने वाले लाभ हैं - (क) आनेवाली अवधि में सीमित संसाधनों, कार्यक्षमताओं और गुणवत्ता लेखा परीक्षा का इष्टतम सवितरण; (ख) मध्यावधि में जोखिम जागरूकता, जोखिम ग्राह्यता सेट करना, और जोखिम तथा नियंत्रण मूल्यांकन पर फोकस और (ग) रिजर्व बैंक के उद्देश्यों के अनुरूप वैज्ञानिक लेखा परीक्षा; घटना / घटनाक्रम डेटाबेस विकसित

करना तथा दीर्घावधि में संपूर्ण जोखिम प्रबंध फ्रेमवर्क पर लेखा परीक्षा राय प्राप्त करना।

उपर्युक्त के मद्देनजर जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण की ओर अग्रसर होने का निर्णय किया गया। लेखा परीक्षा फोकस और प्रणाली में इस बदलाव की प्राप्ति के लिए कई उपाय किए गए। सर्वप्रथम, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (रिजर्व बैंक) के लिए फ्रेमवर्क प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए एक आंतरिक कार्यबल का गठन निरीक्षण विभाग में किया गया। कार्यबल ने रिजर्व बैंक में कार्य करने / उप प्रक्रम स्तर पर सभी कार्यक्षेत्रों के लिए परामर्शदायी और परस्पर विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया के द्वारा परंपरा से चले आ रहे जोखिम प्रोफाइल को तैयार किया। दूसरे उपाय के रूप में बाह्य सहायता से एक ‘पायलट प्रारंभ’ किया गया ताकि जोखिम रजिस्ट्रों के रूप में नियंत्रण, मूल्यांकन और अवशिष्ट जोखिम का नक्शा प्राप्त करने के लिए ‘प्रोफाइलों’ का परिष्करण किया जा सकता। तीसरे उपाय के रूप में बाह्य विशेषज्ञों द्वारा ‘पायलट’ और ‘रिपोर्ट’ से प्राप्त परिणामों की पुनरीक्षा आंतरिक लेखा परीक्षकों के संस्थान (आइआइए) के परामर्श से की गई ताकि रिजर्व बैंक के लिए रोडमैप प्राप्त किया जा सके, जिसके प्रथम चरण का अनुमोदन निरीक्षण और लेखा परीक्षा उपसमिति (आइएसएससी) द्वारा किया गया है। उक्त दिशा में कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है जिसके लिए आंतरिक एप्लोकेशन सीएमओएमओआरएस (अनुपालन निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली) को कस्टोमाइज किया जा चुका है ताकि एमएण्डएसआइ के द्वारा सभी लोकेशनों में घटनाओं का नक्शा तैयार किया जा सके। चौथे उपाय के रूप में जोखिम प्रबंध (आरएम) की सेटिंग के लिए एक ‘मसौदा दृष्टिकोण पेपर’ तैयार किया गया जिसमें आरएम, फ्रेमवर्क, संगठनात्मक ढांचा, टैक्सोनॉमी, दृष्टिकोण और प्रणाली के उद्देश्यों जैसे पक्षों को सम्मिलित किया गया है। परंपरागत और अवशिष्ट जोखिम स्तर पर एक नमूना घटना आधारित जोखिम मूल्यांकन भी तैयार किया गया। जोखिम वर्गीकरण और कारक भार मात्रांकन (फैक्टर वेट असाइनमेंट) को शामिल करते हुए ‘जोखिम प्राप्तांक योग’ (रिस्क स्कोर एग्रीगेशन)के लिए एक विधि का परीक्षण / वैधीकरण किया जा रहा है।

प्रचार-प्रसार नीति

X.70 रिजर्व बैंक के द्वारा प्रेस रिलीज, अधिसूचनाओं, मास्टर परिपत्रों, प्रकाशनों, भाषणों, बारंबार पूछे जानेवाले प्रश्नों और विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाना जारी रहा है। 30 जून 2008 को समाप्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक ने 1,686 प्रेस रिलीज और 388 अधिसूचनाएं और 79 मास्टर परिपत्र जारी किए। इसने विशेष श्रोताओं के साथ विचारों के आदान-प्रदान के लिए बैठकों, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया। विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित सहायता डेस्कों से जनता ने ई-मेल/टेलीफोन/फैक्स के जरिए बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, अर्थव्यवस्था, ग्राहक सेवा के बारे में प्रश्न पूछना जारी रखा। ये प्रश्न सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रश्नों के अलावा थे।

X.71 पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर अधिक जोर देते हुए रिजर्व बैंक बाह्य ग्राहकों के साथ दुतर्फा संप्रेषण के लिए अपनी वेबसाइट (URL : <http://www.rbi.org.in>) का उत्तरोत्तर

उपयोग करता रहा। इस साइट का उपयोग न सिर्फ रिजर्व बैंक से निसृत सूचनाओं के प्रसार के लिए किया जाता है बल्कि नीतियों पर फीडबैक प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। 2007-08 के दौरान फीडबैक प्राप्त करने के लिए सात मसौदा रिपोर्टें और 12 मसौदा दिशानिदेश वेबसाइट पर डाली गयीं। वेबसाइट का आकार 1996 में 10 एमबी था जिसे जुलाई 2008 में बढ़ाकर 38 जीबी कर दिया गया। वर्ष के दौरान ई-मेल के द्वारा रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना प्राप्त करने के लिए उपभोगकर्ताओं की संख्या, जिन्होंने वर्ष के दौरान स्वयंको पंजीकृत किया था, बढ़कर दुगुनी हो गयी। वर्ष 2007-08 के दौरान 7,845 उपभोगकर्ताओं ने स्वयंको पंजीकृत किया जिसके कारण पंजीकृत उपभोगकर्ताओं की कुल संख्या 15,008 हो गयी।

X.72 क्रमिक रूप से तीसरे वर्ष रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति दृष्टिकोण का खुलासा करने के लिए क्षेत्रीय प्रेस को आयोजित प्रेस सम्मेलनों के दौरान गवर्नर के साथ विचारों के परस्पर आदान-प्रदान के लिए आमंत्रित किया। विचारों के आदान-प्रदान को मुंबई और अहमदाबाद, बंगलूर, चेन्नै, हैदराबाद, जयपुर, कोलकता और नई दिल्ली के बीच वीडिओ

कॉन्फरेंस के जरिए सुगम बनाया गया। मौद्रिक नीति की घोषण के लिए गवर्नर की प्रेस कॉन्फरेंस के वेब कास्ट को बैंक की संचार नीति का अहम भाग माना जाता रहा है (बॉक्स-X.4)। अक्टूबर 2007 में घोषित वार्षिक नीति की मध्यावधि पुनरीक्षा का वेबकास्ट 465 व्यक्तियों द्वारा देखा गया और अप्रैल 2008 में वार्षिक नीति का वेबकास्ट 1803 व्यक्तियों द्वारा देखा गया।

X.73 रिजर्व बैंक ने प्रेस के लोगों के लिए परस्पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु दो कार्यशालाएं आयोजित कीं। ऐसी कार्यशालाएं

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में आयोजित की गयीं। इन ढाई दिनों की कार्यशालाओं का उद्देश्य था केंद्रीय बैंकिंग, रिजर्व बैंक के विशेष संदर्भ में, में प्रचलित सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं से प्रेस के लोगों को परिचित कराना। प्रेस के 53 लोगों ने इस मौके का लाभ उठाया। इन कार्यशालाओं की सफलता ने पड़ोस के देशों में अपनी पहुंच दर्ज कराने के लिए रिजर्व बैंक का उत्साहवर्धन किया। तदनुसार नेपाल से आये प्रेस के 16 लोगों के एक दल के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में 3 दिवसीय कार्यशाला

बॉक्स X.4

भारतीय रिजर्व बैंक की संचार नीति

पिछले दस से पंद्रह वर्षों के बीच अग्रणी केंद्रीय बैंकों द्वारा संचार नीतियों और व्यवहारों को दिए जा रहे महत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारण निम्नांकित हैं:

- केंद्रीय बैंक की बढ़ती स्वायत्तता और स्वतंत्र कार्यभार की जिम्मेदारी ने केंद्रीय बैंकों की जिम्मेदारी में अत्यधिक वृद्धि कर दी है जिसके कारण संचार की प्रभावोत्पादकता और पारदर्शिता पर बल देने की आवश्यकता हुई।
- मौद्रिक नीति का संचार अब अधिकतर नीति ब्याज दरों में परिवर्तन करके किया जाता है जिसका प्रभाव मुद्रा, ऋण और वित्तीय बाजारों पर होता है। अतः प्रभावी संचार एक अटूट हिस्सा है मौद्रिक नीति की क्षमता का। कई केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति समितियों का गठन भी किया है और उनके कार्यवृत्त को प्रकाशित करना आरंभ किया है।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष के कारण केंद्रीय बैंकों से किए जाने वाले संचार की गति और उनके स्वरूप में क्रांति आ गई है। प्रिंट मीडियम और टेलिविजन द्वारा पेश की जा रही परंपरागत चुनौतियों के अतिरिक्त केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटों और वायर एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे लगातार संचार ने केंद्रीय बैंक संचार को वैश्विक आधार पर वास्तविक समय पर कर दिया है।

इसके परिणामस्वरूप कई केंद्रीय बैंकों ने संचार के लिए औपचारिक नीति निर्मित की और उसे लागू किया।

अब जबकि रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रण को समाप्त कर चुका है और अन्य मात्रात्मक प्रत्यक्ष लिखतों को उपयोग में लाना बंद कर चुका है और जब 1980 तथा 1990 के उत्तरार्ध में वित्तीय संकट बहुत गहराया था, केंद्रीय बैंक नीति उद्देश्यों, लिखतों और इसके कार्यों के प्रभावी संचार ने अत्यधिक महत्व प्राप्त कर लिया। इस तरह के बहु कार्यों और जटिल अधिदेश का सामना करते हुए- मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थायित्व से लेकर बैंकिंग विनियामक ऋण प्रबंधक, सहकारी ऋण बाजार विनियामक और मुद्रा निर्गमकर्ता की भूमिका का निर्वाह करना - भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आवश्यक हो गया कि वह सुस्पष्ट संचार उपलब्ध कराए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने संचार प्रथाओं को भलीभांति लागू किया। तथापि संप्रेषण के बढ़ते महत्व को मान्यता देने के लिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि संप्रेषण नीति और व्यवहारों को कूटांकित किया जाए। कूटांकित नीति और व्यवहारों को जुलाई 2008 में संपन्न भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों के बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

रिजर्व बैंक की संचार नीति के प्रधान उद्देश्य हैं :

- जिम्मेदारी और विश्वसनीयता मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता।
- रिजर्व बैंक के बहुउद्देशी; परंपरागत मान-सम्मान/परस्पर विरोधाभासों और संक्रमण के संदर्भ में इसकी भूमिका और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट हों।
- प्रत्याशाओं का प्रबंधन और सूचना/विचारों के दुर्तर्फी प्रवाह को बढ़ावा देना।
- विभिन्न अवसरों पर सूचना, सांख्यिकीय और अनुसंधान का प्रचार-प्रसार। नीति में संचार नीति का उल्लेख किया गया है जो निम्नानुसार हैं:
- नीतिगत रुख के संचार के लिए रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण है नीति की व्याख्या तार्किक आधार, सूचना और विश्लेषण देते हुए करना परंतु बाजार भागीदारों और विश्लेषकों को लाभ देनेवाले कोई स्पष्ट मार्गदर्शन, जो उन्हें अपने निष्कर्ष निकालने का मौका देते हों, देने से बचना;
- संचार के विषयों में मौद्रिक नीति, वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण, बाह्य क्षेत्र प्रबंध, मुद्रा प्रबंध और लोक ऋण प्रबंध के साथ-साथ नीतिगत परिवर्तन व आधारभूत संरचना में सुधार का मार्ग भी सम्मिलित है;
- संचार में नीतिगत उपायों और प्रशासनिक युक्तियों को सम्मिलित किया गया है;
- भाषणों, औपचारिक लिखे हुए और आवधिक विवरणों, सांविधिक/असांविधिक प्रकाशनों और समिति रिपोर्टों और सूचना की रिपोर्टिंग/प्रचार-प्रसार में सटीकता, स्पष्टता और विश्वसनीयता;
- लक्ष्यश्रोता- जिसमें सम्मिलित हैं अनुसंधानकर्ता, विश्लेषक, शिक्षाजगत के विद्वान, विनियमित निकाय, अन्य केंद्रीय बैंक, रेटिंग एजेंसियां, बहुपक्षीय संस्थाएं, बाजार भागीदार, सरकारी एजेंसियां और शहरी तथा ग्रामीण आबादी वाले आम आदमी, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, रक्षाकार्मिक, विद्यालय छात्र-के प्रति संचार सुग्राह्य होना चाहिए;
- बैंक की वेबसाइट के द्वारा सूचना का प्रचार-प्रसार वास्तविक समय आधार पर;
- समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए मानक संचार लिखतों की पूर्वघोषित आवधिकता; अग्रिम रिलीज कैलेंडर और पुनरीक्षा चक्र;

भारतीय रिजर्व बैंक की संचार नीति की पुनरीक्षा वार्षिक रूप से की जाएगी और मास्टर परिपत्रों के द्वारा उन्हें भारिबैं की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य था नेपाल और भारत के सस्टडी के रूप में को सामने रखकर उन्हें बेसिक केंद्रीय बैंकिंग संकल्पनाओं को विस्तार से बताना। इस कार्यशाला के एक भाग के रूप में मुंबई दौरा कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें टकसाल, रिजर्व बैंक मौद्रिक संग्रहालय, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (तत्काल सकल निपटान), मुद्रा सत्यापन और प्रक्रमण प्रणाली केंद्रों और राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष, जहाँ चेकों का प्रसंस्करण किया जाता है, को देखा जाना सम्मिलित किया गया।

X.74 रिजर्व बैंक ने अपनी भूमिका और कार्य के बारे में अंतरदृष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से 2006 में स्कूलों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा अन्य रुचि रखने वाले जनता के समूहों को प्रोत्साहित करने का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 600 स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने 2007-08 के दौरान अकेले मुंबई में इस मौके का लाभ उठाया। ये महत्वपूर्ण है कि अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों के समूहों, जो गैर-सरकारी संगठनों जैसे - प्रथम (फुटपाथ के बच्चों की शिक्षा में संलग्न) और प्रेरणा (म्युनिसिपल स्कूलों के बच्चों की शिक्षा से जुड़े)-की सहायता प्राप्त करते हैं, ने भी केंद्रीय बैंक का दौरा किया। मुंबई में किए गए कार्यक्रम में केंद्रीय बैंकिंग और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर छात्रों और रिजर्व बैंक के पदाधिकारियों के बीच परस्पर चर्चा का सत्र और मौद्रिक संग्रहालय तथा राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष का दौरा भी रखा गया।

परियोजना वित्तीय साक्षरता

X.75 रिजर्व बैंक ने 2007-08 के दौरान वित्तीय साक्षरता परियोजना इस उद्देश्य से प्रारंभ की ताकि बैंकिंग, वित्त और केंद्रीय बैंकिंग विषयों पर जागरूकता, विशेष रूप से आम लोगों में, पैदा की जा सके। परियोजना का निर्देशन एक स्टीअरिंग समूह करेगा जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाएगी। स्टीअरिंग समूह में 2 क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधियों और चयनित केंद्रीय कार्यालय विभागों के प्रतिनिधियों को रखा जाएगा। स्टीअरिंग समूह वित्तीय शिक्षा के लिए विचारों और सामग्री की संवीक्षा करेगा। विभिन्न लक्ष्य दलों को संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ रिजर्व बैंक ने इन्हें विभिन्न खंडों में बांटा है - 8 से 12 वर्ष के बच्चों का आयु समूह, 12 से 16 वर्ष का आयु समूह जिसमें युवा विद्यार्थी होंगे, वरिष्ठ नागरिक, रक्षा कार्मिक, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं।

X.76 आम आदमी को उचित मूल्य पर कुशल बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने के उसके हक के बारे में जानकारी देने के इरादे से (www.rbi.org.in/commonman) जुलाई 2007 में बहुभाषी साइट

प्रारंभ करते हुए परियोजना का प्रारंभ किया गया। यह साइट अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों पर लागू रिजर्व बैंक के विनियमों, बैंकों के सेवा प्रभारों, उधार देने की उनकी दरें और चेक संग्रहण नीति, विभिन्न विषयों पर और बैंकिंग लोकपाल योजना पर भी बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों संबंधी जानकारी उपलब्ध करती है। इस साइट का मूल उद्देश्य है आम आदमी को बैंकिंग विषयों पर जानकारी से सुसज्ज करना। यह साइट हिंदी और अंग्रेजी में तो है ही, इसके अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है ताकि आम आदमी अपनी मातृभाषा में बैंकिंग से संबंधित उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सके और समझ सके। 14 नवंबर 2007 को बाल दिवस को चिरस्मरणीय बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने माइक्रो साइट, जो विभिन्न आयु समूह के बच्चों के लिए वित्तीय शिक्षण (www.rbi.org.in/financialeducation) पर विशेष रूप से अर्पित है, प्रारंभ किया। यह साइट कॉमिक फॉर्मेट में और खेलों के जरिए बैंकिंग तथा केंद्रीय बैंकिंग संकल्पनाओं को समझाती है। उक्त प्रयोजनार्थ दो चरित्र 'राजू' और 'मनी कुमार' विशेष रूप से निर्मित किए गए हैं। 'राजू' बैंकिंग के बारे में सारी बातें सीखता है और अपने सीखे हुए ज्ञान को अपने गांव में दोस्तों के बीच बांटता है। 'मनी कुमार' मौद्रिक नीति, बैंक विनियमों और करेंसी नोटों जैसे केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित विषयों के बारे में विशेष रूप से बच्चों को बताता है। माइक्रो साइट में करेंसी नोटों की सुरक्षा विशेषताओं को भी फिल्म के जरिए दिखाया गया है और यह हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।

X.77 स्कूली बच्चों के बीच बैंकिंग और वित्त में रुचि जागृत करने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तर पर किया। इस प्रतियोगिता ने भागीदार तमाम बच्चों के बीच जोरदार समर्थन प्राप्त किया। नकद पुरस्कारों के अलावा कुछ कार्यालयों के द्वारा रिजर्व बैंक का दौरा करने के लिए बच्चों को आमंत्रित किया गया। पुरस्कार जीतने वाले निबंधों को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर व्यापक प्रचार के लिए डाला गया।

X.78 रिजर्व बैंक में बतौर इंटरनर्स (प्रशिक्षु) कार्य करने का मौका कॉलेज जाने वाले छात्रों को देने के लिए तैयार की गयी युवा विद्वान पुरस्कार योजना (यंग स्कॉलर्स अवार्ड स्कीम) ने भी जोरदार लोकप्रियता प्राप्त की (बॉक्स X.5)। पूरे देश में 91 केंद्रों पर संचालित परीक्षा में 33,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया। इनमें से रिजर्व बैंक ने 150 विद्वानों को ग्रीष्म अवकाश के दौरान 2 माह के लिए रिजर्व बैंक में काम करने के लिए चुना। निबंध प्रतियोगिता और युवा विद्वान पुरस्कार योजना परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 11 क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित की गयी।

बॉक्स X.5

भारतीय रिजर्व बैंक युवा विद्वान योजना

हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपायों में जनता के एक बहुत बड़े भाग, जो अब तक वित्तीय सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा था, को वित्तीय सेवाओं की पहुंच आसान बनाने तथा देश में वित्तीय शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में विद्यमान ज्ञान की खाई को पाटने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए यह महसूस किया गया कि वित्तीय समेकन के लिए रिजर्व बैंक के समग्र प्रयासों में वित्तीय शिक्षा और साक्षरता को जोड़ने के लिए संभावना तलाशनी चाहिए और इसके लिए पूरे देश में युवा विद्वानों को रिजर्व बैंक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा उन्हें अल्पावधि आधार पर रिजर्व बैंक में काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। बैंक ने इस प्रयोजनार्थ पूरे देश में 18 से 23 वर्ष की आयुवाले छात्रों, जो स्नातकाधीन अध्ययनरत हैं, के लिए 'भारतीय रिजर्व बैंक युवा विद्वान योजना' प्रारंभ की है। इस प्रयोजनार्थ सभी अनुसूचित भाषाओं में पूरे देश में चयन परीक्षा

ली गई तथा 150 विद्वानों का चयन किया गया जिन्हें पूरे भारत में अवस्थित रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में रखा जाना था।

ये युवा विद्वान संभावित महत्वपूर्ण साधनों के रूप में उभर सकेंगे जो वित्तीय रूप से समेकित वृद्धि को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाएंगे। छात्रों ने जो कुछ भी सीखा है और अनुभव प्राप्त किया है उसे वे अधिक से अधिक लोगों के साथ बांट सकेंगे। ऐसा करके वे जनता के ऐसे भाग, जिसके पास वित्तीय मध्यस्थों के साथ वित्त संबंधी लेनदेन करने की जटिलताओं को समझ पाने में संसाधन और कौशल बहुत ही सीमित हैं, को जानकारी पहुंचा सकेंगे। ऐसा समझा जाता है कि ये उपाय (i) आमतौर अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली के बारे में जागरूकता का प्रचार करने में और खासतौर रिजर्व बैंक के बारे में जागरूकता का प्रचार करने में; (ii) समेकन संस्कृति निर्मित करने में; (iii) वित्तीय साक्षरता का प्रचार करने में; (iv) नया पहलू और सहयोजन शिक्षणयुक्त कार्यस्थल परिवेश निर्मित करने में; और (v) परियोजना आधारित कार्य उपायों को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

X.79 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से वह प्रभावी हुआ। रिजर्व बैंक में उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली उपलब्ध है। श्री वी.एस. दास, कार्यपालक निदेशक को मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) के रूप में तथा वैकल्पिक सीपीआइओ के रूप में श्री एच.आर. खान, कार्यपालक निदेशक को नामित किया गया है। डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर को एपेलेट अथॉरिटी (एए) के रूप में तथा श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर को वैकल्पिक एए रखा गया है। जनता के सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचना के अनुरोध को प्रस्तुत करने के सहायतार्थ बैंक के प्रत्येक कार्यालय में केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआइओ) के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों को नामित किया गया है।

X.80 अधिनियम के बारे में बढ़ी हुई जागरूकता के कारण 30 जून 2007 को सूचना के लिए प्राप्त 2959 अनुरोधों की संख्या बढ़कर 30 जून 2008 को 5414 हो गयी। लगभग 96 प्रतिशत अनुरोधों का समाधान कर दिया गया। जिन अनुरोधों की जानकारी संपूर्णतया प्रकट करने योग्य थी और जिन्हें प्रकट किया गया, 30 जून 2007 को उनका प्रतिशत 54 से बढ़कर जून 2008 को 68 हो गया। वर्ष के दौरान सीपीआइओ/जानकारी के अप्रकटन के विरुद्ध कुल मिलाकर 493 अपीलें बैंक के एपेलेट अथॉरिटी द्वारा प्राप्त की गईं। यद्यपि वर्ष के दौरान 48 आवेदकों ने केंद्रीय सूचना कमीशन (सीआइसी) को अपील किया, सीआइसी ने अब तक 69 अपीलों (पहले की अवधि के मामलों में निर्णय को सम्मिलित

करते हुए) में निर्णय दिया है (सारणी 10.10)। कमीशन ने 45 मामलों में बैंक में प्रथम एपेलेट अथॉरिटी के निर्णयों को स्वीकार किया और

सारणी 10.10: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाए गए अनुरोध

मद	(जुलाई-जून)	
	2006-07	2007-08
1	2	3
क. 1) 30 जून 2007 को लंबित रहे अनुरोध	94	207
2) वर्ष के दौरान प्राप्त अनुरोध	2,163	2,455
3) वर्ष के दौरान निपटाए गए अनुरोध	2,050	2,466
जिनमें से:		
i) संपूर्णतया निपटाए गए अनुरोध	1,062	2,051
ii) अंशतः निपटाए गए अनुरोध	329	62
iii) अस्वीकृत अनुरोध	270	92
iv) अन्य विधि से निपटाए गए अनुरोध	389	261
4) विचाराधीन	214	196
ख. 1) 30 जून 2007 को लंबित रही अपीलें	18	96
2) वर्ष के दौरान बैंक के एपेलेट अथॉरिटी (एए) द्वारा प्राप्त अपीलें	393	493
जिनमें से:		
i) विचाराधीन अपीलें	96	49
ii) निपटायी गयी अपीलों की संख्या	287	540
जिनमें से:		
क) एए द्वारा अनुमत अपीलों/आंशिक रूप से अनुमत अपीलों की संख्या जिनमें अतिरिक्त सूचना देने के लिए निदेश दिए गए हैं	127	223
ख) अपीलें जिनमें केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (सीपीओ) के निर्णय को स्वीकार किया गया है	178	317
ग. 1) 30 जून 2007 को केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास लंबित अपीलें	3	29
2) वर्ष के दौरान केंद्रीय सूचना आयुक्त को संदर्भित अपीलें	46	48
3) जारी आदेश	24	69
i) आंशिक रूप से अनुमत अपीलें।	7	24
ii) अपीलें जिनमें सीपीआइओ/एए के निर्णयों को स्वीकार किया गया।	17	45
4) विचाराधीन	25	8

बॉक्स - X.6

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण निर्णय

- 1) रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकों से सूचनाएं एकत्र करना और भेजना : 'भारतीय रिजर्व बैंक उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुरोधकर्ता को रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकों से सूचनाएं एकत्र करके नहीं भेजेगा।' श्री प्रवीण कांबले बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय (10 अगस्त 2007 एफ नं.पीबीए/07/ 618)।
- 2) **सामग्री रूप में उपलब्ध सूचनाएं देना** : 'जहाँ तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रश्न है, एपेलेन्ट को केवल वही सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी जो पब्लिक एथॉरिटी के पास उपलब्ध हो और जो सामग्री रूप में हो।' श्री डी.एस. रचप्पा बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय (28 अगस्त 2007, अपील संख्या 847/ आइसीपीबी / 2007)।
- 3) 20 वर्षों के बाद तक अभिलेखों का परिरक्षण : 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पब्लिक एथॉरिटी के लिए अधिदेशीय नहीं है कि वह समस्त अभिलेखों का परिरक्षण 20 वर्षों के बाद तक करे' श्री टी.श्रीनिवासन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय (5 नवंबर 2007, अपील 1094/आइसीपीबी/ 2007)।
- 4) **धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्टों में खाताधारकों के नाम और स्टाफ ब्यौरे प्रकट न करे** : कमीशन भारतीय रिजर्व बैंक के इस तर्क से सहमत था कि भले ही बैंकों द्वारा प्रस्तुत धोखाधड़ी निगरानी प्रतियों का प्रकटन अधिनियम के अंतर्गत किया जाए परंतु खाताधारकों के नाम और संलिप्त स्टाफ के ब्यौरे प्रकट न किए जाएं, क्योंकि ये ब्यौरे व्यक्तिगत ब्यौरे हैं (विश्वास में लेकर प्राप्त किए गए हैं)।' श्री डी. मरिमुथु बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय (20 जून 2008, अपील संख्या 2234/आइसीपीबी/2008)।
- 5) **बीआरबीएनएमपीएल एक पब्लिक एथॉरिटी है** : 'बीआरबीएनएमपीएल पब्लिक एथॉरिटी है क्योंकि वह भारतीय रिजर्व बैंक, जो खुद पब्लिक एथॉरिटी है, की सहायक है।' श्री वेंकटारेवती बच्चु बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय (10 सितंबर 2007 अपील संख्या 873/आइसीपीबी/2007)।
- 6) **परिवादों का निपटान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता** : 'अधिनियम में बैंकों द्वारा प्रदान की गई असंतोषजनक सेवा जैसे मुद्दों का निपटान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।' *ब्रिगोडियर बी.के. भंडारी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय (3 जनवरी 2008 अपील संख्या 1278/आइसीपीबी/2007)*
- 7) **सामान्य प्रश्न** : 'ऐसे प्रश्न जो विशेष नहीं हैं उनका उत्तर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता।' श्री अमरेश कुमार श्रीवास्तव बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय (13 जून 2008, संख्या 2180/ आइसीपीबी/2008)।

24 मामलों में आगे दिशा निदेश जारी किए। केंद्रीय सूचना आयोग के कुछ प्रमुख निर्णयों को बॉक्स X.6 में संक्षेप में दिखाया गया।

X.81 वर्ष के दौरान सूचनाओं के लिए प्राप्त अनुरोधों में से अधिकतर अनुरोध रिजर्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य के संबंध में थे। इनके अलावा मुद्रा प्रबंध, विदेशी मुद्रा सुविधाएं, ग्राहक सेवा और कार्मिक प्रबंधन जैसे अन्य क्षेत्रों के संबंध में भी कई अनुरोध प्राप्त हुए। केवल उन्हीं सूचनाओं का प्रकटन नहीं किया गया जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त थे। कतिपय अनुरोध राय मांगने, मत व्यक्त करने, कारणों का उल्लेख करने, अर्थनिरूपण अथवा परिवाद निपटान करने के संबंध में थे और अधिनियम के दायरे से बाहर थे, अतः तदनुसार उन पर कार्रवाई की गयी। 'प्रकटन लॉग', जिसमें सामान्य रुचि के प्रकटन को संक्षेप में बताया गया है, भी रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

अनुसंधान गतिविधियां

X.82 रिजर्व बैंक ने अन्य बड़े केंद्रीय बैंकों की भांति ही आर्थिक और सांख्यिकी के क्षेत्र में अपने स्वयं के अनुसंधान की क्षमताएं विकसित

की हैं, जो अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली की बेहतर समझ में योगदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विनियमों को समाप्त करने, उदारीकरण और अर्थव्यवस्था का बाह्य अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ावों जैसे कारणों के चलते निरंतर जारी संरचनागत परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक की नीतियों - मौद्रिक और विनियामक - का निर्माण करने के लिए सामयिक और पर्याप्त विश्लेषणात्मक सूचनाओं के महत्व ने काफी प्रमुखता प्राप्त कर ली है। इस परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान विभागों- आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (आविनीवि) तथा सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम)¹ ने रिजर्व बैंक द्वारा नीतियों का संचालन और निर्धारण करने में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर विश्लेषणात्मक अनुसंधान उपलब्ध कराया है।

आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग

X.83 आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग नीति निर्माणोन्मुखी अनुसंधान का संचालन करता है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों के लिए नीतिगत अनुसंधान उपलब्ध कराता है। यह विभाग रिजर्व बैंक के संबंध में विभिन्न नीतिगत विषयों पर सूचनाएं देता है। वर्ष के दौरान

¹: सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम) को पहले सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (डिसैक्स) के रूप में जाना जाता था।

विभाग में तैयार की गई और जारी की गई सांविधिक रिपोर्टों में रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2006-07; और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट, 2006-07 सम्मिलित है। मुद्रा और वित्त रिपोर्ट, 2006-07 जिसमें 'भारत में बैंकिंग क्षेत्र : उदीयमान मुद्दे और चुनौतियां' विषय को कवर किया गया है, अभी तैयार की जा रही है। 'राज्य वित्त - 2007-08 के बजट का अध्ययन' का प्रकाशन नवंबर 2007 में किया गया था जिसमें 'राज्य सरकारों को राजकोषीय अंतरण' विषय पर विशेष विचार रखे गए थे। अध्ययन का सारांश रिजर्व बैंक बुलेटिन में भी प्रकाशित किया गया। विभाग ने यूनियन बजट 2008-09 और रेलवे बजट 2008-09 का सारांश भी प्रकाशित किया। विभाग द्वारा 'भारत के विदेश व्यापार' पर एक मासिक पुनरीक्षा भी नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। विभाग द्वारा तिमाही आधार पर 'संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्ववाली सब्सिडियरियों में विदेश में भारतीय निवेश' पर विस्तृत लेख भी प्रकाशित किए गए। "1994-95 से 2000-01 अवधि के लिए भारतीय उद्योग में विदेशी संयोजन का सातवां सर्वेक्षण" की रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई। एक विशेष लेख 'भारत के भुगतान संतुलन में अदृश्य मदें : सेवाओं, विप्रेषणों और आय में व्यापार का विश्लेषण' विषय पर तथा एक लेख 'जून 2007 की समाप्ति पर भारत के बाह्य ऋण' विषय पर रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित किए गए। वार्षिक शृंखलाओं में 'भारत में औद्योगिक उत्पादन : 2007-08' विषय पर एक लेख रिजर्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित किया गया। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए विभाग ने 2006-07 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के सारांश को विभिन्न स्थानीय भाषाओं में अनूदित करवाने के लिए उपाय किए। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यह कार्य किया गया और अनूदित सारांश को क्षेत्र में शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, सरकारी पुस्तकालयों, उद्योग और व्यापार एसोसिएशनों तथा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को उपलब्ध कराया गया।

X.84 विभाग के द्वारा 2007-08 के दौरान गवर्नर के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य / मध्यावधि / तिमाही पुनरीक्षा किए जाने के साथ-साथ तिमाही आधार पर 'मैक्रोइकोनॉमिक और मौद्रिक विकास' को जारी किया गया। वर्ष के दौरान अपनी प्रत्येक तिमाही बैठकों में मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष विभाग द्वारा मैक्रोइकोनॉमिक और मौद्रिक विकास पर प्रेजेंटेशन दिए गए।

X.85 देश के लिए भुगतान संतुलन के संबंध में डेटा, जो एक तिमाही पीछे प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर जारी किया जाता है, का प्रमुख स्रोत यह विभाग ही है। बाह्य ऋण के संबंध में तिमाही डेटा का समेकन दो तिमाही के लिए विभाग द्वारा किया जाता है, जबकि शेष दो तिमाही के लिए यह समेकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा भारत के लिए नाममात्र दर और वास्तविक प्रभावी विदेशी मुद्रा दर (36 देश) के इंडेक्स का समेकन भी किया जाता है और विभाग के

तमाम प्रकाशनों के द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाता है। विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष डेटा प्रचार-प्रसार मानकों के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक सूचकों का प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। डेटा का समेकन कार्य प्रमुखता से करने के अलावा यह विभाग भुगतान संतुलनों, पूंजी आप्रवाहों, विदेशी मुद्रा दर और विदेशी मुद्रा रिजर्व से संबंधित अनुसंधान पर भी कार्य करता है। ये सभी डेटा, बैंक की मासिक बुलेटिन के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा, विभाग की यह भी जिम्मेदारी है कि वह मौद्रिक समुच्चय (मोनेटरी एग्रीगेट्स), समेकित राज्य वित्त, लेखा निधियों के प्रवाह, घरेलू इकाई वित्तीय बचतों और प्राथमिक पूंजी मुद्दों (निधि प्लेसमेंट सहित) संबंधी डेटा का संकलन करे। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों - वास्तविक, मौद्रिक, राजकोषीय, बाह्य और वित्तीय बाजारों - के संबंध में विस्तृत समय शृंखला सांख्यिकीय सूचना का प्रकाशन अनुसंधानकर्ताओं के उपयोगार्थ "भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय लघु पुस्तिका, 2006-07" में किया जाता रहा है। यह प्रकाशन पिछले कई वर्षों से कई वित्तीय परिवर्तियों (वेरिएबल्स) के मामले में वार्षिक डेटा (कई मामलों में 1950-51 से प्रारंभ), तिमाही/मासिक डेटा (कई मामलों में 1990-91 से प्रारंभ) साथ ही साथ दैनिक डेटा उपलब्ध कराता रहा है। यह विभाग रिजर्व बैंक की मासिक बुलेटिन में और अपने साप्ताहिक अनुपूरक में भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य मानकों के संबंध में सूचनाओं का प्रसार भी करता रहा है।

X.86 विभाग ने अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) के विशेष डेटा प्रसार मानकों के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक सूचकों का प्रसार भी किया है। विभाग ने आइएमएफ और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से संबंधित कार्य के लिए नोडल बिन्दु के रूप में कार्य किया है और इन संस्थाओं की गतिविधियों पर नजर रखता रहा है। विभाग ने आइएमएफ के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट को आर्टिकल IV के अंतर्गत चर्चा के संबंध में आइएमएफ टीम के भारत दौरे से संबंधित कार्य में संयोजन किया।

X.87 वर्ष के दौरान मासिक बुलेटिन में प्रकाशित विभिन्न लेखों में : (i) राज्य वित्त - बजट 2007-08 का अध्ययन का सारांश ; (ii) यूनियन बजट 2008-09 का सारांश; (iii) रेलवे बजट 2008-09 का सारांश; (iv) भारत के विदेश व्यापार के संबंध में मासिक पुनरीक्षा; (v) भारत के भुगतान संतुलन अदृश्य मदें: सर्विसेज, विप्रेषण और आय में व्यापार संबंधी विश्लेषण ; (vi) जून 2007 के अंत में भारत का बाह्य ऋण और (vii) 1994-95 से 2000-01 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की लेखा निधियों का प्रवाह। वर्ष के दौरान विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों में भारतीय निवेश और पूर्णतया स्वाधिकृत सब्सिडीयरीज पर तिमाही लेखा तथा "भारत में औद्योगिक उत्पादन : 2007-08" पर वार्षिक लेख की शुरुआत बुलेटिन में की गयी।

X.88 2007-08 के दौरान विभाग ने केंद्रीय बोर्ड की समिति/केंद्रीय बोर्ड बैठक के लिए साप्ताहिक वित्तीय और वाणिज्यिक रिपोर्ट तथा केंद्रीय बोर्ड की बैठकों के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति पर वार्षिक ज्ञापन तैयार किया।

X.89 विभाग ने वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन पर समिति से संबंधित कार्य के लिए जानकारी उपलब्ध करायी। विभाग के द्वारा भारत में बैंकिंग सुविधा की पहुंच पर कार्यकारी दल की मसौदा रिपोर्ट तैयार की गयी। विभाग ने ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना (अध्यक्ष: डॉ. राकेश मोहन) के लिए बचतों के संबंध में कार्यदल और निवेश का आकलन पर उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष: डॉ. सी. रंगराजन) को सचिवीय सहायता उपलब्ध की। विभाग ने असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थितियां और जीविकोपार्जन के प्रोत्साहन पर एनसीईयूएस की सिफारिशों की पुनरीक्षा करने के लिए बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्यदल को भी सहायता दी। विभाग ने अन्य विभागों को भी तकनीकी सूचना उपलब्ध करायी और कई अंतर विभागीय समूहों यथा - वृद्धि और मुद्रास्फीति पर विभागीय समूह, मुद्रास्फीति पर तेल की कीमतों के दुष्प्रभाव पर आंतरिक कार्यदल और मुद्रास्फीति में मौसमी संचलन पर अंतरविभागीय समूह में भागीदारी की। विभाग ने वास्तविक क्षेत्र पर कार्यदल को सचिवीय सहायता भी दी और जीडीपी वृद्धि के अनुमान पर रिपोर्ट एक वर्ष अग्रिम तैयार कर दी जो मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए सूचना के रूप में उपयोग में लाई जाती है।

X.90 विभाग ने विश्लेषणात्मक अनुसंधान किया जिसमें बैंकिंग, कीमतें, मौद्रिक क्षेत्र, राजकोषीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, भुगतान संतुलन, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली जैसे क्षेत्रों की समष्टि सम्मिलित है। वर्ष के दौरान विभाग ने विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान उपलब्ध कराया और रिजर्व बैंक के शीर्ष प्रबंध को तथा सरकार को नीति परक अनुसंधान नोट और अध्ययनों के माध्यम से नीतिगत सहायता उपलब्ध कराई। विभाग द्वारा वर्ष के दौरान तैयार किए गए विभिन्न अनुसंधान नोटों में अन्य बातों के साथ-साथ : (i) ईंधन मूल्य वृद्धि के प्रभाव; (ii) मुद्रास्फीति पूर्वानुमान; (iii) मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के प्रभाव पर विभिन्न देशों के अध्ययन; (iv) पण्य मूल्य संचलन; (v) गेहूँ, दालों, खाद्य तेलों और शक्कर की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए उपाय; (vi) खाद्य और ईंधन

कीमतों में वृद्धि (भारत सरकार के लिए); (vii) पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र का निष्पादन; कुछ प्रवृत्तियां (viii) भारत में उपभोक्ता वस्तु के क्षेत्र का हाल का निष्पादन; कुछ तथ्य अन्वेषण (ix) मासिक औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्तियां; (x) भारत में रोजगार और बेरोजगारी की प्रवृत्ति का अध्ययन; (xi) एफआइआई आप्रवाहों का अनुमान और वित्तीय स्थायित्व पर उनका प्रभाव; (xii) विकसित ईक्विटी बाजारों के बरक्स भारतीय ईक्विटी बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता; (xiii) स्टॉक बाजारों में हाल में हुई वोलैटिलिटी; (xiv) वैश्विक वित्तीय और मुद्रा संकट; और (xv) होल्डिंग कंपनियां; कुछ मुद्दे भी सम्मिलित हैं।

X.91 विभाग ने तेरहवें सी.डी. देशमुख स्मृति भाषण 'फास्टेन युअर - सीट बेल्ट्स मोनेटरी पॉलिसी चैलेंजेस इन टर्बुलेन्ट टाइम्स' का आयोजन 2 नवंबर 2007 को किया। यह भाषण श्री टी.टी. मोब्बेनी, गवर्नर, दक्षिण अफ्रीका रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया। श्री जीन-क्लाऊड ट्रीचेट, प्रेसीडेन्ट यूरोपीयन सेंट्रल बैंक ने दसवां एल.के. झा स्मृति भाषण 26 नवंबर 2007 को दिया जिसका शीर्षक था "द ग्रोंडिंग इम्पैटेंश ऑफ एमरजिंग इकोनोमीज इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड इट्स इम्प्लीकेशन्स फॉर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर"। 2007-08 के दौरान एल.के. झा स्मृति भाषण शृंखलाओं के अंतर्गत दिए गए भाषणों के स्मारक खंड का प्रकाशन विभाग ने किया जिसमें 1990 से मैक्रोइकोनॉमिक प्रबंध, विश्व में और भारतीय संदर्भ में, मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। भारिबैं अभिलेखागार की रजत जयंती के स्मरणोत्सव के लिए विभाग ने 5 अक्टूबर 2007 को आधार दिवस भाषण का आयोजन किया। इस मौके पर प्रो. मार्विन गुड फ्रेन्ड, टेप्पर स्कूल ऑफ बिजनेस, ने "प्रभावी केंद्रीय बैंकिंग के तत्त्व : सिद्धान्त, व्यवहार और इतिहास" विषय पर भाषण दिया।

X.92 विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी रिजर्व बैंक के अनुसंधान प्रयासों में अपना योगदान देना जारी रखा। विशेष राज्यों/क्षेत्रों के संबंध में नियमित मासिक/तिमाही पुनरीक्षाएं तैयार की गईं। इसके अतिरिक्त आर्थिक, बैंकिंग और राजकोषीय क्षेत्रों को कवर करने वाले क्षेत्रों पर विभिन्न अध्ययन भी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए।

X.93 रिजर्व बैंक के स्टाफ सदस्यों, विशेष रूप से अनुसंधान विभागों जैसे - आविनीवि और सांसूप्रवि द्वारा प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक

ऑकेजनल पेपर्स तथा विभिन्न अन्य जर्नल्स में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक अध्ययनों का प्रकाशन किया गया (परिशिष्ट III)।

X.94 रिजर्व बैंक में नवंबर 1991 में विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) का गठन किया गया जिसका उद्देश्य है त्वरित और प्रभावी नीति परक अनुसंधान करना जो सशक्त विश्लेषणात्मक और इम्पीरिकल आधार द्वारा समर्थित हो। डीआरजी बाह्य विशेषज्ञों / शिक्षाविदों और रिजर्व बैंक के भीतर उपलब्ध अनुसंधान टैलेन्ट पूल के बीच सहयोगीय अनुसंधान के लिए किसी प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। डीआरजी ने वास्तविक, मौद्रिक, राजकोषीय, बैंकिंग, कृषि, बाह्य और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित विषयों की बृहद रेंज पर अस्तित्व में आने के बाद से अब तक 27 अध्ययनों का प्रकाशन किया है। 2007-08 के दौरान सात अध्ययन किए गए: (i) भारत में ग्रामीण ऋण; (ii) 1991 से भारत में कृषि ऋण में वृद्धि; (iii) अनिश्चितता के दौर में मौद्रिक नीति, फीडबैक और बाजार; (iv) रुपया/डॉलर विनिमय दर के लिए पूर्वानुमान; (v) आगामी वर्ष के लिए यूनिनयन और राज्यों के वित्त को ध्यान में रखते हुए 2009 के बाद एफआरबीएम राजकोष आर्किटेक्चर की रूपरेखा; (vi) राज्य के वित्त कमीशन द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को अनुपूरक देने के लिए राज्य के निधि के समेकन में वृद्धि करने के उपाय किए जाएं; और (vii) बेहतर जानकारी और परिणाम के लिए सरकारी व्ययों की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता। वर्तमान में 19 अध्ययन किए जा रहे हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ; (i) भारत की व्यापार नीति के लिए सीख उपलब्ध कराने वाली डच बीमारी फेनोमेनन जो ब्राज़ील, नाइजीरिया, मलेशिया और रशिया में फैली हुई थी; (ii) भारत में बैंकों का ऋण जोखिम; और (iii) जमाराशियों में वृद्धि की प्रकृति और उसके कारण को सम्मिलित किया गया है।

X.95 2001 से डीआरजी को रिजर्व बैंक की एण्डोमेंट (धर्मादा) योजना से संबंधित काम सौंप दिया गया है। किसी योजना के अंतर्गत रिजर्व बैंक के हित वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह वित्तीय सहायता कॉरपस फंड (आधारभूत निधि) से उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में 22 कॉरपस फंड हैं जिनकी कुल राशियां लगभग 26 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवॉन्स स्टडीज, बंगलूर को भी इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त

करनेवाले विभिन्न संस्थानों में सम्मिलित किया गया। एण्डोमेंट योजना के अलावा अनुसंधान परियोजनाओं, स्पेसीलाइज़्ड जर्नलों के प्रकाशन और सम्मेलनों/सेमिनारों के आयोजन पर खर्च करने के लिए बैंक संस्थानों/ विश्वविद्यालयों को वित्त सहायता भी प्रदान करता है। रिजर्व बैंक के भीतर अनुसंधान के दायरे को और चौरस करने के लिए प्रस्ताव किया गया है कि डीआरजी अध्ययन, लेक्चर्स/सेमिनारों अथवा अल्पावधि अनुसंधान परियोजनाओं के लिए बैंक का दौरा करने हेतु लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित किया जाए।

X.96 देश में अनुसंधान कार्य के दायरे को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया जो रिजर्व बैंक के अनुसंधान निधीयन नीति के मिशन, उद्देश्यों, दायरे और विधियों की पुनरीक्षा करेगी और कार्यक्रम के बारे में अधिक स्पष्टता और प्रभावोत्पादकता उपलब्ध कराने के लिए परिवर्तनों का सुझाव देगी। विशेषज्ञों की इस समिति के अध्यक्ष डॉ. विमल जालान, माननीय राज्य सभा सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर हैं। समिति के अन्य सदस्यों के नाम हैं: प्रो. वी.एस. व्यास, प्रो. डी.एम. नाचणे, डॉ. सुबीर गोकर्ण और डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर, रिजर्व बैंक।

पुस्तकालय

X.97 रिजर्व बैंक का केंद्रीय पुस्तकालय, जो आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग से संबद्ध है, अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त के क्षेत्रों में संकलन, भंडारण और जानकारी के प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाता है। पुस्तकालय के पास किताबों, जर्नलों, वर्किंग पेपर्स, रिपोर्टों, सीडी रोम और अन्य कागजात का बड़ा भंडार है। इन सभी कागजात का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ओपीएसी (ऑन लाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग) की सहायता से रखा गया है जिसे केंद्रीय कार्यालय भवन में तथा रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में इंटरनेट के द्वारा पाया जा सकता है। पुस्तकालय को विभिन्न ऑन लाइन सेवाओं के साथ जोड़ा गया है। पुस्तकालय द्वारा दी जा रही ये सेवाएं हैं - बैंक स्कोप, सेंट्रल बैंक न्यूज डॉटकॉम, जेएसटीओआर बिजनेस एण्ड लीगल कनेक्शन्स, ईसीओएनएलआइटी, प्रोक्वेस्ट बिजनेस पीरिऑडिकल्स डेटाबेस (2900 जनरल्स को कवर करता है), एल्सवीअर साइन्स डायरेक्ट ऑन लाइन (41 जर्नल्स), डेटा स्ट्रीम, आइएसआइ इमरजिंग मार्केट्स ऑन लाइन, लेक्सीस - नेक्सीस ऑन लाइन, और स्प्रींजर ऑन लाइन जर्नल्स (95 जर्नल्स)। पुस्तकालय चर्चा पेपर्स और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के विशेष पेपर्स भी मंगवाता है। पुस्तकालय द्वारा दी जा रही अन्य ऑन लाइन सेवाएं हैं - प्रोवेस, स्टेट एनालिसिस सर्विस एण्ड वर्ल्ड बैंक ई

लाइब्रेरी। पुस्तकालय में 64,686 किताबों; 25,938 सरकारी प्रकाशनों; 4,425 वर्किंग पेपर्स और 12,633 जर्नलों के बैक खंडों का भंडार है। पुस्तकालय के द्वारा 29,148 जर्नल लेख का ऑनलाइन डेटाबेस रखा जाता है और इसके द्वारा 368 तकनीकी जर्नल प्राप्त किए जाते हैं। रिजर्व बैंक के अन्य कार्यालयों में प्रशिक्षण महाविद्यालयों और पुस्तकालयों को यह पुस्तकालय सूचना सेवाएं और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है।

सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग

X.98 सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (सांखिकसेवि) की भूमिका और मुख्य कार्य में आए परिवर्तन के अनुरूप अब 20 मई 2008 से इस विभाग का नया नाम “सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (सांसूप्रवि)” रखा गया है। यह विभाग उच्च गुणवत्तायुक्त सांख्यिकीय सेवा उपलब्ध कराता है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सूचना एकत्रण, समेकन, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार सम्मिलित है। विभाग को भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में डेटाबेस, रिजर्व बैंक के डेटा वेअरहाउस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डेटा डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। सांख्यिकीय विश्लेषण कार्य में अन्य विभागों को तकनीकी सहायता देना तथा विशिष्ट क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डेटा प्रबंधन करना इस विभाग का प्रमुख कार्य होता है।

X.99 2007-08 के दौरान विभाग ने निम्नांकित सर्वेक्षण पूरे किए: (क) तिमाही औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण जो विनिर्माण गतिविधियों में लगे निजी कार्पोरेट क्षेत्र के निष्पादन और भविष्य में अंतरदृष्टि उपलब्ध कराते हैं; (ख) तिमाही मुद्रास्फीति आकलन सर्वेक्षण जिसमें घरेलू क्षेत्र में मुद्रास्फीति आशाओं का पता कराने के लिए 12 शहरों में 4000 घरों को सम्मिलित किया गया है; (ग) लघु उधार खातों (प्रत्येक खाते की ऋण सीमा 2 लाख रुपए अथवा कम हो) का 31 मार्च 2006 की संदर्भ अवधि के अनुसार सर्वेक्षण; (घ) कारोबार चक्र विश्लेषण के प्रमुख मानदंडों के संबंध में तिमाही सूचना देने वाले इनवेन्ट्रीज, ऑर्डर बुक्स और क्षमता दोहन, 2006-07 का सर्वेक्षण। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जमाकर्ताओं और लघु उधारकर्ताओं को दी जा रही सेवाओं पर अध्ययन का संचालन करने में भी विभाग ने सहायता की। मुद्रास्फीति आकलन सर्वेक्षण के डेटा गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए

विभाग ने शोधकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया और उनके कार्यस्थल का दौरा भी किया।

X.100 अल्प से मध्यावधि आर्थिक विकासों तक के प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक सूचकों के लिए कई केंद्रीय बैंकों के द्वारा ‘प्रोफेशनल पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण’ किया जाता है ताकि इन पूर्वानुमानकर्ताओं की प्रोफेशनल विशेषज्ञता तथा उनके अनुभव का लाभ प्राप्त किया जा सके। विभाग ने सितंबर 2007 को समाप्त दूसरी तिमाही से ऐसे सर्वेक्षण का प्रारंभ किया है जिसमें अन्य के साथ-साथ जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, बचत, पूंजी निर्माण, उपभोग व्यय, निर्यात, आयात, ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा रिजर्व, मुद्रा आपूर्ति, ऋण वृद्धि, स्टॉक बाजार संचलन और कारपोरेट लाभ के घटक-वार विस्तृत पूर्वानुमानों को सम्मिलित किया गया है। इस सर्वेक्षण के परिणामों को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रचार के लिए डाला गया है।

X.101 ‘हाउस स्टार्ट्स’ को अग्रणी आर्थिक सूचकों में से एक माना जाता है। मौद्रिक नीति के परिचालनीय आस्ति मूल्य चैनल (ऑपरेटिव एसेट प्राइस चैनल) के मूल्यांकन के लिए हाउस कीमतों को परंपरागत रूप में देखा जाता है। तथापि हाउस स्टार्ट्स भी हाउसिंग निवेशों पर मौद्रिक नीति आवेगों के प्रभावों के बारे में अतिरिक्त और अनुपूरक जानकारी उपलब्ध कराता है। केंद्रीय बैंक के लिए इस प्रकार के सूचक के महत्व को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक ने हाउसिंग स्टार्ट अप सूचकांक के विकास के लिए एक तकनीकी परामर्शदायी समूह (टीएजी) का गठन (अध्यक्ष : प्रो. अमिताभ कुंडू) किया है। टीएजी में रिजर्व बैंक, सीएसओ, एनएसएसओ, एनएचबी, एलबीओ, हुडको, एसबीआई के अधिकारियों एवं आर्थिक और सांख्यिकी (डीईएस) के चार राज्य निदेशालय और क्षेत्र में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को रखा गया है। यह पहली बार हुआ है कि भारत में हाउसिंग स्टार्ट अप सूचकांक के समेकन को मान्यता दी जा रही है। टीएजी भारतीय संदर्भ में हाउसिंग स्टार्ट अप सूचकांक के निर्माण के लिए अर्थक्षम विधि के निर्माण पर कार्य कर रहा है और शीघ्र ही रोड मैप के साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

X.102 विभाग ने मुंबई में भू-संपदा मूल्यों में संचलन के अभिज्ञान के लिए दो विभिन्न सर्वेक्षणों/अध्ययनों को पूरा किया। बृहन मुंबई में तिमाही मकान मूल्य सूचकांक (क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स) विकसित करने के लिए पहले अध्ययन में महाराष्ट्र सरकार के पंजीकरण और स्टाम्प विभाग से प्राप्त किए गए बृहन मुंबई के लिए समस्त लेनदेनों संबंधी आधिकारिक डेटा का उपयोग किया गया। दूसरे अध्ययन का प्रारंभ वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के कहने पर जनवरी 2004, जनवरी 2005,

जनवरी 2006, जनवरी 2007, मई 2007 और नवंबर 2007 में बृहन मुंबई में भू-संपदा मूल्यों में संचलन पर नमूना सर्वेक्षण करने के लिए किया गया था। इस नमूना सर्वेक्षण में आवासीय और वाणिज्य संपत्तियों को कवर किया गया जिसमें बृहन मुंबई के छह जोनों और आस-पास की नगरपालिकाओं के आठ किराए और बिक्री/पुनर्बिक्री संबंधी लेनदेन सम्मिलित हैं। इस अध्ययन ने वाणिज्यिक और आवासीय भवनों की बिक्री/पुनर्बिक्री मूल्यों और किराए के लिए अलग मूल्य इंडिसेस विकसित किया। इन परिणामों से पता चलता है कि मुंबई में आवासीय संपत्तियों के किराए और बिक्री/पुनर्बिक्री मूल्यों ने पिछले चार वर्षों के दौरान तीव्र वृद्धि दर्ज की है।

X.103 भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रचार-प्रसार प्लेटफॉर्म के प्रबंधन का कार्य विभाग को सौंपा गया : रिजर्व बैंक डेटा वेअरहाउस। सीडीबीएमएस (अध्यक्ष डॉ. के.एस.आर. राव) पर स्थायी परामर्शदायी समूह (अध्यक्ष डॉ. आर.बी. बर्मन) और तकनीकी समिति की सिफारिश के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस : भारिबैं डेटा वेअरहाउस के नाम से जानी जानने वाली एक साझी साइट, इंटरनेट और इंटरनेट दोनों ही यूजरों के लिए, 29 फरवरी 2008 से कार्यान्वित कर दी गई (बॉक्स X.7)। विद्यमान पूर्व फॉर्मेट की गई रिपोर्टों और साधारण पूछताछ के अतिरिक्त दो

अतिरिक्त विशेषताएं - आगामी पूछताछ और डेटा परिभाषाएं - यूजरों की सहायता के लिए, ताकि वे अपने लिए आवश्यक डेटा पा सकें, लागू की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अद्यतन प्रगति की जानकारी के लिए रिजर्व बैंक के वरिष्ठ प्रबंध को सक्षम बनाने में रिजर्व बैंक के डेटा वेअरहाउस में डैशबोर्ड लागू किए गए। ये डैशबोर्ड वृद्धि दरों, प्रवृत्तियों और चार्टों को उपयोग में लाते हुए डेटा विश्लेषण में मददगार होते हैं जो बाद में पूर्वचेतावनी सिग्नल की पहचान करते हैं। इसके अलावा देश-विदेश की तुलना को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ डैशबोर्डों का निर्माण रिजर्व बैंक के डेटाहाउस और बीआईएस डेटा बैंक में उपलब्ध अन्य देशों के डेटा को उपयोग में लाते हुए किया गया।

X.104 विभाग ने ऑन लाइन रिटर्नस फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य में सहायता की। रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों यथा - बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, मौद्रिक नीति विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, और सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग से प्राप्त कई रिटर्नों को ओआरएफएस के अंतर्गत लाया जा रहा है। बैंकों द्वारा प्रस्तुत डेटा की संपूर्ण प्रक्रिया को मानकीकृत करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने एक्सबीआरएल ('एक्सटेनसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैगुवेज') एनेबल्ड ओआरएफएस कार्यान्वित करने का बीड़ा उठाया है। इसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय स्टीअरिंग

बॉक्स - X.7

भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआइ) : भारिबैं - डेटा वेअरहाउस - इंटरनेट और इंटरनेट दोनों ही यूजरों के लिए साझी साइट प्रारंभ करना

रिजर्व बैंक ने अपने डेटा वेअरहाउस अर्थात् भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआइ) : भारिबैं डेटा वेअरहाउस के कुछेक चुने हुए कार्यकलापों को, जो इससे पहले केवल इसके आंतरिक यूजरों को ही उपलब्ध थे, इंटरनेट यूजरों को उपलब्ध कराया है। इसकी उपलब्धि रिजर्व बैंक डेटा वेअरहाउस के लिए फरवरी 2008 से, इंटरनेट और इंटरनेट दोनों ही यूजरों के लिए, एक साझी साइट निर्मित करके प्राप्त की गई। इसे रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) के डेटाबेस पृष्ठ अथवा वैकल्पिक रूप से यूआरएल <https://rbi.org.in> से एक्सेस किया जा सकता है।

आमूलचल रूप से बदली हुई साइट परिरक्षित होम पेज, उन्नत सर्च ऑप्शन्स, किसी भी रिपोर्ट पर चर्चा और आगामी प्रश्न जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में डेटा मार्ट्स को लागू किया गया जो यूजरों को उनके मनोकूल रिपोर्ट निर्मित करने में सहायता देता है। इस प्रकार मानक रिपोर्टों को अतिरिक्त डेटा का एक्सेस एडॉक क्वेरी मोड अर्थात् 'सिम्पल क्वेरी' (पहले जिसे 'डेटा क्वेरी' के नाम से जाना जाता था) और 'एडवान्स क्वेरी' (न्यू फीचर) के माध्यम से किया जा सकता है। 'एडवान्स क्वेरी' फीचर की सहायता से यूजर उपलब्ध डेटा मार्ट्स पर आधारित अपने मनोकूल फॉर्मेट में नई रिपोर्टें निर्मित कर सकता है। यूनिवर्सस की

सूची में से यूजर अपनी इच्छानुसार उचित यूनिवर्सस का चयन कर सकता है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस (जीयूआइ) टूल की सहायता से किसी भी वांछित मद को यूजर ड्रैग अथवा ड्रॉप कर सकता है। किसी चयन अवधि के लिए यदि यूजर को डेटा चयन करना हो तो उसे टूल को उपयोग में लाते हुए टाइम डायमेंशन ऑब्जेक्ट के संबंध में मूल्यों/मूल्य रेंज का उल्लेख करने की आवश्यकता होगी। ये रिपोर्टें यूजरों को उनके लोकल कंप्यूटर में एक्सेल/सीएसवी/पीडीएफ फाइल फॉर्मेट फॉर्म में रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी देती हैं।

वित्तीय क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय बाजार, बाह्य क्षेत्र, लोक वित्त और कारपोरेट वित्त को सम्मिलित करते हुए विभिन्न विषय के क्षेत्रों के संबंध में अतिरिक्त डेटा शृंखलाओं की बहुत बड़ी संख्या इसमें इसके जन्म से ही जोड़ी जा चुकी है। वर्तमान में 194 स्टेटिक रिपोर्टें हैं जिन्हें विषय-वार और फ्रिक्वेन्सी-वार व्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त विषय क्षेत्र-वार 74 डेटा क्वेरी रिपोर्टें और फ्रिक्वेन्सी-वार 53 डेटा क्वेरी टेम्पलेट्स, और 38 डेटा मार्ट यूनिवर्सस इसमें सम्मिलित हैं जिनका उपयोग वेब ब्राउजर की सहायता से यूजर परिभाषित रिपोर्टें निर्मित करने में किया जा सकता है। ये रिपोर्टें उनके मेटाडेटा (अर्थात् कारोबारी शब्दों और टेबल्स पर नोट्स) सहित प्रकाशित की जाती हैं।

बॉक्स X.8

बैंकों द्वारा डेटा रिपोर्टिंग के लिए प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष

बैंकों के रिपोर्टिंग के भार को कम करने के प्रयोजनार्थ रिजर्व बैंक ने कुछ एक रिपोर्टों, जैसे - फॉर्म ए, के लिए ऑन लाइन रिपोर्ट फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) प्रारंभ किया है। ओआरएफएस कागज आधारित डेटा प्रस्तुति की आवश्यकता को हटाना है। यह एक ही रिटर्न की कई प्रतियों को रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों में प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भी समाप्त करता है। इस प्रकार बैंकों और साथ ही रिजर्व बैंक दोनों के लिए डेटा रिपोर्टिंग प्रक्रिया सरल हो जाती है। ओआरएफएस का निर्माण भारतीय वित्तीय क्षेत्र की नेटवर्किंग रीढ़ अर्थात् इनफोनेट पर आधारित है, तथापि इसे इंटरनेट पर भी उपयोग में भी लाया जा सकता है। डेटा रिपोर्टिंग के लिए एक्सएमएल ('एक्सटेंसिव मार्क अप लैंग्वेज') को अपना कर ओआरएफएस काफी हद तक डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

इसी के साथ-साथ सरकारी एजेन्सियों के संघ, बड़ी कंपनियों और संगठनों के नेतृत्व में एक्सबीआरएल ('एक्सटेंसिव मार्क अप लैंग्वेज') को उपयोग में लाते हुए बिजनेस रिपोर्टिंग पर एक अंतरराष्ट्रीय पहल भी हुई है। इस संघ का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में बिजनेस रिपोर्टिंग में खुले मानकों को लागू करना है जो कंप्यूटर द्वारा पढ़े जा सकें और जो डेटा गुणवत्ता आश्वासन तथा 'प्रत्यक्ष बेरोकटोक प्रक्रिया (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग)' की अनुमति दे। एक्सबीआरएल इंटरनेशनल इंक. (एक्सआइआइ), जो अलाबी संगठन है, इस आंदोलन का अगुवा है।

भारत में एक्सबीआरएल कार्यक्षेत्र स्थापित करने के प्रयास भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में रिजर्व बैंक, सेबी

और बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण जैसे विनियामक शामिल हैं। बैंकिंग क्षेत्र के लिए रिजर्व बैंक ने आगे बढ़कर बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को एक्सबीआरएल आधारित डेटा रिपोर्टिंग कार्यान्वयन को आगे ले जाने के लिए उच्च स्तरीय स्टीअरिंग समिति (अध्यक्ष : श्री वी. लीलाधर) का गठन किया है।

समिति ने 3 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप में परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। पहले चरण में, जो मार्च 2009 तक पूरी होने की उम्मीद है, नए-नए लागू बासिल-II रिटर्नों, अन्य कुछ रिटर्नों जो पहले से ही ओआरएफएस में सम्मिलित हैं तथा वित्तीय स्टेटमेंट्स सम्मिलित किए जाएंगे। इस चरण के दौरान इन रिटर्नों के लिए एक्सबीआरएल टैक्सोनॉमिज विकसित किए जाएंगे और इनका प्रकाशन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। यह प्रणाली पहले से ही कार्यरत ओआरएफएस के विस्तार रूप में कार्यान्वित होगी। परियोजना का दीर्घकालिक उद्देश्य है बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक्सबीआरएल रिपोर्टिंजी निर्मित करना। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2007 में प्रकाशित वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी विज्ञान डायग्नोसिस की पुनरीक्षा में एक्सबीआरएल मानकों की पहचान आनेवाले वर्षों में सर्वाधिक प्रमुख कार्य के रूप में की गई है।

जून 2007 में रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी विज्ञान डायग्नोसिस की पुनरीक्षा में आनेवाले वर्षों में एक्सबीआरएल मानकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है।

समिति (अध्यक्ष : श्री वी. लीलाधर) की स्थापना की गई (बॉक्स X.8)। एक्सबीआरएल के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के भाग के रूप में समिति ने बैंकों द्वारा प्रस्तुत सभी रिटर्नों को युक्तिसंगत बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया। उम्मीद की जाती है कि युक्तिसंगत करने के बाद वाणिज्य बैंकों का रिपोर्टिंग भार घट जाएगा।

X.105 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आइबीएस) के तिमाही समेकन की बीआइएस प्रणाली का कार्यान्वयन दिसंबर 1999 में रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी के संबंध में डेटा, जिसमें लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकी (एलबीएस) संबंधी 18 स्टेटमेंट सम्मिलित हैं और समेकित बैंकिंग सांख्यिकी के 5 स्टेटमेंट सम्मिलित हैं, मार्च 2001 के प्रारंभ से ही बीआईएस को भेजे जा रहे हैं। बीआइएस 'भारत का आइबीएस' को मार्च 2001 से अपने प्रकाशनों में प्रकाशित करता रहा है। वर्ष के दौरान आइबीएस आंकड़ों पर आधारित एलबीएस और सीबीएस स्टेटमेंट विनिर्दिष्ट फॉर्म में पिछली तिमाहियों अर्थात् जून 2007 को समाप्त तिमाही से मार्च 2008 को समाप्त तिमाही के लिए बीआइएस को उपलब्ध किए गए।

X.106 कृषि और अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को बैंक ऋण के लिए रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्राप्ति और डेटा समेकन के संबंध में वर्तमान स्थिति की पुनरीक्षा को ध्यान में रखते हुए, ताकि

निरंतरता और शुद्धता सुनिश्चित की जा सके, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक और नाबार्ड को भेजे गए रिटर्न्स को सुसंगत बनाने के लिए सांसूचि में एक कार्यदल का गठन किया गया।

X.107 बीएसआर प्रणाली के अंतर्गत बेसिक सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) 1 और 2 के द्वारा ऋण और जमाराशियों के विभिन्न चरित्रों संबंधी विस्तृत डेटा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्यालयों से एकत्र किए जाते हैं जो बैंक समूहों और जनसंख्या समूहों द्वारा स्वीकृति के स्थान, ऋण को उपयोग किए जाने, खाते का प्रकार, संगठन, ब्याज दर जैसे मानदंडों पर वितरणयोग्य पक्षों के डेटा उपलब्ध कराता है। बीएसआर1 रिटर्न में संशोधन किया गया और मार्च 2008 से उसका कार्यान्वयन किया गया। संशोधन में कई प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। प्रथमतः नए प्रकार के खातों जैसे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), जेनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी), और अन्य क्रेडिट कार्ड को सम्मिलित किया गया। द्वितीयतः उधारकर्ता के संगठनात्मक कोडों की रचना पुनः की गई। वित्तीय और गैर- वित्तीय संगठनों को सरकारी, निजी और को-ऑपरेटिव क्षेत्रों में अलग से परिभाषित किया गया। स्व-सहायता समूहों (एसएचजी)/माइक्रो वित्तीय संस्थाओं (एमएफआइ) के लिए अलग कोडों को सम्मिलित किया गया। तृतीयतः

बीएसआइ ऑक्युपेशन/एक्टिविटी कोड की डिजाइनिंग राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआइसी) पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण पर आधारित है (आइएसआइसी) बीएसआर में ऑक्युपेशन कोड की पुनर्रचना अन्य संबंधित सिस्टम में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप की गई थी। अंतिमतः 'उधारकर्ताओं की श्रेणी' लागू की गई जो नए दिशानिदेशों के बाद सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमियों जैसे विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए उधारकर्ता यूनिट के आधार पर आधारित है। अनुदेशों की पुस्तिका का संशोधित सातवां संस्करण मार्च 2008, जिसमें संशोधित विवरणियों के संबंध में दिशा-निदेश हैं, भी प्रकाशित की गई। बीएसआर प्रणाली और आइबीएस डेटा की गुणवत्ता/उसकी व्याप्ति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए यह विभाग महाविद्यालयों और रिजर्व बैंक के विभिन्न केंद्रों तथा अन्य बैंकों में भागीदार बैंकों के अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता रहा है।

X.108 बैंकिंग सेवाओं में ट्रेड पर तकनीकी समूह जिसमें वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और संबंधित विभागों के सदस्य होते हैं, की सिफारिश के अनुसार भारत में कार्य करनेवाले विदेशी बैंकों तथा विदेश में शाखा रखनेवाले भारतीय बैंकों से बैंकिंग सेवाओं में ट्रेड पर सूचनाएं एकत्र करने के लिए जनवरी 2008 में एक सर्वेक्षण किया गया था। कुल मिलाकर 112 भारतीय बैंकों की शाखाएं विदेश में कार्य कर रही हैं और 25 विदेशी बैंक भारत में कार्यरत हैं और इन सबने इस सर्वेक्षण में पूछे गये सवालों का जबाब दिया और संबंधित डेटा का प्रसंस्करण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर सेवा निर्यात पर तकनीकी समूह की सिफारिशों [जिसमें नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज (एनएसएससीओएम), एसटीपीआइ और रिजर्व बैंक] को रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने पर एक विस्तृत सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया गया है ताकि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) और आइटी प्रदत्त सेवाओं का काम करने वाली कंपनियों से कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात के संबंध में सूचनाएं एकत्र की जा सकें। समूह की स्थापना सॉफ्टवेयर निर्यात से संबंधित समेकन मुद्दों की जांच करने और "आइटी सेवा निर्यातों के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण के द्वारा डेटा एकत्रीकरण प्रक्रिया को भुगतान संतुलन मैनुअल, 5वां संस्करण (बीपीएम5) में

यथाविनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) दिशानिदेशों के अनुरूप करने के लिए यथोचित आशोधन का सुझाव देने" के लिए की गई थी।

X.109 विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, असम और कर्नाटक इन चार राज्यों को अपने घरेलू ऋण और अन्य आकस्मिक देयताओं का प्रबंधन करने के लिए सीएसडीआरएमएस 2000+ पैकेज कार्यान्वित करने में तकनीकी सहयोग दिया। यह विभाग ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेशों के संबंध में डेटा प्रबंधन प्रणाली के विकास के लिए विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय को सहायता / तकनीकी सहयोग देता रहा है। यह माना गया कि विभाग अंततः इस प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन के बाद इसका प्रबंधन करेगा। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2007 से प्रभावी, विभाग ने बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग से सांख्यिकी रिटर्न (गैर-निवासी जमाराशियां/की वसूली/समेकन/प्रक्रमण) को भी अपने हाथ में लिया।

X.110 कारपोरेट क्षेत्र के निष्पादन के संबंध में सूचनाएं नीति निर्धारण के लिए मुख्य जानकारी देती हैं। पिछले कई वर्षों से अपने देश की अर्थव्यवस्था जोरदार वृद्धि के दौर से गुजर रही है तथा भारतीय कारपोरेट क्षेत्र वैश्विक बाजारों के साथ उत्तरोत्तर जुड़ता चला जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में विभाग ने कारपोरेट क्षेत्र में अध्ययन के दायरे को बढ़ाने के लिए एकजुट होकर प्रयास किया तथा विभिन्न देशों में कारपोरेट कार्य-निष्पादन का पता लगाने के प्रयास किए।

X.111 विभाग ने 2007-08 के दौरान नीति और परिचालनात्मक मुद्दों दोनों को ही दायरे में रखकर विभिन्न अनुसंधान प्रारंभ किए। कुछ एक मुद्दे इस प्रकार हैं: (i) संभावित उत्पादन का आकलन; (ii) करेंसी का इन्वेंटरी संबंधी; (iii) कृषि से जुड़े ऋण और उत्पादन; (iv) सर्वेक्षण डेटा के लिए मूल्यांकन; (v) शहरी बैंकों की भेद्यता; (vi) वाणिज्यिक बैंकों के पोर्टफोलियो की भेद्यता; (vii) प्रतिभूति बाजार में बाजार जोखिम मापन; (viii) वरिष्ठ ऋण अधिकारियों का मत सर्वेक्षण; (ix) कारपोरेट बचत; (x) भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं के निर्धारक; (xi) संरचना समयश्रृंखला मॉडल आधारित पूर्वानुमान और नीति उत्प्रेरक; (xii) ग्रामीण ऋण - परिवर्तनकारी प्रवृत्ति, 1970-71 से 2002-03; (xiii) डायनेमिक फैक्टर मॉडल को उपयोग में लाते हुए मैक्रो इकोनॉमिक पूर्वानुमान; (xiv) बेसियन वीएआर मॉडलों को उपयोग में लाते हुए

वृद्धि/ मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान; और (xv) भारतीय बैंकों का स्ट्रेस परीक्षण और वित्तीय भेद्यता।

X.112 भारत सरकार द्वारा प्रोफेसर पी.सी.महलानोबीस की जन्म वर्षगांठ, जिसे 'सांख्यिकी दिवस' का नाम दिया जाता है, को स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए विभाग ने 1 जुलाई 2008 को द्वितीय 'वित्तीय सांख्यिकी पर वार्षिक सम्मेलन' आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ.राकेश मोहन, उप गवर्नर, रिजर्व बैंक ने किया। प्रो. सुरेश तेंडुलकर, अध्यक्ष राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग और प्रो. डी.एम. नाचणे, निदेशक, आइजीआइडीआर जैसे नामी वक्ताओं ने इस सम्मेलन में भाषण दिए।

X.113 वर्ष के दौरान विभाग ने बैंक की कार्यप्रणाली के लिए प्रासंगिक विभिन्न अग्रिम विषयों पर भाषण करवाने की व्यवस्था की। इन विषयों में सम्मिलित हैं : (i) वित्तीय विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए बेसियन विधियां; (ii) लाइनियर बीजगणित और लाइनियर मॉडेलिंग; (iii) जोखिम मापन और बासिल II; (iv) रिसम्पलिंग/ बूटस्ट्रैप- तकनीक; (v) अग्रिम समयशृंखला विश्लेषण; (vi) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी; और (vii) कार्यक्षमता और उत्पादकता का मापन। विभिन्न विभागों से लगभग 65 अधिकारियों ने नियमित आधार पर भाषण शृंखलाओं का लाभ उपस्थित रहकर उठाया।

X.114 विभाग ने 2007-08 के दौरान अहमदाबाद, बंगलूर और लखनऊ में तीन नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले।

केंद्रीय बोर्ड और इसकी समितियां

X.115 30 जून 2008 को समाप्त वर्ष के दौरान केंद्रीय बोर्ड की 7 बैठकें हुईं। इनमें से 4 बैठकें परंपरागत केंद्रों (नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै और मुंबई) में हुईं और 3 का आयोजन गैर परंपरागत केंद्रों (रांची, लखनऊ और शिलांग) में किया गया। वर्ष के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समिति की 45 साप्ताहिक बैठकें मुंबई में की गईं। रिजर्व बैंक के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय बोर्ड की सहायता हेतु 3 समितियों - केंद्रीय बोर्ड की समिति, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, और भुगतान तथा निपटान प्रणाली विनियमन के लिए बोर्ड, और 3 उप-

समितियों - निरीक्षण और लेखा परीक्षा उपसमिति, स्टाफ उपसमिति, और भवन उपसमिति का गठन किया गया। केंद्रीय बोर्ड की समिति ने हमेशा की तरह बैंक के नियमित कारोबार को देखा जिसमें निर्गम और बैंकिंग विभागों से संबंधित रिजर्व बैंक के साप्ताहिक लेखों का अनुमोदन भी सम्मिलित है। केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में चर्चाओं का विषय आम तौर पर रिजर्व बैंक के मामलों का अधीक्षण और निदेश देने से संबंधित रहा करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मुद्रा प्रबंध, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण, मौद्रिक और ऋण नीति, रिजर्व बैंक की लेखांकन नीति और आंतरिक ऋण प्रबंधन नीति से संबंधित प्रमुख निर्णयों में निदेशकगण अपने विशाल और विविध क्षेत्रों से प्राप्त अनुभवों का योगदान करते हैं। बोर्ड की चर्चा के केंद्र में समाज के गरीब तबकों को आर्थिक वृद्धि के लाभ प्राप्त होने का महत्वपूर्ण मूल्यांकन करना और आम तौर पर कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र भी होते हैं।

X.116 केंद्रीय बोर्ड की 500 वीं बैठक 11 अक्टूबर 2007 को रांची में हुई। केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप झारखंड में एक छोटा उप-कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया। संसद में यूनियन बजट 2008-09 प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप केंद्रीय वित्त मंत्री ने 6 मार्च 2008 को दिल्ली में संपन्न केंद्रीय बोर्ड की बैठक में निदेशकों के साथ मुलाकात की और बजट प्रस्तावों पर उनके साथ चर्चा भी की।

X.117 उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष के दौरान निरीक्षण और लेखा परीक्षा उप-समिति (आइएएससी) की चार बैठकें, स्टाफ उप-समिति की एक बैठक और भवन उप-समिति की दो बैठकें संपन्न हुईं। केंद्रीय बोर्ड की इन उप-समितियों का गठन रिजर्व बैंक के मामलों में निदेश देने के लिए केंद्रीय बोर्ड के सहायतार्थ किया गया था। भवन उप-समिति ने स्टाफ क्वार्टर्स, कार्यालय नवीयन और आवासीय भवनों के निर्माण जैसे विभिन्न विषयों पर रिजर्व बैंक को सूचित किया। उप-समिति ने वर्ष 2007-08 के लिए पूंजी बजट के उपयोग की पुनरीक्षा भी की। निरीक्षण और लेखा परीक्षा उप समिति ने रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों

सारणी 10.11: रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों को नवाजे गए पुरस्कार

नाम	पुरस्कार	क्षेत्र
1	2	3
श्री सुरेश नेवतिया	पद्मभूषण	व्यापार और उद्योग और सामाजिक कार्य
श्री राम रतन टाटा*	पद्म विभूषण	व्यापार और उद्योग
श्री एन.आर.नारायणमूर्ति*	पद्म विभूषण	व्यापार और उद्योग
श्री पी.एन.धर *	पद्म विभूषण	सार्वजनिक मामले
श्री डी.आर.मेहता [@]	पद्मभूषण	सामाजिक कार्य
* भूतपूर्व केंद्रीय बोर्ड निदेशक	[@] : भूतपूर्व उप गवर्नर	

के प्रबंध और प्रणाली निरीक्षण से उपजे अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों की जांच की। स्टाफ उप-समिति बैंक में मानव शक्ति योजना की पुनरीक्षा करती है और पदों में वृद्धि/उन्नयन के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करती है।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्डों के निदेशक /सदस्य

X.118 केंद्रीय बोर्ड के पांच वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यगणों को गणतंत्र दिवस 2008 को पद्मभूषण और पद्मविभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। (सारणी 10.11)।

X.119 रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उप गवर्नर डा.एम.वी.हाटे का देहावसान 3 जून 2008 को हुआ।

X.120 स्थानीय बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र) के सदस्य श्री एस.रामचंद्र का देहावसान 14 जून 2008 को हुआ।

X.121 श्री पी.आर.नांगिया, रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर का देहावसान 8 अगस्त 2008 को हुआ।

कार्यपालकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति

X.122 श्री पी.के.बिश्वास, कार्यपालक निदेशक, 4 अक्टूबर 2007 को कारोबार की समाप्ति पर बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

X.123 श्री जी.गोपालकृष्णन और श्री एच.आर.खान को 3 दिसंबर 2007 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

X.124 श्री सी.कृष्णन, कार्यपालक निदेशक की पूर्णकालिक नियुक्ति 4 दिसंबर 2007 से रिजर्व बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में की गई।

विदेशी पदाधिकारी

X.125 वर्ष के दौरान कई विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने रिजर्व बैंक का दौरा किया और उच्च प्रबंधकों के साथ विचार-विमर्श किया (परिशिष्ट IV)। इनमें मालदीव, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, जिम्बाबवे, इजराइल, मॉरिशस, स्विटजरलैंड के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों; फिनलैंड, जर्मनी, जापान, स्विडन के संसदीय प्रतिनिधि मंडलों; संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और स्विटजरलैंड के मंत्रिमंडलीय प्रतिनिधि मंडलों; और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक से उच्च पदाधिकारियों के नाम सम्मिलित हैं। श्री जीन-क्लाउड ट्रिचेड, अध्यक्ष यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी रिजर्व बैंक का दौरा किया और दसवां एल.के.ज्ञा स्मारक भाषण दिया।

XI.1 2007-08 के दौरान के रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम इस अध्याय में दिए गए हैं।

आय और व्यय

XI.2 रिज़र्व बैंक की पिछले पांच वर्षों की सकल आय, व्यय विनियोजन और निपटान योग्य निवल आय नीचे प्रस्तुत की गई है (सारणी 11.1)।

भारत सरकार को अंतरणीय अधिशेष

XI.3 भारत सरकार को 2007-08 के लिए अंतरणीय अधिशेष 15,011.00 करोड़ रुपए थे, जिसमें विशेष प्रतिभूतियों के विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में रूपांतरण के कारण सरकार द्वारा किए गए ब्याज व्यय में अंतर के लिए सरकार को मुआवजे स्वरूप ऐसी प्रतिभूतियों के रूपांतरण पर ब्याज अंतर संबंधी 1,699.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

आय

XI.4 रिज़र्व बैंक की 2007-08 की सकल आय 57,750.79 करोड़ रुपए थी जबकि 2006-07 में यह 41,039.73 करोड़ रुपए

थी (एसबीआइ में शेयर की बिक्री पर हुआ लाभ छोड़कर) जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 40.7 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसका मुख्य कारण विदेशी स्रोतों से आय में वृद्धि था। उक्त वर्ष के दौरान देशी स्रोतों से आय में 0.3 प्रतिशत की कमी हुई (सारणी 11.2 और चार्ट XI.1)।

XI.5 आकस्मिकता आरक्षित निधि, आस्ति विकास आरक्षित निधि और कुल आय के प्रतिशत के रूप में सरकार को अंतरित अधिशेष सारणी 11.3 में दिया गया है।

विदेशी स्रोतों से अर्जन

XI.6 विदेशी मुद्रा आस्तियों के अभिनियोजन और स्वर्ण से रिज़र्व बैंक को हुई आय में 16,730.28 करोड़ रुपए (47.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और वह 2006-07 के 35,152.99 करोड़ रुपए से बढ़कर 2007-08 में 51,883.27 करोड़ रुपए हो गई (सारणी 11.4)। इसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों के स्तर में वृद्धि होना था। प्रतिभूतियों पर मार्क-टू-मार्केट मूल्यहास के लेखांकन से पहले विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण पर अर्जन की दर 2006-07 के 4.7 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में 5.1 प्रतिशत थी। मूल्यहास के लिए लेखांकन के बाद विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण पर अर्जन की दर 2006-

सारणी 11.1: सकल आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
कुल आय (सकल)	14,323.70	19,028.28	26,320.31	41,039.73	57,750.79
				(75,348.33) #	
निम्नलिखित को अंतरण घटाएं:					
(i) आकस्मिक आरक्षित निधि	969.47	6,125.92	10,936.42	20,488.97	33,430.74
(ii) आस्ति विकास आरक्षित निधि	188.09	687.09	1,126.79	1,971.51	3,207.92
कुल (i+ii)	1,157.56	6,813.01	12,063.21	22,460.48	36,638.66
कुल आय (निवल)	13,166.14	12,215.27	14,257.10	18,579.25	21,112.13
				(52,887.85) #	
कुल व्यय	7,762.14	6,811.27	5,849.10	7,164.25	6,097.13
निवल प्रयोज्य आय	5,404.00	5,404.00	8,408.00	11,415.00	15,015.00
				(45,723.60) #	
घटाएं : निधियों में अंतरण*	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सरकार को अंतरित अधिशेष	5,400.00	5,400.00	8,404.00	11,411.00	15,011.00
				(45,719.60) #	

: कोष्ठकों के आंकड़ों में 29 जून 2007 को विनिवेशित एसबीआइ के शेयरों की बिक्री का लाभ शामिल है।

* : पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि को अंतरित की गई।


वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 11.2: सकल आय

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
क. विदेशी स्रोत					
ब्याज, बट्टा, विनिमय	9,103.50	16,979.47	24,538.03	35,152.99	51,883.27
ख. देशी स्रोत					
(i) ब्याज	4,872.41	1,607.34	1,207.04	5,144.52	4,958.35
(ii) एसबीआई में निवेश किए गए शेयरों की बिक्री से लाभ	-	-	-	34,308.60	-
(iii) अन्य अर्जन	347.79	441.47	575.24	742.22	909.17
कुल: [(i)+(ii)+(iii)]	5,220.20	2,048.81	1,782.28	40,195.34 (5,886.74)	5,867.52
ग. कुल आय (सकल)(क+ख)	14,323.70	19,028.28	26,320.31	75,348.33 (41,039.73)	57,750.79

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े एसबीआई में 34,308.60 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री पर हुए लाभ को छोड़कर हैं।



07 के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 4.8 प्रतिशत हो गई।

देशी स्रोतों से आय

XI.7 देशी स्रोतों से आय 2007-08 में 5,867.52 करोड़ रुपए थी जो पिछले वर्ष के 5,886.74 करोड़ रुपए (एसबीआई में धारित शेयर भारत सरकार को बेचने पर हुआ लाभ छोड़कर) के स्तर जैसी ही थी। 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्ष में निम्न मर्दें शामिल हैं (i) देशी प्रतिभूतियों पर ब्याज, एलएएफ परिचालनों पर लाभांश और ब्याज जो संयुक्त रूप से 2006-07 के 5,234.58 करोड़ रुपए से कम होकर 2007-08 में 4,533.87 करोड़ रुपए रह गया और (ii) प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास जो 5,570.03 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,048.06 करोड़ रुपए हो गया (सारणी 11.5)।

सारणी 11.3: आकस्मिक तथा आस्ति विकास आरक्षित निधियां और सरकार को अधिशेष अंतरण

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
कुल आय (सकल)	14,323.70	19,028.28	26,320.31	41,039.73*	57,750.79
आकस्मिकता आरक्षित निधि को अंतरण	969.47 (6.8)	6,125.92 (32.2)	10,936.42 (41.6)	20,488.97 (49.9)	33,430.74 (57.9)
आस्ति विकास आरक्षित निधि को अंतरण	188.09 (1.3)	687.09 (3.6)	1,126.79 (4.3)	1,971.51 (4.8)	3,207.92 (5.6)
सरकार को अधिशेष का अंतरण	5,400.00 (37.7)	5,400.00 (28.4)	8,404.00 (31.9)	11,411.00* (27.8)	15,011.00 (26.0)

* : एसबीआई के शेयरों की बिक्री से हुए लाभ को छोड़कर।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कुल आय का अनुपात दर्शाते हैं।

रिज़र्व बैंक का 2007-08 का लेखा

सारणी 11.4 : विदेशी स्रोतों से अर्जन

(करोड़ रुपए)

मद	निम्नलिखित तारीख को		घट-बढ़	
	30 जून 2007	30 जून 2008	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	8,39,878.79	12,98,552.05	4,58,673.26	54.6
स्वर्ण	27,655.43	39,548.32	11,892.89	43.0
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	5.78	47.57	41.79	723.0
आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति **	1,875.16	2,268.53	393.37	21.0
कुल विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	8,69,415.16	13,40,416.47	4,71,001.31	54.2
औसत-विदेशी मुद्रा आस्तियां	7,70,814.47	10,75,984.86	3,05,170.39	39.6
अर्जन (ब्याज, बट्टा, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूति पर पूंजीगत लाभ/हानि)	36,142.11	54,715.15	18,573.04	51.4
प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	(-) 989.12	(-) 2,831.88	(-) 1,842.76	186.3
मूल्यहास को घटाकर अर्जन	35,152.99	51,883.27	16,730.28	47.6
ज्ञापन:				
प्रतिभूतियों के मूल्य में हुई वृद्धि जो वसूली नहीं गई	312.26	2,122.72	1,810.46	579.8
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में अर्जन	4.7	5.1	-	-
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में अर्जन (मूल्यहास घटाकर)	4.6	4.8	-	-
** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित अंश की स्थिति जो 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दर्शाई गई थी, जिसे 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से आरक्षित निधि में शामिल किया गया है।				

व्यय

XI.8 रिज़र्व बैंक का कुल व्यय 2006-07 के 7,164.25 करोड़ रुपए से 1,067.12 करोड़ रुपए (14.9 प्रतिशत) कम होकर 2007-

08 में 6,097.13 करोड़ रुपए रह गया (सारणी 11.6 और चार्ट XI.2)। 31 मार्च 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से अनुसूचित बैंकों को पात्र नकदी आरक्षित निधि (सीआरआर) शेषों पर ब्याज का भुगतान

सारणी 11.5 : देशी स्रोतों से अर्जन

(करोड़ रुपए)

मद	निम्नलिखित तारीख को		घट-बढ़	
	30 जून 2007	30 जून 2008	पूर्ण राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
देशी आस्तियां	1,62,058.59	1,64,431.13	2,372.54	1.5
देशी आस्तियों का साप्ताहिक औसत अर्जन	1,10,226.68	1,06,412.90	(-)3,813.78	(-)3.5
जिसमें से :	5,886.74*	5,867.52	(-)19.22	(-)0.3
ब्याज तथा अन्य आय	5,144.52	4,958.35	(-)186.17	(-)3.6
(i) प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	5,059.74	7,089.80	2,030.06	40.1
(ii) प्रतिभूतियों पर ब्याज (क-ख)	(-)335.45	(-) 2,514.19	(-) 2,178.74	649.5
जिसमें से :				
(क) देशी आस्तियों पर ब्याज, एलएएफ परिचालन और लाभांश	5,234.58	4,533.87	(-) 700.71	(-) 13.4
(ख) प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	5,570.03	7,048.06	1478.03	26.5
(iii) ऋणों और अप्रिमों पर ब्याज	371.41	325.60	(-) 45.81	(-) 12.3
(iv) अन्य ब्याज प्राप्तियां	48.82	57.14	8.32	17.0
अन्य अर्जन	742.22	909.17	166.95	22.5
(i) बट्टा	-	-	-	-
(ii) विनिमय	0.03	0.01	(-)0.02	(-) 66.7
(iii) कमीशन	449.67	521.19	71.52	15.9
(iv) वसूला गया किराया और अन्य	292.52	387.97	95.45	32.6
ज्ञापन :				
प्रतिशत के रूप में अर्जन (एसबीआइ के शेयरों की बिक्री के लाभ को छोड़कर) (औसत देशी आस्तियों पर)	5.3	5.5	-	-
*: (एसबीआइ के शेयरों की बिक्री के लाभ को छोड़कर)				


नहीं किया जाएगा। सीआरआर शेषों पर ब्याज को छोड़कर अन्य व्यय 2006-07 के 6,029.40 करोड़ रुपए से थोड़ा अर्थात् 65.83 करोड़ रुपए बढ़कर 2007-08 में 6,095.23 करोड़ रुपए हो गया। स्थापना व्यय में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के 6.32 करोड़ रुपए के चिकित्सा लाभों का प्रावधान और उपयोग न की गई एलएफसी के 1.35 करोड़ रुपए के प्रावधान शामिल थे।

ब्याज भुगतान

XI.9 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के अनुसरण में पात्र सीआरआर शेषों पर देय ब्याज की प्रथा 31 मार्च 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से समाप्त कर दी गई। अतः ब्याज भुगतान, जिसमें मुख्यतः सीआरआर शेषों पर ब्याज शामिल होता है, 2006-07 के 1,135.38 करोड़ रुपए से 1,132.80 करोड़ रुपए (99.8 प्रतिशत) कम होकर 2007-08 में 2.58 करोड़ रुपए रह गया। इसमें से 1.90 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले वर्ष से संबंधित सीआरआर शेषों पर ब्याज के प्रति था।

स्थापना व्यय

XI.10 स्थापना व्यय 2006-07 के 1,425.81 करोड़ रुपए से थोड़ा अर्थात् 5.06 करोड़ रुपए बढ़कर 2007-08 में 1,430.87 करोड़ रुपए हो गया जिसका कारण वेतनवृद्धियों, पदोन्नति, डीए संशोधन आदि के कारण हुई सामान्य वार्षिक वृद्धि था। 2007-08 के स्थापना व्यय में वेतन (30.4 प्रतिशत), भत्ते (21.4 प्रतिशत), निधि (18.8 प्रतिशत) और विविध व्यय (29.4 प्रतिशत) शामिल थे।



स्थापनेतर व्यय

XI.11 प्रतिभूति मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि) प्रभारों पर 2007-08 (जुलाई-जून) में हुआ व्यय 2006-07 के 2,020.89 करोड़ रुपए से 11.34 करोड़ रुपए (0.6 प्रतिशत) बढ़कर 2,032.23 करोड़ रुपए हो गया। बैंक नोटों की आपूर्ति 2006-07 की तुलना में 2007-08 में 1,146.34 मिलियन नग बढ़ने के बावजूद व्यय में थोड़ी ही वृद्धि हुई थी जिसका कारण मुद्रण प्रभार कम करना था। भुगतान किए गए एजेसी प्रभार 2006-07 के 2,042.50 करोड़ रुपए की तुलना में 2007-08 में 2,111.14 करोड़ रुपए थे। 2007-

सारणी 11.6: व्यय

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
I. ब्याज भुगतान	1,808.48	1,386.28	1,524.41	1,135.38	2.58
जिसमें से :					
अनुसूचित बैंक	1,323.23	1,276.83	1,523.72	1,134.85	1.90
II. स्थापना	2,232.99	1,653.17	919.88	1,425.81	1,430.87*
III गैर-स्थापना	3,720.67	3,771.82	3,404.81	4,603.06	4,663.68
जिसमें से :					
क) एजेसी प्रभाग	1,539.12	1,824.17	1,833.55	2,042.50	2,111.14
ख) प्रतिभूति मुद्रण	1,709.56	1,443.57	1,034.86	2,020.89	2,032.23
जोड़ [I+II+III]	7,762.14	6,811.27	5,849.10	7,164.25	6,097.13

* : इसमें 221.02 करोड़ रुपए की ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि का प्रावधान शामिल है (पिछले वर्ष 453.01 करोड़ रुपए)।

08 में हुई 68.64 करोड़ रुपए की वृद्धि का मुख्य कारण एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सरकारी लेनदेनों की मात्रा में वृद्धि था।

तुलनपत्र

देयताएं

राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

XI.12 राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 ग के अंतर्गत स्थापित) में 2007-08 के दौरान उक्त निधि को रिज़र्व बैंक की आय में से 1.00 करोड़ रुपए के क्रेडिट के सिवाय और कोई परिचालन नहीं हुआ।

राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

XI.13 राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि का गठन रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 घ(1) के अंतर्गत जनवरी 1989 में किया था। 2007-08 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक की आय में से उक्त निधि को 1.00 करोड़ रुपए का सांकेतिक अंशदान किया गया।

जमाराशि - बैंक

XI.14 'जमाराशि - बैंक' बैंकों द्वारा मुख्यतः सीआरआर बनाए रखने और समाशोधन समायोजनों के लिए कार्यशील निधि के रूप में रिज़र्व बैंक में उनके चालू खाते में बनाए रखे गए शेषों को दर्शाता है।

जमाराशि - अन्य

XI.15 'जमाराशि - अन्य' में वित्तीय संस्थाओं, कर्मचारी भविष्य निधि की जमाराशियां और फुटकर जमाराशियां शामिल हैं।

अन्य देयताएं

XI.16 'अन्य देयताओं' में रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधि और प्रावधान, सरकार का अंतरण होने तक अलग रखे गए अधिशेष और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य लेखे में निवल जमा शेष शामिल हैं। ये देयताएं 30 जून 2007 के 1,29,200.02 करोड़ रुपए से 1,93,768.08 करोड़ रुपए (150.0 प्रतिशत) बढ़कर 30 जून 2008 को 3,22,968.10 करोड़ रुपए हो गई जिसका मुख्य कारण मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) के स्तर में वृद्धि था।

XI.17 'अन्य देयताएं' में दर्शाई गई आरक्षित निधि, यथा - आकस्मिकता आरक्षित निधि, आस्ति विकास आरक्षित निधि, मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता और विदेशी मुद्रा समकरण खाता रिज़र्व बैंक द्वारा भिन्न तुलनपत्र शीर्ष के रूप में धारित 6,500.00 करोड़ रुपए की 'आरक्षित निधि' के अतिरिक्त है।

मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) और विदेशी मुद्रा समकरण खाता (ईईए)

XI.18 विनिमय दर और/या स्वर्ण-मूल्य में घट-बढ़ के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों के मूल्यन में लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में नहीं लिया जाता किंतु इसे सीजीआरए नामक तुलनपत्र शीर्ष में रखा जाता है। शेष राशि विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन पर जमा हुआ निवल लाभ दर्शाती है। 2007-08 के दौरान, सीजीआरए में 1,41,488.31 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी जिससे इसकी शेष राशि 30 जून 2007 के 21,723.52 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2008 को 1,63,211.83 करोड़ रुपए हो गई। जून 2008 के अंत में सीजीआरए में शेष राशि रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण धारिता के 12.2 प्रतिशत के समतुल्य थी जबकि जून 2007 के अंत में यह 2.5 प्रतिशत थी। इस वृद्धि का कारण अमरीकी डालर के अन्य मुद्राओं की तुलना में मूल्यहास, भारतीय रुपए का अमरीकी डालर की तुलना में मूल्यहास और स्वर्ण मूल्य में वृद्धि था। ईईए की शेष राशि वायदा संविदा में से हुई विदेशी मुद्रा हानियों के लिए किया गया प्रावधान दर्शाती है। 30 जून 2008 को ईईए में कोई भी शेषराशि नहीं थी क्योंकि वायदा संविदा के पुनर्मूल्यन से निवल लाभ हुआ था जिसे हिसाब में नहीं लिया गया था। सीजीआरए और ईईए की शेषराशि को तुलनपत्र में 'अन्य देयताओं' के अंतर्गत समूहबद्ध किया गया (सारणी 11.7)।

आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि

XI.19 रिज़र्व बैंक अनपेक्षित और न देखी गई आकस्मिकताओं के समाधान के लिए आकस्मिकता आरक्षित निधि (सीआर) बनाए रखता है। सीआर में रखी शेषराशि 30 जून 2007 के 93,770.07 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2008 को 1,27,200.81 करोड़ रुपए हो गई क्योंकि रिज़र्व बैंक की आय में से 2007-08 के दौरान सीआर में 33,430.74 करोड़ रुपए अंतरित किए गए थे। सीआर की शेषराशि आकस्मिक देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

सारणी 11.7: मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते तथा विदेशी मुद्रा समकरण खाते में शेष राशियां

(करोड़ रुपए)

30 जून की स्थिति के अनुसार	मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता	विदेशी मुद्रा समकरण खाता
1	2	3
2004	62,283.04	5.65
2005	26,906.21	0.50
2006	86,789.18	3.28
2007	21,723.52	9.68
2008	1,63,211.83	-

XI.20 रिजर्व बैंक ने आंतरिक पूंजी व्यय पूरा करने तथा अपनी सहायक और सहयोगी संस्थाओं में निवेश करने की दृष्टि से 1997-98 में एक अलग आस्ति विकास आरक्षित निधि (एडीआर) का गठन किया जिसका उद्देश्य सीआर के 12 प्रतिशत के समग्र सांकेतिक लक्ष्य के भीतर रिजर्व बैंक की कुल आस्तियों के एक प्रतिशत तक पहुंचना था 2007-08 में, आय में से 3,207.92 करोड़ रुपए की राशि एडीआर में अंतरित की गई जिससे उसका स्तर 30 जून 2007 के 9,564.33 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2008 को 12,772.25 करोड़ रुपए हो गया। 30 जून 2008 को सीआर और एडीआर संयुक्त रूप से रिजर्व बैंक की कुल आस्तियों का 9.6 प्रतिशत था (सारणी 11.8)।

आस्तियां

विदेशी मुद्रा आस्तियां

XI.21 विदेशी मुद्रा आस्तियों में निर्गम विभाग में धारित विदेशी प्रतिभूतियां, विदेश में धारित शेषराशि और बैंकिंग विभाग में धारित

विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश आते हैं। ऐसी आस्तियां 30 जून 2007 के 8,39,878.79 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून 2008 को 12,98,552.05 करोड़ रुपए हो गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों के स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण बाजार से अमरीकी डालर का निवल क्रय, प्राप्त ब्याज और बढ़ता तथा पुनर्मूल्यन लाभ था (सारणी 11.9 और चार्ट XI.3)।

भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश

XI.22 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में निवेश 30 जून 2007 के 89,079.66 करोड़ रुपए से 7,095.67 करोड़ रुपए (8.0 प्रतिशत) बढ़कर 30 जून 2008 को 96,175.33 करोड़ रुपए हो गया। यह वृद्धि विशेष बाजार परिचालन और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) परिचालनों के अंतर्गत तेल बांडों की खरीद के कारण हुई थी।

सहायक और सहयोगी संस्थाओं के शेयरों में निवेश

XI.23 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक की सहायक और सहयोगी संस्थाओं के शेयरों में निवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ (सारणी 11.10)।

अन्य आस्तियां

XI.24 'अन्य आस्तियां' में मुख्यतः मीयादी आस्तियां, बैंकिंग विभाग में धारित स्वर्ण, पूरी नहीं हुई परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि और स्टाफ अग्रिम आते हैं। 'अन्य आस्तियां' का स्तर 30 जून 2007 के 27,244.51 करोड़ रुपए से 3,561.44 करोड़ रुपए (13.1 प्रतिशत) बढ़कर 30 जून 2008 को 30,805.95 करोड़ रुपए हो गया।

सारणी 11.8: आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि में शेष राशियां

(करोड़ रुपए)


30 जून के अनुसार	आकस्मिकता आ. निधि में शेष	आस्ति विकास आ. निधि में शेष	कुल	कुल आस्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2004	56,218.76	5,778.94	61,997.70	10.2
2005	62,344.68	6,466.03	68,810.71	10.1
2006	73,281.10	7,592.82	80,873.92	10.0
2007	93,770.07	9,564.33	1,03,334.40	10.3
2008	1,27,200.81	12,772.25	1,39,973.06	9.6

सारणी 11.9: बकाया विदेशी मुद्रा और देशी आस्तियां

(करोड़ रुपए)

30 जून के अनुसार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	देशी आस्तियां
1	2	3
2004	5,24,865.01	84,872.74
2005	5,75,863.66	1,06,952.94
2006	7,18,701.18	90,106.99
2007	8,39,878.79	1,62,058.59
2008	12,98,552.05	1,64,431.13

चार्ट XI.3 : विदेशी मुद्रा और देशी आस्तियों में प्रवृत्तियां
(जून के अंत में)



लेखापरीक्षक

XI.25 रिज़र्व बैंक के 2007-08 के लेखों की लेखापरीक्षा मे. कल्याणीवाला एंड मिस्त्री, मुंबई और मे. मुकुंद एम. चितले एंड कं., मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में की गई थी।

सारणी 11.10: सहायक संस्थाओं के शेयरों में निवेश

(करोड़ रुपए)

संस्था	निम्न तारीख को धारित शेयरों का बही मूल्य	
	30 जून 2007	30 जून 2008
1	2	3
1. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	50.00	50.00
2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1,450.00	1,450.00
3. राष्ट्रीय आवास बैंक	450.00	450.00
4. भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि.	800.00	800.00
कुल	2,750.00	2,750.00

शाखा कार्यालयों की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों, नामतः मे. वाल्कर, चंडीओक एंड कं., नई दिल्ली, मे. के.के. मकेश्वर एंड कं., नागपुर, मे. कर्र एंड कं., चेन्ने और मे. के.सी. सरकार एंड कं. कोलकाता ने की थी। ये लेखापरीक्षक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे।

वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2008 की स्थिति का तुलन-पत्र
निर्गम विभाग

2006-07		2007-08		2006-07		2007-08	
देयताएं		देयताएं		आस्तियां		आस्तियां	
16,99,84	बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	16,22,71	बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	22592,97,15	स्वर्ण सिक्के तथा सोना-चांदी:	32308,81,20	(क) भारत में धारित
506545,30,17	परिचालन में नोट	612323,93,51	परिचालन में नोट	482800,79,66	(ख) भारत के बाहर धारित	578878,86,61	विदेशी प्रतिभूतियां
506562,30,01	कुल जारी नोट	612340,16,22	कुल जारी नोट	505393,76,81	कुल	611187,67,81	
				122,10,20	रुपया सिक्का	106,05,41	
				1046,43,00	भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	1046,43,00	
				-	आंतरिक विनिमय पत्र एवं अन्य वाणिज्यिक पत्र	-	
506562,30,01	कुल देयताएं	612340,16,22	कुल देयताएं	506562,30,01	कुल आस्तियां	612340,16,22	

बैंकिंग विभाग

2006-07		2007-08		2006-07		2007-08	
देयताएं		देयताएं		आस्तियां		आस्तियां	
5,00,00	प्रदत्त पूंजी	5,00,00	प्रदत्त पूंजी	16,99,84	नोट	16,22,71	
6500,00,00	आरक्षित निधि	6500,00,00	आरक्षित निधि	3,84	रुपया सिक्के	3,57	
16,00,00	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	17,00,00	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	3,82	छोटे सिक्के	6,23	
190,00,00	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	191,00,00	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि				
	जमाराशि		जमाराशि		खरीदे तथा भुनाए गए बिल:		
	(क) सरकार		(क) सरकार	-	(क) आंतरिक	-	
81236,85,31	(i) केंद्र सरकार	191626,05,59	(i) केंद्र सरकार	-	(ख) बाह्य	-	
41,18,09	(ii) राज्य सरकारें	41,31,39	(ii) राज्य सरकारें	-	(ग) सरकारी खजाना बिल	-	
	(ख) बैंक		(ख) बैंक				
206613,01,42	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	298809,97,22	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	329695,08,67	विदेशों में रखी गई राशि	688343,34,97	
2620,36,50	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4122,66,68	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	118166,19,46	निवेश	129208,79,55	
3475,30,34	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	5186,27,25	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक		निम्नलिखित को दिए गए ऋण तथा अग्रिम :		
50,70,07	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	63,20,69	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	19421,00,00	(i) केंद्र सरकार	-	
5774,86,24	(v) अन्य बैंक	8699,14,56	(v) अन्य बैंक	174,40,00	(ii) राज्य सरकार	-	
59249,57,87	(ग) अन्य	12110,22,52	(ग) अन्य		निम्नलिखित को दिए गए ऋण तथा अग्रिम		
				580,53,00	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2102,14,00	
419,19,77	देय बिल	319,29,20	देय बिल	10,00,00	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	
				-	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	-	
				-	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	
				-	(v) नाबाई	-	
				33,28,48	(vi) अन्य	132,68,98	
129200,02,09	अन्य देयताएं	322968,10,34	अन्य देयताएं		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश:		
					(क) निम्नलिखित को दिए गए ऋण तथा अग्रिम:		
					(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	
					(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	
					(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	-	
					(iv) अन्य	-	
					(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किए गए बांडो/डिबेंचरों में निवेश		
					(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	
					(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	
					(iii) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	-	
					(iv) अन्य	-	
					राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश :		
					(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और अग्रिम	50,00,00	
					(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडो/डिबेंचरों में निवेश	-	
				27244,50,59	अन्य आस्तियां	30805,95,43	
495392,07,70	कुल देयताएं	850659,25,44	कुल देयताएं	495392,07,70	कुल आस्तियां	850659,25,44	

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखे पर टिप्पणियां संलग्नक में दी गई हैं।

रिज़र्व बैंक का 2007-08 का लेखा

30 जून 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

(हजार रुपए)

2006-07	आय	2007-08
52887,85,08	ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि ¹	21112,12,68
52887,85,08	जोड़	21112,12,68
	व्यय	
1135,38,41	ब्याज	2,58,19
1425,81,16	स्थापना	1430,86,61
1,50,46	निदेशको और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और खर्च	1,79,12
21,22,84	खजाना प्रेषण	30,56,42
2042,49,63	एजेंसी प्रभार	2111,13,56
2020,89,24	प्रतिभूति मुद्रण (चेक, नोट फार्म आदि)	2032,23,04
17,49,52	मुद्रण और लेखन-सामग्री	16,29,01
34,87,24	डाक-टिकट और दूरसंचार प्रभार	38,60,16
60,05,12	किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	69,17,25
1,81,82	लेखा-परीक्षकों के शुल्क और खर्च	2,01,16
1,76,95	विधि प्रभार	2,13,64
181,40,07	बैंक संपत्ति का मूल्यहास और उसकी मरम्मत	156,16,54
219,52,25	विविध व्यय	203,57,98
7164,24,71	जोड़	6097,12,68
45723,60,37	उपलब्ध शेष राशि	15015,00,00
	घटाइए: निम्नलिखित में अंशदान:	
	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घविधि परिचालन) निधि	1,00,00
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घविधि परिचालन) निधि ²	1,00,00
	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि ²	1,00,00
	राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घविधि परिचालन) निधि	1,00,00
4,00,00		4,00,00
45719,60,37	केंद्रीय सरकार को देय अधिशेष	15011,00,00

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार 36638,65,84 हजार रुपए (2006-07 में 22460,47,52 हजार रुपए) का सामान्य या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।
2. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

सी.वी.राघवन
मुख्य महाप्रबंधक

उषा थोरात
उप गवर्नर

श्यामला गोपीनाथ
उप गवर्नर

वी.लीलाधर
उप गवर्नर

राकेश मोहन
उप गवर्नर

वाइ.वी. रेड्डी
गवर्नर

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक, इसके द्वारा केंद्रीय सरकार को 30 जून 2008 की स्थिति का बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के 30 जून 2008 की स्थिति के तुलन-पत्र को और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि लेखे की जांच की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से जो जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा, वह जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिए गए और वे संतोषजनक हैं।

इस वित्तीय विवरण में बैंक के उन्नीस लेखा यूनिटों के लेखा शामिल किए गए हैं जो संविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित हैं। शाखा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है जिसे हमने रिपोर्ट तैयार करते समय विचारार्थ लिया है।

इन वित्तीय विवरणों के प्रति उत्तरदायित्व बैंक-प्रबंधन का है। हमारा दायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अभिमत व्यक्त करना है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपने लेखापरीक्षा के कार्य की आयोजना ऐसे करें जिससे समुचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण में राशि तथ्यात्मक रूप से गलत बयानी से मुक्त है। लेखा-परीक्षा में, परीक्षण आधार पर, वित्तीय विवरण में राशि और प्रकटन की पुष्टि करनेवाले साक्ष्यों की जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा में हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई विनियमावली के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

कृते कल्याणीवाला एंड भिस्त्री
सनदी लेखाकार
देरायस जेड, फ्रेजर,
भागोदार
(सदस्यता क्र.42454)

कृते मुकुंद एम. चितले एंड कं.
सनदी लेखाकार
मुकुंद एम. चितले
भागोदार
(सदस्यता क्र.14054)

दिनांक : 14 अगस्त 2008

भारतीय रिज़र्व बैंक

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और 2007-08 के लेखे पर टिप्पणियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किए जाते हैं और जहां पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किया गया हो उसे छोड़कर, पारंपरिक लागत पर आधारित हैं।

विवरणों में अपनाई गई लेखांकन-प्रणालियां और नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनाई गई लेखांकन प्रणालियों और नीतियों के अनुरूप हैं।

2. राजस्व निर्धारण

आय और व्यय का निर्धारण दंडात्मक ब्याज और लाभांश को छोड़कर, उपचित आधार पर किया जाता है क्योंकि उनकी गणना प्राप्त-आधार पर की जाती है। केवल वसूली गई प्राप्तियों को ही आय के रूप में माना जाता है।

देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा, विप्रेषण समाशोधन खाता तथा बयाना जमाराशि खाता सहित कतिपय अस्थायी लेखे में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अदावी और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और रिज़र्व बैंक की आय में पुनः शामिल किया जाता है। इससे संबंधित दावों पर विचार किया जाता है और जब कभी उनका भुगतान किया जाता है तब उन्हें रिज़र्व बैंक की आय में से वसूल किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को पूर्ववर्ती सप्ताह / पूर्ववर्ती माह / वर्षांत के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

3. स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

(क) स्वर्ण

स्वर्ण का मूल्य निर्धारण माह के अंत में उस माह के लिए औसत दैनिक लंदन मूल्य के 90 प्रतिशत पर किया जाता है। उसके समकक्ष रूप का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ / हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में (सीजीआरए) समायोजित किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं सप्ताह के अंतिम कारोबार के दिन तथा माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शाई जाती हैं।

वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्राओं में आस्तियां और देयताएं, उन मामलों को छोड़कर, जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित हैं, अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शाई जाती हैं। खजाना बिलों के अलावा, विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही-मूल्य अथवा प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य से कम कीमत पर किया जाता है। मूल्यहास का समायोजन चालू आय से किया जाता है। विदेशी खजाना बिलों का मूल्यन लागत पर किया जाता है। वायदा मुद्रा संविदाओं का मूल्यांकन छाहाही रूप से किया जा है और यदि कोई निवल हानि हो तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि का हिसाब मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते में किया जाता है तथा वे उसी में समायोजित किए जाते हैं।

4. रुपया प्रतिभूतियां

खजाना बिलों को छोड़कर निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण बही मूल्य या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है। जहां ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य उपलब्ध न हो, वहां उनका मूल्य माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित आय-वक्र पर आधारित दर पर किया जाता है। मूल्य के मूल्यहास का समायोजन चालू ब्याज आय से किया जाता है।

खजाना बिलों का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

5. शेयर

शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य निर्धारण उनकी लागत पर किया जाता है।

6. अचल आस्तियां

अचल आस्तियों का विवरण उनकी लागत में से मूल्यहास को घटाते हुए दिया जाता है।

कम्प्यूटरों (1 लाख रुपए और उससे अधिक की लागतवाले सॉफ्टवेयर सहित), मोटर वाहनों, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग आदि पर मूल्यहास सीधी कटौती के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

परिसर और फिक्सचरों सहित अन्य आस्तियों संबंधी मूल्यहास को उनके घटते हुए मूल्य के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

एक लाख रुपए से कम लागत वाले साफ्टवेयर और 10,000 रुपए से कम की लागतवाली अन्य अचल आस्तियां उनके अभिग्रहण के वर्ष के लाभ / हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

अचल आस्तियों से संबंधित वर्ष के अंत में शेष रकम पर मूल्यहास लगाया गया है।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों और छुट्टी के नकदीकरण की देयता का आकलन बीमांकित मूल्य निर्धारण के आधार पर किया जाता है।

8. आकस्मिकता आरक्षित निधि और आस्ति विकास आरक्षित निधि

आकस्मिकता आरक्षित निधि प्रतिभूतियों के मूल्यहास, विनिमय गारंटियों और मौद्रिक / विनिमय दर नीति संबंधी अनिवार्यताओं से उभरे जोखिमों सहित अप्रत्याशित और आकस्मिक व्यय की पूर्ति करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर उपलब्ध कराई गई राशि को दर्शाती है।

आंतरिक पूंजीगत व्यय की पूर्ति तथा सहायक एवं संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने के लिए अतिरिक्त निर्दिष्ट राशि का प्रावधान किया गया है और उसे आस्ति विकास आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

लेखे पर टिप्पणियां

1. भारत सरकार को अधिशेष का अंतरण

सरकार को अंतरित किए जानेवाले अधिशेष में, विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री-योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने से 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक की अवधि से संबंधित ब्याज अंतर के रूप में 1,699.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1,914.00 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

2. उद्दिष्ट प्रतिभूतियां

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, साधारण छुट्टी नकदीकरण की देयता की पूर्ति के लिए, अपने निवेश लेखे में से 7,202.24 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 7,287.41 करोड़ रुपए) की राशि की कुछ सरकारी प्रतिभूतियां उद्दिष्ट की हैं।

3. आरक्षित निधि

आरक्षित निधि में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में किया गया 5.00 करोड़ रुपए का अंशदान और अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से हुई 6,495.00 करोड़ रुपए की मूल्यवृद्धि शामिल है। उसके पश्चात् मासिक आधार पर स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से होनेवाले लाभ / हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में लिया जाता है।

4. जमाराशि

4.1 केंद्र सरकार की जमाराशि में बाज़ार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत परिचालनों से प्राप्त 1,74,432.56 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 81,136.77 करोड़ रुपए) शामिल हैं। राज्य सरकारों की जमाराशि में केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी सरकार की शेष राशि शामिल है।

4.2 जमाराशियों का विवरण-अन्य :

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2007	2008
1	2	3
I. विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं की रुपया जमाराशियां	4,682.19	4,266.24
II. भारतीय वित्तीय संस्थाओं से जमाराशियां	1,327.36	253.61
III. संचित सेवानिवृत्ति-लाभ	6,950.57	7,149.68
IV. भारत सरकार को अंतरण-योग्य अधिशेष @	45,719.60	-
V. विविध	569.86	440.70
कुल	59,249.58	12,110.23

@: 2007-08 से अन्य देयताओं में शामिल।

5. अन्य देयताओं के विवरण

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2007	2008
1	2	3
I. आकस्मिकता आरक्षित निधि वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	73,281.10	93,770.07
जोड़े: वर्ष के दौरान उपचय	20,488.97	33,430.74
वर्ष के अंत में शेष राशि	93,770.07	1,27,200.81
II. आस्ति विकास आरक्षित निधि वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	7,592.82	9,564.33
जोड़े: वर्ष के दौरान उपचय	1,971.51	3,207.92
वर्ष के अंत में शेष राशि	9,564.33	12,772.25
III. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	86,789.18	21,723.52
जोड़े: वर्ष के दौरान निवल उपचय (+)/निवल उपयोग (-)	(-)65,065.66	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	21,723.52	1,63,211.83
IV. विदेशी मुद्रा समकरण खाता विनिमय खाते से अंतरण	3.28	9.68
विनिमय खाते से अंतरण	14.86	21.69
जोड़े: वर्ष के दौरान निवल उपचय(+)/निवल उपयोग (-)	(-) 8.46	(-) 31.37
वर्ष के अंत में शेष राशि	9.68	-
V. अदत्त व्यय के लिए प्रावधान	1,558.32	1,759.01
VI. भारत सरकार को अंतरण-योग्य अधिशेष #	-	15,011.00
VII. कर्मचारी लाभ अस्थायी आरक्षित निधि	-	346.89
VIII. विविध	2,574.10	2,666.31
कुल (I से VIII)	1,29,200.02	3,22,968.10

#: 2006-07 में अन्य देयताओं में शामिल।

6. कर्मचारी लाभ

लेखांकन मानक (एएस) 15 कर्मचारी लाभ (संशोधित) के अनुसरण में दीर्घावधि कर्मचारी लाभ की देयता का प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट के अंतर्गत पता लगाया गया जबकि पिछले वर्ष तक इसके लिए मूल्यन की 'एग्ग्रेट' पद्धति अपनाई जाती थी। परिणामस्वरूप, चिकित्सा और एलएफसी लाभों के लिए प्रावधान करने के बाद 346.89 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान कर्मचारी लाभ अस्थायी आरक्षित निधि में अंतरित किया गया और तुलनपत्र में इसे 'अन्य देताएं' के अंतर्गत दर्शाया गया।

7. भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य खाता

'अन्य देयताओं' के अंतर्गत अंतर-कार्यालय लेनदेनों और समाधान के अधीन शेषों से संबंधित 61.49 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 922.45 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है। ये प्रविष्टियाँ समाधान के विभिन्न स्तरों पर हैं तथा जब भी उनका निश्चित पता चल जाता है उनका आवश्यक समाधान किया जाता है।

8. रुपया निवेश

चलनिधि समायोजना सुविधा के अंतर्गत बेची (रिवर्स रिपो) गई प्रतिभूतियों को 'निवेशों' से घटाया गया है। वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार बकाया रिपो और रिवर्स रिपो की राशि क्रमशः 22,805.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 9,895.00 करोड़ रुपए) और 300.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1,000.00 करोड़ रुपए) थी।

9. विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2007	2008
1	2	3
I. निर्मम विभाग में रखी गई	4,82,800.80	5,78,878.87
II. बैंकिंग विभाग में रखी गई -		
क) निवेशों में शामिल	27,382.90	31,329.83
ख) विदेशों में रखी गई राशि	3,29,695.09	6,88,343.35
कुल	8,39,878.79	12,98,552.05

टिप्पणी: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के आंशिक प्रदत्त शेयरों पर न मांगी गई राशि 30 जून 2008 को 84.49 करोड़ रुपए (एसडीआर 1,20,41,250) थी। पिछले वर्ष यह राशि 74.37 करोड़ रुपए (एसडीआर 1,20,41,250) थी।

10. अन्य आस्तियों का विवरण

(करोड़ रुपए)

विवरण	30 जून के अनुसार	
	2007	2008
1	2	3
I. अचल आस्तियां (संचित मूल्यहास को घटाकर)	430.67	479.75
II. स्वर्ण	5,062.46	7,239.51
III. उपचित, परंतु प्राप्त न हुई आय	16,008.77	22,203.28
IV. विविध	5,742.61	883.41
कुल	27,244.51	30,805.95

11. ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि

निम्नलिखित मदों में ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, आदि शामिल हैं:

(करोड़ रुपए)

विवरण	निम्नलिखित को समाप्त वर्ष	
	30 जून 2007	30 जून 2008
1	2	3
I. विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ	5,314.24	7,823.52
II. बैंक की सम्पत्ति की बिक्री पर निवल लाभ	9.43	25.10
III. सहायक तथा संबद्ध संस्थाओं से लाभांश@	440.07	440.07
IV. एसबीआइ के शेयरों की बिक्री में लाभ*	34,308.60	-

@ : रिज़र्व बैंक को एसबीआइ की ईक्विटी में धारिता पर क्रमशः जून 2006 और 2007 को समाप्त वर्षों के लाभांश की नकद आधार पर गिनती की गई।

* : बैंक की एसबीआइ में 31,43,39,200 शेयरों की संपूर्ण ईक्विटी धारिता (बही मूल्य 1,222.73 करोड़ रुपए) 29 जून 2007 को सरकार को अंतरित की गई।

12. चालू वर्ष की प्रस्तुति से अनुरूप रखने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े आवश्यकतानुसार पुनःसमूहबद्ध / पुनःश्रेणीबद्ध किए गए हैं।

अनुबंध I

गवर्नर और उप गवर्नरों के भाषणों की सूची अप्रैल 2007 से अगस्त 2008

क्रम सं.	भाषण का शीर्षक	भाषणकर्ता का नाम	माह*
1	2	3	4
1.	वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रकों की दृष्टि	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	अप्रैल 2007
2.	वैश्वीकरण और मौद्रिक नीति : कुछ उभरते मुद्दे	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	अप्रैल 2007
3.	आर्थिक दृष्टिकोण : एशिया और भारत के विषय में कुछ विचार	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	अप्रैल 2007
4.	भारत में मौद्रिक नीति की संप्रेषणीयता	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	अप्रैल 2007
5.	भारतीय वित्तीय क्षेत्र के सुधार	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर	अप्रैल 2007
6.	स्थिरता के साथ वृद्धि प्राप्त करने में मौद्रिक नीति की भूमिका : भारतीय अनुभव	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	मई 2007
7.	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में उप गवर्नर का वक्तव्य	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	मई 2007
8.	भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की खास विशेषताएं	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	मई 2007
9.	भारतीय अर्थव्यवस्था : पुनरीक्षण व संभावनाएं	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जून 2007
10.	भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनिंदा पहलू	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जून 2007
11.	भारत - स्थिरता के साथ वृद्धि की संभावनाएं	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जून 2007
12.	भारत में वित्तीय बाजारों का विकास	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	जून 2007
13.	उदीयमान विश्व का बढ़ता प्रभाव	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जुलाई 2007
14.	भारतीय अर्थव्यवस्था : समीक्षा, संभावनाएं तथा चुनिंदा मुद्दे	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जुलाई 2007
15.	सांख्यिकी और सर्वेक्षणों पर यादृच्छिक विचार	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जुलाई 2007
16.	खुली बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में जोखिम प्रबंधन	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	जुलाई 2007
17.	पूँजीगत लेखे का उदारीकरण और मौद्रिक नीति का संचालन : भारतीय अनुभव	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	जुलाई 2007
18.	भारत की सांख्यिकीय प्रणाली : कुछ अनुचिन्तन	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	जुलाई 2007
19.	वित्तीय समावेशन- भारतीय अनुभव	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर	जुलाई 2007
20.	भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके वित्तीय क्षेत्र की झाँकी	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	अगस्त 2007
21.	मौद्रिक नीति की प्रथम तिमाही समीक्षा : अंतर्निहित समष्टि अर्थशास्त्र	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	अगस्त 2007
22.	भारत में मौद्रिक नीति संबंधी गतिविधियां : एक समीक्षा	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	अक्तूबर 2007
23.	भारत : विकास और सुधार के अनुभव तथा संभावनाएं	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	अक्तूबर 2007
24.	रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकारें : प्रगति में भागीदार	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	अक्तूबर 2007
25.	वित्तीय बाजार की हाल की घटनाएं और मौद्रिक नीति पर उनके निहितार्थ	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	अक्तूबर 2007
26.	बासेल II के कार्यान्वयन हेतु भारत की तैयारी	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर	अक्तूबर 2007
27.	बासेल II और ऋण जोखिम प्रबंधन	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर	अक्तूबर 2007
28.	विदेशी मुद्रा भंडार, स्थिरीकरण निधियां तथा सरकारी धन निधियां : भारतीय संभावनाएं	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	नवंबर 2007
29.	बदलते विश्व में 60 के पड़ाव पर भारत : अगले 20 वर्ष	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	नवंबर 2007
30.	भारतीय अर्थव्यवस्था : कतिपय परिदृश्य	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	नवंबर 2007
31.	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति मुद्रा प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय आयामों पर एनबीईआर सम्मेलन में नीतिगत पैनल : चिंताएं और दुविधाएं	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	नवंबर 2007

वार्षिक रिपोर्ट

क्रम सं.	भाषण का शीर्षक	भाषणकर्ता का नाम	माह*
1	2	3	4
32.	ग्राहक केन्द्रीयता और रिजर्व बैंक	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर	नवंबर 2007
33.	भारतीय व्युत्पन्नी बाजार - एक विनियामक एवं प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	नवंबर 2007
34.	भारतीय रिजर्व बैंक की विकासमूलक भूमिका: हाल की गतिविधियां	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	दिसंबर 2007
35.	भारत में विकसित होता ऋण बाजार : समीक्षा और संभावनाएं	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	दिसंबर 2007
36.	वृद्धि और रोजगार के लिए वित्तीय क्षेत्र की नीतियां	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	दिसंबर 2007
37.	वैश्विक गतिविधियां और भारतीय परिदृश्य : कुछ विचार	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	दिसंबर 2007
38.	इक्कीसवीं सदी में शहरीकरण और वैश्वीकरण : उभरती चुनौतियाँ	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	दिसंबर 2007
39.	भारतीय वित्तीय क्षेत्र के सुधार : वृद्धि को प्रोत्साहन और जोखिम को रोकना	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	दिसंबर 2007
40.	भारत में बैंककारी विनियमन का विकास - कुछ पहलुओं पर एक सिंहावलोकन	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर	दिसंबर 2007
41.	एशिया का उदय - वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निहितार्थ	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जनवरी 2008
42.	केंद्रीय बैंकिंग और अकादमी	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जनवरी 2008
43.	भारतीय अर्थव्यवस्था में समष्टिगत स्थायित्व के संबंध में कुछ विचार	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	फरवरी 2008
44.	भारत में पूंजी खाते का प्रबंधन : कुछ परिदृश्य	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	फरवरी 2008
45.	1950 -2008 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि रेकार्ड: निरंतर बचत और निवेश की गाथा	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	मार्च 2008
46.	आयोजना, बाजार या विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकास	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	मार्च 2008
47.	समावेशी वृद्धि - उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की भूमिका	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर	मार्च 2008
48.	वित्तीय वैश्वीकरण, संवृद्धि और स्थिरता : भारतीय परिप्रेक्ष्य	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	अप्रैल 2008
49.	भारतीय अर्थ व्यवस्था और भारतीय रिजर्व बैंक : कुछ विचार	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	अप्रैल 2008
50.	नवोन्मेष और वृद्धि : वित्तीय क्षेत्र की भूमिका	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर	अप्रैल 2008
51.	सरकार के स्वामित्ववाले निवेश साधन और पूंजी प्रवाह: भारतीय परिप्रेक्ष्य	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	मई 2008
52.	भारत : वैश्विक भागीदार	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	मई 2008
53.	भारतीय वित्तीय क्षेत्र में समेकन	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर	मई 2008
54.	बैंकों का ग्राहकों से संबंध - उभरते परिप्रेक्ष्य	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर	मई 2008
55.	भारतीय अर्थव्यवस्था : स्थिरता के साथ वृद्धि की संभावनाएँ	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जून 2008
56.	राजकोषीय नीति और आर्थिक सुधार	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जुलाई 2008
57.	कृषि : उभरते मामले और संभाव्य दृष्टिकोण	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जुलाई 2008
58.	मौद्रिक नीति संबंधी चर्चा के गुणदोष: कुछ टिप्पणियां	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	जुलाई 2008
59.	वयोवृद्धों के लिए समावेशक वित्तीय प्रणाली	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर	जुलाई 2008
60.	भारतीय ग्राहकों के लिए प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना: भारतीय बैंकों के लिए भावी कार्य	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर	जुलाई 2008
61.	मौद्रिक और विनियामक नीति: बाजारों से किस प्रकार संतुलन साधा जाए	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	अगस्त 2008
62.	वैश्विक वित्तीय अशांति और भारतीय वित्तीय क्षेत्र: व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य	डॉ वाइ.वी. रेड्डी गवर्नर	अगस्त 2008

* : भारतीय रिजर्व बैंक की मासिक बुलेटिन का वह अंक जिसमें भाषण प्रकाशित हुआ है।

अनुबंध II

दलों / समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की सूची अप्रैल 2007 से अगस्त 2008

क्रम सं.	शीर्षक	अध्यक्ष / संयोजक	दिनांक
1	2	3	4
1.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप ऑन मोडॉलिटोज फॉर दि इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनीज (रेग्यूलेशन) ऐक्ट, 2005 और उसके अंतर्गत तैयार की गई नियमावली और विनियमावली	श्री प्रशांत सरन	अप्रैल 2007
2.	वर्किंग ग्रुप टू एग्जामिन प्रोसीजर्स एण्ड प्रोसेसेज फॉर आब्टेनिंग एग्रिकल्चरल लोन्स	श्री एस.पी. स्वर्णकार	अप्रैल 2007
3.	नॅशनल सेटलमेंट सिस्टम्स	डॉ. आर.बी.बर्मन	मई 2007
4.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप ऑन सेविंगज फॉर दि इलेवंथ फाइव ईयर प्लान (2007-08 से 2011-12)	डॉ. राकेश मोहन	मई 2007
5.	कमिटी ऑन मोडॉलिटोज ऑफ वर्कर्स रेमिटसेज बिटवीन इंडिया एण्ड नेपाल	डॉ. आर.बी.बर्मन	जून 2007
6.	रिपोर्ट ऑफ दि टेक्निकल ग्रुप सेट अप टू रिव्यू लेजिस्लेशन्स ऑन मनी लेंडिंग	श्री एस.सी. गुप्ता	जून 2007
7.	रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप ऑन प्रिपेरिंग गाइडलाइंस फॉर ऐक्सेस टू दि पेमेंट सिस्टम	श्री आर. गांधी	सितंबर 2007
8.	वर्किंग ग्रुप ऑन फिनांसिंग ऑफ फैक्ट्रिंग कंपनीज बाइ बैंक्स	श्री पी. विजय भास्कर	सितंबर 2007
9.	वर्किंग ग्रुप ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन हिमाचल प्रदेश	डॉ. जे.सदाकदुल्ला	सितंबर 2007
10.	इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इन दि बैंक (रोड मैप)	श्री करुणासागर	दिसंबर 2007
11.	इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑन प्रिंसिपल्स-बेस्ड रेग्यूलेशन	श्री प्रशांत सरन	नवंबर 2007
12.	वर्किंग ग्रुप ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन दि स्टेट ऑफ झारखंड	श्री वी.एस. दास	जनवरी 2008
13.	वर्किंग ग्रुप ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन लक्षद्वीप आइलैंड्स	श्री एस.रामास्वामी	जनवरी 2008
14.	इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑन रिस्क मैनेजमेंट इन दि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	श्री प्रशांत सरन	जनवरी 2008
15.	वर्किंग ग्रुप ऑन इंटररेस्ट रेट फ्यूचर्स	श्री वी. के. शर्मा	फरवरी 2008
16.	वर्किंग ग्रुप इन कनेक्शन विथ इस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडीचर पर्टेनिंग टू रिपेमेंट ऑफ डेट एंड इंटररेस्ट पेमेंट	श्री बी. के. मिश्रा	फरवरी 2008
17.	इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑन इपैक्ट ऑफ आइल प्राइसेज ऑन इनफ्लेशन	डा.ए.एस.रामशास्त्री	मार्च 2008
18.	रिपोर्ट ऑफ दि इंटरनल टेक्निकल ग्रुप ऑन सीजनल मूवमेंट्स इन इनफ्लेशन	डॉ. बलवंत सिंह	मार्च 2008
19.	वर्किंग ग्रुप ऑन ऑक्शन प्रोसेस ऑफ गवर्मेंट ऑफ इंडिया सिक्यूरिटीज	एच.आर. खान	मार्च 2008
20.	इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑन करेंसी फ्यूचर्स	श्री सलीम गंगाधरन	अप्रैल 2008
21.	इलेक्ट्रॉनिक बेनीफिट ट्रांसफर (ईबीटी)	डॉ. आर.बी.बर्मन	अप्रैल 2008
22.	वर्किंग ग्रुप ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक एसएमईज	डॉ. के.सी.चक्रवर्ती	अप्रैल 2008
23.	वर्किंग ग्रुप ऑन डिफ्रेडिंग कॉस्ट ऑफ आइसीटी सोल्यूशन्स फॉर आरआरबीज	श्री जी. पद्मनाभन	अप्रैल 2008
24.	इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू एग्जामिन दि रिक्तमेशन्स ऑफ दि राधाकृष्ण एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एग्रिकल्चरल इंडेपेंडनेस	श्री वी.एस.दास	अप्रैल 2008

वार्षिक रिपोर्ट

क्रम सं.	शीर्षक	अध्यक्ष / संयोजक	दिनांक
1	2	3	4
25.	कमिटी ऑन कस्टमर सर्विस इन रिजर्व बैंक	श्री एच.प्रभाकर राव	अप्रैल 2008
26.	रिपोर्ट ऑन फास्ट ट्रांसफर ऑफ मनी यूजिंग सॉटेलाइट ई-कनेक्टिविटी	डा.आर.बी. बर्मन	अप्रैल 2008
27.	टेक्निकल ग्रुप ऑन कंप्यूटर सर्विसेस एक्सपोर्ट्स	डॉ. बलवंत सिंह	मई 2008
28.	रिपोर्ट ऑफ दि इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू स्टडी दि रिक्मेण्डेशन्स ऑफ दि एनसीईयूएस रिपोर्ट	श्री के. यू. बी. राव	मई 2008
29.	रिपोर्ट ऑफ दि आरबीआइ-सेबी स्टैंडिंग टेक्निकल कमिटी ऑन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स	भारतीय रिजर्व बैंक - सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया	मई 2008
30.	टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग स्टार्ट अप इंडेक्स इन इंडिया	प्रो. अमिताभ कुंडु	जुलाई 2008
31.	रिपोर्ट ऑफ दि सब-कमिटी ऑन इस्टिमेशन ऑफ सेविंग्स इन दि हाउसहोल्ड सेक्टर (हाई लेवेल कमिटी ऑन इस्टिमेशन ऑफ सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट द्वारा गठित)	श्री के. यू. बी. राव	जुलाई 2008
32.	रिपोर्ट ऑफ दि सब-कमिटी ऑन इस्टिमेशन ऑफ सेविंग्स इन दि प्राइवेट कार्पोरेट सेक्टर (हाई लेवेल कमिटी ऑन एस्टिमेशन ऑफ सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट द्वारा गठित)	डा.ए.एस. रामशास्त्री	जुलाई 2008
33.	वर्किंग ग्रुप ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ रिटर्न्स फर्निशड बाय शेड्यूलड कमर्शियल बैंक्स टू आरबीआइ एंड नाबार्ड	डा.अमल कांति राय	अगस्त 2008
34.	वर्किंग ग्रुप ऑन टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स	श्री जी. श्रीनिवासन	अगस्त 2008

अनुबंध III

रिज़र्व बैंक के स्टाफ के प्रकाशनों की सूची अप्रैल 2007 से अगस्त 2008

क्रम सं.	पेपर / लेख का शीर्षक	लेखक	प्रकाशन / पत्रिका	दिनांक
1.	फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन एण्ड मॉनिटरी पॉलिसी	डी.एम.नाचने और निशिता राजे	मार्जिन : दि जर्नल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, खंड 1, भाग 1	अप्रैल 2007
2.	लेबर-यूज एफिशिएंसी ऑफ इंडियन बैंकिंग: ए ब्रांच-लेवेल एनालिसिस	अभिमान दास, सुभाष सी रे, और अशोक नाग	ओमेगा-इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंस, खंड 37, (2)*	मई 2007 (ऑनलाइन उपलब्ध)
3.	दि फंडामेंटल इक्विलिब्रियम रीयल एक्सचेंज रेट इन इंडिया : एन एप्रोच टू इस्टिमेशन एण्ड मेजरमेंट ऑफ मिसपलाइनमेंट	हिमांशु जोशी	आरबीआइ अकेजनल पेपर्स - विंटर - 2006 खंड 27(3)	अक्टूबर 2007
4.	नॉन डीलीवरेबल फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड मार्केट : एन ओवरव्यू	संगीता मिश्रा तथा हरेंद्र बेहरा	-वही -	-वही -
5.	मॉनीटरी कंडीशन्स इंडेक्स फॉर इंडिया	आर. कन्नन, सिद्धार्थ सान्याल तथा बिनोद बिहारी भोई	-वही -	-वही -
6.	ए रिव्यू ऑफ ट्रेड्स इन बैंकिंग इंडिकेटर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया	अमरेंद्र साहू तथा जे.के.खुंद्रकपम	-वही -	-वही -
7.	बैंकएशुरैन्स : ए फीएजिबल स्ट्रैटेजी फॉर बैंक्स इन इंडिया ? (स्पेशल नोट्स)	ए. करुणागरन	-वही -	-वही -
8.	रेग्यूलेशन ऑफ इन्फार्मल फाइनेंशियल इस्टिट्यूशन्स : अ स्टडी ऑफ मनी लेंडर्स इन केरल	पी. डी. जेरोमी	आरबीआइ अकेजनल पेपर्स - समर - 2007	फरवरी 2008
9.	कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर : एन असेसमेंट ऑफ रिलेटेड इश्यूज	एल. लक्ष्मणन, एस. चिन्नागईहिलयन तथा राज राजेश	-वही -	-वही -
10.	करंट इश्यूज इन एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया : एन असेसमेंट	रमेश गोलाइत	-वही -	-वही -
11.	ए कंपैरेटिव स्टडी ऑन प्राइवेट कंजम्प्शन एक्सपेंडीचर इस्टिमेट्स इन इंडिया	जॉइस जॉन	-वही -	-वही -
12.	मॉनीटरी पॉलिसी कमिटी : व्हॉट वर्क्स एण्ड व्हेयर	माइकेल देबब्रत पात्रा तथा अमरेश सामंतराय	आरबीआइ अकेजनल पेपर्स - मानसून - 2007	फरवरी 2008
13.	कमोडिटी डेरिवेटिव्स एण्ड प्राइस रिस्क मैनेजमेंट : एन एंपायरिकल	ऐनेक्डोट फ्रॉम इंडिया	एस.एम.लोकरे	-वही -
14.	रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया : स्टेटस एण्ड इश्यूज	राजीव रंजन, राजीव जैन तथा अत्री मुखर्जी	-वही -	-वही -
15.	रीविजिटिंग बैंक-लिंकड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी)- ए स्टडी ऑफ राजस्थान स्टेट	नवीन भाटिया	-वही -	-वही -
16.	म्युनिसिपल फाइनेंस इन इंडिया - एन असेसमेंट	पी. के. मोहन्ती, बी.एम.मिश्रा, आर.गोयल तथा पी.डी. जेरोमी	डीआरजी स्टडी संख्या 26	दिसंबर 2007
17.	एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन इंडिया सिन्स 1991	पुलाप्रे बालकृष्णन, रमेश गोलाइत तथा पंकज कुमार	डीआरजी स्टडी संख्या 27	जून 2008
18.	हाऊ डू वी असेस मॉनीटरी पॉलिसी स्टैंस ? करैक्टराइजेशन ऑफ ए नैरेटिव मॉनीटरी मेजर फॉर इंडिया	इंद्रनील भट्टाचार्य तथा पार्थ रे	इकॉनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली (मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस), खंड 42(13)	31 मार्च- 6 अप्रैल 2007
19.	इंडियाज पोर्टेशियल इकॉनॉमिक ग्रोथ : मेजरमेंट इश्यूज एण्ड पॉलिसी इंप्लीकेशंस	राजीव रंजन, राजीव जैन तथा एस. सी.धल	इकॉनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खंड 42(17)	28 अप्रैल- 4 मई 2007

वार्षिक रिपोर्ट

क्रम सं.	पेपर / लेख का शीर्षक	लेखक	प्रकाशन / पत्रिका	दिनांक
20.	ए यूजर्स परस्पेक्टिव ऑन दि डाटाबेस ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन इंडियन इकॉनॉमी	डी.पी.रथ, पी.के.नायक, एल.लक्ष्मणन, के.मंडल, राज राजेश तथा वी.फनाई	इकॉनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खंड 42(37)	15-21 सितंबर 2007
21.	बैंकिंग सेक्टरस आउटपुट इन नेशनल एकाउंट्स: मेजरमेंट इश्यूज	ए.बी. चक्रवर्ती, अभिमान दास	इकॉनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खंड 42(37)	15-21 सितंबर 2007
22.	रिवाइवल इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन दि 2000स: एन एक्सप्लेनेशन	पल्लवी चव्हाण और आर. रमाकुमार	इकॉनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खंड 42(52)	29 दिसंबर 07-4 जनवरी 08
23.	फाइनेंशियल स्टैबिलिटी इन एशियन इकॉनॉमीज	एस.सुबय्या तथा मुकुल जी. आशर	इकॉनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खंड 43(10)	8 - 14 मार्च 2008
24.	इश्यूज बिफोर दि थर्टीन्थ फाइनेंस कमीशन : करेक्शन ऑफ हॉरीजेंटल एण्ड वर्टिकल इम्बैलेन्सेज	कुमुदिनी हाजरा, राखी पी. बी. तथा धीरेंद्र गजभिये	इकॉनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खंड 43 (12 तथा 13)	22 मार्च - 4 अप्रैल 2008
25.	हैव इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स अफेक्टेड एक्सचेंज रेट पास-थ्रू टू प्राइसेज इन इंडिया ?	जे. के. खुंद्रकपम	इकॉनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खंड 43 (16)	19-25 अप्रैल 2008
26.	बैंकिंग सेक्टरस आउटपुट इन नेशनल एकाउंट्स :मेजरमेंट इश्यूज इन दि लाइट ऑफ एसएनए रीविजन	ए. बी. चक्रवर्ती और अभिमान दास	दि जर्नल ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ, खंड 27 (1 तथा 2)	2007
27.	सेंट्रल बैंक्स आउटपुट इन जीडीपी : इश्यूज एण्ड मेजरमेंट	अभिमान दास	दि जर्नल ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ, खंड 27 (1 तथा 2)	2007
28.	स्टेट-वाइज इस्टिमेट्स ऑफ फाइनेंशियल सेविंग ऑफ हाउसहोल्ड सेक्टर: एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी	के. एस. रामचंद्र राव, अभिमान दास और रमेश जांगिली	दि जर्नल ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ, खंड 28 (1)	2007
29.	ग्रोथ ऑफ बेसल एरिया अगेंस्ट एज एंड एमएआइ ऑफ आजादिरच्ता इंडिका इन एरिड एरियाज	पुनीत वर्मा	दि जर्नल ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ, खंड 28 (1)	2007
30.	डाइरेक्ट इस्टिमेशन ऑफ हाउसहोल्ड सेविंग- एन ओवरव्यू ऑफ इश्यूज	डी. पी. रथ	दि जर्नल ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ, खंड 29(2)	2007
31.	जीडीपी डिफ्लेटर विस-ए-विस अदर प्राइस इंडाइसेज इन इंडिया : एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी	अभिमान दास और मंजुषा सेनापति	दि जर्नल ऑफ इनकम एण्ड वेल्थ, खंड 29 (1)	2008
32.	हाऊ इफेक्टिव आर मोनेटरी पालीसी सिग्नल्स इन इंडिया	इंद्रनील भट्टाचार्य तथा रूद्र सेनसर्मा	जर्नल ऑफ पालीसी मोडेलिंग *, खंड 30	2008
33.	इस्टिमेटिंग आउटपुट गैप फॉर दी इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर दी इंडियन इकॉनॉमी : ए मल्टिवेरीयट अनऑब्जर्वेड कम्पोनेंट एप्रोच	ए. के. त्रिपाठी और एस. बोर्डोलोई	स्टैटिस्टिक्स एण्ड एप्लिकेशन्स, खंड 5(1 और 2), न्यू सिरिज	2007
34.	मोडलिंग एक्सचेंज रेट वोलैटिलिटी : दी इंडियन एक्सपीरिअन्स	आर.बी.बर्मन और एस. बोर्डोलोई	प्रोसिडींग ऑफ दी यूजीसी स्पॉन्सर्ड नेशनल सेमिनार ऑन रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन फिजीकल एण्ड सोशल सायन्सेस	2007
35.	फिनांशियल डीरेग्यूलेशन एण्ड इफिशियंसी :अन एंपायरिकल एनालिसिस ऑफ इंडियन बैंक्स डयूरिंग दी पोस्ट रिफार्म पिरियड	अभिमान दास और सैबल घोष	रिव्यू ऑफ फिनांशियल इकॉनॉमिक्स *, खंड 15(3)	2007
36.	इस्टिमेशन ऑफ स्टेबल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडियन स्टेट्स : अँन अप्लिकेशन ऑफ पापूलर इवोल्यूशन माडल	अभिमान दास	डेमोग्राफी इंडिया, खंड 35(4)	2007
37.	स्केल इकोनोमिज, कॉस्ट काम्प्लिमेंटरीटीज एण्ड टेक्निकल प्रोग्रेस इन इंडियन बैंकिंग:इवीडन्स फ्राम फोरियर फ्लेक्जिबल फंक्शनल फार्म	अभिमान दास और संगिता दास	अप्लाइड इकोनोमिक्स *, खंड 39(5)	2007

क्रम सं.	पेपर / लेख का शीर्षक	लेखक	प्रकाशन / पत्रिका	दिनांक
38.	डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया : द्वाय शाल वुई टेक दी इलेक्टोरल रोल सिरियसली ?	कौशिक भट्टाचार्य, अभिमान दास और अनुजीत मित्रा	डेमोग्राफी इंडिया, खंड 36(1)	2007
39.	मेजरमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट : ऑन इंटरनेशनल कंपेरिजन	अमल कांती रे	सोशल इंडिकेटर रिसर्च *, स्प्रिंगर, खंड 86(1)	2008
40.	डिटरमेनंट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क इन इंडियन स्टेट-ओन्ड बैंक्स : ऑन एंपायरिकल इनवेस्टिगेशन	अभिमान दास और सैबल घोष	इकॉनॉमिक इश्यू *, खंड 12(2)	2008
41.	फोरकास्टिंग इंटररेस्ट रेट्स इन इंडिया	पामी दुआ, निशिता राजे और सत्यानंद साहू	मार्जिन - दी जर्नल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, खंड 2(1)	2008
42.	इंडियास डिमांड फॉर गोल्ड	आर.कन्नन और एस.सी.धल	इंडियन जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड बिजनेस, खंड 7(1)	2008
43.	रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट वोलाटाइलिटी एंड सेंटरल बैंक इंटरवेनशन:ऑन एम्पायरिकल एनालिसिस फॉर इंडिया	हरेन्द्र बेहरा, वत्सला नरसिंहम और के.एन.मूर्ति	साउथ एशियन इकॉनॉमिक जर्नल*, एसएजीई पब्लिकेशन, खंड 9(1)	2008

*:विदेशी जर्नल।

अनुबंध IV

विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का रिज़र्व बैंक का दौरा

क्रम सं.	बैठक की तारीख	समूह प्रमुख	किन अधिकारियों से मिले
1	2	3	4
1.	26 जुलाई 2007	श्री लिक्वून जौन, उपाध्यक्ष, एशियन डेवलपमेंट बैंक	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, श्री वी.के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
2.	29 अगस्त 2007	श्री हेंग स्वी केट, प्रबंध निदेशक, मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर
3.	11 सितंबर 2007	श्री वाइ. गुगुले, प्रथम उप गवर्नर, बैंक ऑफ मॉरिशस	श्री वी. लिलाधर, उप गवर्नर, डॉ आर.बी. बर्मन, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
4.	13 सितंबर 2007	श्री अब्दुल्ला जिहाद, गवर्नर, मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी	श्री वी. लिलाधर, उप गवर्नर और श्री वी.के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक
5.	13 सितंबर 2007	श्री अजीत निवार्द काब्राल, गवर्नर, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर,
6.	27 सितंबर 2007	श्री जौको स्किनार, कामर्स कमिटी ऑफ दी पार्लियामेंट ऑफ फिनलैंड	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
7.	27 सितंबर 2007	लॉर्ड डिग्बे जोन्स, यूके मिनिस्टर फॉर ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर
8.	29 अक्टूबर 2007	श्री हेन्री पॉलसन, यूएस ट्रेजरी सेंक्रेटरी	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर और अन्य उप गवर्नर
9.	29 अक्टूबर 2007	श्री लि कुआन यूव, मिनिस्टर मेटर ऑफ सिंगापुर	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, अन्य उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
10.	1 नवंबर 2007	जर्मन डेलिगेशन लेड बाय डॉ बर्न्ड फाफेनबक	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, अन्य उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
11.	1 नवंबर 2007	श्री रॉबर्ट बी. जोइलिक, अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक समूह	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, अन्य उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
12.	1 और 2 नवंबर 2007	लॉर्ड निकोलस स्टर्न, आईजी पटेल प्रोफेसर, इंडिया ओबजरवेटरी, लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (एलएसई) यूके	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
13.	2 नवंबर 2007	श्री मोवेनी, गवर्नर, साऊथ अफ्रीकन रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक में भेंट दी और 13वां सी.डी. देशमुख मेमोरियल भाषण दिया	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, अन्य उप गवर्नर और कार्यपालक निदेशक
14.	11 और 12 नवंबर 2007	डॉ जेटी अख्तर अजीज, गवर्नर, बैंक नेगारा मलेशिया	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, अन्य उप गवर्नर और कार्यपालक निदेशक
15.	26 नवंबर 2007	श्री ट्रिचेट, अध्यक्ष, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रिज़र्व बैंक में भेंट दी और 10वां एल.के.झा मेमोरियल भाषण दिया	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, अन्य उप गवर्नर और कार्यपालक निदेशक
16.	29 नवंबर 2007	डॉ जी. गोनो, गवर्नर ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ झिंबाब्वे	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर
17.	4 दिसंबर 2007	श्री क्रैऑन बटलर, डेप्युटी हाय कमिशनर एण्ड चीफ इकॉनॉमिस्ट फॉर दी फरिन एण्ड कामनवेल्थ ऑफिस एण्ड श्री जेफ ग्लेकिन, डेप्युटी हेड ऑफ मिशन, वेस्टर्न रिजन ऑफ दी ब्रिटिश डेप्युटी हाय कमिशन	श्री वी. लीलाधर और श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर
18.	18 दिसंबर 2007	श्री सू निंग, उप गवर्नर, पिपल्स बैंक ऑफ चायना	श्री वी. लीलाधर उप गवर्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
19.	4 जनवरी 2008	श्री के. ओकाडा, एक्स-चेयरमेन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी (जापान के उच्च सदन पर नियंत्रण रखने वाला विरोधी दल)	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर, श्री वी. के शर्मा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
20.	11 जनवरी 2008	स्विडिश पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ऑन फिनांस	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर
21.	16 जनवरी 2008	श्री जोनाथन मोर्दुच, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड इकॉनॉमिक्स, न्यूयार्क यूनिवर्सिटी	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर
22.	16 जनवरी 2008	श्री सिमॉन क्रिएन, मिनिस्टर ऑफ ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
23.	23 जनवरी 2008	श्री फिलीप हिल्डब्रैंड, वार्ड्स चेरमन ऑफ दी गवर्नींग बोर्ड, स्विस् नेशनल बैंक	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर
24.	23 जनवरी 2008	जर्मन डेलिगेशन लेड बाय डॉ हैन्स जोआचिम हेकेल, चेरमन ऑफ दी आइएमसी, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्र ऑफ इकॉनॉमिक्स एण्ड टेक्नोलोजी	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर, श्री गोपाल कृष्णन, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
25.	24 जनवरी 2008	प्रो. स्टैनले फिशर, गवर्नर, बैंक ऑफ इजरायल	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, अन्य उप गवर्नर और कार्यपालक निदेशक
26.	25 जनवरी 2008	सुश्री बिलिंडा फ्रेजर-स्कॉट (एएनसी) फिनांस एण्ड इकॉनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ दी केजेडएन पार्लियामेंट, साऊथ अफ्रीका	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण

विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का रिज़र्व बैंक का दौरा

क्रम सं.	बैठक की तारीख	समूह प्रमुख	किन अधिकारियों से मिले
1	2	3	4
27.	28 जनवरी 2008	डॉ एटसूशी मिझूनो, पॉलीसी बोर्ड मेंबर ऑफ बैंक ऑफ जापान	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर और डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर
28.	1 फरवरी 2008	चायनीज डेलिगेशन हेडेड बाय श्री लियू मिंगकैंग, चेयरमन, चायना बैंकिंग रेग्युलेटरी कमिशन	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
29.	5 फरवरी 2008	श्री जेन-पियरी रोथ, चेयरमैन ऑफ दी गर्वीनिंग बोर्ड, स्विस् नेशनल बैंक	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, अन्य उप गवर्नर और कार्यपालक निदेशक
30.	11 फरवरी 2008	श्री डोमनीक स्ट्राऊस कान्ह, मैनेजिंग डायरेक्टर, इंटर नैशनल मॉनेटरी फंड	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर, स्थानीय केंद्रीय निदेशक बोर्ड, उप गवर्नर और कार्यपालक निदेशक
31.	11 फरवरी 2008	इंस्टिट्यूट डी टयूडस पोलिटिक्स डी पैरीस (सायन्स पीओ), पैरीस के विद्यार्थी	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
32.	12 फरवरी 2008	स्विस् बैंकर्स एसोसिएशन्स डेलीगेशन लेड बाय श्री पियर मिराबाद	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
33.	12 फरवरी 2008	श्री चार्ल्स वार्ड III, अध्यक्ष और श्री गेर्ड हाऊसियर, उपाध्यक्ष, लजार्ड इंटरनेशनल	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर
34.	13 फरवरी 2008	ब्रिटिश डेलिगेशन हेडेड बाय श्री जेम्स सासून, प्रेसिडेंट एफएटीएफ	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
35.	26 फरवरी 2008	डॉ रॅनी जयमाह, उप गवर्नर, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर
36.	28 फरवरी 2008	श्री ओले लोसमैन पॉलसेन, डेनमार्क के राजदूत	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर
37.	14 मार्च 2008	श्री रुणधीरसिंग भीनीक, गवर्नर, बैंक ऑफ मॉरिशस ने रिज़र्व बैंक अधिकारियों के सामने भाषण दिया	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर
38.	27 मार्च 2008	सुश्री डायनी फर्रेल, निदेशक, यूएस एक्विजिमेंट बैंक	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
39.	27 मार्च 2008	लॉर्ड निकोलस स्टर्न, आयजी पटेल प्रोफेसर, इंडिया ऑब्जरवेटरी, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (एलएसई) यूके	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर,
40.	27 मार्च 2008	प्रो. मार्टिन फेल्डस्टिन, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च ने रिज़र्व बैंक अधिकारियों के समक्ष भाषण दिया	डॉ वाइ.वी.रेड्डी, गवर्नर ने अध्यक्षता की और उप गवर्नर तथा कार्यपालक निदेशक उपस्थित थे
41.	31 मार्च 2008	आइएसआइ डेलिगेशन फ्राम यूएसए हेडेड बाय श्री अॅलन रोस्लिंग	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर
42.	01 अप्रैल 2008	श्री बिल बुमिट, जनरल मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल डिविजन इन दी मैक्रोइकॉनॉमिक ग्रुप ऑफ दी ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरी	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक
43.	15 अप्रैल 2008	आरटी. एचओएन. लॉर्ड मेयर ऑफ दी सिटी ऑफ लंडन, अल्डरमैन डेविड आर.टी. लुईस	डॉ राकेश मोहन, उप गवर्नर, श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
44.	17 अप्रैल 2008	श्री जॉर्गन हॉल्मक्विस्ट, यूरोपियन कमिशन, डायरेक्टर जनरल श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
45.	22 अप्रैल 2008	श्री डेविड मैकोर्मिक, अंडर सेक्रेटरी फॉर इंटेनेशनल अफेअर्स, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
46.	25 अप्रैल 2008	ऑस्ट्रेलिया एशिया यंग लिडर्स प्रोग्राम	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
47.	30 अप्रैल 2008	सुश्री यूक्सीओपींग, जनरल मैनेजर ऑफ चायना डेवलपमेंट बैंक	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
48.	2 मई 2008	श्रीमती डोरिस ल्यूथार्ड, स्विस् फेडरल कार्डसिलर (मिनिस्टर फॉर इकॉनॉमिक अफेअर्स) एण्ड हर डेलिगेशन	श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर, श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
49.	5 मई 2008	श्रीमती रोज कोरेइ, असिस्टेंट गवर्नर, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर
50.	13 मई 2008	श्री जेम्स एच.लॅम्ब्राइट, अमरिकी निर्यात आयात बैंक के चेयरमैन और प्रेसिडेंट	डॉ. राकेश मोहन, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण
51.	3 जून 2008	श्री हिशम ओकासा, उपाध्यक्ष, नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट और उनका डेलिगेशन	श्रीमती उषा थोरात, उप गवर्नर, श्री वी. एस. दास, कार्यपालक निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
	I. मौद्रिक नीति उपाय
2007 अप्रैल	<p>12 • 180 दिन तक के पोतलदान पूर्व रुपया निर्यात ऋण पर और 90 दिन तक के पोतलदानोत्तर निर्यात रुपया ऋण पर बेंचमार्क मूल उधार दर से 2.5 प्रतिशत कम दर पर निर्दिष्ट की गई ब्याज दर उच्चतम सीमा की वैधता 31 अक्टूबर 2007 तक बढ़ा दी गई।</p> <p>24 • चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर और रिवर्स रिपो दर क्रमशः 7.75 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई।</p> <p>• संबंधित करेंसी/परिपक्वताओं के लिए एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 50 आधार अंक घटाकर लिबोर/स्वैप दरों से 75 आधार अंक घटा दी गई।</p> <p>• संबंधित परिपक्वता के लिए एनआर (ई) आरए जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा अमरीकी डालर हेतु लिबोर/स्वैप दरों से 50 आधार अंक घटा दी गई।</p>
जुलाई	<p>31 • चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर और रिवर्स रिपो दर क्रमशः 7.75 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई।</p> <p>• 6 अगस्त 2007 से चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत दैनिक रिवर्स रिपो पर 3,000 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा हटा ली गई।</p> <p>• 28 नवंबर 2005 से शुरू की गई द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा 6 अगस्त 2007 से समाप्त कर दी गई।</p> <p>• 4 अगस्त 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत कर दिया गया।</p>
अक्टूबर	<p>30 • चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर और रिवर्स रिपो दर क्रमशः 7.75 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई।</p> <p>• 10 नवंबर 2007 से प्रारंभ पखवाड़े से सीआरआर 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया।</p>
2008 जनवरी	<p>29 • चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर और रिवर्स रिपो दर क्रमशः 7.75 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई।</p> <p>• सीआरआर 7.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।</p>
अप्रैल	<p>17 • सीआरआर में दो बार 25 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी की गई, एक बार इसे 26 अप्रैल 2008 को प्रारंभ पखवाड़े से बढ़ाकर 7.75 प्रतिशत किया गया और दूसरी बार 10 मई 2008 को प्रारंभ पखवाड़े से 8.00 प्रतिशत कर दिया गया।</p> <p>29 • चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर और रिवर्स रिपो दर क्रमशः 7.75 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई।</p> <p>• सीआरआर 24 मई 2008 से प्रारंभ पखवाड़े से 25 आधार अंक बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत कर दिया गया।</p>
जून	<p>11 • रिपो दर 12 जून 2008 से 25 आधार अंक बढ़ाई गई।</p> <p>24 • रिपो दर 25 जून 2008 से रिपो दर 50 आधार अंक बढ़ाई गई।</p> <p>• सीआरआर क्रमशः 5 जुलाई और 19 जुलाई 2008 से प्रारंभ पखवाड़े से दो चरणों में हर बार 25 आधार अंक बढ़ाकर 50 आधार अंक किया गया।</p>
जुलाई	<p>29 • 30 जून 2008 से रिपो दर 50 आधार अंक बढ़ाकर 9.0 प्रतिशत कर दी गई।</p> <p>• 30 अगस्त 2008 से प्रारंभ पखवाड़े से सीआरआर 25 आधार अंक बढ़ाया गया।</p> <p>31 • 1 अगस्त 2008 से सूचित शुक्रवारों को द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा फिर से प्रारंभ कर दी गई।</p>
	II. आंतरिक ऋण प्रबंध नीतियां
2007 मई	<p>21 • खुदरा ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एनडीएस-ओएम पर ऑड लॉट ट्रेडिंग प्रारंभ की गई।</p> <p>24 • भारत सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम हेतु सीमा 2007-08 (अप्रैल-सितंबर) की पहली छमाही के लिए 20,000 करोड़ रुपए और वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर से मार्च) के लिए 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी।</p> <p>25 • पात्र सीएसजीएल ग्राहकों को अपने अभिरक्षकों के माध्यम से एनडीएस-ओएम पर ट्रेड करने की अनुमति दी गई।</p>
जून	<p>29 • रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक में अपनी संपूर्ण शेयरधारिता भारत सरकार को अंतरित कर दी।</p>
जुलाई	<p>31 • 1 सितंबर 2007 से सभी प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को ओवर-द-काउंटर बाजार में कारपोरेट बांडों में किए गए अपने द्वितीयक बाजार लेनदेनों को फिममडा के रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर रिपोर्ट करना अनिवार्य बना दिया गया।</p>
अगस्त	<p>23 • सभी बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए यह अपेक्षित था कि वे भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा विकसित किए गए रिपोर्टिंग प्लेटफार्म, जो ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिव के लेनदेनों के आंकड़े अपने आप ले लेगा, पर अपने सभी ब्याज दर स्वैप (आइआरएस)/वायदा दर करार (एफआरए) रिपोर्ट करें।</p>
नवम्बर	<p>14 • भारत सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामियों हेतु हामीदारी योजना की समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि अतिरिक्त स्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी में प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम बोली लगाने की अनिवार्यता अब से रिजर्व बैंक द्वारा घोषित न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) की राशि के बराबर की राशि होगी।</p>

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2007 नवम्बर	II. आंतरिक ऋण प्रबंध नीतियां (समाप्त)
27	<ul style="list-style-type: none"> • प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण, जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) को ग्राहकों के सहायक सामान्य खाता (सीएसजीएल) मार्ग का उपयोग करके वार्तालय लेनदेन प्रणाली-आदेश मिलान (एनडीएस-ओएम) का उपयोग (एक्सेस) करने के लिए एक 'पात्र इकाई' के रूप में शामिल किया गया। उपर्युक्त के जुड़ जाने के साथ सीएसजीएल मार्ग के माध्यम से एनडीएस-ओएम का उपयोग करने के लिए पात्र इकाईयों में जमाराशियां लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी-एनडी-एसआइ, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, म्युच्यूल फंड, बीमा कंपनियां, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और न्यास शामिल हो गए।
दिसम्बर	<ul style="list-style-type: none"> 6 • रिजर्व बैंक ने पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के साथ 17 दिसम्बर 2007 से प्रभावी एक करार किया जिससे कि वह उसके सामान्य बैंकिंग कारोबार, रुपया लोक ऋण का प्रबंध और सरकार की निधियों के निवेश हेतु एकमात्र एजेंट के रूप में काम कर सके।
2008 जनवरी	<ul style="list-style-type: none"> 1 • शॉर्ट सेल/जब जारी (डब्ल्यूआइ) लेनदेनों के कवर लेग एनडीएस-ओएम प्लेटफार्म के बाहर भी प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी। अन्य शब्दों में सरकारी प्रतिभूतियों में शॉर्ट पोजिशनों को कवर करने के लिए किए जानेवाले लेनदेन एनडीएस-ओएम प्लेटफार्म के बाहर अर्थात् टेलीफोन मार्केट अथवा प्राथमिक निर्गमों में खरीदों के माध्यम से प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी।
मार्च	<ul style="list-style-type: none"> 25 • पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश सहित राज्य सरकारों की सकल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं वर्ष 2008-09 के लिए 9,925 करोड़ रुपए पर बरकरार रखी गई थी। 28 • केंद्र सरकार को अर्थोपाय अग्रिम से संबंधित व्यवस्था की भारत सरकार के परामर्श समीक्षा की गई और अर्ध-वार्षिक आधार पर अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं निर्धारित की गई थीं। तदनुसार, 2008-09 के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं वर्ष की पहली और दूसरी छमाही के लिए क्रमशः 20,000 करोड़ रुपए और 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थीं। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से इन सीमाओं को संशोधित करने की नमनीयता अपने पास बनाए रखी। अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज दर रिपो दर होगी तथा ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रिपो दर और 2 प्रतिशत अंक अधिक की ब्याज दर होगी।
मई	<ul style="list-style-type: none"> 27 • एनडीएस-ओएम तक अप्रत्यक्ष पहुंच निवेशकों के अन्य खंडों जैसे कि जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, कारपोरेट और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) तक बढ़ाई गई। इन ईकाइयों को एनडीएस-ओएम के सीधे सदस्य अर्थात् बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को सीएसजीएल मार्ग का उपयोग करते हुए एनडीएस-ओएम पर ऑर्डर देने की अनुमति दी गई।
जून	<ul style="list-style-type: none"> 2 • बैंकेतर/पीडी एनडीएस सदस्यों से इतर सदस्यों द्वारा सरकारी प्रतिभूति लेनदेनों के निपटान को सुगम बनाने के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार में 'बहु विधि निपटान' (एमएमएस) प्रणाली लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत इन लेनदेनों की निधि अवधि (फंड लेग) चुनिंदा वाणिज्यिक बैंकों, जिन्हें निर्दिष्ट निपटान बैंक (डीएसबी) के रूप में चुना गया है, के पास इन इकाइयों द्वारा रखे गए निधि खातों के माध्यम से निपटाया जाएगा।
2007 अप्रैल	III. वित्तीय क्षेत्र के उपाय
4	<ul style="list-style-type: none"> • माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमडी) अधिनियम, 2006 के अधिनियमन और 16 अक्टूबर 2006 को इसके अधिसूचित होने के साथ ही विनिर्माण/उत्पादन अथवा सेवाएं उपलब्ध कराने/देने के कार्य में लगे माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा आशोधित की गई थी और बैंकों के लिए अन्य नीतिगत उपायों के साथ इन्हें भी कार्यान्वित करना अनिवार्य था। मध्यम उद्यमों को बैंक द्वारा दिए गए उधार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत गणना के प्रयोजन से शामिल नहीं किए जाएंगे। बैंकों के बोर्ड माइक्रो, लघु और मध्यम क्षेत्रों को ऋणों के संबंध में मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों/ अनुदेशों की समीक्षा करें तथा एक व्यापक और सुधार नीति तैयार करें तथा उसे यथाशीघ्र अपनाएं। इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धांत 18 अप्रैल 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को भी जारी किए गए थे। • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे विज्ञापनों के बदले प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (वेब-साइटों सहित) / दिए जानेवाले वक्तव्य में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि रिजर्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में अथवा किसी भी विवरण की शुद्धता के लिए अथवा कंपनी द्वारा किए गए प्रतिवेदनों अथवा व्यक्त की गई रायों और जमाराशियों की चुकौती/कंपनी द्वारा दायित्व निभाने की कोई जिम्मेदारी या गारंटी नहीं लेता है। 5 • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे सामान्यतः जमा खाता खोलने वाले व्यक्ति से नामन करने के लिए जोर दें। उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि यदि वह व्यक्ति ऐसा करने का अनिच्छुक हो तो उसे नामन सुविधा के लाभों से अवगत कराएं। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति फिर भी नामन नहीं करना चाहे और इस आशय का पत्र देने से इन्कार करे तो बैंक को चाहिए कि वह इस तथ्य को खाता खोलने के फार्म पर रिकार्ड करे और यदि उसे अन्यथा पात्र पाया जाए तो खाता खोलने की कार्रवाई आगे बढ़ाए। बैंक किसी भी परिस्थिति में मात्र इस आधार पर खाता खोलने से इंकार नहीं कर सकता कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने नामन करने से इंकार कर दिया है। इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धांत 12 अप्रैल 2007 को राज्य सहकारी बैंकों/ जि.म.स. बैंकों को, 13 अप्रैल 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और 19 अप्रैल 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए थे। 12 • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि उनके द्वारा वित्तपोषित बुनियादी संरचना परियोजनाओं के पूर्ण होने की तारीख परियोजना के वित्तीय रूप से बंद होने के समय स्पष्ट रूप से उल्लेख की जानी चाहिए और यदि परियोजना की पूरी होने की तारीख के एक वर्ष की अवधि के आगे, जैसा कि परियोजना में मूल रूप से परिकल्पना की गई थी, वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख बढ़ाई जाए तो ऐसे खातों को अवमानक खाते के रूप में माना जाना चाहिए। ये संशोधित अनुदेश 31 मार्च 2007 से लागू हुए हैं। 13 • अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/धनशोधन निवारण मानकों/आतंकवाद के वित्तपोषण की लड़ाई से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत/वायर ट्रांसफर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए। इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धांत 18 मई 2007 को राज्य सहकारी बैंकों/ जि.म.स. बैंकों को, 21 मई 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, 25 मई 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को और 23 अप्रैल 2008 को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किए गए।

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
<p>2007 अप्रैल</p>	<p style="text-align: center;">III. वित्तीय क्षेत्र के उपाय (जारी)</p> <p>17 • लोक सेवाओं से संबंधित प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखा परीक्षा संबंधी समिति (सीपीपीएपीएस) की सिफारिशों के आधार पर लाकरों के उपयोग में सुगमता लाने के लिए सुरक्षित जमा लाकरों/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तुओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में नए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए। इसी प्रकार के सिद्धांत 18 मई 2007 को राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को और 21 जून 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को जारी किए गए।</p> <p>18 • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि एएस-17 के अंतर्गत खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से 'अन्य बैंकिंग कारोबार' खंड को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए : कारपोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालन। तदनुसार, बैंकों के लिए यह अपेक्षित था कि वे 21 मार्च 2008 से लोक रिपोर्टिंग प्रयोजन हेतु निम्नलिखित कारोबार खंडों को अपनाएं : क) खजाना; ख) कारपोरेट/ थोक बैंकिंग; ग) खुदरा बैंकिंग और घ) अन्य बैंकिंग कारोबार। भौगोलिक खंड 'घरेलू' और 'अंतर्राष्ट्रीय' खंड के रूप में अपरिवर्तित बने रहेंगे।</p> <p>20 • डेरिवेटिव के संबंध में बैंकों को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसमें नियंत्रक परिप्रेक्ष्य से कोई भी डेरिवेटिव लेनदेन प्रारंभ करने के लिए प्रमुख अपेक्षाओं का उल्लेख किया गया था। इन दिशानिर्देशों ने रुपया ब्याज दर डेरिवेटिवों से संबंधित वर्तमान अनुदेशों को भी कवर किया गया है।</p> <p>• बैंकों ने अनुपालन कार्य से संबंधित अंतिम दिशानिर्देश कार्यान्वयन हेतु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी किए गए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि चूंकि बैंकों के कारपोरेट संचालन ढांचे में बैंकों में अनुपालन कार्य महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है अतः इसे ठीक तरह से किया जाना चाहिए और इसे पर्याप्त रूप से स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे अपने अनुपालन कार्य को सुनियोजित बनाएँ और अपने संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुपालन जोखिमों के प्रबंधन हेतु प्राथमिकताएं निर्धारित करें।</p> <p>24 • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (चिट फंड कंपनियाँ) द्वारा जनता जमाराशियों पर देय उच्चतम ब्याज दर संशोधित करके 12.5 प्रतिशत वार्षिक कर दी गई। ब्याज की यह नई दर नई जनता जमाराशि और परिपक्व जनता जमाराशि के नवीकरणों पर लागू होगी।</p> <p>25 • बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बैंक की कोई भी शाखा/स्टाफ कम मूल्यवर्ग के नोटों और/या सिक्कों को स्वीकार करने से इन्कार न करें। किसी भी स्टॉफ सदस्यों द्वारा इन्कार किए जाने/अनुपालन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई करनी होगी। इसी तरह के दिशानिर्देश 10 मई 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किए गए थे।</p> <p>27 • पूंजी पर्याप्तता और बाजार अनुशासन - नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन विषयक विवेकसम्मत मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यान्वयन हेतु अंतिम रूप दिया गया।</p> <p>• प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी को सूचित किया गया कि वे एनबीएस-7 फार्म में प्रति वर्ष मार्च के अंत में पूंजी निधियों, जोखिम-आस्ति अनुपात, आदि के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें। इस प्रकार की पहली विवरणी 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह विवरणी प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष के समापन से 3 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।</p> <p>• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे 103 अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में जहां कम से कम 25 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को होनेवाले ऋण प्रवाह की निगरानी करें। 16 जुलाई 2007 को ऋण प्रवाह की निगरानी हेतु अल्पसंख्यक बहुल जिलों की संख्या संशोधित करके 121 कर दी गई।</p> <p>30 • अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) छोटे और सीमांत कृषकों, बंटाई पर खेती करनेवाले और इसी प्रकार के अन्य लोगों को 50,000 रुपए तक के छोटे ऋणों हेतु 'कोई देय नहीं' प्रमाणपत्र की अपेक्षा को तत्काल समाप्त कर और उसकी जगह उधारकर्ता से एक स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करें। इसके अलावा बैंक भूमिहीन श्रमिकों, बंटाई पर खेती करनेवाले किसानों और मौखिक रूप से पट्टा लेने वाले लोगों को ऋण देने के मामलों में स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा फसलों की खेती करने के संबंध में दिये जानेवाले प्रमाणपत्रों को स्वीकार कर सकते हैं।</p> <p>• शहरी सहकारी बैंकों के मामले में सोने और चांदी के आभूषणों की जमानत पर एक लाख रुपए तक के ऋणों पर जोखिम भार तत्काल प्रभाव से 125 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।</p> <p>• शहरी सहकारी बैंकों के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित मानदंडों के संबंध में विवेकसम्मत दिशानिर्देश में ढील और एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई।</p> <p>• प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को जारी किए गए।</p>
<p>मई</p>	<p>3 • विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन स्वास्थ्य और पशु बीमा सहित सभी प्रकार के बीमा उत्पादों के वितरण हेतु बिना किसी जोखिम सहभागिता के कारपोरेट एजेन्सी बिजनेस प्रारंभ करने की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति दी गई।</p> <p>• बैंकों द्वारा निवासीय आवास संपत्तियों को बंधक रखकर व्यक्तियों को 20 लाख रुपए तक दिए जानेवाले आवास ऋण के संबंध में जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार, बंधक समर्थित प्रतिभूतियों, जो आवास ऋणों द्वारा समर्थित हैं और ये राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी की गई हैं, में बैंकों के निवेश हेतु जोखिम भार 75 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। चूक के अनुभवों और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए घटाये गये इन जोखिम भारों की एक वर्ष पश्चात समीक्षा की जाएगी। इसी प्रकार के दिशानिर्देश 4 मई 2007 को शहरी सहकारी बैंकों को भी जारी किए गए थे।</p> <p>7 • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे उचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करें ताकि उनके द्वारा ऋणों और अग्रिमों पर प्रॉसेसिंग और अन्य प्रभारों सहित अति ब्याज न लगाया जाए। इसी प्रकार के दिशानिर्देश 15 मई 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, 16 मई 2007 के राज्य सरकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 18 मई 2007 को शहरी सरकारी बैंकों को और 24 मई 2007 को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किए गए थे।</p>

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2007	III. वित्तीय क्षेत्र के उपाय (जारी)
मई	<p>7 • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उचित टेकनोलॉजी का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के अपने प्रयासों को बढ़ाएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि विकसित किए जानेवाले साफ्टवेयरों (सोल्यूशनों) में उच्च सुरक्षा हो, लेखा-परीक्षण योग्य हों और विभिन्न बैंकों द्वारा अपनायी गई विभिन्न प्रणालियों के बीच परस्पर-परिचालनीयता की अनुमति के बीच परस्पर-परिचालनीयता की अनुमति देनेवाले व्यापक रूप से स्वीकार्य खुले मानकों का अनुसरण करते हों। इसी प्रकार के दिशानिर्देश 18 मई 2007 को राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को और 21 मई 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किए गए थे।</p> <p>• जिन राज्यों ने रिजर्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उन राज्यों में पंजीकृत अथवा बहुविध सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे जोखिम सहभागिता के कारपोरेट एजेंटों के रूप में बीमा एजेंसी का कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं बशर्ते कि उन शहरी सहकारी बैंकों की न्यूनतम निवल मालियत 10 करोड़ रुपए हो और वह ग्रेड III या IV बैंक के रूप में वर्गीकृत न हो।</p> <p>8 • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एसएलआर प्रतिभूतियों में किए गए उनके निवेशों के संबंध में 'बाजार मूल्य को बहियों में अंकित करना' विषयक मानदंड अपनाने की छूट और एक वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2007-08 के लिए बढ़ा दी गई। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बही मूल्य आधार पर मूल्यन और प्रीमियम के परिशोधन के साथ, यदि कोई हो, प्रतिभूतियों की शेष अवधि के दौरान वित्त वर्ष 2007-08 के लिए 'परिपक्वता तक धारित' के अपने समस्त संविभाग निवेश को वर्गीकृत करने की स्वतंत्रता होगी।</p> <p>• 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक के जमा आकार वाली जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-एनडी-एसआई को सूचित किया गया है कि वे कंपनी संचालन के संबंध में आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रकटीकरण और पारदर्शिता प्रथाओं तथा संबद्ध उधारों के संबंध में अनुदेशों का अनुसरण करने के लिए लेखा-परीक्षा समिति, नामन समिति, जोखिम प्रबंध समिति का गठन शामिल हो।</p> <p>10 • भारत के बैंकों को मौजूदा विवेकसम्मत सीमाओं के अंदर और कुछ अतिरिक्त सावधानियों के साथ भारत में बैंकों को अनुमति दी गई कि वे भारतीय कंपनियों की विदेश में कार्यरत सहायक कंपनियों (जहां भारतीय कंपनी की शेयर धारिता 51 प्रतिशत से अधिक है) की पूर्ण स्वाधिकृत अनुसहायक (स्टेप डाउन) कंपनी को निर्धीयित और/ या अनिधीयित ऋण सुविधाएं दे सकते हैं।</p> <p>16 • अनर्जक आस्तियों की खरीद / बिक्री के संबंध में 13 जुलाई 2005 के पूर्व दिशानिर्देशों के आंशिक अशोधन में अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), एआइएफआई, एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सूचित किया गया था कि तीन वर्ष के भीतर पूरी वसूली के अधीन अनुमानित नकद प्रवाह का कम से कम 10 प्रतिशत पहले वर्ष में वसूला जाना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक छमाही में कम से कम 5 प्रतिशत वसूला जाना चाहिए।</p> <p>24 • बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 आशोधित की गई और सभी अनुसूचित ग्रामीण बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को निर्देश दिया गया था कि वे इस आशोधित योजना का पालन करें।</p> <p>• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा कतिपय ऋणों और अग्रिमों पर अत्यधिक ब्याज और प्रभार लगाने के संबंध में अनेक शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें सूचित किया गया था कि ब्याज दरें चाहे रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित हों या नहीं लेकिन फिर भी वे ब्याज दरें और प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभारों को निर्धारित करने के लिए उचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करें। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे ऋण की शर्तों के संबंध में पारदर्शिता के बारे में निष्पक्ष व्यवहार संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखें।</p> <p>25 • जम्मू और कश्मीर के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी जानेवाली छूटों/ क्रेडिट में ढील एक वर्ष और अर्थात् 31 मार्च 2008 तक जारी रहेगी।</p> <p>28 • सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकारी कंपनियों / पुननिर्माण कंपनियों को उनके द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों का निवल धारित मूल्य घोषित करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।</p> <p>29 • अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वर्ष 2007-08 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 3,75,690 का लक्ष्य आबंटित किया गया है।</p>
जून	<p>13 • विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई) के अंतर्गत ऋणों की सीमा प्रति हिताधिकारी 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और इसी योजना के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई।</p> <p>15 • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब तक कवर न किये गये जिलों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए संबद्ध अधिकार प्राप्त समिति को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने के लिए निर्दिष्ट कतिपय शर्तों के संबंध में विवेकाधिकार दिये गये थे।</p> <p>19 • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कारोबार के ज्यादा रास्ते और अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस शर्त के अधीन कि वित्तपोषित की जानेवाली परियोजना संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालन क्षेत्र में है और इस परियोजना के लिए मार्गदर्शन और मूल्यांकन उनके प्रायोजक बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे अपने प्रायोजक बैंकों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआई) के साथ मिलकर वर्तमान एक्सपोजर सीमाओं के भीतर संघीय उधार देने के कार्य में भाग ले सकते हैं।</p> <p>22 • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विशेष रूप से अपने बैंक ऑफिस कार्यों तथा बैंकिंग कारोबार के अन्य प्रासंगिक कार्यों हेतु सेवा शाखाएं/केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैंक कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी।</p> <p>26 • बैंकों को सूचित किया गया कि वे 30 सितंबर 2007 तक विभिन्न, जोखिम कारकों के लिए उचित दबाव क्षमता परीक्षण नीतियां और संबंधित दबाव परीक्षण ढांचा बनाएं।</p> <p>28 • केंद्रीय बजट 2007-08 में की गई घोषणानुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एफसीएनआर (बी) जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई। रुपए में अनिवासी (सामान्य/बाह्य) खाते खोलने/रखने के प्राधिकार हेतु निर्दिष्ट पात्रता मानदंड की भी समीक्षा की गई।</p>

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2007	III. वित्तीय क्षेत्र के उपाय (जारी)
जून	28 • बैंकों को, पेंशन निधि प्रबंधकों हेतु पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंड तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करने पर इस प्रयोजन हेतु गठित अपनी सहायक संस्थाओं के माध्यम से पेंशन निधि प्रबंध (पीएफएम) का कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। पीएफएम का कार्य करने के इच्छुक बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसे कारोबार में प्रवेश करने से पहले रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करें।
जुलाई	2 • 30 जून 2007 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूतिकारी कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों को मार्गदर्शी टिप्पणियों सहित अद्यतन किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत और निर्देश जारी किए गए थे। 3 • क्रेडिट कार्ड ग्राहकों से मिल रही लगातार शिकायतों और इस संबंध में जनहित याचिका के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली की टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अन अपेक्षित वाणिज्यिक कालों (यूसीसी) से संबंधित विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कतिपय पहल करने की प्रक्रिया में है। इन उपायों के एक अंग के रूप में ट्राई ने यूसीसी के ऊपर लगाम लगाने के लिए द टेलिकॉम अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्प्यूनिकेशन्स (यूसीसी) रेग्युलेशन्स, 2007 तैयार किये हैं। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे इस संबंध में जारी किये गये अनुदेशों को कार्यान्वित करें। इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धांत 26 नवंबर 2007 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी किये गये थे। 13 • शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि उनके लिए शेयर दलालों और पण्य दलालों को किसी भी प्रकार की निधि आधारित या गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाएं, चाहे वे जमानती हों या बेजमानती, देने की मनाही है। • एटीएम-सह डेबिट कार्ड जारी करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिन बैंकों को ऑन साइट / ऑफ साइट एटीएम स्थापित करने का प्राधिकार दिया गया था, वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एटीएम-सह-डेबिट कार्ड का प्रारंभ कर सकते हैं। 31 • सेबी ने फिल्मडा को अनुमति दी है कि वह कार्पोरेट बांडों के लिए अपना रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करे। यह अनिवार्य बना दिया गया है कि इसके प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट किये गये सौदे तथा वे जो उचित मूल्यवर्धन के साथ बीएससी और एनएसई को रिपोर्ट किये गये हैं उन्हें समूहित करें। फिल्मडा ने 1 सितंबर 2007 से अपने प्लेटफॉर्म को चालू करने का प्रस्ताव रखा है। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)/एआइएफआइ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 1 सितंबर 2007 से ओटीसी बाजार में कार्पोरेट बांडों में किये गये अपने द्वितीयक बाजार लेन-देन फिल्मडा के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें।
अगस्त	3 • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया था कि (i) ऐसे मामलों में जहां साख-पत्र (एलसी) के आधीन आहरित बिलों का परक्रामण किसी एक खास बैंक तक ही सीमित है और साख-पत्र का हिताधिकारी उस बैंक का ग्राहक नहीं है, संबंधित बैंक इस शर्त के आधीन ऐसे साख-पत्र को परक्रामित कर सकता है कि आगम हिताधिकारी के नियमित बैंकर को ही विप्रेषित किए जाएंगे। तथापि, ग्राहकेतर लोगों के प्रतिबंधित साख-पत्र के परक्रामण के संबंध में प्रतिबंध लागू बना रहेगा और (ii) बैंक 'दायित्व-सहित' या 'दायित्व-रहित' आधार पर साख-पत्रों के अंतर्गत आहरित बिलों को अपने विवेकानुसार तथा साख-पत्र जारीकर्ता बैंक की ऋण पात्रता के बारे में अपने बोध के आधार पर परक्रामण कर सकते हैं। तथापि, (अन्य बिलों/ साख-पत्र के अंतर्गत आहरित बिलों के अलावा अन्यथा आहरित बिलों) की खरीद/बट्टे पर प्रतिबंध लागू रहना जारी रहेगा। 9 • इस तथ्य के परिपेक्ष्य में कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत 30 अप्रैल 2007 से संशोधित कर दिए गए हैं, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया था कि वे जून माह के अंतिम सूचित शुक्रवार की स्थिति के अनुसार विशेष विवरणियों I, II और III के मौजूदा फार्मेटों में आंकड़े प्रस्तुत करें। तथापि, 30 अप्रैल 2007 से 22 जून 2007 के बीच प्रदत्त ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देशों के आधार पर वर्गीकृत किए गए थे। 13 • सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से क्षेत्र निरपेक्ष आधार पर आवासन क्षेत्र को 20 लाख रुपए तक का सीधा वित्तीयन कर सकते हैं। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धिशील जमा की सीमा जो पहले निर्धारित की गई थी, वापस ले ली गई है। 14 • उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा बफर स्टॉक बनाने के संबंध में जारी की गई अधिसूचना के बारे में सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अवगत कराया गया। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 मई 2007 से एक वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख टन चीनी का एक बफर स्टॉक बनाया जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार चीनी विकास निधि से 378 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी करेगी और बैंकों को चीनी के मौजूदा स्टॉक से बफर स्टॉक बनाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न मार्जिन छोड़ने के लिए 420 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त ऋण सीमा स्वीकृत करनी होगी। यह योजना चलाने हेतु चीनी मिलों के लिए यह जरूरी होगा कि वे उनके पास पहले से ही मौजूद स्टॉक में से बफर स्टॉक परिचालनों के लिए निर्धारित स्टॉक को अलग कर दें। बैंक सामान्य सीमाओं में से अलग उप सीमाएं आबंटित करें जो चीनी मिलों द्वारा रखे गए बफर स्टॉक का 100 प्रतिशत मूल्य दर्शाती हों। बफर स्टॉक के सामने 100 प्रतिशत आहरणों का प्रावधान किए जाने के परिणामस्वरूप जारी की गई राशि अर्थात् मार्जिन राशि के बदले की राशि एक विशेष खाते में जमा की जानी चाहिए। बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि इस खाते की राशि का उपयोग करने का मूल्य चुकाने के लिए किया जाए। 22 • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों सूचित किया गया कि वे तिमाही आधार पर आवास वित्त संवितरण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना बंद कर दें जिसमें आवास वित्त के संबंध में उनके द्वारा किए गए संवितरणों का विस्तृत ब्यौरा रहता है। • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि ऋण स्वीकृत/संवितरण करते समय सभी उधारकर्ताओं को अनिवार्यतः ऋण करार की एक प्रति उपलब्ध कराएं। • सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधारों से संबंधित संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत सूचित किए गए।

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2007	III. वित्तीय क्षेत्र के उपाय (जारी)
अगस्त	<p>23 • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को सूचित किया गया था कि सीसीआईएल ने ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिवों के लिए एक रिपोर्टिंग प्लेटफार्म विकसित किया है जो ओटीसी ब्याज दर डेरिवेटिवों [ब्याजदर स्वेप और वायदा दर करार (आइआरएस/एफआरए)] के लेनदेनों के आंकड़े इकट्ठा करेगा। यह प्लेटफार्म 30 अगस्त 2007 से काम करना प्रारंभ कर देगा। सभी बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सौदा होने के समय से 30 मिनट के अंदर रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर अपने सभी आइआरएस/एफआरए सौदे रिपोर्ट करें। ग्राहकों के सौदे न रिपोर्ट किए जाएं। बैंक और प्राथमिक व्यापारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी बकाया आइआरएस/एफआरए करारों (ग्राहक सौदों को छोड़कर) के विवरण 15 सितंबर 2007 तक रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर डाल दिए जाएं। इस संबंध में विस्तृत परिचालनीय मार्गदर्शी सिद्धांत सीसीआईएल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।</p> <p>28 • सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि बैंक ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक ही राज्य में अपने परिचालनीय क्षेत्र में एक शहर से दूसरे शहर में अपनी शाखाएं स्थानांतरित करने के अनुरोधों पर विचार करने का निर्णय लिया है: (i) नया केंद्र मौजूदा केंद्र के समान अथवा कम आबादी समूह वाला अर्थात् 'घ' केंद्र की शाखा दूसरे 'घ' केंद्र में ही स्थानांतरित की जा सकती है; (ii) न्यून बैंकित जिले में स्थित शाखा दूसरे केंद्र के न्यून बैंकित जिले में ही स्थानांतरित की जा सकती है; और (iii) यह स्थानांतरण लागत और कारोबार के अर्थ में बैंक को फायदेमंद होना चाहिए।</p> <p>30 • सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखा कार्यालयों को इस आशय के अनुदेश दें जिसमें यह कहा जाए कि वे निर्दिष्ट 121 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों को होनेवाले ऋण प्रवाह की विशेष रूप से निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदाय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य के भीतर न्यायोचित भाग प्राप्त कर सके। उपर्युक्त अपेक्षा अल्पसंख्यकों के लिए 'प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम' के अंतर्गत लक्ष्यों और विकास परियोजनाओं की स्थिति को उद्दिष्ट करने के प्रयोजन से ध्यान में रखी जानी चाहिए।</p> <p>• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधारों से संबंधित संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किए गए जिनमें माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु और माइक्रो उद्यमों की संशोधित परिभाषा ध्यान में रखी गई है।</p>
सितंबर	<p>3 • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों का अधिकाधिक योगदान लेकर शाखा स्तरीय समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह वांछनीय है कि शाखा स्तरीय समितियां अपने ग्राहकों को भी उसमें शामिल करें। इसके अलावा चूंकि बैंकों में वरिष्ठ नागरिक सामान्यतः एक महत्वपूर्ण ग्राहक वर्ग का निर्माण करते हैं अतः, वरीयतः उसमें एक वरिष्ठ नागरिक को शामिल किया जा सकता है।</p> <p>• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों के संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारों से संबंधित आंकड़ों हेतु रिपोर्टिंग फार्मेटों को संशोधित किया गया।</p> <p>4 • जमा राशियां स्वीकार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि जहां धोखाधड़ी में फंसी राशि 25 लाख रुपए और उससे अधिक हो, वहां एफएमआर-1 विवरणी की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता है।</p> <p>• सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूजा और बाजार स्थलों में अपने विस्तार पटल खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी। ऐसे मामलों में प्रधान बैंकर होने की शर्त लागू नहीं होगी। तथापि, इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक लाइसेंस लेना जरूरी होगा।</p> <p>5 • सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया था कि (क) ढांचागत चलनिधि विवरण में पहली समयावधि (वर्तमान में 1-14 दिन) को तीन समयावधियों यथा अगले दिन, 2-7 दिन और 8-14 दिन में विभाजित करके चलनिधि जोखिम मापन के प्रति और भी सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया जाए; (ख) अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन और 15-28 दिन की समयावधियों में निवल संचयी नकारात्मक विसंगतियां संबंधित समयावधियों में होनेवाले संचयी नकद प्रवाहों के 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि चलनिधि पर संचयी प्रभाव को पहचाना जा सके। ढांचागत चलनिधि के विवरण का फार्मेट तदनुसार संशोधित किया गया है।</p> <p>7 • सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि 'द सांगली बैंक लि.' का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निकाल दिया गया है।</p> <p>10 • सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया कि भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 5 और परिपत्र, नामतः राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन, समझौता/ बट्टे खाते डालने के लिए मुख्य प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन, बैंकों में सतर्कता व्यवस्थाएं, बैंक लूटों / डकैतियों / संधमारियों के मामलों की रिपोर्टिंग और ग्राहक सेवा निपटान प्रक्रिया संबंधी स्थायी समिति की बैठक, जाली लिखतों की अदायगी के संबंध में निपटान प्रक्रिया वापस ले लिए जाएं।</p> <p>12 • जम्मू और कश्मीर राज्य के सभी अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि नव सृजित जिलों के संबंध में अग्रणी बैंक दायित्व निभाने का कार्य जो भारतीय स्टेट बैंक तथा जम्मू और कश्मीर बैंक को दिया गया था उसे नियमित कर दिया जाए।</p> <p>13 • सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों संबंधी उच्चाधिकार समिति से सहमति प्राप्त करने के बाद उन्हें अपने दूरस्थ कार्यालयों को पूर्ण शाखा में बदलने की अनुमति दी जाए। इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से भी आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें।</p>

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2007	III. वित्तीय क्षेत्र के उपाय (जारी)
सितंबर	<p>13 • सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ताओं को दी गई ऋण सुविधाएं उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं जिनके लिए वे स्वीकृत की गई हैं। बैंकों के पास निधियों के अंतिम उपभोग की उचित निगरानी के लिए एक तंत्र होना चाहिए। जहां कहीं विचलन पाया जाए वहां संबंधित उधारकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए और बैंक के हित की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जहां खाते अनर्जक आस्तियों में बदलने का संकेत देने लगे वहां बैंक और भी कठोर सावधानियां बरत सकते हैं। ऐसे मामलों में बैंक उधारकर्ताओं के गोदामों का ज्यादा जल्दी-जल्दी निरीक्षण करने का रास्ता अख्तियार करके तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि बिक्री आगम बैंक में रखे गए उधारकर्ता के खाते के माध्यम से भेजी जाती है तथा दृष्टिबंधक की जगह स्टॉक को गिरवी रखने पर जोर देते हुए अपनी निगरानी प्रणाली को और सशक्त बना सकते हैं। जब कभी नकद ऋण के लिए दृष्टिबंधक रखे गए स्टॉक बेचे गए पाए जाएं और उससे प्राप्त आगम ऋण खातों में जमा न किए जाएं तो यह कृत्य सामान्यतः धोखाधड़ी माना जाएगा। ऐसे मामलों में बैंक को शेष बचे स्टॉक को हथियाने की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उपलब्ध जमानत के मूल्य में और क्षरण न होने पाए तथा साथ ही यथा योग्य अन्य कार्रवाई भी की जानी चाहिए।</p> <p>17 • सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी सभी शाखाएं आवास ऋण देते समय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अति सावधानी से पालन करें।</p> <p>18 • सभी वेतन अर्जक प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया है कि वेतन अर्जक बैंकों के निदेशक मंडलों में दो पेशेवर निदेशक लेने पर जोर न दिया जाए।</p> <p>• सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों का गैर-एसएलआर निवेश करने में उन्हें अधिक लचीलापन अनुमत करने की दृष्टि से दिशा-निर्देश जारी किए गए।</p> <p>20 • सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि जब किसी भी शहरी सहकारी बैंक ने जि.म.स.बैं/रा.स.बैं, जिसके यहां वह अपनी जमाराशियां रखता है, से ऋण लिया है तो एसएलआर की गणना के प्रयोजन से उस जि.म.स.बैं/रा.स.बैं से लिए गए ऋण की राशि उन जमा राशियों से काट ली जाएगी चाहे ऐसी जमा राशियों पर ग्रहणाधिकार का उल्लेख किया गया हो या नहीं। उपर्युक्त अनुदेशों से उत्पन्न कमी, यदि कोई हो, के मामले में एसएलआर अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को छह महीने का समय दिया गया है।</p> <p>21 • सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधात्मक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाओं के स्थानांतरण, घाटा उठानेवाली शाखाओं का विलय, आदि से संबंधित कुछ प्रावधान आशोधित कर दिए गए हैं।</p>
अक्टूबर	<p>9 • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नकारात्मक निवल मालियत होने के बावजूद वे पिछले तीन वर्ष से निवल लाभ कमा रहे हों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एनआरओ/एनआरई/ एफसीएनआर जमाराशियां स्वीकार करने हेतु आवेदन अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पर्यवेक्षी दृष्टि से मामला-दर-मामला आधार पर जांचा जा सकता है और रिजर्व बैंक को उसकी सिफारिश की जा सकती है।</p> <p>• अधिकार प्राप्त समिति स्थानीय परिस्थितियों और बैंकिंग वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नियंत्रक कार्यालय खोलने की अनुमति दे सकती है चाहे उसके पास 75 शाखाएं हों या नहीं।</p> <p>10 • गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आरएनबीसी सहित) को 28 सितंबर 2006 को उचित व्यवहार संहिता बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये जिनमें "ऋण मूल्यांकन और शर्तों" के तहत कहा गया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों उधारकर्ताओं को स्वीकृत पत्र के माध्यम से अथवा अन्यथा लिखित सूचना देंगी, जिसमें वार्षिक ब्याज दर और उसके लगाने का तरीका तथा उधारकर्ता द्वारा इन शर्तों की स्वीकृति को अपने रिकार्ड में रखेंगी। इस संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि ऋणों की स्वीकृति/वितरण के समय सभी उधारकर्ताओं के ऋण करार में कहे गये सभी अनुलग्नकों की प्रतिलिपि सहित ऋण करार की प्रतिलिपि सभी उधारकर्ताओं को ऋणों की स्वीकृति/वितरण के समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।</p> <p>18 • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पात्रता मानदंडों के अनुपालन के अधीन रिजर्व बैंक के पास करेन्सी चेस्ट सुविधा हेतु आवेदन करने की अनुमति दी गयी।</p> <p>23 • भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से सूची "लॉर्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड" का नाम हटा दिया गया।</p> <p>24 • आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया और सभी वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि (क) बैंकों के ढांचागत चलनिधि के विवरण में पहले समय अंतराल (वर्तमान में 1-14 दिन) को तीन समय अंतरालों यथा अगला दिन, 2-7 दिन और 8-14 दिनों में बांटकर चलनिधि जोखिम के आकलन के लिये और गहरा दृष्टिकोण अपनाया जाए; (ख) ढांचागत चलनिधि के विवरण को पूर्णरूप से सुसंगत वातावरण की अनुलब्धता को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध डाटा के आधार पर तैयार किया जाए। तथापि, बैंकों को समयबद्ध तरीके से आंकड़ों का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना चाहिए; (ग) अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन और 15-28 दिनों के अंतरालों के दौरान निवल संचयी ऋणात्मक अंतर संबंधित समय अंतरालों में संचयी नकद बहिर्वाह के 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए; (घ) बैंकों को गतिशील चलनिधि प्रबंधन को अपनाया जाए और ढांचागत चलनिधि विवरण को प्रतिदिन तैयार करना चाहिए। तथापि, ढांचागत चलनिधि विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को माह में एक बार (प्रत्येक माह तीसरे बुधवार) रिपोर्ट करना चाहिए।</p> <p>30 • वर्तमान चलनिधि की स्थिति की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) में 10 नवंबर 2007 के पखवाड़े से उनकी मांग और समय देयताओं के 7.5 प्रतिशत से 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया जाए। इसी प्रकार का परिपत्र 31 अक्टूबर 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को 1 नवंबर 2007 को जारी किया गया।</p>

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2007	III. वित्तीय क्षेत्र के उपाय (जारी)
अक्टूबर	<p>30 • भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "यूटीआई बैंक लिमिटेड" का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से "एक्सिस बैंक लिमिटेड" कर दिया गया।</p>
नवंबर	<p>1 • भारतीय रिजर्व बैंक ने विशिष्ट "योग्य और उचित" मानदंड के लिए दिशानिर्देश तय किये जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चुने जानेवाले व्यक्तियों पर लागू होंगे।</p> <p>6 • बैंक प्रोजेक्टों के वित्तपोषण के समय प्रवर्तकों की ईक्विटी का स्तर निश्चित करने के लिए आम तौर पर इनमें से एक पद्धति अपनाते हैं: (i) बैंक की प्रतिबद्धता के संवितरण से पूर्व प्रवर्तक अपना संपूर्ण अंशदान अग्रिम लाते हैं; (ii) प्रवर्तक अपने कुछ अंशदान (40-50 प्रतिशत) को अग्रिम रूप में लाते हैं और शेष राशि 3 चरणों में लायी जाती है; (iii) प्रारंभ में प्रवर्तक सहमत होता है कि बैंकों के ऋण भाग के वित्तपोषण के समय वे ईक्विटी निधियों को समानुपातिक रूप से लायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देखा है कि आखरी पद्धति में अधिक ईक्विटी निधि जोखिम है। इस जोखिम को समाप्त करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया कि ऋण ईक्विटी अनुपात (डी ई आर) के लिए स्पष्ट नीति रखें और प्रवर्तकों द्वारा ईक्विटी/निधि का अंतर्प्रवाह इस प्रकार हो कि डी ई आर सदैव नियत स्तर पर रहे। इसके साथ ही यह भी सूचित किया गया कि निधि श्रृंखला को अपनाएं ताकि बैंकों में ईक्विटी निधीयन की संभावना न रहे।</p> <p>8 • सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और संबंधित निजी क्षेत्र के बैंकों सूचित किया गया कि विलंबित धन विप्रेषणों और दोहरी/अधिक प्रतिपूर्ति पर आठ प्रतिशत ब्याज दर (बैंक दर 6 प्रतिशत + 2 प्रतिशत) में आगामी अनुदेशों तक कोई परिवर्तन नहीं होगा।</p> <p>14 • राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कोई नई घरेलू जमा संग्रहण योजना प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि जमाराशियों, आवधिक जमाराशियों के समयपूर्व आहरण, आवधिक जमाराशियों के तहत ऋणों/अग्रिमों की स्वीकृति पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय। इससे संबंधित किसी भी उल्लंघन को गंभीर माना जाएगा और उस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसएस) के अंतर्गत दंड दिया जा सकता है। इसी तरह के मार्गदर्शी सिद्धांत 29 नवंबर 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी किये गये।</p> <p>20 • राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेन्टल रिटार्डेशन और बहुविकलांगताओं वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंक खाते खोलने/चलाने के प्रयोजनार्थ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्तर की समितियों द्वारा जारी किये गये संरक्षक प्रमाणपत्रों पर भरोसा करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी शाखाएं इस संबंध में सही मार्गदर्शन देती हैं जिससे कि विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता/संबंधियों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसी तरह के मार्गदर्शी सिद्धांत 22 नवंबर 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी जारी किये गये।</p> <p>22 • कंपनी कार्य मंत्रालय म्यूच्युअल बेनिफिट कंपनियां (नोटिफाइड निधि) और म्यूच्युअल बेनिफिट कंपनियां (पोटेंशियल निधि) का नियंत्रण 2001 से व्यापक रूप से कर रहा है। तदनुसार इस स्थिति को दर्शाते हुए म्यूच्युअल बेनिफिट वित्तीय कंपनियों के लिए यथा प्रयोज्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता जमाराशि स्वीकरण (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 के प्रावधान अद्यतन किये गये हैं और ऐसी कंपनियों को उक्त निर्देशों के प्रावधानों से छूट दी गयी है। तथापि, निधि का स्तर प्रदान करने के लिए किसी एमबीसी (पोटेंशियल निधि) का आवेदन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जाता है तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यथा प्रयोज्य उक्त निर्देशों के प्रावधान ऐसी कंपनियों के ऊपर लागू होंगे।</p> <p>30 • यह निर्णय लिया गया कि शहरी सहकारी बैंकों के लिये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण लक्ष्य को घटाकर समायोजित बैंक ऋण (ए बी सी) के 40 प्रतिशत तक (कुल ऋण और अग्रिम तथा शहरी सहकारी बैंक द्वारा गैर एसएलआर बांड में निवेश सहित) अथवा तुलन-पत्र ऋण से इतर (ओ बी ई) के ऋण के समान राशि में से पिछले वर्ष के 31 मार्च को जो राशि अधिक हो, किया जाए।</p>
दिसंबर	<p>4 • राज्य सहकारी/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पहले जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सी आर ए आर) के ढांचे से बाहर थे। संपूर्ण प्रणाली की वित्तीय स्थिरता के संबंध में उनके पूंजीगत ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सहकारी/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार अपनी जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (सी आर ए आर) का प्रकटीकरण करें और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपने तुलन-पत्र में इसे "लेखों पर टिप्पणियां" में प्रकट करें।</p> <p>12 • वाणिज्य बैंकों/प्रायोजक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां क्षेत्र को आगे ऋण प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों/प्रायोजक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण को वाणिज्यिक बैंकों/प्रायोजित बैंकों के बुक में कृषि के लिए अपरोक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों/प्रायोजित बैंकों से उधार ली गयी ऐसी निधियों से उधार दी गई राशि को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।</p> <p>14 • अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि जमाकर्ताओं के हित में जहां अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमाकर्ता द्वारा किये गये दावे पर परिपक्वता पर ब्याज सहित जमा राशियां चुकाने में फेल हो जाती है तो उसे निर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से ब्याज अदा करना पड़ेगा।</p>

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2007	III. वित्तीय क्षेत्र के उपाय (जारी)
दिसंबर	20 <ul style="list-style-type: none"> सभी राज्य सहकारी बैंकों को सूचित किया कि कापॉरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, स्थिर विकास और गैर वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दें और अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्थिर विकास में सहयोग के लिए उपयुक्त एवं उचित कार्य-योजना लायें।
2008	8 <ul style="list-style-type: none"> बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के साथ धारा 17(2) के तहत, जब भी कोई बैंकिंग कंपनी अपनी आरक्षित निधि से किसी राशि अथवा राशियों का विनियोग करती है, उसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास तथ्य के साथ 21 दिन के भीतर विनियोग की परिस्थिति का विवरण देते हुए रिपोर्ट करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षित निधि से यह राशि विवेकपूर्ण ढंग से निकाली गयी है और यह विनियामक निर्देशों का उल्लंघन नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया कि सांविधिक आरक्षित निधि अथवा अन्य आरक्षित निधि से विनियोग किये जाने से पूर्व रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करें। ऐसी आरक्षित निधियों से राशि निकालने के बारे में तुलन-पत्र में प्रकटन पर भी दिशानिर्देश जारी किये गये।
फरवरी	15 <ul style="list-style-type: none"> केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से रिजर्व बैंक ने बंधक गारंटी कंपनियों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में अधिसूचित किया। इसके अलावा बंधक गारंटी कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-1क (पंजीकरण की आवश्यकता), धारा 45-1ख (तरल आस्तियां रखना) और धारा 45-1ग (निवल लाभ का एक निश्चित प्रतिशत सृजित की गयी आरक्षित निधि में अंतरित करना) के प्रावधानों से छूट दी गयी है।
15	<ul style="list-style-type: none"> बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण और परिचालन से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत तथा उन पर लागू विवेकसम्मत मानदंड तथा निवेश निर्देश जारी किये गये।
18	<ul style="list-style-type: none"> अपने ग्राहक को जानिए संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को पूर्व में सूचित किया गया था कि पहचान का तात्पर्य ग्राहकों पहचानना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत, दस्तावेजों, डाटा अथवा संतोषजनक जानकारी के माध्यम से उसकी पहचान की पुष्टि करना है। ग्राहक पहचान के लिए विश्वसनीय जानकारी/ दस्तावेजों का प्रकार और प्रवृत्ति की सांकेतिक सूची भी दी गयी थी। यह देखा गया कि कुछ बैंक इस सांकेतिक सूची को व्यापक सूची मानते हैं और इसके परिणामस्वरूप जनता के एक वर्ग को बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति से वंचित रखा जाता है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में जारी आंतरिक अनुदेशों की समीक्षा करें। बैंक को यह भी सूचित किया गया कि वे कम से कम एक बार की अवधिकता पर ग्राहकों की जोखिम श्रेणी निर्धारण की समीक्षा करें। फोटो सहित ग्राहक पहचान संबंधी सूचनाओं को अद्यतन बनाने की आवश्यकता कम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में पांच वर्ष में कम से कम एक बार और अधिक तथा मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में दो वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि आतंकवादियों से संबंध रखने वाले संदिग्ध खातों की बेहतर निगरानी के लिए समुचित नीतिगत ढांचे के माध्यम से उचित पद्धति विकसित करें। इसी प्रकार के दिशानिर्देश शहरी सहकारी बैंकों को भी 25 फरवरी 2008 को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 27 फरवरी 2008 को जारी किये गये।
19	<ul style="list-style-type: none"> मुर्गियों के मारे जाने तथा पोल्ट्री उत्पादों एवं मूल्यों की मांग में भारी कमी के कारण आय में कमी को दृष्टिगत रखते हुए पोल्ट्री उद्योग को राहत देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मागदर्शी सिद्धांत जारी किये गये।
मार्च	5 <ul style="list-style-type: none"> रिजर्व बैंक में पंजीकृत प्रतिभूतिकारी कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे वार्षिक महासभा की बैठक, जिसमें लेखापरीक्षित परिणाम अपनाये गये, की तारीख से एक महीने के भीतर निदेशकों/लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2008 के तुलन-पत्र से प्रारंभ करते हुए लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों की एक प्रति प्रस्तुत करें। जमा राशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) को सूचित किया गया था कि यदि धोखा देने के इरादे का संदेह हो या इरादा सिद्ध हो जाए तो 'लापरवाही और नकद में कमी' तथा विदेशी मुद्रा लेन-देनों में अनियमितताओं को धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया जाए।
10	<ul style="list-style-type: none"> यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंकों के समान सहकारी पहल से ग्राहक देश में स्थित किसी भी एटीएम का उपयोग कर सकें, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को निदेश दिया गया कि वे ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम को किसी भी उद्देश्य के लिए निःशुल्क प्रयोग करने तथा किसी अन्य बैंक के एटीएम को खाली का बैलेंस जानने के लिए निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति दें। इसके अलावा, बैंकों यह भी अनुदेश दिया गया कि 23 दिसंबर 2007 को लागू प्रभारों को न बढ़ाएं तथा जो बैंक एक संव्यवहार के लिए 20 रुपए से अधिक प्रभार ले रहे थे वे 31 मार्च 2008 तक अपने प्रति संव्यवहार प्रभार को कम करके 20 रुपए तक लाएं और 1 अप्रैल 2009 से सभी संव्यवहार मुफ्त कर दिये जाएं। इसी प्रकार के दिशानिर्देश 13 मई 2008 को राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को जारी किये गये। सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि 10 अप्रैल 2008 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं जैसे बैंक/प्राथमिक व्यापारी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मध्य होनेवाले एक करोड़ रुपए और उसे अधिक के भुगतान संव्यवहारों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों जैसे मुद्रा बाजार सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा विनियम बाजार के मध्य एक करोड़ और उसे अधिक रुपए के भुगतानों को भी 1 अप्रैल 2008 से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।
अप्रैल	8 <ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेपर आधारित प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर अंतरण हेतु गठित आंतरिक कार्य दल की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि 1 करोड़ रुपए और उसे अधिक के बड़ी राशि के भुगतानों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से ही किया जाए।

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2008	III. वित्तीय क्षेत्र के उपाय (जारी)
अप्रैल	<p>10 • डीआरआइ योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए संशोधित आय मापदंड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किये गये। तदनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 24,000 रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय वाले उधारकर्ता अब यह सुविधा लेने के लिए पात्र होंगे।</p> <p>15 • स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों की संपूर्ण ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया, जैसा कि वर्ष 2008-09 के वित्तमंत्री के यूनियन बजट भाषण में बताया गया था।</p> <p>• सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु नयी स्वरोजगार योजना विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत बैंकों को जारी किये गये।</p> <p>17 • भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि लेखांकन पद्धति से जुड़े मामले एससीएसएस के अंतर्गत खातों के अंतरण के मामले एक एजेंसी बैंक से दूसरे एजेंसी बैंक/ डाक घर की जांच वित्त मंत्रालय द्वारा की गयी। मंत्रालय ने एससीएसएस एजेंसी बैंक/डाक घर अंतरण के अंतर्गत खाता अंतरण के लिए पीपीएफ योजना के लिए अपनाई जानेवाली पद्धति के समान पद्धति को अपनाने का अनुमोदन किया बशर्ते अंतरण शुल्क का भुगतान उपर्युक्त योजना के संबंधित नियमों पर लागू शुल्क के अनुसार हो। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अपनाई जानेवाली पद्धतियों की निदर्शनात्मक सूची अधिसूचित की।</p> <p>22 • प्रतिभूति रसीदों में निवेश करने के बारे में सुविचारित निर्णय लेने में निवेशकों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रतिभूतिकारी कंपनियों /पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा आस्तियों के अंतर्निहित समूह के संबंध में दिये जानेवाले प्रकटीकरण में आस्तियों के अधिग्रहण की तारीख, आस्तियों का मूल्यन और प्रतिभूति रसीदों को जारी करते समय ऐसी आस्तियों में प्रतिभूतिकारी कंपनियों /पुनर्निर्माण कंपनियों का हित शामिल रहेगा।</p> <p>24 • बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों को नियोजित करने के विरुद्ध विवादों और कानूनी कार्यों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर महसूस किया गया कि नकारात्मक प्रचार से समग्र बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठा का गंभीर जोखिम हो सकता है। इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में भारत में बैंकों द्वारा नियोजित किये जानेवाले वसूली एजेंटों से संबंधित नीति, प्रथा और पद्धति पर प्रतिक्रियाओं के लिए रिजर्व बैंक ने विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये।</p> <p>• यह निर्णय लिया गया कि बैंकों को पहले से ही अनुमति प्राप्त संस्थाओं के साथ-साथ सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों/भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में नियोजित करने की अनुमति तत्काल प्रभाव से दी जाए, बशर्ते इसमें समुचित सावधानी बरती जाए। ऐसे व्यक्तियों को बीसी के रूप में नियुक्त करते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि बीसी का कार्य करनेवाले ये व्यक्ति उस क्षेत्र के ही स्थायी निवासी हों और एजेंसी जोखिम को कम करने के लिए उचित अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी अपनाए जाएं।</p>
मई	<p>2 • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों की शिकायतें प्राप्त करने और उन्हें दूर करने के लिए एक समुचित व्यवस्था है जिसमें ऐसी शिकायतों को निष्पक्ष रूप से तथा तेजी से हल करने पर विशेष जोर दिया जाता है।</p> <p>• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक नीति तैयार करने के लिए सूचित किया गया था जो उन्हें खोए हुए व्यक्तियों के दावों को निपटाने में सक्षम बनाएगी।</p> <p>6 • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया था कि वे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जीसीसी के अंतर्गत बकाया क्रेडिट का 100 प्रतिशत और 'नो-फ्रिल' खातों के विरुद्ध प्रदत्त 25,000 रुपए (प्रति खाते) तक के ओवरड्राफ्टों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत करें।</p> <p>• अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया था कि वे कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले उधारों में कमी को अप्रैल 2009 से आरआइडीएफ अथवा वित्तीय संस्थाओं के यहां निधियों में अंशदान देने हेतु राशि आर्बिट्रित करने के प्रयोजन से इसे भी हिसाब में लेंगे।</p> <p>8 • कानूनी और अन्य बाहरी कारणों से बुनियादी संरचना परियोजनाओं के पूरी होने में विलंब के संबंध में किये गये प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयनाधीन बुनियादी संरचना परियोजनाओं हेतु आस्ति वर्गीकरण मानदंड 31 मार्च 2008 से आशोधित किये गये। संशोधित मानदंडों में यह निर्दिष्ट किया गया कि यदि कोई बुनियादी संरचना परियोजना बैंक द्वारा 28 मई 2002 के बाद वित्तपोषित की गई है तो परियोजना के वित्तीय रूप से बंद होने के समय इस परियोजना के पूर्ण होने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए और यदि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख परियोजना पूरी होने की तारीख के बाद 2 वर्ष (एक वर्ष के पिछले मानदंड की तुलना में) की अवधि से अधिक खिंच जाती है, जैसा कि मूलतः परिकल्पित किया गया था, यह खाता अवमानक खाता माना जाना चाहिए।</p> <p>22 • 'अपने ग्राहक को जानिए मानदंड' और 'धन शोधन निवारण उपाय' पर जारी पूर्व दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों के लिए जरूरी है कि जोखिम वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक ग्राहक का प्रोफाइल तैयार करें। समय-समय पर जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा करने पर जोर दिया गया। बैंकों से यह भी कहा गया कि संव्यवहार निगरानी पद्धति के रूप में बैंक समुचित अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग में लायें जो असंगत जोखिम वर्गीकरण वाले संव्यवहार आने पर सचेत करें और ग्राहकों का प्रोफाइल अद्यतन करें।</p> <p>• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 60 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक मात्रा में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये अपने उधारों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत उनके द्वारा धारित ऋण आस्तियां बेचने की अनुमति दी गई है।</p> <p>23 • वित्तमंत्री ने अपने 2008-09 के बजट के भाषण में किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना की घोषणा की थी। इस बारे में विस्तृत योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित की गई। बैंकों को सूचित किया कि ऋण माफी और ऋण राहत योजना का कार्यान्वयन 30 जून 2008 तक पूरा हो जाना चाहिए।</p>

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2008	III. वित्तीय क्षेत्र के उपाय (समाप्त)
मई	<p>26 • वर्ष 2008-09 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार ऑन-साइट एटीएम को खोलने के लिए पात्रता मानदंडों को उदार बनाया गया। तदनुसार, राज्य में दर्ज शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अथवा बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और श्रेणी III और IV के अलावा अन्य श्रेणी में वर्गीकृत हैं, ऐसे शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर ऑनसाइट एटीएम स्थापित कर सकते हैं।</p>
जून	<p>2 • कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के सुचारु कार्यान्वयन हेतु परिचालनगत अनुदेश जारी किये गये। तदनुसार, प्राथमिक सहकारी बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि बैंक अपने प्रधान कार्यालय के माध्यम से 30 सितंबर 2008 तक भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में संपूर्ण बैंक के लिए एकबारगी समेकित दावा प्रस्तुत करें। दावों, डाटा रखरखाव, कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी, दावों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के बारे में भी दिशानिर्देश जारी किये गये।</p> <p>4 • वर्षों के दौरान यह देखा गया है कि भारत सरकार ने समय-समय पर कई ऐसी विशेष प्रतिभूतियां जारी की हैं जो वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू एसएलआर आवश्यकता के अनुपालन हेतु पात्र नहीं होती हैं। ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों का नियमन अलग नियमों और शर्तों से होता है और इसके लिए उच्च अ-तरलता की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इस प्रकार की गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के मूल्यन के संबंध में फिम्मडा ने दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर अर्जित लाभ से 50 बेसिस प्वाइंट अधिक लगाकर किया जाता है। इन विशेष प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के मुद्दे पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा सीधे ही हिताधिकारी संस्थाओं को जारी सभी गैर-एसएलआर विशेष प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ से 25 बीपीएस अधिक के स्प्रेड पर किया जाए। यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रभावी होगा। इसी प्रकार का परिपत्र राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 23 जून 2008 को जारी किया।</p> <p>• बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि तृतीय पक्ष चेक सहित चेक बुक सुविधा, एटीएम, नेट बैंकिंग, लॉकर, फुटकर ऋण, क्रेडिट कार्ड, इत्यादि सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी पक्षपात के और बिना चूक किए दृष्टिहीनों को दी जाती हैं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपनी शाखाओं को दृष्टिहीनों को विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने में हर संभव सहायता प्राप्त प्रदान करने के अनुरोध दें।</p> <p>17 • जमाराशियां स्वीकार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनकी निवल स्वाधिकृत निधियां बढ़ाकर कम से कम 200 लाख रुपए करके वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में नपे-तुले कदम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और 200 लाख रुपए से कम की न्यूनतम निवल स्वधिकृत निधियां रखनेवाली एनबीएफसी-डी को सूचित किया गया था कि वे अपने पास इस समय जो भी जमाराशियां हैं उन पर इसी स्तर पर उनकी निकासी पर रोक लगा दें और निर्दिष्ट की गयी संशोधित उचित सीमा तक जनता जमा राशियों का स्तर और नीचे लाएं।</p> <p>18 • पूर्व में जारी किये अनुदेशों के तहत यह फिर से दोहराया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में संव्यवहार निगरानी पद्धति के रूप में एक उचित अप्लीकेशन साफ्टवेयर लगाने की आवश्यकता है जो जोखिम वर्गीकरण के अनुसार असंगत संव्यवहार होने पर सचेत करे और ग्राहकों का प्रोफाइल अद्यतन करे।</p> <p>30 • शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट संशोधित किये गये। तदनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक आधार पर 15 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को संशोधित फार्मेट में डाटा भेजें।</p>
जुलाई	<p>3 • कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के अनुसार भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि: "यदि ऋण मुर्गी पालन या भेड़ पालन अथवा सुअर पालन या पशु फार्म के लिए दिया गया है और इस ऋण की राशि का एक हिस्सा शेड, बाड़ा, बाड़ बनाने आदि के लिए उपयोग किया गया है तो समस्त संयुक्त ऋण राशि को 'पात्र राशि' के रूप में गणना करने के प्रयोजन से हिसाब में लिया जाएगा जैसा कि योजना में परिभाषित किया गया है। यदि यह ऋण केवल बाड़ बनाने या शेड आदि बनाने के लिए है तो ये उसमें शामिल नहीं किये जायेंगे।" तदनुसार, इस योजना से संबंधित पहले वाला परिपत्र आशोधित कर दिया गया।</p> <p>9 • राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि सभी बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि थर्ड पार्टी चेकों सहित चेक बुक सुविधा, एमटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, फुटकर ऋण, क्रेडिट कार्ड, आदि सुविधाएं अनिवार्य रूप से बिना किसी भेदभाव के अंध व्यक्तियों को भी दी जानी चाहिए। राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपनी सभी शाखाओं को भी सूचित कर सकते हैं कि वे इन विभिन्न सुविधाओं को लेने के लिए अंध व्यक्तियों को सभी संभव सहायता दें। इसी प्रकार का परिपत्र 23 जुलाई 2008 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी जारी किया गया था।</p> <p>15 • पूंजी निधियां (टीयर I और टीयर II) जुटाना सुगम बनाने के उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे अधिमान शेर अर्थात (i) स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेर (पीएनसीपीएस), (ii) स्थायी संचयी अधिमान शेर (पीसीपीएस), (iii) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेर (आरएनसीपीएस) और (iv) प्रतिदेय संचयी अधिमान शेर (आरसीपीएस) जारी कर सकते हैं। इसके अलावा शहरी सहकारी बैंकों को यह भी अनुमति दी गयी है कि वे पांच वर्ष से कम नहीं अवधि वाली मीयादी जमाराशियां जुटा सकते हैं जो टीयर II पूंजी के रूप में माने जाने के लिए पात्र होंगी।</p> <p>31 • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु आस्थगित कर देयता (डीटीएल) खाते में रखी गई शेष राशि टीयर I या टीयर II पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र नहीं होगी क्योंकि यह पूंजी की पात्र मद नहीं है। इसके अलावा, आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) अमूर्त आस्ति के रूप में मानी जाएगी और इसे टीयर I पूंजी से काटा जाना चाहिए।</p>

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
	IV. पूंजी बाजार नीतियां
	क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)
2007	
अप्रैल	<p>16 • सेबी ने निधियों को रखने, पारस्परिक निधियों द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अल्पकालिक जमाराशियों में विलंबित नियोजन के लिए दिशानिर्देश तय किये।</p> <p>20 • सेबी ने सहमति आदेशों और अपराध तय करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत यदि किसी पार्टी के विरुद्ध निर्णयादेश लंबित है, सेबी एक सहमति आदेश पैनल का गठन करेगा। जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज होंगे तथा दो बाहरी विशेषज्ञ सदस्य होंगे जो आवेदन पत्र की जांच करेंगे और सहमति शर्तों के अनुरूप उचित आदेश जारी करने के लिए इस पर अपनी अनुशंसा को निर्णयादेश अधिकारी के पास प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>26 • सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों को तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाता की प्रति और निदेशकों की रिपोर्टों को भेजने के बजाए प्रत्येक शेयर-धारक को लाभ-हानि खाता, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और संपूर्ण एवं पूरे तुलन-पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं वाले विवरण भेजने की अनुमति दी।</p> <p>27 • प्रतिभूति बाजारों में सभी प्रकार के लेन-देनों के लिए स्थायी खाता संख्या को एक मात्र पहचान संख्या बनाया गया।</p> <p>30 • सेबी ने (प्रकटन और निवेश सुरक्षा) दिशानिर्देश, 2000 में संशोधन किया जिसके तहत आई पी ओ की ग्रेडिंग को अनिवार्य किया गया और 6 माह से कम अवधि में दर्ज हुई कंपनियों को अधिमान आर्बटन द्वारा मुद्रा एकत्रित करने की अनुमति दी।</p>
मई	<p>11 • संविभाग प्रबंधकों हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण से संबंधित दिशानिर्देश स्पष्ट किये गये। यदि नवीनीकरण का आवेदन सेबी के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति के दिनांक तक नहीं पहुंचता है, संविभाग प्रबंधक को उसी दिनांक से पद छोड़ना होगा। इसके अलावा समाप्ति दिनांक से संविभाग प्रबंधक के क्रियाकलापों को तुरंत बंद करना होगा और अपने कारोबार को या सेबी में पंजीकृत अन्य संविभाग प्रबंधक को सौंपेगा अथवा ग्राहक की इच्छानुसार उसे प्रतिभूतियां और निधियों को आहरित कर अपनी अभिरक्षा में लेने की अनुमति देगा। यदि संविभाग प्रबंधक उपरोक्तानुसार अनुपालन नहीं करता, इसे धारा 12 का उल्लंघन माना जाएगा और सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।</p> <p>14 • सेबी ने निर्णय लिया कि पारस्परिक निधियां 4 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के अंतर्गत एडीआर/जीडीआर/विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे। इसक साथ व्यक्तिगत पारस्परिक निधियों के लिए उप सीमा भी होगी, जो उस वर्ष की 31 मार्च को उनकी निवल आस्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक न हो और प्रति पारस्परिक निधि अधिकतम सीमा 200 मिलियन अमरीकी डालर तक होगी।</p>
जून	<p>25 • स्थायी खाता संख्या (पीएएन) को एक मात्र पहचान संख्या बनाने के बाद में सेबी ने विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) को सेबी (बाजार सहभागियों के केंद्रीय आंकड़ा आधार का विनियमन), 2003 (एमएपीआईएन विनियमन)/परिपत्र के तहत बंद कर दिया।</p> <p>27 • सेबी ने निधि योजनाओं की निधियों का निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) को अपलोड करने की समय सीमा को एएमएफआई की वेबसाइट के लिए आगामी कारोबार दिवस के पूर्वाह्न 10.00 बजे तक कर दिया। ऐसा पारस्परिक निधियों द्वारा इन योजनाओं की निवल आस्ति मूल्य को अपलोड करने में महसूस की जा रही व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुए किया गया।</p>
जुलाई	<p>5 • द्विमासिक अनुपालन परीक्षण रिपोर्ट (सीटीआर) का सरलीकरण किया गया। सेबी ने निर्णय लिया है कि संपूर्ण सीटीआर को सेबी के पास फाईल करने के बजाए, आस्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) द्विमासिक आधार पर अपवादात्मक रिपोर्टिंग करेंगी, जबकि सीटीआर का प्रारूप और विषय-वस्तु वही रहेगी। आस्ति प्रबंधन कंपनियां सीटीआर के अपवाद रिपोर्ट करेंगी अर्थात् आस्ति प्रबंधन कंपनियों केवल वही बातें रिपोर्ट करेंगी जिनका अनुपालन उन्होंने नहीं किया है।</p> <p>10 • सरकारी कंपनियों/निगमों, सांविधिक प्राधिकरणों/निगमों अथवा उनमें से किसी के द्वारा गठित किसी विशेष प्रयोजन के साधन, जो आधारभूत क्षेत्र में कार्यरत हो, द्वारा भारतीय प्रारंभिक बाजार से आईपीओ द्वारा निधियां जुटाना सुगम बनाने के लिए सेबी ने सेबी (प्रकटन और निवेश सुरक्षा) दिशानिर्देश, 2000 के कंपनियों द्वारा मूल्यन, प्रवर्तकों के अंशदान, लॉक-इन आवश्यकताओं और निर्गमों संबंधी अन्य अपेक्षाओं के कतिपय प्रावधानों को संशोधित करने का निर्णय लिया।</p> <p>• स्टॉक एक्सचेंज को वित्तीय परिणाम भेजने के प्रारूपों और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत और सरलीकृत करने के लिए सेबी ने वर्तमान सूचीकरण करार के खंड 41 को बदलने का निर्णय लिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने और परिणाम प्रकाशित करने से संबंधित संशोधित खंड में अनेक संशोधन किए गए।</p>
अगस्त	<p>6 • सेबी ने निर्णय लिया है कि ऋण-पत्र जारी करने वाली कंपनियां और ऋण-पत्र न्यासी/स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों और जन सामान्य को ऋण-पत्रों के बारे में जानकारी प्रसारित करेंगी।</p> <p>9 • सेबी ने उद्यम पूंजी निधियों द्वारा किये जाने वाले समुद्रपारीय निवेश हेतु दिशानिर्देश जारी किये।</p>
सितंबर	<p>7 • सेबी (बाजार सहभागियों के केंद्रीय आंकड़ा आधार का विनियमन), 2003 (एमएपीआईएन विनियमन)/ परिपत्र के अंतर्गत विशेष पहचान संख्या को बंद करने के प्रकाश में सेबी ने निक्षेपागारों को लाभकारी स्वामी खाता (बीओ) खोलने के समय पहचान के साक्ष्य हेतु एक दस्तावेज के रूप में (मापिन कार्ड) को स्वीकार करने की प्रथा बंद करने की सलाह दी।</p> <p>11 • सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को व्युत्पन्न खंड में सौदों के मार्जिन के संपाशिवक के रूप में एएए-रेटेड विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की।</p>

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2007	IV. पूंजी बाजार नीतियां (जारी)
सितंबर	26 <ul style="list-style-type: none"> पारस्परिक निधियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश में सहूलियत देने के लिए सेबी ने समुद्रपारीय निवेश में 5 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र उच्चतम सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया। 5 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा के भीतर पारस्परिक निधियां विदेशी निवेश कर सकते हैं बशर्ते वह प्रति पारस्परिक निधि 300 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो। समुद्रपारीय एक्सचेंज में सौदा किये जाने वाली प्रतिभूतियों में निवेश करने वाली निधियों के लिए समग्र उच्चतम सीमा 1 बिलियन अमरीकी डालर रखी गयी, बशर्ते प्रति पारस्परिक निधि यह 50 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो।
अक्टूबर	25 <ul style="list-style-type: none"> सेबी ने अविनियमित विदेशी संस्थाओं को पार्टिसिपेटरी-नोट जारी करने पर रोक लगाने के प्रस्ताव की पुष्टि की। सेबी ने पंजीकरण रूट से अधिक से अधिक निवेशकों को लाने के उद्देश्य से एफ आई आई पंजीकरण मानदंड में विभिन्न परिवर्तनों को सहमत दी।
नवंबर	29 <ul style="list-style-type: none"> सेबी ने ईक्विटी इंडिसेस, दीर्घावधि ऑप्शन, अस्थिरता सूचकांक एवं फ्यूचर्स और ऑप्शन सांविदा, एक्सचेंज में सौदा किये जाने वाले करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शन पर लघु संविदाओं से संबंधित नये व्युत्पन्नी उत्पादों के लिए अनुमति प्रदान की।
दिसंबर	3 <ul style="list-style-type: none"> सेबी ने सेबी (प्रकटन और निवेशक सुरक्षा) (डीआईपी) दिशानिर्देश, 2000 के अंतर्गत जारी होने वाले कार्पोरेट बांड से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया।
	20 <ul style="list-style-type: none"> सेबी ने बृहद ढांचे के अंतर्गत सभी श्रेणी के निवेशकों को शार्ट सेल करने की अनुमति प्रदान की। सेबी ने "प्रतिभूति ऋण स्कीम, 1997" के समग्र फ्रेमवर्क के अंतर्गत बाजार के सभी सहभागियों के लिए एक स्वयंपूर्ण प्रतिभूति ऋण और उधार स्कीम (एसएलबी) स्थापित करने का निर्णय भी लिया। इसके साथ ही अप्रतिभूति शॉर्ट सेलिंग की अनुमति नहीं दी गयी और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए दिन की ट्रेडिंग वर्जित की गयी।
	27 <ul style="list-style-type: none"> सेबी ने इश्यू प्राप्ति और कार्पोरेट फाईलिंग एण्ड डिस्सेमिनेशन सिस्टम (सीएफडीएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के उपयोग की निगरानी से संबंधित ईक्विटी सूचीकरण करार में संशोधन किया। सेबी ने सूचकांक पर लघु व्युत्पन्न संविदा की शुरुआत की। लघु व्युत्पन्न संविदाओं में बाजार में शुरुआत में न्यूनतम एक लाख की संविदाएं शामिल है।
2008	
जनवरी	11 <ul style="list-style-type: none"> सेबी ने इंडिसेस और 5 वर्ष (60 माह) तक की अवधि वाले स्टॉक पर ऑप्शन संविदा को शुरू करने की अनुशांसा की।
	15 <ul style="list-style-type: none"> सेबी द्वारा नियुक्त व्युत्पन्न संविदा समीक्षा समिति ने अस्थिरता सूचकांक और इसमें फ्यूचर एवं ऑप्शन की शुरुआत करने की अनुशांसा की।
	31 <ul style="list-style-type: none"> सीमित अवधि वाली योजनाओं में निवेशकों से लिए जाने वाले प्रभारों पर पारदर्शिता और स्पष्टता लाने के लिए सेबी ने निर्णय लिया कि प्रारंभिक इश्यू व्ययों के प्रभार और उसके ऋण परिशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा। इसके साथ ही सभी पारस्परिक निधि योजनाओं से कहा गया कि वे बिक्री, मार्केटिंग और अन्य एंटी लोड योजनाओं की बिक्री और वितरण से जुड़े ऐसे खर्चों को वहन करें। सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों/ सरकारी प्रतिभूतियों के उप खातों/खजाना बिलों के माध्यम से होने वाले निवेश के लिए उपलब्ध संचयी ऋण निवेश सीमा को बढ़ाकर 3.2 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया।
मार्च	12 <ul style="list-style-type: none"> शेयर बाजारों के परामर्श से सेबी ने निर्णय लिया कि विलय, विलगाव, सम्मेलन, पूंजी न्यूनीकरण और व्यवस्था योजना के मामलों में कंपनी अधिनियम और/या न्यायालयों द्वारा दी गयी स्वीकृतियों के अनुसार, रूग्ण औद्योगिक कंपनियों अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेजों तथा रिजर्व बैंक के कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष द्वारा कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्था पैकेजों के अंतर्गत ट्रेडिंग शुरू होने/फिरसे शुरू होने के पहले दिन पर कोई प्राइस बैंड रखने की आवश्यकता नहीं है। यह प्राइस बैंड सभी अन्य मामलों में पहले दिन बनाये रखा जा सकता है।
	17 <ul style="list-style-type: none"> सेबी ने पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआइबी) की परिभाषा में राष्ट्रीय निवेश निधि को शामिल किया है।
	18 <ul style="list-style-type: none"> प्रमुख परिचालन क्षेत्रों के मानकीकरण के संबंध में एएमएफआइ कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) बोनस यूनितों और लाभांश के पुनर्निवेश पर आर्बिट्रियर यूनितों पर कोई भी प्रवेश तथा निकास भार प्रभारित नहीं करेंगी।
	19 <ul style="list-style-type: none"> सेबी ने यह निर्णय लिया कि 21 अप्रैल 2008 से नकद बाजार में सभी संस्थागत सौदे मार्जिन की अदायगी के अधीन होंगे जैसा कि अन्य निवेशकों के लेनदेनों पर लागू होता है। तथापि, नकद बाजार में संस्थागत सौदों के सामने-सामने मार्जिन के कार्यान्वयन के संबंध में बाजार सहभागियों द्वारा व्यक्त की जा रही कठिनाईयों के आलोक में सेबी ने 22 मई 2008 के परिपत्र के अनुसार इसे विलंबित रखने का निर्णय लिया। तदनुसार, नकद बाजार में संस्थागत सौदों में अगले निर्देशों तक टी+1 आधार पर मार्जिन लगाया जाना जारी रहेगा। सेबी निर्णय लिया कि 21 अप्रैल 2008 से सभी बाजार सहभागियों के लिए शॉर्ट सेलिंग और प्रतिभूति उधार लेने और देने की योजना चालू कर दी जाए।
अप्रैल	03 <ul style="list-style-type: none"> सिक्किम में रहने वाले निवेशकों को पारस्परिक निधियों में उनके निवेश के लिए पैन की अधिदेशात्मक अपेक्षा से छूट दी गयी।
	07 <ul style="list-style-type: none"> सेबी द्वारा प्रस्ताव दस्तावेजों के लिए फाईलिंग शुल्कों को संशोधित करके घटाया गया।
	08 <ul style="list-style-type: none"> सेबी ने पारस्परिक निधियों द्वारा किये जाने वाले समुद्रपारीय निवेश की सकल सीमा बढ़ाकर 7 बिलियन अमरीकी डालर कर दी।

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2008	IV. पूंजी बाजार नीतियां (समाप्त)
अप्रैल	<p>09 • सेबी ने सूचीकरण करार के खंड 49 में स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में निर्दिष्ट किये गये प्रावधान संशोधित कर दिये।</p> <p>16 • पारस्परिक निधियों को सरकारी प्रतिभूति बाजार के लिए डीवीपी III स्वरूप में संविदागत खरीद के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री को अनुमति प्रदान की गई।</p> <p>• सेबी ने भूसंपदा पारस्परिक निधियां शुरू करने के लिए पारस्परिक निधियों को अनुमति देने हेतु (पारस्परिक निधि) विनियमावली, 1996 को संशोधित किया।</p> <p>17 • सेबी द्वारा नकदी बाजार के लिए व्यापक जोखिम प्रबंध ढांचे हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए।</p> <p>30 • सेबी ने पारस्परिक निधियों के मासिक संचयी रिपोर्ट के फॉर्मेट को संशोधित किया।</p>
मई	<p>05 • नकदी और व्युत्पन्नी खंडों में क्रॉस मार्जिनिंग की अनुमति दी गई।</p> <p>06 • सेबी ने मार्चट बैकरोर द्वारा सूचना की छमाही रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया। तदनुसार, ये रिपोर्टें केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही प्रस्तुत की जानी हैं। सेबी ने निर्गम के बैकरोर और डिबेंचर ट्रस्टियों के संबंध में सूचना की रिपोर्टिंग का भी सरलीकरण किया।</p> <p>29 • सेबी (एफआइआइ) विनियमन, 1995 संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत आस्ति प्रबंध कंपनी निवेश प्रबंधक अथवा अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वाधिकृत संविभाग प्रबंधक इस शर्त के अधीन विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र होंगे कि वे अपनी स्वाधिकृत निधियों का निवेश नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त उन प्रतिभूतियों के प्रकार जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों को निवेश करने की अनुमति दी गई थी, उसे संयुक्त निवेश योजना द्वारा परिचालित योजनाओं को शामिल करने के लिए व्यापक बना दिया गया।</p>
जून	<p>06 • सरकारी प्रतिभूतियों और कंपनी ऋण में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों के लिए संचयी ऋण निवेश सीमा को 3.2 बिलियन अमरीकी डालर तथा 1.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाते हुए क्रमशः 5 बिलियन अमरीकी डालर और 3 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया।</p> <p>19 • सेबी (मध्यवर्ती संस्था) विनियमावली, 2008 जारी की गयी जो द्वारा सभी मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए लागू एक व्यापक विनियम पंजीकरण प्रथाओं को सरल बनाती है।</p> <p>• सेबी ने सेबी (प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों का सार्वजनिक प्रस्ताव और सूचीकरण) विनियमावली, 2008 जारी की।</p> <p>• सेबी ने किसी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सांविधिक निगमों द्वारा जारी की गई गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और सूचीकरण के लिए सरलीकृत विनियामक ढांचा उपलब्ध कराने हेतु ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण विनियमन अधिसूचित किया।</p>
जुलाई	<p>30 • सेबी ने स्पष्ट किया कि प्रतिभूति बाजारों में लेनदेन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और न्यायालय के अधिकारियों के मामले में पैन का आग्रह नहीं किया जाए।</p> <p>07 • सेबी ने सभी पंजीकृत मध्यवर्ती संस्थाओं को अनुदेश दिया कि वे विनियामक संचार के लिए एक प्राधिकृत ई-मेल आइडी सृजित करें। यह स्पष्ट किया गया कि वह ई-मेल आइडी केवल उपर्युक्त प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आइडी होगी और वह कोई व्यक्ति केंद्रित ई-मेल आइडी नहीं होगी।</p> <p>23 • सेबी ने सभी शेअर बाजारों को अनुदेश दिए कि वे कारोबार प्रणालियों की जांच, समाशोधन और निपटान प्रणालियों (समाशोधन निगम/ समाशोधन गृह), जोखिम प्रबंध, डेटाबेस, आपदा बचाव स्थलों, व्यापार निरंतरता आयोजना, सुरक्षा क्षमता प्रबंध और एक वार्षिक आधार पर किसी विख्यात स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अपनी प्रणालियों की सूचना सुरक्षा के संबंध में एक व्यापक लेखा-परीक्षा करवाएं।</p> <p>30 • विद्यमान सार्वजनिक निर्गम प्रक्रिया को और सक्षम बनाने के लिए अपने जारी प्रयास में सेबी ने सार्वजनिक निर्गमों में आवेदन करने की एक अनुपूरक प्रक्रिया अर्थात् "अवरूद्ध राशि समर्थित आवेदन (एएसबीए)" प्रक्रिया को लागू किया। एएसबीए प्रक्रिया बही खाता तैयार (बुक बिल्डिंग) मार्ग के माध्यम से सभी सार्वजनिक निर्गमों में उपलब्ध होगी। यह प्रक्रिया वर्तमान प्रक्रिया के साथ विद्यमान रहेगी।</p>
2008 फरवरी	<p>29 (ख) भारत सरकार</p> <p>• ख) यूनियन बजट 2008-09 में निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किये गये हैं: i) बांड, करेन्सी और व्युत्पन्न बाजार को विकसित करने के लिए उपाय किये जायें जिसमें एक्सचेंज में सौदा किये जाने वाली करेन्सी और ब्याज दर फ्यूचर की शुरुआत करने और समुचित सुरक्षा उपायों के साथ पारदर्शी ऋण व्युत्पन्न बाजार का विकास करना शामिल है; ii) एक पद्धति लाकर घरेलू परिवर्तनीय बांडों की सौदेबाजी बढ़ाना जिससे निवेशक परिवर्तनीय बांड से निहित ईक्विटी ऑप्शन को हटाकर अलग से सौदा कर सकेंगे; iii) वित्तीय लिखतों का उनकी जटिलता और संबद्ध जोखिमों के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए एक बाजार आधारित प्रणाली विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया; iv) एक उचित प्रवेश छूट सीमा के अधीन वित्तीय बाजार में स्थायी खाता संख्या की आवश्यकता सभी लेन-देनों के लिए अनिवार्य बनायी गयी; v) राज्य वित्त मंत्रियों की प्राधिकारी समिति से अनुरोध किया गया कि वह केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रतिभूतियों के लिए समुचित भारतीय बाजार बनाएं जिससे बाजार का आधार बढ़ेगा और राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि होगी; vi) यूलिप के अंतर्गत उपलब्ध आस्ति प्रबंधन सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाय जिससे इसे पारस्परिक निधियों के अंतर्गत उपलब्ध आस्ति प्रबंधन सेवाओं के समकक्ष लाया जाए; vii) स्टॉक/पण्य एक्सचेंजों और समाशोधन गृहों द्वारा उपलब्ध सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाए; viii) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज और डीमेट रूप में जारी कार्पोरेट ऋण लिखतों को टीडीएस से मुक्त किया जाए; ix) मूल कंपनी को अपनी अनुषंगी कंपनी से प्राप्त लाभांश को मूल कंपनी के वितरित लाभांश से अलग करने की अनुमति दी जाए, यदि मूल कंपनी किसी अन्य कंपनी की अनुषंगी नहीं है और प्राप्त लाभांश से लाभांश वितरण कर (डीडीटी) दिया गया है; x) धारा 111ए और धारा 115 एडी के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभों पर लेवी की दर दस प्रतिशत से 15 प्रतिशत बढ़ायी जाए जिससे निवेशकों को दीर्घावधि निवेश के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा; xi) प्रदत्त एसटीटी को कारोबार आय से घटाने योग्य अन्य व्यय की तरह माना जाए। ऑप्शन के मामले में एसटीटी पर लेवी केवल अधिमूल्य पर हो, विकल्प न देने की स्थिति में देयता विक्रेता पर होगी। जहां ऑप्शन का लेन-देन हो, लेवी निपटान मूल्य पर होगी और देयता उत्तरदायित्व खरीदार का होगा। वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन नहीं है।</p>

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
	V. बाह्य क्षेत्र नीतियां
	क) व्यापार नीति
2007 अप्रैल	4 • भारत ने अपने इस निर्णय की घोषणा की कि वह सार्क के अति कम विकसित देशों (एलडीसी), जिनमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव तथा नेपाल शामिल हैं, को भारत में शुल्क रहित पहुंच की अनुमति इस वर्ष के अंत तक दे दी जाएगी।
	19 • भारत से निर्यात को और गति प्रदान करने के उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति (2004-09) का वार्षिक अनुपूरक (2007) जारी किया गया। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न तथा आभूषण, चमड़ा तथा समुद्री क्षेत्रों, तकनीकी तथा ढांचागत उपायों, राजकोषीय उपायों, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा लेनदेन लागत को कम करने जैसे महत्व वाले क्षेत्रों तथा वस्तुओं की पहचान करना शामिल है।
जुलाई	13 • निर्यात में वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने रूपए के मूल्य में बढ़ोतरी के प्रतिकूल प्रभाव को बेअसर करने हेतु एक निर्यात पैकेज की घोषणा की जिसमें 9 क्षेत्रों यथा- वस्त्र, सिले-सिलाए वस्त्रों, चमड़े की वस्तुओं, हस्तशिल्पों, इंजीनियरी उत्पादों, परिष्कृत कृषिगत उत्पादों, समुद्री उत्पादों, खेल की सामग्रियों तथा खिलौनों के लिए ड्यूटी हकदारी पास बुक (डीईपीबी) दरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि करना शामिल है। निर्यातकों के लिए पोतलदान पूर्व तथा पोतलदानोत्तर ऋण की ब्याज दरों में 2 प्रतिशत की कमी की गई। ड्यूटी वापसी दर की वर्तमान दर को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया।
सितम्बर	17 • सरकार ने निर्यातकों द्वारा करयोग्य चार सेवाएं, जो "निविष्ट सेवाओं" के स्वरूप की नहीं थीं परंतु निर्यात वस्तुओं के साथ संबद्ध की जा सकती थीं, के लिए अदा किए गए सेवा कर की वापसी की घोषणा की।
अक्तूबर	6 • भारत सरकार द्वारा निर्यातकों के लिए राहत उपायों की घोषणा की गई जिनमें तीन करयोग्य सेवाएं जो "निर्दिष्ट सेवाओं" की प्रकृति की नहीं हैं, परंतु वस्तुओं के निर्यात के साथ उन्हें जोड़ा जा सकता है, के लिए सेवा कर लौटाना, निर्यातकों के ईईएफसी खातों की शेष राशि पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान, पोतलदान पूर्व तथा पोतलदानोत्तर ऋण पर ब्याज परिदान की अवधि में विस्तारण, चार और क्षेत्रों के लिए ब्याज परिदान का विस्तारण तथा विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाइ) के अंतर्गत व्यापार को कवरेज देना है।
	31 • भारत सरकार ने सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को और गति देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सेवाओं के निर्यातकों को सहायता पहुंचाने हेतु "भारत से सेवा योजना" की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत, 100 से भी अधिक सेवाओं की प्रदाता 'ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप' के लिए पात्र हैं।
नवंबर	7 • रिजर्व बैंक ने स्टेटस होल्डर निर्यातकों से इतर निर्यातकों की सहायता के उद्देश्य से अपरिष्कृत हीरों के आयात बिलों/दस्तावेजों की सीधी प्राप्ति की सीमा 1,00,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 3,00,000 अमरीकी डालर करने की घोषणा की।
	29 • भारत सरकार द्वारा निर्यातकों के लिए राहत उपायों की घोषणा की गई जिनमें वस्त्र से संबंधित कतिपय मदों पर मूल सीमा शुल्क में कटौती करना, वस्त्र क्षेत्र वस्तुओं के उत्पादकों-निर्यातकों को उपलब्ध कराई गई कारोबारी प्रदर्शनी सेवा पर अदा किए गए सेवा कर की वापसी, निर्यात से जुड़े कर योग्य सेवाओं पर निर्यातकों द्वारा अदा किए गए कर की वापसी को दो और कर योग्य सेवाओं के लिए विस्तार करना, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर ऋण पर 2 प्रतिशत (पहले दिए गए 2 प्रतिशत के अतिरिक्त) का अतिरिक्त परिदान देना तथा टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टीईएस) तथा केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के भुगतान में देरी के लिए ब्याज के भुगतान का विस्तारण।
2008	
जनवरी	16 • सभी निर्यातकों/आयातकों के लिए आवश्यक है कि वे व्यापार के संबंध में किसी भी स्ट्रेकधारक से लेनदेन करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोर-बैंकिंग समर्थित केवल एक बैंक खाता रखें और यह व्यवस्था भारत भर में अप्रैल 2008 से लागू होगी।
अप्रैल	11 • भारत सरकार ने क्षेत्र विशिष्ट पहलों, प्रोत्साहनमूलक उपायों, रूपए के मूल्य में वृद्धि के कारण प्रभावित क्षेत्रों हेतु राहत उपायों, लेनदेन लागत कम करने के उपायों तथा युक्तिसंगत सरलीकरण उपायों को लागू करके निर्यात क्षेत्र को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत की विदेशी व्यापार नीति (2004-09) के वार्षिक अनुपूरक (2008) की घोषणा की।
2007	ख) विदेशी मुद्रा बाजार
अप्रैल	5 • उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों जिनके जरिए निर्यात की राशि प्रारंभ में प्राप्त हुई हो, को अनुमति दी गई कि वे भारत से निर्यात की गई वस्तु के खराब गुणवत्ता के कारण पुनः आयात किए जाने की स्थिति में, निर्यात की राशि की वापसी के अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं।
	20 • निधि/गैर-निधि सुविधाओं का लाभ लेनेवाली भारतीय संस्थाओं को कतिपय शर्तों के अधीन अनुमति दी गई कि वे विदेशी संयुक्त उद्यमों/पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में स्थित शेयर गिरवी के जरिए विदेशी उधारदाता को अंतरित कर सकते हैं।
	30 • भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की सीमा, ऋण से संबंधित न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के अनुपालन की शर्त के अधीन, 300 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 400 मिलियन अमरीकी डालर कर दी गई।
	• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को अनुमति दी गई कि वे कार्पोरेटों द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों हेतु किए गए दान के संबंध में प्रेषण कर सकते हैं: (i) भारत से बाहर प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में चेंबर की स्थापना (ii) शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रवर्तित निधियों (जो निवेश निधि न हो) को दान, अथवा (iii) दानकर्ता कंपनी के कार्यकलापों से संबंधित तकनीकी संस्थान अथवा संस्था अथवा एसोसिएशन को दान। इसके लिए शर्त है कि प्रेषण पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा के एक प्रतिशत अथवा 5 मिलियन अमरीकी डालर इनमें से जो राशि कम हो, की सीमा के अंदर हो। भारतीय कंपनियों द्वारा दान हेतु प्रति विप्रेषक/प्रति दानकर्ता प्रति वित्तीय वर्ष 5,000 अमरीकी डालर की वर्तमान सुविधा पहले की तरह यथावत् रहेगी।

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2007	V. बाह्य क्षेत्र नीतियां (जारी)
अप्रैल	<p>30</p> <ul style="list-style-type: none"> • बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश से प्राप्त की गई परामर्शी सेवाओं के लिए प्रेषण की सीमा को प्रति परियोजना 1 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 10 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है। इस प्रयोजन हेतु बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है : (i) ऊर्जा, (ii) टेलिकम्यूनिकेशन, (iii) रेलवे, (iv) पुल सहित सड़क, (v) समुद्री पत्तन तथा एयरपोर्ट, (vi) औद्योगिक पार्क तथा (vii) शहरी बुनियादी ढांचा (जल आपूर्ति, सफाई प्रबंधन तथा मलजल परियोजनाएं)। • भारत में निगमन-पूर्व व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाणन के आधार पर विदेशी मुद्रा प्रेषण की अनुमति दी गई जो भारत में लाए गए निवेश के 5 प्रतिशत तक अथवा 1,00,000 अमरीकी डालर, इनमें से जो भी अधिक हो, हो सकती है। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अधिकार दिया गया कि वे जहाज/कर्मीदल प्रबंधनकर्ता एजेंसियों, जो भारत से बाहर निगमित नौ-परिवहन कंपनियों को सेवाएं देती हैं, को अपने सामान्य कारोबार संबंधी लेनदेनों के प्रयोजन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति दे सकते हैं, (क) ऐसे खातों में जमा विदेशी प्रिंसिपल द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए आवक प्रेषण के जरिए ही किया जा सकेगा; (ख) ऐसे खाते में नामे सामान्य कारोबार के दौरान जहाज/कर्मीदल के प्रबंधन हेतु किए गए विभिन्न व्यय के लिए किया जाएगा; (ग) खाते में स्थित निधि की जमानत पर कोई ऋण सुविधा (निधि अथवा गैर-निधि आधारित) नहीं दी जानी चाहिए; (घ) बैंक को ऐसे खातों के संबंध में निर्धारित रिजर्व रखने संबंधी अपेक्षा को पूरा करना चाहिए; (ङ) खाते में प्राप्त प्रेषणों के लिए ईईएफसी सुविधा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; (च) करार की वैधता अवधि तक ही खाते को बनाए रखा जाएगा। • सेबी के पास पंजीकृत भारतीय उद्यम पूंजी निधियों को अनुमति दी गई कि वे विदेशी उद्यम पूंजी संस्थाओं की इक्विटी तथा इक्विटी संबद्ध लिखतों में निवेश कर सकते हैं, बशर्ते समग्र निवेश 500 मिलियन अमरीकी डालर तक हो तथा इस संबंध में सेबी द्वारा जारी विनियमों का पालन किया गया हो।
मई	<p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता लेनदेनों अथवा दोनों में लेनदेनों के लिए निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष प्रेषण की 50,000 अमरीकी डालर की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर कर दिया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अन्यथा अस्वीकार्य अन्य सभी लेनदेन तथा विदेशी एक्सचेंज/विदेशी काउंटर पार्टी को मार्जिन अथवा मार्जिन कॉल की प्रकृति के लेनदेन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं। बैंकों को चाहिए कि वे योजना के अंतर्गत प्रेषण हेतु निवासी व्यक्तियों को कोई ऋण सुविधा न दें। <p>18</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों तथा प्राधिकृत बैंकों के अधिकार दिया गया कि वे एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की परिपक्वता राशि भारत से बाहर तीसरी पार्टी को प्रेषित कर सकते हैं, बशर्ते लेनदेन को खातेदार द्वारा निर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया हो तथा प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन के सही होने के संबंध में आश्वस्त हो। • निवासी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि वे प्राप्त/ वसूल की गई / खर्च न की गई / अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा राशि की प्राप्ति / वसूली / खरीद / अर्जन / यात्री के लौटने की तारीख से 180 दिनों के अंदर, जैसी भी स्थिति हो, प्राधिकृत व्यक्ति को अभ्यर्पित करें। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अधिकार दिया गया कि वे सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों को तेल क्षेत्र (अर्थात तेल एवं प्राकृतिक गैस, आदि की खोज तथा ड्रिलिंग हेतु) की विदेश स्थित अनिगमित संस्था में निवेश हेतु प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते प्रस्ताव का अनुमोदन उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो तथा यह रिपोर्टिंग की अपेक्षा के अधीन ऐसे निवेश के अनुमोदन संबंधी बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा समर्थित हो। <p>21</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>समीक्षा के बाद बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में निम्नानुसार संशोधन किया गया:</i> ईसीबी के स्वीकार्य अंतिम उपयोग के रूप में 'समान्वित टाउनशिप का विकास' के लिए दी गई छूट को समाप्त कर दिया गया। तदनुसार, जब तक विशिष्ट छूट न हो बाह्य वाणिज्यिक उधार की राशि का स्थावर संपदा क्षेत्र में उपयोग की अनुमति नहीं है। भारत की सरकारी क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड में उन्नत किए जाने के कारण बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए सभी कीमत शामिल उच्चतम सीमा में निम्नानुसार संशोधन किया गया : (i) 3 से 5 वर्ष की औसत परिपक्वता के लिए सभी कीमत शामिल उच्चतम सीमा में संशोधन करके 6 माह लिबोर के ऊपर 200 आधार अंक कर दिया गया, (ii) 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सभी कीमत शामिल उच्चतम सीमा में संशोधन करके 6 माह लिबोर के ऊपर 350 आधार अंक से संशोधित करके 250 आधार अंक कर दिया गया। उक्त परिवर्तन स्वाचालित रूट तथा अनुमोदन रूट दोनों के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए लागू होंगे। <p>24</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अधिकार दिए गए कि वे आपरेटर को भारत में तेल की खोज के लिए कैश कॉल हेतु भुगतान की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन दे सकते हैं जिसके लिए भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित भारत में विदेशी मुद्रा अथवा रुपया खाते में जमा करके अथवा विदेश में प्रेषण के जरिए किया जाएगा। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति दी गई कि वे भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लिए बिना सेबी के विनियमों/ कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन खुला प्रस्ताव डिलिस्टिंग/ निकासी प्रस्ताव के जरिए शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के अर्जन/ अंतरण हेतु अनिवासी कार्पोरेटों के पक्ष में निलंब (एस्करो)खाता तथा विशेष खाता खोल सकते हैं।

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2007	V. बाह्य क्षेत्र नीतियां (जारी)
मई	<p>25</p> <ul style="list-style-type: none"> प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अधिकार दिए गए कि वे भारत की व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनकी विदेश स्थित साइटों पर आयात करके लगाए जानेवाले उपकरणों की लागत के संबंध में प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं : (i) बीपीओ कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर की स्थापना के लिए संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाना चाहिए; (ii) प्रेषण विदेशी आपूर्तिकर्ता कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अथवा लेखा परीक्षक से आयात के साक्ष्य के रूप में प्रमाणपत्र प्राप्त करना कि जिन वस्तुओं के लिए प्रेषण भेजा गया था उन वस्तुओं का आयात करके उन्हें विदेश स्थित साइट में संस्थापित किया गया है। अनिवासी व्यक्ति खातेदार द्वारा निवासी को दिए गए अटर्नी अधिकार के जरिए एनआरओ खाते के परिचालन की सुविधा दी गई बशर्ते ऐसे परिचालन निम्नलिखित तक सीमित हों : (i) पात्र निवेशों के लिए भुगतान सहित सभी स्थानीय भुगतान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित संबंधित विनियमों के अनुपालन के अधीन रूप में हों तथा (ii) भारत से बाहर भेजा गया प्रेषण अनिवासी व्यक्ति खातेदार के भारत में प्रयोज्य करों को घटाने के बाद शेष चालू आय में से हो। इसके अतिरिक्त, निवासी अटर्नी अधिकारधारक को न तो यह अधिकार है कि वह खाते में स्थित निधि का प्रेषण अनिवासी व्यक्तिगत खातेदार को छोड़कर भारत से बाहर किसी अन्य को करे और न ही अनिवासी खातेदार के पक्ष में उपहार के रूप में किसी निवासी को भुगतान करे अथवा खाते से किसी अन्य एनआरओ खाते में राशि का अंतरण करे। <p>31</p> <ul style="list-style-type: none"> प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह अधिकार दिया गया कि वे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार परिसमापन में चली गई भारतीय कंपनी की आस्तियों में से प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते प्रेषण कंपनी के समापन का आदेश देनेवाले न्यायालय, आधिकारिक परिसमापक अथवा स्वैच्छिक समापन के मामले में समापक द्वारा जारी आदेश के अनुसार हो, साथ ही कर संबंधी अपेक्षाओं तथा कतिपय संबंधित शर्तों का पालन किया गया हो। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों, विशेष रूप से रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों को यह अधिकार दिया गया कि वे घरेलू उत्पादकों/उपयोगकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय पण्य एक्सचेंजों में उनके अंतर्निहित आर्थिक एक्सपोजर के आधार पर एल्यूमीनियम, तांबा, सीसा, निकल तथा जस्ता में अपनी मूल्य जोखिम को हेज करने की अनुमति दे सकते हैं। हेजिंग की अनुमति उक्त वस्तुओं की पिछले तीन वित्तीय वर्षों की वास्तविक खरीद/बिक्री अथवा पिछले वर्ष की वास्तविक खरीद/बिक्री, इनमें से जो भी अधिक हो, की राशि तक के लिए दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, केवल मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स तथा ऑप्शनों (केवल खरीद) की अनुमति दी जाए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अधिकार दिया गया कि वे एविएशन टर्बोइन फ्यूल (एटीएफ) के वास्तविक उपयोगकर्ताओं को उनकी घरेलू खरीद के आधार पर अंतरराष्ट्रीय पण्य एक्सचेंजों में आर्थिक एक्सपोजर को हेज करने की अनुमति दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि जोखिम प्रोफाइल के अनुसार आवश्यक हो तो एटीएफ के वास्तविक उपयोगकर्ता ओटीसी संविदाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। एटीएफ के लिए हेजिंग की अनुमति केवल स्पष्ट आदेश तथा आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दी जाएगी। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हेजिंग के कार्यक्रमों में शामिल होनेवाली संस्था के पास डेरिवेटिव संबंधी कार्यों के संचालन तथा जोखिम के निर्धारण संबंधी समग्र ढांचे को निर्धारित करने वाली बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीतियां हैं तथा जोखिमों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
जून	<p>8</p> <ul style="list-style-type: none"> म्यूचुअल फंडों को अपनी निवेशयोग्य अधिक राशि को विदेश में निवेश की सुविधा देने के उद्देश्य से उन्हें अनुमति दी गई कि वे निम्नलिखित में निवेश कर सकते हैं (i) गैर सूचीबद्ध विदेशी प्रतिभूतियों में नाममात्र (अपनी निवल आस्तियों के 10 प्रतिशत तक) का निवेश करने वाले विदेशी म्यूचुअल फंडों में; (ii) प्रतिभूतियों में निवेश करनेवाले विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में तथा (iii) विदेशी कंपनियों के एडीआर/जीडीआर में। अधिमानी शेयरों में विदेशी निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया गया: (क) पूर्णतः परिवर्तनीय अधिमानी शेयर के रूप में आनेवाले विदेशी निवेश को शेयर पूंजी के हिस्से के रूप में माना जाएगा। जहां विदेशी इक्विटी के लिए क्षेत्रगत सीमा निर्धारित की गई है, वहां विदेशी इक्विटी की गणना हेतु इसे शामिल किया जाएगा; (ख) अधिमानी शेयर के किसी अन्य प्रकार (अपरिवर्तनीय, विकल्पतः परिवर्तनीय अथवा अंशतः परिवर्तनीय) के रूप में आनेवाले विदेशी निवेश को ऋण के रूप में विचार किया जाएगा तथा ऐसे निवेश के लिए बाह्य उधार संबंधी दिशानिर्देशों/बाह्य वाणिज्यिक उधार सीमाओं संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया जाना आवश्यक है; (ग) 30 अप्रैल 2007 तक अपरिवर्तनीय, विकल्पतः परिवर्तनीय अथवा अंशतः परिवर्तनीय शेयरों के रूप में किया गया कोई भी विदेशी निवेश, उनकी वर्तमान परिपक्वता तक क्षेत्रगत अधिकतम सीमा से बाहर होगा; (घ) किसी भी प्रकार के अधिमानी शेयरों के निर्गम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी तथा अन्य सांविधिक निकायों के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना जारी रहेगा तथा ये सभी सांविधिक अपेक्षाओं के अधीन होंगे।
जून	<p>14</p> <ul style="list-style-type: none"> किसी भारतीय पार्टी द्वारा विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा को पार्टी की निवल मालियत के 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 300 प्रतिशत किया गया। तथापि, साझेदारी फर्म द्वारा विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा पूर्ववत है जो उनकी निवल मालियत का 200 प्रतिशत है। सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों की इक्विटी में पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को निवेशकर्ता कंपनी की निवल मालियत के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया। <p>19</p> <ul style="list-style-type: none"> प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अधिकार दिया गया कि वे निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु (इक्विटी तथा ऋण में) की गई वायदा संविदा को रद्द करने की अनुमति दे सकते हैं। तथापि, रद्द की गयी संविदाओं का 50 प्रतिशत फिर से बुक करने की अनुमति है। <p>29</p> <ul style="list-style-type: none"> यह निर्णय लिया गया कि नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुसूचित हवाई यातायात सेवा परिचालित करने के लिए अनुमति दी गई एयरलाइन कंपनियों को क्षेत्र विशिष्ट उपाय के रूप में बैंक गारंटी के बिना अग्रिम प्रेषण करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अधिकार दिया गया कि वे शर्तों के अधीन हवाईजहाज/हेलिकॉप्टर/विमानन संबंधी अन्य खरीद के लिए बैंक गारंटी अथवा शर्तरहित अविकल्पी आपाती साख-पत्र के बिना 50 मिलियन अमरीकी डालर तक की राशि प्रेषित करने के लिए अनुमति दे सकते हैं।

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
	V. बाह्य क्षेत्र नीतियां (जारी)
2007	
जुलाई	<p>5 • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथिकृत किया गया है कि वे निर्धारित शर्तों के अधीन, अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के एफसीएनआर (बी) जमा खाते खोल तथा रख सकते हैं।</p> <p>19 • स्टॉक एक्सचेंजों के सेबी अनुमोदित समाशोधन निगमों तथा उनके समाशोधन सदस्यों को अनुमति दी गई कि वे इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अधीन निम्नलिखित लेनदेन कर सकते हैं : (i) विदेशी डिपॉजिटरियों के पास डिमेट खाता खोलना एवं उसे बनाए रखना तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संपादित के रूप में दी गई विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को अर्जित करना, धारण करना, गिरवी रखना तथा अंतरित करना, (ii) ऐसी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों पर कारपोरेट कार्यों से प्राप्त राशि, यदि कोई हो, प्रेषित करना, तथा (iii) आवश्यकता पड़ने पर ऐसी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों को परिसमाप्त करना।</p>
अगस्त	<p>7 • समीक्षा के आधार पर, ईसीबी नीति को इस प्रकार संशोधित किया गया है:</p> <p>(i) अब, ईसीबी के अनुमत अंतिम उपयोग हेतु केवल विदेशी मुद्रा व्यय के लिए प्रति वित्तीय वर्ष प्रति उधारकर्ता कंपनी के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक ईसीबी की अनुमति दी गई है। तदनुसार, 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक ईसीबी जुटानेवाले उधारकर्ता विदेशों से प्राप्त ईसीबी आगम को अनुमत अंतिम उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा व्यय के रूप में उपयोग के लिए रखेंगे और स्वचालित (ऑटोमेटिक) मार्ग तथा अनुमोदन मार्ग दोनों के अंतर्गत भारत को निधियां प्रेषित नहीं करेंगे।</p> <p>(ii) उधार लेनेवाली प्रत्येक कंपनी को प्रति वित्तीय वर्ष 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक ईसीबी की स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत अंतिम उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा व्यय की अनुमति होगी और इन निधियों को विदेश में रखा जाएगा तथा इन्हें भारत में प्रेषित नहीं किया जाएगा। अनुमत अंतिम उपयोग हेतु रुपया व्यय के लिए 20 मिलियन अमरीकी डालर तक के ईसीबी का प्रस्ताव करनेवाले उधारकर्ताओं को अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लेनी होगी।</p> <p>(iii) ईसीबी नीति के अन्य सभी पहलू जैसे पात्र उधारकर्ता, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष प्रत्येक उधारकर्ता कंपनी को 500 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा, मान्यता प्राप्त उधार देनेवाले, औसत परिपक्वता अवधि, समग्र लागत सीमा, समयपूर्व भुगतान, वर्तमान ईसीबी का पुनर्वित्तीय तथा रिपोर्टिंग व्यवस्था यथावत् रहेगी।</p>
सितंबर	<p>22 • यह तय किया गया कि ईएसओपी योजना के अंतर्गत कंपनियों के शेयर प्राप्त करने के लिए भारतीय कंपनियों के एनआरआई कर्मचारियों को रुपया ऋण प्रदान करने के लिए एडी श्रेणी-I बैंक को अनुमति दी जाए। ऋण योजना बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होनी चाहिए और ये कुछ शर्तों के अधीन हैं।</p> <p>26 • निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना को और उदार बनाया गया है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि प्रति वित्तीय वर्ष 1,00,000 अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 2,00,000 अमरीकी डालर कर दिया जाए। तदनुसार, एडी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति दी गई कि वे किसी अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता लेनदेन अथवा संयुक्त रूप से दोनों के लिए, योजनान्तर्गत प्रति वित्तीय वर्ष 2,00,000 अमरीकी डालर विप्रेषित कर सकते हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> ईसीबी की चुकौती के लिए सीमा को 400 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 500 मिलियन अमरीकी डालर किया गया। सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों की इक्विटी में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को निवेशक कंपनी के पिछले लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उसकी निवल मालियत के 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों में अन्योन्य 10 प्रतिशत शेयर धारिता की अपेक्षा समाप्त कर दी गयी है। भारतीय कंपनियों (संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में निगमित कंपनियां) के लिए विदेशी निवेश की सीमा (कुल वित्तीय प्रतिबद्धताएं) को पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उनकी निवल मालियत के 300 प्रतिशत से बढ़ाकर 400 प्रतिशत कर दिया गया। पंजीकृत साझेदारी फर्मों के लिए विदेशी निवेश की सीमा को निवल मालियत के 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 400 प्रतिशत कर दिया गया। सेबी के साथ पंजीकृत पारस्परिक निधियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश के लिए सकल सीमा को 4 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 5 बिलियन अमरीकी डालर किया गया। सेबी द्वारा यथा अनुमोदित समुद्रपारीय शेयर बाजार में ट्रेड की जाने वाली निधियों में 1 बिलियन अमरीकी डालर तक संघर्ष निवेश के लिए अर्हक भारतीय पारस्परिक निधियों की एक सीमित संख्या को अनुमति देने की विद्यमान सुविधा जारी रहेगी। सेबी के साथ पंजीकृत पारस्परिक निधियों को भारतीय और विदेशी कंपनियों के एडीआर/जीडीआर, साख वाली/ पंजीकृत ऋण दर निर्धारण एजेंसियों द्वारा निवेश श्रेणी से कम नहीं ग्रेड वाले रेट किए गए ऋण लिखतों, मान्यता प्राप्त विदेशी शेयर बाजार में सूचीबद्ध समुद्रपारीय कंपनियों की इक्विटी में निवेश, उन समुद्रपारीय पारस्परिक निधियों में जो सूचीबद्ध समुद्रपारीय प्रतिभूतियों में सांकेतिक निवेश (अर्थात् निवल आस्ति मूल्य के अनुमानतः 10 प्रतिशत की सीमा तक) करती हैं और विदेशी शेयर बाजार में ट्रेड की गयी निधियां जो प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं, में निवेश की अनुमति दी गई। पारस्परिक निधियों को सेबी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन अतिरिक्त लिखतों में निवेश की अनुमति दी गई ताकि वे विदेश में एक बड़े निवेश योग्य समुद्रपारीय स्टॉक को टैप कर सकें।
अक्टूबर	<p>6 • सभी विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता धारकों को अनुमति दी गई कि वे 31 अक्टूबर 2008 को अथवा पहले 1 वर्षीय परिपक्वतावाली मीयादी जमाओं के रूप में 1 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक बकाया शेष बनाए रख सकते हैं।</p> <p>17 निम्नलिखित धन-शोधन निवारण संबंधी दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया:</p> <p>(i) विदेशी पर्यटकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा नकद भुगतान के लिए अनुरोध को 3,000 अमरीकी डालर अथवा इसकी समतुल्य सीमा तक (पूर्व की सीमा 2,000 अमरीकी डालर थी) स्वीकार किया गया।</p> <p>(ii) पैन कार्ड को कंपनी / फर्म के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।</p>

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2007	V. बाह्य क्षेत्र नीतियां (जारी)
अक्टूबर	29 <ul style="list-style-type: none"> वास्तविक अथवा अनुमानित विप्रेषणों, आवक और जावक दोनों, के कारण हुए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का प्रबंध करने/हेज करने के लिए निवासी व्यक्तियों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से, उन्हें आत्मघोषणा के आधार पर, 1,00,000 अमरीकी डालर की सीमा तक के वायदा संविदा, बिना अंतर्निहित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए, बुक करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। इस सुविधा के अंतर्गत बुक की गई संविदाएं सामान्यतया सुपुर्दगी योग्य आधार पर होंगी। तथापि, नकदी प्रवाह अथवा अन्य आकरिमकताओं में विसंगति के मामले में, इस सुविधा के अंतर्गत बुक की गई संविदाओं को निरस्त करने और पुनः बुक करने की अनुमति होगी। बकाया संविदाओं का आनुमानिक मूल्य किसी भी समय 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, संविदाओं को केवल एक साल तक की अवधि के लिए बुक करने की अनुमति होगी। विदेशी मुद्रा जोखिम में प्रत्यक्ष और/ अथवा अप्रत्यक्ष निवेश रखने वाले लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को प्रभावी ढंग से अपने निवेशों का प्रबंध करने में समर्थ बनाने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति दी गई कि वे शर्तों के अधीन ऐसी संस्थाओं को अंतर्निहित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना वायदा संविदाएं बुक करने/निरस्त करने/ पुनः बुक करने/जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं।
नवंबर	6 <ul style="list-style-type: none"> घरेलू तेल विपणन और शोधन कंपनियों को पिछली तिमाही की पूर्ववर्ती तिमाही के परिमाण के आधार पर उनकी मालसूची के 50 प्रतिशत की सीमा तक उनके पण्य मूल्य के जोखिम को हेज करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। यह हेजिंग प्राथमिक व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के माध्यम से की जाए, जिन्हें रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत किया है। ये हेज को ओवर-द-काउंटर (ओटीसी)/विदेश में शेयर बाजार में ट्रेड किए गए विनिमय बाजार में लेनदेन किए गए विदेशी व्युत्पन्नों का प्रयोग करके किया जाएगा जिसकी अधिकतम अवधि एक वर्षीय वायदा तक सीमित होती हो। अपरिष्कृत हीरों को आयात करने के मामले में आयात बिल/दस्तावेजों की सीधी रसीद की सीमा 1,00,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 3,00,000 अमरीकी डालर कर दी गई है। तदनुसार ए डी श्रेणी - I बैंकों को आयातों के लिए अमरीकी डालर 3,00,000 तक विप्रेषण की अनुमति दी गई है जहाँ आयातकर्ता ने समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता से अपरिष्कृत हीरों का आयात बिल/दस्तावेज सीधे ही प्राप्त कर लिए हों और विप्रेषण के समय आयात के लिए आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य (शर्तों के अधीन) दिए गए हों।
दिसंबर	14 <ul style="list-style-type: none"> केंद्र सरकार से परामर्श के बाद 29 नवंबर 2007 से आवक विप्रेषण की प्राप्ति के 180 दिनों के भीतर इक्विटी लिखतों को जारी करने का निर्णय लिया गया है। यदि आवक विप्रेषण प्राप्त होने की तारीख अथवा एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाता के नाम होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर इक्विटी लिखतों जारी नहीं किये जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त की गयी प्रतिफल राशि सामान्य बैंकिंग माध्यमों अथवा एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते, जो भी स्थिति हो, के माध्यम से जावक विप्रेषण द्वारा अनिवासी निवेशकर्ता को तत्काल वापस की जाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे इस लेन देन की सच्चाई से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ऐसे जावक विप्रेषण करें और अग्रिम के रूप में प्राप्त की गयी निधियों के किसी भी अंश के लिए विप्रेषण में ब्याज न हो। उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किए जाने को फेमा के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और इस पर दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। अपवादात्मक मामलों में, प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों की अवधि से अधिक समय तक बकाया प्रतिफल की राशि पर मामले की गुणवत्ता के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। उन सभी मामलों में जहाँ 28 नवम्बर 2007 तक निधियों की प्राप्ति से 180 दिन बीत चुके हैं और इक्विटी लिखत जारी नहीं किए गए हैं वहाँ कंपनियों के लिए अपेक्षित है कि वे पूर्ण ब्यौरे के साथ या तो इक्विटी लिखतों के आर्बटन अथवा अग्रिम को वापसी के लिए एक निश्चित कार्य योजना के साथ रिजर्व बैंक से विशिष्ट अनुमोदन के लिए पूर्ण विवरण के साथ संपर्क करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि इक्विटी लिखतों के बदले अग्रिम केवल तभी प्राप्त किया जाए जहाँ स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एफडीआइ की अनुमति है। कोई व्यक्ति जो बांग्ला देश का नागरिक है अथवा बांग्ला देश में निगमित कोई संस्था है, को विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से शर्तों के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की अनुमति दी गयी थी। सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक और विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-खातों को कतिपय शर्तों के अधीन भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयरों की मंदडिया बिक्री करने, उधार देने और उधार लेने की अनुमति दी गयी थी।
2008	
अप्रैल	3 <ul style="list-style-type: none"> सेबी के पास पंजीकृत पारस्परिक निधियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश के लिए सकल सीमा को 5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 7 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया। सेबी द्वारा यथा अनुमत समुद्रपारीय शेयर बाजार कारोबार निधियों में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक संचयी निवेश के लिए अर्हक भारतीय पारस्परिक निधियों की एक सीमित संख्या को अनुमति देने की विद्यमान सुविधा जारी रहेगी। ये निवेश शर्तों तथा सेबी द्वारा जारी किये गये परिचालनात्मक दिशा निर्देशों के अधीन होंगे। अप्रतिष्ठित निर्यातकों द्वारा बहुमूल्य और कम मूल्य वाले रत्नों के आयात के मामले में आयात बिलों/दस्तावेज की सीधी प्राप्ति हेतु सीमा कतिपय विशिष्ट शर्तों के अधीन 1,00,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 3,00,000 अमरीकी डॉलर कर दी गयी। केंद्र सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी नीलामी (आइसीबी) के लिए केंद्र सरकार से प्रशासनिक मंत्रालय/प्राधिकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगी। ऋण सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियमन, 2005 का अनुपालन करने वाली ऋण सूचना कंपनियों को एफआइपीबी के पूर्वानुमोदन तथा रिजर्व बैंक से विनियामक मंजूरी के साथ 49 प्रतिशत की कुल विदेशी निवेश सीमा तक निवेश करने की अनुमति दी गई थी। सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए जाने वाले विदेशी निवेश हेतु 49 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर 24 प्रतिशत की सीमा तक द्वितीयक बाजार में की गई खरीद के माध्यम से ही निवेश करने की अनुमति थी। किसी भी विदेशी संस्थागत निवेशक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं सीमा तक व्यक्तिगत रूप से इक्विटी रखने की अनुमति नहीं थी।

प्रमुख नीति संबंधी घोषणाओं की कालानुक्रम सूची

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
2008	V. बाह्य क्षेत्र नीतियां (जारी)
अप्रैल	<p>28 • कमोडिटी शेयर बाजारों को कतिपय शर्तों के अधीन 49 प्रतिशत की सकल विदेशी निवेश सीमा के अंदर 26 प्रतिशत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा और 23 प्रतिशत की विदेशी संस्थागत निवेश सीमा के साथ विदेशी निवेश करने की अनुमति दी गयी।</p>
मई	<p>28 • एक वर्ष तक के व्यापार ऋणों के संबंध में कुल लागत उच्चतम सीमा छह माह लिबोर के ऊपर 50 आधार अंक से बढ़ाकर छह माह के लिबोर के ऊपर 75 आधार अंक कर दी गयी। व्यापार ऋण के अन्य सभी पहलू अपरिवर्तित रहेंगे।</p> <p>29 • यह निर्णय लिया गया कि मूलभूत संरचना क्षेत्र में उधारकर्ताओं को अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत अनुमत अंतिम उपयोग के लिए रुपया व्यय हेतु 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। अन्य उधारकर्ताओं के मामले में अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत अनुमत अंतिम उपयोग के लिए रुपया व्यय हेतु 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की विद्यमान सीमा को 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाया गया। समस्त लागत सीमा को 3 वर्ष और 5 वर्ष के बीच एक औसत परिपक्वता के साथ बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए छह माह लिबोर से अधिक 150 आधार बिन्दुओं से संशोधित करते हुए 200 आधार बिन्दु किया गया और 5 वर्षों से अधिक की औसत परिपक्वता के साथ बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए 250 आधार बिन्दुओं से 350 आधार बिन्दुओं तक संशोधित किया गया।</p> <p>30 • धनशोधन निवारण के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) को अनुमति दी गयी कि वे विदेशी मुद्रा का नकदीकरण कर सकते हैं और केवल 3,000 अमरीकी डॉलर अथवा इसके समतुल्य राशि तक नकद भुगतान कर सकते हैं। 3000 अमरीकी डॉलर अथवा इसके समतुल्य राशि से अधिक राशि का भुगतान मांग ड्राफ्ट अथवा बैंकर चेक के माध्यम से करना होगा।</p>
जून	<p>2 • यह निर्णय लिया गया कि सेवा क्षेत्र की संस्थाओं अर्थात् होटल, अस्पताल और साफ्टवेयर कंपनियों को अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात करने के प्रयोजन से प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।</p> <p>3 • विदेश में निवेश के लिए भारतीय कंपनियों को अधिकतम लचीलापन उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय कंपनियों को ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों जैसे कि तेल, गैस, कोयला और खनिज अयस्कों में पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उनकी निवल संपत्ति के 400 प्रतिशत से अधिक निवेश करने की अनुमति दी जाए। निवल संपत्ति के 400 प्रतिशत से अधिक किये जाने वाले निवेश केवल रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से ही किये जाएंगे।</p> <p>• यह निर्णय लिया गया कि तेल क्षेत्र की विदेशी अनिगमित संस्थाओं में निवेश के लिए अन्य भारतीय संस्थाओं को उपर्युक्त सुविधा की अनुमति देने हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित किये जाने के बाद कि यह प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और ऐसे निवेश का अनुमोदन करते हुए बोर्ड के प्रस्ताव की एक प्रमाणित प्रति द्वारा विधिवत समर्थित किया गया है, भारतीय कंपनियों की निवल संपत्ति के 400 प्रतिशत तक विप्रेषण की अनुमति दे सकेंगे। नवरत्न पीएसयू, ओएनजीसी, विदेश लिमिटेड (ओवीएल) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआइएल) के अलावा अन्य भारतीय कंपनियों द्वारा उनके अंतिम लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की निवल संपत्ति के 400 प्रतिशत से अधिक उन समुद्रपारीय और अनिगमित संस्थाओं में निवेश के लिए जहाँ ऐसे निवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक को भेजे जाएं।</p> <p>• कच्चे तेल शोधक घरेलू कंपनियों को कच्चे तेल की घरेलू खरीद पर उनकी पण्य मूल्य जोखिम का बचाव करने तथा समुद्रपारीय शेयर बाजारों/बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से सहयोजित अंतर्निहित संविदाओं के आधार पर पेट्रोलीयम उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गयी। इस बचाव की अनुमति अंतर्निहित संविदाओं के आधार पर ही दी गयी।</p> <p>• कच्चा तेल शोधक घरेलू कंपनियों को अनुमति दी गयी की वे समुद्रपारीय शेयर बाजारों/बाजारों में कच्चे तेल आयातों पर अपने पण्य मूल्य जोखिम का बचाव पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक आयात की मात्रा के 50 प्रतिशत तक अपने पिछले कार्यनिष्पादन अथवा पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान आयात की औसत मात्रा के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के आधार पर करने की अनुमति दी गयी। इस सुविधा के अंतर्गत बुक की गयी संविदाओं को बचाव की निरंतरता के दौरान समर्थित आयात आदेशों की प्रस्तुति द्वारा नियमित कराना होगा। इस आशय का एक वचनपत्र कंपनियों से प्राप्त किया जाए।</p> <p>• यह बचाव केवल उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों के माध्यम से ही किया जाए जिन्हें विशिष्ट शर्तों के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है।</p> <p>• पूर्व में नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) को तेल क्षेत्र (उदाहरणार्थ तेल और प्राकृतिक गैस, आदि की खोज और ड्रिलिंग के लिए) में उन समुद्रपारीय अनिगमित संस्थाओं में निवेश की अनुमति दी गयी है जिन्हें स्वचालित मार्ग के अंतर्गत बिना किसी सीमा के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह सुविधा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआइएल) को प्रदान की गयी थी।</p> <p>• प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति दी गयी की वे ईसीजीसी द्वारा निपटाए गए दावों के अतिरिक्त उन अन्य बीमा कंपनियों, जो आयआरडीए द्वारा नियंत्रित हैं, द्वारा निपटाए गए बकाया निर्यात बिलों को बट्टे खाते डाल सकते हैं बशर्ते इस सत्यापन के अधीन कि बकाया निर्यात बिलों के संबंध में दावों का निपटान कर दिया गया है तथा निर्यात प्रोत्साहन, यदि कुछ है, अभ्यर्पित कर दिया गया है। ऐसे बट्टे खाते डाले जाने को निर्यात बकाये की 10 प्रतिशत की विद्यमान सीमा तक प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।</p> <p>• निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी)/बीमा कंपनियों द्वारा रुपयों में निपटान किये गये दावों को विदेशी मुद्रा में निर्यात वसूली के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसी दावा राशि निर्यातक के ईईएफसी खाते में जमा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।</p> <p>• निर्यात की गयी वस्तुओं या साफ्टवेयर का पूरा निर्यात मूल्य दर्शाने वाली राशि को वसूलने और भारत को प्रत्यावर्तित करने की अवधि, एक वर्ष के पश्चात समीक्षा करने के अधीन, निर्यात करने की तारीख से छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने कर दी गयी।</p>

घोषणा की तारीख	नीति संबंधी घोषणाएं
<p>2008</p> <p>जून</p> <p>जुलाई</p>	<p style="text-align: center;">V. बाह्य क्षेत्र नीतियां (समाप्त)</p> <ul style="list-style-type: none"> • यह निर्णय लिया गया था कि विनिर्माण/शैक्षिक क्षेत्र में संलग्न पंजीकृत न्यासों और समितियों को उसी क्षेत्र में भारत के बाहर संयुक्त उपक्रम अथवा पूर्ण स्वाधिकृत सहायक उपक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। • प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेने की शर्त समाप्त कर दी गयी है और उन्हें अनुमति दी गयी है कि वे अचल आस्तियों, वित्तीय प्रतिभूतियों और विदेशी उधारदाता/ प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में कारपोरेट या निजी गारंटियों पर प्रभार सृजित करने के लिए फेमा, 1999 के अधीन 'अनापत्ति' प्रदान कर सकते हैं ताकि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन उधारकर्ता द्वारा जुटाये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों को सुरक्षित बनाया जा सके।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 1 : चुनिंदा व्यापक आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 1990-91 से 1999-2000 (10 वर्ष)	औसत 2000-01 से 2007-08 (8 वर्ष)	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (% परिवर्तन)	5.7	7.3	8.5	7.5	9.4 अं.अ	9.6 त्व.अ	9.0 सं. अ
क) कृषि उत्पादन (% परिवर्तन)	3.2	2.9	10.0	0.0	5.9	3.8	4.5
ख) उद्योग (% परिवर्तन)	5.7	7.1	6.0	8.5	8.0	10.6	8.1
ग) सेवाएं (% परिवर्तन)	7.1	9.0	8.8	9.9	11.0	11.2	10.7
2. प्रति व्यक्ति सघउ (% परिवर्तन)	3.6	5.5	7.1	5.5	7.9 अं.अ	8.1 त्व.अ	7.8 सं. अ
3. खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	188.6	206.1	213.2	198.4	208.6	217.3	230.7
4. सकल घरेलू बचत दर (सघउ का %)	23.0	29.2 ^	29.8	31.8	34.3 अं.अ	34.8 त्व.अ	..
5. सकल घरेलू निवेश दर (सघउ का %)	24.4	29.2 ^	28.2	32.2	35.5 अं.अ	35.9 त्व.अ	..
6. केंद्र सरकार के वित्त (सघउ का %)							
क) कुल राजस्व प्राप्तियां	9.2	9.8	9.6	9.7	9.7	10.5	11.1 सं. अ
ख) कुल व्यय	16.0	15.5	17.1	15.8	14.1	14.1	15.1 सं. अ
ग) राजस्व घाटा	3.0	3.1	3.6	2.5	2.6	1.9	1.4 सं. अ
घ) राजकोषीय घाटा	5.9	4.6	4.5	4.0	4.1	3.5	3.1 सं. अ
ङ) केंद्र को भारि बैंक का निवल ऋण	0.7	-0.9	-2.8	-1.9	0.8	-0.1	-2.5 सं. अ
च) ब्याज भुगतान	4.2	4.2	4.5	4.0	3.7	3.6	3.6 सं. अ
छ) आंतरिक ऋण	48.0	58.9	61.4	61.4	60.5	58.8	59.1 सं. अ
7. मौद्रिक समुच्चय (% परिवर्तन)							
क) व्यापक मुद्रा (एम ₃)	17.2	16.5	16.7	12.1 @	17.0 #	21.5	20.8
ख) संकीर्ण मुद्रा (एम ₁)	15.6	15.7	22.2	11.9	21.1 #	16.9	19.1
ग) आरक्षित मुद्रा	13.9	16.4	18.3	12.1	17.2	23.7	30.9
घ) वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बैंक ऋण (सघउ का %)	28.8	41.6	36.9	40.7	47.3	51.4	54.5
8. अनुसूचित वाणिज्य बैंक (% परिवर्तन)							
क) कुल जमा राशियां	17.2	17.6	17.5	12.8 @	18.1 #	23.8	22.4
ख) बैंक ऋण	15.9	21.5	15.3	27.0 @	30.8 #	28.1	22.3
ग) खाद्येतर ऋण	15.4	22.0	18.4	27.5 @	31.8 #	28.5	23.0
घ) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	20.9	16.9	25.1	7.9 @	-2.7 #	10.7	23.5
9. थोक मूल्य सूचकांक (% परिवर्तन)							
क) बिंदु-दर-बिंदु	8.7	5.1	4.6	5.1	4.1	5.9	7.7
ख) औसत	8.1	5.1	5.4	6.4	4.4	5.4	4.7
10. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक कामगार (% परिवर्तन)							
क) बिंदु-दर-बिंदु	9.4	4.9	3.5	4.2	4.9	6.7	7.9
ख) औसत	9.5	4.6	3.9	3.8	4.4	6.7	6.2
11. बीएसई-संवेदी सूचकांक (% परिवर्तन)	37.0	20.2	83.4	16.1	73.7	15.9	19.7
12. व्यापार और भुगतान संतुलन							
क) अमरीकी डालर में निर्यात (% परिवर्तन)	8.6	20.1	23.3	28.5	23.4	21.8	23.7
ख) अमरीकी डालर में आयात (% परिवर्तन)	9.7	21.6	24.1	48.6	32.1	21.8	29.9
ग) चालू खाता (सघउ का %)	-1.3	-0.1	2.3	-0.4	-1.2	-1.1	-1.5
घ) पूंजी खाता (सघउ का %)	2.2	3.7	2.8	4.0	3.1	5.0	9.2
13. विदेशी मुद्रा भंडार * (मिलियन अमरीकी डालर)	113.0	141.5	151.6	199.1	309.7
14. बाह्य ऋण * (मिलियन अमरीकी डालर)	92.7	122.5	111.6	133.0	138.1	169.7	221.2
क) ऋण - सघउ अनुपात	29.0	19.3	17.8	18.6	17.2	17.8	18.8
ख) ऋण - सेवा अनुपात	24.9	11.1	16.1	6.1	9.9	4.8	5.4
15. विनिमय दर (रुपए/अमरीकी डालर)							
क) उच्च	43.45	43.36	43.30	43.14	39.26
ख) निम्न	47.46	46.46	46.33	46.97	43.15

अ.अ : अनंतिम अनुमान

त्व.अ. : त्वरित अनुमान

सं.अ : संशोधित अनुमान

.. : अनुपलब्ध / लागू नहीं

* : अवधि की समाप्ति पर.

: 1 अप्रैल 2005 के बाद घट-बढ़

@ : बैंकिंग प्रणाली में विलयनों तथा संपरिवर्तन के लिए समायोजित

^ : 2000-01 से 2006-07 की अवधि का औसत

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 2 : वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और क्षेत्रवार संरचना

(1999-2000 के मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर						वास्तविक सघट में अंश				
	औसत 2000-01 से 2007-08	2003-04	2004-05	2005-06@	2006-07#	2007-08*	2003-04	2004-05	2005-06 @	2006-07#	2007-08*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	2.9	10.0	0.0	5.9	3.8	4.5	21.7	20.2	19.6	18.5	17.8
जिनमें से:											
कृषि	n.a.	10.8	0.0	6.1	3.8	n.a.	19.9	18.5	17.9	17.0	n.a.
2. उद्योग	7.1	6.0	8.5	8.0	10.6	8.1	19.4	19.6	19.4	19.5	19.4
जिनमें से:											
क) खनन और उत्खनन	4.9	3.1	8.2	4.9	5.7	4.7	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0
ख) विनिर्माण	7.8	6.6	8.7	9.0	12.0	8.8	15.0	15.1	15.1	15.4	15.4
ग) बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति	4.8	4.8	7.9	4.7	6.0	6.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1
3. सेवाएं	9.0	8.8	9.9	11.0	11.2	10.7	58.9	60.2	61.1	61.9	62.9
जिनमें से:											
क) भवन निर्माण	10.6	12.0	16.1	16.5	12.0	9.8	6.1	6.6	7.1	7.2	7.3
ख) व्यापार, होटल तथा रेस्तरां	8.2	10.1	7.7	9.4	8.5 (11.8)	12.0 ^	15.5	15.5	15.5	15.4 (26.8)	27.5 ^
ग) परिवहन, भंडारण व संचार	13.7	15.3	15.6	14.6	16.6	n.a.	9.5	10.2	10.7	11.4	n.a.
घ) वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	8.8	5.6	8.7	11.4	13.9	11.8	13.4	13.5	13.8	14.3	14.7
ड) सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	5.8	5.4	6.9	7.2	6.9	7.3	14.3	14.2	14.0	13.6	13.4
4. उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	7.3	8.5	7.5	9.4	9.6	9.0	100	100	100	100	100

ज्ञापन:

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	(वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार)				
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	532,342	552,422	615844	695423	764082
2. उद्योग	509,106	598,271	677946	790333	899144
3. सेवाएं	1,496,722	1,727,013	1981879	2304306	2640428
4. उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	2,538,171	2,877,706	3275670	3790063	4303654
क्षेत्र	(स्थिर मूल्यों पर)				
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	482,676	482,446	511013	530236	554336
2. उद्योग	431,724	468,451	506016	559801	605061
3. सेवाएं	1,308,358	1,437,487	1595818	1774272	1963462
4. उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	2,222,758	2,388,384	2612847	2864310	3122862

@ : अर्न्तम अनुमान

: त्वरित अनुमान

* : संशोधित अनुमान

अनु: अनुपलब्ध.

^ : वृद्धि दर और अंश में परिवहन, भंडारण व संचार वृद्धि शामिल है जो कोष्ठकों में दर्शाये गये पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय हैं।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 3 : वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की तिमाही वृद्धि दरें तथा उनकी क्षेत्रवार संरचना (प्रतिशत)

क्षेत्र	2005-06				2006-07				2007-08			
	ति ₁	ति ₂	ति ₃	ति ₄	ति ₁	ति ₂	ति ₃	ति ₄	ति ₁	ति ₂	ति ₃	ति ₄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	4.0 (19.7)	4.6 (16.0)	8.2 (23.3)	6.0 (18.7)	2.7 (18.5)	3.2 (15.0)	4.0 (22.2)	4.9 (17.9)	4.4 (17.7)	4.7 (14.4)	6.0 (21.6)	2.9 (16.9)
2. उद्योग	9.8 (19.8)	6.6 (20.4)	7.2 (18.4)	8.6 (19.1)	10.0 (19.9)	10.7 (20.5)	10.3 (18.5)	11.5 (19.4)	9.6 (19.9)	8.6 (20.4)	8.6 (18.5)	5.8 (18.9)
जिनमें से												
क) खनन और उत्खनन	7.4	1.8	3.8	6.3	4.1	3.9	6.0	8.2	1.7	5.5	5.7	5.9
ख) विनिर्माण	10.6	8.0	8.1	9.3	11.7	12.2	11.3	12.8	10.9	9.2	9.6	5.8
ग) बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति	6.8	2.1	4.4	5.6	4.3	6.6	7.6	5.4	7.9	6.9	4.8	5.6
3. सेवाएं	10.4 (60.5)	10.5 (63.5)	11.0 (58.3)	12.0 (62.2)	11.7 (61.7)	11.6 (64.4)	11.1 (59.3)	10.5 (62.7)	10.6 (62.4)	10.7 (65.2)	10.0 (59.9)	11.4 (64.2)
जिनमें से :												
क) भवन निर्माण	14.8	13.4	19.1	18.3	13.1	12.0	10.8	12.2	7.7	11.8	7.1	12.6
ख) व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार	11.4	10.9	10.9	12.7	10.9	12.7	12.1	11.6	13.1	11.0	11.5	12.4
ग) वित्तीय, बीमा, स्वास्थ्य संपदा और कारोबार सेवाएं	10.0	11.8	10.2	13.5	13.6	13.9	14.7	13.4	12.6	12.4	11.9	10.5
घ) सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	6.9	7.3	7.8	6.8	10.3	7.2	5.6	5.1	5.2	7.7	6.2	9.5
4. उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	8.9 (100.0)	8.7 (100.0)	9.6 (100.0)	10.2 (100.0)	9.6 (100.0)	10.1 (100.0)	9.3 (100.0)	9.7 (100.0)	9.2 (100.0)	9.3 (100.0)	8.8 (100.0)	8.8 (100.0)
जापन :	(करोड़ रूपय में)											
(वर्तमान बाजार मूल्यों पर)												
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,39,826	1,15,383	1,99,365	1,61,271	1,55,326	1,27,706	2,25,723	1,86,669	1,75,004	1,43,319	2,46,379	1,99,381
2. उद्योग	1,58,387	1,62,698	1,72,816	1,84,045	1,81,821	1,89,054	2,01,360	2,18,097	2,11,466	2,13,640	2,25,451	2,48,586
3. सेवाएं	4,50,814	4,71,079	5,11,828	5,48,160	5,23,358	5,48,098	5,94,914	6,37,936	6,04,400	6,26,008	6,70,144	7,39,878
4. उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	7,49,027	7,49,160	8,84,009	8,93,476	8,60,505	8,64,858	10,21,997	10,42,702	9,90,870	9,82,967	11,41,974	11,87,845
(1999-00 के स्थिर मूल्यों पर)												
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,19,462	95,550	1,62,245	1,33,756	1,22,660	98,606	1,68,666	1,40,305	1,28,042	1,03,199	1,78,741	1,44,354
2. उद्योग	1,19,813	1,21,731	1,28,027	1,36,446	1,31,803	1,34,730	1,41,183	1,52,085	1,44,474	1,46,296	1,53,389	1,60,903
3. सेवाएं	3,66,461	3,78,491	4,06,443	4,44,423	4,09,183	4,22,378	4,51,482	4,91,228	4,52,433	4,67,490	4,96,529	5,47,012
4. उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	6,05,737	5,95,771	6,96,714	7,14,625	6,63,645	6,55,713	7,61,333	7,83,618	7,24,949	7,16,984	8,28,659	8,52,270

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े सत्रयुक्त का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का योग 100 तक संगत न हो।

3. ति₁, ति₂, ति₃ और ति₄ क्रमशः तिमाही की अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च को दर्शाते हैं।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 4 : कृषि उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 #
1	2	3	4	5	6	7	8
1. सभी फसले : वार्षिक वृद्धि पर (प्रतिशत) \$	7.6	-13.2	21.0	-1.6	12.1	11.6	6.6
अ) खाद्यान्न	9.4	-14.9	22.6	-7.1	5.8	3.6	5.7
आ) खाद्यान्नेतर	5.4	-11.1	19.2	1.6	16.0	15.6	7.9
अ. खाद्यान्न (क + ख)	212.9	174.8	213.2	198.4	208.6	217.3	230.7
1. चावल	93.3	71.8	88.5	83.1	91.8	93.4	96.4
2. गेहूं	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	75.8	78.4
3. मोटे अनाज	33.4	26.1	37.6	33.5	34.1	33.9	40.7
जिनमें से :							
i) ज्वार	7.6	7.0	6.7	7.2	7.6	7.2	7.8
ii) बाजरा	8.3	4.7	12.1	7.9	7.7	8.4	9.8
iii) मका	13.2	11.2	15.0	14.2	14.7	15.1	19.3
4. दालें	13.4	11.1	14.9	13.1	13.4	14.2	15.1
जिनमें से :							
i) अरहर / तूर	2.3	2.2	2.4	2.4	2.7	2.3	3.1
ii) चना	5.5	4.2	5.7	5.5	5.6	6.3	5.9
क) खरीफ	112.1	87.2	117.0	103.3	109.9	110.6	121.0
1. चावल	80.5	63.1	78.6	72.2	78.3	80.2	82.8
2. मोटे अनाज	26.7	20.0	32.2	26.4	26.7	25.6	31.7
जिनमें से :							
i) ज्वार	4.2	4.2	4.8	4.0	4.1	3.7	4.1
ii) बाजरा	8.3	4.7	12.1	7.9	7.7	8.4	9.8
iii) मका	11.3	9.3	12.7	11.5	12.2	11.6	15.2
3. दालें	4.8	4.2	6.2	4.7	4.9	4.8	6.5
जिनमें से :							
i) अरहर / तूर	2.3	2.2	2.4	2.4	2.7	2.3	3.1
ख) रबी	100.8	87.6	96.2	95.1	98.7	106.7	109.7
1. चावल	12.8	8.7	9.9	10.9	13.5	13.2	13.6
2. गेहूं	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	75.8	78.4
3. मोटे अनाज	6.7	6.1	5.4	7.1	7.3	8.3	9.0
जिनमें से :							
i) ज्वार	3.3	2.8	1.8	3.2	3.6	3.4	3.6
ii) मका	1.9	1.9	2.3	2.7	2.6	3.5	4.2
4. दालें	8.5	7.0	8.7	8.4	8.5	9.4	8.7
जिनमें से :							
i) चना	5.5	4.2	5.7	5.5	5.6	6.3	5.9
आ. खाद्यान्नेतर							
1. तिलहन ++	20.7	14.8	25.2	24.4	28.0	24.3	28.8
जिनमें से :							
i) मूंगफली	7.0	4.1	8.1	6.8	8.0	4.9	9.4
ii) रेपसिड/सरसों	5.1	3.9	6.3	7.6	8.1	7.4	5.8
iii) सनफ्लॉवर	0.7	0.9	0.9	1.2	1.4	1.2	1.4
iv) सोयाबिन	6.0	4.7	7.8	6.9	8.3	8.9	10.0
2. गन्ना	297.2	287.4	233.9	237.1	281.2	355.5	340.6
3. कपास @	10.0	8.6	13.7	16.4	18.5	22.6	25.8
4. जूट और मेस्ता +	11.7	11.3	11.2	10.3	10.8	11.3	11.2
5. चाय*	853.9	838.5	878.1	893.0	946.0	955.9	944.7 \$\$
6. कॉफी*	300.6	275.3	270.5	275.5	274.0	280.0	262.0 \$\$

: 9 जुलाई 2008 को चौथा अग्रिम अनुमान
 \$: वृद्धि दरें कृषि उत्पादन के सूचकांक पर आधारित हैं, आधार : 1993-94 को समाप्त तीन वर्ष=100
 \$\$: अप्रैल - नवंबर के लिए अनुमानित उत्पादन
 ++ : कुल ग्यारह तिलहनों में से नौ के लिए
 @ : मिलियन गांठें - एक गांठ = 170 कि.ग्रा.
 + : मिलियन गांठें - एक गांठ = 180 कि.ग्रा.
 * : मिलियन किलोग्राम
 स्रोत : कृषि मंत्रालय ; भारत सरकार ।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 5 : खाद्यान्न की सरकारी खरीद, निकासी और स्टॉक

(मिलियन टन)

वर्ष	सरकारी खरीद			निकासी			स्टॉक*		
	चावल	गेहूँ	जोड़	चावल	गेहूँ	जोड़	चावल	गेहूँ	जोड़#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1995-96	9.93	12.33	22.16	11.63	12.72	24.35	13.06	7.76	20.82
1996-97	11.88	8.16	20.04	12.31	13.32	25.63	13.17	3.24	16.41
1997-98	14.54	9.30	23.84	11.20	7.76	18.96	13.05	5.08	18.12
1998-99	11.55	12.65	24.20	11.83	8.90	20.73	12.16	9.66	21.82
1999-00	16.62	14.14	30.76	12.42	10.63	23.05	15.72	13.19	28.91
2000-01	18.93	16.36	35.29	10.42	7.79	18.21	23.19	21.50	44.98
2001-02	21.12	20.63	41.75	15.32	15.99	31.30	24.91	26.04	51.02
2002-03	19.00	19.03	38.03	24.85	24.99	49.84	17.16	15.65	32.81
2003-04	20.78	15.80	36.58	25.04	24.29	49.33	13.07	6.93	20.65
2004-05	24.04	16.80	40.83	23.20	18.27	41.47	13.34	4.07	17.97
2005-06	26.69	14.79	41.48	25.08	17.17	42.25	13.68	2.01	16.62
2006-07	26.30	9.23	35.53	25.06	11.71	36.77	13.17	4.70	17.93
2007-08	26.26	11.13	37.39	25.22	12.20	37.43	13.84	5.80	19.75
2008-09 \$	4.52	22.54	27.06	1.95	0.83	2.78	12.86	17.69	30.67

* : मार्च के अंत में स्टॉक ।

: मोटे अनाज समाविष्ट ।

\$: 31 जुलाई 2008 तक खरीद, 30 अप्रैल 2008 तक निकासी एवं 1 मई 2008 को स्टॉक।

स्रोत : खाद्य, उपभोक्ता कार्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 6 : औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियां (आधार : 1993-94=100)

क्षेत्र	खनन और उत्खनन		विनिर्माण		बिजली		सामान्य	
भारांक	10.5		79.4		10.2		100.0	
अवधि	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2003-04	146.9	5.3 (6.2)	196.6	7.4 (86.4)	172.6	5.0 (6.8)	189.0	7.0 (100.0)
2004-05	153.4	4.4 (4.3)	214.6	9.1 (90.4)	181.5	5.2 (5.7)	204.8	8.4 (100.0)
2005-06	154.9	1.0 (0.9)	234.2	9.1 (93.1)	190.9	5.2 (5.7)	221.5	8.2 (100.0)
2006-07	163.2	5.3 (3.4)	263.5	12.5 (90.8)	204.7	7.3 (5.5)	247.1	11.5 (100.0)
2007-08 अ	171.6	5.1 (4.2)	287.2	9.0 (90.0)	217.7	6.3 (6.3)	268.0	8.5 (100.0)
2006-07								
अप्रैल-जून	158.4	3.6	246.4	11.7	200.9	5.3	232.5	10.5
जुलाई-सितंबर	145.0	2.6	254.9	13.0	201.2	8.0	237.9	11.8
अक्टूबर-दिसंबर	166.8	6.9	264.9	11.8	207.7	9.2	248.8	11.2
जनवरी-मार्च	182.6	7.7	288.0	13.5	209.2	6.6	268.9	12.5
अप्रैल-सितंबर	151.7	3.1	250.6	12.3	201.0	6.6	235.2	11.1
अक्टूबर-मार्च	174.7	7.3	276.4	12.7	208.5	7.9	258.9	11.9
2007-08 अ								
अप्रैल-जून	162.6	2.7	273.7	11.1	217.5	8.3	256.4	10.3
जुलाई-सितंबर	155.7	7.4	277.7	8.9	215.4	7.1	258.6	8.7
अक्टूबर-दिसंबर	176.0	5.5	288.5	8.9	217.3	4.6	269.4	8.3
जनवरी-मार्च	192.0	5.2	308.9	7.3	220.7	5.5	287.7	7.0
अप्रैल-सितंबर	159.2	4.9	275.7	10.0	216.5	7.7	257.5	9.5
अक्टूबर-मार्च	184.0	5.3	298.7	8.0	219.0	5.1	278.6	7.6
2008-09 अ								
अप्रैल-जून	170.2	4.7	289.0	5.6	221.8	2.0	269.7	5.2

अ : अर्न्तम ।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े तुलनात्मक योगदान के हैं, संबंधित अंशदान की गणना संबंधित उद्योग समूह के भारांक के लिए समायोजित समग्र सूचकांक में परिवर्तन से संबंधित उद्योग समूह के सूचकांक में परिवर्तन के अनुपात (प्रतिशत के रूप में) से की गई है ।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 7 : विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह प्रमुख उद्योगसमूहों के सूचकांक में वृद्धि
(आधार : 1993-94=100)

उद्योग समूह	भारांक	सूचकांक		प्रतिशत घटबढ़		तुलनात्मक अंशदान (प्रतिशत)	
		2006-07	2007-08अ	2006-07	2007-08 अ	2006-07	2007-08 अ
1	2	3	4	5	6	7	8
I तीव्र वृद्धि	23.37						
1. लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर व जुड़नार	2.70	91.0	127.9	29.1	40.5	2.4	5.3
2. जूट तथा अन्य वानस्पतिक रेशे उद्योग (रुई के अलावा)	0.59	90.7	120.7	-15.8	33.0	-0.4	0.9
3. अन्य विनिर्मित उद्योग	2.56	298.4	357.4	7.7	19.8	2.4	8.0
4. पेय, तंबाकू व संबद्ध उत्पाद	2.38	444.5	498.0	11.1	12.0	4.5	6.8
5. चमड़ा और चमड़ा तथा फर के उत्पाद	1.14	150.2	167.8	0.6	11.7	0.0	1.1
6. पेट्रोलियम व कोयला उत्पाद छोड़कर रसायन व रासायनिक उत्पाद	14.00	283.4	313.4	9.6	10.6	15.0	22.4
II धीमी वृद्धि	53.18						
7. मूल धातु और मिश्र धातु उद्योग	7.45	278.9	312.7	22.8	12.1	16.6	13.4
8. मशीनरी व उपस्कर, परिवहन उपस्कर से इतर	9.57	357.1	394.4	14.2	10.5	18.2	19.0
9. रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम व कोयला उत्पाद छोड़कर	5.73	226.3	246.4	12.9	8.9	6.4	6.1
10. खाद्य उत्पाद	9.08	185.2	198.2	8.5	7.0	5.7	6.3
11. गैर धात्विक खनिज उत्पाद	4.40	305.8	323.2	12.8	5.7	6.6	4.1
12. उन, रेशम व मानव निर्मित रेशे वस्त्र	2.26	268.4	281.2	7.8	4.8	1.9	1.5
13. सूती वस्त्र	5.52	157.3	164.0	14.8	4.3	4.8	2.0
14. वस्त्र उत्पाद (परिधान सहित)	2.54	285.0	295.5	11.5	3.7	3.2	1.4
15. परिवहन उपस्कर और पुर्जे	3.98	367.7	378.4	15.0	2.9	8.2	2.3
16. कागज व कागज के उत्पाद तथा मुद्रण, प्रकाशन व संबद्ध उद्योग	2.65	248.6	255.3	8.7	2.7	2.3	0.9
III ऋणात्मक	2.81						
17. धातु उत्पाद व पुर्जे (मशीनरी व उपस्कर को छोड़कर)	2.81	183.2	172.9	11.4	-5.6	2.3	-1.5
विनिर्माण (कुल)	79.36	263.5	287.2	12.5	9.0	100.0	100.0

अ. : अनंतिम ।

टिप्पणी : 1. विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग समूहों को उनके 2007-08 के कार्य-निष्पादन के आधार पर बांटा गया है।

2. संबंधित अंशदान की गणना संबंधित उद्योग समूह के भारांक के लिए समायोजित समग्र सूचकांक में परिवर्तन से संबंधित उद्योग समूह के सूचकांक में परिवर्तन के अनुपातों (प्रतिशत के रूप में) से की गई है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 8 : विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह प्रमुख उद्योग समूहों की वृद्धि दरों की बारंबारिता का वितरण - 2003-04 से 2007-08 तक

(वर्ष की संख्या)

उद्योग समूह	भारंक्र	ऋणात्मक	0-5 %	5-10 %	10-15 %	15+ %	5% अधिक (स्तंभ 5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. खाद्य उत्पाद	9.08	2	1	2	0	0	2
2. पेय पदार्थ, तंबाकू और संबंधित उत्पाद	2.38	0	0	1	3	1	5
3. सूती वस्त्र	5.52	1	1	2	1	0	3
4. ऊनी, रेशम और मानवनिर्मित रेशे के वस्त्र	2.26	0	3	2	0	0	2
5. जूट और अन्य वनस्पति रेशे वाले वस्त्र (रुई को छोड़कर)	0.59	2	2	0	0	1	1
6. वस्त्र उत्पाद (परिधान सहित)	2.54	1	1	0	1	2	3
7. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और जुड़नार	2.70	2	0	1	0	2	3
8. कागज और कागज के उत्पाद तथा मुद्रण, प्रकाशन एवं संबद्ध उद्योग	2.65	1	1	1	1	1	3
9. चमड़ा तथा चमड़ा एवं फर के उत्पाद	1.14	2	1	1	1	0	2
10. मूल रसायन और रासायनिक उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयले के उत्पाद के अलावा)	14.00	0	0	3	2	0	5
11. रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पाद	5.73	0	3	1	1	0	2
12. गैर धात्विक खनिज उत्पाद	4.40	0	2	1	2	0	3
13. मूल धातू तथा मिश्र उद्योग	7.45	0	0	2	1	2	5
14. धातू उत्पाद तथा पुर्जे (मशीनरी और उपस्कर को छोड़कर)	2.81	2	1	1	1	0	2
15. मशीनरी और उपस्कर, परिवहन उपस्कर को छोड़कर	9.57	0	0	0	3	2	5
16. परिवहन उपस्कर और पुर्जे	3.98	0	2	0	1	2	3
17. अन्य विनिर्माण उद्योग	2.56	0	0	2	0	3	5

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 9 : औद्योगिक उत्पादन का उपयोग-आधारित वर्गीकरण
(आधार : 1993-94=100)

उद्योग समूह	भारंक	सूचकांक			वृद्धि दर (प्रतिशत)					
		2005-06	2006-07	2007-08 अ	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. मूल वस्तुएं	35.57	189.8	209.3	223.9	4.8 (27.4)	5.5 (25.0)	5.5 (20.9)	6.7 (25.3)	10.3 (27.1)	7.0 (24.8)
2. पूंजीगत वस्तुएं	9.26	265.8	314.2	370.8	10.5 (16.2)	13.6 (18.0)	13.9 (16.5)	15.7 (20.1)	18.2 (17.5)	18.0 (25.1)
3. मध्यवर्ती वस्तुएं	26.51	216.4	242.4	264.1	3.9 (19.3)	6.4 (25.4)	6.1 (20.3)	2.5 (8.4)	12.0 (26.9)	8.9 (27.5)
4. उपभोक्ता वस्तुएं (क+ख)	28.66	251.4	276.8	293.6	7.1 (37.0)	7.2 (31.0)	11.7 (42.6)	12.0 (46.3)	10.1 (28.4)	6.1 (23.0)
क) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	5.36	349.9	382.0	378.0	-6.3 (-8.9)	11.6 (11.9)	14.3 (12.9)	15.3 (14.9)	9.2 (6.7)	-1.0 (-1.0)
ख) उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं	23.30	228.8	252.6	274.2	12.0 (45.9)	5.8 (19.2)	10.8 (29.6)	10.9 (31.5)	10.4 (21.7)	8.5 (24.1)
औसत-सामान्य	100.00	221.5	247.1	268.0	5.8 (100.0)	7.0 (100.0)	8.4 (100.0)	8.2 (100.0)	11.5 (100.0)	8.5 (100.0)

अ : अर्न्तम.

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें तुलनात्मक योगदान के हैं। संबंधित अंशदान की गणना संबंधित उद्योग के भारंक के लिए समायोजित समग्र सूचकांक में परिवर्तन के अनुपात (प्रतिशत के रूप में) से की गई है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 10 : संरचनावाले छह उद्योगों की वृद्धि (आधार : 1993-94=100)

उद्योग	भारंक	सूचकांक		वृद्धि दर (प्रतिशत)				
		2006-07	2007-08 अ	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. बिजली	10.17	204.7	217.7	5.0 (30.0)	5.2 (32.1)	5.2 (30.5)	7.3 (28.0)	6.3 (39.2)
2. कोयला	3.22	172.8	183.2	5.1 (8.0)	6.2 (10.2)	6.6 (10.4)	5.9 (6.2)	6.0 (9.9)
3. परिष्कृत स्टील	5.13	330.2	347.1	9.8 (39.4)	8.4 (37.1)	10.8 (46.9)	13.1 (38.9)	5.1 (25.7)
4. सीमेंट	1.99	281.4	304.1	6.1 (8.8)	6.6 (10.0)	12.4 (18.1)	9.1 (9.3)	8.1 (13.4)
5. कच्चा पेट्रोलियम	4.17	125.8	126.2	0.7 (1.3)	1.8 (3.3)	-5.2 (-8.8)	5.5 (5.5)	0.4 (0.6)
6. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	2.00	274.6	292.5	8.2 (12.4)	4.3 (7.0)	2.1 (3.3)	12.9 (12.4)	6.5 (10.7)
बुनियादी संरचनावाले उद्योगों का संमिश्र सूचकांक #	26.68	223.6	236.2	6.1 (100.0)	5.8 (100.0)	6.1 (100.0)	9.3 (100.0)	5.6 (100.0)

अ : अनंतिम.

: भारत उद्योगवार सूचकांक पर आधारित अनुमान

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ें तुलनात्मक योगदान के हैं। संबंधित अंशदान की गणना संबंधित उद्योग समूह के भारांक के लिए समायोजित समग्र सूचकांक में प्रत्येक समूह के सूचकांक में परिवर्तन के अनुपात (प्रतिशत के रूप में) से की गई हैं।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 11 : सकल घरेलू बचत और निवेश

मद	चालू बाजार मूल्यों पर सघउ का प्रतिशत				राशि करोड़ रूपए		
	10 वी योजना औसत	2004-05	2005-06	2006-07 *	2004-05	2005-06	2006-07 *
1	2	3	4	5	6	7	8
1. घरेलू बचत	23.7	23.0	24.2	23.8	7,25,110	8,66,756	9,85,822
जिनमें से :							
क) वित्तीय आस्तियां	11.0	10.1	11.8	11.3	3,18,264	4,20,841	4,67,985
ख) भौतिक आस्तियां	12.7	12.9	12.5	12.5	4,06,846	4,45,915	5,17,837
2. निजी कंपनी क्षेत्र	6.0	6.6	7.5	7.8	2,06,363	2,68,329	3,22,242
3. सरकारी क्षेत्र	1.7	2.2	2.6	3.2	68,951	92,263	1,33,359
4. सकल घरेलू बचत	31.4	31.8	34.3	34.8	10,00,424	12,27,348	14,41,423
5. निवल पूंजी आगम	0.0	0.4	1.2	1.1	13,338	44,604	46,362
6. सकल घरेलू पूंजी निर्माण	31.4	32.2	35.5	35.9	10,13,761	12,71,953	14,87,786
7. भूल-चूक	0.0	0.6	1.0	-0.1	17818.0	35153.0	-4527.0
8. सकल पूंजी निर्माण	30.8	31.6	34.5	36.0	9,95,943	12,36,800	14,92,313
जिनमें से :							
क) सरकारी क्षेत्र	6.9	6.9	7.6	7.8	2,16,962	2,72,002	3,21,753
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	10.1	10.5	13.3	14.5	3,31,081	4,77,490	6,03,014
ग) घरेलू क्षेत्र	12.8	12.9	12.5	12.5	4,06,846	4,45,916	5,17,837
घ) कीमती वस्तुएं #	1.0	1.3	1.2	1.2	41,054	41,392	49,709
जापन :							
कुल खपत व्यय (क+ख)		69.2	67.8	66.1			
क) अंतिम निजी खपत व्यय		58.4	57.4	55.8			
ख) अंतिम सरकारी खपत व्यय		10.7	10.4	10.3			
बचत-निवेश शेष (4-6)		-0.4	-1.2	-1.1			
सरकारी क्षेत्र शेष		-4.7	-5.0	-4.5			
निजी क्षेत्र शेष		6.1	5.9	4.5			
क) निजी कंपनी क्षेत्र		-4.0	-5.8	-6.8			
ख) घरेलू क्षेत्र		10.1	11.8	11.3			
बाजार मूल्यों (चालू मूल्य) पर सकल घरेलू उत्पाद		31,49,412	35,80,344	41,45,810			

* : त्वरित अनुमान।

: कीमती वस्तुओं में उनकी कला एवं कारीगरी के कार्य को छोड़कर उनके अर्जन पर किया गया व्यय शामिल है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 12 : घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत (सकल)

मद	कुल वित्तीय बचत का प्रतिशत			करोड़ रुपए में		
	2005-06 (अ)	2006-07 (अ)	2007-08 #	2005-06 (अ)	2006-07 (अ)	2007-08 #
1	2	3	4	5	6	7
वित्तीय बचत (सकल)	100.0	100.0	100.0	5,97,867	7,68,967	7,34,699
	(16.7)	(18.5)	(15.6)			
क) मुद्रा	8.9	8.6	10.9	53,071	66,323	80,342
	(1.5)	(1.6)	(1.7)			
ख) जमाराशियां	47.0	55.3	56.5	2,80,772	4,25,050	4,15,245
	(7.8)	(10.3)	(8.8)			
i) बैंकों में	46.0	54.3	55.3	2,74,747	4,17,228	4,06,448
ii) गैर बैंकिंग कंपनियों में	1.0	1.0	1.2	6,130	7,873	8,772
iii) सहकारी बैंक और सोसायटी में	0.0	0.0	0.0	117	131	183
iv) व्यापार ऋण (निवल)	0.0	0.0	0.0	-222	-183	-158
ग) शेयर और डिबेंचर	5.1	6.6	10.5	30,735	51,086	77,073
	(0.9)	(1.2)	(1.6)			
i) निजी कंपनी कारोबार	1.3	1.4	2.7	8,034	10,953	19,828
ii) बैंकिंग	0.1	0.1	0.1	366	403	443
iii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट	-0.1	0.0	0.0	-444	-310	-325
iv) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बांड	0.0	0.0	0.0	172	237	328
v) पारस्परिक निधियां (यूटीआई से इतर)	3.8	5.2	7.7	22,606	39,803	56,799
घ) सरकार पर दावे	14.6	5.3	-3.7	87,168	40,627	-27,042
	(2.4)	(1.0)	(-0.6)			
i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	2.4	0.2	-2.0	14,390	1,667	-14,763
ii) अल्प बचत आदि में निवेश	12.2	5.1	-1.7	72,778	38,960	-12,279
ड) बीमा निधियां	14.0	14.9	17.5	83,540	1,14,889	1,28,878
	(2.3)	(2.8)	(2.7)			
i) जीवन बीमा निधियां	13.4	14.4	16.9	80,020	1,10,965	1,24,422
ii) डाक बीमा	0.3	0.3	0.4	1,962	2,200	3,045
iii) राज्य बीमा	0.3	0.2	0.2	1,559	1,724	1,411
च) भविष्य निधि एवं पेन्शन निधियां	10.5	9.2	8.2	62,581	70,992	60,204
	(1.7)	(1.7)	(1.3)			
ज्ञापन :						
बाजार मूल्यों (चालू मूल्य) पर सकल घरेलू उत्पाद				35,80,344	41,45,810	47,13,148

अ : अंतिम

: प्राथमिक अनुमान

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े चालू बाजार मूल्यों के आधार पर सघट का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों के योग और कुल में संगतता न हो।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 13 : आरक्षित मुद्रा में घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपए)

मद	31 मार्च 2008 को बकाया	घट-बढ़							
		वित्तीय वर्ष				अप्रैल-जून			
		2006-07		2007-08		2007-08		2008-09	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आरक्षित मुद्रा (सी.1+सी.2+सी.3+एस.1+एस.2+एस.3+एस.4+एस.5-एस.6)	9,28,417	1,35,935	23.7	2,19,427	30.9	11,630	1.6	3,155	0.3
घटक									
सी.1. संचलन में मुद्रा	5,90,901	73,523	17.1	86,702	17.2	16,866	3.3	36,795	6.2
सी.2. भारिबैंक के पास बैंकों की जमाराशियां जिनमें से :	3,28,447	61,784	45.6	1,31,152	66.5	-4,800	-2.4	-29,333	-8.9
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	3,11,880	59,261	46.6	1,25,558	67.4	-5,722	-3.1	-30,480	-9.8
सी.3. भारतीय रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	9,069	628	9.1	1,573	21.0	-436	-5.8	-4,308	-47.5
स्रोत									
एस.1. सरकार को भारिबैंक का निवल ऋण (क+ख)	-1,13,209	-4,176		-1,15,632		-22,154		-13	
क) केंद्र सरकार को भारिबैंक का निवल ऋण (i+ii)	-1,14,636	-3,024		-1,16,772		-21,825		1,430	
i) केंद्र सरकार पर दावे	1,14,725	26,620		17,542		-34,156		-39,240	
ii) केंद्र सरकार की जमाराशियां	2,29,361	29,644		1,34,314		-12,330		-40,670	
ख) राज्य सरकारों को भारि बैंक का निवल ऋण (i+ii)	1,427	-1,152		1,140		-328		-1,443	
i) राज्य सरकारों पर दावे	1,468	-1,152		1,140		-328		-1,443	
i) राज्य सरकारों की जमाराशियां	41	0		0		0		0	
एस.2. वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर भारि बैंक के दावे जिनमें से :	4,590	4,838		-3,045		-6,299		-2,978	
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	4,571	4,822		-1,739		-6,209		-2,959	
एस.3. वाणिज्य क्षेत्र को भारिबैंक का ऋण	1,788	150	10.8	251	16.3	-151	-9.8	-381	-21.3
एस.4. भारिबैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,36,130	1,93,170	28.7	3,69,977	42.7	-2,745	-0.3	1,03,932	8.4
एस.5. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	9,324	-493	-5.6	1,064	12.9	166	2.0	161	1.7
एस.6. भारतीय रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	2,10,206	54,556	44.5	33,187	18.7	-42,812	-24.2	97,567	46.4
एस.7. भारतीय रिजर्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियां (एस.1+एस.2+एस.3+एस.5-एस.6)	-3,07,713	-57,234	57.3	-1,50,550	95.8	14,375	-9.1	-1,00,777	32.8

टिप्पणी : आंकड़े अंतिम हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 14 : भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) सर्वेक्षण

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	31 मार्च 2008 को बकाया	घट-बढ़							
		वित्तीय वर्ष				अप्रैल-जून			
		2006-07		2007-08		2007-08		2008-09	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
घटक									
सी.1 संचलन में मुद्रा	5,90,901	73,523	17.1	86,702	17.2	16,866	3.3	36,795	6.2
सी.11 भारिबैंक के पास बैंकरों की जमाराशि	3,28,447	61,784	45.6	1,31,152	66.5	-4,800	-2.4	-29,333	-8.9
सी.11.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	3,11,880	59,261	46.6	1,25,558	67.4	-5,722	-3.1	-30,480	-9.8
सी.111 भारिबैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	9,069	628	9.1	1,573	21.0	-436	-5.8	-4,308	-47.5
आरक्षित मुद्रा (सी.1+सी.11+सी.111=एस.1+एस.11+एस.111-एस.11-एस.111)	9,28,417	1,35,935	23.7	2,19,427	30.9	11,630	1.6	3,155	0.3
स्रोत									
एस.1 भारिबैंक के धरेलू ऋण (एस.1.1 + एस.1.2 + एस.1.3)	-1,06,831	-2,186		-1,18,426		-28,604		-3,372	
एस.1.1 सरकार को निवल भारिबैंक ऋण (एस.1.1.1+एस.1.1.2)	-1,13,209	-4,176		-1,15,632		-22,154		-13	
एस.1.1.1 केंद्र सरकार को निवल भारिबैंक ऋण (एस.1.1.1.1+एस.1.1.1.2+एस.1.1.1.3+एस.1.1.1.4+एस.1.1.1.5)	-114,636	-3,024		-1,16,772		-21,825		1,430	
एस.1.1.1.1 केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम	0	0		0		0		0	
एस.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	0	0		0		0		0	
एस.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1,14,593	26,763	38.0	17,421	17.9	-34,284	-35.3	-39,239	-34.2
एस.1.1.1.3.1 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	1,13,547	26,763	38.6	17,421	18.1	-34,284	-35.7	-39,239	-34.6
एस.1.1.1.4 रुपए के सिक्के	132	-143		121		128		-1	
एस.1.1.1.5 केंद्र सरकार की जमाराशि	2,29,361	29,644		1,34,314		-12,330		-40,670	
एस.1.1.2 राज्य सरकार को निवल भारिबैंक ऋण	1,427	-1,152		1,140		-328		-1,443	
एस.1.2 बैंकों पर भारिबैंक के दावे	4,590	4,838		-3,045		-6,299		-2,978	
एस.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	4,571	4,822		-1,739		-6,209		-2,959	
एस.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भारिबैंक के ऋण	1,788	-2,848	-64.9	251	16.3	-151	-9.8	-381	-21.3
S.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	405	153		252		-153		-230	
S.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	0	-2,998		0		0		0	
एस.11 जनता के प्रति सरकारी मुद्रा देयताएं	9,324	-493	-5.6	1,064	12.9	166	2.0	161	1.7
एस.111 भारिबैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,36,130	1,93,170	28.7	3,69,977	42.7	-2,745	-0.3	1,03,932	8.4
एस.111.1 सोना	40,124	3,899	15.2	10,551	35.7	-1,426	-4.8	-934	-2.3
एस.111.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	11,96,023	1,89,270	29.2	3,59,426	43.0	-1,318	-0.2	1,04,866	8.8
एस.111.3 विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,79,181	40,632	34.8	21,902	13.9	-50,463	-32.1	88,386	49.3
एस.111.4 अन्य मुद्रा आस्तियां	31,025	13,924		11,286		7651		9,181	

टिप्पणी : आंकड़े अंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 15 : मुद्रा स्टॉक में घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	31 मार्च 2008 को बकाया	घट-बढ़							
		वित्तीय वर्ष				अप्रैल-जून			
		2006-07		2007-08		2007-08		2008-09	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संकीर्ण मुद्रा (एम ₁)(सी.1+सी.2(क)+सी.3]	11,50,953	1,39,714	16.9	1,84,864	19.1	-26,229	-2.7	-45,998	-4.0
व्यापक मुद्रा (एम ₂) (सी.1+सी.2+सी.3=एस.1+एस.2+एस.3+एस.4-एस.5)	40,06,722	5,86,548	21.5	6,90,629	20.8	73,824	2.2	84,387	2.1
घटक									
सी 1. जनता के पास मुद्रा	5,67,476	69,786	16.9	84,571	17.5	18,237	3.8	36,481	6.4
सी 2. बैंकों के पास कुल जमा राशियां (क+ख)	34,30,177	5,16,134	22.3	6,04,485	21.4	56,023	2.0	52,214	1.5
क) मांग जमा राशियां	5,74,408	69,300	17.1	98,721	20.8	-44,030	-9.3	-78,171	-13.6
ख) मीयादी जमा राशियां	28,55,769	4,46,834	23.5	5,05,765	21.5	1,00,053	4.3	1,30,385	4.6
सी 3. भारतीय रिजर्व बैंक पास 'अन्य' जमा राशियां	9,069	628	9.1	1,573	21.0	-436	-5.8	-4,308	-47.5
स्रोत									
एस 1. सरकार को बैंक का निवल ऋण (अ+आ)	9,07,077	69,177	9.0	72,842	8.7	28,117	3.4	32,597	3.6
अ भारतीय रिजर्व बैंक का सरकार को निवल ऋण (क+ख)	-1,13,209	-4,176		-1,15,632		-22,154		-13	
क. केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण	-1,14,636	-3,024		-1,16,772		-21,825		1,430	
ख. राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण	1,427	-1,152		1,140		-328		-1,443	
आ सरकार को अन्य बैंकों का ऋण	10,20,286	73,353	9.7	1,88,474	22.7	50,270	6.0	32,610	3.2
एस 2. वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	25,69,912	4,37,074	25.8	4,39,834	20.6	-30,547	-1.4	42,252	1.6
क) वाणिज्य क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण	1,788	150	10.8	251	16.3	-151	-9.8	-381	-21.3
ख) वाणिज्य क्षेत्र को अन्य बैंकों का ऋण	25,68,124	4,36,924	25.8	4,39,583	20.7	-30,395	-1.4	42,633	1.7
एस 3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (क+ख)	12,95,131	1,86,985	25.7	3,81,952	41.8	-17,945	-2.0	1,03,932	8.0
क) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,36,130	1,93,170	28.7	3,69,977	42.7	-2,745	-0.3	1,03,932	8.4
ख) अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	59,001	-6,184	-11.6	11,975	25.5	-15,200	-32.3	0	0.0
एस 4. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	9,324	-493	-5.6	1,064	12.9	166	2.0	161	1.7
एस 5. बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं (क+ख)	7,74,723	1,06,195	22.9	2,05,063	36.0	-94,033	-16.5	94,555	12.2
क) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	2,10,206	54,556	44.5	33,187	18.7	-42,812	-24.2	97,567	46.4
ख) अन्य बैंकों की निवल मुद्रेतर देयताएं (अवशिष्ट)	5,64,517	51,640	15.1	1,71,876	43.8	-51,221	-13.0	-3,012	-0.5

टिप्पणी : आंकड़े अर्न्ततम हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 16 : नए मौद्रिक समुच्चय

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	31 मार्च 2008 को बकाया	घट-बढ़							
		वित्तीय वर्ष				अप्रैल-जून			
		2006-07		2007-08		2007-08		2008-09	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मौद्रिक समुच्चय									
एम ₁ (सी.1+सी.11.1+सी.111)	11,52,851	1,39,139	16.8	1,83,442	18.9	-26,416	-2.7	-46,345	-4.0
एनएम ₂ (एम ₁ +सी.11.2.1)	24,00,856	3,34,971	20.2	4,10,238	20.6	19,028	1.0	11,082	0.5
एनएम₃ (एनएम₂+सी.11.2.2+सी.11.4=एस.1+एस.11+एस.111-एस.114-एस.115)	40,32,699	5,77,013	21.0	7,08,101	21.3	71,586	2.2	79,607	2.0
घटक									
सी.1 जनता के पास मुद्रा	5,67,615	69,834	16.9	84,638	17.5	18,279	3.8	36,512	6.4
सी.11 निवासियों की कुल जमाराशियां (सी.11.1 + सी.11.2)	33,49,511	5,03,859	22.4	6,01,222	21.9	56,727	2.1	49,066	1.5
सी.11.1 मांग जमाराशियां	5,76,167	68,677	16.7	97,232	20.3	-44,259	-9.2	-78,549	-13.6
सी.11.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां (सी.11.2.1 + सी.11.2.2)	27,73,344	4,35,181	23.7	5,03,990	22.2	1,00,986	4.4	1,27,616	4.6
सी.11.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	12,48,005	1,95,832	23.7	2,26,796	22.2	45,444	4.4	57,427	4.6
सी.11.2.1.1 जमा प्रमाणपत्र (जप्र)	1,66,642	52,943		69,200		9,315		-1,431	
सी.11.2.1.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	15,25,339	2,39,350	23.7	2,77,195	22.2	55,542	4.4	70,189	4.6
सी.111 भारिबैंके पास 'अन्य' जमाराशियां	9,069	628	9.1	1,573	21.0	-436	-5.8	-4,308	-47.5
सी.114 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निवधीयन	1,06,504	2,692	3.2	20,668	24.1	-2,984	-3.5	-1,664	-1.6
स्रोत									
एस.1 घरेलू ऋण (एस.1.1+एस.1.2)	36,31,337	5,03,007	19.4	5,35,200	17.3	18,642	0.6	82,772	2.3
एस.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण (एस.1.1.1+एस.1.1.2)	8,96,064	69,463	9.2	70,507	8.5	27,716	3.4	31,712	3.5
एस.1.1.1 सरकार को निवल भारिबैंक ऋण	-1,13,209	-4,176		-1,15,632		-22,154		-13	
एस.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली से सरकार को ऋण	10,09,273	73,639	9.8	1,86,138	22.6	49,870	6.1	31,725	3.1
एस.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (एस.1.2.1+एस.1.2.2)	27,35,273	4,33,544	23.6	4,64,693	20.5	-9,074	-0.4	51,060	1.9
एस.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भारिबैंक ऋण	1,788	-2,848	-64.9	251	16.3	-151	-9.8	-381	-21.3
एस.1.2.2 बैंकिंग व्यवस्था से वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	27,33,485	4,36,391	23.8	4,64,442	20.5	-8,923	-0.4	51,441	1.9
एस.1.2.2.1 अन्य निवेश (सां.च.अनु. की प्रतिभूतियों से इतर)	1,79,572	5,114	3.5	30,155	20.2	23,487	15.7	9,626	5.4
एस.11 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	9,324	-493	-5.6	1,064	12.9	166	2.0	161	1.7
एस.111 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (एस.111.1+एस.111.2)	11,65,934	1,98,173	31.6	3,40,392	41.2	73	0.0	84,185	7.2
एस.111.1 भारिबैं की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,36,130	1,93,170	28.7	3,69,977	42.7	-2,745	-0.3	1,03,932	8.4
एस.111.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-70,196	5,004	-11.0	-29,585	72.8	2,817	-6.9	-19,748	28.1
एस.114 पूंजी खाता	4,75,973	65,706	20.6	91,723	23.9	-23,650	-6.2	1,31,377	27.6
एस.115 अन्य मदें (निवल)	2,97,923	57,968	35.5	76,831	34.8	-29,055	-13.1	-43,865	-14.7

टिप्पणी : आंकड़े अंतिम हैं।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 17 : चलनिधि समुच्चय (बकाया राशि)

(राशि करोड़ रुपए)

माह/वर्ष	एनएम ₃	डाक घर जमाराशि	एल ₁	वित्तीय संस्थाओं की देयताएं				एल ₂	एनबीएफसी के पास जनता की जमा राशियां	एल ₃
				मीयादी मुद्रा उधार	जमा प्रमाण पत्र	सावधि जमाराशि	कुल			
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7	8=(5+6+7)	9=(4+8)	10	11=(9+10)
2006-07										
अप्रैल	27,84,883	1,04,700	28,89,583	2,656	31	245	2,932	28,92,515		
मई	27,88,335	1,05,852	28,94,187	2,656	31	245	2,932	28,97,119		
जून	28,01,951	1,07,171	29,09,122	2,656	31	245	2,932	29,12,054	22,623	29,34,677
जुलाई	28,46,735	1,08,492	29,55,227	2,656	31	245	2,932	29,58,159		
अगस्त	28,90,723	1,09,931	30,00,654	2,656	31	245	2,932	30,03,586		
सितंबर	29,65,093	1,11,023	30,76,116	2,656	31	245	2,932	30,79,048	25,578	31,04,625
अक्टूबर	29,59,194	1,11,997	30,71,191	2,656	31	245	2,932	30,74,123		
नवंबर	30,03,278	1,13,240	31,16,518	2,656	31	245	2,932	31,19,450		
दिसंबर	30,21,785	1,14,365	31,36,150	2,656	31	245	2,932	31,39,082	24,623	31,63,706
जनवरी	30,84,631	1,14,759	31,99,390	2,656	31	245	2,932	32,02,322		
फरवरी	31,52,769	1,14,804	32,67,573	2,656	31	245	2,932	32,70,505		
मार्च	33,24,598	1,15,549	34,40,147	2,656	31	245	2,932	34,43,079	24,697	34,67,776
2007-08										
अप्रैल	33,28,180	1,15,589	34,43,769	2,656	31	245	2,932	34,46,701		
मई	33,43,121	1,16,135	34,59,256	2,656	31	245	2,932	34,62,188		
जून	33,96,184	1,16,573	35,12,757	2,656	31	245	2,932	35,15,689	25,619	35,41,308
जुलाई	34,63,052	1,16,874	35,79,926	2,656	31	245	2,932	35,82,858		
अगस्त	34,97,583	1,16,886	36,14,469	2,656	31	245	2,932	36,17,401		
सितंबर	35,96,806	1,16,882	37,13,688	2,656	31	245	2,932	37,16,620	25,968	37,42,588
अक्टूबर	36,21,994	1,16,886	37,38,880	2,656	31	245	2,932	37,41,812		
नवंबर	36,81,864	1,16,994	37,98,858	2,656	31	245	2,932	38,01,790		
दिसंबर	37,16,924	1,16,901	38,33,825	2,656	31	245	2,932	38,36,757	25,968	38,62,725
जनवरी	38,17,808	1,15,871	39,33,679	2,656	31	245	2,932	39,36,611		
फरवरी	39,04,454	1,14,579	40,19,033	2,656	31	245	2,932	40,21,965		
मार्च	40,32,699	1,14,851	41,47,550	2,656	31	245	2,932	41,50,482	25,968	41,76,451
2008-09										
अप्रैल	40,42,653	1,14,497	41,57,150	2,656	31	245	2,932	41,60,082		
मई	40,96,096	1,15,131	42,11,227	2,656	31	245	2,932	42,14,159		
जून	41,12,306	1,15,471	42,27,777	2,656	31	245	2,932	42,30,709	25,968	42,56,677

एल₁, एल₂ तथा एल₃ : चलनिधि समुच्चय;

एनबीएफसी : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

- टिप्पणी :**
- डाक घर जमाराशियों में डाक घर बचत बैंक जमाराशियां, डाक घर सावधि जमाराशियां, डाक घर आवर्ती जमाराशियां, अन्य जमाराशियां तथा डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां शामिल हैं।
 - वित्तीय संस्थाओं में यहां आइएफसीआइ, एगिजम बैंक, आइआइबीआइ, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी, टीएफसीआइ और आइडीएफसी शामिल किए गए हैं। वित्तीय संस्था के आंकड़ों में अक्टूबर 2004 से आईडीबीआई के आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि वह एक बैंकिंग उद्यम में परिवर्तित हो गया है।
 - जुलाई 2001 से वित्तीय संस्थाओं की सावधि मुद्रा उधार में कंपनी और अन्य से उधार शामिल हैं।
 - अगस्त 2002 से, सावधि जमाराशियों में वाणिज्यिक पत्र एवं अन्य शामिल हैं।
 - जनता की जमाराशियों का अनुमान एसी एनबीएफसी कंपनियों की विवरणी के आधार पर निकाला गया है, जिनके पास कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 20 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक जनता की जमाराशियां हैं।
 - एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर संकलित किए गए हैं, जबकि एल₃ तिमाही आधार पर संकलित है।
 - आंकड़े अनंतिम हैं। जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां पिछले माह प्राप्त अनुमानों को यथावत रखा गया है।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 18 : महत्वपूर्ण बैंकिंग संकेतक - अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(राशि करोड़ रूप में)

मद	28 मार्च 2008 को बकाया	घटबद्ध							
		वित्तीय वर्ष				अप्रैल-जून			
		2006-07		2007-08		2007-08		2008-09 अ	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. सकल मांग और मीयादी देयताएं (2+3+4+6)	36,99,953	5,72,411	23.3	6,71,405	22.2	17,074	0.6	38,407	1.0
2. कुल जमाराशियां (क+ख)	31,96,939	5,02,885	23.8	5,85,006	22.4	54,791	2.1	52,837	1.7
क. मांग जमाराशियां	524,310	65,091	17.9	94,579	22.0	-41,898	-9.7	-76,061	-14.5
ख. मीयादी जमाराशियां	26,72,630	4,37,794	25.1	4,90,427	22.5	96,689	4.4	1,28,898	4.8
3. अन्य उधार #	1,06,504	2,692	3.2	20,668	24.1	-2,984	-3.5	-1,664	-1.6
4. अन्य मांग और मीयादी देयताएं	2,98,355	53,454	28.3	56,122	23.2	-21,948	-9.1	-3,709	-1.2
5. भारिबैं से उधार	4,000	4,757	319.8	-2,245	-35.9	-6,144	-98.4	-2,388	-59.7
6. अंतर बैंक देयताएं	98,154	13,380	17.8	9,609	10.9	-12,785	-14.4	-9,057	-9.2
7. बैंक ऋण (क+ख)	23,61,914	4,24,112	28.1	4,30,724	22.3	-36,348	-1.9	30,534	1.3
क. खाद्य ऋण	44,399	5,830	14.3	-2,121	-4.6	-2,564	-5.5	5,748	12.9
ख. खाद्येतर ऋण	23,17,515	4,18,282	28.5	4,32,846	23.0	-33,784	-1.8	24,786	1.1
8. निवेश (क+ख)	9,71,715	74,062	10.3	1,80,199	22.8	49,683	6.3	36,233	3.7
क. सरकारी प्रतिभूतियां	9,58,661	75,316	10.7	1,82,603	23.5	50,067	6.5	30,064	3.1
ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	13,053	-1,255	-7.5	-2,405	-15.6	-384	-2.5	6,169	47.3
9. उपलब्ध नकदी	18,044	3,093	23.7	1,905	11.8	-54	-0.3	1,730	9.6
10. भारिबैं के पास जमा शेष राशि	2,57,122	53,161	41.8	76,900	42.7	378	0.2	24,277	9.4
11. अंतर-बैंक आस्तियां	90,877	23,049	42.4	13,435	17.3	-12,534	-16.2	-3,029	-3.3
12. ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	73.9		84.3		73.6		-66.3		57.8
13. खाद्येतर ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)	72.5		83.2		74.0		-61.7		46.9
14. निवेश-जमा अनुपात (प्रतिशत)	30.4		14.7		30.8		90.7		68.6

अ. : अर्नातिम

#. : भारिबैंक/आइडीबीआइ/नाबार्ड/एक्विजम बैंक से इतर

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 20 : सकल बैंक ऋण का क्षेत्र वार नियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	निम्नलिखित अवधि के दौरान घटबढ़						
	31 मार्च 2006	31 मार्च 2007	28 मार्च 2008	2006-07		2007-08	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
I. सकल बैंक ऋण (II + III)	14,45,531	18,48,166	22,47,437	40,2,635	27.9	3,99,271	21.6
II. खाद्यान्न ऋण	40,691	46,927	44,399	6,236	15.3	-2,528	-5.4
III. खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4)	14,04,840	18,01,239	22,03,038	3,96,399	28.2	4,01,799	22.3
1. कृषि और संबद्ध कार्यक्रमाप	1,73,972	2,30,398	2,73,658	56,426	32.4	43,260	18.8
2. उद्योग (लघु, मझौले एवं बड़े)	5,50,444	6,97,334	8,71,900	1,46,890	26.7	1,74,566	25.0
3. सेवाएं	3,20,177	4,16,773	5,46,516	96,596	30.2	1,29,743	31.1
3.1 परिवहन प्रचालक	17,341	26,519	37,447	9,178	52.9	10,928	41.2
3.2 व्यावसायिक एवं अन्य सेवाएं	15,283	23,926	29,756	8,643	56.6	5,830	24.4
3.3 व्यापार	83,535	1,06,612	1,22,297	23,077	27.6	15,685	14.7
3.4 स्यावर संपदा ऋण	26,723	45,206	62,276	18,483	69.2	17,070	37.8
3.5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	34,305	49,027	75,301	14,722	42.9	26,274	53.6
4. वैयक्तिक ऋण	3,60,248	4,56,734	5,05,390	96,486	26.8	48,656	10.7
4.1 टिकऊ उपभोक्ता वस्तुएं	7,106	9,189	8,663	2,083	29.3	-526	-5.7
4.2 आवास @	1,85,203	2,30,994	2,55,653	45,791	24.7	24,659	10.7
4.3 सवधि जमा पर अग्रिम (एफसीएनआर (बी). एनआरएनआर जमा राशियों आदि सहित)	34,417	40,239	45,031	5,822	16.9	4,792	11.9
4.4 बकिया प्रेडिट कार्ड	9,086	13,416	19,259	4,330	47.7	5,843	43.6
4.5 शिक्षा	9,962	15,209	20,547	5,247	52.7	5,338	35.1
ज्ञापन :							
5. प्राथमिकता क्षेत्र	5,10,738	6,34,142	7,38,686	1,23,404	24.2	1,04,544	16.5
जिनमें से आवास #	1,33,200	1,60,345	1,82,646	27,145	20.4	22,301	13.9

@ : प्रत्यक्ष आवास ऋण

: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आवास ऋण

टिप्पणी : 1. आंकड़े अर्न्ततम हैं और चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं। आंकड़ों में भारत ओवरसीज बैंक के आंकड़े भी शामिल हैं जिसका 31 मार्च 2007 को इंडियन ओवरसीज बैंक में विलय हुआ था।

2. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक और अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं तथा अंतर बैंक सहभागी के पुनः भुनाए गए बिल शामिल हैं।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 21 : सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

उद्योग	निम्नानुसार बकाया			निम्नलिखित अवधि के दौरान घट-बढ़			
	31 मार्च	31 मार्च	28 मार्च	2006-07		2007-08	
	2006	2007	2008	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1. उद्योग (लघु, मझौले और बड़े)	5,50,444	6,97,334	8,71,900	1,46,890	26.7	1,74,566	25.0
2. खनन एवं उत्खनन (कोयले सहित)	4,146	7,704	10,616	3,558	85.8	2,912	37.8
3. खाद्य प्रसंस्करण	30,946	39,999	50,221	9,053	29.3	10,222	25.6
4. पेय तथा तंबाकू	4,002	4,774	5,641	772	19.3	867	18.2
5. वस्त्रोद्योग	58,472	78,971	95,935	20,499	35.1	16,964	21.5
6. चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	4,486	4,774	5,750	288	6.4	976	20.4
7. लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	1,497	2,887	3,060	1,390	92.9	173	6.0
8. कागज और कागज के उत्पाद	9,148	11,588	13,622	2,440	26.7	2,034	17.6
9. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं आण्विक इंधन	25,150	35,886	41,738	10,736	42.7	5,852	16.3
10. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	48,638	55,774	64,391	7,136	14.7	8,617	15.4
11. रबड़, प्लास्टिक एवं प्लास्टिक के उत्पाद	7,250	9,250	10,410	2,000	27.6	1,160	12.5
12. कांच तथा कांच की सामग्री	1,817	2,564	2,759	747	41.1	195	7.6
13. सीमेंट तथा सीमेंट के उत्पाद	7,799	9,389	14,210	1,590	20.4	4,821	51.3
14. मूल धातुएं और धातु के उत्पाद	65,896	83,870	1,04,719	17,974	27.3	20,849	24.9
15. सभी इंजीनियरिंग	34,878	44,026	52,442	9,148	26.2	8,416	19.1
16. वाहन, वाहन के पुर्जे तथा परिवहन उपस्कर	18,628	20,922	29,152	2,294	12.3	8,230	39.3
17. रत्न और आभूषण	20,559	23,850	24,995	3,291	16.0	1,145	4.8
18. भवन निर्माण	13,303	19,970	28,298	6,667	50.1	8,328	41.7
19. बुनियादी संरचना	1,12,853	1,42,975	2,02,296	30,122	26.7	59,321	41.5
20. अन्य उद्योग	80,975	98,161	1,11,645	17,186	21.2	13,484	13.7

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं। आंकड़ों में भारत ओवरसीज बैंक के आंकड़े भी शामिल हैं जिसका इंडियन ओवरसीज बैंक में 31 मार्च 2007 को विलय हुआ था।
2. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात-आयात बैंक और अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं तथा अंतर बैंक सहभागी के पास भुनाए गए बिल शामिल हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 22 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की आर्थिक सहायता

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2006-07	2007-08				2008-09
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून
1	2	3	4	5	6	7
1. निर्यात ऋण पुनर्वित्त						
अ) सीमा	8,110	8,343	7,505	7,819	9,103	9,052
आ) बकाया	4,985	101	45	779	2,825	1,132
<i>ज्ञापन मदें :</i>						
1. कुल निर्यात ऋण	1,04,926	1,07,983	1,13,373	1,17,719	1,29,983	1,29,956
2. पुनर्वित्त हेतु पात्र निर्यात ऋण	54,069	55,619	50,037	52,125	60,690	60,347
3. निवल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में कुल निर्यात ऋण	5.4	5.6	5.6	5.5	5.5	5.4

टिप्पणी : 1. आंकड़े माह के अंतिम सूचना देनेवाले शुक्रवार से संबंधित हैं ।

2. बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15 प्रतिशत तक 1 अप्रैल 2002 से ईसीआर सुविधा, दी जा रही है ।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 23 : थोक मूल्यों के सूचकांकों में घट-बढ़
(आधार : 1993-94 = 100)

(प्रतिशत)

प्रमुख समूह/उप समूह/ पण्य	भारत	घट-बढ़					
		वर्ष-दर-वर्ष		औसत		वर्ष-दर-वर्ष	
		2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	जून 30, 2007	जून 28, 2008 अ
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य	100.0	5.9	7.7	5.4	4.7	4.4	11.9
I. प्राथमिक वस्तुएं	22.0	10.7	9.7	7.8	7.7	9.3	10.8
1. खाद्य वस्तुएं	15.4	8.0	6.5	7.7	5.6	7.8	6.1
क) अनाज	4.4	7.4	7.3	7.3	6.3	7.6	7.2
i) चावल	2.4	5.7	9.1	2.9	6.9	5.8	8.4
ii) गेहूं	1.4	7.3	5.1	13.1	4.3	9.0	6.7
ख) दाले	0.6	12.5	-1.9	30.5	-4.2	3.0	-0.8
ग) फल और सब्जियां	2.9	3.8	8.2	3.9	3.8	9.1	6.3
घ) दूध	4.4	8.4	8.7	6.3	8.6	6.7	7.6
ड) अंडे, मछली और मांस	2.2	9.4	2.4	4.4	5.2	9.4	1.4
च) आचार और मिर्च-मसाले	0.7	18.0	4.0	29.1	5.0	10.0	10.8
छ) अन्य खाद्य वस्तुएं	0.2	15.6	8.7	19.0	0.7	4.0	19.8
i) चाय	0.2	16.7	6.8	18.7	-5.8	-2.5	26.6
ii) कॉफी	0.1	14.1	11.2	19.4	10.1	14.7	10.3
2. खाद्येतर वस्तुएं	6.1	17.2	11.4	5.0	12.8	13.3	17.4
क) रेशे	1.5	16.5	13.4	4.2	14.9	11.2	35.3
कपास	1.4	21.9	14.0	5.2	17.5	15.1	38.1
ख) तिलहन	2.7	31.6	20.3	5.1	24.3	31.1	18.5
3. खनिज	0.5	17.5	49.9	28.3	13.6	10.1	45.6
II. ईंधन, पावर, विद्युत और स्नेहक	14.2	1.0	6.8	5.6	1.0	-1.4	16.3
1. कच्चा कोयला	0.2	0.0	10.3	0.0	3.2	0.0	10.3
2. खनिज तेल	7.0	0.5	9.3	7.9	1.0	-3.6	25.6
3. विद्युत	5.5	2.3	1.5	3.2	0.5	2.4	1.4
III. विनिर्मित उत्पाद	63.8	6.1	7.3	4.4	5.0	4.9	10.6
1. चीनी, खांडसारी और गुड़	3.9	-11.4	-3.4	0.6	-13.7	-17.0	0.6
i) चीनी	3.6	-12.7	1.1	0.7	-13.5	-18.5	5.2
ii) खांडसारी	0.2	-11.3	-1.7	3.0	-16.9	-22.0	12.6
iii) गुड़	0.1	-4.0	2.9	-3.8	-8.0	-11.8	15.9
2. खाद्य तेल	2.8	14.1	20.0	5.8	13.5	15.8	18.3
3. सूती वस्त्र	4.2	-1.0	-6.8	3.2	-1.8	2.3	5.4
4. रसायन और रासायनिक उत्पाद	11.9	3.6	6.0	3.0	5.6	3.9	9.5
5. सीमेंट	1.7	11.6	5.1	18.5	10.3	10.3	3.5
6. लोहा और इस्पात	3.6	8.1	34.2	1.5	10.1	6.7	33.5
7. मशीनरी और औजार	8.4	8.1	3.5	5.6	7.1	9.0	5.0
8. परिवहन उपस्कर और पुर्जे	4.3	2.0	3.9	1.6	2.8	2.2	5.6

अ. : अर्न्तम

स्रोत : आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

वार्षिक रिपोर्ट

**परिशिष्ट सारणी 24 : शोक मूल्यों में घट-बढ़ - भारांकित योगदान
(आधार : 1993-94 = 100)**

(प्रतिशत)

प्रमुख समूह/उप समूह/ पण्य	भारांक	घट-बढ़					
		वर्ष-दर-वर्ष		औसत		वर्ष-दर-वर्ष	
		2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	30 जून 2007	28 जून 2007अ
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पण्य	100.0						
I. प्राथमिक वस्तुएं	22.0	39.0	28.2	31.3	36.4	46.3	21.0
1. खाद्य वस्तुएं	15.4	20.8	13.2	21.9	18.5	27.4	8.3
क) अनाज	4.4	5.3	4.1	5.6	5.7	7.1	2.6
i) चावल	2.4	2.1	2.5	1.2	3.1	2.8	1.5
ii) गेहूं	1.4	1.8	1.0	3.3	1.3	2.8	0.8
ख) दालें	0.6	1.4	-0.2	3.4	-0.7	0.5	-0.1
ग) फल और सब्जियां	2.9	2.0	3.3	2.4	2.6	6.3	1.7
घ) दूध	4.4	5.8	4.7	4.8	7.5	6.4	2.7
ड) अंडे, मछली और मांस	2.2	3.8	0.8	2.0	2.7	5.3	0.3
च) मिर्च-मसाले	0.7	2.0	0.4	3.2	0.8	1.6	0.7
छ) अन्य खाद्य वस्तुएं	0.2	0.4	0.2	0.6	0.0	0.2	0.3
i) चाय	0.2	0.2	0.1	0.3	-0.1	-0.1	0.2
ii) कॉफी	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
2. खाद्येतर वस्तुएं	6.1	15.6	8.8	5.2	15.1	16.6	8.8
क) रेशे	1.5	3.1	2.1	0.9	3.6	2.9	3.6
कपास	1.4	3.5	2.0	1.0	3.7	3.4	3.5
ख) तिलहन	2.7	11.0	6.7	2.1	11.6	15.1	4.2
3. खनिज	0.5	2.6	6.2	4.2	2.8	2.2	3.9
II. ईंधन, पावर, विद्युत और स्नेहक	14.2	4.0	18.9	23.1	4.8	-7.1	29.5
1. कच्चा कोयला	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.2
2. खनिज तेल	7.0	1.1	15.1	18.7	2.9	-11.0	27.1
3. विद्युत	5.5	2.8	1.4	4.4	0.8	3.9	0.8
III. विनिर्मित उत्पाद	63.8	57.3	52.8	45.5	58.8	60.9	49.6
1. चीनी, खांडसारी और गुड़	3.9	-7.0	-1.3	0.4	-9.9	-13.9	0.1
i) चीनी	3.6	-6.6	0.4	0.4	-8.2	-12.9	1.0
ii) खांडसारी	0.2	-0.3	0.0	0.1	-0.6	-0.9	0.1
iii) गुड़	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.1
2. खाद्य तेल	2.8	4.7	5.5	2.2	5.9	7.1	3.4
3. सूती वस्त्र	4.2	-0.6	-2.8	1.9	-1.2	1.7	1.4
4. रसायन और रासायनिक उत्पाद	11.9	7.1	8.7	6.4	13.3	10.1	9.1
5. सीमेंट	1.7	3.2	1.1	5.0	3.6	3.8	0.5
6. लोहा और इस्पात	3.6	6.0	20.1	1.3	9.5	6.8	12.9
7. मशीनरी और औजार	8.4	8.6	2.9	6.5	9.4	12.7	2.7
8. परिवहन उपकरण और पुर्जे	4.3	1.2	1.7	1.0	2.0	1.7	1.6

स्रोत : आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

परिशिष्ट सारणियां

**परिशिष्ट सारणी 25 : मूल्य सूचकांकों में वर्षवार घट-बढ़
(वर्ष-दर-वर्ष)**

(प्रतिशत)

वर्ष/माह	थोक मूल्य सूचकांक @	औद्योगिक कामगारों के लिए उ.मू.सू.#	शहरी श्रमेतर कामगारों के लिए उ.मू.सू.+	कृषि मजदूरों हेतु उ.मू.सू.*
1	2	3	4	5
2000-01	4.9 (7.2)	2.5 (3.8)	5.6 (5.6)	-2.0 (-0.3)
2001-02	1.6 (3.6)	5.2 (4.3)	4.8 (5.1)	3.0 (1.1)
2002-03	6.5 (3.4)	4.1 (4.0)	3.8 (3.8)	4.9 (3.2)
2003-04	4.6 (5.4)	3.5 (3.9)	3.4 (3.7)	2.5 (3.9)
2004-05	5.1 (6.4)	4.2 (3.8)	4.0 (3.6)	2.4 (2.6)
2005-06	4.1 (4.4)	4.9 (4.4)	5.0 (4.7)	5.3 (3.9)
2006-07	5.9 ^ (5.4)	6.7 (6.7)	7.6 (6.6)	9.5 (7.8)
2007-08	7.7 (4.7)	7.9 (6.2)	6.0 (5.9)	7.9 (7.5)
2006-07				
अप्रैल	3.9	5.0	5.0	5.6
मई	5.0	6.3	5.8	6.4
जून	4.8	7.7	6.5	7.2
जुलाई	4.7	6.7	5.7	6.3
अगस्त	5.3	6.3	6.1	6.5
सितंबर	5.4	6.8	6.6	7.3
अक्टूबर	5.3	7.3	7.2	8.4
नवंबर	5.6	6.3	6.7	8.3
दिसंबर	5.9	6.9	6.9	8.9
जनवरी	6.7	6.7	7.4	9.5
फरवरी	6.2	7.6	7.8	9.8
मार्च	5.9	6.7	7.6	9.5
2007-08				
अप्रैल	6.0	6.7	7.7	9.4
मई	5.2	6.6	6.8	8.2
जून	4.4	5.7	6.1	7.8
जुलाई	4.7	6.5	6.9	8.6
अगस्त	3.9	7.3	6.4	8.8
सितंबर	3.4	6.4	5.7	7.9
अक्टूबर	3.1	5.5	5.5	7.0
नवंबर	3.1	5.5	5.1	6.2
दिसंबर	3.8	5.5	5.1	5.9
जनवरी	4.8	5.5	4.8	5.6
फरवरी	5.7	5.5	5.2	6.4
मार्च	7.7	7.9	6.0	7.9
2008-09				
अप्रैल	8.3	7.8	7.0	8.9
मई	9.3	7.8	6.8	9.1
जून	11.9 अ	7.7	7.3	8.8
जुलाई	12.0 अ	-	-	9.4

अ : अर्नातिम @ : आधार : 1993-94=100.

: आधार : 1982=100 दिसंबर 2005 तक और आधार : 2001=100 जनवरी 2006 से।

+ : आधार : 1984-85=100. * : आधार : 1986-87=100.

^ : 31 मार्च 2007 को समाप्त सप्ताह की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत है, जो 2 अप्रैल 2005 की तुलना में 1 अप्रैल 2006 की घट-बढ़ को दर्शाती है।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े औसत आधार पर हैं।

- स्रोत :**
1. आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
 2. श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।
 3. केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, योजना एवं कार्यक्रम अनुपालन मंत्रालय, भारत सरकार।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 26 : केंद्र सरकार के घाटे के आंकड़े

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	राजकोषीय घाटा		प्राथमिक घाटा		निवल भारिबै ऋण +	राजस्व घाटा
	सकल	निवल	सकल	निवल		
1	2	3	4	5	6	7
1997-98	88,937 (73,204)	63,062	23,300 (7,567)	22,748	12,914	46,449
1998-99	1,13,349 (89,560)	79,944	35,466 (11,678)	32,138	11,800	66,976
1999-2000	1,04,716	89,910	14,467	33,539	-5,588	67,596
2000-01	1,18,816	1,07,854	19,502	41,351	6,705	85,234
2001-02	1,40,955	1,23,074	33,495	51,152	-5,150	1,00,162
2002-03	1,45,072	1,33,829	27,268	53,647	-28,399	1,07,879
2003-04	1,23,273	1,15,558	-815	30,008	-76,065	98,261
2004-05	1,25,794	1,26,252	-1,140	31,705	-60,177	78,338
2005-06	1,46,435	1,45,743	13,805	35,145	28,417	92,299
2006-07	1,42,573	1,51,245	-7,699	23,497	-3,024	80,222
2007-08 बअ	1,50,948	1,44,950	-8,047	5,263	..	71,478
2007-08 संअ	1,43,653	1,37,158	-28,318	-17,349	-1,16,772	63,488
	1,42,431 #	1,35,936 #	-29,540 #	-18,571 #		
2008-09 बअ	1,33,287	1,29,542	-57,520	-42,130	..	55,184
चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में						
1997-98	5.82 (4.79)	4.13	1.53 (0.50)	1.49	0.85	3.04
1998-99	6.47 (5.11)	4.57	2.03 (0.67)	1.84	0.67	3.82
1999-2000	5.36	4.61	0.74	1.72	-0.29	3.46
2000-01	5.65	5.13	0.93	1.97	0.32	4.05
2001-02	6.19	5.40	1.47	2.24	-0.23	4.40
2002-03	5.91	5.45	1.11	2.19	-1.16	4.40
2003-04	4.48	4.20	-0.03	1.09	-2.76	3.57
2004-05	3.99	4.01	-0.04	1.01	-1.91	2.49
2005-06	4.09	4.07	0.39	0.98	0.79	2.58
2006-07	3.50	3.65	-0.19	0.57	-0.07	1.94
2007-08 बअ	3.30	3.08	-0.17	0.11	..	1.52
2007-08 संअ	3.05 (3.02) #	2.92 (2.90) #	-0.60 (-0.63) #	-0.37 (-0.39) #	-2.48	1.35
2008-09 बअ	2.51	2.44	-1.08	-0.79	..	1.04
औसत						
1997-98 से 2006-07 तक	4.90 *	4.52	0.55 *	1.51	-0.38	3.37

संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान .. : उपलब्ध नहीं

+ : सरकारी लेखा बंद करने के पूर्व रिजर्व बैंक रिकार्ड के अनुसार

* : अल्प बचतों में राज्यों का निवल अंश

. : भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार को अंतरित 34,309 करोड़ रुपए के अधिशेष और 35,351 करोड़ रुपए की राशि, जो भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय स्टेट बैंक में शेरर धारिता केंद्र सरकार को अंतरित किए जाने के संबंध में है, को घटाकर

टिप्पणी : 1. राजस्व घाटे, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच के अंतर का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय अधिक है। केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निवल ऋण में वृद्धि दर्शाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास (i) खजाना बिल (ii) केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां (iii) रुपया सिक्के और (iv) पहली अप्रैल 1997 से केंद्र को भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण और अग्रिम जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के पास केंद्र की नकद बकाया राशि में हुए परिवर्तनों के लिए समायोजित किया गया। सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से अधिक है जिसमें राजस्व प्राप्तियों (बाह्य अनुदान सहित) तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में कुल वसूली के पश्चात ऋण की राशि शामिल है। निवल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटे और निवल ऋण के बीच का अंतर है। सकल प्राथमिक घाटा सकल राजकोषीय घाटे और ब्याज अदायगियों के बीच का अंतर है। निवल प्राथमिक घाटा, निवल राजकोषीय घाटे से निवल ब्याज अदायगी के बाद शेष राशि को दर्शाता है। 1, अप्रैल 2006 से भारतीय रि. बैंक पर सरकारी प्रतिभूतियों को प्राथमिक रूप में जारी करने पर रोक लगाई है।

2. कोषकों के आंकड़े 1999-2000 से लागू नई लेखांकन प्रणाली के अनुसार अल्प बचत में राज्यों के अंश को छोड़कर है।

3. ऋणात्मक चिह्न अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत : केंद्र सरकार का बजट दस्तावेज और रिजर्व बैंक के अभिलेख।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 27 : केंद्र सरकार की प्राप्तियां और व्यय की प्रमुख मदें

(करोड़ रुपए)

मद	औसत 1997-98 से 2006-07	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (बअ)	2007-08 (संअ)	2008-09 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कुल प्राप्तियां (2+5)	(15.68)	4,75,146 (17.25)	5,06,382 (16.08)	5,26,626 (14.71)	5,83,387 (14.07)	6,80,521 @ (14.44)	7,09,373 * (15.05)	7,50,884 (14.16)
2. राजस्व प्राप्तियां (3+4)	(9.35)	2,63,813 (9.58)	3,05,991 (9.72)	3,47,077 (9.69)	4,34,387 (10.48)	4,86,422 (10.32)	5,25,098 (11.14)	6,02,935 (11.37)
3. कर राजस्व (केंद्र को निवल)	(6.76)	1,86,982 (6.79)	2,24,798 (7.14)	2,70,264 (7.55)	3,51,182 (8.47)	4,03,872 (8.57)	4,31,773 (9.16)	5,07,150 (9.56)
4. करेतर राजस्व जिसमें से :	(2.59)	76,831 (2.79)	81,193 (2.58)	76,813 (2.15)	83,205 (2.01)	82,550 (1.75)	93,325 (1.98)	95,785 (1.81)
i) ब्याज प्राप्तियां	(1.34)	38,538 (1.40)	32,387 (1.03)	22,032 (0.62)	22,524 (0.54)	19,308 (0.41)	17,464 (0.37)	19,135 (0.36)
ii) लाभांश और लाभ	(0.64)	21,160 (0.77)	22,939 (0.73)	25,451 (0.71)	29,309 (0.71)	33,925 (0.72)	36,108 (0.77)	43,204 (0.81)
5. पूंजीगत प्राप्तियां	(6.34)	2,11,333 (7.67)	2,00,391 (6.36)	1,79,549 (5.01)	1,49,000 (3.59)	1,94,099 @ (4.12)	1,84,275 * (3.91)	1,47,949 (2.79)
6. कुल व्यय (7+8)	(15.58)	4,71,203 (17.11)	4,98,252 (15.82)	5,05,738 (14.13)	5,83,387 (14.07)	6,80,521 @ (14.44)	7,09,373 # (15.05)	7,50,884 (14.16)
7. राजस्व व्यय	(12.72)	3,62,074 (13.14)	3,84,329 (12.20)	4,39,376 (12.27)	5,14,609 (12.41)	5,57,900 (11.84)	5,88,586 (12.49)	6,58,119 (12.41)
जिसमें से :								
i) ब्याज अदायगियां	(4.35)	1,24,088 (4.50)	1,26,934 (4.03)	1,32,630 (3.70)	1,50,272 (3.62)	1,58,995 (3.37)	1,71,971 (3.65)	1,90,807 (3.60)
ii) सब्सिडी	(1.40)	44,323 (1.61)	45,957 (1.46)	47,522 (1.33)	57,125 (1.38)	54,330 (1.15)	69,742 (1.48)	71,431 (1.35)
iii) रक्षा	(1.59)	43,203 (1.57)	43,862 (1.39)	48,211 (1.35)	51,682 (1.25)	54,078 (1.15)	54,795 (1.16)	57,593 (1.09)
8. पूंजी वितरण	(2.86)	1,09,129 (3.96)	1,13,923 (3.62)	66,362 (1.85)	68,778 (1.66)	1,22,621 @ (2.60)	1,20,787 # (2.56)	92,765 (1.75)
जिसमें से :								
पूंजी परिव्यय	(1.29)	34,150 (1.24)	52,338 (1.66)	55,025 (1.54)	60,254 (1.45)	1,15,123 (2.44)	1,09,795 (2.33)	84,522 (1.59)
9. विकासात्मक व्यय**	(6.93)	1,95,428 (7.09)	2,14,955 (6.83)	2,29,060 (6.40)	2,55,718 (6.17)	3,45,878 @ (7.34)	3,18,834 # (6.76)	3,60,027 (6.79)
जिसमें से :								
सामाजिक क्षेत्र	(1.98)	62,778 (2.28)	66,697 (2.12)	78,458 (2.19)	1,02,363 (2.47)	96,286 (2.04)	1,02,014 (2.16)	1,17,620 (2.22)
10. विकासेतर व्यय**	(8.80)	2,43,298 (8.83)	2,62,904 (8.35)	2,90,677 (8.12)	3,41,278 (8.23)	3,48,847 (7.40)	4,05,325 (8.60)	4,07,504 (7.68)
ज्ञापन मदें:								
1. ब्याज अदायगियां/राजस्व प्राप्तियां	46.82	47.04	41.48	38.21	34.59	32.69	32.75	31.65
2. राजस्व घाटा / सकल राजकोषीय घाटा	65.43	79.71	62.27	63.03	56.27	47.35	44.20	41.40
3. केंद्र को निवल भारिबै ऋण/सकल राजस्व घाटा	-9.02	-61.70	-47.84	19.41	-2.12	..	-78.31	..

संअ : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

.. : अनुपलब्ध

@ : इसमें 40,000 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जो भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में भारतीय रिजर्व बैंक की धारिता केंद्र सरकार से संबंधित लेनदेन है।

* : इसमें 34,309 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जो भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय स्टेट बैंक की शेयर धारिता केंद्र सरकार को अंतरित किए जाने के संबंध में प्राप्त अधिशेष लाभ अंतरित किए जाने के संबंध में है।

: इसमें 35,531 करोड़ रुपए की राशि शामिल जो भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय स्टेट बैंक की शेयर धारिता केंद्र सरकार को अंतरित किए जाने के लेनदेन के संबंध में है।

** : विकासात्मक और विकासेतर व्यय से संबंधित आंकड़ों में वाणिज्य विभागों को शामिल किया गया है।

टिप्पणी : 1. : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हैं।

स्रोत : केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज और भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 28 : केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आंतरिक वित्त पोषण				बाह्य वित्त पोषण	कुल वित्त पोषण / सकल राजकोषीय घाटा (5+6)
	बाजार उधार #	अन्य उधार @	नकदी शेष की निकासी *	कुल (2+3+4)		
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	8,001 (17.9)	22,103 (49.5)	11,347 (25.4)	41,451 (92.9)	3,181 (7.1)	44,632 (100.0)
1995-96	34,001 (56.4)	16,117 (26.8)	9,807 (16.3)	59,925 (99.5)	318 (0.5)	60,243 (100.0)
2001-02	90,812 (64.4)	46,038 (32.7)	-1,496 (-1.1)	1,35,354 (96.0)	5,601 (4.0)	1,40,955 (100.0)
2002-03	1,04,126 (71.8)	50,997 (35.2)	1,883 (1.3)	1,57,006 (108.2)	-11,934 (-8.2)	1,45,072 (100.0)
2003-04	88,870 (72.1)	51,833 (42.0)	-3,942 (-3.2)	1,36,761 (110.9)	-13,488 (-10.9)	1,23,273 (100.0)
2004-05	50,939 (40.5)	68,232 (54.2)	-8,130 (-6.5)	1,11,041 (88.3)	14,753 (11.7)	1,25,794 (100.0)
2005-06	1,06,241 (72.6)	53,610 (36.6)	-20,888 (-14.3)	1,38,963 (94.9)	7,472 (5.1)	1,46,435 (100.0)
2006-07	1,14,801 (80.5)	14,782 (10.4)	4,518 (3.2)	1,34,101 (94.1)	8,472 (5.9)	1,42,573 (100.0)
2007-08 (बअ)	1,10,827 (73.4)	31,010 (20.5)	0 (0.0)	1,41,837 (94.0)	9,111 (6.0)	1,50,948 (100.0)
2007-08 (संअ)	1,10,727 (77.1)	41,140 (28.6)	-18,184 (-12.7)	1,33,683 (93.1)	9,970 (6.9)	1,43,653 (100.0)
2008-09 (बअ)	99,000 (74.3)	16,073 (12.1)	7,225 (5.4)	1,22,298 (91.8)	10,989 (8.2)	1,33,287 (100.0)

संअ : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

: इसमें दिनांकित प्रतिभूतियां और 364 दिवसीय खजाना बिल शामिल हैं।

@ : अन्य देयताओं में लघु बचतें, राज्य सार्वजनिक भविष्य निधि, विशेष जमा, आरक्षित निधि, खजाना बिल (364-दिवसीय खजाना बिलों से इतर) शामिल हैं। 1999-2000 से लघु बचत और भविष्य निधि का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ के निवेश द्वारा किया गया। 2003-04 से केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ द्वारा ऋण-अदला बदली आय की पुनर्निवेश भी शामिल हैं।

* : वर्ष 1997 से पूर्व जारी किए गए रिजर्व बैंक के पास नकदी शेषों में हुए 91-दिवसीय खजाना बिलों में निवल घट-बढ़ दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

2. 1999-2000 से सकल राजकोषीय घाटे में राज्यों के अल्प बचत अंश शामिल नहीं हैं।

3. 2004-05 से बाजार उधार में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत एकत्रित की जानेवाली राशि को छोड़कर गठित राशि शामिल हैं।

स्रोत : भारत सरकार के बजट दस्तावेज और भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 29 : केंद्र सरकार की बकाया देयताएं

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आंतरिक ऋण	अल्प बचत, विशेष जमा राशियां, भविष्य निधियां और अन्य लेखें	आरक्षित निधि और जमा राशियां	कुल आंतरिक देयताएं (2+3+4)	बाह्य देयताएं *	कुल देयताएं (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	1,54,004 (27.0)	1,07,107 (18.8)	21,922 (3.8)	2,83,033 (49.7)	31,525 (5.5)	3,14,558 (55.2)
1995-96	3,07,869 (25.8)	2,13,435 (17.9)	33,680 (2.8)	5,54,983 (46.6)	51,249 (4.3)	6,06,232 (50.9)
2001-02	9,13,061 (40.1)	3,08,668 (13.5)	73,133 (3.2)	12,94,862 (56.8)	71,546 (3.1)	13,66,408 (60.0)
2002-03	10,20,689 (41.6)	3,98,774 (16.2)	80,126 (3.3)	14,99,589 (61.1)	59,612 (2.4)	15,59,201 (63.5)
2003-04	11,41,706 (41.4)	4,56,472 (16.6)	92,376 (3.4)	16,90,554 (61.4)	46,124 (1.7)	17,36,678 (63.0)
2004-05	12,75,971 (40.5)	5,64,584 (17.9)	92,989 (3.0)	19,33,544 (61.4)	60,878 (1.9)	19,94,422 (63.3)
2005-06	13,89,758 (38.8)	6,66,682 (18.6)	1,09,462 (3.1)	21,65,902 (60.5)	94,243 (2.6)	22,60,145 (63.1)
2006-07	15,44,975 (37.3)	7,59,610 (18.3)	1,31,295 (3.2)	24,35,880 (58.8)	1,02,716 (2.5)	25,38,596 (61.2)
2007-08 (सं अ)	18,44,110 (39.1)	8,05,432 (17.1)	1,34,810 (2.9)	27,84,352 (59.1)	1,12,686 (2.4)	28,97,038 (61.5)
2008-09 (बअ)	19,72,532 (37.2)	8,32,857 (15.7)	1,33,849 (2.5)	29,39,238 (55.4)	1,23,675 (2.3)	30,62,913 (57.7)

संअ : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

* : ऐतिहासिक विनिमय दर पर

टिप्पणी :

1. कोष्ठकों में आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता दर्शाते हैं।
2. वर्ष 1999-2000 से अल्प बचत संग्रहण में केंद्रीय सरकार का अंश केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियों में परिवर्तित और आंतरिक ऋण के अंश बने।
3. 2004-05 से बाजार उधार में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत एकत्रित की जानेवाली राशि को छोड़कर गठित राशि शामिल हैं।

स्रोत : भारत सरकार के बजट दस्तावेज।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 30 : राज्य सरकारों के बजट परिचालन

अ : राज्य सरकारों के घाटे की माप

(करोड़ रूपए)

वर्ष	राजकोषीय घाटा		प्राथमिक घाटा		निवल भारिबै ऋण*	पारंपरिक घाटा	राजस्व घाटा
	सकल	निवल	सकल	निवल			
1	2	3	4	5	6	7	8
1990-91	18,787	14,532	10,132	8,281	420	-72	5,309
1995-96	30,870	26,846	9,031	10,792	16	-2,680	8,620
2000-01	87,922	85,576	36,937	45,551	-1,092	-2,379	55,316
2006-07 अ	77,509	71,300	-15,654	-10,039	640	-16,078	-24,857
2007-08 (संअ) अ	1,07,958	97,404	5,080	7,567	-3,486	24,122	-22,526
2008-09 (बअ) अ	1,12,653	1,01,733	4,270	6,036	..	-2,524	-28,426
चालू बाजार मूल्य आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में							
1990-91	3.30	2.55	1.78	1.45	0.07	-0.01	0.93
1995-96	2.59	2.25	0.76	0.91	0.00	-0.22	0.72
2000-01	4.18	4.07	1.76	2.17	-0.05	-0.11	2.63
2006-07 अ	1.87	1.72	-0.38	-0.24	0.06	-0.39	-0.60
2007-08 (संअ) अ	2.29	2.07	0.11	0.16	-0.06	0.51	-0.48
2008-09 (बअ) अ	2.12	1.92	0.08	0.11	..	-0.05	-0.54

आ. राज्य सरकारों के चुने हुए बजट परिवर्तों

(प्रतिशत)

मद	1990-00 (औसत)	2006-07 अ	2007-08 अ (संअ)	2008-09 अ (बअ)
1	2	3	4	5
1. सकल राजकोषीय घाटा/कुल व्यय (वसूलियों को छोड़कर)	22.4	12.3	14.1	12.9
2. राजस्व घाटा / राजस्व व्यय	9.5	-4.9	-3.7	-4.1
3. पारंपरिक घाटा / कुल संवितरण	-0.04	2.4	-3.1	0.3
4. राजस्व घाटा / सकल राजकोषीय घाटा	36.2	-32.1	-20.9	-25.2
5. विकासेतर राजस्व व्यय / राजस्व प्राप्तियां	39.8	39.1	37.3	37.3
6. ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां	16.6	17.6	16.4	15.1
7. विकासात्मक व्यय / सकल घरेलू उत्पाद जिनमें से :	10.0	9.5	10.5	10.5
सामाजिक क्षेत्र व्यय / सकल घरेलू उत्पाद	5.7	5.4	6.1	6.3
8. विकासेतर व्यय/सकल घरेलू उत्पाद	4.6	5.1	5.1	5.2
9. राज्यों का कर-राजस्व/सकल घरेलू उत्पाद	5.2	6.1	6.2	6.4
10. राज्यों का करेतर राजस्व/सकल घरेलू उत्पाद	1.7	1.5	1.3	1.3

संअ : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

.. : अनुपलब्ध

अ : अर्न्तम आंकड़े

* : ये आंकड़े उन राज्य सरकारों से संबंधित हैं जिनके खाते भारतीय रिजर्व बैंक में हैं।

टिप्पणी : 1) राज्य सरकारों को निवल रिजर्व बैंक ऋण से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों से है जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास उनकी वृद्धिशील जमा राशियों की निवल राशि हैं।

2) ऋणात्मक चिह्न (-) अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज और भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 31 : राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण और बकाया देयताएं

अ. राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	प्रतिभूतियों पर एनएसएसएफ आदि से ऋण	एलआइसी, नाबार्ड और एनसीडीसी आदि से ऋण	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमाराशि तथा अग्रिम	उंचत तथा विविध	विप्रेषण	अन्य #	समग्र अधिशेष (-)/ घाटा (+)	सकल राजकोषीय घाटा (2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1990-91	2,556 (13.6)	9,978 (53.1)	-	241 (1.3)	3,069 (16.3)	1,120 (6.0)	1,670 (8.9)	376 (2.0)	-154 (-0.8)	4 (0.0)	-74 (-0.4)	18,787 (100.0)
1995-96	5,888 (19.1)	14,075 (45.6)	-	635 (2.1)	4,902 (15.9)	2,101 (6.8)	2,947 (9.5)	3,096 (10.0)	-338 (-1.1)	245 (0.8)	-2,680 (-8.7)	30,870 (100.0)
2000-01	12,519 (14.2)	8,324 (9.5)	32,606 (37.1)	4,550 (5.2)	13,107 (14.9)	3,099 (3.5)	7,136 (8.1)	2,355 (2.7)	1,032 (1.2)	5,574 (6.3)	-2,379 (-2.7)	87,922 (100.0)
2001-02	17,249 (18.3)	10,895 (11.6)	35,648 (37.8)	6,285 (6.7)	10,186 (10.8)	4,521 (4.8)	4,996 (5.3)	-2,452 (-2.6)	-427 (-0.5)	3,814 (4.0)	3,545 (3.8)	94,261 (100.0)
2002-03	28,484 (28.6)	-372 (-0.4)	48,966 (49.1)	4,858 (4.9)	9,863 (9.9)	4,799 (4.8)	711 (0.7)	1,212 (1.2)	93 (0.1)	5,403 (5.4)	-4,290 (-4.3)	99,727 (100.0)
2003-04	47,286 (39.2)	13,940 (11.6)	18,003 (14.9)	4,132 (3.4)	9,325 (7.7)	6,377 (5.3)	-374 (-0.3)	-3,651 (-3.0)	1,850 (1.5)	24,268 (20.1)	-526 (-0.4)	1,20,631 (100.0)
2004-05	34,559 (32.1)	-9,781 (-9.1)	64,192 (59.5)	26 (0.0)	8,883 (8.2)	7,127 (6.6)	8,074 (7.5)	-2,623 (-2.4)	1,240 (1.1)	6,335 (5.9)	-10,232 (-9.5)	1,07,800 (100.0)
2005-06	15,305 (17.0)	-44 (0.0)	73,815 (81.9)	4,055 (4.5)	10,463 (11.6)	5,228 (5.8)	7,262 (8.1)	7,911 (8.8)	51 (0.1)	-17 (0.0)	-33,947 (-37.7)	90,084 (100.0)
2006-07 अ	13,057 (16.8)	-9,478 (-12.2)	56,500 (72.9)	805 (1.0)	10,370 (13.4)	7,634 (9.8)	12,796 (16.5)	4,765 (6.1)	-305 (-0.4)	-2,557 (-3.3)	-16,078 (-20.7)	77,509 (100.0)
2007-08 (संअ) अ	63,553 (58.9)	3,089 (2.9)	9,873 (9.1)	6,676 (6.2)	12,147 (11.3)	-9,625 (-8.9)	5,026 (4.7)	-4,871 (-4.5)	-322 (-0.3)	-1,709 (-1.6)	24,122 (22.3)	1,07,958 (100.0)
2008-09 (बअ) अ	63,842 (56.7)	6,684 (5.9)	22,303 (19.8)	6,723 (6.0)	13,001 (11.5)	1,203 (1.1)	4,813 (4.3)	-1,851 (-1.6)	85 (0.1)	-1,627 (-1.4)	-2,524 (-2.2)	1,12,653 (100.0)

आ . राज्य सरकार की बकाया देयताएं

वर्ष	बाजार ऋण	पावर बांड	केंद्र से ऋण तथा अग्रिम	एनएसएसएफ	बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा तथा अग्रिम	अन्य *	कुल बकाया देयताएं (2 से 10)	सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1990-91	15,652	-	73,521	-	2,513	16,861	4,734	12,769	2,105	1,28,155	22.5
1995-96	37,088	-	1,29,264	-	4,838	38,216	10,577	26,654	2,899	2,49,535	20.9
2000-01	86,767	-	2,38,655	56,352	29,213	93,629	22,868	59,328	7,335	5,94,147	28.3
2001-02	1,04,027	-	2,49,551	90,226	40,894	1,03,815	27,389	64,325	10,520	6,90,747	30.3
2002-03	1,33,066	-	2,49,179	1,39,193	51,198	1,13,678	32,188	65,036	2,892	7,86,430	32.0
2003-04	1,79,917	28,984	1,92,981	1,98,454	65,960	1,32,043	42,217	69,116	3,704	9,13,376	33.2
2004-05	2,13,480	29,883	1,60,045	2,82,200	67,921	1,45,936	52,311	75,290	2,108	10,29,174	32.7
2005-06	2,28,925	31,581	1,57,004	3,65,933	71,845	1,60,955	63,120	86,691	1,812	11,67,866	32.6
2006-07 अ	2,41,982	26,051	1,47,526	4,22,433	72,650	1,71,325	70,754	99,487	-1,389	12,50,819	30.2
2007-08 (संअ) अ	3,05,535	23,144	1,50,615	4,32,306	79,326	1,83,471	61,130	1,04,513	-2,996	13,37,044	28.4
2008-09 (बअ) अ	3,69,377	20,237	1,57,299	4,54,609	86,049	1,96,473	62,333	1,09,325	-4,533	14,51,169	27.4

सअ : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

अ : आंकड़े अनंतिम

.. : लागू नहीं

: इससे क्षतिपूर्ति और अन्य बांड, अन्य संस्थाओं से ऋण, आकास्मिकता निधि का विनियोजन अन्य राज्य निपटान और आकास्मिकता निधि शामिल है।

@ : भा.रि. बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, आकास्मिकता निधि, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज और केंद्रीय तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखा।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 32 : केंद्र और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर राजस्व

(करोड़ रुपए)

वर्ष	केंद्र (सकल)			राज्य @			केंद्र और राज्य सरकारों संयुक्त		
	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1995-96	33,563	77,661	1,11,224	8,040	55,587	63,627	41,603	1,33,248	1,74,851
(क)	30.2	69.8	100.0	12.6	87.4	100.0	23.8	76.2	100.0
(ख)	2.8	6.5	9.3	0.7	4.7	5.3	3.5	11.2	14.7
2001-02	69,197	1,17,863	1,87,060	13,592	1,13,878	1,27,470	82,789	2,31,741	3,14,530
(क)	37.0	63.0	100.0	10.7	89.3	100.0	26.3	73.7	100.0
(ख)	3.0	5.2	8.2	0.6	5.0	5.6	3.6	10.2	13.8
2002-03	83,085	1,33,181	2,16,266	18,151	1,24,526	1,42,677	1,01,236	2,57,707	3,58,943
(क)	38.4	61.6	100.0	12.7	87.3	100.0	28.2	71.8	100.0
(ख)	3.4	5.4	8.8	0.7	5.1	5.8	4.1	10.5	14.6
2003-04	1,05,090	1,49,258	2,54,348	20,531	1,40,703	1,61,234	1,25,621	2,89,961	4,15,582
(क)	41.3	58.7	100.0	12.7	87.3	100.0	30.2	69.8	100.0
(ख)	3.8	5.4	9.2	0.7	5.1	5.9	4.6	10.5	15.1
2004-05	1,32,771	1,72,187	3,04,958	24,043	1,65,045	1,89,088	1,56,814	3,37,232	4,94,046
(क)	43.5	56.5	100.0	12.7	87.3	100.0	31.7	68.3	100.0
(ख)	4.2	5.5	9.7	0.8	5.2	6.1	5.0	10.7	15.7
2005-06	1,65,201	2,00,949	3,66,150	30,211	1,90,658	2,20,869	1,95,412	3,91,607	5,87,019
(क)	45.1	54.9	100.0	13.7	86.3	100.0	33.3	66.7	100.0
(ख)	4.6	5.6	10.2	0.8	5.3	6.2	5.5	10.9	16.4
2006-07	2,30,192	2,43,320	4,73,512	37,579	2,14,029	2,51,608	2,67,771	4,57,349	7,25,120
(क)	48.6	51.4	100.0	14.9	85.1	100.0	36.9	63.1	100.0
(ख)	5.6	5.9	11.5	0.9	5.2	6.1	6.5	11.0	17.5
2007-08	2,67,490	2,80,632	5,48,122	38,161	2,48,680	2,86,841	3,05,651	5,29,312	8,34,963
बअ (क)	48.8	51.2	100.0	13.3	86.7	100.0	36.6	63.4	100.0
(ख)	5.7	6.0	11.7	0.8	5.3	6.1	6.5	11.2	17.7
2007-08	3,04,760	2,80,650	5,85,410	37,601	2,51,056	2,88,657	3,42,361	5,31,706	8,74,067
संअ (क)	52.1	47.9	100.0	13.0	87.0	100.0	39.2	60.8	100.0
(ख)	6.5	6.0	12.5	0.8	5.3	6.1	7.3	11.3	18.6
2008-09	3,65,000	3,22,715	6,87,715	42,744	2,86,178	3,28,922	4,07,744	6,08,893	10,16,637
बअ (क)	53.1	46.9	100.0	13.0	87.0	100.0	40.1	59.9	100.0
(ख)	6.9	6.1	13.0	0.8	5.4	6.2	7.7	11.5	19.2
ज्ञापन म दें :									
(औसत)									
1997-98से (क)	39.1	60.9	100.0	12.0	88.0	100.0	28.8	71.2	100.0
2006-07तक (ख)	3.7	5.6	9.3	0.7	5.0	5.7	4.4	10.6	14.9

संअ : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

@ : केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज में सूचित किए गए अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों के अंश शामिल नहीं हैं।

(क) : यह कुल कर राजस्व की प्रतिशतता दर्शाता है।

(ख) : सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता दर्शाता है।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 33 : संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण - केंद्र और राज्य सरकार

(करोड़ रूपए)

मद	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (लेखा)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
I. कुल संवितरण (अ+ आ+ इ) <i>जिसमें से</i>	7,96,384	8,69,757	9,59,855	1,109,174	1,355,830	1,485,535
अ. विकासात्मक (i+ii+iii)	4,17,834	4,45,354	5,09,525	5,88,028	7,36,974	8,34,345
i) राजस्व	3,18,444	3,42,517	3,92,386	4,52,499	5,63,937	6,43,124
ii) पूंजी	69,070	78,936	96,825	1,16,613	1,52,042	1,71,734
iii) ऋण	30,320	23,901	20,314	18,916	20,995	19,487
आ. विकासेतर (i+ii+iii)	3,71,651	4,16,340	4,40,377	5,07,635	6,02,125	6,31,255
i) राजस्व <i>जिसमें से :</i> <i>ब्याज भुगतान</i>	3,52,676	3,79,825	4,04,027	4,66,431	5,15,456	5,72,503
ii) पूंजी	17,603	34,368	35,760	40,703	86,084	57,947
iii) ऋण	1,371	2,147	590	501	585	805
इ. अन्य *	6,899	8,063	9,953	13,511	16,731	19,935
II. कुल प्राप्तियां <i>जिसमें से :</i>	7,99,162	8,88,345	10,14,689	11,25,252	13,31,711	14,88,330
अ. राजस्व प्राप्तियां	5,18,611	6,15,644	7,07,054	8,77,075	10,55,165	12,08,804
i) कर प्राप्तियां (क+ख+ग)	4,13,981	4,92,481	5,76,596	7,24,023	8,73,299	10,17,107
क) पाप्य और सेवाओं पर कर	2,87,729	3,35,448	3,80,869	4,54,652	5,29,215	6,06,997
ख) आय और संपत्ति पर कर	1,25,595	1,56,214	1,94,602	2,68,108	3,42,750	4,08,659
ग) संघ राज्य क्षेत्र पर कर (विधान सभा के बिना)	658	819	1,125	1,263	1,334	1,451
ii) करेतर प्राप्तियां <i>जिनमें से :</i> <i>ब्याज प्राप्तियां</i>	1,04,630	1,23,163	130,458	1,53,052	1,81,866	1,91,697
आ. ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियां (i+ii)	43,271	19,392	13,241	1,667	52,834	32,271
i) ऋण व अग्रिमों की वसूली	26,318	14,968	11,651	-773	8,309	7,106
ii) विनिवेश आगम	16,952	4,424	1,590#	2,440#	44,525#	25,165#
III. सकल राजकोषीय घाटा [I+(IIअ+IIआ)]	2,34,501	2,34,721	2,39,560	2,30,432	2,47,831	2,44,460
अ. संस्थावार वित्तपोषण (i+ii)	2,34,501	2,34,721	2,39,560	2,30,432	2,47,831	2,44,460
वित्तपोषण संस्थाएं :						
i) घरेलू वित्तपोषण (क+ख)	2,47,989	2,19,968	2,32,088	2,21,960	2,37,861	..
क) सरकार को बैंक का निवल ऋण ## <i>जिनमें से :</i> सरकार को भारिबैंक निवल ऋण	66,381	13,863	16,351	69,177	72,842	..
ख) सरकार को बैंकेतर ऋण	-75,772	-62,882	34,261	-4,176	-1,15,632	..
ii) बाह्य वित्तपोषण	1,81,608	2,06,105	2,15,737	1,52,783	1,65,019	..
आ. लिखतवार (i+ii)	-13,488	14,753	7,472	8,472	9,970	10,989
i) घरेलू वित्तपोषण (क से छ तक)	2,34,501	2,34,721	2,39,560	2,30,432	2,47,831	2,44,460
क) बाजार से उधार (निवल) @	2,47,989	2,19,968	2,32,088	2,21,960	2,37,861	2,33,471
ख) अल्प बचत (निवल) &	1,36,156	85,498	1,21,546	1,27,858	1,74,280	1,62,842
ग) राज्य सरकारी भविष्य निधि (निवल)	67,642	87,690	89,836	63,746	8,827	28,498
घ) आरक्षित निधि	12,014	13,139	15,388	15,188	15,193	16,301
ङ) जमा तथा अग्रिम	8,883	10,827	10,122	19,342	-6,121	231
च) नकदी शेष ^	9,705	4,529	18,888	22,982	12,834	13,442
छ) अन्य **	-2,778	-18,588	-54,834	-16,078	24,119	-2,795
ii) बाह्य वित्तपोषण	16,367	36,873	31,143	-11,078	8,729	14,952
	-13,488	14,753	7,472	8,472	9,970	10,989
IV. I सघड के प्रतिशत के रूप में	29.0	28.2	28.3	27.1	28.3	28.1
V. II सघड के प्रतिशत के रूप में	18.8	19.5	19.7	21.2	22.4	22.8
VI. IIअ (i) सघड के प्रतिशत के रूप में	15.0	15.6	16.1	17.5	18.5	19.2
VII. III सघड के प्रतिशत के रूप में	8.5	7.5	6.7	5.6	5.3	4.6

* : यह राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थानों को अनुदान एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित राजस्व व्यय को दर्शाता है।

: इसमें 'भूमि' तथा 'संपत्ति' की बिक्री और ऋण राहत शामिल है। ## : भारिबैंक रिकार्ड के अनुसार ...: अनुपलब्ध

@ : दिनांकित प्रतिभूतियों एवं 364 दिन खजाना बिलों के जरिए उधार।

& : यह केंद्र और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएसएफ) निवल निवेश को दर्शाता है।

^ : राज्य सरकार के अर्धोपाय अग्रिम शामिल हैं।

** : इसमें खजाना बिल (364 दिवसीय खजाना बिल को छोड़कर), वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा एवं पेन्शन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता आदि शामिल हैं।

(-) : अधिशेष / निवल बहिर्वाह दर्शाता है।

टिप्पणी : i) कुल संवितरण/प्राप्तियां केंद्र सरकार (एनएसएसएसएफ को चुकौती सहित) तथा राज्य सरकार की निवल चुकौती है

ii) कुल प्राप्तियां केंद्र तथा राज्य सरकार के नकदी शेष का निवल घट-बढ़ है

iii) 2006-07 से राज्य सरकारों के आंकड़े 28 राज्य सरकारों के बजट से संबंधित हैं।

iv) वर्ष 2007-08 (सं. अ.) के केंद्र सरकार की बजट राशि में गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में 34,309 करोड़ रूपए तथा विकास पूंजी परिव्यय में 35,531 करोड़ रूपये है जो भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेर्य धारिता केंद्र सरकार को अंतरित करने के कारण है।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 34 : बाजार उधार - केंद्र और राज्य सरकार

(करोड़ रुपए)

सरकार/प्रधिकरण	सकल			चुकौतियां			निवल		
	2006-07	2007-08	2008-09 (बअ)	2006-07	2007-08	2008-09 (बअ)	2006-07	2007-08	2008-09 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. केंद्र सरकार (क+ख)	1,79,373	1,88,205	1,75,780	68,097	78,702	76,780	1,11,275	1,09,504	99,000
क) दिनांकित प्रतिभूतियां	1,46,000	1,56,000	1,49,780	39,079	45,329	44,575 #	1,06,921	1,10,671	1,05,205 #
ख) 364 दिवसीय खजाना बिल	33,373	32,205	26,000	29,018	33,373	32,205	4,354	-1,167	-6,205
2. राज्य सरकारें*	20,825	67,779	59,062	6,551	11,555	14,371	14,274	56,224	44,737
कुल जोड़ (1+2)	2,00,198	2,55,984	2,34,842	74,648	90,257	91,151 #	1,25,549	1,65,728	1,43,737 #

बअ : बजट अनुमान ।

: इसमें 547 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जो कॉल और पुट ऑप्शन की प्रतिभूति से संबंधित है ।

* : तीन राज्यों को छोड़कर जिनकी 2008-09 की वार्षिक योजनाओं को अभी तक अंतिम स्वरूप देना बाकी है ।

स्रोत : रिजर्व बैंक अभिलेख और केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां (जारी)

(राशि करोड़ रुपए में)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-)	बकाया राशि@
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2007-08													
3-अप्रै-07	1	32	19,740	32	19,740	7.75	-	-	-	-	-	19,740	
\$	1	8	2,875	8	2,875	7.75	2	60	2	60	6.00	2,815	-22,555
4-अप्रै-07	1	16	10,060	16	10,060	7.75	4	3,060	4	2,000	6.00	8,060	
\$	1	3	410	3	410	7.75	5	1,245	5	996	6.00	-586	-7,474
5-अप्रै-07	4	3	1,165	3	1,165	7.75	1	30	1	30	6.00	1,135	
\$	4	1	400	1	400	7.75	4	80	4	80	6.00	320	-1,455
9-अप्रै-07	1	2	760	2	760	7.75	6	3,370	6	2,000	6.00	-1,240	
\$	1	-	-	-	-	-	15	5,745	15	1,000	6.00	-1,000	2,240
10-अप्रै-07	1	-	-	-	-	-	11	14,295	11	1,999	6.00	-1,999	
\$	1	-	-	-	-	-	20	14,825	20	1,001	6.00	-1,001	3,000
11-अप्रै-07	1	-	-	-	-	-	23	24,875	23	1,992	6.00	-1,992	
\$	1	-	-	-	-	-	21	18,545	21	1,008	6.00	-1,008	3,000
12-अप्रै-07	1	-	-	-	-	-	25	28,690	25	1,999	6.00	-1,999	
\$	1	-	-	-	-	-	21	22,925	21	1,000	6.00	-1,000	2,999
13-अप्रै-07	3	-	-	-	-	-	10	19,855	10	1,999	6.00	-1,999	
\$	3	-	-	-	-	-	6	9,445	6	1,001	6.00	-1,001	3,000
16-अप्रै-07	1	1	400	1	400	7.75	2	210	2	210	6.00	190	
\$	1	34	13,415	34	13,415	7.75	1	10	1	10	6.00	13,405	-13,595
17-अप्रै-07	1	36	15,870	36	15,870	7.75	-	-	-	-	-	15,870	
\$	1	15	4,460	15	4,460	7.75	2	110	2	110	6.00	4,350	-20,220
18-अप्रै-07	1	22	9,085	22	9,085	7.75	1	10	1	10	6.00	9,075	
\$	1	26	8,075	26	8,075	7.75	-	-	-	-	-	8,075	-17,150
19-अप्रै-07	1	19	9,385	19	9,385	7.75	-	-	-	-	-	9,385	
\$	1	15	6,275	15	6,275	7.75	2	70	2	70	6.00	6,205	-15,590
20-अप्रै-07	3	20	10,010	20	10,010	7.75	-	-	-	-	-	10,010	
\$	3	17	6,190	17	6,190	7.75	2	115	2	115	6.00	6,075	-16,085
23-अप्रै-07	1	13	5,200	13	5,200	7.75	2	120	2	120	6.00	5,080	
\$	1	15	4,790	15	4,790	7.75	2	115	2	115	6.00	4,675	-9,755
24-अप्रै-07	1	23	14,365	23	14,365	7.75	3	125	3	125	6.00	14,240	
\$	1	2	40	2	40	7.75	5	1,615	5	1,000	6.00	-960	-13,280
25-अप्रै-07	1	1	500	1	500	7.75	5	1,745	5	1,745	6.00	-1,245	
\$	1	14	2,990	14	2,990	7.75	2	10	2	10	6.00	2,980	-1,735
26-अप्रै-07	1	5	2,650	5	2,650	7.75	1	100	1	100	6.00	2,550	
\$	1	18	6,070	18	6,070	7.75	1	15	1	15	6.00	6,055	-8,605
27-अप्रै-07	3	26	10,705	26	10,705	7.75	-	-	-	-	-	10,705	
\$	3	2	290	2	290	7.75	10	2,585	10	999	6.00	-709	-9,996
30-अप्रै-07	3	17	8,360	17	8,360	7.75	1	15	1	15	6.00	8,345	
\$	3	23	7,615	23	7,615	7.75	-	-	-	-	-	7,615	-15,960
3-मई-07	1	10	4,380	10	4,380	7.75	1	25	1	25	6.00	4,355	
\$	1	11	3,225	11	3,225	7.75	1	10	1	10	6.00	3,215	-7,570
4-मई-07	3	3	1,720	3	1,720	7.75	2	915	2	915	6.00	805	
\$	3	3	225	3	225	7.75	3	215	3	215	6.00	10	-815
7-मई-07	1	-	-	-	-	-	5	4,100	5	2,000	6.00	-2,000	
\$	1	-	-	-	-	-	6	5,235	6	1,000	6.00	-1,000	3,000
8-मई-07	1	-	-	-	-	-	17	17,260	17	1,998	6.00	-1,998	
\$	1	1	30	1	30	7.75	11	11,335	11	1,002	6.00	-972	2,970
9-मई-07	1	-	-	-	-	-	19	18,740	19	2,000	6.00	-2,000	
\$	1	1	150	1	150	7.75	17	14,770	17	999	6.00	-849	2,849
10-मई-07	1	-	-	-	-	-	24	23,020	24	2,000	6.00	-2,000	
\$	1	-	-	-	-	-	19	11,475	19	999	6.00	-999	2,999
11-मई-07	3	-	-	-	-	-	17	19,260	17	1,998	6.00	-1,998	
\$	3	-	-	-	-	-	9	5,835	9	1,001	6.00	-1,001	2,999
14-मई-07	1	7	2,650	7	2,650	7.75	-	-	-	-	-	2,650	
\$	1	29	13,845	29	13,845	7.75	1	25	1	25	6.00	13,820	-16,470
15-मई-07	1	16	11,120	16	11,120	7.75	-	-	-	-	-	11,120	
\$	1	24	12,995	24	12,995	7.75	1	10	1	10	6.00	12,985	-24,105
16-मई-07	1	15	9,825	15	9,825	7.75	1	10	1	10	6.00	9,815	
\$	1	23	11,780	23	11,780	7.75	1	25	1	25	6.00	11,755	-21,570
17-मई-07	1	17	10,525	17	10,525	7.75	-	-	-	-	-	10,525	
\$	1	17	14,025	17	14,025	7.75	1	15	1	15	6.00	14,010	-24,535
18-मई-07	3	22	14,150	22	14,150	7.75	-	-	-	-	-	14,150	
\$	3	10	5,530	10	5,530	7.75	1	10	1	10	6.00	5,520	-19,670
21-मई-07	1	8	2,530	8	2,530	7.75	-	-	-	-	-	2,530	
\$	1	18	9,480	18	9,480	7.75	2	295	2	295	6.00	9,185	-11,715

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां (जारी)

(राशि करोड़ रुप में)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-)	बकाया राशि@
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22-मई-07	1	1	225	1	225	7.75	-	-	-	-	-	225	
\$	1	12	5,055	12	5,055	7.75	2	95	2	95	6.00	4,960	-5,185
23-मई-07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
\$	1	5	5,775	5	5,775	7.75	1	10	1	10	6.00	5,765	-5,765
24-मई-07	1	2	300	2	300	7.75	-	-	-	-	-	300	
\$	1	8	6,455	8	6,455	7.75	1	25	1	25	6.00	6,430	-6,730
25-मई-07	3	6	1,595	6	1,595	7.75	-	-	-	-	-	1,595	
\$	3	7	3,415	7	3,415	7.75	3	320	3	320	6.00	3,095	-4,690
28-मई-07	1	-	-	-	-	-	8	9,955	8	2,000	6.00	-2,000	
\$	1	-	-	-	-	-	12	7,535	12	999	6.00	-999	2,999
29-मई-07	1	-	-	-	-	-	20	18,275	20	2,000	6.00	-2,000	
\$	1	-	-	-	-	-	20	14,995	20	994	6.00	-994	2,994
30-मई-07	1	-	-	-	-	-	28	30,805	28	1,999	6.00	-1,999	
\$	1	-	-	-	-	-	25	18,530	25	997	6.00	-997	2,996
31-मई-07	1	-	-	-	-	-	32	37,020	32	1,995	6.00	-1,995	
\$	1	-	-	-	-	-	35	35,270	35	997	6.00	-997	2,992
1-जून-07	3	-	-	-	-	-	35	44,550	35	1,996	6.00	-1,996	
\$	3	-	-	-	-	-	32	37,075	32	1,000	6.00	-1,000	2,996
4-जून-07	1	-	-	-	-	-	39	48,810	39	1,997	6.00	-1,997	
\$	1	-	-	-	-	-	33	38,605	33	1,001	6.00	-1,001	2,998
5-जून-07	1	-	-	-	-	-	41	56,745	41	1,998	6.00	-1,998	
\$	1	-	-	-	-	-	40	46,100	40	999	6.00	-999	2,997
6-जून-07	1	-	-	-	-	-	41	67,785	41	2,000	6.00	-2,000	
\$	1	-	-	-	-	-	37	41,740	37	1,000	6.00	-1,000	3,000
7-जून-07	1	-	-	-	-	-	45	64,980	45	1,999	6.00	-1,999	
\$	1	-	-	-	-	-	37	45,010	37	1,001	6.00	-1,001	3,000
8-जून-07	3	-	-	-	-	-	41	59,415	41	1,994	6.00	-1,994	
\$	3	-	-	-	-	-	35	42,655	35	995	6.00	-995	2,989
11-जून-07	1	-	-	-	-	-	27	26,120	27	1,994	6.00	-1,994	
\$	1	-	-	-	-	-	26	27,885	26	1,003	6.00	-1,003	2,997
12-जून-07	1	-	-	-	-	-	27	33,190	27	1,994	6.00	-1,994	
\$	1	-	-	-	-	-	27	28,935	27	1,005	6.00	-1,005	2,999
13-जून-07	1	-	-	-	-	-	28	32,580	28	1,998	6.00	-1,998	
\$	1	-	-	-	-	-	30	31,880	30	999	6.00	-999	2,997
14-जून-07	1	-	-	-	-	-	31	39,145	31	1,998	6.00	-1,998	
\$	1	-	-	-	-	-	31	34,570	31	1,001	6.00	-1,001	2,999
15-जून-07	3	-	-	-	-	-	29	38,555	29	1,996	6.00	-1,996	
\$	3	-	-	-	-	-	26	30,645	26	1,002	6.00	-1,002	2,998
18-जून-07	1	-	-	-	-	-	28	35,700	28	2,000	6.00	-2,000	
\$	1	-	-	-	-	-	30	33,750	30	999	6.00	-999	2,999
19-जून-07	1	-	-	-	-	-	30	43,695	30	2,000	6.00	-2,000	
\$	1	-	-	-	-	-	31	35,895	31	997	6.00	-997	2,997
20-जून-07	1	-	-	-	-	-	34	46,600	34	1,989	6.00	-1,989	
\$	1	-	-	-	-	-	32	29,410	32	1,011	6.00	-1,011	3,000
21-जून-07	1	-	-	-	-	-	34	47,805	34	1,994	6.00	-1,994	
\$	1	-	-	-	-	-	34	32,500	34	1,006	6.00	-1,006	3,000
22-जून-07	3	-	-	-	-	-	35	47,145	35	1,990	6.00	-1,990	
\$	3	-	-	-	-	-	33	30,435	33	1,007	6.00	-1,007	2,997
25-जून-07	1	-	-	-	-	-	29	34,595	29	2,000	6.00	-2,000	
\$	1	-	-	-	-	-	28	26,475	28	1,000	6.00	-1,000	3,000
26-जून-07	1	-	-	-	-	-	38	48,350	38	1,995	6.00	-1,995	
\$	1	-	-	-	-	-	27	19,180	27	1,001	6.00	-1,001	2,996
27-जून-07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
\$	1	-	-	-	-	-	2	10	2	10	6.00	-10	10
28-जून-07	1	5	2,500	5	2,500	7.75	-	-	-	-	-	2,500	
\$	1	12	6,975	12	6,975	7.75	2	10	2	10	6.00	6,965	-9,465
29-जून-07	4	16	9,520	16	9,520	7.75	-	-	-	-	-	9,520	
\$	4	1	375	1	375	7.75	13	4,005	13	1,000	6.00	-625	-8,895
3-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	29	40,995	29	1,998	6.00	-1,998	
\$	1	-	-	-	-	-	37	39,505	37	997	6.00	-997	2,995
4-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	40	53,670	40	2,000	6.00	-2,000	
\$	1	-	-	-	-	-	33	39,085	33	987	6.00	-987	2,987
5-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	40	55,370	40	1,996	6.00	-1,996	
\$	1	-	-	-	-	-	34	38,850	34	1,001	6.00	-1,001	2,997

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां (जारी)

(राशि करोड़ रुप में)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-)	बकाया राशि@
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6-जुलाई-07	3	-	-	-	-	-	39	55,325	39	1,998	6.00	-1,998	
\$	3	-	-	-	-	-	27	33,800	27	1,001	6.00	-1,001	2,999
9-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	34	52,935	34	1,999	6.00	-1,999	
\$	1	-	-	-	-	-	28	33,380	28	1,000	6.00	-1,000	2,999
10-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	42	57,540	42	1,999	6.00	-1,999	
\$	1	-	-	-	-	-	33	32,905	33	991	6.00	-991	2,990
11-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	43	56,590	43	1,995	6.00	-1,995	
\$	1	-	-	-	-	-	32	35,405	32	1,002	6.00	-1,002	2,997
12-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	42	58,960	42	1,994	6.00	-1,994	
\$	1	-	-	-	-	-	37	39,705	37	1,005	6.00	-1,005	2,999
13-जुलाई-07	3	-	-	-	-	-	44	63,750	44	1,991	6.00	-1,991	
\$	3	-	-	-	-	-	39	41,950	39	1,008	6.00	-1,008	2,999
16-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	43	56,555	43	1,995	6.00	-1,995	
\$	1	-	-	-	-	-	40	41,945	40	1,005	6.00	-1,005	3,000
17-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	47	66,970	47	1,996	6.00	-1,996	
\$	1	-	-	-	-	-	38	35,565	38	1,003	6.00	-1,003	2,999
18-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	44	67,310	44	1,998	6.00	-1,998	
\$	1	-	-	-	-	-	39	42,855	39	1,002	6.00	-1,002	3,000
19-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	48	65,920	48	1,984	6.00	-1,984	
\$	1	-	-	-	-	-	38	42,760	38	1,016	6.00	-1,016	3,000
20-जुलाई-07	3	-	-	-	-	-	44	62,735	44	1,996	6.00	-1,996	
\$	3	-	-	-	-	-	34	42,475	34	1,004	6.00	-1,004	3,000
23-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	38	59,910	38	1,991	6.00	-1,991	
\$	1	-	-	-	-	-	32	37,905	32	1,008	6.00	-1,008	2,999
24-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	49	68,545	49	1,998	6.00	-1,998	
\$	1	-	-	-	-	-	39	45,355	39	999	6.00	-999	2,997
25-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	47	68,115	47	1,995	6.00	-1,995	
\$	1	-	-	-	-	-	34	39,485	34	998	6.00	-998	2,993
26-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	46	77,930	46	1,994	6.00	-1,994	
\$	1	-	-	-	-	-	42	50,855	42	1,005	6.00	-1,005	2,999
27-जुलाई-07	3	-	-	-	-	-	44	86,110	44	1,993	6.00	-1,993	
\$	3	-	-	-	-	-	41	65,690	41	999	6.00	-999	2,992
30-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	46	88,215	46	2,000	6.00	-2,000	
\$	1	-	-	-	-	-	40	62,025	40	999	6.00	-999	2,999
31-जुलाई-07	1	-	-	-	-	-	40	80,730	40	1,993	6.00	-1,993	
\$	1	-	-	-	-	-	33	53,145	33	1,007	6.00	-1,007	3,000
1-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	44	85,715	44	1,988	6.00	-1,988	
\$	1	-	-	-	-	-	35	50,530	35	1,011	6.00	-1,011	2,999
2-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	41	74,040	41	1,991	6.00	-1,991	
\$	1	-	-	-	-	-	33	49,030	33	986	6.00	-986	2,977
3-अगस्त-07	3	-	-	-	-	-	28	59,630	28	1,996	6.00	-1,996	
\$	3	-	-	-	-	-	28	45,000	28	1,001	6.00	-1,001	2,997
6-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	28	52,070	28	52,070	6.00	-52,070	52,070
7-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	21	41,605	21	41,605	6.00	-41,605	41,605
8-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	17	36,425	17	36,425	6.00	-36,425	36,425
9-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	17	38,135	17	38,135	6.00	-38,135	38,135
10-अगस्त -07	3	-	-	-	-	-	12	19,625	12	19,625	6.00	-19,625	19,625
13-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	16	25,325	16	25,325	6.00	-25,325	25,325
14-अगस्त-07	2	-	-	-	-	-	18	29,450	18	29,450	6.00	-29,450	29,450
16-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	20	30,670	20	30,670	6.00	-30,670	30,670
17-अगस्त-07	4	-	-	-	-	-	25	30,650	25	30,650	6.00	-30,650	30,650
21-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	12	10,190	12	10,190	6.00	-10,190	10,190
22-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	9	13,885	9	13,885	6.00	-13,885	13,885
23-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	9	16,060	9	16,060	6.00	-16,060	16,060
24-अगस्त-07	3	-	-	-	-	-	7	12,325	7	12,325	6.00	-12,325	12,325
27-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	7	7,770	7	7,770	6.00	-7,770	7,770
28-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	17	25,355	17	25,355	6.00	-25,355	25,355
29-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	16	29,280	16	29,280	6.00	-29,280	29,280
30-अगस्त-07	1	-	-	-	-	-	21	37,670	21	37,670	6.00	-37,670	37,670
31-अगस्त-07	3	-	-	-	-	-	18	16,855	18	16,855	6.00	-16,855	16,855
3-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	22	32,570	22	32,570	6.00	-999	2,997
4-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	21	37,000	21	37,000	6.00	-1,995	
5-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	19	30,400	19	30,400	6.00	-998	2,993
6-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	19	39,175	19	39,175	6.00	-1,994	
7-सितंबर-07	3	-	-	-	-	-	23	35,090	23	35,090	6.00	-1,005	2,999

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां (जारी)

(राशि करोड़ रुपए में)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+) अवशोषण (-)	बकाया राशि@
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	25	27,940	25	27,940	6.00	-1,993	
11-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	22	23,320	22	23,320	6.00	-999	2,992
12-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	17	14,255	17	14,255	6.00	-2,000	
13-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	18	24,380	18	24,380	6.00	-999	2,999
14-सितंबर-07	3	-	-	-	-	-	14	15,710	14	15,710	6.00	-1,993	
17-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	6	3,745	6	3,745	6.00	-1,007	3,000
18-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	4	3,320	4	3,320	6.00	-1,988	
19-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	7	7,500	7	7,500	6.00	-1,011	2,999
20-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	7	7,200	7	7,200	6.00	-1,991	
21-सितंबर-07	3	1	1,200	1	1,200	7.75	-	-	-	-	-	-986	2,977
24-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	7	4,495	7	4,495	6.00	-1,996	
25-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	25	26,180	25	26,180	6.00	-1,001	2,997
26-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	18	22,765	18	22,765	6.00	-52,070	52,070
27-सितंबर-07	1	-	-	-	-	-	5	28,180	5	28,180	6.00	-41,605	41,605
28-सितंबर-07	3	13	9,735	13	9,735	7.75	5	3,665	5	3,665	6.00	-36,425	36,425
1-अक्तू-07	2	-	-	-	-	-	19	30,400	19	30,400	6.00	-30,400	30,400
3-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	30	53,520	30	53,520	6.00	-53,520	53,520
4-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	38	57,480	38	57,480	6.00	-57,480	57,480
5-अक्तू-07	3	-	-	-	-	-	37	54,370	37	54,370	6.00	-54,370	54,370
8-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	39	56,105	39	56,105	6.00	-56,105	56,105
9-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	44	69,620	44	69,620	6.00	-69,620	69,620
10-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	39	60,945	39	60,945	6.00	-60,945	60,945
11-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	33	46,615	33	46,615	6.00	-46,615	46,615
12-अक्तू-07	3	-	-	-	-	-	35	36,545	35	36,545	6.00	-36,545	36,545
15-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	29	46,710	29	46,710	6.00	-46,710	46,710
16-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	21	34,215	21	34,215	6.00	-34,215	34,215
17-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	21	28,770	21	28,770	6.00	-28,770	28,770
18-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	27	40,525	27	40,525	6.00	-40,525	40,525
19-अक्तू-07	3	-	-	-	-	-	30	31,950	30	31,950	6.00	-31,950	31,950
22-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	34	36,730	34	36,730	6.00	-36,730	36,730
23-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	25	30,130	25	30,130	6.00	-30,130	30,130
24-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	28	32,260	28	32,260	6.00	-32,260	32,260
25-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	28	31,675	28	31,675	6.00	-31,675	31,675
26-अक्तू-07	3	-	-	-	-	-	22	18,135	22	18,135	6.00	-18,135	18,135
29-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	15	18,605	15	18,605	6.00	-18,605	18,605
30-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	7	3,890	7	3,890	6.00	-3,890	3,890
31-अक्तू-07	1	-	-	-	-	-	5	5,015	5	5,015	6.00	-5,015	5,015
1-नव-07	1	-	-	-	-	-	10	11,560	10	11,560	6.00	-11,560	11,560
2-नव-07	3	-	-	-	-	-	6	7,195	6	7,195	6.00	-7,195	7,195
5-नव-07	1	-	-	-	-	-	18	22,160	18	22,160	6.00	-22,160	22,160
6-नव-07	1	-	-	-	-	-	31	41,000	31	41,000	6.00	-41,000	41,000
7-नव-07	1	-	-	-	-	-	6	9,800	6	9,800	6.00	-9,800	9,800
8-नव-07	4	-	-	-	-	-	4	2,030	4	2,030	6.00	-2,030	2,030
12-नव-07	1	14	9,100	14	9,100	7.75	1	5	1	5	6.00	9,095	-9,095
13-नव-07	1	29	23,010	29	23,010	7.75	1	2,000	1	2,000	6.00	21,010	-21,010
14-नव-07	1	2	1,780	2	1,780	7.75	-	-	-	-	-	1,780	-1,780
15-नव-07	1	28	21,580	28	21,580	7.75	-	-	-	-	-	21,580	-21,580
16-नव-07	3	28	30,655	28	30,655	7.75	-	-	-	-	-	30,655	-30,655
19-नव-07	1	11	14,875	11	14,875	7.75	1	5	1	5	6.00	14,870	-14,870
20-नव-07	1	10	8,045	10	8,045	7.75	-	-	-	-	-	8,045	-8,045
21-नव-07	1	35	32,735	35	32,735	7.75	-	-	-	-	-	32,735	-32,735
22-नव-07	1	-	-	-	-	-	3	4,055	3	4,055	6.00	-4,055	4,055
23-नव-07	3	-	-	-	-	-	9	8,710	9	8,710	6.00	-8,710	8,710
26-नव-07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
27-नव-07	1	15	12,135	15	12,135	7.75	-	-	-	-	-	12,135	-12,135
28-नव-07	1	10	8,245	10	8,245	7.75	-	-	-	-	-	8,245	-8,245
29-नव-07	1	6	3,875	6	3,875	7.75	-	-	-	-	-	3,875	-3,875
30-नव-07	3	3	1,320	3	1,320	7.75	-	-	-	-	-	1,320	-1,320
3-दिस-07	1	1	10	1	10	7.75	-	-	-	-	-	10	-10
4-दिस-07	1	2	185	2	185	7.75	1	5,000	1	5,000	6.00	-4,815	4,815
5-दिस-07	1	2	135	2	135	7.75	-	-	-	-	-	135	-135
6-दिस-07	1	-	-	-	-	-	1	15	1	15	6.00	-15	15
7-दिस-07	3	-	-	-	-	-	11	6,965	11	6,965	6.00	-6,965	6,965
10-दिस-07	1	-	-	-	-	-	1	10	1	10	6.00	-10	10
11-दिस-07	1	-	-	-	-	-	1	10	1	10	6.00	-10	10

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां (जारी)

(राशि करोड़ रुपए में)

एलएफएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/अवशोषण (-)	बकाया राशि@
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12-दिसं-07	1	8	4,825	8	4,825	7.75	1	10	1	10	6.00	4,815	-4,815
13-दिसं-07	1	19	15,570	19	15,570	7.75	1	10	1	10	6.00	15,560	-15,560
14-दिसं-07	3	10	6,015	10	6,015	7.75	1	10	1	10	6.00	6,005	-6,005
17-दिसं-07	1	1	85	1	85	7.75	1	5	1	5	6.00	80	-80
18-दिसं-07	1	-	-	-	-	-	1	5	1	5	6.00	-5	5
19-दिसं-07	1	-	-	-	-	-	1	5	1	5	6.00	-5	5
20-दिसं-07	4	30	22,370	30	22,370	7.75	-	-	-	-	-	22,370	-22,370
24-दिसं-07	2	16	14,960	16	14,960	7.75	1	5	1	5	6.00	14,955	-14,955
26-दिसं-07	1	30	47,665	30	47,665	7.75	-	-	-	-	-	47,665	-47,665
27-दिसं-07	1	30	47,125	30	47,125	7.75	-	-	-	-	-	47,125	-47,125
28-दिसं-07	3	24	33,865	24	33,865	7.75	-	-	-	-	-	33,865	-33,865
31-दिसं-07	1	4	7,350	4	7,350	7.75	4	3,705	4	3,705	6.00	3,645	-3,645
1-जन-08	1	2	2,050	2	2,050	7.75	1	5	1	5	6.00	2,045	-2,045
2-जन-08	1	1	100	1	100	7.75	9	7,185	9	7,185	6.00	-7,085	7,085
3-जन-08	1	-	-	-	-	-	38	40,630	38	40,630	6.00	-40,630	40,630
4-जन-08	3	-	-	-	-	-	33	32,275	33	32,275	6.00	-32,275	32,275
7-जन-08	1	-	-	-	-	-	11	12,215	11	12,215	6.00	-12,215	12,215
8-जन-08	1	-	-	-	-	-	6	4,560	6	4,560	6.00	-4,560	4,560
9-जन-08	1	-	-	-	-	-	17	17,935	17	17,935	6.00	-17,935	17,935
10-जन-08	1	-	-	-	-	-	11	11,660	11	11,660	6.00	-11,660	11,660
11-जन-08	3	-	-	-	-	-	20	19,925	20	19,925	6.00	-19,925	19,925
14-जन-08	1	-	-	-	-	-	15	10,615	15	10,615	6.00	-10,615	10,615
15-जन-08	1	-	-	-	-	-	20	24,595	20	24,595	6.00	-24,595	24,595
16-जन-08	1	-	-	-	-	-	24	28,550	24	28,550	6.00	-28,550	28,550
17-जन-08	1	-	-	-	-	-	29	39,725	29	39,725	6.00	-39,725	39,725
18-जन-08	3	-	-	-	-	-	13	17,320	13	17,320	6.00	-17,320	17,320
18-जन-08##	3	15	5,400	15	5,400	7.75	1	15	1	15	6.00	5,385	11,935
21-जन-08	1	1	2,000	1	2,000	7.75	3	595	3	595	6.00	1,405	-1,405
22-जन-08	1	-	-	-	-	-	9	25,285	9	25,285	6.00	-25,285	25,285
23-जन-08	1	-	-	-	-	-	3	3,505	3	3,505	6.00	-3,505	3,505
24-जन-08	1	7	3,070	7	3,070	7.75	4	3,415	4	3,415	6.00	-345	345
25-जन-08	3	5	10,665	5	10,665	7.75	4	11,650	4	11,650	6.00	-985	985
28-जन-08	1	-	-	-	-	-	9	13,780	9	13,780	6.00	-13,780	13,780
29-जन-08	1	-	-	-	-	-	7	23,160	7	23,160	6.00	-23,160	23,160
30-जन-08	1	-	-	-	-	-	10	24,675	10	24,675	6.00	-24,675	24,675
31-जन-08	1	19	13,850	19	13,850	7.75	3	20,075	3	20,075	6.00	-6,225	6,225
1-फर-08	3	20	33,075	20	33,075	7.75	9	10,300	9	10,300	6.00	22,775	-22,775
4-फर-08	1	-	-	-	-	-	11	6,690	11	6,690	6.00	-6,690	6,690
5-फर-08	1	-	-	-	-	-	7	9,190	7	9,190	6.00	-9,190	9,190
6-फर-08	1	-	-	-	-	-	13	19,010	13	19,010	6.00	-19,010	19,010
7-फर-08	1	-	-	-	-	-	24	43,150	24	43,150	6.00	-43,150	43,150
8-फर-08	3	-	-	-	-	-	11	15,470	11	15,470	6.00	-15,470	15,470
11-फर-08	1	-	-	-	-	-	12	23,375	12	23,375	6.00	-23,375	23,375
12-फर-08	1	-	-	-	-	-	7	9,135	7	9,135	6.00	-9,135	9,135
13-फर-08	1	-	-	-	-	-	5	4,235	5	4,235	6.00	-4,235	4,235
14-फर-08	1	-	-	-	-	-	4	8,130	4	8,130	6.00	-8,130	8,130
15-फर-08	3	1	100	1	100	7.75	4	7,585	4	7,585	6.00	-7,485	7,485
18-फर-08	1	6	4,240	6	4,240	7.75	1	750	1	750	6.00	3,490	-3,490
19-फर-08	1	14	27,050	14	27,050	7.75	-	-	-	-	-	27,050	-27,050
20-फर-08	1	15	20,905	15	20,905	7.75	1	750	1	750	6.00	20,155	-20,155
21-फर-08	1	9	18,710	9	18,710	7.75	1	2,000	1	2,000	6.00	16,710	-16,710
22-फर-08	3	13	17,240	13	17,240	7.75	2	1,005	2	1,005	6.00	16,235	-16,235
25-फर-08	1	18	25,190	18	25,190	7.75	1	1,000	1	1,000	6.00	24,190	-24,190
26-फर-08	1	6	10,510	6	10,510	7.75	2	170	2	170	6.00	10,340	-10,340
27-फर-08	1	7	14,675	7	14,675	7.75	1	175	1	175	6.00	14,500	-14,500
28-फर-08	1	4	4,070	4	4,070	7.75	2	140	2	140	6.00	3,930	-3,930
29-फर-08	3	-	-	-	-	-	13	8,085	13	8,085	6.00	-8,085	8,085
3-मार्च-08	1	-	-	-	-	-	1	2,500	1	2,500	6.00	-2,500	2,500
4-मार्च-08	1	-	-	-	-	-	2	2,515	2	2,515	6.00	-2,515	2,515
5-मार्च-08	2	-	-	-	-	-	2	5,500	2	5,500	6.00	-5,500	5,500
7-मार्च-08	3	-	-	-	-	-	9	8,045	9	8,045	6.00	-8,045	8,045
10-मार्च-08	1	-	-	-	-	-	23	31,985	23	31,985	6.00	-31,985	31,985
11-मार्च-08	1	-	-	-	-	-	23	34,805	23	34,805	6.00	-34,805	34,805
12-मार्च-08	1	-	-	-	-	-	22	28,165	22	28,165	6.00	-28,165	28,165
13-मार्च-08	1	-	-	-	-	-	26	30,335	26	30,335	6.00	-30,335	30,335

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामियां (जारी)

(राशि करोड़ रुपए में)

एलएफएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-)	बकाया राशि@
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14-मार्च-08	3	1	200	1	200	7.75	6	1,155	6	1,155	6.00	-955	
14-मार्च-08#	3	-	-	-	-	-	17	5,370	17	5,370	6.00	-5,370	6,325
17-मार्च-08	1	17	32,400	17	32,400	7.75	2	255	2	255	6.00	32,145	
17-मार्च-08#	7	8	4,200	8	4,200	7.75	-	-	-	-	-	4,200	-36,345
18-मार्च-08	1	18	24,080	18	24,080	7.75	-	-	-	-	-	24,080	-28,280
19-मार्च-08	5	29	43,925	29	43,925	7.75	-	-	-	-	-	43,925	-48,125
24-मार्च-08	1	20	26,785	20	26,785	7.75	-	-	-	-	-	26,785	-26,785
25-मार्च-08	1	3	3,975	3	3,975	7.75	4	1,580	4	1,580	6.00	2,395	-2,395
26-मार्च-08	1	5	8,025	5	8,025	7.75	-	-	-	-	-	8,025	-8,025
27-मार्च-08	1	3	2,800	3	2,800	7.75	1	200	1	200	6.00	2,600	-2,600
28-मार्च-08	3	11	20,585	11	20,585	7.75	2	60	2	60	6.00	20,525	-20,525
31-मार्च-08	2	39	56,820	39	56,820	7.75	5	2,825	5	2,825	6.00	53,995	
31-मार्च-08#	2	-	-	-	-	-	6	3,645	6	3,645	6.00	-3,645	-50,350
2008-09													
2-अप्रैल-08	1	1	400	1	400	7.75	-	-	-	-	-	400	-400
3-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	20	19,845	20	19,845	6.00	-19,845	19,845
4-अप्रैल-08	3	-	-	-	-	-	34	37,950	34	37,950	6.00	-37,950	37,950
7-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	42	63,155	42	63,155	6.00	-63,155	63,155
8-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	58	79,005	58	79,005	6.00	-79,005	79,005
9-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	56	73,350	56	73,350	6.00	-73,350	73,350
10-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	52	60,490	52	60,490	6.00	-60,490	60,490
11-अप्रैल-08	4	-	-	-	-	-	37	37,370	37	37,370	6.00	-37,370	37,370
15-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	25	21,735	25	21,735	6.00	-21,735	21,735
16-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	14	13,370	14	13,370	6.00	-13,370	13,370
17-अप्रैल-08	4	-	-	-	-	-	10	7,045	10	7,045	6.00	-7,045	7,045
21-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	14	17,995	14	17,995	6.00	-17,995	17,995
22-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	28	39,705	28	39,705	6.00	-39,705	39,705
23-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	15	17,130	15	17,130	6.00	-17,130	17,130
24-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	23	27,470	23	27,470	6.00	-27,470	27,470
25-अप्रैल-08	3	-	-	-	-	-	33	32,765	33	32,765	6.00	-32,765	32,765
28-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	14	8,930	14	8,930	6.00	-8,930	8,930
29-अप्रैल-08	1	-	-	-	-	-	12	5,250	12	5,250	6.00	-5,250	5,250
30-अप्रैल-08	2	-	-	-	-	-	11	4,270	11	4,270	6.00	-4,270	4,270
2-मई-08	3	-	-	-	-	-	23	20,250	23	20,250	6.00	-20,250	20,250
5-मई-08	1	-	-	-	-	-	29	33,065	29	33,065	6.00	-33,065	33,065
6-मई-08	1	-	-	-	-	-	42	53,430	42	53,430	6.00	-53,430	53,430
7-मई-08	1	-	-	-	-	-	47	49,505	47	49,505	6.00	-49,505	49,505
8-मई-08	1	-	-	-	-	-	44	46,625	44	46,625	6.00	-46,625	46,625
9-मई-08	3	-	-	-	-	-	30	23,050	30	23,050	6.00	-23,050	23,050
12-मई-08	1	-	-	-	-	-	7	4,270	7	4,270	6.00	-4,270	4,270
13-मई-08	1	-	-	-	-	-	7	2,430	7	2,430	6.00	-2,430	2,430
14-मई-08	1	-	-	-	-	-	5	2,405	5	2,405	6.00	-2,405	2,405
15-मई-08	1	1	180	1	180	7.75	5	1,635	5	1,635	6.00	-1,455	1,455
16-मई-08	4	12	20,705	12	20,705	7.75	4	1,065	4	1,065	6.00	19,640	-19,640
20-मई-08	1	-	-	-	-	-	19	23,175	19	23,175	6.00	-23,175	23,175
21-मई-08	1	-	-	-	-	-	19	27,095	19	27,095	6.00	-27,095	27,095
22-मई-08	1	-	-	-	-	-	32	36,205	32	36,205	6.00	-36,205	36,205
23-मई-08	3	-	-	-	-	-	28	29,610	28	29,610	6.00	-29,610	29,610
26-मई-08	1	1	5,000	1	5,000	7.75	5	780	5	780	6.00	4,220	-4,220
27-मई-08	1	1	13,000	1	13,000	7.75	3	225	3	225	6.00	12,775	-12,775
28-मई-08	1	2	215	2	215	7.75	2	185	2	185	6.00	30	-30
29-मई-08	1	22	20,790	22	20,790	7.75	-	-	-	-	-	20,790	-20,790
30-मई-08	3	11	9,630	11	9,630	7.75	1	30	1	30	6.00	9,600	-9,600
2-जून-08	1	1	10	1	10	-	2	2,310	2	2,310	6.00	-2,300	2,300
3-जून-08	1	-	-	-	-	-	17	27,955	17	27,955	6.00	-27,955	27,955
4-जून-08	1	-	-	-	-	-	22	29,095	22	29,095	6.00	-29,095	29,095
5-जून-08	1	-	-	-	-	-	21	23,395	21	23,395	6.00	-23,395	23,395
6-जून-08	3	-	-	-	-	-	19	22,025	19	22,025	6.00	-22,025	22,025
9-जून-08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 35 : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामिया (समाप्त)

(राशि करोड रुपए में)

एलएएफ दिनांक	रिपो/रिवर्स रिपो की अवधि (दिन)	रिपो (भरण)					रिवर्स रिपो (अवशोषण)					चलनिधि के निवल भरण(+)/ अवशोषण (-)	बकाया राशि@
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		निर्धारित दर %		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10-जून-08	1	17	22,330	17	22,330	7.75	-	-	-	-	-	22,330	-22,330
11-जून-08	1	6	5,695	6	5,695	7.75	-	-	-	-	-	5,695	-5,695
12-जून-08	1	17	20,030	17	20,030	8.00	-	-	-	-	-	20,030	-20,030
13-जून-08	3	14	12,290	14	12,290	8.00	-	-	-	-	-	12,290	-12,290
16-जून-08	1	7	5,620	7	5,620	8.00	-	-	-	-	-	5,620	-5,620
17-जून-08	1	7	5,015	7	5,015	8.00	-	-	-	-	-	5,015	-5,015
18-जून-08	1	6	6,270	6	6,270	8.00	-	-	-	-	-	6,270	-6,270
19-जून-08	1	10	11,575	10	11,575	8.00	-	-	-	-	-	11,575	-11,575
20-जून-08	3	4	5,000	4	5,000	8.00	-	-	-	-	-	5,000	-5,000
23-जून-08	1	25	32,215	25	32,215	8.00	-	-	-	-	-	32,215	-32,215
24-जून-08	1	32	38,730	32	38,730	8.00	-	-	-	-	-	38,730	-38,730
25-जून-08	1	38	46,990	38	46,990	8.50	-	-	-	-	-	46,990	-46,990
26-जून-08	1	26	32,750	26	32,750	8.50	-	-	-	-	-	32,750	-32,750
27-जून-08	3	23	32,090	23	32,090	8.50	-	-	-	-	-	32,090	-32,090
30-जून-08	2	22	22,805	22	22,805	8.50	1	300	1	300	6.00	22,505	-22,505
2-जुलाई-08	1	2	1,625	2	1,625	8.50	1	600	1	600	6.00	1,025	-1,025
3-जुलाई-08	1	1	350	1	350	8.50	10	13,315	10	13,315	6.00	-12,965	12,965
4-जुलाई-08	3	-	-	-	-	-	18	11,700	18	11,700	6.00	-11,700	11,700
7-जुलाई-08	1	30	31,490	30	31,490	8.50	-	-	-	-	-	31,490	-31,490
8-जुलाई-08	1	26	28,735	26	28,735	8.50	-	-	-	-	-	28,735	-28,735
9-जुलाई-08	1	36	39,755	36	39,755	8.50	-	-	-	-	-	39,755	-39,755
10-जुलाई-08	1	31	42,330	31	42,330	8.50	-	-	-	-	-	42,330	-42,330
11-जुलाई-08	3	34	45,295	34	45,295	8.50	-	-	-	-	-	45,295	-45,295
14-जुलाई-08	1	20	27,365	20	27,365	8.50	-	-	-	-	-	27,365	-27,365
15-जुलाई-08	1	29	43,825	29	43,825	8.50	-	-	-	-	-	43,825	-43,825
16-जुलाई-08	1	26	36,035	26	36,035	8.50	-	-	-	-	-	36,035	-36,035
17-जुलाई-08	1	23	26,365	23	26,365	8.50	-	-	-	-	-	26,365	-26,365
18-जुलाई-08	3	27	34,330	27	34,330	8.50	1	5	1	5	6.00	34,325	-34,325
21-जुलाई-08	1	44	52,315	44	52,315	8.50	-	-	-	-	-	52,315	-52,315
22-जुलाई-08	1	39	44,265	39	44,265	8.50	-	-	-	-	-	44,265	-44,265
23-जुलाई-08	1	40	47,480	40	47,480	8.50	-	-	-	-	-	47,480	-47,480
24-जुलाई-08	1	37	40,710	37	40,710	8.50	-	-	-	-	-	40,710	-40,710
25-जुलाई-08	3	40	43,260	40	43,260	8.50	-	-	-	-	-	43,260	-43,260
28-जुलाई-08	1	28	29,110	28	29,110	8.50	-	-	-	-	-	29,110	-29,110
29-जुलाई-08	1	16	18,375	16	18,375	8.50	-	-	-	-	-	18,375	-18,375
30-जुलाई-08	1	11	11,555	11	11,555	9.00	-	-	-	-	-	11,555	-11,555
31-जुलाई-08	1	2	3,060	2	3,060	9.00	2	75	2	75	6.00	2,985	-2,985
1-अगस्त-08	3	1	8,000	1	8,000	9.00	3	1,695	3	1,695	6.00	6,305	-6,305
£	3	2	5,000	2	5,000	9.00	14	3,105	14	3,105	6.00	1,895	-1,895
4-अगस्त-08	1	19	23,810	19	23,810	9.00	-	-	-	-	-	23,810	-23,810
5-अगस्त-08	1	23	22,790	23	22,790	9.00	-	-	-	-	-	22,790	-22,790
6-अगस्त-08	1	17	14,855	17	14,855	9.00	-	-	-	-	-	14,855	-14,855
7-अगस्त-08	1	24	18,640	24	18,640	9.00	-	-	-	-	-	18,640	-18,640
8-अगस्त-08	3	29	32,720	29	32,720	9.00	-	-	-	-	-	32,720	-32,720

- @ : एक दिवसीय रिपो का निवल \$: द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामी 28 नवंबर 2005 से शुरू की गई।
: अतिरिक्त चलनिधि समायोजन सुविधा ## : विशेष एलएएफ £ : दूसरा एलएएफ रिपोर्टिंग शुक्रवार को आयोजित किया।
टिप्पणी : 1. अंतरराष्ट्रीय परंपरा के अनुसार 29 अक्टूबर 2004 से रिपो और रिवर्स रिपो के नाम एक-दूसरे से बदल दिए गए हैं। 28 अक्टूबर 2004 तक रिपो चलनिधि का अवशोषण इंगित करता है, जबकि रिवर्स रिपो में रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि में भरण किया जाता था।
2. एलएएफ के अंतर्गत रिवर्स रिपो की प्रत्येक दिन 3,000 करोड रुपए की सीमा, जो 5 मीच 2007 से शुरू की थी, 6 अगस्त 2007 से हटा दी गई है।
3. दूसरा एलएएफ 6 अगस्त 2007 से समाप्त कर दिया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 36 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्रों का निर्गम

निम्नलिखित को समाप्त पखवाड़ा	बकाया (करोड़ रुपए)	बढ़ा दर (प्रतिशत)@	भारित औसत बढ़ा दर	निम्नलिखित को समाप्त पखवाड़ा	बकाया (करोड़ रुपए)	बढ़ा दर (प्रतिशत) @	भारित औसत बढ़ा दर (प्रतिशत)@
1	2	3	4	5	6	7	8
2006-07							
अप्रैल	38,568	6.00-8.90	7.68	जुलाई	1,02,992	6.25-9.69	8.26
	44,059	6.00-8.45	7.03		1,05,317	5.50-10.82	7.86
मई	48,515	6.50-7.90	7.05	अगस्त	1,03,750	6.05-10.75	7.40
	50,228	6.37-8.67	7.17		1,06,350	6.87-8.91	7.82
जून	53,863	5.75-7.96	7.17		1,09,224	6.87-10.75	8.67
	56,390	5.50-8.16	7.19	सितंबर	1,13,892	6.87-10.00	8.64
जुलाई	57,256	6.00-8.70	7.64		1,18,481	6.87-10.00	8.57
	59,167	4.35-8.21	7.65	अक्तूबर	1,22,142	6.87-10.00	8.28
अगस्त	64,748	6.00-8.62	7.40		1,24,232	6.85-10.00	7.91
	65,621	4.75-8.50	7.77	नवंबर	1,25,653	6.87-9.00	8.30
सितंबर	66,340	4.60-8.50	7.57		1,27,142	6.87-9.03	8.48
	63,864	7.13-8.50	7.74	दिसंबर	1,25,326	8.05-9.25	8.60
	65,274	7.25-8.50	7.80		1,23,466	8.05-10.00	8.81
अक्तूबर	64,482	4.75-8.50	7.79	जनवरी	1,27,154	6.87-9.82	8.73
	65,764	6.00-8.50	7.73		1,29,123	7.90-9.21	8.82
नवंबर	67,694	6.00-8.36	7.81	फरवरी	1,32,395	7.90-9.85	8.89
	68,911	7.50-8.33	7.99		1,35,097	6.83-9.75	8.51
दिसंबर	69,664	6.00-8.36	7.90		1,39,160	9.22-10.27	9.94
	68,619	7.25-8.90	8.28	मार्च	1,43,714	7.00-10.48	9.98
जनवरी	68,928	8.26-9.25	8.94		1,47,792	9.00-10.75	10.00
	70,149	8.00-9.55	9.22	2008-09			
फरवरी	70,727	8.41-9.80	9.32	अप्रैल	1,49,986	8.00-9.72	9.07
	72,795	9.40-10.83	9.87		1,50,865	7.70-9.06	8.49
मार्च	77,971	9.90-11.30	10.63	मई	1,53,410	7.75-10.20	8.92
	92,468	10.30-11.25	10.77		1,56,780	8.00-10.20	8.95
	93,272	10.23-11.90	10.75	जून	1,59,696	8.60-10.20	9.15
2007-08					1,63,143	8.62-9.79	9.16
अप्रैल	93,808	9.50-11.50	10.15	जुलाई	1,64,557	8.30-10.60	9.68
	95,980	9.40-11.50	10.75		1,64,892	8.92-10.95	10.23
मई	97,292	7.00-10.82	10.65				
	99,175	10.05-11.50	9.87				
जून	99,287	6.13-10.95	9.31				
	98,337	7.00-10.20	9.37				

@ : वार्षिक प्रभावी बढ़ा दर

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 37 : वाणिज्यिक पत्र *

दिनांक को समाप्त पखवाड़ा	बकाया (करोड़ रुपए)	निर्गमित राशि (करोड़ रुपए)	बट्टे की विशिष्ट प्रभावी दरें (प्रतिशत)	भारांकित औसत बट्टा दर (प्रतिशत)	दिनांक को समाप्त पखवाड़ा	बकाया (करोड़ रुपए)	निर्गमित राशि (करोड़ रुपए)	बट्टे की विशिष्ट प्रभावी दरें (प्रतिशत)	भारांकित औसत बट्टा दर (प्रतिशत)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
2006-07										
अप्रैल	12,968	1,423	6.77-8.95	7.62	जुलाई	28,129	4,200	4.00-11.50	7.55	
	16,550	4,642	6.35-9.25	7.30		30,631	6,346	2.25-11.50	7.05	
मई	17,264	2,068	6.32-7.95	6.87	अगस्त	31,784	3,823	6.25-13.50	7.59	
	17,067	2,633	6.40-9.25	6.89		31,527	4,494	6.80-10.25	8.30	
जून	18,933	2,655	6.44-9.25	6.99	सितंबर	33,227	4,793	6.35-10.90	8.84	
	19,650	2,326	6.59-9.25	7.10		33,614	3,515	7.70-12.00	8.95	
जुलाई	21,652	3,389	6.25-8.30	7.18	अक्तूबर	38,495	6,977	7.00-13.00	7.99	
	21,110	2,423	6.50-8.25	7.34		42,183	6,252	6.70-12.00	7.65	
अगस्त	23,084	4,018	6.25-8.10	7.06	नवंबर	41,678	1,517	7.50-12.00	8.62	
	23,299	2,442	6.60-9.00	7.31		41,308	3,403	8.05-11.50	9.45	
सितंबर	24,011	2,507	6.40-8.17	7.39	दिसंबर	40,914	3,180	8.22-11.50	9.17	
	24,444	2,713	7.10-9.25	7.70		40,243	6,477	7.60-12.00	9.27	
अक्तूबर	23,521	1,733	7.20-8.65	7.63	जनवरी	42,392	5,588	7.35-12.50	9.16	
	23,171	1,640	7.00-8.75	7.77		50,062	10,330	7.55-16.00	11.83	
नवंबर	23,450	2,361	7.25-9.25	8.08	फरवरी	43,970	3,036	6.95-11.00	9.31	
	24,238	4,031	7.50-9.50	7.88		40,642	3,509	7.40-11.00	9.73	
दिसंबर	23,827	1,915	7.50-8.75	7.94	मार्च	37,283	1,928	9.50-11.00	10.44	
	23,536	1,165	7.74-10.00	8.52		32,592	2,691	9.50-14.25	10.38	
जनवरी	23,758	1,255	8.30-9.58	8.70	2008-09					
	24,398	2,235	8.25-10.50	9.09	अप्रैल	35,794	6,283	7.74-10.25	8.58	
फरवरी	23,999	1,522	8.00-11.25	9.49		37,584	3,172	7.35-10.10	8.85	
	21,167	1,241	8.70-12.00	10.49	मई	41,006	4,726	7.15-10.75	8.57	
मार्च	19,102	2,106	7.50-13.35	10.24		42,032	3,863	7.70-10.50	9.02	
	17,863	1,280	10.25-13.00	11.33	जून	45,983	6,680	8.25-11.60	9.26	
						46,847	5,245	9.00-12.25	10.03	
2007-08										
अप्रैल	19,013	1,952	10.00-14.00	10.46	जुलाई	48,342	5,917	9.50-12.25	10.75	
	18,759	1,815	9.65-11.75	10.52		51,569	5,957	9.60-12.00	10.95	
मई	19,288	2,309	9.25-11.45	10.50						
	22,024	4,016	8.71-12.00	9.87						
जून	25,500	5,238	7.00-10.80	9.13						
	26,256	2,287	7.35-12.00	8.93						

* : अंकित मूल्य

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 38 : भारतीय रुपए की वास्तविक प्रभावी विनियम दर (रीर) तथा सांकेतिक प्रभावी विनियम दर (नीर) के सूचकांक

वर्ष / माह	36 - मुद्रा व्यापार आधारित भारांक (आधार : 1993-94=100)		6 - मुद्रा व्यापार आधारित भारांक (आधार : 1993-94=100)	
	रीर	नीर	रीर	नीर
1	2	3	4	5
1993-94	100.00	100.00	100.00	100.00
1994-95	104.32	98.91	105.82	96.96
1995-96	98.19	91.54	101.27	88.56
1996-97	96.83	89.27	101.11	86.85
1997-98	100.77	92.04	104.41	87.94
1998-99	93.04	89.05	96.14	77.49
1999-00	95.99	91.02	97.69	77.16
2000-01	100.09	92.12	102.82	77.43
2001-02	100.86	91.58	102.71	76.04
2002-03	98.18	89.12	97.68	71.27
2003-04	99.56	87.14	99.17	69.97
2004-05	100.09	87.31	101.78	69.58
2005-06	102.35	89.85	107.30	72.28
2006-07 (अ)	98.43	85.89	105.57	69.49
2007-08 (अ)	105.08	92.46	114.10	74.17
2006-07 (अ)				
अप्रैल	98.17	87.73	105.86	71.63
मई	96.39	85.43	103.70	69.39
जून	96.53	85.11	103.19	68.79
जुलाई	95.70	84.22	102.31	68.14
अगस्त	95.59	83.61	102.26	67.65
सितंबर	97.96	84.65	104.88	68.40
अक्टूबर	99.91	86.18	107.34	69.66
नवंबर	100.27	86.50	107.92	69.90
दिसंबर	99.05	85.89	106.52	69.38
जनवरी	100.59	87.05	107.69	70.32
फरवरी	100.49	87.21	107.67	70.42
मार्च	100.50	87.11	107.46	70.23
2007-08 (अ)				
अप्रैल	102.84	91.79	111.63	72.74
मई	106.24	94.68	115.73	75.19
जून	106.14	93.24	115.22	75.37
जुलाई	106.19	93.08	115.10	75.15
अगस्त	105.54	92.63	114.10	74.44
सितंबर	106.15	92.89	115.03	74.64
अक्टूबर	106.34	93.49	115.79	75.45
नवंबर	104.85	92.47	113.90	74.34
दिसंबर	105.16	92.92	114.52	74.65
जनवरी	105.12	92.55	114.23	74.31
फरवरी	103.84	91.41	113.06	73.41
मार्च	102.55	88.34	110.87	70.38
2008-09 (अ)				
अप्रैल	102.60	88.75	112.16	70.63
मई	98.44	84.75	107.48	67.48
जून	98.83	83.47	108.25	66.38

अ : अनंतिम

टिप्पणी : सूचकांक के संकलन की विस्तृत प्रणाली के लिए “भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, दिसंबर 2005 के अंक में दिए गए “संशोधित सांकेतिक प्रभावी दर ‘नीर’ तथा ‘वास्तविक प्रभावी विनियम दर ‘रीर’ के सूचकांक देखें।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 39 : विदेशी मुद्रा बाजार में अंतर बैंक और वणिक् कारोबार

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

माह	अंतर-बैंक						वणिक्							
	हाजिर			वायदा/स्वप			हाजिर			वायदा				
	खरीद	विक्री	निवल	खरीद	विक्री	निवल	खरीद	विक्री	निवल	खरीद	विक्री	निवल	कुल कारोबार	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2007														
जनवरी	121,321	123,163	-1,841	100,678	99,427	1,251	444,589	38,260	38,745	-485	44,962	44,205	757	166,173
फरवरी	111,310	113,771	-2,462	86,376	94,507	-8,130	405,964	34,717	32,203	2,514	34,113	32,024	2,089	133,057
मार्च	140,564	139,745	819	143,524	147,993	-4,469	571,827	48,775	45,195	3,580	53,617	55,288	-1,671	202,875
अप्रैल	159,985	160,120	-135	144,488	150,946	-6,458	615,539	56,231	54,878	1,352	54,676	53,542	1,134	219,327
मई	152,110	155,983	-3,873	140,900	139,090	1,810	588,083	59,772	55,127	4,644	53,353	50,653	2,700	218,905
जून	167,134	168,889	-1,755	153,138	152,135	1,003	641,296	67,512	59,664	7,848	64,720	66,962	-2,242	258,859
जुलाई	184,692	195,309	-10,617	168,511	168,385	126	716,897	71,909	59,357	12,552	67,580	72,368	-4,788	271,215
अगस्त	191,049	190,489	560	156,048	166,272	-10,224	703,858	63,149	62,173	976	95,318	98,013	-2,696	318,654
सितंबर	187,563	201,416	-13,852	173,019	173,355	-337	735,353	63,777	51,818	11,959	79,620	79,402	218	274,616
अक्टूबर (अ)	215,594	223,933	-8,339	212,103	216,324	-4,221	867,954	99,767	82,081	17,686	107,731	108,111	-380	397,690
नवंबर (अ)	173,416	178,245	-4,829	158,976	164,264	-5,288	674,901	81,537	81,105	432	95,637	93,641	1,996	351,920
दिसंबर (अ)	148,320	146,470	1,850	150,417	154,195	-3,778	599,402	88,201	78,033	10,168	80,191	86,601	-6,410	333,026
2008														
जनवरी (अ)	226,377	233,117	-6,740	203,584	211,103	-7,519	874,181	88,847	82,379	6,468	106,148	105,973	175	383,347
फरवरी (अ)	197,919	194,007	3,912	228,282	229,056	-774	849,264	68,498	69,266	-768	94,616	93,305	1,311	325,685
मार्च (अ)	194,193	187,147	7,046	194,280	196,723	-2,443	772,343	64,875	60,529	4,346	82,144	86,514	-4,370	294,062
अप्रैल (अ)	180,418	177,180	3,238	176,562	163,333	13,229	697,493	63,328	64,248	-920	80,860	76,244	4,616	284,680
मई (अ)	184,204	179,261	4,943	166,029	171,602	-5,573	701,096	56,532	55,773	759	84,459	88,174	-3,715	284,938
जून (अ)	194,222	181,213	13,009	213,252	211,582	1,670	800,269	55,451	57,491	-2,040	76,290	78,481	-2,191	267,713

अ : अंतिम

टिप्पणी : 1. वणिक् कारोबार में परस्पर लेनदेन की मुद्रा (अर्थात् विदेशी मुद्रा से विदेशी मुद्रा, हाजिर व वायदा दोनों) कारोबार और निरस्त वायदा सविदा शामिल हैं।
2. अंतर-बैंक कारोबार में परस्पर लेनदेन की मुद्रा (अर्थात् विदेशी मुद्रा से विदेशी मुद्रा, हाजिर व वायदा दोनों) कारोबारी शामिल हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 40 : सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार के लेनदेन

(राशि करोड़ रूप में)

लिखत	अप्रैल-07	मई-07	जून-07	जुलाई-07	अग-07	सितं.-07	अक्तू.-07	नवं.-07	दिसं.-07	जन.-08	फर.-08	मार्च-08	अप्रैल-08	मई-08	जून-08	जुलाई-08
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. सीधे लेनदेन																
1. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	69,534 (86.46)	68,848 (86.77)	93,750 (81.50)	2,05,731 (89.17)	1,06,676 (86.92)	87,887 (87.10)	91,291 (74.47)	68,402 (83.14)	1,19,408 (89.77)	2,97,319 (93.90)	1,84,044 (94.78)	91,158 (91.40)	99,855 (90.15)	1,36,086 (90.49)	1,02,523 (91.72)	84,840 (89.37)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,551 (1.93)	1,362 (1.71)	912 (0.79)	1,044 (0.45)	1,166 (0.95)	601 (0.60)	986 (0.80)	1,400 (1.70)	1,293 (0.97)	2,634 (0.83)	1,817 (0.94)	1,117 (1.12)	1,501 (1.36)	5,464 (3.63)	747 (0.67)	2,163 (2.28)
3. खजाना बिल	9,340 (11.61)	9,133 (11.51)	20,371 (17.71)	23,952 (10.38)	14,886 (12.13)	12,415 (12.30)	30,316 (24.73)	12,470 (15.16)	12,319 (9.26)	16,886 (5.27)	8,318 (4.28)	7,465 (7.48)	9,407 (8.49)	8,840 (5.88)	8,504 (7.61)	7,933 (8.36)
(क) 91 दिवसीय	5,008 (6.23)	5,229 (6.59)	12,900 (63.32)	10,632 (44.39)	5,228 (35.12)	2,761 (22.24)	12,258 (40.43)	3,232 (25.92)	3,059 (24.83)	2,771 (16.61)	1,365 (16.41)	2,042 (27.35)	4,189 (44.53)	5,414 (61.25)	5,054 (59.43)	2,424 (30.56)
(ख) 182 दिवसीय	1,435 (1.78)	1,089 (1.37)	3,654 (17.94)	1,746 (7.29)	3,338 (22.43)	4,384 (35.32)	7,395 (24.39)	2,409 (19.32)	1,254 (10.18)	3,196 (19.16)	2,042 (24.54)	1,209 (16.20)	1,177 (12.51)	1,169 (13.23)	883 (10.39)	1,473 (18.57)
(ग) 364 दिवसीय	2,897 (3.60)	2,815 (3.55)	3,817 (18.74)	11,573 (48.32)	6,321 (42.46)	5,270 (42.45)	10,667 (35.19)	6,828 (54.76)	8,005 (64.98)	10,718 (64.24)	4,911 (59.05)	4,214 (56.45)	4,041 (42.96)	2,257 (25.53)	2,567 (30.18)	4,036 (50.87)
जोड़ (1+2+3)	80,425 (100.00)	79,343 (100.00)	1,15,033 (100.00)	2,30,726 (100.00)	1,22,729 (100.00)	1,00,902 (100.00)	1,22,593 (100.00)	82,272 (100.00)	1,33,019 (100.00)	3,16,639 (100.00)	1,94,179 (100.00)	99,740 (100.00)	1,10,764 (100.00)	1,50,391 (100.00)	1,11,774 (100.00)	94,936 (100.00)
II. रिपो लेनदेन																
1. केंद्र सरकार प्रतिभूतियां	132,158 (87.71)	2,10,540 (93.79)	2,25,958 (87.79)	2,38,855 (88.11)	3,69,212 (88.50)	3,82,310 (92.94)	3,79,459 (95.39)	2,67,549 (87.58)	2,83,763 (88.42)	3,97,204 (93.30)	3,98,195 (90.08)	2,85,753 (87.76)	3,05,363 (88.71)	3,42,048 (92.89)	2,60,102 (92.38)	2,08,496 (93.34)
2. राज्य सरकार प्रतिभूतियां	3,440 (2.29)	1,841 (0.82)	1,165 (0.45)	1,854 (0.68)	3,129 (0.75)	2,339 (0.57)	2,179 (0.55)	3,729 (1.22)	6,806 (2.12)	10,400 (2.44)	3,376 (0.76)	14,550 (4.47)	17,424 (4.97)	4,347 (1.18)	3,333 (1.18)	217 (0.10)
3. खजाना बिल	15,071 (10.00)	12,104 (5.39)	30,250 (11.75)	30,372 (11.20)	44,858 (10.75)	26,709 (6.49)	16,161 (4.06)	34,210 (11.20)	30,366 (9.46)	18,122 (4.26)	40,467 (9.15)	25,294 (7.77)	21,733 (6.31)	21,842 (5.93)	18,111 (6.43)	14,658 (6.56)
(क) 91 दिवसीय	1,487 (0.99)	2,734 (1.22)	10,672 (35.28)	16,269 (53.57)	24,594 (54.83)	12,530 (46.91)	5,212 (32.25)	3,263 (9.54)	2,145 (7.06)	2,412 (13.31)	3,490 (8.62)	3,420 (13.52)	2,734 (12.58)	4,362 (19.97)	7,857 (43.38)	3,955 (26.98)
(ख) 182 दिवसीय	1,373 (0.91)	462 (0.20)	1,034 (3.42)	3,187 (10.49)	4,315 (9.62)	2,981 (10.98)	2,642 (16.35)	374 (1.09)	2,247 (7.40)	913 (5.04)	769 (1.90)	1,514 (5.99)	1,511 (6.95)	695 (3.18)	771 (4.25)	1,461 (9.97)
(ग) 364 दिवसीय	12,211 (8.10)	8,908 (3.97)	18,544 (61.30)	10,916 (35.94)	15,949 (35.55)	11,248 (42.11)	8,308 (51.41)	27,242 (79.63)	25,974 (85.54)	14,797 (81.65)	36,208 (89.48)	20,360 (80.49)	17,488 (80.47)	16,785 (76.85)	9,483 (52.36)	9,242 (63.05)
जोड़ (1+2+3)	150,669 (100.00)	2,24,485 (100.00)	2,57,372 (100.00)	2,71,081 (100.00)	4,17,199 (100.00)	4,11,358 (100.00)	3,97,799 (100.00)	3,05,488 (90.27)	3,20,935 (100.00)	4,25,726 (100.00)	4,42,037 (100.00)	3,25,597 (100.00)	3,44,220 (100.00)	3,66,236 (100.00)	2,81,546 (100.00)	2,23,370 (100.00)
III. कुल जोड़ (I+II)	2,31,094	3,03,829	3,72,405	5,01,808	5,39,927	5,12,260	5,20,392	3,87,760	4,53,954	7,42,365	6,36,216	4,25,337	4,54,984	5,18,627	3,93,320	3,18,306
I के प्रतिशत के रूप में III	(34.8)	(26.11)	(30.89)	(45.98)	(22.73)	(19.70)	(23.56)	(21.22)	(29.30)	(42.65)	(30.52)	(23.45)	(24.34)	(29.00)	(28.42)	(29.83)
II के प्रतिशत के रूप में III	(65.2)	(73.89)	(69.11)	(54.02)	(77.27)	(80.30)	(76.44)	(78.78)	(70.70)	(57.35)	(69.48)	(76.55)	(75.66)	(71.00)	(71.58)	(70.17)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल एकमुश्त / रिपो लेनदेनों के प्रतिशत दर्शाते हैं। रिपो लेनदेनों का दूसरा चरण शामिल नहीं है।
2. 182- दिवसीय खजाना बिल वर्ष 2005-06 से पुनः प्रारंभ किए गए हैं।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 41: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दर संरचना

(प्रतिशत)

मद	31-मार्च 2007	30-अप्रैल 2007	31-मई 2007	30-जून 2007	31-जुलाई 2007	31-अग. 2007	30-सित 2007	31-अक्टू 2007	30-नव 2007	31-दिस 2007	31-जन. 2008	28-फर. 2008	31-मार्च 2008	30-अप्रैल 2008	31-मई 2008	30-जून 2008	31-जुलाई 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
अ. उधार दें ऋण सीमा का आकार 1. 2 लाख रुपए तक 2. 2 लाख रुपए से अधिक : बैंचमार्क मूल उधार दर *	≤ बीपीएलआर 12.25-12.50	≤ बीपीएलआर 12.75-13.25	≤ बीपीएलआर 12.50-13.25	≤ बीपीएलआर 12.25-12.75	≤ बीपीएलआर 12.25-12.75	≤ बीपीएलआर 12.25-12.75	≤ बीपीएलआर 12.50-12.75	≤ बीपीएलआर 12.75-13.25									
आ. जमा दें खाते की श्रेणी 1. चालू 2. बचत 3. मीयादी जमा * क) एक वर्ष तक ख) 1 से 2 वर्ष घ) 2 से 3 वर्ष ण) > 3 वर्ष	शून्य 3.50																
	3.00-7.00 7.50-9.00 7.50-8.50 7.75-9.00	3.00-7.00 7.50-9.00 7.50-8.50 7.75-9.00	3.00-7.00 7.50-9.00 7.50-8.50 7.75-9.00	3.00-9.00 7.50-9.00 7.50-8.50 7.75-9.00	3.00-9.50 7.50-9.50 7.50-9.50 7.75-9.60	3.00-7.50 8.00-9.00 8.25-9.00 8.25-9.50	3.00-7.50 8.00-9.00 8.25-9.00 8.25-9.50	3.00-7.50 8.00-9.00 8.25-9.00 8.25-9.50	3.00-7.25 8.00-8.75 8.25-8.75 8.25-9.00	3.00-7.25 8.00-8.75 8.25-8.75 8.25-9.00	3.00-7.25 8.25-8.50 8.25-8.75 7.50-9.00	3.00-7.50 8.25-8.75 8.25-8.75 7.50-9.00	3.00-7.50 8.25-8.75 8.25-8.75 7.50-9.00	3.00-7.50 8.25-8.75 8.25-8.75 7.50-9.00	3.00-7.50 8.25-8.75 8.25-8.75 8.00-8.75	3.00-8.00 8.25-9.50 8.50-9.50 8.00-9.00	3.00-8.25 8.75-9.50 9.00-9.50 8.75-9.50

*: प्रमुख सरकारी क्षेत्रों के पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आंकड़े। बीपीएलआर : बैंचमार्क मूल उधार दर

≤: से अनधिक

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 42: गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ रूप में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2005-06		2006-07		2007-08 अ	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1) इक्विटी शेयर (क+ख)	128	20,899	114	29,756	111	56,848
	(118)	(18,793)	(109)	(19,733)	(103)	(54,732)
क) प्रोस्पेक्टस	92	16,801	81	27,175	85	47,477
	(89)	(15,355)	(81)	(17,640)	(83)	(46,139)
ख) राइट्स	36	4,098	33	2,581	26	9,371
	(29)	(3,438)	(28)	(2,093)	(20)	(8,594)
2) अधिमान शेयर (क+ख)	1	10	-	-	1	5,481
क) प्रोस्पेक्टस	1	10	-	-	-	-
ख) राइट्स	-	-	-	-	1	5,481
3) डिबेंचर (क+ख)	2	245	3	847	2	809
क) प्रोस्पेक्टस	1	127	-	-	-	-
ख) राइट्स	1	118	3	847	2	809
जिनमें से :						
I) परिवर्तनीय (क+ख)	-	-	-	-	1	206
क) प्रोस्पेक्टस	-	-	-	-	-	-
ख) राइट्स	-	-	-	-	1	206
II) अपरिवर्तनीय (क+ख)	2	245	3	847	1	603
क) प्रोस्पेक्टस	1	127	-	-	-	-
ख) राइट्स	1	118	3	847	1	603
4) बाण्ड (क+ख)	-	-	-	-	1	500
क) प्रोस्पेक्टस	-	-	-	-	1	500
ख) राइट्स	-	-	-	-	-	-
5) जोड़ (1+2+3+4)	131	21,154	117	30,603	115	63,638
क) प्रोस्पेक्टस	94	16,938	81	27,175	86	47,977
ख) राइट्स	37	4,216	36	3,428	29	15,661

- : शून्य/नगण्य अ.: अनंतिम

टिप्पणी:

1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. इन आंकड़ों में बोनस शेयर, बिक्री प्रस्ताव और निजी स्थानन शामिल नहीं हैं।
3. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूंजीगत निर्गमों के प्रीमियम के आंकड़े हैं। ये संबंधित कुल राशियों में शामिल हैं।
4. अधिमान शेयरों में संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और समअधिमान शेयर शामिल हैं।
5. परिवर्तनीय डिबेंचरों में आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर शामिल हैं।
6. अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में जमानती प्रीमियम नोट और जमानती डीप डिस्काउंट बांड शामिल हैं।
7. ये आंकड़े कंपनियों द्वारा जारी किए गए प्रोस्पेक्टस/परिपत्र/विज्ञापन, रिजर्व बैंक की प्रश्नावली के संबंध में कंपनियों द्वारा दिए गए उत्तर, सेबी, शेयर बाजारों और प्रेस रिपोर्टों आदि से प्राप्त जानकारी से संकलित किए गए हैं।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 43: घरेलू स्टॉक सूचकांक

वर्ष / माह	बीएसई सेंसेक्स (आधार : 1978-79=100)				एसएण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी (आधार : 3 नवंबर 1995=1000)			
	औसत	उच्च	न्यून	वर्ष/माह की समाप्ति	औसत	उच्च	न्यून	वर्ष/माह की समाप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2004-05	5,741	6915	4505	6493	1805	2169	1389	2036
	(27.8)			(16.1)	(26.5)			(14.9)
2005-06	8,280	11307	6135	11280	2513	3419	1903	3403
	(44.2)			(73.7)	(39.2)			(67.1)
2006-07	12,278	14652	8929	13072	3572	4224	2632	3822
	(48.3)			(15.9)	(42.1)			(12.3)
2007-08	16,569	20873	12455	15644	4897	6288	3634	4735
	(35.0)			(19.7)	(37.1)			(23.9)
2006-07								
अप्रैल	11742	12043	11237	12043	3494	3574	3346	3558
मई	11599	12612	10399	10399	3437	3754	3071	3071
जून	9935	10609	8929	10609	2915	3128	2633	3128
जुलाई	10557	10930	10007	10744	3092	3197	2933	3143
अगस्त	11305	11724	10752	11699	3306	3430	3148	3414
सितंबर	12036	12454	11551	12455	3492	3588	3366	3588
अक्तूबर	12637	13024	12204	12962	3648	3769	3515	3744
नवंबर	13416	13774	13033	13696	3869	3969	3767	3955
दिसंबर	13628	13972	12995	13787	3910	4016	3717	3966
जनवरी	13984	14283	13362	14091	4037	4148	3850	4083
फरवरी	14143	14652	12938	12938	4084	4224	3745	3745
मार्च	12858	13308	12415	13072	3731	3876	3577	3822
2007-08								
अप्रैल	13478	14229	12455	13872	3947	4178	3634	4088
मई	14156	14544	13765	14544	4184	4296	4067	4296
जून	14334	14651	14003	14651	4222	4318	4113	4318
जुलाई	15253	15795	14664	15551	4474	4621	4314	4529
अगस्त	14779	15319	13989	15319	4301	4464	4075	4464
सितंबर	16046	17291	15422	17291	4660	5021	4475	5021
अक्तूबर	18500	19978	17329	19838	5457	5906	5069	5901
नवंबर	19260	19976	18526	19363	5749	5938	5519	5763
दिसंबर	19827	20376	19080	20287	5964	6159	5742	6139
जनवरी	19326	20873	16730	17649	5756	6288	4899	5137
फरवरी	17728	18663	16608	17579	5202	5484	4838	5224
मार्च	15838	16678	14809	15644	4769	4953	4503	4735
2008-09								
अप्रैल	16291	17378	15343	17287	4902	5196	4647	5166
मई	16946	17600	16276	16416	5029	5228	4835	4870
जून	14997	16063	13462	13462	4464	4740	4041	4041
जुलाई	13717	14942	12576	14359	4125	4477	3817	4333

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की प्रतिशत की तुलना में घट - बढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : मुंबई शेयर बाजार लिमि. (बीएसई) तथा भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसई)

परिशिष्ट सारणी 44: घरेलू इक्विटी बाजार के प्रमुख संकेतक

वर्ष/माह	मुंबई शेयर बाजार लिमि. (बीएसई)				भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसई)					
	घट-बढ़ का सहगुणक @	वितरण (दायरा) @	मूल्य/आय अनुपात #	बाजार पूंजीकरण (कोरोड़ रूपए)	कुल कारोबार (कोरोड़ रूपए)	घट-बढ़ का सहगुणक @	वितरण (दायरा) @	मूल्य/आय अनुपात \$	बाजार पूंजीकरण (कोरोड़ रूपए)	कुल कारोबार (कोरोड़ रूपए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2003-04	23.0	3270.08	16.19	12,01,207	5,02,618	23.3	1057.85	15.24	11,20,976	10,99,535
2004-05	11.2	2409.93	16.56	16,98,428	5,18,716	11.3	780.00	14.79	15,85,585	11,40,071
2005-06	16.7	5172.18	16.98	30,22,191	8,16,074	15.6	1516.45	15.69	28,13,201	15,69,556
2006-07	11.1	5722.65	20.73	35,45,041	9,56,185	10.4	1591.45	19.51	33,67,350	19,45,285
2007-08	13.7	8417.96	22.65	51,38,015	15,78,856	14.4	2654.25	19.12	48,58,122	35,51,038
अप्रैल	1.9	805.33	21.35	32,55,565	87,487	1.8	228.00	20.59	29,90,200	1,77,372
मई	6.8	2213.77	20.41	28,42,050	95,820	7.0	683.20	19.53	26,12,639	2,01,409
जून	4.3	1679.81	17.90	27,21,678	72,013	4.3	495.40	16.65	25,24,659	1,51,051
जुलाई	2.5	922.75	19.02	27,12,144	54,698	2.6	264.35	17.95	25,14,261	1,18,698
अगस्त	2.7	972.26	19.59	29,93,780	63,084	2.8	282.55	18.55	27,77,401	1,30,796
सितंबर	2.0	903.73	20.73	31,85,680	71,629	1.7	222.25	20.09	29,94,132	1,44,339
अक्टूबर	1.9	820.25	21.56	33,70,676	69,627	2.0	253.75	20.92	31,38,319	1,38,382
नवंबर	1.8	740.55	22.07	35,77,308	1,01,840	1.7	201.85	20.72	33,73,652	1,89,863
दिसंबर	2.0	977.01	22.41	36,24,357	85,512	2.2	299.05	20.95	34,26,236	1,70,105
जनवरी	1.8	920.56	22.63	37,79,742	87,605	1.9	297.45	21.24	35,71,487	1,75,147
फरवरी	3.1	1714.00	21.56	34,89,214	88,844	3.1	478.95	19.64	32,96,931	1,80,170
मार्च	2.0	892.99	19.74	35,45,041	78,028	2.2	299.40	17.95	33,67,350	1,67,954
2007-08										
अप्रैल	3.9	1773.51	20.75	38,28,337	78,693	4.1	544.25	19.28	36,50,368	1,68,567
मई	1.9	779.00	20.84	40,74,552	98,821	1.8	229.00	19.74	38,98,078	2,07,585
जून	1.4	647.48	20.67	41,68,272	95,268	1.4	205.25	20.08	39,78,381	1,93,648
जुलाई	2.2	1130.66	21.78	45,29,772	1,25,054	2.1	307.00	21.30	43,17,571	2,67,227
अगस्त	2.6	1329.49	19.95	45,38,006	1,06,042	2.7	389.10	19.47	42,96,994	2,31,241
सितंबर	4.0	1869.05	21.69	52,02,955	1,23,144	4.3	546.60	21.05	48,86,561	2,66,050
अक्टूबर	4.1	2649.05	24.86	63,32,093	1,99,089	4.6	836.95	24.59	57,22,227	4,55,589
नवंबर	2.1	1449.91	25.44	63,85,475	1,70,623	2.2	418.55	25.15	58,76,742	4,14,420
दिसंबर	2.1	1296.23	26.94	71,69,985	1,63,516	2.2	417.00	26.55	65,43,272	3,66,385
जनवरी	7.3	4143.39	25.53	57,96,079	1,85,642	8.5	1388.55	25.33	52,95,387	4,47,138
फरवरी	3.0	2055.15	22.23	58,87,847	1,21,975	3.1	645.65	22.19	54,19,942	2,80,176
मार्च	3.5	1868.39	20.18	51,38,015	1,10,991	2.9	449.90	20.58	48,58,122	2,53,012
2008-09										
अप्रैल	3.8	2035.34	20.71	57,94,293	1,15,454	3.4	548.50	21.27	54,42,780	2,71,227
मई	2.5	1324.53	20.66	54,28,879	1,21,670	2.3	392.90	21.46	50,98,873	2,77,923
जून	4.7	2601.58	18.26	43,75,022	1,13,605	4.3	699.05	18.99	41,03,651	2,64,428
जुलाई	4.4	2366.48	17.06	47,32,544	1,23,916	4.4	660.10	17.56	44,32,427	2,95,816

@ : क्रमशः बीएसई संसेक्स व एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी पर आधारित ।
: क्रमशः बीएसई संसेक्स व एसएण्डपी सीएनएक्स निफ्टी में शामिल स्क्रिप्ट पर आधारित ।
स्रोत : मुंबई शेयर बाजार लिमि. (बीएसई) और भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसई)

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 45: इक्विटी व्युत्पन्नी बाजार में पणयावर्त

(करोड़ रुपए)

माह/वर्ष	मुंबई शेयर बाजार लिमि. (बीएसई)				भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसई)				ब्याज दर फ्युचर्स
	सूचकांक फ्युचर्स	सूचकांक ऑप्शन्स \$	स्टॉक फ्युचर्स	स्टॉक ऑप्शन्स @	सूचकांक फ्युचर्स	सूचकांक ऑप्शन्स \$	स्टॉक फ्युचर्स	स्टॉक ऑप्शन्स @	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003-04	6,572	0	5,171	332	5,54,446	52,816	13,05,939	2,17,207	202
2004-05	13,600	2,297	213	3	7,72,147	1,21,943	14,84,056	1,68,836	0
2005-06	6	3	1	0	15,13,755	3,38,469	27,91,697	1,80,253	0
2006-07	55,490	0	3,515	0	2,539,574	7,91,906	38,30,967	1,93,795	0
2007-08	2,16,447	28	5,375	0	3,820,667	1,362,111	7,548,563	3,59,137	0
2006-07									
अप्रैल	1	0	0	0	2,04,236	52,421	4,60,552	20,623	0
मई	0	0	0	0	2,57,326	58,789	4,09,401	16,874	0
जून	18	0	0	0	2,43,572	57,969	2,43,950	11,306	0
जुलाई	26	0	0	0	1,86,760	54,711	2,22,539	13,245	0
अगस्त	68	0	0	0	1,73,333	53,103	2,29,184	14,042	0
सितंबर	265	0	0	0	1,77,518	53,647	2,75,430	16,351	0
अक्टूबर	196	0	0	0	1,66,974	49,744	2,72,516	16,425	0
नवंबर	7,986	0	0	0	1,80,781	60,018	3,88,800	20,229	0
दिसंबर	9,270	0	234	0	2,25,288	79,719	3,47,747	16,408	0
जनवरी	9,932	0	1,020	0	1,90,592	66,646	3,50,817	19,401	0
फरवरी	12,116	0	1,073	0	2,42,237	91,817	3,52,653	16,785	0
मार्च	15,612	0	1,188	0	2,90,957	1,13,322	2,77,378	12,106	0
2007-08									
अप्रैल	14,385	0	1,200	0	2,05,458	97,150	2,96,629	17,050	0
मई	15,764	0	1,252	0	2,14,523	85,465	4,00,096	23,358	0
जून	16,566	28	1,161	0	2,40,797	92,503	4,51,314	21,928	0
जुलाई	-	-	-	-	2,38,577	94,561	6,47,356	34,582	0
अगस्त	18,784	0	1,227	0	3,63,988	1,40,961	5,19,385	32,398	0
सितंबर	21,431	0	72	0	2,56,470	1,07,965	6,70,968	37,485	0
अक्टूबर	23,962	0	23	0	4,85,079	1,73,992	11,20,263	54,328	0
नवंबर	21,960	0	307	0	3,65,564	1,16,952	9,89,113	45,676	0
दिसंबर	20,293	0	20	0	2,87,357	1,03,165	8,49,996	33,711	0
जनवरी	22,235	0	47	0	4,50,657	1,18,827	8,51,213	33,183	0
फरवरी	22,515	0	50	0	3,52,226	1,10,251	4,21,838	14,901	0
मार्च	18,552	0	16	0	3,59,970	1,20,318	3,30,390	10,536	0
2008-09									
अप्रैल	4,051	9	2	0	2,80,100	1,33,565	3,36,900	15,865	0
मई	5,049	0	1	0	2,67,641	1,29,067	3,80,161	21,040	0
जून	1,359	0	2	0	3,77,939	3,08,709	3,75,987	21,430	0
जुलाई	765	0	1	0	3,95,380	3,57,209	3,82,601	24,985	0

@ : कॉल और पुट ऑप्शन सहित सांकेतिक पणयावर्त ।

-: नगण्य / अनुपलब्ध

टिप्पणी : सूचकांक-फ्युचर्स जून -2000 में प्रारंभ किए गए, जिसमें सूचकांक ऑप्शन्स जून 2001 में स्टॉक ऑप्शन्स जुलाई 2001 में और बीएसई तथा एनएसई दोनों में स्टॉक फ्युचर नवंबर 2001 में शुरू किए गए ।

स्रोत : मुंबई शेयर बाजार लिमि (बीएसई) तथा भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमि. (एनएसई)

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 46: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित सहायता

(करोड़ रुपए)

संस्थाएं	2005-06		2006-07 अ		2007-08 अ	
	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित	स्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7
अ. अखिल भारतीय सावाधि उधार संस्थाएं (1 से 3)	11,975	9,287	12,152	10,775	18,731	17,378
1. आइएफसीआइ	-	187	1,050	550	2,550	2,280
2. सिडबी	11,975	9,100	11,102	10,225	16,181	15,098
3. आइआइबीआइ #	-	-	अनु	अनु	अनु	अनु
आ. विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएँ (4 से 6)	133	88	245	120	366	189
4. आइवीसीएफ	-	-	-	-	-	-
5. आइसीआइसीआइ उद्यम	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु
6. टीएफसीआइ	133	88	245	120	366	189
इ. निवेश संस्थाएँ (7 से 8)	15,558	11,771	18,862	27,757	39,617	28,414
7. जीवन बीमा निगम	15,165	11,200	18,127	27,017	38,455	27,264
8. साधारण जीवन बीमा निगम @	393	571	735	740	1,162	1,150
ई. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (अ+आ+इ)	27,666	21,146	31,259	38,652	58,714	45,981
उ. राज्य - स्तरीय संस्थाएँ (9 और 10)	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु
9. राज्य वित्तीय निगम	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु
10. राज्य औद्योगिक विकास निगम	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु
ऊ. समस्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता [ई+उ]	27,666	21,146	31,259	38,652	58,714	45,981

अ.:अनंतिम

-:शून्य/नगण्य

अनु.:उपलब्ध नहीं

@ : आंकड़ों में साधारण बीमा निगम एवं उनकी पूर्ववर्ती सहायक संस्थाओं नामतः न्यू इंडिया एश्युरन्स कं. लि, ओरिएंटल इश्युरन्स कं. लि, यूनाइटेड इंडिया इश्युरन्स कं. लि, और नेशनल इश्युरन्स कं. लि, के आंकड़े शामिल हैं।

: आइआइबीआइ बंद होने जा रही है।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएँ।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 47: चुने हुए आर्थिक संकेतक - विश्व

Item	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008\$	2009\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. विश्व उत्पादन (प्रतिशत परिवर्तन)	4.7	2.2	2.8	3.6	4.9	4.4	5.1	5.0	4.1	3.9
i) उन्नत अर्थव्यवस्थावाले देश	3.9	1.2	1.6	1.9	3.2	2.6	3.0	2.7	1.7	1.4
ii) अन्य उभरते बाजार तथा विकासशील देश	5.9	3.8	4.7	6.2	7.5	7.1	7.9	8.0	6.9	6.7
क) विकासशील एशिया	6.9	5.8	6.9	8.1	8.6	9.0	9.9	10.0	8.4	8.4
ख) अफ्रीका	3.5	4.9	6.1	5.3	6.5	5.7	5.9	6.5	6.4	6.4
ग) मध्य पूर्व	5.4	3.0	3.9	6.9	5.9	5.7	5.5	5.9	6.2	6.0
घ) पश्चिमी गोलार्ध	4.1	0.7	0.4	2.1	6.2	4.6	5.5	5.6	4.5	3.6
II. मुद्रा स्फीति उमू (प्रतिशत परिवर्तन)										
i) उन्नत अर्थव्यवस्थावाले देश	2.2	2.1	1.5	1.8	2.0	2.3	2.4	2.2	3.4	2.3
ii) अन्य उभरते बाजार तथा विकासशील देश	8.5	7.6	6.7	6.6	5.9	5.7	5.4	6.4	9.1	7.4
क) विकासशील एशिया	1.9	2.7	2.0	2.5	4.1	3.8	4.1	5.3	5.9	4.1
III. राजकोषीय शेष #										
i) उन्नत अर्थव्यवस्थावाले देश	0.1	-0.9	-2.4	-3.1	-2.8	-2.4	-1.8	-1.7	-1.7	-
ii) अन्य उभरते बाजार तथा विकासशील देश (भारत औसत)	-3.0	-3.1	-3.4	-2.7	-1.6	-0.9	-0.4	-1.1	-0.8	-
IV. निवल पूंजी आगम * (बिलियन अमरीकी डालर)										
उभरते बाजार तथा विकासशील देश **										
i) निवल निजी पूंजी प्रवाह (क+ख+ग)***	74.8	79.5	89.8	168.6	241.9	251.8	231.9	605.0	330.7	441.5
क) निवल निजी प्रत्यक्ष निवेश	171.3	186.3	157.2	166.2	188.7	259.8	250.1	309.9	306.9	322.4
ख) निवल निजी संविभागीय निवेश	15.9	-78.7	-92.2	-13.2	16.4	-19.4	-103.8	48.5	-72.2	31.0
ग) अन्य निवल निजी पूंजी प्रवाह	-112.2	-27.1	25.1	17.1	38.5	13.3	87.5	248.8	98.0	90.0
ii) निवल अधिकारिक प्रवाह	-33.9	0.9	-0.6	-50.0	-70.7	-109.9	-160.0	-149.0	-162.3	-149.8
V. विश्व व्यापार @										
आयात										
i) उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश	11.7	-0.5	2.7	4.1	9.3	6.3	7.4	4.2	3.1	3.7
ii) नव औद्योगिकृत एशियाई देश	17.6	-5.6	9.1	10.0	16.7	7.6	9.5	8.3	6.6	6.6
निर्यात										
i) उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश	11.7	-0.5	2.4	3.3	9.0	6.0	8.2	5.8	4.5	4.2
ii) नव औद्योगिकृत एशियाई देश	17.3	-3.8	10.1	13.3	17.2	9.5	10.9	8.7	6.2	6.2
व्यापार की शर्तें										
i) उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश	-2.6	0.3	0.8	1.0	-0.1	-1.5	-1.1	-	-1.0	0.1
ii) नव औद्योगिकृत एशियाई देश	-3.3	-0.6	0.2	-1.3	-1.6	-2.2	-1.9	-0.3	-1.3	0.3
VI. चालू खाता शेष (बिलियन अमरीकी डालर)										
i) उन्नत अर्थव्यवस्थावाले देश	-263.3	-205.0	-208.8	-207.0	-224.2	-438.7	-525.2	-463.3	-464.2	-460.1
ii) अन्य उभरते बाजार तथा विकासशील देश	86.9	41.1	76.6	144.3	213.6	439.5	606.7	630.9	729.4	662.2
क) विकासशील एशिया	38.5	36.7	64.8	82.6	89.2	161.4	277.5	383.5	367.5	407.1

अनु : उपलब्ध नहीं

\$: अनुमान ।

: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार की शेष राशि ।

* : निवल पूंजी आगम में निवल प्रत्यक्ष निवेश, निवल संविभागीय निवेश तथा अन्य दीर्घावधि और अल्पावधि निवेश प्रवाह आते हैं, जिनमें सरकारी और निजी उधार भी शामिल हैं ।

** : उभरते बाजार तथा विकासशील देशों में उन्नत देशों के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए देश शामिल हैं ।

*** : आंकड़ों की कमी के कारण ‘‘ निवल निजी पूंजी प्रवाह ’’ के अंतर्गत कुछ अधिकारिक प्रवाह भी शामिल होने की संभावना है ।

@ : विश्व व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ।

स्त्रोत : वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2007, 2008 और वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक अपडेट, जुलाई 2008, आईएमएफ

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 48: भारत का विदेश व्यापार

मद	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डालर			मिलियन विशेष आहरण अधिकार		
	2005-06	2006-07 सं	2007-08 अं	2005-06	2006-07 सं	2007-08 अं	2005-06	2006-07 सं	2007-08 अं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. निर्यात	456,418	571,779	640,172	103,091	126,361	159,007	70,774	85,018	102,181
	(21.6)	(25.3)	(12.0)	(23.4)	(22.6)	(25.8)	(26.2)	(20.1)	(20.2)
क. पेट्रोलियम, तेल और लूब्रिकेन्ट	51,533	84,520	100,125	11,640	18,679	24,869	7,991	12,567	15,981
	(64.1)	(64.0)	(18.5)	(66.5)	(60.5)	(33.1)	(70.3)	(57.3)	(27.2)
ख. तेल से इतर	404,885	487,259	540,047	91,451	107,683	134,138	62,783	72,451	86,200
	(17.7)	(20.3)	(10.8)	(19.5)	(17.7)	(24.6)	(22.2)	(15.4)	(19.0)
II. आयात	660,409	840,506	964,850	149,166	185,749	239,651	102,405	124,975	154,005
	(31.8)	(27.3)	(14.8)	(33.8)	(24.5)	(29.0)	(36.8)	(22.0)	(23.2)
क. तेज और पेट्रोलियम, तेल और लूब्रिकेन्ट	194,640	258,572	320,641	43,963	57,144	79,641	30,182	38,447	51,179
	(45.2)	(32.8)	(24.0)	(47.3)	(30.0)	(39.4)	(50.6)	(27.4)	(33.1)
ख. तेल से इतर	465,769	581,935	644,208	105,203	128,606	160,009	72,224	86,528	102,826
	(26.9)	(24.9)	(10.7)	(28.8)	(22.2)	(24.4)	(31.7)	(19.8)	(18.8)
III. व्यापार शेष (I-II)	-203,991	-268,727	-324,678	-46,075	-59,388	-80,644	-31,632	-39,957	-51,824
क. तेल संबंधी शेष (I. क - II. क)	-143,107	-174,052	-220,516	-32,323	-38,465	-54,772	-22,191	-25,880	-35,198
ख. तेल से इतर शेष (I. ख - II. ख)	-60,884	-94,675	-104,161	-13,752	-20,923	-25,872	-9,441	-14,077	-16,626

सं : संशोधित अ : अनंतिम,

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के प्रतिशत की तुलना में घट -बढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय ।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 49: भारत से मुख्य पण्यों का निर्यात

पण्य समूह	करोड़ रुपए			प्रतिशत घट-बढ़		मिलियन अमरीकी डालर			प्रतिशत घट-बढ़	
	2005-06	2006-07सं	2007-08अ	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07सं	2007-08अ	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. प्राथमिक उत्पाद	72,508	89,078	1,08,964	22.9	22.3	16,377	19,686	27,065	20.2	37.5
अ. कृषिगत और संबद्ध उत्पाद	45,220	57,392	72,710	26.9	26.7	10,214	12,683	18,060	24.2	42.4
<i>जिनमें से :</i>										
1. चाय	1,731	1,970	2,022	13.8	2.7	391	435	502	11.3	15.4
2. कॉफी	1,589	1,969	1,868	23.9	-5.1	359	435	464	21.3	6.6
3. चावल	6,221	7,036	11,731	13.1	66.7	1,405	1,555	2,914	10.7	87.4
4. खली	4,875	5,504	7,954	12.9	44.5	1,101	1,216	1,976	10.5	62.4
5. समुद्री उत्पाद	7,036	8,001	6,855	13.7	-14.3	1,589	1,768	1,703	11.3	-3.7
आ. अयस्क और खनिज	27,288	31,686	36,254	16.1	14.4	6,164	7,002	9,005	13.6	28.6
	(6.0)	(5.5)	(5.7)			(6.0)	(5.5)	(5.7)		
II. विनिर्मित वस्तुएं	3,21,261	3,84,261	4,07,033	19.6	5.9	72,563	84,921	101,099	17.0	19.1
	(70.4)	(67.2)	(63.6)			(70.4)	(67.2)	(63.6)		
<i>जिनमें से :</i>										
अ. चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं	11,943	13,650	13,816	14.3	1.2	2,698	3,017	3,432	11.8	13.8
	(2.6)	(2.4)	(2.2)			(2.6)	(2.4)	(2.2)		
आ. रसायन और संबद्ध उत्पाद	65,390	78,442	82,347	20.0	5.0	14,770	17,335	20,453	17.4	18.0
	(14.3)	(13.7)	(12.9)			(14.3)	(13.7)	(12.9)		
1. मूल रसायन, दवाइयां और प्रसाधन सामग्री	40,409	49,588	53,734	22.7	8.4	9,127	10,959	13,347	20.1	21.8
2. प्लास्टिक और लेनोलियम	12,482	14,718	13,498	17.9	-8.3	2,819	3,253	3,353	15.4	3.1
3. रबड़, कांच पेंट और इनामल आदि	9,320	10,737	11,355	15.2	5.8	2,105	2,373	2,820	12.7	18.9
4. अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पाद	3,178	3,399	3,760	6.9	10.6	718	751	934	4.6	24.3
इ. इंजीनियरिंग वस्तुएं	96,157	1,33,790	1,47,845	39.1	10.5	21,719	29,567	36,722	36.1	24.2
	(21.1)	(23.4)	(23.1)			(21.1)	(23.4)	(23.1)		
ई. वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	72,618	78,613	76,556	8.3	-2.6	16,402	17,373	19,015	5.9	9.5
	(15.9)	(13.7)	(12.0)			(15.9)	(13.7)	(12.0)		
<i>जिनमें से :</i>										
1. सूती धागा, फैब्रिक्स, परिधान इत्यादि	17,465	19,089	18,162	9.3	-4.9	3,945	4,219	4,511	6.9	6.9
2. अपशेष रेशम सहित प्राकृतिक रेशम धागा, फैब्रिक्स, परिधान इत्यादि	1,915	2,000	1,538	4.4	-23.1	433	442	382	2.2	-13.6
3. मानव निर्मित धागा, फैब्रिक्स परिधान इत्यादि	8,668	9,975	11,510	15.1	15.4	1,958	2,204	2,859	12.6	29.7
4. तैयार कपड़े	38,154	40,237	38,215	5.5	-5.0	8,618	8,892	9,492	3.2	6.7
5. जूट और जूट विनिर्माण	1,312	1,178	1,300	-10.2	10.3	296	260	323	-12.1	24.0
6. कॉयर और कॉयर विनिर्माण	590	660	640	11.8	-3.1	133	146	159	9.4	8.9
7. गलीचा	3,775	4,199	3,703	11.2	-11.8	853	928	920	8.8	-0.9
उ. रत्न और आभूषण	68,753	72,295	79,142	5.2	9.5	15,529	15,977	19,657	2.9	23.0
	(15.1)	(12.6)	(12.4)			(15.1)	(12.6)	(12.4)		
ऊ. हस्तकला	2,045	1,982	1,855	-3.1	-6.4	462	438	461	-5.2	5.2
	(0.4)	(0.3)	(0.3)			(0.4)	(0.3)	(0.3)		
III. पेट्रोलियम, कच्चा तेल तथा उत्पाद	51,533	84,520	1,00,125	64.0	18.5	11,640	18,679	24,869	60.5	33.1
	(11.3)	(14.8)	(15.6)			(11.3)	(14.8)	(15.6)		
IV. अन्य	11,116	13,920	24,050	25.2	72.8	2,511	3,076	5,974	22.5	94.2
	(2.4)	(2.4)	(3.8)			(2.4)	(2.4)	(3.8)		
कुल निर्यात (I+II+III+IV)	4,56,418	5,71,779	6,40,172	25.3	12.0	103,091	126,361	159,007	22.6	25.8

अ : अर्न्तम सं: अंशोधित

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल निर्यातों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. चमड़ा और चमड़े से निर्मित वस्तुओं में ये शामिल हैं : परिष्कृत चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं, चमड़े के वस्त्र, चमड़े के जूते और चप्पल के लिए कपड़ा तथा उसके भाग और जूत

3. इंजीनियरिंग वस्तुओं में ये शामिल हैं : लौह मिश्रित धातुएं एल्युमिनियम से बने सामान छोड़कर एल्युमिनियम, अलौह धातु, धातु से निर्मित वस्तुएं, मशीन औजार, मशीनरी और उसके उपस्कर, परिवहन उपस्कर, अवशिष्ट इंजीनियरिंग मर्द, लौह और इस्पात सरिया/ छड़ इत्यादि, मूल और अर्ध परिष्कृत लौहा और इस्पात इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कंप्यूटर साफ्टवेयर और परियोजना वस्तुएं।

4. वस्त्र तथा वस्त्र उत्पादों में शामिल हैं : (क) सूती धागा, कपड़ा, कपड़े से बनी तैयार वस्तुएं आदि (ख) प्राकृतिक रेशम धागा, कपड़ा आदि, (ग) मानव-निर्मित धागा, कपड़ा, मेड-अप आदि (घ) कृत्रिम स्टेपल फाइबर (ङ) ऊनी धागा, कपड़ा और उससे बनी वस्तुएं आदि (च) तैयार कपड़े (छ) जूट और जूट विनिर्माण (ज) कॉयर और कॉयर विनिर्माण तथा (झ) गलीचा।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 50: भारत में मुख्य पण्यों का आयात

पण्य समूह	करोड़ रुपए			प्रतिशत घट-बढ़		मिलियन अमरीकी डॉलर			प्रतिशत घट-बढ़	
	2005-06	2006-07सं	2007-08अ	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07सं	2007-08अ	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. शोक आयात	2,70,450	3,82,060	4,53,684	41.3	18.7	61,086	84,434	112,687	38.2	33.5
	(41.0)	(45.5)	(47.0)			(41.0)	(45.5)	(47.0)		
अ. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पाद और संबद्ध सामग्री	1,94,640	2,58,572	3,20,641	32.8	24.0	43,963	57,144	79,641	30.0	39.4
	(29.5)	(30.8)	(33.2)			(29.5)	(30.8)	(33.2)		
आ. शोक उपभोग वस्तुएं	12,248	19,431	18,418	58.6	-5.2	2,767	4,294	4,575	55.2	6.5
	(1.9)	(2.3)	(1.9)			(1.9)	(2.3)	(1.9)		
1. अनाज और अनाज निर्मित चीजें	160	145	181	-9.2	25.0	36	32	45	-11.1	40.5
2. खाद्य तेल	8,961	9,540	10,299	6.5	8.0	2,024	2,108	2,558	4.2	21.3
3. दालें	2,476	3,892	5,278	57.2	35.6	559	860	1,311	53.8	52.4
4. चीनी	652	3	2	-99.5	-	147	1	1	-	-
इ. अन्य शोक वस्तुएं	63,561	1,04,058	1,14,625	63.7	10.2	14,356	22,996	28,471	60.2	23.8
	(9.6)	(12.4)	(11.9)			(9.6)	(12.4)	(11.9)		
1. उर्वरक	9,417	14,227	21,764	51.1	53.0	2,127	3,144	5,406	47.8	71.9
क) कच्चा तेल	1,407	1,634	1,881	16.2	15.1	318	361	467	13.6	29.4
ख) गंधक और बिना तपाए गए आइरन पायराइट	602	495	1,457	-17.8	194.6	136	109	362	-19.6	231.1
ग) विनिर्मित	7,408	12,098	18,425	63.3	52.3	1,673	2,674	4,576	59.8	71.2
2. अलौह धातुएं	8,166	11,787	14,053	44.4	19.2	1,844	2,605	3,490	41.2	34.0
3. न्यूजप्रिंट सहित कागज, गत्ता और उनसे बनी चीजें	4,180	5,461	5,756	30.7	5.4	944	1,207	1,430	27.8	18.5
4. सिंथेटिक और पुनः संसाधित सहित कच्चा रबड़	1,833	2,854	3,163	55.7	10.8	414	631	786	52.3	24.6
5. लुगदी और रद्दी कागज	2,537	2,893	3,098	14.0	7.1	573	639	770	11.6	20.4
6. धातुमय लौह अयस्क और धातु छीलन	17,186	37,764	31,828	119.7	-15.7	3,882	8,346	7,906	115.0	-5.3
7. लोहा और इस्पात	20,243	29,071	34,962	43.6	20.3	4,572	6,425	8,684	40.5	35.2
II. फुटकर आयात	3,89,959	4,58,446	5,11,166	17.6	11.5	88,080	101,315	126,964	15.0	25.3
	(59.0)	(54.5)	(53.0)			(59.0)	(54.5)	(53.0)		
अ. पूंजीगत वस्तुएं	1,66,761	2,12,986	2,35,095	27.7	10.4	37,666	47,069	58,393	25.0	24.1
	(25.3)	(25.3)	(24.4)			(25.3)	(25.3)	(24.4)		
1. धातुओं से बनी वस्तुएं	5,362	7,256	10,700	35.3	47.5	1,211	1,604	2,658	32.4	65.7
2. मशीन औजार	4,765	6,703	8,900	40.7	32.8	1,076	1,481	2,211	37.6	49.2
3. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर मशीनरी	44,317	62,672	79,156	41.4	26.3	10,010	13,850	19,661	38.4	42.0
4. इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर इलेक्ट्रिकल मशीनरी	6,660	8,868	12,009	33.1	35.4	1,504	1,960	2,983	30.3	52.2
5. कंप्यूटर साफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	62,619	76,651	85,932	22.4	12.1	14,144	16,940	21,344	19.8	26.0
6. परिवहन उपकरण	39,131	42,709	33,208	9.1	-22.2	8,838	9,439	8,248	6.8	-12.6
7. परियोजना वस्तुएं	3,908	8,126	5,191	107.9	-36.1	883	1,796	1,289	103.5	-28.2
आ. मुख्य रूप से निर्यात से संबद्ध मर्दे	82,530	80,869	83,573	-2.0	3.3	18,641	17,872	20,758	-4.1	16.2
	(12.5)	(9.6)	(8.7)			(12.5)	(9.6)	(8.7)		
1. मोती, मूल्यवान और अतिमूल्यवान रत्न	40,441	33,881	32,108	-16.2	-5.2	9,134	7,488	7,975	-18.0	6.5
2. रसायन, कार्बनिक और अकार्बनिक	30,921	35,433	39,772	14.6	12.2	6,984	7,831	9,879	12.1	26.2
3. वस्त्रेपयोगी धागा, फैब्रिक्स आदि	9,078	9,734	9,979	7.2	2.5	2,051	2,151	2,479	4.9	15.2
4. कच्चा काजू	2,089	1,821	1,714	-12.9	-5.8	472	402	426	-14.7	5.8
इ. अन्य	1,40,667	1,64,591	1,92,497	17.0	17.0	31,772	36,374	47,813	14.5	31.4
	(21.3)	(19.6)	(20.0)			(21.3)	(19.6)	(20.0)		
जिनमें से :										
1. सोना और चांदी	50,108	66,272	71,848	32.3	8.4	11,318	14,646	17,846	29.4	21.8
2. कृत्रिम रंजन और प्लास्टिक सामग्री	10,040	11,696	14,835	16.5	26.8	2,268	2,585	3,685	14.0	42.6
3. व्यावसायिक, वैज्ञानिक और दृष्टि संबंधी वस्तुएं	8,734	10,593	12,324	21.3	16.3	1,973	2,341	3,061	18.7	30.8
4. कोयला, कोक और ब्रिकेट इत्यादि	17,128	20,710	25,815	20.9	24.7	3,869	4,577	6,412	18.3	40.1
5. औषधीय और भेषजीय उत्पाद	4,551	5,866	6,699	28.9	14.2	1,028	1,296	1,664	26.1	28.3
6. रासायनिक सामग्री और उत्पाद	4,660	5,980	6,539	28.3	9.3	1,052	1,322	1,624	25.6	22.9
7. अधात्विक खनिज से बनी वस्तुएं	2,754	3,530	4,214	28.2	19.4	622	780	1,047	25.4	34.2
III. कुल आयात (I+II)	6,60,409	8,40,506	9,64,850	27.3	14.8	149,166	185,749	239,651	24.5	29.0

अ : अर्नातम सं : संशोधित

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आयात की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 51: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

मद	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डालर		
	2005-06 सं	2006-07 आंसं	2007-08 अं	2005-06 सं	2006-07 आंसं	2007-08 अं
1	2	3	4	5	6	7
अ. चालू खाता						
1. निर्यात, जहाज तक निःशुल्क	4,65,748	5,79,128	6,37,190	105,152	128,083	158,461
2. आयात, लागत, बीमा, भाड़ा	6,95,412	8,65,404	9,99,286	157,056	191,254	248,521
3. व्यापार संतुलन	-2,29,664	-2,86,276	-3,62,096	-51,904	-63,171	-90,060
4. अदृश्य मदें, निवल	1,85,927	2,40,933	2,91,739	42,002	53,405	72,657
क) नॉन-फैक्टर सेवाएं	1,02,611	1,43,604	1,50,923	23,170	31,810	37,550
जनमें से :						
सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात	98,678	1,31,144	1,48,887	22,262	29,033	37,051
ख) आय	-26,116	-29,778	-23,845	-5,855	-6,573	-5,910
ग) निजी अंतरण	1,08,565	1,26,088	1,63,709	24,493	27,941	40,778
घ) आधिकारिक अंतरण	867	1,019	952	194	227	239
5. चालू खाता शेष राशि	-43,737	-45,343	-70,357	-9,902	-9,766	-17,403
आ. पूंजी खाता						
1. विदेशी सहायता, निवल (क+ख)	68,782	70,443	1,80,152	15,528	15,541	44,806
क) प्रत्यक्ष निवेश	13,425	38,553	62,339	3,034	8,479	15,545
जिसमें से :						
i) भारत में	39,457	99,261	1,29,746	8,901	21,991	32,327
इन्विस्टी	26,239	73,969	1,00,777	5,915	16,394	25,133
पुनः निवेशकृत अर्जन	12,220	23,029	27,714	2,760	5,091	6,884
अन्य पूंजी	998	2,263	1,255	226	506	310
ii) विदेश	-26,032	-60,708	-67,407	-5,867	-13,512	-16,782
इन्विस्टी	-16,718	-50,670	-50,179	-3,766	-11,287	-12,485
पुनः निवेशकृत अर्जन	-4,834	-4,868	-4,363	-1,092	-1,076	-1,084
अन्य पूंजी	-4,480	-5,170	-12,865	-1,009	-1,149	-3,213
ख) संविभागीय निवेश	55,357	31,890	1,17,813	12,494	7,062	29,261
भारत में	55,357	31,630	1,17,154	12,494	7,004	29,096
विदेश में	0	260	659	0	58	165
2. बाह्य सहायता, निवल	7,592	7,937	8,465	1,702	1,767	2,114
संवितरण	16,133	16,961	17,022	3,631	3,763	4,241
ऋण परिशोधन	8,541	9,024	8,557	1,929	1,996	2,127
3. वाणिज्यिक उधार, निवल	10,505	72,596	89,317	2,508	16,155	22,165
संवितरण	63,476	94,332	1,20,173	14,343	20,973	29,851
ऋण परिशोधन	52,971	21,736	30,856	11,835	4,818	7,686
4. अल्पावधि ऋण, निवल	16,300	30,096	70,846	3,699	6,612	17,683
5. बैंकिंग पूंजी	5,795	8,477	47,147	1,373	1,913	11,757
जिसमें से :	12,457	19,574	706	2,789	4,321	179
अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां निवल	-2,557	-725	-488	-572	-162	-121
6. रुपया ऋण सेवा	5,548	17,565	38,464	1,232	3,953	9,627
7. अन्य पूंजी, निवल @	1,11,965	2,06,389	4,33,903	25,470	45,779	108,031
8. कुल पूंजी खाता	-2,332	2,588	6,143	-516	593	1,536
इ. भूल-चूक	65,896	1,63,634	3,69,689	15,052	36,606	92,164
ई. समग्र शेष [अ(5)+आ (8)+इ]	-65,896	-1,63,634	-3,69,689	-15,052	-36,606	-92,164
उ. मौद्रिक घट- बढ़ (ऊ+ऋ)	0	0	0	0	0	0
ऊ. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	-65,896	-1,63,634	-3,69,689	-15,052	-36,606	-92,164
ऋ. आरक्षित मद्रा और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि-हास+)						

सं. : संशोधित । आंसं : आंशिक रूप से संशोधित । अ. : अर्न्तित

@. : इसमें विलंबित निर्यात प्राप्तियां, आयात के लिए अग्रिम भुगतान विदेश में धारित निवळ निधि और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत शेयरों का निर्गम किए जाने तक के लिए प्रति प्राप्त अग्रिम शामिल है ।

टिप्पणी : 1. विदेश से लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाए गए सोना/चांदी को आयातों के अंतर्गत शामिल किया गया है । ऐसे आयातों की निजी अंतरण प्राप्तियों में प्रति -प्रविष्टि की गई है ।
2. बीमा, मूल्यन और अवधि में भिन्नताओं के कारण निर्यातों और आयातों से संबंधित आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा गए आंकड़ों से भिन्न हैं ।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 52: लेनदेनों की श्रेणियों के अनुसार अदृश्य मदे

मद	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डालर		
	2005-06 सं	2006-07 आंसं	2007-08 अ	2005-06 सं	2006-07 आंसं	2007-08 अ
1	2	3	4	5	6	7
I. गैर फैक्टर सेवा, निवल	1,02,611	1,43,604	1,50,923	23,170	31,810	37,550
प्राप्तियां	2,55,668	3,43,895	3,52,315	57,659	76,181	87,687
अदायगियां	1,53,057	2,00,291	2,01,392	34,489	44,371	50,137
यात्रा, निवल	5,439	10,874	8,441	1,215	2,438	2,118
प्राप्तियां	34,871	41,127	45,524	7,853	9,123	11,349
अदायगियां	29,432	30,253	37,083	6,638	6,685	9,231
परिवहन, निवल	-8,905	-110	-8,509	-2,012	-18	-2,107
प्राप्तियां	28,023	36,394	38,156	6,325	8,050	9,503
अदायगियां	36,928	36,504	46,665	8,337	8,068	11,610
बीमा, निवल	-271	2,531	2,185	-54	560	543
प्राप्तियां	4,694	5,434	6,371	1,062	1,202	1,585
अदायगियां	4,965	2,903	4,186	1,116	642	1,042
जीएनआई, निवल	-947	-695	-210	-215	-153	-51
प्राप्तियां	1,396	1,130	1,334	314	250	331
अदायगियां	2,343	1,825	1,544	529	403	382
विविध, निवल	1,07,295	1,31,004	1,49,016	24,236	28,983	37,047
प्राप्तियां	1,86,684	2,59,810	2,60,930	42,105	57,556	64,919
अदायगियां	79,389	1,28,806	1,11,914	17,869	28,573	27,872
II. आय, निवल	-26,116	-29,778	-23,845	-5,855	-6,573	-5,910
प्राप्तियां	28,426	42,000	57,114	6408	9,304	14,227
अदायगियां	54,542	71,778	80,959	12,263	15,877	20,137
III. निजी राशि अंतरण, निवल	1,08,565	1,26,088	1,63,709	24,493	27,941	40,778
प्राप्तियां	1,10,596	1,30,653	1,70,966	24,951	28,951	42,589
अदायगियां	2,031	4,565	7,257	458	1,010	1811
IV. सरकारी राशियां अंतरण, निवल	867	1,019	952	194	227	239
प्राप्तियां	2,970	2,877	3,029	669	638	754
अदायगियां	2,103	1,858	2,077	475	411	515
V. अदृश्य राशि, निवल (I से IV)	1,85,927	2,40,933	2,91,739	42,002	53,405	72,657
प्राप्तियां	3,97,660	5,19,425	5,83,424	89,687	115,074	145,257
अदायगियां	2,11,733	2,78,492	2,91,685	47,685	61,669	72,600

स. : संशोधित आसं : आंशिक रूप से संशोधित अ. : अनंतिम
जीएनआई : सरकारी, अन्यत्र शामिल न की गई ।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 53 : पूंजी आगमों की संरचना

मद	1995-96	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 सं	2006-07 आंसं	2007-08 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल पूंजी आगम (निवल)								
मिलियन अमरीकी डॉलर	4089	8551	10840	16736	28022	25470	45779	108031
<i>जिसमें से :</i>								
1. गैर ऋण सर्जक आगम	117.5	95.2	55.5	93.7	54.6	84.0	63.3	56.9
क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश **	52.4	71.6	46.5	25.8	21.4	34.9	48.0	29.9
ख) संविभागीय निवेश	65.1	23.6	9.0	67.9	33.2	49.1	15.3	26.9
2. ऋण सर्जक आगम	57.7	12.4	-12.3	-6.0	35.2	41.0	63.4	38.9
क) बाह्य आर्थिक सहायता	21.6	14.1	-28.6	-16.5	7.2	6.9	3.9	2.0
ख) बाह्य वाणिज्यिक उधार #	31.2	-18.6	-15.7	-17.5	19.4	10.8	35.9	20.5
ग) अल्पावधि ऋण	1.2	-9.3	8.9	8.5	13.5	14.5	14.4	16.4
घ) अनिवासी भारतीय जमाराशियां \$	27.0	32.2	27.5	21.8	-3.4	11.0	9.4	0.2
ड) रुपया ऋण सेवा	-23.3	-6.1	-4.4	-2.2	-1.5	-2.2	-0.4	-0.1
3. अन्य पूंजी @	-75.2	-7.6	56.8	12.3	10.2	-25.0	-26.7	4.2
4. कुल (1 से 3)	100.0							
<i>जापन :</i>								
स्थिर प्रवाह +	33.7	85.6	82.0	23.7	53.2	36.4	70.3	56.7

सं : संशोधित आं.सं. : आंशिक रूप से संशोधित अ : अनंतिम

** : वर्ष 2000-01 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का डाटा संशोधित किया गया है। जिसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपरा दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। अतः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ऐसे आंकड़े पिछले वर्षों के आंकड़े से तुलनीय नहीं हैं।

: यह मध्यावधि और दीर्घावधि उधार से संबंधित है।

\$: एनआर (एनआर) रुपया जमा शामिल हैं।

@ : निर्यातों में अग्र और पश्च (सीमा-शुल्क और बैंकिंग श्रृंखला के आंकड़ों के बीच का अंतर), बैंकिंग पूंजी (अनिवासी जमाराशि के अतिरिक्त बैंको की अस्तियां और देयताएं), निवासियों द्वारा अनिवासियों को ऋण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भारत के अंशदान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को कोटा भुगतान शामिल है।

+ : स्थिर प्रवाह से अभिप्राय संविभागीय प्रवाहों और अल्पावधि व्यापार ऋणों को छोड़कर सभी पूंजी प्रवाहों से हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 54 : बाह्य सहायता

मद	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	2005-06	2006-07	2007-08अ	2005-06	2006-07	2007-08अ
1	2	3	4	5	6	7
1. ऋण	16,098	16,803	17,171	3,639	3,691	4,265
2. अनुदान	2,733	2,485	2,606	618	546	647
3. कुल उपयोग (1+2)	18,831	19,288	19,777	4,257	4,237	4,912
4. चुकौतियां	8,360	8,980	8,593	1,887	1,970	2,134
5. ब्याज अदायगियां	3,655	4,453	4,621	825	977	1,148
6. निवल राशि (3-4-5)	6,816	5,855	6,563	1,545	1,290	1,630

अ: अर्नातिम

- टिप्पणी :** 1. ऋण में गैर सरकारी ऋण शामिल हैं, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं के ऋण और वाणिज्यिक उधारों की राशियां शामिल नहीं हैं।
 2. अनुदान में पी.एल. 480-II अनुदान शामिल नहीं है।
 3. चुकौतियों में रूस को देय नागरी ऋण परिशोधन है और इसलिए ये आंकड़े परिशिष्ट सारणी 50 में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते।

स्रोत : सहायता, लेखा और लेखा-परीक्षा नियंत्रक, भारत सरकार।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 55 : भारत का विदेशी ऋण

(मार्च के अंत में)

मद	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	2006	2007	2008 अ	2006	2007	2008 अ
1	2	3	4	5	6	7
I. बहुपक्षीय	1,45,503	1,54,053	1,57,181	32,620	35,337	39,312
अ.: सरकारी उधार	1,33,800	1,41,746	1,43,961	29,996	32,514	36,005
i) रियायती	1,05,852	1,08,448	1,06,901	23,731	24,876	26,736
क) अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी	1,04,457	1,07,019	1,05,459	23,418	24,548	26,375
ख) अन्य #	1,395	1,429	1,442	313	328	361
ii) गैर रियायती	27,948	33,298	37,060	6,265	7,638	9,269
क) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	19,626	21,864	22,526	4,400	5,015	5,634
ख) अन्य ##	8,322	11,434	14,534	1,865	2,623	3,635
आ.: गैर सरकारी उधार	11,703	12,307	13,220	2,624	2,823	3,307
i) रियायती	0	0	0	0	0	0
ii) गैर रियायती	11,703	12,307	13,220	2,624	2,823	3,307
क) सार्वजनिक क्षेत्र	8,510	9,315	10,307	1,908	2,136	2,578
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	4,594	4,550	4,669	1,030	1,043	1,168
अन्य ##	3,916	4,765	5,638	878	1,093	1,410
ख) वित्तीय संस्थाएं	2,628	2,414	2,341	589	554	586
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	630	655	590	141	150	148
अन्य ##	1,998	1,759	1,751	448	404	438
ग) निजी क्षेत्र	565	578	572	127	133	143
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	0	0	0	0	0	0
अन्य	565	578	572	127	133	143
II. द्विपक्षीय	70,302	70,019	78,428	15,761	16,061	19,613
अ.: सरकारी उधार	54,593	53,810	59,117	12,239	12,343	14,785
i) रियायती	54,468	53,810	59,117	12,211	12,343	14,785
ii) गैर रियायती	125	0	0	28	0	0
आ.: गैर सरकारी उधार	15,709	16,209	19,311	3,522	3,718	4,828
i) रियायती	6,949	1,727	1,729	1,558	396	432
क) सार्वजनिक क्षेत्र	5,285	1,241	1,220	1,185	285	305
ख) वित्तीय संस्थाएं	1,664	486	509	373	111	127
ग) निजी क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
ii) गैर सरकारी उधार	8,760	14,482	17,582	1,964	3,322	4,396
क) सार्वजनिक क्षेत्र	3,628	7,420	10,031	813	1,702	2,508
ख) वित्तीय संस्थाएं	2,386	3,828	3,724	535	878	931
ग) निजी क्षेत्र	2,746	3,234	3,827	616	742	957
III. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	0	0	0	0	0	0
IV. व्यापारिक ऋण	24,175	30,740	41,051	5,420	7,051	10,267
क) विक्रेता ऋण	16,088	23,127	32,860	3,607	5,305	8,218
ख) आपूर्तिकर्ता ऋण	3,351	2,934	3,050	751	673	763
ग) द्विपक्षीय ऋण का निर्यात ऋण घटक	4,736	4,679	5,141	1,062	1,073	1,286
घ) प्रतिरक्षा उद्देश्यों हेतु निर्यात ऋण	0	0	0	0	0	0
V. वाणिज्यिक उधार	1,17,991	1,81,602	2,47,986	26,452	41,657	62,019
क) वाणिज्यिक बैंक ऋण	73,508	1,08,045	1,60,507	16,479	24,784	40,142
ख) प्रतिभूतिकृत उधार @ (एफसीसीबी सहित)	41,112	68,036	81,428	9,217	15,606	20,364
ग) बहुपक्षीय / द्विपक्षीय गारंटी और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (डब्ल्यू) के साथ ऋण / प्रतिभूतिकृत उधार इत्यादि	3,371	5,521	6,051	756	1,267	1,513
घ) स्वमेव समाप्य ऋण	0	0	0	0	0	0

(जारी)

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 55 : भारत का विदेशी ऋण (समाप्त)

(मार्च के अंत में)

मद	करोड़ रुपए			मिलियन अमरीकी डॉलर		
	2006	2007	2008 अ	2006	2007	2008 अ
1	8	9	10	11	12	13
VI. अनिवासी भारतीय की जमाराशियां एक वर्ष से अधिक की परिपक्वतावाली)	1,61,834	1,79,788	1,74,623	36,282	41,240	43,672
VII. रुपया ऋण *	9,184	8,485	8,062	2,059	1,947	2,016
क) प्रतिरक्षा	8,112	7,510	7,173	1,819	1,723	1,794
ख) सिविल+	1,072	975	889	240	224	222
VIII. कुल दीर्घावधि ऋण (I से VII)	5,28,989	6,24,687	7,07,331	118,594	143,293	176,899
IX. अल्पावधि ऋण	87,155	1,15,008	1,77,185	19,539	26,376	44,313
क) 180 दिनों तक व्यापार से संबंधित ऋण	47,743	61,088	83,081	10,703	14,008	20,778
ख) 180 दिनों से अधिक व्यापार से संबंधित ऋण	38,788	52,188	91,501	8,696	11,971	22,884
ग) सरकारी खजाना बिल और अन्य लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेश	624	1,732	2,603	140	397	651
X. कुल जोड़	6,16,144	7,39,695	8,84,516	138,133	169,669	221,212
रियायती ऋण	1,76,453	1,72,470	1,75,809	39,559	39,562	43,969
कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में	28.6	23.3	19.9	28.6	23.3	19.9
अल्पावधि ऋण	14.1	15.5	20.0	14.1	15.5	20.0
कुल ऋण के प्रतिशत रूप में						
ज्ञापन मद्दे :						
ऋण संकेतक :						
1. ऋण स्टॉक/जीडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	17.2	17.8	18.8	17.2	17.8	18.8
2. ऋण चुकौती अनुपात (प्रतिशत में) (राजकोषीय वर्ष के लिए) (गैर सिविल ऋणों से संबंधित ऋण चुकौतियों सहित)	9.9	4.8	5.4	9.9	4.8	5.4

अ : अर्नातिम

: आइएफएडी, ओपेक तथा ईईसी (एसएसी) जैसे संस्थानों के बकाया ऋण से संबंधित है।

: एडीबी के कर्जों के प्रति बकाया ऋणों से संबंधित है।

@ : इसमें 100 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेशक ऋण निधियों और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट द्वारा किया गया निवल निवेश शामिल है।

* : रूस के प्रति रुपए में देनदारी जिसे निर्यात में देय वर्तमान दरों के अनुसार परिवर्तित किया गया।

+ : इसमें मार्च 1990 की अंतिम तारीख के बाद से रुपया आपूर्तिकर्ता संबंधी ऋण शामिल है।

टिप्पणी : बहुपक्षीय ऋणों में 1971 के पूर्व के ऋण के लिए आइडीए ऋण के अंतर्गत आइबीआरडी पूल के ऋण और विनिमय दर समायोजन का पुनर्मूल्यांकन शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 56 : भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

माह के अंत में	विदेशी मुद्रा भंडार (करोड़ रुपए)					विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर)					कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (वि. आ. अ. मिलियन में)	विदेशी मुद्रा आरक्षित में घट-बढ़ (वि. आ. अ. मिलियन में) *
	विशेष आहरण अधिकार	स्वर्ण #	विदेशी मुद्रा आस्तियां	अंमुको में आरक्षित शुंखला (ट्रांश)स्थिति	कुल (2+3+ 4+5)	विशेष आहरण अधिकार	स्वर्ण #	विदेशी मुद्रा आस्तियां	अंमुको में आरक्षित शुंखला (ट्रांश) स्थिति	कुल (7+8+ 9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मार्च-94	339	12,794	47,287	938	61,358	108	4,078	15,068	299	19,553	13,841	6,595
मार्च-95	23	13,752	66,005	1,050	80,830	7	4,370	20,809	331	25,517	16,352	2,511
मार्च-96	280	15,658	58,446	1,063	75,447	82	4,561	17,044	310	21,997	15,054	-1,298
मार्च-97	7	14,557	80,368	1,046	95,978	2	4,054	22,367	291	26,714	19,272	4,218
मार्च-98	4	13,394	1,02,507	1,117	1,17,022	1	3,391	25,975	283	29,650	22,200	2,929
मार्च-99	34	12,559	1,25,412	2,816	1,40,821	8	2,960	29,522	663	33,153	24,413	2,213
मार्च-00	16	12,973	1,52,924	2,870	1,68,783	4	2,974	35,058	658	38,694	28,728	4,315
मार्च-01	11	12,711	1,84,482	2,873	2,00,077	2	2,725	39,554	616	42,897	34,034	5,306
मार्च-02	50	14,868	2,49,118	2,977	2,67,013	10	3,047	51,049	610	54,716	43,876	9,842
मार्च-03	19	16,785	3,41,476	3,190	3,61,470	4	3,534	71,890	672	76,100	55,394	11,518
मार्च-04	10	18,216	4,66,215	5,688	4,90,129	2	4,198	107,448	1,311	112,959	76,298	20,904
मार्च-05	20	19,686	5,93,121	6,289	6,19,116	5	4,500	135,571	1,438	141,514	93,666	17,368
जून-05	18	19,375	5,75,864	6,791	6,02,048	4	4,453	132,352	1,561	138,370	94,995	1,329
सितं-05	19	20,727	6,02,309	6,260	6,29,315	4	4,712	136,920	1,423	143,059	98,698	5,032
दिसं-05	20	23,770	5,90,497	4,096	6,18,383	5	5,274	131,018	909	137,206	95,997	2,331
मार्च-06	12	25,674	6,47,327	3,374	6,76,387	3	5,755	145,108	756	151,622	105,231	11,565
जून -06	2	28,479	7,18,701	3,518	7,50,700	-	6,180	155,968	764	162,912	110,123	4,892
सितं-06	6	28,506	7,27,733	3,502	7,59,747	1	6,202	158,340	762	165,305	111,967	6,736
दिसं-06	4	28,824	7,52,738	2,416	7,83,982	1	6,517	170,187	546	177,251	117,822	12,591
मार्च-07	8	29,573	8,36,597	2,044	8,68,222	2	6,784	191,924	469	199,179	131,890	26,659
जून-07	6	27,655	8,39,913	1,875	8,69,449	1	6,787	206,114	460	213,362	140,780	8,890
सितं-07	8	29,275	9,53,581	1,740	9,84,604	2	7,367	239,955	438	247,762	159,164	27,274
दिसं-07	13	32,819	10,50,485	1,703	10,85,020	3	8,328	266,553	432	275,316	174,223	42,333
मार्च-08	74	40,124	11,96,023	1,744	12,37,965	18	10,039	299,230	436	309,723	188,339	56,449
जून-08	48	39,548	12,98,552	2,269	13,40,417	11	9,208	302,340	528	312,087	191,040	2,701

- : नगण्य

: स्वर्ण का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के अनुरूप किया गया है।

* : विगत मार्च की तुलना में घट-बढ़।

- टिप्पणी** : 1. स्वर्ण की धारिता में सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान 191 मिलियन अमरीकी डॉलर, 1992-93 के दौरान 29.4 मिलियन डॉलर, 1993-94 के दौरान 139.3 मिलियन अमरीकी डॉलर, 1994-95 के दौरान 315.0 मिलियन अमरीकी डॉलर और 1995-96 के दौरान 17.9 मिलियन डॉलर मूल्य के अधिगृहीत स्वर्ण का समावेश है। दूसरी ओर स्वर्ण बॉण्ड योजना के अंतर्गत मोचन संबंधी देयताओं के निर्वाह हेतु 43.55 करोड़ रुपए की लागत का 1.27 टन स्वर्ण (11.97 मिलियन अमरीकी डॉलर) तथा 1,485.22 करोड़ रुपए लागत का 38.9 टन स्वर्ण (376.0 मिलियन अमरीकी डॉलर) 2.13 करोड़ रुपए (0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर) का 0.06 टन स्वर्ण भारत सरकार द्वारा क्रमशः 13 नवंबर 1997, 1 अप्रैल, 1998 और 5 अक्टूबर 1998 को खरीदा गया।
2. मार्च 1999 तक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का अमरीकी डॉलर में परिवर्तन मुद्रा कोष द्वारा आपूरित विनियम दर पर किया गया है। 1 अप्रैल 1999 से प्रभावी यह परिवर्तन न्यूयार्क में बंद विनि दर पर किया गया है।

परिशिष्ट सारणी 57 : निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

निर्यात ऋण	प्रभावी दरें										
	जनवरी 01, 1998	अप्रैल 30, 1998	अगस्त 06, 1998	अप्रैल 01, 1999	अक्टूबर 29, 1999	मई 26, 2000	जुलाई 6, 2001	मई 5, 2001#	सितंबर 26, 2001#	मई 18, 2004#	मई 01, 2006 #
1. पोल्लदानपूर्व ऋण	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i) 180 दिन तक*	12.00	11.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00
ii) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक	14.00	14.00	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00
iii) 90 दिन तक इसीजीसी गारंटी से कवर हुए सरकार से प्राप्त प्रोत्साहन के प्रति	12.00	11.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00
2. पोल्लदानोत्तर ऋण	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00
i) मार्गस्थ अवधि के मंग बिल (फेडरॉई द्वारा यथा निर्दिष्ट) *											
ii) मंगवादी बिल (कुल अवधि के लिए जिसमें निर्यात बिलों को मंगवादी अवधि, फेडरॉई द्वारा यथा निर्दिष्ट मार्गस्थ अवधि और और छूट अवधि, जहाँ लागू है) क) 90 दिन तक * ख) पोल्लदान के दिनांक से 90 दिन से अधिक और छह माह तक ग) पोल्लदान के दिनांक से छह माह से अधिक घ) गोल्ड कोर्ड योजना के अंतर्गत निर्यातकों के लिए 365 दिन तक	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00
iii) इसीजीसी गारंटी में कवर हुए सरकार प्राप्त प्रोत्साहन के प्रति (90 दिन तक)	13.00	13.00	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00
iv) अनाहति शेष पर (90 दिन तक)	20.00\$ (न्यून)	20.00\$ (न्यून)	20.00\$ (न्यून)	20.00\$ (न्यून)	20.00\$ (न्यून)	20.00\$ (न्यून)	20.00\$ (न्यून)				
v) पोल्लदान के दिनांक से एक वर्ष के भीतर देय रिटेंशन मुद्रा (आपूर्ति भाग के लिए ढी) के प्रति (90 दिन तक)	≤ 11.00	≤ 11.00	9.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00
3. आस्थागित ऋण	मुक्त (एफडीएफ)	मुक्त (एफडीएफ)	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त
180 दिन से अधिक के आस्थागित ऋण के लिए	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)				
4. अन्यथा विनिर्दिष्ट न कियया गया निर्यात ऋण	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)				
क) पोल्लदानपूर्व ऋण	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त	मुक्त
ख) पोल्लदानोत्तर ऋण	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)	20.00 (न्यून)				

एफडीए : अग्रिम के दिनांक से न्यूनतम पोल्लआर : मुख्य उधार दर बीपीएलआर : बचमाक मुख्य उधार दर

≤ : से अनधिक - : लागू नहीं

\$: बहुत पुराने मामले, अर्थात 1 जुलाई 1997 के अतिरिक्त को छूट होगी। * : उल्लिखित अवधि से अधिक की उपयुक्त श्रेणियों के लिए ब्याज दरें। मई 2006 से मुफ्त है। # : ये उच्चतम दरें हैं, बैंकों को उच्चतम दरों से नीचे की दरें लगाने की छूट होगी।

@ : इसीएसओएस को 1 मई 2006 से समाप्त किया गया। बैंक अपनी दरें स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

टिप्पणी : 1. 'मुक्त' का अर्थ यह है कि बैंक बीपीएलआर और स्पेड रिशानिंश को ध्यान में रखकर ब्याज दरें लगा सकते हैं।

2. निर्दिष्ट श्रेणियों के निर्यातकों को अपना निर्यात ऋण के ब्याज में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष सरकारी अनुदान देने के संबंध में सरकार के निर्णय के अनुसार में भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 जुलाई 2007 को उपयुक्त नौ श्रेणियों के निर्यातकों के ब्याज में संशोधित अनुदेश जारी किए थे नौ श्रेणियां हैं, वरु (हथकरघा सहित), तैयार वस्त्र, चमड़े की वस्तुएं, हस्तशिल्प वस्तुएं, इंजीनियरिंग उत्पाद, परिष्कृत कृषि उत्पाद, खेल वस्तुएं तथा खिलाड़ियों तथा मॉडर्न उद्यम के रूप में परिभाषित क्षेत्र के लघु तथा मध्यम उद्यम द्वारा किए गए निर्यात, लघु तथा मध्यम उद्यम। तदनुसार बैंक सभी लघु तथा मध्यम उद्यम श्रेणियों के निर्यातकों को 180 दिन तक को पोल्लदानपूर्व ऋण के लिए तथा 90 दिन तक के पोल्लदानोत्तर ऋण के लिए 4.5 प्रतिशत से ब्याज लगाएंगे।

3. भारत सरकार ने 6 अक्टूबर 2007 के निर्यातकों के लिए ब्याज दर अनुदान को आंशिक रूप में संशोधित करके छूट और कॉर्पेट, प्रसंस्कारित काजू, कॉफी, चाय सॉल्टड फ्लवराइड डी ओइल केक, को शामिल करने के लिए इस योजना को 31 मार्च 2008 तक बढ़ाया।

4. 30 नवंबर 2007 को निम्नलिखित क्षेत्रों जैसे चमड़ा और चमड़ा के उत्पादों, समुद्री उत्पादों, वर्तमान योजना के अंतर्गत आरएमजी और गलीचा सहित लेकिन मानव निर्मित रेशो और हथकरघा को छोड़कर सभी वस्त्रोद्योग के लिए लदान पूर्व और लदानोत्तर रकबा निर्यात ऋण पर ब्याज दर अनुदान को (पहले ही लिए गए 2 प्रतिशत अनुदान से अनिश्चित) अनिश्चित 2 प्रतिशत से और बढ़ाया गया है। बैंकों को उक्त क्षेत्रों के बकाया राशि पर 180 दिनों के लिए लदानपूर्व ऋण और 90 दिनों के लिए लदानोत्तर ऋण पर बीपीएलआर से अनधिक और 6.5 प्रतिशत घटाकर ब्याज दर लगाना होगा। लेकिन कुल अनुदान इस शर्त के अधीन होगा कि अनुदान के बाद ब्याज दर 7 प्रतिशत के दर से कम न होगा जो दर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को लागू है। उक्त छूट 1 नवंबर 2007 से 31 मार्च 2008 तक वैध होगी।

5. निर्यात ऋण पर ब्याज अनुदान 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक जारी रहेगा। तदनुसार, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस योजना को 30 सितंबर 2008 से समाप्त कर दिया जाए, इस निर्णय को रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2008 को सभी को सूचित किया।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 58 : खजाना बिलों की स्थिति

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1. अधिकतम मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)				
91 - दिवसीय खजाना बिल				
न्यूनतम	4.37	5.12	5.41	4.46
अधितम	5.61	6.69	8.10	7.94
भारित औसत	4.89	5.51	6.80	7.11
182 - दिवसीय खजाना बिल				
न्यूनतम	..	5.29	5.61	5.82
अधितम	..	6.74	8.20	7.99
भारित औसत	..	5.65	6.87	7.38
364 - दिवसीय खजाना बिल				
न्यूनतम	4.43	5.58	5.90	6.58
अधितम	5.77	6.81	7.98	7.80
भारित औसत	5.15	5.87	7.07	7.50
2. सकल निर्गम				
91-दिवसीय खजाना बिल	1,00,592	1,03,424	1,31,577	2,10,365
	(67,955)	(52,057)	(48,222)	(64,841)
182 - दिवसीय खजाना बिल	..	26,828	36,912	46,926
		(13,078)	(16,125)	(20,605)
364 - दिवसीय खजाना बिल	47,132	45,018	53,813	57,205
	(20,981)	(16,000)	(20,440)	(25,000)
3. निवल निर्गम				
91-दिवसीय खजाना बिल	20,653	-11,474	28,911	-5,272
	(19,500)	(-19,500)	(14,473)	(-4,841)
182 - दिवसीय खजाना बिल	..	9,771	7,435	-421
		(3,000)	(4,950)	(-345)
364 - दिवसीय खजाना बिल	20,997	-2,114	8,795	3,392
	(20,981)	(-4,981)	(4,440)	(4,560)
4. वर्ष अवधि के अंत में बकाया				
91-दिवसीय खजाना बिल	27,792	16,318	45,229	39,957
	(19,500)	(0)	(14,473)	(9,632)
182 - दिवसीय खजाना बिल	..	9,771	17,206	16,785
		(3,000)	(7,950)	(7,605)
364 - दिवसीय खजाना बिल	47,132	45,018	53,813	57,205
	(20,981)	(16,000)	(20,440)	(25,000)

.. : लागू नहीं ।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एमएसएस के अंतर्गत निर्गम दर्शाते हैं।
2. 182-दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी 6 अप्रैल 2005 को फिर से शुरू की गई ।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 59 : केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का प्रोफाइल

(राशि करोड़ रुपए में)

Item	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
1. सकल उधार	1,31,000	1,46,000	1,56,000
2. चुकौती	35,630	39,084	45,329
3. निवल उधार	95,370	1,06,916	1,10,671
4. भारित औसत परिपक्वता (वर्ष में)	16.90	14.72	14.90
5. भारित औसत प्रतिफल (प्रतिशत)	7.34	7.89	8.12
6. अ. : परिपक्वता वर्गीकरण - राशि			
(क) 5 वर्ष तक	0	10,000	0
(ख) 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	34,000	69,000	89,000
(ग) 10 वर्ष से अधिक	97,000	67,000	67,000
कुल	1,31,000	1,46,000	1,56,000
आ. : परिपक्वता वर्गीकरण - (प्रतिशत)			
(क) 5 वर्ष तक	0	7	0
(ख) 5 से अधिक और 10 वर्ष तक	26	47	57
(ग) 10 वर्ष से अधिक	74	46	43
कुल	100	100	100
7. मूल्य-आधारित नीलामी - राशि	1,25,000	1,32,000	1,50,000
8. प्रतिफल - प्रतिशत			
(क) न्यूनतम	6.69	7.06	7.55
(5 वर्ष, 6 माह)		(6 वर्ष, 1 माह)	(9 वर्ष, 6 माह)
(ख) अधिकतम	7.98	8.75	8.64
(29 वर्ष, 3 माह)		(28 वर्ष, 1 माह)	(29 वर्ष, 7 माह)
9. प्रतिफल - परिपक्वता वर्गीकरणवार			
(क) 10 वर्ष से कम			
न्यूनतम	6.69	7.06	7.55
(5 वर्ष, 6 माह)		(6 वर्ष, 1 माह)	(9 वर्ष, 6 माह)
अधिकतम	7.06	8.29	8.44
(8 वर्ष, 2 माह)		(9 वर्ष, 9 माह)	(9 वर्ष, 10 माह)
(ख) 10 वर्ष			
न्यूनतम	0	7.59	7.99
अधिकतम	0	7.59	7.99
(ग) 10 वर्ष से अधिक			
न्यूनतम	6.91	7.43	7.62
(10 वर्ष, 10माह)		(10 वर्ष, 1 माह)	(14 माह)
अधिकतम	7.98	8.75	8.64
(29 वर्ष, 3 माह)		(28 वर्ष, 1 माह)	(29 माह)
जापन मदें :			
1. भा. रि. बैंक द्वारा प्रारंभिक अंशदान	10,000	0	0
2. भा. रि. बैंक द्वारा खुला बाजार परिचालन - निवल बिक्री	3,913	5,125	5,923
3. केंद्र को अर्थोपाय अग्रिम (बकाया) (31 मार्च को)	0	0	1,203

@ : एफआरबी से संबंधित।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े अवशिष्ट पारिपक्वता अवधि दर्शाते हैं।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 60 : केंद्र सरकार को दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम

(राशि करोड़ रुपए में)

नीलामी तिथि	नीलामी तिथि	अवधि (वर्ष)	अवशिष्ट परिपक्वता (वर्ष)	अधिसूचित राशि	बोली/प्राप्त आवेदन				बोली / स्वीकृत आवेदन				कुल (11+13)	आवेदन प्रा. व्य. (भार)	बढ़ी सकल राशि (14+15)	अधिकतम कीमत (₹.) प्राप्ति (%)	ऋण का नाम
					संख्या +	अंकित मूल्य	संख्या +	अंकित मूल्य	संख्या +	अंकित मूल्य	संख्या +	अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2007-08																	
12 अप्रै 07	13 अप्रै 07	13	8.39	6000	274	11277.00	11	8.62	181	5991.38	11	8.62	6000	-	6000	95.318.1609	7.38% जो. एस्, 2015
12 अप्रै 07	13 अप्रै 07	30	29.15	4000	261	10642.00	8	8.06	81	3991.94	8	8.06	4000	-	4000	97.378.5752	8.33% जो. एस्, 2036
27 अप्रै 07	30 अप्रै 07	15	9.71	6000	330	12925.93	11	10.22	243	5989.78	11	10.22	6000	-	6000	99.408.1577	8.07% जो. एस्, 2017
11 मई 07	14 मई 07	15	9.92	6000	228	9454.00	5	4.04	181	5995.96	5	4.04	6000	-	6000	94.518.3118	7.49% जो. एस्, 2017
11 मई 07	14 मई 07	30	29.06	4000	244	10047.94	3	2.51	39	3997.50	3	2.51	4000	-	4000	96.718.6399	8.33% जो. एस्, 2036
25 मई 07	28 मई 07	13	8.26	5000	292	17864.00	4	8.00	50	4992.00	4	8.00	5000	-	5000	94.908.2399	7.38% जो. एस्, 2015
25 मई 07	28 मई 07	20	14.96	3000	258	8556.00	12	20.00	45	2980.00	12	20.00	3000	-	3000	99.518.4074	8.35% जो. एस्, 2022
5 जून 07	06 जून 07	15	9.86	6000	331	14982.50	5	5.80	139	5994.20	5	5.80	6000	-	6000	95.408.1763	7.49% जो. एस्, 2017
5 जून 07	06 जून 07	30	29.00	3000	199	7265.75	5	8.50	84	2991.50	5	8.50	3000	-	3000	97.968.5207	8.33% जो. एस्, 2036
12 जून 07	13 जून 07	15	9.84	5000	405	16505.25	5	7.20	88	4992.80	5	7.20	5000	-	5000	93.728.4395	7.49% जो. एस्, 2017
15 जून 07	18 जून 07	15	9.83	6000	410	28577.17	15	22.72	31	5977.28	15	22.72	6000	-	6000	94.278.3536	7.49% जो. एस्, 2017
6 जुला 07	09 जुला 07	10	10.00	6000	308	18088.00	14	21.48	101	5978.52	14	21.48	6000	-	6000	7.990	7.99% जो. एस्, 2017*
7 जुला 07	09 जुला 07	30	28.91	4000	215	8271.00	9	14.70	134	3985.30	9	14.70	4000	-	4000	98.728.4478	8.33% जो. एस्, 2036
20 जुला 07	23 जुला 07	11	6.11	6000	227	13972.50	9	15.57	114	5984.43	9	15.57	6000	-	6000	98.477.5851	7.27% जो. एस्, 2013
20 जुला 07	23 जुला 07	30	25.10	3000	235	11285.00	6	9.50	40	2990.50	6	9.50	3000	-	3000	95.828.3425	7.95% जो. एस्, 2032
3 अग 07	06 अग 07	10	9.93	6000	380	19947.82	7	12.25	86	5987.75	7	12.25	6000	-	6000	100.407.9296	7.99% जो. एस्, 2017
3 अग 07	06 अग 07	30	25.06	4000	210	9812.00	5	5.35	85	3994.65	5	5.35	4000	-	4000	94.838.4487	7.95% जो. एस्, 2032
24 अग 07	27 अग 07	11	6.02	5000	224	14481.81	7	12.00	32	4988.00	7	12.00	5000	-	5000	97.167.8712	7.27% जो. एस्, 2013
24 अग 07	27 अग 07	10	9.89	2000	194	5854.50	10	13.70	69	1986.30	10	13.70	2000	-	2000	100.537.9094	7.99% जो. एस्, 2017
7 सितं 07	10 सितं 07	15	14.43	4000	211	15358.62	9	8.52	13	3991.49	9	8.52	4000	-	4000	100.358.1571	8.20% जो. एस्, 2022
7 सितं 07	10 सितं 07	30	28.74	3000	207	8673.25	7	11.50	80	2988.50	7	11.50	3000	-	3000	99.138.4087	8.33% जो. एस्, 2036
12 अक्टू 07	15 अक्टू 07	10	9.73	6000	277	16425.60	11	15.52	93	5984.48	11	15.52	6000	-	6000	100.547.9065	7.99% जो. एस्, 2017
12 अक्टू 07	15 अक्टू 07	30	24.87	4000	213	10257.57	5	8.00	79	3992.00	5	8.00	4000	-	4000	94.828.4503	7.95% जो. एस्, 2032
26 अक्टू 07	29 अक्टू 07	11	5.84	4000	218	11772.00	5	8.50	102	3991.50	5	8.50	4000	-	4000	97.807.7419	7.27% जो. एस्, 2013
26 अक्टू 07	29 अक्टू 07	20	14.54	4000	169	14348.70	9	11.52	24	3988.48	9	11.52	4000	-	4000	101.818.1347	8.35% जो. एस्, 2022
8 नवं 07	09 नवं 07	15	14.26	5000	143	9025.00	3	4.70	92	4038.00	3	4.70	4043	957	5000	99.508.2578	8.20% जो. एस्, 2022
8 नवं 07	09 नवं 07	30	28.57	3000	209	9310.00	4	7.00	10	2993.00	4	7.00	3000	-	3000	99.348.3903	8.33% जो. एस्, 2036
23 नवं 07	26 नवं 07	10	9.62	3000	172	6676.00	5	8.16	75	2991.84	5	8.16	3000	-	3000	100.617.8962	7.99% जो. एस्, 2017
23 नवं 07	26 नवं 07	20	14.47	4000	258	13398.00	7	10.95	57	3989.05	7	10.95	4000	-	4000	101.268.1991	8.35% जो. एस्, 2022
14 दिसं 07	17 दिसं 07	10	9.56	5000	218	10587.00	10	11.76	134	4988.24	10	11.76	5000	-	5000	100.477.9177	7.99% जो. एस्, 2017
14 दिसं 07	17 दिसं 07	30	28.47	2000	216	7384.00	7	10.00	15	1990.00	7	10.00	2000	-	2000	100.768.2599	8.33% जो. एस्, 2036
11 जन 08	14 जन 08	10	9.49	6000	290	14001.00	19	23.58	130	5976.42	19	23.58	6000	-	6000	102.917.5545	7.99% जो. एस्, 2017
11 जन 08	14 जन 08	30	28.40	4000	241	14926.00	6	9.50	10	3990.50	6	9.50	4000	-	4000	104.907.8938	8.33% जो. एस्, 2036
8 फर 08	11 फर 08	30	28.32	4000	245	11652.00	6	9.10	87	3990.90	6	9.10	4000	-	4000	106.367.7698	8.33% जो. एस्, 2036
8 फर 08	11 फर 08	15	14.01	5000	207	13844.00	10	15.50	61	4984.50	10	15.50	5000	-	5000	104.977.6166	8.20% जो. एस्, 2022

परिशिष्ट सारणी 60 : केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां - स्थिति

(राशि करोड़ रुपए में)

नीलामी तिथि	नीलामी विवरण			बोली/आवेदन प्राप्त			बोली / आवेदन स्वीकृत			आबंटन प्र. व्य. (भार)	बढ़ी सकल राशि (14+15)	अधिकतम क्रेत (र.) प्राप्ति (%)	ऋण का नाम				
	निर्गम तिथि	अवधि (वर्ष)	अवशिष्ट परिष्कृता (वर्ष)	अधिसूचित राशि	प्रतियोगी संख्या +	अंकित मूल्य	संख्या +	अंकित मूल्य	प्रतियोगी संख्या +					अंकित मूल्य	कुल (11+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2008-09																	
11 अप्रै 08	15 अप्रै 08	13	7.38	6000	222	11114.02	13	14.95	156	5985.05	13	14.95	6000	-	6000	95.83/8.1401	7.38% जी.एस. 2015
11 अप्रै 08	15 अप्रै 08	30	24.37	4000	241	11994.66	13	18.75	36	3981.25	13	18.75	4000	-	4000	92.63/8.6734	7.95% जी.एस. 2032
21 अप्रै 08	22 अप्रै 08	10	10.00	6000	354	20964.00	12	14.80	109	5985.20	12	14.80	6000	-	6000	8.2400	8.24% जी.एस. 2018 *
21 अप्रै 08	22 अप्रै 08	30	28.13	4000	254	12741.00	8	9.55	61	3990.45	8	9.55	4000	-	4000	95.44/8.7675	8.33% जी.एस. 2036
09 मई 08	12 मई 08	10	7.92	6000	345	15406.01	21	25.90	134	5974.10	21	25.90	6000	-	6000	97.85/7.9595	7.49% जी.एस. 2016
09 मई 08	12 मई 08	30	24.29	4000	216	10934.60	14	21.66	13	3978.34	14	21.66	4000	-	4000	95.76/8.352	7.95% जी.एस. 2032
23 मई 08	26 मई 08	10	9.91	6000	409	18970.02	10	14.60	125	5985.40	10	14.60	6000	-	6000	101.15/8.0673	8.24% जी.एस. 2018
23 मई 08	26 मई 08	25	23.72	4000	142	11761.00	1	2.00	26	3998.00	1	2.00	4000	-	4000	97.56/8.5191	8.28% जी.एस. 2032
06 जून 08	09 जून 08	10	9.87	6000	378	18782.02	18	22.45	83	5977.55	18	22.45	6000	-	6000	99.88/8.2556	8.24% जी.एस. 2018
06 जून 08	09 जून 08	30	24.22	4000	152	8571.00	4	8.00	90	3992.00	4	8.00	4000	-	4000	92.18/8.722	7.95% जी.एस. 2032
20 जूला 08	23 जूला 08	20	18.64	6000	156	10311.61	9	11.76	56	5209.61	9	11.76	5221	779	6000	91.08/9.2506	8.24% जी.एस. 2027
04 जूला 08	07 जूला 08	10	9.79	6000	292	12154.50	9	10.40	192	5989.60	9	10.40	6000	-	6000	94.28/9.1327	8.24% जी.एस. 2018
04 जूला 08	07 जूला 08	25	23.61	4000	156	6501.70	2	4.00	106	3996.00	2	4.00	4000	-	4000	84.30/10.0258	8.28% जी.एस. 2032
24 जूला 08	25 जूला 08	10	9.74	6000	214	12428.50	17	16.10	115	5983.90	17	16.10	6000	-	6000	94.63/9.0785	8.24% जी.एस. 2028U
8 अग 08	11 अग 08	10	9.70	6000	236	15021.30	13	16.35	49	5983.65	13	16.35	6000	-	6000	94.27/9.1400	8.24% जी.एस. 2018U
8 अग 08	11 अग 08	30	24.05	4000	166	8288.20	3	4.50	94	3995.50	3	4.50	4000	-	4000	82.30/9.8813	7.95% जी.एस. 2032U

+ : आवेदकों की संख्या - : शून्य * नया निर्गम (प्रतिफल आधारित नीलामी) यू : एक समान मूल्य

टिप्पणी : 1) रौर प्रतियोगी बोलीकर्तों को आबंटन प्रतियोगी बोली की भारत औसत आय/मूल्य पर ।

2) *से इंगित को छोड़कर सभी नीलामी पुन : जारी की है ।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 61 : राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों का बाजार उधार कार्यक्रम : 2007-08

(राशि करोड़ रुपए)

राज्य कें. शा.प्रदेश का नाम	सकल आबंटन (=3+4+5+6)	चुकौती	निवल आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	(अतिरिक्त आबंटन एनएसएसएफ की राशि जुटाने में आयी कमी को पूरा करने के लिए)	सकल उधार	निवल उधार (=7-3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	5,936	1,008	4,928	-	2,389	6,650	5,642
2. अरुणाचल प्रदेश	149	10	139	-	35	185	174
3. असम	727	333	394	-	237	963	630
4. बिहार	1,622	779	842	-	575	1,092	313
5. छत्तीसगढ़	407	157	250	-	571	#	-157
6. गोवा	636	31	605	-	-	400	369
7. गुजरात	1,755	475	800	480	5,021	6,775	6,300
8. हरियाणा	750	253	496	-	522	#	-253
9. हिमाचल प्रदेश	675	77	598	-	724	1,399	1,322
10. जम्मू व कश्मीर	1,919	118	275	1,525	307	2,226	2,108
11. झारखंड	648	264	384	-	905	1,192	928
12. कर्नाटक	1,556	462	1,094	-	906	750	288
13. केरल	2,026	663	773	590	2,271	4,297	3,634
14. मध्य प्रदेश	2,514	538	1,776	200	1,168	1,875	1,337
15. महाराष्ट्र	3,820	775	2,044	1,000	4,748	8,520	7,744
16. मणिपुर	247	37	210	-	-	247	210
17. मेघालय	176	48	128	-	19	196	147
18. मिजोरम	134	18	116	-	13	147	129
19. नगालैंड	359	71	287	-	11	369	298
20. उड़ीसा	1,241	874 *	367	-	-	#	-874 *
21. पंजाब	2,350	328	1,591	432	1,771	4,121	3,794
22. राजस्थान	2,296	754	1,543	-	1,691	3,987	3,233
23. सिक्किम	274	26	199	49	34	250	224
24. तमिलनाडु	2,367	813	1,554	-	2,576	4,942	4,130
25. त्रिपुरा	86	45	40	-	153	#	-45
26. उत्तर प्रदेश	6,494	1,791	4,703	-	-	4,422	2,631
27. उत्तराखंड	544	95	449	-	428	830	735
28. पश्चिम बंगाल	3,063	867	2,196	-	8,544	11,607	10,740
29. के. शा. प्रदेश पुदुचेरी	177	-	-	177	160	337	337
कुल	44,946	11,711	28,781	4,454	35,780	67,779	56,068

: राज्यों ने 2007-08 के दौरान बाजार उधार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया।

* : इसमें 156 करोड़ रु. के प्रतिभूतियों के बाय-बैंक की रकम शामिल है।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 62 : नीलामी से जुटाए गए राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के बाजार उधार

(राशि करोड़ रूप में)

क्रम सं.	नीलामी की तारीख	राज्य / के. शा. प्रदेश	अधिसूचित राशि	स्वीकृत राशि	बाजार दर * (प्रतिशत)	प्राप्त बोलियों की संख्या	प्रस्तावित राशि	भारत औसत दर (%)	अधिकतम दर (प्रतिशत)	व्यापित (प्रतिशत अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (=10-6)
	2007-08									
1.	19-04-2007	गुजरात	400	400	8.08	51	1735	8.29	8.30	0.22
2.	19-04-2007	महाराष्ट्र	500	500	8.08	55	2017	8.30	8.30	0.22
3.	19-04-2007	मिजोराम	47	47	8.08	10	191	8.30	8.30	0.22
4.	19-04-2007	नगालैंड	140	140	8.08	13	510	8.30	8.30	0.22
5.	19-04-2007	राजस्थान	750	750	8.08	62	3012	8.30	8.30	0.22
6.	10-05-2007	केरल	350	350	8.11	47	1767	8.29	8.34	0.23
7.	17-05-2007	आंध्र प्रदेश	400	400	8.12	52	933	8.36	8.40	0.28
8.	17-05-2007	पश्चिम बंगाल	1000	1000	8.12	97	2702	8.35	8.40	0.28
9.	19-06-2007	आंध्र प्रदेश	600	600	8.22	86	1824	8.41	8.45	0.23
10.	19-06-2007	अरुणाचल प्रदेश	20	20	8.22	4	65	8.47	8.48	0.26
11.	19-06-2007	असम	443	401	8.22	9	401	8.46	8.52	0.30
12.	19-06-2007	जम्मू और कश्मिर	100	100	8.22	10	145	8.46	8.57	0.35
13.	19-06-2007	केरल	300	300	8.22	48	970	8.41	8.45	0.23
14.	19-06-2007	मध्य प्रदेश	500	625	8.22	50	1194	8.44	8.49	0.27
15.	19-06-2007	मेघालय	55	55	8.22	3	110	8.47	8.48	0.26
16.	19-06-2007	राजस्थान	500	500	8.22	62	1533	8.43	8.46	0.24
17.	19-06-2007	पश्चिम बंगाल	965	965	8.22	87	3464	8.46	8.48	0.26
18.	26-7-2007	आंध्र प्रदेश	600	600	7.81	74	2291	7.98	8.00	0.19
19.	26-7-2007	गुजरात	400	400	7.81	62	2013	7.98	8.00	0.19
20.	26-7-2007	जम्मू और कश्मिर	122	122	7.81	17	253	8.16	8.25	0.44
21.	26-7-2007	झारखंड	192	192	7.81	22	894	8.02	8.04	0.23
22.	26-7-2007	नागालैंड	75	75	7.81	6	189	8.04	8.04	0.23
23.	16-8-2007	जम्मू और कश्मिर	372	372	8.00	28	591	8.64	8.90	0.90
24.	16-8-2007	केरल	350	350	8.00	53	1004	8.32	8.36	0.36
25.	16-8-2007	मध्य प्रदेश	600	750	8.00	36	1011	8.35	8.40	0.40
26.	16-8-2007	मणीपुर	86	86	8.00	6	111	8.35	8.35	0.35
27.	16-8-2007	मिजोराम	29	29	8.00	8	110	8.35	8.35	0.35
28.	16-8-2007	पंजाब	500	500	8.00	35	1533	8.31	8.35	0.35
29.	16-8-2007	तमिलनाडु	300	300	8.00	66	1002	8.27	8.30	0.30
30.	16-8-2007	पश्चिम बंगाल	1098	1098	8.00	95	2620	8.34	8.39	0.39
31.	20-9-2007	असम	116	116	7.82	8	482	8.20	8.20	0.38
32.	20-9-2007	गुजरात	475	475	7.82	32	750	8.16	8.20	0.38
33.	20-9-2007	हिमाचल प्रदेश	300	300	7.82	27	1202	8.13	8.16	0.34
34.	20-9-2007	जम्मू और कश्मिर	135	135	7.82	36	869	8.45	8.50	0.68
35.	20-9-2007	केरल	436	436	7.82	27	841	8.13	8.19	0.37
36.	20-9-2007	पंजाब	1000	1000	7.82	70	2484	8.16	8.22	0.40
37.	20-9-2007	सिक्किम	112	112	7.82	10	469	8.20	8.20	0.38
38.	20-9-2007	तमिलनाडु	500	500	7.82	45	1119	8.09	8.14	0.32
39.	04-10-2007	केरल	590	590	7.91	67	1925	8.19	8.20	0.29
40.	08-10-2007	गुजरात	1000	1000	7.94	67	1639	8.27	8.32	0.38
41.	08-10-2007	महाराष्ट्र	722	722	7.94	58	1465	8.27	8.31	0.37
42.	08-10-2007	राजस्थान	1250	950	7.94	62	1590	8.28	8.32	0.38
43.	08-10-2007	पश्चिम बंगाल	2000	2000	7.94	128	4913	8.36	8.40	0.46
44.	13-11-2007	आंध्र प्रदेश	750	750	7.88	53	1078	8.36	8.40	0.52
45.	13-11-2007	गोवा	150	150	7.88	13	358	8.38	8.40	0.52
46.	13-11-2007	केरल	800	800	7.88	35	885	8.44	8.69	0.81
47.	13-11-2007	तमिलनाडु	500	500	7.88	44	700	8.34	8.39	0.51
48.	13-11-2007	उत्तर प्रदेश	1000	1000	7.88	64	1920	8.49	8.55	0.67
49.	13-11-2007	पश्चिम बंगाल	2100	2100	7.88	159	6887	8.45	8.48	0.60

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 62 : नीलामी से जुटाए गए राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के बाजार उधार (जारी)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	नीलामी की तारीख	राज्य / के. शा. प्रदेश	अधिसूचित राशि	स्वीकृत राशि	बाजार दर * (प्रतिशत)	प्राप्त बोलियों की संख्या	प्रस्तावित राशि	भारित औसत दर (%)	अधिकतम दर (प्रतिशत)	व्याप्ति (प्रतिशत अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (=10-6)
50.	30-11-2007	आंध्र प्रदेश	500	500	7.90	94	2043	8.45	8.48	0.58
51.	30-11-2007	हिमाचल प्रदेश	200	200	7.90	33	899	8.47	8.50	0.60
52.	30-11-2007	महाराष्ट्र	1597	1597	7.90	154	4799	8.47	8.50	0.60
53.	30-11-2007	राजस्थान	500	215	7.90	76	2273	8.45	8.45	0.55
54.	30-11-2007	तमिलनाडु	600	600	7.90	114	2845	8.45	8.47	0.57
55.	30-11-2007	पश्चिम बंगाल	2100	2100	7.90	174	8125	8.47	8.50	0.60
56.	18-12-2007	अरुणाचल प्रदेश	50	50	7.89	14	221	8.41	8.42	0.53
57.	18-12-2007	असम	200	200	7.89	26	731	8.40	8.40	0.51
58.	18-12-2007	हिमाचल प्रदेश	100	100	7.89	20	460	8.39	8.40	0.51
59.	18-12-2007	जम्मू और कश्मिर	307	307	7.89	56	1154	8.54	8.58	0.69
60.	18-12-2007	मध्य प्रदेश	500	500	7.89	60	1249	8.41	8.43	0.54
61.	18-12-2007	मेघालय	50	50	7.89	9	146	8.39	8.42	0.53
62.	18-12-2007	मिजोराम	29	29	7.89	7	115	8.42	8.42	0.53
63.	18-12-2007	नगालैंड	77	77	7.89	10	203	8.41	8.42	0.53
64.	18-12-2007	पंजाब	900	900	7.89	111	3845	8.40	8.41	0.52
65.	18-12-2007	तमिलनाडु	500	500	7.89	122	2990	8.38	8.39	0.50
66.	18-12-2007	उत्तराखंड	250	250	7.89	44	1240	8.39	8.39	0.50
67.	07-01-2008	गुजरात	1000	1000	7.68	136	4011	8.03	8.07	0.39
68.	07-01-2008	हिमालय प्रदेश	300	300	7.68	55	1405	8.01	8.03	0.35
69.	07-01-2008	केरल	833	833	7.68	122	2662	8.08	8.12	0.44
70.	07-01-2008	महाराष्ट्र	2000	2000	7.68	174	8236	8.05	8.08	0.40
71.	07-01-2008	राजस्थान	600	600	7.68	92	3140	8.04	8.06	0.38
72.	07-01-2008	उत्तर प्रदेश	1100	1100	7.68	85	3706	8.05	8.07	0.39
73.	24-01-2008	आंध्र प्रदेश	500	500	7.38	51	1112	7.85	7.92	0.54
74.	24-01-2008	असम	246	246	7.38	13	661	7.83	7.97	0.59
75.	24-01-2008	गुजरात	1000	1000	7.38	84	2332	7.83	7.87	0.49
76.	24-01-2008	जम्मू और कश्मिर	100	100	7.38	26	670	7.95	7.98	0.60
77.	24-01-2008	झारखंड	1000	1000	7.38	36	1614	7.84	7.89	0.51
78.	24-01-2008	महाराष्ट्र	1350	1350	7.38	105	3048	7.84	7.89	0.51
79.	24-01-2008	पुदुचेरी	177	177	7.38	20	410	7.85	7.90	0.52
80.	24-01-2008	पंजाब	456	456	7.38	34	996	7.82	7.86	0.48
81.	24-01-2008	राजस्थान	549	549	7.38	33	1142	7.82	7.84	0.46
82.	24-01-2008	तमिलनाडु	600	750	7.38	58	1555	7.81	7.85	0.47
83.	24-01-2008	उत्तराखंड	250	250	7.38	13	430	7.84	7.87	0.49
84.	24-01-2008	पश्चिम बंगाल	1400	1400	7.38	122	5089	7.84	7.87	0.49
85.	15-02-2008	आंध्र प्रदेश	800	800	7.54	72	1306	7.94	7.98	0.44
86.	15-02-2008	अरुणाचल प्रदेश	106	106	7.54	13	459	7.99	8.00	0.46
87.	15-02-2008	हिमाचल प्रदेश	274	274	7.54	22	756	7.94	8.00	0.46
88.	15-02-2008	केरल	637	637	7.54	64	1369	7.95	8.00	0.46
89.	15-02-2008	महाराष्ट्र	2350	2350	7.54	124	3548	7.97	8.00	0.46
90.	15-02-2008	मणीपुर	124	124	7.54	12	361	8.02	8.02	0.48
91.	15-02-2008	मेघालय	50	50	7.54	9	177	8.00	8.02	0.48
92.	15-02-2008	नगालैंड	77	77	7.54	10	246	8.00	8.02	0.48
93.	15-02-2008	पंजाब	500	500	7.54	49	1335	7.93	7.96	0.42
94.	15-02-2008	राजस्थान	423	220	7.54	34	632	7.92	7.93	0.39
95.	15-02-2008	सिक्किम	138	138	7.54	11	488	8.00	8.02	0.48
96.	15-02-2008	तमिलनाडु	800	1000	7.54	90	2307	7.93	7.96	0.42
97.	15-02-2008	उत्तर प्रदेश	1500	1500	7.54	69	2329	7.98	8.01	0.47
98.	22-02-2008	बिहार	1196	1092	7.65	42	1832	8.21	8.25	0.60
99.	22-02-2008	गुजरात	1000	1000	7.65	66	1397	8.10	8.14	0.49

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 62 : नीलामी से जुटाए गए राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के बाजार उधार (समाप्त)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	नीलामी की तारीख	राज्य / के. शा. प्रदेश	अधिसूचित राशि	स्वीकृत राशि	बाजार दर * (प्रतिशत)	प्राप्त बोलियों की संख्या	प्रस्तावित राशि	भारित औसत दर (%)	अधिकतम दर (प्रतिशत)	व्याप्ति (प्रतिशत अंक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (=10-6)
100.	22-02-2008	जम्मू और कश्मिर	976	976	7.65	34	1939	8.18	8.48	0.83
101.	22-02-2008	मिजोराम	42	42	7.65	6	73	8.25	8.25	0.60
102.	22-02-2008	तमिलनाडु	650	792	7.65	62	1380	8.09	8.12	0.47
103.	22-02-2008	उत्तर प्रदेश	1700	822	7.65	50	1362	8.18	8.25	0.60
104.	22-02-2008	उत्तराखंड	250	250	7.65	23	551	8.10	8.12	0.47
105.	07-03-2008	आंध्र प्रदेश	1500	1500	7.65	59	1570	8.36	8.45	0.80
106.	07-03-2008	गुजरात	1140	1140	7.65	59	1572	8.27	8.43	0.78
107.	07-03-2008	पंजाब	765	765	7.65	38	1638	8.24	8.28	0.63
108.	07-03-2008	पश्चिम बंगाल	944	944	7.65	62	2661	8.23	8.30	0.65
109.	26-03-2008	आंध्र प्रदेश	1000	1000	7.81	130	3317	8.38	8.41	0.60
110.	26-03-2008	अरुणाचल प्रदेश	9	9	7.81	3	14	8.46	8.46	0.65
111.	26-03-2008	गोवा	250	250	7.81	21	605	8.35	8.35	0.54
112.	26-03-2008	गुजरात	360	360	7.81	67	1032	8.36	8.39	0.58
113.	26-03-2008	हिमाचल प्रदेश	225	225	7.81	28	659	8.35	8.35	0.54
114.	26-03-2008	जम्मू और कश्मिर	115	115	7.81	15	290	8.67	8.70	0.89
115.	26-03-2008	कर्नाटक	750	750	7.81	90	2441	8.38	8.40	0.59
116.	26-03-2008	मणीपुर	37	37	7.81	6	82	8.46	8.46	0.65
117.	26-03-2008	मेघालय	41	41	7.81	6	91	8.46	8.46	0.65
118.	26-03-2008	पुदुचेरी	160	160	7.81	14	240	8.40	8.40	0.59
119.	26-03-2008	राजस्थान	203	203	7.81	40	590	8.39	8.40	0.59
120.	26-03-2008	उत्तराखंड	221	80	7.81	12	80	8.55	8.68	0.87
2008-09										
1.	22-04-2008	केरल	385	385	8.15	112	2499	8.45	8.50	0.35
2.	22-04-2008	नगालैंड	160	160	8.15	17	570	8.49	8.58	0.43
3.	22-04-2008	उत्तराखंड	250	250	8.15	60	1567	8.45	8.50	0.35
4.	22-04-2008	पश्चिम बंगाल	1853	1853	8.15	182	8393	8.53	8.60	0.45
5.	27-05-2008	जम्मू और कश्मिर	564	564	8.09	52	960	8.64	8.68	0.59
6.	27-05-2008	केरल	500	500	8.09	90	1809	8.46	8.50	0.41
7.	27-05-2008	उत्तर प्रदेश	1000	1000	8.09	96	3568	8.49	8.51	0.42
8.	27-05-2008	उत्तराखंड	200	200	8.09	45	1097	8.39	8.39	0.30
9.	27-05-2008	पश्चिम बंगाल	1000	1000	8.09	132	4192	8.49	8.52	0.43
10.	27-06-2008	आंध्र प्रदेश	500	500	8.61	81	1246	9.28	9.40	0.79
11.	27-06-2008	उत्तर प्रदेश	1000	1000	8.61	76	1822	9.47	9.59	0.98
12.	27-06-2008	पश्चिम बंगाल	800	800	8.61	120	2411	9.21	9.38	0.77
13.	10-07-2008	पंजाब	500	500	9.32	82	1422	9.73	9.81	0.49
14.	31-07-2008	आंध्र प्रदेश	1000	1000	9.38	134	3163	9.85	9.89	0.51
15.	31-07-2008	केरल	300	300	9.38	66	1532	9.84	9.86	0.48
16.	31-07-2008	पश्चिम बंगाल	800	800	9.38	123	3452	9.87	9.90	0.52

* : समान परिपक्वता वाली केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का द्वितीय बाजार प्रतिफल।

परिशिष्ट सारणियां

परिशिष्ट सारणी 63 : राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बाजार उधार का औसत भारांकित प्रतिलाभ

(प्रतिशत)

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	6.47	7.36	8.13	8.30
2. अरुणाचल प्रदेश	6.68	7.39	8.06	8.19
3. असम	6.53	7.56	8.04	8.32
4. बिहार	6.63	7.39	कुछ नहीं	8.25
5. छत्तिसगढ़	6.21	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. गोवा	6.46	7.65	7.99	8.37
7. गुजरात	6.22	7.33	कुछ नहीं	8.18
8. हरियाणा	6.34	7.33	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9. हिमाचल प्रदेश	6.40	7.39	7.99	8.20
10. जम्मू और कश्मिर	6.56	7.75	8.13	8.55
11. झारखंड	6.39	7.46	8.11	7.91
12. कर्नाटक	6.41	कुछ नहीं	कुछ नहीं	8.40
13. केरल	6.42	7.46	7.96	8.29
14. मध्य प्रदेश	6.51	7.50	8.31	8.44
15. महाराष्ट्र	6.45	7.50	8.05	8.14
16. मणिपुर	6.62	7.60	7.91	8.20
17. मेघालय	6.78	7.70	8.21	8.34
18. मिजोराम	6.97	7.71	8.29	8.32
19. नागालैंड	6.42	7.69	8.05	8.21
20. उड़ीसा	6.51	7.77	कुछ नहीं	कुछ नहीं
21. पंजाब	6.29	7.73	8.00	8.22
22. राजस्थान	6.43	7.65	8.08	8.22
23. सिक्किम	7.03	7.70	8.29	8.10
24. तमिलनाडु	6.29	7.68	8.10	8.16
25. त्रिपुरा	6.95	7.55	8.11	कुछ नहीं
26. उत्तर प्रदेश	6.54	7.85	8.22	8.19
27. उत्तराखंड	6.16	7.71	8.20	8.18
28. पश्चिम बंगाल	6.53	7.39	7.86	8.37
29. पुदुचेरी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	8.14
अधिकतम	7.03	7.85	8.31	8.55
न्यूनतम	6.16	7.33	7.86	7.91
औसत	6.45	7.63	8.10	8.25

अ.नु. : उपलब्ध नहीं